

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2025-26

भारत के समुद्री प्रगति को नई दिशा

भविष्योन्मुखी

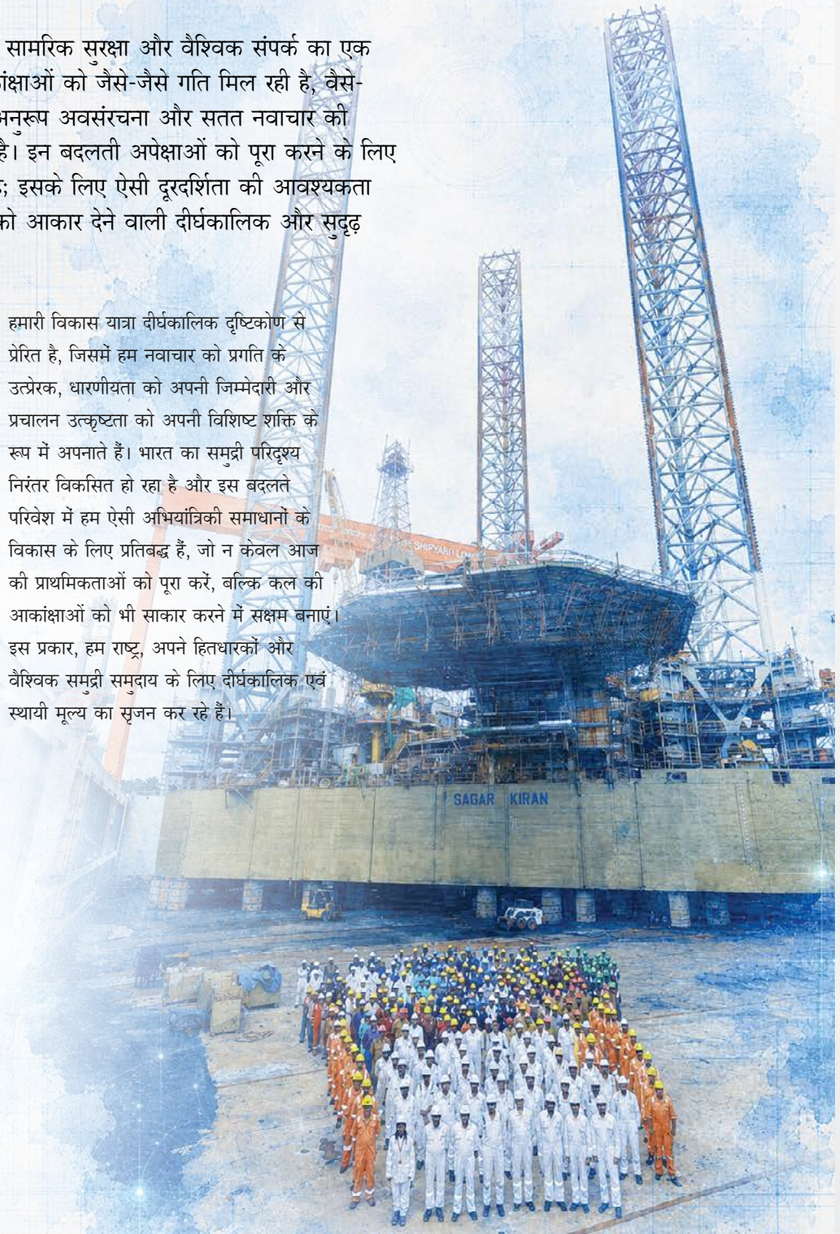
नवाचार-प्रेरित

भारत के समुद्री प्रगति को नई दिशा

समुद्री शक्ति लंबे समय से आर्थिक सुदृढ़ता, सामरिक सुरक्षा और वैश्विक संपर्क का एक प्रमुख आधार रही है। भारत की समुद्री आकांक्षाओं को जैसे-जैसे गति मिल रही है, वैसे-वैसे विश्वस्तरीय अभियांत्रिकी, भविष्य के अनुरूप अवसंरचना और सतत नवाचार की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इन बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केवल पोत निर्माण की क्षमता पर्याप्त नहीं है; इसके लिए ऐसी दूरदर्शिता की आवश्यकता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देने वाली दीर्घकालिक और सुदृढ़ क्षमताओं का निर्माण कर सके।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में, यही दर्शन हमारे विकास, नवाचार और मूल्य सृजन की दिशा निर्धारित करता है। उन्नत पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत क्षमताओं, हरित प्रौद्योगिकियों में अग्रणी पहलों, स्वदेशी अभियांत्रिकी विशेषज्ञता तथा आधुनिक अवसंरचना में निरंतर निवेश के माध्यम से हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री उद्योग की मजबूत नींव को सुदृढ़ कर रहे हैं। निर्मित और सुपुर्द किया गया प्रत्येक पोत, स्थापित की गई प्रत्येक कार्यनीतिक साझेदारी तथा हासिल की गई प्रत्येक तकनीकी उपलब्धि, रक्षा, वाणिज्यिक और अपतटीय क्षेत्रों के ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

हमारी विकास यात्रा दीर्घकालिक दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसमें हम नवाचार को प्रगति के उत्प्रेरक, धारणीयता को अपनी जिम्मेदारी और प्रचालन उत्कृष्टता को अपनी विशिष्ट शक्ति के रूप में अपनाते हैं। भारत का समुद्री परिदृश्य निरंतर विकसित हो रहा है और इस बदलते परिवेश में हम ऐसी अभियांत्रिकी समाधानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो न केवल आज की प्राथमिकताओं को पूरा करें, बल्कि कल की आकांक्षाओं को भी साकार करने में सक्षम बनाएं। इस प्रकार, हम राष्ट्र, अपने हितधारकों और वैश्विक समुद्री समुदाय के लिए दीर्घकालिक एवं स्थायी मूल्य का सृजन कर रहे हैं।



क्यू आर कोड स्कैन करें या नीचे दिए लिंक से वेबसाइट पर जाएं।
www.cochinshipyard.in

रिपोर्ट की प्रमुख झलकियां

भविष्यपरक कथन

इस रिपोर्ट में दी गई कुछ जानकारी में भविष्यपरक कथन शामिल हो सकते हैं, जिनमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और प्रचालन परिणाम, व्यावसायिक योजनाओं एवं संभावनाओं आदि से संबंधित कथन शामिल हैं। ऐसे कथनों की सामान्यतः पहचान 'विश्वास करना', 'योजना बनाना', 'अपेक्षा करना', 'जारी रखना', 'अनुमान लगाना', 'आशा करना', 'हो सकता है', 'होगा' अथवा ऐसे ही अन्य शब्दों से की जाती है। भविष्यपरक कथन, ऐसे कथनों में निहित मान्यताओं या आधार पर निर्भर होते हैं। हमने इन मान्यताओं या आधारों का चयन सद्भावनापूर्वक किया है और हमारा विश्वास है कि वे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में उचित हैं। तथापि, हम सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, कार्यनिष्पादन या उपलब्धियाँ ऐसे भविष्यपरक कथनों में व्यक्त या निहित परिणामों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकती हैं। नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं अथवा अन्य किसी कारण से किसी भी भविष्यपरक कथन को अद्यतन या संशोधित करने का हमारा कोई दायित्व नहीं है।

02-51

निगमित अवलोकन

02 हमारे बारे में
06 हमारा भौगोलिक विस्तार
08 वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां
10 अध्यक्ष का संदेश
16 हमारा प्रदर्शन - एक नज़र में
18 हमारा कार्यक्षेत्र
24 हमारी प्रचालन उत्कृष्टता
28 इंफ्रा परियोजना - मुख्य झलकियां
32 उषस
34 हमारे लोग
38 पर्यावरण
42 सामाजिक
46 शासन
47 निदेशक मंडल
50 पुरस्कार और सम्मान
51 निगमित सूचना

52-176

सांविधिक रिपोर्ट

52 निदेशकों की रिपोर्ट
92 निगमित शासन पर रिपोर्ट
122 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
138 व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट

177-401

वित्तीय विवरण

177 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलॉन)
195 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (स्टैंडअलॉन)
196 स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण
286 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)
297 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (समेकित)
298 समेकित वित्तीय विवरण

402-416

सूचना

402 54वीं वार्षिक आम बैठक

हमारे बारे में

राष्ट्र की समुद्री सामर्थ्य का सुदृढ़ आधार

हम, कोचीन शिपयार्ड में, पाँच दशकों से अधिक समय से भारत की समुद्री विरासत में अपना योगदान देते हुए देश की अग्रणी पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत कंपनियों में से एक के रूप में उभरे हैं। विश्वस्तरीय एवं अत्याधुनिक अवसंरचना तथा दक्ष और कुशल कार्यबल के सशक्त आधार पर, हम रक्षा, वाणिज्यिक और अपतटीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पोतों का डिजाइन, निर्माण, मरम्मत एवं उन्नयन करते हैं। बड़े पैमाने पर इन जटिल परियोजनाओं को सटीक अभियांत्रिकी और विश्वसनीयता के साथ सफलतापूर्वक पूरा करते हुए, हम उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं।

अपनी विकास यात्रा के दौरान, हमने अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें भारत का पहला स्वदेशी वायुयानवाहक पोत, भारतीय नौसेना पोत (आईएनएस) विक्रांत, भी शामिल है। इसके साथ ही, हमने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य-पूर्व के ग्राहकों को विभिन्न पोतों का निर्यात भी किया है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ वैश्विक गठजोड़ और कार्यनीतिक साझेदारियों के माध्यम से हमने अपनी वैश्विक उपस्थिति को और सुदृढ़ किया है, जिससे हम भारत के समुद्री क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित हुए हैं। इसके अलावा, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पोतों के माध्यम से हमने सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल समाधानों के क्षेत्र में अग्रणी पहल की है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक पुष्ट करती है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन अनुसूची 'क' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में, हम व्यापक अनुसंधान, स्वदेशीकरण तथा निर्बाध स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को प्राथमिकता देते हैं। इसके माध्यम से हम **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047** के तहत भारत की दीर्घकालिक समुद्री आकांक्षाओं को साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं।

1972
निगमन वर्ष

3
व्यापार कार्यक्षेत्र

2
पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियां

5
समर्पित पोत मरम्मत इकाइयां

आईएनडी एएए/स्थिर
केयर एएए/स्थिर
क्रेडिट रेटिंग

प्रमाणीकरण

- आईएसओ 9001:2015
- आईएसओ 14001:2015
- आईएसओ 27001:2022
- आईएसओ 45001:2018
- आईएसओ 50001:2018
- ग्रीनको गोल्ड

हमारा दृष्टिकोण

- विश्वस्तरीय व्यापारिक और नौसैनिक पोतों, अपतटीय जलयानों और संरचनाओं के निर्माण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा शिपयार्ड के रूप में उभरना।
- रूपांतरण और उन्नयन सहित पोत मरम्मत के लिए भारत में बाज़ार में अग्रणी बनना।
- हमारे मूल्यवान ग्राहकों द्वारा हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा, हमारी नैतिकता के लिए सम्मान और हमारी उत्कृष्ट सेवा के लिए विश्वास प्राप्त करना।

हमारा लक्ष्य

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पोतों और अपतटीय संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत करना तथा मूल्यवर्धित गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग सेवाएँ प्रदान करना।
- प्रतिस्पर्धी वातावरण में कॉर्पोरेट विकास को बनाए रखना।
- एक ज़िम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने की दिशा में कार्यप्रणालियों को अपनाना और कार्यान्वित करना।

हमारा उद्देश्य

- प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के माध्यम से पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों को बनाए रखना और बढ़ाना।
- नई सुविधाओं की स्थापना सहित शिपयार्ड की गतिविधियों का विस्तार/विविधीकरण करने के लिए निरंतर प्रयास करना।
- पोत निर्माण प्रक्रियाओं में मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास करना।
- अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग की ओर बढ़ना, भारत में अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम पोत निर्माण मानकों के साथ बेंचमार्क करना।
- बेहतर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करना।
- स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
- क्षमता को अधिकतम करने के लिए आक्रामक बोली और सुरक्षित ऑर्डर के साथ डाउनटाइम का लाभ उठाना।
- सकारात्मक ग्राहक-उन्मुख पहल सुनिश्चित करना।
- सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं और कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों के अनुपालन के माध्यम से एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक की छवि का निर्माण करना।

वित्त वर्ष 2025-26 की मुख्य विशेषताएं

वित्तीय विशेषताएं

₹5,022 करोड
कुल कारोबार

₹5,873 करोड
निवल मूल्य

₹1,221 करोड
ईबीआईटीडीए

24%
ईबीआईटीडीए मार्जिन

₹717 करोड
कर-पूर्व लाभ

14%
पीएटी मार्जिन

(कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण)

संधारणीयता विशेषताएं

60-70%
हरित ऊर्जा लक्ष्य

65%
सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की योजना बनाना

₹15.54 करोड
सीएसआर व्यय

5
मेक्रोआल्गै आधारित लिक्विड ट्री इकाइयां स्थापित करना

प्रचालन विशेषताएं

10
यूरोपीय क्षेत्र से पोत के आदेश प्राप्त हुए

भारत की पहली
ग्रीन टग कार्यक्रम की शुरूआत

5
यूरोपीय क्षेत्र को जलयान सौंपना

3
एक ही दिन में जलयान जलावतरण करना

डीडीडब्ल्यू, दुबई के साथ एमओयू
कोच्ची और वडीनार में विश्व स्तरीय पोत मरम्मत क्लस्टर संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए।

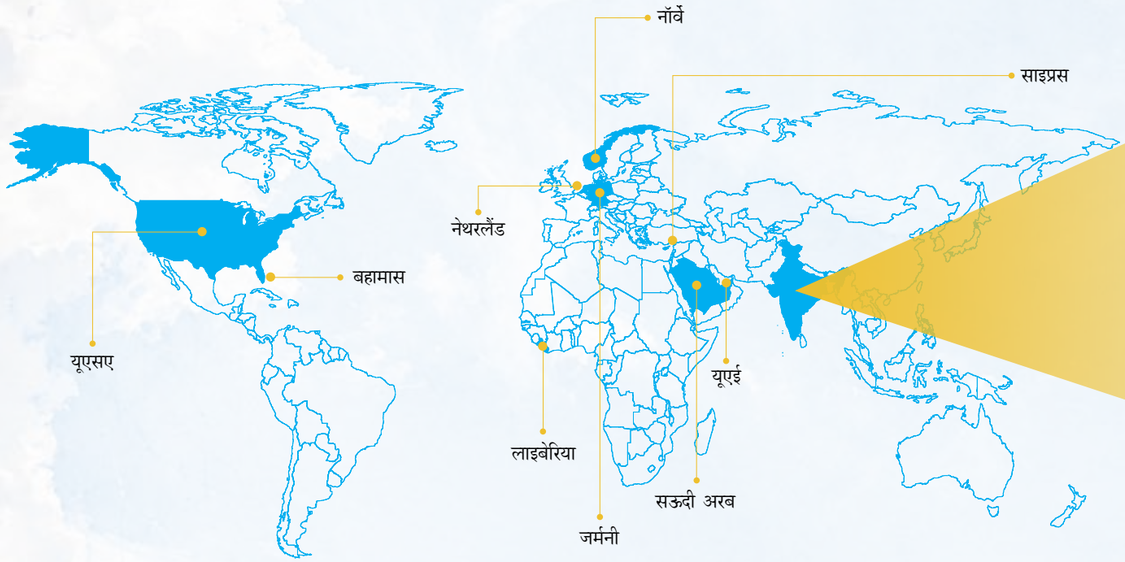
एचबीएल के साथ संयुक्त उद्यम
समुद्री क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु

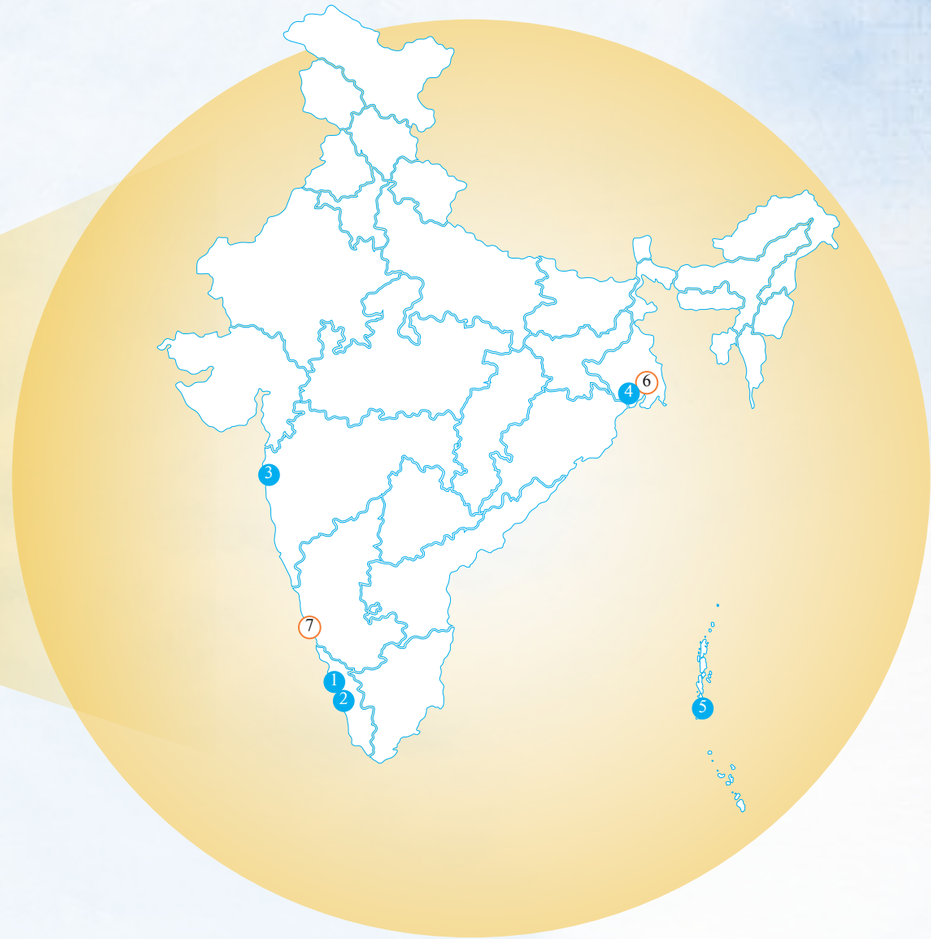
(समेकित आधार पर रिपोर्ट किया गया)



हमारा भौगोलिक विस्तार

नई क्षितिजों की ओर विस्तार, प्रभाव का सृजन





निर्यात देश*

देश	सुपुर्द किए गए जलयान
सऊदी अरब	9
साइप्रस	8
नॉर्वे	10
बहामास	6
जर्मनी	5
नेथरलैंड	4
संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)	4
लाइबेरिया	4
संयुक्त राज्य अमीरात (यूएई)	2

मानचित्र केवल प्रतिनिधित्व हेतु है, पैमाने के अनुरूप नहीं।

इकाइयाँ

1	कोच्ची, केरल	सीएसएल मुख्य शिपयार्ड जिसमें तीन ड्राई डॉक शामिल हैं, जिसमें जनवरी 2024 में उद्घाटन किया गया नया बड़ा ड्राई डॉक शामिल है।
2	कोचीन पत्तन, कोच्ची, केरल	अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ), जनवरी 2024 में कंपनी की पोत मरम्मत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई।
3	मुंबई पत्तन, मुंबई, महाराष्ट्र	सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू), पश्चिमी तट पर पोत की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
4	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), पूर्वी भारत में पोत मरम्मत कार्यों में विविधता लाना।
5	समुद्री डॉकयार्ड, श्री विजयापुरम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू), द्वीप क्षेत्रों में मरम्मत और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है।

पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनियां

6	हावडा, पश्चिम बंगाल	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल), एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के निर्माण में लगी हुई है।
7	उडुपी, कर्नाटक	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल), एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो छोटे और मध्यम आकार के जलयानों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है।

निर्मित और सुपुर्द किए गए जलयान*

(मार्च 31, 2026 तक)

22
बडे जलयान

35
अपतटीय सपोर्ट जलयान

33
लघु और मध्यम जलयान

129
रक्षा जलयान

* समेकित आधार पर रिपोर्ट की गई। उडुपी-सीएसएल के संबंध में विवरण को सीएसएल द्वारा अपने अधिग्रहण की तिथि से माना गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां

हमारी उपलब्धियों का सशक्त आधार

2025

अप्रैल 01

कोच्चि मेट्रो के लिए कुल 23 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 100-यात्री वाटर मेट्रो नौकाओं के ऑर्डर में से 19वीं नौका की आपूर्ति की गई।

अप्रैल 07

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीवाई 168 और बीवाई 169 का स्टील कटिंग समारोह संपन्न किया। ये ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में निर्मित होने वाली पहली श्रृंखला की टग हैं, जो वर्ष 2047 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अप्रैल 08

ड्राईडॉक्स वर्ल्ड (डीपी वर्ल्ड कंपनी) और सीएसएल ने कोच्चि एवं वडीनार में विश्वस्तरीय पोत मरम्मत क्लस्टर संयुक्त रूप से विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अप्रैल 23

सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी-सीएसएल ने नॉर्वे की विल्सन एएसए के लिए निर्मित छह 3800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो पोतों की श्रृंखला में से पहले पोत की आपूर्ति की।

जून 21

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली-सीएसएल ने हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड से दो लक्जरी नदी क्रूज पोतों के निर्माण का ऑर्डर प्राप्त किया।

जून 27

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो टगों के निर्माण का ऑर्डर प्राप्त हुआ।

अगस्त 21

कोच्चि मेट्रो के लिए कुल 23 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 100 यात्रियों की जल मेट्रो नौकाओं के ऑर्डर में से 20वीं नौका की आपूर्ति की गई।

सितंबर 15

उडुपी-सीएसएल ने नॉर्वे की विल्सन एएसए के लिए निर्मित छह 3800 टन डेडवेट क्षमता वाले शुष्क मालवाहक पोतों की श्रृंखला में से दूसरे पोत की आपूर्ति की।

सितंबर 17

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के एक जैक-अप रिग के ड्राई डॉक/दीर्घकालिक निष्क्रियता संबंधी मरम्मत कार्य के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

सितंबर 24

हुगली-सीएसएल ने देशी ग्राहक के लिए निर्मित किए जा रहे 2200 टन के बहुउद्देशीय पोत के जलावतरण के साथ अपना पहला पोत जलावतरण किया।

अक्तूबर 18

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक ही दिन में तीन पोतों का सफलतापूर्वक जलावतरण किया-पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान, कमीशनिंग सेवा संचालन पोत और 12,000 घन मीटर क्षमता वाले ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर पोत निर्माण उद्योग में यह एक दुर्लभ उपलब्धि है।

अक्तूबर 23

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित आठ पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयानों की श्रृंखला में से प्रथम पोत 'माहे' भारतीय नौसेना को सौंपा।

अक्तूबर 30

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत के लिए समुद्री उत्कृष्टता पुरस्कार, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में "रचनात्मक दृश्यांकन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉल" पुरस्कार तथा राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम) से नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाओं का पुरस्कार प्राप्त किया।

नवंबर 11

उडुपी-सीएसएल ने नॉर्वे की विल्सन एएसए के लिए निर्मित छह 3800 टन डेडवेट क्षमता वाले शुष्क मालवाहक पोतों की श्रृंखला में से तीसरे पोत की आपूर्ति की।

नवंबर 20

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल) ने वाराणसी में पायलट हाइड्रोजन पोत एफसीवी-पायलट 1 के संचालन एवं प्रबंधन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

नवंबर 24

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान आईएनएस 'माहे' को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया।

नवंबर 28

ओएनजीसी के स्वामित्व वाले जैक-अप रिग 'सागर किरण' को नए ड्राई डॉक में प्रवेश कराया गया। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तीन पैरों वाले जैक-अप रिग की पहली ड्राई डॉकिंग तथा 17 वर्षों के बाद रिग रिफिट कार्य में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की वापसी का प्रतीक है।

दिसंबर 05

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने डेनमार्क की स्वित्जर एएस के साथ चार पूर्णतः विद्युत चालित ट्रांसवर्स 2600 ई 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले टगों के निर्माण के लिए पोत निर्माण अनुबंध प्राप्त किए, जिसमें अतिरिक्त चार पोतों के निर्माण का विकल्प भी शामिल है।

दिसंबर 08

हुगली-सीएसएल ने हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 80 यात्रियों की क्षमता वाले लक्जरी नदी क्रूज पोत के निर्माण के लिए पोत निर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

दिसंबर 10

उडुपी-सीएसएल ने ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले एज़िमुथिंग स्टर्न ड्राइव (एएसडी) टगों की 11 पोतों की श्रृंखला में से प्रथम पोत की आपूर्ति की।

दिसंबर 11

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रथम हाइड्रोजन चालित पोत का वाराणसी में व्यावसायिक जलावतरण किया गया।

दिसंबर 19

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीकेएसआरयू परियोजना से प्राप्त लाभांश का हिस्सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता (एसएमपीके) को सौंपा गया।

2026

जनवरी 12

जर्मनी की एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कंपनी केजी को आठ बहुउद्देशीय पोतों की श्रृंखला में से प्रथम 7000 डीडब्ल्यूटी एचएस ईसीओ फ्रेटर पोत 'एमएस हाइंज' की आपूर्ति की गई।

जनवरी 18

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 50 यात्रियों की क्षमता वाले हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कैटामरैन का शुभारंभ किया, जो टिकाऊ अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

जनवरी 29

पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड ने हरित टग संक्रमण कार्यक्रम (जीटीटीपी) के अंतर्गत 60 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो बैटरी-इलेक्ट्रिक हरित टगों के निर्माण के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर दिया।

फरवरी 04

उडुपी-सीएसएल ने नॉर्वे की विल्सन एएसए के लिए निर्मित छह 3800 टन डेडवेट क्षमता वाले शुष्क मालवाहक पोतों की श्रृंखला में से चौथे पोत की आपूर्ति की।

फरवरी 18

सीएसएल ने छह एलएनजी-ईंधन वाले कंटेनर जलयानों के निर्माण के लिए फ्रांस के सीएमए सीजीएम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह एक भारतीय शिपयार्ड के साथ एलएनजी पोत आदेश देने वाला पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वाहक बन गया।

फरवरी 21

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के लीडरशिप एक्सीलेंस अवॉर्ड्स में "वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक उपक्रम" पुरस्कार प्राप्त किया।

फरवरी 25

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए निर्मित 50 यात्रियों की क्षमता वाले हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन के सुपुर्दगी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सफल उपलब्धियों के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।

मार्च 24

उडुपी-सीएसएल ने ओशन स्पार्कल लिमिटेड को 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले टग 'ओशन रॉयल' की सफलतापूर्वक आपूर्ति की।

मार्च 25

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने समुद्री क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एवं ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायीकरण के लिए संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

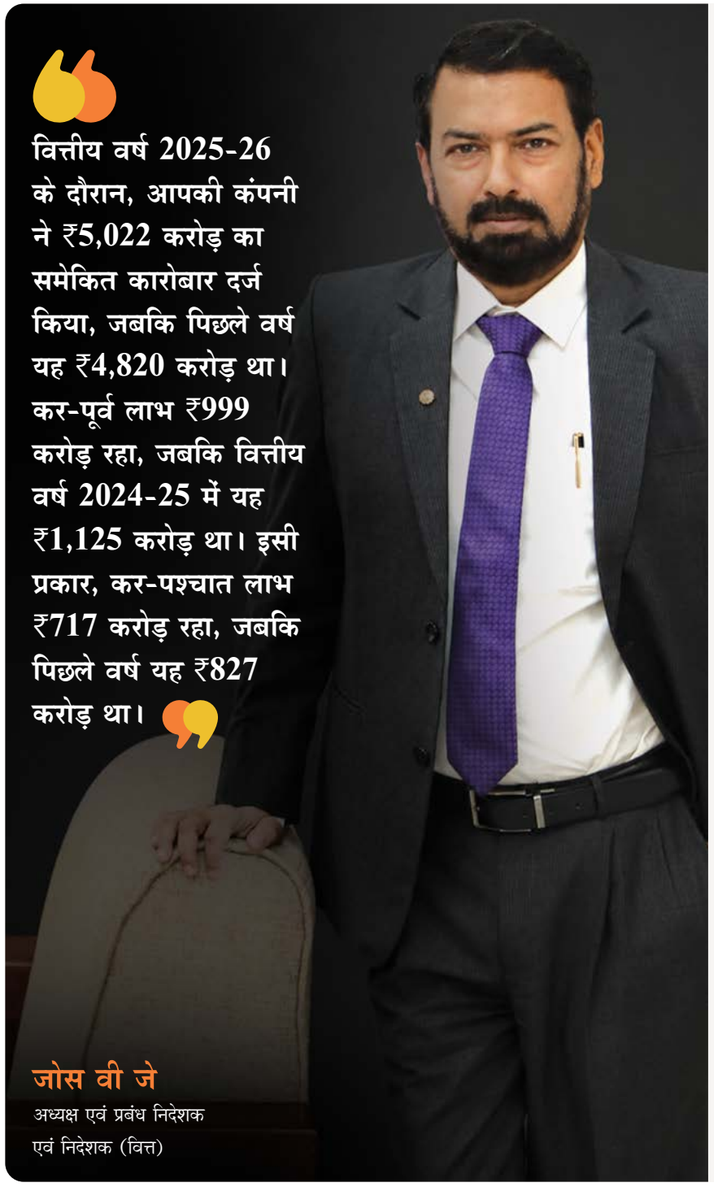
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन प्राप्त किया।

मार्च 31

भारतीय नौसेना के लिए निर्मित आठ पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयानों की श्रृंखला में दूसरे पोत 'मालवन' की सुपुर्दगी एवं स्वीकृति प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

अध्यक्ष का संदेश

हमारे नेतृत्वकर्ता की ओर से संदेश



वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹5,022 करोड़ का समेकित कारोबार दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹4,820 करोड़ था। कर-पूर्व लाभ ₹999 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह ₹1,125 करोड़ था। इसी प्रकार, कर-पश्चात लाभ ₹717 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹827 करोड़ था।

जोस वी जे
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एवं निदेशक (वित्त)

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की पांच दशकों की गौरवशाली समुद्री यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय के पूर्ण होने के अवसर पर आपसे यह संदेश साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 के अपने संकल्पित लक्ष्य की ओर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे समुद्री क्षेत्र भी एक परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश कर रहा है।

पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों और पोत निर्माण क्षेत्र में बढ़ते निवेश, तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा क्षमता निर्माण, निवेश, डिजिटलीकरण और समुद्री विनिर्माण पर दिए जा रहे विशेष बल से भारत का समुद्री परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और देशी पोत निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय वर्ष 2025-26 कोचीन शिपयार्ड के लिए संतुलित प्रगति और कार्यनीतिक पुनर्संरेखण का वर्ष रहा। हमने नेतृत्व में परिवर्तन तथा तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिवेश के बीच अपने भविष्य को आकार देने वाली प्राथमिकताओं पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करते हुए आगे की राह तय की। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में हमारे राजस्व और लाभप्रदता में कुछ कमी आई, तथापि हमने अपने ऑर्डर बुक का विस्तार करने, कार्यनीतिक साझेदारियों को और सुदृढ़ करने तथा अपने सी-एसएएस वर्टिकल के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए। इन पहलों के माध्यम से हमने दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव को और सुदृढ़ किया है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹5,022 करोड़ का समेकित कारोबार दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹4,820 करोड़ था। कर-पूर्व लाभ ₹999 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह ₹1,125 करोड़ था। इसी प्रकार, कर-पश्चात लाभ ₹717 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹827 करोड़ था। ₹5 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर प्रति शेयर आय ₹27.24 रही।

पोत निर्माण हमारा सबसे बड़ा व्यावसायिक खंड बना रहा, जिसने ₹3,366 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹2,955 करोड़ था। पोत मरम्मत व्यवसाय से ₹1,656 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह ₹1,865 करोड़ था। इन खंडों के प्रदर्शन में परियोजनाओं के बदलते स्वरूप का प्रभाव परिलक्षित हुआ, फिर भी आपकी कंपनी ने अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति को बनाए रखा। दिनांक 31 मार्च 2026 तक, हमारी निवल संपत्ति ₹5,873 करोड़ और नियोजित पूंजी ₹7,018 करोड़ रही। इक्विटी पर प्रतिफल 13%, जबकि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 16% रहा। हमारी तुलन पत्र सुदृढ़ बनी रही तथा ऋण-इक्विटी अनुपात 0.19x के निम्न स्तर पर रहा।

शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, निदेशक मंडल ने ₹5 अंकित मूल्य वाले 26,30,80,780 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों पर ₹1.50 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी द्वारा पहले ही ₹4.00 और ₹3.50 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश, अर्थात कुल ₹7.50 प्रति शेयर का भुगतान किया जा चुका है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल लाभांश ₹9.00 प्रति इक्विटी शेयर होगा, जो अंकित मूल्य का 180% है और जिसकी कुल राशि ₹237 करोड़ होगी।

प्रचालन निष्पादन

वर्ष के दौरान, सीएसएल ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल पोत, भारतीय नौसेना को दो पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी), जर्मनी की एच एस सर्विस जीएमबीएच एंड कं. केजी को एक बहुउद्देशीय पोत तथा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन यात्री पोत प्रदान किया। कंपनी ने एक ही दिन में तीन पोतों के जलावतरण की उपलब्धि भी हासिल की, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए एक एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी, पेलाजिक विंड सर्विसस के लिए एक कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान तथा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर शामिल थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो टगों के लिए ऑर्डर प्राप्त किए तथा इसके बाद सरकार के ग्रीन टग ट्रांजिशन कार्यक्रम के अंतर्गत पॉलस्टार मैरिटाइम लिमिटेड से 60 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो बैटरी-इलेक्ट्रिक ग्रीन टगों के लिए ऑर्डर प्राप्त किया। वर्ष के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि सीएमए सीजीएम के साथ छह एलएनजी-ईंधन चालित कंटेनर पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना रहा। यह किसी वैश्विक कंटेनर शिपिंग समूह द्वारा किसी भारतीय शिपयार्ड एलएनजी-ईंधन चालित पोतों के लिए दिया गया पहला ऑर्डर है। सीएसएल ने डेनमार्क की स्विट्ज़र एएस के साथ चार पूर्णतः इलेक्ट्रिक 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले टगों के लिए भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अतिरिक्त चार पोतों के लिए विकल्प उपलब्ध है। पोत मरम्मत के क्षेत्र में, सीएसएल ने ओएनजीसी के जैक-अप रिग सागर किरण की प्रमुख ड्राई डॉक मरम्मत का कार्य किया। इसके साथ ही 17 वर्षों के अंतराल के बाद शिपयार्ड में रिग मरम्मत गतिविधियों की पुनः शुरुआत हुई तथा यह सीएसएल में तीन-पैर वाले जैक-अप रिग की पहली ड्राई डॉकिंग भी थी। सागर किरण की ड्राई डॉक मरम्मत न्यू ड्राई डॉक में की गई, जिसे इस प्रकार की मरम्मत को सुगम बनाने तथा ऐसे रिगों को समायोजित करने के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित किया गया है।

सीएसएल कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने अपने समर्पित सीएसएल कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान प्रभाग के माध्यम से पारंपरिक पोत निर्माण और पोत मरम्मत व्यवसाय से आगे बढ़ते हुए अपनी क्षमताओं का निरंतर विस्तार किया। सी-एसएएस ने समुद्री स्वायत्तता और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। प्रमुख पहलों में भारत के प्रथम पूर्णतः स्वदेशी उच्च सहनशक्ति वाले स्वायत्त जलमग्न वाहन का एकीकरण एवं परीक्षण, आईएनएस विक्रांत के लिए डिजिटल ट्विन का कार्यान्वयन तथा भारतीय प्रौद्योगिकी भागीदारों और स्टार्ट-अप्स के सहयोग से स्वदेशी स्वायत्त सतही पोत का विकास शामिल रहा। सी-एसएएस ने लेजर-आधारित स्वचालित वेल्डिंग प्रौद्योगिकी तथा सेंसर-सहायित ड्राई डॉकिंग सहायक प्रणाली के विकास की दिशा में भी प्रगति की, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

सी-एसएएस सीएसएल की 'उषस' समुद्री स्टार्ट-अप योजना का भी नेतृत्व कर रहा है, जिसके माध्यम से समुद्री क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संभावनाशील स्टार्ट-अप की पहचान कर उन्हें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। स्टार्ट-अप के चयन, निगरानी तथा हितधारकों के बीच समन्वय के लिए आईआईएम कोषिकोड लाइव और आईआईटी मद्रास समीक्षा एवं

अनुशंसा एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। डीप-टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्टार्ट-अप को कुल ₹12.50 करोड़ की राशि देने की प्रतिबद्धता की गई है।

सहायक कंपनियां

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल)

यूडुपी-सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने मजबूत प्रचालन प्रदर्शन को जारी रखते हुए सीएसएल समूह के पोत निर्माण पोर्टफोलियो में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया। वर्ष के दौरान, यूडुपी-सीएसएल ने नॉर्वे की विल्सन एएसए को 3800 टीडीडब्ल्यू के चार ड्राई कार्गो पोत तथा ओशन स्पार्कल लिमिटेड को 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो टग प्रदान किए। 31 मार्च 2026 तक ₹2,000 करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त ऑर्डर बुक के साथ, यूडुपी-सीएसएल ने निरंतर विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। यह प्रचालन प्रगति उसके वित्तीय प्रदर्शन में भी परिलक्षित हुई। यूडुपी-सीएसएल की कुल आय ₹630 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की ₹279 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। प्रचालन से प्राप्त राजस्व भी ₹266 करोड़ से बढ़कर ₹618 करोड़ हो गया। वर्ष का लाभ उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹93 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह ₹3 करोड़ था।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल)

हुगली-सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी क्षमताओं के विकास की दिशा में निरंतर प्रगति की। 31 मार्च, 2026 तक लगभग ₹200 करोड़ की अप्रयुक्त ऑर्डर बुक के साथ, हुगली-सीएसएल अपनी परियोजना पाइपलाइन और निष्पादन क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। सहायक कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹129 करोड़ की कुल आय दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह ₹62 करोड़ थी। वर्ष के दौरान ₹20 करोड़ का घाटा दर्ज किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह घाटा ₹17 करोड़ था। हुगली-सीएसएल का प्रदर्शन निरंतर ध्यान का विषय बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि अनुभव अर्जित करने तथा अपनी निष्पादन क्षमताओं में सुधार के साथ इसके परिचालन में क्रमिक रूप से मजबूती आएगी।

यूडुपी-सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने मजबूत प्रचालन प्रदर्शन को जारी रखते हुए सीएसएल समूह के पोत निर्माण पोर्टफोलियो में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया। वर्ष के दौरान, यूडुपी-सीएसएल ने नॉर्वे की विल्सन एएसए को 3800 टीडीडब्ल्यू के चार ड्राई कार्गो पोत तथा ओशन स्पार्कल लिमिटेड को 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो टग प्रदान किए। 31 मार्च 2026 तक ₹2,000 करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त ऑर्डर बुक के साथ, यूडुपी-सीएसएल ने निरंतर विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

निगमित शासन

कंपनी निगमित शासन और पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएसएल आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उससे संबंधित गैर-अनुपालन के संबंध को छोडकर, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करता है।

31 मार्च 2026 तक, सीएसएल के निदेशक मंडल में अपेक्षित छह स्वतंत्र निदेशकों के मुकाबले केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) होने के नाते, सीएसएल के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। रिक्तियों के संबंध में भारत सरकार को विधिवत अवगत कराया गया तथा शीघ्र नियुक्तियों की सुविधा के लिए इस मामले में नियमित रूप से अनुवर्तन किया गया। मई 2025 में, भारत सरकार ने डॉ. सीमा सूरी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। इसके बाद, अगस्त 2026 में डॉ. वाणी अहलूवालिया को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों के साथ, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 तथा लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित सभी सांविधिक समितियों का गठन करने में सक्षम हुई है। कंपनी शेष चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के साथ निरंतर समन्वय कर रही है, जिससे लागू विनियमों के अनुरूप निदेशक मंडल की संरचना को पूर्णतः अनुपालन में लाया जा सकेगा।

मानव संसाधन

सीएसएल में हमारा मानना है कि हमारी प्रत्येक उपलब्धि के केंद्र में हमारे कर्मचारी हैं। उनका ज्ञान, समर्पण और प्रतिबद्धता कंपनी की प्रगति के आधार रहे हैं। अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ, हमारा निरंतर ध्यान एक कुशल, अनुकूलनशील और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण पर केंद्रित है।

दिनांक 31 मार्च 2026 तक, कंपनी में कुल 4,013 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें 529 अधिकारी, 269 पर्यवेक्षक, 1,333 कामगार और 1,882 अनुबंध कर्मी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी को 1,301 प्रशिक्षुओं का सहयोग प्राप्त था। वर्ष के दौरान, बढ़ती प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 1,477 कार्मिकों की भर्ती की गई।

अध्ययन एवं विकास को निरंतर विशेष प्राथमिकता दी गई। वर्ष के दौरान 300 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 8,700 मानव-दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। "इग्नाइटिंग माइंड्स" पहल के माध्यम से, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु, भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ, एमडीआई, गुरुग्राम और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से कर्मचारियों को अपने नेतृत्व एवं प्रबंधन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, महिलाओं सहित 40 कर्मचारियों के एक दल ने एओटीएस कार्यक्रम के अंतर्गत जापान में विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे उन्हें मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त हुआ तथा उनकी तकनीकी दक्षता में वृद्धि हुई।

हमने कर्मचारी-केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी उपायों को भी निरंतर सुदृढ़ किया। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने बाल देखभाल अवकाश और गंभीर बीमारी अवकाश की सुविधाओं को जारी रखा, जो एक सहयोगात्मक और समावेशी कार्यस्थल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार योजना, कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी परिवार परिरक्षण योजना (एसईपीपीवाई), कर्मचारी शैक्षिक सहायता योजना आदि सहित हमारी कर्मचारी कल्याण पहलों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवारों को निरंतर सहायता प्रदान की जाती रही। भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए, हम ऐसा कार्यस्थल सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहाँ हमारे कर्मचारी सीख सकें, आगे बढ़ सकें और कंपनी की निरंतर सफलता में सार्थक योगदान दे सकें।

औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसएल ने सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों का वातावरण बनाए रखा तथा कंपनी के कारण श्रमिक असंतोष के चलते मानव-घंटों की कोई हानि नहीं हुई। यह सभी स्तरों पर कार्यरत हमारे कर्मचारियों, जिनमें अधिकारी, गैर-संघीकृत पर्यवेक्षक और कामगार शामिल हैं, की प्रतिबद्धता एवं सहयोग को दर्शाता है। प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संघों और अन्य हितधारकों के बीच रचनात्मक संबंध सीएसएल की प्रमुख ताकत रही है। इन संबंधों के केंद्र में सीएसएल के हितों और दीर्घकालिक सफलता के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता है ।

हमारे कर्मचारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कंपनी में उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। सीएसएल विभिन्न कल्याणकारी उपायों के माध्यम से अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निरंतर सहायता प्रदान कर रही है। इनमें 2,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा लगभग 850 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दवाइयों की उपलब्धता शामिल है। शिपयार्ड आश्वास किरणम और शिपयार्ड सांत्वना स्पर्शम जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए, सीएसएल ने 'सायं प्रभा' योजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तथा उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की आयु पूर्ण होने पर नकद उपहार प्रदान किया जाता है। ये पहल इस विश्वास को दर्शाती हैं कि सीएसएल और उसके कर्मचारियों के बीच संबंध उनकी सक्रिय सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भी निरंतर बने रहते हैं।

हरित पोतों के निर्माण के हमारे प्रयासों के साथ-साथ, हम अपने स्वयं के प्रचालनों को भी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

सतत विकास

सीएसएल में हम यह मानते हैं कि सतत विकास जिम्मेदार प्रचालनों के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए। समुद्री उद्योग के निरंतर विकास के साथ, हमारा ध्यान अपने प्रचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर केंद्रित है। हरित पोतों के निर्माण के हमारे प्रयासों के साथ-साथ, हम अपने स्वयं के प्रचालनों को भी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

इस परिवर्तन के एक भाग के रूप में, सीएसएल चरणबद्ध तरीके से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) लागू कर रही है। इस प्रणाली को ग्रीन डे-अहेड मार्केट (जीडीएएम) के माध्यम से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा तथा हमारे सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत से चार्ज किया जाएगा। संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग उच्च टैरिफ अवधि के दौरान किया जाएगा,

जिससे ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करने में सहायता मिलेगी। बीईएसएस के प्रथम चरण को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके चालू होने के बाद, इस परियोजना के माध्यम से सीएसएल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 60-70 प्रतिशत हरित ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने में सक्षम होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने कई पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) संबंधी पहलें लागू की हैं और अपने प्रचालनों को अधिक सतत एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में कार्य करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तथा पर्यावरण-अनुकूल एवं ऊर्जा-कुशल अवसंरचना के क्षेत्र में व्यावहारिक और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों की निरंतर खोज कर रही है। उल्लेखनीय रूप से, सीएसएल ने अपने प्रचालनों में ऊर्जा दक्षता के व्यवस्थित प्रबंधन एवं निरंतर सुधार के लिए आईएसओ 50001:2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) मानक को लागू किया है।

सुरक्षा

सीएसएल में सुरक्षा संगठन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है, जो हमारी सुव्यवस्थित प्रणालियों, निरंतर प्रशिक्षण और उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता में परिलक्षित होती है। कंपनी आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन तथा आईएसओ 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन के अनुरूप एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) का अनुरक्षण करती है, जिससे सर्वोत्तम श्रेणी की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) संबंधी कार्यप्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। मार्च 2025 में, सीएसएल ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त कर अपने प्रबंधन ढाँचे को और सुदृढ़ किया।

सुरक्षा के प्रति जागरूकता और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए, सीएसएल एक समर्पित एचएसई दक्षता विकास केंद्र संचालित करती है, जो अपने कर्मचारियों को सुव्यवस्थित एवं संरचित प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्ष के दौरान 15,000 से अधिक मानव-घंटों का सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने सभी परिचालन क्षेत्रों में विभिन्न एचएसई पहलों के लिए निरंतर निवेश किया। संभावित खतरों की सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से पहचान करने और उन्हें कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, सीएसएल नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट, निरीक्षण और जोखिम आकलन भी करती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसएल एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्ध है तथा अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संचालित करती है। कंपनी में एक सुव्यवस्थित सीएसआर ढाँचा स्थापित है, जिसे एक समर्पित सीएसआर प्रकोष्ठ का सहयोग प्राप्त है। यह प्रकोष्ठ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की उचित योजना, कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करता है। वर्षों से, सीएसएल ने पूरे भारत में 1,000 से अधिक परियोजनाएँ कार्यान्वित की हैं, जिन पर संचयी रूप से 150 करोड़ रुपए से अधिक की सीएसआर राशि व्यय की गई है। इन पहलों का मुख्य फोकस स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरणीय सततता और सामुदायिक विकास पर रहा है।

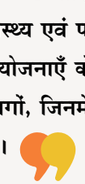
वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 13.89 करोड़ रुपए के अनिवार्य बजट के मुकाबले 15.54 करोड़ रुपए व्यय किए तथा 113 सीएसआर परियोजनाएँ कार्यान्वित की, जिनका केंद्रीय विषय स्वास्थ्य एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना रहा। सीएसआर परियोजनाएँ केवल केरल तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि देश के अन्य भागों, जिनमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं, में भी कार्यान्वित की गईं।

भविष्य की दिशा में

आगे की ओर देखते हुए, हमारा ध्यान पिछले कुछ वर्षों में विकसित की गई क्षमताओं को और सुदृढ़ करने तथा सीएसएल को विकास के अगले चरण के लिए तैयार करने पर है। वर्तमान में ₹22,000 करोड़ से अधिक के ऑर्डर बुक के साथ, हमारे पास आने वाले वर्षों में निरंतर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक मजबूत आधार है। हमने अपने विस्तारित बुनियादी ढाँचे, बदलती वैश्विक समुद्री प्रवृत्तियों तथा मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के अंतर्गत निर्धारित राष्ट्रीय उद्देश्यों के संदर्भ में अपनी क्रूज़ 2030 कार्यनीति की व्यापक समीक्षा भी की है। इसके परिणामस्वरूप क्रूज़ 2030 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जो विकास के अगले चरण के लिए एक स्पष्ट रोडमैप निर्धारित करता है। इस रोडमैप को कार्यान्वयन योग्य पहलों में परिवर्तित करने में सीएसएल को सहयोग प्रदान

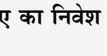


वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 13.89 करोड़ रुपए के अनिवार्य बजट के मुकाबले 15.54 करोड़ रुपए व्यय किए तथा 113 सीएसआर परियोजनाएँ कार्यान्वित कीं, जिनका केंद्रीय विषय स्वास्थ्य एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना रहा। सीएसआर परियोजनाएँ केवल केरल तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि देश के अन्य भागों, जिनमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं, में भी कार्यान्वित की गईं।





साथ ही, हम दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के साथ साझेदारी में गुजरात के वाडीनार में दूसरी पोत मरम्मत क्लस्टर के विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस परियोजना में कुल 1,570 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें सीएसएल का लगभग 920 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।



करने के लिए ए टी कर्नी इंडिया को जोड़ा गया है। इसमें राजस्व वृद्धि, परिचालन उत्कृष्टता, प्रौद्योगिकी, कार्यनीतिक साझेदारियों और क्षमताओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस रोडमैप के अंतर्गत एक प्रमुख प्राथमिकता हमारी बड़े पोत निर्माण की क्षमताओं का विस्तार करना है। सीएसएल लगभग 80 एकड़ दीर्घकालिक लीज़ पर प्राप्त भूमि पर वल्लारपाडम में एक आधुनिक ब्लॉक फैब्रिकेशन सुविधा विकसित करने की योजना बना रहा है और भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है। यह सुविधा बड़े वाणिज्यिक जलयानों के निर्माण में सहयोग प्रदान करेगी तथा हमारे न्यू ड्राई डॉक के बेहतर उपयोग को सक्षम बनाएगी। हम सीएसएल में वैश्विक विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुँच लाने के लिए रणनीतिक साझेदारियों की संभावनाएँ तलाशना भी जारी रखेंगे।

पोत मरम्मत भी विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना रहेगा। कोच्ची में अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के विकास के बाद, हम दस अतिरिक्त कार्यस्थलों और संबंधित बुनियादी ढाँचे के साथ दूसरे चरण के विस्तार की योजना बना रहे हैं। साथ ही, हम दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के साथ साझेदारी में गुजरात के वाडीनार में दूसरी पोत मरम्मत क्लस्टर के विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस परियोजना में कुल 1,570 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें सीएसएल का लगभग 920 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। दो बड़े तैरते हुए डॉक वाली इस परियोजना को 05 मई, 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी प्राप्त हुई। कोच्ची और वाडीनार की ये दोनों सुविधाएँ मिलकर हमारी पोत मरम्मत क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगी तथा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक हमारी पहुँच बढ़ाएँगी। दुबई स्थित डीपी वर्ल्ड की कंपनी ड्राईडॉक्स वर्ल्ड के साथ हमारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) इन पहलों के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता और क्षमताओं को लाने के अवसरों की खोज में और सहयोग प्रदान करेगा।

हम अपने पारंपरिक व्यवसायों से आगे बढ़कर उभरती हुई समुद्री प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्षमताओं का विकास करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र के लिए विद्युत गतिशीलता प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास हेतु एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, हम नेथरलैंड्स स्थित कोनोशिप इंटरनेशनल होल्डिंग बी.वी. में 23% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे सीएसएल को अंतरराष्ट्रीय पोत अभिकल्पना क्षमताओं तक पहुंच प्राप्त होगी और ऊर्जा-कुशल तथा कम उत्सर्जन वाले पोतों के बढ़ते बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सहायता मिलेगी।

उपसंहार

अंत में, मैं सीएसएल समूह की पूरी टीम के प्रति उनके समर्पण, व्यावसायिकता तथा हमारी सभी कार्यगत गतिविधियों में उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे सम्मानित ग्राहकों, व्यावसायिक साझेदारों और निवेशकों को भी कंपनी में उनके विश्वास तथा निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों तथा केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं प्रोत्साहन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इन सभी के सहयोग और मार्गदर्शन ने हमारी आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैं सीएसएल के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री मधु शंकुण्णी नायर के योगदान के प्रति भी अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक कंपनी का नेतृत्व किया और इसके विकास एवं रूपांतरण के एक महत्वपूर्ण दौर में दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान किया। उनके योगदान ने कंपनी की निरंतर प्रगति के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया है।

आगे की ओर देखते हुए, सीएसएल नवाचार को बढ़ावा देने, सतत कार्यप्रणालियों को अपनाने तथा अपनी सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता का निरंतर अनुसरण करते हुए भारत की समुद्री क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। मजबूत ऑर्डर बुक, अत्याधुनिक अवसंरचना और अत्यधिक कुशल कार्यबल के साथ कंपनी उभरते अवसरों का लाभ उठाने, बदलती चुनौतियों का सामना करने तथा अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की दिशा में सुदृढ़ स्थिति में है। साथ ही, कंपनी भारत के आर्थिक एवं समुद्री विकास में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

धन्यवाद, जय हिंद।

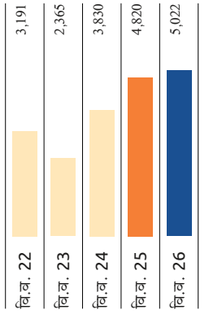
जोस वी जे
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
व निदेशक (वित्त)

हमारा प्रदर्शन - एक नज़र में

प्रगति की गति, सफलता की ओर अग्रसर

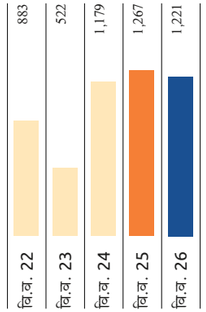
कुल कारोबार

(₹ करोड में)



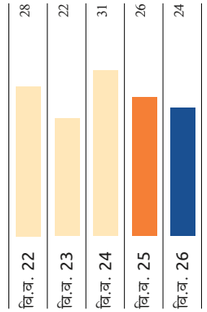
ईबीआईटीडीए

(₹ करोड में)



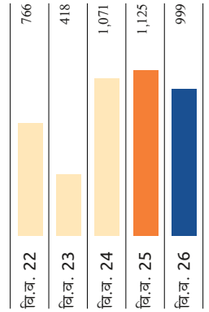
ईबीआइटीडीए मार्जिन

(% में)



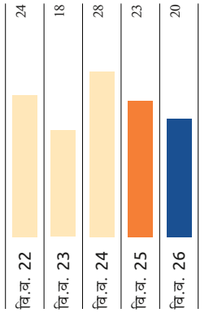
कर पूर्व लाभ

(₹ करोड में)



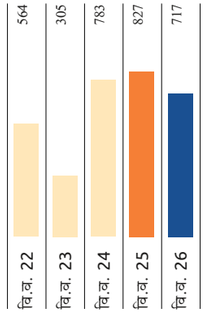
कर पूर्व लाभ मार्जिन

(% में)



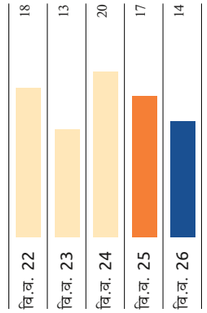
कर पश्चात् लाभ

(₹ करोड में)



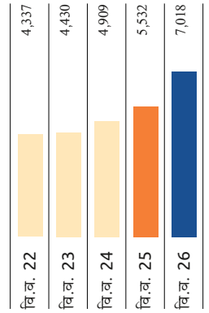
कर पश्चात

(% में)



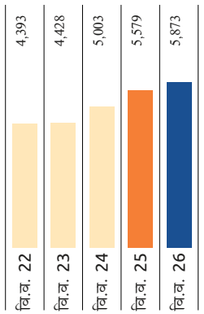
नियोजित पूंजी

(₹ करोड में)



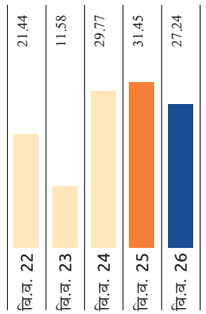
निवल मूल्य

(₹ करोड में)



ईपीएस

(₹ में)



नोट: ऊपर प्रस्तुत ईपीएस आंकड़े जनवरी 2024 में स्टॉक विभाजन के परिणामस्वरूप शेयरों के नए अंकित मूल्य पर आधारित हैं। तुलनीयता में आसानी के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों को समायोजित किया गया है।

(कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति)

10 वर्ष कार्य-निष्पादन समीक्षा (समेकित)

प्रमुख संकेतक	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
ईपीएस (₹ प्रति शेयर)	27.24	31.45	29.77	23.16	42.87	46.27	48.05	35.47	31.00	28.44
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10
ईबीआईटीडीए/कुल कारोबार (%)	24.31	26.28	30.77	22.09	27.66	32.61	27.80	26.87	27.73	26.38
निवल लाभ मार्जिन (%)	14.28	17.16	20.45	12.89	17.67	21.59	18.47	16.13	16.83	15.65
निवल मूल्य पर लाभ (%)	12.21	14.83	15.66	6.88	12.84	15.09	16.98	14.35	12.17	15.86
नियोजित पूंजी पर लाभ (%)	15.55	21.04	22.49	10.24	18.75	21.63	24.16	22.93	18.82	24.47

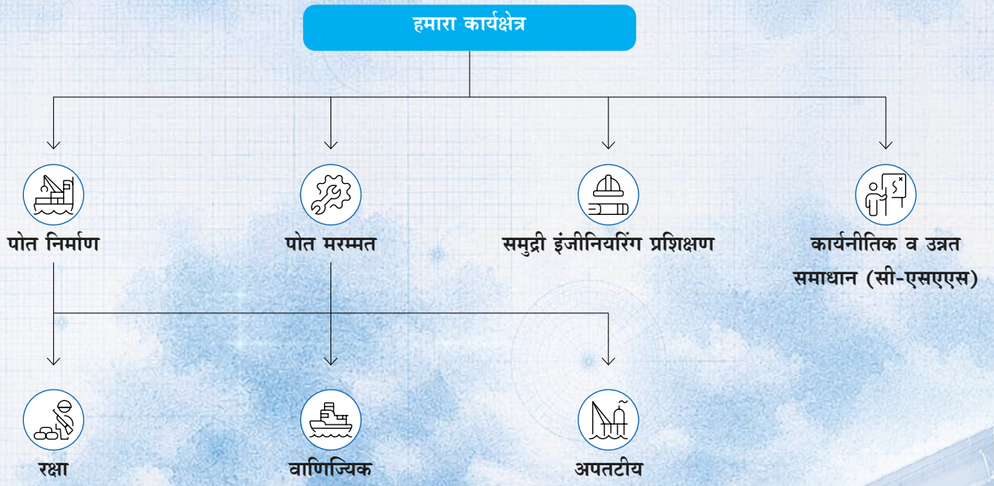
(₹ करोड में, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
कुल कारोबार	5,021.87	4,819.96	3,830.45	2,364.55	3,190.95	2,818.90	3,422.49	2,962.16	2,355.12	2,058.87
कुल आय	5,431.69	5,209.02	4,140.64	2,571.57	3,453.76	3,009.72	3,667.58	3,188.97	2,544.35	2,222.45
कर पूर्व लाभ	999.03	1,125.17	1,070.94	418.44	765.94	808.13	857.72	747.52	604.24	494.00
मूल्यह्रास और बट्टे खाता राशि	129.79	103.18	74.58	68.84	69.66	59.83	48.94	34.20	37.51	38.51
कर पश्चात् लाभ	716.74	827.33	783.28	304.71	563.96	608.66	632.01	477.79	396.26	322.15
इक्विटी शेयर पूंजी	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	5,741.22	5,447.72	4,871.80	4,296.11	4,261.64	3,901.91	3,591.34	3,197.10	3,119.54	1,917.83
निवल मूल्य	5,872.76	5,579.26	5,003.34	4,427.65	4,393.18	4,033.45	3,722.88	3,328.64	3,255.47	2,031.11
सकल स्थायी संपत्ति	3,803.93	3,572.91	1,396.21	1,319.25	1,197.61	1,035.31	857.96	426.93	369.79	599.97
निवल स्थायी परिसंपत्ति	3,156.44	3,034.10	949.45	943.30	905.44	803.98	700.48	313.24	284.47	302.85
सीएसएल के कर्मचारियों की संख्या (स्थायी)	2,131	2,140	2,133	1,883	1,756	1,727	1,710	1,744	1,781	1,829

प्रमुख संकेतक - भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

प्रमुख संकेतक (समेकित)	2025-26
उत्पादन मूल्य (₹ करोड में)	4,997.39
पूंजीगत व्यय (₹ करोड में)	318.07
निर्यात/विदेशी आय (₹ करोड में)	1,565.23
आयात खपत में कमी (पिछले वर्ष की तुलना में प्रचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में) (%)	-17.06
ईबीआईटीडीए (कुल आय के प्रतिशत के रूप में) (%)	22.48
निवल मूल्य पर लाभ (%)	12.49
परिसंपत्ति का कारोबार अनुपात (%)	38.90
व्यापार प्राप्य (राजस्व से प्रचालन के दिनों की संख्या के रूप में)	30.76
अनुसंधान एवं विकास व्यय (पिछले 3 वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ के प्रतिशत के रूप में नवाचार पहल सहित) (%)	2.80

हमारा कार्यक्षेत्र
विविध प्रकार की पेशकशों का बेड़ा



पोत निर्माण

₹3,366 करोड
कुल कारोबार (समेकित)

रक्षा

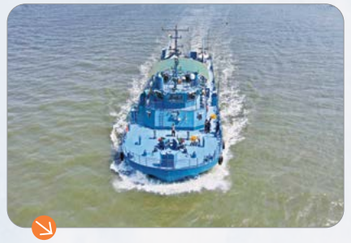
रक्षा क्षेत्र में हमारे पोत निर्माण पोर्टफोलियो के माध्यम से हम तकनीकी रूप से उन्नत नौसैनिक प्लेटफार्मों का निर्माण करके भारत की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं को सुदृढ़ करते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में निगरानी, तटीय सुरक्षा, युद्ध सहायता और अन्य रणनीतिक रक्षा अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष पोत शामिल हैं।


वायुयान वाहक


अगली पीढ़ी के मिसाइल जलयान


पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान


प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जलयान


तैरते सीमा चौकी जलयान



तीव्र गति के गश्ती जलयान


जल सर्वेक्षण जलयान


अपतटीय गश्ती जलयान


प्रदूषण नियंत्रण जलयान

वाणिज्यिक

हमारा वाणिज्यिक पोत निर्माण व्यवसाय यात्रियों के परिवहन, माल ढुलाई, ड्रेजिंग, अंतर्देशीय जलमार्गों और अन्य विशिष्ट समुद्री अनुप्रयोगों को बेहतर बनाने वाले व्यापक और विविध प्रकार के पोतों के माध्यम से देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग की गतिशील आवश्यकताओं और बाजार में उभरते अवसरों के अनुरूप हमारा पोर्टफोलियो लगातार विकसित हो रहा है।


तेल टैंकर


थोक वाहक


ड्रेजर


यात्री जलयान


टग


विशेष प्रयोजन जलयान


डेक कार्गो/जैकेट लॉन्च बार्ज


विद्युत चालित स्वायत्त जलयान


विद्युत चालित यात्री नौकाएं


रो-पैक्स जलयान


विशेष मत्स्यग्रहण जलयान


समुद्री एम्बुलेंस


कमीशनिंग सेवा प्रचालन पोत


हाइब्रिड सेवा प्रचालन जलयान


शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान

अपतटीय

हमारे अपतटीय पोर्टफोलियो में ऐसे समाधान शामिल हैं जो चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरणों के लिए विशेष रूप से निर्मित पोतों के माध्यम से अपतटीय अन्वेषण, समुद्री रसद और नवीकरणीय ऊर्जा समर्थन सहित सभी मांगों को पूरा करते हैं। ये समाधान विभिन्न समुद्री उद्योगों में हमारी विविध पोत निर्माण क्षमताओं के पूरक हैं।


प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति जलयान


लंगर संचालन/टग आपूर्ति जलयान

पोत मरम्मत

पोत मरम्मत हमारी समुद्री सेवाओं का एक अभिन्न अंग है, जिसके तहत हम विभिन्न श्रेणियों के पोतों के लिए रखरखाव, नवीनीकरण, रूपांतरण और जीवनचक्र सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। विशेष सुविधाओं और तकनीकी दक्षता के बल पर, हम पोत निर्माण से परे उन्नत और व्यापक समाधान प्रदान करने में सक्षम हैं, जो साथ ही साथ हमारे ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं।

₹1,656 करोड
कुल कारोबार (समेकित)

2,750+
पोत मरम्मत परियोजनाएं


वायुयान वाहक और और अन्य रक्षा जलयानों का रखरखाव और मरम्मत।


तेल रिग का उन्नयन, मरम्मत परियोजनाएं और रूपांतरण।


टैंकरों, मालवाहक पोतों, सभी प्रकार के वाणिज्यिक और विशेष पोतों की मरम्मत और रखरखाव।

समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण

हमारा समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (एमईटीआई) संरचित समुद्री इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुकूलित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समुद्री पेशेवरों के कौशल विकास में योगदान देता है। यह संस्थान तकनीकी रूप से सक्षम कार्यबल की क्षेत्र की आवश्यकता का समर्थन करके परिचालन अनुकूलन को बढ़ावा देता है।

10

प्रशिक्षण कार्यक्रम

160

समुद्री इंजीनियरों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाता है।

~1,400

प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।



कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

सीएसएल कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस) उन प्रौद्योगिकी-आधारित और ज्ञान-गहन पहलों को प्राथमिकता देता है जो हमारे मूल समुद्री व्यवसायों के पूरक हैं। यह वर्टिकल हमें उभरते अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे नवाचार क्षमताओं में वृद्धि होती है और समुद्री क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्रों में हमारी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार होता है।

6

कार्यनीतिक समाधान क्षेत्र



सी-एसएएस, सीएसएल और एनएसटीएल, डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हाई-एंड्यूरेंस ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (एचईएयूवी)।

हमारी प्रचालन उत्कृष्टता

स्थिर प्रवाह में नई राह, उत्कृष्टता की ओर

हमारी एकीकृत प्रचालन अवसंरचना, संपूर्ण पोत निर्माण, पोत मरम्मत और समुद्री अभियांत्रिकी मूल्य श्रृंखला में हमारी निष्पादन क्षमताओं का मूलभूत आधार है। भारत भर में कार्यनीतिक रूप से स्थित सुविधाएं, विशेष संसाधन और अवसंरचना का निरंतर विस्तार हमें रक्षा, वाणिज्यिक और अपतटीय क्षेत्रों में प्रचालन लचीलापन प्रदान करते हुए तकनीकी रूप से उन्नत समुद्री परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्ची, केरल

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्ची स्थित अपने परिसर पर निर्भर है, जो प्रमुख प्रचालन केंद्र के रूप में कार्य करता है और एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र तथा विशेषीकृत इंजीनियरिंग क्षमताओं के माध्यम से पोत निर्माण और पोत मरम्मत दोनों को सहयोग प्रदान करता है। इस सुविधा ने वर्षों से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की हैं और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करके भारत की समुद्री रीढ़ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए सूखी गोदी का चालू होना हमारे बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। बड़े और अधिक परिष्कृत पोत कार्यक्रमों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन की गई यह सुविधा हमारी पोत निर्माण क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है और साथ ही अगली पीढ़ी की रक्षा और वाणिज्यिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की हमारी तत्परता को मजबूत करती है।

आधारिक संरचना	विनिर्देश
सूखी गोदी 1	255 X 43 X 9 मीटर
सूखी गोदी 2	270 X 45 X 12 मीटर
सूखी गोदी 3 (नया)	310 X 75/60 X 13 मीटर
बर्थिंग लंबाई	1.3 किलोमीटर

3

एकीकृत सूखी गोदी



अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ), कोच्ची, केरल

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) 130 मीटर तक की लंबाई वाले छोटे और मध्यम आकार के पोतों की मरम्मत और रखरखाव क्षमताओं को रणनीतिक रूप से बढ़ाती है। यह सुविधा परिचालन लचीलेपन, त्वरित सेवा प्रदान करने की क्षमता और ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में सुधार करती है। आईएसआरएफ हमारी दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वैश्विक पोत मरम्मत बाजार में हमारी स्थिति को मजबूत करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान आईएसआरएफ में लगभग 35 पोतों की मरम्मत की गई, जिससे ₹207 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

आधारिक संरचना	विनिर्देश
शिप लिफ्ट	6,000 टी (130 X 25 मीटर)
वर्क स्टेशन	6
विशेष शॉप और समुद्री पार्क	उपलब्ध
बर्थिंग लंबाई	1.4 किलोमीटर



मुंबई पोत मरम्मत यूनिट(सीएमएसआरयू), मुंबई पत्तन, मुंबई

मुंबई पत्तन के भीतर स्थित, सीएमएसआरयू ने जनवरी 2019 में परिचालन शुरू करने के बाद से पश्चिमी भारत में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत किया है। यह इकाई वाणिज्यिक और रक्षा पोतों के लिए अनुकूलित मरम्मत और रखरखाव समाधान प्रदान करती है। आदर्श रूप से स्थित यह संयंत्र कुशल परियोजना निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही भारत के पश्चिमी तट पर परिचालन करने वाले ग्राहकों के लिए पहुंच को भी बढ़ाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, सीएमएसआरयू ने 12 पोतों की ड्राई डॉक और अफ्लोट मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी की, जिससे ₹209 करोड़ का कारोबार हासिल हुआ।

आधारिक संरचना	विनिर्देश
सूखी गोदी	300 X 30 X 9 मीटर
बर्थिंग लंबाई	1 किलोमीटर (अफ्लोट मरम्मत केलिए)



कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट(सीकेएसआरयू), कोलकाता, पश्चिम बंगाल

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर कार्यनीतिक रूप से स्थित, कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), जिसने अक्तूबर 2019 में परिचालन शुरू किया, भारत के पूर्वी तट पर चलने वाले वाणिज्यिक और रक्षा पोतों की मरम्मत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे त्वरित सेवा वितरण को बल मिलता है और हमारे राष्ट्रव्यापी पोत मरम्मत नेटवर्क को मजबूती मिलती है। वित्तीय वर्ष के दौरान, सीकेएसआरयू ने नौ मरम्मत परियोजनाओं के सफल निष्पादन के माध्यम से कुल ₹100 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।



आधारिक संरचना	विनिर्देश
सूखी गोदी	172 X 23 X 8 मीटर (2 सं.)

अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत यूनिट(सीएएनएसआरयू), श्री विजयापुरम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

नवंबर 2021 में परिचालन शुरू करने वाली, श्री विजयापुरम स्थित मरीन डॉकयार्ड में मौजूद सीएएनएसआरयू, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमारी पोत सेवा क्षमताओं का विस्तार करती है। यह सुविधा समुद्री क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुरूप आधुनिक, कुशल और विश्वसनीय मरम्मत समाधान प्रदान करके क्षेत्रीय पोत मरम्मत प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएएनएसआरयू ने वित्तीय वर्ष के दौरान ₹228 करोड़ का कारोबार हासिल किया।

आधारिक संरचना	विनिर्देश
सूखी गोदी 1	88 X 20 X 7 मीटर
सूखी गोदी 2	68 X 16 X 5 मीटर
स्लिपवे	25 X 8 मीटर (5 सं.)



हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली- सीएसएल), हावड़ा, पश्चिम बंगाल

हुगली नदी के किनारे 15.76 एकड़ भूमि पर 175 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित हुगली-सीएसएल, अंतर्देशीय और तटीय पोतों के लिए विशेष पोत निर्माण क्षमताओं के माध्यम से पूर्वी भारत में हमारी उपस्थिति को मजबूत करती है। हुगली-सीएसएल हमारे विविध परिचालन नेटवर्क का पूरक है, साथ ही अनुकूलित बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्रीय पोत निर्माण आवश्यकताओं का समर्थन करती है। हुगली-सीएसएल ने वित्तीय वर्ष के दौरान 129 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की है और इसके पास लगभग 200 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है।



आधारिक संरचना	विनिर्देश
स्लिपवे	136 X 40 मीटर
आउट फिट्टिंग जेटी	3

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी - सीएसएल), उडुपी, कर्नाटक

उडुपी-सीएसएल देशी और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए छोटे और मध्यम आकार के पोतों के निर्माण में सहयोग करती है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में, यह इकाई हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है और साथ ही विशेषीकृत पोत श्रेणियों में हमारी निष्पादन क्षमताओं को मजबूत करती है। उडुपी-सीएसएल ने वित्तीय वर्ष के दौरान ₹630 करोड़ की कुल आय दर्ज की और ₹2,000 करोड़ से अधिक के मजबूत ऑर्डर बुक को बनाए रखा है, जो इसकी मजबूत बाजार स्थिति और विकास क्षमता को दर्शाता है।



आधारिक संरचना	विनिर्देश
स्लिपवे	96 X 22 मीटर

इंफ्रा परियोजनाओं की मुख्य झलकियां नवाचार की नई लहर का सृजन

अत्याधुनिक अवसंरचना में हमारे निरंतर और क्रमिक निवेश से पोत निर्माण और पोत मरम्मत के क्षेत्र में हमारी प्रचालन क्षमता मजबूत हो रही है, साथ ही सतत विकास के लिए एक भविष्य-तैयार मंच का निर्माण हो रहा है। नए बड़े ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के चालू होने से जटिल समुद्री कार्यक्रमों में हमारी क्षमताएं और प्रचालन लचीलापन काफी बढ़ गया है। इन संपत्तियों के पूरक के रूप में रणनीतिक साझेदारियां और प्रौद्योगिकी-आधारित पहलें हमारी इंजीनियरिंग दक्षता को मजबूत कर रही हैं, जिससे उभरते समुद्री क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति का विस्तार हो रहा है और देशी और वैश्विक बाजारों में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त की पुष्टि हो रही है।

₹2,769 करोड़
संयुक्त अवसंरचना निवेश

2
वैश्विक रणनीतिक साझेदारियाँ

4
भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी प्लाटफार्म

3
एक ही दिन में जलावतरण किए गए जलयान



विश्व स्तरीय समुद्री बुनियादी ढांचे का निर्माण

नया बड़ा ड्राई डॉक

1,799 करोड़ रुपये के निवेश से निर्मित, नया विशाल ड्राई डॉक भारत की सबसे उन्नत समुद्री अवसंरचना संपत्तियों में से एक माना जाता है। **100 वर्षों के जीवनकाल** के साथ डिज़ाइन की गई यह सुविधा **70,000 टन विस्थापन** तक के वायुयान पोतों, केपसाइज़ और स्वेज़मैक्स जहाजों, एलएनजी वाहकों और जैक-अप रिग्स को समायोजित करने में सक्षम है, जिससे जटिल रक्षा और वाणिज्यिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, इस सुविधा ने **ओएनजीसी के जैक-अप रिग सागर किरण** को सफलतापूर्वक ड्राई डॉक किया, जो सीएसएल द्वारा तीन-पैर वाले जैक-अप रिग की पहली ड्राई डॉकिंग और 17 वर्षों के बाद रिग रिफिट संचालन में हमारी वापसी को दर्शाता है।

310 मीटर
डॉक की लंबाई

600 टन
भारी- ड्यूटी क्रेन

₹1,799 करोड
निवेश





अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

कोचीन पोर्ट प्राधिकरण से पट्टे पर ली गई भूमि पर **970 करोड़ रुपए** के निवेश से विकसित अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) में अत्याधुनिक पोत लिफ्ट और स्थानांतरण प्रणाली है जो **130 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई** तक के जलयानों को संभालने में सक्षम है और इसकी वार्षिक क्षमता 82 पोतों तक है। छह वर्कस्टेशनों के साथ, जो एक साथ मरम्मत कार्यों को सक्षम बनाते हैं, यह सुविधा हमारी मरम्मत क्षमताओं, परिचालन उत्कृष्टता और विशिष्ट पोत सेगमेंट को सेवा प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे हम वैश्विक स्तर पर पसंदीदा पोत मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित होते हैं।

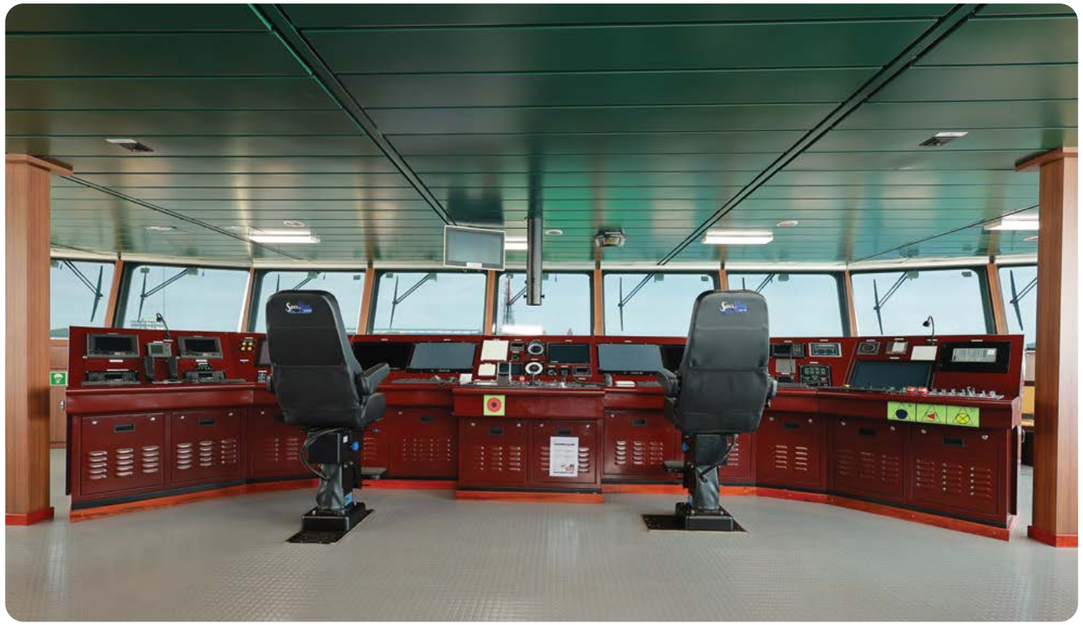
कार्यनीति साझेदारियों के माध्यम से सुदृढ़ीकरण

हमारे अवसंरचना निवेशों को उन सहयोगों द्वारा पूरक बनाया गया है जो प्रौद्योगिकी को अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रदर्शन में सुधार लाने में तेजी ला रहे हैं।

सहभागी	कार्यनीतिक लक्ष्य
ड्राईडॉक्स वर्ल्ड, यूएई	कोच्ची और वडीनार में विश्व स्तरीय पोत मरम्मत क्लस्टर का विकास, साथ ही तकनीकी विशेषज्ञता और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान। ड्राईडॉक्स वर्ल्ड, यूएई
कोनोशिप इंटरनेशनल होल्डिंग बी.वी., नेथरलैंड्स	उन्नत डिजाइन समाधानों तक पहुंच बढ़ाने और यूरोपीय तटीय और लघु समुद्री शिपिंग बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए।

समुद्री प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना

हमारी कार्यनीतिक पहल सतत और अगली पीढ़ी की समुद्री प्रौद्योगिकियों में हमारी क्षमताओं का विस्तार कर रही हैं। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, हमने समुद्री उद्योग के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु **एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड** के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। भारत के पहले हाइड्रोजन-संचालित पोत, एफसीवी-पायलट 1 के निर्माण और संचालन के साथ हमने हरित शिपिंग में अपनी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत किया, साथ ही डेनमार्क की स्वित्ज़र एएस से चार 26-मीटर पूर्णतः विद्युत 'ट्रांसवर्स' ('ट्रांसवर्स 2600ई') 70 टन बोलार्ड पुल टग्स के निर्माण और पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से दो 60 टन बोलार्ड पुल **बैटरी-इलेक्ट्रिक ग्रीन टग्स** के निर्माण के लिए ऑर्डर प्राप्त किए। ये पहलें सतत समुद्री समाधानों को सक्षम बनाने और विकसित हो रहे वैश्विक हरित शिपिंग परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रति सीएसएल की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं। सीएसएल ने **फ्रांस की सीएमए सीजीएम** से छह एलएनजी-ईंधन वाले कंटेनर पोतों के निर्माण का ऑर्डर हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी प्राप्त की है - यह किसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइन द्वारा किसी भारतीय शिपयार्ड को दिया गया पहला ऑर्डर है, जो भारत की पोत निर्माण क्षमताओं में एक बड़ा कदम है और स्वच्छ ईंधन की ओर वैश्विक परिवर्तन में सीएसएल की भागीदारी को दर्शाता है।



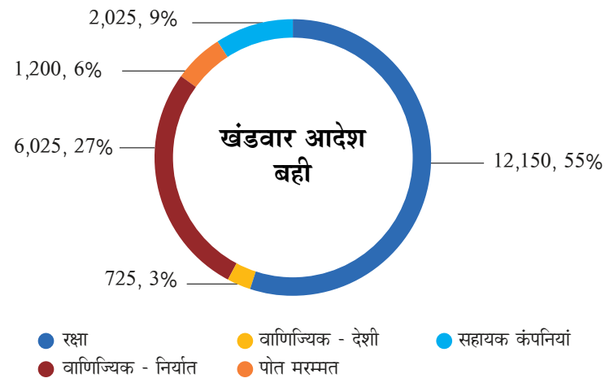




निष्पादन में उत्कृष्टता

बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश, रणनीतिक सहयोग और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों के संयोजन से हम उभरते और परिष्कृत समुद्री कार्यक्रमों में अपनी निष्पादन क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इस वर्ष हमने रक्षा, अपतटीय पवन ऊर्जा और ड्रेजिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में **एक ही दिन में तीन जलयानों** का सफल शुभारंभ किया, जिससे एक साथ कई जटिल परियोजनाओं को पूरा करने की हमारी क्षमता सिद्ध हुई। ये उपलब्धियां भारत की विकसित होती समुद्री महत्वाकांक्षाओं को बल देती हैं और हमें वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाती हैं।

आदेश बही स्थिति (मार्च 31, 2026 तक)



परियोजना श्रेणी	जलयानों की सं.	आदेश मूल्य (₹ करोड में)।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		
पोत निर्माण		
• रक्षा	12	12,150
• वाणिज्यिक - देशी	16	725
• वाणिज्यिक - निर्यात	23	6,025
कुल	**51**	**18,900**
पोत मरम्मत		1,200
कुल	**51**	**20,100**
सहायक कंपनियां		
• हुगली-सीएसएल	7	200
• उडुपी-सीएसएल	20	1,825
कुल योग	**78**	**22,125**

* उपर्युक्त तालिका में दिया गया आदेश मूल्य 31 मार्च, 2026 तक मान्य किए जाने वाले ऑर्डर की शेष राशि (निकटतम 25 करोड़ तक पूर्णांकित) है। इसके अलावा, रिपोर्टिंग में दोहराव से बचने के लिए, सीएसएल द्वारा सहायक कंपनियों को दिए गए कार्यों के मूल्य को उनके ऑर्डर मूल्यों से अलग रखा गया है।

उषस

समुद्री क्षितिज का विस्तार, सागर से तट तक

कुल ₹50 करोड़ की निधि वाला उषस हमारा समर्पित समुद्री स्टार्ट-अप सहभागिता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और समुद्री क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम स्टार्ट-अप्स को उद्योग विशेषज्ञता, अवसंरचना और सहयोगात्मक अवसरों से जोड़कर उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता करता है, जो भविष्य में समुद्री प्रचालनों को नई दिशा प्रदान कर सकती हैं।

यह कार्यक्रम प्रारंभिक चरण के नौसैनिक नवाचारों को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देता है तथा स्टार्ट-अप्स को उद्योग संबंधी ज्ञान, मार्गदर्शन के अवसर और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्रदान करता है। संरचित सहभागिता के माध्यम से, उषस ऐसे नवाचारों को सुदृढ़ करता है, जो समुद्री क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

वित्तपोषण योजनाएं

बीज निधि योजना

- प्रति स्टार्ट-अप 50 लाख रुपये तक।
- नौवहन और समुद्री क्षेत्र में नवीन समाधानों / प्रक्रियाओं / उत्पादों / सेवाओं / व्यावसायिक मॉडलों के आधार पर न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद/सेवा (एमवीपी) बनाने के लिए।

प्रमुख अनुदान योजना

- प्रति स्टार्ट-अप 100 लाख रुपये तक।
- स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए।
- इसमें प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) और प्रूफ-ऑफ-वैल्यू (पीओवी) शामिल हैं

इक्विटी निवेश

- स्टार्ट-अप कंपनी की पूंजी के 9% तक इक्विटी में निवेश करना।

पारिस्थितिकी तंत्र

उषस की ताकत इसके सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है जो स्टार्ट-अप को ज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग विशेषज्ञता के साथ एकीकृत करता है। कई हितधारकों के बीच बातचीत को बढ़ावा देकर, कार्यक्रम एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां नवीन विचारों को व्यावहारिक समुद्री समाधानों में साकार किया जा सकता है।

स्टार्ट-अप पोर्टफोलियो

उषस से जुड़े स्टार्ट-अप नवाचार के विविध विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समुद्री मूल्य श्रृंखला को कवर करते हैं। प्रत्येक उद्यम विशेष प्रौद्योगिकियों और समाधानों का योगदान देता है जो नवाचार केंद्रित और भविष्य के नेतृत्व वाले अनुप्रयोगों के माध्यम से समुद्री संचालन को आगे बढ़ाते हैं।

24

वित्त पोषित स्टार्टअप

₹12.50 करोड

प्रतिबद्ध निधि

आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास

समीक्षा एवं अनुशंसा अभिकरण

हमारे लोग

कार्यनीतिक विचारों को सशक्त बनाना, विकास की धाराओं को दिशा देना

हमारे लोग हमारी सुदृढ़ प्रगति के केंद्र में हैं, जो हमारी व्यापक गतिविधियों को गति प्रदान करते हुए दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम एक समावेशी, कार्य-निष्पादन उन्मुख एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यस्थल के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जहाँ प्रतिभा में निवेश किया जाता है, सक्षमताओं को सुदृढ़ किया जाता है तथा सहयोगात्मक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, जो आजीवन सीखने एवं कल्याण को प्रोत्साहित करती है। कर्मचारी जीवनचक्र के विभिन्न चरणों में औपचारिक कार्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अपने संगठनात्मक उद्देश्यों की सार्थक पूर्ति की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं।

मानव संसाधन दृष्टिकोण

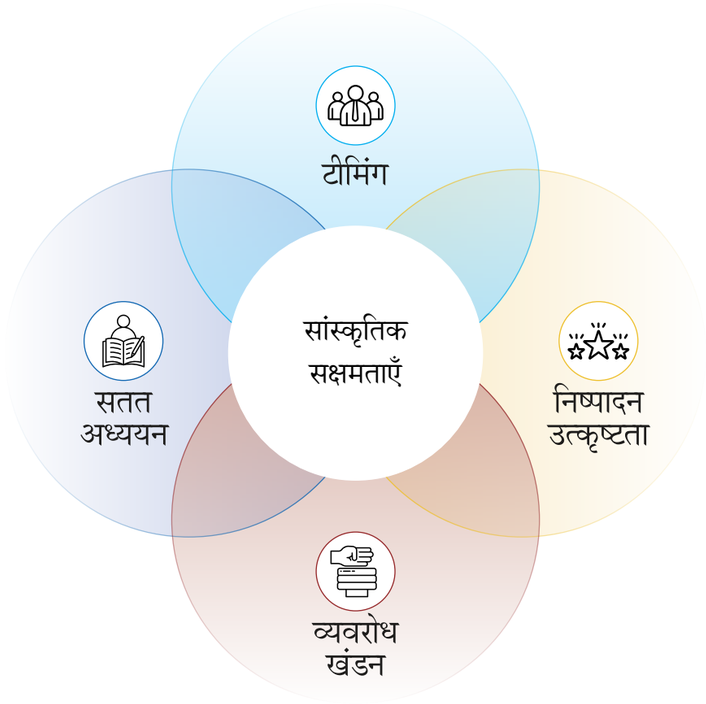
कॉर्पोरेट मिशन वक्तव्य में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रेरित होकर, सीएसएल का कार्यनीतिक मानव संसाधन दृष्टिकोण एक अद्वितीय संस्थान का निर्माण करना है जो यार्ड के कार्यबल के कार्य जीवन की गुणवत्ता में सर्वांगीण सुधार के लिए रचनात्मकता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और उत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को एकीकृत करता है।

मानव संसाधन लक्ष्य

यार्ड में कार्यरत सभी लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना और व्यक्ति एवं संगठन दोनों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना।

मानव संसाधन नीति

मानव संसाधन नीतियाँ मानव संसाधनों का सही मिश्रण प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने और समृद्ध बनाने पर केंद्रित होती हैं ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त किया जा सके।



4,000+
कुल कार्यबल

1,300+
नियुक्त प्रशिक्षार्थी

प्रतिभा अधिग्रहण

भविष्य के लिए तैयार संगठन का निर्माण उपयुक्त प्रतिभा के आधार पर होता है। हमारी प्रतिभा अधिग्रहण प्रक्रिया में ऐसे पेशेवरों की पहचान एवं मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिनके पास कंपनी के दीर्घकालिक विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता, नेतृत्व क्षमता एवं मूल्याधारित दृष्टिकोण हो। लक्षित भर्ती अभियानों तथा विशेषीकृत कार्यबल नियोजन के माध्यम से हम अपनी प्रतिभा उपलब्धता श्रृंखला को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही समय पर आवश्यक सक्षमताएँ उपलब्ध हों।

इसके साथ ही, हम संगठन की प्राथमिकताओं एवं उत्तराधिकार नियोजन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए एक संतुलित कार्यबल के निर्माण पर बल देते हैं। यह संरचित दृष्टिकोण संगठन-व्यापी कार्यबल विकास को बनाए रखते हुए परिचालन निरंतरता को सुदृढ़ करता है।

~1,500
नियुक्त कार्मिक



कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास

सतत अध्ययन हमारी कर्मचारी संवर्धन कार्यनीति का एक प्रमुख आधार है। हम कर्मचारियों को संरचित तकनीकी, कार्यात्मक, व्यवहारगत एवं नेतृत्व क्षमता संवर्धन कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, जो उनकी व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें उद्योग-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करते हैं। हमारी अध्ययन पहलें तकनीकी सक्षमता को सुदृढ़ करने, ज्ञान-साझाकरण को प्रोत्साहित करने तथा दीर्घकालिक कैरियर प्रगति में सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं।

संगठन के सभी प्रमुख स्तरों पर क्षमता विकास में निवेश करके हम निरंतर ऐसे कार्यबल का निर्माण कर रहे हैं, जो अनुकूलनशील, भविष्य के लिए तैयार तथा समुद्री उद्योग में उभरते अवसरों के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो। अध्ययन की यह संस्कृति कर्मचारियों को निरंतर अपने कौशल को उन्नत करने के साथ-साथ परिचालन उत्कृष्टता में योगदान देने में सक्षम बनाती है।

300+
आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

~8,700
प्रशिक्षण कार्यदिवस



महिलाओं की क्षमता का समर्थन

सीएसएल एक समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, जहाँ महिलाओं को समान अवसरों, सहयोगात्मक नीतियों और सुरक्षित कार्य वातावरण के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है। तकनीकी ज्ञानार्जन में महिलाओं की अधिक भागीदारी तथा वैश्विक अनुभव को प्रोत्साहित करने के लिए महिला कर्मचारियों को जापान में आयोजित विदेशी कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल किया गया।कंपनी ने पात्र महिला कर्मचारियों, जिनमें आश्रित दिव्यांग बच्चों वाली महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, को बाल देखभाल अवकाश की सुविधा प्रदान करके अपनी कर्मचारी-अनुकूल पहलों को और सुदृढ़ किया। साथ ही, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया। सीएसएल ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति को निरंतर बनाए रखा। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम का सख्त अनुपालन, नियमित जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम तथा वरिष्ठ महिला अधिकारियों के नेतृत्व में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के माध्यम से प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। महिलाओं के सशक्तीकरण एवं कल्याण से संबंधित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त है, जो महिलाओं के हित एवं कल्याण हेतु विभिन्न पहलों का संचालन करती हैं। यह कंपनी के न्यायसंगत एवं समावेशी कार्यस्थल के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है। सीएसएल ने मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समावेशी पहलों के साथ मनाया, जिनका उद्देश्य महिला कर्मचारियों की भागीदारी, योगदान की पहचान एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देना था।

380

31 मार्च 2026 तक महिला कर्मचारी



कर्मचारी सहभागिता

हमारा मानना है कि सहभागी कार्यबल सहयोग, नवाचार और संगठनात्मक कार्य-निष्पादन को सुदृढ़ करता है। हमारी कर्मचारी सहभागिता संबंधी पहलें टीम-निर्माण कार्यक्रमों, सांस्कृतिक गतिविधियों, कर्मचारी योगदान की पहचान एवं सम्मान से जुड़ी पहलों तथा खुले और पारदर्शी संचार मंचों के माध्यम से कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्य-दायित्वों से परे एक-दूसरे से जुड़ने के अवसर प्रदान करती हैं और पूरे संगठन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं। ये पहलें एक सहयोगात्मक कार्यस्थल संस्कृति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ कर्मचारी मनोबल एवं संगठन के प्रति अपनत्व की भावना को संगठनात्मक मूल्यों के अनुरूप बनाए रखने में सहायक हैं। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके तथा व्यक्तिगत योगदानों को पहचान एवं सम्मान प्रदान करके, हम निरंतर एक सकारात्मक एवं समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

कर्मचारी प्रतिधारण

कुशल प्रतिभाओं को बनाए रखना प्रचालन उत्कृष्टता एवं संगठनात्मक निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमारी कार्य-निष्पादन एवं प्रतिभा प्रबंधन प्रणाली योग्यता एवं उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन की पहचान करने, वृत्ति प्रगति में सहयोग प्रदान करने तथा सफल व्यावसायिक विकास की दिशा में अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। संरचित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, नेतृत्व विकास संबंधी पहल तथा आंतरिक वृत्ति अवसर कर्मचारियों को संगठन के भीतर दीर्घकालिक वृत्ति बनाने में सक्षम बनाते हैं।

व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन को हमारे व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ समन्वित करते हुए तथा क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करके, हम कर्मचारी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं और भविष्य के लिए एक सुदृढ़ एवं सक्षम नेतृत्व प्रतिभा श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं।



99%

कर्मचारी प्रतिधारण दर

कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

हमारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करना हमारी परिचालन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हम अपने सभी प्रचालन स्थलों पर सुरक्षित एवं सहयोगात्मक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यप्रणालियों, कार्यस्थल सुरक्षा प्रणालियों, आपातकालीन तैयारियों तथा कर्मचारी कल्याण संबंधी पहलों को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं।

हमारा ध्यान केवल नियामकीय अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमित जागरूकता कार्यक्रमों, विशेषीकृत प्रशिक्षण, निवारक स्वास्थ्य पहलों तथा कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणालियों की निरंतर निगरानी के माध्यम से एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है। ये प्रयास हमारे कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सुरक्षित एवं कुशल प्रचालन को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं।

180

सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र

15,000+

प्रशिक्षण श्रम-घंटे



पर्यावरण

हरित भविष्य की ओर बढ़ते कदम

पर्यावरणीय उत्तरदायित्व हमारी व्यावसायिक गतिविधियों की योजना, संचालन और विस्तार की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऊर्जा प्रबंधन, जल संरक्षण, संसाधनों के चक्रीय उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन और जैव-विविधता संरक्षण के क्षेत्र में केंद्रित पहलों के माध्यम से हम पर्यावरणीय प्रदर्शन को कार्यनीतिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं और साथ ही अपनी विभिन्न इकाइयों में सतत प्रचालन को बढ़ावा दे रहे हैं।

जलवायु शासन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व

हमने महाप्रबंधक (ईएसजी एवं एचएसई) के नेतृत्व में एक समर्पित शासन व्यवस्था तथा पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) समिति के माध्यम से धारणीयता को अपनी व्यावसायिक कार्यनीति में समाहित किया है। पर्यावरणीय धारणीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम अपने प्रचालनों में ऊर्जा दक्षता को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को गति प्रदान कर रहे हैं तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- ईएसजी एवं धारणीयता संबंधी पहलों की निगरानी के लिए एक समर्पित शासन व्यवस्था स्थापित की गई है।
- प्रचालन संबंधी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी को चरणबद्ध रूप से बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रोडमैप पर कार्य किया जा रहा है।
- ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण तथा जल उपयोग दक्षता को प्राथमिकता दी जा रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन

हम सौर ऊर्जा अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों में निवेश बढ़ाकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर अपने संक्रमण को गति प्रदान कर रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता को कम करने के साथ-साथ परिचालनगत सुदृढ़ता को भी बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु

- दिसंबर 2028 तक रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता को **2,422 किलोवाट-पीक से बढाकर 4,000 किलोवाट-पीक** करने की योजना ।
- ग्रीन डे-अहेड मार्केट के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद ।
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को शामिल करना, जिसके प्रथम चरण को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।
- हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी लगभग **60-70 %** ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का लक्ष्य ।

ऊर्जा दक्षता और उन्नत प्रचालन

हम अपने सभी संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता और प्रचालन विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रौद्योगिकी और स्वचालन का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। उन्नत निगरानी प्रणालियों और ऊर्जा-कुशल अवसंरचना के माध्यम से हम ऊर्जा खपत को अधिक दक्षतापूर्वक प्रबंधित करते हुए उत्पादकता में भी वृद्धि कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- मरम्मत डॉक में बैलास्ट पंपों को परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव से सुसज्जित किया गया।
- सभी क्वे में स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर स्थापित किए गए।
- ऊर्जा की खपत और उत्पादन की रियल-टाइम निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित प्रणालियाँ लागू की गईं।
- महत्वपूर्ण प्रचालन क्षेत्रों में सेंसर-आधारित प्रकाश नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई।
- सभी सुविधाओं में ऊर्जा-कुशल वैरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो एयर-कंडीशनिंग प्रणालियाँ, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट पंखे और लाइट एमिटिंग डायोड प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई।

4.75 लाख यूनिट

संरक्षित ऊर्जा

हरित गतिशीलता और कम-कार्बन प्रौद्योगिकियां

हम सतत परिवहन को बढ़ावा देकर तथा अपने सभी प्रचालनों में निरंतर स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वैकल्पिक ईंधनों और ऊर्जा-कुशल परिवहन समाधानों में निवेश के माध्यम से हम अपने पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं।

प्रमुख बिंदु

- हमारे यार्ड में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए नौ सौर ऊर्जा संचालित चार्जिंग डॉक स्थापित किए गए हैं।
- डीजल चालित प्लेटफॉर्म ट्रकों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया गया है।
- डीजल चालित फोर्कलिफ्ट को संपीड़ित प्राकृतिक गैस चालित प्रणालियों में परिवर्तित किया गया है।
- आंतरिक नवाचार के माध्यम से बैटरी चालित प्लेटफॉर्म ट्रक विकसित किए गए हैं।
- धातु काटने के कार्यों में एसिटिलीन के स्थान पर सीएनजी के उपयोग की योजना है।
- कर्मचारी कैंटीन में 2000 एलपीडी और प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास में 200 एलपीडी क्षमता के सौर जल हीटर स्थापित किए गए हैं ।

9

सौर ऊर्जा संचालित चार्जिंग डॉक स्थापित

अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्रता

हम अपशिष्ट-से-ऊर्जा पहलों तथा संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने वाले डिजिटल समाधानों के माध्यम से अपने परिचालनों में परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को एकीकृत कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- 1 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बार्क-निसर्गरुना बायोगैस संयंत्र का संचालन, (1 टीपीडी बार्क - निसर्गरुना) जो जैविक कचरे को बायोगैस में परिवर्तित करता है।
- कैंटीन, छात्रावासों और पोतों की गैलियों से उत्पन्न खाद्य अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण।
- व्यापक इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कागज की खपत में कमी।
- सीएसएल के स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप 3 सिद्धांतों (कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना) के आधार पर औद्योगिक कचरे के व्यवस्थित पृथक्करण और निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए केरल सरकार के उद्यम, स्वच्छ केरल कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन।

पर्यावरणीय अनुपालन एवं सतत अवसंरचना

हम अपनी दैनिक अवसंरचना परियोजनाओं में पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृत करते हैं और सभी लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। हमारी प्रमुख पूंजीगत परियोजनाओं में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रणालियाँ शामिल की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- ₹2,769 करोड़ की लागत वाली न्यू ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा परियोजनाओं का पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी सभी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन करते हुए कार्यान्वयन ।
- समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सुविधाओं की स्थापना।

जैव विविधता एवं हरित अवसंरचना

हम जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति-आधारित समाधानों और सतत अवसंरचना विकास के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने में विश्वास रखते हैं। हमारी पहलों में कार्बन अवशोषण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे अधिक हरित, टिकाऊ और सुदृढ़ प्रचालन को बढ़ावा मिलता है।

प्रमुख बिंदु

- कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण और ऑक्सीजन उत्सर्जन के लिए **पाँच माइक्रोएल्गी-आधारित 'लिक्विड ट्री' इकाइयाँ** स्थापित की गईं।
- केरल वन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से वनीकरण संबंधी अध्ययन किया जाएगा।
- सभी परिसरों में पुराने वृक्षों के स्थान पर उपयुक्त प्रजातियों का रोपण कर हरित क्षेत्र एवं सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

5

- माइक्रोएल्गी-आधारित 'लिक्विड ट्री' इकाइयाँ स्थापित की गईं।

प्रमाणीकरण एवं मान्यताएं

नौवहन क्षेत्र में **ग्रीनको सिल्वर रेटिंग** प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी, जिसे बाद में **ग्रीनको गोल्ड रेटिंग** में उन्नत किया गया।

हमारी ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए **आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन** प्राप्त किया।

2025 और 2017 में **केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार** प्राप्त किया।

2017 में **केरल राज्य नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।



सामाजिक

अपनत्व के नए आयाम, जीवन में नई उमंग

सीएसएल में, सीएसआर समावेशी विकास और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग है। लक्षित और पारदर्शी पहलों के माध्यम से, हम सार्थक सामाजिक प्रभाव पैदा करने, समुदायों को सशक्त बनाने और दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का प्रयास करते हैं।

हमारा व्यवधान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, अवसंरचना विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों तक फैले हुए हैं, जिससे हम अपने द्वारा सेवा किए जाने वाले समुदायों के लिए मापने योग्य परिणाम प्रदान करने में सक्षम होते हैं।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) दृष्टिकोण

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, अपने निगमित दृष्टिकोण के अनुरूप, एक जिम्मेदार निगमित नागरिक होने की सर्वोत्तम परंपरा को जारी रखने के लिए तत्पर है, जिसे अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मान्यता प्राप्त है और साझा समावेशी विकास के मार्ग पर चलते हुए व्यवसाय करने के अपने नैतिक तरीके के लिए सम्मान प्राप्त है। इस प्रकार, वह अपनी समृद्धि का लाभ समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने और सतत विकास के लिए पर्यावरण और प्रकृति में योगदान देने में प्रदान करता है।

सीएसआर लक्ष्य

सीएसएल आशा करते हैं कि :

- सीएसआर आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी समृद्धि और संसाधनों का एक हिस्सा लोगों और पर्यावरण के साथ साझा करना।
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और अपने आसपास की दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना।
- आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से नागरिकों के हाशिए पर पड़े वर्गों को जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए उनका साथ देना।
- एक सकारात्मक और लोगों और ग्रह के अनुकूल कॉर्पोरेट छवि प्रस्तुत करना।
- परिसंपत्ति निर्माण, बुनियादी ढाँचे के विकास आदि के माध्यम से लक्षित आबादी और स्थान पर ठोस और मापनीय प्रभाव सुनिश्चित करना।
- राष्ट्र निर्माण के इंजन को समन्वित करने के लिए अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं, सरकारी अंगों, जनप्रतिनिधियों, अन्य समान विचारधारा वाली एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना।
- सीएसआर को व्यवसाय संचालन के एक तरीके के रूप में अपनाना और इसे अपनी संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा बनाना।
- अपने सीएसआर उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सीएसएल के सभी हितधारकों जैसे इसके कर्मचारियों और ठेकेदारों को शामिल करना।
- सीएसएल की मुख्य क्षमताओं और संसाधनों का लाभ उठाना, जिसमें पोत निर्माण और पोत मरम्मत सेवाएँ, शासन, मानव संसाधन, व्यावसायिक संचालन और विकास, सुविधाएँ और नेटवर्क शामिल हैं, ताकि साझा मूल्य सिद्धांत पर समाज और पर्यावरण में सुधार लाया जा सके।
- सीएसएल के सीएसआर हस्तक्षेपों के मापन, निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग सहित प्रासंगिक क़ानूनों, दिशानिर्देशों आदि के ढांचे के भीतर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजनाओं को अपनाना और लागू करना।

वर्ष की मुख्य सीएसआर विशेषताएं

₹13.89 करोड
सीएसआर बजट

₹15.54 करोड
सीएसआर व्यय

113
की गई सीएसआर परियोजनाएं

स्वास्थ्य एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना
वर्ष का सीएसआर विषय

₹7.50 करोड
गतिविधियों पर व्यय

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व - अब तक

₹150+ करोड
सीएसआर व्यय

1,000+
की गई सीएसआर परियोजनाएं



स्वास्थ्य एवं पोषण

हम समझते हैं कि सुलभ स्वास्थ्य सेवा कितनी महत्वपूर्ण है और सशक्त समुदायों के निर्माण में बेहतर जीवन स्तर कितना आवश्यक है। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, हम स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करना, समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करना और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना चाहते हैं।

प्रमुख पहलें

- द्वीप क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों और मासिक धर्म कप के वितरण के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना जहां सीएसएल की उपस्थिति है।
- पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक आधुनिक आयुर्वेदिक औषधालय के निर्माण का समर्थन करना।
- सामुदायिक फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए खुले जिम सुविधाओं का विकास।
- कोच्चि में महिलाओं के पोषण कल्याण में सुधार के लिए मल्टीग्रेन आटा और पोषण बार सहित फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों को विकसित करने के लिए एक न्यूट्री फूड लैब स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी करना।
- दूरस्थ तटीय गांवों में ट्यूबवेलों के माध्यम से सुरक्षित डॉ. पेयजल तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, लवणता और पानी की कमी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना।
- द्वीप क्षेत्रों सहित आकांक्षी जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों में तपेदिक निदान, पोषण सहायता और स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

शिक्षा

हमारा मानना है कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का एक शक्तिशाली प्रेरक है। शैक्षिक अवसंरचना, नवाचार, डिजिटल समावेशन और कौशल विकास में अपने निवेश के माध्यम से, हमारा लक्ष्य ऐसे अवसर सृजित करना है जो व्यक्तियों को भविष्य के लिए तैयार कौशल विकसित करने और अपनी क्षमता को साकार करने में मदद करें।



मुख्य पहल

- सरकारी स्कूलों में कक्षा विस्तार पहल के माध्यम से शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- विश्वविद्यालयों के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके समुद्री नवाचार को आगे बढ़ाना।
- युवा नवप्रवर्तकों के कार्यक्रम (वाईआईपी), केरल के लिए समर्थन के माध्यम से नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना।
- कलेक्टर सुपर 100 पहल के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता को सशक्त बनाना।
- केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (केआईटीई) के तहत उन्नत रोबोटिक किटों की तैनाती के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर आईटी अवसंरचना समर्थन के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटना।
- "वंचित युवाओं का सशक्तीकरण - राष्ट्र निर्माण के लिए वेल्डिंग" पहल के अंतर्गत युवाओं को भविष्योपयोगी कौशल से सुसज्जित करना।

सशक्तिकरण

हम सामाजिक समावेशन, आजीविका को सुदृढ़ करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी पहल सतत अवसर सृजित करने और समुदायों को दीर्घकालिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई हैं।

मुख्य पहल

- जनजातीय सामुदायिक केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सामुदायिक स्थलों को सुदृढ़ करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बालवाड़ी और डे केयर सेंटरों का समर्थन करके प्रारंभिक बचपन के विकास को मजबूत करना और समग्र सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना।
- बहु दिव्यांगतावाले वाले लोगों के लिए पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से समावेशी विकास का समर्थन करना।
- एर्नाकुलम करयोगम सुविधाओं द्वारा एक बाल देखभाल सुविधा के निर्माण के लिए समर्थन के माध्यम से देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना।
- जनजातीय क्षेत्रों में लक्षित पहलों के माध्यम से जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण।
- विशेष विद्यालय में कल्याणकारी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना।
- मत्स्य सुगंधी पहल के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- योग प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना के माध्यम से समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करना।

हमारे सीएसआर पदचिन्ह

मानचित्र केवल प्रतिनिधित्व हेतु है, पैमाने के अनुरूप नहीं।

विरासत और संस्कृति

हम सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने के महत्व को समझते हैं। अपनी पहलों के माध्यम से, हम उन संस्थानों और कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं जो राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करते हैं।

मुख्य पहल

- केरल कलामंडलम के लिए एक आउटरीच केंद्र की स्थापना के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना।
- पुस्तकालय अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करके ज्ञान संस्थानों को सशक्त बनाना।

आकांक्षी जिला

समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, हमने वायनाड को अपने महत्वाकांक्षी जिले के रूप में प्राथमिकता दी है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामुदायिक विकास में लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक प्रगति को गति देना और क्षेत्रीय जीवन स्तर में सुधार करना है।

मुख्य पहल

- एकीकृत कैंसर देखभाल पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करना।
- एनजीओ के साथ साझेदारी में आदिवासी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना।
- वायनाड को ट्यूबरक्यूलोसिस मुक्त बनाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करना।

शासन

पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ भविष्य का मार्गदर्शन

हमारा शासन ढांचा पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और निष्पक्षता के मूल मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, हम उचित नैतिक आचरण और नियामकीय अनुपालन के उच्चतम मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हितधारकों के विश्वास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई हमारी शासन व्यवस्था, जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं, प्रभावी निगरानी तथा बदलती नियामकीय और हितधारक अपेक्षाओं के साथ निरंतर सामंजस्य को प्रोत्साहित करती है।

हमारी नीतियाँ

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति	नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति
बोर्ड विविधता नीति	जोखिम प्रबंधन नीति	अंतरंग व्यापार संहिता
मुखबिर नीति एवं धोखाधड़ी निवारण नीति	नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम	संबंधित पक्षकार लेन-देन संबंधी नीति
दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति	सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा शासन ढांचा

● अध्यक्ष ■ सदस्य

■ लेखापरीक्षा समिति ■ नामांकन और पारिश्रमिक समिति ■ सीएसआर एवं धारणीयता विकास समिति ■ हितधारक संबंध समिति ■ जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल

कार्यनीतिक दूरदर्शिता के साथ प्रगति



श्री जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री जोस वी जे को 01 फरवरी, 2026 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे अगस्त 2019 से कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है। हाल ही में उन्हें दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल द्वारा सर्वश्रेष्ठ रिटर्न (लार्ज कैप) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 35 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे कंपनी के सूचना प्रणाली विभाग का भी नेतृत्व कर रहे हैं। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) में अध्यक्ष भी हैं, जो सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियां है।



डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)

डॉ. हरिकृष्णन एस ने 27 अगस्त, 2025 को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 30 दिसंबर, 1995 को एक कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में अपना करियर शुरू किया और निदेशक (प्रचालन) के पद पर नियुक्त होने से पहले कार्यपालक निदेशक (पोत निर्माण) के पद तक पहुँचे। उनके पास मेकानिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए और मेकानिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री है। कंपनी में लगभग तीन दशकों के अनुभव के साथ, वे पोत निर्माण और पोत मरम्मत के विभिन्न कार्यों में शामिल रहे हैं, जिनमें डिज़ाइन, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, प्रापण, योजना और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं। वह ग्रीन मैरीटाइम प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं, जो सीएसएल और एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा गठित संयुक्त उद्यम कंपनी है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भी निदेशक हैं।



श्री राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)

श्री राजेष गोपालकृष्णन ने दिनांक 27 अगस्त 2025 क कंपनी के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया। वे दिनांक 30दिसंबर 1995 को एक कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में शामिल हुए और निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त होने से पहले कार्यकारी निदेशक (पोत मरम्मत) के पद तक पहुँचे। उनके पास मेकानिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता सहित व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री है। उन्हें केपनी में पोत निर्माण, पोत मरम्मत और रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता वायवसायिक रणनीति, व्यवसाय निर्माण, अनुमान, अनुबंध प्रबंधन, प्रापण, योजना, परियोजना प्रबंधन, चालान, बिक्री के बाद और ग्राहक संबंधों से लेकर संपूर्ण क्षेत्र को कवर करती है। वह हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं।



श्री मुकेश मंगल (आईटीएस)
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(जुलाई 17, 2026 से)

श्री मुकेश मंगल (आईटीएस) को 17 जुलाई, 2026 को कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के 1992 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बीटेक किया है। वर्तमान में, वे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। उन्हें आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, लाइटहाउस आदि विषयों में 33 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। उन्होंने साइबर सुरक्षा, संचार साथी पोर्टल और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा परियोजनाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका उद्देश्य साइबर अपराध में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है। वर्तमान में, वे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास सहित सतर्कता, पोत परिवहन इकाई और सागरमाला विंग का नेतृत्व कर रहे हैं। वह चेन्नई पत्तन प्राधिकरण, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एससीआई भारत आईएफएस लिमिटेड, इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नंबर 3 लिमिटेड, इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नंबर 4 प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नंबर 1 लिमिटेड और इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नंबर 2 लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं।



श्री वेंकटेशपति एस आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(जुलाई 17, 2026 तक)

श्री वेंकटेशपति एस आईएएस ने 07 अगस्त, 2025 से 17 जुलाई, 2026 तक कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में कार्य किया। वह केरल कैडर के 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जो वर्तमान में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अन्ना विश्वविद्यालय से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान, उन्होंने केरल सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिसमें सब कलेक्टर (इडुक्की, देवीकुलम और कासरगोड), सचिव (तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन), प्रबंध निदेशक (सप्लाईको), जिला कलेक्टर (मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम), निदेशक (मत्स्य विभाग) और प्रबंध निदेशक (केरल जल प्राधिकरण) शामिल हैं। अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक (पोत परिवहन) के रूप में कार्यभार संभाला था।



श्रीमती अनुपमा टी.वी. आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(जुलाई 17, 2026 से)

श्रीमती अनुपमा टी.वी. आईएएस को 17 जुलाई, 2026 को कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह केरल कैडर की 2010 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में वह केरल सरकार के परिवहन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास केरल सरकार के हवाई अड्डों, मेट्रो रेल और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (राजभाषा) विभागों का पूर्ण प्रभार भी है। बीआईटीएस पिलानी (गोवा परिसर) से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त अनुपमा ने इससे पहले केरल सरकार में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, जिनमें त्रिशूर और आलप्पुझा की जिला कलेक्टर, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पर्यटन निदेशक, अनुसूचित जनजाति विकास निदेशक, भू-राजस्व आयुक्त और स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) की सचिव शामिल हैं।



श्री पी बी नूह आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(जुलाई 17, 2026 तक)

श्री पी बी नूह आईएएस ने 20 जून, 2025 से 17 जुलाई, 2026 तक कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में कार्य किया। केरल कैडर के 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, वे वर्तमान में केरल के जीएसटी आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल से प्राणी विज्ञान में स्नातक की डिग्री, केरल कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की डिग्री और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर से कृषि में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर के दौरान, श्री नूह ने केरल सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिनमें परिवहन विभाग के विशेष सचिव, केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सप्लाईको) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पर्यटन विभाग के निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पत्तनमथिट्टा के जिला कलेक्टर, ओट्टपालम के उप कलेक्टर, लाइफ मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अट्टप्पाडी में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी शामिल हैं। वे अपने गतिशील नेतृत्व, जन-केंद्रित दृष्टिकोण और शासन में, विशेष रूप से सामाजिक विकास, सार्वजनिक सेवा वितरण और जनजातीय कल्याण के क्षेत्रों में, प्रभावशाली योगदान के लिए जाने जाते हैं।



डॉ. सीमा सूरी
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. सीमा सूरी को 21 मई, 2025 को कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से कला में स्नातकोत्तर और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से बी.एड. की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, भागलपुर द्वारा विद्या सागर की उपाधि से मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी.लिट.) और साहित्य मंडल श्री नाथ द्वारा समाज भूषण - पीएचडी (विद्यावाचस्पति) की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1999 से 2016 तक दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज में एक शिक्षिका और ब्लॉक प्रभारी के रूप में कार्य किया। वह रेडियो और दूरदर्शन पर विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतकर्ता भी थी। डॉ. सीमा सूरी सर्व सेवा संस्थान की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित एक संगठन है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कई पहलों का नेतृत्व किया है। इनमें बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों को गोद लेना, स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता अभियानों का आयोजन करना, मीडिया कार्यशालाओं का संचालन करना, मासिक स्वच्छता अभियान चलाना, वृक्षारोपण करना और वंचित बच्चों की सहायता के लिए बेटी बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम चलाना तथा लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना शामिल है। उनके योगदान को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वह वर्तमान में दिल्ली फिल्म सेंसर बोर्ड सलाहकार समिति की सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।



डॉ. वाणी आहलुवालिया
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(अगस्त 17, 2026 से)

डॉ. वाणी आहलुवालिया को 17 अगस्त, 2026 को कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रतिष्ठित चिकित्सा पेशेवर, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासक और सामाजिक क्षेत्र की नेता हैं। उन्होंने डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, अमरावती से एमबीबीएस, इग्नू से एचआईवी और परिवार शिक्षा (डीएएफई) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है, जो चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार और कानून सहित बहुआयामी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है। उन्होंने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से 'वैश्विक स्वास्थ्य में गैर-संचारी रोग (एनसीडी)' और 'भारत में स्वास्थ्य में नेतृत्व और प्रबंधन' के विशिष्ट पाठ्यक्रमों में भी दाखिला लिया है। 25 वर्षों से अधिक के पेशेवर अनुभव के साथ, वह वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य एड्स सोसायटी के अंतर्गत जबलपुर स्थित एनएससीबी मेडिकल कॉलेज के एआरटी प्लस सेंटर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और जबलपुर स्थित जे.के. अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। रणनीतिक निर्णय लेने, वित्तीय योजना और व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ, वे जे.के. सेलिब्रेशन और आहलुवालिया हॉस्पिटैलिटी एलएलपी की प्रबंध भागीदार भी हैं। डॉ. वाणी आहलुवालिया ने सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में कई नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया है, जिनमें एकल आरोग्य प्रकल्प की राष्ट्रीय सचिव (2020-2021), 2016 से आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सदस्य और 2021 से 2024 तक विश्व हिंदू परिषद (महाकौशल प्रांत) की न्यासी और उपाध्यक्ष शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन और कोविड-19 प्रतिक्रिया पहलों में योगदान दिया है और जी20 सम्मेलन में वक्ता के रूप में भी कार्य किया है। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, चिकित्सा प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन, कानूनी और नियामक मामले, संगठनात्मक शासन, रणनीतिक योजना, हितधारक जुड़ाव और सामुदायिक विकास शामिल हैं।

पुरस्कार और सम्मान

उत्कृष्टता के नए मानक, दूरदृष्टि से सफलता की ओर

भारत समुद्री सप्ताह 2025 में पोत निर्माण और पोत मरम्मत के लिए **समुद्री उत्कृष्टता पुरस्कार**।

भारत समुद्री सप्ताह 2025 में रचनात्मक दृश्य प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉल।

राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम) से नवोन्मेषी मानव संसाधन पद्धतियों के लिए पुरस्कार।

भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा **स्वच्छ भारत पखवाड़ा पुरस्कार** 2025।

प्रतिष्ठित **अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)** नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पुरस्कार।

केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से केरल सरकार के विद्युत विभाग द्वारा प्रदत्त।

कोच्चि टॉलिक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) द्वारा हिंदी गृह पत्रिका **'सागर रत्न' के लिए प्रथम पुरस्कार।**

संयुक्त हिंदी पखवाड़ा समारोह, 2025 में ऑवरऑल विजेता के लिए प्रथम रण्णर अप।

कोच्चि **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक)** द्वारा 200 से अधिक प्रशासनिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)

श्री राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)

श्री मुकेश मंगल आईटीएस
अपर सचिव पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार अंशकालिक सरकारी (नामिति) (जुलाई 17, 2026 से)

श्री वेंकटेशपति एस आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक (जुलाई 17, 2026 तक)

श्रीमती अनुपमा टी वी आईएएस
सचिव, परिवहन विभाग केरल सरकार अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक (जुलाई 17, 2026 से)

श्री पी बी नूह आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक (जुलाई 17, 2026 तक)

डॉ सीमा सूरी
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

डॉ वानी आहलूवालिया
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (अगस्त 17, 2026 से)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ सी पाण्डी सेल्वा दुरई, आईओएफएस

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

श्री श्यामकमल एन

नेतृत्व दल

श्री एल्दो जॉण
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

श्री षिराज वी पी
कार्यकारी निदेशक (पोत निर्माण)

श्री दीपू सुरेंद्रन
मुख्य महाप्रबंधक (सी-एसएएस, व्यापार विकास- पोत निर्माण व व्यापार विकास)

श्रीमती अंजना के आर
मुख्य महाप्रबंधक (डिज़ाइन व सामग्री)

श्री शिवकुमार ए
मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)

श्री शिबु जॉण
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

श्री सुनिल कुमार के आर
महाप्रबंधक (ईएसजी व एचएसई)

श्री जयन के तंपी
महाप्रबंधक (पोत निर्माण)

श्री सुबाष ए के
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)

श्री संतोष फिलिप
महाप्रबंधक (प्रशिक्षण, मेटी व एसडी)

श्री हरिकुमार के
महाप्रबंधक (कार्यनीति व नया पहल) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का कार्यकारी सहायक

श्री सी ए श्रीकुमार राजा
महाप्रबंधक (तकनीकी)

श्री ए वेट्रीसेल्वन
महाप्रबंधक (सामग्री)

श्री नागेश कृष्णमूर्ति
महाप्रबंधक (व्यापार विकास- पोत निर्माण)

श्री सनिल पीटर
महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)

श्री जतेश चंद्रा गोपीनाथ
महाप्रबंधक (बेसिक डिज़ाइन)

श्री सुरेष बाबु वी
महाप्रबंधक (आईएसी व डीपी)

श्री अनूप दास
महाप्रबंधक (योजना, आईक्यूसी व पीडी(एसएच40-45))

श्री बिनोज शंकर
महाप्रबंधक (डिज़ाइन)

श्री सुब्रमण्यन के के
महाप्रबंधक (कर्मचारी संबंध)

पंजीकृत कार्यालय

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची - 682 015 केरल, भारत

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ बडौदा
इन्डसइंड बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
यूको बैंक
फेडरल बैंक लिमिटेड
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स बाबु ए कलिवयलिल व क.
सनदी लेखाकार
मंचु कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल
पी टी उषा रोड, कोच्ची - 682 011

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एसईपी व असोसिएट्स
कंपनी सचिव
भवन सं. सीसी 31/1590
फेलिक्स रोड, तम्मनम
कोचीन - 682 032

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स. राजेन्द्रन मणि व वारियर
लागत लेखाकार
आलपाड बिल्डिंग,
आलपाड रोड, रविपुरम
कोच्ची- 682 016

डिबेंचर ट्रस्टी

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
चौथी मंज़िल, मिस्त्री भवन
122 दिनशा वच्चा रोड, चर्चगेट,
मुंबई- 400 020

रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
(पूर्व लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.)
सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्यू
सेंतिल नगर के पीछे, सौरीपालयम रोड,
कोयंबत्तूर - 641 028

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

1. आपके निदेशकों को कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में संतोष है।

वित्तीय निष्पादन

2. विविध प्रचालन खंडों और उत्पाद प्रोफाइल ने कंपनी को वर्ष 2024-25 में रु 4,527.84 करोड रुपए की तुलना में वर्ष केलिए 4,307.69 करोड रुपए का कारोबार हासिल करने में मदद की। कर पहले का लाभ पिछले वर्ष के 1,133.85 करोड रुपए की तुलना में इस वर्ष 886.40 करोड रुपए है। पिछले वर्ष के 842.91 करोड रुपए की तुलना में निवल लाभ 643.04 करोड रुपए है।

3. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹2,50,00,00,000 है, जो ₹5 अंकित मूल्यवाले 50,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,31,54,03,900 है, जो ₹5 अंकित मूल्यवाले 26,30,80,780 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ करोड में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	कुल आय	4,712.26	4,908.29
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यह्रास व कर पूर्व लाभ एवं आसाधारण मदें	1,080.39	1,253.94
(iii)	वित्तीय लागत	83.16	36.45
(iv)	मूल्यह्रास व बट्टा खाता	110.83	83.64
(v)	कर पूर्व लाभ	886.40	1,133.85
(vi)	कर व्यय	243.35	290.94
(vii)	निवल लाभ	643.04	842.91

लाभांश

4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग द्वारा जारी दिनांक 18 नवंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, हर सीपीएसएई कर पूर्व लाभ के 30% और निवल-मूल्य के 4% जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश अदा करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों प्रत्येक ₹ 5 के 26,30,80,780 पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों पर प्रति इक्विटि शेयर 1.50/- का अंतिम लाभांश देने केलिए सिफारिश करने में प्रसन्नता है। इससे पहले, वर्ष 2025-26 के दौरान शेयरधारकों को 4 रुपए और 3.50 रुपए के अंतरिम लाभांश, कुल मिलाकर 7.50 प्रति इक्विटी शेयर, का भुगतान किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2025-26 केलिए कुल लाभांश 9 प्रति इक्विटी शेयर (180%) है, तो 236.77 करोड है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, वर्ष 2017-18 के लिए बकाया/दावा न किए गए अंतिम लाभांश और संबंधित पात्र इक्विटी शेयरों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को हस्तांतरित किया जाना था। तदनुसार, वर्ष 2017-18 के अंतिम लाभांश से संबंधित 5,97,180 रुपए का दावा न किया गया लाभांश 09 अक्तूबर 2025 को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, 2,799 इक्विटी शेयरों के संबंध में, जिनके लिए लाभांश लगातार सात वर्षों तक दावा न किया गया था, उन्हें भी 10 अक्तूबर 2025 को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

लाभांश वितरण नीति

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 43 ए के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेगी। तदनुसार, लाभांश वितरण नीति को उन मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करने केलिए अपनाया गया है जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और / या व्यवसाय में लाभ को बनाए रखने के निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर उपलब्ध है।

आरक्षित निधि में अंतरण

6. आरक्षित निधि में अंतरित राशि का विवरण दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट 23 में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। दिनांक 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 5,761.29 करोड रुपए की राशि के आरक्षित निधि और अधिशेष हैं, जो कंपनी की अंतर्निहित वित्तीय ताकत को दर्शाता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 574 (ई) के माध्यम से अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी को अपने द्वारा जारी किए गए बांड के संबंध में ऋण पत्र प्रतिदान आरक्षित बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 31 मार्च 2026 तक, सीएसएल केलिए 8.72% कर मुक्त, प्रतिभूत, मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड बकाया है, जो मार्च 2029 में परिपक्व होंगे।

पोत निर्माण

7. कंपनी ने वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 2,651.39 करोड़ रुपए के पोत निर्माण आय प्राप्त की, जबकि वर्ष 2024-25 में यह आय 2,663.27 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान सीएसएल ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) को दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारान हल

जलयान, भारतीय नौसेना को दो एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी), एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी को एक मल्टी-पर्पज वेसल (एमपीवी) और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैट ामारान यात्री जलयान सफलतापूर्वक वितरित किए।

पोत निर्माण आदेश बही स्थिति

8. वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल को पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से 70 टन बोलार्ड पुल पावर के दो टग और 60 टन बोलार्ड पुल पावर के दो ग्रीन टग के निर्माण का आदेश मिला। सीएसएल ने स्विट्जर, डेनमार्क के लिए 26 मीटर के पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक 'ट्रांसवर्स' ('ट्रांसवर्स 2600ई') 70 टन बोलार्ड पुल टग के निर्माण का आदेश भी हासिल किया और सीएमए सीजीएम, फ्रांस से छह 1,700 टीईयू एलएनजी ईंधन वाले फीडर जलयानों के निर्माण का आदेश भी हासिल किया। 31 मार्च, 2026 को कंपनी की निष्पादित न होने वाली आदेश बही लगभग 18,900 करोड़ रुपए है, जिसमें 12 जलयानों के रक्षा आदेश बही के साथ लगभग 51 जलयानों का 12,150 करोड़ रुपए का आदेश शामिल है, 16 जलयानों के वाणिज्यिक (देशी) आदेश बही के साथ 725 करोड़ रुपए और 23 जलयानों के वाणिज्यिक (निर्यात) आदेश बही के साथ 6,025 करोड़ रुपए का आदेश शामिल है। 6,750 करोड़ रुपए की कुल वाणिज्यिक आदेश बही में से, लगभग 90% निर्यात आदेश है और लगभग 40% हरित जलयानों से बना है।

पोत मरम्मत

9. पिछले वर्ष के 1,864.57 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने कुल 1,656.30 करोड़ रुपए की पोत मरम्मत आय हासिल की। वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसएल कोच्चि मुख्य यार्ड में मरम्मत किए गए प्रमुख जलयानों में रक्षा जलयान, एससीआई के स्वर्ण-श्रृंखला टैंकर और एसपीएम बॉई-01 आदि शामिल हैं। सीएसएल ने अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क टर्नअराउंड समय को पूरा करते हुए निजी वाणिज्यिक जलयानों एमटी ऑर्किड्स और शांति सागर 17 की मरम्मत को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। एमआर और एमएलयू का रूपांतरण परियोजना और रक्षा जलयान का पुनः इंजनिंग पूरा होने के अंतिम चरण में है। सीएसएल ने डीसीआई ड्रेज VIII की मरम्मत को भी सफलतापूर्वक पूरा किया, जो कमीशनिंग के बाद नए ड्राई डॉक में निष्पादित पहली पोत मरम्मत परियोजना है। इसके अलावा, 17 वर्षों के अंतराल के बाद, सीएसएल ने ओएनजीसी के जूर सागर किरण के ड्राई डॉक की मरम्मत का अनुबंध हासिल किया, जो वर्तमान में नए ड्राई डॉक में मरम्मत के अधीन है।

10. कोचीन पत्तन प्राधिकरण से पट्टे पर ली गई 42 एकड़ भूमि पर विकसित अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) एक अत्याधुनिक सुविधा है जिसका उद्देश्य अधिकतम 130 मीटर लंबाई के जलयानों को संभालने के लिए भारत की पोत मरम्मत क्षमताओं को बढ़ाना है। 970 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस सुविधा में 6,000 टन क्षमता की पोत लिफ्ट और स्थानांतरण प्रणाली, छह कार्यस्थान और लगभग 1,400 मीटर बर्थिंग स्पेस शामिल हैं, जो एक साथ छह जलयानों की मरम्मत और 82 जलयानों तक की वार्षिक क्षमता को सक्षम करता है। 17 जनवरी, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई इस सुविधा को वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से चालू किया गया था। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आईएसआरएफ में लगभग 35 मरम्मत किए गए, जिसमें एलडीसीएल, भारतीय नौसेना, दुलान इंटरनेशनल, एनआईओटी और एफएसआई जैसे ग्राहकों के विभिन्न प्रकार के जलयानों को शामिल किया गया। दो आरई श्रेणी के रक्षा जलयानों की मध्यम रिफिट्स वर्तमान में उन्नत चरणों में हैं। आईएसआरएफ ने वित्त वर्ष 26 के लिए 207.33 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। इसके अलावा, समुद्री उद्योग की दस विश्व प्रसिद्ध कंपनियों ने पहले चरण में आईएसआरएफ में स्थित समुद्री पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए सीएसएल के साथ पहले से ही साझेदारी कर ली है और छह कंपनियों ने अपना प्रचालन शुरू कर दिया है।

11. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए सामान्य और लघु रिफिट सहित 12 जलयानों की ड्राई डॉक और फ्लोट मरम्मत के साथ-साथ वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए छोटी और बड़ी मरम्मत का कार्य किया। जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ उनके बेड़े की मरम्मत के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत चार जेएसडब्ल्यू बल्क कैरियर्स की रिफिट की गई। सीएमएसआरयू ने अपने प्रचालन के बाद से लगभग 137 जलयानों की मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और यूनिट ने वित्तीय वर्ष के दौरान 208.72 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया है। मुंबई में अपनी मरम्मत क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए जुलाई 2025 में मुंबई पत्तन द्वारा सीएमएसआरयू को एक अतिरिक्त बर्थ आईडी-9 आवंटित किया गया था।

12. अक्तूबर 2019 में नेताजी सुभाष डॉक, कोलकाता में प्रचालन शुरू करने के बाद से, सीकेएसआरयू ने सफलतापूर्वक 33 मरम्मत परियोजनाएं पूरी की हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, नौ मरम्मत किए गए, जिनमें भारतीय तटरक्षक बल, एसएमपीए, एससीआई, डीसीआई और जीआरएसई जलयानों के लिए प्रमुख ड्राई डॉक और मरम्मत कार्य शामिल थे। निष्पादित प्रमुख परियोजनाओं में एमवी स्वराज द्वीप, एमवी कालीघाट, आईसीजीएस समुद्र पहरेदार, यार्ड 3022 (पी17ए), डीवी रवींद्र और डीसीआई ड्रेज XXI शामिल हैं। जुलाई 2025 में समर्पित बर्थ 6 एनएसडी में प्रचालन शुरू हुआ। ड्राई डॉक 2 के पास विकास, मौजूदा सुविधाओं के नवीनीकरण और हाइड्रा क्रेन की खरीद सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के उन्नयन भी पूरे किए गए, जिससे सीकेएसआरयू की प्रचालन क्षमताओं को मजबूत किया गया। सीकेएसआरयू ने वित्त वर्ष 26 के लिए कुल 100.12 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया।

13. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कैसरू ने 11 ड्राई डॉक मरम्मत, 11 फ्लोट/नियमित मरम्मत, दो प्रमुख सीएसएम रूटीन और 1,437 आपातकालीन मरम्मत को पूरा करके 228.39 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया। यूनिट ने डीएसएस जलयान की मरम्मत के लिए टर्नअराउंड समय को कम करके, मरम्मत की गुणवत्ता में वृद्धि और पोत

की विश्वसनीयता में सुधार सुनिश्चित करते हुए सफल प्रचालन के पांच वर्ष भी पूरे किए, जिससे द्वीप की आबादी के लिए पोत की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ। फोरशोर सेक्टर में 4 जलयानों से 15 जलयानों और डीएसएस के लिए 11 अंतर्देशीय जलयानों तक। कैंसरू ने पिछले चार वर्षों में लगातार अपने कारोबार के लक्ष्यों को पूरा किया है, साथ ही प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से कौशल विकास में योगदान दिया है, अपने विक्रेता आधार का विस्तार किया है और एक विश्वसनीय मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है। समुद्री डॉकयार्ड आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तुत डीपीआर पर ए एंड एन प्रशासन से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

विस्तार परियोजनाएं

वाडिनार, गुजरात में पोत मरम्मत सुविधा

14. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीडब्ल्यूएस), भारत सरकार के तत्वावधान में सीएसएल, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) के साथ मिलकर 300 मीटर लंबाई तक के जलयानों की मरम्मत के लिए गुजरात के वाडीनार में 1,570 करोड़ रुपए के संयुक्त निवेश के साथ एक अत्याधुनिक पोत मरम्मत सुविधा विकसित कर रहा है। परियोजना को 650 मीटर जेट्टी, दो बड़े फ्लोटिंग ड्राई डॉक, वर्कशॉप और संबंधित समुद्री बुनियादी ढांचे के साथ एक ब्रउनफील्ड सुविधा के रूप में नियोजित किया गया है। डीपीए 650 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जेट्टी सहित सिविल बुनियादी ढांचे का विकास करेगा और सीएसएल लगभग 920 करोड़ रुपए की लागत से दो बड़े फ्लोटिंग डॉक सहित पोत मरम्मत बुनियादी ढांचे को लाएगा और सुविधा का संचालन करेगा। इस परियोजना को 05 मई, 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सीएसएल कार्यनीति एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

15. मौजूदा पोत निर्माण और पोत मरम्मत श्रेणी से परे नई राजस्व सृजन धाराओं को हासिल करने केलिए, कंपनी को कार्यनीतिक और समुद्री क्षेत्र में ज्ञान संचालित भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्यम करने में सक्षम बनाने हेतु सीएसएल कार्यनीति और उन्नत समाधान (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग का गठन किया गया। सी-एसएएस स्थायी और भविष्योन्मुख व्यापार मॉडल की पहचान और विकास में लगा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सी-एसएएस प्रभाग द्वारा की गई विभिन्न अभिनव पहलों को प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में अधिक विशेष रूप से शामिल किया गया है।

सहायक कंपनियां

i) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल)

हुगली-सीएसएल को शुरू में सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच दिनांक 23 अक्तूबर 2017 को एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद, हुगली-सीएसएल दिनांक 01 नवंबर, 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी ने नज़ीरगंज में एक नया अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा केंद्र स्थापित किया और 16 अगस्त 2022 को भारत सरकार के माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इस सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया गया । यह सुविधा हुगली नदी के तट पर 15.76 एकड क्षेत्र में 175.20 करोड रुपए की लागत से स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय और तटीय जलयानों केलिए भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख पोत निर्माण/मरम्मत यार्ड के रूप में खुद को स्थापित करना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हुगली-सीएसएल ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए अनुबंधित एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन यात्री पोत को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 में तैनात करने के लिए सफलतापूर्वक वितरित किया। 31 मार्च, 2026 तक हुगली-सीएसएल के पास लगभग 200 करोड रुपए की एक निष्पादित आदेश बही है।

हुगली-सीएसएल ने वित्त वर्ष 26 के लिए कुल आय 129 करोड़ रुपए दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष यह 62.40 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए 19.53 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष यह घाटा 17.38 करोड़ रुपए था।

ii) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल)

उडुपी-सीएसएल उडुपी में स्थित सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के जलयानों के निर्माण में लगी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, उडुपी-सीएसएल ने विल्सन एएसए, नॉर्वे को चार 3,800 टीडीडब्ल्यू कार्गो जलयान के साथ-साथ ओशन स्पार्कल लिमिटेड को दो 70टी बोलार्ड पुल टग्स दिए। 31 मार्च, 2026 तक उडुपी-सीएसएल के पास 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का अप्रवर्तित आदेश बही है।

वित्तीय स्थिति की बात करें तो, उडुपी-सीएसएल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय 630.21 करोड़ रुपए दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह 278.62 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रचालन से राजस्व बढ़कर 618.12 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 265.64 करोड़ रुपए था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 93.39 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में लाभ 2.63 करोड़ रुपए था।

कार्यनीतिक पहल

(i) समुद्री विद्युतीकरण प्रौद्योगिकी में निवेश – एचबीएल के साथ संयुक्त उद्यम

सीएसएल समुद्री क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण समाधान विकसित करने के उद्देश्य से देशी और वैश्विक दोनों बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड (एचबीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के उन्नत चरण में है। इस दिशा में 25 मार्च, 2026 को सीएसएल और एचबीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौता निष्पादित किया गया है और कंपनी अधिनियम,

2013 के तहत कंपनी का निगमन प्रगति पर है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसका नाम 'ग्रीन मैरिटाइम प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड' होगा, की प्रारंभिक शेयर पूंजी 9 करोड़ रुपए होगी, जिसमें सीएसएल 40% और एचबीएल शेष 60% का निवेश करेगा। संयुक्त उद्यम कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद, भारत में स्थित होगा।

(ii) एक विदेशी जलयान डिज़ाइन कंपनी – कोनोशिप इंटरनेशनल होल्डिंग बी वी, नेथरलैंड में हिस्सेदारी हासिल करना

सीएसएल उन्नत डिजाइन समाधानों के साथ यूरोपीय तटीय और लघु समुद्री नौवहन में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए कॉनोशिप इंटरनेशनल होल्डिंग बी.वी, नेथरलैंड में 23% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(iii) भारत पोत प्रौद्योगिकी केंद्र (आईएसटीसी)

मार्च 2026 में, सीएसएल भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीडब्ल्यूएस) के तत्वावधान में निगमित एक धारा 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी, इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर (आईएसटीसी) के बोर्ड प्रतिनिधित्व के साथ एक सब्सक्राइबर सदस्य बन गया। भारत मे पोत निर्माण और समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र मे अनुसंधान, विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए आईएसटीसी की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य पोत डिजाइन, नौसेना वास्तुकला और समुद्री प्रणालियों मे स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना और पोत प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए उन्नत सुविधाएं प्रदान करना है।

श्रमशक्ति की स्थिति

16. 31 मार्च, 2026 को कंपनी की जनशक्ति संख्या 4,013 थी, जिसमें 529 अधिकारी, 269 पर्यवेक्षक, 1,333 कामगार और 1,882 अनुबंध कर्मचारी (245 अधिकारी, एक पर्यवेक्षक और 1,636 कामगार) शामिल थे। इसके अलावा, 31 मार्च, 2026 को, कंपनी के पास 1,301 प्रशिक्षार्थी भी थे, जिनमें 644 शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत, 22 समुद्री और पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) से और 29 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के तहत थे।

17. वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल ने तीन अधिकारियों, 45 कार्यकारी प्रशिक्षार्थियों, दो पर्यवेक्षकों, 35 कामगारों, 664 अनुबंध कर्मचारियों (87 अधिकारी और 577 कामगार), 728 प्रशिक्षार्थियों सहित कुल 1,477 कर्मियों की भर्ती की, जिनमें से 665 शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत, 24 सीईएमएस से और 39 पीएमआईएस के तहत थे।

औद्योगिक संबंध

18. सीएसएल ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखना और बढावा देना जारी रखा। विशेष रूप से कंपनी को जिम्मेदार कारणों से श्रमिक अशांति के कारण काम के घंटे का कोई नुकसान नहीं हुआ था।

19. कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों ने भी वर्ष के दौरान कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा।

20. संयुक्त प्रबंधन मंच जैसे संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केंद्रीय सुरक्षा समिति, शॉप स्तर सुरक्षा समिति, अनुबंध कार्यकर्ता सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट आदि प्रभावी ढंग से कार्य करते रहे।

21. विभिन्न स्वैच्छिक योजनाओं जैसे कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार योजना, कर्मचारी शैक्षिक सहायता योजना आदि के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं भलाई का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

मानव संसाधन विकास

22. सीएसएल कर्मचारियों के विकास को सशक्त बनाने और उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन चलाने केलिए अत्यधिक महत्व देता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, सीएसएल ने निरंतर अध्ययन को अपनी सांस्कृतिक दक्षताओं में से एक के रूप में निर्धारित किया है और लगातार कार्यबल को उन्नत करने में लगा हुआ है।

23. उपरोक्त के अनुरूप, वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्यबल को कवर करते हुए कई शिक्षण और विकास गतिविधियां की गईं। कंपनी ने 'प्रज्वलित मन' नामक एक प्रशिक्षण योजना लागू की है, जिसके तहत कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न विषयों जैसे ईएसजी, जलवायु परिवर्तन और भविष्य के लिए तैयार संगठनों के निर्माण और आईएमबी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यनीति, प्रबंधकों के लिए एआई, उच्च प्रभाव नेतृत्व, परियोजना प्रबंधन, प्रभावी नेतृत्व के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन द्वारा आईआईएम लखनऊ, प्रचालन और संगठनात्मक उत्कृष्टता, जिम्मेदार एआई और उभरते ढांचे, गैर-वित्त अधिकारियों के लिए एमडीआई गुड़गांव द्वारा वित्त पर एमडीपी, जीतने की बढ़त: नेताओं के लिए संचार कार्यनीतियां, विलय, अधिग्रहण और पुनर्गठन, पारस्परिक प्रभावशीलता और टीम निर्माण, आईआईएम अहमदाबाद द्वारा कार्यनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन आदि जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया था।

जापान में एओटीएस प्रशिक्षण (एसोसिएशन फॉर ओवरसीज़ टेक्निकल कॉ-आपॅरेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप) प्रशिक्षण

24. नवंबर 2025 और फरवरी 2026 में क्रमशः 20 प्रतिभागियों के दो बैचों में आयोजित जापान में एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 40 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक बैच में एक कार्यकारी, दो पर्यवेक्षक और 17 कर्मचारी शामिल थे। कौशल विकास पहलों में अधिक लैंगिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के लिए, दोनों बैचों में महिला कर्मचारियों को शामिल किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा कोचिंग और जापान में शिपयार्ड सहित कारखाने के दौरे का संयोजन था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जापानी कार्य संस्कृति, कार्यस्थल प्रबंधन, सामाजिक व्यवहार, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित जापानी संस्कृति जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया और नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग, सुरक्षा प्रबंधन प्रथाओं, रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी

में कार्रवाई और 5 एस और कैजेन के माध्यम से उत्पादकता सुधार प्रथाओं की भावना प्राप्त करने के लिए एक पोत निर्माण कंपनी और अन्य प्रमुख उद्योगों के दौरे शामिल थे।

अन्य विदेशी प्रशिक्षण

25. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कोपेनहेगन, डेनमार्क (अगस्त 2025) में नवाचार प्रबंधन पर दो सप्ताह के डीएफसी पाठ्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा, एक कनिष्ठ कार्यकारी ने कोपेनहेगन, डेनमार्क (नवंबर 2025) में नौवहन में डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा दक्षता और नए हरित समाधानों पर डीएफसी पाठ्यक्रम में भाग लिया। दो अधिकारियों ने युमेशिमा द्वीप, ओसाका (अगस्त 2025) में जापान-सीआईआई सीखने के मिशन के लिए ओसाका एक्सपो में भाग लिया।

अनुकूलित आंतरिक प्रशिक्षण

26. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल ने अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए अनुकूलित इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन किया। इनमें प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से सामान्य प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम, टीम और संचार कौशल और वेल्डिंग पर योग्यता-आधारित आवासीय प्रशिक्षण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, सुरक्षा संवेदीकरण सत्र, प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षण, पोष अधिनियम, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली जागरूकता और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान सेवा शर्तों, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, खरीद, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), सार्वजनिक खरीद नीति और जीईएम पर कार्यक्रम शामिल थे। इसके अलावा, सीएसएल ने युवा अधिकारी क्षमता विकास कार्यक्रम (वाईओसीडीपी), पर्यवेक्षक क्षमता विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) और मेंटर्स और मेंटीज़ के लिए इन-हाउस मेंटरिंग सत्र आयोजित किए, जिससे संगठन की विशिष्ट क्षमता विकास आवश्यकताओं को संबोधित किया गया।

27. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल ने 306 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें इन-हाउस और प्रमुख संस्थानों में लगभग 8,706 मानव-दिवस शामिल थे, जिससे 6,758 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ हुआ। निरंतर सीखने और नेतृत्व विकास के महत्व पर जोर देते हुए, सीएसएल ने अपनी नेतृत्व वार्ता श्रृंखला, प्रज्योति और प्रज्ञान की शुरुआत की। इन सत्रों को विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिए गए छोटे वार्ता के माध्यम से कार्यबल को प्रेरित करने और शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कर्मचारियों के बच्चों केलिए शैक्षिक छात्रवृत्ति

28. वर्ष 2016 से शुरू की गई शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार का उद्देश्य सीएसएल के नियमित कर्मचारियों के बच्चों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवालों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना है। कक्षा 12वीं की अंतिम परीक्षा में बच्चों द्वारा प्राप्त सर्वोच्च अंकों के क्रम में अधिकतम 5 वर्षों केलिए प्रति वर्ष 25,000 रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2025-26 के दौरान, उक्त योजना के अंतर्गत सोलह पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

उत्कृष्टता की पहचान

29. सीएसएल ने सहायक महाप्रबंधकों के स्तर से नीचे के कर्मचारियों के बीच नवीन विचारों और प्रथाओं के पुरस्कार और मान्यता की परिकल्पना करते हुए कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार योजना शुरू की है। योजना के तहत सर्वोच्च सम्मान अध्यक्ष पुरस्कार है, जिसमें प्रशस्ति पत्र और 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।

30. वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 41 कर्मचारियों (आठ अधिकारियों, एक पर्यवेक्षक, 24 कामगारों और आठ अनुबंध कर्मियों) को अध्यक्ष की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया, जिसमें 2,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, एक कर्मचारी को अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 29 कर्मचारियों (दस अधिकारियों, पांच पर्यवेक्षकों, दस कामगारों और चार अनुबंध कर्मियों) को अध्यक्ष की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

31. कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने केलिए प्रोत्साहित किया गया। इसके एक भाग के रूप में, सीएसएल ने तनाव दूर करने, अच्छी स्वास्थ्य आदतों को बढावा देने और मानसिक/भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से योग को बढावा देने हेतु दिनांक 21 जून 2025 को सामान्य योग प्रोटोकॉल अभ्यास का आयोजन किया। इसके अलावा, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की भागीदारी केलिए कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध कराई गई।

समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (मेटी)

32. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, मेटी ने नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) द्वारा अनुमोदित एक वर्षीय कार्यक्रम के तहत 140 स्नातक समुद्री इंजीनियरिंग (जीएमई) कैडेटों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करके एक प्रमुख समुद्री प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखा, जबकि 160 जीएमई वर्तमान में 140 से 160 तक अपनी अनुमोदित प्रवेश क्षमता में वृद्धि के बाद प्रशिक्षण ले रहे हैं।

33. मेटी ने चेन्नई के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (एसवीसीई) के चार वर्षीय समुद्री इंजीनियरिंग कार्यक्रम के 18 छात्रों के लिए छह महीने के फ्लोट प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की। पांच एसवीसीई छात्र वर्तमान में पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

34. वर्ष 2025-26 के दौरान, मेटी ने बाहरी उम्मीदवारों के लिए एक दिवसीय/तीन दिवसीय बुनियादी अग्निशमन व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के 64 बैच (864 प्रशिक्षार्थी) आयोजित किए। मेटी ने मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट (एमएमडी), कोच्ची द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह 2025 में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके लिए इसे 05 अप्रैल, 2026 को एमएमडी, कोच्चि से प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेटी ने विश्व रक्तदाता दिवस भी मनाया और जीएमई के 51वें और 52वें बैचों के लिए आंतरिक संगोठी आयोजित किए।

35. मेटी ने 65 छात्रों के लिए तेल और रासायनिक टैंकर परिचित पाठ्यक्रम के तीन बैच और 21 छात्रों के लिए गैस टैंकर पाठ्यक्रम का एक बैच सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आयोजित किया। 27 फरवरी, 2026 को, मेटी ने 'उम्मीदवारों से मिलें और उनका अभिवादन करें 3.0' कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रतिष्ठित नौवहन कंपनियों से जीएमई-प्रायोजित सीटों के लिए इच्छुक विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के 44 छात्रों ने भाग लिया। कई नौवहन कंपनी के अधिकारियों ने मेटी का दौरा किया और छात्रों के साथ बातचीत की।

36. आईएमओ नियमों और भारत सरकार के अमृत काल विजन के अनुरूप, सीएसएल मेटी और बर्नहार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएम) ने बीएसएम नाविकों के लिए एक दिवसीय व्यावहारिक अग्निशमन और आईजीएफ (बुनियादी और उन्नत) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डीजीएस-अनुमोदित पाठ्यक्रम गैस या अन्य कम फ्लैश बिंदु वाले ईंधन का उपयोग करने वाले पोतों के लिए सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोड को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सीएसएल ने इस कार्यक्रम के तहत 31 बैचों में 302 नाविकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।

37. सीएसएल और मेर्सक ए/एस, डेनमार्क ने विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के समुद्री भारत विजन (एमआईवी) 2030 और समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 के अनुरूप विश्व स्तरीय क्षमताओं के निर्माण के लिए वैश्विक मानकों पर ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जो एक साथ भारत को एक प्रमुख वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में देखते हैं। इसके अलावा, सीएसएल और मेर्सक ने मेटी के दस जीएमई प्रशिक्षुओं को प्रायोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, उन्होंने आठ जीएमई प्रशिक्षुओं को प्रायोजित किया है। इसके अलावा, सीएसएल मेटी ने मेर्सक के नाविकों के लिए कौशल-संवर्धन कार्यक्रम विकसित किए हैं, जैसे कि 'पांच दिवसीय फिटर संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम' और 'पांच दिवसीय वेल्डर ब्रिजिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम'। अब तक सीएसएल ने मेर्सक के 133 नाविकों के 11 बैचों के लिए उपर्युक्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है।

38. इसके अलावा, मेटी को वर्ष 2025 के लिए नौवहन महानिदेशालय की ओर से सीआईपी लेखापरीक्षा में एलआर क्लास द्वारा ए1 ग्रेड (उत्कृष्ट ग्रेड) प्राप्त हुआ। मेटी को लगातार तीन वर्षों तक ए1 उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त हुआ है।

प्रशिक्षण संस्थान

39. प्रशिक्षण संस्थान ने अपनी प्रशिक्षुता कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार क्षमता, संचार कौशल, कठिन परिस्थितियों के लिए सॉफ्ट स्किल और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम और साइबर सुरक्षा पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, प्रशिक्षण संस्थान ने सीएसएल कर्मचारियों, अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों, प्रशिक्षुओं और ठेकेदारों के कर्मचारियों सहित 76 एमईडब्ल्यूपी (मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म) ऑपरेटरों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अलावा, सीएसएल प्रशिक्षण संस्थान ने देश भर के विभिन्न कॉलेजों के कुल 1,542 डिग्री और प्रबंधन छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की। वर्ष के दौरान 2025-26, सीएसएल ने 704 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया, जिसमें 665 शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत और 39 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के तहत थे। इसके अलावा, सीएसएल प्रशिक्षण संस्थान ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत दो साल के रिगर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दो बैच शुरू किए हैं।

40. असाप केरल सहयोगः भारत सरकार के बढते समुद्री उद्योग केलिए श्रमशक्ति के कौशल, पुनर्कौशल और उन्नयन के कार्यक्रम के अनुसार, सीएसएल और केरल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आनेवाली धारा 8 कंपनी, अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम, केरल ने आईटीआई प्रमाणित युवाओं को पोत निर्माण, पोत मरम्मत और समुद्री इंजीनियरिंग में बहु-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने केलिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार, असाप दो महीने का सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। सीएसएल तीन महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण और नौ महीने का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। सीएसएल प्रशिक्षण के बाद एक वर्षीय अनुबंध रोज़गार प्रदान करता है। सीएसएल और असाप द्वारा एक संयुक्त प्रमाणन प्रदान किया जाता है।

41. सीएसएल ने मरीन स्ट्रक्चरल फिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम विकसित किया है, जो एक बहु-कौशल पहल है और फरवरी 2022 में शुरू हुई । लगभग 92 उम्मीदवारों ने कार्यक्रम पूरा कर लिया है, जबकि 93 उम्मीदवार वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस)

42. सीएसएल एक कुशल और सक्षम कार्यबल के निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करके भविष्य के पेशेवरों को पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के हिस्से के रूप में, सीएसएल ने 39 इंटर्न को अकादमिक शिक्षा और पेशेवर अभ्यास के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया है, जिससे युवाओं के बीच कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा मिला है।

सीएसएल अकादमिक सहयोग नीति

43. सीएसएल ने सीएसएल एकेडेमिया सहयोग नीति (कॉलब) की शुरुआत के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया है। यह नीति सीएसएल और व्यापक समुद्री क्षेत्र के भीतर कौशल विकास, प्रक्रिया वृद्धि और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने

के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों के साथ कार्यनीतिक साझेदारी के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करती है। इस योजना के तहत, वर्तमान में 17 छात्र परियोजनाएं कर रहे हैं, दो छात्र इंटर्नशिप में लगे हुए हैं और चार संकाय सदस्य सीएसएल में व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं।

कर्मचारी कल्याण उपाय

44. बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) – कैलेंडर वर्ष 2025 से, वे कर्मचारी (कार्यपालक, पर्यवेक्षक या कर्मचारी) जिनकी सीएसएल में दो वर्ष की नियमित सेवा हो, वे दो वर्ष (अर्थात् 730 दिन) तक के बाल देखभाल अवकाश केलिए पात्र होंगे। आश्रित दिव्यांग बच्चों (40% या अधिक दिव्यांगता) वाली सभी महिला कर्मचारी बिना किसी आयु प्रतिबंध के सीसीएल केलिए पात्र हैं। नाबालिंग आश्रित बच्चों (18 वर्ष तक) वाले सभी एकलन अभिभावक (पुरुष या महिला) भी पूरी सेवा के दौरान परीक्षा या बीमारी जैसे उद्देश्यों केलिए सीसीएल केलिए पात्र हैं।

45. कर्मचारी कल्याण क्राउंड फंडिंग योजना - सीएसएल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके शोक संतप्त परिवार को सहायता प्रदान करने केलिए कर्मचारी कल्याण क्राउड फंडिंग योजना कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी परिवार परिरक्षक योजना शुरू की है। यह योजना इस प्रकार संचालित होती है कि नियमित कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कंपनी के रोल पर प्रत्येक कर्मचारी से 600/- रुपए की राशि एकत्र की जाएगी । इस योजना के अनुसार, कंपनी प्रत्येक प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 15,00,000/- रुपए की सीमा के अधीन, कर्मचारी क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्रित निधि के 1.5 गुना की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से आश्रितों को प्रदान किया जानेवाला अधिकतम लाभ 25 लाख रुपए होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, योजना के प्रावधानों के अनुसार एक मृत कर्मचारी के आश्रितों को 25 लाख रुपए की राशि वितरित की गई थी।

46. कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी पारस्परिक एवं सार्वजनिक कल्याण ट्रस्ट के तहत राहत में वृद्धि - सीएसएल ने किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट के सदस्यों के आश्रितों केलिए वित्तीय मृत्यु राहत को बढाकर 8,00,000 रुपए और अंतिम संस्कार व्यय को 25,000 रुपए कर दिया है।

47. दिव्यांग बच्चों की देखभाल केलिए कल्याण सहायता और विशेष आकस्मिक अवकाश - सीएसएल उन सभी स्थायी कर्मचारियों को 4,500/- रुपए की मासिक कल्याण सहायता प्रदान कर रहा है, जिनके पास दिव्यांग बच्चे हैं। उन्हें आपातकालीन स्थितियों में बच्चे की देखभाल केलिए समय भी दिया जाता है, जो एक कैंलेंडर वर्ष में अधिकतम 5 विशेष आकस्मिक छुट्टी तक सीमित है।

48. संशोधित सीएसएल चिकित्सा सहायता योजना - सीएसएल ने सीएसएल कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार केलिए एर्णाकुलम जिले में 34 अस्पतालों (सुपर-स्पेशियलिटी/मल्टी-स्पेशियलिटी/स्पेशलिटी और अन्य-स्पेशलिटी अस्पतालों) को सूचीबद्ध करके कर्मचारियों केलिए चिकित्सा सहायता योजना को संशोधित किया है। इन 34 सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राप्त इनपेशेंट/डे केयर उपचार केलिए खर्च सीएसएल द्वारा सीधे अस्पताल को दिया जाएगा। एर्णाकुलम जिले के बाहर के अस्पतालों के मामले में, स्वीकार्य उपचार व्यय कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

49. सीएसएल रडुर - कार्रवाई योग्य अंतदृष्टि, सूचित निर्णयः नई डिजिटल परिवर्तन पहल के एक भाग के रूप में, एक नया मोबाइल एप्लिकेशन विकसित और लॉन्च किया गया है। यह एप्लिकेशन सीएसएल उपयोगकर्ताओं को कई नई सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस एप्लिकेशन का उपयोग आंतरिक उपयोगकर्ताओं दोनों द्वारा किया जा सकता है जैसे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों सहित सभी स्थायी कर्मचारी और बाहरी उपयोगकर्ता जैसे आपूर्तिकर्ता, उप ठेकेदार, सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि। कर्मचारी प्रोफाइल, उपस्थिति विवरण, वेतन पर्ची, छुट्टी का विवरण, चिकित्सा दावों की स्थिति, आश्रितों की जानकारी, ऋण विवरण, पीएफ डेटा, रिपोर्टिंग समय कैप्चर करना आदि कुछ विशेषताएं हैं जो रडुर में शामिल हैं।

50. सभी स्थायी कर्मचारियों केलिए बांझपन उपचार केलिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने केलिए वर्ष 2020 में बांझपन उपचार योजना शुरू की गई थी। प्रति चक्र 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र) से अधिक की राशि या वास्तविक लागत जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति केलिए अनुमत है और पूर्व अनुमोदन के साथ अधिकतम तीन नए चक्रों तक इसकी अनुमति दी जाएगी। बांझपन उपचार के हिस्से के रूप में प्रक्रियाओं से गुज़रने हेतु, एक कर्मचारी की सेवा के दौरान एक वर्ष में अधिकतम 10 दिनों केलिए और अधिकतम 20 दिनों केलिए विशेष अवकाश दिया जा रहा है। मार्च 2026 तक कुल 31 कर्मचारियों को इस योजना के तहत लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी।

51. सभी स्थायी कर्मचारियों केलिए अंशदायी पेंशन योजना की सुविधा केलिए सीएसएल में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी। अप्रैल 2021 से नियोक्ता अंशदान के रूप में सीएसएल कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में वेतन (बेसिक + डीए) का 10% योगदान दे रहा है। यह योजना कर्मचारियों को आकर्षक आयकर लाभ प्रदान करती है और सेवानिवृत्ति के बाद परेशानी मुक्त जीवन भी सुनिश्चित करती है।

52. सीएसएल ने वर्ष 2019 में कंपनी के पुरुष कर्मचारियों केलिए पितृत्व अवकाश की शुरुआत की, जिसमें एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने का अवकाश शामिल है।

53. सीएसएल एक लोगों को सर्वोपरि रखनेवाला और लोगों की देखभाल करनेवाला संगठन है, जिसने कैंसर के उपचार, अंग विफलता और अंग प्रत्यारोपण जैसी दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों के कारण छुट्टी लेनेवाले कर्मचारियों की सहायता करने की आवश्यकता महसूस की। कैलेंडर वर्ष 2023 से, सभी नियमित कर्मचारियों को कैंसर के उपचार जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी या अंग विफलता या अंगदान केलिए सेवा अवधि के दौरान 180 दिनों की विशेष छुट्टी मंजूर की गई है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां कर्मचारियों के आश्रित समान स्थिति में हैं और कर्मचारियों को उनकी देखभाल केलिए छुट्टी लेनी पडती है। बीमार परिवार के सदस्यों की सहायता

केलिए, कर्मचारी अपने आश्रितों की कीमोथेरेपी, अंग प्रत्यारोपण केलिए आवश्यक दिनों केलिए भी विशेष छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं।

54. यह भी देखा गया है कि सीएसएल के कई कर्मचारी ज़रूरतमंदों को रक्तदान कर रहे हैं जो एक नेक कार्य है और जीवन रक्षक है। सभी नियमित कर्मचारियों को रक्तदान केलिए एक दिन की विशेष छुट्टी लेने की भी अनुमति है, जो साल में अधिकतम तीन बार हो सकती है।

55. इसके अतिरिक्त, कंपनी की कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी पहलों के अंतर्गत, सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सभी नियमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया।

विचारोत्तेजक विचारों को प्रोत्साहित करना

56. "नेतृत्व संवृद्धि योजना"–नेतृत्व गतिवृद्धि कार्यक्रम वर्ष 2016 में शुरू किया गया था ताकि भारत और विदेश दोनों के प्रमुख संस्थानों में उच्च अध्ययन करने केलिए ग्रेड ई 1 से ई 4 में अधिकारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके । इस योजना के तहत मुख्य लाभ न केवल दो साल केलिए अध्ययन अवकाश का अनुदान है, उनके वापस आने और ड्यूटी केलिए शामिल होने के बाद ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति, किश्तों में अदा किया जाएगा। लीप योजना के तहत सालाना आधार पर अधिकतम तीन आवेदकों पर विचार किया जाता है।

57. वर्ष 2016 में वरिष्ठ कार्यकारी द्वारा व्यक्तिगत विशेष ध्यान सुनिश्चित करने केलिए मेंटर-मेंटी योजना शुरू की गई थी। यह सहयोग कनिष्ठ अधिकारियों, जो नए हैं, को जुडाव, अपनेपन की भावना देता है और संगठन में अंतर और अंतर-व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार देता है, जिससे बेहतर प्रतिधारण होता है।

व्यावसायिक आकलन

58. एक विस्तृत योग्यता मानचित्रण कार्य के माध्यम से, सीएसएल केलिए चार सांस्कृतिक दक्षताओं अर्थात् टीमिंग, निष्पादन उत्कृष्टता, बाधा तोडने और निरंतर सीखने की पहचान की गई है। इन सांस्कृतिक दक्षताओं को सभी मानव संसाधन उप प्रणालियों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रबंधन, कैरियर विकास आदि में शामिल किया गया है।

आरक्षणों पर राष्ट्रपति के निदेशों को लागू करने केलिए सकारात्मक कार्रवाई पर स्थिति

59. कोचीन शिपयार्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग /आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों केलिए आरक्षण पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और राष्ट्रपति के मार्गनिर्देशों को सख्ती से पालन किया गया है। कंपनी ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी केलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों केलिए एक संपर्क अधिकारी और अन्य पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों केलिए एक अलग संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया है। आरक्षण प्रतिशत को भारत सरकार द्वारा निर्धारितानुसार पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व

60. दिनांक 31 मार्च 2026 को पदों के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल श्रमशक्ति	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	आ.क.व.	पीडब्ल्यूबीडी	अल्पसंख्यक
वर्ग क	384	49	20	116	1	8	108
वर्ग ख	188	20	8	88	2	1	45
वर्ग ग	1,180	155	15	632	1	28	287
वर्ग घ	379	47	5	267	1	11	91
कुल	**2,131**	**271**	**48**	**1,103**	**5**	**48**	**531**

महिलाओं की सुरक्षा केलिए प्रावधान

61. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) और उसके तहत तैयार किए गए नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है, जिसमें आंतरिक शिकायत समितियों का गठन भी शामिल है, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ महिला अधिकारियों द्वारा की जाती है। कंपनी ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें पूरे संगठन में संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

62. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पॉश अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की दर्ज की गई शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

i.	31 मार्च, 2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या	1
ii.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2
iii.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	1
iv.	31 मार्च 2026 को लंबित शिकायतों की संख्या	2
v.	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	2

63. सीएसएल के पास महिला सशक्तिकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने और कंपनी की महिला कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार कल्याणकारी उपायों को तैयार करने और लागू करने के लिए विशेष रूप से एक महिला कल्याण अधिकारी है। सीएसएल ने मार्च 2026 में समावेशी कार्यक्रमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसने सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

64. इसके अलावा, कंपनी पात्र महिला कर्मचारियों को सभी निर्धारित मातृत्व लाभ प्रदान करती है और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

65. कोचीन शिपयार्ड ने आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को बनाए रखा। आगामी वर्षों में सीएसएल की सभी सहायक इकाइयों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है

सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस)

66. कोचीन शिपयार्ड ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार केलिए आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा, साइबर-लचीलापन को बढावा देने और प्रचालन उत्कृष्टता को बढावा देने केलिए सीएसएल के समर्पण को रेखांकित करती है। सीएसएल, पोत निर्माण क्षेत्र में आईएसएमएस लागू करनेवाली पहली कंपनी है, जिसने उद्योग में सूचना सुरक्षा केलिए एक नया मानक स्थापित किया है।

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस)

67. मार्च 2026 में, कोचीन शिपयार्ड को इसके ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) के लिए आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन प्रदान किया गया था। यह प्रमाणन ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण, ऊर्जा खपत की निरंतर निगरानी और अनुकूलन के माध्यम से ऊर्जा प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सीएसएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे सतत और कुशल संचालन का समर्थन किया जाता है।

सुविधा उन्नयन एवं पूंजी व्यय

68. वर्ष 2025-25 के दौरान हुए कुल पूंजी व्यय 318.07 करोड रुपए की राशि थी। यह, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण और विस्तार, नई सूखी गोदी, आईएसआरएफ, सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू, सीएएनएसआरयू, सहायक कंपनियों आदि केलिए आधारिक संरचना आदि से संबंधित है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

69. राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों केलिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है कि कंपनी के 80% अनुसचिवीय कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान/दक्षता प्राप्त कर ली है।

70. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, सीएसएल ने एर्णाकुलम जिले के कॉलेजों के लिए एक भव्य 'राष्ट्रीय गीत - वंदे मातरम' प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कुल 14 कॉलेजों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों ने वंदे मातरम के बेहद भावुक और मधुर गायन प्रस्तुत किए, जिससे श्रोताओं पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। प्रथम पुरस्कार सेक्रेड हार्ट कॉलेज, तेवरा को, द्वितीय पुरस्कार मुथूट इंसीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पुत्तनकुरिश को और तृतीय पुरस्कार सेंट जेवियर कॉलेज फॉर वुमेन, अलुवा को दिया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विजेता टीमों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

71. 24 मार्च, 2026 को, सीएसएल के सहयोग से निर्मला कॉलेज, मुवाट्टुपुझा में हिंदी विभाग के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों और शोध छात्रों के लिए एक कैरियर विकास संगोष्ठी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को विभिन्न कैरियर अवसरों से परिचित कराना और उनके पेशेवर कौशल को मजबूत करना था। कॉलेज परिसर में आयोजित इस संगोष्ठी में हिंदी विभाग के कुल 55 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान करना और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना था ताकि छात्र भविष्य में बेहतर करियर के अवसरों का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. मधुशील आयिल्यत्त, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची थे। इस सत्र के माध्यम से, छात्रों ने कैरियर विकल्पों, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में महत्वपूर्ण और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की।

72. दिनांक 09 मई, 2025 को, सीएसएल कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक हिंदी शिल्पशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ावा देना और उनके भाषाई कौशल को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में कुल 55 बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कैनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रशांत जी. पाई ने हिंदी के आकर्षक पाठ और मनोरंजक गतिविधियों के साथ सत्र का नेतृत्व किया। इस अवसर पर, बच्चों के लिए हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रश्नोत्तरी, हिंदी फिल्म गीत गतिविधियां और चित्रकला प्रतियोगिताएं शामिल थीं, जिससे प्रतिभागियों को अपनी भाषा कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन करने के लिए एक आनंददायक और इंटरैक्टिव मंच प्रदान किया गया।

73. हिन्दी पखवाडा समारोह 14 से 28 सितंबर, 2025 तक सीएसएल और इसकी इकाइयों (सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू और सीएएनएसआरयू) में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया था। सीएसएल के कर्मचारियों के लिए हिंदी सुलेख, श्रुतलेखन, कविता पाठ, कविता लेखन, समाचार पठन, प्रशासनिक शब्दावली, प्रश्नोत्तरी, फिल्म गीत, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, स्लोगन और पोस्टर, अंताक्षरी और अनुवाद आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता में 70 से अधिक कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मानव संसाधन एवं अध्ययन विकास विभाग ने हिंदी पखवाड़े समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित प्रतियोगिताओं में उच्चतम अंक प्राप्त करके समग्र चैम्पियनशिप रोलिंग ट्रॉफी जीती और चिकित्सा केंद्र को कार्यालयीन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।

74. हिंदी पखवाडा समारोह 2025 के हिस्से के रूप में और हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ छात्रों के बीच भाषा आधारित वाक्पटुता और आलोचनात्मक सोच कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सीएसएल ने कोच्ची नगर निगम के तहत स्कूलों के हाई स्कूल के छात्रों (कक्षा 8, 9 और 10) के लिए एक हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में कुल 12 विद्यालयों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बहस का विषय था 'युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव'। प्रतियोगिता में, नेवी चिल्ड्रन्स स्कूल, कोच्ची ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, चिनमाया विद्यालय, वडुतला ने दूसरा पुरस्कार जीता, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया, और ग्रीट्स पब्लिक स्कूल, कलूर ने चौथा स्थान प्राप्त किया।

75. अमृता विश्व विद्यापीठम, कोच्ची कैंपस ने सीएसएल द्वारा प्रायोजित एर्णाकुलम जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों के लिए हिंदी प्रतियोगिता (कविता पाठ, भाषण और निबंध लेखन सहित) का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना, उनकी रचनात्मक और भाषाई प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और राजभाषा हिंदी के प्रचार को मजबूत करना था। सीएसएल के समर्थन से, यह कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली और सुव्यवस्थित हो गया, जिससे युवा पीढ़ी के बीच हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला।

76. श्री हरिकृष्णन जी, प्रबंधक (कर्मचारी संबंध विभाग) ने 16 जनवरी, 2026 को तिरुवनंतपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित हिंदी लघु कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रशस्ति पुरस्कार जीतकर सीएसएल को गौरव दिलाया। प्रतियोगिता में पूरे दक्षिण भारत से कुल 87 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिससे यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय हो गई।

77. छात्रों के बीच हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सीएसएल ने दो सीएसआर-समर्थित स्कूलों, अर्थात् सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पेषक्कापिल्ली और सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चात्तमट्टम को हिंदी पुस्तकें वितरित कीं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों की हिंदी में दक्षता बढ़ाना और पढ़ने की अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

78. हिंदी गृह पत्रिका का 18वां अंक सितंबर 2025 में सीएसएल में हिन्दी पखवाड़े समारोह के दौरान जारी किया गया था। पत्रिका की पहली प्रति तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मधु शंकुण्णी नायर द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक डॉ. सीमा सूरी को भेंट की गई। हिंदी गृह पत्रिका का 19वां अंक 12 मार्च, 2026 को श्री जोस वी जे, निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर पत्रिका की पहली प्रति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से निदेशक (प्रचालन) डॉ. हरिकृष्णन एस द्वारा प्राप्त की गई।

79. महाराजास कॉलेज, एर्णाकुलम के चार छात्रों, कोच्ची के कुसाट के दो छात्रों और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, एर्णाकुलम के छह छात्रों ने अप्रैल-मार्च 2026 के दौरान हिंदी में इंटर्नशिप कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्हें राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम, पत्राचार, टिप्पण व आलेखन, कंप्यूटर टाइपिंग और रिकॉर्ड/फाइल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने का एक मूल्यवान अवसर दिया गया।

80. वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाएँ और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, हिंदी शिक्षण योजना के तहत जुलाई 2025 के महीने में हिंदी प्राज्ञ पाठ्यक्रम (जुलाई-नवंबर 2025) में सेवाकालीन प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह पाठ्यक्रम पांच महीने की अवधि में आयोजित किया गया था। पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 16 नवंबर, 2025 को आयोजित परीक्षा में कुल 20 कर्मचारी उपस्थित हुए। सभी कर्मचारियों ने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली।

81. संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच राजभाषा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक स्तर के अधिकारियों के लिए 03 दिसंबर, 2025 को एक राजभाषा प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मधुशील आयिल्यत्त, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची द्वारा किया गया। उन्होंने राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा पर संसदीय समिति से संबंधित रिपोर्ट, यूनिकोड और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विस्तार से बताया। राजभाषा के कार्यान्वयन में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों से

संबंधित प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कुल 33 अधिकारियों ने कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित खुलासे

82. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

83. विवरण **अनुलग्नक।** में दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन

84. सीएसएल ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक संरचित और निर्धारित प्रक्रिया स्थापित करना है।

85. नीति के अनुसार, सीएसएल बोर्ड जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समग्र देखरेख करता है। बोर्ड समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमुख जोखिमों की ठीक से पहचान की जा रही है और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों से युक्त सीएसएल प्रबंधन को सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, सीएसएल ने संगठन में जोखिम प्रबंधन नीति को लागू करने के लिए कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियों और एक बोर्ड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है। ये समितियां नियमित रूप से जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और नीति की समीक्षा करती हैं ताकि उनकी निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

86. सीएसएल का विविध उत्पाद मिश्रण, जिसमें रक्षा और वाणिज्यिक जहाज निर्माण, साथ ही जहाज की मरम्मत शामिल है, कंपनी को बाजार के जोखिमों के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव प्रदान करता है। यह विविधीकरण किसी विशेष बाजार खंड में उतार-चढ़ाव के प्रति कंपनी के जोखिम को कम करने में मदद करता है, जिससे व्यवसाय की समग्र लचीलापन बढ़ती है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

87. सीएसएल स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है, कर्मचारियों, ग्राहकों और सभी हितधारकों की सुरक्षा और भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सीएसएल का दृष्टिकोण एक सक्रिय एचएसई संस्कृति द्वारा संचालित है, जो एक मजबूत प्रबंधन प्रणाली द्वारा समर्थित है जो व्यवस्थित रूप से संभावित जोखिमों की पहचान, आकलन और शमन करती है। सीएसएल का दृढ़ विश्वास है कि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखना सतत संचालन और संगठन की समग्र सफलता के लिए मौलिक है।

88. वर्ष 2025 के लिए सीएसएल का समग्र एचएसई सूचकांक स्कोर 79.36 था, जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रदर्शन में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। एचएसई शासन को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप मापने योग्य सुधार हुए हैं, जो घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने में संरचित और सक्रिय जोखिम कम करने की कार्यनीतियों की प्रभावशीलता को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया पर सक्रिय हस्तक्षेप पर यह जोर स्पष्ट रूप से समग्र और विभागीय एचएसई स्कोर दोनों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में काम करते हैं। ये मेट्रिक्स संगठन के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को एम्बेड करने और लगातार एचएसई उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सीएसएल की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

89. एचएसई स्टार रेटिंग सिस्टम ने कैलेंडर वर्ष के आकलन के आधार पर यार्ड के भीतर 20 या अधिक कर्मियों को तैनात करने वाले उपठेकेदारों के वार्षिक एचएसई प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में काम करना जारी रखा। यह प्रणाली सीएसएल को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शन की निगरानी करने और अपने हितधारकों के बीच एचएसई मानकों में निरंतर सुधार को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। प्रदत्त रेटिंग तीन-सितारा से लेकर पांच-सितारा स्तर तक होती है, जो सख्त एचएसई आवश्यकताओं के अनुपालन को दर्शाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कुल 31 उपठेकेदारों को सीएसएल एचएसई स्टार रेटिंग के साथ मान्यता दी गई।

90. निरंतर पुनश्चर्या प्रशिक्षण पहल के भाग के रूप में, सीएसएल कर्मचारियों और उप-ठेकेदार श्रमिकों के लिए एक व्यापक पुनश्चर्या कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया है। संरचित सुरक्षा प्रशिक्षण के 15,623.25 से अधिक मानव-घंटे पूरे किए गए हैं, जिससे संगठन के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण सुरक्षा दक्षताओं, खतरे के बारे में जागरूकता और स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन को सुदृढ़ किया गया है। ये सत्र न केवल मूल सुरक्षा सिद्धांतों को फिर से देखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बल्कि हाल की घटनाओं, लेखापरीक्षा और विकसित हो रही उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख को एकीकृत करने के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे सीएसएल के भीतर समग्र सुरक्षा संस्कृति को मजबूत किया जा सके।

91. इसके अलावा, सीएसएल ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा जुड़ाव कार्यक्रम प्रदान करने के लिए कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अग्नि और सुरक्षा विभाग के साथ सहयोग स्थापित किया है।

औद्योगिक सुरक्षा

92. सीएसएल राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है और इसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा विशेष सुरक्षा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इस प्रतिष्ठान की सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान कंपनी की समग्र सुरक्षा बिना किसी गंभीर सुरक्षा चिंता के सुदृढ

बनी रही। प्रतिष्ठान की प्राथमिक सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की इकाई को सौंपा गया है, जिसकी कमान उप कमांडेंट, सीआईएसएफ के अधीन है। सीएसएल ने क्यूआरटी टीम के अलावा सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मियों के साथ चौबीसों घंटे जल क्षेत्र गश्त की व्यवस्था की है। सीएसएल ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों सहित संपूर्ण परिधि को शामिल करते हुए एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली (सीसीटीवी) स्थापित की है। कंपनी में शुरू की गई और स्थापित सभी सुरक्षा प्रणालियां और उपाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। किसी भी सुरक्षा खतरे, सुरक्षा उल्लंघन, संकट या आपदा का मुकाबला करने के लिए सीआईएसएफ की तत्परता का आकलन करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, राज्य पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग, बम निरोधक दस्ते और नौसेना के समन्वय में समय-समय पर मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

93. सीएसएल ने मौजूदा बलों को सहायता प्रदान करने केलिए डीजीआर प्रायोजिक पूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसी को भी नियुक्त किया है, जो मुख्य रूप से सीएसएल की बाहरी संपत्तियों और आंतरिक विशिष्ट स्थानों की देखभाल करती है।

94. सीएसएल को अक्तूबर 2023 में यूआईडीएआई द्वारा सी-डैक, मुंबई के तहत सब-एयूए का दर्जा दिया गया था। तदनुसार, कंपनी प्रवेश पास जारी करने से पहले व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार अधिनियम के तहत आधार आधारित सत्यापन करती है। यह प्रक्रिया प्रतिरूपण को रोकने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करके पहुंच नियंत्रण को मजबूत करती है कि केवल सत्यापित व्यक्तियों को ही सीएसएल में प्रवेश दिया जाता है।

पुरस्कार और मान्यताएं

95. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसएल को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :

(i) भारत समुद्री सप्ताह 2025 में पोत निर्माण और पोत मरम्मत के लिए समुद्री उत्कृष्टता पुरस्कार;

(ii) भारत समुद्री सप्ताह 2025 में सृजनात्मक दृश्य प्रस्तुतीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टाल;

(iii) राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम) से अभिनव मानव संसाधन प्रथाएं पुरस्कार;

(iv) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पखवाड़ा पुरस्कार 2025;

(v) प्रतिष्ठित अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम में वर्ष का उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार;

(vi) केरल सरकार के ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण विभाग से केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025;

(vii) 200 से अधिक प्रशासनिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार;

(viii) कोच्ची नराकास (पीएसयू) से हिंदी गृह पत्रिका 'सागर रत्न' के लिए प्रथम पुरस्कार; और

(ix) संयुक्त हिंदी पखवाडा समारोह, 2025 के लिए समग्र चैंपियन के लिए प्रथम उपविजेता।

निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

96. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड में 7 निदेशक शामिल थे, जिनमें एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, 3 पूर्णकालिक निदेशक और 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामांकित) और 1 गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल थे। निदेशक मंडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, जिसमें इसमें कोई भी परिवर्तन शामिल है, कृपया निगमित शासन रिपोर्ट देखें, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

97. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि	अभ्युक्तियां
(i)	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जनवरी 01, 2016	जनवरी 31, 2026	अधिवर्षिता
(ii)	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक (तकनीकी)	अप्रैल 05, 2018	मई 31, 2025	अधिवर्षिता
(iii)	श्री जोस वी जे [1]	08444440	निदेशक (वित्त)	अगस्त 01, 2019	जारी	नोट का संदर्भ लें।
			मुख्य वित्तीय अधिकारी	अगस्त 13, 2019		
			अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	फरवरी 01, 2026		

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि	अभ्युक्तियां
(iv)	श्री श्रीजित के नारायणन	09543968	निदेशक (प्रचालन)	जुलाई 21, 2022	मई 31, 2025	अधिवर्षिता
(v)	डॉ हरिकृष्णन एस	10221559	निदेशक (प्रचालन)	अगस्त 27, 2025	जारी	नियुक्ति
(vi)	श्री राजेष गोपालकृष्णन	09576336	निदेशक (तकनीकी)	अगस्त 27, 2025	जारी	नियुक्ति
(vii)	श्री श्यामकमल एन	लागू नहीं	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	फरवरी 01, 2020	जारी	कोई परिवर्तन नहीं

[1] श्री जोस वी जे, जिनका निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी था और पात्र होने के कारण कंपनी की 29 सितंबर, 2025 को आयोजित 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में श्री मधु शंकुण्णी नायर की 31 जनवरी, 2026 को सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री जोस वी जे को 01 फरवरी, 2026 से प्रभावी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा और बैठक

98. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था और कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक से घोषणा प्राप्त की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती है। वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक नहीं हो सकी क्योंकि केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

99. वर्ष 2025-26 के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच का अंतर वैधानिक अवधि से अधिक नहीं था। जिन तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं, वे इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	तिथि	बोर्ड श्रमशक्ति	उपस्थित निदेशकों की
(i)	मई 15, 2025	06	05
(ii)	अगस्त 12, 2025	05	04
(iii)	सितंबर 02, 2025	07	06
(iv)	नवंबर 12, 2025	07	06
(v)	जनवरी 28, 2026	07	05
(vi)	मार्च 27, 2026	06	04

100. निदेशक, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और समिति की बैठक और इन बैठकों में उपस्थिति के संबंध में अधिक जानकारी केलिए निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग है।

पारिश्रमिक नीति / बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

101. कोचीन शिपयार्ड पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की कंपनी है। वर्तमान में, कंपनी के निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उनका पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया है। तदनुसार, सीएसएल के संघ के अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि, राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति करेंगे और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे। चूंकि, बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ऐसे नियुक्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि, बोर्ड ने कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के प्रदर्शन और स्वतंत्रता मानदंडों की पूर्ति के संबंध में मूल्यांकन किया और उसे संतोषजनक पाया।

निदेशकों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति पर नामांकन व पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट

102. वर्तमान में, बोर्ड स्तर के नियुक्तियों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सीएसएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नामांकन और पारिश्रमिक नीति को अपनाया है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

103. आपके निदेशकें प्रकट करते है कि:

(i) दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत स्पष्ट की गई अपेक्षाओं के साथ पढित लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और वही से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया है।

(ii) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लिया और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि दिनांक 31 मार्च 2026 की तिथि पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के लाभ से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके,

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कप और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने केलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव केलिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने "चालू कारोबार" के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालनार्थ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, और

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने केलिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

104. कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने केलिए एक नीति बनाई है और यह कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर उपलब्ध है।

105. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए थे, क्योंकि वर्तमान में कोई कार्यात्मक लेखा परीक्षा समिति नहीं है। उन लेनदेन के लिए लेखा परीक्षा समिति (यदि उपलब्ध हो) और बोर्ड की पूर्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त की जाती है जो अनुमानित और दोहराव वाले प्रकृति के हैं। सभी संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति (यदि उपलब्ध हो) और समीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष त्रैमासिक आधार पर रखा जाता है।

106. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध, व्यवस्थाएं और लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और एकतरफा आधार पर थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया है, जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधान लागू होते हों। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा वित्तीय वर्ष 2024-25 केलिए लागू नहीं है और इसलिए यह इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट 53 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण निर्धारित किए गए हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास समिति (सीएसआर और एसडी समिति)

107. सीएसएल की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास (सीएसआर और एसडी) समिति का स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने और भारत सरकार द्वारा नए पदाधिकारियों की नियुक्ति न होने के कारण 22 नवंबर, 2024 से कार्यकाल समाप्त हो गया। 21 मई, 2025 को सीएसएल के बोर्ड में डॉ. सीमा सूरी की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद 01 जून, 2025 से प्रभावी सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन किया गया था। सीएसआर और एसडी समिति की अनुपस्थिति में, सीएसआर प्रस्तावों पर बोर्ड स्तर की सीएसआर कार्यकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड द्वारा सीधे विचार किया गया था।

108. 01 जून, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक, सीएसआर और एसडी समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) और गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145) सदस्य के रूप में शामिल थे। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री मधु शंकुण्णी नायर की 31 जनवरी, 2026 को सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन 01 फरवरी, 2026 से श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) को अध्यक्ष, डॉ. हरिकृष्णन एस, (डीआईएन: 10221559), निदेशक (प्रचालन), श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336), निदेशक (तकनीकी) और डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। सीएसआर और एसडी समिति की संरचना 31 मार्च, 2026 को समान रही।

109. सीएसआर और एसडी समिति ने बोर्ड को एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) तैयार की है, जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का संकेत दिया गया है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है। https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3।

110. कोचीन शिपयार्ड ने सरकारी कंपनियों पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2010-11 में सीएसआर गतिविधियां शुरू कीं। सीएसएल ने एक प्रभावी सीएसआर नीति और कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया है। सीएसआर कार्यान्वयन तंत्र में तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है; टियर 1 सीएसएल बोर्ड, टियर 2 बोर्ड स्तर की सीएसएल समिति जिसमें बोर्ड के चार सदस्य शामिल हैं और टियर 3 सीएसएल सीएसआर कार्यकारी समिति जिसमें कंपनी के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

111. वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी सार्थक सीएसआर पहलों में संलग्न हो सकी, जिसे केरल के भीतर और राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13.89 करोड़ रुपए के अनिवार्य सीएसआर व्यय के लक्ष्य के मुकाबले 15.54 करोड रुपए खर्च किए हैं। सीएसएल द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए 'स्वास्थ्य और पोषण और पीएम इंटर्नशिप योजना' को सामान्य विषय के रूप में अपनाया गया है।

112. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक II** में दी गई है।

लेखापरीक्षा समिति

113. भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि पूरी होने पर 22 नवंबर, 2024 से सभी स्वतंत्र निदेशकों के पद से छुट्टी लेने और भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण, कंपनी 22 नवंबर, 2024 से प्रभावी लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं कर सकी।

114. निगमित शासन पर रिपोर्ट में 'बोर्ड समितियां' खंड के तहत लेखापरीक्षा समिति के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

निगमित शासन

115. कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने एक प्रभावी निगमित शासन प्रणाली स्थापित की है। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, सिवाय पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन सहित संबंधित गैर-अनुपालन के संबंध में। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के समापन से 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत करती है, जैसा कि इस संबंध में डीपीई द्वारा अनुशंसित किया गया है। निगमित शासन पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

116. एक अलग खंड 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और यह निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

117. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित और पर्याप्त प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता की समीक्षा के लिए मेसर्स कृष्णमूर्ति एंड कृष्णमूर्ति, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वर्ष के दौरान नियंत्रण वातावरण में कोई बड़ी भिन्नता नहीं देखी गई, जिससे कोई रिपोर्ट करने योग्य कमजोरी नहीं देखी गई।

118. कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने केलिए, कंपनी के पास एक प्रणाली है जिसमें निदेशक मंडल की वित्तीय शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित की जाती हैं। दिन-प्रतिदिन सुचारू और कुशल संचालन केलिए इन शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उप-प्रत्यायोजित किया जाता है। विभिन्न परिचालन और वित्तीय मामलों की व्यापक लेखापरीक्षा करने केलिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मौजूद है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक आधार पर अनुपालन लेखापरीक्षा भी की जा रही है।

119. निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी प्रक्रियाओं और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रदर्शन और रिपोर्टों पर भी गौर किया। कंपनी ने जुलाई 2014 से एक एकीकृत ईआरपी (एसएपी) प्रणाली लागू किया गया है और अप्रैल 2022 से इसे नवीनतम संस्करण एस/4 हाना में उन्नत किया है, जो बेहतर प्रबंधन नियंत्रण को सक्षम कर रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

120. मेसर्स बाबू ए कल्लिवयलिल और कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 05374एस), सनदी लेखाकार, कोच्ची को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। शेयरधारकों ने सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड को सौंपी है और तदनुसार, बोर्ड द्वारा इसे निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

121. मेसर्स बाबू ए कल्लिवयलिल और कंपनी, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 15 मई, 2026 से मार्च 31, 2026 तक समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

नियंत्रक व लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

122. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट के एक अभिन्न भाग है।

लागत लेखापरीक्षक

123. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत अपेक्षित कंपनी की लागत रिकॉर्ड का रखरखाव करती है। बोर्ड ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000006), कोच्ची, मेसर्स राजेंद्रन मणि और वारियर को लागत लेखाकार नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखाकार का पारिश्रमिक 29 सितंबर, 2025 को आयोजित 53वीं एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

124. बोर्ड ने मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कोच्ची को कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में पांच लगातार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक शुरू होता है। मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स की उक्त नियुक्ति को 29 सितंबर, 2025 को आयोजित 53वीं एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक III** में रखी गई है। सचिवीय लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) बोर्ड की संरचना - स्वतंत्र निदेशक

कंपनी के पास लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अपने बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी एलओडीआर विनियम'), कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 149 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश ('सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देश') के खंड 3.1 के तहत आवश्यक है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जिसे 21 मई, 2025 को नियुक्त किया गया था। परिणामस्वरूप, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 25(3) और (4) और अधिनियम की अनुसूची IV के तहत अनिवार्य स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के संचालन के संबंध में गैर-अनुपालन थी।

(ii) महिला निदेशक/महिला स्वतंत्र निदेशक

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 के तहत अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षा अवधि की शुरुआत से 20 मई, 2025 तक इसके बोर्ड में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी। इसके अलावा, कंपनी उक्त अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149 के तहत कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं कर रही थी।

(iii) लेखापरीक्षा समिति

कंपनी के पास लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18, अधिनियम की धारा 177 और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के तहत आवश्यक है। परिणामस्वरूप, कंपनी सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के विनियम 18 (2) और खंड 4.4 के तहत अनिवार्य लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आचरण और आवृत्ति के संबंध में भी गैर-अनुपालन थी।

(iv) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी के पास लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 19, अधिनियम की धारा 178 और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के तहत आवश्यक है। परिणामस्वरूप, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 19(3ए) के तहत अनिवार्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के आचरण और आवृत्ति के संबंध में भी गैर-अनुपालन थी।

(v) हितधारक संबंध समिति

कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 20 और अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा अवधि की शुरुआत से 31 मई, 2025 तक विधिवत गठित हितधारक संबंध समिति नहीं थी।

(vi) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी के पास अधिनियम की धारा 135 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षा अवधि की शुरुआत से 31 मई, 2025 तक विधिवत गठित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति नहीं थी।

(vii) जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षा अवधि की शुरुआत से 31 मई, 2025 तक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति नहीं थी।

(viii) बोर्ड बैठकों के लिए गणपूर्ति

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 के तहत अनिवार्य कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की कोरम की आवश्यकता 15 मई, 2025 को आयोजित कंपनी की बोर्ड बैठक में पूरी नहीं हुई क्योंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

125. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर बोर्ड का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

सीएसएल भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तदनुसार, सीएसएल के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके की जाती है। कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार को आवश्यक अनुरोध भेजे हैं। परिणामस्वरूप, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 के माध्यम से डॉ. सीमा सूरी को सीएसएल के बोर्ड में एक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनके शामिल होने के बाद, कंपनी ने 01 जून, 2025 को हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया। शेष पांच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार से प्रतीक्षित है और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का एसईबीआई एलओडीआर विनियमों के अनुसार विधिवत पुनर्गठन किया जाएगा।

आंतरिक लेखापरीक्षक

126. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 केलिए आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु मेसर्स एलियास जॉर्ज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोच्ची को नियुक्त किया है।

वार्षिक विवरणी

127. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के तहत अपेक्षित कंपनी का वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/55 पर उपलब्ध है।

निवेशक सेवाएं

128. कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') में सूचीबद्ध हैं। सीएसएल ने समय पर बीएसई और एनएसई को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिड) इन इक्विटी शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं।

129. दिनांक 31 मार्च 2026 तक, सीएसएल केलिए केवल ₹23 करोड मूल्य के 8.72% कर-मुक्त, प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड बकाया हैं, जिनकी परिपक्वता मार्च 2029 में होगी । उक्त बॉन्ड, दोनों डिपॉज़िटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास पूरी तरह से डीमैटेरियलाइज्ड हैं और बीएसई के थोक ऋण बाज़ार ('डब्ल्यूडीएम') खंड में सूचीबद्ध हैं। वर्ष के दौरान, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और केयर रेटिंग्स ने सीएसएल इंस्ट्रुमेंट्स की क्रमशः आईएनडी एएए/स्थिर और केयर एएए/स्थिर रेटिंग की पुष्टि की। सीएसएल ने बॉन्ड के संबंध में बीएसई को समय पर लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है और एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड बॉन्ड के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी है।

सतर्कता

130. सीएसएल का सतर्कता विभाग संगठनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए निवारक, सक्रिय और दंडात्मक उपायों को एकीकृत करता है। जांच, निगरानी और पहचान की पहल करके, विभाग खरीद सहित सभी मामलों में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धी दक्षता सुनिश्चित करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए, विभाग नियमित रूप से प्रबंधन और विभागों के प्रमुखों के साथ जुड़ता है। यह सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देता है।

131. सतर्कता क्षमताओं को मज़बूत करना – डॉ सी पांडी सेल्वा दुरई, आईओएफएस, पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत है, जो सतर्कता विभाग का नेतृत्व करते हैं। इस विभाग में सीएसएल में प्रतिनियुक्ति पर एक सतर्कता अधिकारी (केरल पुलिस से डीएसपी रैंक का पुलिस अधिकारी), दो सीएसएल अधिकारी और तीन सहायक कर्मचारी भी शामिल हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल) के सतर्कता कार्यों की देखरेख भी करते हैं।

132. प्रणालीगत सुधार और निरीक्षण - सतर्कता विभाग ने मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) प्रकार के गहन निरीक्षण किए और निष्कर्षों और टिप्पणियों के आधार पर विभिन्न प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश की। सीटीई प्रकार के निरीक्षण सिविल विभाग, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स विभाग, पोत निर्माण और पोत मरम्मत प्रभागों से चयनित प्रमुख कार्यों और खरीद पर किए गए। वित्तीय वर्ष के दौरान, विभाग ने विभिन्न अनुबंधों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों की निगरानी की और प्रचालन क्षेत्रों में औचक/समय-समय पर निरीक्षण किए, जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट सहित सीवीसी को सभी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की गईं।

133. सीएसएल में सतर्कता उपायों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलों में कर्मचारियों को रचनात्मक सुझाव देने अथवा कदाचार, अनैतिक आचरण या नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की सूचना देने हेतु ऑनलाइन सुझाव पेटी की शुरुआत; बेहतर भंडार प्रबंधन तथा स्टॉक के अनावश्यक अवरोध को रोकने के लिए अप्रचलित एवं मंद-गति स्टॉक मदों की पहचान हेतु नए ट्रांज़ैक्शन कोड का प्रावधान; तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन के आंकड़ों का स्वचालित संकलन, जिससे मैनुअल समेकन से संबंधित त्रुटियों एवं विलंब को समाप्त किया जा सके, शामिल हैं।

134. सतर्कता जागरूकता पहल - सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की प्रस्तावना के रूप में, 18 अगस्त, 2025 से 17 नवंबर, 2025 तक तीन महीने की एक अभियान चलाया गया था, जिसमें सतर्कता जागरूकता और अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के बीच संवेदीकरण बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एक विशेष अभियान के हिस्से के रूप में, स्क्रैप/अपशिष्ट प्रबंधन को भी एक फोकस क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। प्रणालीगत सुधारों सहित कई पहलें लागू की गईं, जिससे स्क्रैप निपटान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नतीजतन, 2025-26 में स्क्रैप निपटान से राजस्व में काफी वृद्धि हुई। स्क्रैप प्रबंधन और यार्ड हाउसकीपिंग में काफी सुधार हुआ है। अक्तूबर - नवंबर 2025 के दौरान 'सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी उचित तरीके से मनाया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम

135. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढावा देने केलिए, आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को सही मायने में लागू किया है और कंपनी में एक समर्पित केंद्रीकृत आरटीआई सेल के साथ एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान की जा सके। वर्ष 2025-26 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई की गई और अधिनियम में निर्धारित समयबद्ध तरीके से सूचना प्रदान की गई।

136. कंपनी गैर-अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में कंपनी पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

सतर्कता तंत्र

137. दिसंबर 14, 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कोचीन शिपयार्ड की जागरण तंत्र और मुखबिर नीति सीएसएल के सतर्कता तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों केलिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधडी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बडा उद्देश्य समान था, इसलिए सीएसएल ने दिनांक 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् मुखबिर नीति और धोखाधडी रोकथाम नीति को अपनाया। सीएसएल की विसिल ब्लोअर और धोखाधडी रोकथाम नीति https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धारा 143 के अधीन रिपोर्ट किए धोखाधडी का विवरण

138. शून्य

ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

139. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है।

ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध कोई गारंटी दी हो या प्रतिभूति प्रदान की हो, और

ग) सदस्यता, खरीद या अन्यथा के माध्यम से अर्जित, किसी अन्य बॉडी कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियाँ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित, सिवाय नीचे बताए गए के :

देश के सबसे बड़े ड्रेजर के निर्माण के लिए पोत निर्माण अनुबंध के तहत ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के साथ व्यवस्था के हिस्से के रूप में, कंपनी ने फरवरी 2026 में डीसीआईएल के 11,148 सुरक्षित, अनरेटेड, अनलिस्टेड, रिडीम करने योग्य, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य पर सब्सक्राइब किया, जो कुल मिलाकर 111.48 करोड़ रुपए है। एनसीडी पर प्रति वर्ष 7.72% की कूपन दर होती है और 5 साल के बाद शीघ्र मोचन के विकल्प के साथ 10 साल बाद सममूल्य पर मोचन योग्य होती है। उक्त एनसीडी से प्राप्त आय का उपयोग डीसीआईएल द्वारा उक्त ड्रेजर की खरीद के लिए सीएसएल को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया था। एनसीडी, डीमैट रूप में आयोजित किए गए हैं, जो उक्त ड्रेजर पर पहले पारी पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित हैं, जो डॉयचे बैंक एजी के साथ साझा किया गया है। कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है।

ब्लू बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाना - अद्यतन करें

140. सीएसएल ने मुख्य रूप से कंपनी की पात्र सतत परियोजनाओं या लागू कानून के अनुसार अन्य अनुमेय अंतिम उपयोगों के लिए वित्तपोषण के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कुल राशि के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग वाले गैर-परिवर्तनीय वरिष्ठ असुरक्षित निश्चित दर नोट ('नोट्स') जारी करके धन जुटाने की संभावना का पता लगाया था। हालांकि, आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलावों के मद्देनजर, जिसने देशी उधार को अधिक लागत प्रभावी बना दिया है, और कंपनी की प्रमुख स्थिरता परियोजनाओं के कार्यान्वयन दृष्टिकोण में संशोधन किया गया है, इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता

141. कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता नहीं हुआ है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

142. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निक्षेप

143. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

सचिवालय मानक

144. कंपनी ने भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

महत्वपूर्ण आदेश

145. कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही

146. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई आवेदन नहीं किया गया या कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

147. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को शामिल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए, सेबी ने स्वतंत्र विशेषज्ञ से प्राप्त होने वाले बीआरएसआर कोर के अनुसार निर्दिष्ट मापदंडों के मूल्यांकन या आश्वासन को भी अनिवार्य कर दिया है। बीआरएसआर 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों' के सिद्धांतों के विरुद्ध कंपनी के प्रदर्शन को इंगित करता है और बीआरएसआर कोर बीआरएसआर का एक उप-समूह है, जिसमें नौ पर्यावरण, सामाजिक और शासन विशेषताओं के तहत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई)/ मेट्रिक्स का एक सेट शामिल है। तदनुसार, कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी एक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए बीआरएसआर कोर पर आश्वासन रिपोर्ट के साथ निर्धारित प्रारूप में बीआरएसआर प्रदान किया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और कंपनी की वेबसाइट पर लिंक पर भी उपलब्ध है। इससे सदस्यों को कंपनी की पर्यावरण, सामाजिक और शासन पहलों के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

अन्य वैधानिक प्रकटीकरण

148. निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग नहीं की गई है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

(i) लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में अंतर अधिकारियों के साथ इक्विटी शेयरों का कोई मुद्दा नहीं था,

(ii) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को इक्विटी शेयर (स्वेट इक्विटी शेयर सहित) को कोई मुद्दा नहीं था,

(iii) कर्मचारियों के लाभ केलिए कर्मचारियों या ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद केलिए कंपनी के पास कोई योजना या धन का प्रावधान नहीं है,

(iv) किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था,

(v) कंपनी के निदेशकों को इसकी किसी भी सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन नहीं मिला है,

(vi) कंपनी किसी भी निगमित कार्रवाई को लागू करने में विफल नहीं रही है, और

(vii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत कंपनी के वित्तीय विवरणों और/या निदेशकों की रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

अभिस्वीकृति

149. निदेशक मंडल माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सभी अधिकारियों द्वारा दिए गए अटूट समर्थन और मार्गदर्शन केलिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता है। बोर्ड भारत सरकार, केरल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, कर्नाटक सरकार, महाराष्ट्र सरकार, अंडमान और निकोबार प्रशासन, विभिन्न स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, बीआरएसआर कोर आश्वासन प्रदाताओं और बैंकरों के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सहयोग और सहायता केलिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता है।

150. इसके अलावा, बोर्ड अपने मूल्यवान शेयरधारकों, निवेशकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और उप ठेकेदारों को उनके निरंतर समर्थन केलिए हार्दिक धन्यवाद देता है। बोर्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता को भी मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

जोस वी जे

कोच्ची निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
मई 15, 2026 डीआईएन: 08444440

अनुलग्नक - I

क. ऊर्जा संरक्षण

क. वर्ष 2025-26 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	**उठाए गए कदम** • आईएसओ 50001 : 2018 - ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन की प्राप्ति; • मरम्मत डॉक गिट्टी पंप में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) की स्थापना; • पोत निर्माण सेवा सुरंग और उपकेंद्रों में स्थापित सेंसर-आधारित प्रकाश नियंत्रण; • सामान्य क्षेत्रों में स्थापित सेंसर-आधारित प्रकाश व्यवस्था; • पारंपरिक क्रेन गर्डर लाइटों को एलईडी विकल्प के साथ बदलना; • पारंपरिक एसी सिस्टम को 5-स्टार इन्वर्टर-आधारित एसी सिस्टम से बदल दिया गया; • साधारण सीलिंग/दीवार पंखे के बजाय ऊर्जा कुशल बीएलडीसी/5-सितारा पंखों का उपयोग; • तेल-ठंडा ट्रांसफार्मर की सेवा ने समग्र दक्षता में सुधार किया, इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण में योगदान दिया; • संपीडित वायु वितरण प्रणाली और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित निगरानी की जाती है और उन्हें सुधारा जाता है; • पावर फैक्टर की लगातार निगरानी की जाती है और इसे एकता के करीब बनाए रखा जाता है; • दोपहर के भोजन के दौरान मुख्य एयर कंप्रेसर बंद करना; और • बिजली की अधिकतम उपयोगिता के लिए कर्मचारियों के बीच ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ऊर्जा बचत स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। **प्रभाव** ऊपर निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ ऊर्जा की बचत लगभग 4.75 लाख यूनिट प्रति वर्ष है।
ख. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	• मौजूदा 1972 किलोवाट पीक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के अलावा विभिन्न इमारतों/शॉपों की छत पर कुल 580 किलोवाट पीक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ, सीएसएल में सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 2252 किलोवाट पीक हो गई है; • वर्ष 2025-26 के दौरान 2252 किलोवाट पीक क्षमता के मौजूदा सौर ऊर्जा संयंत्रों से 21.04 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया गया; • सम्मेलन कक्षों और सामान्य क्षेत्रों में 5 तरल पेड़ों की स्थापना के माध्यम से प्रति वर्ष ~525 किलोग्राम, CO_2 उत्सर्जन का पृथक्करण; और • ओपन एक्सेस (ग्रीन डे अहेड मार्केट) के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की 104.67 लाख यूनिट खरीदी गई।
ग. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	• ऊपर निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन केलिए लगभग ₹63.50 लाख रुपए की राशि का निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

क. प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास।	• एनएसटीएल, विशाखापत्तनम में वाटरजेट द्वारा संचालित एनजीएमवी के सीकीपिंग और युक्ति परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया;
	• एनएसटीएल, विशाखापत्तनम में एएसवी के प्रतिरोध मॉडल परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया;
	• ओपनएफओएएम और शिपफ्लो का उपयोग करके हल फॉर्म अनुकूलन पर शोध के लिए सीयूएसएटी को शामिल किया गया है ताकि इन-हाउस सीएफडी और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाया जा सके;
	• गणना का शुभारंभ: एमपीवी और टग के स्लिपवे एंड-लॉन्चिंग के लिए 'एनएपीए' सॉफ्टवेयर द्वारा गणना की गई और मान्य की गई;
	• एम-टेक परियोजना मार्गदर्शन: कुसाट और जीईसी तृश्शूर से औद्योगिक प्रासंगिक विषयों पर पांच एम-टेक छात्रों का मार्गदर्शन किया, संरचनात्मक डिजाइन और सीएफडी विश्लेषण के क्षेत्र में इन-हाउस क्षमता को बढ़ाया। जीईसी तृश्शूर द्वारा आयोजित रैम्प्स 2025 और सीयूएसएटी द्वारा आयोजित आईसीएएनओई 2025 में प्रस्तुत संबंधित सम्मेलन पत्र;
	• बी-टेक परियोजना मार्गदर्शन
	  • आईआईटी खड़गपुर द्वारा आयोजित आईसीएसओटी 2025 में प्रस्तुत कुसाट, आईआईटी मद्रास और क्राइस्ट नॉलेज सिटी से उद्योग-प्रासंगिक विषयों पर 19 बी-टेक छात्रों का मार्गदर्शन किया; और
	  • जीईसी त्रिशूर से उद्योग प्रासंगिक विषयों पर चार बी-टेक छात्रों का मार्गदर्शन किया।
	• कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया
	  • 1-डी.बी. द्वारा एमआर टैंकर पर तकनीकी सत्र;
	  • एएवी द्वारा गतिशील स्थिति पर एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम;
	  • एलएनजी डीएफ कंटेनर पोत पर बीवी द्वारा एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम;
	  • हेक्सागन द्वारा सिमुफक्ट वेल्डिंग सॉफ्टवेयर पर एक-दिवसीय प्रशिक्षण सत्र;
	  • उन्नत पोत सिमुलेशन पर एएनएसवाईएस द्वारा एक-दिवसीय की कार्यशाला ;
	  • टीसीएस द्वारा इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल मैनुअल (आईईटीएम) पर एक-दिवसीय कार्यशाला;
	  • सीएएसईएस और शिपफ्लो द्वारा पोत के पतवार के हाइड्रोडायनामिक विश्लेषण और अनुकूलन पर दो-दिवसीय कार्यशाला;
	  • एबीएस द्वारा साइबर सुरक्षा पर ज्ञान साझाकरण सत्र;
	  • प्लेटफ़ॉर्म स्तर के एकीकरण पर डब्ल्यूईएसईई द्वारा प्रशिक्षण;
	  • एकीकृत लॉजिस्टिक्स समर्थन पर आरआईएनए द्वारा प्रशिक्षण;
	  • आईआईएम लखनऊ द्वारा प्रबंधकों के लिए एआई पर एक सप्ताह का सत्र आयोजित किया गया;
	  • दिन का सत्र कोंग्सबर्ग द्वारा हाइड्रोडायनामिक और प्रणोदन संगोष्ठी पर एक-दिवसीय सत्र; और
	  • कम्प्यूटेशनल हाइड्रोडायनामिक्स में विकास और चुनौतियों पर पेशेवर नौसेना वास्तुकारों के लिए एक-दिवसीय कार्यशाला।
	• डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करके एयूवी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकीकरण कौशल अर्जित किया;
	• आईएनएस विक्रांत के गैस टर्बाइन के भविष्य कहनेवाला रखरखाव के लिए डिजिटल ट्विन का कार्यान्वयन;
	• एलएआरएस (लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम) डिजाइन, सेंसर-आधारित ड्राईडॉकिंग समाधान, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स-आधारित ड्राईडॉकिंग समाधान के लिए पेटेंट फाइलिंग प्रगति पर है;
	• एक प्रौद्योगिकी भागीदार के सहयोग से एक उन्नत वेल्डिंग प्रक्रिया का स्वदेशी विकास प्रगति पर है; और
	• टीम के सदस्यों द्वारा नवाचार प्रबंधन, डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा दक्षता और नौवहन में नए हरित समाधानों पर भाग लिए गए सम्मेलन/कार्यशालाएं, आईएमओ एमएससी सत्र 110 (एमएएसएस)।

ख. प्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास	• हेरिटेज रिवर जर्नी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 80 पैक्स रिवर क्रूज पोत के बुनियादी डिजाइन का विकास;
	• भारतीय तटरक्षक बल के लिए अगली पीढ़ी के तेज गश्ती जलयानों के लिए बोली डिजाइन का विकास;
	• भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जलयानों के लिए बोली डिजाइन का विकास;
	• 3डीएक्सपेरिएंस सिमुलिया में निम्नलिखित परियोजनाओं पर परिमित तत्व विश्लेषण किया गया:
	  • एएसडब्ल्यू हल ब्लॉकों का उत्थापन विश्लेषण;
	  • 30 मिमी बंदूक के एएसडब्ल्यू के लिए संशोधित इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस फाउंडेशन का कंपन विश्लेषण;
	  • एनजीएमवी के लिए संरचना आईडब्ल्यूओ बोलार्ड का शक्ति विश्लेषण;
	  • एनजीएमवी के लिए संरचना आईडब्ल्यूओ आरएएस व्यवस्था की ताकत विश्लेषण;
	  • 12.7 मिमी स्टेबिलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन (एसआरसीजी) फाउंडेशन संरचना का स्थिर और गतिशील विश्लेषण;
	  • एनजीएमवी के लिए संरचना आईडब्ल्यूओ फिन स्टेबिलाइज़र का शक्ति विश्लेषण;
	  • एनजीएमवी की लिंक्स फाउंडेशन संरचना का गतिशील विश्लेषण;
	  • 50 टन हल ब्लॉक को लोड करने के लिए ए-फ्रेम ट्रेस्टल का डिजाइन और विश्लेषण;
	  • 80 यात्री नदी क्रूज पोत के लिए ओपनफोम का उपयोग करके स्व-प्रेरण सीएफडी विश्लेषण किया गया; और
	  • 80 पैक्स नदी क्रूज पोत के लिए ओपनफोम का उपयोग करके उथले पानी प्रतिरोध विश्लेषण किया गया।
	• कमांड और कंट्रोल स्टेशन, रडार प्रौद्योगिकी, कैमरा प्रौद्योगिकी और स्वायत्तता स्टैक सहित स्वायत्त सतह पोत के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रणालियों का डिजाइन और विकास;
	• समुद्री और गैर-समुद्री कार्गो हैंडलिंग संचालन के लिए सक्रिय लोड स्थिरीकरण प्रणाली का प्रोटोटाइप परीक्षण;
	• एयूवी के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का विस्तृत डिजाइन;
	• एक अभिनव सेंसर एडेड ड्राईडॉकिंग सहायक प्रणाली का डिजाइन और विकास; और
	• एक प्रौद्योगिकी भागीदार के सहयोग से एक उन्नत वेल्डिंग प्रक्रिया का स्वदेशी विकास प्रगति पर है।

अवशोषण के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

क. उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ।	• सीएसएल को अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जलयानों के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया था, जिसका डिज़ाइन आंतरिक रूप से विकसित किया गया था; और • विशेषज्ञ और अग्रणी फर्मों के साथ सहयोग करके महत्वपूर्ण समुद्री वाहनों और संबंधित उप-प्रणालियों का स्वदेशी विकास।
ख. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित वित्तीय वर्ष की शुरूआत से माना जाता है) निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।	
i. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	(i) शिपफ्लो (ii) वीएमई आधारित स्वचालन प्रणाली प्रशिक्षण किट, इटली। (iii)एनयूपीएएस कैडमैटिक (iv)नेवकैड प्रीमियम

ii. आयात का वर्ष	(i) 2024-25 (ii) 2023-24 (iii)2023-24 (iv)2023-24
iii. क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है	जी हां, आयात के वर्ष में ही।
iv. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो, ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण	लागू नहीं
ग. अनुसंधान एवं विकास/ नवाचार पहल पर किया गया व्यय	₹ 2,440.88 लाख रुपए

ग. विदेशी मुद्रा का उपार्जन और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	2025-26	2024-25
विदेशी मुद्रा से आय		
पोत मरम्मत से	60,651.10	45,080.77
पोत निर्माण से	33.26	72.27
कुल	**60,684.36**	**45,153.04**
विदेशी मुद्रा से व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	77,835.23	94,358.80
डिजाइन एवं डॉकुमेन्टेशन	2,914.78	4,066.78
सेवा प्रभार और अन्य	15,266.78	9,747.50
कुल	**96,016.29**	**1,08,173.08**

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

जोस वी जे

कोच्ची
मई 15, 2026

निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 08444440

अनुलग्नक II

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

वर्ष 2025-26 केलिए कंपनी में सीएसआर गतिविधियां सीएसआर नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों केलिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप की गई।

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा केलिए कंपनी लघु परियोजनाओं की श्रेणियों के तहत परियोजनाओं का संचालन करती है, जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से 10 लाख रुपए या उससे कम मूल्य की अत्यावश्यक प्रकृति की हैं, जो कि कुल खर्च का 10% तक सीमित है। अन्य सभी परियोजनाओं को प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कुल व्यय का 5% प्रशासनिक व्यय केलिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें विभाग में कार्यरत सीएसआर कर्मचारियों द्वारा वेतन, प्रशिक्षण और यात्रा पर व्यय शामिल है।

वर्ष का मुख्य विषय : स्वास्थ्य एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

2. सीएसआर समिति की संरचना

बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास (सीएसआर और एसडी) समिति समय-समय पर बोर्ड के अनुमोदन के लिए सीएसआर परियोजनाओं की सिफारिश करती है। हालांकि, 22 नवंबर, 2024 से प्रभावी, स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने और उसके बाद भारत सरकार द्वारा नए पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण सीएसआर और एसडी समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया। 21 मई, 2025 को सीएसएल के बोर्ड में डॉ. सीमा सूरी की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद 01 जून, 2025 से सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन किया गया। तदनुसार, 22 नवंबर, 2024 से 31 मई, 2025 तक सीएसआर प्रस्तावों पर बोर्ड स्तर की सीएसआर कार्यकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीधे विचार किया गया। 01 जून, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक सीएसआर और एसडी समिति की संरचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकता का पदनाम/प्रकृति	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठकों की सं.	
			वर्ष के दौरान आयोजित	वर्ष के दौरान उपस्थित
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन : 07376798)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष	3	3
2.	श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440)	निदेशक (वित्त) – सदस्य	3	3
3.	डॉ सीमा सूरी (डीआईएन : 11117145)	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक – सदस्य	3	3

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मधु शंकुण्णी नायर की 31 जनवरी, 2026 को सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन 01 फरवरी, 2026 को श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को अध्यक्ष, डॉ. हरिकृष्णन एस, (डीआईएन: 10221559), निदेशक (प्रचालन), श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336), निदेशक (तकनीकी) और डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 में उनके कार्यकाल के दौरान सीएसआर और एसडी समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3. वेब लिंक जहां सीएसआर और एसडी समिति की संरचना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।

सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab4
सीएसआर नीति	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3
बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab8

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वेब लिंक सहित कार्यकारी सारांश।

परियोजना 'राष्ट्र निर्माण के लिए वेल्डिंग' का प्रभाव मूल्यांकन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एसएमएस), कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (कुसाट) द्वारा किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सारांश नीचे दिया गया है:

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की वेल्डिंग फॉर नेशन बिल्डिंग सीएसआर परियोजना का एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन, जो कोचीन विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सीयूएसएटी) के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एसएमएस) द्वारा ओईसीडी-डीएसी मूल्यांकन फ्रेमवर्क का उपयोग करके किया गया था, आर्थिक रूप से वंचित और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के युवाओं के लिए रोजगार क्षमता और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से डॉन बॉस्को टेक, वडुतला के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया गया था। मूल्यांकन में हितधारकों के साक्षात्कार और 123 लाभार्थियों के संरचित सर्वेक्षण के माध्यम से मिश्रित तरीकों के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रासंगिकता, सुसंगतता, प्रभावशीलता, दक्षता, प्रभाव और स्थिरता जैसे छह आयामों में परियोजना का मूल्यांकन किया गया।

मूल्यांकन में पाया गया कि परियोजना अत्यधिक प्रासंगिक है, जो केरल में आर्थिक रूप से वंचित युवाओं के लिए किफायती, उद्योग-उन्मुख वेल्डिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है। पहली पीढ़ी के तकनीकी शिक्षार्थियों को लक्षित करके और प्रशिक्षण को उद्योग की मांग के साथ संरेखित करके, कार्यक्रम ने रोजगार क्षमता को बढ़ाया है, साथ ही निर्माण, फैब्रिकेशन, पोत निर्माण और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास का समर्थन किया है।

इस परियोजना ने राष्ट्रीय कौशल विकास पहलों, जिनमें स्किल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय कौशल विकास नीति शामिल हैं, के साथ मजबूत सामंजस्य प्रदर्शित किया, जबकि सीएसएल के सीएसआर उद्देश्यों और मुख्य व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ निकटता से संरेखित किया।

मूल्यांकन ने पुष्टि की कि कार्यक्रम ने अपने इच्छित परिणामों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उच्च पूर्णता और प्रमाणन दरें, बढ़ी हुई तकनीकी क्षमता, प्रशिक्षुओं के बीच बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और सकारात्मक रोजगार परिणाम प्रशिक्षण मॉडल की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। नियोक्ताओं ने प्रशिक्षित वेल्डरों की तकनीकी दक्षता और सुरक्षा जागरूकता को भी स्वीकार किया।

मूल्यांकन ने सीएसआर संसाधनों के परियोजना के कुशल उपयोग पर प्रकाश डाला, बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग, व्यावहारिक सीखने, उन्नत वेल्डिंग सिमुलेटर और मान्यता प्राप्त प्रमाणन के माध्यम से लाभार्थियों को बिना किसी लागत के उच्च गुणवत्ता, उद्योग-मानक प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे पैसे के लिए मजबूत मूल्य सुनिश्चित हुआ।

इस परियोजना ने आजीविका में सुधार, घरेलू आय को मजबूत करने, पेशेवर आत्मविश्वास बढ़ाने और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं के उत्पादक रोजगार को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया है। इन परिणामों ने अधिक सामाजिक समावेश और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के प्रभावी उपयोग में योगदान दिया है।

मूल्यांकन ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि परियोजना के लाभ स्थायी हैं, हस्तांतरणीय तकनीकी कौशल, उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन और कुशल वेल्डरों की निरंतर मांग द्वारा समर्थित हैं। कुल मिलाकर, वेल्डिंग फॉर नेशन बिल्डिंग पहल को एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, प्रभावशाली और दोहराने योग्य सीएसआर हस्तक्षेप के रूप में मान्यता दी गई है जो प्रभावी रूप से कौशल विकास को स्थायी आजीविका के अवसरों में बदलता है, साथ ही लाभार्थियों, उद्योग और समाज के लिए दीर्घकालिक मूल्य का निर्माण करता है।

पूरी रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे लिंक https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab8. के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

5. क. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : ₹891.99 करोड

ख. अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : ₹17.84 करोड

ग. पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

घ. वित्तीय वर्ष केलिए समायोजित करने केलिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो। : ₹3.95 करोड

ड. वित्तीय वर्ष केलिए कुल सीएसआर देयता (ख + ग - घ) : ₹13.89 करोड

6. क. सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना दोनों के अलावा) पर खर्च की गई राशि : ₹14.84 करोड

ख. प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : ₹0.70 करोड

ग. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

नोट: वित्त वर्ष 26 में किए गए प्रभाव मूल्यांकन का भुगतान वित्त वर्ष 27 में किया जाएगा।

घ. वित्तीय वर्ष केलिए खर्च की गई कुल राशि (क + ख + ग + घ) ₹15.54 करोड

ड. वित्तीय वर्ष केलिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष केलिए खर्च की गई कुल राशि (₹)	अव्ययित राशि (₹.)				
	अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 6 के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
15.54 करोड	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

च. समायोजन केलिए अतिक्ति राशि, यदि कोई हो।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत।	13.89 करोड
(ii)	वित्तीय वर्ष केलिए खर्च की गई कुल राशि	15.54 करोड
(iii)	वित्तीय वर्ष केलिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि ((ii) - (i))	1.65 करोड
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियां, यदि कोई हो	शून्य
(v)	बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन केलिए उपलब्ध राशि	1.65 करोड

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि को समायोजित करने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर दायित्व ।

7. क. पिछले तीन वित्तीय वर्षों केलिए अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 6 के तहत अव्ययित सीएसआर लेखे में अंतरित राशि (₹)	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 6 के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि(₹)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹)	अधिनियम 6 की धारा 135 की उप धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जानेवाली शेष राशि (₹)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹)	अंतरण की तिथि		
1.	2024-25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
2.	2023-24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
3.	2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है :

◉ जी हां जी नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज कर 78

वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :

कृपया **अनुलग्नक II क** देखें।

9. यदि कंपनी अधिनियम की धारा 135 (5) उप धारा 5 के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

लागू नहीं।

जोस वी जे
अध्यक्ष, सीएसआर व एसडी समिति
निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 08444440

कोच्ची
मई 15, 2026

अनुलग्नक II क

वर्ष 2025-26 वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित) का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹)	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	683572	15.06.2025	50,000	सीएसआर 00054554	सेंट रॉकी एल पी स्कूल	इलवूर पी ओ, अंगमाली, एर्णाकुलम, केरल
2.	विशेष बच्चों के परिवहन केलिए वाहन	682313	26.04.2025	52,400	सीएसआर 00047166	बड्स पुनर्वास केंद्र	एडक्काट्टुवयल ग्राम पंचायत, एडकाट्टुवयल, एर्णाकुलम, केरल
3.	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, पेरूरकडा, तिरुवनंतपुरम में अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भोजन वितरण के लिए वाहन	695005	10.06.2025	54,897	सीएसआर 00074709	जिलाधीश, अध्यक्ष, अस्पताल विकास समिति, तिरुवनंतपुरम	कलेक्टरेट, सिविल स्टेशन, कुडप्पनकुन्नु, तिरुवनंतपुरम, केरल
4.	गाँवों में ट्यूबवेल प्रदान करने वाली पेयजल परियोजना	743374	12.07.2025	1,00,000	सीएसआर 00001189	दक्षिण सुंदरबन जन कल्याण संघ	रघुनाथपुर, माधबनगर पी ओ, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल
5.	भारत माता कॉलेज परिसर में तितली उद्यान की स्थापना	682021	16.09.2025	150000	सीएसआर 00050088	जैविक अनुसंधान और पर्यावरण केलिए भारत माता विस्तार	भारत माता कॉलेज परिसर, तृक्काकरा, एर्णाकुलम, केरल
6.	फोर्ट कोच्चि में शौचालय परियोजना	682011	28.06.2025	1,79,536	सीएसआर 00023887	जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (डीटीपीसी), जिलाधीश, एर्णाकुलम	राजेंद्र मैदान के सामने, पार्क एवेन्यू रोड, एर्णाकुलम, केरल
7.	परित्यक्त वृद्धों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा	671531	07.10.2025	2,00,000	सीएसआर 00053699	न्यू मलबार पुनराध्वसा केंद्रम चैरिटबिल ट्रस्ट	मलप्पेचेरी, कान्हिरापोइल पी ओ, निलेश्वरम, कासरगोड, केरल
8.	व्यास पब्लिक स्कूल, काकनाड के लिए खुले में सभागार का निर्माण	682030	15.08.2025	2,00,000	सीएसआर 00040998	व्यास चैरिटेबल ट्रस्ट	व्यास नगर, पालचुवडु, काक्कनाड पी ओ, एर्णाकुलम, केरल
9.	विशेष विद्यालय में श्रवणविज्ञान प्रयोगशाला	671542	25.08.2025	2,00,000	सीएसआर 00035359	अक्कारा फाउंडेशन सेंटर	कोट्टूर पी ओ, मुलियार, कासरकोड, केरल
10.	विशेष विद्यालय के लिए खेल उपकरण	695014	18.08.2025	2,50,000	सीएसआर 00015553	विशेष देखभाल की आवश्यकतावले बच्चों केलिए रोटरी संस्थान	टी सी 15/920, टैगोर थिएटर के पीछे, वषुथाकाड, तिरुवनंतपुरम, केरल
11.	बालिकाओं के स्कूल में बुनियादी ढांचे में सुधार	682511	20.09.2025	3,00,000	सीएसआर 00029931	सेक्रेड हार्ट गर्ल्स यूपी स्कूल मालिप्पुरम, एर्णाकुलम, दीपांकर विपसाना मेम्मोरियल ट्रस्ट	एर्णाकुलम सोशल सर्विस सोसाइटी, प्रोविडेंस रोड, एर्णाकुलम, केरल
12.	विपासना केंद्र का विस्तार	421604	24.06.2025	4,00,000	सीएसआर 00060383	दीपांकर विपासना मेम्मोरियल ट्रस्ट	वसई, महाराष्ट्र
13.	विशेष विद्यालय के लिए आवासीय भवन	679503	20.08.2025	4,52,000	सीएसआर 00061297	उणर्व विशेष विद्यालय	उणर्व सहायक आवास, डे-केयर गृह एवं धर्मार्थ न्यास, कावुवट्टोम, चेरपुलश्शेरी, पालक्काड़ केरल
14.	द्वीप - बीज फार्म, अलुवा तक पुरुषों और सामग्री के परिवहन के लिए यात्री नाव	683101	27.04.2025	4,90,000	सीएसआर 00018797	स्टेट सीड फार्म, आलुवा	जिला पंचायत, एर्णाकुलम

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित) का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹)	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
15.	पुस्तकालय भवन में सुधार	679576	26.08.2025	5,00,000	सीएसआर 00067666	वल्लतोल एजुकेशनल ट्रस्ट	सुकपुरम, एडप्पाल, मलप्पुरम, केरल
16.	चंगनाश्शेरीके गायत्री विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में कक्षा का निर्माण	686101	30.10.2025	5,00,000	सीएसआर 00012857	सुकृतम चैरिटेबल ट्रस्ट	अमरा पी ओ, वेंकोट्टा, चंगनाश्शेरी, कोट्टयम, केरल
17.	बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास	250001	28.07.2025	5,00,000	सीएसआर 00029540	सिंबोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन	मीरट, उत्तर प्रदेश
18.	नौसेना बच्चों के स्कूल, कोच्चि के लिए डिजिटल शिक्षा के लिए समर्थन	682004	06.11.2025	5,00,000	सीएसआर 00011888	नौसेना बाल विद्यालय, कोच्ची	केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (केआईटीआई), राज्य कार्यालय, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल
19.	निराश्रित गृह का बुनियादी ढांचा विकास	683541	14.07.2025	5,00,000	सीएसआर 00054205	बेथानी स्नेहलयम	कुन्नाकरुडी, त्रिक्कलाथुर, एर्णाकुलम, केरल
20.	केंद्र में मानसिक रूप से दिव्यांग और निराश्रित व्यक्तियों के लिए एम्बुलेंस	670013	23.10.2025	5,00,000	सीएसआर 00038174	कण्णूर एसोसिएशन फॉर इंटीग्रेटेड रूरल ऑर्गनाइज़ेशन एंड सपोर्ट (केएआईआरओएस)	बर्नासेरी पी ओ, कण्णूर, केरल
21.	आदि शंकर निलयम के मुख्य परिसर में सौरकरण	682313	14.10.2025	6,00,000	सीएसआर 00019852	चिन्मया इंटरनेशनल फाउंडेशन एर्णाकुलम	आदि शंकरा निलयम, वेलियानाड, एर्णाकुलम, केरल
22.	परिवार स्वास्थ्य केंद्र, नूलपुष़ा, वायनाड में दर्द और प्रशामक देखभाल प्रशिक्षण हॉल में कौशल केंद्र	673592	18.12.2025	6,00,000	सीएसआर 00068596	जिला निर्मित केंद्र, वायनाड	पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र, नूलपुष़ा, नाइकेट्टी पी ओ, वायनाड, केरल
23.	सबरी बालिका सदनम, कोन्नी के लिए कंप्यूटर	689691	05.08.2025	6,00,000	सीएसआर 00054796	शबरी सेवा समिति, शबरी बालिकासदनम	एलियाराक्कल, कोन्नी, पत्तनमतिट्टा, केरल
24.	सरकारी यूपी स्कूल, कुन्नुकुरुडी का नवीनीकरण	683541	10.11.2025	6,00,000	सीएसआर 00088359	मषुवन्नूर ग्राम पंचायत	सरकारी यू पी स्कूल, कुन्नुकरुडी, मज़ुवन्नूर ग्राम पंचायत, एरापुरम पी ओ, एर्णाकुलम, केरल
25.	एम जी कॉलेज, कोषीकोड में हाशिए पर स्थित समूहों के लिए मीडिया शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब	673002	24.03.2025	7,50,000	सीएसआर 00072156	हिंदुस्तान प्रकाशन ट्रस्ट	स्वस्ति दिशा, माधवन नायर रोड, चालप्पुरम, कोष़िक्कोड, केरल
26.	महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, कलमश्शेरी में डिजिटल पुस्तकालय के लिए समर्थन	683104	06.06.2025	9,83,262	सीएसआर 00023185	महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज	जिला प्रशासन, एर्णाकुलम, केरल
27.	वाष़ाचल के सरकारी कल्याण एलपी स्कूल में जनजातीय सामुदायिक केंद्र की स्थापना	680721	27.10.2025	10,00,000	सीएसआर 00090331	आतिराप्पल्ली ग्राम पंचायत	सरकारी कल्याण एल पी स्कूल, वाषाचाल, त्रिश्शूर, केरल
28.	स्वच्छ पेयजल के लिए जल स्रोत में सुधार	670645	04.03.2025	10,00,000	सीएसआर 00049724	सोसाइटी ऑफ फादर टेज़ा फोर मेंटली रिटायर्ड	मानंतवाडी पी ओ, कुष़िनिलम, वायनाड, केरल
29.	नल्लूरनाड वायनाड में जनजातीय विशिष्टता अस्पताल में रक्त भंडारण इकाई	670645	14.08.2025	10,00,000	सीएसआर 00068596	जिला निर्मित केंद्र, वायनाड	सरकारी जनजातीय विशेषता अस्पताल, नालूरनाड, वायनाड, केरल

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित) का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹)	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
30.	वृद्ध रोगियों के लिए लिफ्ट की स्थापना	682017	30.09.2025	10,00,000	सीएसआर 00022980	श्री रामकृष्ण सेवाश्रमम	आश्रमम लेन, आज़ाद रोड, कलूर, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल
31.	संस्कृत शिक्षा के लिए इन्फ्रा विकास	686001	13.11.2025	10,00,000	सीएसआर 00019711	स्वामीयार मैडम चैरिटबल ट्रस्ट	तिरुनक्करा, कोट्टयम, केरल
32.	चेरपुलाश्शेरी में यूएनएआरवी विशेष विद्यालय की परिसर की दीवार, गेट और इंटर लॉक का निर्माण	679503	30.05.2025	10,00,000	सीएसआर 00061297	उणर्व विशेष विद्यालय	उणर्व सहायक आवास, डे-केयर गृह एवं धर्मार्थ न्यास, कावुवट्टम, चेरपुलश्शेरी, पालक्काड़ केरल
33.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुल्लाम्पारा के लिए फिजियोथेरेपी उपकरण और बुनियादी ढांचे की खरीद के लिए समर्थन	695103	11.12.2025	10,00,000	सीएसआर 00024389	पुल्लमपारा ग्राम पंचायत	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुल्लम्पारा, तिरुवनंतपुरम, केरल
34.	जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, कन्नूर मे एक्स-रे मशीन की खरीद और स्थापना	670002	17.10.2025	11,79,436	सीएसआर 00015937	जिला पंचायत, कण्णूर	जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, ताना, कण्णूर, केरल
35.	एकाधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए कर्णिकराम विशेष ग्राम पुनर्वास केंद्र	679105	20.11.2025	12,50,000	सीएसआर 00003511	नीला सेवा समिति	तणल बालाश्रमम, मयन्नूर, तृश्शूर, केरल
36.	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए समर्थन	682308	07.10.2025	13,76,494	सीएसआर 00042111	कल्लोरक्काड ग्राम पंचायत	सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय, कल्लोरककाड, एर्णाकुलम, केरल
37.	श्री शंकरा विद्या निकेतन यूपी स्कूल, मानंतवाडी आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार	670645	19.02.2026	15,00,000	सीएसआर 00018118	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन	श्री शंकर विद्यानिकेतन यू पी स्कूल, चेरुकरा, वायनाड, केरल
38.	सेंट तेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम में न्यूट्री फूड लैब की स्थापना	682011	16.04.2025	15,00,000	सीएसआर 00027592	सेंट तेरेसास कॉलेज	सेंट तेरेसास कॉलेज वेलफेयर सोसाइटी, पार्क एवेन्यू रोड, एर्णाकुलम, केरल
39.	उन्नत ऑन्कोलॉजी सेंटर, नल्लूरनाड की स्थापना, अम्बेडकर मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट कैंसर सेंटर, सरकारी जनजातीय विशेषता अस्पताल	670645	14.08.2025	16,30,000	सीएसआर 00068596	जिला निर्मिति केंद्र, वायनाड	सरकारी जनजातीय विशेषता अस्पताल, नालूरनाड, वायनाड, केरल
40.	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, हंगारकट्टे, उडुपी में 3 कक्षाओं का निर्माण	576101	12.03.2025	16,50,000	सीएसआर 00066132	पल्ली श्रीनिवास हेगडे चैरिटबल ट्रस्ट	सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, बालाकुद्रु, उडुपी, कर्नाटक
41.	सनातन सेवा समिति, कूडप्पुषा में वृद्धाश्रम का निर्माण	680307	12.12.2025	20,00,000	सीएसआर 00057210	सनातन सेवा समिति	सनातन सेवा समिति शैक्षिक, सांस्कृतिक और धर्मार्थ ट्रस्ट, कूडप्पुषा, चालक्कुडी, त्रिशूर, केरल
42.	अजमेर में आरोग्य केंद्र स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का निर्माण	302015	26.01.2026	20,00,000	सीएसआर 00058152	बाल संसार संस्था	स्वस्ति, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान
43.	मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए मैमोग्राम मशीन	683112	24.10.2025	30,00,000	सीएसआर 00019921	राजगिरी कारुण्य ट्रस्ट	राजगिरी अस्पताल, चुनंगनवेली, आलुवा, एर्णाकुलम, केरल
44.	पुनर्वास ऑन्कोलॉजी इकाई का संवर्धन	670103	06.05.2025	35,00,000	सीएसआर 00010773	मलबार कैंसर सेंटर	मलबार कैंसर केंद्र पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ऑन्कोलॉजी साइसेंस एंड रिसर्च, मूषिक्करा पी ओ, तलश्शेरी, कण्णूर, केरल

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित) का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹)	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
45.	चेराई, एर्णाकुलम में चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट का निर्माण, जो केवल भूतल तक सीमित है	683514	08.01.2026	45,00,000	सीएसआर 00020044	राधेयम चाइल्ड केयर परियोजना	एर्णाकुलम करयोगम, टीडीएम हॉल कॉम्प्लेक्स, दरबार हॉल रोड, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल
46.	त्रिक्काकरा नगर निगम क्षेत्र में छह स्थानों पर ओपन जिम	682030	21.03.2026	49,99,627	सीएसआर 00003267	सौख्यम चैरिटबल ट्रस्ट	जॉर्ज ईडन रोड, कलूर, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल
47.	आरसीसी में अनुसंधान निदान क्षमता का आधुनिकीकरण - ड्रॉपलेट डिजिटल पीसीआर प्रणाली	695011	20.09.2025	59,99,982	सीएसआर 00017970	क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरुवनंतपुरम	मेडिकल कॉलेज पी ओ, तिरुवनंतपुरम, केरल
48.	हृदय रोग विभाग हृदय प्रत्यारोपण इकाई के लिए उपकरण, जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम	682011	12.10.2025	70,00,000	सीएसआर 00016677	जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम	अस्पताल विकास सोसाइटी, जरल अस्पताल, एर्णाकुलम, केरल
49.	चिकित्सा उपकरणों की खरीद और खाद्य वितरण केंद्र का निर्माण	683503	22.03.2026	88,23,700	सीएसआर 00025439	सरकारी मेडिकल कॉलेज, एर्णाकुलम	एर्णाकुलम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल विकास सोसाइटी, एर्णाकुलम
50.	कुसाट, कोच्ची में सतत पोत निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र	682022	19.03.2026	55,50,000	सीएसआर 00027765	कुसाट	पंजीयक, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (कुसाट), कलमश्शेरी, एर्णाकुलम
51.	कोच्चि नगर निगम में विभिन्न स्थानों पर ओपन जिम की स्थापना	682018	26.03.2026	31,16,000	सीएसआर 00022791	विरासत, पर्यावरण और विकास केंद्र	कच्चेरीपडी, कोच्ची, एर्णाकुलम
52.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुलत्तुपुझा में ओपी/आईपी ब्लॉक का निर्माण	691310	20.02.2026	30,00,000	सीएसआर 00035386	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुलत्तुपुझा	केरल राज्य निर्मिति केंद्र, कोट्टारक्करा, कोल्लम
53.	दिव्यांगजनों के लिए डे केयर सेंटर के निर्माण के लिए समर्थन	680312	10.02.2026	23,00,000	सीएसआर 00071228	सेवाभारती, पुदुक्काड	चेंगल्लूर पी ओ, तृश्शूर
54.	एर्णाकुलम के आदिवासी क्षेत्र और उपनगरों में नेत्र जांच और मोतियाबिंद सर्जरी के लिए वाहन सहायता	682020	28.03.2026	21,15,000	सीएसआर 00057179	एसएसएम नेत्र अनुसंधान फाउंडेशन	पोन्नेत्त मंदिर रोड, कंडवत्रा, कोच्ची, एर्णाकुलम
55.	एआई स्मार्ट फेंसिंग की स्थापना के लिए समर्थन	686691	24.03.2026	20,00,000	सीएसआर 00087174	कोतमंगलम तोडुपुझा वन विकास एजेंसी	डिविज़नल कार्यालय, कोतमंगलम, एर्णाकुलम
56.	ओचनतुरुत्तु, वैपिन में जेरामिया के केंद्र के लिए बेसमेंट और भूतल के निर्माण के लिए समर्थन	682508	22.03.2026	18,00,000	सीएसआर 00005080	जेरामिया हॉम और बेट्रोनो प्रशामक देखभाल केंद्र चैरिटबल ट्रस्ट	ओचनतुरुत्त, वैपिन, एर्णाकुलम
57.	कुफोस, पनंगाड परिसर में शैक्षिक सुविधाओं का उन्नयन	682506	28.03.2026	18,00,000	सीएसआर 00089635	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज़ एंड ओशन स्टडीज़	पनंगाड, कोच्ची, एर्णाकुलम
58.	नाज़रेथ एलपी स्कूल, अलुवा में सभागार और ट्रस कार्य का निर्माण	683101	20.03.2026	18,00,000	सीएसआर 00089671	नज़रेत्त एल पी स्कूल, आलुवा	फ्रेंडशिप हाउस, फादर इग्नेशियस जंक्शन, आलुवा, एर्णाकुलम
59.	श्री राघवेंद्र विद्यालय, चेरथला, अलाप्पुझा में स्कूल भवन के निर्माण के लिए समर्थन	688523	27.02.2026	15,00,000	सीएसआर 00025455	श्री राघवेन्द्र विद्यालय	श्री व्यास प्रसन्ना राघवेन्द्र चैरिटबल ट्रस्ट, पुदुक्कलवट्टम, एलमक्करा, कोच्ची, एर्णाकुलम
60.	चोट्टानिक्कारा में जीएचएस में कक्षा के निर्माण के लिए समर्थन	682312	15.02.2026	15,00,000	सीएसआर 00018797	गवर्नमेंट हाई स्कूल, चोट्टानिक्करा	जिला पंचायत, एर्णाकुलम

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित) का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹)	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
61.	भवन्स, त्रिशूर में योग हॉल के निर्माण के लिए समर्थन	680751	18.03.2026	15,00,000	सीएसआर 00009636	भारतीय विद्या भवन	पूचाट्टी, तृश्शूर
62.	होप फाउंडेशन, कण्णूर में दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र का निर्माण	670504	20.03.2026	14,40,000	सीएसआर 00059474	स्वास्थ्य उन्मुख परियोजना प्रतिष्ठान	कण्णूर
63.	कोच्चि में कुसाट परिसर में 50 किलोवाट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना	682022	15.02.2026	12,50,000	सीएसआर 00027765	कुसाट	पंजीयक, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कलमश्शेरी, एर्णाकुलम
64.	गांधी शताब्दी सरकारी मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय, मालपे के लिए खुले सभागार का निर्माण	576108	13.03.2026	12,40,000	सीएसआर 00066132	गांधी शताब्दी सरकारी मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय	पल्ली श्रीनिवास हेगडे चैरिटबल ट्रस्ट, उडुपी
65.	सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग और पहचान के साथ मोबाइल यूनिट के लिए समर्थन, कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता और वायनाड में सिकल सेल रोगियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास	673122	28.03.2026	10,00,000	सीएसआर 00070024	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, वायनाड
66.	सोलर स्ट्रीट लाइटिंग की स्थापना - जीएचएसएस मुंडेरी, कन्नूर	670591	15.02.2026	10,00,000	सीएसआर 00015937	सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	जिला पंचायत, मुंडेरी, कण्णूर
67.	सेंट मेरी यूपी स्कूल, दक्षिण चित्तूर में स्कूल भवन का निर्माण	682027	13.03.2026	10,00,000	सीएसआर 00029931	सेंट मेरीस यू पी स्कूल	एर्णाकुलम सोशल सर्विस सोसाइटी, कच्चेरीपडी, कोच्ची, एर्णाकुलम
68.	अरयांकावु, एर्णाकुलम में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण	682315	28.03.2026	10,00,000	सीएसआर 00028768	महात्मा अय्यंकाली अंबेडकर रिसर्च एंड चैरिटबल ट्रस्ट	अरयनकावु, एर्णाकुलम
69.	सीतालक्ष्मी और बीएम रामकृष्ण हथवार सरकारी हाई स्कूल, बीजादी में सामुदायिक भवन का निर्माण	576222	22.03.2026	10,00,000	सीएसआर 00023655	सीतालक्ष्मी और बी एम रामकृष्णन हर्ब्रेवार सरकारी हाई स्कूल, बीजादी	गीतानंद फाउंडेशन सिंधुधया, मनोर, उडुपी
70.	अनंतमूर्ति इंटरनेशनल स्कूल, तिरुवनंतपुरम के बुनियादी ढांचे का विकास	695013	28.03.2026	9,00,000	सीएसआर 00092032	अनंतमूर्ति फाउंडेशन	तिरुवनंतपुरम
71.	एडुमानूर के सैनजोसे विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए स्कूल बस	686631	23.03.2026	9,00,000	सीएसआर 00087614	संजोस विद्यालय, एडुमानूर	संजोस वेलफेयर सेंटर, एडुमानूर, कोट्टयम

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित) का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹)	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
72.	पत्तनमथिट्टा में जनजातीय समुदाय केंद्र का निर्माण	689662	28.02.2026	9,00,000	सीएसआर 00062029	जनजातीय समुदाय केंद्र, मंजतोडु, पत्तनमतिट्टा	आरईसीसीएए सेवा चारिटबिल सोसाइटी, कोट्टयम
73.	मॉडल ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल, चालकुडी का बुनियादी ढांचा विकास	680721	25.03.2026	8,50,000	सीएसआर 00063487	मॉडल ट्राइबल रेज़िडेंशियल स्कूल, चालक्कुडी	जिला निर्मिती केंद्र, त्रिशूर
74.	मरड में नित्यसहायसदन जराचिकित्सा और प्रशामक देखभाल केंद्र का नवीनीकरण	682304	22.02.2026	7,50,000	सीएसआर 00061982	नित्यासहायसदन जेरियाट्रिक एंड पैलिएटिव केयर सेंटर	पेरपेटुअल सक्कर चैरिटबिल ट्रस्ट (पीएस मिशन), मरडु, एर्णाकुलम
75.	ग्राम पंचायत नेचूर, मणीड ग्राम पंचायत के एलपी स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास	686664	23.03.2026	5,79,387	सीएसआर 00044956	सरकारी एल पी स्कूल	मणीड ग्राम पंचायत, नेचूर, एर्णाकुलम
76.	एमएए राधिका इंटर कॉलेज, वाराणसी में वंचित छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब	221208	22.03.2026	5,00,000	सीएसआर 00006833	मा राधिका इंटर कॉलेज, ओदार, वाराणसी	राष्ट्रीय शिक्षा उद्यमिता और विकास सोसाइटी, अंबाला शहर, हरियाणा
77.	सरल दिगिकुल - बिहार के नालंदा जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए नौकरी उन्मुख प्रशिक्षण	803111	24.02.2026	5,00,000	सीएसआर 00012878	सरल सर्विसेज़, नालंदा	नालंदा हेरिटेज सिटी, बिहार
78.	केरल के चयनित नेत्रहीन स्कूलों में दृष्टिबाधित युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के उपकरणों की खरीद	686508	29.03.2026	4,50,000	सीएसआर 00090294	इक्विबींग फाउंडेशन	तुमकुर रोड, नागसंद्र, बेंगलुरू

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 08444440

कोच्ची
मई 15, 2026

अनुलग्नक - III

फार्म सं. एमआर-3

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरूमानूर, एम जी रोड
एर्णाकुलम केरल - 682015

हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीआईएन: L63032KL1972GOI002414) (बाद में कंपनी या सीएसएल कहा जाएगा)द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से किया गया था कि हमें निगमित आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने केलिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए रखे अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हम कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए कंपनी द्वारा बनाए रखे बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम और इसके अधीन बनाए गए उपनियम;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी सीधा निवेश, समुद्रपार सीधा निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार राशियों की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है)।

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और मार्गनिर्देश:-

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनिमय, 2015

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ('सेबी एलओडीआर विनियम')

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है)।

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)।

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है)।

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है) और

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018, (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)।

vi. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित अन्य कानून कंपनी पर विशेष रूप से लागू होते हैं:

क. कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप नियम।

ख. खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989।

ग. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापार संचलन), नियम, 2008।

घ. बैटरियां (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2001।

ड. उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

ज. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

झ. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

ञ. औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

त. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

थ. विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम ।

द. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों केलिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 (सीपीएसई केलिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दिशानिर्देश) और

ध. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों केलिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड (एसएस1) और आम बैठकों (एसएस2) से संबंधित सचिवीय मानक,

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के साथ किया गया सूचीबद्धता समझौता ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, कानूनों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है।

1. बोर्ड की संरचना - स्वतंत्र निदेशक

कंपनी के पास लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अपने बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी एलओडीआर विनियम'), कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 149, और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश ('सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देश') के खंड 3.1 के तहत आवश्यक है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जिसे 21 मई, 2025 को नियुक्त किया गया था। परिणामस्वरूप, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 25(3) और (4) और अधिनियम की अनुसूची के तहत अनिवार्य स्वतंत्र निदेशक की अलग बैठक के संचालन के संबंध में गैर-अनुपालन थी।

2. महिला निदेशक/महिला स्वतंत्र निदेशक

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 के तहत अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षा अवधि की शुरुआत से 20 मई, 2025 तक इसके बोर्ड में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी। इसके अलावा, कंपनी उक्त अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149 के तहत कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं कर रही थी।

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी के पास लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18, अधिनियम की धारा 177 और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के तहत आवश्यक है। परिणामस्वरूप, कंपनी सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के विनियम 18 (2) और खंड 4.4 के तहत अनिवार्य लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आचरण और आवृत्ति के संबंध में भी गैर-अनुपालन थी।

4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी के पास लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 19, अधिनियम की धारा 178 और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के तहत आवश्यक है। परिणामस्वरूप, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 19(3ए) के तहत अनिवार्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के आचरण और आवृत्ति के संबंध में भी गैर-अनुपालन थी।

5. हितधारक संबंध समिति

कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 20 और अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा अवधि की शुरुआत से 31 मई, 2025 तक विधिवत गठित हितधारक संबंध समिति नहीं थी।

6. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी के पास अधिनियम की धारा 135 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षा अवधि की शुरुआत से 31 मई, 2025 तक विधिवत गठित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति नहीं थी।

7. जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षा अवधि की शुरुआत से 31 मई, 2025 तक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति नहीं थी।

8. बोर्ड बैठकों के लिए गणपूर्ति

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 के तहत अनिवार्य कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की कोरम की आवश्यकता 15 मई, 2025 को आयोजित कंपनी की बोर्ड बैठक में पूरी नहीं हुई क्योंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हमने देखा है कि इस तरह के गैर-अनुपालन को बोर्ड द्वारा विधिवत नोट किया गया है और पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए उचित अनुरोध भारत सरकार को भेजे गए हैं। कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

1. श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएनः 07376798), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक 31 जनवरी, 2026 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। इसके अलावा, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या एसवाई-11011/1/2009-सीएसएल दिनांक 28 जनवरी, 2026 के अनुसार, श्री वलियापरम्बिल जेकब जोस (डीआईएनः 08444440), निदेशक (वित्त) को 01 फरवरी, 2026 से तीन महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

2. मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त, 2025 को ईमेल के माध्यम से कंपनी को भेजे गए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय द्वारा 21 अगस्त, 2025 को जारी किए गए पत्र संख्या 01/03/2025-ईओ (एसीसी) और संख्या 01/04/2025-ईओ (एसीसी) के संदर्भ में, श्री शंकर नारायण पिल्लई हरिकृष्णन (डीआईएनः 10221559), कार्यकारी निदेशक (पोत निर्माण), सीएसएल और श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएनः 09576336), कार्यकारी निदेशक (पोत मरम्मत), सीएसएल ने क्रमशः कंपनी के निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (तकनीकी) के रूप में 27 अगस्त, 2025 से कार्यभार ग्रहण किया था।

3. श्री राजेश कुमार सिन्हा आईएएस (डीआईएनः 05351383), तत्कालीन अपर सचिव, एमओपीडब्ल्यूएसई के स्थान पर श्री वेंकटेशपति शिवपेरुमाल आईएएस (डीआईएनः 07407879), संयुक्त सचिव, एमओपीडब्ल्यूएसई को 07 अगस्त, 2025 से अगले आदेश तक कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. केरल सरकार के परिवहन विभाग के विशेष सचिव श्री पी.बी. नूह (डीआईएनः 09701541) को कंपनी के निदेशक मंडल में 20 जून, 2025 से अगले आदेश तक के लिए अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

5. श्री बिजोय भास्कर (डीआईएनः 08103825), निदेशक (तकनीकी) 31,2025 मई को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।

6. श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएनः 09543968), निदेशक (प्रचालन) 31 मई, 2025 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।

7. श्री बिजु प्रभाकर आईएएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएनः 03093072), अंशकालिक अधिकारी (नामिति) निदेशक ने अधिनियम की धारा 167(1)(बी) के अनुसार 31 मई, 2025 को कार्यालय खाली कर दिया था।

8. डॉ सीमा सूरी (डीआईएनः 11117145) को 21 मई, 2025 से 19 मई, 2028 तक सीएसएल के बोर्ड में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निगमित शासन शर्तों के अनुपालन के लिए बीएसई और एनएसई दोनों द्वारा जुर्माना लगाया गया है जैसा कि एसईबीआई एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित किया गया है:

1	अप्रैल 01, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए एसईबीआई एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 (1) (निदेशक मंडल का संघटन - अपर्याप्त/कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं) का गैर-अनुपालन।	₹16,22,500/- (जीएसटी सहित)	बीएसई और एनएसई
2	30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान विनियम 17(2ए) (बोर्ड बैठकों के कोरम से संबंधित आवश्यकताएं) का गैर-अनुपालन।	₹11,800 (जीएसटी सहित)	बीएसई और एनएसई
3	01 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए विनियम 18 (लेखापरीक्षा समिति का गठन) का गैर-अनुपालन।	₹6,49,000 (जीएसटी सहित)	बीएसई और एनएसई
4	01 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए विनियम 19 (नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन) का गैर-अनुपालन।	₹6,49,000 (जीएसटी सहित)	बीएसई और एनएसई
5	30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान विनियम 20 (हितधारकों के संबंध समिति का गठन) का गैर-अनुपालन।	₹1,43,960 (जीएसटी सहित)	बीएसई और एनएसई
6	30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान विनियम 21 (जोखिम प्रबंधन समिति का गठन) का गैर-अनुपालन।	₹1,43,960 (जीएसटी सहित)	बीएसई और एनएसई

नोट:

कंपनी एक सीपीएसई होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है। यह देखा गया है कि पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए उचित अनुरोध, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है, भारत सरकार को भेजे गए हैं। परिणामस्वरूप, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 के माध्यम से डॉ सीमा सूरी (डीआईएनः 11117145) को सीएसएल के बोर्ड में एक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनके शामिल होने के बाद, कंपनी ने 01 जून, 2025 को सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुरूप हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया। चूंकि उक्त गैर-अनुपालन न तो कंपनी की लापरवाही/चूक के कारण थे और न ही कंपनी के प्रबंधन के नियंत्रण में थे, इसलिए बीएसई और एनएसई ने कंपनी द्वारा माफी अनुरोध प्रस्तुत करने पर सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(2B), 20 और 21 के तहत लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया है। शेष पांच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार से प्रतीक्षित है। यह सूचित किया गया है कि अनुपालन प्राप्त करना जुर्माने की छूट के लिए आवेदन करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, इसलिए शेष स्वतंत्र निदेशकों की भारत सरकार द्वारा नियुक्ति पर, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1), 18 और 19 के संबंध में लगाए गए जुर्माने की छूट के लिए उपयुक्त अनुरोध, जुर्माने की छूट के लिए मौजूदा नीति के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किए जाएंगे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन दिनांक 22 नवंबर 2024 से कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों जिनमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, उनके उचित संतुलन के बिना किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन, ऊपर बताए गए प्रावधानों को छोडकर, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने केलिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले कार्यवृत्त मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और कम समय की सूचना के मामले को छोडकर बैठक में सार्थक भागीदारी केलिए एक प्रणाली मौजूद है।

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णय बहुमत के आधार पर लिए गए और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया । समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने केलिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित कोई भी घटना नहीं हुई:

(i) सार्वजनिक / अधिकार/ अधिमान्य निर्गम सहित प्रतिभूतियों का निर्गमन।

(ii) अधिनियम की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय।

(iii) प्रतिभूतियों का मोचन।

(iv) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

(v) विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण।

(vi) विदेशी तकनीकी सहयोग।

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्या के पत्र के साथ पढा जाना चाहिए, जिसे **अनुलग्नक क** के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कृते एसईपी एंड एसोसियेट्स

कंपनी सचिव
(सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 6780/2025)
यूडीआईएन : F003050H000258437

सी एस पुष़्न्करा शिवकुमार
प्रबंध भागीदार
स.सं. : 3050 सीओपी सं. : 2210

स्थान : कोच्ची
तिथि : 02.05.2026

सम तिथि के सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

सेवा में
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, कोच्ची
एर्णाकुलम, केरल - 682015

हमारी सम-तिथि की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जानी है।

1. **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) पर लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से नमूना जांच के आधार पर अभिलेखों और प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

2. लागू कानूनों के सचिवीय और अन्य अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें प्रदान किए गए संगत अभिलेखों के लेखापरीक्षण के आधार पर, आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण सहित, एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।

3. लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय और अभिलेखों की विषय-वस्तु, कानूनी अनुपालन तंत्र और कॉर्पोरेट आचरण की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने केलिए, यथोयोग्य प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथाएं हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट केलिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

4. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता सत्यापित नहीं की गई है।

5. हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और जहां भी आवश्यक हो, घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

6. अनुपालन पर राय बनाते समय और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने 31 मार्च 2026 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है।

7. हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों पर विचार किया है, जहां कहीं भी कई व्याख्याओं की गुंजाइश थी, वहां कानून के अनुपालन में है।

कृते एसईपी एंड एसोसियेट्स
यूडीआईएन : F003050H000258437

कंपनी सचिव
(सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं 6780/2025)

सी एस पुष़न्करा शिवकुमार
प्रबंध भागीदार
स.सं. : 3050 सीओपी सं. : 2210

स्थान : एर्णाकुलम
तिथि : 02.05.2026

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
जोस वी जे
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 08444440

कोच्ची
मई 15, 2026

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी की धारणा

1. कोचीन शिपयार्ड एक आदर्श कार्पोरेट के रूप में प्रकट होने के लिए निगमित शासन का महत्व पहचानते हैं। कंपनी ने नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया है जो बडे पैमाने पर समाज और विभिन्न शेयरधारकों अर्थात् शेयरधारकों, लेनदारों, ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से अपनाया है। सीएसएल दृढता से मानता है कि कंपनी केवल अच्छी और ठोस निगमित प्रशासन सिद्धांतों के माध्यम से ही एक मजबूत वैधिक नेता के रूप में उभर सकता है। लगातार पिछले कुछ सालों से कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निगमित शासन कार्यों में उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है।

निदेशक मंडल

2. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) का निदेशक मंडल अच्छा निगमित शासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी के बोर्ड का संयोजन कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम) और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी आई एन)	निदेशकों की श्रेणी
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर [1]	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री बिजोय भास्कर [2]	08103825	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री जोस वी जे [3]	08444440	निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
4.	श्री श्रीजित के नारायणन [4]	09543968	निदेशक (प्रचालन)
5.	डॉ हरिकृष्णन एस [5]	10221559	निदेशक (प्रचालन)
6.	श्री राजेष गोपालकृष्णन [6]	09576336	निदेशक (तकनीकी)
7.	श्री राजेश कुमार सिंहा, आईएएस (सेवानिवृत्त) [7]	05351383	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति)
8.	श्री वेंकटेसपति एस, आईएएस [7]	07407879	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति)
9.	श्री बिजु प्रभाकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) [8]	03093072	अंशकालिक सरकारी निदेशक(सरकारी नामिति)
10.	श्री पी बी नूह, आईएएस [9]	09701541	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति)
11.	डॉ सीमा सूरी [10]	11117145	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

[1] मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अपने पत्र सं. 01/06/2025-ईओ(एसीसी) दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के माध्यम से श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकाल 01 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक, अर्थात उनकी अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) की तिथि तक, बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप, वे 31 जनवरी, 2026 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

[2] श्री बेजॉय भास्कर, निदेशक (तकनीकी), दिनांक 31 मई, 2025 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

[3] श्री जोस वी जे, जिनका निदेशक के रूप में कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन था, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), जो दिनांक 29 सितंबर, 2025 को आयोजित हुई, उसमें कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मधु शंकुण्णी नायर के दिनांक 31 जनवरी, 2026 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, श्री जोस वी जे को दिनांक 01 फरवरी, 2026 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

[4] श्री श्रीजित के. नारायणन, निदेशक (प्रचालन), दिनांक 31 मई, 2025 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

[5] मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अपने पत्र सं. 01/03/2025-ईओ(एसीसी) दिनांक 21अगस्त, 2025 के माध्यम से कंपनी के पूर्व कार्यकारी निदेशक (पोत निर्माण) डॉ हरिकृष्णन एस को कंपनी का निदेशक (प्रचालन) नियुक्त किया। डॉ हरिकृष्णन एस ने दिनांक 27 अगस्त, 2025 को निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार ग्रहण किया।

[6] मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अपने पत्र सं. 01/04/2025-ईओ(एसीसी) दिनांक 21 अगस्त, 2025 के माध्यम से कंपनी के पूर्व कार्यकारी निदेशक (पोत मरम्मत) श्री राजेष गोपालकृष्णन को कंपनी का निदेशक (तकनीकी) नियुक्त किया। श्री राजेष गोपालकृष्णन ने दिनांक 27 अगस्त, 2025 को निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण किया।

[7] भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 07 अगस्त, 2025 के माध्यम से भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री वेंकटेसपति एस, आईएएस को श्री राजेश कुमार सिंहा, आईएएस (सेवानिवृत्त) के स्थान पर कंपनी का अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक नियुक्त किया।

[8] भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 07 अगस्त, 2025 के माध्यम से भारत सरकार के श्री बिजू प्रभाकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार 31 मई, 2025 को कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के पद से अपना पद रिक्त कर दिया।

[9] भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एसवाई -11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 20 जून, 2025 के माध्यम से केरल सरकार के परिवहन विभाग के विशेष सचिव श्री पी बी नूह, आईएएस को श्री बिजु प्रभाकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) के स्थान पर कंपनी का अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक नियुक्त किया।

[10] भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एसवाई -11012/1/2016- सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 के माध्यम से डॉ. सीमा सूरी को दिनांक 21 मई, 2025 से प्रभावी रूप से कंपनी की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया।

3. इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार निदेशक पद पर कार्यरत निदेशकों का परिचय, जिसमें उनके विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विवरण भी सम्मिलित है, वार्षिक प्रतिवेदन के प्रथम भाग में दिया गया है। निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में धारण किए गए निदेशक पदों तथा विभिन्न समितियों में उनकी सदस्यता/पदों का विवरण नीचे 'अन्य निदेशक पद एवं समिति पद' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है।

4. निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रकटीकरण : शून्य

5. कंपनी का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध कंपनियों, जिनमें वे निदेशक हैं, में कुल मिलाकर दस से अधिक समितियों का सदस्य अथवा पाँच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं रहा। कंपनी के किसी भी निदेशक ने सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारण नहीं किया। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित किसी भी पूर्णकालिक निदेशक ने किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद धारण नहीं किया। साथ ही, कंपनी के किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार निदेशकों को निदेशक मंडल एवं उसकी समितियों की बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों के लिए बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाग लेने की आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कीं तथा निदेशकों ने आवश्यकता अनुसार इस सुविधा का उपयोग किया।

7. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें सेबी लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट तरीके से आयोजित की गई हैं।

बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

8. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक						एजीएम#
	2025				2026		2025
	मइ 15	अगस्त 12	सितंबर 02	नवंबर 12	जनवरी 28	मार्च 27	सितंबर 29
श्री मधु शंकुण्णी नायर	✓	✓	✓	✓*	✓	लागू नहीं	✓
श्री बिजोय भास्कर	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जोस वी जे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री श्रीजित के नारायणन	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ हरिकृष्णन एस	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	✓
श्री राजेष गोपालकृष्णन	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	✓
श्री राजेश कुमार सिंहा, आईएएस (सेवानिवृत्त)	✓*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री बिजु प्रभाकर, आईएएस (सेवानिवृत्त)	⊗	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री वेंकटेसपति एस, आईएएस	लागू नहीं	✓*	✓*	✓*	⊗	⊗	✓*
श्री पी बी नूह, आईएएस	लागू नहीं	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
डॉ सीमा सूरी	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया।

वार्षिक आम बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई।

✓ उपस्थित ⊗ अनुपस्थिति की छुट्टी

अन्य निदेशकता और समिति पद

9. जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, दिनांक 31 मार्च, 2026 की तिथि के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता की कुल संख्या तथा विभिन्न समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता के पदों का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशकता की संख्या		सार्वजनिक कंपनियों में अन्य बोर्ड समिति पद		अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है	सूचीबद्ध इकाई में निदेशकता की श्रेणी
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य		
श्री मधु शंकुण्णी नायर (31 जनवरी, 2026 को कार्यकाल समाप्ति की तिथि के अनुसार)	2	2	-	-	-	-
श्री बेजॉय भास्कर (31 मई, 2025 को कार्यकाल समाप्ति की तिथि के अनुसार)	-	2	-	-	-	-
श्री जोस वी जे	2	2	-	-	-	-
श्री श्रीजित के नारायणन (31 मई, 2025 को कार्यकाल समाप्ति की तिथि के अनुसार)	-	2	-	-	-	-
डॉ हरिकृष्णन एस	-	2	-	-	-	-
श्री राजेष गोपालकृष्णन	-	2	-	-	-	-
श्री राजेश कुमार सिंहा, आईएएस (सेवानिवृत्त) (07 अगस्त, 2025 को कार्यकाल समाप्ति की तिथि के अनुसार)	-	3	-	-	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नामिति निदेशक
श्री वेंकटेसपति एस, आईएएस	-	1	-	-	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	नामिति निदेशक
श्री बिजु प्रभाकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) (31 मई, 2025 को कार्यकाल समाप्ति की तिथि के अनुसार)	1	8	-	1	-	-
श्री पी बी नूह, आईएएस	-	3	-	-	-	-
डॉ सीमा सूरी	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी

(i) ऊपर उल्लिखित अनुसार निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों में एवजी निदेशकता और निदेशकता शामिल नहीं है।

(ii) केवल सभी सार्वजनिक कंपनियों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों और हितधारक की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता विचार किया गया है।

10. निम्नलिखित को छोडकर कोई भी निदेशक को दिनांक 31 मार्च 2026 की तिथि पर कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है:

निदेशक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
डॉ हरिकृष्णन एस	240
श्री राजेष गोपालकृष्णन	400

बोर्ड के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता

11. सीएसएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। कंपनी से संबंधित व्यवसाय के संदर्भ में, बोर्ड के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और तदनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों के पास उद्योग की आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञता और योग्यता है।

स्वतंत्र निदेशक

12. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 के अनुपालन में, दिनांक 01 मई, 2024 तक सीएसएल में एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशक थे। हालाँकि, श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन: 01351097) ओडिशा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के कारण अपने त्यागपत्र के परिणामस्वरूप, दिनांक 02 मई, 2024 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नहीं रहे। इसके अतिरिक्त, शेष पाँच स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप दिनांक 21 नवंबर, 2024 को अपना पद त्याग दिया। सीएसएल ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचना प्रदान कर दी है। सीएसएल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है।

13. भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एसवाई -11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 के माध्यम से डॉ. सीमा सूरी को दिनांक 21 मई, 2025 से प्रभावी अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तीन वर्ष की अवधि के लिए सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया। शेष पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है तथा इस संबंध में निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

14. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू में 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो केलिए की जाती है। नियुक्ति की मुख्य शर्तें https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent पर देखी जा सकती है।

15. स्वतंत्र निदेशकों केलिए परिचितीकरण कार्यक्रम आम तौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति बैठकों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर अविरत आधार पर अद्यतन किया जाता है:

- उद्योग की प्रकृति जिसमे कंपनी संचालित होती है।
- कंपनी के विभिन्न व्यापार प्रभागों के व्यापार परिस्थिति और संचालनात्मक मॉडल जिसमें भविष्य के महत्वपूर्ण विकास शामिल है।
- कंपनी पर प्रभाव वाले नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव।

16. स्वतंत्र निदेशकों को परिचितीकरण कार्यक्रम का विवरण https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent में प्राप्त किया जा सकता है।

17. निदेशक मंडल की राय में, डॉ. सीमा सूरी, गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक ने सेबी सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है तथा वे कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र थीं।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

18. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, क्योंकि सीएसएल के निदेशक मंडल में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक थे।

बोर्ड के सदस्यों को सूचना की उपलब्धता

19. निदेशक मंडल को कंपनी के भीतर उपलब्ध किसी भी सूचना तथा कंपनी के किसी भी कर्मचारी तक पूर्ण पहुँच प्राप्त है। निदेशक मंडल की बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति का स्वागत किया जाता है, जिससे वे बैठक में विचाराधीन विषयों पर अतिरिक्त जानकारी एवं उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान कर सकें। सामान्यतः निदेशक मंडल के समक्ष निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं:

(i) शेयरों पर अभुक्त पैसे के संबंध में शेयरधारकों को निर्देश देना।

(ii) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को प्राधिकृत करना।

(iii) भारत और विदेश में ऋण पत्र सहित प्रतिभूतियों को जारी करना।

(iv) पैसा उधार में लेना।

(v) कंपनी की निधियों का निवेश।

(vi) ऋण के संबंध में प्रतिभूति प्रदान करना या गारंटी देना या ऋण मंजूर करना

(vii) वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन करना।

(viii) कंपनी के व्यापार में विविधता लाना।

(ix) समामेलन, विलय या पुनर्निमाण का अनुमोदन करना।

(x) कंपनी का बदलाव, या किसी अन्य कंपनी में एक नियंत्रित लाभ या पर्याप्त शेयर प्राप्त करना।

(xi) मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या हटाव।

(xii) आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति।

(xiii) निदेशकों के हित में सामान्य सूचनाएं।

(xiv) बोर्ड समितियों के विचारार्थ विषय

(xv) लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, प्रचालन के जरिए पारित संकल्प और सहायक कंपनी की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त भी।

(xvi) व्यापार, पूँजी बजट और किसी आधुनिकीकरण की वार्षिक प्रचालन योजनाएं।

(xvii) कंपनी और इसके प्रचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों की तिमाही परिणाम।

(xviii) लाभांश की घोषणा।

(xix) सामग्री, निवेश तथा संपत्ति की बिक्री जो कारोबार के सामान्य प्रक्रिया में नही है।

(xx) विदेशी मुद्रा विनिमय की अवस्थिति विनिमय दर की प्रतिकूल गति के जोखिम सीमित करने केलिए प्रबंध द्वारा लिए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण है, का तिमाही विवरण।

(xxi) आंतरिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षो तथा बाह्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (लेखा परीक्षा समिति के जरिए)

(xxii) कारोबार जोखिम विवरणों की स्थिति, उसके प्रबंध और संबंधित क्रिया योजनाएं।

(xxiii) किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौता का विवरण।

(xxiv) कारण दिखाने, माँग, अभियोजन सूचनाएं और दंड सूचनाएं जो वस्तुत महत्वपूर्ण है।

(xxv) घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरात्मक घटनाएं, किसी भी द्रव्यात्मक स्रव अथवा प्रदूषण समस्याएं।

(xxvi) कार्यान्वयन केलिए विचार किए तथा शुरू किए सभी नीति संबंध मामलों।

(xxvii) कंपनी को या कंपनी द्वारा बेचे गए माल केलिए पर्याप्त और भुगतान तथा कंपनी को या कंपनी द्वारा विच्चीय द्यित्वों में कोई सामग्री डिफोल्ट है।

(xxviii) कोई भी मुद्दे जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता के दावें शामिल हो, जो कंपनी के आधार पर पारित गुण-दोष व्यवस्था हो, या एक अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टि कोण लिए हो, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

(xxix) मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक पर जानकारी।

(xxx) किसी भी नियामक का गैर अनुपालन, सांविधिक या सूचीकृत आवश्यकताएं तथा शेयरधारकों की सेवाएं अर्थात् लाभांश का गैर- भुगतान, शेयर स्थानांतरण में देरी आदि।

(xxxi) महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं तथा उसके प्रस्तावित समाधान मानव संसाधन या औद्योगिक संबंधों जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन में किसी भी महत्वपूर्ण विकास।

(xxxii) लेनदेन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी, या बौद्धिक संपत्ति की ओर सारभूत भुगतान शामिल है।

पहले से वितरित बोर्ड सामग्री

20. आपातकालीन बैठकों को छोडकर, प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठकों की सूचना पहले ही सात दिनों के भीतर सभी सदस्यों को भेज दी जाती है। सभी बोर्ड के सदस्यों की सहमति के साथ आपातकालीन बैठकों को छोडकर, प्रत्येक बोर्ड बैठकों / समितियों केलिए कार्यसूची टिप्पणियां अध्यक्ष से परामर्श करके प्रारूपित और निश्चित कार्यसूची प्रपत्र में पहले ही सात दिनों के भीतर निदेशकों को परिचालित किया गया। बैठक में अर्थपूर्ण एवं संकेन्द्रित चर्चाओं की सुविधा केलिए सभी सामग्री की जानकारी शामिल किया है। जहाँ यह साध्य नहीं हो कि दस्तावेज को संलग्न करना कार्यसूची के साथ किसी उक्त विषय कार्यसूची के विषय के विशिष्ट संदर्भ के साथ पर रखे जाते हैं। विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति से कार्यसूची पर अतिरिक्त या पूरक मद (मदें) अनुज्ञप्त है।

21. सीएसएल ने अपनी बैठकों को एक बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर की शुरुआत से जैसे डेस डिजिटल बैठक, जो डिजिटल प्रारूप में बैठक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से सृजित करने, वितरित करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड और समिति के सदस्यों को सही समय पर और सुरक्षित रूप से सूचना प्राप्त होता है । यह बोर्ड प्रबंधन सॉफ्ट वेयर कार्यसूची दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने तक पूरी बैठक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे समय, प्रयास और लागत में बचत होगी और शासन में सुधार होगा।

बोर्ड एवं समिति बैठकों में कार्यवृत्त का कार्यवाहियों का अभिलेखन

22. प्रत्येक बोर्ड और समिति बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाहियों का अभिलेख कंपनी सचिव करता है। कार्यवृत्त का मसौदा बोर्ड/ समिति के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए बैठक की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर परिचालित करता है। अंतिम कार्यवृत्त बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करता है।

बैठक के बाद आगे की कार्यवाही तंत्र

23. बोर्ड/समिति बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तुरंत संबंधित विभागों/ प्रभागों को भी भेजी जाती है। प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति, जहां भी आवश्यक हो, आगामी बैठकों में बोर्ड/ समिति को अवगत कराया जाता है।

अनुपालन

24. बैठक (बैठकों) की कार्यसूची पर टिप्पणी, कार्यवृत्त आदि तैयार करते वक्त लागू कानूनों तथा विनियमों का पालन आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने को कंपनी सचिव जिम्मेदार है जिसमें कंपनी अधिनियम, अधिनियम, 2013 के साथ पढे और उसके तहत बनाए जारी नियमों और

कंपनी सचिव सहित संस्थान द्वारा जारी की गई सचिवीय मानकों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भी शामिल हैं।

बोर्ड समितियां

25. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसएल के बोर्ड के अधीन तीन सांविधिक समितियाँ थीं, जैसे निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास (सीएसआर एवं एसडी) समिति, हितधारक संबंध समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति। भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

लेखा-परीक्षा समिति

26. सीएसएल की लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 21 अगस्त, 2008 को हुआ था। तब से निदेशकों में परिवर्तन के कारण समिति का कई बार पुनर्गठन किया जा चुका है और नवीनतम पुनर्गठन दिनांक 2 मई, 2024 को हुआ था। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ देंगे, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

विचारार्थ विषय

27. लेखा-परीक्षा समिति का विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

(i) सूचीबद्ध संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसके वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण का निरीक्षण से यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के आदेश के आधार पर हमारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति केलिए सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें ।

(iii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों को उनके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं केलिए भुगतान की मंजूरी;

(iv) निम्न विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना:

क. निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरण में शामिल करनेवाले अपेक्षित मामलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है,

ख. लेखांकन नीतियों और कार्यों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और वही केलिए कारण,

ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां,

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय वक्तव्यों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन,

च. किसी भी संबंधी पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण

छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय ।

(v) अनुमोदन केलिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।;

(vi) प्रबंधन के साथ, मुद्दे (सार्वजनिक मुद्दे, अधिकार मुद्दे, अधिमान्य मुद्दे आदि) के जरिए उठाए गए निधियों का उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, पेशकश दस्तावेज/विवरण-पुस्तिका/नोटिस में बताए गए कार्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों केलिए उपयुक्त निधियों का विवरण और सावर्जनिक या अधिकार मुद्दे के आय के उपयोग की जांच करते हुए निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट समीक्षा करना और इस मामले पर कदम उठाने केलिए बोर्ड को उचित सिफारिश देना।

(vii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभाविता की समीक्षा और जांच करना;

(viii) संबंधी पार्टियों के साथ हमारी कंपनी के लेनदेन केलिए अनुमोदन या किसी आगामी संशोधन;

(ix) अंतर-कॉरपरेट ऋण और निवेश की जांच;

(x) जहां भी आवश्यक हो, हमारी कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(xii) प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन, आतंरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा करना;

(xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और आतंरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना,

(xiv) कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष के लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और इसपर अनुवर्ती कार्रवाइ;

(xv) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में जहां सामान प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संदेहास्पद धोखाधडी या अनियमितता या एक विफलता, पर कोई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को मामले के बारे में सूचित करना;

(xvi) लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले, लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा विषय के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा साथ ही साथ विचार के किसी क्षेत्र का पता लगाने केलिए पोस्ट-ऑडिट चर्चा

(xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर ध्यान दें;

(xviii) मुखबिर तंत्र के कार्यों की समीक्षा करना;

(xix) उम्मीदवार के योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति केलिए अनुमोदन;

(xx) निम्नलिखित सूचना की समीक्षा:

क. प्रबंधन चर्चा तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कार्रवाई के परिणाम,

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष के लेनदेन के महत्वपूर्ण विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित अनुसार)

ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमियों का प्रबंधन पत्र/पत्रों,

घ. आंतरिक लेखा कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।

च. विचलन का विवरण:

(i) निरीक्षण अभिकरण की रिपोर्ट सहित विचलन के तिमाही विवरण, यदि लागू हो, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया है;

(ii) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32(7) के अनुसार पेशकश दस्तावेज/प्रोस्पेक्ट्स/नोटिस में बताए कार्यों को छोडकर अन्य उद्देश्यों केलिए उपयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण;

(xxi) नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा;

(xxii) लागत लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक तय करने की सिफारिश करना;

(xxiii) लेखापरीक्षा समिति नियंत्रित कंपनी जो 100 करोड से अधिक है, या नियंत्रित कंपनी के परिसंपत्ति आकार 10% से अधिक हो, जो भी कम हो, जिसमें इस प्रावधान लागू होने की तिथि को मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं, होल्डिंग कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से ऋणों और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करेगी।

(xxiv) वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संशोधितानुसार, सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा।

(xxv) सत्यापित करें कि आतंरिक नियंत्रण केलिए संशोधितानुसार अपेक्षित प्रणाली सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार बनाए रखा जाना आवश्यक है और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं : तथा

(xxvi) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार अन्य किसी कार्यों को करना।

लेखा-परीक्षा समिति का अधिकार

28. निम्नलिखित अधिकार समिति को सौंप दिया जाता है:

क) अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधि का जांच करना।

ख) किसी कर्मचारी पर और से सूचना तलाशना।

ग) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाह्य कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना; और

घ) यदि आवश्यक समझते हैं, तो संगत विशेषज्ञता सहित बाहरी आदमियों की उपस्थिति प्राप्त करना।.

29. लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंध से संबंधित किसी मामला पर लेखा- परीक्षा समिति का सिफारिश, बोर्ड पर बाध्य होगा।

30. यदि बोर्ड लेखा-परीक्षा समिति के सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह इसका कारण अंकित करेंगा और शेयरधारकों को ऐसा कारण संसूचित करेगा।

गठन

31. भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद रिक्त कर देने तथा भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, कंपनी दिनांक 22 नवंबर, 2024 से लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी में कोई कार्यशील लेखापरीक्षा समिति अस्तित्व में नहीं थी।

32. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त), सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि भाग लिया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक फर्म को बाह्यस्त्रोतीकृत किया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है ।हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई कार्यशील लेखापरीक्षा समिति अस्तित्व में न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

वर्ष 2025-26 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति

33. भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण कार्यशील लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

नामांकन व पारिश्रमिक समिति

34. सीएसएल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन 13 दिसंबर, 2008 को स्वीकृत परिपत्र संकल्प के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात निदेशकों में हुए परिवर्तनों के कारण समिति का कई बार पुनर्गठन किया गया, जिसमें नवीनतम पुनर्गठन 02 जनवरी, 2023 को किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि पूर्ण होने के कारण सभी स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद रिक्त कर दिया। परिणामस्वरूप, सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

विचारणीय विषय

35. नामांकन व पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:

    (i) कंपनी अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण करने केलिए वार्षिक बोनस/ निष्पादन भुगतान/ परिवर्तनीय पूल दिवस व नीति का निर्णय करना,

    (ii) अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों को प्रदान करने वाले परिलब्धियों और भत्ताओं केलिए योजना की संरूपण और संशोधन,

    (iii) अधिकारियों, असंघीकृत पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के किसी नई योजना जैसी चिकित्सा योजना, पेंशन आदि जैसे मामला हों, और

    (iv) सेबी सूचीकरण विनियमों और अन्य किसी कानून के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपे गए अन्य भूमिकाओं और समय-समय पर इसके संशोधनों का प्रयोग करना।

गठन

36. भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद रिक्त कर देने तथा भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, कंपनी दिनांक 22 नवंबर, 2024 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी में कोई कार्यशील नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अस्तित्व में नहीं थी।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठकें तथा उपस्थिति:

37. भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण कार्यशील नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

पारिश्रमिक नीति

38. कंपनी की संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निश्चित जैसे पारिश्रमिक निदेशकों को दिया जाएगा। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों को वेतन और भत्ते नियुक्ति की शर्तों, उपर्युक्त विषय में सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुरूप में और अन्य लाभ और परिलब्धियां सीएसएल के नियमों के अनुरूप में दिया जाता है। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित रूप में हैं। कामगारों का पारिश्रमिक प्रबंधन और मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के बीच दीर्घकालीन समझौता के अनुसार है।

39. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

क्र. सं	नाम और पदनाम	कुल मूल वेतन, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते और अनुलब्धियां	कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी)	कुल
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (31 जनवरी, 2026 तक)	98.15	28.15	126.30
2.	श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी) (31 मई, 2025 तक)	37.84	23.36	61.20
3.	श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) व अ.एवं प्र.नि. का अतिरिक्त प्रभार, दिनांक 01 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी)	57.44	21.40	78.84
4.	श्री श्रीजित के नारायणन निदेशक (प्रचालन) (दिनांक 31 मई, 2025 तक)	34.69	22.68	57.37
5.	डॉ. हरिकृष्णन एस निदेशक (प्रचालन) (दिनांक 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी)	48.43	15.39	63.82
6.	श्री राजेष गोपालकृष्णन निदेशक (तकनीकी) (दिनांक 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी)	48.96	16.26	65.22

टिप्पणियां

(i) उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पीआरपी 2023-24 की अवधि से संबंधित है, जिसका भुगतान 2025-26 के दौरान किया गया है। पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पीआरपी कंपनी के सभी अधिकारियों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों पर लागू निष्पादन भुगतान योजना के अनुसार है, जिसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया है।

(ii) जिन निदेशकों का कार्यकाल वित्तीय वर्ष के दौरान समाप्त हुआ, उनके पारिश्रमिक में उन्हें देय सेवानिवृत्ति लाभ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जिन निदेशकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान हुई, उनके पारिश्रमिक में निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व कंपनी में कार्यकारी पदों पर सेवाएँ देने के लिए वर्ष के दौरान उन्हें दिया गया पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

(iii) पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का पारिश्रमिक, कार्यकाल और अन्य नियम व शर्तें सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक मंत्रालय (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) द्वारा जारी पत्र के अनुसार हैं। पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पद के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो, 5 वर्ष की अवधि केलिए की जाती है। अनुबंध की अवधि से पहले सेवा छोडने के मामले में नोटिस की अवधि 3 महीने है या नोटिस अवधि के अभाव में, 3 महीने के वेतन का भुगतान किया जा सकता है।

(iv) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

बैठक शुल्क

40. गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड या उसकी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000 की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक सरकारी निदेशकों (सरकारी नामिति) को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent.

41. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक डॉ. सीमा सूरी को ₹3.60 लाख का बैठक-शुल्क भुगतान किया गया।

42. चूंकि भारत के राष्ट्रपति गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करते है, इसलिए ऐसे निदेशकों की निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। तथापि, वर्ष के दौरान बोर्ड ने कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का उनके कार्यनिष्पादन और स्वतंत्रता मानदंडों की पूर्ति के आधार पर मूल्यांकन किया था और उसे संतोषजनक पाया था।

हितधारक संबंध समिति

43. सीएसएल की हितधारक संबंध समिति का गठन 20 सितंबर, 2016 को किया गया था। इसके पश्चात निदेशकों में हुए परिवर्तनों के कारण समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जा चुका है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने तथा उसके उपरांत भारत सरकार द्वारा नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण 22 नवंबर, 2024 से सीएसएल की हितधारक संबंध समिति अस्तित्व में नहीं रही। बाद में, दिनांक 21 मई, 2025 को डॉ. सीमा सूरी की सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के उपरांत,

दिनांक 01 जून, 2025 से प्रभावी होकर हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी की सेवा से दिनांक 31 जनवरी, 2026 को अधिवर्षिता पर श्री मधु शंकुण्णी नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, दिनांक 01 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी होकर हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया।

विचारणीय विषय:

44. हितधारक संबंधी समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित है:

(i) कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/अंतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए/अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि शामिल हैं;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी कार्य केलिए किए गए उपायों की समीक्षा;

(iii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जारी विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

(iv) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अदावे लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने केलिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

गठन

45. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ से दिनांक 31 मई, 2025 तक हितधारक संबंध समिति कार्यात्मक नहीं थी। दिनांक 21 मई, 2025 को डॉ. सीमा सूरी की सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के उपरांत, दिनांक 01 जून, 2025 से प्रभावी होकर हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति में डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को अध्यक्ष, तथा श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) को सदस्य के रूप में नामित किया गया। कंपनी की सेवा से दिनांक 31 जनवरी, 2026 को अधिवर्षिता पर श्री मधु शंकुण्णी नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, दिनांक 01 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी होकर हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति में डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को अध्यक्ष, तथा श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), डॉ. हरिकृष्णन एस. (डीआईएन: 10221559), निदेशक (प्रचालन) तथा श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336), निदेशक (तकनीकी) को सदस्य के रूप में नामित किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार हितधारक संबंध समिति की संरचना यथावत रही।

वर्ष 2025 -26 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठकें और उपस्थिति

46. वर्ष 2025-26 के दौरान हितधारक संबंध समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आवश्यक कोरम उपस्थित था। उक्त बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अगस्त 12, 2025
1.	डॉ. सीमा सूरी	✓
2.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	✓
3.	श्री जोस वी. जे.	✓
4.	डॉ. हरिकृष्णन एस.	लागू नहीं
5.	श्री राजेष गोपालकृष्णन	लागू नहीं

✓ उपस्थित

अनुपालन अधिकारी का नाम, पदनाम और पता

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन,कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, एर्णाकुलम , केरल - 682015
टेली : +91 (484) 2501306
ईमेलः secretary@cochinshipyard.in
वेबसाइटः www.cochinshipyard.in

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 13(3) के अंतर्गत 31 मार्च, 2026 तक निवेशक शिकायतों की स्थिति

दि. 01 अप्रैल 2025 की तिथि पर शिकायत	0
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त	23
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हल किया गया	23
शेयरधारकों के समाधान तक नही सुलझाया	0
दि. 31 मार्च 2026 की तिथि पर लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति

47. सीएसएल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप दिनांक 08 फ़रवरी, 2019 को किया गया था। इसके पश्चात निदेशकों में हुए परिवर्तनों के कारण समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है। समिति के गठन से पूर्व जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती थी।

स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने तथा उसके उपरांत भारत सरकार द्वारा नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण दिनांक 22 नवंबर, 2024 से सीएसएल की जोखिम प्रबंधन समिति अस्तित्व में नहीं रही। बाद में, दिनांक 21 मई, 2025 को डॉ. सीमा सूरी की सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के उपरांत, दिनांक 01 जून, 2025 से प्रभावी होकर जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी की सेवा से दिनांक 31 जनवरी, 2026 को अधिवर्षिता पर श्री मधु शंकुण्णी नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, दिनांक 01 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी होकर जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया।

विचारार्थ विषय

48. निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन के विचारार्थ विषय हैं:

(i) साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने केलिए उठाए गए कदम सहित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा;

(ii) यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित जोखिम दस्तावेजीकरण तिमाही आधार किया जाता है।

(iii) जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन प्रदान करें और निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करना।

(iv) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(v) सेबी सूचीबद्धता विनियमों तथा समय-समय पर किए गए उनके संशोधनों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

गठन

49. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ से दिनांक 31 मई, 2025 तक हितधारक संबंध समिति कार्यात्मक नहीं थी। दिनांक 21 मई, 2025 को डॉ. सीमा सूरी की सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के उपरांत, दिनांक 01 जून, 2025 से प्रभावी होकर हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति में डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को अध्यक्ष, तथा श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) को सदस्य के रूप में नामित किया गया। कंपनी की सेवा से दिनांक 31 जनवरी, 2026 को अधिवर्षिता पर श्री मधु शंकुण्णी नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, दिनांक 01 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी होकर हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति में डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को अध्यक्ष, तथा श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), डॉ. हरिकृष्णन एस. (डीआईएन: 10221559), निदेशक (प्रचालन) तथा श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336), निदेशक (तकनीकी) को सदस्य के रूप में नामित किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार हितधारक संबंध समिति की संरचना यथावत रही।

वर्ष 2025 - 26 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें और उपस्थिति:

50. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	सितंबर 29, 2025	मार्च 27, 2026
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	✓	लागू नहीं
2.	श्री जोस वी. जे.	✓	✓
3.	डॉ. हरिकृष्णन एस.	लागू नहीं	✓
4.	श्री राजेष गोपालकृष्णन	लागू नहीं	✓
5.	डॉ. सीमा सूरी	✓	✓

एन ए - लागू नहीं ✓ उपस्थित

निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास (सीएसआर और एसडी) समिति

51. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल की 181वीं बैठक, जो दिनांक 05 सितंबर, 2008 को आयोजित हुई थी, उसमें पारित संकल्प संख्या 181/09 के माध्यम से निदेशक मंडल की एक उप-समिति का गठन किया गया।

52. सतत विकास समिति का गठन दिनांक 23 नवंबर, 2011 को आयोजित निदेशक मंडल की 197वीं बैठक में किया गया था। लोक उद्यम विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(9)/2010-डीपीई(एमओयू) दिनांक 23 सितंबर, 2011 के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतत विकास संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

53. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व समिति तथा सतत विकास समिति का विलय करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 08 मार्च, 2013 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से उपर्युक्त दोनों समितियों का विलय कर निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात निदेशकों में हुए परिवर्तनों के कारण समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता रहा। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने तथा उसके उपरांत भारत सरकार द्वारा नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण दिनांक 22 नवंबर, 2024 से सीएसएल की निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास समिति अस्तित्व में नहीं रही। बाद में, दिनांक 21 मई, 2025 को डॉ. सीमा सूरी की

सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के उपरांत, दिनांक 01 जून, 2025 से प्रभावी होकर निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास समिति का पुनर्गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी की सेवा से दिनांक 31 जनवरी, 2026 को अधिवर्षिता पर श्री मधु शंकुण्णी नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, दिनांक 01 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी होकर निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास समिति का पुनर्गठन किया गया।

विचारार्थ विषय

54. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित है:

(i) बोर्ड को सीएसआर और सतत विकास नीति सिफारिश करना।

(ii) कार्रवाई योजना और परियोजनाएं जो सीएसआर और सतत विकास केलिए अल्प, माध्यम और दीर्घ काल में शुरू करना है, सिफारिश करना।

(iii) वार्षिक सीएसआर व सतत विकास योजना और बजट की सिफारिश करना।

(iv) सीएसआर और सतत विकास नीति, योजनाएं तथा बजटों का आवधिक समीक्षा।

गठन

55. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ से दिनांक 31 मई, 2025 तक हितधारक संबंध समिति कार्यात्मक नहीं थी। दिनांक 21 मई, 2025 को डॉ. सीमा सूरी की सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के उपरांत, दिनांक 01 जून, 2025 से प्रभावी होकर हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति में डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को अध्यक्ष, तथा श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) को सदस्य के रूप में नामित किया गया। कंपनी की सेवा से दिनांक 31 जनवरी, 2026 को अधिवर्षिता पर श्री मधु शंकुण्णी नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, दिनांक 01 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी होकर हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति में डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को अध्यक्ष, तथा श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), डॉ. हरिकृष्णन एस. (डीआईएन: 10221559), निदेशक (प्रचालन) तथा श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336), निदेशक (तकनीकी) को सदस्य के रूप में नामित किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार हितधारक संबंध समिति की संरचना यथावत रही।

वर्ष 2025-26 के दौरान हुई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति की बैठकें और उपस्थिति:

56. वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसआर एवं एस डी समिति की तीन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। इस बैठक की उपस्थिति नीचे दी हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	2025		2026
		अगस्त 12	नवंबर 11	जनवरी 28
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	✓	✓	✓
2.	श्री जोस वी. जे.	✓	✓	✓
3.	डॉ. हरिकृष्णन एस.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	श्री राजेष गोपालकृष्णन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	डॉ. सीमा सूरी	✓	✓	✓

✓ उपस्थित

आम निकाय बैठकें

57. पिछली तीन वार्षिक आम निकाय बैठकों की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2024-25	सितंबर 29, 2025	11.00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	1
2023-24	सितंबर 30, 2024	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	शून्य
2022-23	सितंबर 28, 2023	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	शून्य

डाक मतपत्र

58. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

59. आगामी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित किसी भी कार्य के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

60. इसके अलावा, डाक मतपत्र के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव को पारित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो इसे लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में पारित किया जाएगा।

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का विवरण

61. सीएसएल ने कंपनी के महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों, इकाई प्रमुखों, आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख और कंपनी सचिव को सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16(1)(घ) के तहत वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के रूप में वर्गीकृत किया है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एल्दो जॉण	कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)
2.	श्री षिराज़ विलंतेकातु पुतियपुरयिल	कार्यकारी निदेशक (पोत निर्माण)
3.	श्री दीप सरेंद्रन	मुख्य महाप्रबंधक (सी-एसएएस, व्या.वि.- पो.नि. एवं व्या.वि.)
4.	श्रीमती अंजना के आर	मुख्य महाप्रबंधक (डिज़ाइन एवं सामग्री)
5.	श्री शिवकुमार अय्यारु	मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)
6.	श्री शिबु जॉण	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)
7.	श्री सुनिल कुमार के आर	महाप्रबंधक (ईएसजी एवं एचएसई)
8.	श्री जयन के तंपी	महाप्रबंधक (पोत निर्माण)
9.	श्री सुभाष ए के	महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं अध्ययन विकास)
10.	श्री संतोष फिलिप	महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)
11.	श्री हरिकुमार के	महाप्रबंधक (कार्यनीति एवं नई पहल)
12.	श्री श्रीकुमार राजा सी ए	महाप्रबंधक (तकनीकी)
13.	श्री ए वेंट्रिसेल्वन	महाप्रबंधक (सामग्री)
14.	श्री नागेश कृष्णमूर्ति	महाप्रबंधक (व्या.वि.-पो.नि.)
15.	श्री सानिल पीटर	महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)
16.	श्री जतेश चंद्र गोपीनाथन	महाप्रबंधक (बेसिक डिज़ाइन)
17.	श्री सुरेष बाबु वी.	महाप्रबंधक (आईएसी एवं डीपी)
18.	श्री अनूप दास	महाप्रबंधक (योजना, आई एंड क्यूसी एवं पीडी (एसएच40-45))
19.	श्री बिनोज शंकर	महाप्रबंधक (डिज़ाइन)
20.	श्रीमती मेरी रंजित एब्राम	उप महाप्रबंधक (आं.ले.प.) - आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख
21.	श्री श्यामकुमार जी.	उप महाप्रबंधक (सीएमएसआरयू) - इकाई प्रमुख
22.	श्री श्रीकांत वीरप्पन	उप महाप्रबंधक (सीएएनएसआरयू) - इकाई प्रमुख
23.	श्री राजेश के. आर.	सहायक महाप्रबंधक (सीकेएसआरयू) - इकाई प्रमुख
24.	श्री श्यामकमल एन.	कंपनी सचिव

62. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	अभ्युक्तियां
(i)	डॉ. हरिकृष्णन एस	दिनांक 27 अगस्त, 2025 को निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्ति होने पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की श्रेणी से बाहर हो गए।
(ii)	श्री राजेष गोपालकृष्णन	दिनांक 27 अगस्त, 2025 को निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति होने पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की श्रेणी से बाहर हो गए।
(iii)	श्री शिवराम नारायण स्वामी	दिनांक 18 अक्तूबर, 2025 को कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देने के कारण वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की श्रेणी से बाहर हो गए।

क्र. सं.	नाम	अभ्युक्तियां
(iv)	श्री श्रीकुमार राजा सी ए	दिनांक 15 सितंबर, 2025 को महाप्रबंधक पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की श्रेणी में सम्मिलित किए गए।
(v)	श्री ए. वेट्रिसेल्वन	
(vi)	श्री नागेश कृष्णमूर्ति	
(vii)	श्री जतेश चंद्र गोपीनाथन	
(viii)	श्री सुरेष बाबु वी	
(ix)	श्री अनूप दास	
(x)	श्री बिनोज शंकर	
(xi)	श्री राजेष के आर	दिनांक 01 अक्तूबर, 2025 को सीकेएसआरयू के इकाई प्रमुख के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की श्रेणी में सम्मिलित किए गए।

संचार का माध्यम

63. सभी मूल्य संवेदनशील जानकारी और मामलाएं जो शेयरधारक केलिए महत्वपूर्ण है, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है को प्रकट किया जाता है। एक्सचेंजों को सभी प्रस्तुतीकरण संबंधित इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।

64. तिमाही/अर्ध वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए थे:

तिमाही/अर्ध वार्षिक/वार्षिक	महीने में
30 जून 2025 को समाप्त तिमाही	अगस्त, 2025
30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही/अर्ध वार्षिक	नवंबर, 2025
31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही	जनवरी 2026
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	मई, 2026

65. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक परिणाम, सामान्य बैठकों से संबंधित नोटीस और जानकारी इत्यादि प्रमुख समाचार पत्रों जैसे दि बिजिनेस लाइन/बिज़िनस स्टैंडर्ड (अखिल भारतीय प्रकाशन), मातृभूमि (कोच्ची प्रकाशन) और जनसत्ता (सभी प्रकाशन) में प्रकाशित किए जाते हैं और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत अपेक्षित अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित किया जाता है।

66. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम और शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंजो को अन्य सूचना, अन्य बातों के साथ साथ, संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों, प्रेस विज्ञप्ति आदि कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in में 'निवेशक' अनुभाग में उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें एनएसई इलैक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोससिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ बीएसई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के साथ भी फाइल किया जाता है।

सामान्य शेयरधारक जानकारी

67. वित्तीय वर्ष 2026 केलिए वार्षिक आम बैठक

तिथि	समय	स्थान
सितंबर 29, 2026	11:00 बजे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी

68. वित्त वर्ष : अप्रैल 01, 2025 से मार्च 31, 2026 तक.

लाभांश भुगतान

69. दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के अधीन 28 अक्तूबर, 2026 तक अथवा उससे पूर्व भुगतान किया जाएगा। कंपनी, सेबी सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुपालन में, लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेगी।

70. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश के विवरण नीचे दिए गए है:

(₹)

वित्तीय वर्ष	प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश		प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश			
			01st		02nd	
	राशि	अंकित मूल्य	राशि	अंकित मूल्य	राशि	अंकित मूल्य
2025-26	1.50	5	4.00	5	3.50	5
2024-25	2.25	5	4.00	5	3.50	5
2023-24	2.25	5	8.00	10	3.50	5

दावा न किए गए लाभांश और शेयर - निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

71. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के अनुसार, अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निधि है। इसके अतिरिक्त, वे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ के नाम अंतरित किया जाएगा।

72. कंपनी, अवैतनिक लाभांश का दावा करने के लिए शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र भेजती है। आईईपीएफ नियमों के अनुरूप, कंपनी उन शेयरधारकों को भी सूचना प्रेषित करती है, जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों तक अवैतनिक अथवा दावा-रहित रहता है, और उनसे उक्त लाभांश का दावा करने का अनुरोध करती है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनसे संबंधित इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में अंतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

73. प्रतिवेदन अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम लाभांश की अवैतनिक/दावा-रहित राशि तथा उससे संबंधित पात्र इक्विटी शेयर आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के लिए देय हो गए थे। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम लाभांश से संबंधित ₹5,97,180 की दावा-रहित लाभांश राशि 09 अक्तूबर, 2025 को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दी गई। इसके अतिरिक्त, जिन 2,799 इक्विटी शेयरों पर लाभांश लगातार सात वर्षों तक दावा-रहित रहा, उन्हें भी 10 अक्तूबर, 2025 को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में अंतरित कर दिया गया।

74. दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में 2,799 इक्विटी शेयर उपलब्ध थे।

75. वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतिम लाभांश तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अंतरिम लाभांश की अवैतनिक/दावा-रहित राशि, उससे संबंधित इक्विटी शेयरों सहित, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने हेतु देय है। जिन शेयरधारकों के शेयर अथवा लाभांश आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हेतु देय हैं, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58.

76. कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश/शेयरों का दावा कर सकते हैं।

शेयरों की सूचीकरण

77. कंपनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और वर्ष 2025-26 केलिए लिस्टिंग शुल्क स्टॉक एक्सचेंजों को चुकाया गया है।

    (i) बीएसई लिमिटेड
    फिरोस जिजीभोई टॉवर,
    दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001

    (त्त) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
    एक्सचेंज प्लासा, सी-1, ब्लॉक-जी,
    बांद्रा-कुरला कोम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
    मुंबइ - 400 051

78. कंपनी के शेयरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई704पी01025 है।

निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण

लागू नहीं

रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेन्टस (आरटीए)

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सूर्या, 35, मईफ्लवर एवेन्यू,
सेन्तिल नगर के पीछे,
सौरिपाल्यम रोड, कोयम्बत्तूर,
तमिलनाडु- 641 028
टेलि: +91 (422) 2314792, 2315792
ई मेल: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

शेयर स्थानांतरण प्रणाली

79. कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैट सूची में होने के कारण जमाकर्ता प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरणीय है।

शेयरधारिता का वितरण

80. दिनांक 31 मार्च 2026 को फोलियो की संख्या के आधार पर शेयरधारिता का वितरण

धारित शेयरों की संख्या	सदस्य		शेयर	
	संख्या	%	संख्या	%
1 - 500	9,98,907	98.71	3,85,78,290	14.66
501 - 1,000	8,134	0.80	59,20,261	2.25
1,001 - 2,000	3,119	0.31	45,14,779	1.72
2,001 - 3,000	734	0.07	18,37,260	0.70
3,001 - 4,000	330	0.03	11,92,680	0.45
4,001 - 5,000	195	0.02	9,00,682	0.34
5,001 - 10,000	262	0.02	18,30,826	0.70
>10,000	232	0.02	20,83,06,002	79.18
कुल	**10,11,913**	**100.00**	**26,30,80,780**	**100.00**

शेयरों और लिक्विडिटी का डिमेटीरियलाइसेशन

81. कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डिमटीरियलाइस्ड रूप में व्यापार किया जाता हैं और दोनों जमाकर्ताओं यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल पर व्यापार केलिए उपलब्ध है।

धारित शेयरों की प्रतिशतता

प्रत्यक्ष रूप स	:	0.00
एनएसडीएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में	:	85.15
सीडीएसएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में	:	14.85

82. कंपनी के इक्विटी शेयरों का बीएसई तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर नियमित रूप से व्यापार किया जाता है।

बकाया वैश्विक डिपोजिटरी खरीद (जीडीआर) या अमेरिकी डिपोजिटरी रसीद (एडीआर) या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कोई नहीं।

विदेशी मुद्रा जोखिम और गतिविधियों की प्रतिरक्षा

83. कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है तथा विदेशी मुद्रा जोखिम का हेजिंग बाजार की परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है।

84. कंपनी विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ाव पर भी निरंतर नज़र रख रही है और प्रभावी कार्यशील पूंजी प्रबंधन के एक भाग के रूप में क्रेता ऋण आदि जैसे विदेशी मुद्रा उधार के विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है। विदेशी मुद्रा जोखिम की स्थिति और हेड्जिंग स्थिति की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड द्वारा, जहाँ भी लागू हो, की जाती है।

संयंत्र स्थान

- सीएसएल कोच्ची मुख्य इकाई - पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधा, पेरुमनूर पी ओ, कोच्ची - 682015
- सीएसएल अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) कोचीन पत्तन परिसर, विल्लिंगडन द्वीप, कोच्ची - 682003
- सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत इकाई (सीएमएसआरयू) मुंबई पत्तन परिसर, मुंबई - 400001
- सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत इकाई (सीकेएसआरयू) श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह परिसर, कोलकाता - 700024 और
- सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत इकाई (सीएएनएसआरयू) मरीन डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर - 744101

पत्राचार केलिए पता

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015
टेलि: +91 (484) 2501306
ईमेल: secretary@cochinshipyard.in
वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

साख दर

दस्तावेज	आईएसआईएन	दर- निर्धारण	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संशोधन, यदि कोई हो
8.72% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07030	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (भा.रे.) और केयर रेटिंग्स द्वारा एएए	शून्य

अन्य प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी लेनदेन

85. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई सारत; महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बडे पैमाने पर संघर्ष थे या संघर्ष हो सकते थे। कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन की एक नीति है, जिसे निम्न लिंक पर प्राप्त कर सकता है : https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

86. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/निषेध नहीं लगाया गया है, सिवाय निम्नलिखित के:

वर्ष	प्राधिकरण का नाम	अनुपालन न करने की प्रकृति	अनुपालन न करने की अवधि	लगाए गए जुर्माने/ दंड की राशि	टिप्पणियाँ
2024-25	बीएसई	कंपनी के 8.51% कर-मुक्त, सुरक्षित मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड पर ब्याज के भुगतान के लिए नवंबर 2021 में निर्धारित रिकॉर्ड तिथि की सूचना देने में एक कार्यदिवस की देरी	दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही	₹11,800 (18% जीएसी सहित)	कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर जुर्माना अदा कर दिया है।
	बीएसई और एनएसई	निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों का गैर-अनुपालन (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसार पर्याप्त/कोई स्वतंत्र निदेशक, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है, उपलब्ध न होना)।	दिनांक 30 सितंबर, 2024, 31 दिसंबर, 2024 तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाहियाँ।	₹14,21,900/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	सीएसएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार में निहित है। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों, जिनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, उनके रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार को आवश्यक अनुरोध भेजे थे। परिणामस्वरूप, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 के माध्यम से डॉ. सीमा सूरी को दिनांक 21 मई, 2025 से प्रभावी कंपनी की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के पश्चात, कंपनी ने सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 अनुरूप दिनांक 1 जून, 2025 को हितधारक संबंध समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया। चूँकि उक्त अनुपालनहीनताएँ न तो कंपनी की लापरवाही अथवा चूक के कारण थीं और न ही कंपनी के प्रबंधन के नियंत्रण में थीं, इसलिए कंपनी द्वारा छूट के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर बीएसई तथा एनएसई ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(2ए) (निदेशक मंडल की बैठकों का गणपूर्ति , 20 तथा 21 (हितधारक संबंध समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति के गठन) के संबंध में लगाए गए जुर्मानों को माफ कर दिया। शेष पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी अभी शेष है।
		लेखा परीक्षा समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुसार)।	दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाहियाँ।	₹3,04,440/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	
		नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 19 के अनुसार)।	दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाहियाँ।	₹3,04,440/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	
		हितधारक संबंध समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार)।	दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाहियाँ।	₹3,04,440/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	
		जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार)।	दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाहियाँ।	₹3,04,440/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	

वर्ष	प्राधिकरण का नाम	अनुपालन न करने की प्रकृति	अनुपालन न करने की अवधि	लगाए गए जुर्माने/ दंड की राशि	टिप्पणियाँ
2025-26	बीएसई और एनएसई	निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसार पर्याप्त संख्या में/कोई स्वतंत्र निदेशक, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हो, का न होना)।	दिनांक 30 जून, 2025, 30 सितंबर, 2025 तथा 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाहियाँ।	₹16,22,500/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	चूँकि जुर्माने में छूट के लिए आवेदन करने हेतु संबंधित प्रावधानों का अनुपालन प्राप्त करना एक पूर्व-आवश्यकता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1) (निदेशक मंडल की संरचना), 18 तथा 19 (लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन) के संबंध में लगाए गए जुर्मानों की छूट हेतु, प्रचलित जुर्माना छूट नीति के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्व में भी ऐसी समान परिस्थितियों में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्मानों को माफ किया जा चुका है।
		निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 17(2ए) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति)।	दिनांक 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही।	₹11,800/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	
		लेखा परीक्षा समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुसार)।	दिनांक 30 जून, 2025, 30 सितंबर, 2025 तथा 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाहियाँ।	₹6,49,000/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	
		नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 19 के अनुसार)।	दिनांक 30 जून, 2025, 30 सितंबर, 2025 तथा 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाहियाँ।	₹6,49,000/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	
		हितधारक संबंध समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार)।	दिनांक 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही।	₹1,43,960/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	
		जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न होना (सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार)।	दिनांक 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही।	₹1,43,960/- प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)।	

87. दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, सीएसएल के निदेशक मंडल में सांविधिक रूप से अपेक्षित छह स्वतंत्र निदेशकों के स्थान पर केवल एक स्वतंत्र निदेशक (जिसमें महिला निदेशक भी शामिल हैं) कार्यरत हैं। सीएसएल में दिनांक 1 मई, 2024 तक सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुरूप एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशक थे। तथापि, श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएनः 01351097) ने ओडिशा विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण अपने त्यागपत्र के फलस्वरूप दिनांक 2 मई, 2024 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का पद त्याग दिया। इसके अतिरिक्त, शेष पाँच स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित उनके नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 21 नवंबर, 2024 को अपना पद त्याग दिया। सीएसएल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार में निहित है। भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 के माध्यम से डॉ. सीमा सूरी को दिनांक 21 मई, 2025 से प्रभावी सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया। शेष पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी अभी शेष है तथा इस संबंध में निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के उपरांत लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

सतर्कता तंत्र और मुखबिर नीति

88. सीएसएल ने 22 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी 198वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुखबिर नीति को अपनाया था, जिसे दिनांक 14 दिसंबर, 2016 को आयोजित 228 वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया था। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर, 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने की नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, इसलिए सीएसएल ने 12 नवंबर, 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में मुखबिर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति नामक एक संयुक्त नीति को अपनाया। इस नीति में अंतिम संशोधन 27 मार्च, 2026 को आयोजित 287वीं बोर्ड बैठक में किया गया।उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर उपलब्ध है। सीएसएल भारत सरकार का उपक्रम है और किसी भी अवैध या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है। निदेशकों/कर्मचारियों/हितधारकों/कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों को अपने तत्काल पर्यवेक्षक/मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नियमों, विनियमों और अनैतिक आचरण के किसी भी उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता दी गई है। निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन ऐसी रिपोर्टिंग की गोपनीयता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि मुखबिरों को किसी भी उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार का

सामना न करना पड़े। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण लेखा परीक्षा समिति कार्यात्मक नहीं थी। तथापि, इस अवधि के दौरान कंपनी के सतर्कता तंत्र तक पहुँच से किसी भी कार्मिक को वंचित नहीं किया गया।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम केलिए आचरण संहिता

89. कंपनी को भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में अपने नामित व्यक्तियों केलिए अंतरंगी व्यापार के रोकथाम हेतु एक आचरण संहिता है। कोड दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हैं, जो कंपनी के शेयरों के लेनदेन के समय और उल्लंघनों के परिणामों की चेतावनी देते समय प्रक्रियाओं का पालन करना और प्रकटन किया जाना चाहिए के संबंध में उन्हें सलाह देते हैं। अंतरंगी व्यापार की रोकथाम केलिए आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट पत्र होस्ट की जाती है और निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

अनिवार्य अपेक्षाएं

90. कंपनी द्वारा सभी लागू निगमित कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष उनकी जानकारी और समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है। कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) में निर्दिष्ट निगमित शासन संहिता की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय निदेशक मंडल की संरचना के, अर्थात एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उसके परिणामस्वरूप सांविधिक समितियों से संबंधित अनुपालन।

गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

91. कंपनी ने निगमित शासन से संबंधित लिस्टिंग विनियमों के निम्नलिखित गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसूची II के भाग ई के साथ पढे गए विनियम 27 (1) में सूचीबद्ध गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई लेखापरीक्षा योग्यता नहीं है। कंपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय को सुनिश्चित करने केलिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती रही है।

सहायक कंपनी

92. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की केवल दो सहायक कंपनियाँ हैं, अर्थात हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। हुगली-सीएसएल, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका गठन दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। तथापि, दिनांक 1 नवंबर, 2019 से हुगली-सीएसएल, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने दिनांक 15 सितंबर, 2020 को वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेब्मा शिपयार्ड्स लिमिटेड अधिग्रहण किया, जिसके फलस्वरूप वह सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। तत्पश्चात, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को टेब्मा शिपयार्ड्स लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया।

93. सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16 के अनुसार, 'महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी' से आशय ऐसी सहायक कंपनी से है, जिसका कारोबार अथवा निवल मूल्य, सूचीबद्ध इकाई तथा उसकी सहायक कंपनियों के तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के समेकित कारोबार अथवा समेकित निवल मूल्य का दस प्रतिशत (10%) से अधिक हो। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखापरीक्षित वित्तीय आँकड़ों के अनुसार, उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की एक महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी की इसके अतिरिक्त कोई अन्य महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

---

94. सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी की महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी का विवरण निम्नानुसार है:

नाम एवं कॉर्पोरेट पहचान संख्या	निगमन की तिथि एवं स्थान	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों का नाम एवं नियुक्ति की तिथि
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सीआईएन: U27209TN1984GOI010994	09 जुलाई, 1984 चेन्नई, तमिलनाडु	के. पी. कंचन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिनकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10 फ़रवरी, 2026 को की गई।

95. सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए(1) (क) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई के लिए अपनी महत्त्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अतः दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो मैसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कोच्चि द्वारा जारी की गई है, **अनुलग्नक-IV** में संलग्न की गई है। इस रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण सम्मिलित नहीं है।

96. सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(ग) के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने 'महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनियों' के निर्धारण हेतु एक नीति तैयार की है, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

निगमित प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन का विवरण

97. सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के निगमित प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी निगमित प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण-पत्र इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देशों की विवरण तथा उसके अनुपालन:

98. कंपनी ने पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देश की अनुपालन किया है।

99. खाते की पुस्तकों में व्यय का मदों लिखा गया है, जो बिसिनस के प्रयोजनों केलिए नहीं है :शून्य

100. किए गए खर्च, जो व्यक्तिगत है और उच्चतम प्रबंधन और बोर्ड निदेशकों केलिए है : शून्य

101. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी का प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय, कुल व्यय का 2.23% रहा, जबकि 2024-25 में यह 1.69% था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय व्यय, कुल व्यय का 2.17% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 0.97% था।

102. व्यवहार में, कंपनी सचिव के एक प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक सेबी/कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय/ या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक-II** में संलग्न किया है ।

103. कंपनी ने अपने तथा अपनी सहायक कंपनियों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए मेसर्स बाबु ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी तथा मेसर्स आनंद एंड पोन्नप्पन, सांविधिक लेखापरीक्षकों, को ₹32.43 लाख का भुगतान किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

(i)	दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	1
(ii)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	2
(iii)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	1
(iv)	दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	2

आचरण संहिता

104. बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध को एक आचरण संहिता ('संहिता') निर्धारित किया है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों को वर्ष 2025-26 केलिए इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। संहित कंपनी के वेबसाइट में होस्ट किया गया है और https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।

105. कंपनी के निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे दी गई है:

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

जोसे वी. जे.
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

106. वर्ष, केलिए वित्तीय विवरणी का सीईओ/सीएफओ प्रमाणन **अनुलग्नक - III** में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

107. सीएसएल ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(i) जोखिम प्रबंधन दूरदर्शिता विवरण :संगठनात्मक जोखिमों को एक स्वीकार्य स्तर तक कम करें और जोखिम प्रबंधन कार्यों को अपनाए जिससे कंपनी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब उसी समय जोखिम की कमी सुनिश्चित होती है।

(ii) जोखिम प्रबंध नीति:

(क) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, जेखिमों को रोकने और समय पर जोखिमों का पता लगाना सुनिश्चित करने की कंपनी की क्षमता को सुधारने केलिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) जेखिम और उसके समान की पहचान करना।

(ग) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाना है।

(घ) जोखिम की सूचना का आदान प्रदान सुगम करें।

108. जोखिम प्रबंधन नीति, एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढाँचा और एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। कोचीन शिपयार्ड के प्रबंधन समय समय पर विविध जोखिमों की पहचान करेंगे और कंपनी पर उनके प्रभाव का विश्लेषण का आकलन करेंगे। जोखिम का शमन और प्रबंधन उपायों को, इन जोखिमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। बोर्ड व्यापार माहौल में परिवर्तन के साथ नीति को श्रेणीबद्ध करने केलिए समय समय पर परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन देंगे।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली और संरचना

1109. निदेशक मंडल ने सीएसएल में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा हेतु एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। निदेशक मंडल समय-समय पर इसकी समीक्षा सुनिश्चित करते हुए जोखिम पर्यवेक्षण संबंधी अपने दायित्वों का भी निर्वहन करता है। सीएसएल का प्रबंधन, जिसमें निदेशक मंडल स्तर तथा निदेशक मंडल से नीचे के स्तर के कार्यपालक अधिकारी शामिल हैं, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इस उद्देश्य से सीएसएल में नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जोखिम प्रबंधन संचालन समिति तथा कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

---

110. सीएसएल द्वारा किए गए व्यापार की विशेष प्रकृति के कारण, यह अपने माल से संबंधित जोखिमों दूर करता है :

111. पूरे वर्ष में संस्था द्वारा सामना की जानेवाली माल और माल जोखिमों केलिए सूचीबद्ध इकाई का अनावृत्ति :

(क) माल में सूचीबद्ध इकाई की कुल अनावृत्ति (आईएनआर में): ₹ 88.94 करोड

(ख) सूचीबद्ध इकाई का विभिन्न वस्तुओं के प्रति जोखिम:

माल का नाम	विशेष माल की ओर आईएनआर में अनावृत्ति	विशेष माल की ओर मात्रा के संदर्भ में अनावृत्ति	माल व्युत्पन्नों के जरिए हेड्ज किए अनावृत्ति का प्रतिशत				
			देशी बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
स्टील	88.94 करोड	10610.52 टन	-	-	-	-	-

(ग) इनपुट लागत में वृद्धि से संबंधित जोखिम से बचने के लिए, कंपनी पोत निर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सभी प्रमुख इनपुट के लिए चरणबद्ध सुपुर्दगी के साथ आदेश देती है। अनुमानित लागत निकालने के लिए प्रस्तावों की जाँच अनुमानों से की जाती है। पोत मरम्मत के मामले में, प्रमुख पुर्जे आमतौर पर पोत मालिकों को लागत के अतिरिक्त आधार पर दिए जाते हैं क्योंकि पुर्जे आमतौर पर मालिक की पसंद के होते हैं।

शेयरधारिता पैटर्न

112. कंपनी प्रत्येक ₹5 के 26,30,80,780 इक्विटि शेयरों जारी किया है, जिसका विवरण दिनांक 31 मार्च 2026 को निम्नानुसार है :

(₹ ख़ुत्ण्द्य)

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
केंद्र सरकार	1	17,86,71,239	67.9150
निकासी सदस्य	65	1,42,932	0.0543
अन्य निगमित निकाय	1,378	29,07,991	1.1054
निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकों के रिश्तेदार	3	641	0.0002
हिंदू अविभाजित परिवार	9,193	11,89,437	0.4521
म्यूचअल फंड	75	54,34,068	2.0656
राष्ट्रीयकृत बैंक	1	24,600	0.0094
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	2	360	0.0001
अनिवासी भारतीय	7,601	14,53,604	0.5525
अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय)	6,682	8,30,702	0.3158
सार्वजनिक	9,86,603	5,36,02,998	20.3751
ट्रस्ट	17	10,701	0.0041
बीमा कंपनियाँ	11	1,04,28,608	3.9640
निगमित निकाय - सीमित देयता भागीदारी	155	2,13,722	0.0812
विदेशी संविभाग निवेशक (निगमित)	118	81,49,015	3.0975
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनएफबीसी	5	16,991	0.0065
वैकल्पिक निवेश कोष - III	2	372	0.0001
निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि	1	2,799	0.0011
कुल	**10,11,913**	**26,30,80,780**	**100.0000**

संचार का साधन

113. बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन के बाद तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों में विज्ञापित किया जाता है और साथ ही इसके अभिग्रहण के बाद 48 घटे के भीतर अखिल भारत में प्रचालन प्राप्त एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिकी और कम से कम एक मलयालम राष्ट्रीय दैनिक को कोच्ची एडिशन में प्रकाशित भी किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट www.cochinshipyard.in वेबसाइट में विज्ञापित की जाती है। कंपनी की वेबसाइट सभी सरकारी विज्ञप्तियों को भी प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा योग्यताएं

114. कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों मेसर्स बाबु ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण शामिल नहीं है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

115. सीएसएल के बोर्ड सदस्यों बहुत वरिष्ठ अधिकारियों है जिन्हें शिक्षा, उद्योग, रक्षा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशासन आदि के क्षेत्रों में बहुत व्यापक, विस्तृत तथा विभिन्न में अनुभव है। सीएसएल को अपने दृष्टिकोण तथा ज्ञान से लाभ मिला है। बोर्ड केलिए उनकी प्रेरणा पर कंपनी के प्रदर्शन व्यापार मोडल, कोर्पोरेट योजना और भविष्य के दृष्टि कोण पर बोर्ड के सदस्यों केलिए प्रस्तुतियाँ बने हैं। इसके अलावा बोर्ड/ समिति और बैठकों में वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों/ प्रोफशनल्स ने व्यापार से संबंधित मुद्दों या जोखिम मूल्यांकन, जोखिम नीति आदि पर सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ बने रहे है। निदेशकों को उनके प्रभाविता को सुधारने केलिए विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने और इसे पहचानने लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा नवनियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को डीपीई द्वारा आयोजित संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों केलिए नामांकित किया जाता है। निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ने एक नीति स्वीकार भी की है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

जोस वी. जे.
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का
अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

कोच्ची
मई 15, 2026

अनुलग्नक - I

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सदस्यों के लिए
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

1. **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** [सीआईएनः L63032KL1972GOI002414] द्वारा तैयार की गई और जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुम्मानूर, कोचीन, एर्णाकुलम, केरल, भारत, 682015 में है (जिसे आगे से 'कंपनी' कहा जाएगा), इसमें दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथा संशोधित ('सूचीबद्धता विनियम') ('लागू मानदंड') के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित विवरण शामिल हैं।

प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. निगमित शासन रिपोर्ट तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है, जिसमें सभी प्रासंगिक सहायक अभिलेखों और दस्तावेज़ों की तैयारी और रखरखाव शामिल है। इस ज़िम्मेदारी में निगमित शासन रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

3. निदेशक मंडल के साथ-साथ प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार है कि कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सूचीकरण विनियमों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करती है।

हमारी ज़िम्मेदारी

4. सत्यापन के लिए चुनी गई प्रक्रियाएँ, निगमित शासन रिपोर्ट के लागू मानदंडों के अनुपालन से जुड़े जोखिमों के आकलन सहित, निर्णय पर निर्भर करती हैं। अपनाई गई प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

   i. कंपनी द्वारा तैयार की गई और उसकी निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल की गई जानकारी को पढ़ना और समझना;

   ii. यह प्राप्त करना और सत्यापित करना कि कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना पूरी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पूरी हुई है;

   iii. दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार निदेशकों के रजिस्टर का प्राप्त कर उसका अवलोकन किया तथा यह सत्यापित किया कि दिनांक 21 मई, 2025 से वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में कम-से-कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक कार्यरत थीं।

   iv. दिनांक 30 सितंबर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त प्राप्त किए और पढ़े;

   v. दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक आयोजित निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियों के कार्यवृत्त प्राप्त किए और पढ़े

   vi. स्वतंत्र निदेशकों सहित कंपनी के निदेशकों से आवश्यक अभ्यावेदन और घोषणाएँ प्राप्त कीं; और

   vii. प्रबंधन से आवश्यक पूछताछ की और प्रबंधन से आवश्यक विशिष्ट अभ्यावेदन भी प्राप्त किए।

उपर्युक्त प्रक्रियाओं में निगमित शासन रिपोर्ट में दिए गए विवरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण के आधार पर जाँच करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत हमारे कार्यक्षेत्र में कंपनी की किसी भी वित्तीय जानकारी या समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता या सटीकता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा परीक्षण करना शामिल नहीं था।

राय

5. हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारा यह मत है कि कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लागू सूचीकरण विनियमों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के:

   i. लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थीं, जिनकी नियुक्ति दिनांक 21 मई, 2025 को की गई थी। परिणामस्वरूप, कंपनी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25(3) एवं 25(4) के

अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित करने संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर सकी।;

ii. *सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 के अनुसार आवश्यक होने के बावजूद, रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से 20 मई, 2025 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।*

iii. *सूचीकरण विनियमों के विनियम 18 के अनुसार अपेक्षित रूप से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी में विधिवत गठित लेखा परीक्षा समिति विद्यमान नहीं थी। परिणामस्वरूप, कंपनी सूचीकरण विनियमों के विनियम 18(2) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन एवं उनकी निर्धारित आवृत्ति के अनुपालन में भी असंगत रही।*

iv. *सूचीकरण विनियमों के विनियम 19 के अनुसार अपेक्षित रूप से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी में विधिवत गठित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नहीं थी। परिणामस्वरूप, कंपनी सूचीकरण विनियमों के विनियम 19(3क) के तहत अनिवार्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों के आयोजन तथा उनकी निर्धारित आवृत्ति के अनुपालन में भी असंगत रही।*

v. *सूचीकरण विनियमों के विनियम 20 के अनुसार अपेक्षित रूप से, रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से दिनांक 31 मई, 2025 तक कंपनी में विधिवत गठित हितधारक संबंध समिति नहीं थी।*

vi. *सूचीकरण विनियमों के विनियम 21 के अनुसार अपेक्षित रूप से, रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से दिनांक 31 मई, 2025 तक कंपनी में विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति नहीं थी।*

vii. *कंपनी की दिनांक 15 मई, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 के तहत अनिवार्य कम-से-कम एक स्वतंत्र निदेशक के क्वोरम की आवश्यकता पूरी नहीं हुई, क्योंकि उस समय कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।*

अन्य मामले और उपयोग पर प्रतिबंध

6. यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

7. यह प्रमाणपत्र कंपनी के सदस्यों को संबोधित है और केवल निगमित शासन के प्रासंगिक विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीकरण विनियमों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

8. इस प्रमाणपत्र की तिथि के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अद्यतन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067H000354803

कोच्ची
13 मई, 2026

निगमित शासन प्रमाणपत्र

(जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित है)

सेवा में,
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुम्मानूर, कोचीन
एर्णाकुलम, केरल - 682015

1. हमने 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड [सीआईएन: L63032KL1972GOI002414]** (कंपनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है ('सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देश')।

2. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जहां भी लागू हो, जैसा कि सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, सिवाय इसके कि:

   i. कंपनी के निदेशक मंडल में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे।

   ii. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के अनुसार अपेक्षित रूप से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी में विधिवत गठित लेखा परीक्षा समिति नहीं थी। परिणामस्वरूप, कंपनी सीपीएसई के लिए निगमित शासन दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के तहत अनिवार्य लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन तथा उनकी निर्धारित आवृत्ति के अनुपालन में भी असंगत रही।

   iii. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार अपेक्षित रूप से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी में विधिवत गठित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नहीं थी।

4. हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही इस बात का कि कंपनी के प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन कितनी दक्षता अथवा प्रभावशीलता से किया है।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं .: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067H000354814

कोच्ची
13 मई, 2026

अनुलग्नक II

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दयित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची v अनुच्छेद ग खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, कोचीन
एर्णाकुलम, केरल - 682015

1. हमने सीआईएन : **L63032KL1972GOI002414** वाले और प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमानूर, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल - 682015 (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) में पंजीकृत कार्यालय वाले **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** के निदेशकों से प्राप्त संगत पंजी, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणी और प्रकटीकरण की जांच की है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के **अनुसूची V** अनुच्छेद-ग उप खंड 10 (i) के साथ पढित विनियम 34 (3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र जारी करने क उद्देश्य केलिए कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया था।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिनांक **31 मार्च, 2026** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम. सं.	निदेशकों का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
i.	वलियपरंबिल जेकब जोस	08444440	01/08/2019
ii.	शंकरनारायणपिल्लै हरिकृष्णन	10221559	27/08/2025
iii.	राजेष गोपालकृष्णन	09576336	27/08/2025
iv.	शिवपेरुमल वेंकटेसपति	07407879	07/08/2025
v.	पुल्लिचालिल बावा नूह	09701541	20/06/2025
vi.	सीमा सूरी	11117145	21/05/2025

3. बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं .: 6215/2024
यूडीआईएनः F003067H000354825

कोच्ची
13 मई, 2026

अनुलग्नक III

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
कोचीन - 682 015

प्रिय महोदय,

1. हम ने दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए कोचीन शिपयार्ड के रोकड प्रवाह विवरण के साथ पढे वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा पता है और विश्वास है, हम स्पष्ट करते है कि :

   (i) इन विवरणों में किसी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड दिया है अथवा पथभ्रष्ट करने वाले किसी विवरण शामिल नहीं किया है;

   (ii) ये विवरण कंपनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करते हैं और चालू लेखाकरण मानकों, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है।

2. जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी, अवैध या कंपनी के आचरण संहिता के उल्लंघन है।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हों, के बारे में बताया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव रखते हैं, उनके बारे में भी बताया है।

4. हमने लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि:

   (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नही है;

   (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, वित्तीय विवरणों केलिए अपेक्षित टिप्पणियां, और

   (iii) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधडी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं है।

5. हम आगे प्रमाणित करते है कि निगमित सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों केलिए संवितरित धनराशि का उपयोग कंपनी के उद्देश्यों केलिए और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और समय -समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तरीकों से किया गया है।

जोस वी जे
निदेशक (वित्त),
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं अध्यक्ष व
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 08444440

कोच्ची
मई 15, 2026

अनुलग्नक - IV

प्रपत्र सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
सर्वे सं. 377, पषमातुर ग्राम, पुकात्तुरई डाक,
मदुरांतकम तालुक, कांचीपुरम,
तमिलनाडु, भारत - 603116

हम, एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों ने **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड [सीआईएन: U27209TN1984GOI010994]** (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा उत्तम निगमित प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षण इस प्रकार संपन्न किया गया कि हमें कंपनी के निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए युक्तिसंगत आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी द्वारा संधारित पुस्तकों, अभिलेखों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं , प्रपत्रों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन, सचिवीय लेखापरीक्षण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं स्पष्टिकरणों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम एतद्द्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि हमारी राय में दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष को आच्छादित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे उल्लिखित वैधानिक उपबंधों का अनुपालन किया है तथा कंपनी में निदेशक मंडल की समुचित प्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र विद्यमान हैं, जो आगे किए गए प्रतिवेदन में वर्णित सीमा, रीति एवं शर्तों के अधीन हैं।

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा संधारित पुस्तकों, अभिलेखों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों का निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित अन्य विधियाँ भी कंपनी पर विशेष रूप से लागू होती हैं:

1. विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम एवं उपविधियाँ;
2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम एवं उपविधियाँ;
4. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम एवं उपविधियाँ;
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम एवं उपविधियाँ;
6. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं अंतर-सीमा संचलन) नियम, 2016;
7. कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम एवं उपविधियाँ;
8. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013;
9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
10. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देश, 2010

हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन का भी परीक्षण किया है

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस-1) तथा सामान्य सभाओं से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस-2);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य विधियों के संबंध में हमने लेखापरीक्षण के दौरान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/अभिलेखों पर भरोसा किया है तथा हमारा रिपोर्ट उसी सीमा तक सीमित है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत गठित है। कंपनी के सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं।

निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को समुचित सूचना दी गई। अधिनियम एवं सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार बैठक का कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ बैठक की तिथि से कम-से-कम सात दिन पूर्व प्रेषित की गईं। साथ ही, बैठक से पूर्व कार्यसूची के विषयों पर अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी विद्यमान है।

निदेशक मंडल के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए तथा उन्हें कार्यवृत्त में विधिवत अभिलिखित एवं अभिलेखित किया गया।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि, हमारे सत्यापन की सीमा तक, कंपनी में उसके आकार एवं प्रचालन के अनुरूप ऐसी पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं, जो लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कोई घटना नहीं हुई:

(i) जनता / अधिकार / अधिमान्य निर्गम के माध्यम से शेयरों/डिबेंचरों / स्वेट इक्विटी का निर्गम।

(ii) प्रतिभूतियों का मोचन अथवा पुनर्खरीद

(iii) विलय / समामेलन / पुनर्गठन आदि।

(iv) विदेशी तकनीकी सहयोग

यह रिपोर्ट हमारी इसी तिथि के पत्र, जिसे **'अनुलग्नक–क'** के रूप में संलग्न किया गया है, के साथ पढ़ा जाना चाहिए और वह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं .: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067H000354847

कोच्ची
13 मई, 2026

'अनुलग्नक – क'

सेवा में,
सदस्यगण
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
सर्वे सं. 377, पषमातुर ग्राम, पुकात्तुरई डाक,
मदुरांतकम तालुक, कांचीपुरम,
तमिलनाडु, भारत - 603116

हमारी इसी तिथि की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का संधारण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी इन अभिलेखों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. लेखापरीक्षण के दौरान हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का पालन किया। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं प्रथाएँ हमारे रिपोट के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा-पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का हमारे द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है।

4. जहाँ-जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ हमने विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल परीक्षण-आधारित प्रक्रियाओं एवं अनुपालनों के सत्यापन तक सीमित रही।

6. अनुपालन के संबंध में अपनी राय बनाने तथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने दिनांक 31 मार्च, 2026 के पश्चात किन्तु रिपोर्ट जारी किए जाने से पूर्व कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन-संबंधी कार्यों को भी ध्यान में रखा है।

7. जहाँ किसी विधिक प्रावधान की एक से अधिक व्याख्याओं की संभावना थी, वहाँ कंपनी द्वारा स्वतंत्र विधिक/व्यावसायिक राय के आधार पर की गई कार्रवाई को हमने विधि के अनुरूप माना है।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं .: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067H000354847

कोच्ची
13 मई, 2026

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरंदेशी विवरण

1. कंपनी के प्रबंधन की चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालनों का परिणाम के विवरण में कंपनी के लक्ष्य, उम्मीद या भविष्य वाणियों को चित्रित करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों की दृष्टि में दूरंदेशी हो सकता है। दूरंदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और अपेक्षाओं पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या उसे समझा जाएगा। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से दूरंदेशी विवरण में संशोधन, आशोधन या सुधार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए से वस्तुतः भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारणों में नौसेना के प्लेटफार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार पारंपरिक लागत कन्वेन्शन के अधीन तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन किया जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमान और निर्णय का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।

2. हमारी वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चा को हमारे लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के साथ पढा जाना चाहिए और इन विवरणों की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

पोत निर्माण उद्योग

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. वैश्विक पोत निर्माण उद्योग सतत विकास के चरण में प्रवेश कर रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2029 तक इस उद्योग का बाजार आकार 262 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है। इस वृद्धि का प्रमुख आधार वाणिज्यिक पोत हैं, जिनकी कुल मांग में लगभग 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्तमान में प्राप्त आदेश बही इतिहास के तीसरे उच्चतम स्तर पर पहुँच गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप नए पोतों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे नियामकीय प्रावधान भी नए पोतों की मांग में वृद्धि के प्रमुख प्रेरक कारकों में से एक हैं।

उद्योग के प्रमुख विकास प्रेरक

4. पोत निर्माण उद्योग की वृद्धि को गति देने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

   (i) बेड़े का नवीनीकरण (मुख्य प्रेरक): बड़ी संख्या में पोत जलयान अपनी सेवा-आयु के अंतिम चरण में पहुँच रहे हैं, जिससे उनके स्थान पर नए जलयानों की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है।

   (ii) कार्बन उत्सर्जन में कमी (डीकार्बोनाइजेशन) संबंधी अनिवार्यताएँ: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के विनियम हरित नौवहन को अपनाने के लिए उद्योग को प्रेरित कर रहे हैं। उद्योग अब केवल नियामकीय अनुपालन तक सीमित न रहकर प्रदर्शन-आधारित सततता की ओर अग्रसर है। वर्ष 2025 में नए जलयानों के लगभग 50% ऑर्डर द्वि-ईंधन जलयानों (एलएनजी, मेथनॉल अथवा अमोनिया-तैयार) के लिए थे। डीकार्बोनाइजेशन और हरित परिवर्तन उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख अनिश्चितता कारक हैं। मेथनॉल, एलएनजी, हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, ऊर्जा दक्षता से संबंधित प्रौद्योगिकियाँ और समाधान निरंतर अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

   (iii) मांग में वृद्धि एवं व्यापार का विस्तार: अनिश्चितताओं के बावजूद, समुद्री व्यापार में निरंतर वृद्धि होने की संभावना है, जिससे दीर्घकाल में नए पोतों की मांग को बल मिलेगा।

   (iv) बेड़े का आधुनिकीकरण: वैश्विक व्यापारी बेड़े का एक बड़ा भाग 15-20 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है, जिसके कारण अधिक दक्ष, उन्नत प्रौद्योगिकी-संपन्न नए जहाजों की आवश्यकता बढ़ रही है।

   (v) नौसैनिक विस्तार: बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण रक्षा व्यय रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहा है। उदाहरणस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने नौसैनिक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिवर्ष लगभग 34-36 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है।

   (vi) अपतटीय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार: समुद्र में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से विशेष प्रकार के स्थापना तथा सेवा प्रदान करने वाले जलयानों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रमुख देश एवं बाज़ार हिस्सेदारी

5. पोत निर्माण उद्योग अभी भी मुख्यतः पूर्वी एशिया में केंद्रित है, जो वैश्विक पोत निर्माण क्षमता का लगभग 93% नियंत्रित करता है। हालांकि, अब यह क्षमता अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही है।

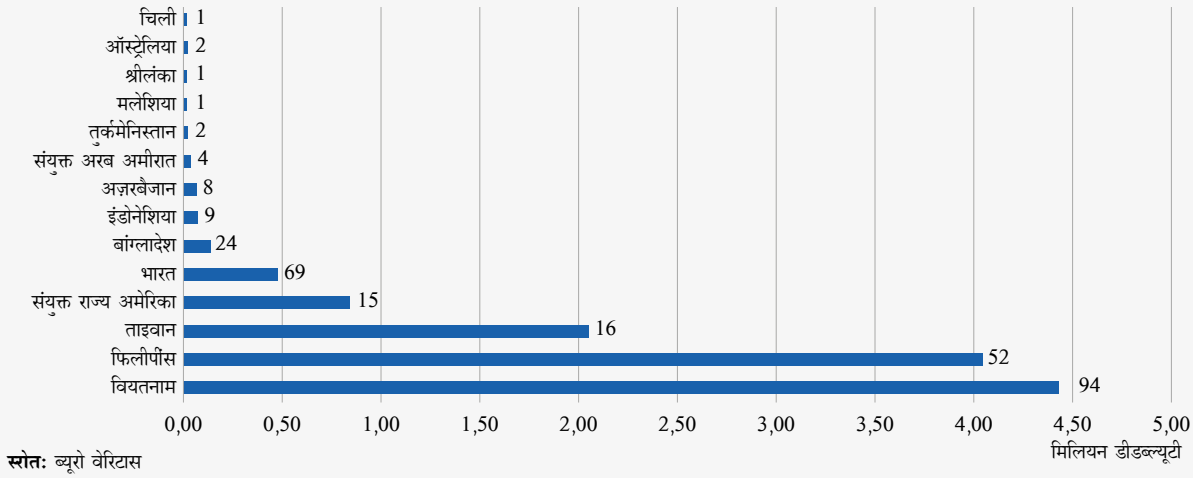
(i) चीन: वैश्विक वाणिज्यिक ऑर्डर बुक में 60% से अधिक हिस्सेदारी के साथ चीन निर्विवाद रूप से अग्रणी है। यह लागत-कुशल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा हाल के वर्षों में उसने सीएसएससी और सीएसआईसी जैसी सरकारी स्वामित्व वाली प्रमुख कंपनियों का विलय कर विश्व का सबसे बड़ा पोत निर्माण समूह स्थापित किया है।

(ii) दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया उच्च-मूल्य एवं जटिल जलयानों, जैसे एलएनजी वाहक तथा मेगा कंटेनर पोतों, के निर्माण में विशेषज्ञता के कारण वैश्विक स्तर पर दूसरा प्रमुख स्थान बनाए हुए है।

(iii) जापान: जापान उच्च गुणवत्ता वाले, ईंधन-दक्ष बल्क कैरियर तथा उन्नत पोत डिजाइनों के निर्माण में विशेषज्ञता के साथ वैश्विक बाज़ार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।

(iv) उभरते प्रतिस्पर्धी: भारत और वियतनाम जैसे देश पोत निर्माण क्षेत्र में अपनी बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से भारत जैसे देशों द्वारा पोत निर्माण क्षमता के विस्तार की घोषणाओं के कारण वैश्विक प्रतिस्पर्धा की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

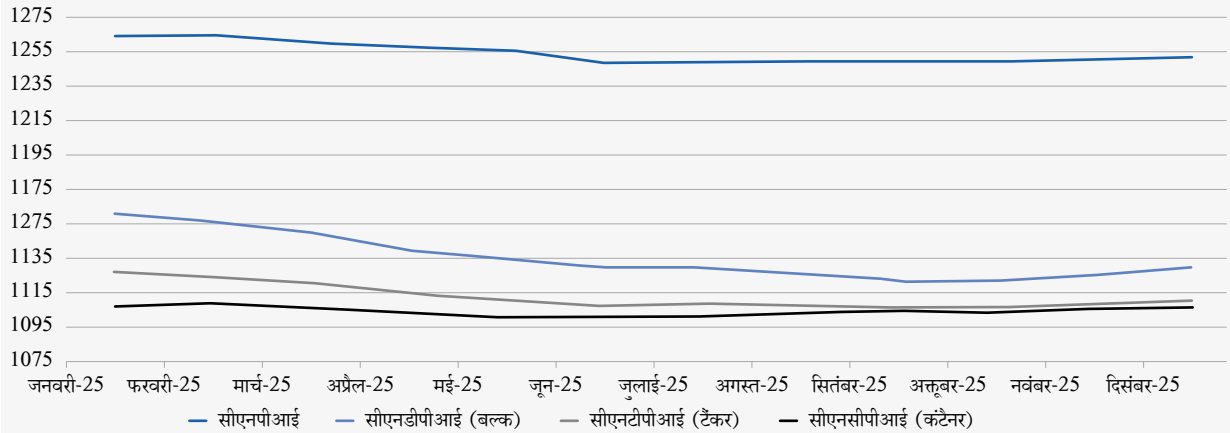
वर्ष 2025 में शेष विश्व का ऑर्डर बुक (मिलियन डीडब्ल्यूटी)



स्रोत: ब्यूरो वेरिटास

6. वर्ष 2025 में बल्क कैरियर, टैंकर तथा कंटेनर वाहक जैसे नए जलयानों की कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। पोत निर्माताओं एवं पोत दलालों के एक पैनल द्वारा तैयार चीनी न्यूबिल्डिंग प्राइस इंडेक्स में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे यह प्रारंभिक संकेत गलत सिद्ध हुआ कि पोतों की मांग स्थिर होने लगी है। कंटेनर पोतों के तेज़ी से बढ़ते बाज़ार ने कीमतों में वृद्धि को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया, जबकि पुराने जलयानों के मूल्यों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई।

सीएनपीआई



स्रोत: ब्यूरो वेरिटास

प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

7. अन्य उद्योगों की भाँति पोत निर्माण उद्योग भी तीव्र गति से तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी एवं नवाचार संबंधी प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

(i) ऊर्जा दक्षता उपकरण: ईंधन की खपत तथा कार्बन उत्सर्जन को अनुकूलित करने के लिए सिमुलेशन-आधारित प्लेटफ़ॉर्म जैसी उन्नत प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है।

(ii) वैकल्पिक ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र:

- मेथनॉल-रेडी जलयानों की स्वीकार्यता एवं मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है; तथा
- बंकरिंग अवसंरचना का तेजी से विस्तार।

(iii) स्मार्ट पोत एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण:

- इंजन कक्षों में मशीन लर्निंग का उपयोग बढ़ रहा है; तथा
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियाँ।

(iv) भविष्य की प्रौद्योगिकियाँ

- तापीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ;
- सौर ऊर्जा-सहायित प्रणोदन; तथा
- स्वायत्त जलयान।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं जोखिम

8. शिपयार्डों की लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है। यद्यपि वेतन में भी वृद्धि हुई है, किंतु लागत बढ़ने का मुख्य कारण मुद्रास्फीति तथा बढ़ती मांग के कारण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में की गई वृद्धि है। बाज़ार में तेजी के बावजूद शिपयार्ड अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा हैं। निर्माण लागत में वृद्धि की गति नए जलयानों की कीमतों में होने वाली वृद्धि से अधिक है, जिसके कारण शिपयार्डों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

(i) लागत में अस्थिरता: इस्पात की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, जो किसी जहाज की कुल सामग्री लागत का 80% तक हो सकता है, शिपयार्डों के लाभांश पर गंभीर दबाव डालता है।

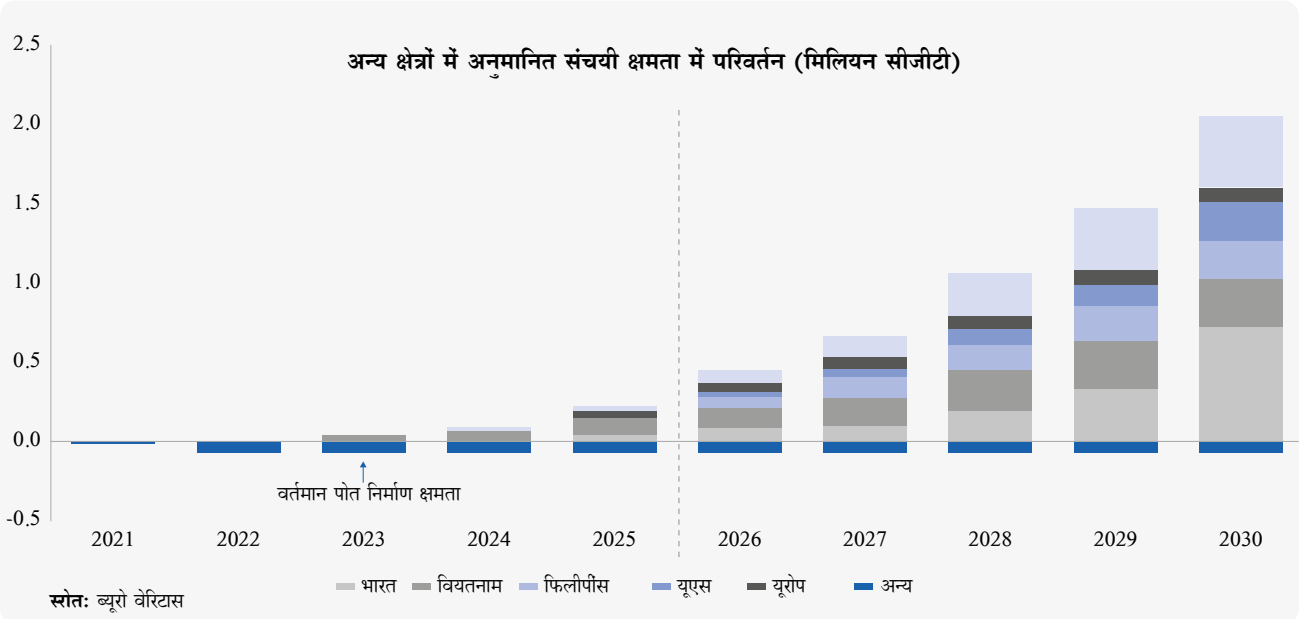
(ii) कुशल श्रमिकों की कमी: विश्वभर के लगभग 41% शिपयार्डों ने वेल्डर, नौसैनिक वास्तुकार तथा अन्य कुशल तकनीकी कर्मियों की गंभीर कमी की सूचना दी है।

(iii) भू-राजनीतिक अस्थिरता: व्यापार युद्ध, संभावित शुल्क तथा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं और व्यापार मार्गों में परिवर्तन लाते हैं, जिससे दीर्घकालिक निवेशों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

भारत में पोत निर्माण

9. भारत का पोत निर्माण उद्योग वर्तमान में एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन चरण से गुजर रहा है, जिस पर वैश्विक समुद्री उद्योग में हो रहे परिवर्तनों तथा देश के भीतर क्षमता विस्तार पर बढ़ते ध्यान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। परंपरागत रूप से वैश्विक वाणिज्यिक पोत निर्माण बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी सीमित रही है, जबकि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उसकी भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक रही है। हालांकि, हाल के वर्षों में परिस्थितियों में परिवर्तन देखने को मिला है। पोत निर्माण क्षमता के विस्तार तथा वैश्विक बाज़ारों में भारत की भागीदारी बढ़ाने के प्रति रुचि और प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं।

10. वैश्विक स्तर पर भारत की भविष्य की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि वह उत्पादन क्षमता, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता तथा समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे प्रमुख क्षेत्रों को किस सीमा तक सुदृढ़ कर पाता है, जैसा कि वैश्विक तुलनात्मक विश्लेषणों में भी रेखांकित किया गया है। बेड़ों के नवीनीकरण तथा समुद्री व्यापार में वृद्धि से उत्पन्न बढ़ती मांग के कारण भारत के लिए वैश्विक पोत निर्माण उद्योग में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है। तथापि, इस दिशा में उसे पहले से स्थापित अग्रणी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

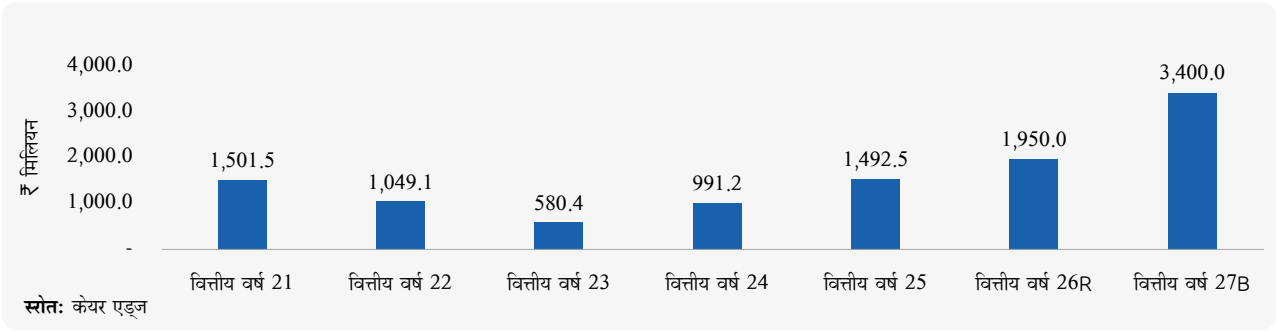


स्रोत: ब्यूरो वेरिटास

11. भारत सरकार की दीर्घकालिक समुद्री दृष्टि के अंतर्गत भारत के पोत निर्माण एवं नौवहन क्षेत्रों में रणनीतिक परिवर्तन किए जा रहे हैं। मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के माध्यम से सरकार ने वर्ष 2030 तक पोत स्वामित्व एवं पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत को विश्व के शीर्ष 10 देशों में तथा वर्ष 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों तथा अवसंरचना विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में, भारत के पोत निर्माण एवं समुद्री क्षेत्र को सुदृढ़ और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹69,725 करोड़ के व्यापक पैकेज को स्वीकृति प्रदान की गई है।

पोत निर्माण उद्योग के लिए बजटीय आबंटन

12. वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के लिए ₹3,400 मिलियन के बजटीय समर्थन का प्रस्ताव किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित बजटीय समर्थन की तुलना में 74.36% अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में पोत निर्माण उद्योग के लिए ₹1,950 मिलियन का आवंटन किया गया था, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 30.65% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ₹10,000 मिलियन के समुद्री विकास कोष, ₹5,150 मिलियन के परिव्यय वाली पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना तथा भारत में पोत निर्माण के लिए क्षमता एवं दक्षता विकास तथा ऋण जोखिम कवरेज हेतु ₹2,500 मिलियन की पोत निर्माण विकास योजना की घोषणा की है। पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना का उद्देश्य देश में बड़े, हरित तथा विशिष्ट जलयानों के देशी निर्माण को प्रोत्साहित करना है। अनुमान है कि यह योजना लगभग ₹960 बिलियन मूल्य की पोत निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देगी तथा मार्च 2026 के बाद वर्तमान नीति का स्थान लेगी। उद्योग की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को अधिक लचीला बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत पोत निर्माण यार्डों को अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं के साथ इसके लाभों का संयोजन करने, संक्रमण अवधि के दौरान पुरानी एवं नई नीतियों में से किसी एक का विकल्प चुनने तथा जहाँ लागू हो, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।



स्रोत: केयर एड्ज

भारतीय नौवहन उद्योग के लिए सरकारी सहायता एवं नीतिगत पहलें

पहल / नीति	विवरण
पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी- 2.0)	भारत सरकार ने भारतीय शिपयार्डों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति 2.0 लागू की है, जिसके लिए ₹24,736 करोड़ का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत ₹100 करोड़ से कम लागत वाले जलयानों के लिए 15 प्रतिशत, ₹100 करोड़ से अधिक लागत वाले जलयानों के लिए 20 प्रतिशत तथा ऐसे हरित या हाइब्रिड जलयानों के लिए, जिनमें कम-से-कम 30 प्रतिशत देशी मूल्य संवर्धन हो, 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय शिपयार्डों में सेवा-आयु पूर्ण कर चुके जलयानों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए ₹4,001 करोड़ की जहाज-विघटन क्रेडिट नोट योजना भी शामिल की गई है।
समुद्री विकास कोष (एमडीएफ)	समुद्री विकास कोष को ₹25,000 करोड़ की कुल निधि के साथ स्थापित किया गया है, ताकि पोत निर्माण क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण को सुदृढ़ किया जा सके। इसमें ₹20,000 करोड़ का समुद्री निवेश कोष तथा ₹5,000 करोड़ का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इस कोष के माध्यम से शिपयार्डों एवं नौवहन कंपनियों को दिए जाने वाले ऋणों पर 3 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
पोत निर्माण विकास योजना (एसडीएस)	पोत निर्माण विकास योजना के अंतर्गत शिपयार्डों के ग्रीनफील्ड एवं ब्रउनफील्ड विस्तार, जोखिम कवरेज तथा क्षमता निर्माण के लिए ₹19,989 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें से ₹9,930 करोड़ ग्रीनफील्ड क्लस्टरों के पूंजीगत व्यय के लिए, ₹8,261 करोड़ ब्रउनफील्ड आधुनिकीकरण के लिए, ₹1,443 करोड़ जोखिम कवरेज के लिए तथा ₹305 करोड़ कौशल एवं क्षमता विकास पहलों के लिए आबंटित किए गए हैं।
अवसंरचना की स्थिति एवं मांग का समेकन	सितंबर 2025 में भारत सरकार ने बड़े पोत निर्माण परियोजनाओं को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया, जिससे उन्हें दीर्घावधि तथा कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुँच उपलब्ध हो गई। साथ ही, तेल एवं गैस क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तथा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आगामी दस वर्षों में देश में निर्मित किए जाने वाले 112 से अधिक जलयानों की मांग का समेकन किया है। इससे भारतीय यार्डों को भविष्य के ऑर्डरों की सुनिश्चित उपलब्धता प्राप्त होगी तथा देशी पोत निर्माण उद्योग को दीर्घकालिक प्रोत्साहन मिलेगा।

पहल / नीति	विवरण
सार्वजनिक खरीद में वरीयता एवं प्रथम अस्वीकृति का अधिकार (आरओएफआर)	सार्वजनिक प्रापण ढाँचे के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि ₹200 करोड़ तक के मूल्य वाले सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी जलयान निर्माण आदेश भारतीय शिपयार्डों को ही दिए जाएँ। इसके अतिरिक्त, संशोधित प्रथम अस्वीकृति का अधिकार नीति के अंतर्गत सभी सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निविदाओं में भारत में निर्मित जलयानों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके पश्चात भारतीय ध्वज वाले तथा फिर भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों को प्राथमिकता दी जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य देशी पोत निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करना तथा भारत में निर्मित जलयानों की मांग को सुदृढ़ करना है।
सागरमाला कार्यक्रम	सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत ₹5.8 ट्रिलियन के कुल निवेश वाली 800 से अधिक परियोजनाएँ शामिल हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पत्तनों का आधुनिकीकरण,पोत मरम्मत, पोत पुनर्चक्रण तथा तटीय संपर्क को सुदृढ़ करना है। सागरमाला 2.0 के अंतर्गत पोत निर्माण क्लस्टरों तथा पत्तन-संबद्ध औद्योगिक अवसंरचना के विकास को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, तटीय नौवहन को बढ़ावा देना तथा भारत के तटीय नौवहन परिस्थितिकी तंत्र को अधिक सुदृढ़ एवं सक्षम बनाना है।
मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030	मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को पोत स्वामित्व तथा पोत निर्माण के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 10 देशों में स्थापित करना है। इस दृष्टि-पत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष 4-5 मिलियन ग्रॉस टनेज की अतिरिक्त पोत निर्माण क्षमता विकसित करने, पत्तनों पर पोत मरम्मत की क्षमता में वृद्धि करने तथा देश के देशी माल परिवहन में तटीय नौवहन की हिस्सेदारी को 12-15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
हरित नौवहन एवं प्रौद्योगिकी संक्रमण	ग्रीन टग ट्रांज़िशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्रमुख पत्तन के लिए प्रथम चरण में कम-से-कम दो हरित टग शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, अपनाने के लिए पाँच मानकीकृत टग डिज़ाइन भी जारी किए गए हैं। हरित सागर दिशानिर्देश, 2023 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारतीय पत्तनों में 60 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा उत्सर्जन तीव्रता में 30 प्रतिशत की कमी सुनिश्चित करना है। इसके पूरक के रूप में हरित नौका दिशानिर्देश अंतर्देशीय जलमार्गों में संचालित पोतों के लिए स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही, हरित पत्तन एवं नौवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, जिसकी स्थापना द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट के सहयोग से की गई है, हरित नौवहन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी मानकों के विकास पर कार्य करता है।

परिदृश्य

13. भारत में पोत निर्माण की मांग मुख्यतः रक्षा क्षेत्र द्वारा संचालित है, और आगामी वर्षों में इसके निरंतर बने रहने की संभावना है। रक्षा क्षेत्र के पोत निर्माण ऑर्डर बुक में 8-9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे भारतीय पोत निर्माण उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है। हाल ही में सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए पोत निर्माण एवं समुद्री क्षेत्र से संबंधित सुधार भी भारत के पोत निर्माण क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन सुधारों का उद्देश्य वित्तीय सहायता, दीर्घकालिक समुद्री वित्तपोषण तथा अवसंरचना विकास के माध्यम से देशी पोत निर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना, विदेशी निर्मित जलयानों पर निर्भरता कम करना तथा भारतीय पोत निर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। इन सुधारों से देश की पोत निर्माण क्षमता 4.5 मिलियन जीटी तक बढ़ाने तथा 8.2 मिलियन जीटी तक वार्षिक पोत निर्माण उत्पादन क्षमता विकसित करने के साथ-साथ वर्ष 2047 तक 2,500 से अधिक जलयानों के निर्माण की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन सुधारों से लगभग ₹4.5 ट्रिलियन के निवेश को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा है, जिससे भारत में वाणिज्यिक तथा रक्षा, दोनों प्रकार के पोत निर्माण क्षेत्रों में दीर्घकालिक एवं सतत विकास को बल मिलेगा। ये पहल भारत के वर्ष 2030 तक विश्व का 10वाँ सबसे बड़ा पोत स्वामी एवं पोत निर्माण राष्ट्र तथा वर्ष 2047 तक 5वाँ सबसे बड़ा राष्ट्र बनने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

14. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने प्रमुख वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों, विशेषकर लाल सागर और स्वेज नहर, को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक जलयानों को केप ऑफ गुड होप के मार्ग से लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे यात्रा अवधि और ईंधन की खपत में वृद्धि हुई है, समयबद्ध प्रचालन की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है तथा जलयानों की प्रभावी उपलब्धता कम होने के कारण मालभाड़ा एवं बीमा लागत में वृद्धि बनी हुई है। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 90 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का परिवहन विदेशी पोतों द्वारा किया जाता है, जिससे वैश्विक व्यवधानों के प्रति उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने विदेशी पोतों पर निर्भरता कम करने की कार्यनीतिक आवश्यकता को पुनः रेखांकित करते हुए 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत ₹70,000 करोड़ के अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत में पोत निर्माण को बढ़ावा देना तथा पोत निर्माण एवं संबद्ध समुद्री सेवाओं में घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। मध्यम अवधि में, यह नीतिगत पहल तथा रक्षा क्षेत्र से निरंतर प्राप्त होने वाली मांग भारतीय शिपयार्डों के लिए नए ऑर्डरों की संभावनाओं को बढ़ाएगी, विशेष रूप से बेड़े के विस्तार एवं प्रतिस्थापन कार्यक्रमों के माध्यम से, जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

मांग का समेकन

15. उपर्युक्त पहलों के अंतर्गत भारतीय शिपयार्डों को भविष्य में प्राप्त होने वाले ऑर्डरों की स्पष्ट जानकारी एवं दीर्घकालिक दृश्यता प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2041-42 तक की कुल जलयान मांग का समेकन किया है।

संगठन / कार्यक्रम	नयोजित जलयानों की सं.	ग्रॉस टनेज (जीटी)	निवेश (₹ करोड़)
तेल एवं गैस सार्वजनिक उपक्रम - बेड़ा अधिग्रहण योजना	59 जलयान	2.8 मिलियन	47,800
एससीआई - दीर्घकालिक योजना (बल्क कैरियर/ टैंकर/ अपतटीय पोत/ अयस्क वाहक पोत)	216 जलयान	10 मिलियन	1,00,000

संगठन / कार्यक्रम	नयोजित जलयानों की सं.	ग्रॉस टनेज (जीटी)	निवेश (₹ करोड़)
एससीआई - कंटेनर बेड़ा	51 कंटेनर जलयान	~6 मिलियन	60,000
देशी हरित टग कार्यक्रम	100 हरित टग	-	12,000
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - बेड़ा विस्तार	11 ड्रेजर	-	3,775
कुल	**437 जलयान**	**~19 मिलियन**	**2.2 लाख**

प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र

16. सीएसएल द्वारा जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्तियों तथा भारतीय मांग, दोनों के अनुरूप हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

(i) कंटेनर जलयान: वैश्विक स्तर पर कंटेनर पोतों का बाजार मजबूत बना हुआ है तथा बड़ी संख्या में नए पोतों के निर्माण के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। एक यूरोपीय ग्राहक के लिए छोटे फीडर पोतों के निर्माण के अतिरिक्त, सीएसएल को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी के लिए 6 फीडर कंटेनर जलयानों के निर्माण का आदेश भी प्राप्त हुआ है।

(ii) लघु समुद्री/तटीय: वैकल्पिक ईंधनों एवं हरित प्रौद्योगिकियों से युक्त नई पीढ़ी के पोत, यूरोप के पुराने लघु समुद्री नौवहन बेड़े के प्रतिस्थापन बाजार में व्यापक संभावनाएँ प्रदर्शित कर रहे हैं। कंपनी ने नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए नए नियामकीय मानकों के अनुरूप ऐसे परियोजनाओं के आदेश प्राप्त किए हैं। आगामी वर्ष में भी इस क्षेत्र में नए ऑर्डर मिलने की संभावना है।

(iii) टग एवं पत्तन पोत: पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की एएसीडीएस नीति के अंतर्गत हार्बर टगों की मांग में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों उडुपी-सीएसएल तथा हुगली-सीएसएल के माध्यम से इस क्षेत्र में अधिकाधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम के अंतर्गत हरित टगों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी जीटीटीपी दिशानिर्देशों के अनुरूप हरित टगों के निर्माण के लिए पूर्णतः तैयार है, जिससे भविष्य में और अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना है। सीएसएल को एक वैश्विक टग प्रचालक से 4 पूर्णतः विद्युत चालित टगों (अतिरिक्त 4 टगों के विकल्प सहित) के निर्माण का आदेश भी प्राप्त हुआ है।

(iv) अंतर्देशीय जलयान : भारत सरकार पत्तन एवं अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के विकास पर विशेष बल दे रही है। कंपनी की हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित कैटामरैन जलयान की प्रारंभिक परियोजना वाराणसी में सफलतापूर्वक प्रचालन में लाई जा चुकी है। इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श चल रहा है, जिनसे भविष्य में पर्याप्त मांग उत्पन्न होने की संभावना है। नदी क्रूज़ पोतों के संबंध में भी बड़ी संख्या में पूछताछ प्राप्त हो रही हैं। हुगली-सीएसएल को इस श्रेणी में पहले ही दो जलयानों के निर्माण के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। यह क्षेत्र भविष्य में उल्लेखनीय संभावनाएँ प्रस्तुत करता है।

(v) नवीकरणीय ऊर्जा एवं अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र: गहरे समुद्री क्षेत्रों में बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्रों के विकास के साथ-साथ उनकी स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के विशेष पोतों की मांग निरंतर बढ़ रही है। कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल तथा सर्विस ऑपरेशन वेसल जैसे पोतों के क्षेत्र में सीएसएल पहले से अपनी सुदृढ़ उपस्थिति स्थापित कर चुका है। इस क्षेत्र में बढ़ती मांग से कंपनी की ऑर्डर बुक में और वृद्धि होने की संभावना है।

(vi) रक्षा पोत निर्माण: भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना के कारण भारतीय रक्षा पोत निर्माण उद्योग तीव्र विकास की स्थिति में है। सीएसएल इस क्षेत्र की अनेक भावी परियोजनाओं से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, जिन पर वर्तमान में विचार-विमर्श चल रहा है।

(vii) बड़े वाणिज्यिक जलयान: यद्यपि सीएसएल ने पूर्व में तरल एवं थोक माल परिवहन के लिए वाणिज्यिक जलयानों का निर्माण किया है, किंतु पिछले लगभग 18 वर्षों में बाजार की परिस्थितियों तथा बड़े टनेज वाले पोतों के निर्माण में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी इस क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकी। तथापि, नए बड़े ड्राई डॉक के प्रचालन में आने तथा भारत सरकार द्वारा भारत में निर्मित एवं भारत के स्वामित्व वाले बड़े टनेज जलयानों को प्रोत्साहित करने एवं उनकी मांग के समेकन संबंधी नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप, कंपनी इस क्षेत्र में प्रवेश कर अपने व्यवसाय का विस्तार करने तथा बेहतर मूल्य सृजित करने के महत्वपूर्ण अवसर देख रही है।

पोत मरम्मत उद्योग

वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग : बाज़ार की गतिशीलता

17. वैश्विक व्यापार मार्गों में हो रहे परिवर्तनों तथा पर्यावरण संबंधी विनियमों के अधिक कठोर होने के कारण पोत मरम्मत उद्योग में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर अपनी कार्यनीतिक स्थिति के कारण भारत, पोत अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल के क्षेत्र में एक सीमित भागीदार से विकसित होकर वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

18. वैश्विक पोत मरम्मत बाजार के वर्ष 2030 तक लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस बाजार की वृद्धि का प्रमुख कारण वैश्विक वाणिज्यिक जलयान बेड़े का पुराना होना तथा कार्बन उत्सर्जन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा निर्धारित कठोर पर्यावरणीय मानक हैं, जिनके अनुपालन के लिए जलयानों में रेट्रोफिटिंग तथा उनकी प्रचालन आयु बढ़ाने हेतु मरम्मत की आवश्यकता बढ़ रही है। इसके साथ ही, हरित पोत रूपांतरण (जैसे एलएनजी, अमोनिया अथवा हाइड्रोजन ईंधन प्रणालियों का उपयोग) तथा दूरस्थ निदान एवं स्थिति-आधारित निगरानी जैसी डिजिटलीकृत अनुरक्षण प्रणालियों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐतिहासिक रूप से, विशाल ड्राई डॉक अवसंरचना तथा त्वरित सेवा उपलब्ध कराने की क्षमता के कारण चीन, सिंगापुर तथा मध्य-पूर्व (दुबई/कतर) इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं।

भारतीय पोत मरम्मत परिदृश्य

19. भारत का पोत मरम्मत क्षेत्र, अपनी विशाल समुद्री क्षमता की तुलना में परंपरागत रूप से अपेक्षाकृत छोटा रहा है, किंतु वर्तमान में यह तीव्र विकास के चरण में है। पिछले वर्षों के सीमित बाजार आकार की तुलना में, इस क्षेत्र के वर्ष 2033 तक कई गुना वृद्धि करने का अनुमान है। मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य देश को पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत बड़े वाणिज्यिक जलयानों की मरम्मत करने में सक्षम बड़े ड्राई डॉक की कमी को

दूर करने तथा इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसंरचनात्मक अंतराल को भरने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

सीएसएल की निर्णायक भूमिका

20. भारत की सबसे बड़ी एवं अत्याधुनिक पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधा के रूप में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) देश की समुद्री आकांक्षाओं का एक प्रमुख आधार है। सीएसएल के पास 2,25,000 डीडब्ल्यूटी तक के जलयानों की मरम्मत करने की क्षमता उपलब्ध है। यह भारत का एकमात्र शिपयार्ड है, जिसके पास विमानवाहक पोतों की जटिल जलमग्न मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का सिद्ध अनुभव है। सीएसएल ने अवसंरचना के विस्तार, कार्यनीतिक सहयोग, तथा देशभर में अपनी कार्यनीतिक रूप से स्थित सुविधाओं-कोच्चि मुख्य यार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा, विलिंगडन द्वीप-कोच्चि, कोचीन शिपयार्ड मुंबई पोत मरम्मत यूनिट, मुंबई, कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट, कोलकाता, तथा अंडमान एवं निकोबार पोत मरम्मत यूनिट, श्री विजयपुरम-के माध्यम से अपने पोत मरम्मत व्यवसाय को निरंतर सुदृढ़ किया है। साथ ही, कंपनी ने उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में विविधीकरण कर अपनी व्यावसायिक क्षमताओं का भी विस्तार किया है। सीएसएल 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल को उनके जलयानों के संपूर्ण जीवनचक्र के दौरान अनुरक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर सीएसएल विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता कम करने तथा नौसैनिक बेड़े की प्रचालन तत्परता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

क्षमता संवर्धन एवं अवसंरचना विकास

नया ड्राई डॉक (एनडीडी)

21. पूर्ण रूप से प्रचालन में आ चुके नए ड्राई डॉक के चालू होने से सीएसएल की पोत मरम्मत क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी उच्च-मूल्य की 'मेगा परियोजनाओं' तथा अपतटीय क्षेत्र, जैसे सुएज़मैक्स एवं केपसाइज़ श्रेणी के पोतों, एलएनजी वाहक तथा जैक-अप रिग की मरम्मत जैसे कार्यों में प्रवेश करने में सक्षम हुई है। इस क्षमता का प्रमाण ओएनजीसी से प्राप्त जैक-अप रिग मरम्मत का हालिया अनुबंध है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने भारतीय नौसेना के पोतों की प्रमुख मरम्मत एवं पुनरुद्धार परियोजनाआ-जिनमें मीडियम रिफिट एवं मिड-लाइफ अपग्रेडेशन, री-इंजिनिंग परियोजना, तथा आरई श्रेणी के रिफिट शामिल हैं, उसके सफल निष्पादन के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भी अपनी सुदृढ़ स्थिति को और मजबूत किया है। इससे वाणिज्यिक एवं अपतटीय परियोजनाओं के साथ-साथ जटिल नौसैनिक मरम्मत कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की कंपनी की क्षमता भी सिद्ध होती है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

22. वर्ष 2025 में प्रचालन में लाई गई अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) अत्याधुनिक 6,000 टन क्षमता वाली शिप लिफ्ट, छह कार्य-स्टेशन तथा मोबाइल ट्रांसफर प्रणाली से सुसज्जित है। यह सुविधा 130 मीटर तक की लंबाई तथा 6,000 टन विस्थापन वाले जलयानों की मरम्मत करने में सक्षम है। इससे सीएसएल की समग्र पोत मरम्मत क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा प्रचालन दक्षता में भी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी प्रतिवर्ष लगभग 82 अतिरिक्त जलयानों की मरम्मत करने में सक्षम हो गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, आईएसआरएफ ने रक्षा तथा वाणिज्यिक दोनों श्रेणियों के विविध प्रकार के जलयानों के लिए लगभग 35 रिफिट परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन किया।

23. यह परस्पर पूरक व्यवस्था आईएसआरएफ को छोटे एवं मध्यम आकार के जलयानों की मरम्मत का कार्य दक्षतापूर्वक संपादित करने में सक्षम बनाती है, जबकि नया ड्राई डॉक उच्च-मूल्य, बड़े आकार तथा जटिल मरम्मत परियोजनाओं के लिए समर्पित है। इस प्रकार, दोनों सुविधाओं का समन्वित उपयोग सीएसएल की कार्य निष्पादन क्षमता को अनुकूलित करने तथा उसकी राजस्व अर्जन क्षमता को अधिकतम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

कार्यनीतिक सहयोग

24. सीएसएल ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के विकास तथा वैश्विक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में, सीएसएल ने अप्रैल 2025 में ड्राईडॉक्स वर्ल्ड (डीपी वर्ल्ड समूह, दुबई) के साथ एक समझौता ज्ञापन तथा अक्तूबर 2025 में एक हेड्स ऑफ टर्म्स समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य पोत मरम्मत क्लस्टरों का विकास करना तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाकर भारत के पोत मरम्मत क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं क्षमता को सुदृढ़ करना है।

25. अगस्त 2025 में, सीएसएल ने अपतटीय पोतों की मरम्मत एवं रूपांतरण के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी, जो सीट्रियम लिमिटेड, सिंगापुर की एक सहायक कंपनी है, उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य सीएसएल की अवसंरचना एवं मानव संसाधन संबंधी क्षमताओं को एसओटी की अपतटीय अभियांत्रिकी विशेषज्ञता के साथ समन्वित कर रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल प्रचालन योजनाओं को संयुक्त रूप से प्राप्त करना एवं निष्पादित करना है।

26. अगस्त 2025 में, सीएसएल ने अपतटीय पोतों की मरम्मत एवं रूपांतरण के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी, जो सीट्रियम लिमिटेड, सिंगापुर की एक सहायक कंपनी है, उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य सीएसएल की अवसंरचना एवं मानव संसाधन संबंधी क्षमताओं को एसओटी की अपतटीय अभियांत्रिकी विशेषज्ञता के साथ समन्वित कर रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल प्रचालन योजनाओं को संयुक्त रूप से प्राप्त करना एवं निष्पादित करना है।

27. इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान सीएसएल ने विभिन्न हितधारकों के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया, जिससे पोत मरम्मत क्षेत्र में कंपनी की सुदृढ़ स्थिति और अधिक मजबूत हुई।

- दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के साथ गुजरात के वाडीनार में पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन संपादित किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे फ्लोटिंग ड्राई डॉक विकसित किए जाएंगे, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 40 बड़े जलयानों की मरम्मत की जा सकेगी। इस परियोजना को दिनांक 05 मई 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति प्राप्त हुई। परियोजना को ब्रउनफील्ड सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 650 मीटर लंबी जेट्टी, दो बड़े फ्लोटिंग ड्राई डॉक, कार्यशालाएँ तथा संबद्ध समुद्री अवसंरचना शामिल होगी। लगभग ₹1,570 करोड़ के कुल निवेश से विकसित की जाने वाली यह सुविधा 300 मीटर तक लंबाई वाले जलयानों की मरम्मत करने में सक्षम होगी।
- जेएसडब्ल्यू शिपिंग के साथ उसकी जलयानों के बेड़े की मरम्मत हेतु सीएसएल की सुविधाओं का उपयोग करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन संपादित किया गया।

28. इन पहलों से देश की पोत मरम्मत क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने तथा इस क्षेत्र में सीएसएल की अग्रणी स्थिति और अधिक सुदृढ़ होने की अपेक्षा है।

व्यावसायिक विविधीकरण

29. सीएसएल नए एवं उच्च-मूल्य वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में अपने विस्तार के प्रयास निरंतर जारी रखे हुए है। इनमें अपतटीय संरचनाओं का निर्माण एवं मरम्मत, पोतों का रूपांतरण एवं रेट्रोफिटिंग तथा रक्षा एवं हथियार प्लेटफॉर्म से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैं। इस विविधीकरण कार्यनीति का उद्देश्य कंपनी के राजस्व स्रोतों का विस्तार करना, लाभांश में सुधार लाना तथा पारंपरिक पोत मरम्मत क्षेत्रों पर निर्भरता को कम करना है।

पोत मरम्मत क्लस्टर

30. भारत सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य भारत को एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इन पहलों के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्यों में से एक भारत में पोत मरम्मत क्लस्टरों का विकास करना है, जिससे समुद्री क्षेत्र में प्रचालन दक्षता, वैश्विक प्रतिष्ठा तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया जा सके। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को भारत के प्रथम दो पोत मरम्मत क्लस्टरों के विकास हेतु नोडल एजेंसी नामित किया है। इनमें पहला क्लस्टर केरल के कोच्ची में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) को केंद्र में रखकर विकसित किया जा रहा है, जबकि दूसरा क्लस्टर गुजरात के वाडिनार में प्रस्तावित है। इस पहल का उद्देश्य भारत की कार्यनीतिक भौगोलिक स्थिति तथा सीएसएल की विद्यमान अवसंरचना का लाभ उठाते हुए वैश्विक स्तर पर पोत मरम्मत, अनुरक्षण तथा रूपांतरण से संबंधित व्यवसाय को आकर्षित करना है।

परिदृश्य

31. मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के अंतर्गत प्राप्त सुदृढ़ नीतिगत समर्थन, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती समुद्री गतिविधियों तथा अवसंरचना, कार्यनीतिक साझेदारियों और क्षमता विकास में सीएसएल द्वारा किए जा रहे निरंतर निवेश के परिणामस्वरूप, कंपनी पोत मरम्मत क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है। क्षमता विस्तार, पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास तथा कार्यनीतिक व्यावसायिक विविधीकरण पर आधारित सीएसएल का समन्वित दृष्टिकोण भारत को पोत मरम्मत एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करता है। वैश्विक जलयान बेड़े के वृद्ध होने तथा भारत की महत्वाकांक्षी नीतिगत पहलों के एक साथ प्रभावी होने से इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इस विकास का प्रमुख प्रेरक बनकर उभर रहा है और कोच्ची को विश्वस्तरीय समुद्री रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जो पारंपरिक वैश्विक पोत मरम्मत केंद्रों के मुकाबले एक प्रतिस्पर्धी एवं अत्याधुनिक तकनीकी विकल्प प्रदान करता है।

प्रचालन

32. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार ₹4,307.69 करोड़ रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹4,527.84 करोड़ था।

33. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पोत निर्माण से कंपनी की आय ₹2,651.39 करोड़ रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹2,663.27 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड को दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल पोत, भारतीय नौसेना को दो पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत, एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी को एक बहुउद्देशीय पोत (एमपीवी) तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन यात्री पोत सुपुर्द किया।

34. दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अप्रयुक्त ऑर्डर बुक का मूल्य लगभग ₹18,900 करोड़ है, जिसमें कुल 51 पोतों के निर्माण के आदेश शामिल हैं। इनमें रक्षा क्षेत्र की ऑर्डर बुक ₹12,150 करोड़ (12 पोत), वाणिज्यिक (देशी) ऑर्डर बुक ₹725 करोड़ (16 पोत) तथा वाणिज्यिक (निर्यात) ऑर्डर बुक ₹6,025 करोड़ (23 पोत) की है। कुल ₹6,750 करोड़ की वाणिज्यिक ऑर्डर बुक में से लगभग 90 प्रतिशत निर्यात आदेश हैं तथा लगभग 40 प्रतिशत आदेश हरित पोतों से संबंधित हैं।

35. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पोत मरम्मत से कंपनी की आय ₹1,656.30 करोड़ रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹1,864.57 करोड़ थी। सीएसएल के पोत मरम्मत प्रभाग ने मरम्मत कार्यों की संख्या में वृद्धि, उपलब्ध परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग तथा देशभर में स्थित अपनी बहु-स्थानिक सुविधाओं का प्रभावी उपयोग करने की कार्यनीति के माध्यम से देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपनी क्षेत्रीय पहुँच को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया तथा अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। वित्त वर्ष के दौरान, प्रभाग ने भारत में स्थित अपनी पाँच सुविधाओं के माध्यम से विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 100 से अधिक रिफिट परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन किया।

वित्तीय सूचना

36. कंपनी की पिछले दशक से संबंधित वित्तीय सूचना नीचे दी गई है:

(रुपए करोड में जब तक अन्यथा न कहा जाए)

वित्तीय वर्ष	प्रदत्त पूंजी	शेयरों की अंकित मूल्य (₹ प्रति शेयर)	उपयोगित पूंजी	निवल मूल्य	करपूर्व लाभ	प्रदत्त लाभों पर कर	निवल लाभ	ईपीएस (₹)	लाभांश	खर्च अनुपात
2025-26	131.54	5	6968.47	5,892.83	886.40	243.36	643.04	24.44	236.77	0.37
2024-25	131.54	5	5,549.91	5,610.65	1,133.85	290.94	842.91	32.04	256.50	0.30
2023-24	131.54	5	4,971.89	5,025.87	1,093.62	280.52	813.10	30.91	256.50	0.32
2022-23	131.54	10	4,480.05	4,423.42	448.51	114.02	334.49	25.43	223.62	0.67
2021-22	131.54	10	4,355.75	4,359.18	794.39	207.82	586.57	44.59	220.33	0.38
2020-21	131.54	10	3,964.27	3,977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
2019-20	131.54	10	3,748.78	3,731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
2018-19	131.54	10	3,327.72	3,332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
2017-18	135.94	10	3,271.03	3,255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
2016-17	113.28	10	2,062.02	2,028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32

मुख्य वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में परिवर्तन (% में)	25% या अधिक के परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
1.	ऋणी कारोबार	12.44	13.30	-6	लागू नहीं
2.	स्टॉक कारोबार	2.21	3.33	-34	निर्माणाधीन पोतों के लिए परियोजना-विशिष्ट सामग्री एवं उपकरणों का स्टॉक उपलब्ध होने तथा कारोबार में कमी आने के कारण।
3.	ब्याज कवरेज	11.66	32.11	-64	लाभ में कमी तथा वर्ष के दौरान अल्पकालिक ऋण लिए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय लागत में वृद्धि होने के कारण।
4.	वर्तमान अनुपात	1.33	1.34	-1	लागू नहीं
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.17	0.00	4,100	वर्ष के दौरान लिए गए अल्पकालिक ऋणों के कारण।
6.	प्रचालन लाभ सीमांत (%)	22.51	25.85	-13	लागू नहीं
7.	शुद्ध लाभ सीमांत (%)	14.93	18.62	-20	लागू नहीं

निवल मूल्य पर वापसी

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वत्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में परिवर्तन (% में)	परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
निवल मूल्य पर वापसी (%)	10.91	15.02	-27	वर्ष के दौरान लाभ में कमी आने के कारण।

प्रस्तावित / घोषित लाभांश

37. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी 18 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 5/2/2016 - नीति के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को कर पश्चात लाभ का 30% या निवल मूल्य के 4% न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना होगा, जो भी अधिक हो। तदनुसार, आपके निदेशक प्रत्येक 5/ रुपये के 26,30,80,780 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर 1.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की सिफारिश करते हैं। इससे पहले, 2025-26 के दौरान शेयरधारकों को 4/- रुपये और 3.50 रुपये के अंतरिम लाभांश, कुल मिलाकर 7.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2025-26 के लिए कुल लाभांश 9.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (180%) होगा, जिसकी कुल राशि ₹236.77 करोड़ है।

खंडवार अथवा उत्पादवार निष्पादन

38. कंपनी मुख्य रूप से दो प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों, अर्थात पोत निर्माण तथा पोतों/अपतटीय रिगों आदि की मरम्मत, में संलग्न है। इन दोनों गतिविधियों के आधार पर खंडवार विश्लेषण किया गया है तथा संबंधित राशियों का युक्तिसंगत आधार पर आबंटन किया गया है। विभिन्न व्यावसायिक खंडों का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
खंड परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	9,81,929.73	8,22,323.58
पोत मरम्मत	3,68,919.83	3,48,784.30
अनाबंटित	57,957.92	1,33,441.35
कुल	**14,08,807.48**	**13,04,549.23**
खंड देयता		
पोत निर्माण	5,99,776.60	4,36,865.61
पोत मरम्मत	40,339.61	1,01,917.29
अनाबंटित	1,79,408.43	2,04,701.13
कुल	**8,19,524.64**	**7,43,484.03**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
खंड राजस्व		
पोत निर्माण	2,65,138.62	2,66,326.95
पोत मरम्मत	1,65,630.45	1,86,457.20
अनाबंटित	40,457.20	38,044.61
कुल	**4,71,226.27**	**4,90,828.76**
खंड परिणाम		
पोत निर्माण	47,536.79	43,421.67
पोत मरम्मत	42,941.22	72,919.61
अनाबंटित	6,477.83	688.19
कुल	**96,955.84**	**1,17,029.47**

39. कंपनी के दो प्रमुख व्यावसायिक खंड हैं-'पोत निर्माण' तथा 'पोत मरम्मत'। पोत निर्माण खंड के अंतर्गत दो ग्राहकों (पिछले वर्ष: दो ग्राहक) से प्राप्त ₹1,58,820.82 लाख (पिछले वर्ष: ₹2,06,665.27 लाख) का राजस्व शामिल है, जो इस खंड के कुल राजस्व का लगभग 59.90 प्रतिशत है। इसी प्रकार, पोत मरम्मत खंड के अंतर्गत दो ग्राहकों (पिछले वर्ष: दो ग्राहक) से प्राप्त ₹1,00,833.29 लाख (पिछले वर्ष: ₹1,53,005.55 लाख) का राजस्व शामिल है, जो इस खंड के कुल राजस्व का लगभग 60.88 प्रतिशत है।

शक्तियां, अपर्याप्तता, मौकाएं और धमकियां

शक्तियां:

(i) पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत के क्षेत्र में विविधीकृत उत्पाद पोर्टफोलियो।

(ii) रक्षा, वाणिज्यिक तथा अपतटीय पोतों का संतुलित एवं अनुकूल उत्पाद मिश्रण।

(iii) संगठन के सभी स्तरों पर औसतन 15 वर्षों के अनुभव से युक्त उच्च प्रशिक्षित, प्रेरित एवं दक्ष मानव संसाधन, जिसके परिणामस्वरूप उत्कृष्ट गुणवत्ता का कार्य निष्पादन सुनिश्चित होता है।

(iv) सुव्यवस्थित रूप से नियोजित एवं विकसित अत्याधुनिक शिपयार्ड अवसंरचना, जो कार्यों के निर्बाध प्रवाह तथा दक्ष उत्पादन को सुनिश्चित करती है।

(v) देशभर में स्थित सात इकाइयों के माध्यम से अखिल भारतीय उपस्थिति, जिससे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक लचीलापन एवं त्वरित सेवाएँ प्रदान करना संभव हो सका है।

(vi) उच्च प्रशिक्षित, अनुभवी एवं दक्ष नौसैनिक वास्तुविदों, अभियंताओं, ड्राफ्ट्समैन आदि से युक्त अत्याधुनिक डिजाइन केंद्र।

(vii) पोतों के मॉड्यूलर निर्माण को सक्षम बनाने वाली अत्यधिक विकसित जहाज निर्माण प्रक्रियाएँ एवं कार्य-पद्धतियाँ।

(viii) उच्च गुणवत्ता वाले उप-ठेकेदारों तथा सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की उपलब्धता।

अपर्याप्तता:

(i) वस्तुतः स्वदेशी सहायक उद्योगों का अस्तित्व न होना और परिणामस्वरूप भारत में प्रमुख उपकरणों/कच्चे माल की अनुपलब्धता;

(ii) वर्तमान उत्पाद श्रृंखला के भाग के रूप में मानक डिज़ाइन वाले उत्पादों की अनुपलब्धता;

(iii) प्रत्यक्ष देशी मांग की अनुपलब्धता जिसके कारण कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहती है;

(iv) उच्च वित्तीय और रसद लागत जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन के लिए उच्च इनपुट लागत होती है;

(v) सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण तुलनात्मक रूप से उच्च सामाजिक और कर्मचारी उपरिव्यय; और

(vi) सरकारी प्रणाली के कारण प्रक्रियात्मक विलंब।

मौकाएं:

(i) देशी वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए पोतों की आवश्यकता में अनुमानित वृद्धि, भारत सरकार की मांग एकत्रीकरण और इसे 'मेक इन इंडिया' नीतियों के लिए निर्देशित करने की नीति के कारण;

(ii) रक्षा क्षेत्र में अनुमानित मांग;

(iii) भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ और भारत को उद्योग के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में देखा जाना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय और देशी बाजारों के नए नियमों को पूरा करने के लिए हरित प्रौद्योगिकी वाले नई पीढ़ी के जलयान;

(v) हरित टग बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी की अग्रणी स्थिति और तैयारी;

(vi) भारतीय भागीदारों के सहयोग से जलयान निर्माण में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए पूर्ण स्वदेशी समाधान प्रस्तुत करने का प्रथम प्रस्तावक लाभ;

(vii) समुद्री क्षेत्र में वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ कार्यनीतिक साझेदारी;

(viii) अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा और तेल एवं गैस उद्योग की वापसी का समर्थन करने वाले जलयान;

(ix) वाणिज्यिक और रक्षा पोतों की मरम्मत के लिए भारी मांग-आपूर्ति अंतर और भारत में लगभग कोई प्रतिस्पर्धा नहीं;

(x) पुराना होता वैश्विक बेड़ा, बढ़ता समुद्री व्यापार और कठोर पर्यावरणीय नियम, जिनके कारण नियमित रखरखाव और पुन:संयोजन की आवश्यकता होती है।

धमकियां:

(i) प्रतियोगियों की संकटकालीन मूल्य निर्धारण नीतियाँ;

(ii) भारतीय पोत निर्माण कंपनियों के कम प्रदर्शन के कारण भारतीय पोत निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रतिष्ठा प्रभाव;

(iii) श्रम और सामग्रियों की बढ़ती लागत;

(iv) खरीद नीतियों पर गैर-लचीले सरकारी नियमन के कारण उत्पाद वितरण समय-सीमा और लागत में देरी;

(v) अनुभवी कार्यबल के तेजी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवास के कारण कुशल श्रमशक्ति का उपयोग करने में कठिनाई; और

(vi) प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ और व्यापार युद्ध की अनिश्चितताएँ।

क्रूज़ 2030$^{2.0}$

40. पिछले कुछ वर्षों में, सीएसएल ने अपनी दीर्घकालिक परिवर्तन पहल, क्रूज़ 2030 (एकीकृत कार्यनीतिक उत्कृष्टता के माध्यम से सीएसएल राजस्व अनलॉक) के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति की है। इस कार्यक्रम ने लक्षित विस्तार, आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से भविष्य के विकास के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है। उल्लेखनीय उपलब्धियों में तीन नई पोत मरम्मत इकाइयों (एसआरयू) - सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू और सीएएनएसआरयू - की स्थापना और प्रचालन, और सीएसएल की सहायक कंपनियों हुगली-सीएसएल और उडुपी-सीएसएल का प्रचालन सुदृढ़ीकरण शामिल है। डिजिटल प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे में बड़े निवेश किए गए, जिनमें एसएपी एस/4 एचएएनए का कार्यान्वयन, डसॉल्ट 3 डी एक्सपीरियंस प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण और अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी प्रणाली की तैनाती शामिल है। सीएसएल के सभी कार्यों में डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए एक समर्पित डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र (डीसीओई) भी बनाया गया। इसके अलावा, सीएसएल ने उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और संपूर्ण समुद्री समाधान प्रदान करने के लिए एक तीसरा वर्टिकल - सीएसएल कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस) की शुरुआत की।

41. क्रूस 2030 की प्रारंभिक कार्ययोजना के अधिकांश उद्देश्यों की सफल प्राप्ति के उपरांत, सीएसएल ने वैश्विक समुद्री परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों तथा उभरते व्यावसायिक अवसरों के संदर्भ में अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करने और भावी रणनीति निर्धारित करने हेतु एक व्यापक कार्यनीतिक समीक्षा प्रारंभ की। इसी क्रम में, अक्तूबर 2024 में कुमारकोम में एक नेतृत्व चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के कार्यनीतिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। दो दिवसीय इस विचार-मंथन से वित्त वर्ष 2030-31 तक सीएसएल को ₹12,000 करोड़ के कारोबार वाली कंपनी के रूप में विकसित करने का साझा दृष्टिकोण सामने आया। इस दौरान निर्धारित विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रियान्वयन योग्य प्राथमिकताओं तथा कार्यनीतिक सक्षमकर्ताओं की पहचान पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।

42. इन विचार-विमर्शों के आधार पर, सीएसएल ने अब क्रूस 2030$^{2.0}$ (क्रूस 2030 का उन्नत संस्करण) का शुभारंभ किया है। यह एक अद्यतन एवं भविष्य-दृष्टि से परिपूर्ण कार्ययोजना है, जो पिछले कुछ वर्षों में निर्मित सुदृढ़ आधार पर आगे बढ़ती है। क्रूस 2030$^{2.0}$ के अंतर्गत प्रमुख पहलों में कोच्ची तथा वाडिनार में पोत मरम्मत क्लस्टरों की स्थापना, डिज़ाइन क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु समुद्री विद्युतीकरण प्रौद्योगिकियों में निवेश, क्षमता एवं परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए पोत ब्लॉक निर्माण सुविधा का विकास तथा उन्नत वैश्विक बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूरोपीय शिपयार्डों के साथ रणनीतिक साझेदारियों की संभावनाओं का अन्वेषण शामिल है। इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम स्तर पर क्रूस 2030$^{2.0}$ कार्यनीतिक समीक्षा दल का गठन किया गया है। यह दल मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करेगा,कार्यनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा, आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करेगा तथा समय-समय पर निदेशक मंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये सभी पहलें मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के अंतर्गत निर्धारित राष्ट्रीय समुद्री उद्देश्यों के अनुरूप हैं तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नवाचार-प्रधान एवं अग्रणी समुद्री कंपनी के रूप में उभरने की सीएसएल की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करती हैं।

सीएसएल कार्यनीतिक और उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

43. हमारे मुख्य पोत निर्माण और पोत मरम्मत पोर्टफोलियो से परे विस्तार करते हुए, सीएसएल ने समुद्री क्षेत्र में कार्यनीतिक और ज्ञान-संचालित भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्यम करने के लिए सीएसएल कार्यनीतिकएवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग की स्थापना की है। सी-एसएएस टिकाऊ और भविष्योन्मुखी व्यवसाय मॉडल की पहचान करने और विकसित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सी-एसएएस प्रभाग द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- भारत के पहले पूर्णत: स्वदेशी उच्च क्षमता वाले स्वायत्त पनडुब्बी वाहन (एचईएयूवी) का प्रणाली एकीकरण: सी-एसएएस टीम ने तीन वाहकों का एकीकरण और परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वाहक-3 का सतह और जलमग्न, दोनों स्थितियों में वाहन की गतिशीलता के लिए सोनार और संचार प्रणालियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ कई बार परीक्षण किया गया। कैरियर-2 का प्रथम समुद्री

परीक्षण भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली का स्वदेशी विकास वर्तमान में प्रगति पर है।

- सी-एसएएस वर्तमान में उच्च क्षमता वाले स्वायत्त पनडुब्बी वाहन (एचईएयूवी) के जलावतरण नियंत्रण स्टेशन का विकास कर रहा है, जो एचईएयूवी के कमांड, नियंत्रण और संचार प्रचालन का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक पूर्णतः एकीकृत प्लेटफॉर्म है।

- आईएनएस विक्रांत (आईएसी) के लिए डिजिटल ट्विन कार्यान्वयन: सी-एसएएस ने भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस विक्रांत (आईएसी) पर डिजिटल ट्विन कार्यान्वयन का कार्यभार संभाला है। डिजिटल ट्विन सॉफ्टवेयर मेसर्स जीई वर्नोवा से और गैस टर्बाइन नियंत्रकों के साथ आवश्यक इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर मेसर्स एल3 हैरिस से प्राप्त किया गया था। डेटा सर्वर, हार्डवेयर उपकरण और इंटरफेसिंग समाधान, जलयान पर और तटीय कार्यालय कार्यान्वयन सी-एसएएस टीम द्वारा प्रदान किए गए थे। आईएनएस विक्रांत पर डिजिटल ट्विन का कार्यान्वयन मार्च 2025 में पूरा हुआ और यह प्रणाली अप्रैल 2025 में सफलतापूर्वक चालू हो गई।

- सी-एसएएस वर्तमान में भारतीय विकास साझेदार फर्मों के साथ सहयोग करके एक पूर्णतः स्वदेशी स्वायत्त सतह पोत (एएसवी) प्रारंभिक परियोजना के विकास पर काम कर रहा है। पोत निर्माण पहलुओं के अलावा, एएसवी प्रारंभिक परियोजना में सीएसएल और स्टार्ट-अप सहित चिन्हित भारतीय कार्यनीतिक साझेदार फर्मों द्वारा समुद्री स्वायत्तता और उससे संबंधित महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों/प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी सह-विकास भी शामिल है। इस संदर्भ में, पाँच अनुबंध प्रदान किए गए और संबंधित उप-प्रणालियों सहित पोत निर्माण कार्य उत्तरोत्तर प्रगति पर है। स्वदेशी एएसवी और उसकी प्रमुख उप-प्रणालियों/प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रमाणन के लिए आईआर श्रेणी अनुबंध पर भी काम चल रहा है।

- सी-एसएएस एक भारतीय प्रौद्योगिकी साझेदार के सहयोग से लेजर-आधारित पूर्णतः स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रिया के उन्नत विकास पर संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। यह स्वचालित वेल्डिंग प्रणाली न्यूनतम ऊष्मा निवेश के साथ उच्च वेल्डिंग गति पर उत्कृष्ट गुणवत्ता की वेल्डिंग करने में सक्षम है। इस प्रणाली के लिए स्वदेशी लेज़र का विकास उन्नत चरण में है।

- सी-एसएएस एक सेंसर-सहायित ड्राईडॉकिंग सहायक समाधान विकसित कर रहा है, जिससे ड्राईडॉकिंग प्रचालन के दौरान सुरक्षा तथा सटीकता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके प्रोटोटाइप का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है तथा इस प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में विकसित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

ईएसजी पहल

44. सीएसएल ने अपने प्रचालन एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन सिद्धांतों को समाहित किया है, जिसके कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक समर्पित टीम कार्यरत है। हरित पोत निर्माण के क्षेत्र में कंपनी की उल्लेखनीय उपस्थिति है तथा इसके वर्तमान वाणिज्यिक ऑर्डर बुक का लगभग 40 प्रतिशत भाग हरित पोतों से संबंधित है। हाल ही के वर्षों में सीएसएल ने नॉर्वे की एएसकेओ मैरिटाइम एएस को शून्य-उत्सर्जन फीडर कंटेनर पोत तथा कोच्ची वाटर मेट्रो परियोजना के लिए 20 हाइब्रिड विद्युत कैटामरैन पोत सफलतापूर्वक सुपुर्द किए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए तीन हाइब्रिड विद्युत यात्री पोत भी निर्मित कर सुपुर्द किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप सीएसएल ने एक प्रारंभिक परियोजना के रूप में भारत का प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजन-ईंधन चालित विद्युत पोत विकसित कर सुपुर्द किया है। यह पोत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जा चुका है तथा वर्तमान में वाराणसी में परिचालनरत है, जिससे स्वच्छ समुद्री ईंधनों को अपनाने को बढ़ावा मिल रहा है।

45. पिछले कुछ वर्षों में सीएसएल ने अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से अनेक सक्रिय पहलें लागू की हैं, जिससे पर्यावरणीय सततता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ हुई है। कंपनी को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 'ग्रीनको गोल्ड' रेटिंग से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने अपने वर्तमान पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन ढाँचे का मूल्यांकन कराने के लिए सीआईआई को नियुक्त किया है। इस मूल्यांकन में गैप आकलन तथा द्वैध भौतिकता आकलन सहित व्यापक समीक्षा के साथ-साथ एक विस्तृत कार्य-रोडमैप तैयार करना भी शामिल है।

46. सीएसएल पर्यावरण प्रबंधन पद्धतियों तथा ऊर्जा संक्रमण संबंधी अपने प्रयासों को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से सीएसएल में स्थापित रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 2,422 किलोवाट से बढ़ाकर 4,000 किलोवाट करने की योजना बनाई है, जिसके दिसंबर 2028 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है। हरित ऊर्जा संक्रमण के अंतर्गत, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को भी चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बीईएसएस को ग्रीन डे-अहेड मार्केट से कम लागत पर खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा तथा उपलब्ध होने पर अतिरिक्त सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज किया जाएगा। इस प्रकार संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग विद्युत शुल्क की उच्च दर वाले समय में किया जाएगा। बीईएसएस के प्रथम चरण का कार्यान्वयन दिसंबर 2027 तक पूरा करने की योजना है। परियोजना के चालू होने के उपरांत, सीएसएल को अपेक्षा है कि उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 60-70 प्रतिशत भाग हरित ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, उत्सर्जन में कमी लाने तथा सुरक्षा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से कंपनी धातु कटाई कार्यों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग की संभावनाओं का भी मूल्यांकन कर रही है।

47. कंपनी ने हाल ही में आईएसओ 50001:2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है। ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य सीएसएल में ऊर्जा प्रबंधन को सुव्यवस्थित एवं प्रणालीबद्ध बनाना है। सीएसएल के ऊर्जा निष्पादन के विश्लेषण के उपरांत महत्त्वपूर्ण ऊर्जा उपयोग की पहचान की गई।

इसके पश्चात एसईयू के लिए ऊर्जा निष्पादन संकेतकों का निर्धारण किया गया तथा ऊर्जा आधाररेखा स्थापित की गई। प्रणाली के अंतर्गत स्थापित मापन एवं निगरानी योजना उपर्युक्त मानकों की समयबद्ध निगरानी एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेगी, जिससे सीएसएल के ऊर्जा निष्पादन में निरंतर सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

48. इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने ऊर्जा दक्षता में वृद्धि तथा प्रचालन लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनेक स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन एवं स्वचालन उपाय लागू किए हैं। इन पहलों में वास्तविक समय में ऊर्जा उपयोग की निगरानी, नियंत्रण तथा अनुकूलन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। इन प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) ऊर्जा उपयोग की निगरानी के लिए, एक आईओटी-आधारित दूरस्थ ऊर्जा निगरानी प्रणाली लागू की गई है, जो ऊर्जा खपत/उत्पादन के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग और विश्लेषण को सक्षम बनाती है।

(ii) बुद्धिमान ऊर्जा उपयोग के अनुरूप, पोत मरम्मत भंडार और सेवा सुरंग, दो उपकेंद्रों तथा अन्य सामान्य क्षेत्रों जैसे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सेंसर-आधारित प्रकाश नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है। ये प्रणालियाँ अधिभोग के आधार पर प्रकाश व्यवस्था को स्वचालित रूप से समायोजित करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऊर्जा का उपयोग केवल आवश्यक होने पर ही किया जाए।

(iii) शीतलन ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए वीआरएफ (परिवर्तनीय रेफ्रिजरेंट प्रवाह) एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बीएलडीसी 5 -स्टार रेटेड सीलिंग पंखे और मैन कूलर पेश किए गए हैं, जो आराम मानकों को बनाए रखते हुए ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हैं।

(iv) मरम्मत गोदी में बैलास्ट पंप के लिए परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव की स्थापना से समग्र प्रचालन दक्षता में वृद्धि हुई है तथा उल्लेखनीय ऊर्जा बचत प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, वीएफडी मोटर के सुचारु प्रारंभ एवं बंद होने को सुनिश्चित करता है, जिससे प्रचालन की विश्वसनीयता में भी सुधार हुआ है।

(v) वातानुकूलन प्रणाली के प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत, आर-22 आधारित मौजूदा वातानुकूलकों को पर्यावरण-अनुकूल आर-32 रेफ्रिजरेंट का उपयोग करने वाली ऊर्जा-दक्ष प्रणालियों से प्रतिस्थापित किया गया है। यह प्रतिस्थापन पारंपरिक आर-22 आधारित प्रणालियों की तुलना में बेहतर शीतलन निष्पादन, कम विद्युत खपत तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करता है।

(vi) महत्त्वपूर्ण उन्नयन उपायों के अंतर्गत भवन गोदी सेवा सुरंगों तथा एलएलटीटी क्रेनों जैसे विभिन्न कार्यनीतिक स्थलों पर पारंपरिक प्रकाश उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा-दक्ष एलईडी प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई है।

(vii) विद्युत प्रणाली के शक्ति गुणांक की निरंतर निगरानी की जाती है तथा इसे एकता के निकट बनाए रखा जाता है, ताकि विद्युत प्रणाली का सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित हो, ऊर्जा की अनावश्यक हानि कम हो तथा समग्र ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हो।

49. इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने कार्बन अवशोषण तथा पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म शैवाल आधारित अभिनव 'लिक्विड ट्री' प्रणाली लागू की है। यह शैवाल-आधारित प्रौद्योगिकी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभावी अवशोषण, ऑक्सीजन के उत्पादन तथा जैव-द्रव्य को खाद्य पदार्थों एवं पोल्ट्री आहार जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करने में सक्षम है।

जोखिम और चिंताएं

50. कंपनी केलिए जोखिम पोत निर्माण उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति से उत्पन्न होता है। वर्षों से कंपनी के राजस्व का एक अनिवार्य हिस्सा वाणिज्यिक जहाज निर्माण से है जो प्रकृति में अत्यधिक चक्रीय है। वाणिज्यिक पोत निर्माण उद्योग की संभावनाएं विश्व व्यापार और तेल, प्राकृतिक गैस, शिप्पिंग, परिवहन और अन्य व्यापार से संबंधित उद्योगों की चक्रीयता पर निर्भर है। उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति के कारण यार्ड तटीय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण जलवायु परिस्थितियों में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि से प्रभावित हो सकता है।

51. कंपनी की गतिविधियों के प्रमुख हिस्से में बडी इस्पात संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल हैं और इसके निर्माण में क्रेन और अन्य भारी मशीनरी और अन्य ऑपरेटिंग खतरों का संचालन होगा। कंपनी के सामने आनेवाले परिचालनगत जोखिमों के कारण आग और विस्फोट आदि भी हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं के कारण होनेवाले नुकसान को एक मानक आग और विशेष खतरों नीति के तहत शामिल किया जाता है, लेकिन सीएसएल के पास व्यापार रुकावट केलिए बीमा नहीं है। ये जोखिम कंपनी को व्यक्तिगत चोट, गलत तरीके से मौत, उत्पाद, दायित्व, संपत्ति की क्षति, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसानों केलिए पर्याप्त देयता को उजागर करवा सकते हैं।

52. कंपनी केलिए एक और उच्च जोखिम वाला क्षेत्र प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत है। प्रमुख कच्चे माल में स्टील (ग्रेड और गुणवत्ता, प्रत्येक परियोजना में, लागी वर्गीकरण नियमों पर निर्भर करता है) और अन्य सामग्री, उपकरण और अन्य घटक जैसे पंप, प्रोपलर और इंजन शामिल है। वित्तीय वर्ष क्रमशः 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कंपनी की समाग्री की खपत की लागत कुल लागत का क्रमशः 56.87%, 52.50% और 48.10% थी। विशेष रूप से खरीदे गए घटकों को इन हाल ही के वित्तीय वर्षों में हमारे कुल कच्चे माल की लागत का लगभग 93.17% हिस्सा है।

53. कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के कारण इन कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण केलिए, भारत में स्टील के संबंध में आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं हैं जिन्हें हम भविष्य में जारी रखने की उम्मीद करते हैं।

भारतीय स्टील उद्योग विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहा है इसलिए कि भारत सरकार ने देशी स्टील उद्योग की रक्षा केलिए चीन जैसे अन्य राज्यों से स्टील के आयात पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाया है। इससे प्रापण की लागत में वृद्धि करके सीएसएल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कच्चे सामग्रियों जैसे कि स्टील, अलुमीनियम, कॉपर आदि के लागत, वैश्विक आपूर्ति और मांग में किसी भी बदलाव के साथ-साथ उतार-चढाव आ सकती है और इस प्रकार सामग्री की लागत को प्रभावित कर रहा है।

54. यदि कंपनी की कच्ची सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हुई है, तो, कंपनी अपने मौजूदा ठेके में अपने ग्राहकों को इन मूल्यों में वृद्धि नहीं कर पाएगी और अपने व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालनों का परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

55. मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन हमारे परिचालन के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक रूप से, दुनिया भर में सभी पोत बिक्री लेनदेन और अपतटीय संरचनाओं की खरीद का एक बडा हिस्सा आम तौर पर यूएसडी और यूरो में आयोजित किया जाता है। इस जोखिम को कम करने हेतु कंपनी निर्यात प्राप्तियों पर शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करती है। हालांकि, पोत निर्माण/ पोत मरम्मत अनुबंध के संदर्भ में आयात घटकों के मामले में रुपए में मूल्यवर्ग में गिरावट दर्ज की गई है, सीएसएल विनिमय दर में उतार-चढाव के जोखिम से अवगत कराया जाता है जब तक कि पोत के मालिक के साथ अनुबंध विनिमय भिन्नता प्रतिपूर्ति खंड केलिए प्रदान नहीं करता है। वर्तमान में पोत निर्माण के कुछ अनुबंधों में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए, मुद्रा दरों में प्रतिकूल उतार-चढाव हमारे संचालन के परिणामों को प्रभावित और प्रवृत्त करेगा।

उत्पाद विविधीकरण

56. सीएसएल उभरती हुई प्रौद्योगिकियों तथा सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप अपने उत्पादों में विविधीकरण के प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग तथा भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर सीएसएल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के समर्थन में भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित कैटामरैन पोत अभिकल्पित एवं निर्मित किया है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने यूरोप में अपतटीय पवन ऊर्जा फार्मों को सहायता प्रदान करने हेतु हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन पोतों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय आदेश प्राप्त किए हैं, जहाँ सतत ऊर्जा समाधानों की अत्यधिक मांग है। कंपनी ने देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए हरित टग के निर्माण के भी आदेश प्राप्त किए हैं। यह पर्यावरणीय दृष्टि से सतत समुद्री समाधानों की बढ़ती मांग को परिलक्षित करता है तथा हरित पोत निर्माण के विकसित होते क्षेत्र में कंपनी की सुदृढ़ स्थिति को और अधिक मजबूत बनाता है।

57. स्वायत्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीएसएल उभरते समुद्री क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वायत सतही जलयान तथा उच्च सहनशक्ति स्वायत्त जलमग्न वाहन का विकास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पोत निर्माण की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत लेजर-आधारित पूर्णतः स्वचालित वेल्डिंग प्रणाली तथा सेंसर-सहायित ड्राईडॉकिंग सहायक समाधान का स्वदेशी रूप से विकास किया जा रहा है। इसके अलावा, सीएसएल ने 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कोष-राशि के साथ अपने स्टार्ट-अप सहभागिता ढाँचे उषस की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से कंपनी का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र से संबंधित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करना है। अब तक डीप-टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों जैसे क्षेत्रों में कार्यरत 24 स्टार्ट-अप्स के लिए 12.50 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। यह ढाँचा स्टार्ट-अप्स को वित्तीय, तकनीकी तथा मार्गदर्शन संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड - लाइव तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास चयन, निगरानी तथा हितधारकों के समन्वय हेतु समीक्षा एवं अनुशंसा एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आंतरिक नियंत्रण

58. कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा किया जाता है जो एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा कार्यक्रम के आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की गहन समीक्षा करता है। चूँकि भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यशील लेखापरीक्षा समिति उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उक्त लेखापरीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

59. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध से संबंधित विवरण को अधिक विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

स्त्री सशक्तिकरण

60. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कार्य स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) नामक नए कानून के तहत निर्धारित दिशा निदेशों और मानकों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक है। श्रमिकों केलिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश में यौन उत्पीडन एक दुराचार अधिनियम के रूप में शामिल है। आंतरिक शिकायत समिति को प्रमाणित स्थायी आदेश और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।

61. सीएसएल ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोश) विषय पर एक आंतरिक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी ने लैंगिक भेदभाव के प्रति अपनी शून्य-सहनशीलता की नीति को

पुनः रेखांकित करते हुए महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अतिरिक्त, सीएसएल की सभी इकाइयों के कर्मचारियों के लिए पोश विषय पर एक ऑनलाइन जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिससे कंपनी ने अपने सभी प्रतिष्ठानों में कार्यस्थल सुरक्षा एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया।

62. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के अनुरूप, सीएसएल ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से "योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ योर सुपरपावर" विषयक एक स्वास्थ्य एवं जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र के माध्यम से मासिक धर्म स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगात्मक, समावेशी एवं अनुकूल कार्यस्थल वातावरण को प्रोत्साहित करने के प्रति सीएसएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

63. सीएसएल ने दिनांक 01 जनवरी 2026 से प्रभावी शिशु देखभाल अवकाश नीति के द्वितीय चरण को लागू कर अपने कर्मचारी कल्याण ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ बनाया है। संशोधित नीति के माध्यम से महिला कर्मचारियों तथा एकल अभिभावकों को अपने बच्चों की शैक्षिक एवं चिकित्सीय आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखने में सुविधा प्रदान की गई है, साथ ही संगठन के कार्यों की निरंतरता भी सुनिश्चित की गई है। इस नीति में किए गए प्रमुख संशोधनों के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के एकल पुरुष अभिभावकों को भी इस सुविधा के लिए पात्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, बच्चे की आयु के आधार पर लालन-पालन, परीक्षाओं तथा चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए शिशु देखभाल अवकाश की पृथक-पृथक अवधि का प्रावधान किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 730 दिनों तक शिशु देखभाल अवकाश का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

64. सीएसएल ने अपनी महिला कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य तथा कार्य-जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर व्यापक सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन कार्यक्रमों का संचालन एक कार्यरत नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया तथा महिला कर्मचारियों एवं प्रशिक्षुओं की आयु के अनुसार विभिन्न बैचों में आयोजित किया गया, ताकि प्रत्येक समूह के लिए अधिक प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इन सत्रों में चिंता, अवसाद, भूमिका-संघर्ष तथा कार्य-संबंधी तनाव के प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही, प्रतिभागियों में आत्म-प्रेरणा तथा भावनात्मक दृढ़ता को भी प्रोत्साहित किया गया। इन सुव्यवस्थित पहलों के माध्यम से सीएसएल अपनी महिला कार्यबल के लिए सहयोगात्मक, स्वस्थ एवं उत्पादक कार्यस्थल वातावरण विकसित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

65. सीएसएल ने दिनांक 09 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुव्यवस्थित अर्द्धदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इसके उपरांत समारोह के अंतर्गत सीएसएल की महिला कार्यबल की प्रतिभा, कौशल एवं सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने हेतु एक प्रतिभा प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

66. इसके अतिरिक्त, कंपनी संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केंद्रीय सुरक्षा परिषद, शॉप सुरक्षा परिषद, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास, कोचीन शिपयार्ड मनोरंजन क्लब, कोचीन शिपयार्ड उपभोक्ता सहकारी समिति तथा कोचीन शिपयार्ड ऑफिसर्स वेलफेयर सेंटर आदि विभिन्न मंचों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है।

सार्वजनिक प्रापण नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

67. सीएसएल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, कंपनी ने एमएसई से 64.75%, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से 0.81% और महिला उद्यमियों से 2.57% की कुल स्वदेशी खरीद हासिल की है, जबकि समझौता ज्ञापन में क्रमशः 25%, 4% और 3% का लक्ष्य रखा गया था। सीएसएल वर्ष के दौरान 15 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और 85 महिला उद्यमियों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करने में सफल रहा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला एमएसई की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, ताकि क्रमशः 4% और 3% के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

68. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल ने एमएसएमई-डीएफओ, त्रिशूर, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), कोच्चि तथा द कोयंबत्तूर जिला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (कोडिसिया), द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम), द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), कोच्ची, द केरल स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (केएसएसआईए), एर्नाकुलम, इंडिया बोट एंड मरीन शो (आईबीएमएस), कोच्ची आदि संस्थाओं के सहयोग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमों सहित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए विभिन्न विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) आयोजित किए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित तथा जिन कार्यक्रमों में भाग लिया गया, उनका विवरण निम्नानुसार है:

(i) कोयंबत्तूर में दिनांक 14 से 16 मई, 2025 तक कोडिसिया (सीओडीआईएसएसआईए), कोयंबत्तूर के सहयोग से 3-दिवसीय एमएसएमई एक्सपो एवं बी2बी (व्यवसाय-से-व्यवसाय) बैठकें आयोजित की गईं। इस दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों सहित लगभग 205 एमएसएमई प्रतिनिधियों ने सीएसएल के प्रदर्शनी स्टॉल का भ्रमण किया तथा पोत निर्माण, पोत मरम्मत और सीएसएल की सामान्य सामग्री एवं सेवा आवश्यकताओं से संबंधित व्यावसायिक अवसरों पर सीएसएल के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

(ii) केरल के एमएसएमई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) एवं बी2बी (व्यवसाय-से-व्यवसाय) बैठकें 28 अगस्त, 2025 को एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय, त्रिशूर के सहयोग से त्रिशूर में आयोजित की गईं। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला स्वामित्व वाली इकाइयों सहित 150 से अधिक एमएसएमई ने भाग लिया तथा सीएसएल के अधिकारियों के साथ पोत निर्माण, पोत मरम्मत तथा सीएसएल की सामान्य सामग्री एवं सेवा आवश्यकताओं से संबंधित व्यावसायिक अवसरों पर विचार-विमर्श किया।

(iii) सीएसएल ने दिनांक18 दिसंबर, 2025 को होटल ले मेरिडियन, कोच्ची में द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एर्नाकुलम द्वारा आयोजित विशेष रीजनल डिफेन्स एमएसएमई कॉन्क्लेव में विक्रेता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला श्रेणी सहित लगभग 50 एमएसएमई ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव में सभी सरकारी/रक्षा/निजी शिपयार्डों के साथ-साथ सशस्त्र बलों, डीआरडीओ आदि के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह रक्षा संगठनों तथा समकक्ष पोत निर्माण उद्योगों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर था।

(iv) सीएसएल ने दिनांक 16 से 18 जनवरी, 2026 के दौरान एडलक्स कन्वेंशन सेंटर, अंगमाली, एर्नाकुलम में केरल सरकार के उद्योग विभाग के मार्गदर्शन में द केरल स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (केएसएसआईए), एर्नाकुलम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो आईआईआईई 2026 एवं बी2बी बैठकों में भाग लिया। इस दौरान 100 से अधिक एमएसएमई प्रतिनिधियों ने सीएसएल के प्रदर्शनी स्टॉल का भ्रमण किया तथा उनमें से कुछ ने व्यावसायिक अवसरों के संबंध में सीएसएल की टीम के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

(v) एनएसआईसी, कोच्ची के सहयोग से सीएसएल ने दिनांक 29 से 31 जनवरी, 2026 के दौरान कोच्ची में आयोजित इंडिया बोट एंड मरीन शो (आईबीएमएस) के अवसर पर एमएसएमई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय सहभागिता रही तथा छोटे पोतों/नौकाओं के क्षेत्र से जुड़े अनेक नए आपूर्तिकर्ताओं के साथ बी2बी बैठकें आयोजित की गईं।

69. विक्रेता विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) तथा एक्सपोज़र विज़िटों के परिणामस्वरूप अनेक आपूर्तिकर्ताओं ने सीएसएल की जीईएम निविदाओं में भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 15 नए एमएसएमई सीएसएल के ऑनलाइन आपूर्तिकर्ता पंजीकरण पोर्टलके माध्यम से पंजीकृत हो चुके हैं तथा अन्य 15 फर्मों के आवेदन सूचीबद्धीकरण के अंतिम चरण में हैं।

70. अन्य पहलों में विक्रेताओं के लिए लाभकारी एमएसएमई से संबंधित जानकारी के साथ सीएसएल वेबसाइट का समय-समय पर अद्यतनीकरण, एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 'एमएसएमई संबंध' और 'एमएसएमई समाधान' पोर्टलों पर खरीद डेटा, भुगतान डेटा और अन्य प्रासंगिक जानकारी को नियमित रूप से अपलोड करना आदि शामिल हैं। सीएसएल टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा दे रहा है और लगभग 300 एमएसएमई विक्रेता पहले ही टीआरईडीएस पोर्टल से जुड़ चुके हैं और कुछ इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

71. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसएल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर एमएसई को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया। वर्ष के दौरान एमएसई के कोई भी चालान बकाया नहीं रहे और न ही किसी चालान का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के बाद किया गया।

अन्य सूचना

72. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी पहलों, प्रौद्योगिकी के आत्मसात एवं उन्नयन के प्रयासों, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए उपक्रमों, विदेशी मुद्रा संरक्षण आदि से संबंधित विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं।

सचेतक विवरण

73. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से प्रस्तुत भिन्न हो सकता है- मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनिमय, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकें शामिल हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

जोस वी. जे.
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

कोच्ची
मई 15, 2026

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

भाग क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1	सूचीबद्ध इकाई का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L63032KL1972GOI002414
2	सूचीबद्ध इकाई का नाम	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	निगमन की तिथि	1972
4	पंजीकृत कार्यालय पता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमानूर, कोच्ची - 682015 केरल, भारत
5	कॉर्पोरेट पता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमानूर, कोच्ची - 682015 केरल, भारत
6	ई-मेल	secretary@cochinshipyard.in
7	दूरभाष	+91 484 2501306
8	वेबसाइट	www.cochinshipyard.in
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	अप्रैल 01, 2025 से मार्च 31, 2026
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	प्रदत्त पूंजी	₹1,31,54,03,900
12	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (दूरभाष, ई-मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्यामकमल एन दूरभाष : +91 484 2501306 ईमेलः secretary@cochinshipyard.in
13	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलॉन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई केलिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं केलिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)	स्टैंडअलॉन
14	आश्वासन प्रदाता का नाम	सस्टेनेबिलिटी एक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
15	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	उचित आश्वासन

II. उत्पाद /सेवाएं

16. व्यापार गतिविधियों का विवरण (कुल कारोबार का 90% हिस्सा है)

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यापार गतिविधि का विवरण	इकाई का कुल कारोबार का %
1.	निर्माण	पोत निर्माण	61.55
2.	सेवा	पोत मरम्मत	38.45

17. इकाई द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद/प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (इकाई के कुल कारोबार का 90% हिस्सा)

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	योगदान दिए कुल कारोबार का %
1.	पोत निर्माण	301	61.55
2.	पोत मरम्मत	331	38.45

III. प्रचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या प्रचालन / कार्यालय स्थित हैं:

क्र. सं.	स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की सं.	कुल
1	राष्ट्रीय	5	0	5
2	अंतर्राष्ट्रीय	0	0	0

19. इकाई द्वारा प्रदत्त बाज़ार:

क. स्थानों की सं.

क्र. सं.	स्थान	संख्या
1	राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)[1]	11
2	अंतर्राष्ट्रीय (देशों की सं.)[2]	11

[1] पोत निर्माण / पोत मरम्मत के हमारे व्यवसाय की अंतर्निहित प्रकृति के कारण, कंपनी आम तौर पर देश के तटीय राज्यों और राष्ट्रीय जलमार्गवाले राज्यों के साथ-साथ देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है ।प्र ाकट किए गए आंकड़ों में 9 तटीय राज्य तथा 2 द्वीप, अर्थात लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, शामिल हैं।

[2] कंपनी ने दुनिया भर में नॉर्वे, नेथरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क/बहामास, साउदी अरब और यूएई में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?

25.67%

ग. विविध प्रकार के ग्राहकों पर एक संक्षिप्त जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माण बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। देशीय मोर्चे पर हमारे प्रमुख पोत निर्माण ग्राहकों में भारतीय नौसेना, गृह मंत्रालय, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विभिन्न पत्तन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और अंडमान और निकोबार प्रशासन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर सीएसएल ने नॉर्वे, नेथरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी डेनमार्क/बहामास, सउदी अरब और यूएई में कुछ सबसे अधिक मांगवाले ग्राहकों को 48 जलयानों का निर्यात किया है। सीएसएल ने तेल अन्वेषण उद्योग के पोतों के उन्नयन के साथ-साथ पोतों के आवधिक रखरखाव, मरम्मत और जीवन विस्तार सहित विभिन्न प्रकार के पोतों की मरम्मत का कार्य भी किया है। प्रमुख पोत मरम्मत ग्राहकों में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, निदेशालय समुद्री सेवाएँ, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑफशोर, सीमेक लिमिटेड आदि शामिल हैं।

IV. कर्मचारीगण

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)
	कर्मचारीगण					
1	स्थायी (घ)	798	703	88.10	95	11.90
2	स्थायी के अलावा (ड.)	246	189	76.83	57	23.17
3	**कुल कर्मचारीगण (घ + ड.)**	**1044**	**892**	**85.44**	**152**	**14.56**
	कामगार					
4	स्थायी (च)	1333	1212	90.92	121	9.08
5	स्थायी के अलावा (छ)	1636	1529	93.46	107	6.54
6	**कुल कामगार (च + छ)**	**2969**	**2741**	**92.32**	**228**	**7.68**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारीगण					
1	स्थायी (घ)	16	15	93.75	1	6.25
2	स्थायी के अलावा (ड.)	0	0	0.00	0	0.00
3	**कुल कर्मचारीगण (घ + ड.)**	**16**	**15**	**93.75**	**1**	**6.25**
	दिव्यांग कामगार					
4	स्थायी (च)	32	28	87.50	4	12.50
5	स्थायी के अलावा (छ)	12	11	91.67	1	8.33
6	**कुल कामगार (च + छ)**	**44**	**39**	**88.64**	**5**	**11.36**

21. महिलाओं की भागीदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व:

विवरण	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	%(ख/क)
निदेशक मंडल	6	1	16.67
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	4	0	0

टिप्पणी: सीएसएल के निदेशक मंडल की स्वीकृत संख्या 12 निदेशक है। तथापि, दिनांक 31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल में 6 निदेशक थे। निदेशक मंडल की संरचना तथा उसमें हुए परिवर्तनों के संबंध में विस्तृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में शामिल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों केलिए कुल कारोबार दर:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025			वित्तीय वर्ष 2024		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारीगण	4.13	2.16	3.89	4.13	1.18	3.75	5.63	2.65	5.27
स्थायी कामगार	1.74	1.61	1.73	0.90	3.83	1.16	1.27	0.78	1.22

V. नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. क. नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों का नाम

क्र. सं.	नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या यह नियंत्रक/सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा संभाले गए शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (जी हां/जी नहीं)
1.	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	100	जी नहीं
2.	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	100	जी नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. i. क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है : जी हां

ii. कुल कारोबार (₹ में) : 4,307.69 करोड़

iii. निवल मूल्य (₹ में) : 5,892.83 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायत

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति केलिए वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की सं.	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की सं.	अभ्युक्तियां
समुदाय	जी हां, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	8	0	-	8	0	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	जी हां, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	0	0	-	0	0	-
शेयरधारक	जी हां, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	23	0	-	35	0	-
कर्मचारी एवं कामगार	जी हां, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	2	2	*	3	1	**
ग्राहक	जी हां, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	0	0	-	0	0	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	जी हां, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	4	2	#	2	1	#

टिप्पणी: कर्मचारियों एवं कामगारों द्वारा की गई शिकायतें यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं।

* सीएसएल की आंतरिक शिकायत समिति इस मामले की जांच कर रही है। ** सीएसएल की आंतरिक शिकायत समिति ने लंबित शिकायत की जांच कर ली है और वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान उसका निपटारा कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में एक-एक शिकायत भुगतान प्राप्त न होने से संबंधित है। भुगतान में देरी डिजाइन में किए गए परिवर्तनों के कारण किए गए अतिरिक्त कार्यों से संबंधित है, जिनके लिए दावे का निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पक्षों द्वारा विस्तृत जांच एवं सत्यापन आवश्यक है। दोनों मामले प्रसंस्करण के अंतिम चरण में हैं। वित्तीय वर्ष 2026 में लंबित निपटान की दूसरी शिकायत डिलीवरी की तिथि बढ़ाए जाने के बाद एलडी (परिसमाप्त हर्जाना) की कटौती से संबंधित है, जिसे बंद कर दिया गया है।

26. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

क्र. सं.	पहचान की गई प्रत्यक्ष मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम/अवसर की पहचान केलिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण अपनाएं	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	सीएसएल द्वारा शुरू की गई अधिकांश पोत निर्माण परियोजनाएं जीवाश्म ईंधन से संचालित होते हैं । दुनिया भर मे जलवायु परिवर्तन के बारे मे बढती जागरूकता से ऐसे पोतों की मांग कम हो जाएगी और सीएसएल के संचालन पर असर पडेगा।	सीएसएल ने हरित नौवहन संबंधी पहलों को अपनाया है। सीएसएल ने भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामारन पोत का निर्माण एवं सफलतापूर्वक परिनियोजन किया है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने नॉर्वे की एएसकेओ मैरीटाइम एएस के लिए 2 स्वायत्त विद्युत जलयान का निर्माण एवं सुपुर्दगी की है। 67 मीटर लंबे इन जलयानों को 1,846 किलोवाट घंटे क्षमता वाली बैटरी से संचालित पूर्णतः विद्युत परिवहन नौकाओं के के रूप में निर्मित किया गया है। सीएसएल ने कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के लिए 23 में से 20 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल जलयानों का निर्माण एवं सुपुर्दगी की है। ये जलयान अपनी तरह के आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा-कुशल एवं पर्यावरण-अनुकूल जलयान हैं। सीएसएल ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 8 में से 3 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन यात्री पोतों का भी निर्माण एवं सुपुर्दगी की है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल पॉलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए 2 60 टन बोलार्ड पुल हरित टग्स तथा विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल्स, 2 शून्य-उत्सर्जन फीडर कंटेनर वेसल्स, 2 हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल्स और 470 टन बोलार्ड पुल विद्युत ट्रांसवर्स टग्स का निर्माण कर रहा है। सीएसएल की कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की पहलों के तहत, सीएसएल ने माइक्रोएल्गी-आधारित लिक्विड ट्री सिस्टम भी लागू किया है। माइक्रोएल्गी अत्यधिक प्रभावी प्रकाश-संश्लेषी जीव हैं, जो पारंपरिक पौधों की तुलना में काफी अधिक दर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन छोड़ने में सक्षम होते हैं। सीएसएल ने अपने परिसर में विभिन्न क्षमताओं वाली 5 लिक्विड ट्री इकाइयों की सफलतापूर्वक स्थापना की है।	नकारात्मक निहितार्थ

क्र. सं.	पहचान की गई प्रत्यक्ष मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम/अवसर की पहचान केलिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण अपनाएं	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
2	जलवायु परिवर्तन	अवसर	शून्य उत्सर्जन जलयानों की मांग में वृद्धि	जलवायु परिवर्तन अवसर शून्य उत्सर्जन जलयानों की मांग में वृद्धि समुद्री हरित बदलावों की ओर वैश्विक बदलाव के अनुरूप, कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन जलयान विकसित और निर्मित किया है, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक अग्रणी परियोजना है। निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक - जिसे ईंधन सेल इलेक्ट्रिक जलयान के रूप में भी जाना जाता है - पर आधारित इस पायलट परियोजना का नेतृत्व सीएसएल के सी-एसएएस प्रभाग ने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से किया, जिसने डिज़ाइन, विकास और निर्माण के तकनीकी पहलुओं को संभाला। यह पहल भारत के नवीन, टिकाऊ और लागत प्रभावी वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इस परियोजना को भारतीय भागीदारों के सहयोग से क्रियान्वित किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस उद्देश्य की दिशा में पहले ही कई उपाय शुरू कर दिए हैं, जिसमें सीएसएल समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए हरित शिपिंग पहलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन हरित पहलों के तहत, सीएसएल कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल जलयानों का निर्माण कर रहाहै। यह परियोजना एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल समाधान प्रस्तुत करती है जो शहरी जल परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी और कोच्ची के नागरिकों को निर्बाध परिवहन प्रदान करेगी। इसके अलावा, सीएसएल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन यात्री जलयान भी बना रहा है। सीएसएल की हरित पहलों के प्रति प्रतिबद्धता नॉर्वे स्थित एएसकेओ मैरीटाइम एएस को दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक जलयानों की आपूर्ति से और भी स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए दो कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान, दो शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर पोत और दो हाइब्रिड सर्विस प्रचालन जलयान बना रहा है।	सकारात्मक निहितार्थ

भाग ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

नीति और प्रबंधन प्रक्रिया

1. क. क्या आपकी इकाई की नीति एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को शामिल करती है। (जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है? (जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

नीतियों को बोर्ड/संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोर्ड की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अनुमोदित किया गया है।

ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
https://cochinshipyard.in/uploads/investor/f8bf429757a74ee34c81b4f67dd385ce.pdf								

टिप्पणी: उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित नीतियाँ भी संबंधित बीआरएसआर सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

क्र. सं.	नीति	संबंधित सिद्धांत	नीति का वेब लिंक
1.	मुखबिर एवं धोखाधड़ी निवारण नीति	पी 1	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/7b64df4642395c5609f8ea0f4f0dec26.pdf
2.	संधारणीयता नीति	पी 2 पी 4 एवं पी 6	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/8faab93b3e3f34af97dd3854e39bc8ce.pdf
3.	गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण नीति	पी 2,पी 3,पी 4, पी 6 एवं पी 9	https://cochinshipyard.in/uploads/FTPStaging/HOME-QHSE/QHSEPolicy.pdf
4.	दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति	पी 3	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/8009bc0d97f36b9a8c0cff9bb121c072.pdf
5.	शिकायत निवारण नीति एवं प्रक्रिया	पी 4	https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf
6.	मानवाधिकार नीति	पी 5	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/7de7f3e4c28dcfc12f29d503944bf190.pdf
7.	जल नीति	पी 6	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/4e8386df5cdf1fdfd157c746c4d4a4fa.pdf
8.	ऊर्जा नीति	पी 6	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/4d3e92562eb01a1b215b5fe1931290dd.pdf

2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (जी हां / जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं	जी हां	जी हां

3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

4. आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों (उदाहरण केलिए फॉरसेट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत से मैप किया गया।

पी1	सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मानक तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 मानक।
पी2	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 मानक, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 मानक तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001:2018 मानक का प्रमाणन।
पी3	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 मानक।
पी4	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 मानक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 मानक तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मानक।
पी5	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 मानक।
पी6	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 मानक, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001:2018 मानक तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रदान की गई ग्रीनको गोल्ड रेटिंग।
पी7	लागू नहीं।
पी8	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 मानक तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 मानक।
पी9	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 मानक तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मानक।

5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और निर्धारित समय-सीमा के साथ लक्ष्य, यदि कोई हो।

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नीचे दी गई टिप्पणी देखें।	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: सीएसएल चरणबद्ध तरीके से रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 4,000 केडब्ल्यूपी करने की योजना बना रही है। उक्त विस्तार को दिसंबर 2028 तक पूरा किए जाने की संभावना है। वर्तमान में सीएसएल की स्थापित क्षमता 2,422 केडब्ल्यूपी है।

हरित ऊर्जा संक्रमण के एक हिस्से के रूप में, चरणबद्ध तरीके से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। बीईएसएस को ग्रीन डे-अहेड मार्केट से कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद तथा उपलब्ध होने पर अतिरिक्त सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज किया जाएगा। संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग पीक टैरिफ अवधि के दौरान किया जाएगा। बीईएसएस के प्रथम चरण का कार्यान्वयन दिसंबर 2027 तक पूरा करने की योजना है। परियोजना के चालू होने के बाद, सीएसएल को उम्मीद है कि वह अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 60-70% हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा कर सकेगी।

6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नीचे दी गई टिप्पणी देखें।	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: इससे पहले, सीएसएल ने लगभग 14 मेगावाट की कुल क्षमता वाले पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र की स्थापना के माध्यम से पूर्णतः हरित ऊर्जा पर संचालित होने की योजना बनाई थी। हालांकि, अधिक कुल लागत, भूमि की उपलब्धता एवं उससे जुड़े जोखिम, पवन टरबाइन जनरेटरों के परिवहन में लॉजिस्टिक संबंधी बाधाएँ, अपेक्षित से कम पवन गति के कारण क्षमता उपयोग कारक पर प्रभाव तथा विद्युत निकासी अवसंरचना की अतिरिक्त लागत जैसे कारकों के कारण इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इसके विकल्प के रूप में, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने तथा हरित ऊर्जा की खपत के हिस्से में वृद्धि करने के लिए सीएसएल में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सीएसएल में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के संबंध में, कंपनी ने अपनी क्षमता पहले ही बढ़ाकर 2,422 केडब्ल्यूपी कर ली है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के मामले में, सीएसएल वर्तमान में इसके कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवस्था में है।

शासन, नेतृत्व और निरीक्षण

7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट केलिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है

सीएसएल उद्योग के समक्ष विद्यमान पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन संबंधी चुनौतियों से निपटने तथा 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में, सीएसएल ने सतत विकास में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सीएसएल विभिन्न पहलों के माध्यम से सतत समुद्री समाधान को आगे बढ़ा रहा है। हमने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरैन पोत सुपुर्द किया है तथा कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 में से अब तक 20 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल जलयानों की सुपुर्दगी की है। इसके अतिरिक्त, हमने नॉर्वे को दो स्वायत्त विद्युत पोत सुपुर्द किए हैं तथा वर्तमान में यूरोपीय ग्राहकों के लिए कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल्स, शून्य-उत्सर्जन फीडर कंटेनर वेसल्स, हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल्स तथा 70 टन बोलार्ड पुल इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स टग्स सहित विभिन्न जलयानों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा, हम पॉलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए दो 60 टन बोलार्ड पुल ग्रीन टग्स तथा आईडब्ल्यूएआई के लिए आठ हाइब्रिड विद्युत कैटामारन हल जलयानों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें से तीन पोत आईडब्ल्यूएआई को पहले ही सुपुर्द किए जा चुके हैं। इन सभी पोतों को विद्युत प्रणोदन के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उनके पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आती है।

सीएसएल ने मूल रूप से 14 मेगावाट के पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और पूर्णतः हरित ऊर्जा पर संचालित होने की योजना बनाई थी। हालांकि, उच्च लागत, भूमि एवं लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों, अपर्याप्त पवन गति, पवन टरबाइन की आपूर्ति में देरी तथा अतिरिक्त विद्युत निकासी अवसंरचना की आवश्यकता के कारण इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, सीएसएल चरणबद्ध तरीके से अपने रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाकर 4,000 केडब्ल्यूपी करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने तथा हरित ऊर्जा की खपत के हिस्से में वृद्धि करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया गया है।

सीएसएल की पर्यावरणीय पहलों के प्रति प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की पहलों को समर्थन देने के उद्देश्य से माइक्रोएल्गी-आधारित लिक्विड ट्री सिस्टम लागू किया है। माइक्रोएल्गी अत्यधिक प्रभावी प्रकाश-संश्लेषी जीव हैं, जो पारंपरिक पौधों की तुलना में काफी अधिक दर से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने में सक्षम होते हैं। सीएसएल ने अपने परिसर में विभिन्न क्षमताओं वाली पांच लिक्विड ट्री इकाइयों की सफलतापूर्वक स्थापना की है।

ये सभी प्रयास सतत प्रथाओं के प्रति सीएसएल की प्रतिबद्धता तथा समुद्री उद्योग के हरित संक्रमण को आगे बढ़ाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं।

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन और निरीक्षण केलिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।

श्री जोस वी. जे. (डीआईएनः 08444440), निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)।

9. क्या इकाई के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने केलिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां / नहीं). यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

जी हाँ, श्री जोस वी. जे. (डीआईएनः 08444440), निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), संधारणीयता से संबंधित मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी हैं।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण

विवरण	नियम	उपर्युक्त नीतियों के अनुसार कार्य निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार
बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी	पी1 पी2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9	बीआरएसआर सिद्धांतों से संबंधित नीतियों की समीक्षा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है। आईएसओ प्रमाणनों की समीक्षा बाह्य एजेंसियों द्वारा निगरानी लेखापरीक्षा के माध्यम से वार्षिक आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, आईएसओ प्रमाणनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूपता की समीक्षा नियमित अंतराल पर इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारियों की एक टीम द्वारा आंतरिक रूप से की जाती है। ऐसी समीक्षा के निष्कर्षों को आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभागाध्यक्षों को परिचालित किया जाता है। इसके पश्चात, अनुपालन की स्थिति की समीक्षा प्रबंधन समीक्षा बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की उपस्थिति में की जाती है। ग्रीनको रेटिंग मानकों के अनुपालन की समीक्षा सीएसएल द्वारा वार्षिक आधार पर आंतरिक रूप से की जाती है। निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट समीक्षा एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रमाणन एजेंसी को भेजी जाती है।	सीएसएल लागू मौजूदा विनियमों का अनुपालन करता है।
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ तिमाही/ कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	पी1 पी2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9		निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर सीएमडी एवं निदेशक (वित्त) द्वारा लागू कानूनों पर एक सांविधिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

11. क्या इकाई ने किसी बाहरी अभिकरण द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है? (जी हां/जी नहीं)। यदि हां, तो अभिकरण का नाम बताएं।

पी1	जी हाँ, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मानक तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 मानक का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी2	जी हाँ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 मानक, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 मानक तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001:2018 मानक के प्रमाणन का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी3	जी हाँ, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 मानक का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी4	जी हां, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 मानक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 मानक तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मानक का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी5	जी हाँ, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 मानक का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी6	जी हाँ, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 मानक तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001:2018 मानक का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी7	जी नहीं।
पी8	जी हाँ, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 मानक तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 मानक का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी9	जी हाँ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 मानक तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मानक का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

टिप्पणी: उपर्युक्त में उल्लिखित नीतियों के अतिरिक्त, बीआरएसआर सिद्धांतों के अनुरूप अन्य किसी भी नीति का स्वतंत्र रूप से किसी बाह्य एजेंसी द्वारा आकलन या मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति में शामिल नहीं है, तो कारण बताया जाना चाहिए :

प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	सभी नौ सिद्धांतों के संबंध में प्रश्न संख्या 1 का उत्तर "हाँ" होने के कारण लागू नहीं।								
संस्था उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण									

भाग - ग : सिद्धांतवार कार्य निष्पादन का प्रकटीकरण

1 सिद्धांत — **व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए ।**

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज :

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल सं.	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	6	सिद्धांत 1, 2 और 3	36.36
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	10	सिद्धांत 1, 2, 3, 5 और 8	71.43
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	228	सिद्धांत 1, 2, 3, 5 और 6	100.00
कामगार	102	सिद्धांत 1, 2, 3, 5 और 6	100.00

* वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारियों, कामगारों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों ने जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तथा बीआरएसआर फ्रेमवर्क के सभी लागू सिद्धांतों के साथ सीएसएल के समन्वय को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नैतिक शासन, सततता, कर्मचारी कल्याण, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण तथा समावेशी विकास के क्षेत्रों में संगठनात्मक क्षमता में वृद्धि हुई।

नोटः सीएसएल के सभी कर्मचारी एवं कामगार दिनांक 27 अक्तूबर से 02 नवंबर 2025 तक आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह में शामिल हुए।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/ कानून प्रवर्तन अभिकरणों/ न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान की गई जुर्माना/दंड/कार्य/शमन शुल्क/प्रशमन शुल्क/समाधान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में दिया जाना हैं।

(नोट : इकाई सेबी के आधार पर प्रकटीकरण करेगी जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट है और जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर बताया गया है) :

मुद्रा					
विवरण	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**नियामक/प्रवर्तन अभिकरणो/न्यायिक संस्थानों का नाम**	**राशि (रुपये में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील दायर की गई है? (जी हां/नहीं)**
जुर्माना/दंड	1	बीएसई और एनएसई	32,20,220 प्रत्येक (जीएसटी @ 18% सहित)	निदेशक मंडल की संरचना और वैधानिक समितियों के गठन के संबंध में गैर-अनुपालन, साथ ही सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों के तहत संबंधित गैर-अनुपालन।	जी नहीं *
निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
समापक शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

* सीएसएल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार में निहित है। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों, जिसमें एक महिला निदेशक भी शामिल है, के रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार को आवश्यक अनुरोध अग्रेषित किए हैं। तदनुसार, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई 2025 के माध्यम से श्रीमती सीमा सूरी (डीआईएन: 11117145) को सीएसएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के पश्चात, कंपनी ने दिनांक 01 जून 2025 को सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुरूप हितधारक संबंध समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया। चूंकि उक्त गैर-अनुपालन न तो कंपनी की लापरवाही/चूक के कारण हुए थे और न ही कंपनी के प्रबंधन के नियंत्रण में थे, इसलिए कंपनी द्वारा जुर्माना माफी के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बीएसई और एनएसई ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(2ए), 20 एवं 21 के अंतर्गत लगाए गए जुर्मानों को माफ कर दिया है। भारत सरकार द्वारा शेष पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी प्रतीक्षित है। यह सूचित किया गया है कि जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करने हेतु अनुपालन सुनिश्चित करना एक पूर्वापेक्षा है। अतः भारत सरकार द्वारा शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात, प्रचलित जुर्माना छूट नीति के अनुसार, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1), 18 एवं 19 के संबंध में लगाए गए जुर्मानों की माफी के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष उचित अनुरोध प्रस्तुत किए जाएंगे।

गैर-मौद्रिक				
विवरण	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**नियामक/प्रवर्तन अभिकरणो/न्यायिक संस्थानों का नाम**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील दायर की गई है? (जी हां/नहीं)**
कैद	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए मामलों में, उन मामलों में प्रस्तुत अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है :

क्र. सं.	**मामले का विवरण**	**नियामक/प्रवर्तन अभिकरणों/न्यायिक संस्थानों का नाम**
शून्य	शून्य	शून्य

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ। सीएसएल के पास किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी एवं भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए धोखाधड़ी निवारण एवं मुखबिर नीति है। यह नीति निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है:. https://cochinshipyard.in/uploads/WHISTLEBLOWERPOLICY/aa6caa3b6be9d4b69c94332c795fa246.pdf

इसके अतिरिक्त, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय सतर्कता के संबंध में विभिन्न गतिविधियां करता है, दंडात्मक सतर्कता से संबंधित मामलों में जांच करता है और निगरानी एवं पता लगाने की पहल करता है। सतर्कता विभाग सभी खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण सीवीसी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन केलिए विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की जाती है। अधिक जानकारी केलिए कृपया निम्नलिखित वेब लिंक https://cochinshipyard.in/Vigilance/integrity-pact देखें।

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन अभिकरण द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई :

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0	0
कर्मचारीगण	0	0
कामगार	0	0

6. हितों के विरोधाभास के संबंध में शिकायतों का विवरण :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026		वित्तीय वर्ष 2025	
	संख्या	अभ्युक्तियां	संख्या	अभ्युक्तियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या।	0	-	0	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के विरोधाभाव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन अभिकरणों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं, क्योंकि हमारे पास निदेशकों और केएमपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार/हितों के टकराव का कोई मामला नहीं है।

8. देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाता *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
देय खातों के दिनों की संख्या	179	54

नोटः वित्त वर्ष 2025 के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि चालू वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित व्यापार देयताओं को 'अन्य वित्तीय देयताओं' के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

9. व्यापार की स्पष्टता

ट्रेडिंग हाउस, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
खरीद का संकेंद्रण	क. कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद	19.68	46.79
	ख. उन ट्रेडिंग हाउसों की संख्या, जिनसे खरीद की गई	989	973*
	ग. शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीद, ट्रेडिंग हाउसों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में	35.86	75.75
बिक्री का संकेंद्रण	क. डीलरों/वितरक को बिक्री, कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य
	ख. डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. डीलरों/वितरक को बिक्री, कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद) (% में)	0.83	0.84
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री) (% में)	0.01	0.00
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम) (% में)	39.18	42.93
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश) (% में)	99.95	99.95

* पिछले वर्ष के आंकड़े को जारी किए गए क्रय आदेशों की संख्या के स्थान पर अद्वितीय ट्रेडिंग हाउस विक्रेताओं की संख्या के आधार पर पुनः प्रस्तुत किया गया है, ताकि इसे चालू वर्ष में अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुरूप किया जा सके।

नोटः ट्रेडिंग हाउस से की गई खरीद की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए आदेशों के आधार पर की जाती है।

2 सिद्धांत — व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेशों में शामिल है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025	पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आरएंडडी	20.45%	36.86%	ग्रीन शिपिंग पहल से उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।
कैपेक्स	0.21%	0.18%	काफी ऊर्जा बचत हासिल की गई।

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी स्रोत के लिए प्रक्रियाएं हैं?

जी हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट टिकाऊ तरीके से प्राप्त किए गए?

100 प्रतिशत

कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन के लिए स्वीकृत मानदंडों का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणन वाले विक्रेता, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेता, निर्माता के विभिन्न अधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्देश और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने की क्षमता, निर्धारित डिलीवरी अवधि के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता शामिल है। औसत प्रदर्शन तय करने के लिए विक्रेता को दिए गए ऑर्डर का वार्षिक मूल्यांकन पूरा किया जाता है। मूल्यांकन की अवधि में उसके औसत प्रदर्शन के आधार पर विक्रेता को अनुमोदित विक्रेता सूची से हटाया/निलंबित किया जाता है। विक्रेता सूची की समीक्षा की जाती है और वर्ष में एक बार उसे अद्यतन किया जाता है।

3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें : (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) मुख्य रूप से पोत निर्माण और पोत मरम्मत का काम करती है। इसके व्यवसाय की प्रकृति उपभोक्ता वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन से संबंधित नहीं है जो अपने जीवन चक्र के अंत में निर्माता को वापस कर दिए जाते हैं। इसके बजाय, सीएसएल द्वारा निर्मित पोतों का स्वामित्व, प्रचालन और अंततः सेवामुक्ति ग्राहकों द्वारा अधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं के माध्यम से लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, जिनमें पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग कन्वेंशन भी शामिल है, के अनुपालन में की जाती है।

इस उद्योग-विशिष्ट संदर्भ को देखते हुए, सीएसएल सुपुर्दगी के बाद अपने उत्पादों का सीधे तौर पर पुनः प्राप्ति या पुनर्चक्रण नहीं करता है, इसलिए, इस प्रकटीकरण के अंतर्गत उत्पाद जीवन-अंत पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएँ सीएसएल पर लागू नहीं होती हैं।

हालाँकि, अपनी प्रचालन ज़िम्मेदारी के तहत, कंपनी सरकार द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों के माध्यम से निर्माण और मरम्मत गतिविधियों के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का सुरक्षित और अनुपालनपूर्ण निपटान सुनिश्चित करती है।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व इकाई की गतिविधियों पर लागू है (जी हां / जी नहीं). यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने केलिए उठाए गए कदम प्रदान करें।

जी नहीं। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सीएसएल पर लागू नहीं है।

3 सिद्धांत

व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की कल्याण हेतु उपायों का विवरण :

श्रेणी	शामिल कर्मचारियों का प्रतिशत %										
	कुल	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं*	
	(क)	सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)	सं.(घ)	%(घ/क)	सं.(ड.)	%(ड./क)	सं.(च)	%(च/क)
स्थायी कर्मचारीगण											
पुरुष	703	703	100.00	703	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	703	100.00	0	0.00
महिला	95	95	100.00	95	100.00	95	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	92	96.84
कुल	**798**	**798**	**100.00**	**798**	**100.00**	**95**	**100.00**	**703**	**100.00**	**92**	**11.53**
स्थायी कर्मचारीगण के अलावा											
पुरुष	189	189	100.00	189	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0.00	0	0.00
महिला	57	57	100.00	57	100.00	57	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	55	96.49
कुल	**246**	**246**	**100.00**	**246**	**100.00**	**57**	**100.00**	**0**	**0.00**	**55**	**22.36**

* डे-केयर सुविधा केवल सीएसएल की कोच्ची इकाई में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रदान की जाती है। सीएसएल की अन्य इकाइयों में महिला कर्मचारियों की संख्या नगण्य होने के कारण वहाँ डे-केयर सुविधा उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है।

ख. श्रमिकों की भलाई केलिए उपायों का विवरण :

श्रेणी	शामिल कर्मचारियों का प्रतिशत %										
	कुल	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं*	
	(क)	सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)	सं.(घ)	%(घ/क)	सं.(ड.)	%(ड./क)	सं.(च)	%(च/क)
स्थायी कामगार											
पुरुष	1212	1212	100.00	1212	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	1212	100.00	0	0.00
महिला	121	121	100.00	121	100.00	121	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	113	93.39
कुल	**1333**	**1333**	**100.00**	**1333**	**100.00**	**121**	**100.00**	**1212**	**100.00**	**113**	**8.48**
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	1529	1529	100.00	1529	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0.00	0	0.00
महिला	107	107	100.00	107	100.00	107	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	105	98.13
कुल	**1636**	**1636**	**100.00**	**1636**	**100.00**	**107**	**100.00**	**0**	**0.00**	**105**	**6.42**

* डे-केयर सुविधा केवल सीएसएल की कोच्ची इकाई में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रदान की जाती है। सीएसएल की अन्य इकाइयों में महिला कर्मचारियों की संख्या नगण्य होने के कारण वहाँ डे-केयर सुविधा उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है।

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	1.09	0.90*

*वर्ष 2025 के वित्तीय वर्ष के आंकडों को 2026 के वित्तीय वर्ष केलिए उपयोग की जानेवाली रिपोर्टिंग पद्धति के साथ संरेखित करने केलिए पुनः बताया गया है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष केलिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

क्र. सं.	लाभ	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025		
		कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की सं.	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी पास जमा की गई (जी हां/जी नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की सं.	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (जी हां/जी नहीं/लागू नहीं)
1	पी एफ	100.00	100.00	जी हां	100.00	100.00	जी हां
2	उपदान	100.00	100.00	जी हां	100.00	100.00	लागू नहीं
3	ईएसआई	0.00	0.00	जी हां	0.00	0.00	लागू नहीं
4	बीमा से जुडी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना	100.00	100.00	जी हां	100.00	100.00	जी हां
5	अधिवर्षिता पेंशन योजना	100.00	100.00	लागू नहीं	100.00	100.00	लागू नहीं.

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों केलिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

जी हां

4. क्या इकाई के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति केलिए एक वेब लिंक प्रदान करें।

जी हा वेबलिंक: https://cochinshipyard.in/uploads/investor/8009bc0d97f36b9a8c0cff9bb121c072.pdf

5. माता-पिता की छुट्टी लेनेवाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर *
पुरुष	100.00	85.71	96.92	98.57
महिला	100.00	लागू नहीं*	71.43	100.00
कुल	**100.00**	**85.71**	**94.44**	**98.63**

* प्रतिधारण दर यह निर्धारित करती है कि माता-पिता संबंधी अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद कितने कर्मचारी काम पर वापस लौटे और उसके 12 माह बाद भी कंपनी में कार्यरत रहे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसएल की किसी भी स्थायी महिला कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश नहीं लिया। अतः वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिधारण दर लागू नहीं है।

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों केलिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने केलिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

श्रेणी	जी हां/जी नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कामगार	जी हां, सीएसएल में 5 चरण की शिकायत निवारण तंत्र है, जो पहले चरण में रिपोर्टिंग अधिकारी से शुरू होकर पाचवें चरण में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक है और शिकायत को हल करने केलिए प्रत्येक चरण में विशिष्ट समय-सीमा है। इस तंत्र की विस्तृत रूपरेखा सीएसएल इंट्रानेट में उपलब्ध है।
स्थायी कामगारों के अलावा	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025		
	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी/ कामगार	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संघ या संघ (ख) का हिस्सा हैं	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी (ग) में कुल कर्मचारी/ कामगार	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जो संघ या यूनियन (घ) संबंधित है	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	**798**	**798**	**100.00**	**695**	**695**	**100.00**
पुरुष	703	703	100.00	605	605	100.00
महिला	95	95	100.00	90	90	100.00
कुल स्थायी कामगार	**1333**	**1333**	**100.00**	**1445**	**1445**	**100.00**
पुरुष	1212	1212	100.00	1317	1317	100.00
महिला	121	121	100.00	128	128	100.00

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026					वित्तीय वर्ष 2025				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कुशलता उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कुशलता उन्नयन पर	
		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क
					कर्मचारीगण					
पुरुष	892	490	54.93	616	69.06	757	269	35.54	402	53.10
महिला	152	71	46.71	84	55.26	137	34	24.82	62	45.26
कुल	**1044**	**561**	**53.74**	**700**	**67.05**	**894**	**303**	**33.89**	**464**	**51.90**
					कामगार					
पुरुष	2741	1831	66.80	369	13.46	2470	210	8.50	483	19.55
महिला	228	144	63.16	72	31.58	177	26	14.69	47	26.55
कुल	**2969**	**1975**	**66.52**	**441**	**14.85**	**2647**	**236**	**8.92**	**530**	**20.02**

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और वृत्ति विकास की समीक्षा का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025		
	कुल (क)	सं. (ख)	% ख/क	कुल (ग)	सं. (घ)	% घ/ग
			कर्मचारीगण			
पुरुष	892	703	78.81	757	605	79.92
महिला	152	95	62.50	137	90	65.69
कुल	**1044**	**798**	**76.44**	**894**	**695**	**77.74**
			कामगार			
पुरुष	2741	1212	44.22	2470	1317	53.32
महिला	228	121	53.07	177	128	72.32
कुल	**2969**	**1333**	**44.90**	**2647**	**1445**	**54.59**

नोटः उपर्युक्त आँकड़े स्थायी कर्मचारियों एवं कामगारों से संबंधित हैं, क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों एवं कामगारों के लिए नियमित कार्य-निष्पादन एवं वृत्ति विकास समीक्षा नहीं की जाती है।

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/ नहीं)। यदि हां, तो ऐसी का कवरेज।

जी हां, सीएसएल को कोच्ची स्थित मुख्य सुविधा के लिए आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक से प्रमाणित किया गया है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने केलिए उपयोग की जानेवाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा यार्ड में किए जाने वाले नियमित और गैर-नियमित कार्यों से जुड़े खतरों और जोखिमों की पहचान और आकलन के लिए खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन एक उपकरण है। इस प्रक्रिया में सभी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना और प्रत्येक गतिविधि को खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन कार्यपत्रक के माध्यम से दर्ज करना शामिल है।

खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन कार्यपत्रक जोखिम गणना के मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है और जोखिम मूल्य के आधार पर गतिविधियों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में प्राथमिकता देता है। जोखिमों को कम करने और जोखिम के स्तर को उच्च और मध्यम से निम्न जोखिम में कम करने के लिए नियंत्रण उपायों का वर्णन मानक संचालन प्रक्रियाओं और प्रत्येक गतिविधि से जुड़ी परिचालन नियंत्रण प्रक्रियाओं में किया गया है।

कार्य सुरक्षा विश्लेषण सभी गैर-नियमित कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसी और संबंधित सीएसएल निष्पादन अधिकारी के समन्वय में किया जाएगा। कार्य सुरक्षा विश्लेषण पर सुरक्षा टीम के साथ चर्चा की जाएगी, श्रमिकों को सूचित किया जाएगा और उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों केलिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (जी हां/ जी नहीं)

जी हां।

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/ कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? (जी हां/ जी नहीं)

हाँ, सीएसएल के सभी कर्मचारियों को व्यावसायिक कार्य से संबंधित न होने वाली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध है।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना / संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
खोए समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति-घंटे काम)	कर्मचारी	1.66	1.11
	कामगार	8.92	5.49
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	5	3
	कामगार	200	112
मरनेवालों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	1	0
उच्च-परिणाम कार्य संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोडकर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	1	0

* वित्त वर्ष 2025 के आँकड़ों को सेबी के बीआरएसआर संबंधी मार्गदर्शन नोट के अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है।

नोटः उपरोक्त तालिका में अनुबंध कार्यबल सहित डेटा शामिल है।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने केलिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं, जिनकी प्रचालन आवश्यकताओं, घटनाओं से प्राप्त सीख, सांविधिक परिवर्तनों तथा निरंतर सुधार संबंधी पहलों के आधार पर समय-समय पर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है। सभी संशोधनों का विधिवत दस्तावेजीकरण किया जाता है तथा उनके अनुरूप प्रशिक्षण सामग्री और संचार प्रणालियों को भी अद्यतन किया जाता है, ताकि पूरे संगठन में उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

सीएसएल में व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, जिसे एचएसई गवर्नेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है, कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य पद्धतियों का निरंतर पालन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक सुदृढ़ एवं सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देती है। इस प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवहार प्रदर्शित करने वाले कर्मचारियों को मासिक आधार पर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह के दौरान सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक कर्मचारी समूह कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी पहलों में सहयोग एवं निगरानी के लिए एक क्षेत्र सुरक्षा प्रतिनिधि का चयन करता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 250 कर्मियों की एक समर्पित सुरक्षा एवं अग्निशमन टीम पोतों पर, कार्यशालाओं में तथा स्किड्स एवं प्रचालन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों की निरंतर निगरानी करती है। यह टीम जहाँ आवश्यक हो, वहाँ कार्य परमिट जारी करने तथा असुरक्षित कार्य अथवा असुरक्षित परिस्थितियाँ पाए जाने पर उल्लंघन नोटिस जारी करने के लिए उत्तरदायी है। ठेकेदारों द्वारा भी समर्पित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है तथा उन्हें स्पष्ट सुरक्षा दिशानिर्देश एवं उत्तरदायित्वों से अवगत कराया गया है।

सुरक्षा के प्रति शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता कार्यस्थलों पर अनुभाग प्रमुखों, महाप्रबंधकों और मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा साप्ताहिक सुरक्षा निरीक्षणों तथा मासिक पेप टॉक्स के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। ये सहभागिताएँ सुरक्षा के प्रति जागरूकता, कर्मचारियों की भागीदारी तथा सुरक्षा प्रबंधन में नेतृत्व की सक्रिय उपस्थिति को सुदृढ़ करती हैं।

सीएसएल उप-ठेकेदारों एवं व्यावसायिक साझेदारों के एचएसई कार्य निष्पादन पर भी विशेष जोर देता है। उप-ठेकेदारों का मूल्यांकन निर्धारित एचएसई कार्य निष्पादन मानकों के आधार पर किया जाता है तथा उनसे सीएसएल की एचएसई नीतियों, प्रक्रियाओं एवं मानकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। सुरक्षित कार्य निष्पादन तथा एचएसई कार्य निष्पादन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए सीएसएल उप-ठेकेदारों के साथ आवश्यक मार्गदर्शन, संसाधन, प्रशिक्षण एवं निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए निकटता से कार्य करता है।

ठेकेदारों की सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सीएसएल ने एक संरचित एचएसई स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से उप-ठेकेदारों के वार्षिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण एचएसई कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने एचएसई एवं स्थिरता प्रबंधन आपूर्तिकर्ता आचार संहिता प्रकाशित किया है, जिसमें संगठन के सुरक्षा एवं सततता संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
कार्य स्थिति	0	0	-	0	0	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	-	0	0	-

नोटः वित्त वर्ष 2025 के आँकड़ों को पुनः शून्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि पूर्व में रिपोर्ट किए गए आँकड़े शिकायतें नहीं, बल्कि सुरक्षित कार्य वातावरण को बेहतर बनाने एवं बनाए रखने के हमारे निरंतर प्रयासों के तहत कार्यबल द्वारा प्रस्तुत सुझाव/अवलोकन थे। इन सुझावों/अवलोकनों का सीएसएल में एक सुदृढ़ एचएसई शासन प्रणाली के माध्यम से उचित रूप से समाधान किया जाता है। वित्त वर्ष 2025 में सीएसएल को कुल 2,444 अवलोकन प्राप्त हुए, जिनमें से 130 अवलोकन 31 मार्च 2025 तक निपटान हेतु लंबित थे। वित्त वर्ष 2026 में सीएसएल को कुल 1,522 अवलोकन प्राप्त हुए, जिनमें से 347 अवलोकन 31 मार्च 2026 तक निपटान हेतु लंबित थे।

14. वर्ष केलिए आकलन :

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य	100
कार्य स्थिति	100

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान केलिए की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा-संबंधी घटनाओं केलिए सुधारात्मक कार्रवाई 3 सदस्य समिति (उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी, उस क्षेत्र के सुरक्षा समिति के सदस्य और उस क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी सहित समिति) या सुरक्षा संबंधी घटनाओं के जांच बोर्ड (महत्वपूर्ण घटनाओं केलिए अधिभोगी/ कारखाना प्रबंधक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित सदस्य) से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एचएसई टिप्पणियों/सुझावों से अन्य सुधारात्मक कार्रवाइयां एचएसई समन्वयक/विशेष क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जाएंगी।

4 सिद्धांत — व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हितधारकों की पहचान कंपनी की आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिसमें व्यवसाय के साथ उनके संबंधों की प्रकृति तथा कंपनी के प्रचालन से उनके प्रभावित होने की सीमा या कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

2. अपनी इकाई केलिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुडाव की आवृत्ति बताएं।

क्र. सं.	हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमज़ोर और अधिकारहीन समूह के रूप में की गई है (जी हां/नहीं)	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
1	ग्राहक	जी नहीं	परियोजना से संबंधित कॉल, ई-मेल और बैठक, परियोजना प्रबंधन समीक्षा, शीर्ष कार्यकारी बैठकें और ब्रीफिंग, ग्राहक का दौरा, आरएफपी और अन्य निविदाओं आदि समाचार पत्रों पर प्रतिक्रियाएं, ब्रोशर	सतत आधार	पोत निर्माण और पोत मरम्मत परियोजना निष्पादन
2	शेयरधारक	जी नहीं	प्रेस विज्ञप्ति, ई-मेल सलाह, व्यक्गित बैठकें, निवेशक कॉन्फ्रेरन्स कॉल आदि	तिमाही : भारतीय लेखा मानक में वित्तीय विवरण, कमाई कॉल, विनिमय अधिसूचना। सतत : सीएसएल वेबसाइट पर निवेशक पृष्ठ वार्षिक : वार्षिक आम बैठक, वार्षिक रिपोर्ट आय कॉल; आवश्यकतानुसार निवेशक बैठकें	निवेशकों को कंपनी की नीतियों, रिपोर्टिंग, रणनीति आदि के संबंध में उनकी चिंताओं को व्यक्त करने में मदद करना। शेयरधारक की अपेक्षाओं को समझना।
3	कर्मचारी	जी नहीं	इंट्रानेट, ई-मेल और बैंठकें	सतत आधार	विभिन्न आदेशों, निदेशों, योजनाओं आदि की जानकारी देना।

क्र. सं.	हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमज़ोर और अधिकारहीन समूह के रूप में की गई है (जी हां/नहीं)	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
4	अकादमी संस्थान	जी नहीं	आवश्यकतानुसार : शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम और बैठकें	जब भी ज़रूरत हो	प्रशिक्षण एवं विकास
5	उद्योग निकाय, सरकार और नियामक	जी नहीं	सम्मेलन और सेमिनार; सर्वेक्षण; और अन्य बैठकें	जब भी ज़रूरत हो	सभी लागू कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें
6	संगठन, स्थानीय समुदाय और बडे पैमाने पर समाज	जी नहीं	मीडिया, सोशल मीडिया, सर्वेक्षण; और प्रेस प्रकाशनी	जब भी ज़रूरत हो	सीएसआर परियोजना का निष्पादन, महत्वपूर्ण घटनाओं और घटनाओं की शुरुआत

5 सिद्धांत

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025		
	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों की सं./ कामगार (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारीगण						
स्थायी	798	45	5.64	695	88	12.66
स्थायी के अलावा	246	0	0.00	199	0	0.00
कुल	**1044**	**45**	**4.31**	**894**	**88**	**9.84**
कामगार						
स्थायी	1333	83	6.23	1445	1	0.07
स्थायी के अलावा	1636	2	0.12	1202	0	0.00
कुल	**2969**	**85**	**2.86**	**2647**	**1**	**0.04**

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जानेवाली न्यूनतम मज़दूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026					वित्तीय वर्ष 2025				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क
कर्मचारीगण										
स्थायी	**798**	**0**	**0**	**798**	**100**	**695**	**0**	**0**	**695**	**100**
पुरुष	703	0	0	703	100	605	0	0	605	100
महिला	95	0	0	95	100	90	0	0	90	100

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026					वित्तीय वर्ष 2025				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क
स्थायी के अलावा	**246**	**0**	**0**	**246**	**100**	**199**	**0**	**0**	**199**	**100**
पुरुष	189	0	0	189	100	152	0	0	152	100
महिला	57	0	0	57	100	47	0	0	47	100
				कामगार						
स्थायी	**1333**	**0**	**0**	**1333**	**100**	**1445**	**0**	**0**	**1445**	**100**
पुरुष	1212	0	0	1212	100	1317	0	0	1317	100
महिला	121	0	0	121	100	128	0	0	128	100
स्थायी के अलावा	**1636**	**0**	**0**	**1636**	**100**	**1202**	**0**	**0**	**1202**	**100**
पुरुष	1529	0	0	1529	100	1153	0	0	1153	100
महिला	107	0	0	107	100	49	0	0	49	100

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/ वेतन / मज़दूरी का विवरण:

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

विवरण	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मज़दूरी (लाख रुपये में)	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मज़दूरी (लाख रुपये में)
निदेशक मंडल	6	81.12	0	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	7	77.68	0	-
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को छोडकर अन्य कर्मचारी	944	15.06	163	13.60
कामगार	2975	4.11	243	5.87

नोटः वित्तीय वर्ष के दौरान एक दिन भी कार्य करने वाले कर्मचारी/श्रमिक को गणना में शामिल किया गया है तथा माध्यिका की गणना के लिए उनके पारिश्रमिक का वार्षिकीकरण किया गया है।

ख. संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गइ सकल मजदूरी:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	10.03	9.18

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/ समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने केलिए जिम्मेदार है? (जी हां/जी नहीं)

जी हां।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण केलिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

सीएसएल की मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता उसकी मानवाधिकार नीति में समाहित है, जिसमें मानवाधिकार के सिद्धांतों के अनुपालन को स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है। सीएसएल की मानवाधिकार नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है: https://cochinshipyard.in/uploads/investor/7de7f3e4c28dcfc12f29d503944bf190.pdf

इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने व्यापक मानव संसाधन नीतियाँ स्थापित की हैं, जो उसके कर्मचारियों तथा उसके प्रचालनों से जुड़े व्यक्तियों के मानवाधिकारों के सभी पहलुओं को संबोधित करती हैं। कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए अपने कर्मचारियों को विभिन्न जागरूकता सत्र प्रदान करती है, जिसमें रोकथाम एवं शिकायत निवारण के तंत्र भी शामिल हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए सीएसएल में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित है।

सीएसएल अपनी सभी सहायक कंपनियों एवं हितधारकों में मानवाधिकार संबंधी प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। संपूर्णकालिक निदेशक द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली की निगरानी की जाती है, जिससे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित शिकायत पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसे सीएसएल शिकायत पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। (https://cochinshipyard.in/grievance-cell).

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
यौन उत्पीडन	2	2	सीएसएल की आंतरिक शिकायत समिति मामले की जाँच कर रही है।	3	1	सीएसएल की आंतरिक शिकायत समिति ने लंबित शिकायत की जाँच की और वित्त वर्ष 2026 के दौरान उसका निपटारा कर दिया।
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	-	0	0	-
बाल श्रम	0	0	-	0	0	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	-	0	0	-
वेतन	0	0	-	0	0	-
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0	-	0	0	-

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज की गई कुल शिकायतें	2	3
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	0.58	0.97
पीओएसएच पर शिकायतों को सही ठहराया गया	1*	2

*वित्त वर्ष 2026 के दौरान पुष्टि की गई एक शिकायत, वित्त वर्ष 2025 में प्राप्त शिकायत से संबंधित है।

8. भेदभाव और उत्पीडन के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने केलिए तंत्र।

भेदभाव और उत्पीडन पर चिंताओं को गोपनीय रूप से निपटाया जाता है। सीएसएल सद्भावना संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट करनेवाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिशोध को बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसी शिकायतें करनेवाले ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने में शामिल कोई भी व्यक्ति अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (जी हां/जी नहीं)

जी हां।

10. वर्ष के लिए आकलन

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100
जबरन श्रम /अनैच्छिक श्रम	100
यौन उत्पीडन	100
कार्यस्थल पर भेदभाव	100
वेतन	100

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें :

लागू नहीं, क्योंकि हमें अपनी सुविधाओं पर कोई महत्वपूर्ण चिंता नहीं मिली है।

6 सिद्धांत

व्यवसायों को पर्यावरण सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क)	44765.63	23078.04
कुल ईंधन खपत (ख)	0.00	0.00
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (ग)	0.00	0.00
नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	**44765.63**	**23078.04**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ)	107756.61	142298.17
कुल ईंधन खपत (ड़)	19861.63	15026.95
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (च)	0.00	0.00
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (घ+ड़+च)	**127618.24**	**157325.12**
कुल खपत ऊर्जा (क+ख+ग+घ+ड़+च)	**172383.87**	**180403.16**
कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (कुल खपत ऊर्जा/ संचालन से राजस्व)	40.02	39.84
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/ संचालन से राजस्व)	80.35	80.00
प्रत्यक्ष उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	लागू नहीं *	लागू नहीं *

* कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में काम करती है, जहाँ उत्पादन की प्रकृति - जैसे पोत और अपतटीय संरचनाएँ - परियोजना दर परियोजना प्रकार, आकार, जटिलता और दायरे में काफ़ी भिन्न होती है। परिणामस्वरूप, भौतिक उत्पादन का कोई एक समान या तुलनीय माप नहीं है जिससे तीव्रता अनुपातों की सार्थक गणना संभव हो सके।

नोट: वित्तीय वर्ष 2026 और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त की गई है। 2025 के अद्यतन के अनुसार लागू पीपीपी कारक 20.078 है।

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी अभिकरण का नाम बताएँ।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से ऊर्जा खपत की निगरानी करता है।

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (जी हां/जी नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

जी नहीं। संस्था के पास भारत सरकार की पीएटी योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ता के रूप में चिन्हित कोई स्थल/सुविधा नहीं है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें :

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
स्रोत द्वारा जल निकासी (कि.लि.में)		
(i) सतही जल	0.00	0.00
(ii) भूजल	985.10	886.00
(iii)तीसरे पक्ष का पानी	638134.66	569486.06
(iv)समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0.00	300.00
(v) अन्य	0.00	2116.00
जल निकासी की कुल मात्रा (i + ii + iii + iv + v)	**639119.76**	**572788.06**
पानी की खपत की कुल मात्रा #	**627429.76**	**562774.06**
प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (कुल जल खपत/ प्रचालन से राजस्व)	145.65	124.29
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/ प्रचालन से राजस्व)	292.44	249.55
प्रत्यक्ष उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता	लागू नहीं *	लागू नहीं *

सटीक आँकड़ों की उपलब्धता न होने के कारण, सीएसएल की अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (सीएएनएसआरयू) तथा कोलकाता (सीकेएसआरयू) स्थित पोत मरम्मत इकाइयों में जल की खपत की गणना केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर की गई है, जैसा कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट संबंधी उद्योग मानक नोट में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025 के आँकड़ों में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन महत्वपूण नहीं है तथा यह जल की कुल खपत की मात्रा के एक प्रतिशत से भी कम है।

* कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में काम करती है, जहाँ उत्पादन की प्रकृति - जैसे पोत और अपतटीय संरचनाएँ - परियोजना दर परियोजना प्रकार, आकार, जटिलता और दायरे में काफ़ी भिन्न होती है। परिणामस्वरूप, भौतिक उत्पादन का कोई एक समान या तुलनीय माप नहीं है जिससे तीव्रता अनुपातों की सार्थक गणना संभव हो सके।

नोट: वित्तीय वर्ष 2026 और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त की गई है। 2025 के अद्यतन के अनुसार लागू पीपीपी कारक 20.078 है।

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी अभिकरण का नाम बताएँ।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से जल खपत की निगरानी करता है।

4. रिसाव जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल रिसाव (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए	0.00	# 0.00
- कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
- उपचार के साथ	0.00	# 0.00
- प्राथमिक उपचार	0.00	0.00
- द्वितीयक उपचार	0.00	# 0.00
- तृतीयक उपचार	0.00	0.00
(ii) भूजल के लिए	280.00	0.00
- कोई उपचार नहीं	280.00	0.00
- उपचार के साथ	0.00	0.00
- प्राथमिक उपचार	0.00	0.00
- द्वितीयक उपचार	0.00	0.00
- तृतीयक उपचार	0.00	0.00
(iii)समुद्री जल के लिए	11690.00	10014.00
- कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
- उपचार के साथ	11690.00	10014.00
- प्राथमिक उपचार	0.00	0.00
- द्वितीयक उपचार	11690.00	10014.00
- तृतीयक उपचार	0.00	0.00
(iv)तीसरे पक्ष को प्रेषित	0.00	0.00
- कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
- उपचार के साथ	0.00	0.00
(v) अन्य	0.00	0.00
- कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
- उपचार के साथ	0.00	0.00
कुल छोड़ा गया जल	**11970.00**	**10014.00**

वित्त वर्ष 2025 के आँकड़ों में संशोधन किया गया है, क्योंकि उपचार के बाद इसे समुद्र में छोड़ा गया था और इसे समुद्री जल में छोड़े गए जल के लिए उपलब्ध कराए गए आँकड़ों में पहले ही शामिल किया जा चुका था। सीएसएल अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (सीएएनएसआरयू) तथा कोलकाता (सीकेएसआरयू) स्थित पोत मरम्मत इकाइयों में जल की खपत का अनुमान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर लगाया गया है, जैसा कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट संबंधी उद्योग मानक नोट में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, जल निकासी लागू नहीं है, इसलिए आँकड़ों में आवश्यक संशोधन किया गया है।

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (जी हां/जी नहीं)। यदि हां, तो बाहरी अभिकरण का नाम।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से पानी के रिसाव की निगरानी करता है।

5. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन केलिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

जी नहीं

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
एनओएक्स	एमजी/एनएम^3	33.83	28.98
एसओएक्स	एमजी/एनएम^3	23.00	17.93
पार्टिकुलेट मैटर	एमजी/एम^3	38.67	45.98
लगातार जैविक प्रदूषक	-	0.00	0.00

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक	-	0.00	0.00
खतरनाक वायु प्रदूषक	-	0.00	0.00
अन्य -			
सीओ	एमजी/एनएम^3	107.00	109.58

* वित्त वर्ष 2025 के विवरण को स्टैक वायु उत्सर्जन परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संशोधित किया गया है।

नोट: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किए गए परीक्षणों में दर्ज किए गए मूल्यों के औसत को ही रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (जी हां/जी नहीं) यदि हां, तो बाहरी अभिकरण का नाम।

जी नहीं, सीएसएल में जीएचजी उत्सर्जन के अलावा कोई महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन नहीं होता है।

7. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
जीएचजी उत्सर्जन (CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन में)		
कुल क्षेत्र 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	**3998.03**	**2687.63**
कुल क्षेत्र 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	**21252.00**	**28736.33**
प्रति रुपया कारोबार पर कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 जीएचजी उत्सर्जन/ प्रचालन से राजस्व) (CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन/ करोड़ रुपये में)	5.86	6.94
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार के लिए कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 जीएचजी उत्सर्जन / प्रचालन से राजस्व) (CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन/ एमआईओ यूएसडी)	11.77	13.93
प्रत्यक्ष आउटपुट के संदर्भ में कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता	लागू नहीं *	लागू नहीं *

* कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में काम करती है, जहाँ उत्पादन की प्रकृति - जैसे पोत और अपतटीय संरचनाएँ - परियोजना दर परियोजना प्रकार, आकार, जटिलता और दायरे में काफ़ी भिन्न होती है। परिणामस्वरूप, भौतिक उत्पादन का कोई एक समान या तुलनीय माप नहीं है जिससे तीव्रता अनुपातों की सार्थक गणना संभव हो सके।

नोट: वित्तीय वर्ष 2026 और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त की गई है। 2025 के अद्यतन के अनुसार लागू पीपीपी कारक 20.078 है।

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी अभिकरण का नाम बताएँ।

जी हां स्टैंडर्ड्स एनवायरनमेंटल एंड एनालिटिकल लेबोरेटरीज।

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं।

सीएसएल द्वारा चरणबद्ध तरीके से रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 4,000 केडब्ल्यूपी करने की योजना है। वर्तमान में सीएसएल में 2,422 केडब्ल्यूपी की स्थापित क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण के एक भाग के रूप में, चरणबद्ध तरीके से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। बीईएसएसको ग्रीन डे-अहेड मार्केट से कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद तथा उपलब्ध होने पर अतिरिक्त सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज किया जाएगा। संग्रहित ऊर्जा का उपयोग पीक टैरिफ अवधि के दौरान किया जाएगा। परियोजना के चालू होने के बाद, सीएसएल को उम्मीद है कि वह अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 60-70% हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा कर सकेगा।

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क. कुल उत्पन्न अपशिष्ट

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट	13.75	20.20
ई-कचरा	7.27	15.70
बायोमेडिकल कचरा	0.08	0.05
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	2340.27	1669.63
बैटरी बर्बाद	42.67	28.09
रेडियोऐक्टीव कचरे	0.00	0.00
अन्य खतरनाक अपशिष्ट		
कांच का कचरा	0.00	0.01
प्रयुक्त या व्ययित तेल	0.00	20.99
तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष	210.00	0.00
तेल एवं ग्रीस स्किमिंग	0.01	0.01
उपकरण रिटायरल अपशिष्ट	30.00	65.00
पेंट कीचड	11.00	5.85
एनोड	12.46	2.90
बेकार तेल	398.74	#644.52
तांबे का लावा	20.00	12.46
प्रयुक्त तांबे का लावा	7102.55	5593.00
खाली पेंट टिन	48.45	41.97
खाली तेल बैरल	15.30	11.10
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट		
खाद्य अपशिष्ट	426.50	334.23
कागज़ और कार्डबोर्ड अपशिष्ट	0.10	0.11
एल्युमीनियम अपशिष्ट	1.29	3.42
विविध अपशिष्ट	1000.00	@120.00
स्टील अपशिष्ट	2862.43	#1166.40
औद्योगिक अपशिष्ट	4303.86	3050.00
कुल उत्पन्न अपशिष्ट	**18846.73**	**^12805.64**
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/ प्रचालन से राजस्व) (CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन/ करोड़ रुपये में)	**4.38**	**2.83**
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व) (CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन/ एमआईओ यूएसडी)	8.78	5.68
प्रत्यक्ष उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	लागू नहीं *	लागू नहीं *

वित्त वर्ष 2025 के आँकड़ों में संशोधन किया गया है, क्योंकि सीएसएल की कोलकाता इकाई से संबंधित अपशिष्ट उत्पादन के आँकड़े पिछले वर्ष की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए थे। @ विविध अपशिष्ट के उत्पादन को दर्ज करने के लिए आँकड़ों में संशोधन किया गया है।

^ तदनुसार, कुल उत्पन्न अपशिष्ट के आँकड़ों में भी संशोधन किया गया है।

* कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में काम करती है, जहाँ उत्पादन की प्रकृति - जैसे पोत और अपतटीय संरचनाएँ - परियोजना दर परियोजना प्रकार, आकार, जटिलता और दायरे में काफ़ी भिन्न होती है। परिणामस्वरूप, भौतिक उत्पादन का कोई एक समान या तुलनीय माप नहीं है जिससे तीव्रता अनुपातों की सार्थक गणना संभव हो सके।

नोट:

1) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा तथा पुनर्प्राप्त/निस्तारित किए गए अपशिष्ट की मात्रा में अंतर अपशिष्ट उत्पादन तथा उसके पुनर्प्राप्ति एवं निस्तारण के समय में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। अपशिष्ट का निस्तारण केवल किसी विशेष वित्तीय वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट तक सीमित नहीं होता है। व्यवहार में, किसी वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट को उसी वर्ष पूरी तरह से पुनर्प्राप्त या निस्तारित नहीं किया जा सकता है और पर्याप्त मात्रा एकत्र होने अथवा निस्तारण की व्यवस्था अंतिम रूप दिए जाने तक उसे अगले वर्ष के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्प्राप्त या निस्तारित किए गए अपशिष्ट में पिछले वर्षों में उत्पन्न अपशिष्ट भी शामिल हो सकता है।

2) विविध अपशिष्ट में लकड़ी, कागज, कार्डबोर्ड, रबर आदि के साथ-साथ स्टील के कणों से युक्त मिश्रित अपशिष्ट शामिल होता है, जबकि औद्योगिक अपशिष्ट में कपड़े, चमड़े की वस्तुएँ, लकड़ी, कागज, कार्डबोर्ड, रबर, कॉटन आदि से युक्त मिश्रित अपशिष्ट शामिल होता है।

3) स्टील के कणों सहित विविध अपशिष्ट को मिश्रित रूप में एकत्र किया जाता है। प्रत्येक घटक सामग्री की अलग-अलग मात्रा को सटीक रूप से अलग करना परिचालन की दृष्टि से संभव नहीं है। अतः विविध अपशिष्ट में शामिल स्टील को उत्पन्न स्टील अपशिष्ट के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि, अपशिष्ट निस्तारण के मामले में, विविध अपशिष्ट के निस्तारण से प्राप्त राशि के आधार पर उसमें शामिल स्टील की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी विशेष रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न अपशिष्ट और उसी अवधि में निस्तारित अपशिष्ट की मात्रा हमेशा समान नहीं होती है, इसलिए विविध अपशिष्ट के उत्पादन के मामले में इसी प्रकार का अनुमान लागू नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, विविध अपशिष्ट में शामिल स्टील को पुनर्चक्रित स्टील स्क्रैप के साथ जोड़ा गया है तथा शेष विविध अपशिष्ट को लैंडफिलिंग के माध्यम से निस्तारित किया हुआ दर्शाया गया है।

4) वित्तीय वर्ष 2026 और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त की गई है। 2025 के अद्यतन के अनुसार लागू पीपीपी कारक 20.078 है।

ख. उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी केलिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
अपशिष्ट की श्रेणी : कुल अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	6373.66	^5048.41
(ii) पुनः उपयोग	0.00	^0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**6373.66**	**^5048.41**
श्रेणीवार विभाजन		
अपशिष्ट की श्रेणी : प्लास्टिक अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	12.62	15.00
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**12.62**	**15.00**
अपशिष्ट की श्रेणी : ई-अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0.00	#18.37
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**#18.37**
अपशिष्ट की श्रेणी : बयोमेडिकल अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0.06	@0.03
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**0.06**	**@0.03**
अपशिष्ट की श्रेणी : बैटरी अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	40.76	0.00
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**40.76**	**0.00**
अपशिष्ट की श्रेणी : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट और रेडियोएक्टीव अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0.00	0.00
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
अन्य खतरनाक अपशिष्ट		
अपशिष्ट की श्रेणी : उपकरण रिटायरल अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	30.00	#65.00
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**30.00**	**#65.00**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
अपशिष्ट की श्रेणी : एनोड		
(i) पुनर्चक्रित	0.00	#18.50
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	0.00	#18.50
अपशिष्ट की श्रेणी : अपशिष्ट तेल		
(i) पुनर्चक्रित	**505.59**	**#833.04**
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**505.59**	**#833.04**
अपशिष्ट की श्रेणी : तांबे के केबल		
(i) पुनर्चक्रित	7.13	0.00
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**7.13**	**0.00**
अपशिष्ट की श्रेणी : खाली पेंट टिन		
(i) पुनर्चक्रित	61.86	#48.24
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**61.86**	**#48.24**
अपशिष्ट की श्रेणी : खाली तेल बैरल		
(i) पुनर्चक्रित	26.39	#7.42
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**26.39**	**#7.42**
अपशिष्ट की श्रेणी : कांच का अपशिष्ट, प्रयुक्त या व्ययित तेल, तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष, तेल और ग्रीस स्किमिंग, पेंट कीचड और प्रयुक्त कॉपर स्लैग		
(i) पुनर्चक्रित	0.00	0.00
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट		
अपशिष्ट की श्रेणी: खाद्य अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	426.49	*334.23
(ii) पुनः उपयोग	0.00	*0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**426.49**	**334.23**
अपशिष्ट की श्रेणी : विविध अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0.00	@82.95
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**455.81**	**@82.95**
अपशिष्ट की श्रेणी : स्टील का अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	5262.76	#3708.58
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**5262.76**	**#3708.58**
अपशिष्ट की श्रेणी: कागज और कार्डबोर्ड अपशिष्ट, एल्युमीनियम अपशिष्ट, विविध अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0.00	0.00
(ii) पुनः उपयोग	0.00	0.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

* खाद्य अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने के बजाय उसका पुनर्चक्रण किया जाता है। # ई-अपशिष्ट, उपकरण रिटायरल अपशिष्ट, एनोड, अपशिष्ट तेल, खाली पेंट के डिब्बे, खाली तेल के बैरल तथा स्टील स्क्रैप से संबंधित आँकड़ों को निस्तारित के बजाय पुनर्चक्रित के रूप में संशोधित किया गया है। @ जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के एक हिस्से, जिसमें प्लास्टिक, सुइयाँ आदि शामिल हैं, तथा विविध अपशिष्ट के एक हिस्से, जिसमें स्टील शामिल है, का निस्तारण करने के बजाय पुनर्चक्रण किया जाता है। अतः संबंधित आँकड़ों में संशोधन किया गया है। ^ तदनुसार, कुल अपशिष्ट के आँकड़ों में भी संशोधन किया गया है।

ग. उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
अपशिष्ट की श्रेणी : कुल अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0.02	^0.01
(ii) लैंडफिलिंग	13256.30	^12096.52
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	^0.00
कुल	**13256.32**	**^12096.53**
श्रेणीवार विभाजन		
अपशिष्ट की श्रेणी : बयोमेडिकल अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0.02	©0.01
(ii) लैंडफिलिंग	0.00	0.00
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	©0.00
कुल	**0.02**	**©0.01**
अपशिष्ट की श्रेणी : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0.00	0.00
(ii) लैंडफिलिंग	2313.27	©1646.63
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	©0.00
कुल	**2313.27**	**1646.63**
अपशिष्ट की श्रेणी : ई- अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियोएक्टीव अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0.00	0.00
(ii) लैंडफिलिंग	0.00	0.00
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
अन्य खतरनाक अपशिष्ट		
अपशिष्ट की श्रेणी : पेंट कीचड		
(i) भस्मीकरण	0.00	0.00
(ii) लैंडफिलिंग	4.75	©6.19
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	©0.00
कुल	**4.75**	**6.19**
अपशिष्ट की श्रेणी : प्रयुक्त कॉपर स्लैग		
(i) भस्मीकरण	0.00	0.00
(ii) लैंडफिलिंग	6008.50	©7366.52
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	©0.00
कुल	**6008.50**	**7366.52**
अपशिष्ट की श्रेणी : कांच का अपशिष्ट, प्रयुक्त या व्ययित तेल, तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष, तेल और ग्रीस स्किमिंग, उपकरण रिटायरल अपशिष्ट*, एनोड*, अपशिष्ट तेल*, खाली पेंट टिन*, खाली तेल बैरल*, और तांबे के केबल।		
(i) भस्मीकरण	0.00	0.00
(ii) लैंडफिलिंग	0.00	0.00
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट		
अपशिष्ट की श्रेणी : विविध अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0.00	0.00
(ii) लैंडफिलिंग	316.46	#30.89
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	#0.00
कुल	**316.46**	**#30.89**
अपशिष्ट की श्रेणी : औद्योगिक अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0.00	0.00
(ii) लैंडफिलिंग	4613.32	©3046.29
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	©0.00
कुल	**4613.32**	**3046.29**
अपशिष्ट की श्रेणी: खाद्य अपशिष्ट, कागज और कार्डबोर्ड अपशिष्ट, स्टील का अपशिष्ट और एल्युमीनियम अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0.00	0.00
(ii) लैंडफिलिंग	0.00	0.00
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

* ई-अपशिष्ट, उपकरण रिटायरल अपशिष्ट, एनोड, अपशिष्ट तेल, खाली पेंट के डिब्बे, खाली तेल के बैरल तथा स्टील स्क्रैप का निस्तारण करने के बजाय पुनर्चक्रण किया जाता है। @उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के एक हिस्से में अत्यधिक संक्रामक अपशिष्ट शामिल होता है, जिसका भस्मीकरण के माध्यम से निस्तारण किया जाता है और तदनुसार निस्तारण की विधि में संशोधन किया गया है। © निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, पेंट स्लज, प्रयुक्त कॉपर स्लैग तथा औद्योगिक अपशिष्ट का निस्तारण लैंडफिलिंग के माध्यम से किया जाता है। उत्पन्न विविध अपशिष्ट के एक हिस्से का निस्तारण लैंडफिलिंग के माध्यम से किया जाता है और तदनुसार निस्तारण की विधि में संशोधन किया गया है। ^ तदनुसार, कुल अपशिष्ट के आँकड़ों में भी संशोधन किया गया है।

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (जी हां/जी नहीं) तो, बाहरी अभिकरण का नाम।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी करता है।

10. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और ज़हरीले रसायनों के उपयोग को कम करने केलिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन केलिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

सीएसएल का केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकृत अभिकरण, केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक प्रचालन समझौता ज्ञापन है। सीएसएल समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से अपने औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान कर रहा है।

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिज़र्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आसपास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है, तो कृपया विवरण निम्नलिखित प्रारूप में निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय स्वीकृति/अनुमति की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (जी हां/जी नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और यदि कोई हो तो ली गई सुधारात्मक कार्रवाई
1.	सीएसएल, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल	पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत	जी हां
2.	आईएसआरएफ, विल्लिंडन द्वीपसमूह, कोच्ची, केरल	पोत मरम्मत	जी हां
3.	सीएमएसआरयू, मुंबई, महाराष्ट्र	पोत मरम्मत	जी नहीं किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता नहीं है
4.	सीकेएसआरयू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पोत मरम्मत	जी नहीं किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता नहीं है
5.	सीएएनएसआरयू, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पोत मरम्मत	जी नहीं किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता नहीं है

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी अभिकरण द्वारा संचालित किया गया है (जी हां/ जी नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमैन में संप्रेषित (जी हां /जी नहीं)	संगत वेब लिंक
शून्य						

13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (जी हां/जी नहीं)।

यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें।

क्र. सं.	उस कानून / विनियम/ दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक अभिकरणों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/कार्रवाई	यदि कोई हो, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं				

7 सिद्धांत

व्यवसायों को जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए ।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

11

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो इकाई सदस्य /संबद्ध है

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चैंबर संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस	राष्ट्रीय
2	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय
3	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राष्ट्रीय
4	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
5	केरल राज्य उत्पादकता परिषद	राज्य
6	दि कोचीन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राज्य
7	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	राष्ट्रीय
8	इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग	राष्ट्रीय
9	इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन	राष्ट्रीय
10	भारतीय समुद्री केंद्र	राष्ट्रीय

2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चालू सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

वर्ष के दौरान, प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से कोई प्रतिकूल आदेश नहीं आया।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

8 सिद्धांत

व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण।

क्र. सं.	परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी अभिकरण द्वारा संचालित किया गया है (जी हां / जी नहीं)	सार्वजनिक डोमैन में संप्रेषित किया परिणाम (जी हां / जी नहीं)	संगत वेब लिंक
शून्य						

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) की संख्या	पीएएफ का % आरएंडआर द्वारा कवर किया गया	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपए में)
लागू नहीं						

नोट: वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसएल ने ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं की, जिसके लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की आवश्यकता हो।

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें:

सीएसएल की शिकायत निवारण प्रणाली का नेतृत्व एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा किया जाता है और सीएसएल के साथ व्यवहार में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने एक शिकायत पोर्टल बनाया है जिसे https://cochinshipyard.in/grievance-cell पर देखा जा सकता है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट):

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	50.80	27.53
सीधे भारत के भीतर से	74.36	45.06

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें।

स्थान	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
ग्रामीण	0.00	0.00
अर्ध-शहरी	0.00	0.00
शहरी	94.59	95.74
महानगरीय	5.41	4.26

9 सिद्धांत

व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुडना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने केलिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें :

सभी अनुबंधित जलयानों के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया जाता है और अपने अनुभव साझा करने के इच्छुक मालिकों से फीडबैक लिया जाता है। ग्राहकों से खुली और वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ये सर्वेक्षण एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष फर्म द्वारा किए जाते हैं।

2. सभी उत्पादों / सेवाओं के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और /सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है :

श्रेणी	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	100
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026			वित्तीय वर्ष 2025		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
डाटा प्राइवसी	0	0	-	0	0	-
विज्ञापन	0	0	-	0	0	-
साइबर सुरक्षा	0	0	-	0	0	-
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	0	0	-	0	0	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	0	0	-	0	0	-
अनुचित व्यापार आचरण	0	0	-	0	0	-
अन्य	0	0	-	0	0	-

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वास मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण :

विवरण	संख्या	वापस बुलाने का कारण
स्वैच्छिक वापस बुलावा	0	लागू नहीं
जबरन वापस बुलावा	0	लागू नहीं

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवसी से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (जी हां/जी नहीं)। यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब लिंक प्रदान करें।

सीएसएल संवेदनशील जानकारी और साइबर-लचीलेपन की सुरक्षा के लिए 'सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली' से संबंधित आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन के अनुरूप है।

प्रमाणपत्र के लिए वेबलिंक: https://cochinshipyard.in/uploads/ISO-IEC_27001-ENG-C718609-0-20250324.pdf

6. विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी, ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवसी, उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति, उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई संबंधित मुद्दों पर की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण चिंता/शिकायत/दंड/नियामक कार्रवाई की पहचान नहीं की गई।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या

शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो

शून्य

स्वतंत्र आश्वासन विवरण

सेवा में,

निदेशक मंडल

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड

परिसर, पेरुम्मनूर

कोच्ची - 682015, केरल, भारत

कार्यक्षेत्र एवं दृष्टिकोण

सस्टेनेबिलिटी एक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ("एसएपीएल") को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("सीएसएल" अथवा "कंपनी") के प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट ("बीआरएसआर") की अनुलग्नक-I में उल्लिखित कोर मैट्रिक्स पर स्वतंत्र युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है।

युक्तिसंगत आश्वासन संबंधी राय के लिए रिपोर्टिंग मानदंड

आश्वासन के अधीन चिन्हित स्थिरता संबंधी जानकारी	आश्वासन के अधीन अवधि	आश्वासन का स्तर	रिपोर्टिंग मानदंड
बीआरएसआर मूलभूत विशेषताएँ	01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक	युक्तिसंगत आश्वासन	• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए विनियम के विनियम 34(2)(एफ) • सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप संबंधी मार्गदर्शिका नोट • विश्व संसाधन संस्थान /विश्व सतत विकास व्यवसाय परिषद द्वारा विकसित ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल (कॉर्पोरेट लेखांकन एवं रिपोर्टिंग मानक), संशोधित • सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-1/पी सीआईआर/2024/177 दिनांक 20 दिसंबर, 2024 - बीआरएसआर कोर की रिपोर्टिंग संबंधी उद्योग मानक नोट • सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-1/पी/ सीआईआर/2025/42 दिनांक 28 मार्च, 2025 - आश्वासन अथवा आकलन की रूपरेखा, मूल्य शृंखला संबंधी प्रकटीकरण तथा ग्रीन क्रेडिट पर स्वैच्छिक प्रकटीकरण की शुरुआत के संबंध में व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने हेतु उपाय.

युक्तिसंगत आश्वासन संबंधी राय

युक्तिसंगत स्तर के आश्वासन के लिए की गई हमारी समीक्षा एवं अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारी राय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) में युक्तिसंगत आश्वासन के अंतर्गत शामिल जानकारी, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, बीआरएसआर के खंड क: सामान्य प्रकटीकरण, बिंदु 13 में निर्धारित रिपोर्टिंग मानदंड और रिपोर्टिंग सीमा के अनुरूप तैयार की गई है।

राय एवं निष्कर्ष का आधार

हमने अपना कार्य सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स पर मानक (आईएसएई - संशोधित) 3000 के अनुसार किया। हमारी आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, स्थिरता एवं आश्वासन विशेषज्ञों की बहु-विषयक टीम ने रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रकटीकरणों तथा संदर्भित जानकारी की समीक्षा की। अपनाई गई प्रक्रियाएँ पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इनमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों एवं रिपोर्टिंग नीतियों का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ तथा मूल अभिलेखों के साथ मिलान शामिल थे।

हमने प्रकटीकरणों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी चयनित वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ साक्षात्कार किए तथा रिपोर्ट में प्रकटीकृत पर्यावरणीय केपीआई और मेट्रिक्स के समर्थन में प्रस्तुत चयनित साक्ष्यों की समीक्षा की। हमें साक्षात्कार हेतु व्यक्तियों का चयन करने की स्वतंत्रता थी और हमने उन अधिकारियों/व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जो चयनित संकेतकों की निगरानी, आंकड़ों के संकलन और रिपोर्टिंग के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी थे।

संलग्नता की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय हमने:

- बीआरएसआर कोर के अंतर्गत प्रकटीकरणों की समीक्षा की, जिसमें 9 ईएसजी विशेषताओं के अंतर्गत प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के एक समूह से युक्त आश्वासन संबंधी रूपरेखा शामिल है।
- बीआरएसआर कोर संकेतकों के संग्रहण, प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के डिजाइन एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया। प्रचालन नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग सीमाओं का आकलन किया।
- सभी प्रासंगिक क्षेत्रों से व्यापक साक्ष्य प्राप्त किए, ताकि बीआरएसआर कोर संकेतकों की विस्तृत जाँच सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक प्रकटीकृत संकेतक के संबंध में जानकारी एवं पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त करने हेतु संबंधित हितधारकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया।
- लेखापरीक्षा टीम ने डेटा परीक्षण के लिए स्थल पर लेखापरीक्षाएँ कीं तथा कंपनी के विभिन्न स्थानों पर रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में एकरूपता और गुणवत्ता जाँच का भी आकलन किया। डेटा परीक्षण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली की जाँच के लिए स्थलों का चयन प्रत्येक स्थल के संबंधित रिपोर्ट किए गए संकेतक में प्रतिशत योगदान, प्रत्येक स्थान पर प्रचालन की जटिलता (उच्च/निम्न/मध्यम) तथा संगठन के भीतर प्रयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त प्रमाण हमारी युक्तिसंगत आश्वासन संबंधी राय के आधार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का प्रबंधन उपर्युक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के प्रमुख पहलुओं, विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण की पहचान के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट की तैयारी तथा बीआरएसआर कोर और अन्य मैट्रिक्स के मापन के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, ताकि वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त रहें।
- आश्वासन के अधीन स्थिरता संबंधी जानकारी तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन अथवा विकास करना तथा उन मानदंडों का उचित रूप से संदर्भ देना या उनका विवरण प्रस्तुत करना।
- कानून, विनियमों अथवा लागू अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय लेना और युक्तिसंगत अनुमान लगाना।
- रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार आश्वासन के अंतर्गत आने वाली जानकारी के मापन अथवा मूल्यांकन में निहित किसी भी अंतर्निहित सीमाओं की पहचान करना और उनका विवरण प्रस्तुत करना।

स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

हम बीआरएसआर प्रावधानों और पेशेवर घोषणाओं में निर्धारित स्वतंत्रता और गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपने अतिरिक्त पेशेवर दायित्वों को पूरा किया है।

हमारे आश्वासन संबंधी कार्य इस धारणा पर आधारित हैं कि कंपनी द्वारा हमें हमारी समीक्षा के भाग के रूप में प्रदान किए गए डेटा और जानकारी सद्भावना से और महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त प्रदान की गई है। आश्वासन विवरण को छोड़कर, रिपोर्ट में शामिल किसी भी कथन या डेटा की तैयारी में हम शामिल नहीं थे। हमारी फर्म गुणवत्ता प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन करती है और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखती है। हम आश्वासन और संबंधित सेवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एसक्यूसी 1 का पालन करते हैं।

हमारी जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं तथा प्राप्त प्रमाण के आधार पर चिन्हित स्थिरता संकेतकों पर युक्तिसंगत आश्वासन संबंधी राय और सीमित आश्वासन संबंधी निष्कर्ष व्यक्त करना है। हमने अपना कार्य ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा या समीक्षा के अतिरिक्त आश्वासन कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसएई 3000) तथा कंपनी के साथ सहमति के अनुसार निर्धारित इस कार्य के संदर्भ-शर्तों के अनुरूप किया है। इन मानकों के अनुसार हमें अपने कार्य की योजना बनाने और उसे इस प्रकार निष्पादित करने की आवश्यकता होती है कि इस संबंध में आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि चिन्हित स्थिरता विषय संबंधी जानकारी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में मानदंडों के अनुरूप प्रस्तुत की गई है, तथा इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की जा सके। चयनित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा हमारे पेशेवर निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

अंतर्निहित सीमाएँ

हमने अपनी समीक्षा के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी, दस्तावेजों, अभिलेखों, आंकड़ों और स्पष्टीकरणों पर भरोसा किया है। आश्वासन का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है:

- उपर्युक्त कार्यक्षेत्र अनुभाग में उल्लिखित प्रकटीकरणों के अलावा कोई अन्य प्रकटीकरण।
- निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि के बाहर के आंकड़े और जानकारी।
- रिपोर्ट में व्यक्त कंपनी के वित्तीय निष्पादन, कार्यनीति तथा अन्य संबंधित संबद्धताओं से संबंधित आंकड़े और जानकारी।
- रिपोर्ट किए गए वित्तीय आंकड़े कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं, जो एक अलग लेखापरीक्षा प्रक्रिया के अधीन हैं। हम वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा में शामिल नहीं थे।
- कंपनी द्वारा दिए गए ऐसे विवरण, जिनमें राय, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा अथवा भविष्य-दर्शी वक्तव्यों की अभिव्यक्ति की गई है तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों से संबंधित अभिकथन।
- उपर्युक्त रिपोर्टिंग मानदंडों में उल्लिखित के अतिरिक्त अन्य रिपोर्टिंग रूपरेखाओं के साथ रिपोर्ट का मैपिंग।
- यद्यपि हमने अपनी प्रक्रियाओं की प्रकृति और सीमा निर्धारित करते समय प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर विचार किया, तथापि हमारा आश्वासन कार्य आंतरिक नियंत्रणों पर आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार नहीं किया गया था।
- हमारी प्रक्रियाओं में नियंत्रणों का परीक्षण करना अथवा आईटी प्रणालियों के भीतर आंकड़ों के एकत्रीकरण या गणना की जाँच से संबंधित प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल नहीं था।

सस्टेनेबिलिटी एक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एवं उसके लिए
(सीआईएन - U74999HR2021PTC093811)

साकेत सिन्हा
(निदेशक)

स्थान: गुड़गांव
दिनांक: 06 अगस्त, 2026

अनुलग्नक - I

बीआरएसआर की मूलभूत विशेषताएँ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए युक्तिसंगत आश्वासन

बीआरएसआर कोर संकेतक	संकेतक का विवरण
खंड ग - सिद्धांत 1 - ई 8	लेखा देय राशि के भुगतान में लगने वाले दिनों की संख्या
खंड ग - सिद्धांत 1 - ई 9	ट्रेडिंग हाउसों, डीलरों एवं संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद एवं बिक्री का संकेंद्रण तथा संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम और संबंधित पक्षों में किए गए निवेश
खंड ग - सिद्धांत 3 - ई 1(ग)	कर्मचारियों एवं कामगारों के कल्याण हेतु किए गए उपायों पर व्यय - कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में किए गए व्यय की राशि
खंड ग - सिद्धांत 3 - ई 11	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, जिसमें कार्य-दिवस हानि चोट आवृत्ति दर, दर्ज की गई कार्य-संबंधी चोटों तथा मृत्यु की संख्या शामिल है
खंड ग - सिद्धांत 5 - ई 3(ख)	महिला कर्मचारियों को भुगतान की गई सकल मजदूरी, भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में
खंड ग - सिद्धांत 5 - ई 7	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का विवरण, जिसमें प्राप्त शिकायतें, महिला कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शिकायतें तथा सिद्ध पाई गई शिकायतें शामिल हैं
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 1	कुल ऊर्जा खपत (जूल या उसके गुणकों में) तथा उसकी तीव्रता का विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 1	कुल ऊर्जा तीव्रता का विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 3	स्रोत के अनुसार जल आहरण का विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 3	जल की खपत तथा उसकी तीव्रता का विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 4	गंतव्य एवं उपचार के स्तर के अनुसार छोड़े गए जल का विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 6	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 एवं स्कोप 2) तथा उसकी तीव्रता का विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 7	अपशिष्ट की श्रेणी के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 9	पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग अथवा अन्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्प्राप्त किए गए अपशिष्ट से संबंधित विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 9	पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग अथवा अन्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्प्राप्त किए गए अपशिष्ट से संबंधित विवरण
खंड ग - सिद्धांत 6 - ई 9	निपटान की विधि के अनुसार निस्तारित किए गए अपशिष्ट से संबंधित विवरण
खंड ग - सिद्धांत 8 - ई 4	निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त इनपुट सामग्री, कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों /लघु उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से तथा भारत के भीतर से प्राप्त सामग्री
खंड ग - सिद्धांत 8 - ई 5	छोटे शहरों में रोजगार सृजन
खंड ग - सिद्धांत 9 - ई 7	कुल डेटा उल्लंघनों अथवा साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से संबंधित घटनाएँ

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिनमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलॉन तुलन-पत्र, उस वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन लाभ एवं हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित), स्टैंडअलॉन इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा स्टैंडअलॉन नकद प्रवाह विवरण, और इनके साथ संलग्न टिप्पणियाँ, जिनमें महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (जिन्हें आगे "स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण" कहा गया है), सम्मिलित हैं।

2. हमारी राय में तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढ़ा जाना चाहिए, तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2026 की स्थिति में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ एवं अन्य समग्र आय, इक्विटी में हुए परिवर्तनों तथा नकद प्रवाहों का सत्य एवं निष्पक्ष विचार देता हैं।

राय का आधार

3. हमने स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("ले.मा.") के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन इस रिपोर्ट के "स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां" शीर्षक अनुभाग में किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता तथा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। साथ ही, हमने इन अपेक्षाओं तथा आचार संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया गया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मामलों का महत्व

4. **दो यात्री जलयानों के निर्माण के निलंबन एवं उससे संबंधित अनिश्चितताएँ:**

वर्ष 2016 में, कंपनी ने भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ दो यात्री जलयान के निर्माण हेतु ₹81,900 लाख (करों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव को छोड़कर) के कुल संविदा मूल्य पर एक अनुबंध किया था। उक्त पोतों का जलावतरण क्रमशः जनवरी 2020 तथा अगस्त 2022 में किया गया।

रिपोर्टिंग तिथि तक, निर्माण कार्य का लगभग 55 प्रतिशत भाग, चौथे चरण तक, पूर्ण किया जा चुका है तथा प्रशासन से कुल ₹66,503.63 लाख (पिछला वर्ष: ₹66,503.63 लाख) की राशि प्राप्त हो चुकी है। पाँचवाँ एवं अंतिम चरण पोतों के सुपुर्दगी से संबद्ध है।

इसके पश्चात, उक्त केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने कुछ पुनर्विन्यास किए जाने की शर्त पर एक पोत की सुपुर्दगी लेने का आशय व्यक्त किया है, जबकि दूसरे पोत को भी कुछ पुनर्विन्यासों के अधीन किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, आवश्यक संशोधनों के दायरे तथा उनसे संबंधित वाणिज्यिक शर्तें, जिनमें लागत की प्रतिपूर्ति भी शामिल है, अभी तक संबंधित पक्षों के बीच अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई हैं। आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति तथा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अंतिम रूप से तय होने तक, आगे की निर्माण गतिविधियाँ निलंबित बनी हुई हैं।

तदनुसार, कंपनी ने यह व्यक्त किया है कि वह दीर्घकालीन निष्क्रियता के कारण पोतों की आयुजनित स्थिति , बर्थिंग स्थान के अधिभोग तथा प्रशासन को प्रस्तुत ₹1,12,411.88 लाख (पिछला वर्ष: ₹1,10,936.04 लाख) की बैंक गारंटियों के वार्षिक पुनः प्रमाणीकरण/नवीकरण व्यय जैसे कारकों से उत्पन्न होने वाले संभावित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में असमर्थ है (टिप्पणी संख्या 34(5) देखें)।

5. **पोत निर्माण वित्तीय सहायता का वर्गीकरण:**

प्रबंधन ने अभ्यावेदन किया है कि पोतों के मूल्य निर्धारण के दौरान पोत निर्माण वित्तीय सहायता को एक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि यह पोत निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तदनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने एसबीएफए को 'उत्पादों की बिक्री' शीर्ष के अंतर्गत पुनःसमूहीकृत किया है, जिसे पूर्व में 'अन्य प्रचालन राजस्व' के अंतर्गत समूहीकृत किया गया था (टिप्पणी संख्या 34(6) देखें)।

उपरोक्त विषयों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

6. मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, चालू अवधि के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं ।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	**पोत निर्माण तथा पोत मरम्मत गतिविधियों की प्रत्यक्ष पूर्णता का मापन** (टिप्पणी 2.5 – महत्त्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्णय तथा टिप्पणी 3.11(क) – प्रचालनों से राजस्व देखें) कंपनी, रिपोर्टिंग तिथि तक निष्पादित कार्य की अनुमानित प्रत्यक्ष प्रगति के आधार पर पोत निर्माण तथा पोत मरम्मत संविदाओं की पूर्णता की अवस्था का निर्धारण करती है। प्रत्यक्ष पूर्णता का आकलन प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से तकनीकी मूल्यांकन तथा योजना, अभिकल्प (डिज़ाइन) एवं अभियांत्रिकी विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक उप-गतिविधि की पूर्णता की सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्त्वपूर्ण तकनीकी निर्णय एवं अनुमान की आवश्यकता होती है, विशेषकर ऐसे कार्य के मूल्यांकन में जो निष्पादित तो हो चुका है, किंतु अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। तकनीकी जटिलता तथा प्रगति के आकलन हेतु आंतरिक मूल्यांकनों पर निर्भरता को देखते हुए, प्रत्यक्ष पूर्णता के मापन को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: • प्रत्यक्ष प्रगति के मापन की प्रक्रिया तथा परियोजना निष्पादन संबंधी आँकड़ों को संकलित एवं अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त प्रणालियों की समझ प्राप्त करना।. • परियोजना की प्रगति की निगरानी एवं प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की अभिकल्पना तथा उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना। • सहायक अभिलेखों, परियोजना प्रतिवेदनों, माइलस्टोन प्रमाणीकरणों तथा एम-बुक अभिलेखों की जांच करके नमूना-आधारित सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ निष्पादित करना। • चयनित मामलों में, पूर्णता की अवस्था के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन की पुष्टि हेतु बाह्य विशेषज्ञों की रिपोर्टें प्राप्त करना। यद्यपि हमने उपर्युक्त प्रक्रियाएँ निष्पादित कीं, तथापि भौतिक पूर्णता के मापन में स्वाभाविक रूप से तकनीकी मूल्यांकन शामिल होता है। इसलिए, हमने इस संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी तथा गतिविधि-आधारित आकलनों पर निर्भरता रखी।
2	**राजस्व की मान्यता – पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत अनुबंध** (टिप्पणी 3.11(क) – राजस्व की मान्यता से संबंधित महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी, टिप्पणी 34 – प्रचालनों से राजस्व तथा टिप्पणी 45 – भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण देखें।) कंपनी, भारतीय लेखा मानक 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुसार, पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत अनुबंध से राजस्व को समय के साथ मान्यता प्रदान करती है। राजस्व की मान्यता में निष्पादन दायित्वों की पहचान करने, लेन-देन मूल्य का निर्धारण करने (जिसमें परिवर्तन आदेशों तथा दावों जैसे परिवर्ती प्रतिफल शामिल हैं), अब तक पूर्ण किए गए कार्य के लिए भुगतान प्राप्त करने के कंपनी के प्रवर्तनीय अधिकार का आकलन करने, कुल अनुबंध लागत एवं शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक लागत का अनुमान लगाने, अनुबंध-विशिष्ट जोखिमों के लिए लागत आकस्मिकताओं को सम्मिलित करने तथा भारसाध्य अनुबंधों पर संभावित हानियों के संभाव्य होने पर उन्हें मान्यता प्रदान करने के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं अनुमानों का समावेश होता है। राजस्व की महत्त्वपूर्ण मात्रा तथा भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत अनुबंध लेखांकन की जटिलता को दृष्टिगत रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिह्नित किया।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: • कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना तथा यह परीक्षा करना कि वे भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। • निष्पादन दायित्वों की पहचान, कुल अनुबंध लागत के अनुमान, आकस्मिकताओं के आकलन, अनुबंध संशोधनों के मूल्यांकन तथा परिवर्ती प्रतिफल की मान्यता से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का परीक्षण करना। • प्रबंधन द्वारा लेन-देन मूल्य तथा अनुबंध अधिकारों के निर्धारण का आकलन करने हेतु चयनित अनुबंधों, उनके संशोधनों तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच करना। • आज की तिथि तक व्ययित लागत की तुलना प्रबंधन द्वारा शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुमानित लागत से करना तथा पूर्व में किए गए अनुमानों की वास्तविक परिणामों के साथ तुलनात्मक पूर्वव्यापी समीक्षा करना। • अनुबंध की शर्तों, ग्राहकों के साथ पत्राचार तथा जहाँ प्रासंगिक हो, विधिक आकलनों की समीक्षा के माध्यम से परिवर्ती प्रतिफल के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन का मूल्यांकन करना। • असामान्य राजस्व प्रवृत्तियों, हानि-दायक अथवा भारसाध्य अनुबंधों तथा लागत अनुमानों में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करने हेतु विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ निष्पादित करना। • यह आकलन करना कि संबंधित प्रकटीकरण भारतीय लेखा मानक 115 तथा अधिनियम, की अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त हैं। निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 115 के अनुपालन एवं उसके अनुप्रयोग के संबंध में हमें कोई महत्त्वपूर्ण त्रुटि अथवा अपवाद प्राप्त नहीं हुआ।

अन्य जानकारी

7. कंपनी का प्रबंधन तथा निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित सूचनाएँ, जिनमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट शामिल हैं, सम्मिलित हैं; तथापि इसमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है। स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत उक्त अन्य जानकारी को आच्छादित नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासनात्मक निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

8. स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपर्युक्त अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या उक्त अन्य जानकारी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों अथवा हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ किसी महत्त्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा उसमें कोई महत्त्वपूर्ण गलत विवरण प्रतीत होता है।

9. जब हमें अन्य जानकारी युक्त रिपोर्ट प्राप्त होगी और उसके अध्ययन के उपरांत यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्त्वपूर्ण गलत विवरण विद्यमान है, तो हमें उक्त विषय को शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के संज्ञान में लाना होगा तथा संबंधित विधियों एवं विनियमों के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। इस रिपोर्ट की तिथि तक प्रबंधन द्वारा उक्त अन्य जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। तदनुसार, हम इस विषय पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां:

10. कंपनी का प्रबंधन तथा निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में उत्तरदायी हैं, ताकि इन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों का निर्माण इस प्रकार किया जा सके कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक भी शामिल हैं, उसके अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ तथा अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

11. इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनका अनुप्रयोग; लेखा बहियों के संधारण तथा लेखापरीक्षा अनुरेख संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर का चयन; युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णयों तथा अनुमानों का निर्धारण; तथा ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है, जो प्रभावी रूप से संचालित हों, ताकि स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके और वे कंपनी की वित्तीय स्थिति का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करें तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्त्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हों।

12. स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय, प्रबंधन तथा निदेशक मंडल कंपनी की सतत व्यवसाय के रूप में कार्य करते रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो वहाँ सतत व्यवसाय से संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करने तथा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं, जब तक कि निदेशक मंडल का कंपनी का परिसमापन करने या उसके प्रचालन को बंद करने का इरादा न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई यथार्थवादी विकल्प उपलब्ध न हो।

13. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण केलिए लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी :

14. हमारे उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्त्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं या नहीं, तथा एक ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा प्रत्येक स्थिति में किसी महत्त्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा लेगा। गलत विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्त्वपूर्ण तब माना जाता है जब उनसे, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, इन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की उचित संभावना हो।

15. लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान, हम अपने व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा संपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले सारभूत गलत विवरण के जोखिमों की पहचान एवं उनका आकलन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना तथा उनका निष्पादन करना, और ऐसे पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करें। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारभूत गलत विवरण का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के कारण उत्पन्न सारभूत गलत विवरण की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, तथ्यों का मिथ्या निरूपण अथवा आंतरिक नियंत्रणों को निष्प्रभावी करना सम्मिलित हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हमारी यह राय व्यक्त करना भी उत्तरदायित्व है कि क्या

कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं तथा क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

- प्रबंधन तथा निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा उनके द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और उनसे संबंधित प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन एवं निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों से संबंधित कोई सारभूत अनिश्चितता विद्यमान है, जो कंपनी की सतत व्यवसाय के रूप में कार्य करते रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी कोई सारभूत अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपने मत में उपयुक्त संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ अथवा परिस्थितियाँ कंपनी के सतत व्यवसाय के रूप में कार्य करना बंद करने का कारण बन सकती हैं।

- स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय-वस्तु, जिसमें संबंधित प्रकटीकरण भी सम्मिलित हैं, का मूल्यांकन करना तथा यह निर्धारित करना कि क्या स्वतंत्र वित्तीय विवरण आधारभूत लेन-देन एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष एवं यथोचित प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित हो सके।

16. भौतिकता से अभिप्राय स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में ऐसे गलत विवरणों की मात्रा या स्तर से है, जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से इतने महत्वपूर्ण हों कि उनसे स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के युक्तिसंगत ज्ञान रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की संभावना हो। लेखापरीक्षा की योजना बनाने तथा उसका निष्पादन करने और लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता तथा गुणात्मक कारकों पर निम्नलिखित प्रकार से विचार करते हैं:

    (i) अपनी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने तथा अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा

    (ii) स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

17. हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ, अन्य विषयों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय-निर्धारण तथा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं। इसमें लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रणों की कोई भी महत्वपूर्ण कमी भी सम्मिलित होती है।

18. हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह लिखित अभिकथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। साथ ही, हम उन्हें उन सभी संबंधों एवं अन्य विषयों की जानकारी भी देते हैं, जिनके बारे में युक्तिसंगत रूप से यह माना जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, तथा जहाँ लागू हो, उनसे संबंधित अपनाए गए सुरक्षा उपायों की भी जानकारी प्रदान करते हैं।

19. शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित विषयों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं और इसलिए उन्हें प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है। हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं, जब तक कि किसी विधि या विनियम के अंतर्गत ऐसे विषयों के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न हो, अथवा अत्यंत विरल परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विषय को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों के उस विषय के संप्रेषण से प्राप्त होने वाले सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की युक्तिसंगत अपेक्षा हो।

अन्य मामले :

20. कंपनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने दिनांक 15 मई, 2025 की अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में उन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर असंशोधित मत व्यक्त किया था। इस विषय के संबंध में स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर व्यक्त हमारी राय संशोधित नहीं है।

21. हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने व्यापार प्राप्य तथा व्यापार देय के शेषों की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। हमारी रिपोर्ट की तिथि तक ऐसी पुष्टियों में से केवल सीमित संख्या में ही पुष्टियाँ प्राप्त हुई हैं। जिन मामलों में पुष्टियाँ उपलब्ध नहीं थीं, उनमें हमने वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ अपनाईं, जिनमें संबंधित अनुबंध दस्तावेजों का सत्यापन, जारी किए गए चालानों की जाँच, तत्पश्चात प्राप्तियों/भुगतानों का सत्यापन तथा संबंधित पत्राचार एवं अनुवर्ती संचार की समीक्षा शामिल थी।

    इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है ।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

22. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के तहत आवश्यक है, हम अपनी रिपोर्ट **'अनुलग्नक क'** में संलग्न कर रहे हैं।

23. अधिनियम, की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार आवश्यक है। हम अनुलग्नक में आदेश के अनुच्छेद

3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं, जहां तक लागू हो हमारी रिपोर्ट **'अनुलग्नक ख'** के रूप में संलग्न है।

24. बोर्ड एवं बोर्ड समितियों की संरचना का गैर - अनुपालन

हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वर्ष के दौरान गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम, तथा समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के अंतर्गत बोर्ड तथा उसकी कुछ अनिवार्य समितियों की संरचना संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो सका। फलस्वरूप, कंपनी में अधिनियम की धारा 177 तथा सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के अनुसार विधिवत गठित लेखापरीक्षा समिति विद्यमान नहीं थी। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 178 तथा सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 19 के अनुसार अपेक्षित विधिवत गठित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति भी अस्तित्व में नहीं थी।

फलस्वरूप, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई है। प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार में निहित है तथा आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार के साथ आवश्यक पत्राचार एवं संचार किया जा चुका है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है ।

25. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

(क) हमने अपने लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा-बही कंपनी द्वारा संधारित की गई हैं, जहाँ तक यह हमारी उन बही की जाँच से स्पष्ट होता है, तथा कंपनी की सभी इकाइयों से समुचित एवं पर्याप्त विवरण प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में सम्मिलित स्टैंडअलोन तुलन पत्र, अन्य समग्र आय सहित स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों तथा उसके साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के अनुरूप हैं।

(ङ) निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान, कंपनी के सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावशीलता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट **'अनुलग्नक ग '** में दी गई है। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर निर्विकल्प राय व्यक्त की गई है।

(छ) अधिनियम की धारा 197(16), यथासंशोधित, की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 तथा उसके साथ पठित अनुसूची v के प्रावधान, कंपनी के सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी. एस.आर. 463(ई) के अनुसार इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपनी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में लंबित वाद-विवादों का अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। इस संबंध में स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 48 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी ने, लागू विधि अथवा लेखांकन मानकों के अनुसार, दीर्घकालिक अनुबंधों, जिनमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल हैं, उन पर होने वाली संभावित महत्वपूर्ण हानियों, यदि कोई हों, के लिए अपेक्षित प्रावधान किया है।

iii. दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली राशियों के हस्तांतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

iv. क. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन दिया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा लेखों की टिप्पणियों में किए गए प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई विदेशी इकाइयों सहित ('मध्यस्थ') को या उसमें किसी भी निधि (चाहे वह उधार ली गई निधि, प्रतिभूति प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से प्राप्त हो) अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में अभिलिखित हो या अन्यथा, प्रदान नहीं की है कि उक्त मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्ति अथवा इकाइयों ('अंतिम लाभार्थी') को ऋण देगा या उनमें

निवेश करेगा, अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।

ख. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन दिया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा लेखों की टिप्पणियों में किए गए प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति अथवा इकाई विदेशी इकाइयों सहित ('निधि प्रदाता पक्ष') से इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में अभिलिखित हो या अन्यथा, कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि प्रदाता पक्ष द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्ति अथवा इकाइयों ('अंतिम लाभार्थी') को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी, अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था उपलब्ध कराएगी; तथा

ग. इन परिस्थितियों में युक्तिसंगत एवं उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास करने का कारण मिले कि उपर्युक्त उप-खंड (क) एवं (ख) के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन विद्यमान है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुरूप है।

vi. आईसीएआई द्वारा जारी कंपनियाँ (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत ऑडिट ट्रेल पर प्रतिवेदन संबंधी कार्यान्वयन मार्गदर्शन (संशोधित संस्करण, 2024) के अनुसार तथा परीक्षण-जाँच सहित हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी ने अपने लेखा अभिलेखों के संधारण के लिए एसएपी एस/4 हाना लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें सॉफ्टवेयर में अभिलिखित सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए सुरक्षा ऑडिट लॉग तथा ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।

क. लेखा अभिलेखों के संधारण हेतु प्रयुक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर में डेटा परिवर्तनों का अभिलेखन करने के लिए पहचानी गई डेटाबेस तालिकाओं के लिए ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) दर्ज करने की सुविधा सक्षम की गई थी। तथापि, एसएपी डेटाबेस तालिकाओं में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन नहीं किया जाता है।

ख. ईआरपी में सुरक्षा ऑडिट लॉग सक्षम था। लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) दर्ज करने की सुविधा लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान सक्षम थी।

इसके अतिरिक्त, जिन अवधियों के दौरान ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) दर्ज करने की सुविधा सक्षम थी और संचालित रही, उन अवधियों के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई उदाहरण हमारे संज्ञान में नहीं आया, जिससे यह प्रतीत हो कि ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। साथ ही, कंपनी ने ऑडिट ट्रेल को अभिलेखों के संरक्षण संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुरक्षित रखा है।

ऑडिट ट्रेल के संबंध में हमारी जाँच, लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में तथा केवल। कंपनियों के (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत अपेक्षित सीमा तक ही की गई है। उक्त नियम 11(छ) के अंतर्गत अपेक्षित विषयों से परे हमने ऑडिट ट्रेल का न तो कोई लेखापरीक्षण किया है और न ही कोई परीक्षण किया है। साथ ही, हमने ऑडिट ट्रेल का कोई स्टैंडअलॉन लेखापरीक्षण अथवा परीक्षण भी नहीं किया है।

कृते **बाबु ए, कल्लिवयलिल व कं.,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार, सदस्यता सं. 007448
यूडीआईएन : 26007448ZHJUZE3490

कोच्ची
मई 15, 2026

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

(सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों केलिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'अनुभाग के तहत अनुच्छेद 22 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

I. कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों के लिए गठित न्यासों के माध्यम से किए गए सभी उद्भूत एवं अनुद्घृत निवेशों के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखांकन मानकों के साथ उनकी संगति सुनिश्चित करना तथा संबंधित सहायक अभिलेखों की समीक्षा करना शामिल है। लेखापरीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, उसकी युक्तिसंगतता तथा लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी महत्वपूर्ण विचलन अथवा मिथ्यावक्तव्य की सूचना देगा।

कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों के लिए गठित न्यासों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों का मूल्यांकन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे तथा लागू विनियमों के अनुरूप समुचित रूप से किया गया है। इन निवेशों के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया मूल्यांकन दृष्टिकोण एवं मूल्यांकन पद्धतियाँ उपयुक्त एवं युक्तिसंगत हैं। हमारे परीक्षण के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण विचलन अथवा मिथ्यावक्तव्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मूल्यांकन दृष्टि कोण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी निम्नानुसार संलग्न है:

मूल्यांकन दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी

कंपनी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों का प्रबंधन पृथक रूप से विधिवत गठित न्यासों अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान न्यास तथा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास के माध्यम से करती है। उपदान न्यास, भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के अधीन संचालित एक वित्तपोषित निर्धारित लाभ योजना का प्रतिनिधित्व करता है। भविष्य निधि न्यास, अपने सदस्यों को प्रदान की जाने वाली ब्याज दर की गारंटी के कारण, भारतीय लेखांकन मानक 19, कर्मचारी लाभ के अनुसार निर्धारित लाभ दायित्व उत्पन्न करता है।

उक्त योजनाओं के संबंध में निर्धारित लाभ दायित्वों का निर्धारण एक स्वतंत्र एवं योग्य परामर्शी बीमांकिक द्वारा, भारतीय लेखांकन मानक 19, कर्मचारी लाभ के अंतर्गत निर्धारित प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है, जो इस मानक के अनुसार निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति है। बीमांकिक मान्यताओं, जिनमें छूट दर भी शामिल है, का निर्धारण मूल्यांकन तिथि पर सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार प्रतिफल के संदर्भ में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित शून्य कूपन संप्रभु रुपया प्रतिफल वक्र के आधार पर, भारतीय लेखांकन मानक 19, कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

प्रमुख निवेश श्रेणियों के लिए अपनाई गई मूल्यांकन पद्धतियों का सारांश निम्नानुसार है:

निवेश श्रेणी	मूल्यांकन का आधार
एलआईसी समूह ग्रेच्युटी मास्टर पॉलिसी	एलआईसी द्वारा घोषित ब्याज सहित निधि शेष के आधार पर मूल्यांकित।
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की प्रतिभूतियाँ	ऐसे निवेशों पर लागू लेखांकन एवं नियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकित (लागत पर)।
म्यूचुअल फंड निवेश	प्रतिवेदन तिथि पर प्रचलित निवल परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर मूल्यांकित।

हमने निवेश पोर्टफोलियो के निर्धारित निवेश प्रतिरूप तथा लागू नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणन एवं सहायक अभिलेखों पर भी विचार किया है।

चूँकि दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त न्यासों का वैधानिक लेखापरीक्षण इस प्रतिवेदन की तिथि तक पूर्ण नहीं हुआ था, अतः हमारी समीक्षा हमारे समक्ष उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त, हमने वित्तीय वर्ष 2025–26 से संबंधित हमारे समक्ष उपलब्ध निवेश विवरणों, बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्टों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की भी समीक्षा की है।

II. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन का प्रसंस्करण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्या इस प्रणाली तथा कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों , साथ ही साइबर सुरक्षा की समीक्षा की गई है? यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गई हों, तो क्या उनका समुचित रूप से प्रतिवेदन किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण का लेखों की अखंडता पर प्रभाव तथा उसके वित्तीय प्रभावों का भी प्रतिवेदन किया जाए।

कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली उपलब्ध है तथा उक्त प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। हमारे परीक्षण के दौरान वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई महत्वपूर्ण विसंगति अथवा महत्वपूर्ण नियंत्रण कमजोरी प्रतिवेदित नहीं हुई।

प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेन-देन संसाधित नहीं किया गया।

III. क्या केंद्र/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान, सब्सिडी आदि) का लेखांकन लागू लेखांकन मानकों अथवा प्रचलित मानदंडों के अनुसार समुचित रूप से किया गया है तथा क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनकी शर्तों एवं नियमों के अनुरूप किया गया है? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की शर्तों एवं नियमों के अनुसार किया गया है? यदि कोई विचलन पाया गया हो, तो उसके मामलों का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए मामलों के आधार पर, कंपनी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त एवं प्राप्य निधियों का लेखांकन लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समुचित रूप से किया है तथा इन निधियों का उपयोग निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप किया है। अधिकांश मामलों में अनुदान व्यय किए जाने के पश्चात प्राप्त होते हैं; अतः यदि कोई ब्याज अर्जित हुआ हो, तो उसका पृथक रूप से निर्धारण करना संभव नहीं है।

IV. क्या कंपनी ने अपने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या इन जोखिमों के शमन हेतु कंपनी ने कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो - (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है तथा क्या उनका समुचित मूल्यांकन किया गया है?

कंपनी ने सामान्यतः अपने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है तथा ऐसे जोखिमों के शमन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। समग्र जोखिम शासन ढाँचे की निगरानी निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति , मुख्य जोखिम अधिकारी तथा जोखिम समन्वयकों द्वारा की जाती है, जिससे जोखिमों की प्रभावी पहचान, आकलन, निगरानी तथा शमन सुनिश्चित होता है।

(क) प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम प्रबंधन के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त रूपरेखा आईएसओ 31000 के सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप है; तथापि, कंपनी ने आईएसओ 31000 का औपचारिक प्रमाणन प्राप्त नहीं किया है।

(ख) कंपनी ने अपनी डेटा-संबंधित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन भारतीय लेखांकन मानक 38, अमूर्त परिसंपत्तियाँ तथा लागू वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे की आवश्यकताओं के संदर्भ में किया है। केवल वे डेटा-संबंधित परिसंपत्तियाँ, जो भारतीय लेखांकन मानक 38 में निर्धारित पहचान एवं मान्यता संबंधी मानदंडों, जिनमें पृथक पहचानयोग्यता, नियंत्रण, संभावित भावी आर्थिक लाभ तथा लागत के विश्वसनीय मापन की शर्तें सम्मिलित हैं, को पूरा करती हैं, उन्हें ही वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई है, उनका मापन किया गया है तथा उनका प्रकटीकरण किया गया है।

V. क्या कंपनी, जहाँ-जहाँ लागू हो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों, 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक सचिवीय अनुपालन प्रतिवेदन, सचिवीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा हमारे द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में कंपनी सामान्यतः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा जहाँ-जहाँ लागू हो, सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

तथा लोक उद्यम विभाग के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। हमें यह भी सूचित किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में कंपनी पर कोई अनुपालन आवश्यकता लागू नहीं होती है। तथापि, हमारे संज्ञान में आए कुछ अपवाद निम्नानुसार हैं:

(क) निदेशक मंडल की संरचना तथा स्वतंत्र निदेशक

कंपनी के निदेशक मंडल में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लागू कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। 1 अप्रैल 2025 से 20 मई 2025 तक निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था तथा उसके पश्चात केवल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त था। परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल की संरचना तथा स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो सका।

(ख) महिला निदेशक / महिला स्वतंत्र निदेशक

कंपनी के निदेशक मंडल में 1 अप्रैल 2025 से 20 मई 2025 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार अपेक्षित महिला स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कम-से-कम एक महिला निदेशक रखने की अनिवार्य आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं किया गया।

(ग) निदेशक मंडल की समितियाँ

स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, प्रतिवेदन अवधि के एक भाग के दौरान कंपनी में विधिवत गठित लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति अस्तित्व में नहीं थीं। परिणामस्वरूप, इन समितियों के गठन तथा उनकी बैठकों के संचालन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो सका। तथापि, एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के उपरांत, हितधारक संबंध समिति, कॉर्पोरेट निगमित उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन 1 जून 2025 से प्रभावी किया गया।

(घ) निदेशक मंडल की बैठक का गणपूर्ति

दिनांक 15 मई 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(2क) के अंतर्गत निर्धारित गणपूर्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं करती थी, क्योंकि उस तिथि को निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं था।

(ङ) लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

विधिवत गठित लेखा-परीक्षा समिति के अभाव में, ऐसे कुछ विषय जिनके लिए लेखा-परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा एवं अनुमोदन अपेक्षित था, जिनमें संबंधित पक्षकार लेन-देन के लिए समग्र अनुमोदन/समीक्षा भी शामिल है, उन्हें सीधे निदेशक मंडल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

(च) स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अधिरोपित दंड

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने तथा उसके परिणामस्वरूप वैधानिक समितियों का विधिवत गठन न होने के कारण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी पर जुर्माना अधिरोपित किया गया। कंपनी ने यह विचार करते हुए कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, उक्त जुर्माने की माफी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है/प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है।

कृते **बाबु ए, कल्लिवयलिल व कं.,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार, सदस्यता सं. 007448
यूडीआईएन : 26007448ZHJUZE3490

कोच्ची
मई 15, 2026

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 23 में संदर्भित)

कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई लेखा-पुस्तकों एवं अभिलेखों के आधार पर, हम निम्नलिखित प्रतिवेदन करते हैं:

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क) क. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण, जिनमें उनकी मात्रात्मक जानकारी एवं स्थिति भी सम्मिलित है, दर्शाने वाले समुचित अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित किए हैं।

ख. कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित अभिलेख भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित किए हैं।

ख) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्यक्ष सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख परिसंपत्तियों का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान कुछ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन की यह आवधिकता युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापन के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

ग) हमारे द्वारा स्वामित्व विलेखों, पट्टा अनुबंधों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जांच के आधार पर, हम प्रतिवेदन करते हैं कि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत प्रदर्शित सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। जिन पट्टाधारित संपत्तियों में कंपनी पट्टेदार है, उनके संबंध में कुछ पट्टा अनुबंधों का निष्पादन अथवा पंजीकरण इस प्रतिवेदन में नीचे दिए गए विवरणानुसार लंबित है।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	जिसके नाम पर धारित है	चाहे संस्थापक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	किस वर्ष से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
विलिंग्डन द्वीप, एर्णाकुलम स्थित अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की भूमि – चरण-I	27,691.68	कोचीन पत्तन प्राधिकरण	जी नहीं	2012	पंजीकरण लंबित है।
विलिंग्डन द्वीप, एर्णाकुलम स्थित आईएसआरएफ परियोजना की भूमि – चरण-II			जी नहीं	2017	पंजीकरण लंबित है।
बैकवाटर का तल – पुनरूद्धारित भूमि			जी नहीं	1977	अभी तक पट्टा करार निष्पादित नहीं हुआ है।
सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) – मझगांव, मुंबई स्थित इंदिरा डॉक के बर्थ संख्या 5, 6, 7 एवं 8	21,014.01	मुंबई पत्तन प्राधिकरण	जी नहीं	2018	पंजीकरण लंबित है।
सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) - कोलकाता के गार्डन रीच स्थित नेताजी सुभाष डॉक के बर्थ संख्या 6 तथा दो ड्राई डॉक।	10.92	श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट)	जी नहीं	2019	पंजीकरण लंबित है।
स्टाफ क्वार्टर संख्या बी/1 एवं बी/2, पोर्ट हॉस्पिटल पार्क, कोलकाता।	29.74	श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट)	जी नहीं	2018	अभी तक पट्टा करार निष्पादित नहीं हुआ है।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	जिसके नाम पर धारित है	चाहे संस्थापक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	किस वर्ष से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
दिल्ली ट्रांजिट हाउस, संपत्ति संख्या डी-306, द्वितीय तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली।	101.22	श्रीमती अनिता सिंघल	जी नहीं	2020	पंजीकरण लंबित है।
उप-ठेकेदारों का पार्किंग स्थल, एर्णाकुलम।	17.17	श्री के प्रदीप कुमार	जी नहीं	2023	अभी तक पट्टा करार निष्पादित नहीं हुआ है।
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिथि गृह, पनमपिल्ली नगर, एर्णाकुलम।	11.11	श्री श्रीकुमार नायर एवं सुश्री सनंदा पिल्लै विश्वनाथ	जी नहीं	2024	पंजीकरण लंबित है।
केंद्रीय गोदाम, कक्कनाड, एर्णाकुलम में आच्छादित भंडारण क्षेत्र।	57.48	केंद्रीय भंडारण निगम	जी नहीं	2024	पंजीकरण लंबित है।
	76.22			2024	
	51.20			2025	
	53.52			2025	
मुंबई स्थित इंदिरा डॉक में एमबीपीए का बर्थ संख्या 9आईडी।	4,669.80	मुंबई पत्तन प्राधिकरण	जी नहीं	2025	अभी तक पट्टा करार निष्पादित नहीं हुआ है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग के अधिकार संबंधी परिसंपत्तियों सहित) अथवा अमूर्त परिसंपत्तियों, या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. बेनामी संपत्ति लेन-देन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति धारण करने के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न तो आरंभ की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

ii. कंपनी की मालसूचियों के संबंध में:

(क) प्रबंधन द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित प्रत्यक्ष माल-सूची सत्यापन समिति के माध्यम से निर्धारित सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान माल-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। समिति द्वारा माल-सूचियों का नमूना आधार पर भी प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। कंपनी के आकार एवं उसके प्रचालनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे सत्यापन का दायरा तथा अपनाई गई प्रक्रियाएँ उपयुक्त हैं। इस प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान यदि कोई विसंगतियाँ पाई गईं, तो वे महत्वपूर्ण नहीं थीं तथा उनका लेखा-पुस्तकों में समुचित रूप से समायोजन किया गया है।

हमें प्रदान की गई जानकारी तथा उपलब्ध कराई गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, लेखा-पुस्तकों की तुलना में प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान माल-सूची की प्रत्येक श्रेणी में समग्र रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पाई गई।

(ख) कंपनी को बैंकों से कुल मिलाकर ₹5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी तथा अन्य ऋण सुविधाएँ स्वीकृत की गई हैं। तथापि, ये सुविधाएँ चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर स्वीकृत नहीं की गई हैं। अतः कंपनी को बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों के समक्ष त्रैमासिक विवरणियाँ या विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी अथवा अन्य किसी पक्ष को कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। कंपनी ने कर्मचारियों एवं कंपनियों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण प्रदान किए हैं, कर्मचारियों को ऋण की प्रकृति में अग्रिम दिए हैं, एक कंपनी के पक्ष में गारंटी प्रदान की है तथा एक कंपनी में निवेश किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है, न ही कोई गारंटी प्रदान की है अथवा कोई निवेश किया है।

(क) सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों एवं सहयोगी उपक्रमों तथा इनके अतिरिक्त अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऐसे ऋणों, गारंटियों एवं प्रतिभूतियों के संबंध में वर्ष के दौरान प्रदान की गई कुल राशि तथा तुलन-पत्र की तिथि पर बकाया शेष निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	गारंटी	प्रतिभूति	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान प्रदान की गई/स्वीकृत कुल राशि				
सहायक कंपनियाँ	12,243.52		500	
संयुक्त उपक्रम				
सहयोगी उपक्रम				
अन्य			5.45	1.66

(लाख रुपए में)

विवरण	गारंटी	प्रतिभूति	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
उपरोक्त मामलों के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि पर बकाया शेष				
सहायक कंपनियाँ	7,814.16		500	
संयुक्त उपक्रम				
सहयोगी उपक्रम				
अन्य			4.58	0.40

(ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटियाँ तथा उपर्युक्त सभी ऋणों एवं गारंटियों के प्रदान किए जाने से संबंधित नियम एवं शर्तें कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में मूलधन की अदायगी तथा ब्याज के भुगतान की समय-सारिणी निर्धारित की गई है तथा मूलधन की वसूली एवं ब्याज की प्राप्ति नियमित रूप से हो रही है।

(घ) कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक कोई भी अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

(ङ) वर्ष के दौरान देय हो चुके कंपनी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी ऋण अथवा ऋण की प्रकृति के अग्रिम का न तो नवीनीकरण किया गया है और न ही उसकी अवधि बढ़ाई गई है। साथ ही, उन्हीं पक्षों को पूर्व में दिए गए ऋणों की अतिदेय राशि के निपटान हेतु कोई नया ऋण भी प्रदान नहीं किया गया है।

(च) वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो मांग पर चुकाए जाने योग्य कोई ऋण प्रदान किया है और न ही ऐसा कोई ऋण अथवा ऋण की प्रकृति का अग्रिम प्रदान किया है, जिसके पुनर्भुगतान की कोई अवधि अथवा शर्त निर्धारित न की गई हो। अतः आदेश के खंड 3(iii)(च) के अंतर्गत प्रतिवेदन अपेक्षित नहीं है।

iv. कंपनी द्वारा किए गए निवेशों, प्रदान किए गए ऋणों तथा गारंटियों के संबंध में, हमारी राय में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की गई है।

v. कंपनी ने जनता से कोई जमा अथवा ऐसी कोई राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे जमा माना जाता हो। अतः आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत अभिलेखों का संधारण कर रही है।

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विहित तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार संधारित लागत अभिलेखों का हमने व्यापक स्तर पर परीक्षण किया है। हमारी राय में, प्रथमदृष्टया, विहित लागत अभिलेख तैयार किए गए हैं तथा उनका समुचित संधारण किया गया है।

हालांकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।

vii. वैधानिक बकाया के संबंध में:

क. कंपनी सामान्यतः अपने ऊपर लागू सभी निर्विवाद वैधानिक बकाया, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा उस पर लागू अन्य वैधानिक बकाया शामिल हैं, जिसे संबंधित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है। दिनांक 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण सेवा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा मूल्य वर्धित कर जीएसटी में समाहित हो चुके हैं; अतः वर्ष के दौरान इन करों के संबंध में कंपनी पर कोई बकाया नहीं थी।

दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति में उपर्युक्त वैधानिक बकायों में से कोई भी राशि ऐसी बकाया नहीं थी, जो देय होने की तिथि से छह माह से अधिक अवधि तक अवैतनिक रही हो।

ख. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर अथवा अन्य वैधानिक बकायों से संबंधित ऐसी कोई राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है, सिवाय उन मामलों के जिनका विवरण **अनुलग्नक–घ** में दिया गया है।

viii. वर्ष के दौरान, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किए गए कर निर्धारण के दौरान पूर्व में लेखा अभिलेखों में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई भी लेन-देन आय के रूप में न तो समर्पित किया गया और न ही प्रकट किया गया।

ix. क. कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण अथवा अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उन पर देय ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ख. हमारी जानकारी के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकार, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा अन्य किसी ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने सावधि ऋणों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए वे प्राप्त किए गए थे।

घ. कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ. कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए अथवा उनकी ओर से किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि प्राप्त नहीं की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम इकाई नहीं है।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के पास किसी भी सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम में कोई निवेश नहीं था।

x. क. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम अथवा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम, जिसमें ऋण लिखत भी शामिल हैं, के माध्यम से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है। अतः आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख. वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार,

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधडी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है,

ख. वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट के जारी करने की तिथि तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार तथा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में हमारे द्वारा, कंपनी के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है।

ग. जैसा कि प्रबंधन ने बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर नीति शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है । इसलिए, आदेश के खंड (xii) (क), (ख) और (ग) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xiii. हमारी राय में, कंपनी ने जहाँ-जहाँ लागू था, वहाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन किए हैं। चूँकि वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था, इसलिए संबंधित पक्षों के लेन-देन के अनुमोदन से संबंधित अधिनियम की धारा 177 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसे संबंधित पक्षों के लेन-देन का विवरण लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है।

xiv. क. हमारी राय में, कंपनी के पास व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। हालांकि, कंपनी अपने प्रचालन के विकसित पैमाने और जटिलता के साथ अधिक निकटता से जुडने केलिए प्रणाली के कुछ पहलुओं को और मज़बूत करने पर विचार कर सकती है।

ख. हमने लेखापरीक्षा अवधि केलिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय पर प्राप्त कर ली है और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में हमारे द्वारा विधिवत् विचार किया गया है।

xv. कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों या अपने निदेशकों से जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। अतः आदेश के खंड (xvi) (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अंतर्गत प्रतिवेदन देने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, हमारी राय में समूह के भीतर मुख्य निवेश कंपनी (जैसा कि मुख्य निवेश कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित है) नहीं है। अतः इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार इस खंड के तहत रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

xix. वित्तीय अनुपात, काल प्रभावन और वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ जुडी अन्य जानकारी के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन

करनेवाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।

हालांकि, हम बताते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है । हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियां कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने पर चुकाई जाएंगी।

xx. कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दायित्व के संबंध में, हमारी राय में,

क. हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य परियोजना के संबंध में कोई अप्रयुक्त राशि शेष नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xx)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख. चालू परियोजनाओं के संबंध में कंपनी के वैधानिक दायित्व के अंतर्गत कोई भी राशि अप्रयुक्त शेष नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार चल रही परियोजनाओं के संबंध में अप्रयुक्त राशि को किसी विशेष खाते में स्थानांतरित करने की कंपनी पर कोई आवश्यकता नहीं है।

xxi. इस खंड के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है । तदनुसार, इस खंड के संबंध में इस रिपोर्ट में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते **बाबु ए, कल्लिवयलिल व कं.,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार, सदस्यता सं. 007448
यूडीआईएन : 26007448ZHJUZE3490

कोच्ची
मई 15, 2026

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 3 (च) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2026 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में युक्तिसंगत रूप से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं तथा 31 मार्च, 2026 की स्थिति में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्यरत थे। यह निष्कर्ष कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के उन मानदंडों के आधार पर है, जिन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा संबंधी ("मार्गदर्शन टिप्पणी") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के उन मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण सम्मिलित है, जो प्रभावी रूप से कार्यरत हों, ताकि कंपनी के व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, जहाँ तक वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं, संपन्न किया है। उक्त लेखापरीक्षा मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार हमें नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका निष्पादन इस प्रकार करना होता है कि यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित किए गए थे तथा ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षण में ऐसे नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के विद्यमान होने के जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की डिज़ाइन एवं उनकी प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण अशुद्ध विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों केलिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने केलिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं :

क. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है:

ख. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने केलिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत अथवा प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित अतिक्रमण किए जाने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अशुद्ध विवरण उत्पन्न हो सकते हैं तथा उनका पता नहीं चल सकता। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में किए गए किसी भी मूल्यांकन का भविष्य की अवधियों के लिए किया गया आकलन इस जोखिम के अधीन होता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

कृते **बाबु ए, कल्लिवयलिल व कं.,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार, सदस्यता सं. 007448
यूडीआईएन : 26007448ZHJUZE3490

कोच्ची
मई 15, 2026

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - अनुलग्नक घ - सीएआरओ 2020

(हमारी समदिनांकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक – ख के खंड vii (ख) में उल्लिखित, कंपनी के सदस्यों को प्रस्तुत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित)

अधिनियम की प्रकृति	देय राशि का प्रकार		राशि (₹ लाख में) विवादित	जिस अवधि से राशि संबंधित है।	वह प्राधिकरण/मंच जहाँ विवाद लंबित है
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	अंशदान		35.82	अप्रैल 2008 से जुलाई 2013	माननीय कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, आलप्पुझा
	विलंबित प्रेषण केलिए क्षति और ब्याज का दावा		19.84		
वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	आईएसी के डिज़ाइन और विकास केलिए भारतीय नौसेना से प्राप्त राशि	सेवा कर	1647.47	2004-05	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
		ब्याज *	6261.18		
		जुर्माना	1647.57		
	आईएसी के निर्माण केलिए भारतीय नौसेना से प्राप्त राशि को आईएसी पी -71 पर प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग शुल्क के अंतर्गत शामिल किया गया है ।	सेवा कर	323.04	2009-10	
		ब्याज *	1017.61		
		जुर्माना	323.14		
	बार्जों की टोइंग सेवाओं सहित सुरक्षा सेवाओं, बचाव कार्यों तथा गारंटीकृत मरम्मत दायित्वों पर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर देयता।	सेवा कर	279.46	2012-13 से 2016-17	
		ब्याज *	556.19		
		जुर्माना	279.56		
	पोत मरम्मत गतिविधियों में कारोबार के अंतर (जिसमें कम निर्धारणीय मूल्य अपनाना भी शामिल है) तथा प्राप्त एवं उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की अस्वीकृति।	सेवा कर	150.57	2015-16	आयुक्त (अपील)
		ब्याज *	228.51		
		जुर्माना	15.06		
वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	कंपनी द्वारा संचालित समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान से यार्ड द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क पर सेवा कर ।	सेवा कर	51.24	2016-17 से 2017-18 (जून 2017 तक)	आयुक्त (अपील)
		ब्याज	65.81		
		जुर्माना	5.1		
केरल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 **	करयोग्य कारोबार में वृद्धि	कर	787.32	2015-16	राज्य कर उपायुक्त, एर्णाकुलम
		ब्याज	582.62		
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962	स्वदेशी वायुयान वाहक केलिए चित्रों एवं योजनाओं का वर्गीकरण।	शुल्क	269.30	मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
		शुल्क	103.97	अप्रैल 2017	
		शुल्क	306.97		
		शुल्क	789.71		
		शुल्क	762.48		
		शुल्क	1,790.93		
		शुल्क	230.54	नवंबर 2017	
		कर (आईजीएसटी)	296.26		
		शुल्क	89.59	जून 2018	
		कर (आईजीएसटी)	108.48		
		शुल्क	238.96	दिसंबर 2018	
		अधिभार	23.90		
		कर (आईजीएसटी)	318.30		
		शुल्क	191.22	जून 2018	
		कर (आईजीएसटी)	231.55		

अधिनियम की प्रकृति	देय राशि का प्रकार		राशि (₹ लाख में) विवादित	जिस अवधि से राशि संबंधित है।	वह प्राधिकरण/मंच जहाँ विवाद लंबित है
केंद्रीय माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 #	अधिसूचना संख्या 50/2017 के अंतर्गत मूल सीमा शुल्क छूट का गलत दावा तथा अधिसूचना संख्या 1/2017 के अंतर्गत 5% आईजीएसटी इनपुट कर क्रेडिट का गलत दावा।	शुल्क #	5,857.03	जुलाई 2017 से अक्तूबर 2017 तक	आयुक्त (अपील), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
		ब्याज	2,424.43		
		शुल्क	629.34		
		ब्याज	128.97		
		जुर्माना	230.00		
	अयोग्य इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया और उसका उपयोग किया गया	कर	83.75	अप्रैल 2018 से मार्च 2022	
		जुर्माना	8.38		
	अयोग्य इनपुट कर क्रेडिट का प्राप्त एवं उपयोग किया जाना तथा प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर का अल्प भुगतान।	कर	9.89		
		जुर्माना	9.89		
आयकर अधिनियम, 1961	व्यय/प्रावधान/कटौतियों की अस्वीकृति		126.26	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)
			911.07	2013-14	
			331.77	2016-17	
			20.76	2017-18	
विभागीय अपील					
वित्तीय अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	भारतीय नौसेना से प्राप्त अनुबंध शुल्क/हैंडलिंग शुल्क की राशि पर सेवा कर का गलत प्रेषण	सेवा कर	376.67	2003-04 से 2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
	पोत मरम्मत गतिविधियों केलिए विभेदक कुल कारोबार (कम मूल्यांकन योग्य मूल्य को अपनाने सहित); तथा प्राप्त और उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की अस्वीकृति ;	सेवा कर	2,339.64	2012-13 से 2014-15	

* सेवा कर से संबंधित मामलों में, जिनमें कंपनी द्वारा अपील दायर की गई है, उन पर देय ब्याज का लगभग आकलन किया गया है।

** कंपनी द्वारा सुधार याचिका दायर की गई है।

विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1961 की धारा 111(एम) एवं 11(ओ) के अंतर्गत माल की जब्ती न करने तथा धारा 112(क) के अंतर्गत जुर्माना न लगाने केलिए अपील दायर की गई है।

कृते **बाबु ए, कल्लिवयलिल व कं.,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार, सदस्यता सं. 007448
यूडीआईएन : 26007448ZHJUZE3490

कोच्ची
मई 15, 2026

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार है। दिनांक 15.05.2026 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षा किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किए गए संशोधन, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 48 क (ग) (v) तथा 48 ग में दर्शाया गया है, और अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए किए गए उक्त संशोधनों के मद्देनज़र, अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर मुझे कोई और टिप्पणी करने अथवा उसमें कोई अनुपूरक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(एस. वेल्लियांगिरी)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, पोत परिवहन

स्थानः चेन्नई
दिनांकः 14.08.2026

दि. 31 मार्च 2026 का

स्टैंडअलॉन तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

ब्योरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	4	2,91,868.86	2,79,303.10
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	58,349.16	51,078.79
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तिया	6	608.04	1,077.91
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	7	68.06	68.06
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	47,481.87	35,852.42
(ii) ऋण	9	1,124.98	551.52
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	183.15	160.73
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	11	2,946.83	2,946.83
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	-	7,295.94
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	1,176.94	1,234.71
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		**4,03,807.89**	**3,79,570.01**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	14	2,14,233.63	1,76,096.42
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	15	41,166.30	22,527.71
(ii) रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक	16	678.55	31,083.37
(iii) उपर्युक्त (ii) को छोडकर बैंक शेष	17	2,27,024.39	2,71,038.29
(iv) ऋण	18	163.99	644.33
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19	5,978.07	22,829.29
(ग) वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	11	10,230.22	-
(घ) अन्य चालू कर परिसंपत्तियां	20	5,04,054.94	4,00,759.81
कुल चालू परिसंपत्तियां		**10,03,530.09**	**9,24,979.22**
बिक्री केलिए रखी गई परिसंपत्तियां	21	**1,469.50**	**-**
कुल परिसंपत्तियां		**14,08,807.48**	**13,04,549.23**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	23	5,76,128.80	5,47,911.16
कुल इक्विटी		**5,89,282.84**	**5,61,065.20**
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	24	2,302.20	2,302.20
(ii) पट्टा देयताएं	25	52,386.32	44,755.75
(ख) प्रावधान	26	5,294.64	5,229.78
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	12	6,625.64	-
(घ) अन्य अप्रचलित देयताएं	27	940.12	5.72
कुल अप्रचलित देयताएं		**67,548.92**	**52,293.45**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	28	99,246.59	-
(ii) पट्टा देयताएं	29	3,527.25	3,025.42
(iii) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों केलिए कुल बकाया राशि	30	10,520.16	9,006.09
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोडकर लेनदारों के कुल बकाया राशि		79,939.28	20,291.28
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	31	28,638.54	28,477.23
(ख) अन्य चालू देयताएं	32	4,68,510.53	5,22,613.50
(ग) प्रावधान	33	61,593.37	1,05,129.26
(घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	11	-	2,647.80
कुल चालू देयताएं		**7,51,975.72**	**6,91,190.58**
कुल इक्विटी और देयताएं		**14,08,807.48**	**13,04,549.23**
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना	1 - 3		
स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 71		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबु ए कलिवयलिल व कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. - A25337

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार
सदस्यता सं. 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के

लाभ और हानि का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा		टिप्पणी सं.	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I	**आय**			
	प्रचालनों से आय	34	430769.07	452784.15
	अन्य आय	35	40457.20	38044.61
	कुल आय		**471226.27**	**490828.76**
II	**व्यय :**			
	उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	36	184018.15	198159.38
	कार्य प्रगति की सूची में परिवर्तन	37	76.26	(76.26)
	उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	38	94074.86	79265.04
	कर्मचारियों के भत्ताओं केलिए व्यय	39	44524.52	40373.69
	वित्तीय मूल्य	40	8316.03	3644.93
	मूल्यह्रास और ऋणमुक्त व्यय	41	11083.22	8364.37
	अन्य व्यय	42	36846.33	35099.66
	प्रत्याशित हानि तथा व्यय केलिए प्रावधान	43	3647.09	12613.41
	कुल व्यय		**382586.46**	**377444.22**
III	**आसाधारण मदों और कर पूर्व लाभ**		**88639.81**	**113384.54**
IV	आसाधारण मदें		-	-
V	**कर पूर्व लाभ**		**88639.81**	**113384.54**
VI	**कर व्यय:**			
	(1) चालू कर	11	8851.00	29550.79
	(2) पिछले वर्षों का आयकर	11	(1948.53)	875.11
	(3) आस्थगित कर	11	17433.00	(1332.00)
VII	**वर्ष का लाभ**		**64304.34**	**84290.64**
VIII	**अन्य ब्योरेदार आय**			
	(क) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत किए जाएंगे			
	i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		(13627.44)	65.96
	ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		3429.93	(16.60)
	(ख) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत नही किए जाएंगे			
	i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(323.51)	(291.60)
	ii) एफवीटीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन		3.23	6.71
	iii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		81.49	73.39
	वर्ष केलिए अन्य ब्योरेदार आय		**(10436.30)**	**(162.14)**
IX	**अवधि केलिए कुल अन्य ब्योरेदार आय (अवधि केलिए लाभ और अन्य ब्योरेदार आय शामिल है)**		**53868.04**	**84128.50**
X	**प्रति ₹ 5 इक्विटी शेयर की आय:**	44		
	(1) मूल (₹ में)		24.44	32.04
	(2) तनुकृत (₹ में)		24.44	32.04
	निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना	1 - 3		
	स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 71		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबु ए कलिवयलिल व कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. - A25337

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार
सदस्यता सं. 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए

रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**88,639.81**	**1,13,384.54**
निम्नलिखित केलिए समायोजन :		
आसाधारण मदें		-
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन व्यय	11,083.22	8,364.37
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	231.78	151.97
वित्त लागत	8,316.03	3,644.93
ब्याज आय	(16,496.17)	(19,203.15)
प्रत्याशित हानि और व्यय केलिए प्रावधान	3,429.39	11,953.82
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है	(20,762.27)	(14,054.34)
व्यापार प्राप्तियों केलिए हानि भत्ता	217.70	659.59
म्यूचअल फंड से लाभांश आय	(148.87)	(72.78)
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	(348.54)	(331.74)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाते में डालने पर हानि	112.54	5.65
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ	-	(23.90)
आस्थगित सरकारी सहायता	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	(7,637.26)	87.62
बुरे ऋणों को बट्टे खातें में डालना	-	8,614.55
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	**66,636.22**	**1,13,179.99**
कार्यशील पूंजी में चलन:		
मालसूचियों में (वृद्धि) / कमी	(38,137.21)	(80,202.44)
व्यापार, अन्य प्राप्यों और परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(1,19,961.09)	(85,876.62)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / कमी	(20,759.46)	41,484.14
	(1,12,221.54)	**(11,414.93)**
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(13,062.36)	(14,611.78)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	**(1,25,283.90)**	**(26,026.71)**
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद और अमूर्त संपत्तियां	(5,565.58)	(14,657.89)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	-	(7.42)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(8,271.21)	(9,531.97)
अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/ कमी	44,013.90	82,773.79
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/ कमी	(9,475.44)	(19,472.21)
प्राप्त लाभांश	148.87	72.78
यूसीएसएल (सहायक कंपनी) को दिया गया ऋण	(500.00)	
यूसीएसएल (सहायक कंपनी) द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान	513.22	-
डीसीआई के एनसीडी में निवेश	(11,148.00)	
पीपीई से बिक्री आय	33.64	35.72
प्राप्त ब्याज	18,573.72	22,135.78
(उधार)/ ऋणों का पुनर्भुगतान	(105.65)	(43.24)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	**28,217.47**	**61,305.34**
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(3,461.47)	(2,926.97)
प्रदत्त लाभांश	(25,650.38)	(25,650.38)
डब्ल्यूसीडीएल/ अल्पकालिक ऋण से प्राप्त राशि	4,02,861.60	
डब्ल्यूसीडीएल/ अल्पकालिक ऋण का पुनर्भुगतान	(3,03,615.01)	
वित्तीय लागत	(3,473.13)	(201.18)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	**66,661.61**	**(28,778.53)**
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	**(30,404.82)**	**6,500.10**
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	**31,083.37**	**24,583.27**
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	**678.55**	**31,083.37**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए

रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

नकदी प्रवाह का सामंजस्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य शामिल हैं		
बैंक के पास शेष		
चालू खाता में	678.55	1,483.37
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	-	29,600.00
कुल	**678.55**	**31,083.37**
नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन केलिए नकदी और नकदी समतुल्य	**678.55**	**31,083.37**

1. नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, जिसके तहत कर से पहले लाभ/ हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभाव केलिए समायोजित किया जाता है, और निवेश या वित्तीय नकदी प्रवाह से जुडी पिछली या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों और आय या व्यय की मदों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन केलिए समायोजित किया जाता है । कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है ।

2. नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं (ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा के अलावा), जो बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को छोडकर मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। बैंक ऑवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, तुलनपत्र में चालू देनदारियों में उधार के भीतर प्रकट किए जाते हैं।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना	1 - 3
स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 71

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबु ए कलिवयलिल व कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार
सदस्यता सं. 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. - A25337

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2025 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2026 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2025 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

ख. अन्य इक्विटी

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	
01 अप्रैल 2025 को शेष	**263.56**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,36,688.10**	**12,353.76**	**-**	**(868.90)**	**5,47,911.16**
वर्ष का लाभ				64,304.34				64,304.34
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(238.79)			(10,197.51)	(10,436.30)
वर्ष के कुल व्यापक आय				**64,065.55**	**-**	**-**	**(10,197.51)**	**53,868.04**
लाभांश				(25,650.38)				(25,650.38)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण							-	0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.02)						(0.02)
31 मार्च 2026 को शेष	**263.56**	**93,151.87**	**6,322.75**	**4,75,103.27**	**12,353.76**	**-**	**(11,066.41)**	**5,76,128.80**

अधिक जानकारी केलिए नोट 23 देखें ।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

ख. अन्य इक्विटी (जारी..)

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	
01 अप्रैल 2024 को शेष	**263.56**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,78,259.34**	**12,353.76**	**-**	**(918.26)**	**4,89,433.05**
वर्ष का लाभ				84,290.64				84,290.64
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(211.50)			49.36	(162.14)
वर्ष के कुल व्यापक आय				**84,079.14**			**49.36**	**84,128.50**
लाभांश (कर सहित)				(25,650.38)				(25,650.38)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण						-	-	0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.01)						(0.01)
31 मार्च 2025 को शेष	**263.56**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,36,688.10**	**12,353.76**	**-**	**(868.90)**	**5,47,911.16**

अधिक जानकारी केलिए नोट 23 देखें ।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना 1 - 3

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 4 - 71

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबु ए कलिवयलिल व कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. - A25337

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार
सदस्यता सं. 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ सूचना

1.1 निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल या कंपनी के रूप में संदर्भित) भारत के अग्रणी शिपयार्डों में से एक है, जो दक्षिणी राज्य केरल में स्थित है। कंपनी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी मुख्य रूप से पोत निर्माण और पोत की मरम्मत में लगी हुई है, जो देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी एक मिनीरत्न, अनुसूची-ए, श्रेणी-1 सीपीएसई है, जो भारत में निगमित और अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी भी है । कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पेरूमानूर, कोच्ची, केरल है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को, भारत सरकार कंपनी की 67.91% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। कंपनी की इक्विटी शेयर व्यापार केलिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार केलिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और मई 15, 2026 को जारी करने केलिए अधिकृत किया गया, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंडएजी) द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और शेयरधारकों के अंतिम अनुमोदन के अधीन हैं।

2. वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय- समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची III के प्रभाग में II में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 नकदी प्रवाह का विवरण के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारितानुसार, तुलन पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अधिसूचित लेखांकन मानकों और संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत खुलासा किए जाने केलिए आवश्यक अन्य नोटों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनता है।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की प्रस्तुति है और कार्यात्मक मुद्रा और सभी मूल्यों को अधिनियम की अनुसूची III द्वारा अनुमति के अनुसार निकटतम लाख (दो दशमलव तक पूर्णांकित) तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

2.3 माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोडकर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने केलिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने केलिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

i. कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,

ii. संपत्ति बिक्री या उपभोग केलिए अभिप्रेत है;

iii. संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने केलिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने केलिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;

vi. एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने केलिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

(i) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।

(ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी केलिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों केलिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

इन अनुमानों में बदलाव के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

क) आस्थगित कर परिसंपत्तियों /देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

ख) पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान केलिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण, कई कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार का विकल्प खरीदने और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान लगाना का कार्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन केलिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि।

पट्टा दायित्व की गणना केलिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में मूल्यवर्गित पट्टों केलिए, कंपनी वृद्धिशील उधार दर को कंपनी केलिए उपलब्ध बैंकों से उधार पर ब्याज दर मानती है।

ग) गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावे की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावे वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

घ) मुकदमे

समय-समय पर, कंपनी कानूनी कार्यवाही के अधीन होती है और प्रत्येक का अंतिम परिणाम हमेशा मुकदमेबाजी में निहित कई अनिश्चितताओं के अधीन होता है। मुकदमेबाजी का प्रावधान तब किया जाता है जब यह संभावित माना जाता है कि भुगतान किया जाएगा और नुकसान की राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। अन्य कारकों के अलावा, प्रतिकूल परिणाम की संभावना और संभावित नुकसान की मात्रा का उचित अनुमान लगाने की जिम्मेदारी का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में मुकदमेबाजी के प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और तथ्यों और परिस्थितियों में बदलाव केलिए संशोधन किए जाते हैं।

ङ) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने केलिए प्राप्त की जाएगी या मौजूदा बाज़ार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाज़ार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने केलिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों और देनदारियों को उनके माप में नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जिनका वर्णन निम्नानुसार है:

(क) स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों केलिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो परिसंपत्ति या देनदारी केलिए स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य होते हैं।

(ग) स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी केलिए अप्राप्य इनपुट हैं जो देखने योग्य संबंधित बाज़ार विवरण या बाज़ार सहभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में कंपनी धारणाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को दर्शाते हैं।

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने केलिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे सगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं केलिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नही होता है। उस स्थिति मे प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

च) परिनिर्धारित नुकसान

कंपनी की परिनिर्धारित नुकसान के सामने दावे वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

छ) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता केलिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

आउटपुट पद्धति के तहत आज तक किए गए कार्य को मापकर या पूर्ण किए गए प्रदर्शन का सर्वेक्षण करके समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है। इस पद्धति के तहत, प्रत्येक अनुबंध में आज तक पूर्ण किए गए कार्य राजस्व को मापने और पहचानने का आधार है। प्रत्येक परियोजना टीम द्वारा रिपोर्टिंग तिथि तक तकनीकी प्रगति के आधार पर मात्रा की गणना की जाती है। मान्यता प्राप्त राजस्व संबंधित अनुबंधों में निर्धारित विचार के अनुरूप आज तक पूर्ण / मापे गए कार्यों के मूल्य को दर्शाता है।

ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों केलिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है।

ज) निश्चित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निश्चित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना

कंपनी ने इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अवधि केलिए सभी लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक शुरू में अपनाया गया है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन केलिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

कंपनी इस नोट के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां प्रस्तुत करती है, जिन्हें इन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के अंतर्गत संदर्भित प्रासंगिक नोटों में प्रस्तुत और प्रकट की गई जानकारी के साथ पढा जाना चाहिए और उन्हें "महत्वपूर्ण लेखांकन नीति" सूचना माना जाना चाहिए।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पहचान और माप :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पूंजीकृत उधार लागत, संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाया जाता है। 01 अप्रैल 2015 को मौजूद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं केलिए, यानी कंपनी के भारतीय लेखा मानक

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

में परिवर्तन की तिथि, उस तिथि के अनुसार मानी गई लागत यानी वहन राशि पर ले जाया गया।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग-अलग वस्तुओं (प्रमुख घटकों) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

स्पेयर पार्ट्स को तब पूंजीकृत किया जाता है जब वे पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं, यानी, जब कंपनी इन्हें 12 महीने से अधिक की अवधि केलिए उपयोग करने का इरादा रखती है, जिसका मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक है (सीमित आवश्यकताएं प्रबंधन द्वारा तय की जानी हैं) जो कि हो सकती है कि इसका उपयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के संबंध में किया जाता है और जिनका उपयोग अनियमित होने की उम्मीद है, उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों के अतिरिक्त या मूल मद के उपयोगी जीवन पर, जो भी कम हो, पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय :

आगामी लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुडे भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मदों की लागत महत्वपूर्ण है और इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग केलिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (एक परियोजना सहित) पर किया गया व्यय पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत लागत पर किया जाता है।

3.3 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास केलिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि केलिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सोफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग केलिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि केलिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सोफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

दिनांक 01 अप्रैल 2015 को विद्यमान अमूर्त परिसंपत्तियों केलिए, अर्थात् कंपनी की भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि को, उसे तिथि की मानी गई लागत अर्थात् वहन राशि पर वहन किया गया।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस विकासाधीन है या अभी तक उपयोग केलिए तैयार नहीं है, ऐसे मदों पर होनेवाली संचित लागत को 'विकासाधीन अमूर्त संपत्ति' के रूप में गिना जाता है।

3.4 पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात् यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि केलिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

कंपनी के पट्टा परिसंपत्ति वर्गों में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं।

i) पट्टेदार के रूप में:

पट्टा शुरू होने की तारीख में, कंपनी एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था केलिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोडकर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे केलिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियाँ

उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। इसमें पट्टे की प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित प्रारंभिक पट्टा देयता की राशि, साथ ही प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल होती हैं तथा किसी भी पट्टा प्रोत्साहन राशि को घटाया जाता है। इसके बाद, इन परिसंपत्तियों का मापन संचित मूल्यह्रास और, यदि कोई हो, तो हानि-हानि को घटाकर लागत पर किया जाता है। उपयोग-अधिकार

परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की प्रारंभ तिथि से सीधी-रेखा पद्धति के आधार पर, अंतर्निहित परिसंपत्ति की पट्टा अवधि और उपयोगी आयु में से जो अवधि कम हो, उस अवधि में किया जाता है।

पट्टे की देनदारियां

पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भविष्य में किए जाने वाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर अर्थात प्रभावी ब्याज पद्धति के अंतर्गत परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर से अथवा, यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो वृद्धिशील उधार दर से बट्टाकृत किया जाता है।

इसके बाद, पट्टा देयता का पुनर्मापन किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए इसकी वहन राशि में वृद्धि तथा किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि में कमी की जाती है।

पट्टा देयता को कुछ घटनाओं के घटित होने पर पुनः मापा जाता है, जैसे कि पट्टा अवधि में परिवर्तन या पट्टा भुगतान निर्धारित करने केलिए उपयोग किए जानेवाले सूचकांक या दर में परिवर्तन। जब पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति की वहन राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है, यदि उपयोग के अधिकार-वाली परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई है।

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा दायित्व के पुनर्माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंडअलॉन बिक्री मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोडकर पट्टे के दायरे को बढाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है। पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा दायित्व और आरओयू परिसंपत्तियों के माप केलिए उपयोग की जानेवाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

कंपनी तुलन पत्र में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों को अन्य देनदारियों से अलग प्रस्तुत करती है।

ii) एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन पट्टे केलिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

3.5 मूल्यह्रास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II भाग ग में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) और नई ड्राई डॉक परियोजना केलिए निर्मित/विकसित की गई परिसंपत्तियों केलिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए गए उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- उपयोग की संपत्ति का अधिकार उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास से हटा दिया जाता है।
- पट्टे पर ली गई संपत्ति पर मूल्यह्रास की गणना, पट्टे की शुरुआत की तारीख से सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, पट्टे पर ली गई संपत्ति/संपत्तियों के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति, इनमें से जो भी कम हो, तक की जाती है।
- कुछ प्रकार के भवनों और उपकरणों केलिए, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगी जीवन का अनुमान अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न लगाया गया है।

सकल ब्लॉक में परिवर्धन/हटाने पर मूल्यह्रास की गणना ऐसे परिवर्धन की तिथि से और ऐसे विलोपन की तिथि तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत केलिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों केलिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

मूल्यह्रास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

संयंत्र और मशीनरी की कुछ श्रेणियों केलिए प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगी जीवन डबल पारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण क अंतर्गत शामिल प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यह्रास नहीं किया गया है क्योंकि ये संपत्तियां अभी तक उपयोग केलिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि, यदि कोई हानि हो तो उनका जांच की जाती है।

3.6 परिसंपत्तियों का हानिकरण – गैर वित्तीय संपत्ति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी संपत्ति केलिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करनेवाली इकाई के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति केलिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति केलिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाज़ार आकलन को दर्शाता है। कंपनी अपनी हानि गणना को विस्तृत बजट और पूर्वानुमान गणना पर आधारित करती है, जो कंपनी के प्रत्येक सीजीयू केलिए अलग से तैयार की जाती है, जिन्हें व्यक्तिगत संपत्ति आबंटित की जाती है। नवीनतम बजट/पूर्वानुमानों द्वारा शामिल की गई अवधियों से परे नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाने केलिए, कंपनी बाद के वर्षों केलिए स्थिर या घटती विकास दर का उपयोग करके बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाती है, जब तक कि बढती दर को उचित नहीं ठहराया जा सके।

कंपनी अपनी हानि की गणना विस्तृत बजट और पूंवानुमान गणनाओं पर आधारित करती है, जो कंपनी के प्रत्येक सीजीयू केलिए अलग से तैयार की जाती है, जिसके लिए अलग- अलग परिसंपत्तियाँ आबंटित की जाती हैं। सबसे हालिया बजट य पूर्वानुमानों द्वारा कवर की गई अवधि से परे नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाने केलिए, कंपनी बाद के वर्षों केलिए स्थिर या घटती वृद्धि दर का उपयोग करके बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाती है, जब तक कि बढ़ती दर को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

सद्भावना को छोडक़र परिसंपत्तियों केलिए, प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उल्टा किया जाता है जब अंतिम हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने हेतु उपयोग की जानेवाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उत्क्रमण सीमित है ताकि परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित की गई वहन राशि से अधिक हो, मूल्यह्रास को छोडकर, यदि पिछले वर्षों में परिसंपत्ति केलिए कोई हानि नहीं पहचानी गई थी।

3.7 माल सूची

माल सूची का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

कच्चे मालों और घटकों का भारित औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। जब उनका उपयोग परियोजना केलिए किया जाता है, तो मूल्यांकन परियोजना विशिष्ट भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

प्रगति पर कार्य का मूल्यांकन लगात और निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया गया है।

भंडार और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

पारगमन में माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3.8 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को सृजित कर देता है।

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

क) इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्राप्य के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होनेवाली लेनदेन लागत को भी मान्यता दी जाती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण सीधे तौर पर होनेवाली लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

आगामी माप

आगामी मान के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति;
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;
- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है आगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने केलिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने केलिए और वितीतय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

iii) लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण केलिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों केलिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने केलिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

उक्त इक्विटी निवेश की बिक्री/निपटान पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशि का कोई पुनर्चक्रण/पुनर्वर्गीकरण नहीं होता है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक ऋण साधन में निवेश को परिमाप्य लागत पर मापा जाता है यदि दोनों निम्न शर्तें पूरी होती है : संपत्ति एक व्यावसायिक नमूने के भीतर संभाली जाती है, जिसका उद्देश्य है-

(1) संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने केलिए संपत्ति रखने, और

(2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर सृजित करती है जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया राशि पर होती हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम पर हानि की माप और पहचान केलिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।

ख) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत पट्टा प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण

कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ते की मान्यता केलिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों केलिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने केलिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर महत्वपूर्ण रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे भविष्योन्मुखी अनुमानों केलिए समायोजित किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, महत्वपूर्ण रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। उस आधार पर, कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान का अनुमान लगाती है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

सामान्य दृष्टिकोण

अन्य वित्तीय संपत्तियों ओर जोखिम पर हानि की पहचान केलिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि प्रदान करने हेतु 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम काफी बढ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने पर वापस लौट आती है।

लाइफटाइम ईसीएल एक वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के दौरान सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली अपेक्षित क्रेडिट हानि है। 12 महीने की ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। विभिन्न वित्तीय साधनों केलिए तुलन पत्र प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत के रूप में मापा जाता है : ईसीएल के भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी तुलन पत्र में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में। भत्ता निवल वहन राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति राइट-ऑफ मानदंडों को पूरा नहीं करती, कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- वित्तीय गारंटी अनुबंध : ईसीएल को तुलन पत्र में एक प्रावधान के रूप में, यानी देनदारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

- एफवीटीओसीआई पर मापे गए ऋण उपकरण: चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियां पहले से ही उचित मूल्य पर परिलक्षित होती हैं, इसलिए हानि भत्ता इसके मूल्य से और कम नहीं किया जाता है।

ग) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों और परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों के रूप में जैसा उपयुक्त हो वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देनदारियों के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के निवल रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों के मामले में, वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण केलिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

आगामी माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित हैं:

- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां;
- परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां;
- वित्तीय गारंटी अनुबंध;

i) लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयता

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार केलिए रखी गई वित्तीय देनदारियां और लाभ एवं हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार केलिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा निर्धारित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार केलिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयता

वित्तीय देनदारियां जो व्यापार केलिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है, उन्हें आगामी लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देनदारियों की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। लाभ और हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देनदारियों की पहचान रद्द कर दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

iii) वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होनेवाले नुकसान की प्रतिपूर्ति केलिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है, लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने केलिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देनदारी को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि से अधिक पर मापा जाता है और शुरुआत में मान्यता प्राप्त राशि को भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार संचयी आय से कम माना जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

घ) वित्तीय लिखतों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक अंतरित कर दिया है या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफल को न तो अंतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण अंतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता को रद्द करने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

ङ) वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने केलिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने केलिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

च) व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव केलिए क्रमशः वायदा मुद्रा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों को शुरू में उस तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। व्युत्पन्न के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों केलिए लेखांकन हेजिंग उपकरणों के रूप में व्युत्पन्न के पदनाम या गैर-पदनाम पर निर्भर करता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर व्युत्पन्न को वित्तीय संपत्ति के रूप में और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाया जाता है।

व्युत्पन्न जिन्हें हेज उपकरण के रूप में नामित किया गया है

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव केलिए विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध करती है। कंपनी आम तौर पर पूरे वायदा अनुबंध को हेजिंग उपकरण के रूप में नामित करती है।

ये हेजिंग उपकरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा शासित होते हैं।

हेज संबंध की शुरुआत में, कंपनी औपचारिक रूप से हेज संबंध को नामित और दस्तावेज़ित करती है, जिस पर कंपनी हेज लेखांकन और हेज करने केलिए जोखित प्रबंधन उद्देश्य और कार्यनीति को लागू करना चाहती है। व्यापार प्राप्य के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शूरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होनेवाली लेनदेन लागत को भी मान्यता दी जाती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण सीधे तौर पर होनेवाली लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ऐसी हेज से उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में ऑफसेटिंग परिवर्तनों को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है और यह निर्धारित करने केलिए निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि हेज वास्तव में वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावी रही है जिसके लिए इसे नामित किया गया था।

निर्दिष्ट हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है और इक्विटी के अंतर्गत नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व शीर्षक के तहत जमा किया जाता है। अप्रभावी औषधि से संबंधित लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है और अन्य आय या अन्य व्यय में क्रमशः व्युत्पन्न पर लाभ या व्युत्पन्न हानि के रूप में शामिल किया जाता है।

ओसीआई में पहले से पहचानी गई और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में जमा की गई राशि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पुनःवर्गीकृत किया जाता है जब हेज मद लाभ या हानि को प्रभावित करता है, मान्यता प्राप्त हेज मद के समान पंक्ति वस्तु में या आधार समायोजन के रूप में माना जाता है यदि हेज पूर्वानुमान लेनदेन के परिणामस्वरूप बाद में गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय दायित्व की पहचान होती है। जब पूर्वानुमानित लेनदेन होने की उम्मीद नहीं रह जाती है, तो इक्विटी में संचित

संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है।

छ) अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहको हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि केलिए की जाती है।

ज) अनुबंध देयताएं

जहां कंपनी को विचार प्राप्त होता है, या कंपनी के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि कंपनी ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

3.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने केलिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोडकर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने केलिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

इस प्रकार के प्रावधानों में शामिल वारंटी दायित्वों को अलग से निष्पादन दायित्व के रूप में नहीं माना जाता है, जब तक कि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से अनुबंधित करने का विकल्प न हो, इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्यता दी जाती है। इन प्रावधानों को चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 1 के अनुरूप प्रचालन निर्माण परियोजनाओं के चक्र से संबंधित हैं।

दिए गए पोतों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे केलिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोतों केलिए गांरटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

प्रत्याशित हानियों केलिए प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी अनुबंध को पूरा करने केलिए अपेक्षित कुल लागतें अपेक्षित अनुबंध राजस्व से अधिक हैं। जहां उपयुक्त हो, प्रावधान की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से, बजट अनुबंध राजस्व में पूर्वानुमानित राजस्व शामिल होगा जिसे भारतीय लेखा मानक 37 के साथ-साथ वृद्धिशील लागतों के अनुरूप संभावित माना जाता है। सामान्य लागतें सीधे अनुबंध केलिए जिम्मेदार नहीं होती हैं और इसलिए बजट लागत से बाहर रखा जाता है जब तक कि उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 68 के अनुरूप अनुबंध के अनुसार प्रतिपक्ष को स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाईजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नही हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तत्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तत्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

3.10. बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ या निपटान योग्य परिसंपत्तियाँ तब बिक्री के लिए रखी गई मानी जाती हैं, जब उनका वहन मूल्य मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियाँ अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं और उनकी बिक्री की प्रबल संभावना होती है। बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों और निपटान योग्य परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके वहन मूल्य और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाने के बाद प्राप्त होने वाले निम्न मान पर किया जाता है।

3.11 राजस्व मान्यता

क) प्रचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है (अर्थात् लेनदेन मूल्य, जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है ।)

प्रथमतः राजस्व मान्यता प्रक्रिया में प्रासंगिक अनुबंधों की पहचान तथा उनमें निहित निष्पादन दायित्वों का तकनीकी मूल्यांकन शामिल होता है ।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत खंडों में प्रत्येक जलयान केलिए एक एकल निष्पादन दायित्व की पहचान की जाती है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के एकीकरण और अनुकूलन का उच्च स्तर एक संयुक्त आउटपुट बनाता है, जिसे समय के साथ ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ राजस्व की पहचान करने केलिए अनुबंध के आरंभ में पूर्णता की प्रगति को मापने केलिए उपयुक्त विधि का चयन करती है, और संबंधित खंडों और/या उस पर किए गए कार्यों के तहत समान प्रदर्शन दायित्वों केलिए लगातार लागू होती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व केलिए राजस्व की मान्यता केवल तभी की जाती है जब कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है।

कंपनी द्वारा किए गए पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों केलिए निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरे किए जाते हैं, न कि किसी समय पर, क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन कंपनी केलिए वैकल्पिक उपयोगवाली कोई परिसंपत्ति नहीं बनाता है, अर्थात् संविदात्मक प्रतिबंध और व्यावहारिक सीमाएं उस परिसंपत्ति को किसी अन्य उपयोग केलिए आसानी से निर्देशित करने हेतु (यहां तक कि कुछ मामलों में यह ऐसा करने में सक्षम होगा, यह केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों और महत्वपूर्ण लागत के बाद ही किया जा सकता है) और इसे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन केलिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोडकर पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार 'और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार' है,

i) निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है

ii) सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है।

iii) सामग्री की लागत, डिज़ाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जलयान के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पोत मरम्मत अनुबंधों के मामले में जिसमें निरंतर कई वर्षों तक रखरखाव सहायता/आवर्ती और नियमित सेवाएं शामिल हैं, कंपनी ने समय-व्यतीत आउटपुट विधि का विकल्प चुना है, अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि तक बीते समय के आधार पर प्रगति को मापना, जो माल और/या सेवाओं के बदले में प्रतिफल के हकदारी के अधीन प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है।

कंपनी को उपलब्ध नवीनतम जानकारी पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अपनाई गई विधि में प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापना निरंतर आधार पर संशोधित/अद्यतित किया जाएगा।

किसी अनुबंध के प्रारंभिक चरणों के दौरान, जहां कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकती है और कंपनी प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागतों को वसूलने की उम्मीद करती है, राजस्व को केवल उस समय तक की लागतों की सीमा तक मान्यता दी जाएगी जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप नहीं सकती है।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

कंपनी आम तौर पर अतिरिक्त कार्य से किसी भी राजस्व को तब तक मान्यता नहीं देती है जब तक कि ग्राहक द्वारा इसे मंजूरी नहीं दे दी जाती है। जब कार्य का दायरा स्वीकृत हो गया हो लेकिन राजस्व पर प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया हो, तो परिवर्तनीय विचार आवश्यकता (जैसा कि नीचे बताया गया है) लागू होगी। इसमें राजस्व को उस राशि में मान्यता देना शामिल है जिसे वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित निवल राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है। भुगतान शर्तें ग्राहकों के साथ संबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य पर आधारित है। निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य को प्राप्त करने पर ये भुगतान जारी किए जाते हैं।

बेस एवं डिपो स्पेयर्स की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहक से माल की प्राप्ति के प्रमाण पर किसी समय पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर की जाती है।

राजस्व मान्यता के विपरीत, ग्राहक को बिल की गई राशि अनुबंध के तहत प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित होती है और ग्राहक द्वारा प्रगति बिलिंग प्रमाणपत्र के रूप में संदर्भित अनुबंध दस्तावेज़ के माध्यम से इसकी पावती पर आधारित होती है। इसलिए, किसी दिए वर्ष केलिए राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त राशियां आवश्यक रूप से ग्राहक को बिल की गई या प्रमाणित की गई राशियों से मेल नहीं खातीं । ऐसे अनुबंधों केलिए जिनमें मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से अधिक है, अंतर को अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जबकि ऐसे अनुबंधों केलिए जिनमें मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से कम है,अंतर को अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत अनुबंध देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

स्टॉक वस्तुओं और स्क्रैप की बिक्री के संबंध में अन्य प्रचालन राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है, जब कंपनी निष्पादन दायित्वों को पूरा कर लेती है और ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को हस्तांतरित करके अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

प्रबंधन शुल्क भी एक निश्चित समयावधि में निर्धारित किया जाता है।

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुडे शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता को समय-समय पर किए गए खर्चों/ लागत के अनुपात में मान्यता दी जाती है और अन्य परिचालन राजस्व के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारी अनुदान दो पहले से किए गए व्यय या हानियों केलिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य केलिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे प्राप्य हो जाते हैं।

ग) अन्य आय

i) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

ii) बीमा दावे केलिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दाव

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों केलिए लिए बीमा पॉलसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

आय की अन्य मदों का लेखा तब किया जाता है जब ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.12 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

पोस्ट - रोजगार लाभ योजना

i) निर्धारित योगदान योजनाएं

पात्र कर्मचारियों केलिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में किया जाता है और देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। ऐसे लाभों को, निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए अंशदान के अलावा कोई अन्य दायित्व नहीं होता है।

कंपनी, कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी म्युचुअल पब्लिक वेल्फेयर ट्रस्ट और कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट में योगदान देती है, जिसे देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है । ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

ii) निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

कंपनी उपदान केलिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा

प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

कंपनी को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने केलिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

3.13 आय पर कर

क) आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है।

वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशःअन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोडकर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

कंपनी ने निर्धारित किया है कि अनिश्चित कर उपचारों सहित आयकर से संबंधित ब्याज और दंड,आयकर की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, और इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के तहत हिसाब में लिया गया है।

ख) चालू कर

वर्तमान कर की गणना वर्ष केलिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य होने की अपेक्षित कर राशि और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में किसी भी समायोजन के आधार पर की जाती है। वर्तमान देय या प्राप्य कर की राशि, भुगतान या प्राप्त होने की अपेक्षित कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान है जो आयकर से संबंधित अनिश्चितता को दर्शाता है, यदि कोई हो। इसे रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने केलिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

ग) आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर केलिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने केलिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने केलिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

3.14 परिचालन खंड

प्रचालन खंड किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

कंपनी ने व्यापार खंडों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य खंडों के रूप में पहचान की है। व्यापार खंड में: 1) पोत निर्माण और 2) पोत मरम्मत शामिल है।

खंड राजस्व, सेग्मेंट व्यय, खंड परिसंपत्तियां और खंडों देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर सेग्मेन्टों केलिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

3.15 हाल की अधिसूचनाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है।

दिनांक 09 मई 2025 को एमसीए भारतीय लेखा मानक 21 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव में संशोधनों को अधिसूचित करता है। इन संशोधनों का उद्देश्य मुद्रा विनिमय योग्यता का आकलन करने और मुद्राओं के आसानी से विनिमय योग्य न होने पर विनिमय दरों का अनुमान लगाने पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये संशोधन 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि केलिए प्रभावी हैं। कंपनी वर्तमान में अपने वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों के संभावित प्रभाव का आकलन कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार - स्तंभ दो मॉडल नियम तत्काल प्रभाव से लागू - संशोधनों में अतिरिक्त कर के लिए आस्थगित कर लेखांकन से अस्थायी अनिवार्य राहत प्रदान की गई है और यह खुलासा किया गया है कि कंपनी ने यह राहत लागू कर दी है। इस संशोधन का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित भारतीय लेखा मानक 1, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है – यह संशोधन देनदारियों को चालू या गैर-चालू तथा अनुबंधों सहित गैर-चालू देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित है। कंपनी ने देनदारियों को चालू या गैर-चालू तथा अनुबंधों सहित गैर-चालू देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित भारतीय लेखा मानक 1 के संशोधनों को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। कंपनी अनुबंधों के उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के प्रभाव का भी मूल्यांकन कर रही है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यह्रास				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2025 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2026 को	01 अप्रैल 2025 को	वर्ष केलिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54
इमारतें	21,778.74	628.27	-	22,407.01	5,279.30	616.86	-	5,896.16	16,510.85	16,499.44
संयंत्र और मशीनरी	50,123.14	3,105.26	1,120.14	52,108.26	15,730.38	1,830.26	995.24	16,565.39	35,542.87	34,392.76
फर्नीचर और जुडाव	1,979.93	255.83	44.41	2,191.35	1,134.15	147.06	40.43	1,240.78	950.57	845.78
गाडियां	906.72	60.28	3.57	963.43	512.59	66.35	3.38	575.56	387.87	394.13
कार्यालय उपस्कर	942.28	169.00	48.58	1,062.70	544.23	123.97	44.15	624.05	438.65	398.05
अन्य										
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3,572.99	389.48	120.53	3,841.94	2,195.05	454.37	108.36	2,541.06	1,300.88	1,377.94
गोदी और घाट	1,06,658.39	2,940.34	-	1,09,598.73	3,137.13	1,940.79	-	5,077.92	1,04,520.81	1,03,521.26
रेलवे साइडिंग	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	2,572.65	327.26	0.83	2,899.08	1,525.29	179.42	0.32	1,704.39	1,194.69	1,047.36
नाली और जलपूर्ति	649.33	-	-	649.33	3.72	10.98	-	14.70	634.63	645.61
यानें	95.42	-	-	95.42	16.24	5.65	-	21.89	73.53	79.18
उप कुल	**1,89,868.23**	**7,875.72**	**1,338.06**	**1,96,405.89**	**30,078.08**	**5,375.71**	**1,191.88**	**34,261.90**	**1,62,143.99**	**1,59,790.15**
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	2,768.51	149.56	-	2,918.07	1,059.69	145.12	-	1,204.81	1,713.26	1,708.82
संयंत्र और मशीनरी	82,213.45	7,315.29	-	89,528.74	2,496.70	2,994.03	-	5,490.73	84,038.01	79,716.75
गोदी और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	660.38	34.81	-	695.19	359.07	55.33	-	414.40	280.79	301.31
	85,651.96	**7,499.66**	**-**	**93,151.62**	**3,923.81**	**3,194.48**	**-**	**7,118.29**	**86,033.33**	**81,728.15**
कुल (क) + (ख)	**2,75,520.19**	**15,375.38**	**1,338.06**	**2,89,557.51**	**34,001.89**	**8,570.19**	**1,191.88**	**41,380.19**	**2,48,177.32**	**2,41,518.30**
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	41,526.26	7,444.60	-	48,970.86	8,554.48	1,534.18	-	10,088.66	38,882.20	32,971.78
उपयोग का अधिकार- इमारतें	186.59	154.74	-	341.33	158.90	38.31	-	197.21	144.12	27.69
उपयोग का अधिकारी - पोत मरम्मत सुविधा	7,000.00		-	7,000.00	2,214.67	120.11	-	2,334.78	4,665.22	4,785.33
उप कुल	**48,712.85**	**7,599.34**	**-**	**56,312.19**	**10,928.05**	**1,692.60**	**-**	**12,620.65**	**43,691.54**	**37,784.80**
कुल (क + ख + ग)	**3,24,233.04**	**22,974.72**	**1,338.06**	**3,45,869.70**	**44,929.94**	**10,262.79**	**1,191.88**	**54,000.84**	**2,91,868.86**	**2,79,303.10**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यह्रास				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष केलिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54			587.54	-			-	587.54	587.54
इमारतें	18,450.18	3,328.56	-	21,778.74	4,701.94	577.36	-	5,279.30	16,499.44	13,748.24
संयंत्र और मशीनरी	21,692.45	28,440.77	10.08	50,123.14	14,201.34	1,534.47	5.43	15,730.38	34,392.76	7,491.11
फर्नीचर और जुडाव	1,865.12	115.63	0.82	1,979.93	983.55	150.77	0.17	1,134.15	845.78	881.57
गाडियां	643.29	277.66	14.23	906.72	467.08	57.72	12.21	512.59	394.13	176.21
कार्यालय उपस्कर	675.19	267.78	0.69	942.28	433.17	111.47	0.41	544.23	398.05	242.02
अन्य					-					-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	2,919.04	814.20	160.25	3,572.99	1,970.55	374.88	150.38	2,195.05	1,377.94	948.49
गोदी और घाट	4,466.45	1,02,191.94	-	1,06,658.39	2,740.19	396.94	-	3,137.13	1,03,521.26	1,726.26
रेलवे साइडिंग	1.10			1.10	-			-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	2,280.77	291.88	-	2,572.65	1,362.38	162.91	-	1,525.29	1,047.36	918.39
नाली और जलपूर्ति	23.55	625.78	-	649.33	2.05	1.67	-	3.72	645.61	21.50
यानें	56.42	39.00	-	95.42	12.22	4.02	-	16.24	79.18	44.20
उप कुल	**53,661.10**	**1,36,393.20**	**186.07**	**1,89,868.23**	**26,874.47**	**3,372.21**	**168.60**	**30,078.08**	**1,59,790.15**	**26,786.63**
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	2,589.68	178.83	-	2,768.51	911.39	148.30	-	1,059.69	1,708.82	1,678.29
संयंत्र और मशीनरी	2,712.28	79,501.17	-	82,213.45	273.21	2,223.49	-	2,496.70	79,716.75	2,439.07
गोदी और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	579.83	80.55	-	660.38	308.17	50.90	-	359.07	301.31	271.66
उप कुल	**5,891.41**	**79,760.55**	**-**	**85,651.96**	**1,501.12**	**2,422.69**	**-**	**3,923.81**	**81,728.15**	**4,390.29**
कुल (क) + (ख)	**59,552.51**	**2,16,153.75**	**186.07**	**2,75,520.19**	**28,375.59**	**5,794.90**	**168.60**	**34,001.89**	**2,41,518.30**	**31,176.92**
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	41,352.45	173.81		41,526.26	7,089.97	1,464.51	-	8,554.48	32,971.78	34,262.48
उपयोग का अधिकार- इमारतें	175.48	11.11		186.59	136.78	22.12	-	158.90	27.69	38.70
उपयोग का अधिकारी - पोत मरम्मत सुविधा	7,000.00			7,000.00	2,004.33	210.34		2,214.67	4,785.33	4,995.67
उप कुल	**48,527.93**	**184.92**	**-**	**48,712.85**	**9,231.08**	**1,696.97**	**-**	**10,928.05**	**37,784.80**	**39,296.85**
कुल (क + ख + ग)	**1,08,080.44**	**2,16,338.67**	**186.07**	**3,24,233.04**	**37,606.67**	**7,491.87**	**168.60**	**44,929.94**	**2,79,303.10**	**70,473.77**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

क) भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने केलिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्टस को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।)

ख) भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्यह्रास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं केलिए इन्हें गिरी देने ती संभावना है।

ग) फ्रीहोल्ड भूमि में कंपनी की 197.12 एकड (487.00 सेंट) की कंपनी की भूमि संपत्तियां शामिल हैं जो सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड, सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड, सर्वे सं. 714/06 में 50.18, सर्वे सं.714/2 में 10.12 एकड, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड और 714/5 में 10.93 एकड में बना हुआ है। ये सभी एलमकुलम गांव, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिला, केरल में एक पडे हुए हैं, जिन्हें कर मुक्त बांड जारी करने केलिए प्रतिभूति के रूप में प्रदान किया गया है।

घ) कंपनी के परिसर और अन्य स्थानों पर बियरर प्लांट है जिनसे नाममात्र की आय होती है। ऐसे बियरर प्लांट की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है और इसलिए इन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था।

ङ) सभी अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखा जाता है।

च) निम्नलिखित संपत्तियों के मामले में जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टा समझौते निम्नलिखित अपवादों के साथ पट्टेदार के पक्ष में विधिवत् निष्पादित किए जाते हैं:

1. कंपनी ने 12 अप्रैल 2013 को (प्रथम चरण) कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से 8.12 हेक्टेयर भूमि (8.1164 हेक्टेयर के रूप पुनः मापी गई) और 15 हेक्टेयर जल निकाय पट्टे पर लिया है। सीएसएल ने 16 नवंबर 2017 को (द्वितीय चरण) को कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से 8.134 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र भी पट्टे पर लिया है। सीएसएल और सीओपीए के बीच दो पट्टा समझौते (अर्थात् भूमि/जल निकाय का प्रथम चरण आबंटन और भूमि का द्वितीय चरण आबंटन) किए गए थे और दोनों पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

2. कंपनी ने मुंबई पोर्ट प्राधिकरण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राधिकरण के साथ ह्यूजेस ड्राई डॉक पर पोत मरम्मत सुविधा को उन्नत करने, संचालित करने और प्रबंधित करने तथा मुंबई पोर्ट प्राधिकरण के इंदिरा डॉक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राधिकरण के नेताजी सुबाष डॉक के बर्थ सं. 6 पर निर्दिष्ट बर्थों केलिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

   एमबीपीए में परियोजना स्थल को 29 वर्षों केलिए लाइसेंस पर लिया गया है। लाइसेंस समझौते को अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को स्टांप शुल्क की छूट केलिए प्रस्तुत अनुरोध विचाराधीन है।

   श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राधिकरण पर परियोजना स्थल को 30 वर्षों केलिए लाइसेंस पर लिया गया है। चूंकि लाइसेंस समझौते पर पश्चिम बंगाल में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है, इसलिए एसएमपीए के साथ रियायत समझौता पंजीकृत नहीं किया गया है।

छ) भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना केलिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को भुगतान की गई अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है। पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाना था जिसे पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढाया गया था। चूंकि आईएसआरएफ केलिए सभी पर्यावरण मंजूरी दिनांक 09 जनवरी 2018 को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए 30 साल की पट्टे अवधि प्रभावी रूप से इसी तारीख से शुरू होती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ अनुबंध में एक परिशिष्ट निष्पादित किया, जिससे पट्टे की अवधि को 30 वर्षों के लिए यानी 08.01.2078 तक बढ़ा दिया गया। परिणामस्वरूप, भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग के अधिकार का पुनर्मूल्यांकन किया गया और 60 वर्षों की संशोधित अवधि में मूल्यह्रास किया गया। विस्तारित 60 वर्षों की अवधि में संशोधित भुगतानों को दर्शाने के लिए पट्टे की देनदारी का भी पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

ज) निम्नलिखित संपत्तियों के मामले में, जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टे के समझौते अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं:

(1) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर कोलकाता में स्टाफ क्वार्टर सीएसएल को आबंटित कर दिया गया है। पट्टा समझौते पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(2) बैकवाटर का तल - 1.914 हेक्टेयर की पुनः प्राप्त भूमि (भूमि/जल क्षेत्र) को सीओपीए द्वारा सीएसएल को आवंटित किया गया है।

(3) उपठेकेदारों के लिए पार्किंग स्थान (3.80 एकड़) श्री के. प्रदीप कुमार से पट्टे पर लिया गया है, जिसका वर्तमान पट्टा अनुबंध 14.12.2025 को समाप्त हो चुका है। संशोधित पट्टा समझौता अभी निष्पादित किया जाना बाकी है।

(4) इंदिरा डॉक पर अतिरिक्त बर्थ संख्या 9, एमबीपीए द्वारा सीएसएल को आवंटित की गई है (भूमि क्षेत्र: 1501.20 वर्ग मीटर और जल क्षेत्र: 3753 वर्ग मीटर), जिसके लिए पट्टा समझौता अभी निष्पादित किया जाना बाकी है। इस पट्टे की अवधि मौजूदा रियायत अवधि के साथ समाप्त होगी, जो 17.01.2048 को समाप्त हो रही है।

i) निम्नलिखित पट्टा आधारित संपत्तियों के मामले में पंजीकरण लंबित है:

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	के नाम पर आयोजित
नई दिल्ली में ट्रांजिट हाउस	2,200 वर्ग फुट	श्रीमती अनिता सिंघल
कोच्ची में मु.स.अ. का अतिथि गृह	3,721 वर्ग फुट	श्री श्रीकुमार नायर और सुनंदा पिल्लै विश्वनाथ
काक्कनाड में बंद स्टोरेज जगह	10,887 वर्ग फुट	केंद्रीय भंडारण निगम
	14,854 वर्ग फुट	
	9526 वर्ग फुट	
	9526 वर्ग फुट	

छ) 31 मार्च 2026 तक, कोई भी संयंत्र और उपकरण (पिछले वर्ष का वहन मूल्य 403.40 लाख रुपये) अस्थायी रूप से निष्क्रिय नहीं थे।

ज) 19375.00 लाख रुपए (पिछले साल 17918.81 लाख रुपए) की परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका है, लेकिन वे अभी भी उपयोग में है।

झ) अनुसंधान एवं विकास के कारण संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों में कोई वृद्धि नहीं हुई (पिछले वर्ष वेल्डिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित 2.83 लाख रुपये की वृद्धि हुई थी)।

ञ) चालू वर्ष की कटौतियों में 146.17 लाख रुपये (पिछले वर्ष 17.47 लाख रुपये) मूल्य की परिसंपत्तियों को स्क्रैप करना/सेवानिवृत्त करना शामिल है, जिनकी अनुमानित लागत 1338.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 186.07 लाख रुपये) है। इसमें 107.42 लाख रुपये के डब्ल्यूडीवी वाली पुरानी परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, जिन्हें प्रबंधन द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सेवानिवृत्त किया गया था। इस समिति का गठन आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति टैगिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के तहत अप्राप्य परिसंपत्तियों की जांच और सत्यापन करने के लिए किया गया था।

ट) वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा' और 'नया ड्राई डॉक' परियोजनाओं के लिए क्रमशः 18,060.36 लाख रुपये (पिछले वर्ष 79,344.26 लाख रुपये) और 4,462.18 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,31,938.92 लाख रुपये) की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रबंधन द्वारा तकनीकी अनुमानों के आधार पर निर्धारित उपयोगी जीवन और दोहरी शिफ्ट के आधार पर की गई है। तकनीकी अनुमानों के अनुसार अपनाए गए उपयोगी जीवन का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है;

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा **उपयोगी जीवन वर्षो में**

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन
क. शिप लिफ्ट घटक			
विंच, कंट्रोल टॉवर, शिन इनहॉल/मूरिंग, विशेष टूल किट	संयंत्र और मशीनरी	10	28
प्लेटफॉर्म स्टील वर्क	संयंत्र और मशीनरी	10	55
व्हील फेंडर	संयंत्र और मशीनरी	10	17
ख. पोत अंतरण घटक			
ट्रेस्टल, बोगी, स्पेयर पार्ट्स, विशेष टूल किट	संयंत्र और मशीनरी	10	28

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन
ग. अन्य संपत्तियां			
फ्लैट टॉप टावर क्रेन	संयंत्र और मशीनरी	10	40
पोत लिफ्ट और अंतरण से संबंधित सुविधा			
जेटी 1, जेटी 2, कनेक्शन जेटी, वर्कस्टेशन उत्तर, वर्कस्टेशन दक्षिण	संयंत्र और मशीनरी	10	28

नया ड्राई डॉक **उपयोगी जीवन वर्षों में**

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन
सूखी गोदी सिविल	संयंत्र और मशीनरी	10	60
पंप हाउस	इमारत	60	60
कैसन गेट	संयंत्र और मशीनरी	10	60
600 टी रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन	संयंत्र और मशीनरी	10	40

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
संयंत्र और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	54,800.32	37,288.51
जोड़ें: निर्माण के दौरान व्यय	1,830.93	1,924.08
पूंजी यार्ड मद	1,717.91	11,865.81
मार्गस्थ वस्तुएं	-	0.39
कुल	**58,349.16**	**51,078.79**

निर्माण के दौरान व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रारंभिक जमा	1,924.08	12,141.82
जोड : वर्ष के दौरान व्यय		
वेतन	-	205.27
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत मूल्यह्रास	-	169.49
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत वित्तीय लागत	-	544.61
पीपीई में स्थानांतरित	(93.15)	(11,137.11)
कुल	**1,830.93**	**1,924.08**

पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) में स्वायत्त सतह पोत (एएसवी) से संबंधित अनुसंधान और विकास पर किया गया पूंजीगत व्यय शामिल है, जो कि 757.75 लाख रुपये है (पिछले वर्ष - शून्य)।

कंपनी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास पहल के तहत एक पायलट अनुसंधान एवं विकास परियोजना - एएसवी - में लगी हुई है, जिसके लिए ₹2000 लाख की आंशिक निधि स्वीकृत की गई है (परियोजना क्रियान्वयनधीन है; जलयान निर्माणाधीन है)।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी ने इस परियोजना पर किए गए निवल खर्च (अनुदान घटाने के बाद) को 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में अनुसंधान एवं विकास व्यय के रूप में दर्ज किया था। उस समय, स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। एमओपीएसडब्लयू ने अब औपचारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्ति का स्वामित्व कंपनी के पास है।

एएसवी अभी भी निर्माणाधीन है और पूर्ण होने तक इसे 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी घटनाक्रमों पर नजर रखना जारी रखेगी और आवश्यकतानुसार आगामी अवधियों में इन परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और वर्गीकरण की समीक्षा करेगी।

दिनांक 31.03.2026 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि केलिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	38,199.64	17,236.23	1,691.83	1,221.46	58,349.16
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2025 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि केलिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	47,158.04	2,827.58	981.63	111.54	51,078.79
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2026 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
बड़े पोतों के लिए नया ड्राईडॉक	36,231.01	-	-	-
सीकेएसआरयू कैसॉन गेट	1,908.96	-	-	-
एमडीपी उन्नयन - सीकेएसआरयू	35.00	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली		138.59	-	-
सीकेएसआरयू में विद्युत प्रणाली	8.92	-	-	-
विभिन्न स्थानों पर 500 किलोवाट-मीटर क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र।	144.76	-	-	-
10टी एलएलटीटी क्रेन	9.46	-	-	-
एसबीओसी व एमसीएस में सीसीटीवी कार्य	1.70	-	-	-

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2025 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
बड़े पोतों के लिए नया ड्राईडॉक	28,150.79	-	-	-
आईएसआरएफ	17,772.57	-	-	-
सीकेएसआरयू कैसॉन गेट	1,908.96	-	-	-
सीएमएसआरयू टवर क्रैन	563.77	-	-	-
एलुमिनियम रूफिंग हल शॉप	-	393.22	-	-
सीएनसी प्लाज्मा सह ऑक्सी ईंधन प्लेट काटने की मशीन	315.48	-	-	-
सीकेएसआरयू में टवर क्रैन	264.58	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	204.68	-	-	-
व्यापार विकास केलिए सम्मेलन हॉल का नवीनीकरण	117.75	-	-	-
फायर मेन सिस्टम	107.59	-	-	-
ईडब्ल्यूएसबी सॉकेट आउटलेट के साथ 4 एचसी बीबीटी एचसी बे	102.01	-	-	-
एसएसडी में ब्लॉक निर्माण केलिए स्किड का निर्माण	71.27	-	-	-
जनरल स्टोर के पास 300 केडब्ल्यूपी सोलार पावर प्लांट	68.66	-	-	-
एचसी बे ऑफ हल में 5/एचसी बीबीटी का प्रतिस्थापन	46.01	-	-	-
लोड सेल 150 टन क्रेन	38.02	-	-	-
ईओटी क्रेन केलिए डीएसएल सिस्टम	36.20	-	-	-
इंजन शॉप और मशीन शॉप में स्विच बोर्ड	25.56	-	-	-
बीडी पंप पिट में ग्रेटिंग की फिक्सिंग	20.47	-	-	-
50 टन क्रेन केलिए डीएसएल सिस्टम	20.11	-	-	-
गेट्स, विजिटर्स सेंटर, गोल्डन प्लाज़ा का रीमॉडलिंग	6.90	-	-	-
सीएमएसआरयू में एचडीडी बिल्डिंग में मेजेनाइन फ्लोर	2.50	-	-	-
गतिशील शेड का डिज़ाइन	2.31	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2025 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2026 को	01 अप्रैल 2025को	वर्ष केलिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67			27.67	27.67			27.67	-	-
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	4,964.56	350.56		5,315.12	3,886.65	820.43		4,707.08	608.04	1,077.91
कुल	**4,992.23**	**350.56**	**-**	**5,342.79**	**3,914.32**	**820.43**	**-**	**4,734.75**	**608.04**	**1,077.91**

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष केलिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	4,579.26	385.30	-	4,964.56	2,844.66	1,041.99	-	3,886.65	1,077.91	1,734.60
कुल	**4,606.93**	**385.30**	**-**	**4,992.23**	**2,872.33**	**1,041.99**	**-**	**3,914.32**	**1,077.91**	**1,734.60**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 7 : विकासाधीन अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
विकासाधीन अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	68.06	68.06
कुल	68.06	68.06

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां दिनांक 31.03.2026 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	अवधि केलिए आईएयूडी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं – प्रगति पर	-	7.43	-	60.63
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां दिनांक 31.03.2025 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	अवधि केलिए आईएयूडी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं – प्रगति पर	7.43	-	32.18	28.45
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2026 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
आधार - सीएएनएसआरयू	68.06			

दिनांक 31.03.2025 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्तियां	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
आधार - सीएएनएसआरयू	68.06			

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 8 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रति इकाई अंकित मूल्य	मार्च 31,2026 तक इकाईयों की संख्या	मार्च 31,2025 तक इकाईयों की संख्या	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
अनकोट्ड (पूर्णतया प्रदत्त)					
इक्विटी साधन में निवेश					
क) लागत पर					
सहायक कंपनी में इक्विटी शेयर					
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	10	14,00,00,000	14,00,00,000	13,935.34	13,935.34
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)	10	10,80,00,000	10,80,00,000	10,800.00	10,800.00
ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर					
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्त समिति लिमिटेड में निवेश के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर	100	2,175	2,175	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश	10	70,000	70,000	20.31	17.08
कोचीन वेस्ट टु एनर्जी प्राइवेट लि.	10	1,00,000	1,00,000	0.00	0.00
ऋण साधनों में निवेश					
क) परिशोधित लागत पर					
मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली- सीएसएल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय प्रतिदान लेकिन आबंटन की तारीख से 10 साल बाद नहीं।)	10	5,60,00,000	5,60,00,000	7,229.00	6,880.46
मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली- सीएसएल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के 6.15% गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) (आबंटन की तारीख से 5 साल बाद रिडीम करने के विकल्प के साथ डिबेंचर की अवधि 120 महीने हैं।)	1000	3,10,000	3,10,000	3,198.72	3,198.72
मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की एक सहायक कंपनी 6% गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर (84 महीनों के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय।)	1000	1,00,000	1,00,000	1,018.64	1,018.64
मेसर्स ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के 7.72% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) (10 वर्षों के अंत में सममूल्य पर भुनाए जाने योग्य)	100000	11,148	-	11,277.68	-
कुल				**47,481.87**	**35,852.42**
उद्धृत निवेश का कुल मूल्य और उसका बाज़ार मूल्य				-	-
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य				47,481.87	35,852.42
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि				10.00	10.00

क) निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है। इसी प्रकार, केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में वृद्धि देखी गई है और तदनुसार निवेश का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है।

ख) कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड में कंपनी का निवेश गैर-भागीदारी शेयर है और आमतौर पर इसमें कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता है। इसलिए कंपनी ने इस निवेश को उचित मूल्य मानते हुए अपने लेनदेन मूल्य पर किया है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग) कंपनी ने 2017 से 2024 की अवधि के दौरान हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली- सीएसएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में 13,935.34 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसमें 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 14,00,00,000 शेयर शामिल थे। इनमें से 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 11,80,00,000 शेयर राइट्स शेयर के माध्यम से हासिल किए गए थे।

घ) कंपनी ने एनसीएलटी के एक आदेश द्वारा टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे अब उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नाम दिया गया है, का अधिग्रहण 6500.00 लाख रुपए का निवेश करके किया था, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 शेयर शामिल थे। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान 10 रुपए प्रति शेयकर के 2,50,0,000 शेयरों के साथ 25,00,00,000 रुपए का और निवेश किया है, और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10 रुपए प्रति शेयर के 1,80,00,000 शेयरों के साथ 18,00,00,000 रुपए का निवेश किया है, दोनों ही निवेश यूसीएसएल में राइट्स के आधार पर किए गए हैं।

ङ) अधिकार के आधार पर जारी किए गए इक्विटी शेयर सभी मामलों में कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर रैंक के होंगे। उपरोक्त निवेश को भारतीय लेखा मानक 27-अलग वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर दर्ज किया गया है।

च) फरवरी 2026 में, कंपनी ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के 11,148 सुरक्षित, गैर-रेटेड, गैर-सूचीबद्ध, भुनाए जाने योग्य, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में निवेश किया, जिनका अंकित मूल्य प्रत्येक डिबेंचर 1,00,000 रुपये था, कुल मिलाकर 11,148.00 लाख रुपये का निवेश हुआ। एनसीडी का आवंटन निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया था। एनसीडी पर 7.72% प्रति वर्ष की कूपन दर है और आवंटन की तिथि से 10 वर्षों के अंत में इन्हें सममूल्य पर भुनाया जा सकता है, जिसमें डीसीआईएल के पास 5 वर्षों के अंत में एनसीडी को पहले भुनाने का विकल्प भी उपलब्ध है। एनसीडी की सदस्यता डीसीआईएल और सीएसएल के बीच हुए पोत निर्माण अनुबंध के तहत 12,000 घन मीटर ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर 'डीआर-गोदावरी' के वित्तपोषण के लिए डीसीआई को सक्षम बनाने के समझौते का हिस्सा थी।

ये डिबेंचर पूर्व-वितरण अवधि के दौरान उक्त अनुबंध से उत्पन्न सभी संविदात्मक अधिकारों और लाभों पर समतुल्य बंधक और प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं। ड्रेजर के निर्माण और वितरण के पूरा होने पर, सुरक्षा उस वितरित ड्रेजर पर होगी।

नोट 9: ऋण- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण		
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड*		-
(ख) अन्य ऋण		
कर्मचारियों को ऋण		
संबंधित पार्टियों	3.71	-
अन्य	621.27	551.52
कुल	**1124.98**	**551.52**

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

* कंपनी ने 06.10.2025 को उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 500 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण दिया, जिस पर 5 साल की अवधि के लिए 6.25% प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू है।

नोट 10: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रतिभूति जमा	144.45	122.81
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति		37.92
कुल	**183.15**	**160.73**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 11: आयकर परिसंपत्तियां/(देयता) (निवल)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	2,946.83	2,946.83
चालू कर परिसंपत्तियां / (देयता)		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	10,230.22	(2,647.80)

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष केलिए
चालू कर:		
चालू आयकर प्रभार	8,851.00	29,550.79
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(1,948.53)	875.11
कुल (क)	**6,902.47**	**30,425.90**
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	17,433.00	(1,332.00)
कुल (ख)	**17,433.00**	**(1,332.00)**
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क + ख)	**24,335.47**	**29,093.90**

(₹ लाखों में)

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष केलिए
स्थगित कर:		
आय और व्यय पर उत्पन्न कर अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	-	-
नकदी प्रवाह हेजिंग पर लाभ/हानि का प्रभावी हिस्सा	(3,429.93)	-
परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन	(81.49)	-
कुल	**(3,511.42)**	**-**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर	**(3,511.42)**	**-**

चालू वर्ष केलिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिल मिलाप किया जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष केलिए
कर पूर्व लाभ	88,639.81	1,13,384.54
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	22,308.87	28,536.62
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	3,519.32	7,932.16
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(13,738.96)	(7,343.52)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	450.25	393.76
अन्य	(3,688.48)	31.77
	8,851.00	**29,550.79**
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(1,948.53)	875.11
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन केलिए समायोजन	17,433.00	(1,332.00)
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	**24,335.47**	**29,093.90**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 12: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
आस्थगित कर दायित्व	(14,430.31)	(6,952.68)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	7,804.67	14,248.62
कुल	**(6,625.64)**	**7,295.94**

वर्ष 2025-26 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	11,767.57	(5,151.57)	-	-	6,616.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(6,924.46)	(7,253.32)	-	-	(14,177.78)
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(29.95)	106.27	-	-	76.32
पट्टा परिसंपत्तियां	2,814.84	832.27	-	-	3,647.11
पट्टा देयताएं	(733.62)	(137.96)	-	-	(871.58)
अन्य	401.56	(5,828.69)	-	3,511.42	(1,915.71)
कुल	**7,295.94**	**(17,433.00)**	**-**	**3,511.42**	**(6,625.64)**

वर्ष 2024-25 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	6,187.27	5,580.30	-	-	11,767.57
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,551.39)	(5,373.07)	-	-	(6,924.46)
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(258.36)	228.41	-	-	(29.95)
पट्टा परिसंपत्तियां	2,287.08	527.76	-	-	2,814.84
पट्टा देयताएं	(670.46)	(63.16)	-	-	(733.62)
अन्य	(30.20)	431.76	-	-	401.56
कुल	**5,963.94**	**1,332.00**	**-**	**-**	**7,295.94**

नोट 13: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूंजी अग्रिम *	907.90	1,004.51
पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम		
प्रतिभूति जमा	269.04	230.20
कुल* **		**1,234.71**

* इसमें सहायक कंपनियों को दिए गए 484.00 लाख रुपए का अग्रिम शामिल है। (पिछले वर्ष- 484.00 लाख रुपए)

कंपनी ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को सामग्री, उपकरण, मशीनरी, सेवाओं आदि की खरीद के लिए 132.03 लाख रुपये की पूंजीगत अग्रिम राशि दी है, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की गई समान राशि की बैंक गारंटी द्वारा पूरी तरह से कवर की गई है और ये गारंटी लागू करने योग्य हैं।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 14 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
कच्चे माल और घटक	1,94,624.52	1,53,773.13
कार्य प्रगति पर		
मार्गस्थ माल	17,190.98	19,384.59
	2,11,815.50	**1,73,233.98**
भंडार व पूर्जे	1,209.78	1,255.36
मार्गस्थ माल	-	630.36
	1,209.78	**1,885.72**
ढीले उपकरण	1,208.35	976.72
कुल *	**2,14,233.63**	**1,76,096.42**

स्टोर और स्पेयर्स सामान्य प्रकृति के स्पेयर्स को दर्शाते हैं और किसी विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

* दिनांक 31 मार्च 2026 तक निरीक्षण केलिए लंबित सामग्री को शामिल करते हुए, यह राशि 11429.13 लाख रुपए (पिछले वर्ष 14426.93 लाख रुपए) है।

दिनांक 31.03.2026 को मेसर्स बीईएल के परिसर में रखे गए माल का मूल्य 7695.04 लाख रुपये है (पिछले वर्ष यह मूल्य शून्य था)। कंपनी ने इन मालों का कानूनी स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और इनका बीमा एवं सुरक्षा संरक्षा संरक्षिका द्वारा बनाए रखा गया है। सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इन मालों को कच्चे माल और घटकों की श्रेणी में रखा गया है।

मालसूची में 1208.35 लाख रुपये (पिछले वर्ष 976.72 लाख रुपये) के ढीले उपकरण शामिल हैं, जिन्हें कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुपालन में पुनर्वर्गीकृत किया है।

नोट 15 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत		
वसूलीयोग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	41,166.30	22,527.71
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	512.23	2,546.47
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि केलिए भत्ता	(512.23)	(2,546.47)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि केलिए भत्ता	-	-
कुल *	**41,166.30**	**22,527.71**

* इसमें सहायक कंपनियों से प्राप्त होनेवाले व्यापार शामिल हैं, जो वित्त वर्ष 2025-26 केलिए 101.64 लाख रूपए और वित्त वर्ष 2024-25 केलिए 114.78 लाख रुपए है।

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

दिनांक 31.03.2026 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	बिल रहित व्यापार प्राप्य	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया कुल					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	32,170.45	8,679.35	33.90	282.58	0.02	41,166.30
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	1.31	38.76	213.64	253.71

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	बिल रहित व्यापार प्राप्य	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया कुल					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य -विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	258.52	258.52
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-
	-	32,170.45	8,679.35	35.21	321.34	472.18	41,678.53
घटाव : दिनांक 31.03.2026 को ईसीएल प्रावधान							512.23
दिनांक 31.03.2026 को व्यापार प्राप्य							41,166.30

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	बिल रहित व्यापार प्राप्य	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया कुल					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य -विचारयोग्य	-	18,730.00	1,725.78	1,889.17	182.73	0.02	22,527.70
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	71.71	31.11	2,309.11	2,411.93
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	134.55	134.55
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-
	-	18,730.00	1,725.78	1,960.88	213.84	2,443.68	25,074.18
घटाव : दिनांक 31.03.2025 को ईसीएल प्रावधान							2,546.47
दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य							22,527.71

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रारंभिक शेष	2,546.47	12,125.92
जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन	293.63	631.61
घटाइए: वर्ष के दौरान उत्क्रमण/निकासी	2,327.87	10,211.06
जमा शेष	512.23	2,546.47

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 16 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
हाथ में रोकड	-	-
बैंक शेष		
चालू खाते में	678.55	1,483.37
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा		29,600.00
कुल	**678.55**	**31,083.37**

नोट 17 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
ग्रहणाधिकार जमा अवधि *	2,037.27	2,030.72
भारतीय नौसेना की ओर से रखी गई शेष राशि **	2,21,099.66	2,68,583.42
यूटीएलए की ओर से रखी गई शेष राशि ***	47.01	77.04
अं. व नि. की ओर से रखी गई शेष राशि ***	3,755.58	155.24
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	84.87	191.87
कुल	**2,27,024.39**	**2,71,038.29**

* ग्रहणाधिकार चिन्हित सावधि जमा उन जमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं केलिए नकद मार्जिन बनाए रखने केलिए भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिन्हित किया जाता है और ₹ 120.69 लाख (पिछले वर्ष ₹ 113.57 लाख) का ग्रहणाधिकार केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में अंकित किया गया।

** स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण और अगली पीढी के मिसाइल जहाजों के निर्माण केलिए भारतीय नौसेना द्वारा जमा की गई धनराशि एक अलग खाते में रखी जाती है। इसमें संबंधित खातों से बनाए गए ₹ 2,20,582.94 लाख के स्वीप-इन टर्म-डिपॉजिट शामिल हैं।

*** यूटीएलए और अंडमान व निकोबार खाते द्वारा जमा की गई निधि में क्रमशः ₹ 20 लाख और ₹ 3738.37 लाख के स्वीप-इन टर्म-डिपॉज़िट शामिल हैं।

नोट 18 : ऋण- चालू

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण		
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड *	-	513.22
(ख) अन्य ऋण		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों	1.27	0.18
अन्य	162.72	130.93
कुल	**163.99**	**644.33**

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

* कंपनी ने 18.09.2020 को अपनी सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को परिचालन चरण के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए 500 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण दिया, जिस पर 5.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 5 वर्ष की अवधि थी। इसका भुगतान 17.09.2025 को किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
बैंक जमे पर अर्जित ब्याज	4,165.41	6,415.82
कर्मचारी अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
संबंधित पार्टियां	1.76	-
अन्य	198.84	157.42
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	1,605.57	13,750.15
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	6.49	2,505.90
कुल	**5,978.07**	**22,829.29**

वर्ष के दौरान कंपनी ने वितरित जलयानों के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता को 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू' के तहत पुनर्गठित किया है, जिसे पहले 'व्यापार प्राप्य - चालू' के तहत समूहीकृत किया गया था, जिसकी राशि 1605.57 लाख रुपये (पिछले वर्ष 418.26 लाख रुपये) है, ताकि इसे अधिक उपयुक्त तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।

नोट 20 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम *	5,286.17	3,526.92
अन्य अग्रिम	1,98,071.27	1,73,966.02
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	0.07	0.07
	2,03,357.51	**1,77,493.01**
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों केलिए प्रावधान	0.07	0.07
	2,03,357.44	**1,77,492.94**
अन्य		
अन्य कार्यों केलिए अनुबंध परिसंपत्तियां	1,25,768.02	89,630.82
अप्रयुक्त स्टॉक	1,541.49	316.79
कम: अप्रचलन केलिए प्रावधान **	(1,541.49)	(316.79)
राजस्व अधिकारियों के साथ संतुलन	1,946.02	1,768.40
विविध जमाराशियां	34.42	39.07
पूर्वदत्त व्यय	1,323.33	1,515.38
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	1,39,099.91	1,25,337.85
चिकित्सा बीमा प्रीमियम	2,907.72	2,635.97
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	27,651.56	214.14
विविध चालू परिसंपत्तियां ***	1,966.52	2,125.24
कुल	**5,04,054.94**	**4,00,759.81**

* इसमें सहायक कंपनियों से दिए गए अग्रिम / प्राप्तियां शामिल हैं, वित्त वर्ष 2025-26 केलिए 5286.17 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2024-25 केलिए 3526.92 लाख रुपए।

कंपनी ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को सामग्री, उपकरण, मशीनरी, सेवाओं आदि की खरीद के लिए 181461.59 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया है, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी समान राशि की बैंक गारंटी द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है और ये गारंटी लागू करने योग्य हैं।

** कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर मालसूची की आवाजाही का आकलन करती है। चूंकि मालसूची अनबंध/परियोजना विशिष्ट होती है और विभिन्न ग्राहकों के साथ प्रत्येक अनुबंध/परियोजना अलग-अलग होती है और उसकी विशेषताएं भी भिन्न होती हैं, इसलिए वस्तएं आमतौर पर विनिमेय नहीं होंती हैं और प्रकृति में अद्वितीय होती हैं, अतः उनका निवल वसूली योग्य मूल्य निकालना व्यावहारिक नहीं है। एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, कंपनी धीमी गति से बिकने वाली और अप्रचलित मालसूची के लिए प्रावधान निर्धारित करने के लिए आयु के आधार पर एक श्रेणीबद्ध प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है, जिसे बाद में लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

*** निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है, सिवाय उस सीमा के जब कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) के साथ कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार भविष्य के वर्षों में समायोजन केलिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक किसी भी राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है और ऐसी अतिरिक्त राशि को विविध चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्माणाधीन जलयानों के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता को 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत पुनर्गठित किया है, जिसे पहले 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर-चालू' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिसकी राशि 27651.56 लाख रुपये है (पिछले वर्ष यह 214.14 लाख रुपये थी) ताकि बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

नोट 21 : बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ	1469.50	0.00
कुल	**1,469.50**	**-**

कंपनी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की अनुसंधान एवं विकास पहल के तहत एक पायलट अनुसंधान एवं विकास परियोजना - समुद्री अनुप्रयोग के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी - में लगी हुई है, जिसके लिए ₹1312.50 लाख की आंशिक निधि स्वीकृत की गई है (परियोजना पूरी तरह से निष्पादित हो चुकी है और पोत का निर्माण पूरा हो चुका है)।

कंपनी ने इस परियोजना पर किए गए निवल खर्च (अनुदान घटाने के बाद) को 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि विवरण में अनुसंधान एवं विकास व्यय के रूप में दर्ज किया था। उस समय परियोजना विकास के चरण में थी और स्वामित्व की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं थी। एमओपीएसडब्ल्यू ने अब औपचारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्ति का स्वामित्व कंपनी के पास है।

हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को आईडब्ल्यूएआई (जो एमओपीएसडब्ल्यू के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है) के साथ बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणित किया जा रहा है, और कंपनी ने पोत का स्वामित्व उन्हें हस्तांतरित कर दिया है। एमओपीएसडब्ल्यू के मार्गदर्शन में आईडब्ल्यूएआई के साथ प्रतिफल और अनुबंध पर चर्चा चल रही है। इन चर्चाओं के अंतिम रूप दिए जाने तक, इस संपत्ति को 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी घटनाक्रम पर नजर रखना जारी रखेगी और आवश्यकतानुसार आगामी अवधियों में इन संपत्तियों के मूल्यांकन और वर्गीकरण की समीक्षा करेगी।

नोट 22 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	मार्च 31, 2026 को		मार्च 31, 2025 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य ₹ 5/-	500000000	25,000.00	500000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
प्रदत्त प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य ₹ 5/-	263080780	13,154.04	263080780	13,154.04
कुल	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

22.1 शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समन्वय

ब्योरा	मार्च 31,2026 को		मार्च 31, 2025 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**
जोड: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर (नीचे नोट देखे))	-	-	-	-
जोड: वर्ष के दौरान विभाजन पर जारी किए गए 5/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (नीचे नोट देखे)	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 5 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट केलिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश केलिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण

मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने केलिए योग्य हैं।

उप विभाग एवं अन्य जानकारी :

दिनांक 10 जनवरी 2024 को कंपनी ने 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्यवाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्यवाले दो इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित किया।

अक्तूबर 2024 में, भारत सरकार ने लागू सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री केलिए प्रस्ताव के माध्यम से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में रखे गए अपने 19,16,86,928 (72.86%) इक्विटी शेयरों में से 1,30,15,689 (4.95%) इक्विटी शेयर बेचे। नतीजतन, दिनांक 31 मार्च 2026 तक कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 17,86,71,239 (67.91%) इक्विटी शेयर है।

22.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारको का विवरण

ब्योरा	मार्च 31, 2026 को		मार्च 31, 2025 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	178671239	67.91	178671239	67.91

22.3 वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
भारत के राष्ट्रपति	178671239	67.91	शून्य

नोट 23 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
पूंजी आरक्षण	263.56	263.56
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,151.87	93,151.89
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	-	-
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व	(11,066.41)	(868.90)
प्रतिधारित कमाई	4,75,103.27	4,36,688.10
कुल	**5,76,128.80**	**5,47,911.16**

अन्य इक्विटी में प्रत्येक मद की गतिविधि का विवरण इक्विटी में परिवर्तन में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी निधि में कंपनी की जमीन के माध्यम से नल तंत्र लगाने केलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ₹ 263.56 लाख रुपए बहाली शुल्क शामिल है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व : ₹ 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में ₹ 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹ 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

प्रतिभूति प्रीमियम: सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया था और प्रीमियम (₹93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

सामान्य आरक्षित निधि: सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने केलिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और किसी भी सामान्य उद्देश्य केलिए उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य रिज़र्व में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व : नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेड्रिंजग उप करणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 47 देखें।)

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5 रुपए अंकित मूल्य के 4.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर और 5/-रुपए के अंकित मूल्य के 3.5 /- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 12 नवंबर 2025 और जनवरी 28,2026 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक मई 15, 2026 को आयोजित बोर्ड की बैठक में 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष केलिए ₹5 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर केलिए ₹ 1.50 /- का लाभांश सिफारिश की है। यह वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन/ नियमन के अधीन है।

नोट 24 : उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
बांड- (प्रतिभूति)		
परिशोधित लागत पर		
कर मुक्त रिडीमेबल गैर-परिवर्तनीय बांड - श्रृंखला 2013-14	2,302.20	2,302.20
कुल	**2,302.20**	**2,302.20**

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन केलिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड से 197.12 एकड (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पडे है।

उपयोगिता : प्राप्त 2300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरियिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 25 : पट्टा देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	52,386.32	44,755.75
कुल	**52,386.32**	**44,755.75**

नोट 26 : प्रावधान- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 39 का संदर्भ लें)	4,938.65	5,034.20
उपदान का प्रावधान	355.99	195.58
कुल	**5,294.64**	**5,229.78**

नोट 27 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	940.12	5.72
कुल	**940.12**	**5.72**

नोट 28 : उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अल्पकालीन ऋण	99,246.59	-
कुल	**99,246.59**	**0.00**

कंपनी के पास विभिन्न बैंकों से 20 लाख रुपये की स्वीकृत अल्पकालिक उधार सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2026 तक 99,246.59 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। ये ऋण भारतीय रुपये में 73,174.99 लाख रुपये के असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) और पैकिंग क्रेडिट में विदेशी मुद्रा (पीसीएफसी) 23.92 मिलियन यूरो (26,071.60 लाख रुपये) का हैं। कंपनी कार्यशील पूंजी निधि का उधार ओवरनाइट ट्रेजरी बिल, आरबीआई रेपो और छह महीने के यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट के आधार पर लेती है।

नोट 29: पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन पट्टा देयताएं	3,527.25	3,025.42
कुल	**3,527.25**	**3,025.42**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 30 : व्यापार देय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	10,520.16	9,006.09
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	79,939.28	20,291.28
कुल	**90,459.44**	**29,297.37**

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	10,520.16	9,006.09
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ;सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि, जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

दिनांक 31.03.2026 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	10,520.16					10,520.16
(ii) अन्य	74,805.39	5,133.89				79,939.28
(iii)विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई		-	-	-	-	-
(iv)विवादग्रस्त बकाया- अन्य		-	-	-	-	-
कुल	**85,325.55**	**5,133.89**	**-**	**-**	**-**	**90,459.44**

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	9,006.09					9,006.09
(ii) अन्य	17,582.16	2,709.12				20,291.28
(iii)विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई			-	-	-	-
(iv)विवादग्रस्त बकाया- अन्य		-	-	-	-	-
कुल	**26,588.25**	**2,709.12**	**-**	**-**	**-**	**29,297.37**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 31 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
ब्याज अर्जित हो चुका है लेकिन अभी देय नहीं है	8.04	-
अवैतनिक लाभांश	84.87	191.87
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	8,738.00	3,667.47
अन्य		
प्रतिभूति और अन्य जमा	1,768.39	3,139.38
पट्टादाता को देय लाभ का हिस्सा	1,250.10	834.50
अन्य देय	16,789.14	20,644.01
कुल	**28,638.54**	**28,477.23**

अन्य देयताओं में पूंजीगत व्यय व्यापार देयताएं शामिल हैं जो 5008.83 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8995.98 लाख रुपये) हैं, जिनमें से 124.86 लाख रुपये (पिछले वर्ष 497.83 लाख रुपये) एमएसएमई विक्रेताओं को देय हैं, जो 31.03.2026 तक देय नहीं हैं।

नोट 32 : अन्य वर्तमान देनदारियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
स्वदेशी वायुयान वाहक कार्यों केलिए अनुबंध देयता (निवल)*	27,112.61	32,746.10
आईएसी व्यापार देयताएं **	4,102.66	8,184.24
अन्य कार्यों केलिए अनुबंध देयता	4,04,704.53	4,53,959.75
पोत निर्माण,पोत मरम्मत और अन्य ठेको केलिए अग्रिम	24,357.79	21,379.72
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	31.87	3,451.97
सांविधिक देय	6,851.47	2,890.58
स्थगित एसडी देयता		
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के बदले सरकारी सहायता से उत्पन्न आस्थगित आय	1,312.39	-
कुल	**4,68,510.53**	**5,22,613.50**

* कंपनी ने भारतीय नौसेना से प्राप्त धनराशि से स्वदेशी विमानवाहक पोत (आईएसी) के निर्माण हेतु अवसंरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए 31 मार्च 2026 तक 40,802.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 40,690.02 लाख रुपये) का व्यय किया है। इन निधियों से निर्मित परिसंपत्तियों का स्वामित्व भारतीय नौसेना के पास है।

उपरोक्त व्यय में से, कंपनी ने 17,856 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 17,856 लाख रुपये) की परिसंपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें कंपनी द्वारा अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भारतीय नौसेना को एक औपचारिक प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। भारतीय नौसेना के साथ स्वामित्व हस्तांतरण और अधिग्रहण मूल्य के अंतिम निर्धारण तक, इन परिसंपत्तियों को कंपनी के लेखा-पुस्तकों में पूंजीकृत नहीं किया गया है।

कंपनी इन परिसंपत्तियों का उपयोग विभिन्न पोत निर्माण कार्यों के लिए करती रहती है, जिसमें आईएसी के अलावा भारतीय नौसेना की अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना के साथ अधिग्रहण मूल्य को अंतिम रूप देने और आपसी सहमति होने पर, उक्त संपत्तियों को कंपनी के बही-खातों में पूंजीकृत किया जाएगा।

भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के पास रखे गए आईएसी अनुबंध के लागत प्लस भाग के तहत खरीदे गए कच्चे माल और खरीदे गए घटकों का स्टॉक ₹ 3148.87 लाख (पिछले वर्ष ₹4746.37 लाख) है, जिसे स्वदेशी वायुयान वाहक केलिए भारतीय नौसेना से प्राप्त अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने आईएसी पी-71 के निर्माण के अनुबंध के अनुसार स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी पी-71) को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कंपनी ने अनुबंध के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने पर 1915000 लाख रुपए का चालान जारी किया है। निर्माण अनुबंध के अनुसार कार्य का शेष दायरा बाद में पूरा किया जाएगा।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी ने आईएसी परियोजना पी-71 के विरुद्ध दिनांक 31.03.2026 तक 1913767.77 लाख रुपए की सीमा तक राजस्व मान्यता प्राप्त की है और शेष राजस्व आईएसी पी-71 के निर्माण अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को प्राप्त करने पर मान्यता प्राप्त होगी। परियोजना पर अब तक मान्यता प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26 लाख रुपए में	वित्त वर्ष 2024-25 लाख रुपए में
वर्ष की शुरुआत में मान्यता प्राप्त राजस्व	18,99,557.25	18,61,114.01
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	14,210.52	38,443.24
वर्ष के अंत में आईएसी पी-71 पर मान्यता प्राप्त कुल राजस्व	**19,13,767.77**	**18,99,557.25**

भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर नोट संख्या 45 देखें

** आईएसी व्यापार देय राशि में एमएसएमई विक्रेताओं को देय 378.05 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 1351.93 लाख रुपए) शामिल हैं, जो दिनांक 31 मार्च 2026 तक देय नहीं है।

नोट 33 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
कर्मचारी के लाभ केलिए प्रावधान		
उपदान	644.20	808.12
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 39)	422.14	446.66
	1,066.34	**1,254.78**
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों केलिए	2,618.59	2,682.22
पोत निर्माण घटाने केलिए	4,744.00	16,692.00
व्यय/ आकस्मिकों केलिए *	53,164.44	84,500.26
	60,527.03	**1,03,874.48**
कुल	**61,593.37**	**1,05,129.26**

* इसमें सहायक कंपनियों केलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 केलिए 5507.78 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 केलिए 4070.31 लाख रुपए का व्यय का प्रावधान शामिल है।

कंपनी ने वितरित किए गए जलयानों के संबंध में संविदात्मक वारंटी का प्रावधान किया है, जो आम तौर पर डिलीवरी की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए मान्य होती है। इन वारंटियों के तहत, कंपनी डिजाइन, सामग्री, कारीगरी और अन्य निर्दिष्ट कमियों से उत्पन्न दोषों को ठीक करने का वचन देती है। वारंटी दायित्वों से संबंधित व्यय जहाजों की डिलीवरी की तारीख से वारंटी अवधि के दौरान होने की उम्मीद है। कंपनी आम तौर पर नए निर्मित जहाजों पर वारंटी दायित्वों से जुड़े जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी लेती है। प्रबंधन का मानना है कि बीमा कवरेज वारंटी दावों के वित्तीय प्रभाव को काफी हद तक कम कर देगा।

33.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31 मार्च 2026 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान - उपदान	808.12	644.22	728.28	79.86	644.20
क्षतिपूरण अवधि	446.66	-	-	24.52	422.14
कर और शुल्कों केलिए प्रावधान	2,682.22	2.84	66.47	-	2,618.59
पोत निर्माण हानि केलिए प्रावधान	16,692.00	615.00	1,840.00	10,723.00	4,744.00
व्यय/आकस्मिकों केलिए प्रावधान	84,500.26	2,73,474.76	2,97,989.92	6,820.66	53,164.44

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2024 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2025 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान - उपदान	459.83	808.11	399.76	60.06	808.12
क्षतिपूरण अवधि	350.06	96.60	-	-	446.66
कर और शुल्कों केलिए प्रावधान	2,672.32	9.90	-	-	2,682.22
पोत निर्माण हानि केलिए प्रावधान	5,936.00	11,297.00	-	541.00	16,692.00
व्यय/आकस्मिकों केलिए प्रावधान	53,175.83	1,28,374.54	94,402.34	2,647.77	84,500.26

नोट 34 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	14,210.52	38,443.24
देशी वायुयान वाहक को छोडकर अन्य यानें	2,26,095.17	2,12,185.06
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	15,635.05	10,241.73
सी-एसएएस से आय	315.64	1,143.03
इंजीनियरिंग कार्य	34.00	-
बीएंडडी स्पेयर्स से आय	8,342.31	3,553.98
	2,64,632.69	**2,65,567.04**
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	1,63,169.42	1,83,455.74
प्रबंधन शुल्क	1,630.49	1,615.34
	1,64,799.91	**1,85,071.08**
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मदों की बिक्री	1.65	3.30
रद्दी माल की बिक्री	1,334.82	1,115.58
परामर्श आय	-	1,027.15
	1,336.47	**2,146.03**
कुल	**4,30,769.07**	**4,52,784.15**

1. राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा किए गए सामान और सेवाओं को ग्राहक को समय-समय पर हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। इसके लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग किया जाता है, जो आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के माप पर आधारित होती है। आउटपुट पद्धति कंपनी के प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि केलिए कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है और कंपनी के प्रयासों की एक स्पष्ट तस्वीर देती है और इसलिए इसे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन को दर्शाने केलिए अपनाया जा रहा है।

2. भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 45 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

3. प्रचालन से राजस्व में से, 110570.34 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 53,436.82 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।

4. कंपनी ने दिनांक 13 मई 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाउन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना केलिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

5. कंपनी दो 1200 यात्री जलयानों (यार्ड संख्या एसएच 0023 और एसएच 0024) के निर्माण केलिए अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ पोत निर्माण अनुबंध निष्पादित कर रही है। अनुबंध की सुपुर्दगी की तिथि, जिसे बढा दिया गया है, दोनों पोतों केलिए एसएच 0023 केलिए 29 अप्रैल 2023 और एसएच 0024 केलिए 30 अक्तूबर 2023 को समाप्त हो गई है।

दोनों जलयानों को अंडमान द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच विशिष्ट संचालन केलिए अनुकूलित और डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुरोध के आधार पर, कंपनी ने सुपुर्दगी गतिविधि को रोक दिया है, क्योंकि प्रशासन ने अन्य संभावित खरीदारों को जलयानों का पुनः आबंटन करने की मांग की है। हालांकि, इस तरह के पुनः आबंटन केलिए महत्वपूर्ण तकनीकी संशोधनों और लागत की आवश्यकता होगी, और जलयानों को, उनकी वर्तमान स्थिति में, कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं माना जाता है।

यह देखते हुए कि कंपनी के पास अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक वैध और लागू करने योग्य अनुबंध जारी है, और अनुबंध का कोई वर्तमान पारस्परिक समाप्ति या नवीकरण नहीं है, खरीदार के अनुरोध पर विलंबित सुपुर्दगी के कारण एसएच 0023 और एसएच 0024 केलिए क्रमशः 29 अप्रैल 2023 और 30 अक्तूबर 2023 से आगे एलडी केलिए कोई अतिरिक्त प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार और विवेक पूर्ण अनुमानों के आधार पर, कंपनी ने उपर्युक्त तिथियों तक परिसमाप्त क्षति केलिए प्रावधान को मान्यता दी है।

दिनांक 31.03.2026 तक दोनों जलयानों के लिए पूर्णता का संचयी प्रतिशत एसएच.0023 के लिए 54.84 प्रतिशत और एसएच.0024 के लिए 55.19 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एसएच.0023 के लिए कुल परिसमाप्त क्षति 11814.08 लाख रुपये और एसएच.0024 के लिए 9756.34 लाख रुपये है। परिसमाप्त क्षति पर विचार करने के बाद कंपनी ने दिनांक 31.03.2026 तक एसएच.0023 के लिए 16943.66 लाख रुपये और एसएच.0024 के लिए 17156.89 लाख रुपये का राजस्व मान्यता दी है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनों के साथ एक पोत में अपनी रुचि पुनः प्रकट की है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने भी इसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनों के साथ दूसरे पोत के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है। संशोधनों पर दोनों प्रशासनों के साथ चर्चा चल रही है। दोनों प्रशासनों ने आवश्यक संशोधनों के अधीन, निर्माणाधीन अवस्था में प्रत्येक पोत को ग्रहण करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की है। कंपनी इस अनुबंध से संबंधित घटनाक्रमों पर निरंतर नज़र रख रही है और अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर आगामी अवधियों में अपने लेखा अनुमानों और प्रावधान आवश्यकताओं की समीक्षा करेगी।

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पोत को नए ग्राहक को बेचने से निर्माण और मरम्मत के दौरान हुए विभिन्न खर्चों की भरपाई हो जाएगी। पोत की नई कीमत संभवतः अधिक होगी, जिसका मुख्य कारण हाल के वर्षों में पोत निर्माण लागत में हुई भारी मुद्रास्फीति है, जिससे पोत के बाजार मूल्य में बदलाव आया है।

6. भारत सरकार मूल पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) और संशोधित पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएपी 2.0) के तहत घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य जलयानों के निर्माण में होने वाली लागत की भरपाई करना है, न कि किसी प्रचालन घाटे के लिए।

संबंधित एसबीएफए नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता केवल उन जहाजों के लिए उपलब्ध है जिनका निर्माण और वितरण निर्धारित अवधि के भीतर किया गया हो और जिन्हें पोत परिवहन महानिदेशालय से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो। पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा शासित जहाजों केलिए, पात्रता अनिवार्य मानदंडों को पूरा करने पर भी निर्भर करती है, जिसमें सफल मील के पत्थर आधारित मूल्यांकन और घरेलू सामग्री आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क. घरेलू सामग्री 30% और 39% के बीच - आनुपातिक आधार पर (वास्तविक रूप से प्राप्त घरेलू सामग्री के अनुपात में) एसबीएफए के लिए पात्र।

ख. 40% या उससे अधिक घरेलू सामग्री ₹ 100% एसबीएफए (योजना के अनुसार पूर्ण सहायता) के लिए पात्र।

कंपनी पात्र पोतों के निर्माण की अवधि के दौरान, किए गए खर्च के अनुपात में, एसबीएफए आय को मान्यता देती है, बशर्ते कि नीति के तहत शर्तें पूरी हों या उनके पूरा होने की उचित रूप से उम्मीद हो।

जहाँ किसी भी नीतिगत शर्त के अनुपालन के बारे में अनिश्चितता है, जैसे कि निर्माण में देरी या सुपुर्दगी की समयसीमा जिसके परिणामस्वरूप पात्रता मानदंड पूरा नहीं हो पाता है, तो कंपनी या तो एसबीएफए आय को मान्यता नहीं देती है या पहले से मान्यता प्राप्त आय को मान्यता नहीं देती है, जैसा कि उचित हो। ऐसी आकस्मिकताओं का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, और संशोधित अपेक्षाओं को दर्शाने के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन किए जाते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने वितरित पोतों के संबंध में 6.14 लाख रुपये की वित्तीय सहायता को चालू वर्ष की आय के रूप में मान्यता दी है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, संस्थागत तंत्र के तहत कंपनी के अनुरोध पर, सार्वजनिक परिवहन मंत्रालय ने पोतों की डिलीवरी के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया। तदनुसार, कंपनी ने निर्माणाधीन पोतों के संबंध में 6818.75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता को चालू वर्ष की आय के रूप में पुनः मान्यता दी है।

निर्माणाधीन जलयानों के संबंध में, कंपनी ने जलयानों के निर्माण में कंपनी द्वारा किए गए खर्च की भरपाई के लिए भारत सरकार से पोत निर्माण वित्तीय सहायता के लिए 15628.90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता आय को मान्यता दी है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, वित्तीय सहायता के खाते में 27651.56 लाख रुपये की संचयी आय अर्जित हुई है, जो समय-समय पर संशोधित पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

कंपनी जहाजों की कीमत तय करते समय पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) को ध्यान में रखती है, जो पोत निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने एसबीएफए को 'उत्पाद की बिक्री' के अंतर्गत पुनर्गठित किया है, जिसे पहले 'अन्य परिचालन राजस्व' के अंतर्गत रखा गया था, ताकि अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। इसका परिचालन राजस्व पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

7. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने वर्ष 2019 से अंडमान और निकोबार प्रशासन (ए एंड एन एडमिनिस्ट्रेशन) के स्वामित्व वाले पोर्ट ब्लेयर के मरीन डॉकयार्ड में पोत मरम्मत कार्य शुरू किया। 28 नवंबर 2019 को ए एंड एन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, सीएसएल प्रशासन को ए एंड एन द्वीप समूह में पोत मरम्मत प्रणाली स्थापित करने में सहायता करने और प्रशासन तथा वहां स्थित तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तरदायी है। इन सेवाओं के बदले में, कंपनी प्रबंधन शुल्क की हकदार है, जिसका वित्तीय विवरणों में आनुपातिक आधार पर लेखा-जोखा किया जाता है।

8. वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रबंधन शुल्क को 'सेवाओं की बिक्री' के अंतर्गत पुनर्गठित किया है, जो पहले 'अन्य परिचालन राजस्व' के अंतर्गत आता था, ताकि अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। इसका परिचालन राजस्व पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

9. परिचालन से प्राप्त राजस्व में भारतीय नौसेना को आठ पनडुब्बी रोधी उथले जल नौकाओं के निर्माण और आपूर्ति के अनुबंध से प्राप्त राजस्व शामिल है। ग्राहक द्वारा वितरण अनुसूची पर स्पष्टीकरण के बाद, बाद की नौकाओं की नियत तिथियों की गणना पहली नौका की वास्तविक वितरण तिथि से की जाती है। तदनुसार, विलंब तिथि केवल पहली नौका (विलंबित होने पर) के लिए प्रदान की गई है। बाद की नौकाओं के लिए कोई एलडी प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि उनकी अपेक्षित वितरण तिथियां निर्धारित संविदा अनुसूची के भीतर हैं।

10. भारतीय नौसेना के साथ पोत मरम्मत अनुबंधों के संबंध में, राजस्व की गणना कार्य की वर्तमान स्थिति में हुई भौतिक प्रगति के आधार पर उत्पादन विधि का उपयोग करके की जाती है। इन अनुबंधों के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य पुर्जे अलग से निष्पादन दायित्व नहीं हैं, क्योंकि वे मरम्मत सेवा का अभिन्न अंग हैं और उससे अविभाज्य हैं। इन पुर्जों का उपयोग किए बिना पोत की मरम्मत नहीं की जा सकती, और ग्राहक मरम्मत के अलावा इन पुर्जों का लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए, अनिवार्य पुर्जों को एक ही निष्पादन दायित्व (पोत की मरम्मत) का हिस्सा माना जाता है, और राजस्व की गणना के लिए इनकी लागत कुल अनुबंध मूल्य में शामिल की जाती है। पोत के लिए निर्धारित पूर्णता प्रतिशत, रिपोर्टिंग तिथि तक मरम्मत के लिए जारी किए गए अनिवार्य पुर्जों की खपत को दर्शाता है; इसलिए अनिवार्य पुर्जों के लिए राजस्व का कोई अलग मापन या गणना नहीं की जाती है।

11. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इंड एएस 115 के अनुसार उत्पादन पद्धति के तहत अपने प्रदर्शन दायित्वों के मापन की प्रगति का पुनर्मूल्यांकन करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने पाया कि इंड एएस 21 के अनुप्रयोग पर, विदेशी मुद्रा में नामित निर्यात अनुबंधों के मामले में मौजूदा मापन के परिणामस्वरूप राजस्व के सटीक प्रतिनिधित्व में भिन्नताएँ आ रही थीं। इस समस्या को दूर करने के लिए, कंपनी ने उक्त अनुबंधों के लिए अपने मात्रा निर्धारण दृष्टिकोण को परिष्कृत किया। राजस्व को कुल लेनदेन मूल्य पर भौतिक पूर्णता प्रतिशत लागू करके मान्यता दी जाती है, जिसके लिए कंपनी हकदार है, सामग्री और सेवा भागों में विभाजन किए बिना। मात्रा निर्धारण पद्धति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिचालन राजस्व में शून्य रुपये की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष यह 11808.65 लाख रुपये थी)। कंपनी समान प्रदर्शन दायित्वों वाले अनुबंधों के लिए राजस्व को मान्यता देने में इस मापन तकनीक को लगातार अपना रही है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 35 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	858.66	663.79
रद्दी माल और भंडार से आय	378.05	341.46
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	-	23.90
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	17.80	15.53
किराए से आय	433.89	241.85
बैंक जमाओं पर ब्याज	15,932.93	18,762.65
अन्यों से ब्याज	563.24	440.50
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	348.54	331.74
म्युचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	148.87	72.78
सोसाइटी से लाभांश आय	0.54	0.54
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	-	1,321.38
प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	20,762.27	14,054.34
विविध आय *	1,012.41	1,774.15
कुल	**40,457.20**	**38,044.61**

* विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही भारतीय लेखा मानक 20-सरकारी अनुदान केलिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

नोट 36 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	8,894.18	12,452.43
पाइप	1,398.45	1,927.75
पेन्ट	2,270.28	2,641.17
खरीदे गए घटक	1,71,455.24	1,81,138.03
कुल	**1,84,018.15**	**1,98,159.38**

नोट 37 : कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन

(उनके अलावा जिन्हें प्रतिशत / आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता दी गई है)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य प्रगति पर:		
वर्ष की शुरुआत में	76.26	-
कम: वर्ष के अंत में	-	(76.26)
कुल	**76.26**	**(76.26)**

भारत सरकार द्वारा समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के तहत, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दो 60-टन ग्रीन टग हल्स का निर्माण शुरू किया था। इसके बाद, जनवरी 2026 में, कंपनी को एक निजी ग्राहक से दो 60-टन ग्रीन टग्स के निर्माण का ऑर्डर प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप, उपरोक्त टग्स से संबंधित व्यय को कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी) से हटाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लाभ और हानि खाते में समायोजित कर दिया गया है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 38 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	58,501.97	50,375.25
हल बीमा	2,837.90	2,540.85
डिज़ाइन व्यय	5,317.03	5,805.07
प्रचालन खर्च	27,417.96	20,543.87
कुल	**94,074.86**	**79,265.04**

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेशिया और भत्ते	36,404.91	33,727.05
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	2,489.42	2,284.86
उपदान	951.26	478.84
कर्मचारी कल्याण खर्च	4,678.93	4,088.21
	44,524.52	**40,578.96**
कम : निर्माण के दौरान व्यय		(205.27)
कुल	**44,524.52**	**40,373.69**

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 29.64 लाख (पिछले साल ₹ 28.07 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 5.27 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 103.82 लाख रुपए) की राशि के कामगारों केलिए अर्ध वेतन क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की भुनाई केलिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों केलिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोडकर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

रोज़गार पश्चात् दायित्व

श्रम संहिता की राजपत्र अधिसूचना के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूर्ण किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, सीएसएल ने संविदा कर्मचारियों के लिए 31 मार्च, 2026 तक ग्रेच्युटी देयता को मान्यता दी है। अधिकारियों, पर्यवेक्षकों या कर्मचारियों के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान वेतन घटक पहले से ही पी.एफ. और ग्रेच्युटी गणना के लिए 50% की सीमा से अधिक हैं। इसी प्रकार, अवकाश नकदीकरण देयताएं अपरिवर्तित रहती हैं क्योंकि मौजूदा बीमांकिक प्रावधान नियमित कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से कवर करते हैं, जबकि संविदा कर्मचारी नई देयताओं को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त अवकाश आगे नहीं ले जाते हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए समेकित वेतन का पुनर्गठन लागत-तटस्थ होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल सकल वेतन और संबंधित वित्तीय व्यय स्थिर रहें। परिणामस्वरूप, सीएसएल ने महत्वपूर्ण अनियोजित खर्चों के बिना सक्रिय देयता प्रविष्टियों और आंतरिक समिति समीक्षाओं के माध्यम से संभावित अनुपालन जोखिमों को कम किया है।

भविष्य निधि

पात्र कर्मचारियों केलिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक कानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोश में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2025-26 केलिए 1980.54 लाख रुपए (वर्ष 2024-25 केलिए 1872.67 लाख रुपए)

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

है। प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करें और अधिसूचित ब्याज दर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के भारतीय लेखा मानक के 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निधि दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	25,625.50	24,747.34
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	26,175.49	24,781.17
निवल देयता/ (निवल परिसंपत्ति)	549.99	33.83
अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य केलिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष केलिए
छूट दर (प्रति महीने)	7.62%	6.78%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	9.00	9.20

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष केलिए
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	311.67	270.62
निवल ब्याज मूल्य	346.25	303.84
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	(29.97)	815.00
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	**627.95**	**1,389.46**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष केलिए
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	5,360.79	5,480.86
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	**5,360.79**	**5,480.86**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	422.14	446.66
पीवीओ के गैर चालू घटक	4938.65	5034.20
कुल पीवीओ	**5360.79**	**5480.86**

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	5480.86	4626.82
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	311.67	270.62
चालू ब्याज मूल्य	346.25	303.84
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(29.97)	815.00
प्रदत्त लाभ	(748.02)	(535.42)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	**5,360.79**	**5,480.86**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकित लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	748.02	535.42
प्रदत्त लाभ	(748.02)	(535.42)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	150.96	140.34
वर्ष 2	259.11	286.62
वर्ष 3	151.30	177.73
वर्ष 4	165.43	137.19
वर्ष 5	185.89	147.08
अगले 5 वर्ष	927.67	799.80

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वष
वर्ष 1	150.96	140.34
वर्ष 2	259.11	286.62
वर्ष 3	151.30	177.73
वर्ष 4	165.43	137.19
वर्ष 5	185.89	147.08
अगले 5 वर्ष	927.67	799.80

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	8.12%	7.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,506.04	4,609.86
वर्तमान सेवा लागत	178.68	193.41
ख. छूट दर - 50 बीपी	7.12%	6.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,889.10	5,016.23
वर्तमान सेवा लागत	195.80	212.98
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,897.28	5,023.15
वर्तमान सेवा लागत	196.17	213.32
घ. वेतन वृद्धि दर- 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,497.13	4,601.99
वर्तमान सेवा लागत	178.29	193.03

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	8.12%	7.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,506.04	4,609.86
वर्तमान सेवा लागत	178.68	193.41
ख. छूट दर - 50 बीपी	7.12%	6.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,889.10	5,016.23
वर्तमान सेवा लागत	195.80	212.98
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,897.28	5,023.15
वर्तमान सेवा लागत	196.17	213.32
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,497.13	4,601.99
वर्तमान सेवा लागत	178.29	193.03

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

(₹ लाखों में)

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य केलिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है : (मुख्य कार्यालय):	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.62%	6.78%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%
संघर्षण दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	7.62%	6.78%

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	10.92	11.30

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	402.11	423.10
पिछली सेवा लागत	261.04	-
निवल ब्याज खर्च	33.54	13.93
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	**696.69**	**437.03**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(297.56)	337.96
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	112.48	(46.72)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**(185.08)**	**291.24**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	5,773.56	5,529.24
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,261.94	4,800.96
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	511.62	728.28

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,529.24	4,799.46
चालू सेवा मूल्य	402.11	423.10
चालू ब्याज मूल्य	367.17	322.20
पिछली सेवा लागत	261.05	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(297.55)	337.96
प्रदत्त लाभ	(488.46)	(353.48)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**5,773.56**	**5,529.24**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,800.96	4,399.68
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	333.64	308.27
बीमांकित लाभ / (हानि)	(112.48)	46.72
नियोक्ता से अंशदान	728.28	399.77
प्रदत्त लाभ	(488.46)	(353.48)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**5,261.94**	**4,800.96**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	291.94	286.14
वर्ष 2	698.12	665.64
वर्ष 3	371.58	384.19
वर्ष 4	317.79	321.02
वर्ष 5	388.16	266.76
अगले 5 वर्ष	1,929.11	1,583.72

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	8.12%	7.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,494.32	5,251.13
वर्तमान सेवा लागत	360.43	345.63
ख. छूट दर - 50 बीपी	7.12%	6.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	6,074.71	5,830.27
वर्तमान सेवा लागत	409.08	397.00
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	6,046.54	5,779.52
वर्तमान सेवा लागत	399.80	390.11
घ. वेतन वृद्धि दर- 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,507.08	5,288.36
वर्तमान सेवा लागत	368.28	353.54

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	37.13%	28.95%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	12.26%	25.24%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	29.03%	31.49%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.33%	0.32%
अन्य	21.25%	14.00%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट(सीएमएसआरयू) के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं:	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	6.60%	6.40%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	6.50%	6.40%
छूट दर (प्र.म.) - एफटीई	6.30%	-
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	138.58	25.24
पिछली सेवा लागत	98.33	-
निवल ब्याज खर्च	17.63	16.55
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**254.54**	**41.79**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(41.40)	0.35
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि		
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**(41.40)**	**0.35**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	488.57	275.42
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	**488.57**	**275.42**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	275.43	233.26
चालू सेवा मूल्य	138.58	25.25
चालू ब्याज मूल्य	17.63	16.56
पिछली सेवा लागत	98.33	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(41.40)	0.35
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**488.57**	**275.42**

आईएसआरएफ सीएमएसआरयू एवं नियत अवधि के रोज़गार (एफटीई) केलिए मिलने वाले अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		
वर्ष	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		
वर्ष	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		
वर्ष	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	33.04	91.07	8.49
वर्ष 2	69.21	44.69	4.53
वर्ष 3	81.24	11.68	0.43
वर्ष 4	53.55	17.68	0.44
वर्ष 5	7.99	39.60	8.50
अगले 5 वर्ष	-	123.12	8.54

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		
वर्ष	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	63.01	8.03
वर्ष 2	लागू नहीं	46.94	6.20
वर्ष 3	लागू नहीं	25.86	3.15
वर्ष 4	लागू नहीं	10.25	-
वर्ष 5	लागू नहीं	5.99	-
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	95.80	10.15

दिनांक 31.03.2026 को संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	7.30%	7.60%	7.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	209.95	241.87	23.37
परिवर्तन	(2.00%)	(3.33%)	(3.19%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.30%	5.60%	5.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	218.68	259.26	24.97
परिवर्तन	2.07%	3.62%	3.44%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	217.72	258.24	24.87
परिवर्तन	1.63%	3.21%	3.02%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	210.80	242.69	23.45
परिवर्तन	(1.61%)	(3.00%)	(2.85%)

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक 31.03.2025 को संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	लागू नहीं	7.40%	7.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	लागू नहीं	239.07	26.73
परिवर्तन	लागू नहीं	(3.55%)	(2.96%)
ख. छूट दर- 100 बीपी	लागू नहीं	5.40%	5.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	लागू नहीं	257.45	28.42
परिवर्तन	लागू नहीं	3.86%	3.18%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	लागू नहीं	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	लागू नहीं	256.44	28.30
परिवर्तन	लागू नहीं	3.45%	2.76%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	लागू नहीं	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	लागू नहीं	239.88	26.82
परिवर्तन	लागू नहीं	(3.23%)	(2.60%)

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 40 : वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
बैंक ऋण पर ब्याज	3,280.74	-
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	4,649.26	3,988.37
कर मुक्त बांड पर ब्याज	200.37	201.17
अन्य ब्याज	0.04	-
वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत का मापन परिशोधित लागत के आधार पर किया जाता है।	185.62	-
	8,316.03	**4,189.54**
कम : निर्माण के दौरान व्यय	-	(544.61)
कुल	**8,316.03**	**3,644.93**

नोट 41 : मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	8,570.19	5,794.90
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	1,692.60	1,696.97
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	820.43	1,041.99
कुल	**11,083.22**	**8,533.86**
कम : निर्माण के दौरान व्यय	-	(169.49)
कुल	**11,083.22**	**8,364.37**

नोट 42 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
भंडार और पुर्जो का उपभोग	3,422.25	3,539.14
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	231.78	151.97
दर और कर	150.92	129.21
बिजली	3,245.03	3,433.40
ईंधन	1,314.45	835.99
जल	411.27	363.40
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सडकें	1,214.58	852.29
संयंत्र और मशीनरी	274.89	152.59
अन्य	3,293.09	2,462.68
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	2,368.84	914.07
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	224.00	113.47
यात्रा तथा सवारी खर्च	1,593.02	1,172.64
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	137.52	107.50
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	64.16	66.72
विज्ञापन और प्रचार	801.85	605.64
पट्टे किराया	6.17	26.10
भाडे	1,651.88	1,112.41

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
बीमा	1,187.63	590.82
सुरक्षा व्यय	2,903.04	2,320.93
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	32.43	29.85
प्रशिक्षण खर्चा	1,309.78	944.90
विधि खर्चा	90.74	165.68
परामर्श	109.67	86.24
बैंक प्रभार	1,516.79	1,269.74
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल हानि	874.15	-
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन पर हानि	3,163.95	530.62
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 52 का संदर्भ ले)	1,788.96	1,564.51
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	112.54	5.65
बुरे ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया	-	8,614.55
अनुसंधान एवं विकास और नई पहल *	1,840.31	2,043.17
विविध खर्च	1,510.64	893.78
कुल	**36,846.33**	**35,099.66**

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों केलिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क केलिए	20.00	20.00
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं केलिए	9.75	8.75
प्रमाणीकरण हेतु	2.68	1.10
कुल	**32.43**	**29.85**

*अनुसंधान एवं विकास और नई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) उषस समुद्री स्टार्टअप का समर्थन करने केलिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और विकसित करने केलिए भारत सरकार की पहल को बढाने केलिए आईआईएमके और आईआईटी मद्रास के सहयोग से सीएसएल का एक समुद्री स्टार्टअप समर्थन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समुद्री स्टार्टअप को सीएसएल से अनुदान/निवेश के रूप में प्रारंभिक निधि प्राप्त होगी।

ख) आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास, सीएसएल द्वारा निवेश केलिए इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और सिफारिश करेंगे। उनकी सेवाओं का शुल्क 27लाख रूपए (पिछले वर्ष 26.50 लाख रुपए) है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आईआईएमके लाइव के द्वारा पहचाने गए 10 स्टार्ट अप को सीड फंडिंग योजना के तहत 227.50 लाख रुपए (पिछले वर्ष 9 स्टार्टअप को 105 लाख रुपए) वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार आईआईटी मद्रास द्वारा चयनित 8 स्टार्ट अप को सीड फीडिंग योजना के अंतर्गत 250 लाख रुपए (पिछले वर्ष- शून्य) वितरित किए गए हैं।

ग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास पहल के अंतर्गत संचालित अनुसंधान एवं विकास परियोजना से संबंधित नोट सं. 5 और नोट सं. 21 का संदर्भ लें।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 43 : प्रत्याशित हानि और खर्च केलिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य केलिए हानि भत्ता	217.70	659.59
खर्च और फुटकर खर्च	2,170.57	354.60
पट्टेदार को लाभ का हिस्सा	1258.82	843.22
पोत निर्माण पर घाटा	-	10,756.00
कुल	3,647.09	12,613.41

नोट 44 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	64,304.34	84,290.64
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	24.44	32.04
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	5.00	5.00

नोट सं. 22.1 का संदर्भ लें।

नोट 45: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

क. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष			
	राजस्व के अनुसार भारतीय लेखा मानक 115	प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण:				
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	14,210.52		14,210.52	14,210.52
आईएसी के अलावा अन्य जलयानों	2,26,410.81		2,26,410.81	2,26,410.81
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	15,635.05	15,635.05		15,635.05
इंजीनियरिंग कार्य	34.00		34.00	34.00
(ii) सेवाओं की बिक्री				
पोत मरम्मत	1,63,169.42	-	1,63,169.42	1,63,169.42
प्रबंधन शुल्क	1,630.49	-	1,630.49	1,630.49
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण:				
व्यापार व विकास पुर्जों की बिक्री	8,342.31			8,342.31
(ii) अन्य परिचालन राजस्व				
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	505.95	-	-	505.95
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	828.87	-	-	828.87
स्टॉक मद की बिक्री		-	-	1.65
कुल				4,30,769.07

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष			
	राजस्व के अनुसार भारतीय लेखा मानक 115	प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण :				
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	38,443.24	-	38,443.24	38,443.24
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	2,13,328.09	-	2,13,328.09	2,13,328.09
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	10,241.73	10,241.73		10,241.73
(ii) सेवाओं की बिक्री				
पोत मरम्मत	1,83,455.74	-	1,83,455.74	1,83,455.74
प्रबंधन शुल्क	1,615.34	-	1,615.34	1,615.34
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण :				
व्यापार व विकास पुर्जों की बिक्री	3,553.98	-	-	3,553.98
(ii) अन्य परिचालन राजस्व				
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	756.61	-	-	756.61
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	358.97	-	-	358.97
परामर्श आय	1,027.15	-	-	1,027.15
स्टॉक मद की बिक्री	3.30	-	-	3.30
कुल				**4,52,784.15**

ख. अनुबंध शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
व्यापार प्राप्य	41,166.30	22,527.71
अनुबंध परिसंपत्ति	1,25,768.02	89,630.82
अनुबंध देयताएं	4,31,817.14	4,86,705.85

वर्ष के दौरान अनुबंध शेष में उतार- चढाव

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
वर्ष की शुरूआत में अनुबंध परिसंपत्ति	89,630.82	74,484.90
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	1,25,768.02	89,630.82
निवल वृद्धि/ कमी	(36,137.20)	(15,145.92)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
वर्ष की शुरूआत में अनुबंध परिसंपत्ति	4,86,705.85	4,87,527.27
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	4,31,817.14	4,86,705.85
निवल वृद्धि/ कमी	54,888.71	821.42

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग. असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट निष्पादन दायित्वों केलिए आबंटित लेनदेन मूल्य का विवरण :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) प्रदर्शन दायित्वों केलिए आबंटित लेनदेन मूल्य की कुल राशि 1607111.19 लाख रुपए (पिछले वर्ष- 1448711.90 लाख रुपए) (आईएसी अनुबंध की लागत प्लस भाग को छोडकर) है। असंतुष्ट प्रदर्शन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य की राशि जो एक अनुबंध का हिस्सा है जिसकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है, को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति है। इसके अलावा ऊपर दिए गए लेन-देन मूल्य के अनुमान में परिवर्तनीय प्रतिफल की कोई भी अनुमानित मात्रा शामिल नहीं होगी जो बाधित है। प्रबंधन को उम्मीद है कि दिनांक 31.03.2026 तक असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों को आबंटित लेनदेन मूल्य का 26.40% जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान और शेष उसके बाद राजस्व के रूप में पहचाना जाएगा।

मार्च 31,2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2025 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले 103728.75 लाख रुपए (पिछले वर्ष- 1,16,990.11 लाख रुपए) के राजस्व को मान्यता दी।

घ. वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
आदेशों की अनुबंधित मूल्य खोलना	**26,10,779.16**	**25,33,712.74**
जोड़:		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	3,98,881.03	77,265.79
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	(14,985.77)	28,036.33
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	29,028.09	19.34
कमी:		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	-	23,918.90
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	1,49,069.57	4,336.14
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	**28,74,632.94**	**26,10,779.16**
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व:	2,42,645.34	2,34,512.95
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	23,576.78	1,613.39
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	2,19,068.56	2,32,899.57
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	10,48,453.20	9,29,167.69
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)	-	-
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	16,07,111.18	14,48,711.90
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	**28,74,632.94**	**26,10,779.16**

नोट 46: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष केलिए व्यय शामिल है, जो 1658.05 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1138.51 लाख रुपए) की राशि केलिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे केलिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे केलिए बहिर्वाह सहित, कुल 3589.69 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3085.66 लाख रुपए) है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2026 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	3,527.25	3,025.42
एक से पांच साल तक	17,217.41	14,306.38
पांच वर्ष से अधिक	1,71,569.51	1,07,281.20
कुल	**1,92,314.17**	**1,24,613.00**

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2025 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	40.70	39.05
एक से पांच साल तक	183.01	174.89
पांच वर्ष से अधिक	64.11	112.93
कुल	**287.82**	**326.87**

पट्टा देनदारियों का संचलन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	47,781.17	46,577.91
जोड: अतिरिक्त	6,944.61	141.86
जोड : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	4,649.26	3,988.37
कमी : किए गए भुगतान	3,461.47	2,926.97
जमा शेष	**55,913.57**	**47,781.17**

नोट 47: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रेषित अनुबंध पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 26 को नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित किया गया है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31-मार्च -26			31-मार्च -25		
	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ/(हानि)	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ/(हानि)
यूरो	67	128741.36	(8737.99)	88	137643.91	96.45
एनओके	1	863.07	6.50	5	7676.66	(30.49)
कुल	**68**	**129604.43**	**(8731.49)**	**93**	**145320.57**	**65.96**

नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित व्युत्पन्न केलिए हेड्ज रिजर्व में उतार- चढाव इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरूआत में शेष सीआर/(डीआर)	(868.90)	(918.26)
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(10,197.51)	49.36
वर्ष के अंत में शेष राशि	**(11,066.41)**	**(868.90)**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 48: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

	ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
क	**आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक केलिए)**			
क	**कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**			
i	उप-ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	24036.08	27,312.93	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए दावे जो वर्तमान में विवाद में हैं और जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों के आधार पर, कंपनी का मानना है कि आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम है, और किसी भी संभावित देयता की अपेक्षा करता है, यदि कोई हो, तो दावा की गई राशि से काफी कम होगी। हालाँकि, मामला समाधान के अधीन है।
ख	**गारंटी**			
i	ऋणपत्र	18157.95	19,279.09	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण केलिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii	बैंक गारंटी	2,33,201.73	2,01,613.65	बैंक गारंटी (निरंतरता गारंटी सहित) कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों तक प्रतिनिधित्व करती है। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी का मूल्य नोट 49 में शामिल है।
iii	बैंक गारंटी	20	20.00	सीमा शुल्क निवारक नियमावली (अध्याय 20) के अनुसार जारी की गई बैंक गारंटी, मरम्मतधीन पोतों से माल को सीएमएसआरयू केलिए बिना शुल्क भुगतान के दो वर्ष की अवधि के लिए हटाने हेतु मान्य है।
iv	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (यूसीएसएल) की ओर से दी गई गारंटी	7814.16	6,093.74	कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मेसर्स ओशन स्पार्कल के साथ 11 जलयानों के लिए पोत निर्माण अनुबंध के तहत एक संयुक्त और कई गारंटी प्रदान की है। सहायक कंपनी को 7814.16 लाख रुपये का वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त हुआ है। कंपनी की देयता केवल सहायक कंपनी द्वारा चूक की स्थिति में उत्पन्न होगी। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सहायक कंपनी की वित्तीय और प्रचालन क्षमता के आकलन के आधार पर, कंपनी से संसाधनों के किसी भी बहिर्वाह की संभावना को दूर माना जाता है। 11 जलयानों में से 2 जलयानों की डिलीवरी 2025-26 में की जाएगी।
ग	**अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है**			
i	विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी केलिए उपार्जित भूमि केलिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावे (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
ii सीमाशुल्क	48412.36	12,726.96	(i) बांड के अंतर्गत सामग्री केलिए सीमा शुल्क 7108 रुपए लाख है। (ii) अंतर आईजीएसटी पर जुर्माना - 232.47 लाख रुपये (iii)सीमा शुल्क और आईजीएसटी का भुगतान विरोध के साथ किया गया, जिसके लिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई है - 5752.18 लाख रुपये (iv)सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 के साथ धारा 28(4) और 142 के तहत सीएसएल को दिनांक 30.01.2026 को कारण बताओ नोटिस संख्या 187/2025-26 प्राप्त हुआ, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों (रियायती दर पर माल का आयात या निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) के अनुपालन न करने और अन्य कारणों का आरोप लगाया गया है। सीएसएल ने कारण बताओ नोटिस का प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किया है - 35253.53 लाख रुपये (v) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार पर अंकित एफडीआर ग्रहणाधिकार - 66.18 लाख रुपये लाख।
iii आय कर	1389.86	1,389.86	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - ₹ 126.26 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - ₹ 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - ₹ 331.77 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 - ₹ 20.76 लाख आकलन आदेशों के अनुसार वर्ष 2010-11, 2014-15, 2017-18 और 2018-19 के लिए कुल ₹ 1389.86 लाख की मांगें आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपीलों के निपटारे के लिए लंबित हैं। ये मांगें मुख्य रूप से धारा 37 के तहत अस्वीकृति के कारण हैं। हालांकि, उपरोक्त मांगों को बाद के वर्षों के लिए देय धनवापसी के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया है।
iv सेवा कर	1,647.47	1,647.47	कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन कंसल्टेंसी) पर सेवा कर की मांग। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
	376.67	376.67	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है।
	323.04	323.04	कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग शुल्क) पर सेवा कर की मांग। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली केलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम द्वारा कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही बंद कर दी गई है। विभाग ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की।
सेवा कर	1,885.49	1,885.49	यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/212-एसटी दिनांक 20-6-2012 का लाभ देने से इनकार किया गया है। कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम द्वारा रोक दी गई है। विभाग ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की।
	513.72	513.72	सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-212 के लाभ से इनकार करके वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
	734.93	734.93	सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/212-एसटी दिनांक 20-6-2012 के लाभ से इनकार करके वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के प्रधान आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
	150.57	150.57	2015-16 की अवधि के दौरान पोत मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैट भुगतान की गई सामग्री की कटौती की अनुमति नहीं दी गई और सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। संयुक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
	286.85	286.85	वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान पोत मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैट भुगतान की गई सामग्री की कटौती की अनुमति नहीं दी गई तथा सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोचीन के आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
सेवा कर	279.46	279.46	संविदात्मक वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने पर सेवा कर का भुगतान न करने और कोचीन से अबु धाबी तक बजरे के परिवहन के लिए प्रदान की गई सुरक्षा लागत के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा मांग की पुष्टि की गई। सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
v केरल मूल्यवर्धित कर (केवीएटी)	1,369.94	1,369.94	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग। मूल्यांकन कार्यालय ने संयुक्त आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध कर योग्य टर्नओवर में वृद्धि की और कर व ब्याज केलिए मांग उठाई। वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।
vi वर्ष 2018-19 की अवधि केलिए आईजीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग और उस पर जुर्माना	92.13	92.13	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
vii वर्ष 2018-19 और 2021-2022 की अवधि के लिए आईजीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग, वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए आरसीएम के तहत सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का भुगतान न करना/ कम भुगतान करना और उस पर जुर्माना।	19.78	-	वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2021-2022 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति और जीएसटीआर 3बी और 8ए के बीच विसंगति के लिए आरसीएम का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
viii एलेक्टन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	471.91	384.17	याचिकाकर्ता (दावेदार) ने आरेखण प्रस्तुत करने और माल की आपूर्ति में देरी के लिए सीएसएल द्वारा काटे गए एलडी के संबंध में ब्याज सहित परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली के लिए एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मामले को मध्यस्थता के लिए मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुह्रथ पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा याचिका दायर की गई। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा प्रतिवादी (सीएसएल) के पक्ष में आदेश पारित किया गया। एलेकटन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।
ix मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस	2,340.54	2,065.17	सीएसएल ने 1 अगस्त 1993 को मेसर्स विजिल मरीन सर्विसेज के साथ मध्य पूर्व के ग्राहकों को सीएसएल के पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के विपणन के लिए एक एजेंसी समझौता किया था। विजिल मरीन द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के कारण यह समझौता वर्ष 2003 में समाप्त कर दिया गया था। विजिल मरीन ने एनपीसीसी और एटीसीओ ऑर्डर (18.25 मिलियन मूल्य के) जीतने के लिए एजेंसी कमीशन के भुगतान का दावा किया, जिसे सीएसएल ने अस्वीकार कर दिया। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अनुरोध दायर किया गया और तदनुसार 10 अक्तूबर 2004 को मध्यस्थता शुरू हुई। दिनांक 24.11.2015 को मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया, जिसमें सीएसएल को मेसर्स विजिल मरीन सर्विसेज को 18.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एटीसीओ अनुबंध मूल्य के 5% की दर से कमीशन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि से लेकर मेसर्स विजिल मरीन को निर्णय के अनुसार भुगतान किए जाने तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
			इससे असंतुष्ट होकर सीएसएल ने जिला न्यायालय में मध्यस्थता अपील दायर की, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यह माना गया कि मध्यस्थता अधिनियम में 2016 का संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है और इसलिए अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। परिणामस्वरूप, केरल उच्च न्यायालय में ओपी(आईसीए) 1/2019 दायर की गई। इसी बीच, 2019 का संशोधन लागू हो गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया कि 2016 का संशोधन भविष्य में प्रभावी होगा और इसलिए अपील को जिला न्यायालय को वापस भेज दिया गया। बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 के संशोधन को रद्द कर दिया और परिणामस्वरूप, केरल उच्च न्यायालय में ओपी(आईसीए) संख्या 1/2021 दायर की गई। मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीएसएल ने शुरू में अवार्ड की राशि के लिए ब्याज सहित अवार्ड की तारीख तक यानी 24.11.2015 तक बैंक गारंटी जमा किया था। हालांकि, माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 30.11.2023 के आदेश द्वारा 01.04.2023 तक ब्याज सहित पुरस्कार राशि जमा करने का निर्देश दिया था और तदनुसार, 1869.19 लाख रुपये की बैंक गारंटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई है और इसे नोट 49 में शामिल किया गया है। मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।
x कर्मचारी राज्य बीमा निगम	54.66	54.66	ईएसआई निगम ने अप्रैल 2008 - मार्च 2012 की अवधि केलिए उच्च प्रशिक्षार्थियों के योगदान केलिए 62.28 लाख रुपए का मांग पत्र जारी किया। कंपनी ने जून 2010-मार्च 2012 की अवधि केलिए 26.46 लाख रुपए का योगदान देर से भुगतान किया है। बाद में, ईएसई विभाग ने जून 2010-जुलाई 2013 की अवधि केलिए विलंबित भुगतान और क्षति पर ब्याज केलिए 19.84 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। कंपनी माननीय बीमा न्यायालय, आलप्पुझा के समक्ष की गई मांगों का विरोध कर रही है। इस बीच कोर्ट ने 1 लाख रुपए जमा कराने पर स्टे दे दिया है।
xi पोत मरम्मत पास प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क बांड	100.00	100.00	सीएमएसआरयू के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना मरम्मत के अधीन पोत के गियर और उपकरण को हटाने के लिए सीमा शुल्क निवारक मैनुअल (अध्याय 20) के अनुसार जारी किया गया सीमा शुल्क बांड।
xii सीमाशुल्क अधिकारियों को क्षतिपूर्ति बांड	27309.24	19,203.00	सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 2017 के तहत बांड
xiii भारत सरकार को क्षतिपूर्ति बांड	30415.00	30,415.00	आईएसी अनुबंध के तहत दायित्वों के प्रदर्शन केलिए कंपनी द्वारा भारत सरकार को दिए गए क्षतिपूर्ति बांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य नोट 49 में शामिल है।
xiv पेंट संदूषण का दावा	863.83	863.83	कारों पर देखे गए पेंट संदूषण के धब्बों केलिए कंपनी के सामने दावे किए गए - घमाडिया और मुंबई पत्तन पर 128 यार्ड।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

	ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
xv	सीओपीए द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूल की गई वेतन राशि का आईएसआरएफ से दावा	1.68	1.68	सीओपीए के 6 कर्मचारियों ने सीओपीए द्वारा मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए जारी संशोधित समय के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के एवज में वसूले गए वेतन की वापसी के लिए दावा किया है। सीएसएल को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण से सम्मन प्राप्त हो गया है। मामले की सुनवाई 23 जून 2026 में तय की गई है।
xvi	सेबी एलओडीआर विनियमों के कुछ निगमित शासन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर शेयर बाज़ारों (बीएसई और एनएसई) द्वारा लगाया गया जुर्माना।	83.92	34.42	शेयर बाज़ारों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत बोर्ड की समितियों का गठन न करने सहित संबंधित आवश्यकताओं के लिए सीएसएल पर जुर्माना लगाया है। चूंकि गैर-अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से परे थे और इसकी लापरवाही या चूक के कारण नहीं थे, इसलिए सीएसएल आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने के बाद शेयर बाज़ारों से जुर्माने में छूट का अनुरोध करेगा। शेयर बाज़ारों ने अतीत में इसी तरह की स्थितियों में जुर्माने में छूट दी है।
ख	**प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक केलिए)**			
क	पूंजी लेखा पर निष्पादन करने केलिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई केलिए :	17512.57	31,539.56	अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इस केलिए प्रावधान नहीं किया गया है।

ग कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरण में किए गए संशोधन:

1 नकदी प्रवाह विवरण (क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह):

वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्याशित हानियों और व्यय के प्रावधान तथा व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) से संबंधित आंकड़ों को संशोधित किया गया है।

प्रत्याशित हानियों और व्यय के प्रावधान - 12,613.41 लाख रुपये से संशोधित होकर 11,953.82 लाख रुपये हो गया है।

व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) - 40,824.55 लाख रुपये से संशोधित होकर 41,484.14 लाख रुपये हो गया है।

2 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं- 48 ए (सी) (v):

वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए केरल मूल्य वर्धित कर के लिए आकस्मिक देयता की राशि को 787.32 लाख रुपये से संशोधित करके 1,369.94 लाख रुपये कर दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दक्षिण कोरिया की एचडी कोरिया पोत निर्माण एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (केएसओई) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 310 मीटर के नए ड्राई डॉक में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करते हुए कोच्ची में ब्लॉक फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित करने और संचालित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव है। उक्त परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इसका वहन मूल्य 134181.09 लाख रुपये है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ड्राईडॉक्स वर्ल्ड – दुबई एफजेडसीओ (डीडीडब्ल्यू) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन और शर्तों के मुख्य बिंदुओं पर समझौता किया है, जिसमें कोच्ची में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के संचालन और विस्तार के लिए एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव है।

तुलन पत्र की तिथि तक, कोई बाध्यकारी शेयरधारक समझौता या व्यवसाय हस्तांतरण समझौता निष्पादित नहीं किया गया है। तदनुसार, आईएसआरएफ सुविधा के रूप में सामूहिक रूप से वर्गीकृत परिसंपत्तियों को 105316.53 लाख रुपये के वहन मूल्य पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना जारी है।

नोट 49 : रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य 1058307.85 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1032503.48 लाख रुपए)।

नोट 50 : मुकदमा :

कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नही करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

नोट 51 : अनुसंधान एवं विकास/नई पहल व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क) राजस्व व्यय	2038.62	2270.08
ख) पूंजी व्यय	402.26	2.83
	2440.88	**2272.91**

नोट सं. 4 और 42 का संदर्भ लें।

मुख्य स्वायत्त सतह पोत परियोजना के विकास केलिए अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पहल निधि केलिए 3500 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों केलिए सीएसएल के स्टैंडअलॉन वित्तीय परिणामों के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर औसत कारोबार का 1% सीएसएल के अनुसंधान और विकास / नवाचार पहल केलिए वार्षिक बजट के रूप में अलग रखा जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने सीएसएल के स्टार्ट-अप नियुक्ति पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, उषस परियोजना कलिए 5000 लाख रुपए से अधिक की फंडिंग सहायता की मंजूरी दे दी है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 52. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने केलिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने केलिए अपेक्षित कुल राशि	1783.98	1557.68
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1554.06	1789.51

(₹ लाखों में)

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
(i) पिछले वित्तीय वर्षों से अग्रेषित राशि	395.00	170.00
(ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1554.06	1789.51
(iii) सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	1788.96	1564.51
(iv) आगामी वित्तीय वर्षों में अग्रेषित राशि	160.00	395.00

दिनांक 31 मार्च 2026 तक, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार खर्च की जानेवाली आवश्यक राशि से 164.98 लाख रुपए अधिक खर्च किए, जिसमें से 4.98 लाख रुपए लाभ और हानि केलिए प्रभारित किए जाते हैं और 160 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्षों में अग्रेषित किए जाते हैं।

(₹ लाखों में)

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	1783.98	1558.68
(ii) किए गए व्यय की राशि,	1554.06	1789.51
(iii) वर्ष के अंत में कमी,	0.00	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी,	0.00	0.00
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर गतिविधि के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता आदि और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में अनुमत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सीएसआर निधि का उपयोग सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।		
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण केलिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	शून्य	शून्य
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचलनों को अलग दिखाया जाएगा।	शून्य	शून्य

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	602.98		602.98
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	951.08		951.08
	1,554.06	**-**	**1,554.06**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1,419.72	-	1,419.72
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	369.79	-	369.79
	1,789.51	**-**	**1,789.51**

नोट 53 : भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2025-26	2024-25
श्री मधु एस नायर	मुख्य प्रबंधकीय	मुख्य प्रबंधकीय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जनवरी 31, 2026 तक)	कार्मिक	कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर	मुख्य प्रबंधकीय	मुख्य प्रबंधकीय
निदेशक (तकनीकी) (मई 31, 2025 तक)	कार्मिक	कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन	मुख्य प्रबंधकीय	मुख्य प्रबंधकीय
निदेशक (प्रचालन) (मई 31, 2025 तक)	कार्मिक	कार्मिक
श्री जोस वी जे	मुख्य प्रबंधकीय	मुख्य प्रबंधकीय
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्मिक	कार्मिक
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार दि. 01 फरवरी 2026 से प्रभावी)		
डॉ हरिकृष्णन एस	मुख्य प्रबंधकीय	-
निदेशक (प्रचालन) (अगस्त 27, 2025 से प्रभावी)	कार्मिक	
श्री राजेष गोपालकृष्णन	मुख्य प्रबंधकीय	-
निदेशक (तकनीकी) (अगस्त 27, 2025 से प्रभावी)	कार्मिक	
श्री राजेश कुमार सिंहा	मुख्य प्रबंधकीय	मुख्य प्रबंधकीय
सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार (अगस्त 07, 2025 तक)	कार्मिक	कार्मिक
श्री वेंकटेशपति एस	मुख्य प्रबंधकीय	-
सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार (अगस्त 07, 2025 तक)	कार्मिक	
श्री बिजु प्रभाकर	मुख्य प्रबंधकीय	मुख्य प्रबंधकीय
सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार (31 मई, 2025 तक)	कार्मिक	कार्मिक
श्री पी बी नूह	मुख्य प्रबंधकीय	-
सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार (13 जून 2025 से प्रभावी)	कार्मिक	
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे,	-	मुख्य प्रबंधकीय
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21,2024 तक)		कार्मिक

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2025-26	2024-25
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी, गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21,2024 तक)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अशोक शर्मा, गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21,2024 तक)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (मई 01,2024 तक)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री वेंकटेशन एम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21,2024 तक)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अभिजित बिस्वास गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21,2024 तक)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
डॉ सीमा सूरी गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (मई 21, 2025 से प्रभावी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री श्यामकमल एन कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थानः हावड़ा)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान माल्पे)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी
इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर (धारा 8 के अंतर्गत दिनांक 29 मार्च 2026 को पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,)	अभिदाता सदस्य	-
कार्यपालक और पर्यवेक्षक केलिए सीएसएल सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ग्रूप उपदान ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल म्युचअल और सार्वजनिक कल्याण ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल अधिकारी और पर्यवेक्षक सेवानिवृत्ति लाभ ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सेवानिवृत्त कर्मचारियों केलिए सीएसएल बीमा से जुडा चिकित्सा सहायता ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल कामगार पेंशन ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना

भारतीय पोत निर्माण क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के तहत, 29 मार्च, 2026 को भारतीय पोत प्रौद्योगिकी केंद्र को गारंटी द्वारा सीमित और शेयर पूंजी रहित धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य शिपयार्ड, पोत डिजाइनरों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों, उद्योग संघों और पेशेवर निकायों आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सीएसएल के निदेशक (वित्त) और निदेशक (प्रचालन) आईएसटीसी के प्रारंभिक सदस्य और निदेशक हैं, जिनकी नियुक्ति और निर्देशन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रोत्साहन और रणनीतिक मार्गदर्शन के अधीन है। सीएसएल केवल प्रशासनिक, परिचालन और प्रबंधकीय सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान करती है, और आईएसटीसी के लिए सीएसएल द्वारा किए गए सभी वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निधि आवंटित किए जाने पर की जाती है। वर्तमान शासन संरचना अस्थायी है और निगमन प्रक्रिया को गति देने के लिए ही स्थापित की गई है; एक स्वतंत्र बोर्ड के गठन के बाद, आईएसटीसी ब्पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई होगी। तदनुसार, आईएसटीसी को भारत सरकार के रणनीतिक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के तहत संचालित एक संबंधित पक्ष माना जाता है। 31 मार्च, 2026 तक आईएसटीसी की कुल संपत्ति शून्य रुपये और कुल देनदारियां शून्य रुपये थीं। वर्ष के दौरान आईएसटीसी की ओर से किए गए प्रतिपूर्ति योग्य खर्च शून्य रुपये थे, और रिपोर्टिंग तिथि तक भी यह शून्य रुपये था।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सीएसएल की ओर से हुगली-सीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
	शेयरों की संख्या	
श्री मधु एस नायर (अध्यक्ष)	0	10
श्री बिजोय भास्कर (निदेशक)	0	10
श्री जोस वी जे (निदेशक)	10	10
श्री श्रीजित के नारायणन (निदेशक)	0	10
डॉ हरिकृष्णन एस (निदेशक)	10	0
श्री राजेष गोपालकृष्णन (निदेशक)	10	0

सीएसएल की ओर से यूसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
	शेयरों की संख्या	
श्री मधु एस नायर (अध्यक्ष)	0	10
श्री बिजोय भास्कर (निदेशक)	0	10
श्री जोस वी जे (निदेशक)	10	10
श्री श्रीजित के नारायणन (निदेशक)	0	10
डॉ हरिकृष्णन एस (निदेशक)	10	0
श्री राजेष गोपालकृष्णन (निदेशक)	10	0

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के साथ लेनदेन:

लेनदेन की प्रकृति - मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
अल्पकालीन लाभ	476.78	282.66
रोजगार के बाद के लाभ	48.73	46.81
कुल	**525.51**	**329.47**

लेनदेन की प्रकृति -अग्रिम

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2025 को खुला शेष	वर्ष 2025-26 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकौती	दिनांक 31.03.2026 को शेष	दिनांक 31.03.2026 को अर्जित ब्याज
राजेष गोपालकृष्णन	0.00	5.78	1.20	4.58	1.76
हरिकृष्णन एस	0.00	0.68	0.48	0.20	0.00
श्यामकमल एन	0.18	0.65	0.63	0.20	0.00

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2024 को खुला शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकौती	दिनांक 31.03.2025 को शेष	दिनांक 31.03.2025 को अर्जित ब्याज
बिजोय भास्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोस वी जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्रीजित के एन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.14	0.60	0.56	0.18	0.00

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लेनदेन की प्रकृति - स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
श्रीमती सीमा सूरी	3.60	0.00
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	0.00	3.00
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	0.00	3.60
श्री अशोक शर्मा	0.00	3.30
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	0.00	0.30
श्री वेंकटेशन एम	0.00	2.10
श्री अभिजीत बिस्वास	0.00	3.60
कुल	3.60	15.90

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन और शेष राशि- सहायक कंपनी

i) लेनदेन

विवरण	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	
	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
विशेष रूप से नियुक्त	107.40	59.18	130.46	117.94
वरीयता शेयरों पर लाभांश	348.54	331.73		
सहायक कंपनियों द्वारा किए गए उप अनुबंध कार्य	2,551.51	2,998.32	61.62	
सहायक कंपनियों को प्रदान की गई सेवाएं	34.00	1.79	-	7.14
स्टॉक मद परिसंपत्तियों की बिक्री	1.95	3.30		
एनएसडी पर ब्याज	190.64	190.64	60.00	60.00
इक्विटी शेयरों में निवेश	-	-		
एनसीडी का पुनर्भुगतान	-	-		
सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम			1,762.60	
ऋण पर ब्याज	-	-	27.94	27.50

ii) संबंधित पार्टियों के साथ शेष राशि- सहायक कंपनी

विवरण	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सहायक कंपनी द्वारा जारी एनसीडी में निवेश	3,100.00	3,100.00	1,000.00	1,000.00
सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश (राइट इश्यू शामिल है)	14,000.00	14,000.00	10,800.00	10,800.00
सहायक कंपनी में संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश	5,600.00	5,600.00		
सहायक कंपनी को ऋण			500.00	500.00
एनसीडी पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	98.72	98.72	18.64	31.86
अधिमान्य शेयरों पर देय लाभांश	1,629.01	1,280.45		
सहायक कंपनियों से प्राप्य	110.96	95.03	21.44	19.75
सहायक कंपनियों को देय	1,891.47	211.75	1.10	1.10
सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम		152.36	1,700.98	
सहायक कंपनियों केलिए दी गई प्रतिबद्धताएं और गारंटी:				
निवेश के कारण				
पूंजीगत परियोजनाओं के कारण	2.85	30.25		

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और शेष (सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ ट्रस्ट/योजनाएं)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
i) लेनदेन		
रोजगार पश्चात योजनाओं में योगदान (वर्ष केलिए)	2241.50	3444.90
ii) शेष राशि		
ट्रस्ट को देय (निवल)	599.44	104.12

सरकार और उसी सरकार के नियंत्रणवाली संस्थाओं के साथ लेनदेन और शेष

दिनांक 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार के पास कंपनी के 67.91% इक्विटी शेयर हैं जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करती है।

कंपनी ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण प्रभाव रखनेवाली संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं।

i) भारत सरकार के साथ लेनदेन / शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
भारत सरकार को देय राशि	234.19	234.19
वर्ष के दौरान भारत सरकार को लाभांश के रूप में भुगतान की गई राशि	17,420.45	17,713.30

ii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
भुगतान किए पट्टा किराया	2,842.93	2,615.20
बिजली एवं जल आपूर्ति शुल्क	904.87	1,354.38
वार्षिक लाभ शेयर भुगतान	910.67	227.73
कर्मचारी संबंध खर्च	1,745.25	596.68
आईएसआरएफ क्षेत्र की ड्रेजिंग	364.49	429.73
टग्स और मार्गदर्शन प्रभार	516.14	360.99
प्रत्याभूत राशि	241.83	233.04
प्रचालन से राजस्व	13,906.28	4,130.17

iii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण संतुलन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
देय	8.18	26.46
आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिम राशि	134.81	72.09
प्राप्य	5570.87	2,787.77
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	3804.77	4,260.63

उपरोक्त के अलावा, कंपनियों के कुल कारोबार का लगभग 73.20% (लगभग) और व्यापार प्राप्तियों और ग्राहक अग्रिम का 79.19% (लगभग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 54 : वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों केलिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने केलिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर । इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर ॥ इनपुट, स्तर । में शामिल उद्धृत दर को छोडकर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता केलिए विचार योग्य है।

स्तर ॥। इनपुट, परिसंपत्ति या देयता केलिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है।

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	47,481.87	35,852.42	स्तर ।।।
(ii) ऋण	1,124.98	551.52	स्तर ।।।
(iii) अन्य	183.15	160.73	स्तर ।।।
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	41,166.30	22,527.71	स्तर ।।।
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	678.55	31,083.37	स्तर ।।।
(iii) बैंक शेष (ii) को छोडकर	2,27,024.39	2,71,038.29	स्तर ।।।
(iv) ऋण	163.99	644.33	स्तर ।।।
(v) अन्य	5,978.07	22,829.29	स्तर ।।।
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**3,23,801.30**	**3,84,687.66**	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	2,302.20	2,302.20	स्तर ।।।
(ii) पट्टा देयताएं	52,386.32	44,755.75	स्तर ।।।
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	स्तर ।।।
चालू			
(i) उधार	99,246.59	-	स्तर ।।।
(ii) देय व्यापार	90,459.44	29,297.37	स्तर ।।।
(iii) पट्टा देयताएं	3,527.25	3,025.42	स्तर ।।।
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	28,638.54	28,477.23	स्तर ।।।
कुल वित्तीय देयताएं	**2,76,560.34**	**1,07,857.97**	

नोट:

1. इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार केलिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों केलिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने केलिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने केलिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

2. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है।

3. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

4. वित्तीय देनदारियों (व्यापार और अन्य देय देनदारियां और प्रतिभूति जमा) के लिए, परिशोधित लागत पर उचित मूल्य का निर्धारण डिस्काउंटेड कैश फ्लो विधि का उपयोग करके किया जाता है; इनका परिशोधन समग्र आधार पर और सीधी रेखा विधि से किया जाता है, क्योंकि इनका व्यक्तिगत प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी की उपयुक्त बाजार उधार दर का उपयोग डिस्काउंटिंग के लिए किया जाता है।

5. वित्तीय देनदारियों (व्यापार और अन्य देय देनदारियां और प्रतिभूति जमा) के लिए, परिशोधित लागत पर उचित मूल्य का निर्धारण डिस्काउंटेड कैश फ्लो विधि का उपयोग करके किया जाता है; इनका परिशोधन समग्र आधार पर और सीधी रेखा विधि से किया जाता है, क्योंकि इनका व्यक्तिगत प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर कंपनी की उपयुक्त बाजार उधार दर का उपयोग डिस्काउंटिंग के लिए किया जाता है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	मार्च 31, 2026 को			मार्च 31, 2025 को		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
- इक्विटी साधन		22.49	24,735.34	-	19.26	24,735.34
- ऋण साधन			22,724.04	-	-	11,097.82
- वरीयता शेयर						
निवेश (चालू)						
- म्यूचवल फंड						
प्राप्य व्यापार			41,166.30	-	-	22,527.71
नकद एवं नकद समतुल्य			678.55	-	-	31,083.37
बैंक शेष			2,27,024.39	-	-	2,71,038.29
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			7,450.19	-	-	24,185.87
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**22.49**	**3,23,778.81**	**-**	**19.26**	**3,84,668.40**
वित्तीय देयताएं						
उधार			1,01,548.79	-	-	2,302.20
प्राप्य व्यापार			90,459.44	-	-	29,297.37
पूंजीगत लेनदारों						
अन्य वित्तीय देयताएं			84,552.11	-	-	76,258.40
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**2,76,560.34**	**-**	**-**	**1,07,857.97**

इंड एएस 107 में संशोधन: आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था से संबंधित खुलासे

कंपनी ने वर्ष के दौरान वित्त प्रदाताओं के साथ कुछ आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था (एसएफए) की है। इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आपूर्तिकर्ताओं को शीघ्र भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। कंपनी वित्त प्रदाता को कोई संपार्श्विक या गारंटी नहीं देती है।

वित्तीय देनदारियों की वहन राशि:	मार्च 31, 2026
(i) 'व्यापार देय' के अंतर्गत वर्गीकृत वित्तीय देनदारियां	-
(ii) (i) में से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वित्त प्रदाताओं से प्राप्त राशि	-

भुगतान की शर्तें	मार्च 31, 2026
(i) व्यवस्था का हिस्सा बनने वाली वित्तीय देनदारियां	30-45 दिन
(ii) तुलनीय व्यापार देय जो व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं	30-45 दिन

कंपनी ने संक्रमणकालीन राहत लागू की है और तदनुसार, जहां भी लागू हो, उपरोक्त खुलासों के लिए तुलनात्मक जानकारी संशोधन को अपनाने के पहले वर्ष में प्रस्तुत नहीं की गई है।

नोट 55 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोडकर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम केलिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ -साथ विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करनेवाली नीतियों केलिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों केलिए व्युत्पन्नों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम न्यूनतम है क्योंकि एक्सपोज़र प्राथमिक रूप से नोट 24 में बताए गए अनुसार निश्चित ब्याज दरों के साथ रिडीम करने योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड के कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है। स्थायी दर उधारी के मौजूदा प्रोफाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

कंपनी ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि कंपनी कार्यशील पूंजी निधि उधार लेती है जिसका बेंचमार्क ओवरनाइट ट्रेजरी बिल, आरबीआई रेपो और छह महीने की यूरो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ वायदा अनुबंध करके शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि को बकाया वायदा संविदा का प्रकटीकरण नोट 47 में दिया गया है।

आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा किया गया) में व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हेज किए गए एक्सपोजर के शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम केलिए कंपनी का एक्सपोज़र निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
31 मार्च 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय देयताएं					
31 मार्च 2026	5653.09	13414.92	142.59	8848.36	28058.96
31 मार्च 2025	7665.48	11024.90	64.24	0.48	18755.10

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तिय लिखतों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदें शामिल हैं जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव के शुद्ध हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन केलिए उनके अनुवाद को समायोजित करते हैं, अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवदेनशीलता दर विदेशी विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
प्राप्तियां		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
देय		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(282.65)	(383.27)
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	282.65	383.27
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(670.75)	(551.25)
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	670.75	551.25
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(7.13)	(3.21)
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	7.13	3.21
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(442.42)	(0.02)
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	442.42	0.02
कर पूर्व लाभ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	282.65	383.27
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	(282.65)	(383.27)
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	670.75	551.25
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	(670.75)	(551.25)
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	7.13	3.21
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	(7.13)	(3.21)
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	442.42	0.02
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	(442.42)	(0.02)

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग. सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों केलिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। कंपनी मुख्य रूप से अपने कच्चे माल को खुले बाज़ार में तीसरे पक्ष से खरीदती है। इसलिए कंपनी स्टील की खरीद केलिए कीमतों में उतार-चढाव के अधीन है, जोकि प्राथमिक कच्चा माल इनपुट है। कंपनी कस लक्ष्य तैयार उत्पादों को फर्म अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने केलिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं और इसके विनिर्देशों के कारण प्रकृति में विषम है, कंपनी के कमोडिटी जोखिम केलिए जोखिम न्यूनतम है।

निम्नलिखित तालिका स्टील के इनपुट मूल्य में 5% की गति के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में वर्ष के दौरान उपभोग की गई मात्रा केलिए कमोडिटी की कीमतों में केवल 5% परिवर्तन शामिल है, अन्य सभी चर स्थिर हैं।

(₹ लाखों में)

वस्तु	5 % की वृद्धि		5 % की कमी	
	मार्च 31, 2026 को	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2026 को	मार्च 31, 2025 को
स्टील	444.71	622.62	(444.71)	(622.62)

घ. चल निधि जोखिम

जोखिम है कि एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुडे दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पडेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय आस्ति को उसके उचित मूल्य के निकट की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों केलिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनी संचालन केलिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकद समकक्षों के साथ अल्पकालिक और लंबी अवधि में चल निधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्तीय आस्तियों और देनदारियों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को (₹ लाखों में)			मार्च 31, 2025 को (₹ लाखों में)		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति						
गैर चालू निवेश	247.04	-	47,234.83	117.36	-	35,735.06
ऋण (गैर चालू)	-	399.60	725.38	-	228.43	323.09
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)	-	38.70	144.45		37.92	122.81
प्राप्य व्यापार	41,166.30	-	-	22,527.71		
रोकड और रोकड समतुल्य	678.55	-	-	31,083.37		
रोकड और रोकड समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	2,27,024.39	-	-	2,71,038.29		
ऋण	163.99	-	-	644.33		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5,978.07	-	-	22,829.29	-	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,75,258.34**	**438.30**	**48,104.66**	**3,48,240.35**	**266.35**	**36,180.96**
वित्तीय देयताएं						
उधार (गैर चालू)	2.20	2,300.00		2.20		2,300.00
पट्टा देयताएं (गैर चालू)		7,867.95	44,518.37		6,477.61	38,278.14
उधार (चालू)	99,246.59		-			-
पट्टा देयताएं	3,527.25	-		3,025.42		
प्राप्य व्यापार	90,459.44	-		29,297.37		
अन्य वित्तीय देयताएं	27,969.91	668.63		27,970.60	506.63	
कुल वित्तीय देयताएं	**2,21,205.39**	**10,836.58**	**44,518.37**	**60,295.59**	**6,984.24**	**40,578.14**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ङ. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) से ऋण जोखिम के संपर्क में है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों, व्युत्पन्न उपकरणों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अन्य वित्तीय संपत्तियों के संपर्क में है। कंपनी ने केवल उन प्रतिपक्षकारों से निपटने की नीति अपनाई है जिनके पास क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने केलिए पर्याप्त रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग है। व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं और नकद और नकद समक्ष और व्युत्पन्न उपकरण बैंकों और उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास बनाए जाते हैं।

व्यापार प्राप्तियों केलिए एक व्यावहारिक सुविधा के रूप में कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करती है जो व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर विचार करती है, जो आगे के अनुमानों के लिए समायोजित होती है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में उतार-चढाव का खुलासा नोट 15 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2026 और दिनांक 31 मार्च 2025 के रूप में तुलन पत्र के घटकों केलिए क्रेडिट जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम एक्सपोज़र नोट संख्या 15 में उल्लिखित अग्रणी राशि है और जैसा कि नोट 53 में कहा गया है, कंपनी के कारोबार का लगभग 73.20% (लगभग) और व्यापार प्राप्तियों का 79.19% (लगभग) और ग्राहक इसे सरकार और सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिम करते हैं। वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों और वित्तीय गारंटियों से संबंधित अधिकतम एक्सपोज़र का खुलासा क्रमशः नोट 47 और नोट 49 में किया गया है।

नोट 56 : भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के अनुसार प्रकटीकरण

क. चालू परिसंपत्तियों की वसूली बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को (₹ लाखों में)			मार्च 31, 2025 को (₹ लाखों में)		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
माल सूची	2,14,233.63	-	2,14,233.63	1,76,096.42	-	1,76,096.42
प्राप्य व्यापार	41,166.30	-	41,166.30	22,527.71	-	22,527.71
रोकड और रोकड तुल्यांक	678.55	-	678.55	31,083.37	-	31,083.37
बैंक शेष	2,27,024.39	-	2,27,024.39	2,71,038.29	-	2,71,038.29
ऋण	163.99	-	163.99	644.33	-	644.33
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5,978.07	-	5,978.07	22,829.29	-	22,829.29
वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	10,230.22	-	10,230.22	-	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियां	4,29,797.75	74,257.19	5,04,054.94	3,91,250.95	9,508.86	4,00,759.81

ख. वर्तमान देनदारियों का निपटान बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है :

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को (₹ लाखों में)			मार्च 31, 2025 को (₹ लाखों में)		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
उधार	99,246.59		99,246.59	-		-
पट्टा देयता	3,527.25	-	3,527.25	3,025.42	-	3,025.42
व्यापार देय	90,459.44	-	90,459.44	29,297.37	-	29,297.37
अन्य वित्तीय देयता	27,969.91	668.63	28,638.54	27,970.60	506.63	28,477.23
अन्य वर्तमान देयता	1,34,071.28	3,34,439.25	4,68,510.53	1,17,714.10	4,04,899.40	5,22,613.50
प्रावधान	61,593.37	-	61,593.37	1,04,770.06	359.20	1,05,129.26
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	-	-	-	2,647.80	-	2,647.80

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 57 : सेग्मेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है: पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आबंटित किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को	मार्च 31, 2025 को
सेंगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	9,81,929.73	8,22,323.58
पोत मरम्मत	3,68,919.83	3,48,784.30
अनाबंटित	57,957.92	1,33,441.35
कुल	**14,08,807.48**	**13,04,549.23**
सेंगमेंट देयता		
पोत निर्माण	5,99,776.60	4,36,865.61
पोत मरम्मत	40,339.61	1,01,917.29
अनाबंटित	1,79,408.43	2,04,701.13
कुल	**8,19,524.64**	**7,43,484.03**
सेंगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण *	2,65,138.62	2,66,326.95
पोत मरम्मत *	1,65,630.45	1,86,457.20
अनाबंटित	40,457.20	38,044.61
कुल	**4,71,226.27**	**4,90,828.76**
सेंगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	47,536.79	43,421.67
पोत मरम्मत	42,941.22	72,919.61
अनाबंटित	6,477.83	688.19
कुल	**96,955.84**	**1,17,029.47**

खंड के समाधान से निरंतर संचालन से कर पूर्व लाभ प्राप्त होता है:

(₹ लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष केलिए	
	मार्च 31, 2026 को	मार्च 31, 2025 को
सेंगमेंट परिणामों के अनुसार राशि	96,955.84	1,17,029.47
घटाएं : वित्तीय लागत	8,316.03	3,644.93
जोडे विशेष मदें	-	-
निरंतर परिचालन से कर से पहले लाभ	88,639.81	1,13,384.54

कंपनी के दो प्रमुख व्यवसाय खंड हैं - 'पोत निर्माण' और 'पोत मरम्मत'। पोत निर्माण के अंतर्गत राजस्व में दो ग्राहकों (पिछले वर्ष: दो ग्राहक) से 158820.82 लाख रुपये (पिछले वर्ष: ₹206665.27 लाख) शामिल हैं, जो कुल पोत निर्माण राजस्व का 59.90% राजस्व है, और पोत मरम्मत के लिए दो ग्राहकों (पिछले वर्ष: दो ग्राहक) से 100833.29 लाख रुपये (पिछले वर्ष: ₹153005.55 लाख) शामिल हैं, जो कुल पोत मरम्मत राजस्व का 60.88% है।

*प्रचालन से खंड राजस्व में से, 1,10,570.34 लाख रुपये (पिछले वर्ष में 53,436.82 लाख रुपये) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 58 : पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने केलिए शेयरधारकों केलिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य केलिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों केलिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने केलिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2026 को	मार्च 31, 2025 को
दीर्घकालीन उधार	2,302.20	2,302.20
निवल ऋण *	1,01,548.79	2,302.20
इक्विटी शेयर पूंजी	13,154.04	13,154.04
अन्य इक्विटी	5,76,128.80	5,47,911.16
कुल इक्विटी	5,89,282.84	5,61,065.20
गियरिंग अनुपात	17.23%	0.41%

* निवल ऋण में कंपनी के अल्पकालिक उधार शामिल हैं, जिनकी राशि 99246.59 लाख रुपये है (पिछले वर्ष शून्य थी)।

31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन केलिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुपात	अंश	भाजक	मार्च 31, 2026 को	मार्च 31, 2025 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(क)वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देयताएं	1.33	1.34	(0.28%)	-
(ख)ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.17	0.00	4099.73%	वर्ष के दौरान लिए गए अल्पकालिक ऋणों के कारण
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	* ऋण सेवा केलिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	1.01	14.32	(92.94%)	वर्ष के दौरान लिए गए अल्पकालिक ऋणों के कारण
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.11	0.16	(29.46%)	वर्ष के दौरान लाभ में कमी के कारण
(ङ)वस्तुसूची कुल बिक्री अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत सूची	2.21	3.33	(33.71%)	परियोजना-विशिष्ट सामग्रियों और उपकरणों के स्टॉक में मौजूद होने के कारण, जो वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में मौजूद केलिए आवश्यक हैं और कारोबार में कमी के कारण ऐसा हुआ है।
(च)व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत प्राप्य खाता	12.44	13.30	(6.47%)	
(छ)व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	3.71	7.79	(52.35%)	वर्ष के दौरान प्रापण में कमी और व्यापार देयताओं में वृद्धि के कारण

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अनुपात	अंश	भाजक	मार्च 31, 2026 को	मार्च 31, 2025 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(ज) निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.71	1.94	(11.58%)	-
(झ) निवल लाभ अनुपात,	कुल लाभ	कुल बिक्री	0.15	0.19	(19.81%)	-
(ञ) नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और करों से पहले कमाई	गोचर निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.14	0.21	(33.39%)	लाभ में कमी और वर्ष के दौरान लिए गए अल्पकालिक ऋणों के कारण कुल उधार में वृद्धि के कारण
(ट) निवेश पर वापसी :						
(1) इक्विटी निवेश पर आरओआई- गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनी	लाभांश	सहायक कंपनियों की इक्विटी में औसत निवेश	-	-	-	-
(2) इक्विटी निवेश पर आरओआई- अन्य	लाभांश	इक्विटी शेयरों में औसत निवेश	2.59%	3.40%	(23.92%)	-

* ऋण सेवा केलिए कमाई = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि।

*ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती

नोट 59 : कंपनी ने अपने लेखा बहियों में बनाए रखने केलिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के रूप में ईआरपी, एसएपी एस/4हाना का उपयोग किया है, जिसमें नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोडकर संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन केलिए सुरक्षा लेखापरीक्षा लॉग और पूरे वर्ष रिकॉर्डिंग लेखा सत्यापन (एडिट लॉग) की सुविधा है।

i. लेखा बहियों को बनाए रखने केलिए उपयोग किए जानेवाले लेखांकन सॉफ्टवेयर केलिए डेटा परिवर्तनों को लॉग करने केलिए पहचाने गए डेटाबेस तालिकाओं केलिए लेखा सत्यापन (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम की गई थी। हालांकि, एसएपी डेटाबेस तालिकाओं में कोई प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

ii. ईआरपी में सुरक्षा लेखापरीक्षा लॉग को वर्ष 2022 से सक्षम किया गया था। लेखा सॉफ्टवेयर की लेखा सत्यापन (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा मार्च, 2024 को सक्षम की गई थी।

इसके अलावा, लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में लेखा सत्यापन की सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला सामने नहीं आया तथा रिकॉर्ड को सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में संरक्षित किया गया है।

नोट 60 : वर्ष केलिए आयातित वस्तुओं/सेवाओं की खपत 87614.38 लाख रुपए (पिछले वर्ष 80419.32 लाख रुपए)

नोट 61 : बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने केलिए कंपनी के सामने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 62 : कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है । विभिन्न बैंकों द्वारा मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के तहत स्वीकृत कुल फंड आधारित और गैर-फंड आधारित सीमाएं इस प्रकार हैं:

विवरण	स्वीकृत सीमा	उपयोगिता मार्च 31, 2026 को		स्वीकृत सीमा	उपयोगिता मार्च 31, 2025 को	
		मूल्य	उपयोगिता %		मूल्य	उपयोगिता %
गैर-निधि आधारित सीमा	1579000	1141128	72.27%	1583900	1088611	68.73%
बैंक गारंटी	1355500	1121877	82.76%	1345500	1069488	79.49%
साख पत्र	223500	19251	8.61%	238400	19123	8.02%
निधि आधारित सीमा	200000	99247	49.62%	शून्य	शून्य	शून्य
डब्ल्यूसीडीएल	150000*	73175	48.78%	शून्य	शून्य	शून्य
पीसीएफसी	50000	26072	52.14%	शून्य	शून्य	शून्य

* निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत सीमा तक सीमित।

कंपनी को बैंकों के समक्ष कोई तिमाही वापसी या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट 63 : कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है,

नोट 64 : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

नोट 65 : वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने केलिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

नोट 66 : कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से), समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगा। कंपनी को विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टियां) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी।

कंपनी को समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (i) निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेशी करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह की गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 67 : कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते।

नोट 68 : ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम केलिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है।

नोट 69 : कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावणान किया गया है। कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसकेलिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है।

नोट 70 : कोष्ठक के आंकडे शून्य आंकडे को दर्शाता है।

नोट 71 : पिछले वर्ष के आंकडे को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि केलिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबु ए कलिवयलिल व कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. - A25337

राजेष गोपालकृष्णान
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार
सदस्यता सं. 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('नियंत्रित कंपनी' के रूप में संदर्भित) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और इसके नियंत्रित कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सम्मिलित रूप से 'ग्रूप' के रूप में संदर्भित है) जिसमें दिनांक 31 मार्च 2026 के समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सूचना का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। (जिसे इसके बाद समेकित वित्तीय विवरण कहा जाएगा।)

2. हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और ऐसी सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दिनांक 31 मार्च 2026 को ग्रूप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित),इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

3. हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का महत्व

4. **दो यात्री जलयानों के निर्माण को निलंबित करना और संबंधित अनिश्चितताएं :**

वर्ष 2016 में नियंत्रित कंपनी ने भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ कुल 81,900 लाख रुपए (करों और विदेशी मुद्रा भिन्नता को छोडकर) के अनुबंध मूल्य पर दो यात्री जलयानों के निर्माण केलिए एक अनुबंध प्रवेश किया। जलयानों को क्रमश: जनवरी 2020 और अगस्त 2022 में जलावतरण किया गया था।

रिपोर्टिंग की तारीख तक, चौथे चरण तक लगभग 55% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और प्रशासन से कुल 66,503.63 लाख रुपए (पिछले वर्ष 66,503.63 लाख रुपए) का भुगतान प्राप्त हुआ है। पांचवां और अंतिम चरण जलयानों की सुपुर्दगी से जुड़ा हुआ है।

इसके बाद, एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने एक जलयान की सुपुर्दगी लेने का इरादा व्यक्त किया है, जबकि दूसरे पोत को एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में लेने का प्रस्ताव है, दोनों कुछ पुनर्विन्यास के अधीन हैं। हालांकि, लागतों की प्रतिपूर्ति सहित संशोधनों और संबंधित वाणिज्यिक शर्तों का दायरा अभी भी पार्टियों के बीच तय किया जाना बाकी है। आवश्यक अनुमोदन की प्राप्ति और वाणिज्यिक व्यवस्था के अंतिम रूप दिए जाने तक, आगे निर्माण गतिविधियां निलंबित रहेंगी।

तदनुसार, नियंत्रित कंपनी ने प्रशासन को प्रस्तुत की गई बैंक गारंटियों की लंबी निष्क्रियता के कारण जलयानों की उम्र बढ़ने, बर्थिंग स्पेस के कब्जे और 1,12,411.88 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 1,10,936.04 लाख रुपए) की वार्षिक पुन: सत्यापन लागत जैसे कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। (संदर्भ नोट संख्या 35(5))।

5. पोत निर्माण वित्तीय सहायता का वर्गीकरण :

नियंत्रित कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि जलयानों की कीमत निर्धारित करते समय, यह पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) को ध्यान में रखता है जो पोत निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने एसबीएफए को 'उत्पाद की बिक्री' के तहत पुनर्गठित किया है, जिसे अब तक 'अन्य परिचालन राजस्व' के तहत समूहीकृत किया गया था। (नोट संख्या 35(6) देखें)।

6. एचसीएसएल द्वारा पट्टा लेखांकन :

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) अपनी पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में लेखांकन के लिए भारतीय लेखा मानक 116 का पालन कर रहा है। हालांकि, एचसीएसएल द्वारा गणना के लिए पट्टा अवधि और प्रभावी तिथियां 23 सितंबर, 2021 (विलेख) के बीच एचसीएसएल और भारत के राष्ट्रपति (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) के बीच घोषणा के विलेख के प्रावधानों के साथ संरेखित नहीं हैं। 19 जनवरी, 2018 की पट्टे के मूल विलेख के साथ पढ़ा गया यह विलेख एचसीएसएल की पट्टे पर ली गई भूमि के लिए शासी समझौता है। एचसीएसएल ने 19 जनवरी, 2018 को हस्ताक्षरित मूल पट्टा समझौते के आधार पर पट्टा किराया मान्यता दी है, जिसे बाद में हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बाहर निकलने के कारण कानून के संचालन के कारण संशोधित किया गया था। पट्टा अवधि और प्रभावी तिथियां लेखा पुस्तकों में पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के मूल्यांकन के लिए विलेख के प्रावधानों के साथ समानता में बनाई जानी चाहिए ।

7. एचसीएसएल द्वारा भारत सरकार को पट्टे के किराए के विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान :

एचसीएसएल ने अपनी पट्टे वाली भूमि के लिए पट्टे का किराया हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) (अब भंग) को निम्नलिखित रूप से दिया था:

क्षेत्र	से	तक
क. 5.31 एकड, नज़ीरगंज	16-फरवरी-2019	31-अक्तूबर-2019
ख. 10.45 एकड, नज़ीरगंज	01-जुलाई - 2019	31-अक्तूबर-2019
ग. 9.91 एकड, साल्किया	—	—

इसके बाद, नवंबर 2019 से लंबित पट्टा किराया (क्षेत्र क और ख के संबंध में) और 1 जनवरी, 2020 से (क्षेत्र ग के संबंध में) सितंबर 2024 तक भारत सरकार (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) को अगस्त 2024 में भुगतान किया गया था।

बेंचमार्क ब्याज दर (एसबीआई 6 महीने एमसीएलआर) @ 8.90% अ 2.00% = 10.90% प्रति वर्ष पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 54.76 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए खातों में प्रदान की गई थी।

हालांकि, एचसीएल द्वारा पट्टा किराया क्रमशः क्षेत्र क, ख और ग के लिए 16 फरवरी, 2019, 1 जुलाई, 2019 और 1 जनवरी, 2020 से संगणित किया गया था। घोषणा के विलेख के अनुसार 19 जनवरी, 2018 (प्रभावी तिथि) से अवधि के लिए पट्टा किराया और 19 जनवरी, 2018 से 15 फरवरी, 2019, 30 जून, 2019 और 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के लिए उस पर ब्याज (रु. 27.84 लाख) एचसीएल द्वारा नहीं माना गया था। एचसीएल द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि और पट्टे के किराए को एचसीएल और भारत के राष्ट्रपति (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) के बीच निष्पादित 23 सितंबर, 2021 के घोषणा विलेख के साथ सहमति नहीं है।

8. एचसीएसएल द्वारा कैसॉन गेट का निर्माण :

एचसीएसएल द्वारा कैसॉन गेट के निर्माण की परियोजना 31 मार्च, 2026 (पिछले वर्ष: 98.75%) को 98.75% पूर्णता तक पहुंच गई है। 31 मार्च, 2023 को संविदात्मक वितरण तिथि समाप्त हो गई।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई प्रत्यक्ष प्रगति हासिल नहीं की गई। हालांकि, वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष परियोजना व्यय में 6.02 लाख रुपये की वृद्धि हुई। परियोजना को अंतिम चरण में पूरा करने में लगातार देरी के परिणामस्वरूप परियोजना लागत में वृद्धि हुई है।

9. एचसीएसएल की जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी):

एचसीएसएल के मामले में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आय में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) के तहत मान्यता प्राप्त 1,236.77 लाख रुपए (पिछला वर्ष: 188.02 लाख रुपये) शामिल हैं।

उपर्युक्त सहायता की प्राप्ति पोतों की समय पर सुपुर्दगी और एसबीएफएपी के तहत निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन है। इसके अलावा, एमपीवी जेएके पोत से संबंधित 218.42 लाख रुपये की सहायता के संबंध में अंतिम अनुमोदन 31 मार्च, 2026 तक लंबित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला:

10. मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
1.	**पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के प्रत्यक्ष समापन का मापन** (नोट 2.5 देखें - महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय और नोट 3.11 (क) - परिचालन से राजस्व) नियंत्रित कंपनी रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार किए गए कार्य की अनुमानित भौतिक प्रगति के आधार पर जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत अनुबंधों के पूरा होने के चरण का निर्धारण करती है। प्रत्यक्ष पूर्णता का आकलन आंतरिक रूप से प्रबंधन द्वारा किया जाता है, जो तकनीकी मूल्यांकन और योजना, डिजाइन और इंजीनियरिंग विभागों से प्राप्त इनपुट पर आधारित होता है। प्रत्येक उप-गतिविधि की पूर्णता की सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी निर्णय और अनुमान की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से किए गए कार्य का आकलन करने के लिए, लेकिन अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। तकनीकी जटिलता और आकलन की आंतरिक प्रगति पर निर्भरता को देखते हुए, प्रत्यक्ष पूर्णता के माप को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल थे: • प्रत्यक्ष प्रगति को मापने की प्रक्रिया और परियोजना निष्पादन विवरण को कैप्चर करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियों की समझ प्राप्त करना। • परियोजना की प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना। • समर्थक दस्तावेज़ों, परियोजना रिपोर्टों, महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रमाणन और एम-बुक रिकॉर्ड की जांच करके नमूना-आधारित ठोस प्रक्रियाओं का निष्पादन करना। • चुनिंदा मामलों में, पूर्णता के चरण के प्रबंधन के आकलन की पुष्टि करने के लिए बाहरी विशेषज्ञ रिपोर्ट प्राप्त करना। जबकि हमने उपरोक्त प्रक्रियाओं को अंजाम दिया, प्रत्यक्ष पूर्णता के माप में स्वाभाविक रूप से तकनीकी मूल्यांकन शामिल है, और हमने नियंत्रित कंपनी के प्रबंधन के तकनीकी और गतिविधि-आधारित आकलन पर भरोसा किया।
2.	**राजस्व की मान्यता -पोत निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंध** (नोट 3.11 (क) देखें - प्रत्यक्ष लेखांकन नीति सूचना के तहत राजस्व मान्यता, नोट 35 - संचालन से राजस्व, और नोट 46 - भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अतिरिक्त खुलासे, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व') नियंत्रित कंपनी इंड एएस 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुसार समय के साथ पोत निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है। राजस्व मान्यता में प्रदर्शन दायित्वों की पहचान करने, लेनदेन मूल्य (परिवर्तन आदेश और दावों जैसे परिवर्तनशील विचार सहित) का निर्धारण करने, आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी के लागू अधिकार का आकलन करने, कुल अनुबंध लागत और लागत का अनुमान लगाने, अनुबंध-विशिष्ट जोखिमों के लिए लागत आकस्मिकताओं को शामिल करने और जब ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं तो कठिन अनुबंधों पर अपेक्षित नुकसान को पहचानने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल थे: • नियंत्रित कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों की उपयुक्तता और भारतीय लेखा मानक 115 के अनुपालन का मूल्यांकन करना। प्रदर्शन दायित्वों की पहचान, कुल अनुबंध लागत के अनुमान, आकस्मिकताओं के आकलन, अनुबंध संशोधनों के मूल्यांकन और परिवर्तनीय विचार की मान्यता पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का परीक्षण। • लेनदेन मूल्य और संविदात्मक अधिकारों के प्रबंधन के निर्धारण का आकलन करने के लिए चयनित अनुबंधों, संशोधनों और संबंधित दस्तावेज़ों की जांच करना। • आज तक किए गए लागतों की तुलना प्रबंधन के लागत-से-पूरा होने के अनुमानों से करना और वास्तविक परिणामों के खिलाफ पूर्व अनुमानों की पूर्वव्यापी समीक्षा करना। • अनुबंध की शर्तों, ग्राहक पत्राचार और जहां प्रासंगिक हो, कानूनी आकलन की समीक्षा के माध्यम से परिवर्तनीय विचार के प्रबंधन के मूल्यांकन का मूल्यांकन करना। • असामान्य राजस्व रुझानों, नुकसान वाले या बोझिल अनुबंधों और लागत अनुमानों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का निष्पादन करना।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
	इन निर्णयों और अनुमानों में परिवर्तन राजस्व और लाभ की समय-सीमा और राशि को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। राजस्व के परिमाण और भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुबंध लेखांकन की जटिलता को देखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना।	• आईएएस 115 और अधिनियम की अनुसूची III के अनुसार संबंधित खुलासे की पर्याप्तता का आकलन करना। निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमें होल्डिंग कंपनी के भारतीय लेखा मानक 115 के आवेदन के संबंध में कोई भौतिक अपवाद नहीं मिला।

अन्य जानकारी

11. नियंत्रित कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में नियंत्रित कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। नियंत्रित कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध होने की उम्मीद है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

12. समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ा जाए और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार किया जाए कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से असंगत है, या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

13. जब हम नियंत्रित कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोइ प्रत्यक्ष गलत बयान है, तो हमें उन लोगों को मामले को सूचित करने की आवश्यकता होती है जो शासन के प्रभारी हैं और लागू कानूनों और विनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों केलिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां

14. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए नियंत्रित कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित स्थिति, समेकित लाभ सहित अन्य व्यापक आय, समेकित इक्विटी में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह का एक सच्चा और उचित दृश्य देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक भी शामिल है। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सच्चा और उचित दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण प्रत्यक्ष गलत बयानी से मुक्त हैं।

15. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी की एक चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण केलिए लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी :

16. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारीकरने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर,

इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

17. एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहें वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)((i)) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में लेखांकन के चल-फिरती आधार के उपयोग के संबंध में समूह के प्रबंधन और निदेशक मंडल के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें, चाहे ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद हो जो इस धारणा की उपयुक्तता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियाँ समूह को चल-फिरती चिंता के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।

- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

- समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों के बारे में एक राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार बने हुए हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' शीर्षक वाले अनुभाग के पहले पैराग्राफ में आगे किया गया है।

18. भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम :

(i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

19. हम नियंत्रित कंपनी के शासन के प्रभारी लोगों और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ संवाद करते हैं, जिनमें हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, अन्य बातों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जो हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

20. हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जिन्हें शासन के साथ आरोपित किया गया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करना है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

21. गवर्नेंस के साथ आरोपित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले :

22. हमने दो सहायक कंपनियों, अर्थात् 'हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' और 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)' के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2026 को कुल संपत्ति 92,384.83 लाख रुपए (पिछले वर्ष- 83,134.88 लाख रुपये) (समेकन समायोजन से पहले) को दर्शाते हैं, कुल राजस्व 75,921.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष- 34,101.75 लाख रुपए) और 2,475.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष- 619.69 लाख रुपए) का निवल आउट कैशफ्लो, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों मे माना गया है। इन वित्तीय विवरणों का अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143(3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपर्युक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

23. समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्यों और उनकी रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामले के वास्ते संशोधित नहीं की गई है।

24. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनकी 15 मई, 2025 की रिपोर्ट ने समेकित वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी। इस मामले के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

25. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, हम अनुबंध में आदेश के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू है, उस पर हमारी रिपोर्ट **'अनुलग्नक क'** के रूप में संलग्न है।

26. बोर्ड और बोर्ड समितियों के संयोजन का गैर-अनुपालन

हम इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि, वर्ष के दौरान, नियंत्रित कंपनी के मामले में, गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की अपेक्षित संख्या लागू नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी एलओडीआर विनियम') के तहत अपेक्षित बोर्ड और उसकी कुछ अनिवार्य समितियों की संरचना से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। समय-समय पर संशोधित। परिणामस्वरूप, नियंत्रित कंपनी के पास अधिनियम की धारा 177 और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के अनुसार विधिवत गठित लेखा परीक्षा समिति नहीं थी, न ही अधिनियम की धारा 178 और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 19 के तहत अपेक्षित विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति थी।

तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार समीक्षा नहीं की गई है। प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है, और आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए सरकार को आवश्यक संचार किया गया है।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

27. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य केलिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगा है और प्राप्त कर लिया है।

ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षितानुसार लेखे के उचित बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

ग. इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ मेल खाता है।

घ. हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण समय-समय पर संशोधित कंपनी (खाता) नियम, 2016 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान नियंत्रित कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, जो निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।

च. ग्रूप की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **'अनुलग्नक ख'** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है;

छ. संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में: प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान निगमित मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, जी.एस.आर. के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:

i. अपनी समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमें के प्रभाव का खुलासा किया है। (समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 49 का संदर्भ लें।)

ii. ग्रूप ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, केलिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है।

iii. ग्रूप द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष केलिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है।

iv. क. नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत किया गया है, ने क्रमशः हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, नियंत्रक कंपनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी या किसी अन्य द्वारा कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(ओं) को, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। होल्डिंग कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या कुछ भी प्रदान करें।

ख. नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत किया गया है, उसने क्रमशः हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, नियंत्रक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनियों में से किसी भी व्यक्ति या इकाई (ओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('फंडिंग पार्टियां') शामिल हैं, से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि नियंत्रक कंपनी या ऐसी कोई भी सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी। अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

ग. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जो हमारे द्वारा और सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए परिस्थितियों में उचित और उत्कृष्ठ माना गया है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किए गए हैं, हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखापरीक्षक को यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक ग़लतबयानी शामिल हैं।

v. नियंत्रक कंपनी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है। सहायक कंपनियों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

vi. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित 2024 संस्करण) के नियम 11(छ) के अंतर्गत लेखा सत्यापन पर रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन के अनुसार किए गए हमारे परीक्षण के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल था और सहायक कंपनियों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए परीक्षण, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा किया गया है, उसमें नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर नमूना जांच शामिल था, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर यानी एसएपी एस/4 एचएएनए का उपयोग किया है, जिसमें सुरक्षा ऑडिट लॉग की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) की सुविधा है:

क. लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ़्टवेयर के लिए डेटा परिवर्तनों को लॉग करने के लिए पहचाने गए डेटाबेस तालिकाओं के लिए लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) के अनुरक्षण की सुविधा सक्षम की गई थी। हालाँकि, एसएपी डेटाबेस तालिकाओं में कोई भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है;

ख. ईआरपी में सुरक्षा लेखापरीक्षा लॉग सक्षम किया गया। लेखांकन सॉफ्टवेयर की लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा वर्ष के दौरान सक्षम की गई;

इसके अलावा, जिस अवधि में लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) सुविधा सक्षम और संचालित थी, हमें और उपर्युक्त सहायक कंपनियों के संबंधित लेखा परीक्षकों को हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखा सत्यापन सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, रिकार्ड संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।लेखा सत्यापन की हमारी जांच, लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार किए गए वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संदर्भ में थी और केवल कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित सीमा तक थी। हमने उक्त नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित मामलों से परे लेखा सत्यापन की कोई लेखा परीक्षा या जांच नहीं की है और न ही हमने लेखा सत्यापन की कोई स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा या जांच की है।

कृते **बाबू ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,

सदस्यता संख्या: 007448
यूडीआईएन : 26007448YPSBJU2895

कोच्ची
15 मई, 2026

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत अनुच्छेद 25 में संदर्भित।

कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ) के अनुच्छेद 3 (xxi) के अनुसार हम सूचित करते हैं कि निम्नलिखित कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण में शामिल संबंधित कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी सीएआरओ रिपोर्ट में योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियां दी हैं:

क्र.स	कंपनी का नाम	सीआईएन	संबंध	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख	संबंधित सीएआरओ रिपोर्ट में अनुच्छेद संख्या
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	L63032KL1972GOI002414	नियंत्रक कंपनी	15 मई,2026	xiii
2	हुगली शिपयार्ड लिमिटेड	U35900WB2017GOI223197	सहायक कंपनी	24 अप्रैल,2026	Nil
3	उडुपी शिपयार्ड लिमिटेड	U27209TN1984GOI010994	सहायक कंपनी	24 अप्रैल,2026	I(ग)

कृते **बाबू ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 05374S
अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,

सदस्यता संख्या: 007448
यूडीआईएन : 26007448YPSBJU2895

कोच्ची
15 मई, 2026

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक- ख

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को दी गई हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत अनुच्छेद 27(च) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए और उस तारीख तक की कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'नियंत्रित कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें नियंत्रित कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों (नियंत्रित कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं, जो उस तारीख तक भारत में शामिल कंपनियां हैं।

हमारी राय में, तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर उनकी रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, नियंत्रित कंपनी तथा भारत में निगमित उसकी ऐसी सहायक कंपनियों के पास 31 मार्च, 2026 की स्थिति में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। यह निष्कर्ष उन कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों पर आधारित है, जिसमें ऐसे नियंत्रणों के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है, जैसा कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट में सूचित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां

संबंधित प्रबंधन और नियंत्रित कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है, जो हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसे अंजाम दें कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है।

चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो नीचे अन्य विषय अनुच्छेद खंड में संदर्भित हैं, समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने केलिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(क) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप से प्रभावित करता है।

(ख) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति केलिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और

(ग) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधडी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड जाएगा।

अन्य मामले

जहां तक सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित किया है, के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अधीन हमारे उपर्युक्त रिपोर्ट उस कंपनी के लेखापरीक्षक की संबंधित रिपोर्ट के आधार पर है।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

कृते **बाबू ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,

सदस्यता संख्या: 007448
यूडीआईएन : 26007448YPSBJU2895

कोच्ची
15 मई, 2026

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ,

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार है। दिनांक 15.05.2026 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की, किंतु उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए संशोधन, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 49 ए (ग) (v) तथा 49 सी में दर्शाया गया है, और अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए किए गए उक्त संशोधनों के मद्देनज़र, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर मुझे कोई और टिप्पणी करने अथवा उसमें कोई अनुपूरक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(एस. वेल्लियांगिरी)
लेखापरीक्षा (पोत परिवहन) के प्रधान निदेशक,

स्थानः चेन्नई
दिनांकः 14.08.2026

दि. 31 मार्च 2026 का

समेकित तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

ब्योरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	4	3,15,643.54	3,03,410.09
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	58,611.36	51,499.36
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	6	724.61	1,292.27
(घ) विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	7	68.06	68.06
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	11,300.18	19.26
(ii) ऋण	9	625.01	551.52
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	190.01	167.03
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	11	2,946.83	2,946.83
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	-	10,964.80
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	795.61	850.60
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		**3,90,905.21**	**3,71,769.82**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	14	2,28,836.29	1,89,608.53
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	15	42,321.88	22,484.91
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	16	10,538.70	31,667.12
(iii) उपर्युक्त (ii) को छोडकर बैंक शेष	17	2,30,055.39	2,79,595.10
(iv) ऋण	18	163.99	131.10
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19	10,616.87	27,864.93
(ग) चालू कर संपत्ति (निवल)	11	10,346.67	-
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	20	5,27,810.60	4,16,801.22
कुल चालू परिसंपत्तियां		**10,60,690.39**	**9,68,152.91**
बिक्री केलिए रखी गई परिसंपत्तियां	21	**1,469.50**	**-**
कुल परिसंपत्तियां		**14,53,065.10**	**13,39,922.73**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	23	5,74,121.68	5,44,771.99
कुल इक्विटी		**5,87,275.72**	**5,57,926.03**
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	24	2,302.20	2,302.20
(ii) पट्टा देयताएं	25	53,599.92	46,013.72
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	26	21.81	19.99
(ख) प्रावधान	27	5,466.48	5,329.32
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	12	5,339.38	614.76
(घ) अन्य अप्रचलित देयताएं	28	940.71	8.08
कुल अप्रचलित देयताएं		**67,670.50**	**54,288.07**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	29	1,07,583.59	4,599.11
(ii) पट्टा देयताएं	30	3,689.62	3,125.68
(iii) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों केलिए कुल बकाया राशि	31	11,364.74	10,461.36
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोडकर लेनदारों के कुल बकाया राशि		84,877.88	38,948.18
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	32	36,610.23	23,916.40
(ख) अन्य चालू देयताएं	33	4,95,874.04	5,41,551.97
(ग) प्रावधान	34	58,118.78	1,02,645.68
(घ) चालू कर कर (निवल)	11		2,460.25
कुल चालू देयताएं		**7,98,118.88**	**7,27,708.63**
कुल इक्विटी और देयताएं		**14,53,065.10**	**13,39,922.73**
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना	1 - 3		
समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 75		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबू ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,
सदस्यता संख्या: 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. - A25337

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15,2026

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के

लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा		टिप्पणी सं.	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I	आय			
	प्रचालनों से आय	35	5,02,186.95	4,81,995.88
	अन्य आय	36	40,982.42	38,906.50
	कुल आय		5,43,169.37	5,20,902.38
II	व्यय :			
	उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	37	2,19,581.67	2,13,404.08
	प्रगतिरत कार्य की सूची में परिवर्तन	38	721.49	(532.85)
	उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	39	1,06,324.14	87,928.42
	कर्मचारियों के भत्ताओं केलिए व्यय	40	47,236.62	42,436.89
	वित्तीय मूल्य	41	9,237.61	3,857.55
	मूल्यह्रास और ऋणमुक्त व्यय	42	12,979.33	10,317.64
	अन्य व्यय	43	42,678.17	38,169.27
	प्रत्याशित हानि तथा व्यय केलिए प्रावधान	44	4,506.92	12,804.33
	कुल व्यय		4,43,265.95	4,08,385.33
III	आसाधारण मदों और कर पूर्व लाभ		99,903.42	1,12,517.05
IV	आसाधारण मदें		-	-
V	कर पूर्व लाभ		99,903.42	1,12,517.05
VI	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	11	8,851.00	29,550.79
	(2) पिछले वर्षों का आयकर	11	(1,948.53)	875.11
	(3) आस्थगित कर	11	21,327.00	(641.90)
VII	वर्ष का लाभ		71,673.95	82,733.05
VIII	अन्य ब्योरेदार आय			
	(क) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत किए जाएंगे			
	(i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		(21,985.41)	865.28
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामन पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		5,548.57	(225.90)
	(ख) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत नही कए जाएंगे			
	(i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुन: मापन		(357.34)	(337.82)
	(ii) एफवीटीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन		3.23	6.71
	(iii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		89.00	86.01
	वर्ष केलिए अन्य ब्योरेदार आय		(16,701.95)	394.28
IX	अवधि केलिए कुल अन्य ब्योरेदार आय (अवधि केलिए लाभ और अन्य ब्योरेदार आय शामिल है)		54,972.00	83,127.33
X	प्रति ₹ 5 इक्विटी शेयर की आय :	45		
	(1) मूल (₹)		27.24	31.45
	(2) तनुकृत (₹)		27.24	31.45
	निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना	1 - 3		
	समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 75		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबू ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,
सदस्यता संख्या: 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. - A25337

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15,2026

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

रोकड प्रवाह समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**99,903.42**	**1,12,517.05**
निम्नलिखित केलिए समायोजन:		
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन व्यय	12,979.33	10,317.64
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	274.45	192.03
वित्त लागत	9,237.61	3,857.55
ब्याज आय	(16,720.55)	(19,781.17)
प्रत्याशित हानि और व्यय केलिए प्रावधान	4,287.61	12,141.50
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है	(20,762.27)	(14,054.34)
व्यापार प्राप्तियों केलिए हानि भत्ता	219.31	662.83
म्यूचअल फंड से लाभांश आय	(148.87)	(72.78)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाते में डालने पर हानि	112.54	5.65
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ	-	(23.90)
आस्थगित सरकारी सहायता	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)		
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ) /हानि		
विदेशी मुद्रा/डेरिवेटिव लेनदेन पर निवल लाभ/हानि	(9,282.18)	86.86
अशोधित ऋण भट्टे - खाते में डालना	-	8,614.55
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	**80,099.26**	**1,14,462.33**
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में (वृद्धि) / कमी	(39,227.76)	(86,999.13)
व्यापार, अन्य प्राप्य और परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(1,30,034.63)	(97,789.58)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (कमी)	(21,205.41)	56,526.85
	(1,10,368.54)	**(13,799.53)**
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(13,039.47)	(14,621.19)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	**(1,23,408.01)**	**(28,420.72)**
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद और अमूर्त संपत्तियां	(7,003.49)	(16,469.60)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	-	(7.42)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(8,112.84)	(9,295.43)
अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/ कमी	49,539.71	76,164.15
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/ कमी	(9,475.44)	(19,472.21)
लाभांश प्राप्त हुआ	148.87	72.78
डीसीआई के एनसीडी में निवेश	(11,148.00)	-
पीपीई से बिक्री आय	33.64	120.63
प्राप्त ब्याज	18,834.71	22,690.37
(उधार)/ ऋणों का पुनर्भुगतान	(105.69)	(43.05)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	**32,711.47**	**53,760.22**
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(3,567.97)	(2,970.05)
प्रदत्त लाभांश	(25,650.38)	(25,650.38)
डब्ल्यूसीडीएल/ अल्पकालिक ऋण से प्राप्त राशि	4,06,957.90	4,599.11
डब्ल्यूसीडीएल/ अल्पकालिक ऋण का पुनर्भुगतान	(3,03,973.43)	-
वित्तीय लागत	(4,198.00)	(292.36)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	**69,568.12**	**(24,313.68)**
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क) अ (ख) अ (ग)	**(21,128.42)**	**1,025.82**
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	**31,667.12**	**30,641.30**
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	**10,538.70**	**31,667.12**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

रोकड प्रवाह समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
रोकड और रोकड तुल्यांक		
बैंक के पास शेष		
चालू खाता	835.23	1,617.12
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	9,703.47	30,050.00
नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन केलिए नकदी और नकदी समतुल्य	**10,538.70**	**31,667.12**

1. नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कर से पहले लाभ/हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और, अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय और निवेश या वित्तीय नकदी प्रवाह से जुडी आय या व्यय की मदों केलिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से होनेवाले नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

2. नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं (ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा के अलावा), जो बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को छोडकर मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। बैंक ऑवरड्राफ्ट, यदि कोई गो, तुलनपत्र में चालू देनदारियों में उधार के भीतर प्रकट किए जाते हैं।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना 1 - 3

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 4 - 75

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबू ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,
सदस्यता संख्या: 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. - A25337

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15,2026

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2025 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2026 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2025 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

ख. अन्य इक्विटी

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	कुल		
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	मूल कंपनी के लिए जिम्मेदार	एन सी आई के लिए जिम्मेदार	अन्य इक्विटी
01 अप्रैल 2025 को शेष	**7,024.25**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,25,873.71**	**12,353.76**	**-**	**45.63**	**5,44,771.99**	**-**	**5,44,771.99**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ ।				-				-		-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	7,024.25	93,151.89	6,322.75	4,25,873.71	12,353.76	-	45.63	5,44,771.99		5,44,771.99
वर्ष का लाभ				71,673.95				71,673.95		71,673.95
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(265.11)			(16,436.84)	(16,701.95)		(16,701.95)
वर्ष के कुल व्यापक आय				**71,408.84**	**-**	**-**	**(16,436.84)**	**54,972.00**		**54,972.00**
लाभांश				(25,650.38)				(25,650.38)		(25,650.38)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				-		-	-	-		-
भूमि का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया गया	28.09							28.09		28.09
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.02)						(0.02)		(0.02)
31 मार्च 2026 को शेष	**7,052.34**	**93,151.87**	**6,322.75**	**4,71,632.17**	**12,353.76**	**-**	**(16,391.21)**	**5,74,121.68**		**5,74,121.68**

अधिक जानकारी केलिए नोट 23 देखें ।

*परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधन केलिए ईआईआर समायोजन

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

ख. अन्य इक्विटी

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	कुल		
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	मूल कंपनी के लिए जिम्मेदार	एन सी आई के लिए जिम्मेदार	अन्य इक्विटी
01 अप्रैल 2024 को शेष	7,024.25	93,151.90	6,322.75	3,68,920.72	12,353.76	-	(593.75)	4,87,179.63		4,87,179.63
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रटियाँ				115.42				115.42		115.42
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	7,024.25	93,151.90	6,322.75	3,69,036.14	12,353.76	-	(593.75)	4,87,295.05		4,87,295.05
पिछली अवधि के समायोजन				-						
वर्ष का लाभ				82,733.05				82,733.05		82,733.05
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(245.10)			639.38	394.28		394.28
वर्ष के कुल व्यापक आय				**82,487.95**			**639.38**	**83,127.33**		**83,127.33**
लाभांश (कर सहित)				(25,650.38)				(25,650.38)		(25,650.38)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण						-	-	-		-
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.01)						(0.01)		(0.01)
31 मार्च 2025 को शेष	**7,024.25**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,25,873.71**	**12,353.76**	**-**	**45.63**	**5,44,771.99**	**-**	**5,44,771.99**

अधिक जानकारी केलिए नोट 23 देखें ।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना 1 - 3

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 4 - 75

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबू ए. कल्लिवयलिल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,
सदस्यता संख्या: 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. - A25337

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन:10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15,2026

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 09576336

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीति सूचना

1.1 निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल या कंपनी के रूप में संदर्भित) भारत के अग्रणी शिपयार्डों में से एक है, जो दक्षिणी राज्य केरल में स्थित है। कंपनी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी मुख्य रूप से पोत निर्माण और पोत की मरम्मत में लगी हुई है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में सेवाएं प्रदान करती है।

हॉल्डिग कंपनी एक मिनीरत्न, अनुसूची-ए, श्रेणी-1 सीपीएसई है, जो भारत में निगमित और अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी भी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पेरूमानूर, कोच्ची, केरल है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को, भारत सरकार कंपनी की 67.91% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। कंपनी की इक्विटी शेयर व्यापार केलिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार केलिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

समेकित वित्तीय विवरण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके सहायक कंपनी,हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे आगे हुगली-सीएसएल कहा जाएगा) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे आगे यूसीएसएल कहा जाएगा) (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) से संबंधित है।

नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को एक साथ 'ग्रूप' कहा जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक मई 15, 2026 को जारी करने केलिए अधिकृत किया गया, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंडएजी) द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और शेयरधारकों के अंतिम अनुमोदन के अधीन हैं।

सहायक कंपनियों का विवरण	शेयर धारण
दिनांक 23 अक्तूबर 2017 को निगमित हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (आगे चलकर हुगली- सीएसएल के रूप में संदर्भित) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है।	100%
एनसीएलटी प्रक्रिया के जरिए दिनांक 15 सितंबर 2020 को अधिग्रहित उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है।	100%

2. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय- समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (जिसे 'इन्ड एएस' कहा जाता है।) के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची III के प्रभाग क्ष्क में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित, तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणी के साथ-साथ प्रकट किए जाने वाले अन्य नोटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखांकन मानकों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 को संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो समूह की प्रस्तुतिकरण और कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्यों को अधिनियम की अनुसूची III द्वारा अनुमत निकटतम लाख (दो दशमलव तक पूर्णांकित) अन्यथा इंगित किए जाने को छोड़कर तक पूर्णांकित किया जाता है।

2.3 माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोडकर ये समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने केलिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने केलिए दिया जाता है।

2.3.1 वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

i. ग्रूप के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,

ii. संपत्ति बिक्री या उपभोग केलिए अभिप्रेत है;

iii. संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है ;

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने केलिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने केलिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;

vi. एक देयता के मामले में, ग्रूप के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने केलिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, ग्रूप ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

(i) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।

(ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.3.2 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सीएसएल और उसकी सहायक कंपनियों का वित्तीय विवरण शामिल हैं।

सहायक कंपनियां ऐसी इकाइयां (संरचित इकाइयां सहित) हैं जिन पर नियंत्रक कंपनी का नियंत्रण होता है। नियंत्रक कंपनी किसी इकाई को तब नियंत्रित करती है जब नियंत्रक कंपनी इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तशील रिटर्न के संपर्क में होती है या उसके पास इसके अधिकार होते हैं और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

किसी सहायक कंपनी का एकीकरण तब शुरू होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और तब बंद हो जाता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अर्जित या निपटाई गई किसी सहायक कंपनी की संपत्ति, देनदारियां, आय और व्यय को समूह द्वारा नियंत्रण हासिल करने की तारीख से लेकर समूह द्वारा सहायक कंपनी को नियंत्रित करना बंद करने की तारीख तक वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है।

समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि समूह का कोई सदस्य समान परिस्थितियों में लेनदेन और घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अलावा अन्य लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समूह की लेखांकन नीतियों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस समूह के सदस्य के वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन किया जाता है।

समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण नियंत्रण कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि यानी दिनांक 31 मार्च को समाप्त वर्ष के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित समेकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

क) नियंत्रण कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की वस्तुओं को उसकी सहायक कंपनियों के साथ मिलाएं। इस प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण तिथि पर समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त संपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित होते हैं।

ख) प्रत्येक सहायक कंपनी में नियंत्रण कंपनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के होल्डिंग कंपनी के हिस्से को ऑफसेट (समाप्त) करना।

ग) समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित इंट्राग्रुप परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को पूरी तरह से हटा दें (इंट्राग्रुप लेनदेन से होने वाले लाभ या हानि जो परिसंपत्तियों में पहचाने जाते हैं, जैसे कि मालसूची और अचल संपत्तियां, पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं)। इंट्रा ग्रुप हानियाँ एक हानि का संकेत दे सकती हैं जिसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 12 आयकर उन अस्थायी अंतरों पर लागू होता है जो इंट्राग्रुप लेनदेन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी के इक्विटी धारकों और गैर-नियंत्रित हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप गैर-नियंत्रित हितों में घाटे का संतुलन हो। जब आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है। समूह के सदस्यों के बीच लेनदेन से संबंधित सभी अंतर-समूह संपत्तियां और देनदारियां, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह समेकन पर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं।

2.3.3 व्यापार संयोजन

अधिग्रहण पद्धति उपयोग करने हेतु व्यावसायिक संयोजनों का हिसाब लगाया गया है।अधिग्रहण की लागत को अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर हस्तांतरित किए गए प्रतिफल और अधिग्रहणिति में किसी भी गैर-नियंत्रित हितों की राशि के योग के रूप में मापा जाता है।अधिग्रहण से संबंधित लेन-देन की लागत को जब खर्च किया जाता है तब लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

अधिग्रहण की तारीख पर, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्यों पर मान्यता दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए, अनुमानित देनदारियों में वर्तमान दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली आकस्मिक देनदारियां शामिल हैं और उन्हें इस तथ्य के बावजूद उनके अधिग्रहण के उचित मूल्यों पर मापा जाता है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक संयोजन में अर्जित निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को नीचे बताए गए आधार पर मापा जाता है:

- आस्थगित कर संपत्ति या देनदारियां, और कर्मचारी लाभ व्यवस्था से संबंधित संपत्ति या देनदारियों को क्रमशः भारतीय लेखा मानक 12 आयकर और भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ के अनुसार पहचाना और मापा जाता है।
- परिसंपत्तियाँ (या निपटान समूह) जिन्हें भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए रखी गई और बंद किए गए संचालन के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें उस मानक के अनुसार मापा जाता है।

पहचाने जाने योग्य संपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित से अधिक हस्तांतरित प्रतिफल (खरीद प्रतिफल) की कुल राशि को सद्भावना के रूप में मान्यता दी जाती है। क्रय विचार पर अधिग्रहणिति की पहचान योग्य संपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित की अधिकता को पूंजी रिजर्व में मान्यता दी गई है।

अनियंत्रित ब्याज

गैर-नियंत्रित ब्याज सहायक कंपनियों में आय, अन्य व्यापक आय और शुद्ध संपत्ति के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है जो समूह के शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार नहीं है। गैर-नियंत्रित ब्याज को प्रारंभ में अधिग्रहणिति की पहचान योग्य शुद्ध संपत्तियों की मान्यता प्राप्त मात्रा के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। अधिग्रहण के बाद, गैर-नियंत्रित ब्याज की वहन राशि प्रारंभिक मान्यता पर ब्याज की राशि और इक्विटी में बाद के परिवर्तनों में गैर-नियंत्रित हितों की हिस्सेदारी है।

लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय का श्रेय होल्डिंग कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रित हितों को दिया जाता है, जिन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दिखाया गया है।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकके अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी केलिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों केलिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

इन अनुमानों में बदलाव के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

क) आस्थगित कर परिसंपत्तियों /देयता का मूल्यांकन

ग्रूप प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ख) पट्टा

ग्रूप मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान केलिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ग्रूप पट्टे अवधिक (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमिति नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य केलिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

पट्टा दायित्व की गणना के लिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

ग्रूप की कार्यात्मक मुद्रा में नामित पट्टों के लिए, समूह वृद्धिशील उधार दर को समूह के लिए उपलब्ध बैंकों से उधार पर ब्याज दर मानता है।

ग) गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

घ) अभियोग

समय-समय पर, समूह कानूनी कार्यवाही के अधीन होता है और प्रत्येक का अंतिम परिणाम हमेशा मुकदमेबाजी में निहित कई अनिश्चितताओं के अधीन होता है। मुकदमेबाजी का प्रावधान तब किया जाता है जब यह संभावित माना जाता है कि भुगतान किया जाएगा और नुकसान की राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। अन्य कारकों के अलावा, प्रतिकूल परिणाम की संभावना और संभावित नुकसान की मात्रा का उचित अनुमान लगाने की जिम्मेदारी का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में मुकदमेबाजी के प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और तथ्यों और परिस्थितियों में बदलाव के लिए संशोधन किए जाते हैं।

ङ) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

ग्रूप उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों और देनदारियों को उनके माप में नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करता है जो निम्नानुसार वर्णित हैं:

(क) स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य होते हैं।

(ग) स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं जो देखने योग्य संबंधित बाजार डेटा या बाजार सहभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में समूह की धारणाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को दर्शाते हैं।

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने केलिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे सगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं केलिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नही होता है। उस स्थिति मे प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

च) परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

छ) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता केलिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

आउटपुट विधि के तहत आज तक किए गए कार्य को मापकर या पूर्ण कि गए प्रदर्शन का सर्वेक्षण करके समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है। इस विधि के तहत, प्रत्येक अनुबंध में आज तक पूर्ण किए गए कार्य राजस्व को मापने और पहचानने का आधार हैं। प्रत्येक परियोजना टीम द्वारा रिपोर्टिंग तिथि तक तकनीकी प्रगति के आधार पर मात्रा की गणना की जाती है। मान्यता प्राप्त राजस्व संबंधित अनुबंधों में निर्धारित विचार के अनुरूप आज तक पूर्ण/मापे गए कार्यों के मूल्य को दर्शाता है।

ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों केलिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है।

ज) निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

3. सामग्री लेखांकन नीति जानकारी

ग्रूप ने समेकित वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अवधि के लिए सभी लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया है, सिवाय इसके कि जहां एक नव जारी लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन केलिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

ग्रूप इस नोट के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां प्रस्तुत करता है, जिन्हें इन समेकित वित्तीय विवरणों के अंतर्गत संदर्भित प्रासंगिक नोटों में प्रस्तुत अैर प्रकट की गई जानकारी के साथ पढा जाना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना माना जाना चाहिए।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पहचान और मापन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पूंजीकृत उधार लागत, संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाया जाता है। 01 अप्रैल 2015 को मौजूद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों केलिए, अर्थात् समूह के भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि, उस तिथि पर मानी गई लागत अर्थात् वहन राशि पर वहन किया गया था। हालांकि, यूसीएसएल के मामले में, उचित मूल्य को भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर मानी गई लागत के रूप में अपनाया गया है।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग अलग है, तो उन्हें संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की अलग-अलग वस्तुओं (प्रमुख घटकों) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

स्पेयर पार्ट्स को तब पूंजीकृत किया जाता है जब वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं, अर्थात् जब समूह इनका उपयोग 12 महीने से अधिक अवधि केलिए करने का इरादा रखता है, इनका मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक है और जिनका उपयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद के संबंध में किया जा सकता है और जिनके उपयोग के अनियमित होने की उम्मीद है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है और स्पेयर पार्ट्स या संबंधित परिसंपत्तियों के मुख्य मद के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है, जो भी कम हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय :

अनुवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा भी उपयुक्त हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुडे भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और मदों की लागत महत्वपूर्ण हो तथा उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग केलिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (किसी परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य ('सीडब्ल्यूआईपी') के अंतर्गत लागत पर दर्शाया जाता है।

3.3 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास केलिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रुप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि केलिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सोफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग केलिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि केलिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सोफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

ग्रूप ने परिवर्तन तिथि यानी 1 अप्रैल, 2015 को भारतीय लेखा मानक के तहत मानी गई लागत के रूप में वहन लागत पर विचार करने की एकमुश्त परिवर्तन छूट के लिए आवेदन किया था।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस विकासाधीन है या अभी तक उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ऐसी वस्तुओं पर होने वाली संचित लागत को 'विकासाधीन अमूर्त संपत्ति' के रूप में गिना जाता है।

3.4 पट्टे

ग्रूप अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

ग्रूप के पट्टा परिसंपत्ति वर्गों में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं।

i) पट्टेदार के रूप में :

पट्टा शुरू होने की तारीख में, ग्रूप एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था केलिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोडकर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे केलिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। बाद में उन्हें संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा देयता

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है।

बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पट्टे की देनदारी को फिर से मापा जाता है।

कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है जैसे कि पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में बदलाव। जब पट्टा देयता का पुनर्मापन किया जाता है, तो उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो गई है, तो उसे लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा देयता के पुन: माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि होने पर उसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंड-अलोन बिक्री

मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर पट्टे के दायरे को बढ़ाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है।पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्तियों के माप के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

समूह तुलन पत्र में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियों और पट्टे की देनदारियों को अन्य देनदारियों से अलग प्रस्तुत करता है।

ii) एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए ग्रूप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन पट्टे केलिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

3.5 मूल्यह्रास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है:

- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) और नई ड्राई डॉक परियोजना केलिए निर्मित विकसित की गई परिसंपत्तियों केलिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए गए उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) केलिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उपार्जित परिसंपत्तियों केलिए मूल्यह्रास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है।
- पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास से हटा दिया जाता है।
- कुछ प्रकार के भवनों और उपकरणों केलिए, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगी जीवन का अनुमान अधिनियम की अनुसूची क्ष्द्ध में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न लगाया गया है।

सकल ब्लॉक में परिवर्धन/विलोपन पर मूल्यह्रास की गणना ऐसे परिवर्धन की तारीख से और ऐसे विलोपन की तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

मूल्यह्रास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, संयंत्र और मशीनरी की कुछ श्रेणियों के लिए, उपयोगी अवधि दोहरा पारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत शामिल प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यह्रास नहीं किया गया है क्योंकि ये संपत्तियां अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, यदि कोई हानि हो तो उनका परीक्षण किया जाता है।

3.6 परिसंपत्तियों का हानिकरण-गैर वित्तीय संपत्ति

ग्रूप प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करता है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के ग्रूपों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है।

हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल ही के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों,

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सार्वजनिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध उद्धृत बाजार मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

ग्रूप अपनी हानि गणना को विस्तृत बजट और पूर्वानुमान गणनाओं पर आधारित करता है, जो ग्रूप के प्रत्येक सीजीयू के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत संपत्ति आवंटित की जाती है। नवीनतम बजट/पूर्वानुमानों द्वारा शामिल की गई अवधियों से परे नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाने के लिए, ग्रूप बाद के वर्षों के लिए स्थिर या घटती विकास दर का उपयोग करके बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाता है, जब तक कि बढ़ती दर को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

सद्भावना को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो समूह संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलटा किया जाता है जब अंतिम हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उत्क्रमण सीमित है ताकि परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित की गई अग्रणीत राशि से अधिक हो, मूल्यह्रास के शुद्ध में पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि हानि नहीं पहचानी गई थी।

3.7 माल सूची

माल सूची का मूल्यांकन इंड एएस 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

कच्चे मालों और घटकों का भारित औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। जब उनका उपयोग परियोजना केलिए किया जाता है, तो मूल्यांकन परियोजना-विशिष्ट भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

भंडार और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

मार्गस्थ मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

निर्माणाधीन कार्यों का मूल्यांकन लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस आधार पर किया गया है।

तैयार माल का मूल्यांकन लागत मूल्य और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस आधार पर किया गया है।

3.8 वित्तीय साधन

वित्तीय लिखत एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को जन्म देता है।

जब ग्रूप साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

क) इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्राप्य के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति;
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;
- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है आगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने केलिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने केलिए और वितीतय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

iii) लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां(एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण केलिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों केलिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने केलिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

उक्त इक्विटी निवेश की बिक्री/निपटान पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशि का कोई पुनर्चक्रण/पुनर्वर्गीकरण नहीं होता है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण साधन में निवेश को निम्न दोनों स्थितियों के पूरा होने पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है: परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य है -

(1) संविदात्मक नकदी प्रवाह इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखने के लिए, और

(2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान करती हैं जो मूल राशि पर बकाया हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, ग्रूप निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और साख जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित साख हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है:

क) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष

ख) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण

व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ते की मान्यता के लिए ग्रूप 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है।

व्यापार प्राप्तियां

ग्रूप डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

ग्रूप प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छट के माध्यम से मापा जाना।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग्रूप सभी व्यापार प्राप्तियों केलिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने केलिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

प्रावधान मैट्रिक्स, व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफ़ॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऐतिहासिक देखी गई डिफ़ॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। उस आधार पर, ग्रूप रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान का अनुमान लगाता है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

सामान्य दृष्टिकोण

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, ग्रूप यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि प्रदान करने के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालाँकि, यदि साख जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, उपकरण की साख गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से साख जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने पर वापस लौट आती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवन के दौरान सभी संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली अपेक्षित साख हानि है। 12 महीने की ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। विभिन्न वित्तीय लिखतों के लिए तुलन पत्र प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत के रूप में मापा जाता है: ईसीएल को भत्ते के रूप में अर्थात, तुलन पत्र में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भत्ता शुद्ध वहन राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति बट्टे खाते में डालने के मानदंडों को पूरा नहीं करती, ग्रूप सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करता है।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध: ईसीएल को तुलन पत्र में एक प्रावधान के रूप में, यानी देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- एफवीटीओसीआई पर मापे गए ऋण उपकरण: चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियां पहले से ही उचित मूल्य पर परिलक्षित होती हैं, इसलिए हानि भत्ता इसके मूल्य से और कम नहीं किया जाता है। बल्कि, ईसीएल राशि को ओसीआई में 'संचित हानि राशि' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ग) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं और परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं के रूप में, जैसा उपयुक्त हो, वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देयताओं के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के निवल रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं के मामले में, वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ग्रूप की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं;
- परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं;
- वित्तीय गारंटी अनुबंध;

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

i) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं।वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं।इस श्रेणी में ग्रूप द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं, उन्हें बाद की लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देयताओं की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है।फायदा और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देयताओं की पहचान और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

iii) वित्तीय गारंटी अनुबंध

ग्रूप द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है, लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि से अधिक पर मापा जाता है और शुरुआत में मान्यता प्राप्त राशि को भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार संचयी आय से कम माना जाता है।

घ) वित्तीय लिखतों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- ग्रूप ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या ग्रूप ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के आदान-प्रदान या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता रद्द करने और नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

ङ) वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने केलिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने केलिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

च) व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

ग्रूप अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए क्रमशःफॉरवर्ड मुद्रा अनुबंध जैसे गौण वित्तीय लिखतों का उपयोग करता है। इस तरह के गौण वित्तीय लिखतों को शुरू में उस तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक गौण अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। गौण के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के लिए लेखांकन बचाव उपकरणों के रूप में ग़ौण के पदनाम या गैर-पदनाम पर निर्भर करता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर गौण को वित्तीय संपत्ति के रूप में और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर वित्तीय देयताओं के रूप में ले जाया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

गौण जिन्हें हेज उपकरण के रूप में नामित किया गया है

ग्रूप विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉनट्रेक्ट करता है। ग्रूप आम तौर पर पूरे फॉरवर्ड कॉनट्रेक्ट को हेजिंग उपकरण के रूप में नामित करता है।

ये हेजिंग उपकरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्रूप की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा शासित होते हैं।

हेज संबंध की शुरुआत में, ग्रूप औपचारिक रूप से हेज संबंध को नामित और दस्तावेजित करता है, जिस पर ग्रूप हेज लेखांकन और हेज करने के लिए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और रणनीति को लागू करना चाहता है। दस्तावेज़ीकरण में ग्रूप के जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेज लेने की रणनीति, हेजिंग/आर्थिक संबंध, हेज्ड वस्तु या लेनदेन, हेज किए जा रहे जोखिम की प्रकृति, हेज अनुपात और इकाई हेजिंग उपकरण में परिवर्तनों की प्रभावशीलता का आकलन कैसे करेगी, शामिल है। हेज्ड मद के उचित मूल्य या हेज्ड जोखिम के कारण नकदी प्रवाह में परिवर्तन के जोखिम को ऑफसेट करने में उचित मूल्य।

ऐसी हेजेज से उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में ऑफसेटिंग परिवर्तनों को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है और यह निर्धारित करने के लिए निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि हेज वास्तव में वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावी रही है जिसके लिए इसे नामित किया गया था।

निर्दिष्ट हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय ('ओसीआई') में पहचाना जाता है और इक्विटी के भीतर नकदी प्रवाह हेज रिजर्व शीर्षक के तहत जमा किया जाता है। अप्रभावी हिस्से से संबंधित लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है और अन्य आय या अन्य व्यय में क्रमशः डेरिवेटिव पर लाभ या डेरिवेटिव पर हानि के रूप में शामिल किया जाता है।

ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में जमा की गई राशि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है, मान्यता प्राप्त हेज आइटम के समान लाइन आइटम में या यदि हेज पूर्वानुमान लेनदेन के परिणामस्वरूप गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय दायित्व की पहचान होती है तो इसे आधार समायोजन के रूप में माना जाता है।जब पूर्वानुमानित लेनदेन होने की उम्मीद नहीं रह जाती है, तो इक्विटी में संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदेडों को पीरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है।

छ) अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहको हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि केलिए की जाती है।

ज) अनुबंध देयताएं

जहां ग्रूप को विचार प्राप्त होता है, या ग्रूप के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि ग्रूप ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

3.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, ग्रूप को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने केलिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोडकर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने केलिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

इस प्रकार के प्रावधानों में शामिल वारंटी दायित्वों को अलग से निष्पादन दायित्व के रूप में नहीं माना जाता है, जब तक कि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से अनुबंधित करने का विकल्प न हो,

इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्यता दी जाती है। इन प्रावधानों को चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 1 के अनुरूप परिचालन निर्माण परियोजनाओं के चक्र से संबंधित है।

दिए गए पोतों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे केलिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोतों केलिए गांरटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

प्रत्याशित हानियों केलिए प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी अनुबंध को पूरा करने केलिए अपेक्षित कुल लागतें अपेक्षित अनुबंध राजस्व से अधिक हैं। जहां उपयुक्त हो, प्रावधान की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से बजट अनुबंध राजस्व में पूर्वानुमानित राजस्व शामिल होगा जिसे भारतीय लेखा मानक 37 के साथ-साथ वृद्धिशील लागतों के अनुरूप संभावित माना जाता है। सामान्य लागतें सीधे अनुबंध केलिए जिम्मेदार नहीं होती हैं और इसलिए उन्हें बजट लागत से बाहर रखा जाता है जब तक कि उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 68 के अनुरूप अनुबंध के अनुसार प्रतिपक्ष को स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

व्यापार के सामान्य क्रम में ग्रूप के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आसस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नही हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। ग्रूप आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिथली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तत्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तत्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

3.10.बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ या निपटान योग्य परिसंपत्तियाँ तब बिक्री के लिए रखी गई मानी जाती हैं, जब उनका वहन मूल्य मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियाँ अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं और उनकी बिक्री की प्रबल संभावना होती है। बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों और निपटान योग्य परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके वहन मूल्य और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाने के बाद प्राप्त होने वाले निम्न मान पर किया जाता है।

3.11 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है (अर्थात् लेनदेन मूल्य जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है)

प्रथमतः राजस्व मान्यता प्रक्रिया में प्रासंगिक अनुबंधों की पहचान तथा उनमें निहित निष्पादन दायित्वों का तकनीकी मूल्यांकन शामिल होता है।

पोत निर्माण और/या पोत मरम्मत खंडों में प्रत्येक पोत केलिए एक एकल निष्पादन दायित्व की पहचान की जाती है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के एकीकरण और अनुकूलन का उच्च स्तर एक संयुक्त आउटपुट बनाता है, जिसे समय के साथ ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

ग्रूप समय के साथ राजस्व की पहचान करने केलिए अनुबंध के आरंभ में पूर्णता की प्रगति को मापने केलिए उपयुक्त विधि का चयन करता है, और संबंधित खंडों और/या उस पर किए गए कार्यों के तहत समान प्रदर्शन दायित्वों केलिए लगातार लागू होता है।

समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की मान्यता केवल तभी की जाती है जब ग्रूप निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकता है।

कंपनी द्वारा किए गए पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों केलिए प्रदर्शन दायित्वों को एक समय बिंदु पर पूरा करने के बजाय समय के साथ पूरा किया जाता है क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन कंपनी केलिए वैकल्पिक उपयोग के साथ एक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है, अर्थात् उस परिसंपत्ति को किसी अन्य उपयोग केलिए आसानी से निर्देशित करने केलिए संविदात्मक प्रतिबंध और व्यावहारिक सीमाएं (यहां तक कि कुछ मामलों में यह ऐसा करने में सक्षम होगा, यह केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों और महत्वपूर्ण लागत

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

के बाद ही किया जा सकता है) और इसे आज तक पूरा किए गए प्रदर्शन केलिए भुगतान का एक लागू करने योग्य अधिकार है।

राजस्व की पहचान तब की जाती है जब समूह स्वदेशी वायुयान वाहक के अलावा पोत निर्माण और पोत मरम्मत केलिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन पर आधारित आउटपुट पद्धति का उपयोग करके समयावधि में ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करता है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण केलिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो आंशिक रूप से निश्चित मूल्य आधार और आंशिक रूप से लागत प्लस आधार पर है, राजस्व

- निश्चित मूल्यवाले भाग को आउटपुट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।
- सामग्री की खरीद और आपूर्ति केलिए अनुबंध के लागत प्लस भाग से मार्क अप के रूप में और डिज़ाइन आउटसोर्सिंग को तब मान्यता दी जाती है जब आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को पूरा किया जाता है।
- सामग्री की लागत, डिज़ाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पोत मरम्मत अनुबंधों के मामले में, जिसमें निरंतर कई वर्षों तक रखरखाव सहायता/आवर्ती और नियमित सेवाएं शामिल हैं, समूह ने समय-व्यतीत आउटपुट विधि को चुना, अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि तक बीते समय के आधार पर प्रगति को मापना, जो माल और/या सेवाओं के बदले में प्रतिफल की पात्रता के अधीन निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है।

ग्रूप के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अपनाई गई पद्धति में निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने को निरंतर आधार पर संशोधित/अद्यतन किया जाएगा।

किसी अनुबंध के प्रारंभिक चरणों के दौरान, जहां समूह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकता है और समूह निष्पादन दायित्व को पूरा करने में हुई लागतों की वसूली की उम्मीद करता है, राजस्व को केवल उस लागत की सीमा तक ही मान्यता दी जाएगी, जब तक कि वह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप नहीं सकता है।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

ग्रूप आम तौर पर अतिरिक्त कार्य से किसी भी राजस्व को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक कि ग्राहक द्वारा इसे मंजूरी नहीं दे दी जाती। जब कार्य का दायरा स्वीकृत हो गया हो लेकिन राजस्व पर प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया हो, तो परिवर्तनीय विचार आवश्यकता (जैसा कि नीचे बताया गया है) लागू होगी। इसमें राजस्व को उस राशि में मान्यता देना शामिल है जिसे वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

यदि अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान मदें जैसी परिवर्तनीय राशियां शामिल हैं, तो समूह प्रतिफल की निवल राशि का अनुमान लगाता है, जिसका समूह वादा किए गए सामान या सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार है और उसका हिसाब रखता है। भुगतान की शर्तें ग्राहकों के सभी संबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित होती हैं। निर्दिष्ट महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने पर ये भुगतान जारी किए जाते हैं।

बेस एवं डिपो स्पेयर्स की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहक से माल की प्राप्ति के प्रमाण पर किसी समय पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर की जाती है।

राजस्व मान्यता के विपरीत, ग्राहक को बिल की गई राशि अनुबंध के तहत प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित होती है और ग्राहक द्वारा प्रगति बिलिंग प्रमाणपत्र के रूप में संदर्भित अनुबंध दस्तावेज़

के माध्यम से इसकी पावती पर आधारित होती है । इसलिए किसी दिए गए वर्ष केलिए राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त राशियां आवश्यक रूप से ग्राहक को बिल की गई या प्रमाणित की गई राशियों से मेल नहीं खाती हैं। ऐसे अनुबंधों केलिए जिनमें मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से अधिक है, अंतर को अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जबकि ऐसे अनुबंधों केलिए जिनमें मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से कम है, अंतर को अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत अनुबंध देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

स्टॉक वस्तुओं के स्क्रैप की बिक्री के संबंध में अन्य प्रचालन राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है, जब समूह निष्पादन दायित्वों को पूरा कर लेता है और ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को हस्तांतरित करके अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

प्रबंधन शुल्क भी एक निश्चित समयावधि में निर्धारित किया जाता है।

एचसीएसएल लागत पूर्णता के % के आधार पर प्रबंधन शुल्कय एजेंसी शुल्क के राजस्व की पहचान कर रहा है।

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुडे शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) को समय-समय पर किए गए खर्चों/लागत के अनुपात में मान्यता दी जाती है और 'प्रचालन से राजस्व' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारी अनुदान जो पहले से हुए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या भविष्य में संबंधित लागत के बिना समूह को तत्काल वित्तीय सहायता देने केलिए उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, उन्हें उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे प्राप्य होते हैं।

ग) अन्य आय

i) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

ii) बीमा दावाओं केलिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों केलिए लिए बीमा पॉलसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा ग्रूप द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है।चिकित्सा ग्रूप के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत दावों के आधार पर, दावों की पहचान उचित आधार पर की जाती है।

आय की अन्य मदों का लेखा तब किया जाता है जब ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और यह

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

संभावना होती है कि आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.12 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

पोस्ट - रोजगार लाभ योजना

i) निर्धारित योगदान योजनाएं

पात्र कर्मचारियों केलिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में किया जाता है और देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। ऐसे लाभों को, परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए अंशदान के अलावा कोई अन्य दायित्व नहीं होता है।

कंपनी, कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी म्युचुअल पब्लिक वेल्फेयर ट्रस्ट और कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट में योगदान देती है, जिसे देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है । ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

सहायक कंपनियों के मामले में, भविष्य निधि में योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दिया जाता है और लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है। कंपनियों के पास अपने मासिक योगदान के अलावा भविष्य के भविष्य निधि लाभों के लिए कोई और दायित्व नहीं है।

ii) निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

ग्रूप उपदान केलिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/(व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

यूसीएसएल ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए समूह अनुदान नकद संचय योजना में योगदान दिया।

भविष्य निधि एवं पेंशन योजना

ग्रूप भविष्य निधि में भी योगदान देता है। भविष्य निधि का प्रबंधन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित ग्रूप के भविष्य निधि के नियमों की आवश्यकता है कि यदि ट्रस्टी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 60 के तहत सरकार द्वारा घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कमी ग्रूप द्वारा पूरी की जाएगी। द्वारा प्रशासित ग्रूप के भविष्य निधि के नियमों की आवश्यकता है कि यदि ट्रस्टी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 60 के तहत सरकार द्वारा घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कमी ग्रूप द्वारा पूरी की जाएगी। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रूप द्वारा यदि कोई कमी का आकलन किया जाता है, तो उसे खातों में प्रदान किया जाएगा।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

ग्रूप को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने केलिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र

लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

3.13 आय पर कर

क) आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है।

वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमश:अन्य व्यापक आया या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोडकर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

समूह ने निर्धारित किया है कि आयकर से संबंधित ब्याज और दंड, जिसमें अनिश्चित कर उपचार भी शामिल है, आयकर की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, और इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसपंत्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ख) चालू कर

वर्तमान कर की गणना वर्ष केलिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य होने की अपेक्षित कर राशि और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में किसी भी समायोजन के आधार पर की जाती है। वर्तमान देय या प्राप्य कर की राशि, भुगतान या प्राप्त होने की अपेक्षित कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान है जो आयकर से संबंधित अनिश्चितता को दर्शाता है, यदि कोई हो। इसे रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने केलिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

ग) आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर केलिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने केलिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों औ देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने केलिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

3.14 ऑपरेटिंग सेग्मेन्टस

ऑपरेटिंग सेग्मेन्टस किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग्रूप ने व्यापार सेग्मेन्टों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेन्टों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेग्मेन्ट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोत मरम्मत शामिल है।

सेग्मेन्ट राजस्व, सेग्मेन्ट व्यय, सेग्मेनट परिसंपत्तियां और सेग्मेन्ट देयताएं सेग्मेन्ट की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर सेग्मेन्ट के रूप में पहचान की गई है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर सेग्मेन्टों केलिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

3.15 आसाधारण मदें

आय या व्यय का वह मद जिसके आकार, प्रकार या घटना के कारण कंपनी के प्रदर्शन की समझ में सुधार करने केलिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे अपवादात्मक मद माना जाता है तथा समेकित वित्तीय विवरणों में और प्रभाग II - भारतीय लेखा मानक अनुसूची III के मार्गदर्शन नोट के अनुसार भी उसका प्रकटीकरण किया जाता है।

3.16 बहिष्कृत वित्तीय परिसंपत्ति

समाधान योजना और 04 मार्च 2020 के एनसीएलटी आदेश के अनुसार, नीचे उल्लिखित पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड की निम्नलिखित परिसंपत्तियों/मामलों की पहचान सीओसी या समाधान पेशेवर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बहिष्कृत वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में की गई है।

1) वैट वापसी;

2) टग को हुए नुकसान केलिए बीमा कंपनी के पास बीमा दावा दायर किया गया;

3) बीमा कंपनी के साथ चोरी और सेंधमारी केलिए बीमा दावा;

4) भारतीय नौसेना से व्यापार प्राप्य, तथा

5) भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दावे की राशि का 50% (अर्थात् पोत निर्माण वित्त सहायता/सब्सिडी)।

इन मदों का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाएगा।

3.17 हाल ही के अधिसूचनाएं

निगमित मामलों का मंत्रालय ('एमसीए') समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है।

दिनांक 09 मई 2025 को एमसीए भारतीय लेखा मानक 21- विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव में संशोधनों को अधिसूचित करता है। इन संशोधनों का उद्देश्य मुद्रा विनिमय योग्यता का आकलन करने और मुद्राओं के आसानी से विनिमय योग्य न होने पर विनिमय दरों का अनुमान लगाने पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये संशोधन 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि केलिए प्रभावी हैं। कंपनी वर्तमान में अपने वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों के संभावित प्रभाव का आकलन कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार - स्तंभ दो मॉडल नियम तत्काल प्रभाव से लागू - संशोधनों में अतिरिक्त कर के लिए आस्थगित कर लेखांकन से अस्थायी अनिवार्य राहत प्रदान की गई है और यह खुलासा किया गया है कि कंपनी ने यह राहत लागू कर दी है। इस संशोधन का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित इंड एएस 1, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है - यह संशोधन देनदारियों को चालू या गैर-चालू तथा अनुबंधों सहित गैर-चालू देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित है। कंपनी ने देनदारियों को चालू या गैर-चालू तथा अनुबंधों सहित गैर-चालू देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित इंड एएस 1 के संशोधनों को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। कंपनी अनुबंधों के उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के प्रभाव का भी मूल्यांकन कर रही है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास				निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल 2025 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2026 को	01 अप्रैल 2025 को	वर्ष केलिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	3,267.86	28.09	-	3,295.95	-	-	-	-	3,295.95	3,267.86
इमारतें व सड़कें	14,085.81	844.81	-	14,930.62	5,954.17	1,098.38	-	7,052.55	7,878.08	8,131.64
प्लांट और मशीनरी	55,603.25	3,805.54	1,120.14	58,288.65	18,988.03	2,830.76	995.24	20,823.55	37,465.10	36,615.22
फर्नीचर और जुडाव	2,123.86	293.57	44.41	2,373.02	1,188.25	166.50	40.43	1,314.32	1,058.70	935.61
गाडियां	954.23	60.28	3.55	1,010.96	530.91	72.03	3.36	599.58	411.38	423.32
कार्यालय उपस्कर	1,053.97	201.43	48.58	1,206.82	576.13	144.99	44.15	676.97	529.85	477.84
अन्य										
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3,785.96	424.59	120.53	4,090.02	2,297.43	502.40	108.36	2,691.47	1,398.55	1,488.53
गोदी और घाट	1,06,658.39	2,967.30	-	1,09,625.69	3,137.13	1,951.34	-	5,088.47	1,04,537.23	1,03,521.26
रेलवे साइडिंग	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	2,795.63	363.02	0.83	3,157.82	1,557.67	237.20	0.32	1,794.55	1,363.27	1,237.96
नाली और जलपूर्ति	649.33	-	-	649.33	3.72	10.98	-	14.70	634.63	645.61
यानें	95.42	-	-	95.42	16.24	5.65	-	21.89	73.53	79.18
उप कुल	**1,91,074.81**	**8,988.63**	**1,338.04**	**1,98,725.40**	**34,249.68**	**7,020.23**	**1,191.86**	**40,078.05**	**1,58,647.36**	**1,56,825.13**
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें और सडक	24,137.09	501.88	-	24,638.97	3,626.55	235.61	-	3,862.16	20,776.81	20,510.54
प्लांट और मशीनरी	88,649.52	7,315.29	-	95,964.81	3,583.56	2,994.03	-	6,577.59	89,387.22	85,065.96
गोदी और घाट	162.31	-	-	162.31	18.53	-	-	18.53	143.78	143.78
विद्युत संस्थापन	1,488.08	34.81	-	1,522.89	433.50	55.33	-	488.83	1,034.06	1,054.58
स्लिप वे	1,117.99	-	-	1,117.99	864.94	14.20	-	879.14	238.85	253.05
उप कुल	**1,15,554.99**	**7,851.98**	**-**	**1,23,406.97**	**8,527.08**	**3,299.17**	**-**	**11,826.25**	**1,11,580.73**	**1,07,027.91**
कुल (क)+ (ख)	**3,06,629.80**	**16,840.61**	**1,338.04**	**3,22,132.37**	**42,776.76**	**10,319.40**	**1,191.86**	**51,904.30**	**2,70,228.09**	**2,63,853.04**
ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	42,899.54	7,444.60	-	50,344.14	8,676.42	1,572.69	-	10,249.11	40,095.03	34,223.12
उपयोग का अधिकार- इमारतें	186.59	154.74	-	341.33	158.90	38.31	-	197.21	144.12	27.69
पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	2,214.67	120.11	-	2,334.78	4,665.22	4,785.33
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज और सालकिया में भूमि	575.00	-	-	575.00	54.09	9.83	-	63.92	511.08	520.91
उप कुल	**50,661.13**	**7,599.34**	**-**	**58,260.47**	**11,104.08**	**1,740.94**	**-**	**12,845.02**	**45,415.45**	**39,557.05**
कुल (क) + (ख) + (ग)	**3,57,290.93**	**24,439.95**	**1,338.04**	**3,80,392.84**	**53,880.84**	**12,060.34**	**1,191.86**	**64,749.32**	**3,15,643.54**	**3,03,410.09**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास				निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष केलिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	3,267.86	-	-	3,267.86	-	-	-	-	3,267.86	3,267.86
इमारतें व सडक़ें	10,523.68	3,562.13	-	14,085.81	5,262.89	691.28	-	5,954.17	8,131.64	5,260.79
प्लांट और मशीनरी	26,506.35	29,106.98	10.08	55,603.25	16,699.50	2,293.96	5.43	18,988.03	36,615.22	9,806.85
फर्नीचर और जुडाव	1,989.37	135.31	0.82	2,123.86	1,021.31	167.11	0.17	1,188.25	935.61	968.06
गाडियां	678.62	289.84	14.23	954.23	479.58	63.54	12.21	530.91	423.32	199.04
कार्यालय उपस्कर	756.77	297.89	0.69	1,053.97	451.56	124.98	0.41	576.13	477.84	305.21
अन्य										
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3,064.32	881.89	160.25	3,785.96	2,033.27	414.57	150.41	2,297.43	1,488.53	1,031.05
गोदी और घाट	4,466.45	1,02,191.94	-	1,06,658.39	2,740.19	396.94	-	3,137.13	1,03,521.26	1,726.26
रेलवे साइडिंग	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	2,315.28	480.35	-	2,795.63	1,377.20	180.47	-	1,557.67	1,237.96	938.08
नाली और जलपूर्ति	23.55	625.78	-	649.33	2.05	1.67	-	3.72	645.61	21.50
यानें	56.42	39.00	-	95.42	12.22	4.02	-	16.24	79.18	44.20
उप कुल	**53,649.77**	**1,37,611.11**	**186.07**	**1,91,074.81**	**30,079.77**	**4,338.54**	**168.63**	**34,249.68**	**1,56,825.13**	**23,570.00**
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें और सडक	23,961.79	254.86	79.56	24,137.09	3,059.09	567.46	-	3,626.55	20,510.54	20,902.70
प्लांट और मशीनरी	8,984.57	79,669.26	4.31	88,649.52	960.70	2,622.86	-	3,583.56	85,065.96	8,023.87
गोदी और घाट	22.05	140.26	-	162.31	9.55	8.98	-	18.53	143.78	12.50
विद्युत संस्थापन	1,408.60	80.55	1.07	1,488.08	357.59	75.91	-	433.50	1,054.58	1,051.01
स्लिप वे	1,117.99	-	-	1,117.99	850.74	14.20	-	864.94	253.05	267.25
उप कुल	**35,495.00**	**80,144.93**	**84.94**	**1,15,554.99**	**5,237.67**	**3,289.41**	**-**	**8,527.08**	**1,07,027.91**	**30,257.33**
कुल (क)+ (ख)	**89,144.77**	**2,17,756.04**	**271.01**	**3,06,629.80**	**35,317.44**	**7,627.95**	**168.63**	**42,776.76**	**2,63,853.04**	**53,827.33**
ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	42,725.73	173.81	-	42,899.54	7,173.41	1,503.01	-	8,676.42	34,223.12	35,552.32
उपयोग का अधिकार- इमारतें	175.48	11.11	-	186.59	136.78	22.12	-	158.90	27.69	38.70
पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	2,004.33	210.34	-	2,214.67	4,785.33	4,995.67
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज और सालकिया में भूमि	575.00	-	-	575.00	43.92	10.17	-	54.09	520.91	531.08
उप कुल	**50,476.21**	**184.92**	**-**	**50,661.13**	**9,358.44**	**1,745.64**	**-**	**11,104.08**	**39,557.05**	**41,117.77**
कुल (क) + (ख) + (ग)	**1,39,620.98**	**2,17,940.96**	**271.01**	**3,57,290.93**	**44,675.88**	**9,373.59**	**168.63**	**53,880.84**	**3,03,410.09**	**94,945.10**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(क) भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने केलिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्टस को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

(ख) भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य ह्रास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं केलिए इन्हें गिरी देने की संभावना है।

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में कंपनी की 197.12 एकड़ (487.00 सेंट) भूमि संपत्ति शामिल है, जो सर्वे नंबर 713/11में 34.30 एकड़, सर्वे नंबर 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे नंबर 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे नंबर 714/06 में 50.18 एकड़ है, सर्वे नंबर 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे नंबर 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे नंबर 714/5 में 10.93 एकड़ जमीन में ये सभी एलमकुलम गांव, कनायन्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में एक साथ पड़ी हुई हैं। जिन्हें सुरक्षा के तौर पर कर मुक्त बांड जारी करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(घ) कंपनी के परिसर और अन्य स्थानों पर वाहक संयंत्र हैं जिनसे नाममात्र की आय होती है। ऐसे वाहक संयंत्रों की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है और इसलिए इन पौधों संयंत्रों को पूंजीकृत नहीं किया गया था।

(ङ) सभी अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख ग्रूप के नाम पर रखा जाता है।

(च) निम्नलिखित संपत्तियों के मामले में जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टा समझौते निम्नलिखित अपवादों के साथ पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं:

1. ग्रूप ने 12 अप्रैल 2013 को (प्रथम चरण) कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से 8.12 हेक्टेयर भूमि (8.1164 हेक्टेयर के रूप पुनः मापी गई) और 15 हेक्टेयर जल निकाय पट्टे पर लिया है। सीएसएल ने 16 नवंबर 2017 को (द्वितीय चरण) को कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से 8.134 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र भी पट्टे पर लिया है। सीएसएल और सीओपीए के बीच दो पट्टा समझौते (अर्थात् भूमि/जल निकाय का प्रथम चरण आबंटन और भूमि का द्वितीय चरण आबंटन) किए गए थे और दोनों पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं किए गए हैं।
2. ग्रूप ने मुंबई पोर्ट प्राधिकरण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ ह्यूजेस ड्राई डॉक पर पोत मरम्मत सुविधा को उन्नत करने, संचालित करने और प्रबंधित करने तथा एमबीपीए के इंदिरा डॉक और एसएमपीए के नेताजी सुभाष डॉक के बर्थ नंबर 6 पर निर्दिष्ट बर्थों केलिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमबीपीए में परियोजना स्थल को 29 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। लाइसेंस समझौते को अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को स्टांप शुल्क की छूट के लिए प्रस्तुत अनुरोध विचाराधीन है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण पर परियोजना स्थल को 30 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। चूंकि लाइसेंस समझौते पर पश्चिम बंगाल में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है, इसलिए केओपीटी के साथ रियायत समझौता पंजीकृत नहीं किया गया है।

छ) भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को भुगतान की गई अग्रिम फीस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाना था, जिसे पर्यावरण मंजूरी की प्राप्त करने की तारीख के आधार पर आगे बढ़ाया गया था।चूंकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी 09 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए 30 साल की पट्टे की अवधि प्रभावी रूप से इसी तारीख से शुरू होती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ अनुबंध में एक परिशिष्ट निष्पादित किया, जिससे पट्टे की अवधि को 30 वर्षों के लिए यानी 08.01.2078 तक बढ़ा दिया गया। परिणामस्वरूप, भूमि और जहाज मरम्मत सुविधा के उपयोग के अधिकार का पुनर्मूल्यांकन किया गया और 60 वर्षों की संशोधित अवधि में मूल्यह्रास किया गया। विस्तारित 60 वर्षों की अवधि में संशोधित भुगतानों को दर्शाने के लिए पट्टे की देनदारी का भी पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

ज) निम्नलिखित संपत्तियों के मामले में, जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टे के समझौते अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं:

(1) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर कोलकाता में स्टाफ क्वार्टर सीएसएल को आबंटित कर दिया गया है। पट्टा समझौते पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी है।

(2) बैकवाटर का तल - 1.914 हेक्टेयर की पुनः प्राप्त भूमि (भूमि/जल क्षेत्र) को सीओपीए द्वारा सीएसएल को आवंटित किया गया है।

(3) उपठेकेदारों के लिए पार्किंग स्थान (3.80 एकड़) श्री के. प्रदीप कुमार से पट्टे पर लिया गया है, जिसका वर्तमान पट्टा अनुबंध 14.12.2025 को समाप्त हो चुका है। संशोधित पट्टा समझौता अभी निष्पादित किया जाना बाकी है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(4) इंदिरा डॉक पर अतिरिक्त बर्थ संख्या 9, एमबीपीए द्वारा सीएसएल को आवंटित की गई है (भूमि क्षेत्र: 1501.20 वर्ग मीटर और जल क्षेत्र: 3753 वर्ग मीटर), जिसके लिए पट्टा समझौता अभी निष्पादित किया जाना बाकी है। इस पट्टे की अवधि मौजूदा रियायत अवधि के साथ समाप्त होगी, जो 17.01.2048 को समाप्त हो रही है।

i) निम्नलिखित पट्टा आधारित संपत्तियों के मामले में पंजीकरण लंबित है:

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	के नाम पर आयोजित
नई दिल्ली में ट्रांजिट हाउस	2,200 वर्ग फुट	श्रीमती अनिता सिंघल
कोच्ची में मु.स.अ. का अतिथि गृह	3,721 वर्ग फुट	श्री श्रीकुमार नायर और सुश्री सुनंदा पिल्लै विश्वनाथ
काक्कनाड में बंद स्टोरेज जगह	10,887 वर्ग फुट	केंद्रीय भंडारण निगम
	14,854 वर्ग फुट	
	9526 वर्ग फुट	
	9526 वर्ग फुट	

झ) दिनांक 31 मार्च 2026 तक, (पिछले साल 403.40 लाख रुपए) की वहन राशिवाले संयंत्र और उपकरण अस्थायी रूप से निष्क्रिय थे।

ञ) 20081.26 लाख रुपए (पिछले साल 28298.24 लाख रुपए) की परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका है, लेकिन वे अभी भी उपयोग में है।

ट) अनुसंधान एवं विकास के कारण संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों में कोई वृद्धि नहीं हुई (पिछले वर्ष वेल्डिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित 2.83 लाख रुपये की वृद्धि हुई थी)।

ठ) चालू वर्ष की कटौतियों में 146.17 लाख रुपये (पिछले वर्ष 102.38 लाख रुपये) मूल्य की परिसंपत्तियों को स्क्रैप करना/सेवानिवृत्त करना शामिल है, जिनकी अनुमानित लागत 1338.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 271.01 लाख रुपये) है। इसमें 107.42 लाख रुपये के डब्ल्यूडीवी वाली पुरानी परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, जिन्हें प्रबंधन द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सेवानिवृत्त किया गया था। इस समिति का गठन आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति टैगिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के तहत अप्राप्य परिसंपत्तियों की जांच और सत्यापन करने के लिए किया गया था।

ड) वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा' और 'नया ड्राई डॉक' परियोजनाओं के लिए क्रमशः 18,060.36 लाख रुपये (पिछले वर्ष 79,344.26 लाख रुपये) और 4,462.18 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,31,938.92 लाख रुपये) की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रबंधन द्वारा तकनीकी अनुमानों के आधार पर निर्धारित उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए की गई है। अपनाई गई उपयोगी जीवन अवधि नीचे दी गई तालिका विस्तृत रूप से दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा **उपयोगी जीवन वर्षों में**

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन
क. शिप लिफ्ट घटक			
विंच, कंट्रोल टॉवर, शिन इनहॉल/मूरिंग, विशेष टूल किट	संयंत्र और मशीनरी	10	28
प्लेटफॉर्म स्टील वर्क	संयंत्र और मशीनरी	10	55
व्हील फेंडर	संयंत्र और मशीनरी	10	17
ख. पोत अंतरण घटक			
ट्रेस्टल, बोगी, स्पेयर पार्ट्स, विशेष टूल किट	संयंत्र और मशीनरी	10	28
ग. अन्य संपत्तियां			
फ्लैट टॉप टावर क्रेन	संयंत्र और मशीनरी	10	40
पोत लिफ्ट और अंतरण से संबंधित सुविधा			
जेटी 1, जेटी 2, कनेक्शन जेटी, वर्कस्टेशन उत्तर, वर्कस्टेशन दक्षिण	संयंत्र और मशीनरी	10	28

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नई सूखी गोदी **उपयोगी जीवन वर्षों में**

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन
सूखी गोदी सिविल	संयंत्र और मशीनरी	10	60
पंप हाउस	इमारत	60	60
कैसन गेट	संयंत्र और मशीनरी	10	60
600 टी रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन	संयंत्र और मशीनरी	10	40

ढ) यूसीएसएल और कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड ने 23.12.2022 को मालपे और हैंगरकट्टा में पट्टे की भूमि के लिए 04.3.2020 से 30 साल की अवधि के लिए लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी; मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (तत्कालीन मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) के अधिग्रहण को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश की तारीख। इसके लिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 205-26 के दौरान कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड (केएमबी) को कुल 69.56 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें सुरक्षा जमा, पट्टा बकाया, जुर्माना और बकाया के खिलाफ केएमबी को ब्याज का भुगतान शामिल है।

ण) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालन पट्टे पर दी गई टीम 2 (12 टन बोलार्ड पुल टग) को संयंत्र एवं उपकरण में शामिल किया गया है।

त) कुलपी (कोलकाता - 230 सेंट) स्थित भूमि का मूल्य खातों में 28.09 लाख रुपये के रूप में दर्ज किया गया है।

थ) मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से संबंधित भूमि, भूमि रिकॉर्ड में पूर्ववर्ती 'टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड' और/या 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर बनी हुई है। कंपनी ने 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' के नाम पर स्वामित्व विलेख को बदलने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

द) जिन परिसंपत्तियों को अलग नहीं किया जा सकता है और मालपे यार्ड में पट्टे की भूमि पर निर्मित वैकल्पिक उपयोग ('गैर-हटाने योग्य संपत्ति') के लिए परिवहन नहीं किया जा सकता है, उन परिसंपत्तियों के पट्टे की अवधि और उपयोगी जीवन के निचले हिस्से में परिशोधन / मूल्यह्रास किया जाता है।

ध) वर्ष के दौरान, यूसीएसएल की बहियों में शून्य रुपए (पिछले वर्ष 8.11 लाख रुपए) की उधार लागत पूंजीकृत की गई।

न) वर्ष के दौरान, यूसीएसएल की बहियों में शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य लाख रुपए) की उधार लागत पूंजीकृत की गई।

प) यूसीएसएल की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

फ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मापन, मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन आदि से संबंधित खुलासे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, प्रमुख लेखांकन अनुमानों और निर्णयों के पैरा 3.1 में दिए गए हैं। वर्ष के दौरान, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भी हिस्से का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, प्रबंधन का मत है कि उपर्युक्त परिसंपत्ति का वहन मूल्य उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक नहीं है। इसके अलावा, आंतरिक या बाह्य रूप से ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे हानि हो। इसलिए, मूर्त अचल परिसंपत्तियों, अर्थात संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

ब) मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से संबंधित भवन, अस्थायी संरचना, कार्यालय भवन, कारखाना भवन और सडकों के स्वामित्व के दस्तावेज़ कंपनी के नाम पर नहीं है, क्योंकि भूमि भारत सरकार के नाम पर है, जिसे 59 वर्ष की अवधि केलिए पट्टे पर लिया गया था और कंपनी ने उस पर अचल संपत्तियों का निर्माण किया था।

भ) एचसीएसएल के मामले में, कंपनी की आरंभिक इक्विटी शेयर पूंजी का छब्बीस प्रतिशत किसी भी मौद्रिक प्रतिफल की प्राप्ति के बिना भूमि के पट्टे के अधिकार को सुरक्षित करने केलिए जारी किया गया था। ऐसे 26% इक्विटी शेयरो (रुपए 572.00 लाख) के मूल्य के साथ-साथ संबंधित व्यय कुल 575.00 लाख रूपए को उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया और अधिकार प्रापत करने की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया गया, जो उस तिथि से शुरू होता है जिस दिन अधिकार प्रयोग करने योग्य हो जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्लांट और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	55,053.53	37,373.06
जोड़ें: निर्माण के दौरान व्यय	1,830.93	1,924.08
पूंजी यार्ड मद	1,726.90	12,201.83
मार्गस्थ वस्तुएं	-	0.39
कुल	**58,611.36**	**51,499.36**

निर्माण के दौरान व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रारंभिक जमा	1,924.08	12,141.82
जोड़ें: वर्ष के दौरान व्यय		
वेतन	-	205.27
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत मूल्यह्रास	-	169.49
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत वित्त लागत	-	544.61
पीपीई में स्थानांतरित	(93.15)	(11,137.11)
असाधारण मदें	-	-
अंतिम शेष	**1,830.93**	**1,924.08**

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में अनुसंधान एवं विकास केंद्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय शामिल है जिसकी राशि 757.75 लाख रुपए है। (पिछले वर्ष- शून्य लाख रुपए)।

नियंत्रक कंपनी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास पहल के तहत एक पायलट अनुसंधान एवं विकास परियोजना - एएसवी - में लगी हुई है, जिसके लिए ₹2000 लाख की आंशिक निधि स्वीकृत की गई है (परियोजना क्रियान्वयनधीन है; पोत निर्माणाधीन है)।

कंपनी ने इस परियोजना पर किए गए निवल खर्च (अनुदान घटाने के बाद) को 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में अनुसंधान एवं विकास व्यय के रूप में दर्ज किया था। उस समय, स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। एमओपीएसडब्लयू ने अब औपचारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्ति का स्वामित्व कंपनी के पास है।

एएसवी अभी भी निर्माणाधीन है और पूर्ण होने तक इसे 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी घटनाक्रमों पर नजर रखना जारी रखेगी और आवश्यकतानुसार आगामी अवधियों में इन परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और वर्गीकरण की समीक्षा करेगी।

दिनांक 31.03.2026 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि केलिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	38,582.25	17,052.09	1,692.32	1,284.70	58,611.36
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2025 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि केलिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	47,784.52	2,920.59	619.47	174.78	51,499.36
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2026 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
बड़े पोतों के लिए नया ड्राईडॉक	36,231.01	-	-	-
सीकेएसआरयू कैसॉन गेट	1,908.96	-	-	-
एमडीपी उन्नयन - सीकेएसआरयू	35.00	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली		138.59	-	-
सीकेएसआरयू में विद्युत प्रणाली	8.92	-	-	-
विभिन्न स्थानों पर 500 किलोवाट-मीटर क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र।	144.76	-	-	-
10टी एलएलटीटी क्रेन	9.46	-	-	-
एसबीओसी व एमसीएस में सीसीटीवी कार्य	1.70	-	-	-
निर्माणाधीन परिसंपत्तियां- डॉक व घाट	63.24	-	-	-

दिनांक 31.03.2025 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
बड़े पोतों के लिए नया ड्राईडॉक	28,150.79	-	-	-
आईएसआरएफ	17,772.57	-	-	-
सीकेएसआरयू कैसॉन गेट	1,908.96	-	-	-
सीएमएसआरयू टवर क्रैन	563.77	-	-	-
एलुमिनियम रूफिंग हल शॉप	-	393.22	-	-
सीएनसी प्लाज्मा सह ऑक्सी ईंधन प्लेट काटने की मशीन	315.48	-	-	-
सीकेएसआरयू में टवर क्रैन	264.58	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	204.68	-	-	-
व्यापार विकास केलिए सम्मेलन हॉल का नवीनीकरण	117.75	-	-	-
फायर मेन सिस्टम	107.59	-	-	-
ईडब्ल्यूएसबी सॉकेट आउटलेट के साथ 4 एचसी बीबीटी एचसी बे	102.01	-	-	-
एसएसडी में ब्लॉक निर्माण केलिए स्किड का निर्माण	71.27	-	-	-
जनरल स्टोर के पास 300 केडब्ल्यूपी सोलार पावर प्लांट	68.66	-	-	-
एचसी बे ऑफ हल में 5/एचसी बीबीटी का प्रतिस्थापन	46.01	-	-	-
लोड सेल 150 टन क्रेन	38.02	-	-	-
ईओटी क्रेन केलिए डीएसएल सिस्टम	36.20	-	-	-
इंजन शॉप और मशीन शॉप में स्विच बोर्ड	25.56	-	-	-
बीडी पंप पिट में ग्रेटिंग की फिक्सिंग	20.47	-	-	-
50 टन क्रेन केलिए डीएसएल सिस्टम	20.11	-	-	-
गेट्स, विजिटर्स सेंटर, गोल्डन प्लाज़ा का रीमॉडलिंग	6.90	-	-	-
सीएमएसआरयू में एचडीडी बिल्डिंग में मेजेनाइन फ्लोर	2.50	-	-	-
गतिशील शेड का डिज़ाइन	2.31	-	-	-
एचसीएसएल गोदी और घाटी	63.24	-	-	-
एचसीएसएल शेड निर्माण	0.69	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि				ऋणमुक्ति				निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल 2025 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2026 को	01 अप्रैल 2025 को	वर्ष केलिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	5,275.57	351.33	-	5,626.90	3,983.30	918.99	-	4,902.29	724.61	1,292.27
	5,303.24	**351.33**	**-**	5,654.57	**4,010.97**	**918.99**	**-**	4,929.96	724.61	**1,292.27**

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि				ऋणमुक्ति				निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष केलिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	4,680.85	594.72	-	5,275.57	2,869.76	1,113.54	-	3,983.30	1,292.27	1,811.09
	4,708.52	**594.72**	**-**	**5,303.24**	**2,897.43**	**1,113.54**	**-**	**4,010.97**	**1,292.27**	**1,811.09**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 7 : विकासाधीन अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
विकासाधीन अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	68.06	68.06
कुल	68.06	68.06

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां दिनांक 31.03.2026 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	अवधि केलिए आईएयूडी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं - प्रगति पर	-	7.43	-	60.63
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां दिनांक 31.03.2025 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	अवधि केलिए आईएयूडी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं - प्रगति पर	7.43	-	32.18	28.45
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2026 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
आधार - सीएएनएसआरयू	68.06	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31.03.2025 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
आधार - सीएएनएसआरयू	68.06	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 8 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रति इकाई अंकित मूल्य	मार्च 31,2026 तक इकाईयों की संख्या	मार्च 31,2025 तक इकाईयों की संख्या	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
अनकोट्ड (पूर्णतया प्रदत्त)					
इक्विटी उपकरणों में निवेश					
क) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर					
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्त समिति लिमिटेड में निवेश के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर	100	2,175	2,175	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश	10	70,000	70,000	20.31	17.08
कोचीन वेस्ट टु एनर्जी प्राइवेट लिं.	10	1,00,000	1,00,000	-	-
ऋण साधनों में निवेश					
क) परिशोधित लागत पर					
मेसर्स ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के 7.72% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) (10 वर्षों के अंत में सममूल्य पर भुनाए जाने योग्य)	100000	11,148		11,277.69	-
कुल				11,300.18	19.26
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य				11,300.18	19.26
उद्धृत निवेश का कुल मूल्य और उसका बाज़ार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि				10.00	10.00

क) निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है। इसी प्रकार, केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में वृद्धि देखी गई है और तदनुसार निवेश का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है ।

ख) कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड में कंपनी का निवेश गैर-भागीदारी शेयर है और आमतौर पर इसमें कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता है । इसलिए कंपनी ने इस निवेश को उचित मूल्य मानते हुए अपने लेनदेन मूल्य पर किया है ।

ग) फरवरी 2026 में, कंपनी ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के 11,148 सुरक्षित, गैर-रेटेड, गैर-सूचीबद्ध, भुनाए जाने योग्य, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में निवेश किया, जिनका अंकित मूल्य प्रत्येक डिबेंचर 1,00,000 रुपये था, कुल मिलाकर 11,148.00 लाख रुपये का निवेश हुआ। एनसीडी का आवंटन निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया था। एनसीडी पर 7.72% प्रति वर्ष की कूपन दर है और आवंटन की तिथि से 10 वर्षों के अंत में इन्हें सममूल्य पर भुनाया जा सकता है, जिसमें डीसीआईएल के पास 5 वर्षों के अंत में एनसीडी को पहले भुनाने का विकल्प भी उपलब्ध है। एनसीडी की सदस्यता डीसीआईएल और सीएसएल के बीच हुए पोत निर्माण अनुबंध के तहत 12,000 घन मीटर ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर 'डीआर-गोदावरी' के वित्तपोषण के लिए डीसीआई को सक्षम बनाने के समझौते का हिस्सा थी।

ये डिबेंचर पूर्व-वितरण अवधि के दौरान उक्त अनुबंध से उत्पन्न सभी संविदात्मक अधिकारों और लाभों पर समतुल्य बंधक और प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं। ड्रेजर के निर्माण और वितरण के पूरा होने पर, सुरक्षा उस वितरित ड्रेजर पर होगी।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 9: गैर चालू - ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
(क) अन्य ऋण		
कर्मचारियों को ऋण		
संबंधित पार्टियों	3.71	-
अन्य	621.30	551.52
कुल	**625.01**	**551.52**

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ।

टिप्पणी 10: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रतिभूति जमा	151.31	129.11
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति	38.70	37.92
कुल	**190.01**	**167.03**

सुरक्षा जमा में भारतीय लेखा मानक 109 को भारतीय लेखा मानक 116 के साथ पढ़ने पर परिशोधित लागत पर पट्टे की भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया जमा शामिल ह

टिप्पणी 11: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	2,946.83	2,946.83
चालू कर परिसंपत्तियां / (देयता)		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	10,346.67	(2,460.25)

यूसीएसएल ने उन जमाराशियों पर फॉर्म 26एएस में अपलोड की गई टीडीएस राशि का हिसाब नहीं लगाया है, जिन्हें ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) द्वारा जारी ग्रहणाधिकार चिह्न बैंक गारंटी के कारण यूसीएसएल की पुस्तकों में सावधि जमा के रूप में नहीं लिया गया है।

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
चालू कर :		
चालू आयकर प्रभार	8,851.00	29,550.79
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(1,948.53)	875.11
कुल (क)	**6,902.47**	**30,425.90**
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	21,327.00	(641.90)
कुल (ख)	**21,327.00**	**(641.90)**
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (कअख)	**28,229.47**	**29,784.00**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
स्थगित कर:		
आय और व्यय पर उत्पन्न कर अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	-	-
नकदी प्रवाह हेजिंग पर लाभ/हानि का प्रभावी हिस्सा	(5,548.57)	-
परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन	(89.00)	-
कुल	**(5,637.57)**	**-**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर	**(5,637.57)**	**-**

चालू वर्ष केलिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिल मिलाप किया जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**99,903.42**	**1,12,517.05**
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	25,622.94	28,752.75
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	4,231.27	8,427.28
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(14,104.92)	(7,758.64)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	450.27	393.76
कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	(3,660.08)	-
अनवशोषित व्यावसायिक हानि/मूल्यह्रास के संबंध में समायोजन	-	(296.13)
अन्य	(3,688.48)	31.77
	8,851.00	**29,550.79**
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(1,948.53)	875.11
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन केलिए समायोजन	21,327.00	(641.90)
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	**28,229.47**	**29,784.00**

टिप्पणी 12: आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
आस्थगित कर दायित्व	(14,430.29)	(7,656.47)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	9,770.64	18,621.27
कुल	**(4,659.65)**	**10,964.80**
हुगली- सीएसएल की आस्थगित कर देयताएं	(679.73)	(614.76)
कुल	**(679.73)**	**(614.76)**
कुल योग	**(5,339.38)**	**10,350.04**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

2025-26 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	12,152.87	(4,911.08)	-	-	7,241.79
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(8,030.36)	(7,234.11)	-	-	(15,264.47)
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(29.95)	106.28	-	-	76.33
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां	2,978.01	832.78	-	-	3,810.79
पट्टे पर दी गई देयताएं	(910.63)	(130.87)	-	-	(1,041.50)
आगे बढाए हानि	4,102.57	(3,660.07)	-	-	442.50
अन्य	87.53	(6,329.93)	-	5,637.58	(604.82)
कुल	**10,350.04**	**(21,327.00)**	**-**	**5,637.58**	**(5,339.38)**

2024-25 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	6,539.69	5,613.18	-	12,152.87
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(2,500.61)	(5,529.75)	-	(8,030.36)
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(258.36)	228.41	-	(29.95)
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां	2,449.52	528.49	-	2,978.01
पट्टे पर दी गई देयताएं	(842.65)	(67.98)	-	(910.63)
आगे बढाए हानि	4,652.17	(549.60)	-	4,102.57
अन्य	(134.93)	419.15	(196.69)	87.53
कुल	**9,904.83**	**641.90**	**(196.69)**	**10,350.04**

टिप्पणी 13: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूंजी अग्रिम	423.90	520.51
पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	330.31	289.04
अग्रिम पट्टा किराया	41.40	41.05
कुल	**795.61**	**850.60**

कंपनी ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को सामग्री, उपकरण, मशीनरी, सेवाओं आदि की खरीद के लिए 132.03 लाख रुपये की पूंजीगत अग्रिम राशि दी है, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की गई समान राशि की बैंक गारंटी द्वारा पूरी तरह से कवर की गई है और ये गारंटी लागू करने योग्य हैं।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 14 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
कच्चे माल और घटक	2,08,445.61	1,66,097.28
कार्य प्रगति पर	240.00	961.49
मार्गस्थ माल	17,293.94	19,413.04
	2,25,979.55	**1,86,471.81**
भंडार व पूर्जे	1,477.79	1,408.55
मार्गस्थ माल	-	630.36
	1,477.79	**2,038.91**
ढीला उपकरण	1,378.95	1,097.81
कुल*	**2,28,836.29**	**1,89,608.53**

भंडार एवं स्पेयर्स सामान्य प्रकृति के स्पेयर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा किसी विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं होते हैं।

* दिनांक 31 मार्च 2026 तक लंबित निरीक्षण सामग्री शामिल है, जो 11843.24 लाख रुपए (पिछले वर्ष 14426.93 लाख रुपए) है।

दिनांक 31.03.2026 को मेसर्स बीईएल के परिसर में रखे गए माल का मूल्य 7695.04 लाख रुपये है (पिछले वर्ष यह मूल्य शून्य था)। कंपनी ने इन मालों का कानूनी स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और इनका बीमा एवं सुरक्षा संरक्षा संरक्षिका द्वारा बनाए रखा गया है। सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इन मालों को कच्चे माल और घटकों की श्रेणी में रखा गया है।

मालसूची में 1378.95 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1097.81 लाख रुपये) के ढीले उपकरण शामिल हैं, जिन्हें कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुपालन में पुनर्वर्गीकृत किया है।

यूसीएसएल के 10456.28 लाख रुपए (पिछले वर्ष 11654.43 लाख रुपए) मूल्य के संपूर्ण स्टॉक को बैंक से नकद ऋण सुविधा प्राप्त करने केलिए बंधक रखा गया है।

टिप्पणी 15 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत		
वसूली योग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	42,321.88	22,484.91
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	536.92	2,569.56
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि केलिए भत्ता	(536.92)	(2,569.56)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि केलिए भत्ता	-	-
कुल	**42,321.88**	**22,484.91**

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2026 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	बिल रहित व्यापार प्राप्य	बिल देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया कुल					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	33,205.46	8,798.34	33.90	284.15	0.03	42,321.88
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	1.31	38.76	238.33	278.40
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	258.52	258.52
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**33,205.46**	**8,798.34**	**35.21**	**322.91**	**496.88**	**42,858.80**
घटाव : दिनांक 31.03.2026 को ईसीएल प्रावधान								536.92
31.03.2026 को व्यापार प्राप्य								**42,321.88**

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	बिल रहित व्यापार प्राप्य	बिल देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया कुल					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	18,682.14	1,725.78	1,890.85	186.11	0.03	22,484.91
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	71.71	31.71	2,331.60	2,435.02
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	134.54	134.54
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**18,682.14**	**1,725.78**	**1,962.56**	**217.82**	**2,466.17**	**25,054.47**
घटाव : दिनांक 31.03.2025 को ईसीएल प्रावधान								2,569.56
दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य								**22,484.91**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रारंभिक शेष	2,569.56	12,145.76
जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन	297.02	634.86
घटाइए: वर्ष के दौरान उत्क्रमण/निकासी	2,329.66	10,211.06
जमा शेष	536.92	2,569.56

टिप्पणी 16 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
हाथ में रोकड		
बैंक शेष		
चालू खाते में	835.23	1,617.12
आईपीओ आय में से चालू खाते में		-
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि	9,703.47	30,050.00
आईपीओ आय में से तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि		-
आईपीओ के उद्देश्यों के लिए निर्धारित तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि		-
कुल	10,538.70	31,667.12

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड) के अधिग्रहण केलिए मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार, स्वीकृत समाधान योजना के तहत बोली राशि बैंकों को भुगतान कर दी गई है और पूर्ववर्ती मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में बनाए गए या मौजूद रहनेवाले सभी सुरक्षा शुल्क, भार, समाधान योजना के अनुसार मुक्त हो गए हैं । परिणामस्वरूप बैंक गारंटी समाप्त हो जाती है और मार्जिन मनी मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को जारी कर दी जाएगी । हालांकि, मार्जिन मनी (कुल मिलाकर लगभग 351.12. लाख रुपए) अभी तक बैंकों द्वारा यूसीएसएल को जारी नहीं की गई है, क्योंकि वे इसे पहले जारी की गई बैंक गारंटियों केलिए ग्रहणाधिकार के रूप में रखते हैं, जिस पर यूसीएसएल द्वारा विवाद किया गया है । इसलिए विवेकपूर्ण आधार पर, यूसीएसएल केवल उस अवधि में सावधि जमा, ब्याज आय और ब्याज आय के टीडीएस हिस्से को मान्यता देगा, जिसमें बैंक वास्तव में मार्जिन मनी जमा जारी करते हैं । तदनुसार, उपरोक्त राशि उपरोक्त में शामिल नहीं है ।

एचसीएसएल में, चालू खाते में 31.03.2026 को 47.27 लाख रुपये (31.03.2025 को 2.82 लाख रुपये) की शेष राशि है और 3 महीने से कम परिपक्वता वाली सावधि जमा में 31.03.2026 को 7415 लाख रुपये (31.03.2025 को 6798 लाख रुपये) की राशि है, जो पांडू परियोजना के लिए निर्धारित है, आईडब्ल्यूएआई से प्राप्त हुई है और इस परियोजना के व्यय के लिए एक अलग खाते में रखी गई है।

टिप्पणी 17 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली ग्रहणाधिकार चिह्नित सावधि जमाराशि *	2,037.27	2,030.72
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा	3,031.00	-
भारतीय नौसेना की ओर से **	2,21,099.66	2,68,583.42
यूटीएलए की ओर से रखी गई शेष राशि ***	47.01	77.04
अं. व नि. की ओर से शेष ***	3,755.58	155.24
आईडब्ल्यूएआई की ओर से चालू खाता ****	-	2.82
आईडब्ल्यूएआई की ओर से सावधि जमा ****	-	6,798.00

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों केलिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम	-	-
बैंकों में 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाराशि (बैलेंस शीट की तिथि से 12 महीने की परिपक्वता अवधि वाली)	-	1,755.00
बैंकों में 3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाराशि	-	0.99
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	84.87	191.87
कुल	**2,30,055.39**	**2,79,595.10**

* ग्रहणाधिकार चिन्हित सावधि जमा उन जमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं केलिए नकद मार्जिन बनाए रखने केलिए भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिन्हित किया जाता है और ₹ 120.69 लाख (पिछले वर्ष ₹ 113.57 लाख) का ग्रहणाधिकार केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में अंकित किया गया।

** स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण और अगली पीढी के मिसाइल जहाजों के निर्माण केलिए भारतीय नौसेना द्वारा जमा की गई धनराशि एक अलग खाते में रखी जाती है ।इसमें संबंधित खातों से बनाए गए ₹ 2,20,582.94 लाख के स्वीप-इन टर्म-डिपॉजिट शामिल हैं ।

*** यूटीएलए और अंडमान व निकोबार खाते द्वारा जमा की गई निधि में क्रमशः ₹ 20 लाख और ₹ 3738.37 लाख के स्वीप-इन टर्म-डिपॉज़िट शामिल हैं ।

**** पांडु परियोजना के लिए निर्धारित, आईडब्ल्यूएआई से प्राप्त तथा पृथक खाते में रखा गया।

टिप्पणी 18 : चालू ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों	1.27	0.18
अन्य	162.72	130.92
कुल	**163.99**	**131.10**

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ।

टिप्पणी 19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
बैंक जमे पर अर्जित ब्याज	4,202.15	6,482.42
कर्मचारी अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
संबंधित पार्टियां	1.76	
अन्य	198.84	162.41
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	6,190.55	17,340.05
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	23.57	3,880.05
कुल	**10,616.87**	**27,864.93**

वर्ष के दौरान कंपनी ने वितरित जलयानों के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता को 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू' के तहत पुनर्गठित किया है, जिसे पहले 'व्यापार प्राप्य - चालू' के तहत समूहीकृत किया गया था, जिसकी राशि 1605.57 लाख रुपये (पिछले वर्ष 820.42 लाख रुपये) है, ताकि इसे अधिक उपयुक्त तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 20 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम		
अन्य अग्रिम	2,03,979.87	1,81,470.50
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	0.07	0.07
	2,03,979.94	**1,81,470.57**
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों केलिए प्रावधान	0.07	0.07
	2,03,979.87	**1,81,470.50**
अन्य		
अन्य काठर्यों केलिए अनुबंध परिसंपत्तियां	1,35,933.14	92,482.86
अप्रयुक्त स्टॉक	1,541.49	316.79
कम: अप्रचलन केलिए प्रावधान *	(1,541.49)	(316.79)
राजस्व अधिकारियों के साथ संतुलन	1,900.33	1,721.31
विविध जमाराशियां	34.66	77.34
पूर्वदत्त व्यय	1,486.03	1,814.40
अन्य प्राप्य **	-	31.95
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	1,52,386.98	1,34,386.35
चिकित्सा बीमा प्रीमियम	2,907.72	2,635.97
पोत निर्माण वित्तीय सहायता		
विविध चालू परिसंपत्तियां ***	1,530.31	2,180.54
कुल	**5,27,810.60**	**4,16,801.22**

* कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर मालसूची की आवाजाही का आकलन करती है। चूंकि मालसूची अनुबंध/परियोजना विशिष्ट होती है और विभिन्न ग्राहकों के साथ प्रत्येक अनुबंध/परियोजना अलग-अलग होती है और उसकी विशेषताएं भी भिन्न होती हैं, इसलिए वस्तुएं आमतौर पर विनिमेय नहीं होती हैं और प्रकृति में अद्वितीय होती हैं, अतः उनका निवल वसूली योग्य मूल्य निकालना व्यावहारिक नहीं है। एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, कंपनी धीमी गति से बिकने वाली और अप्रचलित मालसूची के लिए प्रावधान निर्धारित करने के लिए आयु के आधार पर एक श्रेणीबद्ध प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है, जिसे बाद में लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

** अन्य प्राप्य राशि उन जहाजों के रखरखाव पर हुए खर्चों के लिए लेनदारों की समिति (सीओसी) से वसूल की जाने वाली राशि को दर्शाती है जिन्हें लेनदारों की समिति से बाहर रखा गया है। उक्त राशि में समाधान पेशेवर द्वारा रखे गए सीआईआरपी खाते से उपयोग की गई धनराशि और कंपनी के खाते से उपयोग की गई धनराशि शामिल है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीओसी से शेष राशि प्राप्त कर ली है।

*** निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है, सिवाय उस सीमा के जब कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) के साथ कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार भविष्य के वर्षों में समायोजन केलिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक किसी भी राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है और ऐसी अतिरिक्त राशि को विविध चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

एचसीएसएल में, पांडु परियोजना-पांडु-गुवाहाटी में पोत मरम्मत सुविधा इकाई के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) से जमा आधार पर प्राप्त धनराशि को अन्य अग्रिमों से समायोजित किया गया है, जिसमें 31.03.2026 तक 13412.62 लाख रुपये और 31.03.2025 तक 10559.94 लाख रुपये की राशि शामिल है।

कंपनी ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को सामग्री, उपकरण, मशीनरी, सेवाओं आदि की खरीद के लिए 188257.57 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया है, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की गई समान राशि की बैंक गारंटी द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है और ये गारंटी लागू करने योग्य हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्माणाधीन जहाजों के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता को 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत पुनर्गठित किया है, जिसे पहले 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर-चालू' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिसकी राशि 27,651.56 लाख रुपये है (पिछले वर्ष शून्य)। यह बेहतर प्रस्तुति के लिए किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 21 : बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ	1,469.50	-
कुल	**1,469.50**	**-**

हॉल्डिंग कंपनी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की अनुसंधान एवं विकास पहल के तहत एक पायलट अनुसंधान एवं विकास परियोजना - समुद्री अनुप्रयोग के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी - में लगी हुई है, जिसके लिए ₹ 1312.50 लाख की आंशिक निधि स्वीकृत की गई है (परियोजना पूरी तरह से निष्पादित हो चुकी है और पोत का निर्माण पूरा हो चुका है)।

कंपनी ने इस परियोजना पर किए गए निवल खर्च (अनुदान घटाने के बाद) को 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि विवरण में अनुसंधान एवं विकास व्यय के रूप में दर्ज किया था। उस समय परियोजना विकास के चरण में थी और स्वामित्व की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं थी। एमओपीएसडब्ल्यू ने अब औपचारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्ति का स्वामित्व कंपनी के पास है।

हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को आईडब्ल्यूएआई (जो एमओपीएसडब्ल्यू के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है) के साथ बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणित किया जा रहा है, और कंपनी ने पोत का स्वामित्व उन्हें हस्तांतरित कर दिया है। एमओपीएसडब्ल्यू के मार्गदर्शन में आईडब्ल्यूएआई के साथ प्रतिफल और अनुबंध पर चर्चा चल रही है। इन चर्चाओं के अंतिम रूप दिए जाने तक, इस संपत्ति को 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी घटनाक्रम पर नजर रखना जारी रखेगी और आवश्यकतानुसार आगामी अवधियों में इन संपत्तियों के मूल्यांकन और वर्गीकरण की समीक्षा करेगी।

टिप्पणी 22 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को		मार्च 31,2025 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य ₹ 5/-	500000000	25,000.00	500000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
प्रदत्त प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य ₹ 5/-	263080780	13,154.04	263080780	13,154.04
कुल	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

22.1 शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समन्वय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को		मार्च 31,2025 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर (नीचे नोट देखे)	-	-	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान विभाजन पर जारी किए गए 5/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (नीचे नोट देखे)	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 5 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट केलिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश केलिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने केलिए योग्य हैं।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

उप विभाग एवं अन्य जानकारी :

दिनांक 10 जनवरी 2024 को कंपनी ने 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्यवाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्यवाले दो इक्विटी शेयरों मं उप-विभाजित किया।

अक्तूबर 2024 में, भारत सरकार ने लागू सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री केलिए प्रस्ताव के माध्यम से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में रखे गए अपने 19,16,86,928 (72.86%) इक्विटी शेयरों में से 1,30,15,689 (4.95%) इक्विटी शेयर बेचे। नतीजतन, दिनांक 31 मार्च 2026 तक कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 17,86,71,239 (67.91%) इक्विटी शेयर है।

22.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारको का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को		मार्च 31,2025 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	178671239	67.91	178671239	67.91

22.3 वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
भारत के राष्ट्रपति	178671239	67.91	शून्य

टिप्पणी 23 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
पूंजी आरक्षण	7,052.34	7,024.25
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,151.87	93,151.89
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	-	-
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व	(16,391.21)	45.63
प्रतिधारित कमाई	4,71,632.17	4,25,873.71
कुल	**5,74,121.68**	**5,44,771.99**

अन्य इक्विटी में प्रत्येक मद की गतिविधि का विवरण इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में दिया गया है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी निधि में कंपनी की जमीन के माध्यम से नल तंत्र लगाने केलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ₹ 263.56 लाख रुपए बहाली शुल्क शामिल है। इसमें सहायक कंपनी मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) के अधिग्रहण पर 6696.04 लाख रुपए का लाभ और सहायक कंपनी मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के गैर-नियंत्रित हित के अधिग्रहण पर 64.65 लाख रुपये का लाभ भी शामिल है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व : ₹ 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में ₹ 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹ 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण : सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया था और प्रीमियम (₹ 93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹ 10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सामान्य आरक्षित निधिः सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने केलिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और किसी भी सामान्य उद्देश्य केलिए उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य रिज़र्व में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व : नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेड्रिंजग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 48 देखें।)

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5 रुपए अंकित मूल्य के 4.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर और 5/-रुपए के अंकित मूल्य के 3.5 /- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 12 नवंबर 2025 और जनवरी 28,2026 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांशः कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2026 को आयोजित बोर्ड की बैठक में मई 15, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष केलिए ₹ 5 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर केलिए ₹ 1.50 का लाभांश सिफारिश की है। यह वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन/ नियमन के अधीन है।

टिप्पणी 24 : उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	2,302.20	2,302.20
कुल	**2,302.20**	**2,302.20**

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन केलिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड से 197.12 एकड (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पडे है।

उपयोगिता : प्राप्त 2300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरियिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

टिप्पणी 25: पट्टा देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	53,599.92	46,013.72
कुल	**53,599.92**	**46,013.72**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 26 : अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सुरक्षा जमा	21.81	19.99
कुल	**21.81**	**19.99**

प्रचालन पट्टे पर दिए गए जलयान के विरुद्ध प्राप्त किराया जमा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार परिशोधित लागत पर प्रकट किया गया - वित्तीय साधन

टिप्पणी 27 : प्रावधान- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 40 का संदर्भ लें)	5,094.56	5,124.67
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	371.92	204.65
कुल	**5,466.48**	**5,329.32**

टिप्पणी 28 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	940.12	5.72
अग्रिम पट्टा किराया	0.59	2.36
कुल	**940.71**	**8.08**

टिप्पणी 29 : उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सरक्षित		
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	1,07,583.59	4,599.11
कुल	**1,07,583.59**	**4,599.11**

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पास विभिन्न बैंकों से 20 लाख रुपये की स्वीकृत अल्पकालिक उधार सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2026 तक 99,246.59 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। ये ऋण भारतीय रुपये में 73,174.99 लाख रुपये के असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण और विदेशी मुद्रा में 23.92 मिलियन यूरो (26,071.60 लाख रुपये) का पैकिंग क्रेडिट हैं। कंपनी कार्यशील पूंजी निधि का उधार ओवरनाइट ट्रेजरी बिल, आरबीआई रेपो और छह महीने के यूरो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के आधार पर लेती है।

यूसीएसएल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एसआईबी और फेडरल बैंक से क्रमशः 8.25%, 8.65%, 8.00% और 7.90% वार्षिक ब्याज दर पर नकद ऋण सुविधा (20000 लाख रुपये की स्वीकृति सीमा) प्राप्त की है। कंपनी ने एसबीआई की उप-सीमा के अंतर्गत 6.34% वार्षिक ब्याज दर पर ईपीसी सीमा भी प्राप्त की है। ऋण सुविधा कंपनी की वर्तमान संपत्तियों, जिनमें इन्वेंट्री और प्राप्य राशियां शामिल हैं, के बंधक द्वारा सुरक्षित है। पुनर्भुगतान की शर्तें: चालू खाता, मांग पर चुकाने योग्य, वार्षिक समीक्षा/नवीनीकरण के अधीन।

31.03.2026 को यूसीएसएल द्वारा ली गई नकद ऋण सुविधा 3,985.62 रुपये है (पिछले वर्ष की तुलना में 4,344.04 रुपये)।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

एचसीएसएल ने एसबीआई से 8.60% वार्षिक ब्याज दर पर नकद ऋण सुविधा (मंजूरी सीमा 8000 लाख रुपये) प्राप्त की है। यह ऋण सुविधा कंपनी की चालू संपत्तियों, जिनमें इन्वेंट्री और प्राप्य राशियां शामिल हैं, के बंधक द्वारा सुरक्षित है। भुगतान की शर्तें: चालू खाते का भुगतान मांग पर किया जाएगा, जो वार्षिक समीक्षा/नवीनीकरण के अधीन है।

31.03.2026 तक ली गई नकद ऋण सुविधा 4351.38 लाख रुपये है।

टिप्पणी 30: पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन पट्टा देयताएं	3,689.62	3,125.68
कुल	**3,689.62**	**3,125.68**

टिप्पणी 31 : व्यापार देय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	11,364.74	10,461.36
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	84,877.88	38,948.18
कुल	**96,242.62**	**49,409.54**

नोट: पांडू पोत मरम्मत परियोजना (एचसीएसएल एक नोडल एजेंसी है) के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि को लेनदार के अन्य एमएसएमई के बकाया से पुनर्गठित करके अन्य चालू देयता में 31.03.2026 को 20829.55 लाख रुपये और 31.03.2025 को 17360.71 लाख रुपये के रूप में शामिल किया गया है।

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	11,364.74	10,461.36
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भगतान की गई ब्याज की राशि।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2026 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	11,364.74	-	-	-	-	11,364.74
(ii) अन्य	78,049.13	6,708.87	119.88	-	-	84,877.88
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य	-	-	-	-	-	-
बिल रहित लेनदार	-					-
कुल	**89,413.87**	**6,708.87**	**119.88**	**-**	**-**	**96,242.62**

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	10,461.36	-	-	-	-	10,461.36
(ii) अन्य	33,940.44	4,934.11	73.63	-	-	38,948.18
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**44,401.80**	**4,934.11**	**73.63**	**-**	**-**	**49,409.54**

टिप्पणी 32 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
ब्याज अर्जित हो चुका है लेकिन अभी देय नहीं है	8.04	0.00
वरियता शेयरों पर लाभांश		
अवैतनिक लाभांश	84.87	191.87
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	14,187.11	3,808.64
अन्य		
प्रतिभूति और अन्य जमा	2,466.96	4,605.30
पट्टादाता को देय लाभ का हिस्सा		834.50
अन्य देय	18,613.15	14,476.09
कुल	**36,610.23**	**23,916.40**

अन्य देयताओं में पूंजीगत व्यय व्यापार देयताएं शामिल हैं जो 5008.83 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8995.98 लाख रुपये) हैं, जिनमें से 124.86 लाख रुपये (पिछले वर्ष 497.83 लाख रुपये) एमएसएमई विक्रेताओं को देय हैं, जो 31.03.2026 तक देय नहीं हैं।

अन्य देय राशियों में लेनदारों की समिति को देय राशि शून्य (पिछले वर्ष 1,253.84 लाख रुपये) शामिल है, अर्थात पोत निर्माण सब्सिडी योजना के तहत मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 33 : अन्य वर्तमान देनदारियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
स्वदेशी वायुयान वाहक कार्यों केलिए अनुबंध देयता (निवल)*	27,093.35	32,746.10
आईएसी व्यापार देयताएं **	4,102.66	8,184.24
अन्य कार्यों केलिए अनुबंध देयता		4,72,382.06
पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य ठेको केलिए अग्रिम	30,239.33	21,637.22
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	31.87	3,451.97
सांविधिक देय	7,554.24	3,149.24
स्थगित एसडी देयता	89.57	-
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के बदले सरकारी सहायता से उत्पन्न आस्थगित आय	1,312.39	-
कुल	4,95,874.04	5,41,551.97

* कंपनी ने भारतीय नौसेना से प्राप्त धनराशि से स्वदेशी वायुयान वाहक पोत (आईएसी) के निर्माण हेतु अवसंरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए 31 मार्च 2026 तक 40,802.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष : 40,690.02 लाख रुपये) का व्यय किया है। इन निधियों से निर्मित परिसंपत्तियों का स्वामित्व भारतीय नौसेना के पास है।

उपरोक्त व्यय में से, कंपनी ने 17,856 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 17,856 लाख रुपये) की परिसंपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें कंपनी द्वारा अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भारतीय नौसेना को औपचारिक प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। भारतीय नौसेना के साथ स्वामित्व हस्तांतरण और अधिग्रहण मूल्य के अंतिम निर्धारण तक, इन परिसंपत्तियों को कंपनी के लेखा-पुस्तकों में पूंजीकृत नहीं किया गया है।

कंपनी इन परिसंपत्तियों का उपयोग विभिन्न पोत निर्माण कार्यों के लिए करती रहती है, जिनमें आईएसी के अलावा भारतीय नौसेना की अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना के साथ अधिग्रहण मूल्य को अंतिम रूप देने और आपसी सहमति होने पर, उक्त संपत्तियों को कंपनी के बही-खातों में पूंजीकृत किया जाएगा।

भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के पास रखे गए आईएसी अनुबंध के लागत प्लस भाग के तहत खरीदे गए कच्चे माल और खरीदे गए घटकों का स्टॉक ₹ 3148.87 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4746.37 लाख) है, जिसे स्वदेशी वायुयान वाहक केलिए भारतीय नौसेना से प्राप्त अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने आईएसी पी-71 के निर्माण के अनुबंध के अनुसार स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी पी-71) को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कंपनी ने अनुबंध के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने पर 1915000 लाख रुपए का चालान जारी किया है। निर्माण अनुबंध के अनुसार कार्य का शेष दायरा बाद में पूरा किया जाएगा।

कंपनी ने आईएसी परियोजना पी-71 के विरुद्ध दिनांक 31.03.2026 तक 1913767.77 लाख रुपए की सीमा तक राजस्व मान्यता प्राप्त की है और शेष राजस्व आईएसी पी-71 के निर्माण अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को प्राप्त करने पर मान्यता प्राप्त होगी। परियोजना पर अब तक मान्यता प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26 लाख रुपए में	वित्त वर्ष 2024-25 लाख रुपए में
वर्ष की शुरुआत में मान्यता प्राप्त राजस्व	18,99,557.25	18,61,114.01
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	14,210.52	38,443.24
वर्ष के अंत में आईएसी पी-71 पर मान्यता प्राप्त कुल राजस्व	19,13,767.77	18,99,557.25

भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर नोट संख्या 46 देखें

**आईएसी व्यापार देय राशि में एमएसएमई विक्रेताओं को देय 378.05 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 1351.93 लाख रुपए) शामिल हैं, जो दिनांक 31 मार्च 2026 तक देय नहीं है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से पांडु परियोजना-पांडु-गुवाहाटी में पोत मरम्मत सुविधा इकाई के लिए जमा आधार पर प्राप्त धनराशि में से 31.03.2026 तक पांडु परियोजना पर खर्च की गई 13412.62 लाख रुपये की राशि को घटा दिया गया है और 31.03.2026 तक शेष 7416.93 लाख रुपये तथा 31.03.2025 तक शेष 6800.77 लाख रुपये को अन्य चालू देनदारियों में शामिल किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 34 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
कर्मचारी के लाभ केलिए प्रावधान		
उपदान	652.67	808.19
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 40)	435.76	452.36
	1,088.43	**1,260.55**
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों केलिए	2,618.60	2,682.22
पोत निर्माण घटाने केलिए	5,176.00	17,119.00
व्यय/ आकस्मिकों केलिए	49,235.75	81,583.91
	57,030.35	**1,01,385.13**
कुल	**58,118.78**	**1,02,645.68**

व्यय/आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान

समाधान योजना के अनुसार सुविधा को चालू करने के लिए आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए, दिनांक 31/3/2020 तक यूसीएसएल की पुस्तकों में 1250 लाख रुपये की आकस्मिकता का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान, यूसीएसएल ने शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि समायोजित की है और शेष राशि 640.01 लाख रुपये की समीक्षा की गई है और उसे बरकरार रखा गया है।

कंपनी ने वितरित किए गए जहाजों के संबंध में संविदात्मक वारंटी का प्रावधान किया है, जो आम तौर पर डिलीवरी की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए मान्य होती है। इन वारंटियों के तहत, कंपनी डिजाइन, सामग्री, कारीगरी और अन्य निर्दिष्ट कमियों से उत्पन्न दोषों को ठीक करने का वचन देती है। वारंटी दायित्वों से संबंधित व्यय जहाजों की डिलीवरी की तारीख से वारंटी अवधि के दौरान होने की उम्मीद है। कंपनी आम तौर पर नए निर्मित जहाजों पर वारंटी दायित्वों से जुड़े जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी लेती है। प्रबंधन का मानना है कि बीमा कवरेज वारंटी दावों के वित्तीय प्रभाव को काफी हद तक कम कर देगा।

व्यय/आकस्मिकताओं के लिए अन्य प्रावधानों में 31.03.2026 तक पाण्डू निधि से अर्जित ब्याज आय के प्रावधान से संबंधित 610.94 लाख रुपये शामिल हैं। पोत मरम्मत परियोजना (पाण्डू) से संबंधित अधिशेष निधि पर अल्पकालिक जमा पर अर्जित 610.94 लाख रुपये का ब्याज, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जमा से आय के रूप में दर्शाया गया था, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रावधान के रूप में दिखाया जा रहा है।

34.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	01.04.2025 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	मार्च 31,2026 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान - उपदान	808.19	652.62	728.28	79.86	652.67
क्षतिपूरण अवधि	452.36	10.50	-	27.10	435.76
कर और शुल्कों केलिए प्रावधान	2,682.22	2.85	66.47	-	2,618.60
पोत निर्माण हानि केलिए प्रावधान	17,119.00	620.00	1,840.00	10,723.00	5,176.00
व्यय / आकस्मिकों केलिए प्रावधान	81,583.91	2,72,961.38	2,98,488.88	6,820.66	49,235.75

(₹ लाखों में)

ब्योरा	01.04.2024 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	मार्च 31,2025 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान - उपदान	459.97	808.04	399.76	60.06	808.19
क्षतिपूरण अवधि	363.42	88.94	-	-	452.36
कर और शुल्कों केलिए प्रावधान	2,672.32	9.90	-	-	2,682.22
पोत निर्माण हानि केलिए प्रावधान	6,363.00	11,297.00	-	541.00	17,119.00
व्यय / आकस्मिकों केलिए प्रावधान	53,020.97	1,26,069.08	94,858.37	2,647.77	81,583.91

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 35 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	14,210.52	38,443.24
देशी वायुयान वाहक को छोडकर अन्य यानें	2,89,584.75	2,37,177.93
इंजीनियरिंग कार्य	-	-
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	23,001.11	13,854.70
सी-एसएएस से आय	315.64	1,143.03
बीएंडडी स्पेयर्स से आय	8,342.31	3,553.98
	3,35,454.33	**2,94,172.88**
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	1,63,169.42	1,83,455.74
प्रबंधन शुल्क	1,630.49	1,615.34
सेवाओं से आय	205.82	168.10
	1,65,005.73	**1,85,239.18**
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मदों की बिक्री	305.28	337.01
रद्दी माल की बिक्री	1,421.61	1,219.66
परामर्श आय	-	1,027.15
	1,726.89	**2,583.82**
कुल	**5,02,186.95**	**4,81,995.88**

1. राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा किए गए सामान और सेवाओं को ग्राहक को समय-समय पर हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। इसके लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग किया जाता है, जो आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के माप पर आधारित होती है। आउटपुट पद्धति कंपनी के प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि केलिए कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है और कंपनी के प्रयासों की एक स्पष्ट तस्वीर देती है और इसलिए इसे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन को दर्शाने केलिए अपनाया जा रहा है।

2. भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 46 का संदर्भ लें: 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

3. प्रचालन से राजस्व में से, 156522.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 72,826.99 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।

4. कंपनी ने दिनांक 13 मई 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाइन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना केलिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।

5. कंपनी दो 1200 यात्री जलयानों (यार्ड संख्या एसएच 0023 और एसएच 0024) के निर्माण केलिए अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ पोत निर्माण अनुबंध निष्पादित कर रही है। अनुबंध की सुपुर्दगी की तिथि, जिसे बढा दिया गया है, दोनों पोतों केलिए एसएच 0023 केलिए 29 अप्रैल 2023 और एसएच 0024 केलिए 30 अक्तूबर 2023 को समाप्त हो गई है।

   दोनों जलयानों को अंडमान द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच विशिष्ट संचालन केलिए अनुकूलित और डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुरोध के आधार पर, कंपनी ने सुपुर्दगी गतिविधि को रोक दिया है, क्योंकि प्रशासन ने अन्य संभावित खरीदारों को जलयानों का पुनः आबंटन करने की मांग की है। हालांकि, इस तरह के पुनः आबंटन केलिए महत्वपूर्ण तकनीकी संशोधनों और लागत की आवश्यकता होगी, और जलयानों को, उनकी वर्तमान स्थिति में, कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं माना जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

यह देखते हुए कि कंपनी के पास अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक वैध और लागू करने योग्य अनुबंध जारी है, और अनुबंध का कोई वर्तमान पारस्परिक समाप्ति या नवीकरण नहीं है, खरीदार के अनुरोध पर विलंबित सुपुर्दगी के कारण एसएच 0023 और एसएच 0024 केलिए क्रमशः 29 अप्रैल 2023 और 30 अक्तूबर 2023 से आगे एलडी केलिए कोई अतिरिक्त प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार और विवेक पूर्ण अनुमानों के आधार पर, कंपनी ने उपर्युक्त तिथियों तक परिसमाप्त क्षति केलिए प्रावधान को मान्यता दी है।

दिनांक 31.03.2026 तक दोनों जलयानों के लिए पूर्णता का संचयी प्रतिशत एसएच.0023 के लिए 54.84 प्रतिशत और एसएच.0024 के लिए 55.19 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एसएच.0023 के लिए कुल परिसमाप्त क्षति 11814.08 लाख रुपये और एसएच.0024 के लिए 9756.34 लाख रुपये है। परिसमाप्त क्षति पर विचार करने के बाद कंपनी ने दिनांक 31.03.2025 तक एसएच.0023 के लिए 16944.49 लाख रुपये और एसएच.0024 के लिए 17158.03 लाख रुपये का राजस्व मान्यता दी है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनों के साथ एक पोत में अपनी रुचि पुनः प्रकट की है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने भी इसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनों के साथ दूसरे पोत के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है। संशोधनों पर दोनों प्रशासनों के साथ चर्चा चल रही है। दोनों प्रशासनों ने आवश्यक संशोधनों के अधीन, निर्माणाधीन अवस्था में प्रत्येक पोत को ग्रहण करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की है। हॉल्डिंग कंपनी इस अनुबंध से संबंधित घटनाक्रमों पर निरंतर नज़र रख रही है और अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर आगामी अवधियों में अपने लेखा अनुमानों और प्रावधान आवश्यकताओं की समीक्षा करेगी।

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पोत को नए ग्राहक को बेचने से निर्माण और मरम्मत के दौरान हुए विभिन्न खर्चों की भरपाई हो जाएगी। पोत की नई कीमत संभवतः अधिक होगी, जिसका मुख्य कारण हाल के वर्षों में पोत निर्माण लागत में हुई भारी मुद्रास्फीति है, जिससे पोत के बाजार मूल्य में बदलाव आया है।

6. भारत सरकार मूल पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) और संशोधित पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएपी 2.0) के तहत घरेलू पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य जलयानों के निर्माण में होने वाली लागत की भरपाई करना है, न कि किसी प्रचालन घाटे के लिए।

संबंधित एसबीएफए नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता केवल उन जलयानों के लिए उपलब्ध है जिनका निर्माण और वितरण निर्धारित अवधि के भीतर किया गया हो और जिन्हें पोत परिवहन महानिदेशालय से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो। पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा शासित जहाजों केलिए, पात्रता अनिवार्य मानदंडों को पूरा करने पर भी निर्भर करती है, जिसमें सफल मील के पत्थर आधारित मूल्यांकन और घरेलू सामग्री आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क. घरेलू सामग्री 30% और 39% के बीच - आनुपातिक आधार पर (वास्तविक रूप से प्राप्त घरेलू सामग्री के अनुपात में) एसबीएफए के लिए पात्र।

ख. 40% या उससे अधिक घरेलू सामग्री - 100% एसबीएफए (योजना के अनुसार पूर्ण सहायता) के लिए पात्र।

ग्रूप पात्र पोतों के निर्माण की अवधि के दौरान, किए गए खर्च के अनुपात में, एसबीएफए आय को मान्यता देती है, बशर्ते कि नीति के तहत शर्तें पूरी हों या उनके पूरा होने की उचित रूप से उम्मीद हो।

सीएसएल में, यदि निर्माण या वितरण समयसीमा में देरी, अनिवार्य घरेलू मूल्यवर्धन सीमा से कम होना, या पात्रता मानदंडों को पूरा न कर पाने के कारण स्वतंत्र मील के पत्थर सत्यापन में विफलता जैसी किसी भी नीतिगत शर्त के अनुपालन के संबंध में अनिश्चितता हो, तो कंपनी या तो एसबीएफए आय को मान्यता नहीं देती है या पहले से मान्यता प्राप्त आय को रद्द कर देती है, जैसा उचित हो। ऐसी आकस्मिकताओं का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, और संशोधित अपेक्षाओं को दर्शाने के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन किए जाते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने वितरित पोतों के संबंध में 3409.56 लाख रुपये की वित्तीय सहायता को चालू वर्ष की आय के रूप में मान्यता दी है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, संस्थागत तंत्र के तहत कंपनी के अनुरोध पर, सार्वजनिक परिवहन मंत्रालय ने पोतों की डिलीवरी के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया। तदनुसार, कंपनी ने निर्माणाधीन जहाजों के संबंध में 7037.17 लाख रुपये की वित्तीय सहायता को चालू वर्ष की आय के रूप में पुनः मान्यता दी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्माणाधीन जहाजों के संबंध में, कंपनी ने भारत सरकार से पोत निर्माण वित्तीय सहायता के रूप में 19591.55 लाख रुपये की वित्तीय सहायता आय को मान्यता दी है, ताकि कंपनी द्वारा जहाजों के निर्माण में किए गए खर्च की भरपाई की जा सके। रिपोर्टिंग तिथि तक, वित्तीय सहायता के कारण अर्जित संचयी आय 38393.39 लाख रुपये है, जो समय-समय पर संशोधित पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

ग्रूप जहाजों की कीमत तय करते समय पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) को ध्यान में रखता है, जो जहाज निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, ग्रूप ने एसबीएफए को 'उत्पाद की बिक्री' के अंतर्गत पुनर्गठित किया है, जिसे पहले 'अन्य परिचालन राजस्व' के अंतर्गत रखा गया था, ताकि अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। इसका परिचालन राजस्व पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

7. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने वर्ष 2019 से अंडमान और निकोबार प्रशासन (ए एंड एन एडमिनिस्ट्रेशन) के स्वामित्व वाले पोर्ट ब्लेयर के मरीन डॉकयार्ड में पोत मरम्मत कार्य शुरू किया। 28 नवंबर 2019 को ए एंड एन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, सीएसएल प्रशासन को ए एंड एन द्वीप समूह में पोत मरम्मत प्रणाली स्थापित करने में सहायता करने और प्रशासन तथा वहां स्थित तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तरदायी है। इन सेवाओं के बदले में, कंपनी प्रबंधन शुल्क की हकदार है, जिसका वित्तीय विवरणों में आनुपातिक आधार पर लेखा-जोखा किया जाता है।

8. वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रबंधन शुल्क को 'सेवाओं की बिक्री' के अंतर्गत पुनर्गठित किया है, जो पहले 'अन्य परिचालन राजस्व' के अंतर्गत आता था, ताकि अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। इसका परिचालन राजस्व पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

9. परिचालन से प्राप्त राजस्व में भारतीय नौसेना को आठ पनडुब्बी रोधी उथले जल नौकाओं के निर्माण और आपूर्ति के अनुबंध से प्राप्त राजस्व शामिल है। ग्राहक द्वारा वितरण अनुसूची पर स्पष्टीकरण के बाद, बाद की नौकाओं की नियत तिथियों की गणना पहली नौका की वास्तविक वितरण तिथि से की जाती है। तदनुसार, विलंब तिथि केवल पहली नौका (विलंबित होने पर) के लिए प्रदान की गई है। बाद की नौकाओं के लिए कोई एलडी प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि उनकी अपेक्षित वितरण तिथियां निर्धारित संविदा अनुसूची के भीतर हैं।

10. भारतीय नौसेना के साथ पोत मरम्मत अनुबंधों के संबंध में, राजस्व की गणना कार्य की वर्तमान स्थिति में हुई भौतिक प्रगति के आधार पर उत्पादन विधि का उपयोग करके की जाती है। इन अनुबंधों के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य पुर्जे अलग से निष्पादन दायित्व नहीं हैं, क्योंकि वे मरम्मत सेवा का अभिन्न अंग हैं और उससे अविभाज्य हैं। इन पुर्जों का उपयोग किए बिना पोत की मरम्मत नहीं की जा सकती, और ग्राहक मरम्मत के अलावा इन पुर्जों का लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए, अनिवार्य पुर्जों को एक ही निष्पादन दायित्व (पोत की मरम्मत) का हिस्सा माना जाता है, और राजस्व की गणना के लिए इनकी लागत कुल अनुबंध मूल्य में शामिल की जाती है। पोत के लिए निर्धारित पूर्णता प्रतिशत, रिपोर्टिंग तिथि तक मरम्मत के लिए जारी किए गए अनिवार्य पुर्जों की खपत को दर्शाता है; इसलिए अनिवार्य पुर्जों के लिए राजस्व का कोई अलग मापन या गणना नहीं की जाती है।

11. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इंड एएस 115 के अनुसार उत्पादन पद्धति के तहत अपने प्रदर्शन दायित्वों के मापन की प्रगति का पुनर्मूल्यांकन करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने पाया कि इंड एएस 21 के अनुप्रयोग पर, विदेशी मुद्रा में नामित निर्यात अनुबंधों के मामले में मौजूदा मापन के परिणामस्वरूप राजस्व के सटीक प्रतिनिधित्व में भिन्नताएँ आ रही थीं। इस समस्या को दूर करने के लिए, कंपनी ने उक्त अनुबंधों के लिए अपने मात्रा निर्धारण दृष्टिकोण को परिष्कृत किया। राजस्व को कुल लेनदेन मूल्य पर भौतिक पूर्णता प्रतिशत लागू करके मान्यता दी जाती है, जिसके लिए कंपनी हकदार है, सामग्री और सेवा भागों में विभाजन किए बिना। मात्रा निर्धारण पद्धति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिचालन राजस्व में शून्य रुपये की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष यह 11808.65 लाख रुपये थी)। कंपनी समान प्रदर्शन दायित्वों वाले अनुबंधों के लिए राजस्व को मान्यता देने में इस मापन तकनीक को लगातार अपना रही है।

12. एचसीएसएल ने वित्त वर्ष 2025-26 में लागत पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर पांडु पोत मरम्मत सुविधा (एजेंसी शुल्क) के लिए राजस्व को मान्यता दी है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 36 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	858.66	663.79
रद्दी माल और भंडार से आय	520.29	519.57
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	-	23.90
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	17.80	15.53
किराए से आय	434.74	241.85
भाडा प्रभार	90.00	90.00
बैंक जमाओं पर ब्याज	16,352.09	19,258.45
अन्यों से ब्याज	368.46	522.72
म्युचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	148.87	72.78
सोसाइटी से लाभांश आय	0.54	0.54
म्युचुअल फंड की बिक्री पर लाभ		
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	-	1,405.58
डेरिवेटिव अनुबंधों पर निवल लाभ		
प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	20,762.27	14,054.34
विविध आय *	1,428.70	2,037.45
कुल	**40,982.42**	**38,906.50**

* विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही भारतीय लेखा मानक 20-सरकारी अनुदान केलिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

समूह उन जमाराशियों पर फॉर्म 26 एएस में अपलोड की गई ब्याज राशि का हिसाब नहीं रख रहा है, जिन्हें एनसीएलटी आदेश से पहले ग्रहणाधिकार के कारण यूसीएसएल की पुस्तकों में सावधि जमा के रूप में नहीं लिया गया है।

अन्य प्राप्त ब्याज में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध चिदंबरम पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त शून्य रुपये (पिछले वर्ष प्राप्त 283.76 लाख रुपये) शामिल हैं।

टिप्पणी 37: उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	14,145.05	17,019.77
पाइप	1,748.66	2,054.30
पेंन्ट	2,877.26	3,008.08
खरीदे गए घटक	2,00,810.70	1,91,321.93
कुल	**2,19,581.67**	**2,13,404.08**

टिप्पणी 38: कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन

(उनके अलावा जिन्हें प्रतिशत / आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता दी गई है)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य प्रगति पर:		
वर्ष की शुरुआत में	961.50	428.65
कमः वर्ष के अंत में	(240.01)	(961.50)
कुल	**721.49**	**(532.85)**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

भारत सरकार द्वारा समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के तहत, हॉल्डिंग कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दो 60-टन ग्रीन टग हल्स का निर्माण शुरू किया था। इसके बाद, जनवरी 2026 में, कंपनी को एक निजी ग्राहक से दो 60-टन ग्रीन टग्स के निर्माण का ऑर्डर प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप, उपरोक्त टग्स से संबंधित व्यय को कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी) से हटाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लाभ और हानि खाते में समायोजित कर दिया गया है।

टिप्पणी 39 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	67,009.35	55,118.41
हल बीमा	2,975.17	2,615.62
डिज़ाइन व्यय	5,610.07	6,955.85
प्रचालन खर्च	30,729.55	23,238.54
कुल	**1,06,324.14**	**87,928.42**

टिप्पणी 40 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेशिया और भत्ते	38,709.85	35,418.24
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	2,623.54	2,405.58
उपदान	951.28	515.25
कर्मचारी कल्याण खर्च	4,951.95	4,303.09
	47,236.62	**42,642.16**
कम : निर्माण के दौरान व्यय	-	(205.27)
कुल	**47,236.62**	**42,436.89**

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 32.40 लाख (पिछले साल ₹ 30.34 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ (-) 5.27 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 129.34 लाख रुपए) की राशि के कामगारों केलिए अर्ध वेतन क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की भुनाई केलिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों केलिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोडकर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

यूसीएसएल के मामले में, उपदान और अर्जित अवकाश के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन से चालू वर्ष का कुल व्यय 45.94 लाख रुपये दर्शाया गया है। संबंधित समायोजन प्रविष्टियाँ बहीखातों में दर्ज कर ली गई हैं। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई निवल राशि 11.25 लाख रुपये की क्रेडिट के रूप में दिखाई देती है।

रोज़गार पश्चात् दायित्व

श्रम संहिता की राजपत्र अधिसूचना के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूर्ण किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, समूह ने 31 मार्च, 2026 तक संविदा कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी देयता को मान्यता दी है। अधिकारियों, पर्यवेक्षकों या कर्मचारियों के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान वेतन घटक पहले से ही पीएफ और ग्रेच्युटी गणना के लिए 50% की सीमा से अधिक हैं। इसी प्रकार, अवकाश नकदीकरण देयताएं अपरिवर्तित रहती हैं क्योंकि मौजूदा बीमांकिक प्रावधान नियमित कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से कवर करते हैं, जबकि संविदा कर्मचारी नई देयताओं को उत्पन्न करने के लिए

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

पर्याप्त अवकाश आगे नहीं ले जाते हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए समेकित वेतन का पुनर्गठन लागत-तटस्थ होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल सकल वेतन और संबंधित वित्तीय व्यय स्थिर रहें। परिणामस्वरूप, समूह ने महत्वपूर्ण अनियोजित खर्चों के बिना सक्रिय देयता प्रविष्टियों और आंतरिक समिति समीक्षाओं के माध्यम से संभावित अनुपालन जोखिमों को कम किया है।

भविष्य निधि

पात्र कर्मचारियों केलिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक कानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोश में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2025-26 केलिए 1980.54 लाख रुपए (वर्ष 2024-25 केलिए 1872.67 लाख रुपए) है। प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करें और अधिसूचित ब्याज दर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के भारतीय लेखा मानक के 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निधि दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ लाखों में)

विवरण	2025-26	2024-25
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	25,625.50	24,747.34
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	26,175.49	24,781.17
निवल देयता/ (निवल परिसंपत्ति)	549.99	33.83
अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य केलिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	7.62%	6.78%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	9.00	9.20

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	311.68	270.62
निवल ब्याज मूल्य	346.24	303.84
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	(29.97)	815.00
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	**627.95**	**1,389.46**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	5,360.79	5,480.86
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	**5,360.79**	**5,480.86**

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	422.14	446.66
पीवीओ के गैर चालू घटक	4938.65	5034.20
कुल पीवीओ	**5360.79**	**5480.86**

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	5480.86	4626.82
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	311.68	270.62
चालू ब्याज मूल्य	346.24	303.84
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(29.97)	815.00
प्रदत्त लाभ	(748.02)	(535.42)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	**5,360.79**	**5,480.86**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकित लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	748.02	535.42
प्रदत्त लाभ	(748.02)	(535.42)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	150.96	140.34
वर्ष 2	259.11	286.62
वर्ष 3	151.30	177.73
वर्ष 4	165.43	137.19
वर्ष 5	185.89	147.08
अगले 5 वर्ष	927.67	799.80

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	150.96	140.34
वर्ष 2	259.11	286.62
वर्ष 3	151.30	177.73
वर्ष 4	165.43	137.19
वर्ष 5	185.89	147.08
अगले 5 वर्ष	927.67	799.80

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	8.12%	7.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,506.04	4,609.86
वर्तमान सेवा लागत	178.68	193.41
ख. छूट दर- 50 बीपी	7.12%	6.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,889.10	5,016.23
वर्तमान सेवा लागत	195.80	212.98
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,897.28	5,023.15
वर्तमान सेवा लागत	196.17	213.32
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,497.13	4,601.99
वर्तमान सेवा लागत	178.29	193.03

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	8.12%	7.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,506.04	4,609.86
वर्तमान सेवा लागत	178.68	193.41
ख. छूट दर - 50 बीपी	7.12%	6.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,889.10	5,016.23
वर्तमान सेवा लागत	195.80	212.98
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,897.28	5,023.15
वर्तमान सेवा लागत	196.17	213.32
घ. वेतन वृद्धि दर- 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,497.13	4,601.99
वर्तमान सेवा लागत	178.29	193.03

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य केलिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है : (मुख्य कार्यालय):	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.62%	6.78%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%
संघर्षण दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	7.62%	6.78%

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	10.92	11.30

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	402.11	423.10
पिछली सेवा लागत	261.04	-
निवल ब्याज खर्च	33.54	13.93
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	**696.69**	**437.03**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(297.55)	337.96
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	112.47	(46.72)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**-185.08**	**291.24**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	5,773.56	5,529.24
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,261.94	4,800.96
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	511.62	728.28

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:- (₹ लाखों में)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,529.24	4,799.46
चालू सेवा मूल्य	402.11	423.10
चालू ब्याज मूल्य	367.17	322.20
पिछली सेवा लागत	261.05	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(297.55)	337.96
प्रदत्त लाभ	(488.46)	(353.48)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**5,773.56**	**5,529.24**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,800.96	4,399.68
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	333.63	308.27
बीमांकित (लाभ) / हानि	(112.48)	46.72
नियोक्ता से अंशदान	728.28	399.77
प्रदत्त लाभ	(488.45)	(353.48)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**5,261.94**	**4,800.96**

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	291.94	286.14
वर्ष 2	698.12	665.64
वर्ष 3	371.58	384.19
वर्ष 4	317.79	321.02
वर्ष 5	388.16	266.76
अगले 5 वर्ष	1,929.11	1,583.72

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	8.12%	7.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,494.32	5,251.13
वर्तमान सेवा लागत	360.43	345.63
ख. छूट दर - 50 बीपी	7.12%	6.28%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	6,074.71	5,830.27
वर्तमान सेवा लागत	409.08	397.00
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	6,046.54	5,779.52
वर्तमान सेवा लागत	399.80	390.11
घ. वेतन वृद्धि दर- 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,507.08	5,288.36
वर्तमान सेवा लागत	368.28	353.54

बीपी ' आधार अंक' को दर्शाता है।

(₹ लाखों में)

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	37.13%	28.95%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	12.26%	25.24%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	29.03%	31.49%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.33%	0.32%
अन्य	21.25%	14.00%
कुल	100.00%	100.00

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है ।

(₹ लाखों में)

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट(सीएमएसआरयू), और एफटीई के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं:	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	6.60%	6.40%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	6.50%	6.40%
छूट दर (प्र.म.) - एफटीई	6.30%	-
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	138.58	25.24
पिछली सेवा लागत	98.33	-
निवल ब्याज खर्च	17.63	16.55
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	254.54	41.79

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(41.40)	0.35
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि		
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**(41.40)**	**0.35**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	488.57	275.42
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	**488.57**	**275.42**

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	275.43	233.26
चालू सेवा मूल्य	138.58	25.25
चालू ब्याज मूल्य	17.63	16.56
पिछली सेवा लागत	98.33	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(41.40)	0.35
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**488.57**	**275.42**

आईएसआरएफ, सीएमएसआरयू, एफटीई अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		
वर्ष	**एफटीई**	**आईएसआरएफ**	**सीएमएसआरयू**
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2025 को समाप्त वर्ष		
वर्ष	**एफटीई**	**आईएसआरएफ**	**सीएमएसआरयू**
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		
वर्ष	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	33.04	91.07	8.49
वर्ष 2	69.21	44.69	4.53
वर्ष 3	81.24	11.68	0.43
वर्ष 4	53.55	17.69	0.44
वर्ष 5	7.99	39.60	8.50
अगले 5 वर्ष	-	123.12	8.54

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2025 को समाप्त वर्ष		
वर्ष	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	63.01	8.03
वर्ष 2	लागू नहीं	46.94	6.20
वर्ष 3	लागू नहीं	25.86	3.15
वर्ष 4	लागू नहीं	10.25	-
वर्ष 5	लागू नहीं	5.99	-
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	95.80	10.15

दिनांक 31.03.2026 को संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	7.30%	7.60%	7.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	209.95	241.87	23.37
परिवर्तन	-2.00%	-3.33%	-3.19%
ख. छूट दर- 100 बीपी	5.30%	5.60%	5.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	218.68	259.26	24.97
परिवर्तन	2.07%	3.62%	3.44%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	217.72	258.24	24.87
परिवर्तन	1.63%	3.21%	3.02%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	210.80	242.69	23.45
परिवर्तन	-1.61%	-3.00%	-2.85%

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है ।

दिनांक 31.03.2025 को संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	एफटीई	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	लागू नहीं	7.40%	7.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	लागू नहीं	239.07	26.73
परिवर्तन	लागू नहीं	-3.55%	-2.96%
ख. छूट दर - 100 बीपी	लागू नहीं	5.40%	5.40%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	लागू नहीं	257.45	28.42
परिवर्तन	लागू नहीं	3.86%	3.18%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	लागू नहीं	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	लागू नहीं	256.44	28.30
परिवर्तन	लागू नहीं	3.45%	2.76%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	लागू नहीं	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	लागू नहीं	239.88	26.82
परिवर्तन	लागू नहीं	-3.23%	-2.60%

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है ।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

यूसीएसएल (सहायक कंपनी) की कर्मचारी लाभ योजनाएं

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य केलिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.40%	6.60%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
संघर्षण दर - अर्ध वेतन अवकाश	1.00%	-
निर्धारित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	14.73	16.37

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	9.14	4.83
पिछली सेवा लागत	3.38	0.00
निवल ब्याज व्यय	5.04	1.95
निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि	**17.56**	**6.78**

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में इकाई के दायित्व से उत्पन्न तुलन पत्र में शामिल राशि निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	124.18	84.89
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	**124.18**	**84.89**

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	2.86	5.44
पीवीओ के गैर चालू घटक	121.32	79.45
कुल पीवीओ	**124.18**	**84.89**

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	84.89	28.31
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	12.52	4.83
चालू ब्याज मूल्य	5.04	1.95
बीमांकिक (लाभ)/हानि	38.67	52.33
प्रदत्त लाभ	(16.94)	(2.53)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	**124.18**	**84.89**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकित लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	16.94	2.53
प्रदत्त लाभ	(16.94)	(2.53)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	2.86	4.36
वर्ष 2	17.03	0.00
वर्ष 3	14.42	1.67
वर्ष 4	13.35	2.57
वर्ष 5	13.63	2.36
अगले 5 वर्ष	197.28	73.93

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण- अर्जित छुट्टी	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 100 बीपी	8.40%	7.60%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	114.95	77.46
परिवर्तन	-7.43%	-8.75%
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.40%	5.60%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	134.75	93.55
परिवर्तन	8.51%	10.20%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	6.00%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	134.26	93.16
परिवर्तन	8.11%	9.74%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	115.22	77.66
परिवर्तन	-7.21%	-8.52%

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य केलिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है :	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.40%	6.60%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
निकासी दर	1.00%	0.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	7.63%	7.60%

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	11.22	12.78

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	31.27	25.59
पिछली सेवा लागत	0.07	0.00
निवल ब्याज खर्च	(2.95)	(0.04)
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	**28.39**	**25.55**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुन: मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(7.35)	(1.28)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(1.47)	(0.92)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**(8.82)**	**(2.20)**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	104.22	75.26
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	170.52	119.96
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ (परिसंपत्तिया)	**(66.30)**	**(44.70)**

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	75.26	47.58
चालू सेवा मूल्य	31.27	25.59
चालू ब्याज मूल्य	4.97	3.37
पिछली सेवा लागत	0.07	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(7.35)	(1.28)
प्रदत्त लाभ		
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**104.22**	**75.26**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	119.96	48.13
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	7.92	3.42
बीमांकित लाभ / (हानि)	1.47	0.92
नियोक्ता से अंशदान	41.17	67.49
प्रदत्त लाभ		
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**170.52**	**119.96**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	9.84	7.75
वर्ष 2	9.01	2.12
वर्ष 3	9.12	5.84
वर्ष 4	9.68	4.89
वर्ष 5	8.52	3.84
अगले 5 वर्ष	189.57	50.82

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 100 बीपी	8.40%	7.60%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	95.92	68.00
परिवर्तन	-7.97%	-9.65%
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.40%	5.60%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	113.93	83.88
परिवर्तन	9.31%	11.45%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	6.00%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	113.54	83.54
परिवर्तन	8.94%	10.99%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	96.12	68.15
परिवर्तन	-7.78%	-9.44%

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

(₹ लाखों में)

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	लागू नहीं	लागू नहीं
राज्य सरकार की प्रतिभूति	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	लागू नहीं	लागू नहीं
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	लागू नहीं	लागू नहीं
संपत्ति	लागू नहीं	लागू नहीं
विशेष जमा योजना	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
अन्य (भारतीय जीवन बीमा निगम)	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100%**	**100%**

योजना की परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह उपदान योजना के माध्यम से किया जाता है।

एचसीएसएल (सहायक कंपनी) की कर्मचारी लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजनाएं/दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति

लाभ का विवरण:

कंपनी ने अपने कर्मचारियों की उपदान के लिए कोई निधिबद्ध योजना नहीं लिया है।दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से योग्य बीमांकिकों की सलाह के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि में कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को आगे बढ़ाने के रूप में मान्यता प्राप्त है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में शुद्ध निर्धारित लाभ लागत को मान्यता दी गई है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

जोखिम:

निर्धारित लाभ योजनाएं कंपनी को ब्याज दर जोखिम, वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम और जनसांख्यिकीय जोखिम के लिए उजागर करती हैं।

ब्याज दर जोखिम: निर्धारित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित बाज़ार प्राप्ति के आधार पर छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। प्राप्ति में कमी से निधि की देनदारी बढ़ेगी और इसके विपरीत।

वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम: निर्धारित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के तहत प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। वेतन में वृद्धि से देनदारी बढ़ सकती है।

जनसांख्यिकीय जोखिम:यह मृत्यु दर, निकासी, विकलांगता और सेवानिवृत्ति सहित घटते क्रम की प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। निर्धारित लाभ दायित्व पर इन कमियों का प्रभाव सीधे आगे नहीं है और वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है।यह महत्वपूर्ण है कि निकासी को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे कैरियर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आमतौर पर लंबी सेवा वाले कर्मचारी की तुलना में प्रतिवर्ष कम होती है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा		31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
		उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
I	**नियोक्ता व्यय का घटक**				
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त:				
1	चालू सेवा लागत	10.55	4.40	5.92	4.87
2	पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
3	निवल ब्याज लागत	0.72	0.79	0.69	0.20
4	बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	31.27	-	11.25
5	**लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय**	**11.27**	**36.46**	**6.61**	**16.32**
	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुन: माप				
6	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	-	-	-	-
7	मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	(3.44)	-	0.17	-
8	अनुभव समायोजन का प्रभाव	7.42	-	(4.08)	-
9	**अन्य व्यापक आय में शामिल कुल पुन: माप**	3.98	-	**(3.91)**	**-**
10	**लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण (5 +9) में मान्यता प्राप्त कुल परिभाषित लाभ लागत**	**15.25**	**36.46**	**2.69**	**16.32**

अनुदान व्यय से संबंधित वर्तमान सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत और वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत को नोट 40 के अंतर्गत 'भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान' में तथा अवकाश नकदीकरण को 'कर्मचारी लाभ व्यय' में मान्यता दी गई है। निवल परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मूल्यांकन को अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा		31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
		उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
II	**तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/(देयता)**				
	निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	24.38	45.35	9.14	11.28
	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
	निवल देयता:				
	- गैर-चालू	15.92	34.60	9.07	11.02
	- चालू	8.45	10.76	0.07	0.26

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
III निर्धारित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)				
1 वर्ष की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	9.13	11.28	13.25	10.90
2 चालू सेवा लागत	10.55	4.40	5.92	4.87
3 पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
4 निवल ब्याज लागत	0.72	0.79	0.69	0.20
5 बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-	-	-
6 पुनर्माप लाभ / (हानि):				
क जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	(0.26)	(0.48)	-	-
ख वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	(3.17)	(5.99)	0.16	0.20
ग परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)	-	-	-	-
घ अनुभव समायोजन का प्रभाव	7.41	37.74	(4.08)	11.05
7 कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-	-	-
8 निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-	-	-
9 अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-	-	-
10 स्थानांतरण का प्रभाव अंदर/(बाहर)	-	-	-	-
11 भुगतान किया गया लाभ	-	(2.39)	(6.81)	(15.94)
12 **वर्तमान अवधि के अंत में निवल निर्धारित लाभ संपत्ति/ (देयता)**	**24.38**	**45.35**	**9.13**	**11.28**

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
IV अगले वर्ष के लिए नियोक्ताओं के अपेक्षित योगदान का सर्वश्रेष्ठ अनुमान		
उपदान	24.38	9.13

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
V परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-	-	-
1 वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्ति	-	-	-	-
2 अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
3 योजना संपत्ति पर ब्याज आय	-	-	-	-
4 नियोक्ता योगदान	-	-	-	-
5 छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-	-	-	-
6 भुगतान किया गया लाभ	-		-	-
7 वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य				

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
VI बीमांकिक अनुमान				
1 प्रति वर्ष छूट दर	7.87%	7.87%	6.90%	6.90%
2 वेतन में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
3 मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर 2012-2015 अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर 2012-2015 अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
4 निकासी	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%

VII संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तन के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये संवेदनशीलता अलग-अलग सूचीबद्ध मान्यताओं में से प्रत्येक में परिवर्तन के काल्पनिक प्रभाव को दर्शाती है। जबकि इनमें से प्रत्येक संवेदनशीलता अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखती है, व्यवहार में ऐसी धारणाएं अलगाव में शायद ही कभी बदलती हैं और परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन कुछ हद तक प्रभाव को पूरा कर सकते हैं। संवेदनशीलता को प्रस्तुत करने के लिए, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि ऊपर प्रस्तुत परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू होने के समान है।पिछले वर्ष से संवेदनशीलता विश्लेषण की तैयारी में उपयोग की जाने वाली विधियों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
क छूट दर	7.87%	7.87%	6.90%	6.90%
छूट दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(2.76)	(5.27)	(1.48)	(1.79)
प्रतिशत प्रभाव	5.68%	(5.85%)	(16.20%)	(15.90%)
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर	3.16	5.95	1.84	2.22
प्रतिशत प्रभाव	6.35%	6.48%	20.10%	19.70%
ख वेतन वृद्धि दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
वेतन वृद्धि दर में 1% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	3.24	6.14	1.90	2.29
प्रतिशत प्रभाव	6.60%	6.73%	20.70%	20.30%
वेतन वृद्धि दर में 1% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(2.83)	(5.34)	(1.55)	(1.87)
प्रतिशत प्रभाव	5.93%	(6.10%)	(16.90%)	(16.60%)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण	मार्च 31,2026 को		मार्च 31,2025 को	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
वर्ष 1	8.78	11.17	0.07	0.27
वर्ष 2	1.47	4.84	0.06	0.21
वर्ष 3	0.19	0.52	0.15	0.22
वर्ष 4	0.21	0.59	0.17	0.23
वर्ष 5	0.22	0.62	0.20	0.24
वर्ष 6 से 10	2.87	7.32	1.14	1.37
10 वर्ष से ज्यादा	79.00	138.21		

(i) निर्धारित योगदान योजनाओं की राशि को नोट 40 में 'भविष्य और अन्य निधियों में योगदान' के तहत मान्यता दी गई है: ₹33.64 लाख (2025 - ₹ 42.14 लाख)।

टिप्पणी 41 : वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	4,772.32	4,109.81
कर मुक्त बांड पर ब्याज	200.37	201.17
नकद ऋण पर ब्याज	4,002.35	34.69
वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत का मापन परिशोधित लागत के आधार पर किया जाता है।	259.25	-
अन्य ब्याज	3.32	56.49
	9,237.61	**4,402.16**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय	-	(544.61)
कुल	**9,237.61**	**3,857.55**

टिप्पणी 42 : मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	10,319.40	7,627.95
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	1,740.94	1,745.64
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	918.99	1,113.54
कुल	**12,979.33**	**10,487.13**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय	-	(169.49)
कुल	**12,979.33**	**10,317.64**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 43 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
पुर्जों व भंडार का उपभोग	3,923.76	3,923.01
अनिश्चित औजारों के मूल्य में कमी	274.45	192.03
दर और कर	167.08	146.70
बिजली	3,707.62	3,769.70
ईंधन	1,572.45	1,160.87
जल	420.55	369.03
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सडकें	1,438.90	1,040.12
प्लान्ट और मशीनरी	559.30	376.84
अन्य	3,636.55	2,773.34
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	2,368.84	914.07
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	331.63	192.39
यात्रा तथा सवारी खर्च	1,719.90	1,304.54
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	154.70	123.64
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	73.78	70.66
विज्ञापन और प्रचार	854.18	634.49
पट्टे किराया	6.96	26.87
भाडे	1,940.47	1,308.61
बीमा प्रभार	1,259.58	656.41
सुरक्षा व्यय	3,296.19	2,650.52
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	41.78	39.20
प्रशिक्षण खर्चा	1,334.95	952.31
विधि खर्चा	102.92	182.70
परामर्श	205.61	154.29
बैंक प्रभार	1,892.04	1,662.91
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल हानि	2,221.17	-
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन पर हानि	3,674.50	248.46
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 53 का संदर्भ ले)	1,789.06	1,564.51
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	112.54	5.65
बुरे ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया	-	8,614.55
अनसंधान एवं विकास और नई पहल*	1,840.31	2,043.17
विविध खर्च	1,756.40	1,067.68
कुल	**42,678.17**	**38,169.27**

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों केलिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क केलिए	25.75	25.75
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं केलिए	13.35	12.35
प्रमाणीकरण हेतु	2.68	1.10
कुल	**41.78**	**39.20**

* अनुसंधान एवं विकास और नई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

क) उषस समुद्री स्टार्टअप का समर्थन करने केलिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और विकसित करने केलिए भारत सरकार की पहल को बढाने केलिए आईआईएमके और आईआईटी मद्रास के सहयोग से सीएसएल का एक समुद्री स्टार्टअप समर्थन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समुद्री स्टार्टअप को सीएसएल से अनुदान/निवेश के रूप में प्रारंभिक निधि प्राप्त होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ख) आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास, सीएसएल द्वारा निवेश केलिए इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और सिफारिश करेंगे। उनकी सेवाओं का शुल्क 27 लाख रूपए (पिछले वर्ष 26.50 लाख रुपए) है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आईआईएमके लाइव के द्वारा पहचाने गए 10 स्टार्ट अप को सीड फंडिंग योजना के तहत 227.50 लाख रुपए (पिछले वर्ष 9 स्टार्टअप को 105 लाख रुपए) वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार आईआईटी मद्रास द्वारा चयनित 8 स्टार्ट अप को सीड फीडिंग योजना के अंतर्गत 250 लाख रुपए (पिछले वर्ष- शून्य) वितरित किए गए हैं।

ग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास पहल के अंतर्गत संचालित अनुसंधान एवं विकास परियोजना से संबंधित नोट सं. 5 और नोट सं. 21 का संदर्भ लें।

टिप्पणी 44 : प्रत्याशित हानि और खर्च केलिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ता	219.31	662.83
खर्च और फुटकर खर्च	3,023.79	542.28
पट्टेदार को लाभ का हिस्सा		843.22
पोत निर्माण पर घाटा	5.00	10,756.00
कुल	4,506.92	12,804.33

टिप्पणी 45 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	71,673.95	82,733.05
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (ईपीएस) (₹ में)	27.24	31.45
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	5.00	5.00

नोट सं. 22.1 का संदर्भ लें।

टिप्पणी 46: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

क. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष			
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व	प्रदर्शन दायित्व मापने की विधि		लाभ और हानि विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण:				
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	14,210.52	-	14,210.52	14,210.52
आईएसी के अलावा अन्य पोत	2,89,900.39	-	2,89,900.39	2,89,900.39
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	23,001.11	23,001.11		23,001.11
(ii) सेवाओं की बिक्री				
पोत मरम्मत	1,63,169.42	-	1,63,169.42	1,63,169.42
सेवाओं से आय	205.82		205.82	205.82
प्रबंधन शुल्क	1,630.49	-	1,630.49	1,630.49

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष			
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व	प्रदर्शन दायित्व मापने की विधि		लाभ और हानि विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण :				
व्यापार व विकास पुर्जों की बिक्री	8,342.31			8,342.31
अन्य परिचालन राजस्व				
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	592.74			592.74
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	828.87			828.87
स्टॉक मद की बिक्री	305.28			305.28
कुल				**5,02,186.95**

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष			
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व	प्रदर्शन दायित्व मापने की विधि		लाभ और हानि विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण:				
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	38,443.24	-	38,443.24	38,443.24
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	2,38,320.96	-	2,38,320.96	2,38,320.96
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	13,854.70	13,854.70	-	13,854.70
(ii) सेवाओं की बिक्री				
पोत मरम्मत	1,83,623.84	-	1,83,623.84	1,83,623.84
प्रबंधन शुल्क	1,615.34	-	1,615.34	1,615.34
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण :				
व्यापार व विकास पुर्जों की बिक्री	3,553.98	-	-	3,553.98
अन्य परिचालन राजस्व				
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	860.69	-	-	860.69
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	358.97	-	-	358.97
परामर्श आय	1,027.15	-	-	1,027.15
स्टॉक मद की बिक्री	337.01	-	-	337.01
कुल				**4,81,995.88**

ख. अनुबंध शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
व्यापार प्राप्य	42,321.88	22,484.91
अनुबंध परिसंपत्ति	1,35,933.14	92,482.86
अनुबंध देयताएं	4,52,542.84	5,05,128.16

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

वर्ष के दौरान अनुबंध शेष में उतार- चढाव

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
वर्ष की शुरूआत में अनुबंध परिसंपत्ति	92,482.86	76,011.63
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	1,35,933.14	92,482.86
निवल वृद्धि/ (कमी)	43,450.28	16,471.23

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
वर्ष की शुरूआत में अनुबंध परिसंपत्ति	5,05,128.16	4,96,202.62
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	4,52,542.84	5,05,128.16
निवल (वृद्धि)/ कमी	(52,585.32)	8,925.54

ग. असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट निष्पादन दायित्वों केलिए आबंटित लेनदेन मूल्य का विवरण :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) प्रदर्शन दायित्वों को आबंटित लेनदेन मूल्य की कुल राशि 1808272.14 लाख रुपए (लागत प्लस आईएसी अनुबंध का हिस्सा छोडकर) है। असंतुष्ट निष्पादन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य की राशि जो एक अनुबंध का हिस्सा है जिसकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है, को भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमत अनुसार उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त लेनदेन मूल्य के अनुमान में परिवर्तनीय विचार की कोई अनुमानित राशि शामिल नहीं होगी जो विवश है। प्रबंधन को उम्मीद है कि 31.03.2025 तक असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों को आबंटित लेनदेन मूल्य का 29.17 %, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त होगा और शेष उसके बाद होगा।

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान समूह ने 01 अप्रैल 2025 तक प्रारंभिक अनुबंध देयता से उत्पन्न 118869.47 लाख रुपए का राजस्व मान्यता दी।

घ. वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
आदेशों की अनुबंधित मूल्य खोलना	28,75,722.09	26,12,071.63
जोड :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	4,14,508.22	2,50,850.59
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	(14,985.77)	50,950.30
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	47,653.59	1,285.83
कमी :		-
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	451.75	24,332.90
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	2,04,582.96	15,103.36
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	**31,17,863.42**	**28,75,722.09**
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व:	3,12,264.24	2,62,930.77
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	57,735.63	7,257.88
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	2,54,528.61	2,55,672.89
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	10,54,451.23	9,33,368.15
राजस्व के प्रत्यावर्तन का प्रभाव (रद्द अनबंध)	-	378.78
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)	611.44	14,48,711.90
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	18,08,272.14	16,86,302.27
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	**31,17,863.42**	**28,75,722.09**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 47: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष केलिए व्यय शामिल है, जो 1947.43 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1335.48 लाख रुपए) की राशि केलिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे केलिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे केलिए बहिर्वाह सहित, कुल 3696.19 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3191.59 लाख रुपए) है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

एक निर्विवाद आधार पर पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	3,634.93	3,130.75
एक से पांच साल तक	17,739.31	14,816.72
पांच वर्ष से अधिक	1,77,640.73	1,13,471.29
कुल	**1,99,014.97**	**1,31,418.76**

एक निर्विवाद आधार पर पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	99.65	129.05
एक से पांच साल तक	488.46	204.89
पांच वर्ष से अधिक	842.75	112.93
कुल	**1,430.86**	**446.87**

पट्टा देनदारियों का संचलन निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	49,139.40	47,917.76
जोड: अतिरिक्त	6,944.61	141.86
जोड : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	4,772.32	4,109.81
घटाएँ: विलोपन/ निपटान		59.98
घटाएँ: किए गए भुगतान	3,566.79	2,970.05
जमा शेष	**57,289.54**	**49,139.40**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 48: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रेषित अनुबंध पर एक बैंक होता है।

ग्रूप के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 26 को नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित किया गया है (₹ लाखों में):

(₹ लाखों में)

मुद्रा	31-मार्च -26			31-मार्च -25		
	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ/ (हानि)	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ/ (हानि)
यूरो	171	2,04,126.57	(14,171.83)	210	2,21,118.62	1,356.01
एनओके	1	863.07	6.50	5	7,676.66	(30.49)
यूएसडी	3	59.32	1.79	7	484.06	3.89
जेपीवाई				1	1,766.90	(30.47)
कुल	**175**	**2,05,048.96**	**(14,163.54)**	**223**	**2,31,046.24**	**1,298.94**

नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित व्युत्पन्न केलिए हेड्ज रिजर्व में उतार- चढाव इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरूआत में शेष सीआर/(डीआर)	45.63	(593.75)
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(16,436.84)	639.38
वर्ष के अंत में शेष राशि	**(16391.21)**	**45.63**

टिप्पणी 49: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

	ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क	**आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक केलिए)**			
क	**कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**			
i	उप-ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	24036.08	27,312.93	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए दावे जो वर्तमान में विवाद में हैं और जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों के आधार पर, कंपनी का मानना है कि आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम है, और किसी भी संभावित देयता की अपेक्षा करता है, यदि कोई हो, तो दावा की गई राशि से काफी कम होगी। हालाँकि, मामला समाधान के अधीन है।
ख	**गारंटी**			
i	ऋणपत्र	18157.95	19,279.09	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण केलिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii	बैंक गारंटी	2,33,201.73	2,01,613.65	बैंक गारंटी (निरंतरता गारंटी सहित) कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों तक प्रतिनिधित्व करती है। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी का मूल्य नोट 50 मे शामिल है।
iii	बैंक गारंटी	20	20.00	सीमा शुल्क निवारक नियमावली (अध्याय 20) के अनुसार जारी की गई बैंक गारंटी, सीएमएसआरयू केलिए मरम्मतधीन पोतों से माल को बिना शुल्क भुगतान के दो वर्ष की अवधि के लिए हटाने हेतु मान्य है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा		31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
iv	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (यूसीएसएल) की ओर से दी गई गारंटी	7814.16	6,093.74	कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मेसर्स ओशन स्पार्कल के साथ 11 जलयानों के लिए पोत निर्माण अनुबंध के तहत एक संयुक्त और कई गारंटी प्रदान की है। सहायक कंपनी को 7814.16 लाख रुपये का वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त हुआ है। कंपनी की देयता केवल सहायक कंपनी द्वारा चूक की स्थिति में उत्पन्न होगी। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सहायक कंपनी की वित्तीय और प्रचालन क्षमता के आकलन के आधार पर, कंपनी से संसाधनों के किसी भी बहिर्वाह की संभावना को दूर माना जाता है। 11 जलयानों में से 2 जलयानों की डिलीवरी 2025-26 में की जाएगी।
ग	**अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है**			
i	विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी केलिए उपार्जित भूमि केलिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावे (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
ii	सीमाशुल्क	48412.36	12,726.96	(i) बांड के तहत सामग्री के लिए सीमा शुल्क 7108 लाख रुपये है। (ii) अंतर आईजीएसटी पर जुर्माना - 232.47 लाख रुपये (iii) सीमा शुल्क और आईजीएसटी का भुगतान विरोध के साथ किया गया, जिसके लिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई है - 5752.18 लाख रुपये (iv) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 के साथ धारा 28(4) और 142 के तहत सीएसएल को दिनांक 30.01.2026 को कारण बताओ नोटिस संख्या 187/2025-26 प्राप्त हुआ, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों (रियायती दर पर माल का आयात या निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) के अनुपालन न करने और अन्य कारणों का आरोप लगाया गया है। सीएसएल ने कारण बताओ नोटिस का प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किया है - 35253.53 लाख रुपये (v) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार पर अंकित एफडीआर ग्रहणाधिकार - 66.18 लाख रुपये लाख।
iii	आय कर	1389.86	1,389.86	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - ₹ 126.26 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - ₹ 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - ₹ 331.77 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 - ₹ 20.76 लाख आकलन आदेशों के अनुसार वर्ष 2010-11, 2014-15, 2017-18 और 2018-19 के लिए कुल ₹ 1389.86 लाख की मांगें आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपीलों के निपटारे के लिए लंबित हैं। ये मांगें मुख्य रूप से धारा 37 के तहत अस्वीकृति के कारण हैं। हालांकि, उपरोक्त मांगों को बाद के वर्षों के लिए देय धनवापसी के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
iv सेवा कर	1,647.47	1,647.47	कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन कंसल्टेंसी) पर सेवा कर की मांग। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
	376.67	376.67	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है।
	323.04	323.04	कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग शुल्क) पर सेवा कर की मांग। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली केलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम द्वारा कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही बंद कर दी गई है। विभाग ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की।
	1,885.49	1,885.49	यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 का लाभ देने से इनकार किया गया है। कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम द्वारा रोक दी गई है। विभाग ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की।
	513.72	513.72	सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 के लाभ से इनकार करके वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
	734.93	734.93	सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 के लाभ से इनकार करके वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के प्रधान आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
	150.57	150.57	2015-16 की अवधि के दौरान पोत मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैट भुगतान की गई सामग्री की कटौती की अनुमति नहीं दी गई और सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। संयुक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
	286.85	286.85	वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान पोत मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैट भुगतान की गई सामग्री की कटौती की अनुमति नहीं दी गई तथा सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोचीन के आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा		31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
		279.46	279.46	संविदात्मक वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने पर सेवा कर का भुगतान न करने और कोचीन से अबु धाबी तक बजरे के परिवहन के लिए प्रदान की गई सुरक्षा लागत के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा मांग की पुष्टि की गई। सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई।
v	केरल मूल्यवर्धित कर (केवीएटी)	1,369.94	1,369.94	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग। मूल्यांकन कार्यालय ने संयुक्त आयुक्त (अपील) के आदेश के विरूद्ध कर योग्य टर्नओवर में वृद्धि की और कर व ब्याज केलिए मांग उठाई। वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।
vi	वर्ष 2018-19 की अवधि केलिए आईजीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग और उस पर जुर्माना	92.13	92.13	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
vii	वर्ष 2018-19 और 2021-2022 की अवधि के लिए आईजीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग, वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए आरसीएम के तहत सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का भुगतान न करना/कम भुगतान करना और उस पर जुर्माना।	19.78	-	वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2021-2022 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति और जीएसटीआर 3बी और 8ए के बीच विसंगति के लिए आरसीएम का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के विरूद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
viii	एलेक्टन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	471.91	384.17	याचिकाकर्ता (दावेदार) ने आरेखण प्रस्तुत करने और माल की आपूर्ति में देरी के लिए सीएसएल द्वारा काटे गए एलडी के संबंध में ब्याज सहित परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली के लिए एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मामले को मध्यस्थता के लिए मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुह्रथ पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा याचिका दायर की गई। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा प्रतिवादी (सीएसएल) के पक्ष में आदेश पारित किया गया। एलेकटन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।
ix	मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस	2,340.54	2,065.17	सीएसएल ने 1 अगस्त 1993 को मेसर्स विजिल मरीन सर्विसेज के साथ मध्य पूर्व के ग्राहकों को सीएसएल के पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के विपणन के लिए एक एजेंसी समझौता किया था। विजिल मरीन द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के कारण यह समझौता वर्ष 2003 में समाप्त कर दिया गया था। विजिल मरीन ने एनपीसीसी और एटीसीओ ऑर्डर (18.25 मिलियन मूल्य के)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

	ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
				जीतने के लिए एजेंसी कमीशन के भुगतान का दावा किया, जिसे सीएसएल ने अस्वीकार कर दिया। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अनुरोध दायर किया गया और तदनुसार 10 अक्तूबर 2004 को मध्यस्थता शुरू हुई। दिनांक 24.11.2015 को मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया, जिसमें सीएसएल को मेसर्स विजिल मरीन सर्विसेज को 18.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एटीसीओ अनुबंध मूल्य के 5% की दर से कमीशन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि से लेकर मेसर्स विजिल मरीन को निर्णय के अनुसार भुगतान किए जाने तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर सीएसएल ने जिला न्यायालय में मध्यस्थता अपील दायर की, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यह माना गया कि मध्यस्थता अधिनियम में 2016 का संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है और इसलिए अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। परिणामस्वरूप, केरल उच्च न्यायालय में ओपी(आईसीए) 1/2019 दायर की गई। इसी बीच, 2019 का संशोधन लागू हो गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया कि 2016 का संशोधन भविष्य में प्रभावी होगा और इसलिए अपील को जिला न्यायालय को वापस भेज दिया गया। बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 के संशोधन को रद्द कर दिया और परिणामस्वरूप, केरल उच्च न्यायालय में ओपी(आईसीए) संख्या 1/2021 दायर की गई। मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक गारंटी ने शुरू में अवार्ड की राशि के लिए ब्याज सहित अवार्ड की तारीख तक यानी 24.11.2015 तक बैंक गारंटी जमा किया था। हालांकि, माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 30.11.2023 के आदेश द्वारा 01.04.2023 तक ब्याज सहित पुरस्कार राशि जमा करने का निर्देश दिया था और तदनुसार, 1869.19 लाख रुपये की बैंक गारंटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई है और इसे नोट 50 में शामिल किया गया है। मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।
x	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	54.66	54.66	ईएसआई निगम ने अप्रैल 2008 - मार्च 2012 की अवधि केलिए उच्च प्रशिक्षार्थियों के योगदान केलिए 62.28 लाख रुपए का मांग पत्र जारी किया। कंपनी ने जून 2010-मार्च 2012 की अवधि केलिए 26.46 लाख रुपए और अप्रैल 2012-जुलाई 2013 की अवधि केलिए 25.95 लाख रुपए का योगदान देर से भुगतान किया है। बाद में, ईएसई विभाग ने जून 2010-जुलाई 2013 की अवधि केलिए विलंबित भुगतान और क्षति पर ब्याज केलिए 19.84 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। कंपनी माननीय बीमा न्यायालय, आलप्पुझा के समक्ष की गई मांगों का विरोध कर रही है। इस बीच कोर्ट ने 1 लाख रुपए जमा कराने पर स्टे दे दिया है।
xi	पोत मरम्मत पास प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क बांड	100.00	100.00	सीएमएसआरयू के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना मरम्मत के अधीन पोत के गियर और उपकरण को हटाने के लिए सीमा शुल्क निवारक मैनुअल (अध्याय 20) के अनुसार जारी किया गया सीमा शुल्क बांड।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा		31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
xii	सीमाशुल्क अधिकारियों को क्षतिपूर्ति बांड	27309.24	19,203.00	सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 2017 के तहत बांड
xiii	भारत सरकार को क्षतिपूर्ति बांड	30415.00	30,415.00	आईएसी अनुबंध के तहत दायित्वों के प्रदर्शन केलिए कंपनी द्वारा भारत सरकार को दिए गए क्षतिपूर्ति बांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य नोट 50 में शामिल है।
xiv	पेंट संदूषण का दावा	863.83	863.83	कारों पर देखे गए पेंट संदूषण के धब्बों केलिए कंपनी के सामने दावे किए गए - घमाडिया और मुंबई पत्तन पर 128 यार्ड।
xv	सीओपीए द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूल की गई वेतन राशि का आईएसआरएफ से दावा।	1.68	1.68	सीओपीए के 6 कर्मचारियों ने सीओपीए द्वारा मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए जारी संशोधित समय के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के एवज में वसूले गए वेतन की वापसी के लिए दावा किया है। सीएसएल को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण से सम्मन प्राप्त हो गया है। मामले की सुनवाई 23 जून 2026 में तय की गई है।
xvi	सेबी एलओडीआर विनियमों के कुछ निगमित शासन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर शेयर बाज़ारों (बीएसई और एनएसई) द्वारा लगाया गया जुर्माना।	83.92	34.42	शेयर बाज़ारों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत बोर्ड की समितियों का गठन न करने सहित संबंधित आवश्यकताओं के लिए सीएसएल पर जुर्माना लगाया है। चूंकि गैर-अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से परे थे और इसकी लापरवाही या चूक के कारण नहीं थे, इसलिए सीएसएल आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने के बाद शेयर बाज़ारों से जुर्माने में छूट का अनुरोध करेगा। शेयर बाज़ारों ने अतीत में इसी तरह की स्थितियों में जुर्माने में छूट दी है।
ख	**प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक केलिए)**			
क	पूंजी लेखा पर निष्पादन करने केलिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई केलिए:	17509.72	31,509.31	अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इस केलिए प्रावधान नहीं किया गया है।
ग	**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरण में किए गए संशोधन:**			
1.	नकदी प्रवाह विवरण (क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह): वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्याशित हानियों और व्यय के प्रावधान तथा व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) से संबंधित आंकड़ों को संशोधित किया गया है। प्रत्याशित हानियों और व्यय के प्रावधान - 12,804.33 लाख रुपये से संशोधित होकर 12,141.50 लाख रुपये हो गया है। व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) - 55,864.02 लाख रुपये से संशोधित होकर 56,526.85 लाख रुपये हो गया है।			
2.	आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं- 48 ए (सी) (v): वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए केरल मूल्य वर्धित कर के लिए आकस्मिक देयता की राशि को 787.32 लाख रुपये से संशोधित करके 1,369.94 लाख रुपये कर दिया गया है।			

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दक्षिण कोरिया की एचडी कोरिया पोत निर्माण एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (केएसओई) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 310 मीटर के नए ड्राई डॉक में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करते हुए कोच्ची में ब्लॉक फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित करने और संचालित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव है। उक्त परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इसका वहन मूल्य 134181.09 लाख रुपये है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ड्राईडॉक्स वर्ल्ड - दुबई एफजेडसीओ (डीडीडब्ल्यू) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन और शर्तों के मुख्य बिंदुओं पर समझौता किया है, जिसमें कोच्ची में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के संचालन और विस्तार के लिए एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव है। तुलन पत्र की तिथि तक, कोई बाध्यकारी शेयरधारक समझौता या व्यवसाय हस्तांतरण समझौता निष्पादित नहीं किया गया है। तदनुसार, आईएसआरएफ सुविधा के रूप में सामूहिक रूप से वर्गीकृत परिसंपत्तियों को 105316.53 लाख रुपये के वहन मूल्य पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना जारी है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सहायक कंपनी के संबंध में आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

ब्योरा		31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क	**अधिग्रहण के बाद आकस्मिक देयता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)**			
क	**गारंटी**			
i	ऋण पत्र	1,372.05	6,419.41	कंपनी की ओर से विभिन्न बैंकों द्वारा उसके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को जारी की गई गारंटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ii	बैंक गारंटी	29,305.59	32,209.86	बैंक गारंटियां कंपनी की ओर से विभिन्न बैंकों द्वारा उसके ग्राहकों को जारी की गई गारंटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कंपनी को अपनी वस्तुसूची और व्यापार प्राप्तियों सहित चालू परिसंपत्तियों के बंधक की सुरक्षा के बदले 126253.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 108753.00 लाख रुपये) की निधि आधारित और गैर निधि आधारित सीमाएं मंजूर की गई हैं।

ख पूर्ववर्ती टेबमा अवधि से संबंधित आकस्मिक देयताएं

ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
i) कर संबंधी मामले			
विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी)			
- जहां कंपनी अपील में है (मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लंबित है)। ब्याज राशि सहित प्रकट की गई राशि, जो वसूल की जा सकती है।	448.31	437.01	कंपनी ने विदेश व्यापार अधिनियम के तहत जुर्माना, सीमा शुल्क और ब्याज लगाने वाले डीजीएफटी के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की है, जिसमें यह बताने के लिए कारण बताए गए हैं कि याचिकाकर्ता का नाम विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। 03 अगस्त 2022 को अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।
- जहां कंपनी अपील में है (मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लंबित है)। ब्याज राशि सहित प्रकट की गई राशि, जो वसूल की जा सकती है।	859.98	804.70	कारण बताओ नोटिस जारी कर कारण बताया गया कि क्यों न याचिकाकर्ता का नाम डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के अनुसार आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से मना करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची में डाला जाए। अगले आदेश तक 03 अगस्त 2022 को अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।
- जहां कंपनी अपील में है (कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लंबित है)	प्रकृति और दायित्व के विवरण वाले कॉलम को देखें।	प्रकृति और दायित्व के विवरण वाले कॉलम को देखें।	कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के संबंध में 918.90 लाख रुपये का सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) हासिल करने में विफलता रही और वर्ष 2016-17 के लिए मालपे ईओयू के संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करने में भी विफलता रही, जिसके परिणामस्वरूप गैर-पूर्ति हुई, जो एफटीपी का उल्लंघन है और इस प्रकार याचिकाकर्ता को एफटी (डी एंड आर) अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। उक्त नोटिस को उच्च न्यायालय के दिनांक 27/3/25 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में सभी कार्यवाही पर 15 दिसंबर 2021 के आदेश के तहत अंतरिम रोक लगा दी है। प्रतिवादियों ने मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए पोस्ट किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
- जहां विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, वहां प्रकट की गई राशि में ब्याज की राशि भी शामिल है, जो लगाई जा सकती है।	389.19	364.17	कारण बताओ नोटिस जारी कर कारण स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता का नाम डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के अनुसार आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। यूसीएसएल प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और जवाब प्रस्तुत किया। आदेश की प्रतीक्षा है।
अन्य			
प्रवेश कर	76.90	76.90	ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं हैं क्योंकि आईबीसी के नियमों के अनुसार समाधान पेशेवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था और जो प्रचालन लेनदारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04-03-2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रीय / राज्य उत्पाद शुल्क / सेवा कर / सीमा शुल्क / माल और सेवा कर / वैट	1,234.65	1,234.65	
कर्नाटक वैट	11.91	11.91	सितंबर से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए आईटीसी के गलत दावे के लिए आदेश संख्या ZD2900223010218S दिनांक 20/2/23। ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं हैं क्योंकि आईबीसी के नियमों के अनुसार समाधान पेशेवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था और जो परिचालन लेनदारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04-03-2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने अधिकारियों को तदनुसार जवाब दिया।
आयकर मामले	21.69	21.69	यह मामला वार्षिक वर्ष 2018-19 के लिए शरू किया गया था और लेखा अधिकारी ने आय को वापस जोड़े जाने पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिए बिना आय को वापस जोड़ दिया था। चूंकि कंपनी उस समय एनसीएलटी प्रक्रिया के तहत थी, इसलिए कंपनी अपील दायर नहीं कर सकी, लेकिन बाद में माफ़ी मांगी गई और अपील दायर की गई। मामला कर अधिकारियों के पास अपील में लंबित है।
ii) वित्तीय मामले			
वादी: कोचीन पत्तन न्यास	262.76	262.76	पोर्ट ने 28/03/2014 को कोच्चि के माननीय उप न्यायालय में 105 लाख रुपये की राशि 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूलने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जो कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए टगों पर देखे गए विनिर्माण दोषों को ठीक करने के लिए सीओपीटी द्वारा खर्च किया गया था। मामला मध्यस्थता के लिए न्यायालय में लंबित है।

ऊपर बताए गए मुकदमों के अलावा कोई अन्य मुकदमा लंबित नहीं है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 50: रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य 1087613.44 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1032503.48 लाख रुपए)।

टिप्पणी 51: मुकदमा:

ग्रूप साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नही करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

टिप्पणी 52 : अनुसंधान एवं विकास/नई पहल व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
क) राजस्व व्यय	2,038.62	2,270.08
ख) पूंजी व्यय	402.26	2.83
	2,440.88	**2,272.91**

नोट सं. 4 और 43 का संदर्भ लें।

मुख्य स्वायत्त सतह पोत परियोजना के विकास केलिए अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पहल निधि केलिए 3500 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों केलिए सीएसएल के स्टैंडअलॉन वित्तीय परिणामों के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर औसत कारोबार का 1% सीएसएल के अनुसंधान और विकास /नवाचार पहल केलिए वार्षिक बजट के रूप में अलग रखा जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने सीएसएल के स्टार्ट-अप नियुक्ति पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, उषस परियोजना कलिए 5000 लाख रुपए से अधिक की फंडिंग सहायता की मंजूरी दे दी है।

टिप्पणी 53 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने केलिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने केलिए अपेक्षित कुल राशि	1784.08	1557.68
ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1554.16	1789.51

(₹ लाखों में)

धारा 135 (5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
(i) पिछले वित्तीय वर्षों से अग्रेषित राशि	395.00	170.00
(ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1,554.16	1,789.51
(iii) सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	1,789.06	1,564.51
(iv) आगामी वित्तीय वर्षों में अग्रेषित राशि	160.00	395.00

दिनांक 31 मार्च 2026 तक, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार खर्च की जानेवाली आवश्यक राशि से 164.98 लाख रुपए अधिक खर्च किए, जिसमें से 4.98 लाख रुपए लाभ और हानि केलिए प्रभारित किए जाते हैं और 160 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्षों में अग्रेषित किए जाते हैं।

(₹ लाखों में)

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	1784.08	1558.68
(ii) किए गए व्यय की राशि,	1554.16	1789.51
(iii) वर्ष के अंत में कमी,	0.00	0.00

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी,	0.00	0.00
(v) कमी का कारण	शून्य	शून्य
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर गतिविधि के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता आदि और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में अनुमत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सीएसआर निधि का उपयोग सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।		
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण केलिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	शून्य	शून्य
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचलनों को अलग दिखाया जाएगा।	शून्य	शून्य

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	602.98		602.98
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	951.18		951.18
	1,554.16	**-**	**1,554.16**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1,419.72	-	1,419.72
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	369.79	-	369.79
	1,789.51	**-**	**1,789.51**

टिप्पणी 54: भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2025-26	2024-25
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जनवरी 31, 2026 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी) (मई 31, 2025 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन निदेशक (प्रचालन) (मई 31, 2025 तक) एचसीएसएल मुख्य कार्यकारी अधिकारी (01.08.2025 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार दि. 01 फरवरी 2026 से प्रभावी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2025-26	2024-25
डॉ हरिकृष्णन एस निदेशक (प्रचालन) (अगस्त 27, 2025 से प्रभावी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
श्री राजेष गोपालकृष्णन हॉल्डिग कंपनी का निदेशक (तकनीकी) (अगस्त 27, 2025 से प्रभावी) दिनांक 30 अक्तूबर 2024 से यूसीएसएल के निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेष कुमार सिंहा सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार (अगस्त 07, 2025 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री वेंकटेशपति एस सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार (अगस्त 07, 2025 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
श्री बिजु प्रभाकर सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार (31 मई, 2025 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पी बी नूह सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार (13 जून 2025 से प्रभावी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे, गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21, 2024 तक)		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी, गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21, 2024 तक)		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अशोक शर्मा, गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21, 2024 तक)		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (मई 01, 2024 तक)		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री वेंकटेशन एम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21, 2024 तक)		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अभिजित बिस्वास गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (नवंबर 21, 2024 तक)		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
डॉ सीमा सूरी गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (मई 21, 2025 से प्रभावी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
श्री श्यामकमल एन कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री षिराज़ वी पी निदेशक यूसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (23.07.2025 से)	
श्रीमती अंजना के आर निदेशक यूसीएसएल, नामांकित निदेशक एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नीलकंठन ए एन (यूसीएसएल) निदेशक, यूसीएसएल (दिनांक मई 03, 2022 से 31 अगस्त 2024 तक)		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री हरिकुमार ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2025-26	2024-25
श्री शंकर नटराज मुख्य वित्तीय अधिकारी यूसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव यूसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एल्दो जॉण, नामिति निदेशक एचसीएसएल (दिनांक जुलाई 23,2025 से प्रभावी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
श्री साइबल चट्टोपाध्याय, मुख्य वित्तीय अधिकारी एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सनिल पीटर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31.07.2025 तक) एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री किरण के ए, कंपनी सचिव एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर (धारा 8 के अंतर्गत दिनांक 29 मार्च 2026 को पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,)	अभिदाता सदस्य	
कार्यपालक और पर्यवेक्षक केलिए सीएसएल सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ग्रूप उपदान ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल म्युचअल और सार्वजनिक कल्याण ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल अधिकारी और पर्यवेक्षक सेवानिवृत्ति लाभ ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सेवानिवृत्त कर्मचारियों केलिए सीएसएल बीमा से जुड़ा चिकित्सा सहायता ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल कामगार पेंशन ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना

भारतीय पोत निर्माण क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के तहत, 29 मार्च, 2026 को भारतीय पोत प्रौद्योगिकी केंद्र को गारंटी द्वारा सीमित और शेयर पूंजी रहित धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य शिपयार्ड, पोत डिजाइनरों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों, उद्योग संघों और पेशेवर निकायों आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सीएसएल के निदेशक (वित्त) और निदेशक (प्रचालन) आईएसटीसी के प्रारंभिक सदस्य और निदेशक हैं, जिनकी नियुक्ति और निर्देशन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रोत्साहन और रणनीतिक मार्गदर्शन के अधीन है। सीएसएल केवल प्रशासनिक, परिचालन और प्रबंधकीय सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान करती है, और आईएसटीसी के लिए सीएसएल द्वारा किए गए सभी वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निधि आवंटित किए जाने पर की जाती है। वर्तमान शासन संरचना अस्थायी है और निगमन प्रक्रिया को गति देने के लिए ही स्थापित की गई है; एक स्वतंत्र बोर्ड के गठन के बाद, आईएसटीसी ब्पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई होगी। तदनुसार, आईएसटीसी को भारत सरकार के रणनीतिक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के तहत संचालित एक संबंधित पक्ष माना जाता है। 31 मार्च, 2026 तक आईएसटीसी की कुल संपत्ति शून्य रुपये और कुल देनदारियां शून्य रुपये थीं। वर्ष के दौरान आईएसटीसी की ओर से किए गए प्रतिपूर्ति योग्य खर्च शून्य रुपये थे, और रिपोर्टिंग तिथि तक भी यह शून्य रुपये था।

लेनदेन की प्रकृति - मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अल्पकालीन लाभ	635.49	413.37
रोजगार के बाद के लाभ	56.41	50.11
कुल	**691.91**	**463.48**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लेनदेन की प्रकृति -अग्रिम

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2025 को खुला शेष	वर्ष 2025-26 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकौती	दिनांक 31.03.2026 को शेष	दिनांक 31.03.2026 को अर्जित ब्याज
राजेष गोपालकृष्णन	0.00	5.78	1.20	4.58	1.76
हरिकृष्णन एस	0.00	0.68	0.48	0.20	0.00
श्यामकमल एन	0.18	0.65	0.63	0.20	0.00

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2024 को खुला शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकौती	दिनांक 31.03.2026 को शेष	दिनांक 31.03.2026 को अर्जित ब्याज
बिजोय भास्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोस वी जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्रीजित के एन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.14	0.60	0.56	0.18	0.00

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के सिट्टिंग शुल्क

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
श्रीमती सीमा सूरी	3.60	0.00
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	0.00	3.00
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	0.00	3.60
श्री अशोक शर्मा	0.00	3.30
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	0.00	0.30
श्री वेंकटेशन एम	0.00	2.10
श्री अभिजीत बिस्वास	0.00	3.60
कुल	**3.60**	**15.90**

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और शेष (सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ ट्रस्ट/योजनाएं)

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
i) **लेनदेन**		
रोजगार पश्चात योजनाओं में योगदान (वर्ष केलिए)	2,241.50	3,444.90
ii) **शेष राशि**		
ट्रस्ट को देय (निवल)	599.44	104.12

सरकार और उसी सरकार के नियंत्रणवाली संस्थाओं के साथ लेनदेन और शेष

दिनांक 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार के पास कंपनी के 67.91% इक्विटी शेयर हैं जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करती है।

ग्रूप ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण प्रभाव रखनेवाली संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

i) भारत सरकार के साथ लेनदेन / शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
भारत सरकार को देय राशि	234.19	234.19

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान भारत सरकार को लाभांश के रूप में भुगतान की गई राशि	17,420.45	17,713.30
वर्ष 2025-26 के दौरान एचसीएसएल द्वारा भारत सरकार (एमओपीएसडब्ल्यू) को पट्टा किराया और सुरक्षा जमा के रूप में भुगतान की गई राशि	47.55	235.91

ii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
भुगतान किए पट्टा किराया	2,842.93	2675.87
बिजली एवं जल आपूर्ति शुल्क	904.87	1,613.37
वार्षिक लाभ शेयर भुगतान	910.67	227.73
कर्मचारी संबंध खर्च	1,745.25	596.68
आईएसआरएफ क्षेत्र की ड्रेजिंग	364.49	429.73
टग्स और पायलटेज शुल्क	516.14	360.99
गारंटीकृत राशि	241.83	233.04
पांडु- परियोजना और एजेंसी शुल्क के लिए आईडब्ल्यूएआई- फंड प्राप्त हुआ	4,355.00	12,539.00
प्रचालन से राजस्व	14,182.47	4,130.17

iii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण संतुलन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
देय	8.18	26.46
आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिम राशि	134.81	72.09
प्राप्य	5,570.87	2,787.77
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	3,804.77	4,260.63
आईडब्ल्यूएआई- पांडु परियोजना निधि	7,462.27	6,850.84

उपरोक्त के अलावा, कंपनियों के कुल कारोबार का लगभग 63.06 % (लगभग) और व्यापार प्राप्तियों और ग्राहक अग्रिम का 80.83% (लगभग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

टिप्पणी 55: वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों केलिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने केलिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर 1 इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर ॥ इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत दर को छोडकर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता केलिए विचार योग्य है।

स्तर ॥। इनपुट, परिसंपत्ति या देयता केलिए अप्रभावी इनपुट है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है।

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	11,300.18	19.26	स्तर III
(ii) ऋण	625.01	551.52	स्तर III
(iii) अन्य	190.01	167.03	स्तर III
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	42,321.88	22,484.91	स्तर III
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	10,538.70	31,667.12	स्तर III
(iii) बैंक शेष (ii) को छोडकर	2,30,055.39	2,79,595.10	स्तर III
(iv) ऋण	163.99	131.10	स्तर III
(v) अन्य	10,616.87	27,864.93	स्तर III
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**3,05,812.03**	**3,62,480.97**	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	2,302.20	2,302.20	स्तर III
(ii) पट्टा देयताएं	53,599.92	46,013.72	स्तर III
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	21.81	19.99	स्तर III
चालू			
(i) उधार	1,07,583.59	4,599.11	स्तर III
(ii) देय व्यापार	96,242.62	49,409.54	स्तर III
(iii) पट्टा देयताएं	3,689.62	3,125.68	स्तर III
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	36,610.23	23,916.40	स्तर III
कुल वित्तीय देयताएं	**3,00,049.99**	**1,29,386.64**	

टिप्पणी:

1. इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार केलिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों केलिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने केलिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

   अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहूँचने केलिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

   इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

2. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः वहन राशि, अंकित मूल्य है।

3. व्यापार प्राप्य राशियों की वहन राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

4. वित्तीय देनदारियों (व्यापार और अन्य देय देनदारियां और प्रतिभूति जमा) के लिए, परिशोधित लागत पर उचित मूल्य का निर्धारण डिस्काउंटेड कैश फ्लो विधि का उपयोग करके किया जाता है; इनका परिशोधन समग्र आधार पर और सीधी रेखा विधि से किया जाता है, क्योंकि इनका व्यक्तिगत प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी की उपयुक्त बाजार उधार दर का उपयोग डिस्काउंटिंग के लिए किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

5. बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	31 मार्च 2026 को			31 मार्च 2025 को		
	एफवी टीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत / लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत / लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
-इक्विटी साधन	-	22.49	-	-	19.26	-
-ऋण साधन	-	-	11,277.69	-	-	-
-वरीयता शेयर	-	-	-	-	-	-
निवेश (चालू)				-	-	-
-म्यूचवल फंड	-	-	-	-	-	-
ऋण		-	-	-	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	42,321.88	-	-	22,484.91
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	10,538.70	-	-	31,667.12
बैंक शेष	-	-	2,30,055.39	-	-	2,79,595.10
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	11,595.88	-	-	28,714.58
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**22.49**	**3,05,789.54**	**-**	**19.26**	**3,62,461.71**
वित्तीय देयताएं						
उधार			1,09,885.79	-	-	6,901.31
पट्टा देयताएं			57,289.54	-	-	49,139.40
व्यापार देय			96,242.62	-	-	49,409.54
अन्य वित्तीय देयताएं			36,632.04	-	-	23,936.39
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**3,00,049.99**	**-**	**-**	**1,29,386.64**

इंड एएस 107 में संशोधन: आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था से संबंधित खुलासे

कंपनी ने वर्ष के दौरान वित्त प्रदाताओं के साथ कुछ आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था (एसएफए) की है। इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आपूर्तिकर्ताओं को शीघ्र भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। कंपनी वित्त प्रदाता को कोई संपार्श्विक या गारंटी नहीं देती है।

वित्तीय देनदारियों की वहन राशि:	**31-03-26**
(i) वित्तीय देनदारियां (आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था से संबंधित) जिन्हें 'व्यापार देयताओं' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।	5,587.36
(ii) (i) में से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वित्त प्रदाताओं से प्राप्त राशि	1,108.06

भुगतान की शर्तें	**31-03-26**
(i) व्यवस्था का हिस्सा बनने वाली वित्तीय देनदारियां	30-45 दिवस
(ii) तुलनीय व्यापार देय जो व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं	30-45 दिवस

कंपनी ने संक्रमणकालीन राहत लागू की है और तदनुसार, जहां भी लागू हो, उपरोक्त खुलासों के लिए तुलनात्मक जानकारी संशोधन को अपनाने के पहले वर्ष में प्रस्तुत नहीं की गई है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 56: वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोडकर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम केलिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ -साथ विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करनेवाली नीतियों केलिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों केलिए व्युत्पन्नों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम न्यूनतम है क्योंकि एक्सपोज़र प्राथमिक रूप से नोट 24 और 29 में बताए गए अनुसार निश्चित ब्याज दरों के साथ रिडीम करने योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड के कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है। स्थायी दर उधारी के मौजूदा प्रोफाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

कंपनी ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि कंपनी कार्यशील पूंजी के लिए ओवरनाइट ट्रेजरी बिल, आरबीआई रेपो और छह महीने के यूरो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। कंपनी की ब्याज दरों से संबंधित जानकारी नोट संख्या 29 में विस्तार से दी गई है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ वायदा अनुबंध करके शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि को बकाया वायदा संविदा का प्रकटीकरण नोट 48 में दिया गया है।

आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा किया गया) में व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हेज किए गए एक्सपोजर के शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम केलिए कंपनी का एक्सपोज़र निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	एसजीडी	एईडी	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां							
31 मार्च 2026	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं							
31 मार्च 2026	-	-	5,659.97	13,450.07	143.43	8,853.51	28,106.98
31 मार्च 2025	1.22	1.42	7,742.59	12,488.41	69.93	307.91	20,611.48

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तिय लिखतों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदें शामिल हैं जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव के शुद्ध हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5 % परिवर्तन केलिए उनके अनुवाद को समायोजित करते हैं, अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवदेनशीलता दर विदेशी विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5%परिवर्तन	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्राप्तियां		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
एईडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
एईडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
एसजीडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
एसजीडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
देय		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(282.99)	(387.13)
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	282.99	387.13
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(672.51)	(624.43)
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	672.51	624.43
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(7.17)	(3.49)
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	7.17	3.49
एईडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	(0.07)
एईडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	0.07
एसजीडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	(0.06)
एसजीडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	0.06
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(442.68)	(15.39)
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	442.68	15.39
कर पूर्व लाभ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	282.99	387.13
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	(282.99)	(387.13)
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	672.51	624.43
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	(672.51)	(624.43)
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	7.17	3.49
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	(7.17)	(3.49)
एईडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	0.07
एईडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	(0.07)
एसजीडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	0.06
एसजीडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	(0.06)
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	442.68	15.39
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	(442.68)	(15.39)

ग. सामग्री कीमत जोखिम

ग्रूप कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों केलिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। कंपनी मुख्य रूप से अपने कच्चे माल को खुले बाज़ार में तीसरे पक्ष से खरीदती है। इसलिए कंपनी स्टील की खरीद केलिए कीमतों में उतार-चढाव के अधीन है, जोकि प्राथमिक कच्चा माल इनपुट है। कंपनी कस लक्ष्य तैयार उत्पादों को फर्म अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने केलिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं और इसके विनिर्देशों के कारण प्रकृति में विषम है, कंपनी के कमोडिटी जोखिम केलिए जोखिम न्यूनतम है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिका स्टील के इनपुट मूल्य में 5% की गति के प्रति ग्रूप की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में वर्ष के दौरान उपभोग की गई मात्रा केलिए कमोडिटी की कीमतों में केवल 5% परिवर्तन शामिल है, अन्य सभी चर स्थिर हैं।

(₹ लाखों में)

वस्तु	5 % की वृद्धि		5 % की कमी	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
स्टील	707.25	850.99	(707.25)	(850.99)

चल निधि जोखिम

जोखिम है कि एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुडे दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पडेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय आस्ति को उसके उचित मूल्य के निकट की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

ग्रूप को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों केलिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनी संचालन केलिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकद समकक्षों के साथ अल्पकालिक और लंबी अवधि में चल निधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्तीय आस्तियों और देनदारियों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को			31 मार्च 2025 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति						
गैर चालू निवेश			11,300.18	-	-	19.26
ऋण (गैर चालू)	-	399.60	225.41	-	228.43	323.09
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)	6.30	38.70	145.01	6.30	37.92	122.81
प्राप्य व्यापार	42,321.88	-	-	22,484.91	-	-
रोकड और रोकड समतुल्य	10,538.70	-	-	31,667.12	-	
रोकड और रोकड समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	2,30,055.39	-	-	2,79,595.10	-	-
ऋण	163.99	-	-	131.10	-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10,227.51	389.36		27,544.75	320.18	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,93,313.77**	**827.66**	**11,670.60**	**3,61,429.28**	**586.53**	**465.16**
वित्तीय देयताएं						
उधार (गैर चालू)	2.20	2,300.00	-	2.20	-	2,300.00
पट्टा देयताएं (गैर चालू)	-	7,867.95	45,731.97	594.37	6,675.05	38,744.30
अन्य वित्तीय देयताए (गैर चालू)	21.81	-	-	-	19.99	-
उधार (चालू)	1,07,583.59	-	-	4,599.11	-	-
पट्टा देयताएं	3,689.62	-	-	3,125.68	-	-
प्राप्य व्यापार	96,242.62	-	-	49,409.54	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	35,941.60	668.63	-	23,409.77	506.63	-
कुल वित्तीय देयताएं	**2,43,481.44**	**10,836.58**	**45,731.97**	**81,140.67**	**7,201.67**	**41,044.30**

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) से ऋण जोखिम के संपर्क में है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों, व्युत्पन्न उपकरणों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अन्य वित्तीय संपत्तियों के संपर्क में है। कंपनी ने केवल उन प्रतिपक्षकारों से निपटने की नीति अपनाई है जिनके पास क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने केलिए पर्याप्त रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग है। व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं और नकद और नकद समक्ष और व्युत्पन्न उपकरण बैंकों और उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास बनाए जाते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

व्यापार प्राप्तियों केलिए एक व्यावहारिक सुविधा के रूप में कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करती है जो व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर विचार करती है, जो आगे के अनुमानों के लिए समायोजित होती है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में उतार-चढाव का खुलासा नोट 15 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2026 और दिनांक 31 मार्च 2025 के रूप में तुलन पत्र के घटकों केलिए क्रेडिट जोखिम हेतु ग्रूप का अधिकतम एक्सपोज़र नोट संख्या 15 में उल्लिखित अग्रणी राशि है और जैसा कि नोट 54 में कहा गया है, कंपनी के कारोबार का लगभग 63.06% (लगभग) और व्यापार प्राप्तियों का 80.83% (लगभग) और ग्राहक इसे सरकार और सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिम करते हैं। वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों और वित्तीय गारंटियों से संबंधित अधिकतम एक्सपोज़र का खुलासा क्रमशः नोट 48 और नोट 50 में किया गया है।

टिप्पणी 57: भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के अनुसार प्रकटीकरण

क. चालू परिसंपत्तियों की वसूली बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को			31 मार्च 2025 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
माल सूची	2,28,836.29	-	2,28,836.29	1,89,608.53	-	1,89,608.53
प्राप्य व्यापार	42,321.88	-	42,321.88	22,484.91		22,484.91
रोकड और रोकड तुल्यांक	10,538.70	-	10,538.70	31,667.12	-	31,667.12
बैंक शेष	2,30,055.39	-	2,30,055.39	2,79,595.10	-	2,79,595.10
ऋण	163.99	-	163.99	131.10	-	131.10
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10,296.69	320.18	10,616.87	27,544.75	320.18	27,864.93
वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	10,346.67	-	10,346.67	-	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियां	4,46,139.51	81,671.09	5,27,810.60	4,01,214.68	15,586.54	4,16,801.22

ख. वर्तमान देनदारियों का निपटान बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को			31 मार्च 2025 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
उधार	1,07,583.59	-	1,07,583.59	4,599.11	-	4,599.11
पट्टा देयता	3,689.62	-	3,689.62	3,125.68	-	3,125.68
व्यापार देय	96,242.62	-	96,242.62	49,409.54	-	49,409.54
अन्य वित्तीय देयता	34,205.45	2,404.78	36,610.23	23,409.77	506.63	23,916.40
अन्य वर्तमान देयता	1,44,977.45	3,50,896.59	4,95,874.04	1,20,195.23	4,21,356.74	5,41,551.97
प्रावधान	58,118.78	-	58,118.78	1,02,286.48	359.20	1,02,645.68
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	-	-	-	2,460.25	-	2,460.25

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 58 : सेग्मेंट रिपोर्टिंग

ग्रूप ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है: पोत निर्माण और पोत मरम्मत। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आबंटित किया गया है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सेंगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	10,35,330.55	8,69,295.75
पोत मरम्मत	3,68,949.75	3,48,802.99
अनाबंटित	48,784.80	1,21,823.99
कुल	**14,53,065.10**	**13,39,922.73**
सेंगमेंट देयता		
पोत निर्माण	6,14,645.13	4,47,070.26
पोत मरम्मत	40,322.53	1,01,937.09
अनाबंटित	2,10,821.72	2,32,989.35
कुल	**8,65,789.38**	**7,81,996.70**
सेंगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण *	3,36,556.50	2,95,538.68
पोत मरम्मत *	1,65,630.45	1,86,457.20
अनाबंटित	40,982.42	38,906.50
कुल	**5,43,169.37**	**5,20,902.38**
सेंगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	67,295.41	46,134.73
पोत मरम्मत	42,941.22	72,919.61
अनाबंटित	(1,095.60)	(2,679.74)
कुल	**1,09,141.03**	**1,16,374.60**

निरंतर परिचालन से कर पूर्व लाभ केलिए खंड परिणाम:

(₹ लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष केलिए	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सेंगमेंट परिणामों के अनुसार राशि	1,09,141.03	1,16,374.60
घटाएं : वित्तीय लागत		3,857.55
जोड़: विशेष मदें		-
निरंतर परिचालन से कर से पहले लाभ	99,903.42	1,12,517.05

समूह के दो प्रमुख व्यवसाय खंड हैं - 'पोत निर्माण' और 'पोत मरम्मत'। पोत निर्माण के अंतर्गत राजस्व में दो ग्राहकों (पिछले वर्ष : दो ग्राहक) से 158820.82 लाख रुपये (पिछले वर्ष : ₹ 206665.27 लाख) शामिल हैं, जो कुल पोत निर्माण राजस्व का 47.19% राजस्व है, और पोत मरम्मत के लिए दो ग्राहकों (पिछले वर्ष : दो ग्राहक) से 100833.29 लाख रुपये (पिछले वर्ष : ₹ 153005.55 लाख) शामिल हैं, जो कुल पोत मरम्मत राजस्व का 60.88% है।

* प्रचालन से प्राप्त राजस्व में से 156522.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष 72,826.99 लाख रुपये) निर्यात ऑर्डर से प्राप्त राजस्व से संबंधित हैं।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 59 : पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने केलिए शेयरधारकों केलिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य केलिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों केलिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने केलिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
दीर्घकालीन उधार	2,302.20	2,302.20
निवल ऋण *	1,09,885.79	6,901.31
इक्विटी शेयर पूंजी	13,154.04	13,154.04
अन्य इक्विटी	5,74,121.68	5,44,771.99
कुल इक्विटी	5,87,275.72	5,57,926.03
गियरिंग अनुपात	18.71%	1.24%

* निवल ऋण में कंपनी के अल्पकालिक उधार शामिल हैं, जिनकी राशि 107583.59 लाख रुपये है (पिछले वर्ष यह 4599.11 लाख रुपये थी)।

31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन केलिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुपात	अंश	भाजक	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	%परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25%से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(क) चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देयताएं	1.33	1.33	(0.08%)	-
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.19	0.01	1413%	वर्ष के दौरान लिए गए अल्पकालिक ऋणों के कारण
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	।ऋण सेवा केलिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	1.05	13.85	-92.43%	वर्ष के दौरान लिए गए अल्पकालिक ऋणों के कारण
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.13	0.16	-19.94%	
(ङ) वस्तुसूची कुल बिक्री अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत मालसूची	2.40	3.30	(27.24%)	परियोजना-विशिष्ट सामग्रियों और उपकरणों के स्टॉक में मौजूद होने के कारण, जो वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में मौजूद जहाजों के लिए आवश्यक हैं, और कारोबार में कमी के कारण ऐसा हुआ है।
(च) व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत प्राप्य खाता	14.11	13.86	1.80%	
(छ) व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	3.55	6.26	-43%	वर्ष के दौरान खरीद में कमी और व्यापार देयताओं में वृद्धि के कारण
(ज) निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.91	2.00	-4.59%	
(झ) निवल लाभ अनुपात,	निवल लाभ	निवल बिक्री	0.14	0.17	-16.85%	

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अनुपात	अंश	भाजक	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	%परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25%से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(ञ) नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और करों से पहले कमाई	गोचर निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.16	0.21	-26.08%	लाभ में कमी और वर्ष के दौरान लिए गए अल्पकालिक ऋणों के कारण कुल उधार में वृद्धि के कारण
ट) निवेश पर वापसी:						
(1) इक्विटी निवेश पर आरओआई	लाभांश	इक्विटी शेयरों में औसत निवेश	0.03	0.03	-23.92%	

*ऋण सेवा केलिए कमाई = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि।

*ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती

टिप्पणी 60 : सहायक कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	व्यवसाय का मुख्य स्थान	दिनांक 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 तक आनुपातिक स्वामित्व %
1	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक कंपनी	विभिन्न प्रकार के जलयानों का निर्माण और उनकी मरम्मत	कोलकाता, भारत	100%
2	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक कंपनी	विभिन्न प्रकार के जलयानों का निर्माण और उनकी मरम्मत	माल्पे, भारत	100%

टिप्पणी 61 : सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

सहायक कंपनी केलिए बताई गई राशि अंतर-कंपनी उन्मूलन से पहले की है।

क. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(₹ लाखों में)

संक्षेपित तुलन पत्र	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर-चालू परिसंपत्तियां	15,659.34	16,374.32
चालू परिसंपत्तियां	22,111.68	14,188.60
कुल परिसंपत्तियां	**37,771.02**	**30,562.92**
गैर-चालू देयताएं	10,108.42	9,998.45
चालू देयताएं	23,382.88	14,387.43
कुल देयताएं	**33,491.30**	**24,385.88**
निवल परिसंपत्तियां	**4,279.72**	**6,177.04**
संचित एनसीआई	**-**	**-**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
राजस्व	12,255.35	5,775.32
वर्ष केलिए लाभ/(हानि)	(1,953.36)	(1,737.67)
अन्य व्यापक आय	56.05	(28.38)
कुल व्यापक आय	**(1,897.31)**	**(1,766.05)**
एनसीआई केलिए लाभ/(हानि)	**-**	**-**

(₹ लाखों में)

संक्षेपित नकदी प्रवाह	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(3,026.52)	1,472.35
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	24.35	39.18
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	3,364.46	(370.37)
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/कमी	**362.29**	**1,141.16**

ख. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड)

(₹ लाखों में)

संक्षेपित तुलन पत्र	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर-चालू परिसंपत्तियां	12,579.22	14,251.02
चालू परिसंपत्तियां	42,034.59	38,320.94
कुल परिसंपत्तियां	**54,613.81**	**52,571.96**
गैर-चालू देयताएं	2,156.75	1,696.16
चालू देयताएं	32,281.79	33,745.69
कुल देयताएं	**34,438.54**	**35,441.85**
निवल परिसंपत्तियां	**20,175.27**	**17,130.11**
संचित एनसीआई	**-**	**-**

(₹ लाखों में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
राजस्व	61,811.64	26,563.60
वर्ष केलिए लाभ/(हानि)	9,338.76	262.78
अन्य व्यापक आय	(6,321.69)	584.80
कुल व्यापक आय	**3,017.07**	**847.58**
एनसीआई केलिए लाभ/(हानि)	**-**	**-**

(₹ लाखों में)

संक्षेपित नकदी प्रवाह	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	7,077.11	(4,329.04)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(2,136.90)	(1,931.83)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(2,826.91)	4,500.02
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/कमी	**2,113.30**	**(1,760.85)**

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 62 : समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित जानकारी

(₹ लाखों में)

समूह में इकाई का नाम	निवल परिसंपत्ति			लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	दिनांक 31 मार्च 2026 तक स्वामित्व %	आनुपातिक हिस्सा	समेकित निवल परिसंपत्ति के % के रूप में	लाभ/ (हानि) में हिस्सा	समेकित लाभ/हानि के % के रूप में	अन्य व्यापक आय में शेयर	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में हिस्सा	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	589282.84	100.34%	64304.34	89.72%	(10436.30)	62.49%	53868.04	97.99%
सहायक कंपनी									
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	4279.72	0.73%	-1953.36	-2.73%	56.05	-0.34%	-1897.31	-3.45%
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	20175.27	3.44%	9338.76	13.03%	(6321.69)	37.85%	3017.07	5.49%
समेकित समायोजन		(26462.11)	-4.51%	(15.79)	-0.02%	0.00	0%	(15.79)	-0.03%
कुल योग		**587275.72**	**100.00%**	**71673.95**	**100.00%**	**(16701.94)**	**100.00%**	**54972.01**	**100.00%**

टिप्पणी 63. वर्ष केलिए आयातित वस्तुओं/ सेवाओं की खपत 110431.86 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 90542.96 लाख रुपए)

टिप्पणी 64. कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने केलिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के रूप में ईआरपी, एसएपी एस/4 एनएएनए का उपयोग है, जिसमें नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोडकर संबंधित सॉफ्टवेयरों में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन केलिए पूरे वर्ष सुरक्षा लेखापरीक्षा लॉग और रिकॉर्डिंग लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा है।

i. लेखा बहियों के रखरखाव केलिए उपयोग किए जानेवाले लेखांकन सॉफ्टवेयर केलिए डेटा परिवर्तनों को लॉग करने केलिए पहचाने गए डेटाबेस तालिकाओं केलिए लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम की गई थी। हालांकि, एसएपी डेटाबेस तालिकाओं में कोई भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

ii. ईआरपी में वर्ष 2022 से सुरक्षा लेखापरीक्षा सक्षम किया गया। लेखांकन सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्डिंग की सुविधा मार्च 2024 में सक्षम की गई।

इसके अतिरिक्त, लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में ऑडिट ट्रेल (लेखापरीक्षा अनुश्रवण) सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है तथा अभिलेखों को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में सुरक्षित रखा गया है।

टिप्पणी 65. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने केलिए कंपनी के सामने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

टिप्पणी 66. विभिन्न बैंकों द्वारा मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के तहत स्वीकृत कुल फंड आधारित और गैर-फंड आधारित सीमाएं इस प्रकार हैं:

विवरण	स्वीकृत सीमा	उपयोगिता मार्च 31,2026 को		स्वीकृत सीमा	उपयोगिता मार्च 31,2025 को	
		मूल्य	उपयोगिता %		मूल्य	उपयोगिता %
गैर-निधि आधारित सीमा	1692453	1180991.98	69.78%	1692353	1132951.37	66.95%
बैंक गारंटी	1420250	1153134.15	81.19%	1410250	1102150.41	78.15%
साख पत्र	246733	20945.00	8.49%	259133	25539.75	9.86%
निधि आधारित सीमा	228000	107493.18	47.15%	15500	4344.00	28.03%
डब्ल्यूसीडीएल	178000।	81421.18	45.74%	15500	4344.00	28.03%
पीसीएफसी	50000	26072.00	52.14%	शून्य	शून्य	शून्य

* नियंत्रक कंपनी के मामले में - निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत सीमा तक सीमित।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

होल्डिंग कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है और उसे बैंकों के साथ कोई तिमाही वापसी या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

हुगली- सीएसएल की सहायक कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से उधार लिया है। कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ चालू परिसंपत्तियों के मासिक/तिमाही विवरणी /विवरण दाखिल करने की आवश्यकता अनुपालन किया है, और ये रिटर्न दिनांक 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए लेखा बहियों के अनुरूप थे।

यूसीएसएल की सहायक कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न या विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

टिप्पणी 67 : कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

टिप्पणी 68 : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

टिप्पणी 69 : वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने केलिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

टिप्पणी 70 : कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से), समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगा। कंपनी को विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टियां) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी।

कंपनी को समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (i) निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेशी करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह की गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चेन्नई (एनसीएलटी) ने 25 सितंबर, 2018 के अपने आदेश के जरिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल) की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने अक्तूबर 2019 में लेनदारों की समिति (सीओसी) को टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए समाधान योजना प्रस्तुत की। माननीय एनसीएलटी ने 04 मार्च, 2020 के अपने आदेश के जरिए सीएसएल को सफल समाधान आवेदक घोषित किया। सीएसएल द्वारा 65 करोड़ रुपये की बोली राशि का भुगतान किया गया और समाधान योजना का एक बड़ा हिस्सा लागू किया गया और वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में लेखा पुस्तकों में इसका लेखा-जोखा रखा गया।

एनसीएलटी के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के संबंध में, कंपनी को संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निदेश दिया गया है।

टिप्पणी 71 : कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 72 : ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम केलिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है।

टिप्पणी 73 : कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावणान किया गया है। कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसकेलिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है।

टिप्पणी 74 : कोष्ठक के आंकडे शून्य आंकडे को दर्शाता है।

टिप्पणी 75 : पिछले वर्ष के आंकडे को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि केलिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

निगमित अवलोकन और सामग्री लेखांकन नीतियाँ 1 - 3

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां 4 - 75

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबु ए कलिवयलिल व कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,
सदस्यता सं. 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. - A25337

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएनः10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएनः 09576336

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएनः 08444440

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अनुलग्नक

प्रपत्र एओसी 1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण (कंपनियां (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

भाग 'क' : सहायक कंपनियां

क्रम संख्या	ब्योरा	विवरण	विवरण
1	क्रम संख्या	1	2
2	सहायक कंपनी का नाम	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि	अक्तूबर 23, 2017	सितंबर 15, 2020
4	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	नहीं	नहीं
5	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	14000 लाख रुपये	10800 लाख रुपये
7	रिजर्व और अधिशेष	(9720.28) लाख रुपये	9375.27 लाख रुपये
8	कुल परिसंपत्ति	37771.02 लाख रुपये	54613.81 लाख रुपये
9	कुल देयताएं	33491.30 लाख रुपये	34438.54 लाख रुपये
10	निवेश	शून्य	शून्य
11	कुल कारोबार	12255.35 लाख रुपये	61811.64 लाख रुपये
12	कर से पूर्व लाभ	(1888.39) लाख रुपये	13167.79 लाख रुपये
13	कर के लिए प्रावधान		
	(i) चालू कर		
	(ii) स्थगित कर	64.97 लाख रुपये	3829.03 लाख रुपये
14	कर पश्चात लाभ	(1953.36) लाख रुपये	9338.76 लाख रुपये
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य
16	शेयरधारिता की सीमा (% में)	100%	100%

भाग 'ख': सहयोगी और संयुक्त उद्यम: लागू नहीं

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार,

कृते बाबु ए कलिवयलिल व कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 05374S

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. - A25337

राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएनः 09576336

अलेक्साण्डर नलनिक्कल कोशी
साझेदार,
सदस्यता सं. 007448
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएनः10221559
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2026

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएनः 08444440

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

निगमित पहचान संख्या: L63032KL1972GOI002414
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर पेरुमानूर,
एर्णाकुलम, केरल– 682015 **दूरभाष:** +91 (484) 2501306
ईमेल: secretary@cochinshipyard.in **वेबसाइट:** www.cochinshipyard.in

सूचना

सूचना एतद्द्वारा दी जाती है कि कोचीन शिपयार्ड की सदस्यों की 54 वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए गुरुवार, सितंबर 29, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित व्यापार कार्य करने केलिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।

2. दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹4.00 (80%) के प्रथम अंतरिम लाभांश और प्रति इक्विटी शेयर ₹3.50 (70%) के द्वितीय अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा प्रति इक्विटी शेयर (₹5 का अंकित मूल्य) ₹1.50 (30%) के अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

4. डॉ. हरिकृष्णन एस. (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन:10221559), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और जिन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया है, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यापार

6. **श्री मुकेश मंगल, आईटीएस (डीआईएन: 10460089) की अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और यदि उपयुक्त समझा जाए तो पारित किया जाए:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ग) के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, को उसके अधीन बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, के साथ पठित करते हुए (जिसमें वर्तमान में प्रवृत्त किसी वैधानिक संशोधन अथवा उसके पुनःअधिनियमन को भी सम्मिलित किया गया है), कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव, श्री मुकेश मंगल, आईटीएस (डीआईएनः 10460089) को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। यह नियुक्ति श्री वेंकटेशपति एस., आईएएस (डीआईएनः 07407879), भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव, के स्थान पर की जा रही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 17 जुलाई 2026 के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) को कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 21(क) और 21(ग) के साथ पठित करते हुए, श्री मुकेश मंगल की नियुक्ति 17 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी होगी तथा यह नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।"

7. **श्रीमती अनुपमा टी. वी., आईएएस (डीआईएन: 06932600) की अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और यदि उपयुक्त समझा जाए तो पारित किया जाए:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ग) के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, को उसके अधीन बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, के साथ पढित (जिसमें वर्तमान में प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनःअधिनियमन को भी सम्मिलित किया गया है), कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि श्रीमती अनुपमा टी. वी., आईएएस (डीआईएन: 06932600), सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार, को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। यह नियुक्ति श्री पी. बी. नूह, आईएएस (डीआईएन: 09701541), पूर्व विशेष सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार, के स्थान पर की जा रही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 17 जुलाई 2026 के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) को कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 21(क) और 21(ग) के साथ पठित करते हुए, श्रीमती अनुपमा टी. वी. की नियुक्ति 17 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी होगी तथा यह नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।"

8. **डॉ. वाणी आहलुवालिया (डीआईएन: 11754971) की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन**

निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और यदि उपयुक्त समझा जाए तो पारित किया जाए:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 152 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनःअधिनियमन को भी सम्मिलित किया गया है), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और 25(2ए) के साथ पठित, के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल में डॉ. वाणी आहलुवालिया (डीआईएन: 11754971) की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति को, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 17 अगस्त 2026 के माध्यम से तथा कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 21(क) और 21(ग) के अंतर्गत, शेयरधारकों की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति 17 अगस्त 2026 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 16 अगस्त 2029 तक अथवा भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।"

9. **लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो पारित करने हेतु:

"**संकल्प किया जाता है कि**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 को कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, (जिसमें वर्तमान में प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनःअधिनियमन को भी सम्मिलित किया गया है) के साथ पठित, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत कंपनी के लागत अभिलेखों से संबंधित लेखापरीक्षा करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त मेसर्स बीबीएस एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, कोच्ची (फर्म पंजीकरण संख्या: 00273) को देय ₹2,00,000/- (केवल दो लाख रुपए) प्रति वर्ष का पारिश्रमिक, साथ में लागू करों सहित, एतद्द्वारा अनुसमर्थित किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. : A25337

कोच्ची
सितंबर 04, 2026

टिप्पण :

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 22 सितंबर, 2025 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 को 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई। कंपनी अधिनियम, 2013, एमसीए परिपत्रों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 54 वीं वार्षिक आम बैठक हो रही है, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को वार्षिक आम बैठक का स्थान माना जाएगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार नोटिस में निर्धारित विशेष व्यापार के संबंध में विवरण संलग्न है और यह नोटिस का एक अभिन्न अंग है।

4. इस वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/विस्तार चाहने वाले निदेशकों के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुसार संगत विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

5. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने केलिए हकदार एक सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने केलिए एक परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी कंपनी का एक सदस्य नहीं होना चाहिए। चूंकि इस वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है और तदनुसार सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति तिरस्कृत की गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध नहीं होगी और अतः परोक्षी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ नहीं संलग्न किया है । फिर भी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या निकास कॉर्पोरेट जैसे सदस्यों के प्रतिनिधियां वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग जरिए अपना वो डाल सकते हैं।

6. वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") अथवा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") ("डिपॉजिटरी") कंपनी के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट के वेब-लिंक वाला पत्र डाक द्वारा भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों के अनुरोध पर इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य हार्ड कॉपी प्राप्त करने हेतु अपना अनुरोध secretary@cochinshipyard.in पर भेज सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि वर्ष 2025-26 की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमशः तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

7. जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कर लें ताकि कंपनी/आरटीए ई-मेल के माध्यम से संचार भेज सकें।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नया नामांकन दर्ज करने या पूर्व नामांकन को रद्द करके नया नामांकन दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं कराया है या जो नामांकन बदलने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें और उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

10. सेबी ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल स्थापित किया है। कंपनी/आरटीए के साथ सीधे और स्कोर्स पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को हल ने के विकल्प को समाप्त करने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं, जिसे https://smartodr.in/login पर एक्सेस किया जा सकता है।

11. **लाभांश**

    (i) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित होता है, तो स्रोत पर कर कटौती के अधीन, 28 अक्तूबर, 2026 तक अर्थात अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने सदस्यों को लाभांश प्राप्त करने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए, यदि एजीएम में लाभांश अनुमोदित होता है, शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है।

(ii) सेबी द्वारा निर्धारित अनिवार्यता के अनुसार, कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। सदस्य ध्यान दें कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खातों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। अतः जिन सदस्यों ने अभी तक अपने बैंक विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास, जिस बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करना है, उसके पूर्ण/सही बैंक खाता विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी, एमआईसीआर कोड आदि) तत्काल पंजीकृत/अद्यतन कराएं। कंपनी अथवा उसका आरटीए सदस्यों से सीधे प्राप्त बैंक विवरण में किसी अद्यतन/परिवर्तन संबंधी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे परिवर्तन की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ही दी जानी चाहिए।

(iii) आयकर अधिनियम, 2025, यथासंशोधित ("आयकर अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से किसी कंपनी द्वारा भुगतान एवं वितरित किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों कर योग्य होगा। अतः कंपनी को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के शेयरधारक पर लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना आवश्यक होगा। लागू टीडीएस दर निर्धारित करने में हमें सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित दस्तावेज दिनांक 18 सितंबर, 2026 तक कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इनट इम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पोर्टल पर https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html प्रस्तुत करें। लाभांश पर टीडीएस से संबंधित विस्तृत सूचना, जिसमें प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज भी शामिल हैं, कंपनी की वेबसाइट पर https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58 लिंक पर उपलब्ध है।

ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) **दिनांक 18 सितंबर, 2026 के बाद कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

12. **अदावी लाभांश:**

(i) सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनी अवैतनिक लाभांश खाते में पड़ी किसी भी राशि को, जो अवैतनिक लाभांश खाते में ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा रहित रहती है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') में जमा करने के लिए बाध्य है। ऐसे अवैतनिक लाभांशों का विवरण जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने योग्य हैं, कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58. पर उपलब्ध हैं।

(ii) इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, जैसा कि संशोधित किया गया है ('आईईपीएफ नियम'), सभी शेयरों जिन पर लाभांश लगातार सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अवैतनिक/अदावा किया गया है, उन्हें निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाएगा। इसलिए, कंपनी सभी शेयरधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपने संबंधित लाभांश को नकद बनाने/दावा करने का आग्रह करती है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए घोषित अंतिम लाभांश 13 सितंबर, 2026 की नियत तारीख से 30 दिनों के भीतर आईईपीएफ में जमा किया जाना है। संबंधित शेयर, जिन पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त अवैतनिक लाभांश का दावा 06 सितंबर, 2026 को या उससे पहले एक अनुरोध पत्र के साथ क्लाइंट मास्टर सूची के साथ करें, जिसमें अद्यतन बैंक खाता विवरण (आईएफएस कोड सहित) हो, जिसमें उक्त लाभांश जमा किया जाना है, कंपनी के आरटीए एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को, ऐसा न करने पर संबंधित शेयरों के साथ उक्त लाभांश बिना किसी और सूचना के उचित तिथि पर आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिन शेयरधारकों के शेयर/लाभांश आईईपीएफ में स्थानांतरित होने वाले हैं, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58 लिंक पर उपलब्ध है।

(iv) कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश/शेयरों का दावा कर सकते हैं।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अनुसार बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमे निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज इस नोटिस की प्रचलन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण केलिए भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य secretary@cochinshipyard.in पर ईमल भेज सकते हैं।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को निम्नलिखित पते पर शेयरों से संबंधित सभी संचार भेजें:

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

(पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)

सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्यू

सेंथिल नगर के पीछे, सोवरीपालयम रोड

कोयंबत्तूर, तमिलनाडु - 641028

दूरभाष: +91 (422) 2314792, 4958995

ई-मेल:: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20, सेबी लिस्टिंग विनियमन (संशोधित) के विनियमन 44 और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है। वार्षिक आम बैठक की तिथि पर सदस्य द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

16. कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सी.एस. श्रीकुमार पी.एस. (एफसीएस सं. 8130, सीपी सं. 8067) भागीदार, मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, कोच्ची को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है।

17. **रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को निदेश**

(i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को 09:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को 17:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि, मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को सदस्यों/डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।

(ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है, वे बैठक स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और तरीका

क. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा' के अनुसार, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की गई है। व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डाल सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

उक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईसी/ईसियस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईसी/ईसियस्ट में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएँ और लॉगिन आइकन और मै ईसी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें। 2. सफल लॉगिन के बाद, ईसी/ईसियस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा, जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
	3. यदि उपयोगकर्ता ईसी/ईसियस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और मै ईसी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंच भी पाएगा।
एनएसडीएल निक्षेपागार के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्रउज़र खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'लॉगिन' के अंतर्गत 'लाभार्थी स्वामी' आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएएस' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत 'ई-वोटिंग तक पहुँच' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएँगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। "आईडीईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्रउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरहोल्डर/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी, एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा। 4. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने **निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी)** के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल जाएं और पासवर्ड भूल जाएं विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन करने तथा वर्चुअल बैठक में शामिल होने की विधि

(i) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।

(ii) "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

(iii) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें

(क) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी

(ख) एनएसडीएल के लिए: 8 अक्षरों की डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी

(iv) इसके बाद प्रदर्शित छवि सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(v) यदि आप डीमैट मोड में शेयर रखते हैं और www.evotingindia.com पर लॉग इन करके किसी कंपनी के पहले के ई-वोटिंग पर वोट किया है, तो आपको अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

(vi) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन दर्ज कर • जिन शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना पैन अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म तिथि	लॉग इन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें। • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर दर्ज करें।

(vii) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(viii) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अब 'पासवर्ड निर्माण' मेनू पर जाना होगा, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि डीमैट धारकों को इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों पर मतदान के लिए भी करना होगा, जिस पर वे मतदान के पात्र हैं, बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुनती हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें।

(ix) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(x) वोटिंग पेज पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा और उसके सामने मतदान के लिए "हाँ/नहीं" विकल्प दिखाई देगा। इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। हाँ विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से असहमत हैं।

(xi) यदि आप संपूर्ण समाधान विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xii) जिस प्रस्ताव पर आपने वोट देने का फैसला किया है, उसे चुनने के बाद, "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "कैंसल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

(xiii) एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट "पुष्टि" कर देंगे, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) आप मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xv) यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।

(xvi) यदि कोई अपलोड किया गया है तो बीआर/पीओए अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे सत्यापन के लिए जांचकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xvii) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा – केवल रिमोट ई-वोटिंग के लिए।

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और स्वयं को 'कॉरपोरेट्स' मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मुहर और हस्ताक्षर युक्त पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक कंप्लायंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कंप्लायंस यूजर उस अकाउंट को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वह वोट करना चाहता है।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप हो जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में उसे डीलिंक किया जा सकता है।
- यह अनिवार्य है कि बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो उसे पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सके।
- वैकल्पिक रूप से, गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों को प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जांचकर्ता को ईमेल द्वारा sreekumar@svjs.in पर और कंपनी को ईमेल पते secretary@cochinshipyard.in पर भेजना आवश्यक है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से वोट किया है और इसे सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है, ताकि जांचकर्ता इसे सत्यापित कर सके।

18. **बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश**

(i) वार्षिक आम बैठक के दिन बैठक में भाग लेने एवं ई-वोटिंग की प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान ही है।

(ii) बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और शेयरधारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।

(iv) जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

(v) शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(vi) इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरा और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देनी होगी।

(vii) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

(viii) जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीमैट खाता संख्या और मोबाइल नंबर बताते हुए secretary@cochinshipyard.in पर 21 सितंबर, 2026 (सुबह 8:00 बजे) से 23 सितंबर, 2026 (शाम 16:00 बजे) तक अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। कंपनी पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार निर्भर है ।

(ix) जिन शेयरधारकों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। प्रश्न की प्रासंगिकता और वक्ताओं का क्रम अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा।

(x) बैठक के समय वार्षिक खातों के संबंध में कोई भी जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले कंपनी को अपने प्रश्न भेजें ताकि प्रबंधन को जानकारी तैयार रखने में मदद मिल सके।

(xi) केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

(xii) **उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ई-मेल/मोबाइल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है**

क. डीमैट शेयरधारकों के लिए: कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतन करें।

ख. **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए: कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतन करें, जो ई-वोटिंग और निक्षेपागार के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।**

19. यदि आपके पास वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

20. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, एवीपी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकती हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

21. **अन्य अनुदेश**

(i) जिन व्यक्तियों ने नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित किए हैं और कंपनी के सदस्य बन गए हैं तथा 22 सितंबर, 2026 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को उनके ई-मेल पते investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी निर्देश प्राप्त कर सकते हैं या www.evotingindia.com अथवा कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in से नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं।

(ii) अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद घोषित किए गए परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर डाल दिए जाएँगे। परिणाम तुरंत उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजे जाएँगे जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, जैसे कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएँगे।

22. कृपया ध्यान दें कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सभी इक्विटी शेयर डीमैट (अमूर्त) रूप में हैं। तदनुसार, भौतिक शेयरधारिता से संबंधित निर्देश और जानकारी, जिसमें केवाईसी विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया, हस्तांतरण का पंजीकरण, मतदान, वार्षिक आम बैठक में भाग लेना और अन्य संबंधित मामले शामिल हैं, लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें इस सूचना में शामिल नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण

मद संख्या. 6

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से (पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 17 जुलाई, 2026) श्री मुकेश मंगल, आईटीएस (डीआईएन: 10460089), अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में, श्री वेंकटेशपति, एस आईएएस (डीआईएन: 07407879), संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्थान पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के तहत, दिनांक 17 जुलाई, 2026 से अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

श्री मुकेश मंगल, आईटीएस को सेबी अथवा किसी अन्य ऐसे प्राधिकरण के किसी आदेश के कारण निदेशक का पद धारण करने से वंचित नहीं किया गया है और न ही वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत निदेशक का पद धारण करने के लिए अयोग्य हैं। उनकी संक्षिप्त जीवन-वृत्त, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता आदि का विवरण शामिल है, इसके साथ संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ग) को उसके प्रथम परंतुक के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी के लिए अगली सामान्य बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री मुकेश मंगल, आईटीएस और उनके रिश्तेदार इस संकल्प में केवल उस सीमा तक रुचि रखते हैं, जहाँ तक यह उनके नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के किसी अन्य निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का नोटिस की मद संख्या 6 में दिए गए संकल्प से किसी भी प्रकार का, वित्तीय अथवा अन्यथा, कोई संबंध या हित नहीं है।

तदनुसार, निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 6 में उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अनुमोदित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या. 7

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से (पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 17 जुलाई, 2026) सुश्री अनुपमा टी. वी., आईएएस (डीआईएन: 06932600), सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार को, श्री पी. बी. नूह, आईएएस (डीआईएन: 09701541), पूर्व विशेष सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार के स्थान पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में दिनांक 17 जुलाई, 2026 से अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

सुश्री अनुपमा टी. वी., आईएएस, को सेबी के किसी आदेश अथवा किसी अन्य ऐसे प्राधिकरण के आदेश के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से वंचित नहीं किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत भी उन्हें निदेशक का पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। उनकी योग्यता, विशेषज्ञता आदि का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ग) तथा उसके प्रथम परंतुक के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए अगली सामान्य बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

सुश्री अनुपमा टी. वी., आईएएस तथा उनके रिश्तेदार केवल उस सीमा तक प्रस्ताव में रुचि रखते हैं, जहाँ तक यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का नोटिस की मद संख्या 7 में दिए गए प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का, चाहे वित्तीय हो या अन्यथा, कोई सरोकार या हित नहीं है।

तदनुसार, निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 7 में उल्लिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या. 8

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। तदनुसार, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 17 अगस्त, 2026 के माध्यम से, निर्धारित चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करते हुए, डॉ. वाणी आहलुवालिया (डीआईएन: 11754971) को कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए, दिनांक 17 अगस्त, 2026 से 16 अगस्त, 2029 तक अथवा भारत सरकार के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

डॉ. वाणी आहलुवालिया ने निदेशक मंडल को एक घोषणा दी है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें सेबी के किसी आदेश अथवा किसी अन्य ऐसे प्राधिकरण के आदेश के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से वंचित नहीं किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत भी उन्हें निदेशक का पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। उनकी योग्यता, विशेषज्ञता आदि का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

डॉ. वाणी आहलुवालिया तथा उनके रिश्तेदार केवल उस सीमा तक प्रस्ताव में रुचि रखते हैं, जहाँ तक यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य किसी

भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का नोटिस की मद संख्या 8 में दिए गए प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का, चाहे वित्तीय हो या अन्यथा, कोई सरोकार या हित नहीं है।

डॉ. वाणी आहलुवालिया निदेशक मंडल तथा उसकी उन समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने की हकदार होंगी, जिनकी वह सदस्य हैं।

तदनुसार, निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 8 में उल्लिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या. 9

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसरण में, कंपनी के लागू उत्पादों के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के लिए एक लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक है।

उपरोक्त के मद्देनज़र, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 14 अगस्त, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मेसर्स बीबीएस एंड असोसिएट्स , लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या: 00273) को कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में ₹2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) प्रति वर्ष, साथ में लागू करों के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसार, लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन शेयरधारकों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

मेसर्स बीबीएस एंड असोसिएट्स ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए सहमति प्रदान की है तथा यह पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। उन्होंने पूर्व में भी कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा की है तथा लागत लेखा परीक्षा के क्षेत्र में उचित अनुभव रखते हैं। पिछले कार्यों के दौरान उनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का नोटिस की मद संख्या 9 में दिए गए प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का, चाहे वित्तीय हो या अन्यथा, कोई सरोकार या हित नहीं है।

तदनुसार, निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 9 में उल्लिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. A25337

कोच्ची
सितंबर 04, 2026

पंजीकृत कार्यालय
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल – 682015
सीआईएन: L63032KL1972GOI002414
दूरभाष: +91 (484) 2501306
ई-मेल: secretary@cochinshipyard.in
वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 के विनिमय 36 (3) और साधारण बैठक में सचिवीय मानक-2 के अनुसार 54 वीं वार्षिक साधारण बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति मांगनेवाले निदेशकों का विवरण

नाम और डीआईएन	डॉ हरिकृष्णन एस (डीआईएन : 10221559)
आयु और जन्म तिथि	57 वर्ष, मई 29, 1969
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अगस्त 27, 2025
योग्यता	डॉ. हरिकृष्णन एस. के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	डॉ. हरिकृष्णन एस. को कंपनी में लगभग तीन दशकों का अनुभव है, जिसमें वे पोत निर्माण और पोत मरम्मत के विभिन्न कार्यों में शामिल रहे हैं, जिनमें डिज़ाइन, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, खरीद, योजना और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	डॉ. हरिकृष्णन एस. को 27 अगस्त, 2025 को सीएसएल के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय द्वारा जारी पत्र संख्या 01/03/2025-ईओ(एसीसी) दिनांक 21 अगस्त, 2025 के अनुसार की गई थी। यह नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त, 2025 को ई-मेल के माध्यम से कंपनी को भेजी गई थी। पारिश्रमिक सहित उनके रोजगार के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित की गई हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2025-26)	₹63.82 लाख (इसमें दिनांक 27 अगस्त, 2025 को निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्ति से पूर्व कंपनी में कार्यकारी पद (ई-9 स्तर) पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उन्हें भुगतान किया गया पारिश्रमिक भी शामिल है)।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद, जिसमें सूचीबद्ध संस्थाएँ भी शामिल हैं,	• हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली - सीएसएल) (सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी); • उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी- सीएसएल) (सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी); • इंडिया पोत तकनीकी केंद्र (कंपनी अधिनियम की धारा 8 कंपनी); तथा • ग्रीन मैरीटाइम प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड (सीएसएल और एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा गठित संयुक्त उद्यम कंपनी)।
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता जिसमें सूचीबद्ध संस्थाएँ भी शामिल हैं,	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उपस्थित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	4/4
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
क. स्वयं	240
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों केलिए	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री मुकेश मंगल, आईटीएस(डीआईएन: 10460089)
आयु और जन्म तिथि	57 वर्ष, 06 नवंबर, 1968
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	17 जुलाई, 2026
योग्यता	श्री मुकेश मंगल भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के वर्ष 1992 बैच से संबंधित हैं तथा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की उपाधि प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री मुकेश मंगल, आईटीएस, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे सतर्कता, नौवहन इकाई एवं सागरमाला स्कंध का कार्यभार संभाल रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास का कार्य भी शामिल है। इससे पूर्व, उन्होंने दूरसंचार विभाग तथा गृह मंत्रालय में कार्य किया है। उन्हें आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, प्रकाशस्तंभ आदि जैसे विषयों में 33 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। उन्होंने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा परियोजनाओं, संचार साथी पोर्टल तथा साइबर अपराध में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री मुकेश मंगल, आईटीएस को श्री वेंकटेशपति एस, आईएएस के स्थान पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अंतर्गत भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 17 जुलाई, 2026 के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में 17 जुलाई, 2026 से अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2025-26)	शून्य। सरकारी नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद, जिसमें सूचीबद्ध संस्थाएँ भी शामिल हैं,	• शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; • सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड; • इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड; • एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड; • इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नंबर 3 लिमिटेड; • इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नंबर 4 प्राइवेट लिमिटेड; • इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नंबर 1 लिमिटेड; तथा • इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नंबर 2 लिमिटेड।
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता जिसमें सूचीबद्ध संस्थाएँ भी शामिल हैं,	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उपस्थित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	लागू नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों केलिए	शून्य

नाम और डीआईएन	श्रीमती अनुपमा टी.वी.,आईएएस (डीआईएन:06932600)
आयु और जन्म तिथि	39 वर्ष, 17 अक्तूबर, 1986
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	17 जुलाई, 2026
योग्यता	श्रीमती अनुपमा टी. वी. केरल कैडर की वर्ष 2010 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। उन्होंने बिट्स पिलानी (गोवा कैंपस) से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्रीमती अनुपमा टी. वी., आईएएस, केरल सरकार के परिवहन विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं तथा केरल सरकार के विमानपत्तन, मेट्रो रेल और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (राजभाषा) विभागों का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं। इससे पूर्व, उन्होंने केरल सरकार में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, जिनमें त्रिशूर और अलप्पुषा की जिला कलेक्टर, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पर्यटन निदेशक, अनुसूचित जनजाति विकास निदेशक, भू-राजस्व आयुक्त तथा स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) की सचिव के पद शामिल हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्रीमती अनुपमा टी. वी., आईएएस को श्री पी. बी. नूह, आईएएस के स्थान पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अंतर्गत भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 17 जुलाई, 2026 के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में 17 जुलाई, 2026 से अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2025-26)	शून्य। सरकारी नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद, जिसमें सूचीबद्ध संस्थाएँ भी शामिल हैं,	• कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड; • कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड; तथा • केरल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता जिसमें सूचीबद्ध संस्थाएँ भी शामिल हैं,	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उपस्थित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	लागू नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्याः	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों केलिए	शून्य

नाम और डीआईएन	डॉ. वाणी आहलुवालिया (डीआईएन: 11754971)
आयु और जन्म तिथि	54 वर्ष, 19 फरवरी, 1972
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	17 अगस्त, 2026
योग्यता	डॉ. वाणी आहलुवालिया ने डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, अमरावती से एमबीबीएस, इग्नू से एचआईवी एवं परिवार शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है।

नाम और डीआईएन	डॉ. वाणी आहलुवालिया (डीआईएन: 11754971)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	डॉ. वाणी आहलुवालिया के पास 25 वर्षों से अधिक का व्यावसायिक अनुभव है। वर्तमान में वह मध्य प्रदेश राज्य एड्स सोसाइटी के अंतर्गत एआरटी प्लस सेंटर, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं तथा इससे पूर्व उन्होंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और जे. के. हॉस्पिटल, जबलपुर में कार्य किया है। वह जेके सेलिब्रेशन एंड आहलुवालिया हॉस्पिटैलिटी एलएलपी की प्रबंध साझेदार भी हैं तथा कार्यनीतिक निर्णय लेने, वित्तीय योजना और व्यवसाय प्रबंधन का अनुभव रखती हैं। उन्होंने सामाजिक एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में कई नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया है, जिनमें एकल आरोग्य प्रकल्प की राष्ट्रीय सचिव (2020–2021), वर्ष 2016 से आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्य तथा वर्ष 2021 से 2024 तक विश्व हिंदू परिषद (महाकौशल प्रांत) की न्यासी एवं उपाध्यक्ष का पद शामिल है। उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन और कोविड-19 से संबंधित प्रतिक्रिया पहलों में योगदान दिया है तथा जी20 की वक्ता के रूप में भी कार्य किया है। उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, चिकित्सा प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, कानूनी एवं विनियामक मामले, संगठनात्मक शासन, कार्यनीतिक योजना, हितधारक सहभागिता तथा सामुदायिक विकास शामिल हैं।
नियुक्ति एवं पुन:नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	डॉ. वाणी आहलुवालिया को भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 17 अगस्त, 2026 के माध्यम से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए, दिनांक 17 अगस्त, 2026 से 16 अगस्त, 2029 तक अथवा भारत सरकार के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
पद के लिए आवश्यक कौशल एवं क्षमताएँ तथा प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति का विवरण	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं से संबंधित अनुभाग देखें।
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2025-26)	लागू नहीं। स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क (वर्तमान में प्रति बैठक ₹30,000/-) तथा ऐसी बैठकों में भाग लेने हेतु किए गए व्यय, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद, जिसमें सूचीबद्ध संस्थाएँ भी शामिल हैं,	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता जिसमें सूचीबद्ध संस्थाएँ भी शामिल हैं,	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उपस्थित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	लागू नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों केलिए	शून्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

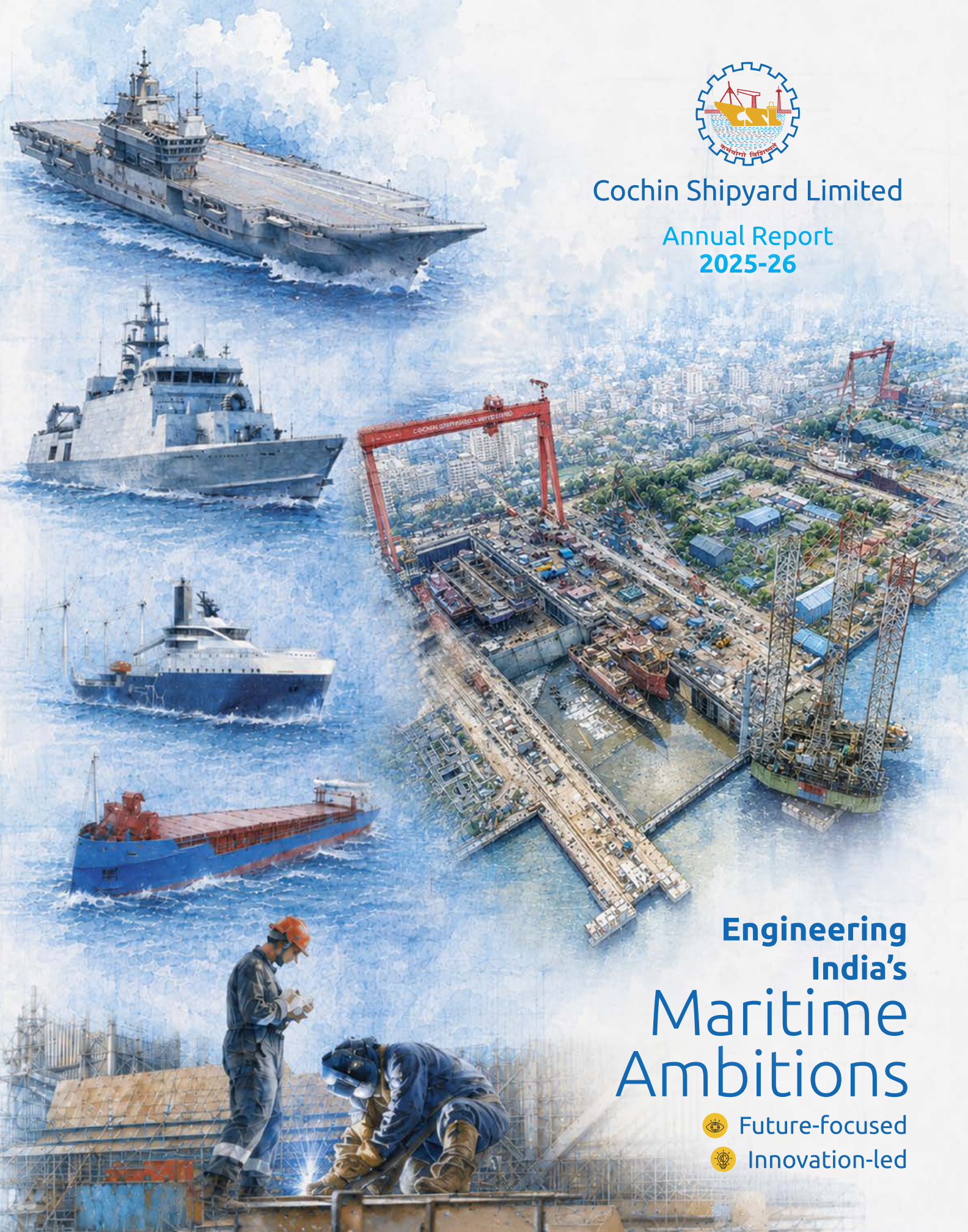
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, कोच्ची - 682 015

केरल, भारत

सीआईएनः L63032KL1972GOI002414

वेबसाइटः www.cochinshipyard.in

a K&A creation | www.kalolwala.com



Cochin Shipyard Limited

Annual Report 2025-26

Engineering India's Maritime Ambitions

Future-focused

Innovation-led

Engineering India's Maritime Ambitions

Maritime strength has long been a cornerstone of economic resilience, strategic security and global connectivity. As India's maritime aspirations gather momentum, the need for world-class engineering, future-ready infrastructure and sustainable innovation has never been greater. Meeting these evolving expectations demands more than the ability to build vessels, it calls for the vision to create enduring capabilities that shape the future of the maritime ecosystem.

At Cochin Shipyard Limited, this philosophy defines the way we grow, innovate and create value. Through advanced shipbuilding and repair capabilities, pioneering green technologies, indigenous engineering expertise and continuous investments in modern infrastructure, we are strengthening the foundations of a globally competitive maritime industry. Every vessel delivered, every strategic collaboration forged and every technological milestone achieved reflects our commitment to enhancing national capabilities while responding to the changing needs of customers across defence, commercial and offshore sectors.

Our journey is guided by a long-term perspective, one that embraces innovation as a catalyst for progress, sustainability as a responsibility and operational excellence as a defining strength. As India's maritime landscape evolves, we remain committed to engineering solutions that not only support today's priorities but also enable the ambitions of tomorrow, creating lasting value for the nation, our stakeholders and the global maritime community.



Scan QR Code or click the link below to visit our website:
www.cochinshipyard.in

Inside the Report

02-51 Corporate Overview

02	About Us
06	Our Geographic Footprint
08	Key Milestones reached in FY 2025-26
10	Chairman's Message
16	Our Performance at a Glance
18	Our Portfolio
24	Our Operational Excellence
28	Infra Project Highlights
32	USHUS
34	Our People
38	Environment
42	Social
46	Governance
47	Board of Directors
50	Awards and Accolades
51	Corporate Information

52-176 Statutory Reports

52	Directors' Report
92	Report on Corporate Governance
122	Management Discussion and Analysis Report
138	Business Responsibility and Sustainability Report

177-401 Financial Statements

177	Independent Auditors' Report (Standalone)
195	Comments of the C&AG (Standalone)
196	Standalone Financial Statements
286	Independent Auditors' Report (Consolidated)
297	Comments of the C&AG (Consolidated)
298	Consolidated Financial Statements

402-416 Notice

402	54th Annual General Meeting

Forward-looking Statements

Some information in this report may contain forward-looking statements which include statements regarding Company's expected financial position and results of operations, business plans and prospects and so on and are generally identified by forward-looking words such as 'believe', 'plan', 'anticipate', 'continue', 'estimate', 'expect', 'may', 'will' or other similar words. Forward-looking statements are dependent on assumptions or basis underlying such statements. We have chosen these assumptions or basis in good faith, and we believe that they are reasonable in all material respects. However, we caution that actual results, performances or achievements could differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

About Us

Fortifying the Nation's Maritime Backbone

We, at Cochin Shipyard, have contributed to the maritime legacy for over five decades, emerging as one of India's leading shipbuilding and ship repair companies. Backed by our world-class and state-of-the-art infrastructure, our proficient and skilled workforce, we design, build, repair and upgrade a diverse range of vessels for defence, commercial and offshore sectors, at a robust scale, thereby, delivering complex projects that are precision-engineered and reliable.

Over the course of our trajectory, we have successfully delivered notable landmark projects, including India's first Indigenous Aircraft Carrier, Indian Naval Ship (INS) Vikrant, while exporting vessels to clients across Europe, North America and the Middle East. With global alliances and strategic partnerships with leading international maritime and technology companies, our global footprint is further strengthened, positioning us at the forefront of India's maritime sector. Moreover, we have pioneered sustainable solutions through hybrid and electric vessels, reaffirming our commitment to environmental stewardship.

As a Schedule A Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we prioritise extensive research, indigenisation and seamless clean energy transition, thereby, supporting India's long-term maritime ambitions under **Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047.**

1972
Year of Incorporation

5
Dedicated Ship Repair Units

3
Business Verticals

IND AAA/Stable
CARE AAA/Stable
Credit Rating

2
Wholly-owned Subsidiaries

Certifications

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 27001:2022
- ISO 45001:2018
- ISO 50001:2018
- GreenCo Gold

Our Vision

- Emerge as an internationally preferred shipyard to construct world-class Merchant and Naval ships, offshore vessels and structures.
- Be the market leader in India for ship repairs, including conversions and upgradation.
- To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.

Our Mission

- To build and repair ships and offshore structures to international standards and provide value-added quality engineering services.
- Sustain corporate growth in competitive environment.
- To adopt and undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.

Our Objectives

- To sustain and enhance shipbuilding and ship repair activities through technology up-gradation and capacity augmentation.
- To continuously endeavour to expand/diversify activities of the shipyard including setting up new facilities.
- To carry out research and development in existing and emerging technologies in shipbuilding processes.
- To move towards international benchmarking, benchmark with the best shipbuilding standards followed in India.
- To motivate employees through improved specific training programmes.
- To adopt best practices for clean and safe environment.
- Ride the down time with aggressive bidding and secure orders to maximise capacity.
- To ensure positive customer-oriented initiatives.
- To build a responsible corporate citizen image through CSR and sustainability projects and compliance to corporate governance principles.

Key Highlights of FY 2025-26

Financial Highlights

₹5,022 Crs.
Total Turnover

₹5,873 Crs.
Net Worth

₹1,221 Crs.
EBITDA

24%
EBITDA Margin

₹717 Crs.
Profit After Tax

14%
PAT Margin

(Consolidated financials of the Company)

Operational Highlights

10
Vessel orders secured from European region

India's first
Green Tug Programme Commenced

5
Vessels delivered to European region

3
Vessels launched on the same day

MoU with DDW, Dubai
For jointly developing world-class ship repair clusters at Kochi and Vadinar

JV with HBL
For advancing electric mobility and energy storage technologies for the maritime industry

(Reported on a consolidated basis)

Sustainability Highlights

60–70%
Green Energy Target

65%
Surge In Solar Capacity Planned

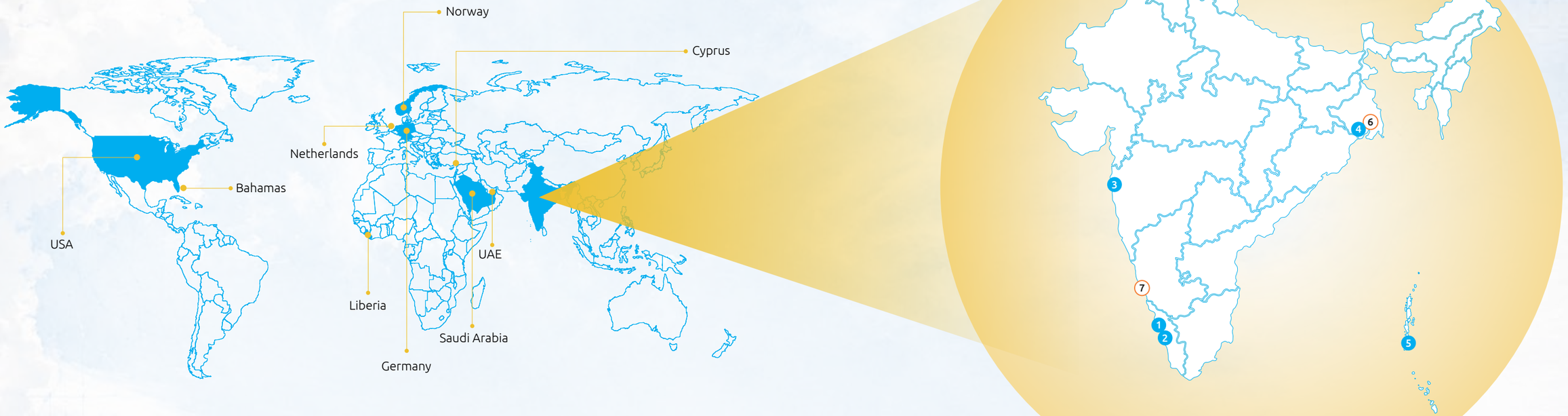
₹15.54 Crs.
CSR Expenditure

5
Microalgae-Based 'Liquid Tree' Units Installed



Our Geographic Footprint

Scaling for New Shores, Driving Impact



Export Countries*

Countries	Vessels Delivered
Saudi Arabia	9
Cyprus	8
Norway	10
Bahamas	6
Germany	5
Netherlands	4
United States of America (USA)	4
Liberia	4
United Arab Emirates (UAE)	2

Map not to scale, for representation purposes only.

Units

1	Kochi, Kerala	CSL Main Shipyard comprising three dry docks, including the new large dry dock inaugurated in January 2024.
2	Cochin Port, Kochi, Kerala	International Ship Repair Facility (ISRF), inaugurated in January 2024 to enhance the Company's ship repair capabilities.
3	Mumbai Port, Mumbai, Maharashtra	CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU), catering to ship repair and maintenance requirements on the western coast.
4	Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, West Bengal	CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU), diversifying ship repair operations in Eastern India.
5	Marine Dockyard, Sri Vijaya Puram, Andaman & Nicobar Islands	CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU), offering repair and maintenance services in the island territories.

Wholly Owned Subsidiaries

6	Howrah, West Bengal	Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), a wholly owned subsidiary engaged in building high-quality inland and coastal vessels.
7	Udupi, Karnataka	Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL), a wholly owned subsidiary specialising in construction of smaller and mid-sized vessels.

Vessels built and delivered*

(Total as on March 31, 2026)

22 Large Vessels

35 Offshore Support Vessels

33 Defence Vessels

129 Small and Medium Vessels

*Reported on a consolidated basis. The data w.r.t Udupi-CSL has been considered from the date of its takeover by CSL.

Key Milestones reached in FY 2025-26

Anchoring Our Accomplishments

2025

April 01
Delivered the 19th vessel out of the total order for 23 nos. of Electric Hybrid 100 Pax Water Metro Boats to Kochi Metro.

April 07
Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, performed the steel cutting of BY 168 and BY 169 – India's first series of tugs under the Green Tug Transition Programme (GTTP), taking a stride towards net zero emissions by 2047.

April 08
Drydocks World (a DP World Company) and CSL signed a Memorandum of Understanding (MoU) to work on the possibility of jointly developing world-class ship repair clusters at Kochi and Vadinar.

April 23
Udupi-CSL, a wholly owned subsidiary of CSL, delivered the first in the series of six 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway.

June 21
Hooghly-CSL, a wholly owned subsidiary of CSL, secured an order for construction of two Luxury River Cruise Vessels from Heritage River Journeys Private Limited.

June 27
CSL received an order for construction of two Tugs of 70 T Bollard Pull Power from Polestar Maritime Limited.

August 21
Delivered the 20th vessel out of the total order for 23 nos. of Electric Hybrid 100 Pax Water Metro Boats to Kochi Metro.

September 15
Udupi-CSL delivered the second in the series of six 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway.

September 17
CSL signed a contract with Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) for dry dock/ major lay-up repairs of one of its Jack-Up Rigs.

September 24
Hooghly-CSL carried out its maiden launching with the 2200 T Multi-Purpose Vessel being built for a domestic client.

October 18
CSL successfully performed launches for three vessels on the same day – the Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft, the Commissioning Service Operation Vessel and the 12,000 Cu.M capacity Trailing Suction Hopper Dredger – a rare feat in the shipbuilding industry.

October 23
CSL delivered 'MAHE', the first in the series of eight Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts, to the Indian Navy.

October 30
CSL won the Maritime Excellence Award for Shipbuilding and Ship Repair, the award for "Best Stall for Creative Visualisation" at India Maritime Week 2025 and the Innovative Human Resources (HR) Practices award from National Institute of Personnel Management (NIPM).

November 11
Udupi-CSL delivered the third in the series of six 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway.

November 20
CSL, Inland Waterways Authority of India (IWAI) and Inland & Coastal Shipping Ltd. (ICSL) signed an agreement for the operation and management of the pilot Hydrogen Vessel FCV-Pilot 1 at Varanasi.

November 24
INS MAHE, the indigenously designed Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft built by CSL, was commissioned into the Indian Navy.

November 28
Jack-Up Rig Sagar Kiran, owned by ONGC, was docked in the New Dry Dock (NDD), marking the first dry docking of a three-legged Jack-Up Rig by CSL and CSL's return to rig refit work after 17 years.

December 05
CSL secured shipbuilding contracts with Svitzer AS, Denmark, for building four fully electric 'TRAnsverse 2600E' 70 Ton Bollard Pull Tugs, with an option for four additional vessels.

December 08
Hooghly-CSL signed a shipbuilding contract with Heritage River Journeys Private Limited for constructing an 80-passenger Luxury River Cruise Vessel.

December 10
Udupi-CSL delivered the first in the series of eleven 70 T Bollard Pull Azimuthing Stern Drive (ASD) Tugs to Ocean Sparkle Limited.

December 11
The first Hydrogen-Powered Vessel built by CSL for Inland Waterways Authority of India (IWAI) was commercially launched in Varanasi.

December 19
Profit share of the CKSRU project for FY 2024–25 was handed over to Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SMPK).

2026

January 12
Delivered the first in the series of eight Multi-Purpose Vessels (MPV), the 7000 DWT HS ECO Freighter Vessel 'MS HEINZ', to HS Service GMBH & Co. KG, Germany.

January 18
Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi launched the 50-passenger Hybrid Electric Aluminium Catamaran in Kolkata, making a major milestone in sustainable inland water transport.

January 29
Polestar Maritime Limited placed an order on CSL for two 60 T Bollard Pull Battery-Electric Green Tugs under the Green Tug Transition Programme (GTTP).

February 04
Udupi-CSL delivered the fourth in the series of six 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway.

February 18
CSL signed a contract with CMA CGM, France for the construction of six LNG-Fuelled Container Vessels, making it the first major international carrier to place an LNG vessel order with an Indian shipyard.

February 21
CSL secured the "Outstanding PSU of the Year" Award at the All India Management Association (AIMA) Leadership Excellence Awards.

February 25
Signed the delivery protocol for the 50-passenger Hybrid Electric Catamaran built for Inland Waterways Authority of India (IWAI).

CSL was recognised with the Kerala State Energy Conservation Award 2025 for its successful accomplishments in energy conservation and management.

March 24
Udupi-CSL successfully delivered the 70 T Bollard Pull Tug 'OCEAN ROYAL' to Ocean Sparkle Limited.

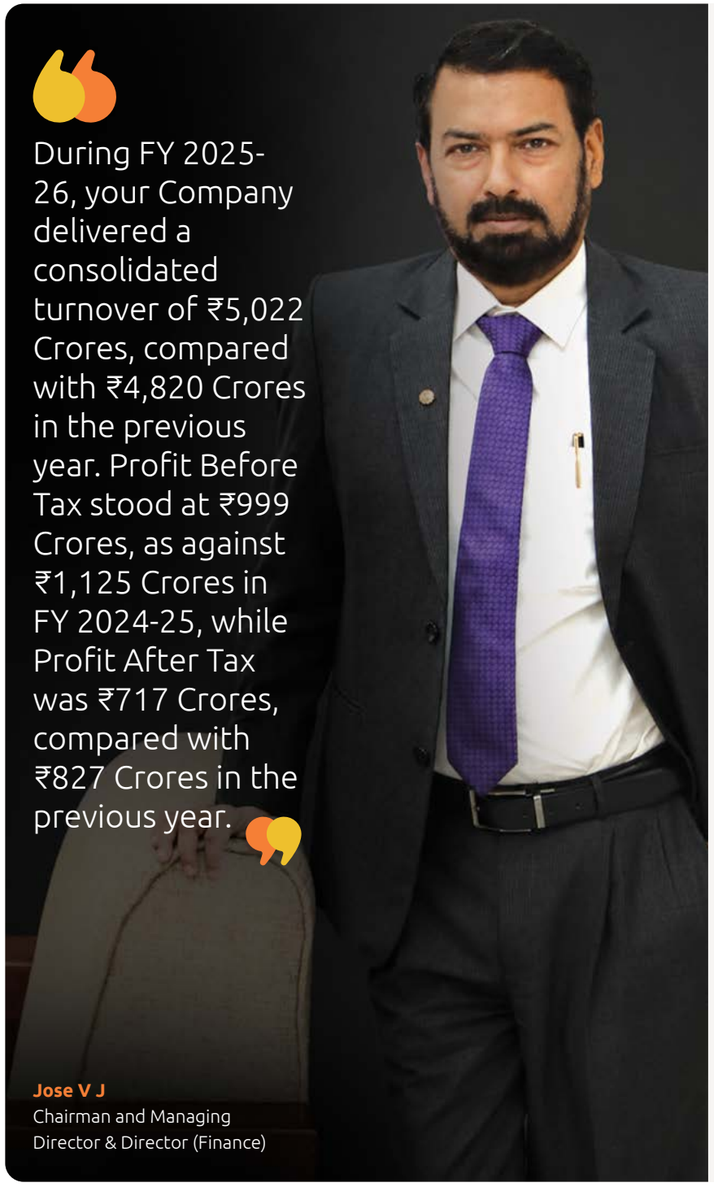
March 25
Cochin Shipyard Limited and HBL Engineering Limited signed a Joint Venture Agreement for the development and commercialisation of electric mobility and energy storage technologies for the maritime sector.

CSL achieved ISO 50001:2018 certification for its Energy Management System (EnMS).

March 31
Signed the Protocol of Delivery and Acceptance of 'MALWAN', the second in the series of eight Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW SWC) constructed for the Indian Navy.

Chairman's Message

A Word from Our Helm



During FY 2025-26, your Company delivered a consolidated turnover of ₹5,022 Crores, compared with ₹4,820 Crores in the previous year. Profit Before Tax stood at ₹999 Crores, as against ₹1,125 Crores in FY 2024-25, while Profit After Tax was ₹717 Crores, compared with ₹827 Crores in the previous year.

Jose V J
Chairman and Managing Director & Director (Finance)

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to share this message with you as your Company completes another important chapter in its five-decade maritime journey. As India moves with determination towards its vision of Viksit Bharat 2047, the maritime sector is entering a transformative phase.

Rising investments in ports, inland waterways and shipbuilding, supported by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways' focus on capacity creation, investment, digitalisation and maritime manufacturing, are reshaping India's maritime landscape and opening up significant opportunities for domestic shipbuilders.

Against this backdrop, FY 2025-26 was a year of measured progress and strategic realignment for Cochin Shipyard. We navigated a leadership transition and an evolving industry environment while staying firmly focused on the priorities that will shape our future. While our revenue and profitability moderated compared with the previous year, we continued to strengthen the foundations for long-term growth by expanding our order book, deepening strategic partnerships and advancing indigenous technology development through our C-SAS vertical.

Financial Performance

During FY 2025-26, your Company delivered a consolidated turnover of ₹5,022 Crores, compared with ₹4,820 Crores in the previous year. Profit Before Tax stood at ₹999 Crores, as against ₹1,125 Crores in FY 2024-25, while Profit After Tax was ₹717 Crores, compared with ₹827 Crores in the previous year. Earnings per share stood at ₹27.24 on a face value of ₹5 per share.

Shipbuilding continued to be our largest business segment, contributing revenue of ₹3,366 Crores, up from ₹2,955 Crores in the previous year. Ship repair contributed ₹1,656 Crores, compared with ₹1,865 Crores in FY 2024-25. While the performance of these segments reflected the changing project mix, your Company maintained a strong financial position. As on March 31, 2026, our net worth stood at ₹5,873 Crores and capital employed at ₹ 7,018 Crores. Return on Equity stood at 13%, while Return on Capital Employed was 16%. Our balance sheet remained well positioned, with a low debt-equity ratio of 0.19x.

Reflecting our continued commitment to shareholder value, the Board of Directors recommended a final dividend of ₹1.50 per equity share on the 26,30,80,780 fully paid equity shares of ₹5 each. During FY 2025-26, the Company had already paid interim dividends of ₹4.00 and ₹3.50 per share, aggregating to ₹7.50 per share. With the proposed final dividend, the total dividend for FY 2025-26 will amount to ₹9.00 per equity share, representing 180% of the face value, and aggregating to ₹237 Crores

Operational Performance

During the year, CSL delivered two Hybrid Electric Catamaran Hull vessels to Kochi Metro Rail Limited (KMRL), two Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW SWC) to the Indian Navy, one Multi-Purpose Vessel (MPV) to HS Service GmbH & Co. KG, Germany, and one Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessel to the Inland Waterways Authority of India (IWAI). The Company also achieved the distinction of launching three vessels on a single day, comprising an ASW SWC for the Indian Navy, a Commissioning Service Operation Vessel for Pelagic Wind Services and a Trailing Suction Hopper Dredger for Dredging Corporation of India. Further, the Company secured orders for two 70 T Bollard Pull Tugs and subsequently received an order for two 60 T Bollard Pull Battery-Electric Green Tugs under the Government's Green Tug Transition Programme from Polestar Maritime Limited. A major milestone during the year was the signing of a contract with CMA CGM for six LNG-fuelled container vessels, marking the first order for LNG-fuelled vessels placed by a global container shipping group with an Indian shipyard. CSL also signed a contract with Svitzer AS, Denmark, for four fully electric 70 T Bollard Pull Tugs, with an option for four additional vessels. In ship repair, CSL undertook the major dry dock repairs of ONGC's jack-up rig ***Sagar Kiran***, marking the return of rig repair activities at the yard after 17 years and the first dry-docking of a three-legged jack-up rig at CSL. The dry dock repairs of *Sagar Kiran* were undertaken at the New Dry Dock, which is uniquely built to facilitate and accommodate such repairs.

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

During FY 2025-26, we continued to expand beyond our traditional shipbuilding and ship repair businesses through our dedicated CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) division. C-SAS made steady progress in developing indigenous capabilities in maritime autonomy and digitalisation. Key initiatives included the integration and trials of India's first fully indigenous High Endurance Autonomous Underwater Vehicle, implementation of a Digital Twin for INS Vikrant, and the development of an indigenous Autonomous Surface Vessel in collaboration with Indian technology partners and start-ups. C-SAS also advanced the development of laser-based automated welding technology and a sensor-aided dry-docking assistant aimed at improving safety and operational efficiency.

C-SAS is also spearheading CSL's 'USHUS' Maritime Start-up Scheme, driving innovation by identifying and supporting promising start-ups in the maritime sector. IIM Kozhikode LIVE and IIT Madras serve as the Review and Recommending Agencies for selection, monitoring, and stakeholder coordination.

A total amount of ₹12.50 Crores have been committed to various start-ups specializing in deep tech, AI, renewable energy, and eco-materials.

Subsidiary Companies

Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL)

Udupi-CSL continued its strong operational performance during FY 2025-26, further strengthening its position within the CSL Group's shipbuilding portfolio. During the year, Udupi-CSL delivered four 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway, and two 70 T Bollard Pull Tugs to Ocean Sparkle Limited. With an unexecuted order book of over ₹2,000 Crores as on March 31, 2026, Udupi-CSL has a strong base for continued growth. This operational progress was reflected in its financial performance. Udupi-CSL reported a total income of ₹630 Crores, compared with ₹279 Crores in the previous year, while revenue from operations increased to ₹618 Crores from ₹266 Crores. Profit for the year rose significantly to ₹93 Crores, compared with ₹3 Crores in FY 2024-25.

Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL)

Hooghly-CSL continued to make progress in developing its capabilities during FY 2025-26. With an unexecuted order book of around ₹200 Crores as on March 31, 2026, Hooghly-CSL is continuing to build its project pipeline and execution capabilities. The subsidiary reported a total income of ₹129 Crores during the year, compared with ₹62 Crores in the previous year, while the loss for the year stood at ₹20 Crores, compared with ₹17 Crores in FY 2024-25. The performance of Hooghly-CSL continues to be an area of focus, and we expect its operations to strengthen progressively as it builds experience and improves its execution capabilities.

Corporate Governance

The Company remains committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency. CSL complies with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) and the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises (DPE Guidelines), except in relation to the appointment of the requisite number of Independent Directors and the related non-compliances arising therefrom.

As on March 31, 2026, the Board of CSL had only one Independent Director against the requirement of six. As a CPSE, the appointment of Directors on the Board of CSL rests with the Government of India. The vacancies were duly brought to the attention of the Government and the matter was regularly followed up to facilitate early appointments. In May 2025, the Government appointed Dr. Seema Suri as an Independent Director. Subsequently, Dr. Vani Ahluwalia was appointed as an Independent Director in August 2026. With these appointments, the Company has been able to constitute all the statutory committees required under the Companies Act, 2013, the SEBI LODR Regulations and the DPE Guidelines. The Company continues to engage with the Government of India for the appointment of the remaining four Independent Directors, which will enable the Board composition to be brought into full compliance with the applicable regulations.

Udupi-CSL continued its strong operational performance during FY 2025-26, further strengthening its position within the CSL Group's shipbuilding portfolio. During the year, Udupi-CSL delivered four 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway, and two 70 T Bollard Pull Tugs to Ocean Sparkle Limited. With an unexecuted order book of over ₹2,000 Crores as on March 31, 2026, Udupi-CSL has a strong base for continued growth.

Human Resource

At CSL, we believe that our people are at the heart of everything we achieve. Their knowledge, dedication and commitment have been central to the Company's progress, and as we expand our capabilities and pursue new opportunities, we remain focused on building a skilled, adaptable and future-ready workforce.

As on March 31, 2026, the Company had a workforce of 4,013 employees, comprising 529 executives, 269 supervisors, 1,333 workmen and 1,882 contract personnel, supported by 1,301 trainees. During the year, we recruited 1,477 personnel across various categories to meet our growing operational requirements.

Learning and development continued to receive considerable attention. During the year, over 300 training programmes were conducted, covering around 8,700 man-days. Through our "Igniting Minds" initiative, in collaboration with premier institutions such as IIM Bangalore, IIM Lucknow, MDI Gurgaon and IIM Ahmedabad, employees were provided opportunities to strengthen their leadership and management capabilities. Further, a batch of 40 employees, including women, also underwent specialised professional training in Japan under the AOTS programme, providing valuable international exposure and enhancing their technical expertise.

We also continued to strengthen our employee-focused policies and welfare measures. During the year, CSL continued provisions for Child Care Leave and Critical Illness Leave, reflecting our commitment to a supportive and inclusive workplace. Our employee welfare initiatives, including the Employees Medical Assistance Scheme, Employees Pension Scheme, Shipyard Parivar Prathibha Puraskar Scheme, Cochin Shipyard Employees Parivar Parirakshan Yojana (SEPPY), Employees Educational Assistance Scheme etc. continued to support our employees and their families. As we look ahead, we remain committed to creating a workplace where our people can learn, grow and contribute meaningfully to the Company's continued success.

Industrial Relations

CSL continued to maintain a positive and harmonious industrial relations environment during FY 2025-26, with no loss of man-hours due to labour unrest attributable to the Company. This reflects the commitment and cooperation of our employees across all levels, including executives, non-unionised supervisors and workmen. The constructive relationship between the management, trade unions, employee associations and other stakeholders has been a key strength of CSL. At the heart of these relationships is our shared commitment to the interests and long-term success of CSL.

Our commitment to our people extends beyond their years of service with the Company. CSL continues to support its retired employees through various welfare measures, including cashless medical benefits for more than 2,000 retired employees and their eligible dependents, as well as the provision of medicines to around 850 retirees. Financial assistance is also extended through initiatives such as Shipyard Aswasa Kiranam and Shipyard Santhwana Sparsham. In recognition of the valuable contribution of employees who retired before 2007, CSL has also introduced the Sayam Prabha scheme, under which retired employees are presented with a cash gift on attaining 75 years of age and every five years thereafter. These initiatives reflect our belief that the relationship between CSL and its people continues well beyond their years of active service.

Alongside our efforts to build greener vessels, we are also taking steps to transition our own operations towards cleaner sources of energy.

Sustainability

At CSL, we recognise that sustainable growth must go hand in hand with responsible operations. As the maritime industry evolves, we are focused on reducing the environmental footprint of our operations while improving energy efficiency and adopting cleaner technologies. Alongside our efforts to build greener vessels, we are also taking steps to transition our own operations towards cleaner sources of energy.

As part of this transition, CSL is implementing a Battery Energy Storage System (BESS) in a phased manner. The system will be charged using renewable power procured through the Green Day Ahead Market (GDAM), supplemented

by surplus power generated from our solar installations. The stored energy will be utilised during peak tariff periods, helping us improve energy efficiency and optimise the use of renewable power. The first phase of the BESS is targeted for completion by December 2027. Once commissioned, the project is expected to enable CSL to meet approximately 60–70% of its energy requirements through green energy sources.

In addition, CSL has implemented several ESG initiatives and continue to explore practical and scalable solutions in renewable energy, cleaner technologies and eco-efficient infrastructure as we work towards making our operations more sustainable and future-ready. Notably, CSL has implemented the ISO 50001:2018 Energy Management System (EnMS) Standard to systematically manage and improve energy efficiency across its operations.

Safety

Safety remains a core organisational priority at CSL, reflected in our structured systems, continuous training and commitment to highest standards. The Company maintains an Integrated Management System (IMS) in line with ISO 9001:2015 Quality Management, ISO 14001:2015 Environmental Management and ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management, ensuring compliance with best-in-class HSE practices. In March 2025, CSL further strengthened its framework by obtaining ISO 27001:2022 certification for establishing and maintaining an Information Security Management System (ISMS).

To strengthen safety awareness and capacity-building, CSL operates a dedicated HSE Competency Development Centre that offers structured training to our workforce. More than 15,000 manhours of safety training have been imparted during the year. The Company continued to invest in various HSE initiatives across all operational areas during FY 2025–26. CSL also conducts regular safety audits, inspections and risk assessments as part of its commitment to proactively identifying and mitigating potential hazards at all levels.

Corporate Social Responsibility

CSL remains committed to its role as a responsible corporate citizen, aligning its Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives with national priorities. A structured CSR framework is in place, supported by a dedicated CSR Cell that ensures proper planning, execution, and monitoring of projects approved by the Board. Over the years, CSL has implemented more than 1,000 projects across India, with a cumulative CSR spent of over ₹150 Crores, focusing on healthcare, education, skilling, environmental sustainability, and community development. During the financial year, the Company spent ₹15.54 Crores against the mandated budget of ₹13.89 Crores, implementing 113 CSR projects with Health & Nutrition and PM Internship Scheme as the central theme. CSR projects were undertaken not only in Kerala but also in other parts of the country, including the north-eastern states.

> During the financial year, the Company spent ₹15.54 Crores against the mandated budget of ₹13.89 Crores, implementing 113 CSR projects with Health & Nutrition and PM Internship Scheme as the central theme. CSR projects were undertaken not only in Kerala but also in other parts of the country, including the north-eastern states.

Looking Ahead

As we look ahead, our focus is on building on the capabilities created over the past few years and preparing CSL for the next phase of growth. With a current order book of over ₹22,000 Crores, we have a strong foundation for sustained business activity in the years ahead. We have also undertaken a comprehensive review of our CRUISE 2030 strategy in the context of our expanded infrastructure, changing global maritime trends and the national objectives under Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047. This has led to the launch of CRUISE 2030[2.0], which sets out a clear roadmap for the next phase of growth. A T Kearney India has been onboarded to support CSL in translating this roadmap into actionable initiatives, with a focus on revenue growth, operational excellence, technology, strategic partnerships and capability development.

> We are also progressing with the development of a second ship repair cluster at Vadinar, Gujarat, in partnership with Deendayal Port Authority, with a total investment of ₹1,570 Crores, which includes CSL's investment of approximately ₹920 Crores.

A key priority under this roadmap is to expand our large shipbuilding capabilities. CSL plans to develop a modern Block Fabrication Facility at Vallarpadam on around 80 acres of long-leased land and the process of allotment of land is progressing. The facility will support the construction of large commercial vessels and enable better utilisation of our New Dry Dock. We will also continue to explore strategic partnerships to bring global expertise, technology and market access to CSL.

Ship repair will remain another important area of growth. Following the development of the International Ship Repair Facility (ISRF) at Kochi, we are planning a Phase II expansion with ten additional workstations and associated infrastructure. We are also progressing with the development of a second ship repair cluster at Vadinar, Gujarat, in partnership with Deendayal Port Authority, with a total investment of ₹1,570 Crores, which includes CSL's investment of approximately ₹920 Crores. The project, which will include two large floating docks, received CCEA approval on May 05, 2026. Together, the Kochi and Vadinar facilities will strengthen our ship repair capabilities and access to international customers. Our MoU with Drydocks World, Dubai, a DP World company, will further support the exploration of opportunities to bring international expertise and capabilities to these initiatives.

We are also looking beyond our traditional businesses to build capabilities in emerging maritime technologies. A Joint Venture Company has been formed with HBL Engineering Limited to develop electric mobility technologies and energy storage solutions for the maritime sector. In addition, we are progressing with the proposed acquisition of a 23% stake in Conoship International Holding B.V., Netherlands, which will provide CSL with access to international ship design capabilities and help us participate more effectively in the growing market for energy-efficient and low-emission vessels.

Closing Remarks

In closing, I extend my sincere gratitude to the entire CSL Group team for their dedication, professionalism and commitment to excellence across all areas of our operations. I would also like to thank our valued customers, business partners and investors for their trust and continued association with the Company.

I sincerely appreciate the cooperation and encouragement extended by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Defence, various Government of India departments, and the State Governments of Kerala, West Bengal, Maharashtra and Karnataka, as well as the Andaman and Nicobar Administration, who have been instrumental in realising our aspirations.

I would also like to place on record my sincere appreciation for the contributions of Shri Madhu Sankunny Nair, former CMD of CSL, who spearheaded the Company for more than a decade and provided visionary leadership during a significant phase of its growth and transformation. His contributions have laid a strong foundation for the Company's continued progress.

As we look ahead, CSL remains committed to advancing India's maritime capabilities by fostering innovation, promoting sustainable practices and pursuing excellence across its operations. With a strong order book, state-of-the-art infrastructure and a highly skilled workforce, the Company is well positioned to capitalise on emerging opportunities, address evolving challenges and create enduring value for its stakeholders, while continuing to contribute to India's economic and maritime development.

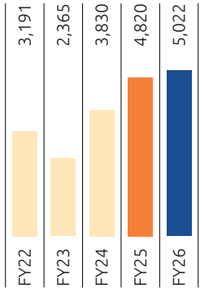
Thank you, Jai Hind.

Jose V J
Chairman and Managing Director
& Director (Finance)

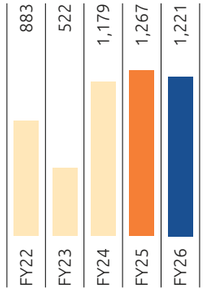
Our Performance at a Glance

Propelling Momentum, Sailing for Success

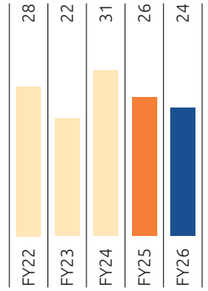
Turnover
(₹ in Crores)



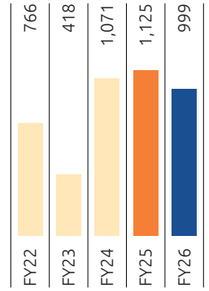
EBITDA
(₹ in Crores)



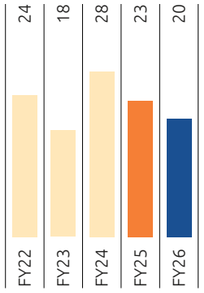
EBITDA Margin
(in %)



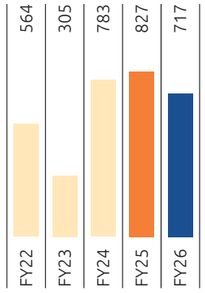
PBT
(₹ in Crores)



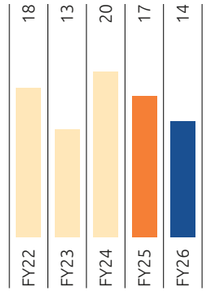
PBT Margin
(in %)



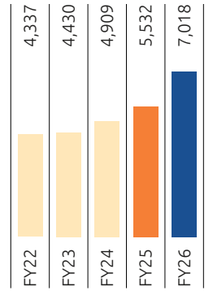
PAT
(₹ in Crores)



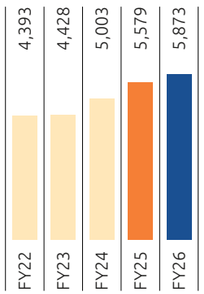
PAT Margin
(in %)



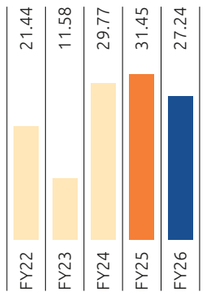
Capital Employed
(₹ in Crores)



Net Worth
(₹ in Crores)



Earnings per Share
(₹)



Note: EPS figures presented above is based on the new face value of shares consequent to the stock split in January 2024. Previous years' figures have been adjusted for ease of comparability.

The above figures are reported on a consolidated basis.

10-year Performance Review (Consolidated)

Key Indicators	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
EPS (₹ per share)	27.24	31.45	29.77	23.16	42.87	46.27	48.05	35.47	31.00	28.44
Face Value per Share (₹)	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10
EBITDA / Gross Turnover (%)	24.31	26.28	30.77	22.09	27.66	32.61	27.80	26.87	27.73	26.38
Net Profit Margin (%)	14.28	17.16	20.45	12.89	17.67	21.59	18.47	16.13	16.83	15.65
Return on Net Worth (%)	12.21	14.83	15.66	6.88	12.84	15.09	16.98	14.35	12.17	15.86
Return on Capital Employed (%)	15.55	21.04	22.49	10.24	18.75	21.63	24.16	22.93	18.82	24.47

(₹ in Crores unless otherwise stated)

Key Indicators	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
Turnover	5,021.87	4,819.96	3,830.45	2,364.55	3,190.95	2,818.90	3,422.49	2,962.16	2,355.12	2,058.87
Total income	5,431.69	5,209.02	4,140.64	2,571.57	3,453.76	3,009.72	3,667.58	3,188.97	2,544.35	2,222.45
Profit Before Tax (PBT)	999.03	1,125.17	1,070.94	418.44	765.94	808.13	857.72	747.52	604.24	494.00
Depreciation & write offs	129.79	103.18	74.58	68.84	69.66	59.83	48.94	34.20	37.51	38.51
Profit After Tax (PAT)	716.74	827.33	783.28	304.71	563.96	608.66	632.01	477.79	396.26	322.15
Equity Share Capital	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28
Reserves & Surplus	5,741.22	5,447.72	4,871.80	4,296.11	4,261.64	3,901.91	3,591.34	3,197.10	3,119.54	1,917.83
Net Worth	5,872.76	5,579.26	5,003.34	4,427.65	4,393.18	4,033.45	3,722.88	3,328.64	3,255.47	2,031.11
Gross Fixed Assets	3,803.93	3,572.91	1,396.21	1,319.25	1,197.61	1,035.31	857.96	426.93	369.79	599.97
Net Fixed Assets	3,156.44	3,034.10	949.45	943.30	905.44	803.98	700.48	313.24	284.47	302.85
Number of Employees of CSL (permanent)	2,131	2,140	2,133	1,883	1,756	1,727	1,710	1,744	1,781	1,829

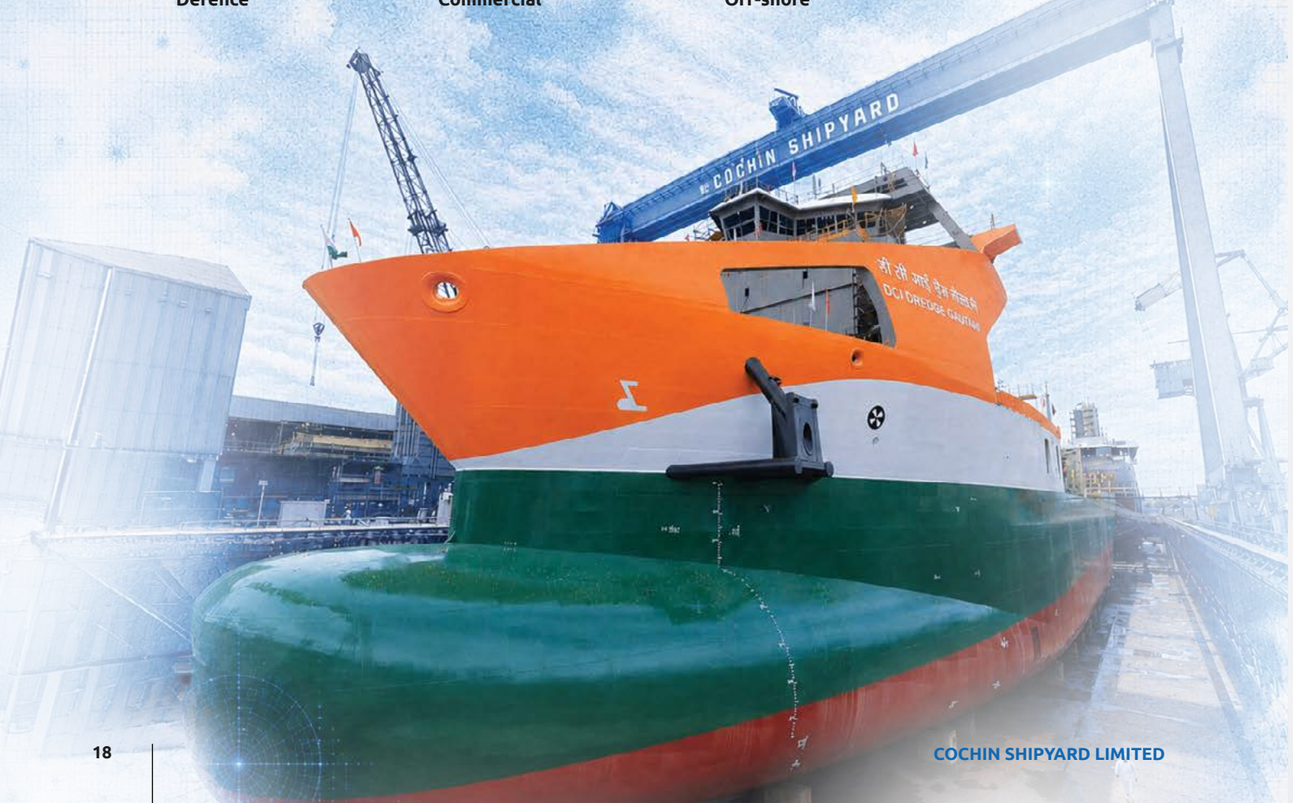
Key Indicators – MoU with the Government of India

Key Indicators (Consolidated)	2025-26
Value of Production (₹ in Crores)	4,997.39
Capital Expenditure (₹ in Crores)	318.07
Export/Income from Overseas (₹ in Crores)	1,565.23
Reduction in imports consumption (as percentage of Revenue from Operations, over previous year) (%)	-17.06
EBITDA (as a percentage of Total Income) (%)	22.48
Return on Net Worth (%)	12.49
Asset Turnover Ratio (%)	38.90
Trade Receivables (as number of days of Revenue from Operations)	30.76
Expenditure on R&D (including Innovation Initiatives, as percentage of previous 3 years average PBT) (%)	2.80

Our Portfolio

A Fleet of Diverse Offerings





Ship Building

₹3,366 Crs.

Turnover (Consolidated)

Defence

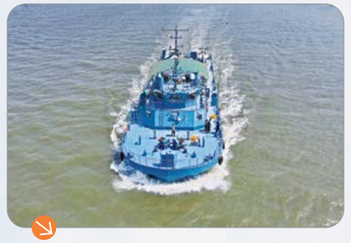
Our defence shipbuilding portfolio fortifies India's maritime security requirements through the construction of technologically advanced naval platforms. Our portfolio encompasses specialised vessels designed for surveillance, coastal protection, combat support and other strategic defence applications.


Aircraft Carriers


Next Generation Missile Vessels


Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts


Technology Demonstration Vessel


Floating Border Out-Post Vessels



Fast Patrol Vessels


Hydrographic Survey Vessels


Offshore Patrol Vessels


Pollution Control Vessels

Commercial

Our commercial shipbuilding business caters to both domestic and international customers through a comprehensive and diversified range of vessels improving passenger transportation, cargo movement, dredging, inland waterways and other specialised marine applications. Additionally, the portfolio progressively evolves in alignment with the dynamic industry requirements and emerging opportunities in the market.


Oil Tankers

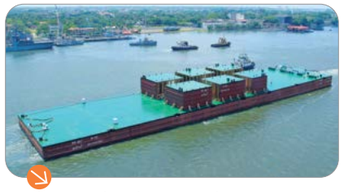

Bulk Carriers


Dredgers


Pax Vessels


Tugs


Special Purpose Vessels


Deck Cargo/ Jacket Launch Barges


Electric Autonomous Vessels


Electric Passenger Ferries


Ro-Pax Vessels


Specialised Fishing Vessels


Marine Ambulance


Commissioning Service Operation Vessels


Hybrid Service Operation Vessels


Zero Emission Feeder Container Vessels

Off-shore

Our offshore portfolio curate solutions that cater to all demands spanning offshore exploration, marine logistics and renewable energy support through purpose-built vessels engineered for demanding operating environments. These solutions complement our diversified shipbuilding capabilities across a multitude of maritime industries.


Platform Supply Vessels


Anchor Handling/ Tug Supply Vessels

Ship Repair

Ship repair constitutes an integral component of our maritime offerings, providing maintenance, refit, conversion and lifecycle support services for a wide spectrum of vessel categories. Backed by specialised facilities and technical proficiency, it enables us to deliver advanced and comprehensive solutions beyond vessel construction that simultaneously strengthens their long-term customer relationships.

₹1,656 Crs.
Turnover (Consolidated)

2,750+
Ship Repair Projects


Maintenance and Repairs of Aircraft Carriers and other Defense Vessels.


Oil Rig Upgrades, Repair Projects, and Conversions


Repairs and Maintenance of Tankers, Bulk Carriers, all kinds of Commercial and Specialised Vessels

Marine Engineering Training

Our Marine Engineering Training Institute (METI) contributes to the upskilling of maritime professionals through structured marine engineering education and customised technical training programmes. The Institute bolsters operational optimisation by supporting the sector requirement for a technically competent workforce.

10
Training Programmes

160
Marine Engineers Trained Annually

~1,400
Participants underwent specialised training



Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) prioritises technology-driven and knowledge-intensive initiatives that complement our maritime businesses at core. The vertical equips us to explore emerging opportunities, thereby, heightening innovation capabilities and expanding our geographical footprints spanning specialised areas of the maritime sector.

6
Strategic Solution Areas



High-Endurance Autonomous Underwater Vehicle (HEAUV) jointly developed by C-SAS, CSL and NSTL, DRDO.



Our Operational Excellence

Charting on Steady Waters, Harnessing Excellence

Our integrated operational infrastructure constitutes the fundamental pillar of our execution capabilities across the entire shipbuilding, ship repair, and marine engineering value chain. Strategically located facilities across India, specialised assets and continuous infrastructure augmentation permit us to undertake technologically advanced maritime projects while delivering operational flexibility across defence, commercial and offshore segments.

Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi, Kerala

Cochin Shipyard Limited relies on its site in Kochi that serves as the principal operational hub, supporting both shipbuilding and ship repair through an integrated ecosystem and specialised engineering capabilities. The facility has delivered several landmark projects over the years and plays a pivotal role in strengthening India's maritime backbone as it offers specialised services both domestically and internationally. The commissioning of the New Dry Dock stands as a transformational addition to our infrastructure platform. Designed to accommodate larger and more sophisticated vessel programmes, the facility significantly enhances our shipbuilding capabilities while strengthening our readiness to execute next-generation defence and commercial projects.

Infrastructure	Specification
Dry Dock 1	255 x 43 x 9 Mtr
Dry Dock 2	270 x 45 x 12 Mtr
Dry Dock 3 (New)	310 x 75/60 x 13 Mtr
Berthing Length	1.3 km

3
Integrated Dry Docks



International Ship Repair Facility (ISRF), Kochi, Kerala

The International Ship Repair Facility (ISRF) strategically enhances our repair and maintenance capabilities for small and medium sized vessels up to 130 metres in length. The facility supports improved operational flexibility, enhanced turnaround capabilities, and the ability to cater to a diverse range of customer requirements. ISRF remains a key element of our long-term growth strategy, strengthening our position in the global ship repair market. Around 35 refits were undertaken at ISRF during the financial year, generating a revenue of ₹207 Crores.

Infrastructure	Specification
Ship Lift	6,000 T (130 x 25 Mtr)
Workstations	6
Dedicated Shops and Maritime Park	Available
Berthing Length	1.4 km



Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU), Mumbai Port, Mumbai

Located within Mumbai Port, CMSRU has strengthened the Company's presence in Western India since commencing operations in January 2019. The unit provides tailored repair and maintenance solutions for commercial and defence vessels. The ideally situated plant emerges as instrumental in carrying out efficient project execution while enhancing accessibility for customers operating along India's Western coastline. During the financial year, CMSRU successfully executed dry dock and afloat repairs of 12 vessels, achieving a turnover of ₹209 Crores.

Infrastructure	Specification
Dry Dock	300 x 30 x 9 Mtr
Berthing Length	1 km (for afloat repairs)



Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU), Kolkata, West Bengal

Located strategically at Syama Prasad Mookerjee Port, the Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU), which commenced operations in October 2019, supports the repair requirements of commercial and defence vessels operating along India's Eastern seaboard, thereby, reinforcing swifter service delivery that bolsters our nationwide ship repair network. During the financial year, CKSRU reported a total revenue of ₹100 Crores through the successful execution of nine refit projects.



Infrastructure	Specification
Dry Dock	172 x 23 x 8 Mtr (2 Nos.)

Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU), Sri Vijaya Puram, Andaman & Nicobar Islands

Commencing operations in November 2021, CANSRU, positioned at the Marine Dockyard in Sri Vijaya Puram, extends our vessel servicing proficiencies to the Andaman & Nicobar Islands. The facility plays a pivotal role in strengthening the regional ship repair ecosystem by delivering modern, efficient, and reliable repair solutions tailored to the evolving needs of the maritime sector. CANSRU achieved a turnover of ₹228 Crores during the financial year.

Infrastructure	Specification
Dry Dock 1	88 x 20 x 7 Mtr
Dry Dock 2	68 x 16 x 5 Mtr
Slipways	25 x 8 Mtr (5 Nos.)



Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), Howrah, West Bengal

Hooghly-CSL, established on 15.76 acres along the banks of the river Hooghly at a cost of ₹175 Crores, strengthens our presence in Eastern India through specialised shipbuilding capabilities for inland and coastal vessels. Hooghly-CSL complements our diversified operational network, concurrently supporting regional shipbuilding requirements through tailored infrastructure. Hooghly-CSL has reported a total income of ₹129 Crores during the financial year and has an order book of approximately ₹200 Crores.



Infrastructure	Specification
Slipway	136 x 40 Mtr
Outfitting Jetties	3

Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL), Udupi, Karnataka

Udupi-CSL supports the construction of small and medium-sized vessels for domestic and international customers. As a wholly owned subsidiary, the establishment augments our production capacity while strengthening our execution capabilities across specialised vessel categories. Udupi-CSL reported a total income of ₹630 Crores during the financial year and maintains a robust order book exceeding ₹2,000 Crores, reflecting its strong market position and growth potential.



Infrastructure	Specification
Slipway	96 x 22 Mtr

Infra Project Highlights

Engineering the Next Wave of Innovation

Our steady and gradual investments in cutting-edge infrastructure are strengthening our operational efficiency across shipbuilding and ship repair while creating a future-ready platform for enduring growth. The commissioning of the New Large Dry Dock and the International Ship Repair Facility (ISRF) has significantly expanded our capabilities in complex maritime programmes with greater operational flexibility. Complementing these assets are strategic partnerships and technology-led initiatives that bolster our engineering proficiency, thereby, extending our presence across emerging maritime segments and reaffirming our competitive edge in domestic and global markets.

₹2,769 Crs.
Combined Infrastructure Investment

2
Global Strategic Partnerships

4
Future-ready Technology Platforms

3
Vessels Launched in a Single Day



Building World-Class Maritime Infrastructure

New Large Dry Dock

Constructed with an investment of **₹1,799 Crores**, the New Large Dry Dock is deemed as among India's most advanced maritime infrastructure assets. Designed with a **100-year life**, the facility is capable of accommodating aircraft carriers of up to **70,000 tonnes displacement**, Capesize and Suezmax vessels, LNG carriers and jack-up rigs, substantially enhancing our ability to execute complex defense and commercial programmes. During FY26, the facility successfully dry docked **ONGC's Jack-Up Rig Sagar Kiran**, marking CSL's first-ever dry docking of a three-legged jack-up rig and our return to rig refit operations after 17 years.

₹1,799 Crs.
Investment

310 Metres
Dock Length

600 T
Heavy-duty Crane





International Ship Repair Facility (ISRF)

Developed on land leased from the Cochin Port Authority at an investment of **₹970 Crores,** the International Ship Repair Facility (ISRF) comprises a state-of-the-art ship lift and transfer system capable of handling vessels up to **130 metres in length** and **25 metres in width** with an annual throughput of up to 82 ships. With six workstations enabling simultaneous repair operations, the facility enhances our repair competencies, operational excellence and ability to serve niche vessel segment, thereby, positioning us as a preferred ship repair destination at the global front.

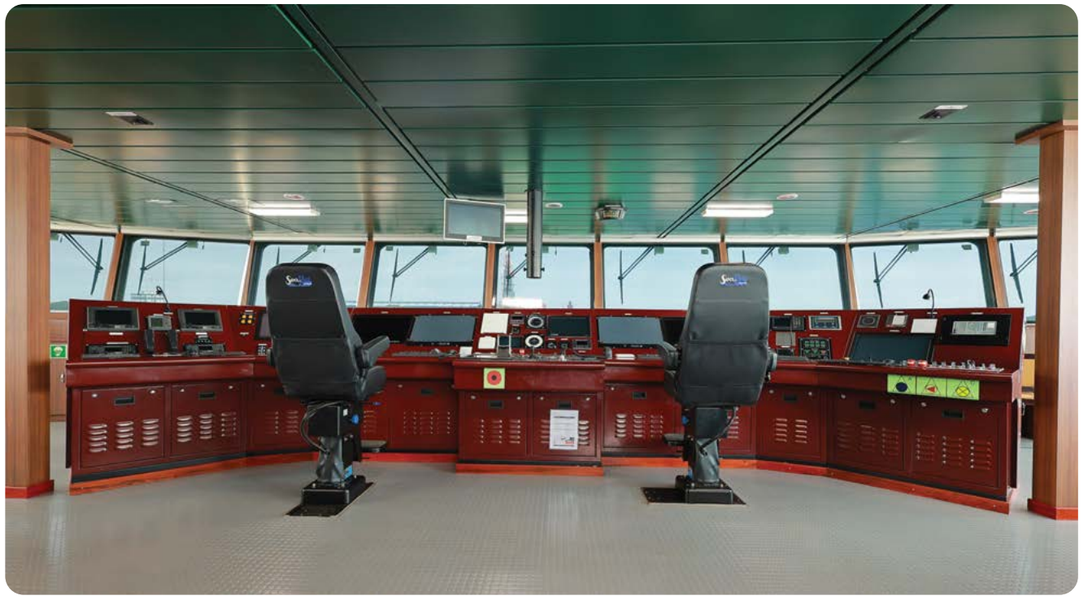
Strengthening through International Strategic Partnerships

Our infrastructure investments are complemented by international collaborations that are accelerating technology adoption, productivity enhancement and performance improvement.

Partner	Strategic Focus
Drydocks World, UAE	Development of world-class ship repair clusters at Kochi and Vadinar, alongside the exchange of technical expertise and global best practices.
Conoship International Holding B.V., Netherlands	To enhance access to advanced design solutions and expand presence in European coastal and short sea shipping markets.

Advancing Maritime Technologies

Our strategic initiatives are expanding capabilities across sustainable and next-generation maritime technologies. During FY26, we forayed into a Joint Venture with **HBL Engineering Limited** to engineer electric mobility and energy storage technologies for the maritime industry. We further advanced our leadership in green shipping with the construction and operation of **India's first hydrogen-powered vessel, FCV-Pilot 1**, while securing orders from Svitzer AS, Denmark to construct four 26-metre **fully electric 'TRAnsverse'** ("TRAnsverse 2600E") 70 Ton Bollard Pull Tugs and from Polestar Maritime Limited for building two 60 T Bollard Pull **Battery-Electric Green Tugs**. These initiatives reinforce CSL's commitment towards enabling sustainable maritime solutions and strengthening its position in the evolving global green shipping landscape. CSL also achieved a significant milestone by securing an order from **CMA CGM, France** to construct six LNG-fuelled container vessels—the first order to ever get awarded by a leading international shipping line to an Indian shipyard, marking a major step forward in India's shipbuilding capabilities and CSL's participation in the global transition towards cleaner fuels.

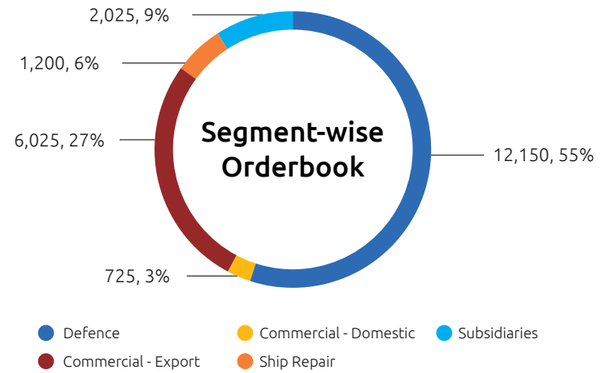




Delivering Execution Excellence

Combining our infrastructure investments, strategic collaborations and technology initiatives we continue to strengthen our execution capabilities across emerging and sophisticated maritime programmes. During the year, we successfully launched **three vessels on a single day** in key categories of defence, offshore wind and dredging segments, thereby, underscoring our ability to simultaneously execute multiple complex projects. These milestones support India's evolving maritime ambitions, positioning us at the global frontier.

Order Book Position (As on March 31, 2026)



Project Category	No. of Vessels	Order Value (₹ in Crs.)*
Cochin Shipyard Limited		
Shipbuilding		
• Defence	12	12,150
• Commercial – Domestic	16	725
• Commercial – Export	23	6,025
Total	**51**	**18,900**
Ship Repair		1,200
Total	**51**	**20,100**
Subsidiaries		
• Hooghly-CSL	7	200
• Udupi-CSL	20	1,825
Grand Total	**78**	**22,125**

*The order value given in the above table is the balance amount of orders (rounded off to the nearest 25 Crs.) to be recognised as on March 31, 2026. Further, the value of work awarded by CSL to subsidiaries has been excluded from their order values to avoid overlap in reporting.

USHUS

Advancing Maritime Horizons, from Sea to Shore

USHUS, having a total corpus of ₹50 Crores, is our dedicated maritime start-up engagement programme designed to foster innovation and promote technology-led solutions for the maritime sector. By connecting start-ups with industry expertise, infrastructure and collaborative opportunities, the programme supports the development of emerging technologies that can contribute to the future of maritime operations.

The programme prioritises advancing early-stage naval innovations by enabling start-ups with access to industry knowledge, mentoring opportunities and an integrated ecosystem for technology upgradation. Through structured engagement, USHUS strengthens innovation that aligns with the future demand of the maritime sector.

Funding Schemes

Seed Fund Scheme

- Upto ₹50 Lakhs per start-up.
- To create a minimum viable product/ service (MVP) based on innovative solutions/ processes/ products/ services/ business models in shipping and maritime sector.

Pilot Grant Scheme

- Upto ₹100 Lakhs per start-up.
- For the commercialisation of proprietary technology.
- Includes Proof-of-Concept (POC) and Proof-of-Value (POV)

Equity Investment

- Investing into the equity of the start-up company up to 9% of its capital.

The Ecosystem

The strength of USHUS lies in its collaborative ecosystem that integrates start-ups with knowledge, technology and industry expertise. By fostering interaction among multiple stakeholders, the programme builds an environment where innovative ideas can be realised into practical maritime solutions.

Start-up Portfolio

The start-ups associated with USHUS represent diverse departments of innovation covering the maritime value chain. Each venture contributes specialised technologies and solutions that advance maritime operations through innovation-driven and future-led applications.

24
Startups Funded

₹12.50 Crs.
Funds committed

IIMK LIVE & IIT Madras
Review and Recommending Agencies

Our People

Empowering Our Strategic Minds, Navigating Currents of Growth

Our people are at the crux of our resilient momentum, driving our extensive operations, while sustaining long-term growth. We strive to build an inclusive, performance-oriented and future-ready workplace that invests in talent, strengthening proficiencies and a collaborative culture, that advocates for lifelong learning and welfare. Through formalised personnel protocols across the employee lifecycle, we stay on track to meaningfully fulfil our organisational objectives.

Human Resource (HR) Vision

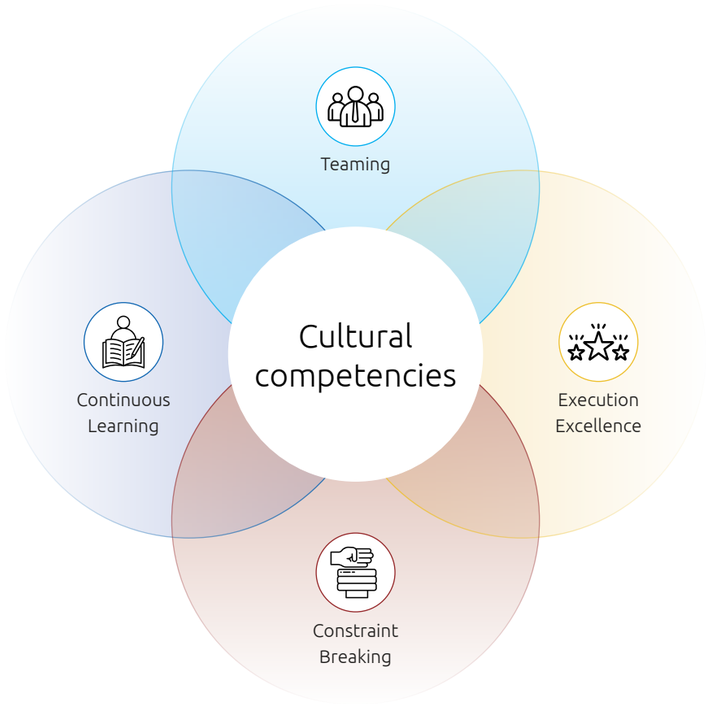
Emanating from the goals and objectives enshrined in the corporate mission statement, the strategic HR vision of CSL is to strive and create a unique institution that integrates creativity, innovation, technology, business and good corporate governance practices for all round improvement in the quality of work life of the Yard's workforce.

HR Mission

To provide a vibrant platform for all those working in the Yard to give their best and ensure all round growth both for the individual and organisation.

HR Policy

HR policies are oriented towards providing the right mix of human resources, their empowerment and enrichment so as to meet organisational targets and results.



4,000+
Total Workforce

1,300+
Trainees engaged

Talent Acquisition

A future-ready organisation is built upon the right talent. Our talent acquisition approach focuses on assessing professionals with the technical expertise, leadership potential and values required to support the Company's long-term growth. Through targeted recruitment drives and specialised workforce planning, we continue to bolster our talent pipeline while ensuring that the right capabilities are available at the right time to support evolving business requirements.

Subsequently, we emphasise on fostering a balanced workforce by aligning recruitment with organisational priorities and succession requirements. This structured approach strengthens operational continuity while sustaining workforce development organisation-wide.



~1,500
Personnel recruited

Employee Training and Development

Continuous learning remains central to our people enrichment strategy. We provide employees with structured technical, functional, behavioural and leadership enhancement programmes that augment professional capacity while preparing them for industry-specific demands. Our learning initiatives are designed to strengthen technical competence, encourage knowledge sharing and support long-term career progression.

By investing in capability development across all key stages of the organisation, we continue to build a workforce that is adaptable, future-ready and adequately equipped to be responsive to emerging opportunities within the maritime industry. This learning culture enables employees to continuously upskill while contributing to operational excellence.

300+
Training Programmes Conducted

~8,700
Training man-days



Nurturing Women's Potential

CSL remains committed to fostering an inclusive workplace that empowers women through equal opportunities, supportive policies and a safe work environment. Women employees have been included in overseas skill development programmes in Japan to encourage greater participation in technical learning and global exposure. The Company strengthened its employee-friendly initiatives by extending Child Care Leave benefits to eligible women employees, including those with dependent disabled children, while ensuring full compliance with the Maternity Benefit Act, 1961. CSL also continued to uphold a zero-tolerance approach towards workplace harassment through strict compliance with the POSH Act, regular sensitisation programmes and dedicated Internal Complaints Committees led by senior women executives. A dedicated Woman Welfare Officer drives initiatives for women's empowerment and welfare, reinforcing the Company's commitment to an equitable and inclusive workplace. CSL observed International Women's Day in March 2026 with inclusive initiatives aimed at promoting participation, recognition and empowerment of women employees.

380

Women employees as on March 31, 2026



Employee Engagement

We believe that an engaged workforce strengthens collaboration, innovation and organisational performance. Our employee engagement initiatives generate opportunities for individuals to connect beyond their day-to-day responsibilities through team-building programmes, cultural activities, employee recognition initiatives and open, transparent communication platforms that encourage participation throughout the organisation.

These initiatives reinforce a collaborative workplace culture while aligning employee morale and belongingness with organisational values. By encouraging active participation and recognising individual contributions, we continue to foster a positive and inclusive work environment.

Employee Retention

Retaining skilled talent stands as a necessity to sustain operational excellence and organisational consistency. Our performance and talent management infrastructure focuses on recognising merit, supporting career progression and promoting opportunities for successful professional growth trajectory. Structured performance evaluations, leadership development undertakings and internal career opportunities enable employees to build long-term careers within the organisation.

By aligning individual performance with our business objectives and encouraging gradual development, we continue to strengthen employee commitment while building a resilient leadership pipeline for the future.

99%

Employee Retention Rate



Employee Health and Safety

Ensuring the health, safety and well-being of our employees remains an integral part of our operational culture. We continue to strengthen occupational health practices, workplace safety systems, emergency readiness and employee welfare initiatives to provide a safe and supportive working environment across all our operating sites.

Our focus extends beyond regulatory compliance to foster a proactive safety culture through regular awareness programmes, specialised training, preventive health initiatives and steady monitoring of workplace safety practices. These efforts contribute to protecting our workforce while supporting safe and efficient operations.

180

Safety Training Sessions

15,000+

Training man-hours



Environment

Steering towards a Greener Future

Environmental responsibility is integrated into our manner of planning, operating and expanding our business. Through focused initiatives in energy management, water stewardship, circular resource utilisation, waste management and biodiversity conservation, we strategically strengthen environmental performance and simultaneously support sustainable operations across our facilities.

Climate Governance and Environmental Stewardship

We have embedded sustainability into our business strategy through a dedicated governance framework led by the General Manager (ESG and HSE) and an Environment, Social and Governance (ESG) Committee. Guided by our commitment to environmental sustainability, we continue to strengthen energy efficiency, accelerate renewable energy adoption and optimise resource utilisation across our operations.

Key highlights

- Established a dedicated governance structure to supervise ESG and sustainability initiatives.
- Pursuing a long-term roadmap to progressively increase the share of green energy in meeting our operational energy requirements.
- Prioritising energy optimisation, renewable energy integration and water-use efficiency.

Renewable Energy Transition

We are accelerating our transition towards clean energy through augmenting our investments in solar infrastructure, renewable power procurement and energy storage solutions. These initiatives are aimed at reducing our dependence on conventional energy sources while strengthening operational resilience.

Key highlights

- Bolstering rooftop solar capacity from **2,422 kWp to 4,000 kWp** by December 2028.
- Procuring renewable power through the Green Day-Ahead Market (GDAM).
- Incorporating a Battery Energy Storage System (BESS), with the first phase targeted for completion by December 2027.
- Anticipating to cater to approximately **60–70%** of our energy requirements through green energy sources.

Energy Efficiency and Smart Operations

We consistently leverage technology and automation to improve energy efficiency and operational reliability across all our plants. Through smart monitoring systems and energy-efficient infrastructure, we utilise energy consumption efficiently while enhancing productivity.

Key highlights

- Equipped ballast pump at repair dock with Variable Frequency Drives (VFDs).
- Installed Static Frequency Converters (SFCs) across all quays.
- Implemented Internet of Things (IoT)-based systems for conducting real-time monitoring of energy consumption and generation.
- Introduced sensor-based lighting controls in critical operational areas.
- Deployed energy-efficient Variable Refrigerant Flow (VRF) air-conditioning systems, Brushless Direct Current (BLDC) fans and Light Emitting Diode (LED) lighting across facilities.

4.75 Lakhs units

Energy Conserved

Green Mobility and Low-Carbon Technologies

We are propelling our decarbonisation agenda by promoting sustainable mobility and consistently adopting cleaner technologies operation-wide. Through investments in alternative fuels and energy-efficient transportation solutions, we are minimising our environmental footprint.

Key highlights

- Installed nine solar-powered charging docks for electric two-wheelers across our yard.
- Transformed diesel-powered platform trucks into electric vehicles.
- Transitioned diesel-powered forklifts to Compressed Natural Gas (CNG)-powered systems.
- Developed battery-operated platform trucks through in-house innovation.
- Plan to replace acetylene with CNG for metal-cutting applications.
- Installed Solar Water Heaters of capacity 2000 LPD at employees canteen and 200 LPD at Training Institute Hostel.

9

Solar-Powered Charging Docks Installed

Waste Management and Circularity

We are integrating circular economy principles into our operations through waste-to-energy initiatives and digital solutions that ensure resource efficiency and decelerate environmental impact.

Key highlights

- Operate a 1 Tonne Per Day Bhabha Atomic Research Centre – Nisargruna **(1 TPD BARC–NISARGRUNA)** biogas plant that converts organic waste into biogas.
- Process food waste generated from canteens, hostels and ship galleys.
- Reduced paper consumption through a comprehensive electronic file management system.
- MoU with Clean Kerala Company Limited, a Government of Kerala enterprise, to facilitate the systematic segregation and disposal of industrial waste based on the 3R principles (Reduce, Reuse and Recycle), in line with CSL's sustainability objectives.

Environmental Compliance and Sustainable Infrastructure

We integrate environmental considerations into our day-to-day infrastructure projects and ensure compliance with all applicable regulations. Our major capital projects incorporate systems designed to safeguard marine ecosystems and promote responsible resource management.

Key highlights

- Executed the New Dry Dock (NDD) and International Ship Repair Facility (ISRF) projects worth ₹2,769 Crores in full adherence with environmental clearance requirements.
- Established Effluent Treatment Plant (ETP), Sewage Treatment Plant (STP) and Common Effluent Treatment Plant (CWTP) facilities to secure the marine environment.

Biodiversity and Green Infrastructure

We believe in strengthening environmental stewardship through biodiversity conservation, nature-based solutions and sustainable infrastructure development. Our initiatives are embedded in carbon sequestration that fosters greener and resilient operations.

Key highlights

- Installed five microalgae-based Liquid Tree units to absorb carbon dioxide and release oxygen.
- To undertake an afforestation study in collaboration with the Kerala Forest Research Institute (KFRI).
- To replace ageing trees with suitable species to enhance landscaping across all our premises.

5

Microalgae-based Liquid Tree units installed

Certifications and Recognition

Emerged as the first Company in the shipping sector to receive the **GreenCo Silver Rating**, which was subsequently upgraded to **GreenCo Gold Rating**.

Achieved **ISO 50001:2018 certification** for our Energy Management System

Received the **Kerala State Energy Conservation Award** in 2025 and 2017.

Honoured with the **Kerala State Renewable Energy Award** in 2017.



Social

Forging Our Ports of Belonging, Uplifting Lives

At CSL, CSR is integral to our commitment towards inclusive growth and sustainable development. Through focused and transparent initiatives, we strive to create meaningful social impact, strengthen communities and contribute to long-term nation-building.

Our interventions span areas such as education, healthcare, skill development, infrastructure development and environmental sustainability, enabling us to deliver measurable outcomes for the communities we serve.

CSR Vision

Cochin Shipyard Limited, in consonance with its Corporate Vision, looks forward to continue in the best tradition of being a responsible Corporate Citizen recognised for the quality of its products and services and respected for its ethical way of conducting business through the path of shared inclusive growth, thereby distributing the fruits of its prosperity towards improved quality of life of the society and contributing to environment and nature for sustainable development.

CSR Mission

CSL wishes

- To share part of its prosperity and resources to people and environment through the CSR outreach programmes.
- To improve the quality of life and make the world around it a better place to live.
- To handhold the marginalised sections of citizens to bring them to mainstream of life by economic and social empowerment.
- To project a positive and people and planet-friendly corporate image.
- To ensure tangible and measurable impact on the target population and place through asset creation, infrastructure development, etc.
- To work hand-in-hand with other corporate entities, Government organs, People's Representatives, other like-minded agencies to synergise the engine for nation-building.
- To adopt CSR as a way of conducting business and make it part of its organisational culture.
- To take all stakeholders of CSL such as its employees and contractors on board to further its CSR objectives.
- To leverage CSL's core competencies and resources, including its strengths in ship building and ship repair services, governance, human resources, business operations and development, facilities and networks towards improving the society and the environment on shared value principle.
- To adopt and implement corporate social responsibility policy and plans within the framework of the relevant Statutes, Guidelines etc including measuring, monitoring, evaluating and reporting of CSR interventions of CSL.

Key CSR Highlights of the Year

₹13.89 Crs.
CSR Budget

₹15.54 Crs.
CSR Spent

113
CSR Projects Undertaken

Health & Nutrition and PM Internship Scheme
CSR Theme for the Year

₹7.50 Crs.
Spent on CSR Theme

CSR So Far

₹150+ Crs.
CSR Spent

1,000+
CSR Projects Undertaken



Health & Nutrition

We recognise how accessible healthcare is paramount and improved well-being in building resilient communities is a necessity. Through our CSR initiatives, we seek to strengthen healthcare infrastructure, support vulnerable sections of society and contribute to healthier outcomes.

Key Initiatives

- Promoting menstrual hygiene and environmental sustainability through awareness programmes and distribution of menstrual cups in the island territories where CSL has a presence.
- Supporting the construction of a modern Ayurvedic dispensary to enhance access to traditional healthcare services.
- Developing open gym facilities to encourage community fitness and healthy lifestyles.
- Partnering with institutions of repute to establish a Nutri Food Lab for developing fortified food products, including multigrain flour and nutrition bars, to improve the nutritional well-being of women in Kochi.
- Facilitating access to safe drinking water through tube wells in the remote coastal villages, addressing challenges arising from salinity and water scarcity.
- Strengthening tuberculosis diagnosis, nutritional support and healthcare infrastructure across aspirational district and remote regions including island territories.

Education

We believe that education is a powerful driver of social and economic progress. Through our investments in educational infrastructure, innovation, digital inclusion, and skill development, we aim to create opportunities that help individuals develop future-ready skills and realise their potential.



Key Initiatives

- Strengthening Educational Infrastructure through the Classroom Expansion Initiative at Government Schools.
- Advancing Maritime Innovation by establishing Centres of Excellence in collaboration with universities.
- Encouraging innovation and creativity through support for the Young Innovators Programme (YIP), Kerala.
- Empowering academic excellence through the Collector's Super 100 initiative.
- Bridging the digital divide through IT infrastructure support by promoting digital learning through the deployment of advanced robotic kits under Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE).
- Building future-ready skills through the "Moulding Marginalised Youth – Welding for Nation Building" initiative.

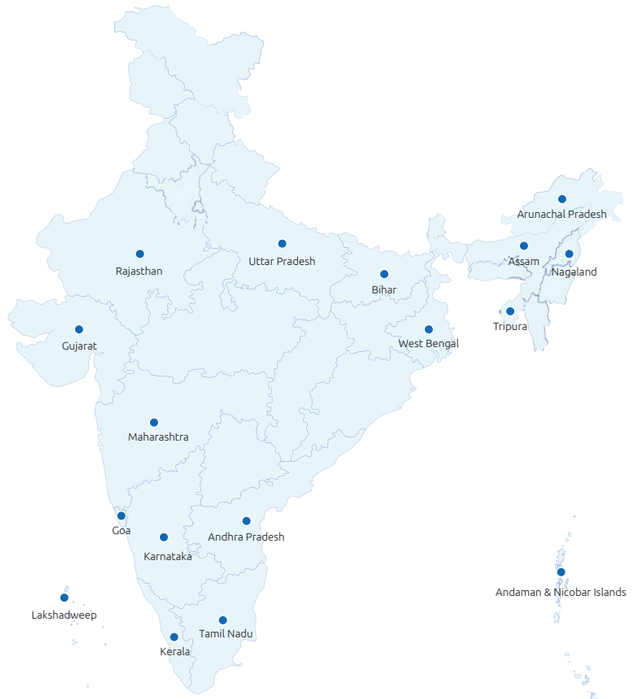
Empowerment

We are committed to uplifting underprivileged communities through social inclusion, strengthening livelihoods and enhancing quality of life. Our initiatives are designed to create sustainable opportunities and enable communities to achieve long-term growth and self-reliance.

Key Initiatives

- Fostering community spaces through the establishment of Tribal Community Centres.
- Strengthening early childhood development and cultivating holistic community growth through supporting balwadis and day care centres in rural areas.
- Supporting inclusive development through rehabilitation centres for people with multiple disabilities.
- Providing care and protection through support for the construction of child care facilities.
- Empowering tribal communities through focused interventions in tribal regions.
- Enhancing welfare infrastructure at special schools.
- Promoting women entrepreneurship through the Matsya Sugandhi initiative.
- Encouraging holistic well-being through the establishment of Yoga Training and Research Centres.

Our CSR Footprints



Map not to scale, for representation purposes only.

Heritage and Culture

We recognise the significance of preserving cultural heritage and promoting traditional knowledge systems. Through our initiatives, we support institutions and programmes that safeguard the nation's rich cultural legacy and strengthen community engagement.

Key Initiatives

- Preserving cultural heritage through the establishment of an outreach centre for Kerala Kalamandalam.
- Strengthening knowledge institutions through support for library infrastructure.

Aspirational District

As part of our commitment to inclusive growth, we have prioritised Wayanad as our aspirational district. Through focused interventions in healthcare, education and community development, we aim to accelerate socio-economic progress and improve regional lifestyle.

Key Initiatives

- Strengthening healthcare access through integrated cancer care initiatives.
- Ensuring the holistic development of tribal children in partnership with NGOs.
- Securing public health through interventions aimed at making Wayanad tuberculosis-free.

Governance

Directing the Future with Transparency and Integrity

Our governance framework is built on the core guiding principles of transparency, integrity, accountability and fairness. As a Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we set highest benchmarks in appropriate ethical conduct and regulatory compliance.

Designed to support stakeholder trust and long-term value creation, our governance architecture promotes responsible business practices, effective oversight and continuous alignment with evolving regulatory and stakeholder expectations.

Our Policies

- Code of Conduct for Board and Senior Management
- Corporate Social Responsibility (CSR) Policy
- Nomination and Remuneration Policy
- Board Diversity Policy
- Risk Management Policy
- Insider Trading Code
- Whistleblower and Fraud Prevention Policy
- Ethics and Integrity Training Programmes
- Policy on Related Party Transactions
- Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities
- Policy on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace
- Information Technology (IT) and Cybersecurity Governance Framework

● Chairperson ■ Member

Audit Committee | Nomination and Remuneration Committee | Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee | Stakeholders Relationship Committee | Risk Management Committee

Board of Directors

Progressing with Strategic Foresight



Shri Jose V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer & Chairman and Managing Director (Additional Charge)

Shri Jose V J holds the addition charge of Chairman and Managing Director of the Company w.e.f. February 01, 2026. He has been serving as the Director (Finance) and Chief Financial Officer of the Company since August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He was honoured with the Best CFO Award 2024 in Best Returns (Large Cap) category by Dalal Street Investment Journal. He has approximately 35 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of the Company. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.



Dr. Harikrishnan S
Director (Operations)

Dr. Harikrishnan S assumed charge as the Director (Operations) of the Company on August 27, 2025. He began his career with the Company on December 30, 1995, as an executive trainee and rose through the ranks to become Executive Director (Ship Building) before being appointed as Director (Operations). He holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering, a Master of Technology degree in Production Engineering, an MBA in International Business and a Doctorate (PhD) in Mechanical Engineering. With around three decades of experience in the Company, he has been involved in a wide range of functions in shipbuilding and ship repair including design, inspection & quality control, production, procurement, planning & project management. He also serves as the Chairman of Green Maritime Propulsion Private Limited, the JV Company formed by CSL and HBL Engineering Limited. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.



Shri Rajesh Gopalakrishnan
Director (Technical)

Shri Rajesh Gopalakrishnan assumed charge as the Director (Technical) of the Company on August 27, 2025. He joined the Company on December 30, 1995 as an executive trainee and rose through the ranks to become Executive Director (Ship Repair) before being appointed as Director (Technical). He holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering and a Master's degree in Business Administration with specialisation in International Marketing. He has around three decades of experience in the Company spanning shipbuilding, ship repairs & conversion. His expertise covers the entire spectrum from business strategy, business build, estimation, contract management, procurement, planning, project management, invoicing, after sales & customer relations. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.



Shri Mukesh Mangal ITS
Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f. July 17, 2026)

Shri Mukesh Mangal ITS was appointed as the Part-time Official (Nominee) Director of the Company on July 17, 2026. He belongs to the Indian Telecom Service (ITS) of 1992 batch. He did B. Tech in Electronics and Communications. Presently, he is working as Additional Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. In the past he has worked in the Department of Telecommunications and Ministry of Home Affairs. He has work experience of more than 33 years in the subjects like internal security, cyber security and cyber-crime, telecommunication technology, lighthouses etc. He has been instrumental in establishing various national level security projects in the field of cyber-security, Sanchar Saathi portal and digital intelligence platform to curb misuse of telecom resources in cyber-crime. Presently, he is heading Vigilance, Shipping Unit & Sagarmala Wing including development of National Maritime Heritage Complex in Ministry of Ports, Shipping and Waterways. He is also a Government Nominee Director in Chennai Port Authority, Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited, Shipping Corporation of India Limited, Sagarmala Finance Corporation Limited, SCI Bharat IFSC Limited, India LNG Transport Company No.3 Limited, India LNG Transport Company No.4 Private Limited, India LNG Transport Company No.1 Limited and India LNG Transport Company No.2 Limited.



Shri Venkatesapathy S IAS
Part-time Official (Nominee) Director
(up to July 17, 2026)

Shri Venkatesapathy S IAS served as the Part-time Official (Nominee) Director of the Company from August 07, 2025 to July 17, 2026. He is a 2009-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Kerala cadre, currently serving as Joint Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India. He holds a Degree of Bachelor of Technology in Production Engineering from Madras Institute of Technology, Anna University. In the span of his administrative service, he has held various key positions in the Government of Kerala including Sub Collector (Idukki, Devikulam and Kasargod), Secretary (Thiruvananthapuram Corporation), Managing Director (Supplyco), District Collector (Malappuram and Thiruvananthapuram), Director (Fisheries Department) and Managing Director (Kerala Water Authority). Prior to his current role, he joined the MoPSW on central deputation as Director (Shipping).



Smt. Anupama T. V. IAS
Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f. July 17, 2026)

Smt. Anupama T. V. IAS was appointed as the Part-time Official (Nominee) Director of the Company on July 17, 2026. She is a 2010-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Kerala cadre. She is currently serving as the Secretary, Transport Department, Government of Kerala. She also holds full additional charge of Airports; Metro Rail; and Personnel and Administrative Reforms (Official Language) Departments of the Government of Kerala. An Electronics Engineering graduate from BITS Pilani (Goa Campus) and a Master in Public Administration from Harvard University, she has previously served in several key administrative positions in the Government of Kerala, including District Collector of Thrissur and Alappuzha, Food Safety Commissioner, Director of Tourism, Director of Scheduled Tribes Development, Land Revenue Commissioner and Secretary, Local Self Government Department (LSGD).



Shri P B Nooh IAS
Part-time Official (Nominee) Director
(up to July 17, 2026)

Shri P B Nooh IAS served as the Part-time Official (Nominee) Director of the Company from June 20, 2025 to July 17, 2026. A 2012-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Kerala cadre, he currently serves as the GST Commissioner of Kerala. He holds a Bachelor's degree in Zoology from Mahatma Gandhi University, Kerala, a Bachelor's degree in Agriculture from Kerala Agricultural University, and a Master's degree in Agriculture from the University of Agricultural Sciences, Bangalore. Over the course of his career, Shri Nooh has served in several prominent positions in the Government of Kerala, including Special Secretary, Transport Department, Chairman & Managing Director, Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd. (Supplyco), Director, Tourism Department, Director, Social Justice & Empowerment Department, Registrar of Cooperative Societies, District Collector, Pathanamthitta, Sub Collector, Ottapalam, Chief Executive Officer, LIFE Mission and Project Officer, Integrated Tribal Development Project, Attappady. He is known for his dynamic leadership, people-centric approach and impactful contributions to governance, particularly in areas of social development, public service delivery and tribal welfare.



Dr. Seema Suri
Non-official (Independent) Director

Dr. Seema Suri was appointed as a Non-official (Independent) Director of the Company on May 21, 2025. She is a Post Graduate in Arts from Ramjas College, University of Delhi and holds a B. Ed. degree from Maharshi Dayanand University, Rohtak. She has been awarded an Honorary Doctor of Literature (D.Litt.), titled Vidya Sagar, by Vikramshila Hindi Vidyapeeth, Bhagalpur, and the title Samaj Bhushan – Ph.D. (Vidyavachaspati) by Sahitya Mandal Shri Nath. She served as a Teacher and Block Incharge at Delhi Public School, Vasant Kunj from 1999 to 2016. She was also presenter of various educational and social programs on Radio and Doordarshan. Dr. Seema Suri is the Founder and National President of Sarva Seva Sansthan, an organization committed to social welfare. She has led several initiatives focused on education, health, environment and women empowerment. These include adopting government schools to enhance infrastructure, organizing health camps and awareness drives, conducting media workshops, leading monthly cleanliness drives, planting trees and running programs under Beti Bachao Abhiyan to support underprivileged children and train girls in self-defense. Her contributions have been recognized through multiple awards and honors from various national and international institutions. In addition, she is currently serving as the Member of Film Censor Board Advisory Committee, Delhi.



Dr. Vani Ahluwalia
Non-official (Independent) Director
(w.e.f. August 17, 2026)

Dr. Vani Ahluwalia was appointed as a Non-official (Independent) Director of the Company on August 17, 2026. She is a distinguished medical professional, public health administrator and social sector leader based in Jabalpur, Madhya Pradesh. She holds an MBBS from Dr. Panjabrao Alias Bhausaheb Deshmukh Memorial Medical College, Amravati, a Post Graduate Diploma in HIV and Family Education (DAFÉ) from IGNOU, a Post Graduate Diploma in International Human Rights from the University of Delhi, and an LLB from Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, reflecting a multidisciplinary academic background spanning medicine, public health, human rights and law. She has further enrolled for the specialised courses from the University of Washington in "Non-Communicable Diseases (NCDs) in Global Health" and "Leadership and Management in Health in India". With over 25 years of professional experience, she currently serves as Senior Medical Officer at the ART Plus Centre, NSCB Medical College, Jabalpur, under the Madhya Pradesh State AIDS Society, and has previously served at the Tropical Forest Research Institute and J.K. Hospital, Jabalpur. She also serves as Managing Partner of JK Celebration and Ahluwalia Hospitality LLP, with experience in strategic decision-making, financial planning and business management. Dr. Vani Ahluwalia has held several leadership positions in the social and public sectors, including National Secretary of Ekal Arogya Prakalp (2020–2021), National Executive Committee Member of the Arogya Foundation of India since 2016, and Trustee and Vice President of Vishwa Hindu Parishad (Mahakaushal Prant) from 2021 to 2024. She has contributed to rural healthcare, telemedicine and COVID-19 response initiatives and has also served as a G20 Speaker. Her areas of expertise include healthcare management, medical administration, public health programme delivery, legal and regulatory matters, organisational governance, strategic planning, stakeholder engagement and community development.

Awards and Accolades

Setting Benchmarks of Excellence, Transforming Vision to Victory

Maritime Excellence Award for Shipbuilding and Ship Repair at India Maritime Week 2025.

Best Stall for Creative Visualisation at **India Maritime Week 2025.**

Innovative HR Practices Award from **National Institute of Personnel Management (NIPM).**

Swachh Bharat Pakhwada Award 2025 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India.

Outstanding PSU of the Year Award at the prestigious **All India Management Association (AIMA) Leadership Excellence Awards** event.

Kerala State Energy Conservation Award 2025 from the Department of Power, Government of Kerala through the Energy Management Centre.

First prize for the Hindi home magazine **'Sagar Ratna'** from Kochi TOLIC (PSUs).

First runner-up for the Overall **Champion for the joint Hindi Fortnight celebrations, 2025**.

First prize for the implementation of official language from Kochi Town **Official Language Implementation Committee (TOLIC)** among the companies having more than 200 administrative employees.

Corporate Information

Board of Directors

Shri Jose V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer & Chairman and Managing Director (Additional Charge)

Dr. Harikrishnan S
Director (Operations)

Shri Rajesh Gopalakrishnan
Director (Technical)

Shri Mukesh Mangal ITS
Additional Secretary
MoPSW, Govt. of India
Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f. July 17, 2026)

Shri Venkatesapathy S IAS
Part-time Official (Nominee) Director
(up to July 17, 2026)

Smt. Anupama T. V. IAS
Secretary, Transport Department
Govt. of Kerala
Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f. July 17, 2026)

Shri P B Nooh IAS
Part-time Official (Nominee) Director
(up to July 17, 2026)

Dr. Seema Suri
Non-official (Independent) Director

Dr. Vani Ahluwalia
Non-official (Independent) Director
(w.e.f. August 17, 2026)

Chief Vigilance Officer

Dr. C Pandi Selva Durai, IOFS

Company Secretary & Compliance Officer

Shri Syamkamal N

Leadership Team

Shri Eldho John
Executive Director (Technical)

Shri Shiraz V P
Executive Director (Ship Building)

Shri Deepu Surendran
Chief General Manager (C-SAS,BD-SB & BD)

Smt. Anjana K R
Chief General Manager (Design & Materials)

Shri Sivakumar A
Chief General Manager (Ship Repair)

Shri Shibu John
Chief General Manager (Finance)

Shri Sunil Kumar K R
General Manager (ESG & HSE)

Shri Jayan K Thampi
General Manager (Ship Building)

Shri Subash A K
General Manager (HR & LD)

Shri Santhosh Philip
General Manager (Training, METI & SD)

Shri Harikumar K
General Manager (Strategy & New Initiatives) & EA to CMD

Shri C A Sreekumar Raja
General Manager (Technical)

Shri A Vettriselvan
General Manager (Materials)

Shri Nagesh Krishna Moorthy
General Manager (BD-SB)

Shri Sanil Peter
General Manager (Ship Repair)

Shri Jathesh Chandra Gopinathan
General Manager (Basic Design)

Shri Suresh Babu V
General Manager (IAC & DP)

Shri Anoop Das
General Manager (PLG, I&QC & PD (SH40-45))

Shri Binoj Shankar
General Manager (Design)

Shri Subramanian K K
General Manager (ER)

Registered Office

Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India

Bankers

State Bank of India
Canara Bank
Union Bank of India
IDBI Bank Limited
Axis Bank Limited
Bank of Baroda
Indusind Bank Limited
HDFC Bank Limited
ICICI Bank Limited
UCO Bank
Federal Bank Limited
South Indian Bank Limited

Statutory Auditors

M/s. Babu A. Kallivayalil & Co.
Chartered Accountants
Manchu Complex, 2nd Floor
P.T. Usha Road, Kochi – 682 011

Secretarial Auditors

M/s. SEP & Associates
Company Secretaries
Building No. CC 31/1590
Felix Road, Thammanam
Cochin – 682 032

Cost Auditors

M/s. Rajendran Mani and Varier
Cost Accountants
Alappat Buildings
Alappat Road, Ravipuram
Kochi – 682 016

Debenture Trustees

SBICAP Trustee Company Ltd.
4th Floor, Mistry Bhavan
122 Dinshaw Vachha Road
Churchgate, Mumbai – 400 020

Registrar & Transfer Agents

MUFG Intime India Pvt. Ltd.
(Formerly Link Intime India Pvt. Ltd.)
Surya 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road
Coimbatore – 641 028

Directors' Report

Dear Shareholders,

1. Your Directors have immense pleasure in presenting the 54th Annual Report of your Company along with the audited financial statements for the year ended March 31, 2026.

Financial Performance

2. Diversified operational segments and product profile helped the Company to achieve a turnover of ₹4,307.69 Crores for the year as compared to ₹4,527.84 Crores in the year 2024-25. The profit before tax is ₹886.40 Crores for the year as against ₹1,133.85 Crores in the previous year. The net profit is ₹643.04 Crores as compared to ₹842.91 Crores for the previous year.

3. The authorised share capital of the Company is ₹2,50,00,00,000 divided into 50,00,00,000 equity shares of face value of ₹5 each. The paid-up share capital of the Company is ₹1,31,54,03,900 divided into 26,30,80,780 equity shares of face value of ₹5 each.

Financial Highlights

(₹ Crores)

Sl. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Gross Income	4,712.26	4,908.29
(ii)	Profit before finance cost, depreciation, tax and exceptional items	1,080.39	1,253.94
(iii)	Finance costs	83.16	36.45
(iv)	Depreciation and write off	110.83	83.64
(v)	Profit Before Tax	886.40	1,133.85
(vi)	Tax Expense	243.35	290.94
(vii)	Net profit	643.04	842.91

Dividend

4. As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated November 18, 2024 issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE has to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 4% of the networth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a final dividend of ₹1.50 per share on the 26,30,80,780 fully paid equity shares of ₹5 each. Earlier, interim dividends of ₹4 and ₹3.50, aggregating to ₹7.50 per equity share had been paid to the shareholders during 2025-26. Thus, the total dividend for the year 2025-26 is ₹9 per equity share (180%), amounting to ₹236.77 Crores. During the reporting period, the unpaid/ unclaimed Final Dividend for the year 2017-18 and the corresponding eligible equity shares became due for transfer to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the unclaimed dividend of ₹5,97,180 pertaining to the Final Dividend for the year 2017-18, was transferred to the IEPF Authority on October 09, 2025. Further, 2,799 equity shares in respect of which the dividend remained unclaimed for seven consecutive years, were also transferred to the demat account of the IEPF Authority on October 10, 2025.

Dividend Distribution Policy

5. As per Regulation 43A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the top 1,000 listed entities shall formulate a dividend distribution policy. Accordingly, dividend distribution policy has been adopted to set out the parameters and circumstances that will be taken into account by the Board in determining the distribution of dividend to its shareholders and/ or retaining the profit into the business. The policy is available on the website of the Company at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Transfer to Reserves

6. The details of the amount transferred to reserves are given at Note 23 of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2026 which forms part of the Annual Report. As on March 31, 2026, the Company has Reserves and Surplus amounting to ₹5,761.29 Crores which reflects the inherent financial strength of the Company. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is not required to create Debenture Redemption Reserve in respect of the bonds issued by it. As on March 31, 2026, 8.72% Tax Free, Secured, Redeemable, Non-Convertible Bonds of only ₹23 Crores are outstanding for CSL, which will mature in March 2029.

Shipbuilding

7. The Company achieved a total shipbuilding income of ₹2,651.39 Crores during 2025-26 as against ₹2,663.27 Crores in 2024-25. During the year CSL successfully delivered two Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels to

Kochi Metro Rail Limited (KMRL), two Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW SWC) to the Indian Navy, one Multi-Purpose Vessel (MPV) to HS Service GMBH & Co. KG, Germany and one Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessel to Inland Waterways Authority of India (IWAI).

Shipbuilding Order Book Position

8. During the year 2025-26, CSL received an order for construction of two Tugs of 70 T Bollard Pull Power and two Green Tugs of 60 T Bollard Pull Power from Polestar Maritime Limited. CSL also secured an order for constructing four 26-metre fully electric 'TRAnsverse' ("TRAnsverse 2600E") 70 Ton Bollard Pull Tugs for Svitzer, Denmark and an order for construction of six 1,700 TEU LNG Fuelled Feeder Vessels from CMA CGM, France. The unexecuted order book of the Company as on March 31, 2026 stands at around ₹18,900 Crores, consisting of around 51 vessels with Defence order book at ₹12,150 Crores consisting of 12 vessels, Commercial (domestic) order book at ₹725 Crores consisting of 16 vessels and Commercial (export) order book at ₹6,025 Crores consisting of 23 vessels. Out of the total Commercial order book of ₹6,750 Crores, around 90% is export order and around 40% comprises of green vessels.

Ship Repair

9. During the year, the Company achieved a total ship repair income of ₹1,656.30 Crores, compared to ₹1,864.57 Crores in the previous year. Major vessels repaired during the financial year at the CSL Kochi main yard include defence vessels including Aircraft Carrier, Swarna-series tankers of SCI, and SPM Buoy–01, among others. CSL also successfully completed repairs of private commercial vessels MT Orchids and Shanti Sagar 17, meeting internationally benchmarked turnaround time. The conversion project – MR and MLU and Re-engining of defence vessel is in the final stages of completion. CSL also successfully undertook repairs of DCI Dredge VIII, marking the first ship repair project executed in the New Dry Dock following its commissioning. Further, after a gap of 17 years, CSL secured the contract for dry dock repairs of JUR Sagar Kiran of ONGC, which is currently under repair in the New Dry Dock.

10. The International Ship Repair Facility (ISRF), developed on land leased from the Cochin Port Authority, is a state-of-the-art facility aimed at enhancing India's ship repair capabilities for handling vessels of maximum 130 metre length. Constructed at a cost of ₹970 Crores, the facility includes a 6,000 T capacity ship lift and transfer system, six workstations and around 1,400 metres of berthing space, enabling simultaneous repair of six vessels and an annual throughput of up to 82 ships. This facility, inaugurated by the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi on January 17, 2024, was brought into full-fledged operations during the financial year. Around 35 refits were undertaken at ISRF during the reporting period, covering a wide variety of vessels from clients such as LDCL, Indian Navy, Dulan International, NIOT and FSI. The Medium Refits of two RE class defence vessels are currently in the advanced stages. The ISRF reported a revenue of ₹207.33 Crores for FY26. Further, ten globally renowned firms in the maritime industry have already partnered with CSL for setting up their units in the Maritime Park situated at ISRF in the first phase and six firms started their operations.

11. During FY 2025-26, CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) undertook dry dock and afloat repairs of 12 vessels, including normal and short refits for various government agencies and the Indian Coast Guard, as well as minor and major repairs for commercial clients. Refits of four JSW bulk carriers were executed under the MoU signed with JSW Shipping & Logistics Private Limited for repair of their fleet. Since its operationalisation, CMSRU has successfully completed repairs of approximately 137 vessels and the Unit has achieved a record turnover of ₹208.72 Crores during the financial year. An additional berth ID-9 was allocated to CMSRU in July 2025 by Mumbai Port for further augmenting its repair capabilities at Mumbai.

12. Since commencing operations in October 2019 at Netaji Subhas Dock, Kolkata, CKSRU (CSL Kolkata Ship Repair Unit) has successfully completed 33 refit projects. During FY 2025-26, nine refits were undertaken, including major dry dock and repair works for Indian Coast Guard, SMPA, SCI, DCI and GRSE vessels. Key projects executed include MV Swaraj Dweep, MV Kalighat, ICGS Samudra Paheredar, Yard 3022 (P17A), DV Rabindra and DCI Dredge XXI. Operations commenced at the dedicated berth 6 NSD in July 2025. Significant infrastructure upgrades, including development near Dry Dock 2, refurbishment of existing facilities and procurement of a hydra crane were also completed, strengthening CKSRU's operational capabilities. CKSRU earned a total revenue of ₹100.12 Crores for FY26.

13. During FY 2025-26, CANSRU (CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit) achieved a record turnover of ₹228.39 Crores by completing 11 dry dock repairs, 11 afloat/ routine repairs, two major CSM routines and 1,437 emergency repairs. The Unit also marked five years of successful operations, ensuring reduced turnaround time for DSS ship repairs, enhanced repair quality and improved vessel

reliability, thereby greatly improving vessel availability for the island population from 4 vessels to 15 vessels in the foreshore sector and 11 inland vessels for DSS. CANSRU has consistently met its turnover targets over the past four years while contributing to skill development through training initiatives, expanding its vendor base and strengthening a reliable repair ecosystem. Approval is awaited from A&N Administration on the DPR submitted for Marine Dockyard modernisation.

Expansion Projects

Ship Repair Facility at Vadinar, Gujarat

14. CSL along with Deendayal Port Authority (DPA), under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, is developing a state-of-the-art Ship Repair Facility at Vadinar, Gujarat for repair of vessels up to 300 m length, with a combined investment of ₹1,570 Crores. The project is planned as a brownfield facility with a 650 metres jetty, two large floating dry docks, workshops and associated marine infrastructure. DPA will develop the civil infrastructure, including jetties, at an estimated cost of ₹650 Crores and CSL will bring in the ship repair infrastructure including two large floating docks costing about ₹920 Crores and operate the facility. The project has been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on May 05, 2026.

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

15. In order to tap new revenue generation streams beyond the current Shipbuilding & Ship Repair portfolios, a dedicated division named CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) was formed to enable the Company to venture into the arena of strategic and knowledge driven future technologies in the maritime sector. C-SAS has been actively engaged in identifying and developing sustainable and future-oriented business models. Various innovative initiatives undertaken by C-SAS Division during the financial year 2025-26 are more specifically covered in the Management Discussion and Analysis Report.

Subsidiary Companies

(i) Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL)

Hooghly-CSL was initially set up as a joint venture between CSL and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) on October 23, 2017. Pursuant to the approval of the Union Cabinet, CSL acquired the shares held by HDPEL and with effect from November 01, 2019, Hooghly-CSL became a wholly owned subsidiary of CSL.

The Company set up a new state-of-the-art ship building and repair facility at Nazirgunge and on August 16, 2022, the facility was dedicated to the nation by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. The facility has been set up in an area of 15.76 acres on the banks of river Hooghly at a cost of ₹175.20 Crores with an intention to position itself as a premier shipbuilding/ repair yard in the East Coast of India for inland and coastal vessels.

During the financial year 2025-26, Hooghly-CSL successfully delivered one Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessel contracted for Inland Waterways Authority of India (IWAI), for deployment in National Waterways 1 and 2. Hooghly-CSL has an unexecuted order book of around ₹200 Crores as on March 31, 2026.

Hooghly-CSL has reported a total income of ₹129 Crores for FY26 as against ₹62.40 Crores for the previous year. The Company has reported a loss of ₹19.53 Crores for FY26 as against a loss of ₹17.38 Crores for the previous year.

(ii) Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL)

Udupi-CSL is a wholly owned subsidiary of CSL based in Udupi and is primarily engaged in building small and medium sized vessels. During the financial year 2025-26, Udupi-CSL delivered four 3,800 TDW Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway, along with two 70T Bollard Pull Tugs to Ocean Sparkle Limited. Udupi-CSL has an unexecuted order book of over ₹2,000 Crores as on March 31, 2026.

Coming to the financials, Udupi-CSL reported a total income of ₹630.21 Crores for the year ended March 31, 2026, compared to ₹278.62 Crores in the previous year. The revenue from operations increased to ₹618.12 Crores in FY 2025-26, up from ₹265.64 Crores in FY 2024-25. The Company reported a profit of ₹93.39 Crores in FY 2025-26, compared to a profit of ₹2.63 Crores in FY 2024-25.

Strategic Initiatives

(i) Investing in Marine Electrification Technologies – JV with HBL

CSL is in the advanced stages of forming a Joint Venture Company with HBL Engineering Limited (HBL) for the purpose of developing electric mobility technology and energy storage solutions in the maritime space to cater to both domestic and global markets. Towards this a Joint Venture Agreement has been executed between CSL and HBL on March 25, 2026 and the incorporation of the Company under the Companies Act, 2013 is in progress. The proposed Joint Venture Company, to be named

'GREEN MARITIME PROPULSION PRIVATE LIMITED', will have an initial share capital of ₹9 Crores, with CSL investing 40% and HBL investing the remaining 60%. The registered office of the Joint Venture Company will be situated in Hyderabad, India.

(ii) Acquiring stake in an overseas ship design company – Conoship International Holding B.V., Netherlands

CSL plans to acquire 23% equity stake in Conoship International Holding B.V., Netherlands to enable CSL to penetrate to European coastal and short sea shipping with advanced design solutions. The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) has concurred the proposal and the process of acquisition has been initiated.

(iii) India Ship Technology Centre (ISTC)

In March 2026, CSL became a subscriber member with Board representation of the India Ship Technology Centre (ISTC), a Section 8 (non-profit) Company incorporated under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India. ISTC is established to promote research, development and technological advancement in the field of shipbuilding and marine engineering in India. It aims to strengthen indigenous capabilities in ship design, naval architecture and marine systems and to provide advanced facilities for testing and validation of ship technologies.

Manpower Status

16. The manpower strength of the Company as on March 31, 2026 was 4,013 consisting of 529 executives, 269 supervisors, 1,333 workmen and 1,882 on-contract employees (245 officers, one supervisor and 1,636 workmen). Further, as on March 31, 2026, the Company also had 1,301 trainees including 644 under the Apprentices Act, 1961, 22 from the Centre of Excellence in Maritime and Shipbuilding (CEMS) and 29 under the Prime Minister's Internship Scheme (PMIS).

17. During the year 2025-26, CSL recruited a total of 1,477 personnel comprising of three executives, 45 executive trainees, two supervisors, 35 workmen, 664 on-contract employees (87 officers and 577 workmen), 728 trainees including 665 under the Apprentices Act, 1961, 24 from CEMS and 39 under PMIS.

Industrial Relations

18. CSL continued to maintain and foster cordial industrial relation atmosphere during the year. There was no loss of man hours on account of labour unrest due to reasons attributable to the Company exclusively.

19. The executives and non-unionised supervisors also continued to contribute their best to the Company during the year.

20. The joint management forums like joint councils, shop council, central safety committee, shop level safety committees, contract worker safety committee, canteen management committee, employees' contributory provident fund trust etc., continued to function effectively.

21. Employees and their dependents welfare and wellbeing are well taken care through various voluntary schemes like Employees Medical Assistance Scheme, Employees Pension Scheme, Shipyard Parivar Prathibha Puraskar Scheme, Employees Educational Assistance Scheme etc.

Human Resource Development

22. CSL gives utmost importance in empowering employees' growth and developing their knowledge, skills and capabilities to drive better business performance. Acknowledging this fact, CSL has defined continuous learning as one of its cultural competencies and is constantly engaged in up-skilling the workforce.

23. In line with the above, several learning and development activities were carried out during the year 2025-26 spanning various sectors and covering both technical and non-technical workforce. The Company has implemented a training scheme 'Igniting Minds' wherein the senior executives of the Company were nominated for various programmes on divergent topics such as ESG, climate change, and building future ready organisations and artificial intelligence strategy by IIM Bangalore, AI for managers, high impact leadership, project management, coaching and mentoring for effective leadership by IIM Lucknow, operational and organisational excellence, responsible AI and emerging frameworks, MDP on finance for non-finance executives by MDI Gurgaon, the winning edge: communication strategies for leaders, mergers, acquisitions and restructuring, interpersonal effectiveness and team building, strategic human resource management by IIM Ahmedabad, etc.

AOTS (Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships) Training in Japan

24. A total of 40 employees attended a customised training programme in Japan, conducted in two batches of 20 participants each in November 2025 and February 2026 respectively. Each batch comprised one Executive, two Supervisors, and 17 Workmen. To encourage greater gender representation in skill development initiatives, women employees were included in both batches. The

training programme was a combination of classroom coaching and factory visits including shipyards in Japan. The training programme covered areas such as Japanese work culture, workplace management, social behaviour, culture displayed by Japanese in public places and included visits to a shipbuilding company and other major industries to get a feeling of latest technology in use, safety management practices, robotics technology in action and productivity improvement practices through 5S and Kaizen.

Other Foreign Training

25. During FY 2025-26, one senior executive attended a two-week DFC course on innovation management at Copenhagen, Denmark (August 2025). Furthermore, one junior executive attended a DFC course on decarbonisation, energy efficiency and new green solutions in shipping at Copenhagen, Denmark (November 2025). Two Executives attended Osaka expo to Japan-CII learning mission at Yumeshima Island, Osaka (August 2025).

Customised Internal Trainings

26. During the financial year 2025–26, CSL organised a wide range of customised in-house training programmes to enhance the competencies of executives, supervisors and employees. The initiatives included Management Development Programmes on general management and project management in collaboration with leading academic institutions, competency-based residential training on teaming and communication skills and welding, orientation programmes for retiring employees, security sensitisation sessions, training on first aid, the POSH Act, energy management system awareness and programmes on service conditions, cyber hygiene and security, procurement, General Financial Rules (GFR), public procurement policy and GeM during Vigilance Awareness Week 2025. In addition, CSL conducted the Young Officers Competency Development Programme (YOCDP), Supervisors Competency Development Programme (SCDP) and in-house mentoring sessions for mentors and mentees, addressing the organisation's specific capability development needs.

27. During the financial year 2025–26, CSL conducted over 306 training programmes, totaling around 8,706 man-days, both in-house and at premier institutions, benefiting more than 6,758 participants. Emphasising the importance of continuous learning and leadership development, CSL introduced its leadership talk series, Prajyoti and Prajnan. These sessions are designed to inspire and engage the workforce through short talks delivered by distinguished personalities from diverse fields.

Educational Scholarships to Wards of Employees

28. 'Shipyard Pariwar Prathibha Puraskar', an educational scholarship scheme introduced from the year 2016 aims to reward and promote the star performers among the wards of regular employees of CSL. A scholarship of ₹25,000 per year for a maximum period of five years shall be bestowed in the order of highest marks scored by the wards in class XII final examination. During the year 2025-26, 22 eligible students have been granted scholarship under the said scheme.

Recognising Excellence

29. CSL has introduced the Employee Excellence Awards Scheme to recognise and reward innovative ideas and practices among employees up to the level of AGM. The highest honour under the scheme is the Chairman's Award, which comprises a citation and a cash prize of ₹15,000.

30. During the Independence Day celebrations in 2025, 41 employees (eight executives, one supervisor, 24 workmen and eight on-contract personnel) were honoured with the Chairman's Commendation, which carries a cash prize of ₹2,000. During the Republic Day celebrations in 2026, one employee was bestowed with the Chairman's Award and 29 employees (ten executives, five supervisors, ten workmen and four on-contract personnel) were awarded the Chairman's Commendation.

International Yoga Day

31. Employees and their family members were encouraged to observe International Day of Yoga. As a part of this, CSL conducted common yoga protocol practice on June 21, 2025, in order to promote yoga with an aim to relieve stress, support good health habits and improve mental/emotional health. Further, live streaming of the event was also made available for participation by family members of the employees.

Marine Engineering Training Institute (METI)

32. During the financial year 2025–26, METI continued to strengthen its position as a premier maritime training institute by successfully training 140 Graduate Marine Engineering (GME) cadets under the one-year programme approved by the Directorate General of Shipping (DGS), while 160 GMEs are currently undergoing training following the enhancement of its approved intake capacity from 140 to 160.

33. METI also facilitated the six-month afloat training for 18 students of the four-year marine engineering programme from Sree Venketeswara College of Engineering (SVCE), Chennai. Five SVCE students are currently pursuing the course.

34. During the year 2025-26, METI conducted 64 batches (864 trainees) of the one-day/three-day basic firefighting practical training programme for outside candidates. METI actively participated in the National Maritime Day Celebrations 2025 organised by the Mercantile Marine Department (MMD), Kochi, for which it received appreciation awards from the MMD, Kochi, on April 05, 2026. METI also observed World Blood Donor Day and conducted in-house seminars for the 51st and 52nd batches of GMEs.

35. METI conducted three batches of the Oil and Chemical Tanker Familiarisation course for 65 students and one batch of Gas Tanker course for 21 students from September 2025 to January 2026. On February 27, 2026, METI organised a 'Meet and Greet the Candidates 3.0' programme, which was attended by 44 students from various engineering colleges, aspiring for GME-sponsored seats from reputed shipping companies. Several shipping company officials visited METI and interacted with students.

36. In alignment with IMO regulations and Amrit Kaal Vision of the Government of India, CSL METI and Bernhard Schulte Ship Management (India) Pvt. Ltd. (BSM) have signed an MoU to conduct one-day practical firefighting and IGF (basic and advanced) training courses for BSM seafarers. These DGS-approved courses are designed to meet the international code of safety for ships using gas or other low flash point fuels. CSL has successfully trained 302 seafarers across 31 batches under this programme.

37. CSL and Maersk A/S, Denmark have signed an MoU for collaboration in various key areas. The MoU inter alia promotes knowledge exchange on global standards to build world-class capabilities in line with the Government of India's Maritime India Vision (MIV) 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision (MAKV) 2047, which together envision India as a premier global maritime hub. Further, CSL and Maersk have signed an MoU for sponsoring ten GME trainees of METI. Presently, they have sponsored eight GME trainees. Furthermore, CSL METI has developed skill-enhancement programmes viz., 'five days Fitter Enhancement Training Programme' and 'five days Welder's Bridging Training Programme' for the seafarers of Maersk. So far CSL has completed the above up-skilling training programme for 11 batches of 133 seafarers of Maersk.

38. Further, METI received A1 Grade (Outstanding Grade) by LR Class on behalf of the Directorate General of Shipping in the CIP Audit for the year 2025. METI has received the A1 Outstanding Grade for three consecutive years.

Training Institute

39. The Training Institute conducted various training programmes on employability, communication skills, soft skill for hard situations and anti-drug abuse and cyber security for Act apprentices and trainees completing their apprenticeship programmes. In addition, the Training Institute provided skill development training for 76 MEWP (Mobile Elevating Work Platform) operators including CSL employees, on-contract workmen, trainees and employees of contractors. Moreover, the CSL Training Institute provided internships to a total of 1,542 degree and management students from various colleges across the country. During the year 2025-26, CSL imparted training to 704 trainees, including 665 under the Apprentices Act, 1961, and 39 under the Prime Minister's Internship Scheme (PMIS). Furthermore, the CSL Training Institute has commenced two batches of a two-year rigger training course under the Skill Development Programme.

40. ASAP Kerala Collaboration – In line with the Government of India's initiative on skilling, re-skilling and up-skilling manpower for the growing maritime industry, CSL and the Additional Skill Acquisition Programme (ASAP) Kerala, a Section 8 company under the Higher Education Department, Government of Kerala, have signed an MoU to provide multi-skill training in shipbuilding, ship repair and marine engineering for ITI-certified youth. As per the MoU, ASAP provides two months of theory training, CSL provides three months of practical training and nine months of on-the-job training. CSL also provides one-year contract employment after completion of the training. A joint certification is awarded by CSL and ASAP.

41. CSL developed the 'Marine Structural Fitter Training Programme', a multi-skilling initiative that commenced in February 2022. About 92 candidates have completed the programme, with 93 candidates currently undergoing training.

Prime Minister's Internship Scheme (PMIS)

42. CSL remains committed to nurturing future professionals by supporting national initiatives aimed at building a skilled and competent workforce. As part of the Prime Minister's Internship Scheme (PMIS), CSL has provided hands-on experience to 39 interns with the objective of bridging the gap between academic learning and professional practice, thereby promoting skill development and employability among youth.

CSL Academia Collaboration Policy

43. CSL has formalised its commitment to research and innovation through the introduction of the CSL Academia Collaboration Policy (COLLAB). This policy establishes a structured framework for strategic partnerships with academic institutions, aimed at fostering skill development, process enhancement and technological advancement

within CSL and the wider maritime sector. Under this scheme, 17 students are currently undertaking projects, two students are engaged in internships and four faculty members are undergoing professional training at CSL.

Employee Welfare Measures

44. Child Care Leave (CCL) – From the calendar year 2025, those employees (executives, supervisors or workmen) with two years of regular service in CSL shall be eligible for CCL up to two years (i.e., 730 days). All women employees with dependent disabled children (40% or more disability) are eligible for CCL without age restrictions. All single parents (male or female) with minor dependent children (up to 18 years old) are also eligible for CCL for purposes such as exams or sickness during the entire service.

45. Employee Welfare Crowd Funding Scheme – CSL has launched an Employee Welfare Crowd Funding Scheme 'Cochin Shipyard Employees Parivar Parirakshan Yojana (SEPPY)' in order to support the bereaved family of an employee in the event of death of an employee. The scheme operates in such a way that an amount of ₹600 will be collected from each employee on the rolls of the Company in the event of death of a regular employee. As per the scheme, the Company will provide financial support at the rate of 1.5 times of fund collected through employee crowd funding, subject to a limit of ₹15 Lakhs in the event of each natural death case. The maximum benefit provided to the dependents through the scheme shall be ₹25 Lakhs. During the financial year 2025–26, an amount of ₹25 Lakhs was disbursed to the dependents of a deceased employee in accordance with the provisions of the scheme.

46. Enhancement of relief under Cochin Shipyard Employees Mutual and Public Welfare Trust (CSEMPWT) – CSL enhanced the financial death relief to ₹8 Lakhs and funeral expenses to ₹25,000 to the dependents of the members of the trust in the event of death of an employee.

47. Welfare assistance and special casual leave for the care of differently abled children – CSL is granting monthly welfare assistance of ₹4,500 to all permanent employees who are having differently abled wards. They are also given time off for taking care of the ward in emergency situations limited to a maximum of 5 special casual leaves in a calendar year.

48. Modified CSL Medical Assistance Scheme – CSL has modified the medical assistance scheme for employees by empanelling 34 hospitals (Super-specialty/ multi-specialty/ specialty and other-specialty hospitals) in Ernakulam district for the treatment of CSL employees and their eligible dependent family members. The expenses towards the inpatient/ day care treatment availed at these 34 empanelled hospitals shall be settled directly by CSL to the hospital. In the case of hospitals outside Ernakulam district, the admissible treatment expenses shall be reimbursed to the employees.

49. CSL Rudder Actionable Insights, Informed Decisions – A mobile application developed and launched as a part of the digital transformation initiatives of CSL. The application offers a bunch of new facilities to CSL users. The application can be used by both internal users like all permanent staff including officers, supervisors and workmen and external users like retired employees etc. Employee profile, attendance details, salary slips, leave details, medical claims status, dependents information, loan details, PF data, capture reporting time etc., are some of the features included in Rudder application.

50. Infertility treatment scheme was launched in the year 2020 for providing reimbursement of medical expenses incurred for infertility treatment for all permanent employees. An amount not exceeding ₹1 Lakh per cycle or the actual cost whichever is lower is permitted for reimbursement and the same will be allowed up to a maximum of three fresh cycles with prior approval. Special leave for a maximum of 10 days in a year and a maximum of 20 days are being granted during the service of an employee who undergo procedures as part of infertility treatment. A total of 31 employees were granted permission to avail the benefits under this scheme as on March 2026.

51. National Pension System (NPS) was introduced in CSL in order to facilitate contributory pension scheme for all permanent employees. CSL is contributing 10% of the wages (Basic + DA) to the individual account of the employees as employer contribution from April 2021 onwards. The scheme provides attractive income tax benefits to the employees and also ensures a hassle-free life post retirement.

52. CSL introduced paternity leave in the year 2019 to male employees of the Company including for valid adoption of a child below the age of one year.

53. CSL as a people first and people caring organisation felt the necessity to support the employees availing leaves owing to rare and extra ordinary circumstances such as treatment for cancer, organ failure and organ transplantation. From the calendar year 2023, 180 days of special leave during the service period has been sanctioned to all regular employees for undergoing treatment of cancer like surgery, chemotherapy or organ failure or donation of organ. There are also cases reported where the dependents of employees are in the similar situation and the employees have to avail leave to take care of them. As a support for

the ailing family members, special leave can also be availed by employees for the days required for chemotherapy and organ transplantation of their dependents.

54. It has also been noted that a number of CSL employees are donating blood to the needy as a noble act and a life-saving gesture. All regular employees are also allowed to avail special leave for one day for donating blood, subject to a maximum of three occasions in a year.

55. Further, as part of the Company's employee health and well-being initiatives, CSL successfully completed the Annual Health Check-up programme for all regular employees during the financial year 2025–26.

Encouraging Thought Provoking Ideas

56. 'Nethruthwa Samvriddhi Yojana' – Leadership Acceleration Programme (LEAP) was launched in the year 2016 to encourage and motivate executives in the grades E1 to E4 for pursuing higher studies in premier institutes both in India and abroad. The core benefit under the scheme is not only a grant of study leave for two years, but reimbursement of tuition fees in installments after they come back and join for duty. A maximum of three applicants are considered on an annual basis under LEAP scheme.

57. Mentor-Mentee scheme was launched in the year 2016 for ensuring personalised special attention by a senior executive. This collaboration gives junior executives, who are freshers, a feeling of engagement, belongingness and significant improvement in the inter and intra personal relationship in the organisation which lead to better retention.

Professional Assessments

58. Through an elaborate competency mapping exercise, four cultural competencies namely teaming, execution excellence, constraint breaking and continuous learning have been identified for CSL. These cultural competencies have been incorporated in all HR sub systems like recruitment, training, performance management, career development etc.

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations

59. Cochin Shipyard has been strictly complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Persons with Benchmark Disabilities (PwBD)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Ex-Servicemen issued by the Government of India from time to time. The Company has appointed separate liaison officers for SC/ ST/ OBC/ PwBD/ EWS and Ex-Servicemen to oversee the implementation of reservation policies. Reservation percentage is ensured through the maintenance of post-based roster system as prescribed by the Government of India.

Representation of SC/ ST/ OBC/ EWS, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority Employees

60. The representation of SC, ST, OBC, EWS, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority employees in various groups of posts as on March 31, 2026 is given below:

Category	Total Strength	SC	ST	OBC	EWS	PwBD	Minority
Group A	384	49	20	116	1	8	108
Group B	188	20	8	88	2	1	45
Group C	1,180	155	15	632	1	28	287
Group D	379	47	5	267	1	11	91
Total	**2,131**	**271**	**48**	**1,103**	**5**	**48**	**531**

Provision for Safeguard of Women

61. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act) and Rules framed thereunder are strictly complied with, including constitution of Internal Complaints Committees, which are chaired by senior woman executives. The Company has taken various initiatives for spreading awareness for prevention of sexual harassment including conducting sensitisation programmes across the organisation.

62. The details of complaints of sexual harassment filed under the POSH Act during the financial year 2025-26 is given below:

(i)	number of complaints pending as on March 31, 2025	1
(ii)	number of complaints received during the financial year 2025-26	2
(iii)	number of complaints disposed of during the financial year 2025-26	1
(iv)	number of complaints pending as on March 31, 2026	2
(v)	number of cases pending for more than 90 days	2

63. CSL has a woman Welfare Officer specifically to promote women empowerment activities and to formulate and implement welfare measures according to the needs of women employees of the Company. CSL celebrated International Women's Day in March 2026 with inclusive events that encouraged active participation.

64. Further, the Company extends all prescribed maternity benefits to eligible women employees and complies with the applicable provisions of the Maternity Benefit Act, 1961.

Integrated Management System (IMS)

65. Cochin Shipyard maintains its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System standards. The quality management systems are proposed to be rolled out across all ancillary units of CSL.

Information Security Management Systems (ISMS)

66. Cochin Shipyard has achieved a significant milestone by obtaining certification according to ISO 27001:2022 for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system (ISMS). This accomplishment underscores CSL's dedication to safeguarding sensitive information, bolstering cyber-resilience and driving operational excellence. CSL is the first company in the shipbuilding sector to implement ISMS, setting a new standard for information security in the industry.

Energy Management System (EnMS)

67. In March 2026, Cochin Shipyard was awarded ISO 50001:2018 certification for its Energy Management System (EnMS). This certification demonstrates CSL's commitment to enhancing energy performance through a structured approach to energy management, continuous monitoring and optimisation of energy consumption, thereby supporting sustainable and efficient operations.

Facility Upgrade and Capital Expenditure

68. The total capital expenditure incurred in 2025-26 amounted to ₹318.07 Crores. This related to modernisation and expansion, renewals and replacements, new dry dock, ISRF, CMSRU, CKSRU, CANSRU, subsidiaries etc.

Implementation of Official Language Policy

69. In pursuance of sub rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, Government of India have notified, in the Gazette of India, that 80% of ministerial staff of the Company have acquired working knowledge/ proficiency in Hindi.

70. On the occasion of the 150th anniversary of the National Song Vande Mataram and World Hindi Day, CSL organised a grand 'National Song – Vande Mataram' competition for colleges in Ernakulam district, in which a total of 14 colleges actively participated. The participants presented deeply emotional and melodious renditions of Vande Mataram, leaving a lasting impression on the audience. The first prize was awarded to Sacred Heart College, Thevara, the second prize to Muthoot Institute of Technology and Science, Puthencruz, and the third prize to St. Xavier's College for Women, Aluva. The winning teams were honored with prizes and certificates on the occasion of Republic Day.

71. On March 24, 2026, a career development seminar was successfully organised for MA/ BA students and research scholars of the Hindi Department at Nirmala College, Muvattupuzha, in collaboration with CSL. The primary objective of the programme was to familiarise students with various career opportunities and to strengthen their professional skills. The seminar was held in the college campus, where a total of 55 students from the Hindi Department participated enthusiastically. Another key aim of the programme was to provide practical exposure and encourage skill development so that students can take advantage of better career opportunities in the future. The keynote speaker for the event was Dr. Madhusheel Ailyath, Assistant General Manager, Reserve Bank of India, Kochi. Through this session, the students gained important and valuable insights into career options, higher education and preparation for competitive examinations.

72. On May 09, 2025, a Hindi Shilpashala was successfully organised for the children of CSL employees, with the aim of promoting the importance of the Hindi language and enhancing their linguistic skills. A total of 55 children actively participated in the event. Shri Prashant G Pai, Senior Manager, Canara Bank, led the session with engaging Hindi lessons and fun-filled activities. On this occasion, various competitions were organised for the children in Hindi, including quiz, Hindi film song activities and drawing competitions, providing participants with an enjoyable and interactive platform to showcase their language skills and creativity.

73. The Hindi Fortnight celebrations was held with great enthusiasm and pomp in CSL and its units (CMSRU, CKSRU and CANSRU) from September 14 to 28, 2025. Various competitions such as Hindi calligraphy, dictation, poem recitation, poem writing, news reading, administrative terminology, quiz, film songs, noting and drafting, slogan and poster, anthakshari and translation etc., were organised for the employees of CSL. More than 70 employees participated enthusiastically in each competition. The HR&LD Department won the Overall Championship Rolling Trophy by securing the highest marks in the competitions held as part of the Hindi Fortnight celebrations and the Official Excellence Award was awarded to the Medical Center.

74. As part of the Hindi Fortnight Celebrations 2025 and with the objective of promoting the use of Hindi as well as encouraging language-based oratory and critical thinking skills among students, CSL organised a Hindi debate competition for high school students (Classes 8, 9 and 10) from schools under the Kochi Municipal Corporation. A total of 12 schools actively participated in the competition. The topic of the debate was 'The Impact of Social Media on Youth'. In the competition, Navy Children's School, Kochi, secured the first prize, Chinmaya Vidyalaya, Vaduthala, won the second prize, Kendriya Vidyalaya No. 2, secured the third prize, and Greets Public School, Kaloor, achieved the fourth position.

75. Amrita Vishwa Vidyapeetham, Kochi Campus organised Hindi competitions (including poetry recitation, speech and essay writing) for students from various colleges in Ernakulam district, sponsored by CSL. The objective of these competitions was to enhance interest in Hindi language among youth, encourage their creative and linguistic talents and strengthen the promotion of official language Hindi. With the support of CSL, the event became more impactful and well-organised, fostering a positive attitude towards Hindi among the younger generation.

76. Shri Harikrishnan G, Manager (ER Dept.), brought pride to CSL by winning a commendation award in the Hindi short story writing competition organised by the Thiruvananthapuram Town Official Language Implementation Committee on January 16, 2026. The competition received a total of 87 entries from across South India, making this achievement particularly noteworthy.

77. With the objective of promoting the Hindi language among students, CSL distributed Hindi books to two CSR-supported schools viz., Government Higher Secondary School, Pezhakkapilly and Government Higher Secondary School, Chathamattam. This initiative aims to enhance students' proficiency in Hindi and encourage the development of good reading habits.

78. The 18th issue of the Hindi in-house magazine was released in September 2025 at CSL during the Hindi Fortnight celebrations. The first copy of the magazine was presented to Dr. Seema Suri, Non-Official Independent Director, by Shri Madhu Sankunny Nair, the then Chairman and Managing Director (CMD). The 19th issue of the Hindi in-house magazine was released on March 12, 2026 by Shri Jose V J, Director (Finance) and CMD (Additional Charge). On this occasion, the first copy of the magazine was received by Dr. Harikrishnan S, Director (Operations), from the CMD.

79. Four students from Maharajas College, Ernakulam, two students from CUSAT, Kochi and six students from Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Ernakulam successfully completed internship work in Hindi during April – March 2026. They were given a valuable opportunity to gain knowledge in areas such as the Official Language Policy, annual programmes, correspondence, noting and drafting, computer typing and record/file management.

80. Hindi workshops and Official Language Implementation Committee (OLIC) meetings were conducted during the year. Further, in-service training in Hindi Pragya Course (July –November 2025) commenced in the month of July 2025 under the Hindi Teaching Scheme. The course was conducted over a period of five months. A total of 20 employees appeared for the examination held on November 16, 2025, after successfully completing the course. All the employees passed the examination successfully.

81. With the objective of creating awareness about the official language among senior officers of the organisation, an official language management programme was organised on December 03, 2025, for officers at the Senior Manager and Manager levels. The programme was conducted by Dr. Madhusheel Ayilyath, Assistant General Manager, Reserve Bank of India, Kochi. He elaborated in detail on the Official Language Policy, annual programme, reports

related to the Parliamentary Committee on official language, unicode and other relevant aspects. Key issues concerning the role and responsibilities of senior officers in the implementation of the official language were also discussed. A total of 33 officers participated in the programme successfully.

Particulars of Employees and Related Disclosures

82. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. G.S.R. 463(E) dated June 05, 2015, government companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

83. Details are placed at **Annexure I**.

Risk Management

84. CSL has put in place a comprehensive Risk Management Policy, approved by the Board of Directors. The Company's Risk Management Policy aims to establish a structured and defined process for the identification, assessment, response, monitoring and reporting of risks.

85. As per the Policy, the CSL Board undertakes overall oversight of the risk management system. The Board periodically reviews the risk management process to ensure that key risks are being properly identified and effectively managed. The CSL management, comprising both Board-level and below-Board-level executives, has been entrusted with the implementation of the risk management process. To this end, CSL has set up functional Risk Management Committees and a Board-level Risk Management Committee to implement the Risk Management Policy across the organisation. These committees regularly review the risk management process and the Policy to ensure their continued effectiveness.

86. The diversified product mix of CSL, which includes both defense and commercial shipbuilding, as well as ship repair, provides the Company with a natural hedge against market risks. This diversification helps to mitigate the Company's exposure to fluctuations in any particular market segment, thereby enhancing the overall resilience of the business.

Health, Safety and Environment (HSE)

87. CSL continues to uphold the highest standards of Health, Safety and Environment (HSE), reinforcing our commitment to the safety and well-being of employees, customers and all stakeholders. CSL's approach is driven by a proactive HSE culture, supported by a robust management system that systematically identifies, assesses and mitigates potential risks. CSL firmly believe that maintaining a safe and healthy work environment is fundamental to sustainable operations and the overall success of the organisation.

88. The overall HSE Index score of CSL for 2025 stood at 79.36, reflecting sustained progress in Health, Safety and Environment performance. The continued focus on strengthening HSE governance has resulted in measurable improvements, highlighting the effectiveness of structured and proactive risk mitigation strategies in preventing incidents and accidents. This emphasis on proactive intervention over reactive response is clearly demonstrated through both the overall and departmental HSE Index scores, which serve as key performance indicators. These metrics reinforce CSL's commitment to embedding a strong safety culture and ensuring consistent HSE excellence across all functional areas of the organisation.

89. The HSE Star Rating System continued to serve as a critical framework for evaluating the annual HSE performance of subcontractors deploying 20 or more personnel within the Yard, based on a calendar year assessment. The system enables CSL to systematically monitor performance and drive continuous improvement in HSE standards among its stakeholders. Ratings awarded range from three-star to five-star levels, reflecting adherence to stringent HSE requirements. During the reporting period, a total of 31 subcontractors were recognised with CSL HSE Star Ratings.

90. As part of the continual refresher training initiative, a comprehensive refresher programme has been systematically conducted for CSL employees and subcontractor workmen. A total of 15,623.25 man-hours of structured safety training have been completed, reinforcing critical safety competencies, hazard awareness and compliance with established safety protocols across all levels of the organisation. These sessions are designed not only to revisit core safety principles but also to integrate learnings from recent incidents, audits and evolving industry best practices, thereby strengthening the overall safety culture within CSL.

91. In addition, CSL has established a collaboration with the Fire and Safety Department of Cochin University of Science and Technology to deliver specialised safety engagement programmes for its employees.

Industrial Security

92. CSL is a vital organisation with national importance and is classified as special security zone by both State and

Central Government as the security of establishment has got national importance. Overall security of the Company continued to be robust without causing any serious security concern during the year. The primary security of the establishment is entrusted with Central Industrial Security Force (CISF) unit under the command of Dy. Commandant, CISF. CSL has instituted twenty-four hours waterfront patrolling with armed CISF personnel in addition to QRT team. CSL has installed a state-of-the-art surveillance system (CCTV) covering the entire perimeter including all critical locations and installations. Further, CSL's integrated security system enhances surveillance through a central command and control room, an electrical smart power fence, an access control system and a visitor management system, thereby strengthening the overall security of the Yard. All security systems and measures introduced and installed in the Company are of international standards. Periodic mock drill exercises are conducted in coordination with Intelligence Bureau, State Police, State Fire Department, Bomb Squad and Navy to assess the readiness of CISF to counter any security threat, security breach, crisis or calamities.

93. CSL has also engaged DGR sponsored ex-servicemen security agency for supplementing existing forces mainly catering to external properties of CSL and also internal specific locations.

94. CSL was accorded status of Sub-AUA under C-DAC, Mumbai by UIDAI in October 2023. Accordingly, the Company carries out Aadhaar based verification under Aadhaar Act for identification of persons prior to issuing of entry passes. This process helps prevent impersonation and strengthens access control by ensuring that only verified individuals are granted entry to CSL.

Awards and Recognitions

95. During the financial year 2025-26, CSL received the following awards and recognitions:

(i) Maritime Excellence Award for Shipbuilding and Ship Repair at India Maritime Week 2025;

(ii) Best Stall for Creative Visualisation at India Maritime Week 2025;

(iii) Innovative HR Practices Award from National Institute of Personnel Management (NIPM);

(iv) Swachh Bharat Pakhwada Award 2025 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India;

(v) Outstanding PSU of the Year Award at the prestigious All India Management Association (AIMA) Leadership Excellence Awards event;

(vi) Kerala State Energy Conservation Award 2025 from the Department of Power, Government of Kerala through the Energy Management Centre;

(vii) First prize for the implementation of official language from Kochi Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) among the companies having more than 200 administrative employees;

(viii) First prize for the Hindi home magazine 'Sagar Ratna' from Kochi TOLIC (PSUs); and

(ix) First runner-up for the Overall Champion for the joint Hindi Fortnight celebrations, 2025.

Board of Directors' and Key Managerial Personnel

96. During the financial year 2025-26, the Board of CSL comprised of 7 Directors, consisting of a Chairman and Managing Director, 3 Whole Time Directors and 2 Part-time Official Directors (Government Nominees) and 1 Non-official (Independent) Director. For further details regarding the Board of Directors, including any changes thereto, please refer to the Corporate Governance Report, which forms part of the Directors' Report.

97. The details of changes in Key Managerial Personnel during the financial year 2025-26 are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation	Remarks
(i)	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Chairman and Managing Director	January 01, 2016	January 31, 2026	Superannuation
(ii)	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director (Technical)	April 05, 2018	May 31, 2025	Superannuation
(iii)	Shri Jose V J[(1)]	08444440	Director (Finance)	August 01, 2019	Continuing	Please refer note
			Chief Financial Officer	August 13, 2019		
			Chairman and Managing Director (Additional Charge)	February 01, 2026		

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation	Remarks
(iv)	Shri Sreejith K Narayanan	09543968	Director (Operations)	July 21, 2022	May 31, 2025	Superannuation
(v)	Dr. Harikrishnan S	10221559	Director (Operations)	August 27, 2025	Continuing	Appointment
(vi)	Shri Rajesh Gopalakrishnan	09576336	Director (Technical)	August 27, 2025	Continuing	Appointment
(vii)	Shri Syamkamal N	N.A.	Company Secretary & Compliance Officer	February 01, 2020	Continuing	No Change

(1) Shri Jose V J, whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company at the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 29, 2025. Further, consequent upon the retirement on superannuation of Shri Madhu Sankunny Nair as the Chairman and Managing Director of the Company on January 31, 2026, Shri Jose V J has been entrusted with the additional charge of the post of Chairman and Managing Director with effect from February 01, 2026.

Declaration and Meeting of Independent Directors

98. During the financial year 2025-26, there was only one Independent Director on the Board of CSL and the Company has received declaration from the Independent Director confirming that she meets the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013. A separate meeting of the Independent Directors could not be held during the year as there was only one Independent Director.

Details of Board Meetings held during 2025-26

99. Six Board Meetings were held during the year 2025-26 and the gap between two meetings did not exceed the statutory period. The dates on which the Board Meetings were held along with the attendance of Directors therein, are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
(i)	May 15, 2025	06	05
(ii)	August 12, 2025	05	04
(iii)	September 02, 2025	07	06
(iv)	November 12, 2025	07	06
(v)	January 28, 2026	07	05
(vi)	March 27, 2026	06	04

100. For more details with respect to the Directors, Board and Committee meetings held during the year and attendance of these meetings, refer Corporate Governance Report which forms part of Directors' Report.

Remuneration Policy/ Evaluation of Board's Performance

101. Cochin Shipyard is a Government of India company under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Presently, the Directors of the Company are presidential appointees and their remuneration is fixed in accordance with the DPE guidelines. Accordingly, Article 21(a) of the Articles of Association of CSL states that, President will appoint Directors and determine their remuneration. Since, the Board level appointments are made by President of India, the evaluation of performance of such appointees is also done by the Government of India. However, the Board evaluated the Non-official (Independent) Director of the Company vis-à-vis her performance and fulfilment of the independence criteria and found the same to be satisfactory.

Report of the Nomination and Remuneration Committee on Company's Policy on Directors' Remuneration

102. Presently, the remuneration of Board level appointees is determined in accordance with DPE guidelines. CSL has adopted a Board-approved Nomination and Remuneration Policy in compliance with the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013. The Policy is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Directors Responsibility Statement

103. Your Directors state that:

(i) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2026, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Companies Act, 2013 have been followed and there are no material departures from the same;

(ii) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2026 and of the profit of the Company for the year ended on that date;

(iii) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(iv) the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;

(v) the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively; and

(vi) the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

Contracts and arrangements with related parties

104. In line with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has put in place a Policy for dealing with the related party transactions and the same is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

105. During the year under review, all transactions entered into with related parties were approved by the Board, since there is no functional Audit Committee at present. Prior omnibus approval of the Audit Committee (if available) and the Board is obtained for the transactions which are foreseeable and of a repetitive nature. All related party transactions are placed on a quarterly basis before the Audit Committee (if available) and the Board for review.

106. All contracts, arrangements and transactions entered into by the Company with related parties during the financial year 2025-26 were in the ordinary course of business and on an arm's length basis. No related party transactions have been entered into by the Company during the year under review which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Therefore, the disclosure of related party transactions as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is not applicable for the financial year 2025-26 and hence does not form part of this Report. Further, your Directors draw attention of the members to Note 53 to the standalone financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee

107. The Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee of CSL ceased to exist with effect from November 22, 2024 due to the completion of tenure of the Independent Directors and the subsequent non-appointment of new incumbents by the Government of India. The CSR & SD Committee was reconstituted with effect from June 01, 2025 following the appointment of Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL on May 21, 2025. In the absence of CSR & SD Committee, CSR proposals were considered directly by the Board based on the recommendations of below Board level CSR Executive Committee.

108. From June 01, 2025 till January 31, 2026, the CSR & SD Committee comprised of Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director as Chairperson, Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) and Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Members. Consequent to the retirement of Shri Madhu Sankunny Nair, Chairman and Managing Director (CMD), on superannuation from services of the Company on January 31, 2026, the CSR & SD Committee was reconstituted with effect from February 01, 2026 with Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) & CMD (Addl. Charge) as Chairperson, Dr. Harikrishnan S, (DIN: 10221559), Director (Operations), Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), Director (Technical) and Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Members. The composition of the CSR & SD Committee remained the same as on March 31, 2026.

109. The CSR & SD Committee has formulated and recommended to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) indicating the activities to be undertaken by the Company, which has been approved by the Board. The CSR Policy can be accessed on the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3.

110. Cochin Shipyard started CSR activities in the year 2010-11 based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) applicable to Government Companies. CSL has put in place an effective CSR Policy and implementation machinery. The CSR implementation machinery consists of a three-tier system; Tier I CSL Board, Tier II CSL Board Level CSR Committee consisting of four members of the Board and Tier III CSL CSR Executive Committee consisting of senior level executives across various departments of the Company.

111. During the year 2025-26, the Company could engage in meaningful CSR initiatives that received appreciation both within Kerala and also nationally. The Company has spent ₹15.54 Crores against the target mandatory CSR spending of ₹13.89 Crores for the financial year 2025-26. 'Health & Nutrition and PM Internship Scheme' have been adopted as common theme for undertaking CSR activities by CSL for the year 2025-26.

112. The Annual Report on CSR activities is placed at **Annexure II**.

Audit Committee

113. Consequent to the vacation of office of all the Independent Directors with effect from November 22, 2024, upon completion of their tenure as prescribed by the Government of India and due to the non-appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India, the Company could not reconstitute the Audit Committee with effect from November 22, 2024.

114. Particulars regarding the Audit Committee are provided under the section 'Board Committees' in the Report on Corporate Governance.

Corporate Governance

115. The Company is committed to maintaining the highest standards of corporate governance and has put in place an effective corporate governance system. The Company complies with the applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises (DPE) except w.r.t the appointment of sufficient number of Independent Directors and related non-compliances including constitution of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. The Company submits its progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Administrative Ministry viz., Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors' Report.

Management Discussion and Analysis

116. A separate section 'Management Discussion and Analysis Report' has been included in the Annual Report and the same forms part of the Directors' Report.

Internal Financial Controls

117. The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the financial year 2025-26, the Company engaged M/s. Krishnamoorthy & Krishnamoorthy, Chartered Accountants for reviewing the adequacy of the internal financial controls and to ensure that proper and adequate systems are in place for compliance with the provisions of all applicable laws. During the financial year 2025-26, such controls were tested and no reportable material weakness was observed, with no major variation in the control environment during the year.

118. In order to provide for functional autonomy, the Company has a system wherein financial powers of the Board of Directors are delegated to the CMD. These powers are further sub-delegated to officers at various levels for smooth and efficient day to day functioning. An independent internal audit mechanism is in place for conducting extensive audit of various operational and financial matters. Compliance Audits are also being carried out by C&AG on a yearly basis.

119. The Board of Directors also looked into the internal control system, Company procedures and internal audit performance and reports. The Company has implemented an integrated ERP System (SAP) since July 2014 and upgraded the same to the latest version S/4HANA from April 2022, which is enabling better management control.

Statutory Auditors

120. M/s. Babu A Kallivayalil & Co. (Firm Registration No. 05374S), Chartered Accountants, Kochi were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2025-26. The shareholders have delegated the power to fix the remuneration of Statutory Auditors to the Board and accordingly, the same has been fixed by the Board.

Auditors Report

121. M/s. Babu A Kallivayalil & Co., Statutory Auditors have submitted their report on the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2026, on May 15, 2026. The Report does not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer.

Comments of C&AG

122. The comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Cost Auditors

123. The Company maintains cost records with respect to its shipbuilding activities as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013. The Board has appointed M/s. Rajendran Mani and Varier, Cost Accountants (Firm Registration No. 000006), Kochi, as the Cost Auditors for conducting the audit of cost records of the Company for the financial year 2025-26. The remuneration of Cost Auditor for the financial year 2025-26 was ratified by the shareholders at the 53rd AGM held on September 29, 2025.

Secretarial Auditor

124. The Board has appointed M/s. SEP & Associates, Practicing Company Secretaries, Kochi, as the Secretarial Auditors of the Company for a term of five consecutive years, commencing from the financial year 2025-26 till the financial year 2029-30. The said appointment of M/s. SEP & Associates was approved by the shareholders at the 53rd AGM held on September 29, 2025. The Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2026 is placed at **Annexure III**. The Secretarial Auditors in their Report observed the following:

(i) Composition of Board – Independent Directors

The Company did not have sufficient number of Independent Directors on its Board during the audit period, as required under Regulation 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"), Section 149 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and Clause 3.1 of the Corporate Governance Guidelines for Central Public Sector Enterprises ("CG Guidelines for CPSEs"). The Company only had one Independent Director on its Board during the audit period, who was appointed on May 21, 2025. Consequently, the Company was non-compliant with respect to the conduct of separate meeting of Independent Directors as mandated under Regulation 25(3)&(4) of the SEBI LODR Regulations and Schedule IV to the Act.

(ii) Woman Director/ Woman Independent Director

There was no Woman Independent Director on its Board from the start of the audit period up to May 20, 2025, as mandated under Regulation 17 of the SEBI LODR Regulations. Further, the Company was also non-compliant with the requirement of appointing at least one Woman Director under Section 149 of the Act during the said period.

(iii) Audit Committee

The Company did not have a duly constituted Audit Committee during the audit period, as required under Regulation 18 of the SEBI LODR Regulations, Section 177 of the Act, and Clause 4.1 of the CG Guidelines for CPSEs. Consequently, the Company was also non-compliant with respect to the conduct and frequency of Audit Committee meetings as mandated under Regulation 18(2) of the SEBI LODR Regulations and Clause 4.4 of the CG Guidelines for CPSEs.

(iv) Nomination and Remuneration Committee

The Company did not have a duly constituted Nomination and Remuneration Committee during the audit period, as required under Regulation 19 of the SEBI LODR Regulations, Section 178 of the Act, and Clause 5.1 of the CG Guidelines for CPSEs. Consequently, the Company was also non-compliant with respect to the conduct and frequency of Nomination and Remuneration Committee meetings as mandated under Regulation 19(3A) of the SEBI LODR Regulations.

(v) Stakeholders Relationship Committee

The Company did not have a duly constituted Stakeholders Relationship Committee from the start of the audit period up to May 31, 2025, as required under Regulation 20 of the SEBI LODR Regulations and Section 178 of the Act.

(vi) Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

The Company did not have a duly constituted Corporate Social Responsibility Committee from the start of the audit period up to May 31, 2025, as required under Section 135 of the Act.

(vii) Risk Management Committee

The Company did not have a duly constituted Risk Management Committee from the start of the audit period up to May 31, 2025, as required under Regulation 21 of the SEBI LODR Regulations.

(viii) Quorum for Board Meetings

The requirement of quorum of at least one Independent Director as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations was not met in the Board Meeting of the Company held on May 15, 2025 as there were no Independent Directors on the Board of the Company.

125. The explanation of the Board to the observations in the Secretarial Audit report is given below:

CSL is a Central Public Sector Enterprise under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. Accordingly, the appointment of Directors on the Board of CSL is done by the Government of India by following due procedure of selection. The Company has forwarded necessary requests to the Government of India for filling up the vacancies of Independent Directors including a woman director. Consequently, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide their Letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, appointed Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL. Following her induction, the Company reconstituted the Stakeholders Relationship Committee, the Risk Management Committee and the CSR Committee on June 01, 2025. The appointment of the remaining five Independent Directors is awaited from the Government of India and constant efforts are being made to meet the compliance requirements. The Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee will be duly reconstituted in line with the SEBI LODR Regulations once sufficient number of Independent Directors are appointed by the Government of India.

Internal Auditor

126. The Board has appointed M/s. Elias George & Co., Chartered Accountants, Kochi, to conduct Internal Audit for the financial year 2025-26.

Annual Return

127. The annual return of the Company as required under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/55.

Investor Services

128. The shares of the Company are listed in BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). CSL has paid listing fees to BSE and NSE on time. MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) are the Registrar and Transfer Agents in respect of these equity shares.

129. As on March 31, 2026, 8.72% Tax Free, Secured, Redeemable, Non-Convertible Bonds of only ₹23 Crores is outstanding for CSL, which will be matured in March 2029. The said bonds are fully dematerialised with both the depositories, NSDL and CDSL and are listed on Wholesale Debt Market ("WDM") segment of BSE. During the year India Ratings and Research (Ind-Ra) and Care Ratings reaffirmed its ratings of CSL instruments of IND AAA/ Stable and CARE AAA/ Stable respectively. CSL has paid the listing fees to BSE on time in respect of the bonds. MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) is the Registrar and Transfer Agents and SBICAP Trustee Company Limited is the Debenture Trustees in respect of the bonds.

Vigilance

130. The Vigilance Department of CSL integrates preventive, proactive and punitive measures to uphold organisational integrity. By conducting investigations, surveillance and detection initiatives, the department ensures transparency, equity and competitive efficiency in all affairs, including procurements. In strict adherence to the Central Vigilance Commission (CVC) guidelines, the department regularly engages with the management and heads of departments. It prioritises sensitisation programmes for officers and supervisors to foster a culture of vigilance.

131. Strengthening Vigilance Capabilities – Dr. C. Pandi Selva Durai, IOFS, serves as the full-time Chief Vigilance Officer, leading the Vigilance Department. The department also includes a Vigilance Officer (a DySP rank police officer from Kerala Police on deputation to CSL), two CSL officers and three supporting staff. The Chief Vigilance Officer also oversees the vigilance functions of CSL's wholly owned subsidiaries, Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL).

132. Systemic Improvements and Inspections – The Vigilance Department conducted Chief Technical Examiner (CTE) type intensive examinations and recommended various systemic improvements based on the findings and observations. CTE type inspections were carried out on select major works and procurements from the Civil Department, the Infra Projects Department, the Ship Building and the Ship Repair divisions. During the financial year, the Department monitored various contracts and audit reports and conducted surprise/ periodic inspections across operational areas, suggesting corrective actions wherever necessary. All reports to the CVC, including quarterly progress reports and quarterly performance reports, were submitted on time.

133. Some of the key initiatives undertaken by the Department as part of strengthening vigilance measures in CSL include the introduction of an online suggestion box to enable employees to share constructive suggestions or report instances of misconduct, unethical practices or rule violations; the introduction of a new transaction code

to identify non-moving and slow-moving stock items for better inventory management and to prevent blockage; and the automated capture of Quarterly Progress Report (QPR) data to eliminate errors and delays associated with manual consolidation.

134. Vigilance Awareness Initiatives – As a prelude to Vigilance Awareness Week 2025, as per CVC's directions, a three-month campaign was organised from August 18, 2025 to November 17, 2025, focusing on various activities to enhance vigilance awareness and sensitisation among officers and supervisors. As part of a special drive, scrap/waste management has also been identified as a focus area. Several initiatives, including systemic improvements, were implemented, leading to a significant increase in scrap disposal. As a result, revenue from scrap disposal rose substantially in 2025–26. There has been a significant improvement in scrap management and yard housekeeping. The Vigilance Awareness Week was also observed in a befitting manner during October – November 2025 on the theme 'Vigilance: Our Shared Responsibility'.

Right to Information Act

135. In order to promote transparency and accountability, CSL has implemented the provisions of the Right to Information (RTI) Act, 2005 in its true letter and spirit and an appropriate mechanism has been set up in the Company with a dedicated centralised RTI Cell to provide information to the citizens under the provisions of this Act. All the RTI requests and the appeals received both online and offline during the year 2025-26 have been processed and information was provided in a time bound manner as stipulated in the Act.

136. There have been no instances of non-compliance by the Company. No penalties or strictures were imposed on the Company by any statutory authority during the last three years with respect to RTI.

Vigil Mechanism

137. The Cochin Shipyard Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy of CSL adopted by the Board of Directors at their 228th Meeting held on December 14, 2016 was functioning as the Vigil Mechanism of CSL. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019, which is amended from time to time as necessary. The prevailing Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of CSL is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

138. Nil.

Particulars of loans, guarantees or investments

139. During the year under Report, the Company has not

(a) given any loan to any person or other body corporate;

(b) given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and

(c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013 except as stated below.

As part of the arrangement with Dredging Corporation of India Limited (DCIL) under the Shipbuilding Contract for building the country's largest dredger, the 12,000 Cu.M Trailer Suction Hopper Dredger (TSHD), the Company, in February 2026, subscribed to 11,148 Secured, Unrated, Unlisted, Redeemable, Non-Convertible Debentures (NCDs) of DCIL at a face value of ₹1 Lakh each, aggregating to ₹111.48 Crores. The NCDs carry a coupon rate of 7.72% per annum and are redeemable at par after 10 years, with an option for early redemption after 5 years. The proceeds from the said NCDs were utilised by DCIL to meet its payment obligations to CSL for the procurement of the said dredger. The NCDs, held in demat form, are secured by a first pari passu charge on the said dredger, shared with Deutsche Bank AG. Catalyst Trusteeship Limited acts as the Debenture Trustee.

Raising funds through Blue Bonds – Update

140. CSL had explored the possibility of raising funds by way of issuance of US$ denominated non-convertible senior unsecured fixed rate notes ("Notes") for an aggregate amount up to US$ 50 million, primarily to finance Company's eligible sustainable projects or other permissible end uses in accordance with applicable law. However, in view of significant changes in economic conditions, which have made domestic borrowing more cost-effective, and a revision in the implementation

approach of the Company's key sustainability projects, the proposal not pursued further.

Material changes and commitments

141. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Details of change in nature of business

142. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under report.

Deposits

143. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Secretarial Standards

144. The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

Significant and Material orders

145. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Proceedings under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

146. There was no application made or proceeding pending against the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) during the year under review.

Business Responsibility and Sustainability Report

147. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated inclusion of Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) as part of the Annual Report for top 1,000 listed entities based on market capitalisation. Further, for the top 500 listed entities, SEBI has also mandated assessment or assurance of the specified parameters as per the BRSR Core to be obtained from an independent expert. BRSR indicates the Company's performance against the principles of the 'National Guidelines on Responsible Business Conduct' and BRSR Core is a sub-set of the BRSR, consisting of a set of Key Performance Indicators (KPIs)/ metrics under nine environment, social and governance attributes. Accordingly, the Company has provided BRSR in the prescribed format along with the Assurance Report on BRSR Core given by Sustainability Actions Private Limited, which forms part of the Annual Report and is also available on the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/53. This would enable the Members to have an insight into environment, social and governance initiatives of the Company.

Other Statutory Disclosures

148. No disclosure or reporting is made with respect to the following items, as there were no transactions during FY 2025-26.

(i) There was no issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise;

(ii) There was no issue of equity shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under Employees Stock Option Scheme;

(iii) The Company does not have any scheme or provision of money for the purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefits of employees;

(iv) There was no instance of one-time settlement with any Bank or Financial Institution;

(v) Directors of the Company have not received any remuneration or commission from any of its subsidiaries;

(vi) The Company has not failed to implement any corporate action; and

(vii) There was no revision of financial statements and/ or Directors' Report of the Company under Section 131 of the Companies Act, 2013.

Acknowledgement

149. The Board of Directors places on record their deep appreciation for the unwavering support and guidance extended by the Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping and Waterways and all officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The Board would also like to express its heartfelt gratitude for the co-operation and assistance received from various offices of the Government of India, Government of Kerala, Government of West Bengal, Government of Karnataka, Government of Maharashtra, Andaman and Nicobar Administration, various local bodies, the Comptroller and Auditor General of India, statutory auditors, secretarial auditors, cost auditors, internal auditors, BRSR Core assurance providers and the bankers.

150. Further, the Board extends sincere thanks to our valued shareholders, investors, customers, suppliers and sub-contractors for their continued support. The Board also recognise and appreciate the dedication and commitment of all employees of Cochin Shipyard Limited and its subsidiaries.

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

Kochi
May 15, 2026

Annexure I

A. Conservation of Energy

(a) Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2025-26:	**STEPS TAKEN** • Obtained ISO 50001: 2018 – Energy Management System (EnMS) Certification; • Installation of Variable Frequency Drive (VFD) in repair dock ballast pump; • Installed sensor-based lighting control in shipbuilding service tunnel and substations; • Installed sensor-based lighting in common areas; • Replacement of conventional crane girder lights with LED alternative; • Replaced conventional AC systems with 5-star inverter-based AC systems; • Use of energy efficient BLDC/ 5-star fans instead of ordinary ceiling/ wall fan; • Service of oil cooled transformers improved overall efficiency, thus contributing to energy conservation; • Leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines are regularly monitored and rectified; • Power factor is continuously monitored and maintained near unity; • Switching off main air compressor during lunch break; and • Displayed energy saving stickers and posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power. **IMPACT** Energy saving is approx. 4.75 Lakhs units per annum with the implementation of measures specified above.
(b) Steps taken for utilising alternate sources of energy:	• Installed a total of 580 kWp grid connected solar power plant on the rooftop of various buildings/ shops in addition to the existing 1972 kWp grid connected solar power plant. With this, the total installed capacity of solar power plants in CSL has become 2252 kWp; • 21.04 Lakhs units of energy were generated from existing solar power plants of capacity 2252 kWp during the year 2025-26; • Sequestration of ~525kg, CO2 emissions per year through installation of 5 nos. of liquid trees in conference halls and common areas; and • Purchased 104.67 Lakhs units of renewable energy through Open Access (Green Day Ahead Market).
(c) Capital investment on energy conservation equipments:	• An amount of approximately ₹63.50 Lakhs has been invested for implementation of energy conservation measures specified above.

B. Technology Absorption, Adaptation and Innovation

(a) Efforts made towards technology absorption:	• Participated in the seakeeping and maneuvering model test programme of NGMV powered by waterjets at NSTL, Visakhapatnam;
	• Participated in the resistance model test programme of ASV at NSTL, Visakhapatnam;
	• Engaged CUSAT for the research on hull form optimisation using OpenFOAM and SHIPFLOW for enhancing the in-house CFD and optimisation capability;
	• Launching Calculations: Performed calculations and validated by 'NAPA' software for slipway end-launching of MPVs and tugs at Hooghly-CSL;
	• M-Tech Project Guidance: Guided five M-Tech students on industry-relevant topics from CUSAT and GEC Thrissur, enhancing in-house capability in the domain of structural design and CFD analysis. Respective conference papers presented in RAMPTS 2025 conducted by GEC Thrissur and ICANOE 2025 conducted by CUSAT;
	• B-Tech Project Guidance
	  • Guided 19 B-Tech students on industry-relevant topics from CUSAT, IIT Madras and Christ Knowledge City and respective conference papers presented in ICSOT 2025 conducted by IIT Kharagpur; and
	  • Guided four B-Tech students on industry relevant topics from GEC Thrissur.
	• Workshops/ training sessions attended
	  • 1-day technical session on MR Tanker by BV;
	  • 1-day training programme on dynamic positioning by ABB;
	  • 1-day training programme on LNG DF container vessel by BV;
	  • 1-day training session on simufact welding software by Hexagon;
	  • 1-day workshop on advanced ship simulations by ANSYS;
	  • 1-day workshop on Interactive Electronic Technical Manual (IETM) by TCS;
	  • 2-day workshop on hydrodynamic analysis and optimisation of ship hulls by CAESES and SHIPFLOW;
	  • Knowledge sharing session on cybersecurity by ABS;
	  • Training on platform level integration by WESEE;
	  • Training on integrated logistics support by RINA;
	  • 1-week session on AI for managers conducted by IIM Lucknow;
	  • 1-day session on hydrodynamic and propulsion seminar by Kongsberg; and
	  • 1-day workshop for professional naval architects on development and challenges in computational hydrodynamics.
	• Acquired AUV hardware and software integration skills by closely working with DRDO;
	• Implementation of digital twin for predictive maintenance of gas turbines of INS Vikrant;
	• Patent filing in progress for LARS (Launch and Recovery System) design, sensor-based drydocking solution, electro-optics-based drydocking solution;
	• Indigenous development of an advanced welding process in progress in collaboration with a technology partner; and
	• Conferences/ workshops attended by team members on innovation management, decarbonisation, energy efficiency and new green solutions in shipping, IMO MSC Session 110 (MASS).

(b) Efforts made towards Technology Innovation:	• Development of basic design of 80 Pax river cruise vessel for Heritage River Journeys Private Limited;
	• Development of bid design for next generation fast patrol vessels for Indian Coast Guard;
	• Development of bid design for next generation survey vessels for Indian Navy;
	• Performed finite element analysis on following projects in 3DEXPERIENCE SIMULIA:
	  • Lifting analysis of ASW hull blocks;
	  • Vibration analysis of modified electro optic device foundation of 30mm gun for ASW;
	  • Strength analysis of structure IWO Bollard for NGMV;
	  • Strength Analysis of structure IWO RAS arrangement for NGMV;
	  • Static and dynamic analysis of 12.7mm Stabilised Remote Control Gun (SRCG) foundation structure of NGMV;
	  • Strength analysis of structure IWO Fin Stabiliser for NGMV;
	  • Dynamic analysis of lynx foundation structure of NGMV;
	  • Design and analysis of A-frame trestle for loading 50T hull block;
	  • Performed self propulsion CFD analysis using OpenFOAM for 80 Pax river cruise vessel; and
	  • Performed shallow water resistance analysis using OpenFOAM for 80 Pax river cruise vessel.
	• Design and development of various critical systems for autonomous surface vessel including command and control station, radar technology, camera technology and autonomy stack;
	• Prototype testing of an active load stabilisation system for marine and non-marine cargo handling operations;
	• Detailed designing of a ground control station for AUV;
	• Design and development of an innovative sensor aided drydocking assistant system; and
	• Indigenous development of an advanced welding process in progress in collaboration with a technology partner.

Disclosure of particulars in respect of absorption

(a) Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions:	• CSL was declared lowest bidder for next generation survey vessels with design developed in-house; and • Indigenous development of critical marine vehicles and related subsystems by collaborating with specialised and leading firms.
(b) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year):	
(i) The details of technology imported:	(i) SHIPFLOW; (ii) VME based automation system training kit, Italy; (iii) NUPAS Cadmatic; and (iv) NavCad Premium.
(ii) The year of import:	(i) 2024-25; (ii) 2023-24; (iii) 2023-24; and (iv) 2023-24.
(iii) Whether the technology been fully absorbed:	Yes, in the year of import itself.

(iv) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place and the reasons thereof:	Not Applicable.
(c) Expenditure incurred on Research and Development/ Innovation initiatives:	₹2,440.88 Lakhs

C. Foreign Exchange Earnings and Outgo

(₹ Lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25
Earnings in Foreign Exchange		
From Shipbuilding	60,651.10	45,080.77
From Ship Repair	33.26	72.27
Total	**60,684.36**	**45,153.04**
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	77,835.23	94,358.80
Design and Documentation	2,914.78	4,066.78
Service Charge and Others	15,266.78	9,747.50
Total	**96,016.29**	**1,08,173.08**

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

Kochi
May 15, 2026

Annexure II

Report on Corporate Social Responsibility

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

The CSR activities in the Company for the year 2025-26 were undertaken in line with the statutory provisions under the CSR Rules, the guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central PSUs and the CSR Policy of the Company.

As per the CSR Policy of the Company, for administrative convenience, the Company operates the projects under the categories of Minor projects, which are urgent in nature having value of ₹10 Lakhs or less with the approval of Chairman and Managing Director, limited to 10% of total spent. All other projects are categorised as Major projects. 5% of the total spent is earmarked towards administrative overheads, which includes salary, expenditure on training and travel by CSR staff working in the Department.

Theme for the year: Health & Nutrition and PM Internship Scheme.

2. Composition of CSR Committee

The Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board recommends the CSR projects from time to time for the approval of the Board. However, effective November 22, 2024, the CSR & SD Committee ceased to exist due to the completion of tenure of the Independent Directors and the subsequent non-appointment of new incumbents by the Government of India. The CSR & SD Committee was reconstituted with effect from June 01, 2025 following the appointment of Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL on May 21, 2025. Accordingly, from November 22, 2024 till May 31, 2025 the CSR proposals were considered directly by the Board of Directors of the Company based on the recommendations of the below Board level CSR Executive Committee. The Composition of the CSR & SD Committee from June 01, 2025 till January 31, 2026 is given below:

Sl. No.	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR & SD Committee	
			held during the year	attended during the year
1.	Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798)	Chairman and Managing Director – Chairperson	3	3
2.	Shri Jose V J (DIN: 08444440)	Director (Finance) – Member	3	3
3.	Dr. Seema Suri (DIN: 11117145)	Non-official (Independent) Director – Member	3	3

Consequent to the retirement on superannuation of Shri Madhu Sankunny Nair as the Chairman and Managing Director of the Company on January 31, 2026, the CSR & SD Committee was reconstituted on February 01, 2026 with Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) & CMD (Addl. Charge) as Chairperson, Dr. Harikrishnan S, (DIN: 10221559), Director (Operations), Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), Director (Technical) and Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Members. No meetings of the CSR & SD Committee were held during their tenure in FY 2025-26.

3. Web-link where Composition of CSR & SD Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company

Composition of CSR & SD Committee	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab4
CSR Policy	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3
CSR projects approved by the Board	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab10

4. Executive summary along with web-link(s) of Impact assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014

Impact assessment of the project 'Welding for Nation Building' was carried out by the School of Management Studies (SMS), Cochin University of Science and Technology (CUSAT). The summary of the report submitted by them is given below:

An independent impact assessment of the Welding for Nation Building CSR project of Cochin Shipyard Limited (CSL), implemented in partnership with Don Bosco Tech, Vaduthala, with the objective of enhancing employability and livelihood opportunities for youth from economically disadvantaged and Below Poverty Line (BPL) households in Kerala, was conducted by the School of Management Studies (SMS), Cochin University of Science and Technology (CUSAT) using the OECD-DAC Evaluation Framework. The assessment evaluated the project across six dimensions viz., Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact and Sustainability, through a mixed-methods approach involving stakeholder interviews and a structured survey of 123 beneficiaries.

The assessment found the project to be highly relevant, effectively addressing the need for affordable, industry-oriented welding training for economically disadvantaged youth in Kerala. By targeting first-generation technical learners and aligning training with industry demand, the programme has enhanced employability while supporting the growth of key sectors such as construction, fabrication, shipbuilding and manufacturing.

The project demonstrated strong coherence with national skill development initiatives, including the Skill India Mission and the National Skill Development Policy, while aligning closely with CSL's CSR objectives and core business ecosystem.

The evaluation confirmed that the programme has successfully achieved its intended outcomes. High completion and certification rates, increased technical competency, enhanced confidence among trainees and positive employment outcomes reflect the effectiveness of the training model. Employers also acknowledged the technical proficiency and safety awareness of trained welders.

The assessment further highlighted the project's efficient utilisation of CSR resources, delivering high-quality, industry-standard training at no cost to beneficiaries through optimal use of infrastructure, practical learning, advanced welding simulators and recognised certification, thereby ensuring strong value for money.

The project has generated significant socio-economic impact by improving livelihoods, strengthening household incomes, enhancing professional confidence and facilitating the productive employment of economically disadvantaged youth. These outcomes have contributed to greater social inclusion and the effective utilisation of India's demographic dividend.

The assessment also concluded that the project's benefits are sustainable, supported by transferable technical skills, industry-recognised certification and sustained demand for skilled welders. Overall, the Welding for Nation Building initiative is recognised as a well-designed, impactful and replicable CSR intervention that effectively translates skill development into sustainable livelihood opportunities while creating long-term value for beneficiaries, industry and society.

The full report is available on the Company's website and can be accessed through the link https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab8.

5. (a) Average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, 2013 ("Act"): ₹891.99 Crores

   (b) Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Act: ₹17.84 Crores

   (c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years : Nil

   (d) Amount required to be set-off for the financial year, if any : ₹3.95 Crores

   (e) Total CSR obligation for the financial year [(b) + (c) – (d)]: ₹13.89 Crores

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project) : ₹14.84 Crores

   (b) Amount spent in Administrative Overheads: ₹0.70 Crores

   (c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : Nil

   Note: The payment for impact assessment carried out in FY26 will be paid in FY27.

   (d) Total amount spent for the financial year [(a) + (b) + (c)]: ₹15.54 Crores

(e) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the financial year (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135 of the Act		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
15.54 Crores	Nil	NA	NA	Nil	NA

(f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Act*	13.89 Crores
(ii)	Total amount spent for the financial year	15.54 Crores
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii) - (i)]	1.65 Crores
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set-off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	1.65 Crores

*The CSR obligation for the financial year 2025-26 after adjusting the excess spent during the financial year 2024-25.

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three financial years:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Sl. No.	Preceding financial year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 of the Act (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 of the Act (in ₹)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act, if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in ₹)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹)	Date of transfer		
1.	2024-25	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil
2.	2023-24	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil
3.	2022-23	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year:

◉ Yes No

If Yes, enter the number of capital assets created/ acquired 78

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year:

Please refer **Annexure IIA**.

9. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135 of the Act:

Not Applicable.

Jose V J
Chairperson, CSR & SD Committee
Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

Kochi
May 15, 2026

Annexure IIA

Details relating to the capital assets created/ acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year 2025-26

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Construction of additional classrooms	683572	15.06.2025	50,000	CSR00054554	St. Rockey's L P School	Elavoor P O, Angamali, Ernakulam, Kerala
2.	Vehicle for transportation of special children	682313	26.04.2025	52,400	CSR00047166	Buds Rehabilitation Centre	Edakkattuvayal Grama Panchayat, Edakkattuvayal, Ernakulam, Kerala
3.	Vehicle for distribution of food to various wards in the hospital at Mental Health Centre, Perurkada, Thiruvananthapuram	695005	10.06.2025	54,897	CSR00074709	District Collector, Chairperson, Hospital Development Committee, Thiruvananthapuram	Collectorate, Civil Station, Kudappanakunnu, Thiruvananthapuram, Kerala
4.	Drinking water project providing tube well in villages	743374	12.07.2025	1,00,000	CSR00001189	South Sundarban Jan Kalyan Sangha	Raghunathpur, Madhabnagar P O, South 24 Parganas, West Bengal
5.	Setting up butterfly garden at Bharata Mata College campus	682021	16.09.2025	150000	CSR00050088	Bharata Mata Extension For Organic Research and Environment (BeFORE)	Bharata Mata College Campus, Thrikkakara, Ernakulam, Kerala
6.	Toilet project at Fort Kochi	682011	28.06.2025	1,79,536	CSR00023887	District Tourism Promotion Council (DTPC), District Collector, Ernakulam	Opp. Rajendra Maidan, Park Avenue Road, Ernakulam, Kerala
7.	Improved infrastructure for abandoned elderly	671531	07.10.2025	2,00,000	CSR00053699	New Malabar Punaradhivasa Kendram Charitable Trust	Malappachery, Kanhirapoyil P O, Nileshwaram, Kasaragod, Kerala
8.	Construction of open-air auditorium for Vyasa Public School, Kakkanad	682030	15.08.2025	2,00,000	CSR00040998	Vyasa Charitable Trust	Vyasa Nagar, Palachuvadu, Kakkanad P O, Ernakulam, Kerala
9.	Audiology Lab in special school	671542	25.08.2025	2,00,000	CSR00035359	Akkara Foundation Centre	Kottoor P O, Muliyar, Kasaragod, Kerala
10.	Play equipment for special school	695014	18.08.2025	2,50,000	CSR00015553	Rotary Institute For Children In Need Of Special Care	TC 15/920, Behind Tagore Theatre, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram, Kerala
11.	Infrastructure improvement in girls school	682511	20.09.2025	3,00,000	CSR00029931	Sacred Heart Girls UP School Malippuram, Ernakulam	Ernakulam Social Service Society, Providence Road, Ernakulam, Kerala
12.	Expansion of Vipassana Centre	421604	24.06.2025	4,00,000	CSR00060383	Dipankar Vipassana Memorial Trust	Vasai, Maharashtra
13.	Residential building for special school	679503	20.08.2025	4,52,000	CSR00061297	UNARV Special School	UNARV Assisted Living Day Care Home and Charitable Trust, Kavuvattom, Cherpulassery, Palakkad, Kerala
14.	Passenger boat for transportation of men and material to Island – Seed Farm, Aluva	683101	27.04.2025	4,90,000	CSR00018797	State Seed Farm, Aluva	District Panchayat, Ernakulam

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
15.	Improvement to library building	679576	26.08.2025	5,00,000	CSR00067666	Vallathol Educational Trust	Sukapuram, Edappal, Malappuram, Kerala
16.	Construction of class room at Gayatri Vidya Mandir Public School, Changanassery	686101	30.10.2025	5,00,000	CSR00012857	Sukritham Charitable Trust	Amara P O, Venkotta, Changanassery, Kottayam, Kerala
17.	Skill development for unemployed youth	250001	28.07.2025	5,00,000	CSR00029540	Symbiosis Institute of Computer Applications	Meerut, Uttar Pradesh
18.	Support for digital education for Navy Children School, Kochi	682004	06.11.2025	5,00,000	CSR00011888	Navy Childrens School, Kochi	Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE), State Office Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala
19.	Infrastructure development of destitute home	683541	14.07.2025	5,00,000	CSR00054205	Bethany Snehalayam	Kunnakurudy, Trikkalathur, Ernakulam, Kerala
20.	Ambulance for mentally challenged and destitute individuals at the centre	670013	23.10.2025	5,00,000	CSR00038174	Kannur Association for Integrated Rural Organisation and Support (KAIROS)	Burnassery P O, Kannur, Kerala
21.	Solarisation in the main campus of Aadi Shankara Nilayam	682313	14.10.2025	6,00,000	CSR00019852	Chinmaya International Foundation ERNAKULAM	Adi Sankara Nilayam, Veliyanad, Ernakulam, Kerala
22.	Skill Centre at Pain and Palliative Care Training Hall at Family Health Centre, Noolpuzha, Wayanad	673592	18.12.2025	6,00,000	CSR00068596	District Nirmithi Kendra Wayanad	Family Health Centre, Noolpuzha, Naiketty P O, Wayanad, Kerala
23.	Computer for Sabari Balika Sadanam, Konni	689691	05.08.2025	6,00,000	CSR00054796	Sabari Seva Samithi, Sabari Balika Sadanam	Eliyarackal, Konni, Pathanamthitta, Kerala
24.	Renovation of Govt. UP School, Kunnukurudy	683541	10.11.2025	6,00,000	CSR00088359	Mazhuvannoor Grama Panchayat	Govt. UP School, Kunnukurudy, Mazhuvannoor Grama Panchayat, Airapuram P O, Ernakulam, Kerala
25.	Computer Lab for media education meant for marginalised groups at M G College, Kozhikode	673002	24.03.2025	7,50,000	CSR00072156	Hindustan Prakashan Trust	Swasti Disha, Madhavan Nair Road, Chalappuram, Kozhikode, Kerala
26.	Support for digital library in Womens Polytechnic College, Kalamassery	683104	06.06.2025	9,83,262	CSR00023185	Womens Polytechnic College	District Administration, Ernakulam, Kerala
27.	Setting up Tribal Community Centre at Govt. Welfare LP School, Vazhachal	680721	27.10.2025	10,00,000	CSR00090331	Athirappilly Grama Panchayat	Govt. Welfare LP School, Vazhachal, Thrissur, Kerala
28.	Improvement of water source for clean drinking water	670645	04.03.2025	10,00,000	CSR00049724	Society of Fr. Tezza for Mentally Retarded	Mananthawady P O, Kuzhinilam, Wayanad, Kerala
29.	Blood Storage Unit at Tribal Speciality Hospital, Nalloornad Wayanad	670645	14.08.2025	10,00,000	CSR00068596	District Nirmithi Kendra, Wayanad	Govt. Tribal Specialty Hospital, Nalloornad, Wayanad, Kerala
30.	Installation of lift for old age patients	682017	30.09.2025	10,00,000	CSR00022980	Sree Ramakrishna Sevasramam	Ashramam Lane, Azad Road, Kaloor, Kochi, Ernakulam, Kerala
31.	Infra development for Sanskrit education	686001	13.11.2025	10,00,000	CSR00019711	Swamiyar Madom Charitable Trust	Thirunakkara, Kottayam, Kerala

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
32.	Construction of compound wall, gate and inter lock of UNARV Special School, Cherpulassery	679503	30.05.2025	10,00,000	CSR00061297	UNARV Special School	UNARV Assisted Living Day Care Home and Charitable Trust, Kavuvattom, Cherpulassery, Palakkad, Kerala
33.	Support for purchase of physiotherapy equipment and infra for Primary Health Centre, Pullampara	695103	11.12.2025	10,00,000	CSR00024389	Pullampara Grama Panchayat	Primary Health Centre, Pullampara, Thiruvananthapuram, Kerala
34.	Procurement and installation of X-Ray machine in District Ayurvedic Hospital, Kannur	670002	17.10.2025	11,79,436	CSR00015937	District Panchayat, Kannur	District Ayurvedic Hospital, Thana, Kannur, Kerala
35.	Karnikaram Special Village Rehabilitation Centre for person with multiple disability	679105	20.11.2025	12,50,000	CSR00003511	Nila Seva Samithi	Thanal Balashramam, Mayannur, Thrissur, Kerala
36.	Support for construction of Ayurvedic Health Centre	682308	07.10.2025	13,76,494	CSR00042111	Kallorkkad Grama Panchayat	Govt. Ayurvedic Dispensary, Kallorkkad, Ernakulam, Kerala
37.	Improvement of infrastructure at Sree Sankara Vidya Niketan UP School, Mananthavadi tribal region	670645	19.02.2026	15,00,000	CSR00018118	Swami Vivekananda Medical Mission	Sree Sankara Vidyanikethan UP School, Cherukara, Wayanad, Kerala
38.	Setting up of Nutri Food Lab at St. Teresa's College, Ernakulam	682011	16.04.2025	15,00,000	CSR00027592	St. Theresa's College	St. Teresa's College Welfare Society, Park Avenue Road, Ernakulam, Kerala
39.	Setting up advanced Oncology Centre, Nalloornad, Ambedkar Memorial District Cancer Centre, Govt. Tribal Speciality Hospital	670645	14.08.2025	16,30,000	CSR00068596	District Nirmithi Kendra, Wayanad	Govt. Tribal Specialty Hospital, Nalloornad, Wayanad, Kerala
40.	Construction of 3 classrooms in Govt. Primary School, Hangarkatte, Udupi	576101	12.03.2025	16,50,000	CSR00066132	Palli Srinivas Hegde Charitable Trust	Govt. Higher Primary School, Balakudru, Udupi, Karnataka
41.	Construction of shelter home for old aged at Sanathana Seva Samithi, Koodappuzha	680307	12.12.2025	20,00,000	CSR00057210	Sanathana Seva Samithi	Sanatana Seva Samiti Educational, Cultural and Charitable Trust, Koodppuzha, Chalakudi, Thrissur, Kerala
42.	Construction of Arogya Kendra Health Care Centre at Ajmer	302015	26.01.2026	20,00,000	CSR00058152	Bal Sansar Sanstha	Swasti, Bajaj Nagar, Jaipur, Rajasthan
43.	Mammogram machine for Mobile Medical Unit	683112	24.10.2025	30,00,000	CSR00019921	Rajagiri Karunya Trust	Rajagiri Hospital, Chunanganveli, Aluva, Ernakulam, Kerala
44.	Augmentation of Rehabilitation Oncology Unit	670103	06.05.2025	35,00,000	CSR00010773	Malabar Cancer Centre	Malabar Cancer Centre Post Graduate Institute of Oncology Sciences and Research, Moozhikkara P O, Thalassery, Kannur, Kerala

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
45.	Construction of child care project at Cherai, Ernakulam, limited to ground floor	683514	08.01.2026	45,00,000	CSR00020044	Radheyam Child Care Project	Ernakulam Karayogam, TDM Hall Complex, Durbar Hall Road, Kochi, Ernakulam, Kerala
46.	Open gym in six locations at Trikkakara municipal area	682030	21.03.2026	49,99,627	CSR00003267	Soukhyam Charitable Trust	George Eden Road, Kaloor, Kochi, Ernakulam, Kerala
47.	Modernise research diagnostic capability at RCC – Droplet Digital PCR system	695011	20.09.2025	59,99,982	CSR00017970	Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram	Medical College P O, Thiruvananthapuram, Kerala
48.	Equipments for Cardiology Department Heart Transplant Unit at General Hospital, Ernakulam	682011	12.10.2025	70,00,000	CSR00016677	General Hospital, Ernakulam	Hospital Development Society, General Hospital, Ernakulam, Kerala
49.	Procurement of medical equipments and construction of Food Distribution Centre	683503	22.03.2026	88,23,700	CSR00025439	Govt. Medical College, Ernakulam	Ernakulam Govt. Medical College Hospital Development Society, Ernakulam
50.	Centre for Excellence in Sustainable Shipbuilding at CUSAT, Kochi	682022	19.03.2026	55,50,000	CSR00027765	CUSAT	Registrar, Cochin University of Science and Technology (CUSAT), Kalamassery, Ernakulam
51.	Installation of open air gym in different locations at Kochi Municipal Corporation	682018	26.03.2026	31,16,000	CSR00022791	Centre for Heritage, Environment and Development (C HED)	Kacherippady, Kochi, Ernakulam
52.	Construction of OP/ IP Block at Community Health Centre, Kulathupuzha	691310	20.02.2026	30,00,000	CSR00035386	Community Health Centre, Kulathupuzha	Kerala State Nirmithi Kendra, Kottarakkara, Kollam
53.	Support for construction of day care centre for differently abled	680312	10.02.2026	23,00,000	CSR00071228	Sevabharathi, Pudukkad	Chengaloor P O, Thrissur
54.	Vehicle support for eye screening and cataract surgeries at tribal area of Ernakulam and suburbs	682020	28.03.2026	21,15,000	CSR00057179	SSM Eye Research Foundation	Ponneth Temple Road, Kadavanthra, Kochi, Ernakulam
55.	Support for installation of AI smart fencing	686691	24.03.2026	20,00,000	CSR00087174	Kothamangalam Thodupuha Forest Development Agency	Divisional Office, Kothamangalam, Ernakulam
56.	Support for construction of basement and ground floor for Jeramiah's Centre at Ochanthuruth, Vypin	682508	22.03.2026	18,00,000	CSR00005080	Jeramiah's Home and Betroni Palliative Care Centre Charitable Trust	Ochanthuruth, Vypin, Ernakulam
57.	Upgradation of educational facilities at KUFOS, Panangad Campus	682506	28.03.2026	18,00,000	CSR00089635	Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS)	Panangad, Kochi, Ernakulam
58.	Construction of auditorium and truss work at Nazreth LP School, Aluva	683101	20.03.2026	18,00,000	CSR00089671	Nazreth LP School, Aluva	The Friendship House, Fr. Ignatious Junction, Aluva, Ernakulam

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
59.	Support for construction of school building at Sri Raghavendra Vidyalaya, Cherthala, Alappuzha	688523	27.02.2026	15,00,000	CSR00025455	Sri Raghavendra Vidyalaya	Sri Vyasa Prasanna Raghavendra Charitable Trust, Puthukkalavattom, Elamakkara, Kochi, Ernakulam
60.	Support for construction of class rooms at GHS, Chottanikkara	682312	15.02.2026	15,00,000	CSR00018797	Government High School, Chottanikkara	District Panchayat, Ernakulam
61.	Support for construction of yoga hall at Bhavans, Thrissur	680751	18.03.2026	15,00,000	CSR00009636	Bharatheeya Vidyabhavan (Bhavans)	Poochatty, Thrissur
62.	Construction of rehabilitation centre for differently abled at Hope Foundation, Kannur	670504	20.03.2026	14,40,000	CSR00059474	Health Oriented Project Establishments (HOPE)	Kannur
63.	Installation of 50 kW roof top solar power plant at CUSAT campus, Kochi	682022	15.02.2026	12,50,000	CSR00027765	CUSAT	Registrar, Cochin University of Science and Technology (CUSAT), Kalamassery, Ernakulam
64.	Construction of open auditorium for Gandhi Shatabdi Govt. Model Higher Primary School, Malpe	576108	13.03.2026	12,40,000	CSR00066132	Gandhi Shatabdi Govt. Model Higher Primary School	Palli Srinivas Hegde Charitable Trust, Udupi
65.	Support for mobile unit with sickle cell anemia screening and detection, nutritional support for malnutritioned children and vocational rehabilitation for sickle cell patients in Wayanad	673122	28.03.2026	10,00,000	CSR00070024	National Health Mission (NHM)	District Programme Manager (NHM), Wayanad
66.	Installation of solar street lighting – GHSS Munderi, Kannur	670591	15.02.2026	10,00,000	CSR00015937	Government Higher Secondary School (GHSS)	District Panchayat, Munderi Kannur
67.	Construction of school building at St. Mary's UP School, South Chittoor	682027	13.03.2026	10,00,000	CSR00029931	St. Mary's UP School	Ernakulam Social Service Society, Kacherippady, Kochi, Ernakulam
68.	Construction of office cum training centre for SC community at Arayankavu, Ernakulam	682315	28.03.2026	10,00,000	CSR00028768	Mahatma Ayyankali Ambedkar Research and Charitable Trust	Arayankavu, Ernakulam
69.	Construction of community hall at Seethalakshmi and BM Ramakrishna Hathwar Govt. High School, Beejadi	576222	22.03.2026	10,00,000	CSR00023655	Seethalakshmi and BM Ramakrishna Hathwar Govt. High School, Beejadi	Geethanand Foundation Sindhudhaya, Manoor, Udupi
70.	Infrastructure development of Ananthamurthy International School, Thiruvananthapuram	695013	28.03.2026	9,00,000	CSR00092032	Ananthamurthy Foundation	Thiruvananthapuram
71.	School bus for special children at Sanjose Vidyalaya, Ettumanoor	686631	23.03.2026	9,00,000	CSR00087614	Sanjose Vidyalaya, Ettumanoor	Sanjose Welfare Centre, Ettumanoor, Kottayam

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
72.	Construction of tribal community centre at Pathanamthitta	689662	28.02.2026	9,00,000	CSR00062029	Tribal Community Centre, Manjathodu, Pathanamthitta	RECCA Sewa Charitable Society, Kottayam
73.	Infrastructure development of Model Tribal Residential School, Chalakudy	680721	25.03.2026	8,50,000	CSR00063487	Model Tribal Residential School, Chalakudy	District Nirmithi Kendra, Thrissur
74.	Renovation of Nithyasahayasadan Geriatric and Palliative Care Centre at Maradu	682304	22.02.2026	7,50,000	CSR00061982	Nithyasahayasadan Geriatric and Palliative Care Centre	Perpetual Succour Charitable Trust (PS Mission), Maradu, Ernakulam
75.	Infrastructure development of Govt. LP School, Nechoor, Maneed Grama Panchayat	686664	23.03.2026	5,79,387	CSR00044956	Government LP School	Maneed Grama Panchayat, Nechoor, Ernakulam
76.	Computer lab for under privileged students at MAA Radhika Inter College, Varanasi	221208	22.03.2026	5,00,000	CSR00006833	MAA Radhika Inter College, Odaar, Varanasi	Society for National Education Entrepreneurship and Development, Ambala City, Haryana
77.	Saral Digikul – job oriented training for the rural youths of Nalanda district of Bihar	803111	24.02.2026	5,00,000	CSR00012878	Saral Services, Nalanda	Nalanda Heritage City, Bihar
78.	Procurement of infrastructure equipment towards skilling visually challenged youth in selected blind schools in Kerala	686508	29.03.2026	4,50,000	CSR00090294	Equibeing Foundation	Tumkur Road, Nagasandra, Bengaluru

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

Kochi
May 15, 2026

Annexure III

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2026

[Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Cochin
Ernakulam, Kerala, India, 682015

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **COCHIN SHIPYARD LIMITED (CIN: L63032KL1972GOI002414)** (hereinafter called the "Company or CSL"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us with a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Company's** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2026**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have conducted verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed, and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2026 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder.

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings (not applicable during the audit period).

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

a) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

b) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations").

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (not applicable during the audit period).

d) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

e) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

f) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (not applicable during the audit period).

g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 (not applicable during the audit period).

h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (not applicable during the audit period).

i) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (not applicable during the audit period).

j) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 (not applicable during the audit period).

(vi) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company:

a) The Factories Act,1948 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

b) The Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.

c) Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

d) Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.

e) The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

f) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Regulations and Bye-laws framed there under.

g) The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations and Bye-laws framed there under.

h) The Environment (Protection) Act, 1986 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

i) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules framed thereunder.

j) The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 and the Rules framed thereunder.

k) The Right to Information Act, 2005 and the Rules framed thereunder.

l) The Electricity Act, 2003 and the Rules framed thereunder.

m) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 ("CG Guidelines for CPSEs"); and

n) Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standard relating to Board (SS 1) and General Meetings (SS 2) issued by the Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreement entered into by the Company with National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE").

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. Composition of Board – Independent Directors

The Company did not have sufficient number of Independent Directors on its Board during the audit period, as required under Regulation 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"), Section 149 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and Clause 3.1 of the Corporate Governance Guidelines for Central Public Sector Enterprises ("CG Guidelines for CPSEs"). The Company only had one Independent Director on its Board during the audit period, who was appointed on May 21, 2025. Consequently, the Company was non-compliant with respect to the conduct of separate meeting of Independent Director as mandated under Regulation 25(3)&(4) of the SEBI LODR Regulations and Schedule IV to the Act.

2. Woman Director / Woman Independent Director

There was no Woman Independent Director on its Board from the start of the audit period up to May 20, 2025, as mandated under Regulation 17 of the SEBI LODR Regulations. Further, the Company was also non-compliant with the requirement of appointing at least one Woman Director under Section 149 of the Act during the said period.

3. Audit Committee

The Company did not have a duly constituted Audit Committee during the audit period, as required under

Regulation 18 of the SEBI LODR Regulations, Section 177 of the Act, and Clause 4.1 of the CG Guidelines for CPSEs. Consequently, the Company was also non-compliant with respect to the conduct and frequency of Audit Committee meetings as mandated under Regulation 18(2) of the SEBI LODR Regulations and Clause 4.4 of the CG Guidelines for CPSEs.

4. Nomination and Remuneration Committee

   The Company did not have a duly constituted Nomination and Remuneration Committee during the audit period, as required under Regulation 19 of the SEBI LODR Regulations, Section 178 of the Act, and Clause 5.1 of the CG Guidelines for CPSEs. Consequently, the Company was also non-compliant with respect to the conduct and frequency of Nomination and Remuneration Committee meetings as mandated under Regulation 19(3A) of the SEBI LODR Regulations.

5. Stakeholders Relationship Committee

   The Company did not have a duly constituted Stakeholders Relationship Committee from the start of the audit period up to May 31, 2025, as required under Regulation 20 of the SEBI LODR Regulations and Section 178 of the Act.

6. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

   The Company did not have a duly constituted Corporate Social Responsibility Committee from the start of the audit period up to May 31, 2025, as required under Section 135 of the Act.

7. Risk Management Committee

   The Company did not have a duly constituted Risk Management Committee from the start of the audit period up to May 31, 2025, as required under Regulation 21 of the SEBI LODR Regulations.

8. Quorum for Board Meetings

   The requirement of quorum of at least one independent director as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations was not met in the Board Meeting of the Company held on May 15, 2025 as there were no independent directors on the Board of the Company.

We have noticed that such non-compliances have been duly noted by the Board and appropriate requests for appointing sufficient number of independent directors have been forwarded to the Government of India. The Company being a Central Public Sector Enterprise (CPSE), the power to appoint the Directors vests with the Government of India.

We further report that:

1. Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director retired on superannuation from the services of the Company on January 31, 2026. Further, pursuant to Letter no. SY-11011/1/2009-CSL dated January 28, 2026, issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, Shri Valiyaparambil Jacob Jose (DIN: 08444440), Director (Finance), was assigned the additional charge of the post of Chairman and Managing Director of the Company for a period of three months w.e.f February 01, 2026 or until further orders, whichever is earlier.

2. In terms of the Letters No.01/03/2025-EO(ACC) and No.01/04/2025-EO(ACC), dated August 21, 2025, issued by the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel and Training, communicated to the Company through email by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on August 27, 2025, Shri Sankaranarayanapillai Harikrishnan (DIN:10221559), Executive Director (Ship Building), CSL and Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), Executive Director (Ship Repair), CSL had assumed charge as Director (Operations) and Director (Technical), respectively, of the Company w.e.f August 27, 2025.

3. Shri Venkatesapathy Sivaperumal IAS (DIN: 07407879), Joint Secretary, MoPSW was appointed as Part-time Official (Nominee) Director on the Board of Directors of the Company in place of Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (DIN: 05351383), the then Additional Secretary, MoPSW, with effect from August 07, 2025 until further orders.

4. Shri P.B Nooh IAS (DIN: 09701541), Special Secretary, Transport Department, Government of Kerala was appointed as Part-time Official (Nominee) Director on the Board of Directors of the Company with effect from June 20, 2025 until further orders.

5. Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) retired on superannuation from the services of the Company on May 31,2025.

6. Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Director (Operations) retired on superannuation from the services of the Company on May 31, 2025.

7. Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.) (DIN: 03093072), Part-time official (Nominee) Director had vacated the office on May 31, 2025 pursuant to Section 167(1)(b) of the Act.

8. Smt. Seema Suri (DIN: 11117145) was appointed as Non-official (Independent) Director on the Board of CSL with effect from May 21, 2025 to May 19, 2028.

We further report that during the audit period fines have been levied by both BSE and NSE for Non-Compliance of Corporate Governance conditions as prescribed under SEBI LODR Regulations as follows:

1	Non-compliance with Regulation 17(1) (composition of Board of Directors – Insufficient/ no Independent Directors) of the SEBI LODR Regulations for the period from April 01, 2025 to December 31, 2025.	₹16,22,500/- each (including GST)	BSE and NSE
2	Non-compliance with Regulation 17(2A) (requirements pertaining to quorum of Board meetings) during the quarter ended June 30, 2025.	₹11,800 each (including GST)	BSE and NSE
3	Non-compliance with Regulation 18 (constitution of Audit Committee) for the period from April 01, 2025 to December 31, 2025.	₹6,49,000 each (including GST)	BSE and NSE
4	Non-compliance with Regulation 19 (constitution of Nomination and Remuneration Committee) for the period from April 01, 2025 to December 31, 2025.	₹6,49,000 each (including GST)	BSE and NSE
5	Non-compliance with Regulation 20 (constitution of Stakeholders Relationship Committee) during the quarter ended June 30, 2025.	₹1,43,960 each (including GST)	BSE and NSE
6	Non-compliance with Regulation 21 (constitution of Risk Management Committee) during the quarter ended June 30, 2025.	₹1,43,960 each (including GST)	BSE and NSE

Note:

The Company being a CPSE, the power to appoint the Directors vests with the Government of India. It is seen that appropriate requests for appointing sufficient number of Independent Directors including a woman Independent Director have been forwarded to the Government of India. Consequently, the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India vide their Letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, appointed Smt. Seema Suri (DIN: 11117145) as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL. Following her induction, the Company re-constituted the Stakeholders Relationship Committee and the Risk Management Committee in line with the SEBI LODR Regulations on June 01, 2025. Since the said non-compliances were neither due to the negligence/ default by the Company nor within the control of the management of the Company, BSE and NSE have waived the fines imposed under Regulations 17(2A), 20 and 21 of the SEBI LODR Regulations upon submission of waiver request by the Company. The appointment of the remaining five Independent Directors is awaited from the Government of India. It has been informed that since achieving compliance is a pre-requisite for applying for a waiver of fines, appropriate requests for waiver of fines imposed w.r.t Regulations 17(1), 18 and 19 of the SEBI LODR Regulations will be filed with the stock exchanges as per the extant Policy for Exemption of Fines, upon appointment of the remaining Independent Directors by the Government of India.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is constituted without proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors including Independent Directors as mentioned above, due to non-appointment of sufficient number of Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act except as reported above.

Adequate notice was given to all directors to schedule the Board Meetings in compliance with the provisions of Section 173(3) of the Companies Act, 2013, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting except in the case of Shorter Notice.

Decisions at the meetings of the Board of Directors of the Company were carried out on the basis of majority and the same was captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with its size and the operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period there were no instances of:

(i) Issuance of securities including Public/ Right/ Preferential issue.

(ii) Major decisions taken by the members in pursuance to Section 180 of the Act.

(iii) Redemption of securities.

(iv) Buy-back of securities.

(v) Merger/amalgamation/ reconstruction.

(vi) Foreign technical collaborations.

This report is to be read with **Annexure A** of even date and the same forms an integral part of this report.

Yours faithfully,

For SEP & Associates
UDIN: F003050H000258437
Company Secretaries
(The Peer Review Certificate no. 6780/2025)

CS Puzhankara Sivakumar
Managing Partner
M. No.: 3050 COP No.: 2210

Place: Ernakulam
Date: 02.05.2026

ANNEXURE A TO THE SECRETARIAL AUDIT REPORT OF EVEN DATE

To
The Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Cochin
Ernakulam, Kerala, India, 682015

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The compliance of the provisions of all laws, rules, regulations, and standards applicable to **COCHIN SHIPYARD LIMITED** (hereinafter called the "Company") is the responsibility of management of the Company. Our examination was limited to the verification of the records and procedures on test check basis for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.

2. Maintenance of the Secretarial and other records of applicable laws is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to issue a Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant record maintained and furnished to us by the Company, along with explanations where so required.

3. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial and other records, legal compliance mechanism and corporate conduct. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our Secretarial Audit Report.

4. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.

5. We have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc., wherever required. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2026 but before issue of the Report.

7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal/professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For SEP & Associates
UDIN: F003050H000258437
Company Secretaries
(The Peer Review Certificate no. 6780/2025)

CS Puzhankara Sivakumar
Managing Partner
M. No.: 3050 COP No.: 2210

Place: Ernakulam
Date: 02.05.2026

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

Kochi
May 15, 2026

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Cochin Shipyard Limited (CSL) recognises the importance of Corporate Governance to emerge as a model corporate. The Company has adopted policies and procedures which are aimed at effectively discharging its responsibilities to various stakeholders, viz., shareholders, creditors, customers, employees and society at large. CSL strongly believes that the Company can emerge as a strong global leader only by following good and sound Corporate Governance principles. The Company has been rated 'Excellent' in Corporate Governance practices as per the evaluation criteria prescribed by the Department of Public Enterprises consistently for the last several years.

Board of Directors

2. The Board of Directors of CSL plays a pivotal role in ensuring good Corporate Governance. The composition of the Board of the Company is governed by the provisions of the Companies Act, 2013, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) and the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE). The composition of the Board during the financial year ended March 31, 2026, was as follows:

Sl. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1.	Shri Madhu Sankunny Nair[1]	07376798	Chairman and Managing Director (CMD)
2.	Shri Bejoy Bhasker[2]	08103825	Director (Technical)
3.	Shri Jose V J[3]	08444440	Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
4.	Shri Sreejith K Narayanan[4]	09543968	Director (Operations)
5.	Dr. Harikrishnan S[5]	10221559	Director (Operations)
6.	Shri Rajesh Gopalakrishnan[6]	09576336	Director (Technical)
7.	Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (Retd.)[7]	05351383	Part-time Official Director (Government Nominee)
8.	Shri Venkatesapathy S IAS[7]	07407879	Part-time Official Director (Government Nominee)
9.	Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.)[8]	03093072	Part-time Official Director (Government Nominee)
10.	Shri P B Nooh IAS[9]	09701541	Part-time Official Director (Government Nominee)
11.	Dr. Seema Suri[10]	11117145	Non-official (Independent) Director

[1]The Appointments Committee of the Cabinet (ACC), vide Letter No. 01/06/2025-EO(ACC) dated December 02, 2025 extended the tenure of Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798) as Chairman and Managing Director for a period from January 01, 2026 till January 31, 2026, i.e. up to the date of his superannuation. Consequently, he retired on superannuation from the services of the Company on January 31, 2026.

[2]Shri Bejoy Bhasker, Director (Technical) retired on superannuation from the services of the Company on May 31, 2025.

[3]Shri Jose V J, whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company at the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 29, 2025. Further, consequent upon the retirement on superannuation of Shri Madhu Sankunny Nair as the Chairman and Managing Director of the Company on January 31, 2026, Shri Jose V J has been entrusted with the additional charge of the post of Chairman and Managing Director with effect from February 01, 2026.

[4]Shri Sreejith K Narayanan, Director (Operations) retired on superannuation from the services of the Company on May 31, 2025.

[5]The Appointments Committee of the Cabinet (ACC), vide Letter No.01/03/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 appointed Dr. Harikrishnan S, former Executive Director (Ship Building) as the Director (Operations) of the Company. Dr. Harikrishnan S assumed charge as Director (Operations) on August 27, 2025.

[6]The Appointments Committee of the Cabinet (ACC), vide Letter No.01/04/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 appointed Shri Rajesh Gopalakrishnan, former Executive Director (Ship Repair) as the Director (Technical) of the Company. Shri Rajesh Gopalakrishnan assumed charge as Director (Technical) on August 27, 2025.

[7]The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India (GoI), vide Letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated August 07, 2025, appointed Shri Venkatesapathy S IAS, Joint Secretary, MoPSW, GoI, as Part-time Official (Nominee) Director of the Company in place of Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (Retd.).

[8]Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.) vacated the office as Part-time Official (Nominee) Director of the Company on May 31, 2025 pursuant to Section 167(1)(b) of the Companies Act, 2013.

[9]The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide Letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated June 20, 2025, appointed Shri P B Nooh IAS, Special Secretary, Transport Department, Government of Kerala, as Part-time Official (Nominee) Director of the Company in place of Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.).

[10] The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide Letter no. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, appointed Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director of the Company with effect from May 21, 2025.

3. The profile of the Directors, including the nature of their expertise in specific functional areas, who are holding the Director post as on the date of this report is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by the Directors are provided under the heading 'Other Directorships and Committee positions' below.

4. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil

5. None of the Directors of the Company served as members in more than ten committees or as chairpersons in more than five committees across all listed companies in which they hold directorships. None of the Directors of the Company held directorships in more than seven listed companies. Further, the Whole Time Directors, including the Chairman and Managing Director, did not hold directorships in any other listed companies. Also, none of the Independent Directors of the Company served as a Whole Time Director/ Managing Director in any listed company during their tenure as Independent Directors of the Company.

6. The Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder, facilitates the participation of the Director in the Board/ Committee meetings through electronic mode. During the year under review, the Company has made the necessary arrangements for the Directors to attend the meetings through electronic mode and the Directors have made use of the said facility wherever required.

7. The meetings of the Board of Directors and Committees have been conducted in the manner as specified in SEBI LODR Regulations and the Companies Act, 2013.

Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM)

8. Six Board Meetings were held during the year under review. Details of attendance of Directors at the Board Meetings and AGM are given below:

Name of Director	Board Meetings						AGM#
	2025				2026		2025
	May 15	Aug 12	Sep 02	Nov 12	Jan 28	Mar 27	Sep 29
Shri Madhu Sankunny Nair	✓	✓	✓	✓*	✓	N.A.	✓
Shri Bejoy Bhasker	✓	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shri Jose V J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Sreejith K Narayanan	✓	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Dr. Harikrishnan S	N.A.	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Rajesh Gopalakrishnan	N.A.	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (Retd.)	✓*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.)	⊗	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shri Venkatesapathy S IAS	N.A.	✓*	✓*	✓*	⊗	⊗	✓*
Shri P B Nooh IAS	N.A.	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dr. Seema Suri	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*attended through electronic mode.

#AGM held through electronic mode.

N.A. – Not Applicable. ✓ – Present. ⊗ – Leave of Absence

Other Directorships and Committee positions

9. The total number of other Directorship(s) held by Directors and other positions of Membership/ Chairmanship of Committees, as on March 31, 2026, unless otherwise stated, are given below:

Name of the Director	No. of Directorship in other public limited companies		Board Committee positions held in other public limited companies		Name of other Listed Entity where the person is a Director	Category of Directorship in the Listed Entity
	Chairman	Member	Chairman	Member		
Shri Madhu Sankunny Nair (As on the tenure end date of January 31, 2026)	2	2	-	-	-	-
Shri Bejoy Bhasker (As on the tenure end date of May 31, 2025)	-	2	-	-	-	-
Shri Jose V J	2	2	-	-	-	-
Shri Sreejith K Narayanan (As on the tenure end date of May 31, 2025)	-	2	-	-	-	-
Dr. Harikrishnan S	-	2	-	-	-	-
Shri Rajesh Gopalakrishnan	-	2	-	-	-	-
Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (Retd.) (As on the tenure end date of August 07, 2025)	-	3	-	-	Shipping Corporation of India Limited	Nominee Director
Shri Venkatesapathy S IAS	-	1	-	-	Shipping Corporation of India Land and Assets Limited	Nominee Director
Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.) (As on the tenure end date of May 31, 2025)	1	8	-	1	-	-
Shri P B Nooh IAS	-	3	-	-	-	-
Dr. Seema Suri	-	-	-	-	-	-

Notes

(i) The Directorships held by the Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships, Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.

(ii) Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all public limited companies and government companies have been considered.

10. None of the Directors except the following hold any shares in the Company as on March 31, 2026.

Name of the Director	No. of Equity Shares Held
Dr. Harikrishnan S	240
Shri Rajesh Gopalakrishnan	400

Skills/ expertise/ competence of the Board

11. CSL being a Government Company, all of its Directors are appointed/ re-appointed by the President of India through the Administrative Ministry. The skills/ expertise/ competency of the Board as required in the context of the business pertaining to the Company are identified by the Government of India and accordingly selection of Directors on the Board of the Company is made by the Government. As such, all the Board Members of the Company have expertise and competency as per the industry requirement.

Independent Directors

12. CSL had six Independent Directors, including a Woman Director, in compliance with Regulation 17 of the SEBI LODR Regulations till May 01, 2024. However, Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097) ceased to be a Non-official (Independent) Director of the Company w.e.f. May 02, 2024, consequent to his resignation on account of him contesting for the Odisha Legislative Assembly. Further, the remaining five Independent Directors vacated their office on November 21, 2024, consequent to the completion of their tenure of appointment prescribed by the Government of India. CSL being a Central Public Sector Enterprise, the power to appoint Directors on the Board of the Company vests with the Government of India.

13. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide Letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, appointed Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL for a period of three years with effect from May 21, 2025 or until further orders, whichever is earlier. The appointment of the remaining five Independent Directors is awaited from the Government of India and constant follow-ups are being made for the same.

14. Being a Central Public Sector Enterprise, the Independent Directors of the Company are appointed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, initially for a term of three years or until further orders whichever is earlier. The main terms of appointment can be accessed at https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent.

15. Familiarisation programme for Independent Directors generally form part of the Board process. The Independent Directors are updated on an ongoing basis at the Board/ Committee meetings, inter alia, on the following:

    - Nature of industry in which the Company operates;
    - Business environment and operational model of various business divisions of the Company including important developments thereon; and
    - Important changes in regulatory framework having impact on the Company.

16. Details of the familiarisation programme for Independent Directors can be accessed at https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent.

17. In the opinion of the Board, Dr. Seema Suri, Non-official (Independent) Director has fulfilled the conditions specified in the SEBI LODR Regulations and was independent of the management.

Meetings of Independent Directors

18. No meetings of the Independent Directors could be held during the financial year 2025–26, as there was only one Independent Director on the Board of CSL.

Availability of information to the members of the Board

19. The Board has complete access to any information within the Company and to any employee of the Company. The Board welcomes the presence of executives in the Board meetings, who can provide additional insights into the issues being discussed in the meeting. The information normally required to be placed before the Board includes the following:

    (i) To make calls on shareholders in respect of money unpaid on shares;

    (ii) To authorise buy-back of securities;

    (iii) To issue securities including debentures, in India or abroad;

    (iv) To borrow monies;

    (v) To invest funds of the Company;

    (vi) To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans;

    (vii) To approve financial statement and Board's Report;

    (viii) To diversify the business of the Company;

    (ix) To approve amalgamation, merger or reconstruction;

    (x) To take over a company or acquire a controlling interest or substantial stake in another company;

    (xi) To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);

    (xii) To appoint internal auditor and secretarial auditor;

    (xiii) General notices of interest of Directors;

    (xiv) Terms of reference of Board Committees;

    (xv) Minutes of meetings of Audit Committee and other Committees of the Board, resolutions passed by circulation and also the minutes of Board meetings of subsidiary companies;

    (xvi) Annual operating plans of businesses, capital budgets and any updates;

    (xvii) Quarterly results of the Company and its operating divisions or business segments;

(xviii) Declaration of dividend;

(xix) Sale of investments, subsidiaries and assets which are material in nature and not in normal course of business;

(xx) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by the management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material;

(xxi) Internal audit findings and external audit reports (through the Audit Committee);

(xxii) Status of business risk exposures, its management and related action plans;

(xxiii) Details of any joint venture or collaboration agreement;

(xxiv) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important;

(xxv) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems;

(xxvi) All policy matters deliberated and introduced for implementation;

(xxvii) Any material default in financial obligations to and by the Company, or substantial non-payment for goods sold by the Company;

(xxviii) Any issue which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order, which may have passed strictures on the conduct of the Company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the Company;

(xxix) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the Board level including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary;

(xxx) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.;

(xxxi) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/ industrial relations front like implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) etc.; and

(xxxii) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity or intellectual property.

Board material distributed in advance

20. Notice of each Board meeting and Committee meeting is sent to all the members not less than seven days in advance except when it is convened as an emergency meeting. The agenda notes for each Board/ Committee meeting are drafted in consultation with the Chairman and are circulated to the Directors not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting with the concurrence of all Board/ Committee members. All material information is incorporated in the agenda papers for facilitating meaningful and focused discussions at the meeting. Where it is not practicable to attach any document to the agenda, the same is tabled at the meeting with specific reference to the subject in the agenda. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary items on the agenda are permitted with the consent of all Directors present at the meeting.

21. CSL has digitised its Board and Committee meetings through the implementation of the Board Management Software, Dess Digital Meetings, which enables the secure creation, distribution and management of meeting documents in digital format. The software ensures timely and secure access to agenda papers and other meeting materials for Board and Committee members. It also streamlines the entire meeting lifecycle, resulting in improved efficiency, enhanced governance and savings in time, effort and cost.

Recording Minutes of proceedings at Board and Committee meeting

22. The Company Secretary records the minutes of the proceedings of each Board and Committee meetings. Draft minutes are circulated to all the members of the Board/ Committee for their comments within fifteen days from the conclusion of the meeting. The final minutes are entered in the minutes book within 30 days from the conclusion of the meeting.

Post Meeting Follow up Mechanism

23. The important decisions taken at the Board/ Committee meetings are promptly communicated to the departments/ divisions concerned. The status of implementation of major decisions are apprised to the Board/ Committee in the ensuing meetings, wherever required.

Compliance

24. The Company Secretary while preparing the agenda notes, minutes etc. of the meeting(s) is responsible for and is

required to ensure adherence to all the applicable laws and regulations including the Companies Act, 2013 read with the Rules issued thereunder and also the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and notified by the Government of India.

Board Committees

25. During the financial year 2025-26, the Board of CSL had three statutory committees viz., Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee, Stakeholders Relationship Committee and Risk Management Committee. The Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee could not be reconstituted due to non-appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India.

Audit Committee

26. The Audit Committee of CSL was formed on August 21, 2008. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on May 02, 2024. As all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Audit Committee with effect from November 22, 2024.

Terms of reference

27. The following are the terms of reference of the Audit Committee:

    (i) Oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;

    (ii) Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of our Company based on the order of Comptroller & Auditor General of India;

    (iii) Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;

    (iv) Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:

        (a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the Board's report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013;

        (b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;

        (c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;

        (d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;

        (e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;

        (f) Disclosure of any related party transactions; and

        (g) Modified opinion(s) in the draft audit report.

    (v) Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval;

    (vi) Reviewing, with the management, the statement of uses/ application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice and the report submitted by the monitoring agency, monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter;

    (vii) Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;

    (viii) Approval or any subsequent modification of transactions of our Company with related parties;

    (ix) Scrutiny of inter-corporate loans and investments;

    (x) Valuation of undertakings or assets of our Company, wherever it is necessary;

    (xi) Evaluation of internal financial controls and risk management systems;

    (xii) Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;

    (xiii) Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official

heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;

(xiv) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;

(xv) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;

(xvi) Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;

(xvii) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;

(xviii) To review the functioning of the whistle blower mechanism;

(xix) Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;

(xx) Review the following information:

(a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;

(b) Statement of significant related party transactions (as defined by the Audit Committee), submitted by management;

(c) Management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;

(d) Internal audit reports relating to internal control weaknesses;

(e) The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the Audit Committee; and

(f) Statement of deviations:

(i) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1) of the SEBI Listing Regulations;

(ii) Annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice in terms of Regulation 32(7) of the SEBI Listing Regulations;

(xxi) To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit;

(xxii) Recommend the appointment, removal and fixing of remuneration of Cost Auditors and Secretarial Auditors;

(xxiii) Audit Committee shall also review the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the holding company in the subsidiary exceeding Rupees 100 Crores or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments existing as on the date of coming into force of this provision;

(xxiv) Review of compliance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended, at least once in a financial year;

(xxv) Verify that the systems for internal control required to be maintained pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended are adequate and are operating effectively; and

(xxvi) Carrying out any other function as specified by the Board from time to time.

Powers of the Audit Committee

28. The Committee is entrusted with the following powers:

(a) To investigate any activity within its terms of reference;

(b) To seek information on and from any employee;

(c) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors; and

(d) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

29. The recommendations of the Audit Committee on any matter relating to the financial management, including the audit report, shall be binding on the Board.

30. If the Board does not accept the recommendations of the Audit Committee, it shall record the reasons thereof and communicate such reasons to the shareholders.

Constitution

31. Consequent to the vacation of office of all the Independent Directors with effect from November 22, 2024, upon completion of their tenure as prescribed by the Government of India and due to the non-appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India, the Company could not reconstitute the Audit Committee with effect from November 22, 2024. Accordingly, during the financial year 2025–26, there was no functional Audit Committee.

32. Audit Committee meetings are generally attended by Director (Finance), representatives of Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors of the Company as invitees. The Internal audit function has been outsourced to a firm of Chartered Accountants. The Company Secretary acts as the Secretary to the Committee. However, no meetings of the Audit Committee were held during the financial year 2025–26 as there was no functional Audit Committee.

Audit Committee meetings held during 2025-26 and attendance

33. No meetings of the Audit Committee were held during the financial year 2025–26 as there was no functional Audit Committee due to non-appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India.

Nomination and Remuneration Committee

34. The Nomination and Remuneration Committee of CSL was constituted vide Circular Resolution adopted on December 13, 2008. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on January 02, 2023. As all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Nomination and Remuneration Committee with effect from November 22, 2024.

Terms of reference

35. Following are the terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee:

    (i) Decide on the annual bonus/ performance pay/ variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionised supervisors of our Company;

    (ii) Formulation and modification of schemes for providing perks and allowances for officers and non-unionised supervisors;

    (iii) Any new scheme of compensation like medical scheme, pension etc. to officers, non-unionised supervisors and the employees as the case may be; and

    (iv) Exercising such other roles assigned to it by the provisions of the SEBI Listing Regulations and any other laws and their amendments from time to time.

Constitution

36. Consequent to the vacation of office of all the Independent Directors with effect from November 22, 2024, upon completion of their tenure as prescribed by the Government of India and due to the non-appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India, the Company could not reconstitute the Nomination and Remuneration Committee with effect from November 22, 2024. Accordingly, during the financial year 2025–26, there was no functional Nomination and Remuneration Committee.

Nomination and Remuneration Committee meetings held during 2025-26 and attendance

37. No meetings of the Nomination and Remuneration Committee were held during the financial year 2025–26 as there was no functional Nomination and Remuneration Committee due to non-appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India.

Remuneration Policy

38. Under Article 21(a) of the Articles of Association of the Company, the Directors shall be paid such remuneration as the President of India may from time to time determine. The pay and allowances of Board level executives are paid in accordance with the terms of appointment, Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on the above subject and other benefits and perquisites in accordance with the rules of CSL. The remuneration of below Board level executives and non-unionised supervisors is as per DPE guidelines and as approved by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways). The remuneration of workers is as per the Long-Term Settlement between the management and recognised trade unions.

39. Details of remuneration paid to the Whole Time Directors during 2025-26 is given below:

(₹ Lakhs)

Sl. No.	Name and Designation	Total of Basic Pay, DA, HRA and other Perks & Allowances	Performance Related Payment (PRP)	Total
1.	Shri Madhu Sankunny Nair Chairman & Managing Director (up to January 31, 2026)	98.15	28.15	126.30
2.	Shri Bejoy Bhasker Director (Technical) (up to May 31, 2025)	37.84	23.36	61.20
3.	Shri Jose V J Director (Finance) & CMD (Addl. Charge, w.e.f February 01, 2026)	57.44	21.40	78.84
4.	Shri Sreejith K Narayanan Director (Operations) (up to May 31, 2025)	34.69	22.68	57.37
5.	Dr. Harkrishnan S Director (Operations) (w.e.f August 27, 2025)	48.43	15.39	63.82
6.	Shri Rajesh Gopalakrishnan Director (Technical) (w.e.f August 27, 2025)	48.96	16.26	65.22

Notes

(i) The PRP mentioned in the above table pertains to the period 2023-24, paid during 2025-26. The PRP paid to the Whole Time Directors is as per the Performance Payment Scheme applicable to all executives and non-unionised supervisors of the Company, framed in line with the DPE Guidelines.

(ii) The remuneration of the Directors whose term has ended during the financial year includes the retirement benefits paid to them. Further, the remuneration of the Directors who were appointed during the financial year includes the remuneration paid to them during the year in their executive capacities with the Company prior to their appointment as Directors.

(iii) The remuneration, tenure and other terms and conditions of appointment of Whole Time Directors are as per the letter issued by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) in line with the Government guidelines. The Whole Time Directors are appointed for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice period, 3 months' pay may be remitted.

(iv) During the year, no Stock Options were issued by the Company to Whole Time Directors.

Sitting fees

40. The Non-official (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of ₹30,000 for attending each meeting of the Board or Committee thereof. The Part-time Official Directors (Government Nominees) are not paid any remuneration. The criteria for making payment to Non-Executive Directors is available in the Company's website at the following link: https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent.

41. Sitting fees of ₹3.60 Lakhs have been paid to Dr. Seema Suri, Non-official (Independent) Director during 2025-26.

42. Since the Non-official (Independent) Directors are appointed by the President of India, the evaluation of performance of such Directors are also done by the Government of India. However, during the year the Board had evaluated the Non-official (Independent) Director of the Company vis-à-vis her performance and fulfilment of the independence criteria and found the same to be satisfactory.

Stakeholders' Relationship Committee

43. The Stakeholders' Relationship Committee of CSL was constituted on September 20, 2016. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors. The Stakeholders' Relationship Committee of CSL ceased to exist with effect from November 22, 2024 due to the completion of tenure of the Independent Directors and the subsequent non-appointment of new incumbents by the Government of

India. The Stakeholders' Relationship Committee was reconstituted with effect from June 01, 2025 following the appointment of Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL on May 21, 2025. Further, consequent to the retirement of Shri Madhu Sankunny Nair, Chairman and Managing Director, on superannuation from services of the Company on January 31, 2026, the Stakeholder's Relationship Committee was reconstituted with effect from February 01, 2026.

Terms of reference

44. Following are the terms of reference of the Stakeholders' Relationship Committee:

(i) Resolving the grievances of the security holders of the company including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.;

(ii) Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;

(iii) Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar and Share Transfer Agent; and

(iv) Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports/ statutory notices by the shareholders of the company.

Constitution

45. During the financial year 2025-26, there was no functional Stakeholders' Relationship Committee from the start of the reporting period till May 31, 2025 due to non-appointment of Independent Directors by the Government of India. Following the appointment of Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL on May 21, 2025, the Stakeholders' Relationship Committee was reconstituted with effect from June 01, 2025 with Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as Members. Consequent to the retirement of Shri Madhu Sankunny Nair, Chairman and Managing Director (CMD), on superannuation from services of the Company on January 31, 2026, the Stakeholders' Relationship Committee was reconstituted with effect from February 01, 2026 with Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) & CMD (Addl. Charge), Dr. Harikrishnan S, (DIN: 10221559), Director (Operations) and Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), Director (Technical), as Members. The composition of the Stakeholders' Relationship Committee remained the same as on March 31, 2026.

Stakeholders' Relationship Committee meetings held during 2025-26 and attendance

46. One meeting of the Stakeholders' Relationship Committee was held during 2025-26. The necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Aug 12, 2025
1.	Dr. Seema Suri	✓
2.	Shri Madhu Sankunny Nair	✓
3.	Shri Jose V J	✓
4.	Dr. Harikrishnan S	N.A.
5.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	N.A.

N.A. – Not Applicable. ✓ – Present.

Name, designation and address of the Compliance Officer

Shri Syamkamal N
Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Status of Investor Complaints as on March 31, 2026 reported under Regulation 13(3) of the SEBI LODR Regulations

Complaints as on April 01, 2025	0
Received during the financial year 2025-26	23
Resolved during the financial year 2025-26	23
Not solved to the satisfaction of shareholders	0
Pending as on March 31, 2026	0

Risk Management Committee

47. The Risk Management Committee of CSL was constituted in line with the SEBI LODR Regulations on February 08, 2019. Since then the Committee has been reconstituted a few times on account of change in Directors. Prior to the constitution of the Committee, the risks had been periodically reviewed by the Board and the Audit Committee. The Risk Management Committee of CSL ceased to exist with effect from November 22, 2024 due to the completion of tenure of the Independent Directors and the subsequent non-appointment of new incumbents by the Government of India. The Risk Management Committee was reconstituted with effect from June 01, 2025 following the appointment of Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL on May 21, 2025. Further, consequent to the retirement of Shri Madhu Sankunny Nair, Chairman and Managing Director, on superannuation from services of the Company on January 31, 2026, the Risk Management Committee was reconstituted with effect from February 01, 2026.

Terms of reference

48. Following are the terms of reference of Risk Management Committee:

    (i) Monitoring and reviewing of the risk management plans including steps taken for ensuring cyber security;

    (ii) Ensure required risk documentation is done on quarterly basis;

    (iii) Provide updates and seek approval from Board of Directors on risk management;

    (iv) Such other functions as may be specified by the Board from time to time; and

    (v) Exercising such other roles assigned to it by the provisions of the SEBI Listing Regulations and any other laws and their amendments from time to time.

Constitution

49. During the financial year 2025-26, there was no functional Risk Management Committee from the start of the reporting period till May 31, 2025 due to non-appointment of Independent Directors by the Government of India. Following the appointment of Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL on May 21, 2025, the Risk Management Committee was reconstituted with effect from June 01, 2025 with Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director as Chairperson, Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) and Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Members. Consequent to the retirement of Shri Madhu Sankunny Nair, Chairman and Managing Director (CMD), on superannuation from services of the Company on January 31, 2026, the Risk Management Committee was reconstituted with effect from February 01, 2026 with Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) & CMD (Addl. Charge) as Chairperson, Dr. Harikrishnan S, (DIN: 10221559), Director (Operations), Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), Director (Technical) and Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Members. The composition of the Risk Management Committee remained the same as on March 31, 2026.

Risk Management Committee meetings held during 2025-26 and attendance

50. Two meetings of the Risk Management Committee were held during 2025-26. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Sep 29, 2025	Mar 27, 2026
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	✓	N.A.
2.	Shri Jose V J	✓	✓
3.	Dr. Harikrishnan S	N.A.	✓
4.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	N.A.	✓
5.	Dr. Seema Suri	✓	✓

N.A. – Not Applicable. ✓ – Present.

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee

51. A sub-committee of the Board was constituted vide resolution no. 181/09 at the 181st meeting of the Board held on September 05, 2008 to decide on the matters relating to Corporate Social Responsibility in CPSEs.

52. The Sustainable Development Committee was constituted at the 197th Board Meeting held on November 23, 2011. The DPE vide OM No.3(9)/2010-DPE(MoU) dated September 23, 2011 has issued detailed guidelines on sustainable development in CPSEs.

53. Company decided to merge the Corporate Social Responsibility Committee and Sustainable Development Committee to decide the matters relating to CSR activities in line with the guidelines laid down under Schedule VII of the Companies Act, 2013. Accordingly, the aforesaid two committees were merged into Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee pursuant to the circular resolution dated March 08, 2013. Since then the Committee has been reconstituted

several times on account of change in Directors. The CSR & SD Committee of CSL ceased to exist with effect from November 22, 2024 due to the completion of tenure of the Independent Directors and the subsequent non-appointment of new incumbents by the Government of India. The CSR & SD Committee was reconstituted with effect from June 01, 2025 following the appointment of Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL on May 21, 2025. Further, consequent to the retirement of Shri Madhu Sankunny Nair, Chairman and Managing Director, on superannuation from services of the Company on January 31, 2026, the CSR & SD Committee was reconstituted with effect from February 01, 2026.

Terms of reference

54. The following are the terms of reference of the CSR & SD Committee:

(i) Recommend CSR and sustainability development policy to the Board;

(ii) Recommend plan of action and projects to be initiated in the short, medium and long term for CSR and sustainability development;

(iii) To recommend the annual CSR and sustainability development plan and budget; and

(iv) Periodic review of CSR and sustainability development policy, plans and budgets.

Constitution

55. During the financial year 2025-26, there was no functional CSR & SD Committee from the start of the reporting period till May 31, 2025 due to non-appointment of Independent Directors by the Government of India. Following the appointment of Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL on May 21, 2025, the CSR & SD Committee was reconstituted with effect from June 01, 2025 with Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director as Chairperson, Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) and Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Members. Consequent to the retirement of Shri Madhu Sankunny Nair, Chairman and Managing Director (CMD), on superannuation from services of the Company on January 31, 2026, the CSR & SD Committee was reconstituted with effect from February 01, 2026 with Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) & CMD (Addl. Charge) as Chairperson, Dr. Harikrishnan S, (DIN: 10221559), Director (Operations), Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), Director (Technical) and Dr. Seema Suri (DIN: 11117145), Non-official (Independent) Director as Members. The composition of the CSR & SD Committee remained the same as on March 31, 2026.

CSR & SD Committee meetings held during 2025-26 and attendance

56. Three meetings of the CSR & SD Committee were held during the year 2025-26. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	2025		2026
		Aug 12	Nov 11	Jan 28
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	✓	✓	✓
2.	Shri Jose V J	✓	✓	✓
3.	Dr. Harikrishnan S	N.A.	N.A.	N.A.
4.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	N.A.	N.A.	N.A.
5.	Dr. Seema Suri	✓	✓	✓

N.A. – Not Applicable. ✓ – Present.

General Body Meetings

57. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings are given below:

Year	Date	Time	Venue	Special resolution passed
2024-25	Sep 29, 2025	11.00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	1
2023-24	Sep 30, 2024	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	Nil
2022-23	Sep 28, 2023	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	Nil

Postal Ballot

58. During the financial year 2025-26, no resolution was put through by postal ballot.

59. None of the business proposed to be transacted in the ensuing AGM requires the passing of a special resolution by way of postal ballot.

60. Further, there is no immediate proposal for passing any resolution through postal ballot. However, if required, the same shall be passed in compliance with the applicable statutory provisions.

Particulars of Senior Management Personnel

61. CSL has categorised the executives of the Company in the rank of General Managers and above, Unit heads, head of Internal Audit and the Company Secretary as the Senior Management personnel as required under Regulation 16(1)(d) of the SEBI Listing Regulations. The particulars of Senior Management personnel during the financial year ended March 31, 2026 are as follows:

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Eldho John	ED (Technical)
2.	Shri Shiraz Villantekathu Puthiyapurayil	ED (Ship Building)
3.	Shri Deepu Surendran	CGM (C-SAS, BD-SB & BD)
4.	Smt. Anjana K R	CGM (Design & Materials)
5.	Shri Sivakumar Ayyaru	CGM (Ship Repair)
6.	Shri Shibu John	CGM (Finance)
7.	Shri Sunil Kumar K R	GM (ESG & HSE)
8.	Shri Jayan K Thampi	GM (Ship Building)
9.	Shri Subash A K	GM (HR & LD)
10.	Shri Santhosh Philip	GM (Training)
11.	Shri Harikumar K	GM (Strategy & New Initiatives)
12.	Shri Sreekumar Raja C A	GM (Technical)
13.	Shri A Vettriselvan	GM (Materials)
14.	Shri Nagesh Krishnamoorthy	GM (BD-SB)
15.	Shri Sanil Peter	GM (Ship Repair)
16.	Shri Jathesh Chandra Gopinathan	GM (Basic Design)
17.	Shri Suresh Babu V	GM (IAC & DP)
18.	Shri Anoop Das	GM (Planning, I&QC & PD(SH40-45))
19.	Shri Binoj Shankar	GM (Design)
20.	Smt. Mary Ranjit Abraham	DGM (Internal Audit) – Head of Internal Audit
21.	Shri Shyamkumar G	DGM (CMSRU) – Unit Head
22.	Shri Sreekanth Veerappan	DGM (CANSRU) – Unit Head
23.	Shri Rajesh K R	AGM (CKSRU) – Unit Head
24.	Shri Syamkamal N	Company Secretary

62. During the financial year 2025-26, the following changes took place in the Senior Management personnel, the details of which are stated below:

Sl. No.	Name	Remarks
(i)	Dr. Harikrishnan S	Ceased to be senior management personnel upon appointment as Director (Operations) on August 27, 2025.
(ii)	Shri Rajesh Gopalakrishnan	Ceased to be senior management personnel upon appointment as Director (Technical) on August 27, 2025.
(iii)	Shri Sivaram Narayana Swamy	Ceased to be senior management personnel upon resignation from the services of the Company on October 18, 2025.

Sl. No.	Name	Remarks
(iv)	Shri Sreekumar Raja C A	Inducted into senior management personnel category on September 15, 2025 consequent to the promotion to General Manager (GM) cadre.
(v)	Shri A Vettriselvan	
(vi)	Shri Nagesh Krishnamoorthy	
(vii)	Shri Jathesh Chandra Gopinathan	
(viii)	Shri Suresh Babu V	
(ix)	Shri Anoop Das	
(x)	Shri Binoj Shankar	
(xi)	Shri Rajesh K R	Inducted into senior management personnel category on October 01, 2025 consequent to the appointment as Unit Head of CKSRU.

Means of Communication

63. All price-sensitive information and matters that are material to shareholders are disclosed to the respective Stock Exchanges, where the securities of the Company are listed. All submission to the Exchanges is made through the respective electronic filing systems.

64. The financial results for the quarter/ half-year/ year were published as under:

Quarter/ half-year/ year	In the month of
Quarter ending June 30, 2025	August, 2025
Quarter/ half-year ending September 30, 2025	November, 2025
Quarter ending December 31, 2025	January, 2026
Year ending March 31, 2026	May, 2026

65. Quarterly/ half-yearly/ annual results, notices and information relating to General Meetings etc. are published in leading newspapers viz., Business Line (all editions), Mathrubhumi (Kochi edition) and Jansatta (all editions) and are notified to the Stock Exchanges as required under the SEBI LODR Regulations.

66. The quarterly/ half-yearly/ annual financial results and other communication to shareholders and Stock Exchanges, inter alia including presentations to institutional investors and analysts, press releases etc., are made available in the Company's website www.cochinshipyard.in under 'INVESTORS' section. They are also filed with the National Stock Exchange of India Limited (NSE) through NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) and with BSE Limited (BSE) through BSE online portal.

General Shareholder Information

67. Annual General Meeting for FY 2026

Date	Time	Venue
September 29, 2026	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting is being held through electronic mode

68. Financial Year: April 01, 2025 to March 31, 2026.

Dividend Payment

69. The final dividend for the year ended March 31, 2026, if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, on or before October 28, 2026. The Company will be making the dividend payment by electronic mode in compliance with applicable provisions of SEBI LODR Regulations and other applicable laws.

70. The particulars of total dividend declared in the previous three financial years are given below:

(₹)

Financial Year	Final Dividend per Equity Share		Interim Dividend per Equity Share			
			01st		02nd	
	Amount	Face Value	Amount	Face Value	Amount	Face Value
2025-26	1.50	5	4.00	5	3.50	5
2024-25	2.25	5	4.00	5	3.50	5
2023-24	2.25	5	8.00	10	3.50	5

Unclaimed Dividend and Shares – Transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

71. Pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, dividend which remains unpaid/ unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), a Fund constituted by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. Further, all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall also be transferred in the name of IEPF.

72. The Company sends reminder letters to the shareholders, advising them to lodge their claim for unpaid dividend. In line with the IEPF Rules, the Company also communicates to such shareholders whose dividends remain unpaid/ unclaimed for a consecutive period of seven years, requesting them to claim the same, failing which the corresponding equity shares are liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority.

73. During the reporting period, the unpaid/ unclaimed Final Dividend for the year 2017-18 and the corresponding eligible equity shares became due for transfer to IEPF. Accordingly, the unclaimed dividend of ₹5,97,180 pertaining to the Final Dividend for the year 2017-18, was transferred to the IEPF Authority on October 09, 2025. Further, 2,799 equity shares in respect of which the dividend remained unclaimed for seven consecutive years, were also transferred to the demat account of the IEPF Authority on October 10, 2025.

74. The number of equity shares lying in the demat account of IEPF authority as on March 31, 2026 is 2,799.

75. The unpaid/ unclaimed Final Dividend for the year 2018–19 and 01st Interim Dividend for the year 2019-20, along with the corresponding equity shares is due for transfer to IEPF during the financial year 2026-27. The list of shareholders whose shares/ dividend are due for transfer to IEPF are available in the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58.

76. Please note that the shareholders can claim the dividend/ shares transferred to IEPF by following the procedure prescribed under the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Listing of shares

77. The Company's equity shares are listed at the following Stock Exchanges and the listing fees for the year 2025-26 has been paid to the Stock Exchanges.

    (i) BSE Limited
    Phiroze Jeejeebhoy Tower
    Dalal Street, Mumbai – 400001

    (ii) National Stock Exchange of India Limited
    Exchange Plaza, C-1, Block G
    Bandra Kurla Complex
    Bandra (E)
    Mumbai – 400051

78. The International Securities Identification Number (ISIN) for the Company's shares is INE704P01025.

Details of securities suspended

Not applicable.

Registrar and Transfer Agents (RTA)

MUFG Intime India Private Limited
(formerly known as Link Intime India Private Limited)
"Surya" 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road, Coimbatore
Tamil Nadu – 641028
Tel: +91 (422) 2314792, 4958995
E-mail: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Share Transfer System

79. The Company's shares being in the compulsory demat list, are transferable through the depository system.

Distribution of Shareholding

80. Distribution of shareholding based on number of folios as on March 31, 2026.

No. of shares held	Members		Shares	
	No.	%	No.	%
1 – 500	9,98,907	98.71	3,85,78,290	14.66
501 – 1,000	8,134	0.80	59,20,261	2.25
1,001 – 2,000	3,119	0.31	45,14,779	1.72
2,001 – 3,000	734	0.07	18,37,260	0.70
3,001 – 4,000	330	0.03	11,92,680	0.45
4,001 – 5,000	195	0.02	9,00,682	0.34
5,001 – 10,000	262	0.02	18,30,826	0.70
>10,000	232	0.02	20,83,06,002	79.18
Total	**10,11,913**	**100.00**	**26,30,80,780**	**100.00**

Dematerialisation of shares and liquidity

81. The Company's shares are compulsorily traded in dematerialised form and are available on both the depositories viz., NSDL and CDSL.

Percentage of shares held in

Physical form	:	0.00
Electronic form with NSDL	:	85.15
Electronic form with CDSL	:	14.85

82. The Company's equity shares are regularly traded on the BSE and NSE.

Outstanding Global Depository Receipts (GDRs) or American Depository Receipts (ADRs) or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity

None.

Foreign exchange risk and hedging of activities

83. The Company has formulated a Forex Risk Management Policy duly approved by the Board and the forex exposures are being hedged depending upon the market conditions.

84. The Company is also keeping a constant watch on the forex market fluctuations and has been exploring various options of foreign currency borrowings like buyer's credit etc. as part of effective working capital management. Status of the forex exposure and the hedging position is reviewed by the Audit Committee, Risk Management Committee and the Board, wherever applicable.

Plant locations

- CSL Kochi Main Unit – Shipbuilding and Ship Repair facility at Perumanoor P O, Kochi – 682015;
- CSL International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port Premises, Willingdon Island, Kochi – 682003;
- CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) at Mumbai Port Premises, Mumbai – 400001;
- CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) at Syama Prasad Mookerjee Port Premises, Kolkata – 700024; and
- CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU) at Marine Dockyard, Sri Vijaya Puram – 744101.

Address for Correspondence

Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Credit Ratings

Instrument	ISIN	Rating	Revisions, if any, during FY 2025-26
8.72% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07030	AAA by India Ratings and Research (Ind-Ra) and Care Ratings	Nil

Other Disclosures

Related Party Transactions

85. During the year under review, there were no materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interest of the Company at large. The Company has a policy for related party transactions, which can be accessed at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Non-compliance by the Company

86. No penalties/ strictures have been imposed on the Company by the Stock Exchanges or Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other statutory authority on any matter relating to capital markets during the last three years except the following:

Year	Name of Authority	Nature of non-compliance	Period of non-compliance	Amount of fine/ penalty imposed	Remarks
2024-25	BSE	Delay of one working day in intimating the record date fixed in November 2021 for payment of interest on the Company's 8.51% Tax Free, Secured Redeemable Non-Convertible Bonds.	Quarter ended Dec 31, 2021.	₹11,800 (incl. GST @18%).	The Company has paid the fine within the prescribed time.
	BSE & NSE	Non-compliance w.r.t composition of Board of Directors (Regulation 17(1) of the SEBI LODR Regulations – insufficient/ no Independent Directors including a Woman Director).	Quarters ended Sep 30, 2024, Dec 31, 2024 and Mar 31, 2025.	₹14,21,900 each (including GST @ 18%).	CSL, being a CPSE, the power to appoint Directors vests with the Government of India and the Company had forwarded appropriate requests to the Government of India for filling up the vacancies of Independent Directors including a Woman Director. Consequently, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide Letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, appointed Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director of the Company with effect from May 21, 2025. Following her appointment, the Company reconstituted the Stakeholders Relationship Committee and the Risk Management Committee in line with the SEBI LODR Regulations on June 01, 2025. Since the said non-compliances were neither due to the negligence/ default by the Company nor within the control of the management of the Company, BSE and NSE have waived the fines imposed w.r.t Regulations 17(2A) (quorum of Board meetings), 20 and 21 (constitution of Stakeholders' Relationship Committee and Risk Management Committee) of the SEBI LODR Regulations upon submission of waiver request by the Company.
		Non-compliance w.r.t quorum of Board meetings (Regulation 17(2A) of the SEBI LODR Regulations – absence of Independent Director).	Quarter ended Mar 31, 2025.	₹23,600 each (including GST @ 18%).	
		Non-compliance w.r.t constitution of Audit Committee (Regulation 18 of the SEBI LODR Regulations).	Quarters ended Dec 31, 2024 and Mar 31, 2025.	₹3,04,440 each (including GST @ 18%).	
		Non-compliance w.r.t constitution of Nomination and Remuneration Committee (Regulation 19 of the SEBI LODR Regulations).	Quarters ended Dec 31, 2024 and Mar 31, 2025.	₹3,04,440 each (including GST @ 18%).	
		Non-compliance w.r.t constitution of Stakeholders' Relationship Committee (Regulation 20 of the SEBI LODR Regulations).	Quarters ended Dec 31, 2024 and Mar 31, 2025.	₹3,04,440 each (including GST @ 18%).	
		Non-compliance w.r.t constitution of Risk Management Committee (Regulation 21 of the SEBI LODR Regulations).	Quarters ended Dec 31, 2024 and Mar 31, 2025.	₹3,04,440 each (including GST @ 18%).	

Year	Name of Authority	Nature of non-compliance	Period of non-compliance	Amount of fine/ penalty imposed	Remarks
2025-26	BSE & NSE	Non-compliance w.r.t composition of Board of Directors (Regulation 17(1) of the SEBI LODR Regulations – insufficient/ no Independent Directors including a Woman Director).	Quarters ended Jun 30, 2025, Sep 30, 2025 and Dec 31, 2025.	₹16,22,500 each (including GST @ 18%).	The appointment of the remaining five Independent Directors is awaited from the Government of India. Since achieving compliance is a pre-requisite for applying for a waiver of fines, appropriate requests for waiver of fines imposed w.r.t Regulations 17(1) (composition of Board), 18 and 19 (constitution of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee) of the SEBI LODR Regulations will be filed with the stock exchanges as per the extant Policy for Exemption of Fines, upon appointment of the remaining Independent Directors by the Government of India. The stock exchanges have in the past waived off the fines in similar situations.
		Non-compliance w.r.t quorum of Board meetings (Regulation 17(2A) of the SEBI LODR Regulations – absence of Independent Director).	Quarter ended Jun 30, 2025.	₹11,800 each (including GST @ 18%).	
		Non-compliance w.r.t constitution of Audit Committee (Regulation 18 of the SEBI LODR Regulations).	Quarters ended Jun 30, 2025, Sep 30, 2025 and Dec 31, 2025.	₹6,49,000 each (including GST @ 18%).	
		Non-compliance w.r.t constitution of Nomination and Remuneration Committee (Regulation 19 of the SEBI LODR Regulations).	Quarters ended Jun 30, 2025, Sep 30, 2025 and Dec 31, 2025.	₹6,49,000 each (including GST @ 18%).	
		Non-compliance w.r.t constitution of Stakeholders' Relationship Committee (Regulation 20 of the SEBI LODR Regulations).	Quarter ended Jun 30, 2025.	₹1,43,960 each (including GST @ 18%).	
		Non-compliance w.r.t constitution of Risk Management Committee (Regulation 21 of the SEBI LODR Regulations).	Quarter ended Jun 30, 2025.	₹1,43,960 each (including GST @ 18%).	

87. As on March 31, 2026, the Board of CSL has only one Independent Director (including Woman Director) as against the statutory requirement of six. CSL had six Independent Directors, including a Woman Director, in compliance with Regulation 17 of the SEBI LODR Regulations till May 01, 2024. However, Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097) ceased to be a Non-official (Independent) Director of the Company w.e.f. May 02, 2024, consequent to his resignation on account of him contesting for the Odisha Legislative Assembly. Further, the remaining five Independent Directors vacated their office on November 21, 2024, consequent to the completion of their tenure of appointment prescribed by the Government of India. CSL being a Central Public Sector Enterprise (CPSE), the power to appoint Directors on the Board of the Company vests with the Government of India. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide Letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, appointed Dr. Seema Suri as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL with effect from May 21, 2025. The appointment of the remaining five Independent Directors is awaited from the Government of India and constant follow-ups are being made for the same. The Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee will be reconstituted on appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India.

Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy

88. CSL had adopted a Whistle Blower Policy approved by the Board at its 198th meeting held on February 22, 2012, which was amended at the 228th Board meeting held on December 14, 2016. Further, in line with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted a Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy was last amended in the 287th Board Meeting held on March 27, 2026. The said policy is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68. CSL is a Government of India undertaking and follows Government guidelines on reporting of any illegal or unethical practices. Directors/ employees/ stakeholders/ representative bodies of employees are given freedom to report to their immediate Supervisor/ Chief Vigilance Officer or Chairman and Managing Director, details of any violation of rules, regulations and unethical conduct. The Directors and Senior Management are bound to maintain confidentiality of such reporting and ensure that the whistle blowers are afforded protection against any harassment

and not subjected to any discriminatory practices. During the reporting period, there was no functional Audit Committee due to non-appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India. However, during the period under report no personnel has been denied access to the Vigil Mechanism of the Company.

Code of Conduct for Prevention of Insider Trading

89. The Company has in place a Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. The Code lays down guidelines, which advise on procedures to be followed and disclosures to be made, while dealing with the shares of the Company, and cautioning them of the consequences of violations. The Code of Conduct for Prevention of Insider Trading is hosted on the website of the Company and can be accessed at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Mandatory Requirements

90. A comprehensive report on the status of compliance with all the applicable corporate laws, rules and regulations by the Company is placed before the Board on a quarterly basis for their information and review. The Company has complied with all the mandatory requirements of the Code of Corporate Governance as specified in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of the SEBI LODR Regulations, except with respect to the composition of Board of Directors viz., appointment of requisite number of Independent Directors and consequent compliances related to statutory committees.

Non-Mandatory Requirements

91. The Company has complied with the following non-mandatory requirements of the SEBI LODR Regulations relating to Corporate Governance. The status of compliance with the non-mandatory requirements listed in Regulation 27(1) read with Part E of Schedule II of the SEBI LODR Regulations is as under:

- During the year under review, there is no audit qualification in the Company's financial statements. The Company continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit position.

Subsidiary Company

92. Cochin Shipyard Limited (CSL) has only two subsidiary companies viz., Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL). Hooghly-CSL is a wholly owned subsidiary company of Cochin Shipyard Limited (CSL) which was incorporated as a Joint Venture Company on October 23, 2017, venturing with Hooghly Dock & Port Engineers Limited. However, since November 01, 2019, Hooghly-CSL is a wholly owned subsidiary of CSL. Further, CSL acquired Tebma Shipyards Limited through the statutory insolvency resolution process on September 15, 2020, thereby making it a wholly owned subsidiary of CSL. Subsequently, on April 22, 2022, Tebma Shipyards Limited was renamed as Udupi Cochin Shipyard Limited.

93. Regulation 16 of the SEBI LODR Regulations defines a 'material subsidiary' as subsidiary, whose turnover or networth exceeds ten percent of the consolidated turnover or networth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year. As per the audited financial figures for the financial year 2025-26, Udupi-CSL has become a material subsidiary of CSL. The Company does not have any other material subsidiary.

---

94. The details of the Company's material subsidiary as required under the SEBI LODR Regulations is given below:

Name and CIN	Date and Place of Incorporation	Name and Date of appointment of Statutory Auditors for FY26
Udupi Cochin Shipyard Limited CIN: U27209TN1984GOI010994	July 09, 1984 Chennai, Tamil Nadu	K P Kanchan & Co., Chartered Accountants appointed by the C&AG on February 10, 2026

95. As per Regulation 24A(1)(a) of the SEBI LODR Regulations, every listed entity is required to annex the Secretarial Audit Report of its material unlisted subsidiary to its Annual Report. Hence, the Secretarial Audit Report of Udupi-CSL for the financial year ended March 31, 2026, issued by M/s. SVJS & Associates, Practicing Company Secretaries, Kochi is placed at **Annexure IV**. The Report does not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer.

96. Pursuant to the explanation under Regulation 16(1)(c) of the SEBI LODR Regulations, the Company has formulated a policy for determining 'material subsidiaries' which is disclosed on the Company's website at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Details of compliance with the requirement of Corporate Governance guidelines

97. In terms of SEBI LODR Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance, certificate regarding Compliance of Corporate Governance Guidelines from Practicing Company Secretary is placed at **Annexure I** to this report.

Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years

98. The Company has complied with all presidential directives issued by the Central Government regarding the operation of PSUs.

99. Items of expenditure debited in the books of accounts, which are not for the purposes of the business: Nil

100. Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management: Nil

101. The administrative and office expenditure of the Company for the year 2025-26 was 2.23% of the total expenditure as against 1.69% in 2024-25. Financial expenditure stood at 2.17% of the total expenditure in 2025-26, against 0.97% in the previous year.

102. A certificate from a Company Secretary in Practice, that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is placed at **Annexure II** to this report.

103. The Company has paid an amount of ₹32.43 Lakhs to M/s. Babu A Kallivayalil & Co. and M/s. Anand & Ponnappan, Statutory Auditors for the services provided to the Company and its subsidiaries.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

(i)	number of complaints pending as on March 31, 2025	1
(ii)	number of complaints filed during the financial year 2025-26	2
(iii)	number of complaints disposed of during the financial year 2025-26	1
(iv)	number of complaints pending as on March 31, 2026	2

Code of Conduct

104. The Board has prescribed a Code of Conduct for all the Board members and Senior Management of the Company. All Board members and Senior Management personnel have confirmed compliance with the Code of Conduct for the year 2025-26. The Code of Conduct is hosted on the website of the Company and can be accessed at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

105. A declaration signed by the Director (Finance) & CMD (Addl. Charge) of the Company is given below:

I hereby declare that all the members of the Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of the Board of Directors and Senior Management personnel in respect of the financial year 2025-26.

Jose V J
Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

CEO/ CFO Certification

106. The CEO/ CFO certification of the financial statements for the year is placed at **Annexure III** to this report.

Risk Management Process

107. CSL has put in place a comprehensive Risk Management Policy, approved by the Board of Directors. The salient features of the said policy are as follows:

(i) Risk Management Vision Statement: Minimise the organisational risks to an acceptable level and adopt risk management practices which would help the Company to attain its goals and objectives while at the same time ensuring minimisation of risks.

(ii) Risk Management Policy:

(a) The risk management process is implemented to improve the Company's ability to prevent risks and ensure timely detection of risk;

(b) To identify risks and its mitigation;

(c) Risk management process to be standardised; and

(d) Facilitate sharing of risk information.

108. The Risk Management Policy intends to put in place an effective risk management framework and an appropriate reporting mechanism. The management of Cochin Shipyard would periodically identify the various risks and assess/ analyse their impact on the Company. Risk mitigation and management measures would be put in place to effectively manage these risks. The Board may approve changes to the Policy from time to time in order to align it with the changes in business environment.

Risk Management System and Structure

109. The Board has constituted a Risk Management Committee to review the risk management system within CSL. The Board also discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives are entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, Risk Management Steering Committee and Functional Risk Management Committees have been constituted to implement the Policy in CSL.

---

110. Due to the peculiar nature of business carried on by CSL, it avoids the risk relating to its commodities.

111. Exposure of the listed entity to commodity and commodity risks faced by the entity throughout the year:

(i) Total exposure of the listed entity to commodities in INR: 88.94 Crores.

(ii) Exposure of the listed entity to various commodities:

Commodity Name	Exposure in INR towards the particular commodity	Exposure in Quantity terms towards the particular commodity	% of such exposure hedged through commodity derivatives				
			Domestic market		International market		Total
			OTC	Exchange	OTC	Exchange	
Steel	88.94 Crores	10610.52 Tonnes	-	-	-	-	-

(iii) In order to avoid risk relating to increase in input cost, the Company places order for all major inputs with staggered delivery at the time of signing of shipbuilding contract. The offers are checked with the estimates taken for arriving at the estimated cost. In the case of ship repair, major components are normally supplied to ship owners at cost plus basis as the components are normally of the owner's preference.

Shareholding pattern

112. The Company has 26,30,80,780 equity shares of face value of ₹5 each, details of which as on March 31, 2026 are as follows:

(₹ Lakhs)

Category of shareholders	Number of shareholders	Total number of shares	Percentage (%)
Central Government	1	17,86,71,239	67.9150
Clearing Members	65	1,42,932	0.0543
Other Bodies Corporate	1,378	29,07,991	1.1054
Directors, Key Managerial Personnel and Relatives of Directors	3	641	0.0002
Hindu Undivided Family	9,193	11,89,437	0.4521
Mutual Funds	75	54,34,068	2.0656
Nationalised Banks	1	24,600	0.0094
Non-Nationalised Banks	2	360	0.0001
Non-Resident Indians	7,601	14,53,604	0.5525
Non-Resident (Non Repatriable)	6,682	8,30,702	0.3158
Public	9,86,603	5,36,02,998	20.3751
Trusts	17	10,701	0.0041
Insurance Companies	11	1,04,28,608	3.9640
Body Corporate – Limited Liability Partnership	155	2,13,722	0.0812
Foreign Portfolio Investors (Corporate)	118	81,49,015	3.0975
NBFCs registered with RBI	5	16,991	0.0065
Alternate Investment Funds – III	2	372	0.0001
Investor Education and Protection Fund	1	2,799	0.0011
Total	**10,11,913**	**26,30,80,780**	**100.0000**

Means of Communication

113. The quarterly/ half-yearly/ yearly financial results are posted on the websites of the BSE, NSE and the Company, after consideration and approval by the Board and are also published in one English national daily having all India circulation and at least in one Malayalam national daily, Kochi edition within 48 hours of its approval. These results have also been published in one Hindi national daily having all India circulation. The Annual Report of the Company is posted in the website viz., www.cochinshipyard.in. The website of the Company also displays all official news releases.

Audit Qualifications

114. The Report submitted by M/s. Babu A Kallivayalil & Co., Statutory Auditors of the Company does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Training Board Members

115. The Board members of CSL are senior executives who have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL has benefited from their vision and knowledge. Presentations are made to the Board members on the Company's performance, business model, corporate plan and future outlook, on their induction in the Board. In addition, at the Board/ Committee/ other meetings, detailed presentations are made by the senior management personnel/ professionals/ consultants on business related issues, risk assessment, risk policy etc. The Directors are encouraged to identify and attend specific training programmes to improve their effectiveness. The Board has also adopted a policy regarding training of Directors.

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

Kochi
May 15, 2026

Annexure I

CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To the Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED

1. The accompanying Corporate Governance Report prepared by **COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: L63032KL1972GOI002414]** and having registered office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam, Kerala, India, 682015 (hereinafter referred to as 'the Company'), contains details as required by the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("the Listing Regulations") ('Applicable criteria') with respect to Corporate Governance for the year ended March 31, 2026.

Management's Responsibility

2. The preparation of the Corporate Governance Report is the responsibility of the Management of the Company including the preparation and maintenance of all relevant supporting records and documents. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Corporate Governance Report.

3. The Management along with the Board of Directors are also responsible for ensuring that the Company complies with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations, issued by the Securities and Exchange Board of India.

Our Responsibility

4. The procedures for verification that have been selected depend on judgement, including the assessment of the risks associated in compliance of the Corporate Governance Report with the applicable criteria. The key procedures performed include:

    i. Reading and understanding of the information prepared by the Company and included in its Corporate Governance Report;

    ii. Obtained and verified that the composition of the Board of Directors w.r.t. executive and non-executive directors has been met throughout the reporting period except as stated in the report;

    iii. Obtained and read the Directors' Register as on March 31, 2026 and verified that at least one independent woman director was on the Board during the year from May 21, 2025;

    iv. Obtained and read the minutes of the annual general meeting held on September 29, 2025;

    v. Obtained and read the minutes of the Board of Directors and the committees of the Board of Directors, held from April 01, 2025 to March 31, 2026;

    vi. Obtained necessary representations and declarations from directors of the Company including the independent directors; and

    vii. Performed necessary inquiries with the management and also obtained necessary specific representations from management.

    The above-mentioned procedures include examining evidence supporting the particulars in the Corporate Governance Report on a test basis. Further, our scope of work under this certificate did not involve us performing audit tests for the purposes of expressing an opinion on the fairness or accuracy of any of the financial information or the financial statements of the Company taken as a whole.

Opinion

5. Based on the procedures performed by us, and according to the information and explanations given to us, we are of the opinion that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations, as applicable for the year ended March 31, 2026 except as follows:

    i. *The Company did not have sufficient number of independent directors on its Board during the audit period, as required under Regulation 17 of the Listing Regulations. The Company only had one independent*

director on its Board during the audit period, who was appointed on May 21, 2025. Consequently, the Company was non-compliant with respect to the conduct of separate meeting of independent directors as mandated under Regulation 25(3)&(4) of the Listing Regulations;

ii. *There was no woman independent director on the Board of the Company from the start of the reporting period up to May 20, 2025, as mandated under Regulation 17 of the Listing Regulations;*

iii. *The Company did not have a duly constituted Audit Committee during the reporting period, as required under Regulation 18 of the Listing Regulations. Consequently, the Company was also non-compliant with respect to the conduct and frequency of Audit Committee meetings as mandated under Regulation 18(2) of the Listing Regulations;*

iv. *The Company did not have a duly constituted Nomination and Remuneration Committee during the reporting period, as required under Regulation 19 of the Listing Regulations. Consequently, the Company was also non-compliant with respect to the conduct and frequency of Nomination and Remuneration Committee meetings as mandated under Regulation 19(3A) of the Listing Regulations;*

v. *The Company did not have a duly constituted Stakeholders Relationship Committee from the start of the reporting period up to May 31, 2025, as required under Regulation 20 of the Listing Regulations;*

vi. *The Company did not have a duly constituted Risk Management Committee from the start of the reporting period up to May 31, 2025, as required under Regulation 21 of the Listing Regulations; and*

vii. *The requirement of quorum of at least one independent director as mandated under Regulation 17 of the Listing Regulations was not met in the Board Meeting of the Company held on May 15, 2025 as there were no independent directors on the Board of the Company.*

Other matters and Restriction on Use

6. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

7. This certificate is addressed to and provided to the members of the Company solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose.

8. We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067H000354803

Kochi
13th May, 2026

Corporate Governance Certificate

(As stipulated in the guidelines on Corporate Governance for CPSES issued by the Department of Public Enterprises, Government of India)

To
The Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Cochin
Ernakulam, Kerala, India, 682015

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: L63032KL1972GOI002414]** (the Company) for the financial year ended 31.03.2026, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India ('CG Guidelines for CPSEs').

2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

3. In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, We certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance, wherever applicable, as stipulated in the CG Guidelines for CPSEs except as follows:

   i. The Company did not have sufficient number of independent directors on its Board during the reporting period, as required under Clause 3.1 of the CG Guidelines for CPSEs;

   ii. The Company did not have a duly constituted Audit Committee during the reporting period, as required under Clause 4.1 of the CG Guidelines for CPSEs. Consequently, the Company was also non-compliant with respect to the conduct and frequency of Audit Committee meetings as mandated under Clause 4.4 of the CG Guidelines for CPSEs; and

   iii. The Company did not have a duly constituted Nomination and Remuneration Committee during the reporting period, as required under Clause 5.1 of the CG Guidelines for CPSEs.

4. We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067H000354814

Kochi
13th May, 2026

Annexure II

Certificate of Non-Disqualification of Directors

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To
The Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Cochin
Ernakulam, Kerala, India, 682015

1. We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: L63032KL1972GOI002414]** and having its registered office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam, Kerala, India, 682015 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company and its officers, the representations made by the Management and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on **31st March, 2026** have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sl. No.	Name of Director	DIN	Date of appointment in Company
i.	Valiyaparambil Jacob Jose	08444440	01/08/2019
ii.	Sankaranarayanapillai Harikrishnan	10221559	27/08/2025
iii.	Rajesh Gopalakrishnan	09576336	27/08/2025
iv.	Sivaperumal Venkatesapathy	07407879	07/08/2025
v.	Pullichalil Bava Nooh	09701541	20/06/2025
vi.	Seema Suri	11117145	21/05/2025

3. Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067H000354825

Kochi
13th May, 2026

Annexure III

CEO and CFO Certificate

The Board of Directors
Cochin Shipyard Limited
Kochi – 682 015

Dear Sirs,

1. I have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year ended March 31, 2026 and that to the best of my knowledge and belief:

   (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   (ii) these statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

2. There are, to the best of my knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Company's code of conduct.

3. I accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting. I have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and I have disclosed to the Auditors, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which I am aware and the steps I have taken or propose to take to rectify these deficiencies, if any.

4. I have indicated to the Auditors that:

   (i) There has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year;

   (ii) There has not been any significant change in accounting policies during the year requiring disclosure in the notes to the financial statements; and

   (iii) I am not aware of any instance during the year of significant fraud with involvement therein of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.

5. I further certify that the funds disbursed for Corporate Social Responsibility (CSR) activities have been utilised by the Company for the purposes and in the manner as approved by the Board of Directors from time to time and also in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under.

Jose V J
Director (Finance), CFO &
CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

Kochi
May 15, 2026

Annexure IV

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2026

[Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377 Pazhamathur Village, Pukathurai Post,
Madurantakam Taluk, Kancheepuram,
Tamil Nadu, India, 603116

We, SVJS & Associates, Company Secretaries, have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: U27209TN1984GOI010994]** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of Secretarial Audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2026 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;

(ii) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company.

1. The Electricity Act, 2003 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
2. The Industrial Employment Standing Orders Act and the Rules;
3. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
4. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
5. The Environment (Protection) Act, 1986 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
6. Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016;
7. The Factories Act, 1948 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
8. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
9. The Right to Information Act, 2005 and the Rules framed thereunder
10. Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards relating to Meetings of the Board of Directors (SS 1) and General Meetings (SS 2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

In respect of other laws specifically applicable to the Company we have relied on information / records produced by the Company during the course of our audit and the reporting is limited to that extent.

We report that

The Board of directors of the Company is duly constituted. All the directors of the Company are Non-executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance in accordance with the provisions of the Act and Secretarial Standards, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions of the Board were unanimous and the same was captured and recorded as part of the minutes.

We further report that to the extent of our verification, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period there were no instances of:

(i) Public / Right / Preferential issue of shares / debentures / sweat equity

(ii) Redemption / buy-back of securities

(iii) Merger / amalgamation / reconstruction, etc.

(iv) Foreign technical collaborations

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as 'Annexure A' and forms an integral part of this report.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067H000354847

Kochi
13th May, 2026

'Annexure A'

To
The Members
UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED
S.No.377 Pazhamathur Village, Pukathurai Post,
Madurantakam Taluk, Kancheepuram,
Tamil Nadu, India, 603116

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of the Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to express an opinion on these records, based on our audit.

2. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our report.

3. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards etc. is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of the procedures and compliances on test basis.

6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2026 but before issue of the Report.

7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal / professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067H000354847

Kochi
13th May, 2026

Management Discussion and Analysis Report

Forward-Looking Statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward-looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in these statements. Important factors that could influence the Company's operations include Government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the said Act. The Company has used estimates and judgements relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.

2. The following discussions on our financial condition and results of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report.

Shipbuilding Industry

Global Shipbuilding Outlook

3. The global shipbuilding industry is entering a steady growth phase, with projections indicating the market could exceed US$262 billion by 2029. This growth is primarily driven by commercial vessels, which account for nearly 75% of total demand. This expansion is driven by a massive "newbuilding boom", with current orderbooks reaching their third-highest levels in history. Regulatory pressures to reduce emissions are also a key driver of increased demand for newbuilds.

Key Industry Drivers

4. The key drivers propelling the shipbuilding growth include:

   (i) **Fleet Renewal (Primary Driver):** A growing number of vessels are reaching the end of their service lives, creating strong demand for replacements;

   (ii) **Decarbonisation Mandates:** International Maritime Organisation (IMO) regulations are forcing a shift toward green shipping. The industry is transitioning beyond compliance to performance-based sustainability. Nearly 50% of new vessel orders in 2025 were for dual-fuel ships (LNG, methanol or ammonia-ready). Decarbonisation and green transitions are major uncertainties shaping the industry. Increasing focus on alternative fuels such as methanol, LNG, hydrogen and ammonia. Energy efficiency technologies and solutions are becoming increasingly important;

   (iii) **Demand Growth and Trade Expansion:** Despite uncertainties, seaborne trade is expected to grow, supporting long-term ship demand;

   (iv) **Fleet Modernisation:** A significant portion of the global merchant fleet is ageing (over 15-20 years), necessitating replacements with more efficient, tech-heavy models;

   (v) **Naval Expansion:** Rising geopolitical tensions are driving record-high defence spending. The U.S., for example, is investing roughly US$34-36 billion annually to modernise its naval fleet; and

   (vi) **Offshore Energy:** The growth of offshore wind farms has created a surge in demand for specialised installation and service vessels.

Dominant Players and Market Share

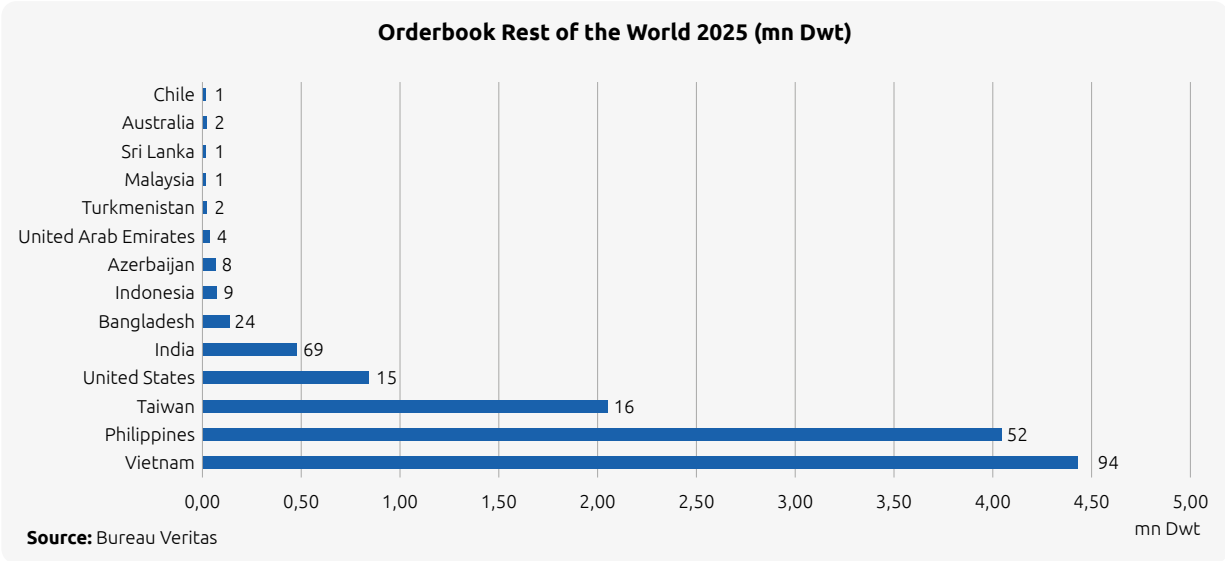
5. The shipbuilding industry remains heavily concentrated in East Asia, which controls roughly 93% of global shipbuilding capacity, though capacity is now expanding to other regions as well.

(i) **China:** The undisputed leader with over 60% of the global commercial orderbook. It excels at cost-efficient production and has recently consolidated state-owned giants such as CSSC and CSIC to form the world's largest shipbuilding group;

(ii) **South Korea:** Maintains a strong second position by specialising in high-value, complex vessels such as LNG carriers and mega-container ships;

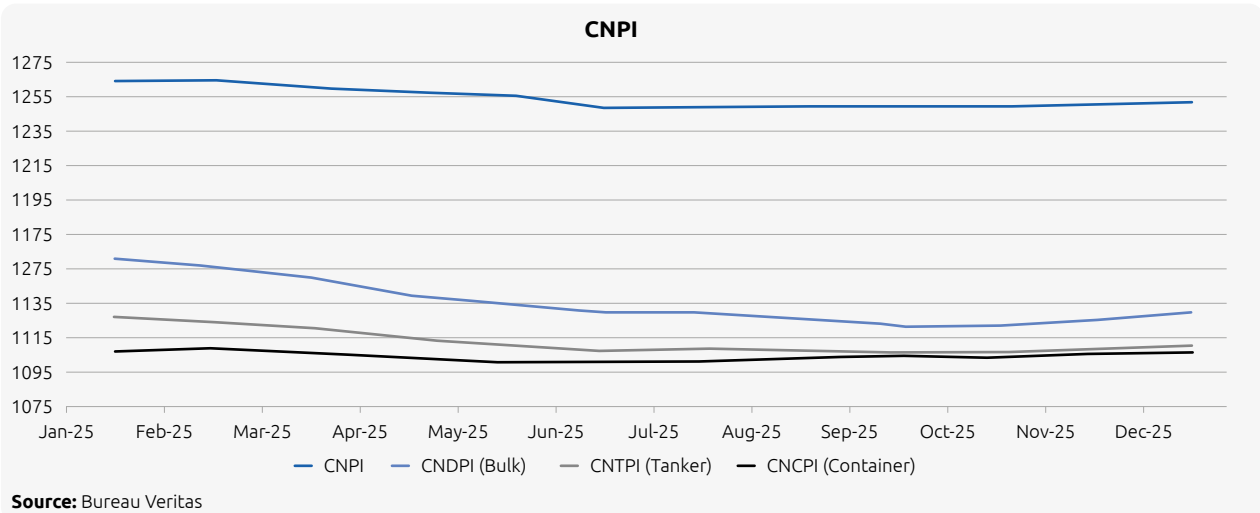
(iii) **Japan:** Holds a significant share focused on high-quality, fuel-efficient bulk carriers and advanced ship designs; and

(iv) **Emerging Challengers:** Nations like India and Vietnam are aggressively seeking to capture market share. There is a structural shift in global competition, especially through the increasing capacity announcements from "other regions" such as India.



Source: Bureau Veritas

6. Newbuilding prices for bulkers, tankers and container carriers saw a modest increase in 2025. The Chinese Newbuilding Price Index (CNPI), produced by a panel of shipbuilders and shipbrokers, showed a marginal increase, upending the early indication of plateauing of demand. The booming container market played a key role in driving prices up, with second-hand vessel values also rising considerably.



Source: Bureau Veritas

Technology and Innovation Trends

7. The shipbuilding industry, like all others, is undergoing major technological transformation. A few of these include:

   (i) Energy Efficiency Tools: Systems like simulation-based platforms are used to optimise fuel consumption and emissions;

   (ii) Alternative Fuel Ecosystem:

   - Methanol-ready vessels gaining traction; and
   - Growing bunkering infrastructure.

   (iii) Smart Ships and AI Integration:

   - Machine learning in engine rooms; and
   - AI-based energy management systems.

   (iv) Future Concepts:

   - Thermal Energy Storage Systems (TESS);
   - Solar-assisted propulsion; and
   - Autonomous vessels.

Major Challenges and Risks

8. Shipyard costs have been steadily rising. Salaries are up, but the more significant factor has been price hikes from suppliers, driven by inflation and higher demand. Despite the apparent boom in the market, shipyards are still facing difficulties. Growing construction costs seem to be outpacing the rise in newbuilding prices, leaving shipyards less satisfied than anticipated. A few contributory factors being:

   (i) Cost Volatility: Fluctuating prices for steel, which accounts for up to 80% of a ship's material, put severe pressure on yard profit margins;

   (ii) Labour Shortages: Approximately 41% of shipyards globally report critical shortages of skilled workers like welders and naval architects; and

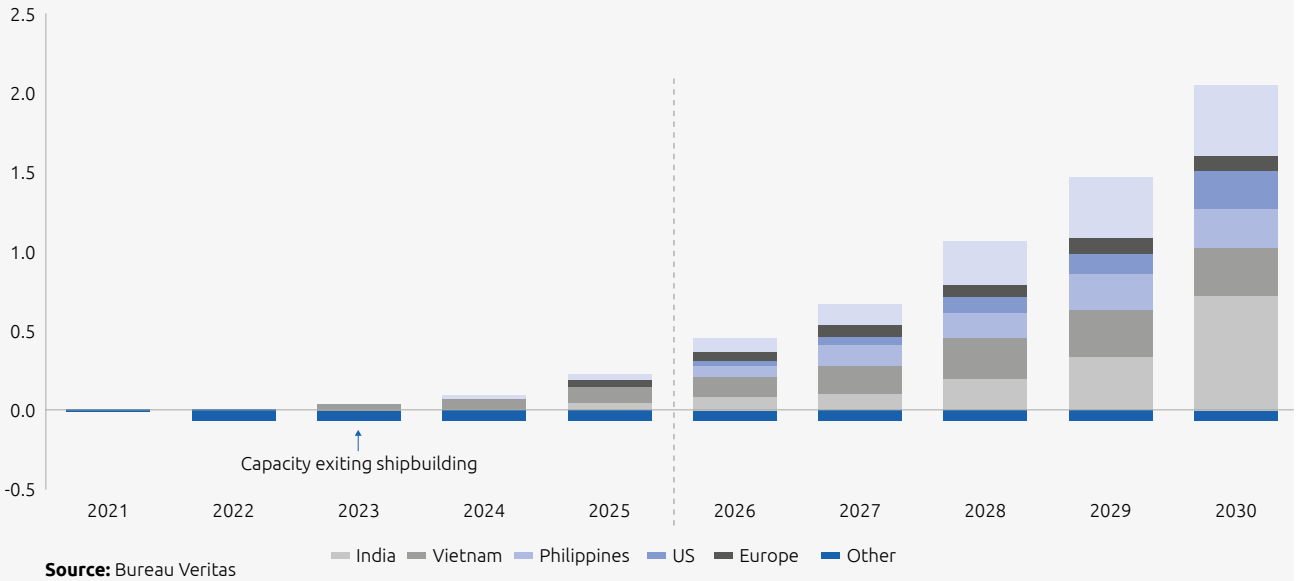
   (iii) Geopolitical Instability: Trade wars, potential tariffs and conflicts disrupt supply chains and shift trade routes, creating uncertainty for long-term investments.

Shipbuilding in India

9. The shipbuilding industry in India is at a critical stage, influenced by shifting global maritime trends and a growing domestic focus on expansion. Traditionally, India has had a limited share in the global commercial shipbuilding market, with stronger involvement in specific segments. However, recent developments indicate a shift, with growing interest in expanding shipbuilding capacity and increasing participation in global markets.

10. India's future position will depend on its ability to strengthen key factors such as capacity, investment, supply chain efficiency and overall competitiveness, as highlighted in global comparisons. With rising demand driven by fleet renewal and trade growth, India has the opportunity to enhance its role, though significant competition from established leaders remains.

Estimated Cumulative Capacity Changes In Other Regions, m CGT

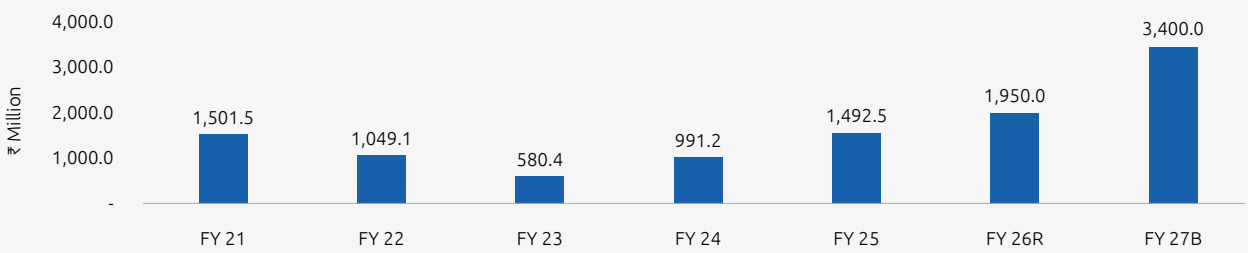


Source: Bureau Veritas

11. India's shipbuilding and shipping sectors are undergoing strategic transformation under the Government of India's long-term maritime vision. Through the Maritime India Vision 2030 (MIV 2030) and Maritime Amrit Kaal Vision 2047 (MAKV 2047), the Government has set ambitious targets to elevate India's position to the 10th largest globally in ship owning and shipbuilding by 2030, and 5th by 2047. These targets are supported by targeted policy interventions and infrastructure development programmes. A comprehensive package of ₹69,725 Crores has been approved by the Union Cabinet to revitalise India's shipbuilding and maritime sector.

Budgetary Allocation towards shipbuilding industry

12. The budgetary support for the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for the year 2026-27 in the Union Budget proposed ₹3,400 million, higher by 74.36% from the 2025-26 revised budgetary support. During the Union Budget 2025-26, ₹1,950 million has been allocated to the shipbuilding industry, an increase of 30.65% from previous year's budget. Additionally, the Government has announced ₹10,000 million Maritime Development Fund, a Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) with an outlay of ₹5,150 million and a ₹2,500 million for capacity and capability development and credit risk coverage for shipbuilding in India – Shipbuilding Development Scheme (SbDS). The SBFAS is designed to promote the domestic construction of large, green and specialised vessels and is expected to generate nearly ₹960 billion of shipbuilding activity, replacing the existing policy after March 2026. To improve industry participation, the scheme will be made more flexible, allowing shipyards to combine benefits with other central and state schemes, opt between old and new policies during the transition period and avail retrospective benefits for approved projects where applicable.



Source: Care Edge

Government Support and Policy Initiatives for Indian Shipping Industry

Initiative / Policy	Description
Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP 2.0)	The Government of India has introduced the SBFAP 2.0 with a total outlay of ₹24,736 Crores to enhance the cost competitiveness of Indian shipyards. The policy provides financial assistance of 15 percent for vessels costing below ₹100 Crores, 20 percent for vessels above ₹100 Crores, and up to 25 percent for green or hybrid vessels that achieve at least 30 percent domestic value addition. It also includes a ship-breaking credit note scheme of ₹4,001 Crores to promote end-of-life recycling within Indian yards.
Maritime Development Fund (MDF)	The MDF, with a total corpus of ₹25,000 Crores, has been established to strengthen long-term financing for shipbuilding. It comprises a Maritime Investment Fund of ₹20,000 Crores and an Interest Incentivisation Fund of ₹5,000 Crores, which provides up to 3 percent interest subvention on loans extended to shipyards and shipping companies.
Shipbuilding Development Scheme (SDS)	The SDS provides ₹19,989 Crores to support greenfield and brownfield expansion of shipyards, along with risk-coverage and capability-building components. Out of this, ₹9,930 Crores is allocated for greenfield cluster capex, ₹8,261 Crores for brownfield modernisation, ₹1,443 Crores for risk coverage and ₹305 Crores for skill and capability development initiatives.
Infrastructure Status and Demand Aggregation	In September 2025, the Government accorded infrastructure status to large shipbuilding projects, enabling access to long-tenor, low-cost financing. At the same time, oil and gas public sector undertakings and the Shipping Corporation of India have aggregated demand for more than 112 vessels to be constructed domestically over the next decade, providing assured order visibility to Indian yards.

Initiative / Policy	Description
Public Procurement Preference and Right of First Refusal (RoFR)	The public procurement framework mandates that all government and PSU vessel orders valued up to ₹200 Crores must be placed with Indian shipyards. In addition, the revised RoFR policy gives priority to Indian-built, followed by Indian-flagged and Indian-owned vessels in all PSU and government tenders, thereby strengthening domestic shipbuilding demand.
Sagarmala Programme	The Sagarmala Programme, covering over 800 projects with a total investment of ₹5.8 trillion, focuses on port modernisation, ship repair, ship recycling and coastal connectivity. The second phase, Sagarmala 2.0, incorporates shipbuilding clusters and port-linked industrial infrastructure to reduce logistics costs and improve the coastal shipping ecosystem.
Maritime India Vision 2030 (MIV 2030)	The Maritime India Vision 2030 seeks to position India among the world's top 10 ship owning and shipbuilding nations by 2030. It targets an annual addition of 4–5 million GT of shipbuilding capacity, increased port repair capability and a coastal shipping share of 12–15 percent of domestic freight movement.
Green Shipping and Technological Transition	Under the Green Tug Transition Programme (GTTP), every major port is required to induct at least two green tugs in the first phase, with five standard tug designs released for adoption. The Harit Sagar Guidelines (2023) aim to achieve 60 percent renewable-energy use and a 30 percent reduction in emission intensity by 2030 across Indian ports. The complementary Harit Nauka Guidelines promote the use of clean fuels for inland vessels, while the National Centre of Excellence for Green Ports and Shipping (NCoEGPS)—set up jointly with TERI—focuses on R&D and technical standards for green shipping.

Outlook

13. Demand for shipbuilding in India is majorly driven by defence, which is expected to continue and the defence shipbuilding order book is expected to grow by 8–9% over the coming years which is expected to boost the Indian shipbuilding industry. Recent government-led shipbuilding and maritime reforms are expected to further support the growth of India's shipbuilding sector. The measures focus on improving domestic capacity through financial support, long-term maritime financing and infrastructure development, aimed at reducing reliance on foreign-built vessels and improving competitiveness. These reforms have the potential to boost the shipbuilding capacity to 4.5 million GT and enable shipbuilding output of up to 8.2 million GT, along with the addition of over 2,500 vessels by 2047. The reforms are also expected to drive investments of about ₹4.5 trillion, supporting sustained growth in both commercial and defence shipbuilding in India and are aligned with India's objective of becoming the 10th largest ship owning and shipbuilding nation by 2030 and the 5th largest by 2047.

14. The conflict in West Asia has disrupted key shipping routes, particularly through the Red Sea and Suez Canal, forcing many vessels to take longer routes via the Cape of Good Hope. This increases sailing time and fuel consumption and reduces schedule reliability, tightening effective vessel availability and keeping freight and insurance costs elevated. For India, over 90% of India's oil is transported on foreign ships, which increases exposure to such global disruptions. Against this backdrop, the Government has reiterated the strategic need to reduce dependence on foreign shipping and announced a ₹70,000 Crores campaign under the Make in India framework to build Indian ships and strengthen domestic capabilities across shipbuilding and allied services. Over the medium term, this policy push, along with defence-led demand, can support incremental order visibility for domestic shipyards, particularly for fleet addition and replacement programmes aligned with self-reliance objectives.

Demand Aggregation

15. In order to provide clear visibility to Indian shipyards of future orders under the above, the Government has aggregated the total demand of vessels up to 2041-42.

Organisation / Programme	Vessel Planned	Gross Tonnage (GT)	Investment (₹ Crores)
Oil and Gas PSUs – Fleet acquisition plan	59 vessels	2.8 million	47,800
SCI – Long Term Plan (bulk carriers/ tankers/ offshore/ ore vessels)	216 vessels	10 million	1,00,000
SCI – Container Fleet	51 container vessels	~6 million	60,000

Organisation / Programme	Vessel Planned	Gross Tonnage (GT)	Investment (₹ Crores)
Domestic Green Tug Programme	100 green tugs	-	12,000
Dredging Corporation of India – Fleet expansion	11 dredgers	-	3,775
Total	**437 vessels**	**~19 million**	**2.2 Lakhs**

Key Focus Sectors

16. Some key sectors focused by CSL which is in line with the International market drivers coupled with Indian demand are:

(i) Container Vessels: Globally the container vessel market remains resilient with a large number of vessels being ordered. In addition to construction of small feeder vessels for a European client, CSL bagged an order for constructing 6 feeder container vessels for the world's third largest container carrier.

(ii) Short sea/ Coastal: The new generation vessels with alternate fuels and green technologies are indicating huge potential in the replacement market of ageing short sea European shipping segment. The Company was successful in bagging such projects with innovative technologies to meet the new regulations. Further, order intake is likely in the coming year as well.

(iii) Tugs and Port Crafts: The policy of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways under ASTDS continued to show improved demand for the building of harbour tugs and the Company through its wholly owned subsidiaries viz., Udupi-CSL and Hooghly-CSL are actively working to bag many more orders. Further, with the new Green Tug Transition Programme (GTTP) on green tugs, the Company is ready to roll its green tugs meeting the GTTP guidelines which is likely to bring many more orders to the Company. CSL also bagged an order from a global tug operator to build 4 fully electric tugs (with option of 4 more).

(iv) Inland vessels: The Government is focussed on improving the port and inland water infrastructure. The Company's pilot project of a hydrogen fuel cell powered catamaran vessel is operationalised in Varanasi. Similar projects are under discussion and it is expected to generate good demand. The river cruise vessels are also generating a lot of enquiries. Hooghly-CSL has already got orders for two vessels. This sector is likely to generate keen interest.

(v) Renewables and Offshore Wind Segment: New large offshore wind farm infrastructure in deep ocean is expanding and the demand for various types of vessels to support the development, operations and maintenance of infrastructure for offshore wind farms such as Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) and Service Operation Vessels (SOV) market, where CSL has established footprint, is likely to further enhance the order book on such projects.

(vi) Defence Shipbuilding: The Indian defence shipbuilding industry is well poised with huge outlay by the Government of India and CSL is very much involved in many of the future projects which are under discussions.

(vii) Large Merchant vessels: Even though CSL in the past built merchant vessels for carrying liquid and bulk cargo, for the last 18 years, the Company could not make much inroads due to market conditions and stiff competition to offer large tonnage vessels meeting market expectations. However, with the new large dry dock coming into action coupled with the Government of India policy to promote large tonnage vessels demand aggregation for Indian build Indian owned vessels, CSL is sensing a good opportunity to enter this market and bring better value to the Company.

Ship Repair Industry

Global Ship Repair Industry: Market Dynamics

17. The ship repair industry is undergoing a significant shift as global trade routes evolve and environmental regulations become more stringent. India, strategically positioned along major international shipping lanes, is poised to transition from a marginal player to a global hub for ship Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).

18. The global ship repair market is projected to cross approximately US$40 billion by 2030. The market is fuelled by an ageing global commercial fleet and stringent IMO regulations regarding carbon emissions, necessitating retrofitting and life-extension repairs. There is an increasing demand for 'Green Ship' conversions (LNG, ammonia, or hydrogen fuel systems) and digitalised maintenance, such as remote diagnostics and condition-based monitoring. Historically, China, Singapore and the Middle East (Dubai/ Qatar) have dominated the sector due to their massive drydock infrastructure and quick turnaround times.

The Indian Ship Repair Landscape

19. India's ship repair sector has traditionally been undersized compared to its maritime potential, but it is currently in a high-growth phase. From a modest valuation in previous years, the sector is projected to grow many folds by 2033. Under Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047, the Indian Government aims to place the country in the Top 10 global shipbuilding and repair nations. India is currently working to overcome the shortage of 'Large' dry docks capable of handling large commercial vessels to fill up the infrastructure gaps.

The Pivotal Role of CSL

20. As India's largest and most modern shipbuilding and repair facility, CSL is the cornerstone of India's maritime ambitions, with its capability to undertake repairs of vessels up to 2,25,000 DWT. It is the only shipyard in India with proven expertise in executing complex underwater repairs and maintenance of aircraft carriers. CSL has continued to strengthen its ship repair business through infrastructure expansion, strategic collaborations, pan India presence with strategically located facilities at Kochi Main Yard, ISRF (Willingdon Island-Kochi), CMSRU (Mumbai), CKSRU (Kolkata) and CANSRU (Sri Vijaya Puram) and diversification into high-value segments. CSL also plays a critical role in 'Atmanirbhar Bharat' by providing life-cycle support for the Indian Navy and Coast Guard, ensuring fleet readiness without relying on foreign yards.

Capacity Augmentation and Infrastructure Development

New Dry Dock (NDD)

21. The commissioning of the New Dry Dock (NDD) which is now fully operational has significantly enhanced CSL's ship repair capabilities, enabling entry into high-value 'mega-project' and offshore segments such as Suezmax and Capesize vessels, LNG carriers and jack-up rigs. This capability is demonstrated by the recent ONGC contract for jack-up rig repairs. In addition, CSL has further strengthened its position in the defence segment through major refit projects of Indian Naval vessels, including MR & MLU, Re-engining project and RE Class refits, thereby demonstrating its capability to handle complex naval repair works alongside commercial and offshore projects.

International Ship Repair Facility (ISRF)

22. Commissioned in 2025, the ISRF is equipped with a state-of-the-art 6,000-tonne ship lift, six workstations, and a mobile transfer system. The facility is capable of handling vessels up to 130 meters in length and 6,000 tonnes displacement and significantly enhances CSL's overall ship repair capacity and improve operational efficiency enabling CSL to undertake repairs of around 82 additional vessels annually. During FY 2025–26, ISRF successfully executed around 35 refit projects, catering to a diverse mix of defence and commercial vessels.

23. This complementary arrangement allows the ISRF to handle smaller and medium-sized vessels efficiently, while the NDD is dedicated to high-value, large-scale and complex repair projects, thereby optimising throughput and maximising revenue potential for CSL.

Strategic Collaborations

24. CSL has taken significant steps towards ecosystem development and global integration. CSL signed an MoU in April 2025 and a Heads of Terms Agreement in October 2025 with Drydocks World (DP World group, Dubai) under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to develop ship repair clusters and leverage global best practices.

25. In August 2025, CSL signed an MoU with Seatrium Offshore Technology (SOT), a subsidiary of Seatrium Limited, Singapore to strengthen collaboration in the offshore vessel repair/ conversion sector. The partnership intends to combine CSL's infrastructure and manpower capabilities with SOT's offshore engineering expertise to jointly pursue MRO projects across India.

26. An MoU was signed in September 2025 between Naval Dockyard Mumbai (WNC-IN) and CSL which would cater to docking, repairs and allied services of Indian Navy vessels under NDMb (WNC-IN) at CMSRU, Mumbai.

27. During India Maritime Week 2025, following MoUs were exchanged with various stakeholders, reinforcing CSL's strong position in the ship repair market.

- MoU with Deendayal Port Authority for developing ship repair ecosystem at Vadinar, Gujarat, including floating docks capable of handling approximately 40 large vessels annually. The project has been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on May 05, 2026. The project is planned as a brownfield facility with a 650 metres jetty, two large floating dry docks, workshops and associated marine infrastructure with a combined investment of ₹1,570 Crores for repair of vessels up to 300 m length; and
- MoU with JSW Shipping for repairs of their fleets of vessels at CSL facilities.

28. These initiatives are expected to significantly augment national ship repair capacity and strengthen CSL's leadership position in the sector.

Business Diversification

29. CSL continues its effort to expand into new and high-value segments, including offshore fabrication and repair, vessel conversions and retrofits and defence and

weapon platforms. This diversification strategy is aimed at enhancing revenue streams, improving margins and reducing dependence on conventional repair segments.

Ship Repair Clusters

30. The Government of India, through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), launched the Maritime India Vision (MIV) 2030 and the Maritime Amrit Kaal Vision (MAKV) 2047 to establish India as a leading maritime nation. Key initiatives include creation of ship repair clusters in India, to enhance operational efficiency, global standing and competitiveness in the maritime sector. CSL, under MoPSW, has been entrusted with the role of the nodal agency to develop India's first two such clusters—one at Kochi, Kerala (centered around the International Ship Repair Facility (ISRF)), and a second proposed at Vadinar, Gujarat. The vision is to leverage India's geographic positioning and CSL's existing infrastructure to attract global repair, maintenance and conversion business.

Outlook

31. With strong policy support under MIV 2030 and MAKV 2047, increasing maritime activity in the Indian ocean region and CSL's ongoing investments in infrastructure, partnerships and capability development, the Company is well positioned to capitalise on emerging opportunities in the ship repair sector. CSL's integrated approach—combining capacity expansion, ecosystem development and strategic diversification—positions it to play a pivotal role in transforming India into a global hub for ship repair and maintenance. The convergence of global fleet ageing and India's aggressive policy framework has created a 'perfect storm' for growth. Cochin Shipyard acts as the primary engine for this growth, transforming Kochi into a world-class maritime MRO destination that offers a competitive, high-tech alternative to traditional global hubs.

Operations

32. The total turnover of the Company is ₹4,307.69 Crores during the financial year 2025-26, as against the previous year of ₹4,527.84 Crores.

33. The shipbuilding income during the year is ₹2,651.39 Crores as against the previous year income of ₹2,663.27 Crores. During the year, CSL delivered two Hybrid Electric Catamaran Hull vessels to Kochi Metro Rail Limited (KMRL), two Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW SWC) to the Indian Navy, one Multi-Purpose Vessel (MPV) to HS Service GMBH & Co. KG, Germany and one Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessel to Inland Waterways Authority of India (IWAI).

34. The unexecuted order book of the Company as on March 31, 2026 stands at around ₹18,900 Crores, consisting of around 51 vessels with Defence order book at ₹12,150 Crores consisting of 12 vessels, Commercial (domestic) order book at ₹725 Crores consisting of 16 vessels and Commercial (export) order book at ₹6,025 Crores consisting of 23 vessels. Out of the total Commercial order book of ₹6,750 Crores, around 90% is export order and around 40% comprises of green vessels.

35. The ship repair income during the year is ₹1,656.30 Crores as against the previous year income of ₹1,864.57 Crores. CSL's Ship Repair Division, driven by a focused strategy of enhancing volumes, maximising asset utilisation and leveraging its multi-location presence across the subcontinent, significantly strengthened its regional accessibility and expanded its footprint in both domestic and international markets. During the financial year, the Division successfully executed over 100 refits through its five facilities spread across India, catering to a diverse portfolio of clients.

Financial Information

36. The financial information of the Company pertaining to the last decade is given below:

(Amount in ₹ Crores unless otherwise stated)

Financial Year	Paid up capital	Nominal value of shares (₹ per share)	Capital employed	Networth	Profit Before Tax	Tax on Profits	Net Profit	EPS (₹)	Dividend	Payout ratio
2025-26	131.54	5	6968.47	5,892.83	886.40	243.36	643.04	24.44	236.77	0.37
2024-25	131.54	5	5,549.91	5,610.65	1,133.85	290.94	842.91	32.04	256.50	0.30
2023-24	131.54	5	4,971.89	5,025.87	1,093.62	280.52	813.10	30.91	256.50	0.32
2022-23	131.54	10	4,480.05	4,423.42	448.51	114.02	334.49	25.43	223.62	0.67
2021-22	131.54	10	4,355.75	4,359.18	794.39	207.82	586.57	44.59	220.33	0.38
2020-21	131.54	10	3,964.27	3,977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
2019-20	131.54	10	3,748.78	3,731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
2018-19	131.54	10	3,327.72	3,332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
2017-18	135.94	10	3,271.03	3,255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
2016-17	113.28	10	2,062.02	2,028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32

Key Financial Ratios

Sl. No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25	Change (in %) as compared to FY 2024-25	Detailed explanation for change of 25% or more
1.	Debtors Turnover	12.44	13.30	-6	N.A.
2.	Inventory Turnover	2.21	3.33	-34	Due to project specific materials and equipment held in stock for the vessels currently at various stages of construction and decrease in turnover.
3.	Interest Coverage	11.66	32.11	-64	Due to decrease in profit and increase in finance costs on account of short term loans taken during the year.
4.	Current Ratio	1.33	1.34	-1	N.A.
5.	Debt Equity Ratio	0.17	0.00	4,100	Due to short term loans taken during the year.
6.	Operating Profit Margin (%)	22.51	25.85	-13	N.A.
7.	Net Profit Margin (%)	14.93	18.62	-20	N.A.

Return on Networth

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25	Change (in %) as compared to FY 2024-25	Detailed explanation for change
Return on Networth (%)	10.91	15.02	-27	Due to decrease in profit for the year.

Proposed/ Declared Dividend

37. As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated November 18, 2024 issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 4% of the networth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a final dividend of ₹1.50 per share on the 26,30,80,780 fully paid equity shares of ₹5 each. Earlier, interim dividends of ₹4 and ₹3.50, aggregating to ₹7.50 per equity share had been paid to the shareholders during 2025-26. Thus, the total dividend for the year 2025-26 is ₹9 per equity share (180%), amounting to ₹236.77 Crores.

Segment-wise/ Product-wise Performance

38. The Company is engaged in two major activities viz., shipbuilding and repair of ships/ offshore rigs etc. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis. The segment wise performance is given below:

(₹ Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Segment Assets		
Shipbuilding	9,81,929.73	8,22,323.58
Ship Repair	3,68,919.83	3,48,784.30
Unallocated	57,957.92	1,33,441.35
Total	**14,08,807.48**	**13,04,549.23**
Segment Liabilities		
Shipbuilding	5,99,776.60	4,36,865.61
Ship Repair	40,339.61	1,01,917.29
Unallocated	1,79,408.43	2,04,701.13
Total	**8,19,524.64**	**7,43,484.03**

(₹ Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Segment Revenue		
Shipbuilding	2,65,138.62	2,66,326.95
Ship Repair	1,65,630.45	1,86,457.20
Unallocated	40,457.20	38,044.61
Total	**4,71,226.27**	**4,90,828.76**
Segment Result		
Shipbuilding	47,536.79	43,421.67
Ship Repair	42,941.22	72,919.61
Unallocated	6,477.83	688.19
Total	**96,955.84**	**1,17,029.47**

39. The Company has two major business segments – "Shipbuilding" and "Ship Repair". Revenue under Shipbuilding includes ₹1,58,820.82 Lakhs (previous year: ₹2,06,665.27 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having around 59.90% of the total Shipbuilding revenue and for Ship Repair includes ₹1,00,833.29 Lakhs (previous year: ₹1,53,005.55 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having around 60.88% of the total Ship Repair revenue.

SWOT

Strengths

(i) Diversified product portfolio in ship building and repair;

(ii) A very good product mix compatibility comprising of defence ships, commercial ships and offshore ships;

(iii) Highly trained, motivated and knowledgeable manpower with an average of 15 years of experience at all levels of hierarchy resulting in extremely high-quality workmanship;

(iv) State-of-the-art facilities with well-planned and laid out shipyard enabling smooth work flow and efficient production;

(v) Pan India presence with seven units spread across the country thus providing more flexibility to meet the market demands;

(vi) A modern state-of-the-art design centre manned by highly trained, experienced and competent naval architects/ engineers, draftsmen etc.;

(vii) Highly evolved shipbuilding processes and practices permitting modular construction of ships; and

(viii) Availability of quality sub-contractors and good supply chain network.

Weaknesses

(i) Virtually non-existent indigenous ancillary industries and consequently non-availability of major equipment/ raw materials in India;

(ii) Non-availability of standard designed products as a part of current product line;

(iii) Non-availability of visible domestic demand which makes company dependant on international market;

(iv) Higher finance and logistics costs resulting in higher input costs for production;

(v) Comparatively higher social and employee overheads being a public sector enterprise; and

(vi) Governmental system induced procedural delays.

Opportunities

(i) Projected increase in requirement of ships for the domestic commercial segment, owing to the Government of India's policy towards demand aggregation and channelising it for 'Make in India' policies;

(ii) Projected demand in the defence sector;

(iii) Geopolitical situations and India being seen as a favourable destination for the industry;

(iv) New generation vessels with green technology to meet new regulations for international and domestic markets;

(v) The lead position and preparedness of the Company to meet the demand from green tug market;

(vi) First mover advantage for introducing complete indigenous solutions for hydrogen fuel cell technology integration in vessel building in collaboration with Indian partners;

(vii) Strategic partnerships with global technology segments in maritime space;

(viii) Vessels to support offshore renewable and return of Oil and Gas industry;

(ix) Huge demand – supply gap for the repair of commercial and defence ships and virtually no competition in India; and

(x) Ageing global fleet, increased maritime trade and stringent environmental regulations necessitating regular maintenance and retrofitting.

Threats

(i) Distress pricing policies of competitors;

(ii) Adverse reputational impact on the Indian shipbuilding industry due to under performance by Indian yards;

(iii) Rising cost of labour and materials;

(iv) Non-flexible government regulations on procurement policies delaying the product delivery timelines and cost;

(v) Difficulty to tap skilled manpower due to migration of experienced workforce to booming international market; and

(vi) Adverse geopolitical situations and trade war uncertainties.

CRUISE 2030$^{2.0}$

40. Over the past few years, CSL has made significant strides under its long-term transformation initiative, CRUISE 2030 (CSL Revenue Unlock through Integrated Strategic Excellence). This programme laid a strong foundation for future growth through targeted expansion, modernisation and capability building. Notable achievements include the establishment and operationalisation of three new Ship Repair Units (SRUs) – CMSRU, CKSRU and CANSRU – and the operational strengthening of CSL's subsidiaries Hooghly-CSL and Udupi-CSL. Major investments were made in digital systems and infrastructure, including the implementation of SAP S/4HANA, integration of the Dassault 3DEXPERIENCE platform and deployment of state-of-the-art digital surveillance system. A dedicated Digital Centre of Excellence (DCoE) was also created to lead CSL's digital transformation across functions. Furthermore, CSL launched a third vertical – CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) – to tap into emerging technologies and deliver end-to-end maritime solutions.

41. Having largely achieved the objectives of the initial CRUISE 2030 roadmap, CSL initiated a strategic review to assess its current positioning and define the way forward in light of changing global maritime dynamics and new business opportunities. In October 2024, a Leadership Offsite was convened at Kumarakom, bringing together senior executives and strategy consultants, BCG. The two-day conclave led to a collective vision of scaling CSL to a ₹12,000 Crores company by FY31. The discussions focused on identifying actionable priorities and strategic enablers to support this growth.

42. Based on these deliberations, CSL has now launched CRUISE 2030$^{2.0}$ (CRUISE 2030 raised to 2.0), a refreshed and forward-looking roadmap that builds on the foundation laid over the past few years. Key initiatives under CRUISE 2030$^{2.0}$ include the establishment of ship repair clusters at Kochi and Vadinar, investment in marine electrification technologies to enhance design capabilities, development of a ship block-making facility to support scale and efficiency and the exploration of strategic partnerships with European shipyards to access advanced markets. To ensure effective implementation, a CRUISE 2030$^{2.0}$ Strategic Review Team has been constituted at the highest level to track progress monthly, provide strategic oversight, recommend course corrections and periodically report to the Board. These initiatives are aligned with national maritime goals under MIV 2030 and MAKV 2047 and reflect CSL's ambition to emerge as a globally competitive, innovation-led leader in the maritime sector.

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

43. Expanding beyond our core Shipbuilding and Ship Repair portfolios, CSL has established a dedicated division named CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) to venture into the arena of strategic and knowledge-driven future technologies in the maritime sector. C-SAS has been actively engaged in identifying and developing sustainable and future-oriented business models. Some of the key initiatives undertaken by the C-SAS Division during the financial year 2025-26 are as follows:

- System Integration of India's first fully Indigenous High Endurance Autonomous Underwater Vehicle (HEAUV): C-SAS team successfully completed integration and trials of three carriers. The carrier-3 was successfully tested for the vehicle dynamics in both surface and submerged condition through multiple runs with perfect performance of sonars and communication systems. Maiden sea trial of carrier-2 was successfully carried out. The indigenous development of the launch and recovery system is currently in progress.

- C-SAS is presently undertaking the development of the launch control station of the High Endurance Autonomous Underwater Vehicle (HEAUV), a fully integrated platform designed to manage

the command, control and communication operations of HEAUV.

- Digital Twin implementation for INS Vikrant (IAC): C-SAS has undertaken the Digital Twin implementation onboard INS Vikrant (IAC) for the Indian Navy. The Digital Twin software was procured from M/s. GE Vernova and necessary interfacing software with gas turbine controllers from M/s. L3 Harris. The data servers, hardware equipment and interfacing solutions, onboard and shore office implementation were provided by C-SAS team. The implementation of Digital Twin onboard INS Vikrant was completed in March 2025 and the system successfully went live in April 2025.

- C-SAS is currently working on the development of a fully indigenous Autonomous Surface Vessel (ASV) pilot project by collaborating with Indian development partner firms. In addition to the vessel building aspects, the ASV pilot project also involves indigenous co-development of maritime autonomy and its associated critical subsystems/ technologies by CSL and the identified Indian strategic partner firms including start-ups. In this context, five contracts were awarded and the vessel including related subsystems is advancing progressively. IR class contract is also underway for the development and certification of indigenous ASV and its key subsystems/ technologies.

- C-SAS is jointly developing an advanced laser based fully automated welding process in collaboration with an Indian Technology partner. The automated welding system is capable of producing high quality welds at high welding speeds with minimum heat input. The indigenous laser development for the system is in advanced stages.

- C-SAS is developing an innovative sensor aided drydocking assistant solution which will improve the safety and accuracy during drydocking operations. The prototype testing of the same is successfully completed. Productising the technology is in progress.

ESG initiatives

44. CSL is integrating Environmental, Social and Governance (ESG) principles into its operations and decision-making processes, with a dedicated team overseeing implementation. The Company has a significant presence in green shipbuilding, with about 40% of its current commercial order book comprising green vessels. In the recent past, CSL delivered zero-emission feeder container vessels to ASKO Maritime AS, Norway, 20 hybrid electric catamaran vessels for the Kochi Water Metro Project. It has also delivered three hybrid electric passenger vessels for the Inland Waterways Authority of India (IWAI). In addition, CSL has developed and delivered India's first indigenous hydrogen-fuelled electric vessel as a pilot project, aligned with the National Green Hydrogen Mission. The vessel has been delivered to IWAI and is operational at Varanasi, supporting the adoption of cleaner marine fuels.

45. Over the years, CSL has implemented a wide range of proactive initiatives to reduce its carbon footprint and conserve natural resources, reinforcing its commitment to environmental sustainability. The Company has been awarded the "GreenCo Gold" rating by the Confederation of Indian Industry (CII). CSL has also engaged CII to assess its existing ESG framework, including gap assessment and double materiality assessment and to develop a detailed roadmap.

46. CSL continues to strengthen its environmental management practices and energy transition efforts. CSL is planning to expand the renewable energy capacity by way of rooftop solar installations in CSL from the existing 2,422 kWp to 4,000 kWp in a phased manner, expected to be completed by December 2028. As part of the green energy transition, it has been decided to implement a Battery Energy Storage System (BESS) in a phased manner. BESS will be charged through the purchase of low-cost renewable power from the Green Day Ahead Market (GDAM) and the surplus solar generation whenever available. The stored energy will be used during peak tariff periods. It is planned to complete the implementation of the first phase of BESS by December 2027. Upon commissioning of the project, CSL expects to meet approximately 60-70% of its energy requirements through green energy sources. The Company is also evaluating the use of Compressed Natural Gas (CNG) for metal cutting operations to reduce emissions and improve safety.

47. The Company has recently implemented ISO 50001:2018 Energy Management System (EnMS). The purpose of EnMS is to systemise energy management in CSL. Significant Energy Uses (SEUs) were identified after analysis of energy performance of CSL. Subsequently, energy performance indicators were identified and energy baseline was set for the SEUs. The measurement and monitoring plan set up as part of the system shall ensure prompt monitoring and control of the aforesaid parameters, thus contributing to improvement of energy performance of CSL.

48. In addition, CSL has implemented several smart energy management and automation measures aimed at improving energy efficiency and reducing operational costs. These initiatives leverage advanced technologies to monitor, control and optimise energy usage in real time. Key measures include:

    (i) To monitor energy utilisation, an IoT-based remote energy monitoring system has been implemented, enabling real-time tracking and analytics for energy consumption/ generation;

    (ii) In alignment with intelligent energy use, sensor-based lighting controls have been installed in critical areas like the ship building service tunnel, two nos. of substations and common areas. These systems automatically adjust lighting based on occupancy, ensuring energy is used only when necessary;

    (iii) VRF (Variable Refrigerant Flow) air conditioning systems have been installed to optimise cooling energy consumption. Additionally, BLDC 5-star rated ceiling fans and man coolers have been introduced, improving energy efficiency while maintaining comfort standards;

    (iv) Installation of Variable Frequency Drive (VFD) for Ballast Pump at repair dock resulted in enhanced overall efficiency and substantial energy savings. VFD also enables smooth start and stop of the motor, thus improving operational reliability;

    (v) As part of the air-conditioning replacement plan, existing R-22 based air conditioners were replaced with energy-efficient systems using eco-friendly R-32 refrigerant. The replacement contributes to improved cooling performance, reduced power consumption and lower greenhouse gas emissions compared to conventional R-22 systems;

    (vi) Significant upgrades also include the replacement of conventional light fittings with energy-efficient LED lights at various strategic locations such as building dock service tunnels and LLTT cranes; and

    (vii) Power factor is closely monitored and maintained near unity to ensure optimal electrical performance and reduce wastage.

49. Further, CSL has implemented an innovative micro-algae-based 'Liquid Tree' system to support carbon sequestration and environmental sustainability. The algae-based technology facilitates efficient absorption of CO_2, production of oxygen and conversion of biomass into valuable resources such as food and poultry feed.

Risks and Concerns

50. The risks for the Company arise from the inherent nature of the shipbuilding industry. An indispensable portion of the Company's revenue over the years is from the commercial shipbuilding which is highly cyclical in nature. The commercial shipbuilding industry prospects are dependent on world trade and the cyclicity of oil, natural gas, shipping, transportation and other trade related industries. The Yard, being located at coastal areas due to the inherent nature of the industry, may be affected by the rise in sea level due to change in climate conditions and global warming.

51. Substantial portion of the Company's activities involve the fabrication and refurbishment of large steel structures and its erection which would entail the operation of cranes and other heavy machinery and other operating hazards. The operational risks faced by the Company also could result in fires and explosions etc. Though the losses caused on such eventualities are covered under a standard fire and special perils policy, CSL do not have insurance for business interruption. These risks could expose the Company to substantial liability for personal injury, wrongful death, product liability, property damage, pollution and other environmental damages.

52. Another high risk area for the Company is the availability and price fluctuations of major raw materials. The major raw materials include steel (the grade and quality of which, in each project, depends on the applicable classification rules) and other materials, equipment and other components such as pumps, propellers and engines. In fiscals 2024, 2025 and 2026 respectively, the Company's material consumption costs constituted 56.87%, 52.50% and 48.10% of its total costs, respectively. In particular, bought out components accounted for around 93.17% of our total raw material cost in these recent fiscals.

53. Shortages in the supply of raw materials may result in an increase in the price of these raw materials. For example, there are supply-side constraints in relation to steel in India which we expect will continue in future. The Indian steel industry has been unable to compete globally due to which the GOI has imposed significant duties on the import of steel from other countries such as China to protect the domestic steel industry. This has adverse impacts when CSL is unable to source steel economically. In addition, the cost of certain raw materials, such as steel, aluminium, copper etc., may fluctuate in line with any changes in their global supply and demand and thus impacting the material cost.

54. In the event that the price of the Company's raw materials increases, the Company will not be able to pass these

price increases to its customers on its existing fixed contracts and its business, financial condition and results of operations can be adversely affected.

55. Changes in currency exchange rates may influence our results of operations. Globally, a substantial part of all worldwide ship sales transactions and purchase of offshore structures is generally conducted in USD and Euro. To mitigate this risk, the Company hedges the net forex exposure on the export receivables. However, in the case of import components in respect of shipbuilding/ ship repair contracts denominated in Rupee terms, CSL is exposed to exchange rate fluctuation risk unless the contract with the ship owner provides for an exchange variation reimbursement clause. Currently, some of the shipbuilding contracts do not contain such provision. Hence, adverse fluctuation in the currency rates will affect and influence our results of operations.

Product Diversification

56. CSL is undertaking product diversification efforts to align with emerging technologies and sustainability goals. As part of this, CSL designed and built India's first fully indigenous Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel in collaboration with Indian partners with the assistance of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, supporting the National Green Hydrogen Mission. CSL secured international orders for Hybrid Service Operation Vessels for offshore wind farm support in Europe, where sustainable energy solutions are in high demand. The Company also secured orders for building green tugs for domestic and international clients, reflecting the growing demand for environmentally sustainable maritime solutions and reinforcing its position in the evolving green shipbuilding segment.

57. In the autonomous space, CSL is developing the 'SWAYAT' Autonomous Surface Vessel and a High Endurance Autonomous Underwater Vehicle to enhance capabilities in emerging maritime space. An advanced laser based fully automated welding system to enhance shipbuilding productivity and a sensor aided drydocking assistant solution are being indigenously developed. Further, through CSL's Start-up Engagement Framework 'USHUS', launched with an initial ₹50 Crores corpus, the Company aims to support maritime start-ups. So far, ₹12.50 Crores has been committed to 24 start-ups working in areas like deeptech, AI, renewable energy and eco-materials. The framework provides financial, technical and mentoring support, with Indian Institute of Management Kozhikode LIVE (IIMK LIVE) and Indian Institute of Technology Madras (IITM) serving as Review and Recommending Agencies for selection, monitoring and stakeholder coordination.

Internal Control

58. The Company has in place adequate internal control systems. The internal audit function is carried out by an independent firm of Chartered Accountants who carry out an in-depth review of internal control systems in critical areas based on the audit programme approved by the Board level Audit Committee headed by an Independent Director. Since there was no functional Audit Committee during the financial year 2025–26 due to non-appointment of sufficient number of Independent Directors by the Government of India, the audit programme was approved by the Board.

Human Resource Development and Industrial Relations

59. The details regarding Human Resource Development and Industrial Relations are more specifically covered in the Directors' Report.

Women Empowerment

60. CSL has constituted Internal Complaints Committees, chaired by senior women executives, in accordance with the guidelines and norms prescribed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). The Certified Standing Orders applicable to workmen include sexual harassment as an act constituting misconduct. The Internal Complaints Committees are empowered to enquire into such complaints as per the procedure laid down in the Certified Standing Orders and Industrial Employment (Standing Orders) Acts and Rules.

61. CSL conducted an in-house awareness session on the Prevention of Sexual Harassment (POSH) at the workplace, reinforcing its zero-tolerance stance on gender bias and reaffirming its commitment to ensuring a safe, respectful and inclusive environment for women employees. Additionally, an online POSH awareness session was organised for employees across CSL units, extending the Company's commitment to workplace safety and sensitisation across all its establishments.

62. In alignment with the Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan launched by the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Women and Child Development, CSL organised a focused wellness session titled "Your Menstrual Cycle Is Your Superpower" exclusively for its women employees. The session underscored CSL's commitment to promoting menstrual health awareness and fostering a supportive and inclusive workplace environment.

63. CSL has enhanced its employee welfare framework by implementing Phase II of the Child Care Leave (CCL) Policy, effective from January 01, 2026. This updated policy, streamlines support for women employees and single parents to manage their children's educational and medical needs while ensuring operational continuity. Key modifications include extending eligibility to single male parents with disabled children and introducing specific leave durations for upbringing, examinations and medical requirements based on the child's age. Under the revised guidelines, employees can avail up to 730 days of CCL during their entire service.

64. CSL conducted a comprehensive series of Mental Health Awareness sessions to promote the holistic well-being and work–life balance of its women employees. Led by a practicing clinical psychologist, the programme was delivered in age-specific multiple batches to ensure focused and effective engagement for women employees and trainees. The sessions addressed key areas such as anxiety, depression, role conflict and management of work-related stress, while also encouraging self-motivation and emotional resilience. Through these structured initiatives, CSL continues to reinforce its commitment to fostering a supportive, healthy and productive workplace for its women workforce.

65. CSL celebrated International Women's Day on March 09, 2026 with a well-curated half-day programme. The event featured an inaugural session led by the Chief Guest, followed by a talent showcase highlighting the skills and creativity of CSL's women workforce, as part of the celebrations.

66. Further, the Company ensures the participation of women in various forum including Joint Council, Shop Council, Central Safety Council, Shop Safety Council, Employees Contributory Provident Fund Trust, Cochin Shipyard Recreation Club, Cochin Shipyard Consumer Society, Cochin Shipyard Officers Welfare Centre etc.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as per the Public Procurement Policy 2012

67. CSL is making sustained efforts to enhance the procurement of goods and services from MSEs. For the financial year 2025-26, the Company has achieved a total indigenous procurement of 64.75% from MSEs, 0.81% from SC/ ST and 2.57% from women entrepreneurs against the MoU targets of 25%, 4% and 3% respectively. CSL could successfully contribute business opportunities to more than 15 SC/ ST entrepreneurs and 85 women entrepreneurs during the year. Efforts are being continued to enhance the participation of SC/ ST and women MSEs, to meet the targets of 4% and 3% respectively.

68. During the financial year 2025-26, CSL has conducted various Vendor Development Programmes (VDPs) for MSEs including SC/ ST and women in association with MSME DFO, Thrissur, National Small Industries Corporation (NSIC), Kochi and agencies like The Coimbatore District Small Scale Industries Association (CODISSIA), The Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM), The Confederation of Indian Industry (CII), Kochi , The Kerala State Small Industries Association (KSSiA), Ernakulam, India Boat & Marine Show (IBMS), Kochi etc. The details of such programmes conducted and participated during 2025-26 are given below:

    (i) 3 Days MSME Expo and B2B meetings conducted at Coimbatore during May 14 to 16, 2025, in association with CODISSIA, Coimbatore. Around 205 MSMEs including SC/ ST and women entrepreneurs visited CSL exhibition stall and had interactions with CSL officials on business opportunities in shipbuilding, ship repair and general requirements of CSL;

    (ii) VDP and B2B meetings for the MSMEs of Kerala, conducted at Thrissur on August 28, 2025, in association with MSME Development and Facilitation Office, Thrissur. More than 150 MSMEs including SC/ ST and women owned firms attended the VDP session and interacted with CSL officials on business possibilities with CSL for ship building/ repair/ general material and service requirements of CSL.

    (iii) CSL conducted a vendor awareness programme in the exclusive 'Regional Defence MSME conclave' organised by The Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) and CII, Ernakulam at Hotel Le Meridien, Kochi on December 18, 2025. There was a participation of around 50 MSMEs including SC/ ST and women category. All Govt./ Defence/ Private shipyards as well as Armed Forces, DRDO etc. had attended the conclave and this was an opportunity to understand the good practices followed by the Defence organisations and the peer ship building industries as well.

    (iv) CSL participated in the 3-days Industrial Expo IIIE 2026 and B2B meetings organised by The Kerala State Small Industries Association (KSSiA), Ernakulam under the guidance of Industries Department, Govt. of Kerala at Adlux Convention Centre, Angamaly, Ernakulam during January 16 to 18, 2026. More than 100 MSMEs visited CSL exhibition stall and few of

them had detailed interactions with CSL team on business opportunities.

(v) In association with NSIC Kochi, CSL conducted vendor development programme for MSMEs during India Boat & Marine Show (IBMS) held at Kochi during January 29 to 31, 2026. There was significant participation and B2B meetings with many new suppliers for the smaller vessels/ boat segment.

69. Consequent to the VDPs and exposure visits, many suppliers have started participating in CSL GeM tenders. Around 15 new MSMEs on pan India basis have onboarded through CSL's online supplier registration portal and the application from 15 more firms are under final stages of enlistment.

70. Other initiatives include periodic updation of CSL website with MSME related information beneficial for the vendors, uploading of procurement data, payment data and other relevant information as per directives of the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MoMSME) in the 'MSME SAMBANDH' and 'MSME SAMADHAAN' portals etc. CSL is promoting payments through the TReDS platform and around 300 MSME vendors have already onboarded onto the TReDS portal and many are utilising the facility.

71. During the financial year 2025-26, CSL ensured prompt payment to MSEs within the stipulated timelines prescribed under the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development Act, 2006. No invoices from MSEs remained outstanding or were paid beyond the prescribed timelines during the year.

Other Information

72. The details regarding the Company's CSR activities, environment protection and conservation initiatives, technology absorption and upgradation efforts, forays into renewable energy, foreign exchange conservation etc., are provided in the Directors' Report and the Annexure thereon.

Cautionary statement

73. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward-looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/ supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Director (Finance) & CMD (Addl. Charge)
DIN: 08444440

Kochi
May 15, 2026

Business Responsibility and Sustainability Report

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the Listed Entity

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity	L63032KL1972GOI002414
2	Name of the Listed Entity	Cochin Shipyard Limited
3	Year of incorporation	1972
4	Registered office address	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi – 682015, Kerala, India
5	Corporate address	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi – 682015, Kerala, India
6	E-mail	secretary@cochinshipyard.in
7	Telephone	+91 484 2501306
8	Website	www.cochinshipyard.in
9	Financial year for which reporting is being done	April 01, 2025 to March 31, 2026
10	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
11	Paid-up Capital	₹1,31,54,03,900
12	Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Shri Syamkamal N Tel: +91 484 2501306 E-mail: secretary@cochinshipyard.in
13	Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together)	Standalone
14	Name of assurance provider	Sustainability Actions Private Limited
15	Type of assurance obtained	Reasonable assurance

II. Products/services

16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover)

Sl. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Manufacturing	Ship Building	61.55
2.	Service	Ship Repair	38.45

17. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

Sl. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Ship Building	301	61.55
2.	Ship Repair	331	38.45

III. Operations

18. Number of locations where plants and/ or operations/ offices of the entity are situated:

Sl. No.	Location	Number of plants	Number of offices	Total
1	National	5	0	5
2	International	0	0	0

19. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Sl. No.	Locations	Number
1	National (No. of states)[1]	11
2	International (No. of countries)[2]	11

[1] Due to the inherent nature of our business of ship building/ship repair, the Company generally caters to the requirements of the Country's coastal states and states having national waterways as well as Country's defence requirements. The data disclosed includes 9 coastal states and the 2 islands viz., Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands.

[2]The Company has provided its services across the world viz., Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Bahamas, Saudi Arabia, UAE, Liberia, UK and France.

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

25.67%

c. A brief on types of customers

Cochin Shipyard Limited (CSL) is a key player in the domestic and international ship building market. Our key shipbuilding clients on the domestic front include the Indian Navy, Ministry of Home Affairs, Dredging Corporation of India Limited, various Ports, Inland Waterways Authority of India (IWAI) and A&N Administration. On the international front, CSL has exported 48 vessels to some of the most demanding clients in Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Bahamas, Saudi Arabia, UAE and Liberia. CSL has also undertaken repairs of various types of vessels including upgradation of ships of the oil exploration industry as well as periodical maintenance, repairs and life extension of ships. Major Ship Repair customers include Indian Navy, Coast Guard, Shipping Corporation of India Limited, Dredging Corporation of India Limited, Oil and Natural Gas Corporation, Directorate of Shipping Services, Union Territory of Lakshadweep Administration, Defence Research and Development Organisation, Fisheries Survey of India, Cochin Port Trust, National Institute of Ocean Technology, Kolkata Port Trust, JSW Shipping & Logistics Private Limited, HAL Offshore, Seamec Limited etc.

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

Sl. No.	Particulars	Total(A)	Male		Female	
			No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
	Employees					
1	Permanent (D)	798	703	88.10	95	11.90
2	Other than Permanent (E)	246	189	76.83	57	23.17
3	**Total employees (D+E)**	**1044**	**892**	**85.44**	**152**	**14.56**
	Workers					
4	Permanent (F)	1333	1212	90.92	121	9.08
5	Other than Permanent (G)	1636	1529	93.46	107	6.54
6	**Total workers (F+G)**	**2969**	**2741**	**92.32**	**228**	**7.68**

b. Differently abled Employees and workers:

Sl. No.	Particulars	Total(A)	Male		Female	
			No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
	Differently-abled Employees					
1	Permanent (D)	16	15	93.75	1	6.25
2	Other than Permanent (E)	0	0	0.00	0	0.00
3	**Total differently abled employees (D+E)**	**16**	**15**	**93.75**	**1**	**6.25**
	Differently-abled Workers					
4	Permanent (F)	32	28	87.50	4	12.50
5	Other than Permanent (G)	12	11	91.67	1	8.33
6	**Total differently abled workers (F+G)**	**44**	**39**	**88.64**	**5**	**11.36**

21. Participation/ Inclusion/ Representation of women:

Particulars	Total(A)	No. and percentage of Females	
		No.(B)	%(B/A)
Board of Directors	6	1	16.67
Key Management Personnel	4	0	0

Note: The sanctioned strength of CSL's Board is 12 Directors. However as on March 31, 2026 there were 6 Directors on the Board. The full details w.r.t Board composition and changes therein is given in the Corporate Governance Report forming part of the Annual Report.

22. Turnover rate for permanent employees and workers:

Particulars	FY 2026			FY 2025			FY 2024		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	4.13	2.16	3.89	4.13	1.18	3.75	5.63	2.65	5.27
Permanent Workers	1.74	1.61	1.73	0.90	3.83	1.16	1.27	0.78	1.22

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

23. a. Names of holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures

Sl. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1.	Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	100	No
2.	Udupi Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	100	No

VI. CSR Details

24. i. Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: Yes

ii. Turnover (in ₹) : 4,307.69 Crores

iii. Net worth (in ₹) : 5,892.83 Crores

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/ Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2026			FY 2025		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	8	0	-	8	0	-
Investors (other than shareholders)	Yes, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	0	0	-	0	0	-
Shareholders	Yes, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	23	0	-	35	0	-
Employees and workers	Yes, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	2	2	*	3	1	**
Customers	Yes, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	0	0	-	0	0	-
Value Chain Partners	Yes, https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf	4	2	#	2	1	#

Note: The complaints by employees and workers are related to sexual harassment.

*CSL's Internal Complaints Committee is examining the matter. ** CSL's Internal Complaints Committee has examined the pending complaint and disposed it during FY 2026.

#One complaint each pending resolution in FY 2025 and 2026 relates to non-receipt of payment. The delay in payment is due to additional works carried out on account of changes in design, which require detailed examination and verification by multiple parties to ensure that the claim are settled in a fair, accurate, and transparent manner. Both the cases are in the final stages of processing. The second complaint pending resolution in FY 2026 relates to deduction of LD after extension of the date of delivery and has been closed.

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Sl. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Climate Change	Risk	Majority of the ship building projects undertaken by CSL are fuelled by fossil fuels. The increasing awareness of climate change across the globe will reduce the demand for such vessels and affect the operations of CSL.	CSL has embarked on Green Shipping initiatives. CSL has already built and delivered India's first indigenously built Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel. Further, CSL has also built and delivered 2 Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway. The 67 Mtr. Long vessels were delivered as Full-Electric Transport Ferries powered by 1846 kWh capacity battery. CSL has built and delivered 20 out of 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly vessel. CSL has built and delivered 3 out of 8 Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessels for Inland Waterways Authority of India. Further, CSL is also building 2 60T Bollard Pull Green Tugs for Polestar Maritime Limited and 2 Commissioning Service Operation Vessels, 2 Zero Emission Feeder Container Vessels, 2 Hybrid Service Operation Vessels and 4 70T Bollard Pull Electric TRAnsverse Tugs for various European clients. Further, as part of CSL's carbon emission reduction initiatives, CSL has implemented a Microalgae-Based Liquid Tree System. Microalgae are highly efficient photosynthetic organisms capable of absorbing carbon dioxide and releasing oxygen at significantly higher rates than conventional plants. CSL successfully installed five Liquid Tree units of various capacities across its premises.	Negative implication

Sl. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
2	Climate Change	Opportunity	Increase in demand for zero emission vessels	Aligned with the global shift towards maritime green transitions, the Company has developed and built India's first indigenous Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel, a pioneering project funded by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). This pilot project, based on Low Temperature Proton Exchange Membrane (LT-PEM) technology - also known as Fuel Cell Electric Vessel (FCEV) was spearheaded by CSL's C-SAS division in collaboration with KPIT Technologies Limited, which handled the technological aspects of the design, development, and construction. This initiative is part of India's broader efforts to embrace innovative, sustainable, and cost-effective alternative fuel technologies. The project was executed in collaboration with Indian partners. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has already initiated several measures towards this objective, with CSL leading the charge in Green Shipping initiatives to reduce marine pollution. As part of these green initiatives, CSL is constructing 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project. This project represents a modern, technologically advanced, energy-efficient, and environmentally friendly solution that will enhance the urban water transport system, providing seamless transportation for Kochi's citizens. Further, CSL is also building 8 Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessels for Inland Waterways Authority of India and 2 60T Bollard Pull Green Tugs for Polestar Maritime Limited. CSL's dedication to green initiatives is further evidenced by its delivery of two Autonomous Electric Vessels to ASKO Maritime AS, Norway. Additionally, CSL is building two Commissioning Service Operation Vessels, two Zero Emission Feeder Container Vessels, two Hybrid Service Operation Vessels and 4 70T Bollard Pull Electric TRAnsverse Tugs for various European clients.	Positive implication

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

Policy and Management Processes

1. a. **Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

b. **Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

The Policies have been approved by the Board/ relevant Competent Authority as per the delegated powers of the Board.

c. **Web Link of the Policies, if available**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
https://cochinshipyard.in/uploads/investor/f8bf429757a74ee34c81b4f67dd385ce.pdf								

Note: In addition to the above, the following policies are also aligned against the respective BRSR Principles:

Sl. No.	Policy	Relevant Principle	Web Link of the Policy
1.	Whistle Blower and Fraud Prevention Policy	P1	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/7b64df4642395c5609f8ea0f4f0dec26.pdf
2.	Sustainability Policy	P2, P4 & P6	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/8faab93b3e3f34af97dd3854e39bc8ce.pdf
3.	Quality, Health, Safety and Environmental Policy	P2, P3, P4, P6 & P9	https://cochinshipyard.in/uploads/FTPStaging/HOME-QHSE/QHSEPolicy.pdf
4.	Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities	P3	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/8009bc0d97f36b9a8c0cff9bb121c072.pdf
5.	Grievance Redressal Policy and Procedure	P4	https://cochinshipyard.in/uploads/User-Manual-Grievance-Registration.pdf
6.	Human Rights Policy	P5	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/7de7f3e4c28dcfc12f29d503944bf190.pdf
7.	Water Policy	P6	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/4e8386df5cdf1fdfd157c746c4d4a4fa.pdf
8.	Energy Policy	P6	https://cochinshipyard.in/uploads/investor/4d3e92562eb01a1b215b5fe1931290dd.pdf

2. **Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/No)**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes

3. **Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

4. Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.

P1	The ISO/IEC 27001:2022 standard for Information Security Management Systems (ISMS) and ISO 9001:2015 standard for Quality Management System.
P2	ISO 9001:2015 standard for Quality Management System, ISO 14001:2015 standard for Environmental Management System and ISO 50001:2018 standard for Energy Management System (EnMS) Certification.
P3	ISO 45001:2018 standard for Health and Safety Management System.
P4	ISO 9001:2015 standard for Quality Management System, ISO 45001:2018 standard for Health and Safety Management System and ISO/IEC 27001:2022 standard for ISMS.
P5	ISO 45001:2018 standard for Health and Safety Management System.
P6	ISO 14001:2015 standard for Environmental Management System, ISO 50001:2018 standard for EnMS Certification and GreenCo Gold Rating by Confederation of Indian Industry (CII).
P7	Nil.
P8	ISO 14001:2015 standard for Environmental Management System and ISO 45001:2018 standard for Health and Safety Management System.
P9	ISO 9001:2015 standard for Quality Management System and ISO/IEC 27001:2022 standard for ISMS.

5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Refer Note below	Nil	Nil	Nil

Note: CSL is planning to expand the renewable energy capacity by way of rooftop solar installations in CSL to 4,000 kWp in a phased manner. The said expansion is expected to be completed by December 2028. CSL is currently having an installed capacity of 2,422 kWp.

As part of the green energy transition, it has been decided to implement a Battery Energy Storage System (BESS) in a phased manner. The BESS will be charged through the purchase of low-cost renewable power from the Green Day Ahead Market (GDAM) and the surplus solar generation whenever available. The stored energy will be used during peak tariff periods. It is planned to complete the implementation of the first phase of BESS by December 2027. Upon commissioning of the project, CSL expects to meet approximately 60-70% of its energy requirements through green energy sources.

6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Refer Note below	Nil	Nil	Nil

Note: Earlier, CSL had planned to operate entirely on green energy by implementing a wind-solar hybrid power plant with a total capacity of approximately 14 MW. However, the project could not be taken forward due to factors such as high overall cost, land availability & associated risks, logistical constraints in transporting wind turbine generators, lower-than-required wind speeds affecting the Capacity Utilization Factor (CUF) and the additional cost of power evacuation infrastructure. As an alternative, it is proposed to install a Battery Energy Storage System (BESS) at CSL to enhance the utilization of renewable energy and increase the share of green power consumption.

In case of expanding the renewable energy capacity by way of rooftop solar installations in CSL, the Company has already expanded its capacity to 2422 kWp. In the case of Battery Energy Storage System (BESS), CSL is in the initial stages of its implementation process.

Governance, Leadership & Oversight

7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements

CSL is committed to addressing the Environmental, Social and Governance (ESG) challenges facing the industry and aligning with India's goal of achieving carbon neutrality by 2070. As a CPSU under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, CSL has taken significant steps to contribute to sustainable development.

CSL is advancing sustainable maritime solutions through various initiatives. We have delivered India's first Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel to the Inland Waterways Authority of India (IWAI) and have so far delivered 20 out of 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project. Additionally, we have delivered two Autonomous Electric Vessels to Norway and are currently constructing vessels for European clients, including Commissioning Service Operation Vessels, Zero Emission Feeder Container Vessels, Hybrid Service Operation Vessels and 70T Bollard Pull Electric TRAnsverse Tugs. Furthermore, we are building two 60T Bollard Pull Green Tugs for Polestar Maritime Limited and eight Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for IWAI, of which three vessels for IWAI have already been delivered. All these vessels are designed for electric propulsion, reducing their environmental impact.

CSL had originally planned to meet its energy needs through a 14 MW wind-solar hybrid power plant and operate entirely on green energy. However, the project was not pursued due to high costs, land and logistical challenges, inadequate wind speeds, delays in wind turbine delivery, and additional power evacuation infrastructure requirements.

In our commitment to renewable energy, CSL is expanding its rooftop solar installations to 4,000 kWp in a phased manner and has also decided to implement a Battery Energy Storage System (BESS) to enhance the utilization of renewable energy and increase the share of green power consumption.

As part of CSL's commitment to Environmental initiatives, CSL has implemented a Microalgae-Based Liquid Tree System aimed at enhancing environmental sustainability and supporting carbon emission reduction initiatives. Microalgae are highly efficient photosynthetic organisms capable of absorbing carbon dioxide and releasing oxygen at significantly higher rates than conventional plants. CSL successfully installed five Liquid Tree units of various capacities across its premises.

These efforts reflect CSL's dedication to sustainable practices and our role in driving the maritime industry's green transition.

8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy(ies).

Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) & Chairman and Managing Director (Additional Charge).

9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes/ No). If yes, provide details.

Yes, Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) & Chairman and Managing Director (Additional Charge) is the decision making authority with regard to sustainability related issues.

10. Details of Review of NGRBCs by the Company

Particulars	Principles	Performance against above policies and follow up action	Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and, rectification of any non-compliances
Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9	The policies pertaining to the BRSR Principles are reviewed annually by the Chairman and Managing Director. The ISO certifications are reviewed annually by the external agencies through surveillance audit. Further the conformity with the standards for ISO certifications are reviewed internally at regular intervals by a team of officers designated for the purpose. The outcomes of such review are circulated to the Heads of Departments for corrective action, if any. Thereafter the status of compliance are reviewed at the Management Review Meeting in the presence of Directors and Senior Management. The compliance with the GreenCo Rating Standards are reviewed internally by CSL on an annual basis. The report in the prescribed format are forwarded to the certifying agency for review and appropriate action.	CSL is in compliance with the extant regulations as applicable.
Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9		A Statutory Compliance Certificate on applicable laws is provided by the Chairman & Managing Director and Director (Finance) on a quarterly basis to the Board of Directors.

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/ No). If yes, provide name of the agency.

P1	Yes, ISO/IEC 27001:2022 standard for Information Security Management Systems (ISMS) and ISO 9001:2015 standard for Quality Management System are evaluated by DNV on an annual basis.
P2	Yes, ISO 9001:2015 standard for Quality Management System, ISO 14001:2015 standard for Environmental Management System and ISO 50001:2018 standard for Energy Management System (EnMS) Certification are evaluated by DNV on an annual basis.
P3	Yes, ISO 45001:2018 standard for Health and Safety Management System is evaluated by DNV on an annual basis.
P4	Yes, ISO 9001:2015 standard for Quality Management System, ISO 45001:2018 standard for Health and Safety Management System and ISO/IEC 27001:2022 standard for ISMS are evaluated by DNV on an annual basis.
P5	Yes, ISO 45001:2018 standard for Health and Safety Management System is evaluated by DNV on an annual basis.
P6	Yes, ISO 14001:2015 standard for Environmental Management System and ISO 50001:2018 standard for Energy Management System are evaluated by DNV on an annual basis.
P7	No.
P8	Yes, ISO 14001:2015 standard for Environmental Management System and ISO 45001:2018 standard for Health and Safety Management System are evaluated by DNV on an annual basis.
P9	Yes, ISO 9001:2015 standard for Quality Management System and ISO/IEC 27001:2022 standard for ISMS are evaluated by DNV on an annual basis.

Note: Except as listed above, no other policies aligned with BRSR Principles are independently assessed or evaluated by an external agency.

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	Not applicable since the answer to the question no. 1 is Yes with respect to all nine principles.								
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)									
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)									
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)									
Any other reason									

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

1 Principle — **Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.**

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the principles during the financial year

Category	Total number of training and awareness programmes held	Topics/ principles covered under the training and its impact*	% of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	6	Principle 1, 2 & 3	36.36
Key Managerial Personnel	10	Principle 1, 2, 3, 5 & 8	71.43
Employees other than BoD and KMPs	228	Principle 1, 2, 3, 5 & 6	100.00
Workers	102	Principle 1, 2, 3, 5 & 6	100.00

*The training and awareness programmes conducted during the financial year across various categories of employees, workers and Key Managerial Personnel contributed towards strengthening CSL's alignment with all the applicable principles of the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) and the BRSR framework. The programmes enhanced organisational capability in the areas of ethical governance, sustainability, employee well-being, human rights, environmental protection and inclusive growth.

Note: All the employees and workers of CSL were part of Vigilance Awareness Week observed during October 27 to November 02, 2025.

2. Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website)

Monetary					
Particulars	**NGRBC Principle**	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Amount (In INR)**	**Brief of the Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Penalty/ Fine	1	BSE & NSE	32,20,220 each (including GST @ 18%)	Non-compliance with respect to the composition of the Board of Directors and the constitution of statutory committees, along with related non-compliances under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations.*	No*
Settlement	Nil	Nil	Nil	Nil	Not applicable
Compounding Fee	Nil	Nil	Nil	Nil	Not applicable

*CSL, being a CPSE, the power to appoint Directors vests with the Government of India and the Company has forwarded appropriate requests to the Government of India for filling up the vacancies of Independent Directors including a Woman Director. Consequently, the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India vide their letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, appointed Smt. Seema Suri (DIN: 11117145) as a Non-official (Independent) Director on the Board of CSL. Following her induction, the Company re-constituted the Stakeholders Relationship Committee and the Risk Management Committee in line with the SEBI LODR Regulations on June 01, 2025. In view of the fact that the said non-compliances were neither due to the negligence/ default by the Company nor within the control of the management of the Company, BSE and NSE have waived the fines imposed under Regulations 17(2A), 20 and 21 of the SEBI LODR Regulations upon submission of waiver request by the Company. The appointment of the remaining five Independent Directors is awaited from the Government of India. It has been informed that since achieving compliance is a pre-requisite for applying for a waiver of fines, appropriate requests for waiver of fines imposed w.r.t Regulations 17(1), 18 and 19 of the SEBI LODR Regulations will be filed with the stock exchanges as per the extant Policy for Exemption of Fines, upon appointment of the remaining Independent Directors by the Government of India.

Non-Monetary				
Particulars	**NGRBC Principle**	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Brief of the Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Imprisonment	Nil	Nil	Nil	Not applicable
Punishment	Nil	Nil	Nil	Not applicable

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed

Sl. No.	Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
Nil	Nil	Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. CSL has a Fraud Prevention and Whistle Blower Policy to prevent any fraud and corrupt practices. The policy can be accessed from the following weblink. https://cochinshipyard.in/uploads/WHISTLEBLOWERPOLICY/aa6caa3b6be9d4b69c94332c795fa246.pdf

Further, the Vigilance Department of Cochin Shipyard Limited performs various activities with regard to preventive and pro-active vigilance, undertakes investigation in cases related to punitive vigilance and conducts surveillance and detection initiatives. Vigilance department strives to ensure transparency, equity and competitiveness in all procurement. Important CVC

guidelines are discussed with Heads of Departments for its strict compliance. For more details, please refer to the following web-link. https://cochinshipyard.in/Vigilance/integrity-pact

5. Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption

Category	FY 2026	FY 2025
Directors	0	0
KMPs	0	0
Employees	0	0
Workers	0	0

6. Details of complaints with regard to conflict of interest

Particulars	FY 2026		FY 2025	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	-	0	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	0	-	0	-

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines/ penalties/ action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Not applicable, as we do not have any instances of corruption/ conflicts of interest against Directors and KMPs.

8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods/ services procured) in the following format

Particulars	FY 2026	FY 2025
Number of days of accounts payables	179	54

Note: Data for FY 2025 has been restated since Trade Payables for Capital Goods were regrouped to 'Other Financial Liabilities' in the current year.

9. Openness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format

Parameter	Metrics	FY 2026	FY 2025
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading houses as % of total purchases	19.68	46.79
	b. Number of trading houses where purchases are made from	989	973*
	c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses	35.86	75.75
Concentration of Sales	a. Sales to dealers/ distributors as % of total sales	Nil	Nil
	b. Number of dealers/ distributors to whom sales are made	N.A.	N.A.
	c. Sales to top 10 dealers/ distributors as % of total sales to dealers/ distributors	N.A.	N.A.

Parameter	Metrics	FY 2026	FY 2025
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties/ Total Purchases) (In %)	0.83	0.84
	b. Sales (Sales to related parties/ Total Sales) (In %)	0.01	0.00
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties/ Total loans & advances) (In %)	39.18	42.93
	d. Investments (Investments in related parties/ Total Investments made) (In %)	99.95	99.95

*The previous year's figure has been restated based on the number of unique trading house vendors, in place of the number of purchase orders issued, to align with the methodology adopted for the current year.

Note: The purchases from trading houses is calculated based on the orders placed during the respective financial year.

2 Principle

Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively**

Particulars	FY 2026	FY 2025	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	20.45%	36.86%	Green shipping initiatives expected to result in reduction of emissions.
Capex	0.21%	0.18%	Considerable energy savings achieved.

2. **a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing?**

   Yes.

   b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

   100 percent.

   The Company has been following approved criteria for the selection of vendors to ensure sustainable sourcing which inter alia includes vendors having ISO 9000 certification, vendors approved by regulatory bodies, various authorized dealers of the manufacturer, ability to provide materials as per laid down specification and other requirements, and the ability to supply materials as per stipulated delivery period. Annual evaluation of the orders placed on a vendor is completed to decide the average performance. A vendor is removed/ suspended from approved vendor list based on their average performance over the period of evaluation. Vendors list is reviewed and updated once in a year.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste**

Cochin Shipyard Limited (CSL) is primarily engaged in shipbuilding and ship repair. The nature of its business does not involve the production of consumer goods or equipment that return to the manufacturer at the end of their life cycle. Instead, the ships built by CSL are owned, operated, and ultimately decommissioned by customers through authorised ship recycling facilities in compliance with applicable national and international regulations, including the Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships.

Given this industry-specific context, CSL does not directly reclaim or recycle its products after delivery and, therefore, the end-of-life product reclamation processes under this disclosure is not applicable to CSL.

However, as part of its own operational responsibility, the Company ensures safe and compliant disposal of various categories of waste generated during construction and repair activities through government-approved external agencies.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

No. Extended Producer Responsibility (EPR) is not applicable to CSL.

3 Principle

Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	Total (A)	% of employees covered by									
		Health insurance		Accident insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities*	
		No. (B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)	No. (D)	%(D/A)	No. (E)	%(E/A)	No. (F)	%(F/A)
Permanent employees											
Male	703	703	100.00	703	100.00	N.A.	N.A.	703	100.00	0	0.00
Female	95	95	100.00	95	100.00	95	100.00	N.A.	N.A.	92	96.84
Total	**798**	**798**	**100.00**	**798**	**100.00**	**95**	**100.00**	**703**	**100.00**	**92**	**11.53**
Other than Permanent employees											
Male	189	189	100.00	189	100.00	N.A.	N.A.	0	0.00	0	0.00
Female	57	57	100.00	57	100.00	57	100.00	N.A.	N.A.	55	96.49
Total	**246**	**246**	**100.00**	**246**	**100.00**	**57**	**100.00**	**0**	**0.00**	**55**	**22.36**

* Day care facility is extended only to the female employees in Kochi Unit of CSL. The day care facility is not feasible in other Units of CSL considering the negligible number of women employees.

b. Details of measures for the well-being of workers:

Category	Total (A)	% of workers covered by									
		Health insurance		Accident insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities*	
		No. (B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)	No. (D)	%(D/A)	No. (E)	%(E/A)	No. (F)	%(F/A)
Permanent workers											
Male	1212	1212	100.00	1212	100.00	N.A.	N.A.	1212	100.00	0	0.00
Female	121	121	100.00	121	100.00	121	100.00	N.A.	N.A.	113	93.39
Total	**1333**	**1333**	**100.00**	**1333**	**100.00**	**121**	**100.00**	**1212**	**100.00**	**113**	**8.48**
Other than Permanent employees											
Male	1529	1529	100.00	1529	100.00	N.A.	N.A.	0	0.00	0	0.00
Female	107	107	100.00	107	100.00	107	100.00	N.A.	N.A.	105	98.13
Total	**1636**	**1636**	**100.00**	**1636**	**100.00**	**107**	**100.00**	**0**	**0.00**	**105**	**6.42**

* Day care facility is extended only to the female employees in Kochi Unit of CSL. The day care facility is not feasible in other Units of CSL considering the negligible number of women employees.

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format:

Particulars	FY 2026	FY 2025
Cost incurred on wellbeing measures as a % of total revenue of the company	1.09	0.90*

*FY 2025 data has been restated to align with the reporting methodology used for FY 2026.

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous FY

S. No	Benefits	FY 2026			FY 2025		
		No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
1	PF	100.00	100.00	Yes	100.00	100.00	Yes
2	Gratuity	100.00	100.00	N.A.	100.00	100.00	N.A.
3	ESI	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.
4	Insurance Linked Post Retirement Medical Scheme	100.00	100.00	Yes	100.00	100.00	Yes
5	Superannuation Pension Scheme	100.00	100.00	N.A.	100.00	100.00	N.A.

3. Accessibility of workplaces

Are the premises/ offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Yes.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes.

Weblink: https://cochinshipyard.in/uploads/investor/8009bc0d97f36b9a8c0cff9bb121c072.pdf

5. Return to work and retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100.00	85.71	96.92	98.57
Female	100.00	Not Applicable*	71.43	100.00
Total	**100.00**	**85.71**	**94.44**	**98.63**

* Retention rate determines who returned to work after parental leave ended and were still employed 12 months later. None of the permanent female employees of CSL took maternity leave during FY 2024-25. Hence, retention rate is not applicable for FY 2025-26.

6. **Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.**

Category	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	Yes, CSL has a 5 stage grievance redressal mechanism, beginning from the reporting officer at the first stage till the CMD of the Company at the fifth stage with specific timelines at each stage to resolve the grievance. The detailed framework of this mechanism is available in CSL intranet.
Other than Permanent Workers	
Permanent Employees	
Other than Permanent Employees	

7. **Membership of employees and workers in association(s) or Unions recognised by the listed entity:**

Category	FY 2026			FY 2025		
	Total employees/ workers in respective category(A)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union(B)	% (B/A)	Total employees/ workers in respective category(C)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union(D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	**798**	**798**	**100.00**	**695**	**695**	**100.00**
Male	703	703	100.00	605	605	100.00
Female	95	95	100.00	90	90	100.00
Total Permanent Workers	**1333**	**1333**	**100.00**	**1445**	**1445**	**100.00**
Male	1212	1212	100.00	1317	1317	100.00
Female	121	121	100.00	128	128	100.00

8. **Details of training given to employees and workers:**

Category	FY 2026					FY 2025				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No.(B)	% B/A	No.(C)	% C/A		No.(E)	% E/D	No.(F)	% F/D
Employees										
Male	892	490	54.93	616	69.06	757	269	35.54	402	53.10
Female	152	71	46.71	84	55.26	137	34	24.82	62	45.26
Total	**1044**	**561**	**53.74**	**700**	**67.05**	**894**	**303**	**33.89**	**464**	**51.90**
Workers										
Male	2741	1831	66.80	369	13.46	2470	210	8.50	483	19.55
Female	228	144	63.16	72	31.58	177	26	14.69	47	26.55
Total	**2969**	**1975**	**66.52**	**441**	**14.85**	**2647**	**236**	**8.92**	**530**	**20.02**

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

Category	FY 2026			FY 2025		
	Total (A)	No.(B)	% B/A	Total (C)	No.(D)*	% D/C*
Employees						
Male	892	703	78.81	757	605	79.92
Female	152	95	62.50	137	90	65.69
Total	**1044**	**798**	**76.44**	**894**	**695**	**77.74**
Workers						
Male	2741	1212	44.22	2470	1317	53.32
Female	228	121	53.07	177	128	72.32
Total	**2969**	**1333**	**44.90**	**2647**	**1445**	**54.59**

Note: Regular performance and career development reviews are not undertaken for temporary employees and workers.
*Accordingly, the data for FY 2025 have been restated.

10. Health and safety management system:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Yes, CSL is certified to ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standard for the main facility at Kochi.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) is the tool used by Cochin Shipyard Limited to identify and assess hazards and risks associated with both routine and non-routine work activities carried out in the yard. The process involves listing all activities and evaluating each activity through the HIRA worksheet.

The HIRA worksheet adopts a quantitative approach for risk calculation and prioritisation of activities into Low, Medium, and High-risk categories based on the risk value. Control measures for mitigating risks and reducing risk levels from High and Medium to Low are incorporated in the Standard Operating Procedures (SOPs) and Operational Control Procedures linked to each activity.

Job Safety Analysis (JSA) shall be carried out for all non-routine jobs by the executing agency in coordination with the concerned CSL executing officer. The JSA shall also be reviewed and discussed with the Safety Team for finalisation. The approved JSA shall be communicated to workers through toolbox talks and properly documented before commencement of the work.

c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks? (Yes/ No)

Yes.

d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes, all employees of CSL have access to non-occupational medical and healthcare services.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/ Number	Category	FY 2026	FY 2025
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million person-hours worked)	Employees	1.66	* 1.11
	Workers	8.92	* 5.49
Total recordable work-related injuries	Employees	5	*3
	Workers	200	* 112
No. of fatalities	Employees	0	0
	Workers	1	0
High-consequence work-related injury or ill health (excluding fatalities)	Employees	0	0
	Workers	1	0

* The data for FY 2025 has been restated as per the SEBI guidance note on BRSR.

Note: The data in the above table is including the contract workforce.

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

Cochin Shipyard Limited has established SOPs for various activities, which are reviewed and updated periodically based on operational requirements, incident learnings, statutory changes, and continual improvement initiatives. All revisions are properly documented, and corresponding training materials and communication systems are updated accordingly to ensure effective implementation across the organisation.

The Occupational Health and Safety Management System at CSL, known as the HSE Governance System, promotes a strong and positive safety culture by encouraging employees to consistently follow safe work practices. To reinforce this commitment, employees demonstrating exemplary safety behaviour are recognised and rewarded on a monthly basis and during National Safety Day celebrations.

Each employee group selects a Field Safety Representative (FSR) to support and monitor workplace safety initiatives. In addition, a dedicated Safety and Fire team comprising approximately 250 personnel continuously monitors activities onboard vessels, in workshops, and across skids and operational areas. The team is responsible for issuing work permits wherever required and initiating violation notices whenever unsafe acts or unsafe conditions are observed. Dedicated safety personnel are also deployed by contractors, and clear safety guidelines and responsibilities have been communicated to them.

The commitment of top management towards safety is demonstrated through weekly safety walk-throughs and monthly pep talks conducted at worksites by Section Heads, General Managers and Chief General Managers. These engagements strengthen safety awareness, employee participation and leadership visibility in safety management.

CSL also places significant emphasis on the HSE performance of subcontractors and business partners. Subcontractors are evaluated based on defined HSE performance parameters and are required to strictly comply with CSL's HSE policies, procedures, and standards. CSL works closely with subcontractors by providing necessary guidance, resources, training, and continual feedback to ensure safe execution of work and continuous improvement in HSE performance.

To strengthen contractor safety management, CSL has implemented a structured HSE Star Rating System, which evaluates the annual Health, Safety, and Environment performance of subcontractors. Further, CSL has published an HSE and Sustainability Management Supplier Code of Conduct, establishing clear expectations and responsibilities for suppliers and contractors in alignment with the organisation's safety and sustainability objectives.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Particulars	FY 2026			FY 2025		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	0	0	-	0	0	-
Health & Safety	0	0	-	0	0	-

Note: The data for FY 2025 has been restated as zero, since the figures reported were not complaints, but the suggestions/ observations reported by the workforce as part of our ongoing efforts to improve and uphold a safe working environment. The suggestions/observations are appropriately addressed through a robust HSE Governance System at CSL. For FY 2025, CSL received 2,444 observations and out of which 130 were pending to be closed as on March 31, 2025. For FY 2026, CSL received 1,522 observations and out of which 347 are pending to be closed as on March 31, 2026.

14. Assessments for the year:

Particulars	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	100
Working Conditions	100

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks/ concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Corrective actions will arise from 3 member committee (Committee including concerned officer of that area, Safety committee member of that area and Safety officer of that area) or board of enquiry (members nominated by occupier/ factory manager/ CSO for critical incidents) for safety related incidents. Other corrective actions from HSE observations/ suggestions will be generated by HSE Coordinator/ Safety Officer of particular area.

4 Principle

Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Stakeholders are identified through the Company's internal assessment process, considering the nature of their relationship with the business and the extent to which they are affected by or can influence the Company's operations.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Sl. No.	Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website, Other)	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
1	Customers	No	Project-related calls, e-mails and meetings; project management reviews; top executive meetings and briefings; customer visits; responses to RFPs and other tenders etc. newsletters; brochures	Continuous basis	Shipbuilding and Ship Repair Project execution
2	Shareholders	No	Press releases; email advisories; in-person meetings; investor conference calls etc	Quarterly: Financial results in IndAS; exchange notifications; Continuous: Investors page on the CSL website Annual: Annual General Meeting; Annual Report Earnings call; investor meets on need basis	Helping investors voice their concerns regarding company policies, reporting, strategy, etc. Understanding shareholder expectations
3	Employees	No	Intranet, e-mail and meetings	Continuous basis	Informing about various orders, directives, schemes etc.

Sl. No.	Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website, Other)	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
4	Academic Institutions	No	Academic and Training Programs; and meetings	As and when needed	Training and development
5	Industry bodies, government and Regulators	No	Conferences and seminars; surveys; and other meetings	As and when needed	Ensure 100% compliance to all applicable laws.
6	NGOs, local communities and society at large	No	Meetings; social media; surveys; and press releases	As and when needed	Execution of CSR project, intimation of important events and happenings.

5 Principle

Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2026			FY 2025		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	% B/A	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	% D/C
Employees						
Permanent	798	45	5.64	695	88	12.66
Other than permanent	246	0	0.00	199	0	0.00
Total	**1044**	**45**	**4.31**	**894**	**88**	**9.84**
Workers						
Permanent	1333	83	6.23	1445	1	0.07
Other than permanent	1636	2	0.12	1202	0	0.00
Total	**2969**	**85**	**2.86**	**2647**	**1**	**0.04**

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2026					FY 2025				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		No.(B)	% B/A	No.(C)	% C/A		No.(E)	% E/D	No.(F)	% F/D
Employees										
Permanent	**798**	**0**	**0**	**798**	**100**	**695**	**0**	**0**	**695**	**100**

Category	FY 2026					FY 2025				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		No.(B)	% B/A	No.(C)	% C/A		No.(E)	% E/D	No.(F)	% F/D
Male	703	0	0	703	100	605	0	0	605	100
Female	95	0	0	95	100	90	0	0	90	100
Other than permanent	**246**	**0**	**0**	**246**	**100**	**199**	**0**	**0**	**199**	**100**
Male	189	0	0	189	100	152	0	0	152	100
Female	57	0	0	57	100	47	0	0	47	100
Workers										
Permanent	**1333**	**0**	**0**	**1333**	**100**	**1445**	**0**	**0**	**1445**	**100**
Male	1212	0	0	1212	100	1317	0	0	1317	100
Female	121	0	0	121	100	128	0	0	128	100
Other than permanent	**1636**	**0**	**0**	**1636**	**100**	**1202**	**0**	**0**	**1202**	**100**
Male	1529	0	0	1529	100	1153	0	0	1153	100
Female	107	0	0	107	100	49	0	0	49	100

3. Details of remuneration/ salary/ wages, in the following format:

a. Median remuneration/ wages:

Particulars	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category (in ₹ Lakhs)	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category (in ₹ Lakhs)
Board of Directors (BoD)	6	81.12	0	-
Key Managerial Personnel	7	77.68	0	-
Employees other than BoD and KMP	944	15.06	163	13.60
Workers	2975	4.11	243	5.87

Note: An employee/ worker who has worked for even a day during the financial year is considered and their remuneration is annualised for calculating the median.

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity:

Particulars	FY 2026	FY 2025
Gross wages paid to females as % of total wages	10.03	9.18

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/ No)

Yes.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

CSL's commitment to human rights is incorporated in its Human Rights Policy, which explicitly addresses adherence to human rights principles. The Human Rights Policy of CSL can be accessed from the following weblink: https://cochinshipyard.in/uploads/investor/7de7f3e4c28dcfc12f29d503944bf190.pdf

Further, CSL has established comprehensive human resource policies that address all aspects of human rights for its employees and those associated with its operations. The Company is committed to upholding the dignity of women employees and is providing various awareness sessions to its employees to protect against sexual harassment in the workplace, including mechanisms for prevention and redressal. CSL has Internal Complaints Committee dedicated to redress the complaints related to sexual harassment of women at workplace.

CSL ensures compliance with human rights practices across all subsidiaries and stakeholders. The grievance redressal system is overseen by a Whole Time Director, ensuring that complaints related to integrity, fairness, and transparency are addressed promptly. A dedicated grievance portal is available for reporting issues, accessible at CSL Grievance Portal (https://cochinshipyard.in/grievance-cell).

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Particulars	FY 2026			FY 2025		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	2	2	CSL's Internal Complaints Committee is examining the matter.	3	1	CSL's Internal Complaints Committee has examined the pending complaint and disposed it during FY 2026.
Discrimination at workplace	0	0	-	0	0	-
Child Labour	0	0	-	0	0	-
Forced Labour/ Involuntary Labour	0	0	-	0	0	-
Wages	0	0	-	0	0	-
Other human rights related issues	0	0	-	0	0	-

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

Particulars	FY 2026	FY 2025
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	2	3
Complaints on POSH as a % of female employees/ workers	0.58	0.97
Complaints on POSH upheld	1*	2

*One complaint upheld during FY 2026 pertains to the complaint received in FY 2025.

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Concerns on discrimination and harassment are dealt with confidentially. CSL does not tolerate any form of retaliation against anyone reporting good faith concerns. Anyone involved in targeting such a person raising such complaints will be subject to disciplinary action.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/ No)

Yes.

10. Assessments for the year

Particulars	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child Labour	100
Forced Labour/ Involuntary Labour	100
Sexual Harassment	100
Discrimination at Workplace	100
Wages	100

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Not applicable, as we have not come across any significant concerns at our facilities.

6 Principle — Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 2026	FY 2025
Energy Consumption from renewable sources (in GJ)		
Total electricity consumption (A)	44765.63	23078.04
Total fuel consumption (B)	0.00	0.00
Energy consumption through other sources (C)	0.00	0.00
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	**44765.63**	**23078.04**
Energy Consumption from non-renewable sources (in GJ)		
Total electricity consumption (D)	107756.61	142298.17
Total fuel consumption (E)	19861.63	15026.95
Energy consumption through other sources (F)	0.00	0.00
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	**127618.24**	**157325.12**
Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	**172383.87**	**180403.16**
Energy intensity per Rupee of turnover (Total energy consumed/ Revenue from operations) (In GJ/Rupee Crores)	40.02	39.84
Energy intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed/ Revenue from operations adjusted for PPP) (In GJ/Mio USD)	80.35	80.00
Energy intensity in terms of physical output	*Not applicable	*Not applicable

* The Company operates in the shipbuilding and ship repair industry, where the nature of output - such as ships and offshore structures - varies significantly in type, size, complexity, and scope from project to project. As a result, there is no uniform or comparable measure of physical output that would enable meaningful calculation of intensity ratios.

Note: The Purchasing Power Parity (PPP) for FY 2026 and FY 2025 are sourced from the International Monetary Fund (IMF). The PPP factor applied is 20.078 as per the 2025 update.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the energy consumption.

2. **Does the entity have any sites/ facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.**

No. The entity does not have any sites/ facilities identified as Designated Consumers under the PAT Scheme of the Government of India.

3. **Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:**

Parameter	FY 2026	FY 2025
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	0.00	0.00
(ii) Groundwater	985.10	886.00
(iii) Third party water	638134.66	569486.06
(iv) Seawater/ desalinated water	0.00	300.00
(v) Others	0.00	2116.00
Total volume of water withdrawal (i + ii + iii + iv + v)	**639119.76**	**572788.06**
Total volume of water consumption #	**627429.76**	**562774.06**
Water intensity per Rupee of turnover (Total water consumption/ Revenue from operations) (in Kilolitres/Rupee Crores)	145.65	124.29
Water intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption/ Revenue from operations adjusted for PPP) (in Kilolitres/ Mio USD)	292.44	249.55
Water intensity in terms of physical output	*Not applicable	*Not applicable

#Due to non-availability of accurate data, the Water consumption for the Ship Repair Unit of CSL in Andaman & Nicobar Islands (CANSRU) and Kolkata (CKSRU) have been calculated based on the guidelines established by the Central Ground Water Authority (CGWA) as per the Industry Standards note on Business Responsibility and Sustainability Report Core, and accordingly, the data for FY 2025 has been corrected. The said correction is not material and is less than one percent of the total quantity of water consumption.

* The Company operates in the shipbuilding and ship repair industry, where the nature of output - such as ships and offshore structures - varies significantly in type, size, complexity, and scope from project to project. As a result, there is no uniform or comparable measure of physical output that would enable meaningful calculation of intensity ratios.

Note: The Purchasing Power Parity (PPP) for FY 2026 and FY 2025 are sourced from the International Monetary Fund (IMF). The PPP factor applied is 20.078 as per the 2025 update.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the water consumption.

4. Provide the following details related to water discharged:

Parameter	FY 2026	FY 2025
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To surface water	0.00	# 0.00
- No treatment	0.00	0.00
- With treatment	0.00	# 0.00
- Primary treatment	0.00	0.00
- Secondary treatment	0.00	# 0.00
- Tertiary treatment	0.00	0.00
(ii) To Groundwater	280.00	*0.00
- No treatment	280.00	0.00
- With treatment	0.00	*0.00
- Primary treatment	0.00	*0.00
- Secondary treatment	0.00	0.00
- Tertiary treatment	0.00	0.00
(iii) To Seawater	11690.00	10014.00
- No treatment	0.00	0.00
- With treatment	11690.00	10014.00
- Primary treatment	0.00	0.00
- Secondary treatment	11690.00	10014.00
- Tertiary treatment	0.00	0.00
(iv) Sent to third-parties	0.00	0.00
- No treatment	0.00	0.00
- With treatment	0.00	0.00
(v) Others	0.00	0.00
- No treatment	0.00	0.00
- With treatment	0.00	0.00
Total water discharged	**11970.00**	**10014.00**

Data for FY 2025 has been corrected since it was discharged to sea after treatment and was already included in the data provided for water discharged to sea water.

*The Water consumption for the Ship Repair Unit of CSL in Andaman & Nicobar Islands (CANSRU) and Kolkata (CKSRU) have been estimated based on the guidelines established by the Central Ground Water Authority (CGWA) as per the Industry Standards note on Business Responsibility and Sustainability Report Core. Accordingly, the water discharge is not applicable and hence corrected.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency

No, CSL internally monitors the water discharge.

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation:

No

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2026	FY 2025*
NOx	mg/Nm^3	33.83	28.98
SOx	mg/Nm^3	23.00	17.93
Particulate matter (PM)	µg/m^3	38.67	45.98

Parameter	Unit	FY 2026	FY 2025*
Persistent organic pollutants (POP)	-	0.00	0.00
Volatile organic compounds (VOC)	-	0.00	0.00
Hazardous air pollutants (HAP)	-	0.00	0.00
Others -			
CO	mg/Nm^3	107.00	109.58

* Details for FY 2025 has been corrected based on stack air emission test report.

Note: The emissions reported represent the average of the values recorded during the tests conducted during the reporting period.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes. Standards Environmental & Analytical Laboratories

7. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	FY 2026	FY 2025
GHG Emissions (in Metric tonnes of CO_2 equivalent)		
Total Scope 1 Emissions	**3998.03**	**2687.63**
(Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)		
Total Scope 2 Emissions	**21252.00**	**28736.33**
(Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)		
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per Rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations) (In Metric tonnes of CO_2 equivalent/Rupee Crores)	5.86	6.94
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP)	11.77	13.93
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output	*Not applicable	*Not applicable

* The Company operates in the shipbuilding and ship repair industry, where the nature of output - such as ships and offshore structures - varies significantly in type, size, complexity, and scope from project to project. As a result, there is no uniform or comparable measure of physical output that would enable meaningful calculation of intensity ratios.

Note: The Purchasing Power Parity (PPP) for FY 2026 and FY 2025 are sourced from the International Monetary Fund (IMF). The PPP factor applied is 20.078 as per the 2025 update.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the GHG emissions.

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If yes, then provide details

CSL is planning to expand the renewable energy capacity by way of rooftop solar installations in CSL to 4,000 kWp in a phased manner. CSL is currently having an installed capacity of 2,422 kWp. Further, as part of the green energy transition, it has been decided to implement a Battery Energy Storage System (BESS) in a phased manner. The BESS will be charged through the purchase of low-cost renewable power from the Green Day Ahead Market (GDAM) and the surplus solar generation whenever available. The stored energy will be used during peak tariff periods. Upon commissioning of the project, CSL expects to meet approximately 60-70% of its energy requirements through green energy sources.

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

a. Total Waste generated

Parameter	FY 2026	FY 2025
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste	13.75	20.20
E-waste	7.27	15.70
Biomedical waste	0.08	0.05
Construction and demolition waste	2340.27	1669.63
Battery waste	42.67	28.09
Radioactive waste	0.00	0.00
Other Hazardous waste		
Glass Waste	0.00	0.01
Used or Spent Oil	0.00	20.99
Waste or Residue Containing Oil	210.00	0.00
Oil & Grease skimming	0.01	0.01
Equipment Retiral Waste	30.00	65.00
Paint Sludge	11.00	5.85
Anode	12.46	2.90
Waste Oil	398.74	#644.52
Copper Cables	20.00	12.46
Used Copper Slag	7102.55	5593.00
Empty Paint Tin	48.45	41.97
Empty Oil Barrel	15.30	11.10
Other Non-hazardous waste		
Food Waste	426.50	334.23
Paper & Cardboard Waste	0.10	0.11
Aluminium Waste	1.29	3.42
Miscellaneous Waste	1000.00	@120.00
Steel Scrap	2862.43	#1166.40
Industrial Waste	4303.86	3050.00
Total Waste Generated	**18846.73**	**^12805.64**
Waste intensity per Rupee of turnover (Total waste generated/ Revenue from operations) (per Rupee Crores)	**4.38**	**2.83**
Waste intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated/ Revenue from operations adjusted for PPP) (per Mio USD)	8.78	5.68
Waste intensity in terms of physical output	*Not applicable	*Not applicable

#Data has been corrected, since the data regarding waste generation from the Kolkata Unit of CSL was not included in the previous year report. @The data has been corrected to record the Miscellaneous waste generated. ^ Accordingly, the Total Waste Generated has also been corrected.

*The Company operates in the shipbuilding and ship repair industry, where the nature of output - such as ships and offshore structures - varies significantly in type, size, complexity, and scope from project to project. As a result, there is no uniform or comparable measure of physical output that would enable meaningful calculation of intensity ratios.

Note:

1) The difference between the quantity of waste generated and the quantity of waste recovered/disposed of during the reporting period arises due to the timing of waste generation vis-à-vis waste recovery and disposal. Waste disposal is not confined only to the waste generated during a particular financial year. In practice, waste generated in a given year may not be fully recovered or disposed of within the same year and is carried forward until sufficient quantity is accumulated or disposal arrangements are finalized. Also, waste recovered or disposed of during a financial year may also include waste generated in previous years.

2) Miscellaneous waste constitutes a mixture of the waste consisting of wood, paper, cardboard, rubber etc. along with particles of steel while Industrial Waste constitutes of a mixture of waste consisting of clothes, leather items, wood, paper, cardboard, rubber, cotton etc.

3) Miscellaneous waste constituting a mixture of the waste along with particles of steel is collected in a combined form. It is not operationally feasible to accurately segregate the individual quantities of each constituent material. Accordingly, the steel contained in Miscellaneous waste has not been separately reported under the steel waste generated. However in case of waste disposal, the quantity of steel forming part of Miscellaneous waste could be estimated based on the value received for disposing the miscellaneous waste. Since the waste generated in a particular reporting period and waste disposed in the same period not always match as stated above, the similar assumption cannot be applied in case of Miscellaneous waste generation. Accordingly, the steel forming part of Miscellaneous waste is added along with steel scrap recycled and the rest of the Miscellaneous waste is shown as disposed by way of landfilling.

4) The Purchasing Power Parity (PPP) for FY 2026 and FY 2025 are sourced from the International Monetary Fund (IMF). The PPP factor applied is 20.078 as per the 2025 update.

b. For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)

Parameter	FY 2026	FY 2025
Category of waste: Total Waste		
(i) Recycled	6373.66	^5048.41
(ii) Re-used	0.00	^0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**6373.66**	**^5048.41**
Category-wise breakdown		
Category of waste: Plastic waste		
(i) Recycled	12.62	15.00
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**12.62**	**15.00**
Category of waste: E-waste		
(i) Recycled	0.00	#18.37
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**0.00**	**#18.37**
Category of waste: Biomedical waste		
(i) Recycled	0.06	@0.03
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**0.06**	**@0.03**
Category of waste: Battery waste		
(i) Recycled	40.76	0.00
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**40.76**	**0.00**
Category of waste: Construction and demolition waste and Radioactive waste		
(i) Recycled	0.00	0.00
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**
Other Hazardous waste		
Category of waste: Equipment Retiral waste		
(i) Recycled	30.00	#65.00
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**30.00**	**#65.00**

Parameter	FY 2026	FY 2025
Category of waste: Anode		
(i) Recycled	0.00	#18.50
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	0.00	#18.50
Category of waste: Waste Oil		
(i) Recycled	**505.59**	**#833.04**
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**505.59**	**#833.04**
Category of waste: Copper Cables		
(i) Recycled	7.13	0.00
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**7.13**	**0.00**
Category of waste: Empty Paint Tin		
(i) Recycled	61.86	#48.24
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**61.86**	**#48.24**
Category of waste: Empty Oil Barrel		
(i) Recycled	26.39	#7.42
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**26.39**	**#7.42**
Category of waste: Glass Waste, Used or Spent Oil, Waste or Residue Containing Oil, Oil & Grease Skimming, Paint Sludge and Used Copper Slag		
(i) Recycled	0.00	0.00
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**
Other Non-hazardous waste		
Category of waste: Food Waste		
(i) Recycled	426.49	*334.23
(ii) Re-used	0.00	*0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**426.49**	**334.23**
Category of waste: Miscellaneous Waste		
(i) Recycled	0.00	@82.95
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**455.81**	**@82.95**
Category of waste: Steel Scrap		
(i) Recycled	5262.76	#3708.58
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**5262.76**	**#3708.58**
Category of waste: Paper & Cardboard Waste, Aluminium Waste, Miscellaneous Waste and Industrial Waste		
(i) Recycled	0.00	0.00
(ii) Re-used	0.00	0.00
(iii) Other recovery operations	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**

* The Food waste is recycled instead of re-used. # Data of E-waste, Equipment Retiral Waste, Anode, Waste Oil, Empty Paint Tin, Empty Oil Barrel and Steel Scrap have been corrected as recycled instead of disposed. @ A part of 'Biomedical waste' which contains plastic, needles etc., & a part of 'Miscellaneous waste' which contains steel are recycled instead of disposed. Hence the data has been corrected. ^ Accordingly, the Total waste data has also been corrected.

c. For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)

Parameter	FY 2026	FY 2025
Category of waste: Total Waste		
(i) Incineration	0.02	^0.01
(ii) Landfilling	13256.30	^12096.52
(iii) Other disposal operations	0.00	^0.00
Total	**13256.32**	**^12096.53**
Category-wise breakdown		
Category of waste: Biomedical waste		
(i) Incineration	0.02	@0.01
(ii) Landfilling	0.00	0.00
(iii) Other disposal operations	0.00	@0.00
Total	**0.02**	**@0.01**
Category of waste: Construction and demolition waste		
(i) Incineration	0.00	0.00
(ii) Landfilling	2313.27	©1646.63
(iii) Other disposal operations	0.00	©0.00
Total	**2313.27**	**1646.63**
Category of waste: E-waste*, Plastic waste, Battery waste and Radioactive waste		
(i) Incineration	0.00	0.00
(ii) Landfilling	0.00	0.00
(iii) Other disposal operations	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**
Other Hazardous waste		
Category of waste: Paint Sludge		
(i) Incineration	0.00	0.00
(ii) Landfilling	4.75	©6.19
(iii) Other disposal operations	0.00	©0.00
Total	**4.75**	**6.19**
Category of waste: Used Copper Slag		
(i) Incineration	0.00	0.00
(ii) Landfilling	6008.50	©7366.52
(iii) Other disposal operations	0.00	©0.00
Total	**6008.50**	**7366.52**
Category of waste: Glass Waste, Used or Spent Oil, Waste or Residue Containing Oil, Oil & Grease skimming, Equipment Retiral Waste*, Anode*, Waste Oil*, Empty Paint Tin*, Empty Oil Barrel* and Copper Cables		
(i) Incineration	0.00	0.00
(ii) Landfilling	0.00	0.00
(iii) Other disposal operations	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**
Other Non-hazardous waste		
Category of waste: Miscellaneous Waste		
(i) Incineration	0.00	0.00
(ii) Landfilling	316.46	#30.89
(iii) Other disposal operations	0.00	#0.00
Total	**316.46**	**#30.89**
Category of waste: Industrial Waste		
(i) Incineration	0.00	0.00
(ii) Landfilling	4613.32	©3046.29
(iii) Other disposal operations	0.00	©0.00
Total	**4613.32**	**3046.29**
Category of waste: Food Waste, Paper & Cardboard Waste, Steel Scrap* and Aluminium Waste		
(i) Incineration	0.00	0.00
(ii) Landfilling	0.00	0.00
(iii) Other disposal operations	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**

* E-waste, Equipment Retiral waste, Anode, Waste Oil, Empty Paint Tin, Empty Oil Barrel and Steel Scrap are recycled instead of disposal. @ A part of Biomedical waste generated, being highly infectious waste is disposed by way of incineration and the method of disposal has been corrected. © Construction and demolition waste, Paint Sludge, Used Copper Slag & Industrial Waste are disposed by way of landfill. # A part of Miscellaneous waste generated is disposed by way of landfilling and the method of disposal has been corrected. ^ Accordingly, the Total waste data has been corrected.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the waste management.

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes

CSL has an operating Memorandum of Understanding (MoU) with 'Kerala Enviro Infrastructure Limited' (KEIL) an authorized agency of Kerala State Pollution Control Board (KSPCB) and 'Clean Kerala Company Limited' (CKCL) a Government of Kerala enterprise specializing in scientific waste management. CSL is disposing its industrial wastes through KEIL and CKCL in compliance with applicable statutory requirements promulgated by Pollution Control Board from time to time.

11. If the entity has operations/ offices in/ around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals/ clearances are required, please specify details in the following format:

Sl. No.	Location of operations/ offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval/ clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
1.	CSL, Perumanoor, Kochi, Kerala	Shipbuilding and Ship Repair	Yes.
2.	ISRF, Willingdon Island, Kochi, Kerala	Ship Repair	Yes.
3.	CMSRU, Mumbai, Maharashtra	Ship Repair	No. No environmental approval/ clearance is required.
4.	CKSRU, Kolkata, West Bengal	Ship Repair	No. No environmental approval/ clearance is required.
5.	CANSRU, Andaman & Nicobar Islands	Ship Repair	No. No environmental approval/ clearance is required.

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Sl. No.	Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/ No)	Relevant Web link
Nil						

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and rules thereunder (Y/N): Yes

If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

Sl. No.	Specify the law/ regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines/ penalties/ action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
Not applicable				

7 Principle

Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. **Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations**

   11

   b. **List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to**

Sl. No.	Name of the trade and industry chambers associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
1	Federation of Indian Export Organisations (FIEO)	National
2	Confederation of Indian Industry (CII)	National
3	Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)	National
4	Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	National
5	Kerala State Productivity Council	State
6	The Cochin Chamber of Commerce & Industry	State
7	Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)	National
8	Indian Register of Shipping	National
9	Indian Shipbuilders' Association (ISBA)	National
10	Indian Maritime Centre	National

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities**

During the year, there were no adverse orders from regulatory authorities relating to anti-competitive conduct.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
Nil		

8 Principle

Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. **Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.**

Sl. No.	Name and brief details of project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/ No)	Relevant Web link
Nil						

2. **Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:**

Sl. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families(PAFs)	% of PAF covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
Not applicable						

Note: During financial year 2025-26, CSL have not undertaken any projects that require Rehabilitation and Resettlement (R&R).

3. **Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community**

CSL's grievance redressal system is headed by a Whole Time Director and the complaints involving issues of integrity, fairness and transparency in dealing with CSL will be addressed and attended to in a time bound manner. Towards this the Company has put in place a grievance portal which can be accessed at https://cochinshipyard.in/grievance-cell

4. **Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:**

Catergory	FY 2026	FY 2025
Directly sourced from MSMEs/ small producers	50.80	27.53
Directly from within India	74.36	45.06

5. **Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/ on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost**

Location	FY 2026	FY 2025
Rural	0.00	0.00
Semi-urban	0.00	0.00
Urban	94.59	95.74
Metropolitan	5.41	4.26

9 Principle

Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. **Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.**

All the contracted vessels are conducted with a customer satisfaction survey and feedbacks are taken from owners willing to share their experience. The surveys are conducted by an independent third party firm in order to have open & genuine feedback from the customer.

2. **Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/ service that carry information about:**

Category	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	100
Safe and responsible usage	100
Recycling and/or safe disposal	N.A.

3. **Number of consumer complaints in respect of the following:**

Particulars	FY 2026			FY 2025		
	Received during the year	Pending resolution at end of year	Remarks	Received during the year	Pending resolution at end of year	Remarks
Data privacy	0	0	-	0	0	-
Advertising	0	0	-	0	0	-
Cyber-security	0	0	-	0	0	-
Delivery of essential services	0	0	-	0	0	-
Restrictive Trade Practices	0	0	-	0	0	-
Unfair Trade Practices	0	0	-	0	0	-
Other	0	0	-	0	0	-

4. **Details of instances of product recalls on account of safety issues:**

Particulars	Number	Reasons for recall
Voluntary recalls	0	N.A.
Forced recalls	0	N.A.

5. **Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.**

CSL conforms to the ISO 27001:2022 certification relating to 'Information Security Management Systems' to safeguard sensitive information and cyber-resilience.

Weblink for certificate: https://cochinshipyard.in/uploads/ISO-IEC_27001-ENG-C718609-0-20250324.pdf

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/ action taken by regulatory authorities on safety of products/ services.**

No significant concerns/ complaints/ penalties/ regulatory actions were identified during the year.

7. **Provide the following information relating to data breaches:**

a. **Number of instances of data breaches.**

Nil

b. **Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers.**

Nil

c. **Impact, if any, of the data breaches.**

Nil

Independent Assurance Statement

To,
The Board of Directors
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin
Shipyard Premises, Perumanoor
Kochi – 682015, Kerala, India

Scope and Approach

Sustainability Actions Private Limited ("SAPL") has been engaged by the management of Cochin Shipyard Limited ("CSL" or "the Company"), to conduct an Independent Reasonable Assurance of the Company's Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Core Matrices as set forth in Annexure I, for the Financial Year 2025-26.

Reporting Criteria for Reasonable Assurance Opinion

Identified Sustainability Information subject to assurance	Period subject to assurance	Level of assurance	Reporting Criteria
BRSR Core Attributes	From 1st April, 2025 to 31st March, 2026	Reasonable Assurance	• Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR) • Guidance note for BRSR format issued by SEBI • Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standard) (Revised) developed by World Resources Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) • SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024 – Industry Standards Note on Reporting of BRSR Core. • SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2025/42 dated 28th March 2025 - Measures to facilitate ease of doing business with respect to framework for assurance or assessment, ESG disclosures for value chain, and introduction of voluntary disclosures on green credits.

Reasonable Assurance Opinion

Based on our review and procedures followed for a reasonable level of assurance and evidence obtained, we are of the opinion that, the information covered by Reasonable Assurance in the Business Responsibility and Sustainability Report for the FY25-26 is prepared, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria and the Reporting Boundary as set out in Section A: General Disclosures 13 of the Business Responsibility and Sustainability Report.

Basis For Opinion and Conclusion

We conducted our engagement in accordance with Standard on Sustainability Assurance Engagements (ISAE - Revised) 3000. As part of our assurance process, a multi-disciplinary team of sustainability and assurance specialists reviewed the disclosures presented

within the Report and referenced information. The procedures conducted were based on professional judgement and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluation of quantification methods and reporting policies, analytical procedures, and reconciliation with underlying records.

We interviewed with selected senior managers responsible for management of disclosures and review of selected evidence to support environmental KPIs and metrics disclosed in the Report. We were free to choose interviewees and interviewed those with overall responsibility of monitoring, data collation and reporting the selected indicators.

Given the circumstances of the engagement, in executing the procedures outlined above, we:

- Reviewed the disclosures under BRSR Core, encompassing the framework for assurance consisting of a set of Key Performance Indicators (KPIs) under 9 ESG attributes.
- Evaluation of the design and implementation of key systems, processes and controls for collecting, managing and reporting the BRSR Core indicators. Assessment of operational control and reporting boundaries.
- Seek extensive evidence across all relevant areas, ensuring a detailed examination of BRSR Core indicators. Engaged directly with stakeholders to gather insights and corroborative evidence for each disclosed indicator.
- The audit team conducted on-site audits for data testing and also, to assess the uniformity in reporting processes and also, quality checks at different locations of the Company. Sites for data testing and reporting system checks were selected based on the percentage contribution each site makes to the reported indicator, complexity of operations at each location (high/low/medium) and reporting system within the organization.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance opinion.

Management Responsibilities

The Company's Management is responsible for identification of key aspects, content and presentation of the Business Responsibility and Sustainability Report in accordance with the Criteria mentioned above. This responsibility includes:

- The design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the Business Responsibility and Sustainability Report and measurement of BRSR Core and other Matrices, which are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
- Selecting or developing suitable criteria for preparing the Assured Sustainability Information and appropriately referring to or describing the criteria.
- Ensuring compliance with law, regulation or applicable contracts.
- Making judgements and estimates that are reasonable in the circumstances.
- Identifying and describing any inherent limitations in the measurement or evaluation of information covered by assurance in accordance with the reporting criteria.

Independence and Quality Control

We are independent from the entity in accordance with the requirements of independence and quality assurance set out in BRSR provisions and professional pronouncements and have fulfilled our additional professional obligations in accordance with these requirements.

Our assurance engagements are based on the assumption that the data and information provided by the company to us as part of our review have been provided in good faith and free from material misstatements. We were not involved in the preparation of any statements or data included in the Report except for Assurance Statement. Our firm applies International Standard on Quality Management and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements. We apply SQC 1 for quality control in assurance and related services.

Our Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance opinion and limited assurance conclusion on the identified sustainability indicators, based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the International Standard for Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information ('ISAE 3000'), and the terms of reference for this engagement as agreed with the Company. Those standards require that we plan and perform our engagement to obtain assurance about whether, in all material respects, the Identified Sustainability Subject Information is presented in accordance with the Criteria, and to issue a report. The nature, timing, and extent of the procedures selected depend on our judgment, including an assessment of the risk of material misstatement, whether due to fraud or error.

Inherent Limitations

We have relied on the information, documents, records, data, and explanations provided to us by the Company for the purpose of our review. The assurance scope excludes:

- Any disclosure other than those mentioned in the scope section above.
- Data and information outside the defined reporting period.
- Data related to Company's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report.
- The reported financial data are based on audited financial statements issued by the Company's statutory auditors which is subject to a separate audit process. We were not involved in the review of financial data from the Annual Report.
- The Company's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Company and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues.
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.
- While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls.
- The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

For and behalf of Sustainability Actions Pvt. Ltd.
(CIN - U74999HR2021PTC093811)

Saket Sinha
(Director)

Place: Gurgaon
Date: 6th August'26

Annexure I

BRSR Core attributes - Reasonable assurance for financial year 2025-26

BRSR Core Indicator	Description of Indicator
Section C - Principle 1 - E8	Number of days of accounts payable
Section C - Principle 1 - E9	Concentration of purchases & sales done with trading houses, dealers and related parties Loans and advances & investments with related parties
Section C – Principle 3 - E1(c)	Spending on measures towards well-being of employees and workers – cost incurred as a % of total revenue of the company
Section C – Principle 3 - E11	Details of safety related incidents including lost time injury frequency rate, recordable work-related injuries, no. of fatalities
Section C – Principle 5 - E3(b)	Gross wages paid to females as % of wages paid
Section C – Principle 5 - E7	Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, including complaints reported, complaints as a % of female employees and complaints upheld
Section C – Principle 6 - E1	Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and its intensity
Section C – Principle 6 - E1	Details of total energy intensity
Section C – Principle 6 - E3	Details of water withdrawal by source
Section C – Principle 6 - E3	Details of water consumption and its intensity
Section C – Principle 6 - E4	Details of water discharged by destination and level of treatment
Section C – Principle 6 - E6	Details of Air Emissions (Other than GHG emissions)
Section C – Principle 6 - E7	Details of greenhouse gas emissions (Scope 1and Scope 2) and its intensity
Section C – Principle 6 - E9	Details related to waste generated by category of waste
Section C – Principle 6 - E9	Details related to waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations
Section C – Principle 6 - E9	Details related to waste disposed by nature of disposal method
Section C – Principle 8 - E4	Input material sourced from following sources as % of total purchases – Directly sourced from MSMEs/ small producers and from within India
Section C – Principle 8 - E5	Job creation in smaller towns
Section C – Principle 9 - E7	Instances involving loss/breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events

Independent Auditors' Report

To
The Members of **COCHIN SHIPYARD LIMITED**

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Cochin Shipyard Limited ("the Company") which comprises the standalone Balance Sheet as at March 31, 2026, and the standalone Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), standalone Statement of Changes in Equity and the standalone Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including material accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Standalone Financial Statements").

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2026, its profit and other comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the Standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ("SAs"), as specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Emphasis of Matter

4. Suspension of construction of two passenger vessels and related uncertainties:

In 2016, the Company entered into a contract with the Administration of a Union Territory of India for the construction of two passenger vessels at a total contract value of ₹81,900 lakhs (excluding taxes and foreign exchange variation). The vessels were launched in January 2020 and August 2022, respectively.

As at the reporting date, approximately 55% of the construction work, up to the fourth stage, has been completed and payments aggregating to ₹66,503.63 lakhs (Previous year: ₹66,503.63 lakhs) have been received from the Administration. The fifth and final stage is linked to delivery of the vessels.

Subsequently, the said Administration of a Union Territory has expressed its intention to take delivery of one vessel, while the other vessel is proposed to be taken over by another Administration of a Union Territory, both subject to certain reconfigurations. However, the scope of modifications and related commercial terms, including reimbursement of costs, are yet to be finalised between the parties. Pending receipt of the necessary approvals and finalisation of the commercial arrangements, further construction activities remain suspended.

Accordingly, the Company expressed its inability to determine the financial impact, if any, arising from factors such as ageing of the vessels due to prolonged inactivity, occupation of berthing space and annual revalidation costs of bank guarantees amounting to ₹1,12,411.88 lakhs (Previous year: ₹1,10,936.04 lakhs) furnished to the Administration (Refer Note No.34(5)).

5. Classification of Ship Building Financial Assistance:

The Management has represented that while determining the pricing of the vessels, it factor the Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is an integral component of the shipbuilding process. Accordingly, during the year, the Company has regrouped the SBFA under 'Sale of products' which was hitherto grouped under 'Other operating revenue' (Refer Note No.34(6)).

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

6. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Sl. No.	Key Audit Matters	Auditors' Response
1	**Measurement of Physical Completion of Shipbuilding and Ship Repair Activities** (Refer Note 2.5 – Critical Accounting Estimates and Judgements and Note 3.11(a) – Revenue from Operations) The Company determines the stage of completion of shipbuilding and ship repair contracts based on the estimated physical progress of work performed as at the reporting date. The assessment of physical completion is carried out internally by Management, based on technical evaluations and inputs from the planning, design and engineering departments. Determining the extent of completion of each sub-activity requires significant technical judgement and estimation, particularly in assessing work performed but not yet certified. Given the technical complexity and the reliance on internal progress of assessments, measurement of physical completion was considered a Key Audit Matter.	Our audit procedures included: • Obtaining an understanding of the process for measuring physical progress and the systems used to capture project execution data. • Evaluating the design and implementation of internal controls over monitoring and reporting of project progress. • Performing sample-based substantive procedures by examining supporting documentation, project reports, milestone certifications and M-Book records. • In selected cases, obtaining external expert reports to corroborate Management's assessment of stage of completion. While we performed the above procedures, the measurement of physical completion inherently involves technical evaluation, and we placed reliance on Management's technical and activity-based assessments.
2	**Recognition of Revenue -Shipbuilding and Ship Repair Contracts** (Refer to Note 3.11(a) – Material Accounting Policy Information relating to Revenue Recognition, Note 34 – Revenue from Operations, and Note 45 – Additional Disclosures under Ind AS 115, "Revenue from Contracts with Customers") The Company recognises revenue from shipbuilding and ship repair contracts over the time in accordance with Ind AS 115 – Revenue from Contracts with Customers. Revenue recognition involves significant judgement in identifying performance obligations, determining the transaction price (including variable consideration such as change orders and claims), assessing the Company's enforceable right to receive payment for performance completed to date, estimating total contract costs and costs to complete, incorporating cost contingencies for contract-specific risks, and recognising expected losses on onerous contracts when such losses become probable. Given the magnitude of revenue and the complexity of contract accounting under Ind AS 115, we identified this as a Key Audit Matter.	Our audit procedures included: • Evaluating the appropriateness of the Company's revenue recognition policies and their compliance with Ind AS 115. • Testing key internal controls over identification of performance obligations, estimation of total contract costs, assessment of contingencies, evaluation of contract modifications, and recognition of variable consideration. • Examining selected contracts, amendments and related documentation to assess Management's determination of transaction price and contractual rights. • Comparing costs incurred to date with Management's cost-to-complete estimates and performing retrospective review of prior estimates against actual outcomes. • Evaluating Management's assessment of variable consideration through review of contractual terms, customer correspondence and, where relevant, legal assessments. • Performing analytical procedures to identify unusual revenue trends, loss-making or onerous contracts, and significant changes in cost estimates. • Assessing the adequacy of related disclosures in accordance with Ind AS 115 and Schedule III of the Act. Based on the procedures performed, we did not identify any material exceptions in respect of the Company's application of Ind AS 115.

Other Information

7. The Company's Management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's Annual Report, including the Directors' Report and Management Discussion and Analysis Report, but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditor's Report thereon. The Company's Annual Report is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report. Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

8. In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

9. When we read the report containing other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to Those Charged With Governance and take necessary actions, as applicable under the relevant laws and regulations. As on the date of this report, the other information was not made available to us by the Management. Accordingly, we are unable to comment on this matter.

Management's and Board of Directors' Responsibilities for the Standalone Financial Statements

10. The Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the state of affairs, profit and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under Section 133 of the Act.

11. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; selection of appropriate accounting software for ensuring compliance with applicable laws and regulations relating to maintenance of books of account and audit trail requirements; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

12. In preparing the Standalone Financial Statements, the Management and Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

13. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements

14. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

15. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

    - Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

    - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)

(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management and Board of Directors.

- Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's Report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

16. Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in.

    (i) Planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work: and

    (ii) To evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

17. We communicate with Those Charged With Governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

18. We also provide Those Charged With Governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

19. From the matters communicated with Those Charged With Governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our Auditor's Report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

20. The Standalone Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2025 were audited by the predecessor auditors, whose Audit Report dated May 15, 2025 had expressed an unmodified opinion on that Standalone Financial Statement. Our opinion on the Standalone Financial Statement is not modified in respect of this matter.

21. We draw attention to the fact that, for the year ended March 31, 2026, the Company initiated the process of obtaining balance confirmations from Trade Receivables and Trade Payables. As at the date of our report, only a limited number of such confirmations have been received. In cases where confirmations were not available, we performed alternative audit procedures, including verification of underlying contract documents, invoices raised, subsequent receipts/ payments, and review of related correspondence and follow-up communications.

    Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

22. As required under the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sub-section (5) of Section 143 of the Act, we are enclosing our report in **"Annexure A"**.

23. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") as amended, issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable, our report thereon is enclosed as **"Annexure B"**.

24. Non-Compliance with Composition of the Board and Board Committees

We draw attention to the fact that, during the year, the requisite number of Non-Official (Independent) Directors was not in place, resulting in non-compliance with the provisions relating to the composition of the Board and certain mandatory committees thereof, as required under the Act and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"), as amended from time to time. Consequently, the Company did not have a duly constituted Audit Committee in accordance with Section 177 of the Act and Regulation 18 of the SEBI LODR Regulations, nor a duly constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Section 178 of the Act and Regulation 19 of the SEBI LODR Regulations.

Accordingly, the Standalone Financial Statement for the year ended March 31, 2026, is not reviewed by the Audit Committee in accordance with the aforesaid provisions. The Management has informed us that, being a Central Public Sector Enterprise (CPSE), the power to appoint Directors vests with the Government of India, and necessary communications have been made to the Government for the appointment of the required number of Independent Directors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

25. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit;

b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper, adequate returns have been received from all the units of the Company;

c. The standalone Balance Sheet, the standalone Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Statement of Changes in Equity and the standalone Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

d. In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended thereon;

e. The provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification no. G.S.R.463(E) dated June 5, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India;

f. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure C"**. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to financial statements;

g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, as amended, the provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration, are not applicable to the Company, being a Government Company, in terms of the Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015;

h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone Financial Statements- Refer Note No.48 to the Standalone Financial Statements;

ii. The Company has made provision, as required under applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts, including derivative contracts;

iii. There has been no delay in transferring amounts to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended March 31, 2026;

iv. a. The Management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind

of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

b. The Management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

c. Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in these circumstances, nothing has come to the notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material misstatement.

v. The dividend declared/ paid by the Company during the year is in compliance with Section 123 of the Act;

vi. Based on our examination carried out in accordance with the Implementation Guidance on Reporting on Audit Trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (Revised 2024 Edition) issued by the ICAI, which included test checks, except the instances mentioned below, we report that the Company has used an accounting software ie., SAP S/4HANA, for maintaining its books of account, which has a feature of security audit log and recording audit trail (edit log) facility for all relevant transactions recorded in the software:

a. The feature of recording audit trail (edit log) facility was enabled for identified database tables to log data changes for the accounting software used for maintaining the books of account. However, any direct data change to the SAP database tables is not being carried out;

b. Security audit log was enabled in the ERP. The feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software was enabled during the year under audit;

Further, for the periods where audit trail (edit log) facility was enabled and operated, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with during the course of our audit. Additionally, the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

Our examination of the audit trail was in the context of an audit of financial statements carried out in accordance with the Standard of Auditing and only to the extent required by Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014. We have not carried out any audit or examination of the audit trail beyond the matters required by the aforesaid Rule 11(g) nor have we carried out any standalone audit or examination of the audit trail.

For **Babu A. Kallivayalil & Co.,**
Chartered Accountants,
Firm Registration No. 05374S

Alexander Nallanickal Koshy
Partner, Membership No. 007448
UDIN: 26007448ZHJUZE3490

Kochi
May 15, 2026

Annexure A to the Independent Auditors' Report

(Referred to in Paragraph 22 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report of even date to the Members of the Company)

REPORT ON DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA under section 143(5) of the Companies Act, 2013

I. Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.

All the investments made directly by the Company or through Trusts, for Post-retirement benefits of the employees, have been valued appropriately in accordance with the applicable financial reporting framework and applicable regulations. The valuation approach and valuation methodologies applied by the Company for these investments are appropriate and reasonable. No material deviations or misstatements have been observed. A brief note on the valuation approach is attached below:

Brief Note on Valuation Approach

The Company administers Post-retirement employee benefit plans through separate legally constituted Trusts, namely the Cochin Shipyard Limited Employees Group Gratuity (CSLEGG) Trust and the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund (CSLECPF) Trust. The Gratuity Trust represents a funded defined benefit plan governed by the Payment of Gratuity Act, 1972. The Provident Fund Trust, by virtue of the interest rate guarantee provided to members, gives rise to a defined benefit obligation in accordance with Ind AS 19, Employee Benefits.

The defined benefit obligations in respect of the aforesaid plans have been determined by an independent qualified Consulting Actuary using the Projected Unit Credit Method, which is the actuarial valuation method prescribed under Ind AS 19. The actuarial assumptions, including the discount rate, have been determined with reference to market yields on Government securities as at the valuation date, based on the Zero Coupon Sovereign Rupee Yield Curve published by the Clearing Corporation of India Limited (CCIL), in accordance with the requirements of Ind AS 19.

The valuation methodologies applied to the principal categories of investments are summarised below:

Investment Category	Valuation Basis
LIC Group Gratuity Master Policy	Valued based on the fund balance together with interest declared by LIC.
Central Government Securities, State Government Securities and Securities of Public Financial Institutions	Valued in accordance with the applicable accounting and regulatory requirements governing such investments (Cost).
Mutual Fund Investments	Valued based on the Net Asset Value (NAV) prevailing as at the reporting date.

We have also considered the certification and supporting documentation made available by Management regarding compliance of the investment portfolio with the prescribed investment pattern and applicable regulatory requirements.

As the statutory audits of the Trusts for the financial year ended March 31, 2026 were not completed as at the date of this report, our review has been based on the latest audited financial statements made available to us. In addition, we have reviewed the investment statements, actuarial valuation reports and other relevant records relating to the financial year 2025-26 made available to us.

II. Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, whether review of this system and controls that are significant to the Companies' financial reporting process as well as cyber security has been done and material discrepancies found, if any, have been suitably reported? The implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications may also be reported.

The Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system and the same are subject to periodic reviews, and no material discrepancies or significant weaknesses affecting financial reporting were reported during the year.

As confirmed by the Management, there were no accounting transactions processed outside the Company's IT system during the year.

III. Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilised as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.

Based on the information and explanation provided to us and based on the cases verified by us, the Company has properly accounted for the funds received and receivable under schemes of the Central Government in accordance with the applicable accounting standards and the same were utilised by the Company in accordance with the prescribed terms and conditions. In most of the cases, grants are received after incurring the cost and interest earned, if any, cannot be separately determined.

IV. Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?

The Company has generally identified major key risk areas and formulated a Risk Management Policy to mitigate such risks. The overall risk governance framework is overseen by the Board Level Risk Management Committee (BLRMC), Chief Risk Officer (CRO) and Risk Coordinators, ensuring effective identification, assessment, monitoring, and mitigation of risks.

a) As represented by the Management, the Risk Management Policy is aligned with the principles and processes of ISO 31000, a globally recognized framework for risk management; however, the Company has not obtained formal ISO 31000 certification.

b) The Company has evaluated its data-related assets with reference to the requirements of Ind AS 38 - Intangible Assets and the applicable financial reporting framework. Data-related assets that satisfy both the identification and recognition criteria prescribed under Ind AS 38, including identifiability, control, probable future economic benefits, and reliable measurement of cost, have only been recognised, measured, and disclosed in the financial statements.

V. Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.

Based on the information and explanations given to us, Annual Secretarial Compliance Report, Secretarial Audit Report of the Company for the financial year ended March 31, 2026, and audit procedures carried out by us, the Company is generally complying with the SEBI (LODR) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs and Department of Public Enterprises, wherever applicable. We have been informed that there is no compliance requirement in relation to Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India. However, certain exceptions noted by us are as follows:

a. Board Composition and Independent Directors

The Company did not have the requisite number of Independent Directors on its Board as required under the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Companies Act, 2013 and the Corporate Governance Guidelines for Central Public Sector Enterprises (CPSEs). There were no Independent Directors on the Board from April 1, 2025 to May 20, 2025 and only one Independent Director thereafter, resulting in non-compliance with requirements relating to Board composition and separate meetings of Independent Directors.

b. Woman Director / Woman Independent Director

The Company did not have a Woman Independent Director from April 1, 2025 to May 20, 2025 as required under the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and was also non-compliant with the requirement of having at least one Woman Director under the Companies Act, 2013 during the said period.

c. Board Committees

Due to the shortage of Independent Directors, the Company did not have duly constituted Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, CSR and Sustainable Development Committee, and Risk Management Committee for part of the reporting period, resulting in consequential non-compliance relating to the constitution and conduct of committee meetings. The Stakeholders Relationship Committee, CSR and Sustainable Development Committee, and Risk Management Committee were reconstituted with effect from June 1, 2025 following the appointment of an Independent Director.

d. Board Meeting Quorum

The Board Meeting held on May 15, 2025 did not meet the quorum requirement prescribed under Regulation 17(2A) of the SEBI (LODR) Regulations, as no Independent Director was on the Board on that date.

e. Audit Committee Functions

In the absence of a duly constituted Audit Committee, certain matters requiring Audit Committee review and approval, including omnibus approval/review of related party transactions, were placed directly before the Board.

f. Stock Exchange Penalties

The Stock Exchanges imposed fines on the Company for non-compliance relating to the appointment of Independent Directors and the consequent non-constitution of statutory committees. The Company has filed/proposed to file waiver requests, considering that the appointment of Independent Directors is within the purview of the Government of India.

For **Babu A. Kallivayalil & Co.,**
Chartered Accountants,
Firm Registration No. 05374S

Alexander Nallanickal Koshy
Partner,
Membership No. 007448
UDIN: 26007448ZHJUZE3490

Kochi
May 15, 2026

Annexure B to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 23 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date to the Members of the Company)

According to the information and explanations provided to us by the Company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment, Right-of-Use assets and Intangible Assets:

a. A. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and relevant details of Right-of-Use assets in electronic form.

B. The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets in electronic form.

b. The Company has a regular programme of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which all major assets are verified in a phased manner. In accordance with this programme, certain Property, Plant and Equipment were verified during the year. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable, having regard to the size of the Company and the nature of its assets. No material discrepancies were noticed on such verification.

c. Based on our examination of the title deeds, lease agreements and other relevant records, we report that the title deeds of all immovable properties disclosed under Property, Plant and Equipment are held in the name of the Company. In respect of leasehold properties where the Company is the lessee, certain lease agreements/registrations are pending execution or registration as detailed below:

Description of property	Gross Carrying Value (₹ in lakhs)	Held in the name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held since (year)	Reason for not being held in the name of the Company
International Ship Repair Facility (ISRF) Project Land - Phase I located at Willingdon Island, Ernakulam	27,691.68	Cochin Port Authority	No	2012	Pending Registration
ISRF Project Land - Phase II located at Willingdon Island, Ernakulam			No	2017	Pending Registration
Bed of backwater - Reclaimed Land			No	1977	Lease agreement not yet executed
CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) - Berth No. 5,6,7 & 8 of Indira Dock, in Mazgaon, Mumbai	21,014.01	Mumbai Port Authority	No	2018	Pending Registration
CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) - Berth No. 6 at Netaji Subash Dock and Two Dry Docks in Garden Reach, Kolkata.	10.92	Syama Prasad Mookerjee Port (earlier Kolkata Port Trust)	No	2019	Pending Registration
Staff Quarters No. B/1 & B/2 Port Hospital Park, Kolkata.	29.74	Syama Prasad Mookerjee Port (earlier Kolkata Port Trust)	No	2018	Lease agreement not been executed yet
Delhi Transit House Property No. D-306, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi.	101.22	Mrs. Anita Singhal	No	2020	Pending Registration
Sub Contractors Parking Lot, Ernakulam	17.17	Mr. K. Pradeep Kumar	No	2023	Lease agreement not been executed yet

Description of property	Gross Carrying Value (₹ in lakhs)	Held in the name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held since (year)	Reason for not being held in the name of the Company
CVO Guest House at Panampilly Nagar, Ernakulam	11.11	Mr. Sree Kumar Nair and Ms. Sunanda Pillai Viswanth	No	2024	Pending Registration
Covered storage space at Central Warehouse, Kakkanad, Ernakulam	57.48	Central Warehousing Corporation	No	2024	Pending Registration
	76.22			2024	
	51.20			2025	
	53.52			2025	
MBPA Berth No. 9ID at Indira Dock, Mumbai	4,669.80	Mumbai Port Authority	No	2025	Lease agreement not been executed yet

d. The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.

e. There are no proceedings initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 and rules made thereunder.

ii. In respect of Company's inventories

a. The inventories were physically verified during the year by the Management in accordance with the verification programme through an Inventory Physical Verification Committee constituted for this purpose. The Committee also carried out physical verification of inventories on a sample basis. The coverage and procedures of such verification are appropriate having regard to the size of the Company and the nature of its operations. The discrepancies noticed on such physical verification, if any, were not material and have been properly dealt with in the books of account.

As informed to us and based on the physical verification report provided to us, no discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed on such physical verification when compared with the books of account.

b. The Company has been sanctioned working capital and other credit facilities aggregating in excess of ₹5 crore from banks. However, such facilities are not sanctioned on the basis of security of current assets. Accordingly, the Company is not required to file quarterly returns or statements with banks or financial institutions.

iii. During the year, the Company has not provided any security to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. The Company has granted loans, secured or unsecured, to employees and companies, granted advances in the nature of loans to employees, provided guarantee and made investments in a company. The Company has not provided guarantee or made investments in, or granted any loans, secured or unsecured, to firms or limited liability partnerships during the year.

a. The aggregate amount during the year and the balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans, guarantees and securities to subsidiaries, joint ventures and associates and to parties other than subsidiaries, joint ventures and associates are as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	Guarantee	Security	Loans	Advances in the nature of loans
Aggregate amount granted/ provided during the year				
Subsidiaries	12,243.52		500	
Joint Ventures				
Associates				
Others			5.45	1.66

(₹ in lakhs)

Particulars	Guarantee	Security	Loans	Advances in the nature of loans
Balance outstanding as at Balance Sheet date in respect of the above cases				
Subsidiaries	7,814.16		500	
Joint Ventures				
Associates				
Others			4.58	0.40

b. The investments made, guarantees provided and the terms and conditions of the grant of all the above-mentioned loans and guarantees provided during the year are, in our opinion, not prejudicial to the Company's interest.

c. In respect of loans and advances granted by the Company, the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and the repayments or receipts are regular.

d. In respect of loans and advances granted by the Company, there is no overdue amount remaining outstanding as at the Balance Sheet date.

e. No loan or advance in the nature of loan granted by the Company which has fallen due during the year, has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdue of existing loans given to the same parties;

f. The Company has not granted loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment during the year. Hence, reporting under clause 3(iii)(f) of the Order is not applicable

iv. In respect of investments made, loans and guarantees given by the Company, in our opinion the provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 ("the Act") have been complied with. There are no securities given by the Company.

v. The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits from the public. Accordingly, clause 3(v) of the Order is not applicable.

vi. The Company is maintaining the cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act.

We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, as amended prescribed by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that, prima facie, the prescribed cost records have been made and maintained.

We have however, not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.

vii. In respect of statutory dues:

a. The Company is generally been regular in depositing undisputed applicable statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax, duty of customs, goods and service tax (GST), cess and any other statutory dues applicable to it with the appropriate authorities. The Company does not have liability in respect of service tax, duty of excise, sales tax and value added tax during the year since effective July 1, 2017, these statutory dues has been subsumed into GST;

There were no outstanding of aforesaid statutory dues as on March 31, 2026 for a period of more than six months from the date they became payable.

b. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there are no statutory dues relating to GST, provident fund, employees state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of customs, value added tax, cess or other statutory dues which have not been deposited on account of any dispute except in the cases provided as **Annexure D**;

viii. There were no transactions relating to previously unrecorded income that were surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during the year.

ix. a. The Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.

b. To the extent of our knowledge, the company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authorities or other lender.

c. The Company has utilized the money obtained by way of term loans for the purpose for which they were obtained.

d. No funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the Company.

e. The Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries. Further, the Company does not have any associates or joint ventures.

f. The Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries. The Company does not hold any investment in any associate or joint venture during the year ended March 31, 2026.

x. a. The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instrument) during the year. Accordingly, clause 3(x) (a) of the Order is not applicable.

b. During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

xi. To the best of our knowledge,

a. No fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the year.

b. No report has been filed by us or the predecessor auditors of the Company or cost auditors or secretarial auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government in accordance with section 143(12) of the Companies Act, 2013 during the year and up to the date of issuance of this report.

c. As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the Company during the year.

xii. The Company is not a Nidhi company. Hence, the reporting under the provisions of clause (xii) (a), (b) and (c) of the order are not applicable.

xiii. In our opinion, the Company has entered into related party transactions in compliance with the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013, wherever applicable. Since no Audit Committee was constituted during the year, the requirements of Section 177 of the Act relating to approval of related party transactions were not complied with. The details of such related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Indian Accounting Standards (Ind AS).

xiv. a. In our opinion, the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and nature of the business. However, the Company may consider to further strengthen certain aspects of the system to align more closely with the evolving scale and complexity of its operations.

b. We have obtained the internal audit reports for the period under audit, on a timely manner and duly considered by us, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

xv. The Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with its directors during the year and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

xvi. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, the reporting under the provisions of clause (xvi) (a), (b), (c) and (d) of the order does not arise. Further, in our opinion, there is no core investment Company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under this clause is not applicable to the Company.

xvii. The Company has not incurred any cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.

xviii. There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly reporting under this clause does not arise.

xix. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements of the Company, our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidences supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the Audit Report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that

our reporting is based on the facts up to the date of the Audit Report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xx. With regard to Corporate Social Responsibility obligation of the Company, In our opinion:

a. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is no unspent amount under sub-section (5) of Section 135 of the Act pursuant to any project other than ongoing projects. Accordingly, clause 3(xx)(a) of the Order is not applicable.

b. There are no amount remaining unspent to the extent of its statutory obligation, in respect of ongoing projects. Further, the Company is not required to transferred the amount remaining unspent in respect of ongoing projects, to a Special Account as permitted under the sub-section (6) of section 135 of the Act.

xxi. The reporting under this clause is not applicable in respect of audit of Standalone Financial Statements. Accordingly, no comment in respect of this clause has been included in this report.

For **Babu A. Kallivayalil & Co.,**
Chartered Accountants,
Firm Registration No. 05374S

Alexander Nallanickal Koshy
Partner,
Membership No. 007448
UDIN: 26007448ZHJUZE3490

Kochi
May 15, 2026

Annexure C to the Independent Auditor's Report

(Referred to in Paragraph 25(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of the Company of even dated.)

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (I) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT")

Opinion

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of **Cochin Shipyard Limited** (the "Company") as of March 31, 2026, in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

In our opinion, the Company has, in all material respects, reasonably adequate internal financial controls with reference to financial statements and such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2026, based on the internal financial controls with reference to financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note").

Management's and Board of Directors' Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management and the Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal financial controls with reference to financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, prescribed under Section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with Reference to Financial Statements

A company's internal financial controls with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Company's internal financial controls with reference to financial statements includes those policies and procedures that:

a. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;

b. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the Company; and

c. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with Reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

For **Babu A. Kallivayalil & Co.,**
Chartered Accountants,
Firm Registration No. 05374S

Alexander Nallanickal Koshy
Partner,
Membership No. 007448
UDIN: 26007448ZHJUZE3490

Kochi
May 15, 2026

Annexure – D to the Auditors' Report- CARO 2020

(Referred to in Clause vii (b) of Annexure-B to the Auditors' Report of our report to the Members of the Company of even dated.)

Nature of the statute	Nature of Dues		Amount (in lakhs) Disputed	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Employees' State Insurance Act, 1948	Contribution		35.82	April 2008 to July 2013	Hon'ble Employees' State Insurance Court, Alappuzha
	Claim for Damages & Interest for belated remittance		19.84		
Finance Act,1994 (Service Tax)	Amount received from Indian Navy for Design and Development of IAC	Service Tax	1647.47	2004-05	CESTAT, Bangalore
		Interest*	6261.18		
		Penalty	1647.57		
	Amount received from Indian Navy for construction of IAC accounted under the head Management Fee/handling charges on IAC P-71	Service Tax	323.04	2009-10	
		Interest*	1017.61		
		Penalty	323.14		
	Reverse Charge Mechanism (RCM) on towing of barges along with security services, salvage operations, and guaranteed repair obligations.	Service Tax	279.46	2012-13 to 2016-17	
		Interest*	556.19		
		Penalty	279.56		
	Differential turnover in ship repair activities (incl. adoption of lesser assessable value), and disallowance of CENVAT credit availed and utilized.	Service Tax	150.57	2015-16	Commissioner (Appeals)
		Interest*	228.51		
		Penalty	15.06		
Finance Act,1994 (Service Tax)	Levy of Service Tax on the Training fee received by the yard from the Marine Engineering Training Institute (METI) run by the Company	Service Tax	51.24	2016-17 to 2017-18 (upto June 2017)	Commissioner (Appeals)
		Interest	65.81		
		Penalty	5.1		
The Kerala Value Added Tax Act, 2003**	Additions in Taxable Turnover	Tax	787.32	2015-16	Deputy Commissioner of State Tax, Ernakulam
		Interest	582.62		
The Customs Act,1962	Classification of Drawings & Plan for Indigenous Aircraft Carrier	Duty	269.30	March 2016 to Dec 2016	CESTAT, Bangalore
		Duty	103.97	April 2017	
		Duty	306.97		
		Duty	789.71		
		Duty	762.48		
		Duty	1,790.93		
The Customs Act,1962		Duty	230.54	Nov 2017	CESTAT,Bangalore
		Tax (IGST)	296.26		
		Duty	89.59	June 2018	
		Tax (IGST)	108.48		
		Duty	238.96	December 2018	
		Surcharge	23.90		
		Tax (IGST)	318.30		
		Duty	191.22	June 2018	
		Tax (IGST)	231.55		

Nature of the statute	Nature of Dues		Amount (in lakhs) Disputed	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Central Goods and Service Tax Act, 2017 #	Wrong claim of basic customs Duty Exemption Vide Notification No.50/ 2017 and Incorrect claim of 5% IGST Input Tax Credit Vide Notification No.1/ 2017	Duty #	5,857.03	July 2017	Commissioner (Appeals), Central Tax & Central Excise
		Interest	2,424.43		
		Duty	629.34	August 2017 to October 2017	
		Interest	128.97		
		Penalty	230.00		
	Ineligible Input Tax Credit availed and utilised	Tax	83.75	April 2018 to March 2022	
		Penalty	8.38		
	Ineligible Input Tax Credit availed and utilised and short payment of RCM	Tax	9.89		
		Penalty	9.89		
Income Tax Act,1961	Disallowance of Expenditures/ Provisions/ Deductions		126.26	2009-10	Commissioner of Income Tax (Appeals)
			911.07	2013-14	
			331.77	2016-17	
			20.76	2017-18	
Department Appeal's					
Finance Act,1994 (Service Tax)	Erroneous remittance of service tax on the amount of Management fee/ handling charges received/ accounted from Indian Navy	Service Tax	376.67	2003-04 to 2008-09	CESTAT, Bangalore
	Differential turnover in ship repair activities (incl. adoption of lesser assessable value), and disallowance of CENVAT credit availed and utilized.	Service Tax	2,339.64	2012-13 to 2014-15	

* Interest on Service Tax cases, where Company has gone for appeal worked out approximately.

**Rectification petition filed by the Company.

Department has filed an appeal for non-confiscation of goods under section 111(m) & (o) and non-levy of penalty under section 112(a) of the Customs Act,1961.

For **Babu A. Kallivayalil & Co.,**
Chartered Accountants,
Firm Registration No. 05374S

Alexander Nallanickal Koshy
Partner,
Membership No. 007448
UDIN: 26007448ZHJUZE3490

Kochi
May 15, 2026

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15.05.2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2026 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision(s) made in the financial statements by the management, as indicated in Note Nos. 48 A (c) (v) and 48 C of the Standalone Financial Statements, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Velliangiri)
Principal Director of Audit, Shipping

Place: Chennai
Date: 14.08.2026

Standalone Balance Sheet

as at March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	2,91,868.86	2,79,303.10
(b) Capital Work-In-Progress	5	58,349.16	51,078.79
(c) Intangible Assets	6	608.04	1,077.91
(d) Intangible Assets Under Development	7	68.06	68.06
(e) Financial Assets			
(i) Investments	8	47,481.87	35,852.42
(ii) Loans	9	1,124.98	551.52
(iii) Other Financial Assets	10	183.15	160.73
(f) Income Tax Assets (net)	11	2,946.83	2,946.83
(g) Deferred Tax Assets (net)	12	-	7,295.94
(h) Other Non-current Assets	13	1,176.94	1,234.71
Total Non-Current Assets		**4,03,807.89**	**3,79,570.01**
Current Assets			
(a) Inventories	14	2,14,233.63	1,76,096.42
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	15	41,166.30	22,527.71
(ii) Cash and Cash Equivalents	16	678.55	31,083.37
(iii) Bank balances other than (ii) above	17	2,27,024.39	2,71,038.29
(iv) Loans	18	163.99	644.33
(v) Other Financial Assets	19	5,978.07	22,829.29
(c) Current Tax Assets (net)	11	10,230.22	-
(d) Other Current Assets	20	5,04,054.94	4,00,759.81
Total Current Assets		**10,03,530.09**	**9,24,979.22**
Assets held for sale	21	**1,469.50**	**-**
Total Assets		**14,08,807.48**	**13,04,549.23**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity Share Capital	22	13,154.04	13,154.04
(b) Other Equity	23	5,76,128.80	5,47,911.16
Total Equity		**5,89,282.84**	**5,61,065.20**
Liabilities :			
Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	24	2,302.20	2,302.20
(ii) Lease Liabilities	25	52,386.32	44,755.75
(b) Provisions	26	5,294.64	5,229.78
(c) Deferred Tax Liabilities (net)	12	6,625.64	-
(d) Other Non Current Liabilities	27	940.12	5.72
Total Non-Current Liabilities		**67,548.92**	**52,293.45**
Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	28	99,246.59	-
(ii) Lease Liabilities	29	3,527.25	3,025.42
(iii) Trade Payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		10,520.16	9,006.09
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	30	79,939.28	20,291.28
(iv) Other Financial Liabilities	31	28,638.54	28,477.23
(b) Other Current Liabilities	32	4,68,510.53	5,22,613.50
(c) Provisions	33	61,593.37	1,05,129.26
(d) Current tax liabilities (net)	11	-	2,647.80
Total Current Liabilities		**7,51,975.72**	**6,91,190.58**
Total Equity and Liabilities		**14,08,807.48**	**13,04,549.23**
Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3		
Notes to the Standalone Financial Statements	4 - 71		

The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Standalone Statement of Profit & Loss

For the Year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
I Income			
Revenue From Operations	34	430769.07	452784.15
Other Income	35	40457.20	38044.61
Total Income		**471226.27**	**490828.76**
II Expenses:			
Cost of Materials Consumed	36	184018.15	198159.38
Changes in Inventories of Work-in-Progress	37	76.26	(76.26)
Sub Contract and Other Direct Expenses	38	94074.86	79265.04
Employee Benefits Expenses	39	44524.52	40373.69
Finance Costs	40	8316.03	3644.93
Depreciation and Amortisation Expenses	41	11083.22	8364.37
Other Expenses	42	36846.33	35099.66
Provision for Anticipated Losses and Expenditure	43	3647.09	12613.41
Total expenses		**382586.46**	**377444.22**
III Profit Before Exceptional items and tax		**88639.81**	**113384.54**
IV Exceptional Items		-	-
V Profit Before Tax		**88639.81**	**113384.54**
VI Tax Expense:			
(1) Current Tax	11	8851.00	29550.79
(2) Income Tax of prior years	11	(1948.53)	875.11
(3) Deferred Tax	11	17433.00	(1332.00)
VII Profit For The Year		**64304.34**	**84290.64**
VIII Other Comprehensive Income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		(13627.44)	65.96
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		3429.93	(16.60)
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(323.51)	(291.60)
ii) Changes in fair value of FVTOCI equity instruments		3.23	6.71
iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		81.49	73.39
Other Comprehensive Income for the year		**(10436.30)**	**(162.14)**
IX Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		**53868.04**	**84128.50**
X Earnings per Equity Share of ₹5 each :	44		
(1) Basic (₹)		24.44	32.04
(2) Diluted (₹)		24.44	32.04
Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3		
Notes to the Standalone Financial Statements	4 - 71		

The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Standalone Statement of Cash Flows

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	**88,639.81**	**1,13,384.54**
Adjustments for :		
Exceptional items		-
Depreciation and amortisation expense	11,083.22	8,364.37
Dimunition in value of Loose tools	231.78	151.97
Finance cost	8,316.03	3,644.93
Interest income	(16,496.17)	(19,203.15)
Provision for anticipated losses and expenditure	3,429.39	11,953.82
Provision no longer required	(20,762.27)	(14,054.34)
Loss allowance for Trade Receivables	217.70	659.59
Dividend income from Mutual Funds	(148.87)	(72.78)
Dividend income from preference shares	(348.54)	(331.74)
Loss on sale/write off of Property, Plant and Equipment (PPE)	112.54	5.65
Profit on sale of PPE	-	(23.90)
Deferred Govt. Assistance	(1.14)	(1.14)
Net gain /(loss) on foreign currency/ derivative transactions	(7,637.26)	87.62
Bad Debts written off	-	8,614.55
Operating cash flow before working capital changes	**66,636.22**	**1,13,179.99**
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(38,137.21)	(80,202.44)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(1,19,961.09)	(85,876.62)
decrease in trade and other payables	(20,759.46)	41,484.14
	(1,12,221.54)	**(11,414.93)**
Income tax paid net of refunds	(13,062.36)	(14,611.78)
Net cash flows from operating activities (A)	**(1,25,283.90)**	**(26,026.71)**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	(5,565.58)	(14,657.89)
(Increase) / decrease in Intangible assets under development	-	(7.42)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(8,271.21)	(9,531.97)
(Increase) / decrease in Other Bank balances	44,013.90	82,773.79
(Increase) / decrease in Capital advance	(9,475.44)	(19,472.21)
Dividend received	148.87	72.78
Loan to UCSL (Subsidiary)	(500.00)	
Repayment of Loan by UCSL (Subsidiary)	513.22	-
Investment in NCD of DCI	(11,148.00)	
Sale proceeds from PPE	33.64	35.72
Interest received	18,573.72	22,135.78
(Borrowings)/ Repayment of loans	(105.65)	(43.24)
Net cash flows from investing activities (B)	**28,217.47**	**61,305.34**
C. Cash flow from financing activities		
Repayment of lease liability	(3,461.47)	(2,926.97)
Dividend paid	(25,650.38)	(25,650.38)
Proceeds from WCDL/Short term borrowing	4,02,861.60	
Repayment of WCDL/Short term borrowing	(3,03,615.01)	
Finance cost	(3,473.13)	(201.18)
Net cash flows from financing activities (C)	**66,661.61**	**(28,778.53)**
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**(30,404.82)**	**6,500.10**
Cash and cash equivalent at the beginning of the year	**31,083.37**	**24,583.27**
Cash and cash equivalent at the end of the year	**678.55**	**31,083.37**

Standalone Statement of Cash Flows

for the year ended March 31, 2026

Cash Flow Reconciliation:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Cash and cash equivalents at the Balance sheet consists of		
Balance with Banks		
In current account	678.55	1,483.37
Term deposits with original maturity of less than three months	-	29,600.00
Total	**678.55**	**31,083.37**
Cash and cash equivalents for the purpose of Statement of Cash flows	**678.55**	**31,083.37**

1. Statement of Cash Flows are prepared and presented using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and , any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

2. For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

Corporate overview and Material Accounting Policy Information 1 - 3

Notes to the Standalone Financial Statements 4 - 71

The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Standalone Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2026

A. Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2025	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2026
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2024	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2025
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

B. Other Equity

Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	
Balance as at April 01, 2025	**263.56**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,36,688.10**	**12,353.76**	**-**	**(868.90)**	**5,47,911.16**
Profit for the year				64,304.34				64,304.34
Other comprehensive income for the year				(238.79)			(10,197.51)	(10,436.30)
Total comprehensive income for the year				**64,065.55**	**-**	**-**	**(10,197.51)**	**53,868.04**
Dividends				(25,650.38)				(25,650.38)
Transfer to retained earnings							-	0.00
Amortisation of premium		(0.02)						(0.02)
Balance as at March 31, 2026	**263.56**	**93,151.87**	**6,322.75**	**4,75,103.27**	**12,353.76**	**-**	**(11,066.41)**	**5,76,128.80**

Refer Note 23 for further details

Standalone Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2026

B. Other Equity (Contd..)

Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	
Balance as at April 01, 2024	**263.56**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,78,259.34**	**12,353.76**	**-**	**(918.26)**	**4,89,433.05**
Profit for the year				84,290.64				84,290.64
Other comprehensive income for the year				(211.50)			49.36	(162.14)
Total comprehensive income for the year				**84,079.14**			**49.36**	**84,128.50**
Dividends (including taxes)				(25,650.38)				(25,650.38)
Transfer to retained earnings						-	-	0.00
Amortisation of premium		(0.01)						(0.01)
Balance as at March 31, 2025	**263.56**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,36,688.10**	**12,353.76**	**-**	**(868.90)**	**5,47,911.16**

Refer Note 23 for further details

Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3
Notes to the Standalone Financial Statements	4 - 71

The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

1. CORPORATE OVERVIEW AND MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

1.1 Corporate Information:

Cochin Shipyard Limited (referred to as "CSL" or "the Company") is one of the leading shipyards in India, located in the southern state of Kerala. The Company was founded in 1972 and is owned by the Government of India. The Company is primarily engaged in shipbuilding and ship repair, catering to both the domestic and international markets.

The Company is a "Miniratna", Schedule-"A", Category-I CPSE, which is also a public limited Company incorporated and domiciled in India. The registered office of the Company is at Perumanoor, Kochi, Kerala.

As at March 31, 2026, the Government of India holds 67.91% of the Company's equity share capital. The Company's equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax-free bonds are listed for trading on BSE Limited.

The Financial Statements for the year ended March 31,2026 were approved by the Board of Directors and authorized for issue on May 15, 2026 which are subject to the supplementary audit by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) and final approval of the shareholders.

2. Basis of preparation and presentation of Financial Statements

2.1 Statement of compliance

These Financial Statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the Financial Statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

2.2 Functional and Presentation Currency

The Financial Statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Company's presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest Lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

2.3 Basis of Measurement

These Financial Statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Company's normal operating cycle;

ii. the asset is intended for sale or consumption;

iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;

iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;

v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;

vi. in the case of a liability, the Company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the Company has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

(i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of expiry of warranty period.

(ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.4 Use of estimates and judgments

The preparation of the Financial Statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the Financial Statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known/materialize.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.

2.5 Critical Accounting estimates and judgments:

The application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgments and the use of assumptions in the Financial Statements have been disclosed below:

a) Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgments are involved in determining the elements of deferred tax items.

b) Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment.

The Company uses significant judgments in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialized nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined.

For leases denominated in Company's functional currency, the Company considers the incremental borrowing rate to be the interest rate on borrowings from banks available to the Company.

c) Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall / surplus in the provision made earlier, necessary adjustments are made.

d) Litigations

From time to time, the Company is subject to legal proceedings and the ultimate outcome of each being always subject to many uncertainties inherent in litigation. A provision for litigation is made when it is considered probable that a payment will be made and the amount of the loss can be reasonably estimated. Significant judgment is made when evaluating, among other factors, the probability of unfavorable outcome and the liability to make a reasonable estimate of the amount of potential loss. Provision for litigations are reviewed at the end of each accounting period and revisions made for the changes in facts and circumstances.

e) Fair value measurements

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions.

The Company categorizes assets and liabilities measured at fair value into one of three levels depending on the ability to observe inputs employed in their measurement which are described as follows:

(a) Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

(b) Level 2 inputs are inputs that are observable, either directly or indirectly, other than quoted prices included within level 1 for the asset or liability.

(c) Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability reflecting significant modifications to observable related market data or Company's assumptions about pricing by market participants.

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

f) Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

g) Revenue Recognition

The Company exercises significant judgment in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers.

Revenue is recognized over time by measuring the work carried out or survey of performance completed to date under output method. Under this method, works completed to date in each contract are the basis to measure and recognize revenue. The quantum is calculated by each project team based on the technical progress up to the reporting date. The revenue recognized reflects the value of works completed/ measured to date in line with the consideration as determined in the respective contracts.

Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date.

h) Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

3. Material Accounting Policy Information

The Company has consistently applied all the accounting policies to the period presented in this Financial Statements except where a newly issued Accounting Standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The Company presents the material accounting policies under this note, which should be read in conjunction with the information presented and disclosed in the relevant notes referred under these standalone Financial Statements and are considered to be "Material Accounting Policy Information".

3.1 Property , Plant and Equipment (PPE)

Recognition and Measurement:

Items of Property, Plant and Equipment are measured at cost, which includes capitalized borrowing costs,

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. For the items of Property, Plant and Equipment existing as on April 1, 2015 i.e Company's date of transition to IndAS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date.

If significant parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, then they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Spare Parts are capitalized when they meet the definition of Property, Plant and Equipment, i.e., when the Company intends to use these for a period exceeding 12 months, have value of more than ₹5 Lakhs and that can be used only in connection with an item of Property, Plant and Equipment and whose use is expected to be irregular are capitalized and depreciated over the useful life of the spares or principal item of the relevant assets, whichever is lower.

Any gain or loss on disposal of an item of Property, Plant and Equipment is recognized in the Statement of Profit and Loss account.

Subsequent Expenditure:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items is material and can be measured reliably.

3.2 Capital work in progress

Capital work in progress are Property, Plant and Equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP').

3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which is not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortized on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalized as intangible asset and amortized on a straight-line basis over a period of three years.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortized on a straight-line basis over a period of three years.

For the intangible assets existing as on April 1, 2015 i.e Company's date of transition to IndAS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Computer software/ license is under development or is not yet ready for use, accumulated cost incurred on such items are accounted as "Intangible Assets Under Development".

3.4 Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings.

i) As a Lessee:

At the date of commencement of the lease, the Company recognizes a lease liability and a corresponding Right-of-Use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis or another systematic basis over the term of the lease.

Right of Use (RoU) Assets

The Right-of-Use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-Use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments ie., amortised cost under effective interest method.The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. When a lease liability is remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of right of use asset, or is recorded in Statement of Profit and Loss, if carrying amount of the right of use asset has been reduced to nil

Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the RoU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and RoU assets is also suitably adjusted.

The Company presents right of use assets in 'Property, Plant and Equipment' and the lease liabilities separately from other liabilities in the Balance Sheet.

ii) As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease .The difference between the amount recognized as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

3.5 Depreciation

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

- For the assets constructed/developed for International Ship Repair Facility (ISRF) and New Dry Dock Project, depreciation is provided on the basis of useful life as assessed by technical experts.
- For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts.
- Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.
- For certain types of buildings and equipments, based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act.

Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and up to the date of such deletions.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all categories of assets.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Based on the technical evaluation of the management, for few categories of plant and machinery, the useful life is determined on double shift basis.

Capital Work in Progress included under Property, Plant and Equipments are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

3.6 Impairment of Assets -Non Financial Assets

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash-Generating Unit's (CGU) fair value less cost of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, available quoted market prices for public traded companies or other available fair value indicators.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations, which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. To estimate cash flow projections beyond periods covered by the most recent budgets/forecasts, the Company extrapolates cash flow projections in the budget using a steady or declining growth rate for subsequent years, unless an increasing rate can be justified.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognized impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

3.7 Inventories

Inventory valuation is as per provisions of Ind AS 2.

Raw materials and components are valued at weighted average cost method . When they are intended to project use, valuation is done at project specific weighted average cost method.

Work in progress have been valued at lower of cost and net realisable value.

Stores and spares are valued at weighted average cost method.

Goods in transit are valued at cost.

3.8 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognized when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

a) Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognized at the proceeds received net of direct issue cost.

b) Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

- Financial assets at amortized cost;

- Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);
- Financial assets at Fair Value through Statement of Profit and Loss (FVTPL);

i) Financial assets at amortized cost

Financial assets are subsequently measured at amortized cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

ii) Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

iii) Financial assets at Fair Value through Statement of Profit and Loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognized in Statement of Profit and Loss.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Company had made an irrevocable election to present the subsequent changes in the fair value in other comprehensive income. The Company makes such election on an instrument-by- instrument basis. The classification is made on initial recognition/ transition and is irrevocable.

There is no recycling/reclassification of the amounts from OCI to the Statement of Profit and Loss, even on sale/disposal of the said equity investments.

Investment in preference shares/debentures of the subsidiaries are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortized cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortized cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

(1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and

(2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortization is included in other income in the Statement of Profit and Loss.

Impairment of Financial Assets

In accordance with Ind AS 109, the Company applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial Assets that are Debt Instruments, and are measured at amortized cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance

b) Financial Guarantee Contracts which are not subsequently measured as at FVTPL

c) Lease Receivables under Ind AS 116

Simplified Approach

The Company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on Trade Receivables.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognizes lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the Company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

The provision matrix is based on its historically observed default rates over the expected life of the trade receivables and is adjusted for forward-looking estimates. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed. On that basis, the Company estimates provision on trade receivables at the reporting date.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognized at the reporting date is recognized as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

General Approach

For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Company determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-months ECL is used to provide for impairment loss. However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognizing impairment loss allowance based on 12-months ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-months ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized in the Statement of Profit and Loss. The Balance Sheet presentation for various financial instruments is described below:

- Financial Assets measured as at amortized cost: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the Balance Sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.
- Financial Guarantee Contracts: ECL is presented as a provision in the Balance Sheet, i.e. as a liability.
- Debt instruments measured at FVTOCI: Since financial assets are already reflected at fair value, impairment allowance is not further reduced from its value. Rather, ECL amount is presented as 'accumulated impairment amount' in the OCI.

c) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortized cost, as appropriate.

All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortized cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Company's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including Financial Guarantee Contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

- Financial liabilities at Fair Value through Statement of Profit and Loss (FVTPL);
- Financial liabilities at amortized cost;
- Financial Guarantee Contracts;

i) Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

ii) Financial Liabilities at amortized cost

Financial Liabilities that are not held-for-trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortized cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortized cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the Effective Interest Rate (EIR) amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

iii) Financial Guarantee Contracts

Financial Guarantee Contracts issued by the Company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make the payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial Guarantee Contracts are recognized initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount initially recognized less cumulative income recognized in accordance with principles of Ind AS 115.

d) De-recognition of Financial Instruments

A financial asset is de-recognized when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

A financial liability or a part of financial liability is de-recognized from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss.

e) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in Financial Statements if

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

f) Derivative instruments and hedge accounting:

The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. The accounting for subsequent changes in fair value of derivatives depends on the designation or non- designation of derivative as hedging instruments. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Derivative that are designated as Hedge Instrument

The Company undertakes foreign exchange forward contracts for hedging foreign currency risks. The Company generally designates the whole forward contract as hedging instrument.

These hedging instruments are governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors.

At the inception of a hedge relationship, the Company formally designates and documents the hedge relationship to which the Company wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes the Company's risk management objective and strategy for undertaking hedge, the hedging/ economic relationship, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged, hedge ratio and how the entity will assess the effectiveness of changes in the hedging instrument's fair value in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk.

Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that the hedge is actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which it was designated.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognized in the Other Comprehensive Income ('OCI') and accumulated under the heading Cash Flow Hedge Reserve within Equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss and included in the Other Income or Other Expenses as Gain on Derivatives or Loss on Derivatives respectively.

Amounts previously recognized in OCI and accumulated in equity relating to effective portion are reclassified to Statement of Profit and Loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line item as the recognized hedged item or treated as basis adjustment if a hedged forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting.

g) Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer, when that right is conditioned on something other than the passage of time. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

h) Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is

Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

3.9 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

a) Provisions

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Warranty obligations included in this type of provisions are not treated as a separate performance obligation, unless the customer has the option of contracting the warranty separately, therefore they are recognized in accordance with Ind AS 37. These provisions are classified as current liabilities since they relate to the operating construction projects cycle, in line with Ind AS 1.

Provision towards guarantee claims in respect of ships delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case-to-case basis, wherever required.

Provisions for anticipated losses are recognized when it becomes apparent that the total costs expected to fulfil a contract exceed expected contract revenues. For the purpose of determining, where appropriate, the amount of the provision, budgeted contract revenue will include the forecast revenue that is considered probable, in line with Ind AS 37 as well as incremental costs. General costs are not directly attributable to a contract and are therefore excluded from the budgeted cost unless they are explicitly passed on to the counterparty in accordance with the contract, in line with paragraph 68 of Ind AS 37.

b) Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the Financial Statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on the financial position or profitability. The Company does not recognize a contingent liability but discloses its existence in the Financial Statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the Financial Statements where an inflow of economic benefits is probable.

3.10. Asset Held for Sale

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. Such assets are available for immediate sale in their present condition and their sale is highly probable. Non-current assets and disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of their carrying value and fair value less costs to sell.

3.11 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from contracts with customers are measured based on the consideration specified in a contract with a customer (ie., transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable).

At the first instance, revenue recognition process involves identifying the relevant contracts and technical evaluation of the performance obligations, contained therein.

A single performance obligation is identified in shipbuilding and ship repair segments for each vessel, due to the high degree of integration and customization of the various goods and services forming a combined output that is transferred to the customer over time.

The Company choses the appropriate method of measuring the progress of the completion at the contract inception for recognizing revenue over time, and are applied

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

consistently to similar performance obligations under the respective segments and/or activities carried out thereon.

Recognition of revenue for a performance obligation satisfied over time is made only if the Company can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation.

The performance obligations for the Shipbuilding and Ship repair activities carried out by the Company are satisfied over time rather than at a point in time since the Company's performance does not create an asset with an alternative use to the Company i.e. contractual restrictions and practical limitations to readily direct that asset for another use (even in some cases it will be able to do so, it can only be done after significant changes and at significant cost) and it has an enforceable right to payment for performance completed to date.

Revenue is recognized when the Company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for Ship building and Ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue

i) from fixed price portion is recognized using output method .

ii) by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers.

iii) The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the Statement of Profit and Loss when materials are consumed/activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as revenue.

In the case of ship repair contracts involving continuous multiple years maintenance support/ recurring and routine services, the Company opted for time-elapsed output method, i.e, measuring the progress based on time elapsed to reporting date, which is representative of the satisfaction of performance obligation subject to entitlement of consideration in exchange of goods and/or services.

Based on the technical assessment considering the latest available information to the Company, measuring the progress towards complete satisfaction of a performance obligation in the method adopted will be revised/updated on an ongoing basis.

During the initial stages of a contract, where the Company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation and the Company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, revenue will be recognized only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

The Company generally does not recognize any revenue from additional work until it has been approved by the customer. When the scope of work has been approved but the impact on revenue is yet to be valued, the "variable consideration" requirement (as explained below) will apply. This entails recognizing revenue in an amount that is unlikely to be reversed.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based

on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

Revenue from Supply of Base & Depot Spares is recognized based on the satisfaction of performance obligation at a point in time on proof of receipt of goods from customer.

Unlike revenue recognition, amounts billed to the customer are based on the various milestones reached under the contract and on acknowledgement thereof by the customer by means of a contractual document referred to as a progress billing certificate. Therefore, the amounts recognized as revenue for a given year do not necessarily match those billed to or certified by the customer. For contracts in which the revenue recognized exceeds the amount billed or certified, the difference is recognized in as "Contract Asset" under "Other Current Assets", while for contracts in which the revenue recognized is lower than the amount billed or certified, the difference is recognized as "Contract Liability" under "Other Current Liabilities".

Other Operating Revenue with respect to sale of stock items, scrap and consultancy income is recognized at a point in time when the Company satisfies performance obligations and right to receive the income is established as per terms of the contract by transferring promised goods and services to the customer.

Management fee is also recognized over a period of time.

b) Government Grants

Government Grants are recognized when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government Grants are recognized in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognizes as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognized as deferred income, and amortized over the expected useful life of the asset. Other grants are recognized in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Ship Building Financial Assistance (SBFA) is recognized over a period of time in proportion to the expenses / cost incurred and classified under "Revenue from Operations".

Government Grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognized in statement of profit & loss in the period in which they become receivable.

c) Other income

i) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

ii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the Financial Statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement is intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the Financial Statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the Insurance Company.

Other items of income are accounted as and when the right to receive such income arises and it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably.

3.12 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, National Pension Scheme towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

i) Defined Contribution plans

Defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees is made to National Pension Scheme (NPS) and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Company makes contributions to the Cochin Shipyard Employees Mutual Public Welfare Trust and Employees Medical Assistance Trusts, which are charged as expense, as and when they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

ii) Defined benefit plans

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The fund is managed by the trustees of the Cochin Shipyard Ltd Group Gratuity Trust .The liability or asset recognized in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and Loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of Profit and Loss as past service cost.

Provident Fund and Pension Scheme

The Company also makes contribution towards provident fund. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Company's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, then the deficiency shall be made good by the Company. The deficiency, if any assessed by the Company based on actuarial valuation will be provided for in the accounts.

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at

each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

3.13 Taxes on Income

a) Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Current and deferred taxes are recognized in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The Company has determined that interest and penalties related to income taxes, including uncertain tax treatments, do not meet the definition of income taxes, and therefore accounted for them under Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

b) Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The amount of current tax payable or receivable is the best estimate of the tax amount expected to be paid or received that reflects uncertainty related to income taxes, if any. It is measured using the tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset, when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

c) Deferred tax

Deferred tax is recognized using the Balance Sheet approach. Deferred tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

3.14 Operating Segments

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Ship Repair

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

3.15 Recent Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time.

On May 9, 2025, MCA notified the amendments to Ind AS 21 - Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. These amendments aim to provide clearer guidance on assessing currency exchangeability and estimating exchange rates when currencies are not readily exchangeable. The amendments are effective for annual periods beginning on or after April 1, 2025. The Company has assessed that there is no significant impact on its Financial Statements.

Ind AS 12, International Tax Reform – Pillar Two Model Rules applicable immediately - The amendments provide a temporary mandatory relief from deferred tax accounting for top-up tax and disclose that they have applied the relief. This amendment has no applicability or impact on the Company's Financial Statements.

Ind AS 1, Presentation of Financial Statements, applicable w.e.f. April 1, 2025 – The amendment relates to classification of liabilities as current or noncurrent and non-current liabilities with covenants. The Company has applied the amendments to Ind AS 1 relating to Classification of Liabilities as Current or Non-current and Non-current Liabilities with Covenants effective from 1 April 2025. The Company is also evaluating the impact of the specific provisions relating to covenant breaches that become effective from 1 April 2026.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 4 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at April 01, 2025	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2026	As at April 01, 2025	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2026	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54
Buildings	21,778.74	628.27	-	22,407.01	5,279.30	616.86	-	5,896.16	16,510.85	16,499.44
Plant and equipment	50,123.14	3,105.26	1,120.14	52,108.26	15,730.38	1,830.26	995.24	16,565.39	35,542.87	34,392.76
Furniture and fixtures	1,979.93	255.83	44.41	2,191.35	1,134.15	147.06	40.43	1,240.78	950.57	845.78
Vehicles	906.72	60.28	3.57	963.43	512.59	66.35	3.38	575.56	387.87	394.13
Office equipments	942.28	169.00	48.58	1,062.70	544.23	123.97	44.15	624.05	438.65	398.05
Others										
Data Processing Equipments	3,572.99	389.48	120.53	3,841.94	2,195.05	454.37	108.36	2,541.06	1,300.88	1,377.94
Docks and quays	1,06,658.39	2,940.34	-	1,09,598.73	3,137.13	1,940.79	-	5,077.92	1,04,520.81	1,03,521.26
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installations	2,572.65	327.26	0.83	2,899.08	1,525.29	179.42	0.32	1,704.39	1,194.69	1,047.36
Drainage and water supply	649.33	-	-	649.33	3.72	10.98	-	14.70	634.63	645.61
Vessels	95.42	-	-	95.42	16.24	5.65	-	21.89	73.53	79.18
Sub Total	**1,89,868.23**	**7,875.72**	**1,338.06**	**1,96,405.89**	**30,078.08**	**5,375.71**	**1,191.88**	**34,261.90**	**1,62,143.99**	**1,59,790.15**
b) Assets on leased premises										
Buildings	2,768.51	149.56	-	2,918.07	1,059.69	145.12	-	1,204.81	1,713.26	1,708.82
Plant and equipment	82,213.45	7,315.29	-	89,528.74	2,496.70	2,994.03	-	5,490.73	84,038.01	79,716.75
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	660.38	34.81	-	695.19	359.07	55.33	-	414.40	280.79	301.31
	85,651.96	**7,499.66**	**-**	**93,151.62**	**3,923.81**	**3,194.48**	**-**	**7,118.29**	**86,033.33**	**81,728.15**
Total (a)+(b)	**2,75,520.19**	**15,375.38**	**1,338.06**	**2,89,557.51**	**34,001.89**	**8,570.19**	**1,191.88**	**41,380.19**	**2,48,177.32**	**2,41,518.30**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	41,526.26	7,444.60	-	48,970.86	8,554.48	1,534.18	-	10,088.66	38,882.20	32,971.78
Right of Use - Buildings	186.59	154.74	-	341.33	158.90	38.31	-	197.21	144.12	27.69
Right to use ship repair facility	7,000.00		-	7,000.00	2,214.67	120.11	-	2,334.78	4,665.22	4,785.33
Sub Total	**48,712.85**	**7,599.34**	**-**	**56,312.19**	**10,928.05**	**1,692.60**	**-**	**12,620.65**	**43,691.54**	**37,784.80**
Total(a+b+c)	**3,24,233.04**	**22,974.72**	**1,338.06**	**3,45,869.70**	**44,929.94**	**10,262.79**	**1,191.88**	**54,000.84**	**2,91,868.86**	**2,79,303.10**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 4 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at April 01, 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2025	As at April 01, 2024	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54			587.54	-			-	587.54	587.54
Buildings	18,450.18	3,328.56	-	21,778.74	4,701.94	577.36	-	5,279.30	16,499.44	13,748.24
Plant and equipment	21,692.45	28,440.77	10.08	50,123.14	14,201.34	1,534.47	5.43	15,730.38	34,392.76	7,491.11
Furniture and fixtures	1,865.12	115.63	0.82	1,979.93	983.55	150.77	0.17	1,134.15	845.78	881.57
Vehicles	643.29	277.66	14.23	906.72	467.08	57.72	12.21	512.59	394.13	176.21
Office equipment	675.19	267.78	0.69	942.28	433.17	111.47	0.41	544.23	398.05	242.02
Others					-					-
Data Processing Equipments	2,919.04	814.20	160.25	3,572.99	1,970.55	374.88	150.38	2,195.05	1,377.94	948.49
Docks and quays	4,466.45	1,02,191.94	-	1,06,658.39	2,740.19	396.94	-	3,137.13	1,03,521.26	1,726.26
Railway sidings	1.10			1.10	-			-	1.10	1.10
Electrical installation	2,280.77	291.88	-	2,572.65	1,362.38	162.91	-	1,525.29	1,047.36	918.39
Drainage and water supply	23.55	625.78	-	649.33	2.05	1.67	-	3.72	645.61	21.50
Vessels	56.42	39.00	-	95.42	12.22	4.02	-	16.24	79.18	44.20
Sub Total	**53,661.10**	**1,36,393.20**	**186.07**	**1,89,868.23**	**26,874.47**	**3,372.21**	**168.60**	**30,078.08**	**1,59,790.15**	**26,786.63**
b) Assets on leased premises										
Buildings	2,589.68	178.83	-	2,768.51	911.39	148.30	-	1,059.69	1,708.82	1,678.29
Plant and equipment	2,712.28	79,501.17	-	82,213.45	273.21	2,223.49	-	2,496.70	79,716.75	2,439.07
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	579.83	80.55	-	660.38	308.17	50.90	-	359.07	301.31	271.66
Sub Total	**5,891.41**	**79,760.55**	**-**	**85,651.96**	**1,501.12**	**2,422.69**	**-**	**3,923.81**	**81,728.15**	**4,390.29**
Total (a)+(b)	**59,552.51**	**2,16,153.75**	**186.07**	**2,75,520.19**	**28,375.59**	**5,794.90**	**168.60**	**34,001.89**	**2,41,518.30**	**31,176.92**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	41,352.45	173.81		41,526.26	7,089.97	1,464.51	-	8,554.48	32,971.78	34,262.48
Right of Use - Buildings	175.48	11.11		186.59	136.78	22.12	-	158.90	27.69	38.70
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00			7,000.00	2,004.33	210.34		2,214.67	4,785.33	4,995.67
Sub Total	**48,527.93**	**184.92**	**-**	**48,712.85**	**9,231.08**	**1,696.97**	**-**	**10,928.05**	**37,784.80**	**39,296.85**
Total(a+b+c)	**1,08,080.44**	**2,16,338.67**	**186.07**	**3,24,233.04**	**37,606.67**	**7,491.87**	**168.60**	**44,929.94**	**2,79,303.10**	**70,473.77**

a) Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Kochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

b) Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

c) Freehold land includes landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala provided as security for issue of Tax free bonds.

d) The Company has bearer plants in its premises and other sites which generates nominal income .Cost of such bearer plants cannot be reliably measured and hence these plants were not capitalized.

e) Title deeds of all immovable properties (ie freehold land) are held in the name of the Company.

f) In the case of following properties where the Company is the lessee, lease agreements are duly executed in favour of the lessee with the following exceptions:

1. The Company has taken 8.12 HA of land (re-measured as 8.1164HA) and 15 HA of water body on lease from Cochin Port Authority (CoPA) on 12 April 2013 (1st phase) .CSL has also taken 8.134 HA of additional land area on lease from CoPA on 16 Nov 2017 (2nd phase).Two lease agreements (ie 1st phase allotment of land/waterbody and 2nd phase allotment of land) were entered between CSL & CoPA and both lease deeds have not been registered.

2. The Company has executed concessionaire agreements with the Mumbai Port Authority(MBPA) and Syama Prasad Mukherjee Port Authority (SMPA) to Upgrade,Operate and Manage Ship Repair facility at Hughes Dry Dock and specified berths at Indira Dock of MBPA and two dry docks and Berth No.6 of Netaji Subash Dock of SMPA respectively.

   The project site at MBPA is taken on license for 29 years. The license agreement is yet to be registered, as a request submitted for waiver of the stamp duty to the Government of Maharashtra is under consideration.

   The project site at Syama Prasad Mukherjee Port Authority is taken on license for 30 years.As license agreement does not attract stamp duty and registration charges in West Bengal ,Concession Agreement with SMPA has not been registered.

g) The Right to use of land and ship repair facility represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be depreciated over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

During the Financial year 2025-26, the Company executed an addendum to the contract agreement with Cochin Port Trust, extending the lease period for further 30 years ie. Till 08.01.2078. Consequently, Right of use of land and ship repair facility has been remeasured and depreciated over a revised period of 60 years. The lease liability also has been remeasured to reflect the revised payments over the extended 60-year period.

h) In the case of following properties where the Company is the lessee, lease agreements are yet to be executed:

(1) Staff quarters at Kolkata held in the name of Syama Prasad Mookerjee Port Authority has been allotted to CSL. Lease agreement is yet to be executed.

(2) Bed of Backwaters- Reclaimed Land (Land/water area) of 1.914' ha has been allotted to CSL by CoPA.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(3) Parking Space to Subcontractors (3.80 Ares) is taken on lease from Mr.K.Pradeep Kumar of which the prevailing lease contract period has been expired on 14.12.2025. Revised lease agreement is yet to be executed.

(4) Additional Berth No. 9 at Indira Dock is alloted to CSL by MBPA (Land Area : 1501.20 Sq. Mtrs. And Water Front Area : 3753 Sq. Mtrs.) for which lease agreement is yet to be executed. The tenure of this lease is coterminus with the existing concession period expiring on 17.01.2048.

i) Registration is pending in case of following leasehold properties:

Description of Property	Area	Held in the name of
Transit House at New Delhi	2,200 sq.ft	Mrs.Anita Singhal
CVO Guest House at Kochi	3,721 sq.ft	Mr.Sree Kumar Nair and Ms. Sunanda Pillai Viswanath
Covered Storage Space at Kakkanad	10,887 sq.ft	Central Warehousing Corporation
	14,854 sq.ft	
	9526 sq. ft.	
	9526 sq. ft.	

j) As at March 31, 2026, there were no plant and equipment (previous year carrying value ₹403.40 Lakhs) which were temporarily idle.

k) The Gross carrying value of assets of ₹19375.00 Lakhs (previous year ₹17918.81 Lakhs) have been fully depreciated, but still are in use.

l) There were no additions on Property, Plant & Equipments on account of Research & development (previous year ₹2.83 Lakhs relating to welding technology).

m) Current year deductions include scrapping / retirement of assets valued at ₹ 146.17 Lakhs (Previous year ₹17.47 Lakhs) which has a Deemed Cost ₹ 1338.05 Lakhs (Previous year ₹186.07 Lakhs). This includes old assets having WDV of ₹107.42 Lakhs retired by the Company on the basis of recommendations of the Committee constituted by the Management to examine and verify the untraceable assets as part of the implementation of the RFID-based asset tagging system.

n) During the financial year, the Company has further capitalised an amount of ₹ 18,060.36 Lakhs (Previous Year: ₹ 79,344.26 Lakhs) and ₹ 4,462.18 Lakhs (Previous Year: ₹ 1,31,938.92 Lakhs) for the projects 'International Ship Repair Facility' and 'New Dry Dock' respectively.

Depreciation on these assets has been calculated considering the useful lives as determined by the management based on technical estimates made and on double shift basis. The useful lives adopted as per technical estimates are detailed in the table below;

International Ship Repair Facility **Useful life in years**

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management
A. Ship lift Components			
Winches ,Control Tower,Ship inhaul/Mooring,Special Tool Kit	Plant & Machinery	10	28
Platform steel work	Plant & Machinery	10	55
Wheel fender	Plant & Machinery	10	17
B. Ship Transfer Components			
Trestles,Bogies,Spare Parts,Special Tool kit	Plant & Machinery	10	28

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management
C. Other assets			
Flat top tower cranes	Plant & Machinery	10	40
Ship lift & Transfer related facility			
Jetty 1,Jetty 2,Connection Jetty,Workstation North,Workstation South	Plant & Machinery	10	28

New Dry Dock **Useful life in years**

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management
Dry Dock Civil	Plant & Machinery	10	60
Pump House	Building	60	60
Caisson Gate	Plant & Machinery	10	60
600T Rail Mounted Gantry Crane	Plant & Machinery	10	40

Note 5 : Capital Work -In -Progress

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Plant and machinery, Buildings and Civil works	54,800.32	37,288.51
Add: Expenditure during construction	1,830.93	1,924.08
Capital yard items	1,717.91	11,865.81
Goods in Transit	-	0.39
Total	**58,349.16**	**51,078.79**

Expenditure during construction

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Opening Balance	1,924.08	12,141.82
Add:Expenses during the year		
Salaries	-	205.27
Depreciation under Ind AS116	-	169.49
Finance cost under Ind AS116	-	544.61
Transferred to PPE	(93.15)	(11,137.11)
Total	**1,830.93**	**1,924.08**

Capital Work -In -Progress (CWIP) includes capital expenditure on Research & development relating to Autonomous Surface Vessel (ASV) amounting to ₹ 757.75 Lakhs (Previous year -Nil).

The Company has been engaged in a pilot Research and Development project under the R&D initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) - ASV- approved for partial funding of ₹2000 Lakhs (Project under execution; vessel under construction).

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

The Company had recognized the net cost incurred on this project (after reducing the grant) as Research & Development (R&D) expenditure in the Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2025. At that stage, the ownership position was not yet clarified. The MoPSW has now formally clarified that the ownership of this R&D asset rests with the Company.

The ASV is still under construction and has been reclassified as "Capital Work In Progress" until completion.

The Company will continue to monitor developments and review the valuation and classification of these assets in subsequent periods as necessary.

CWIP Ageing schedule as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Capital Work In Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	38,199.64	17,236.23	1,691.83	1,221.46	58,349.16
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

CWIP Ageing schedule as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Capital Work In Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	47,158.04	2,827.58	981.63	111.54	51,078.79
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Overdue CWIP as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Capital Work In Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
New Drydock For Large Ships	36,231.01	-	-	-
CKSRU Caisson Gate	1,908.96	-	-	-
MDP Upgradation - CKSRU	35.00	-	-	-
Integrated Security System		138.59	-	-
Electrical System At CKSRU	8.92	-	-	-
500Kwp Grid Connected Solar Power Plant At Various	144.76	-	-	-
10T LLTT Crane	9.46	-	-	-
CCTV Work At SBOC & MCS	1.70	-	-	-

Overdue CWIP as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Capital Work In Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
New Drydock For Large Ships	28,150.79	-	-	-
ISRF	17,772.57	-	-	-
CKSRU Caisson Gate	1,908.96	-	-	-
CMSRU Tower Crane	563.77	-	-	-
Aluminium Roofing Hull Shop	-	393.22	-	-
CNC Plasma Cum Oxy Fuel Plate Cutting Machine	315.48	-	-	-
Tower Crane At CKSRU	264.58	-	-	-
Integrated Security System	204.68	-	-	-
Conference Hall Renovation Of Business Development	117.75	-	-	-
Fire Main System	107.59	-	-	-
EWSB With Socket Outlet 4 Hc Bbt Hc Bay	102.01	-	-	-
Construction Of Skid For Block Fabrication At SSD	71.27	-	-	-
300KWP Solar Power Plant Near General Store	68.66	-	-	-
Replacement Of 5/Hc Bbt At Hc Bay Of Hull	46.01	-	-	-
Load Cell 150 T Crane	38.02	-	-	-
DSL System For Eot Crane	36.20	-	-	-
Switch Boards At Engine Shop And Machine Shop	25.56	-	-	-
Fixing Of Gratings In BD Pump Pit	20.47	-	-	-
DSL System For 50T Crane	20.11	-	-	-
Remodelling Gates,Visitors Centre,Golden Plaza	6.90	-	-	-
Mezzanine Floor In Hdd Building at CMSRU	2.50	-	-	-
Designing Of Movable Shed	2.31	-	-	-

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 6 : Intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at April 01, 2025	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2026	As at April 01, 2025	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As atMarch 31, 2026	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Internally generated weld procedure	27.67			27.67	27.67			27.67	-	-
Computer software	4,964.56	350.56		5,315.12	3,886.65	820.43		4,707.08	608.04	1,077.91
Total	**4,992.23**	**350.56**	**-**	**5,342.79**	**3,914.32**	**820.43**	**-**	**4,734.75**	**608.04**	**1,077.91**

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2025	As at 1st Apr 2024	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	4,579.26	385.30	-	4,964.56	2,844.66	1,041.99	-	3,886.65	1,077.91	1,734.60
Total	**4,606.93**	**385.30**	**-**	**4,992.23**	**2,872.33**	**1,041.99**	**-**	**3,914.32**	**1,077.91**	**1,734.60**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 7 : Intangible assets under development

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Intangible assets under development	68.06	68.06
Total	**68.06**	**68.06**

Intangible assets under development Ageing schedule as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	Amount in IAUD for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	-	7.43	-	60.63
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Intangible assets under development Ageing schedule as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	Amount in IAUD for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	7.43	-	32.18	28.45
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Overdue Intangible assets under development as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Repository - CANSRU	68.06			

Overdue Intangible assets under development as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Repository - CANSRU	68.06			

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 8 : Investments-Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	Face value per unit	Number of units as on March 31, 2026	Number of units as on March 31, 2025	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unquoted (Fully Paid up)					
Investment in equity instrument					
a) At Cost					
Equity shares in subsidiary companies					
Hooghly Cochin Shipyard Ltd	10	14,00,00,000	14,00,00,000	13,935.34	13,935.34
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Ltd)	10	10,80,00,000	10,80,00,000	10,800.00	10,800.00
b) At Fair Value Through Other Comprehensive Income					
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares	100	2,175	2,175	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited	10	70,000	70,000	20.31	17.08
Cochin Waste 2 Energy Private Limited	10	1,00,000	1,00,000	0.00	0.00
Investment in Debt Instruments					
a) At AmortisedCost					
6% Cumulative Redeemable Preference Shares of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, (Redemption at any time at the option of the Company but not later than 10 years from the date of allotment.)	10	5,60,00,000	5,60,00,000	7,229.00	6,880.46
6.15% Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd (The duration of the debentures is 120 months with an option to redeem after 5 years from the date of allottment)	1000	3,10,000	3,10,000	3,198.72	3,198.72
6% Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Udupi Cochin Shipyard Ltd. (Formerly Tebma Shipyards Limited) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd (Redeemable at par at the end of 84 months)	1000	1,00,000	1,00,000	1,018.64	1,018.64
7.72% Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Dredging Corporation of India Ltd. (DCIL) (Redeemable at par at the end of 10 years)	100000	11,148	-	11,277.68	-
Total				**47,481.87**	**35,852.42**
Aggregate value of quoted investments and market value thereof				-	-
Aggregate value of unquoted investment				47,481.87	35,852.42
Aggreagate amount of impairment in value of investments				10.00	10.00

a) Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste 2 Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil. Similarly, increase in value of investment in Kerala Enviro Infrastructure Limited is noticed and accordingly investment is fair valued.

b) The Company's Investment in Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited are non-participative shares and normally does not carry any voting rights. Hence, the Company has carried this investment at its transaction value considering to be its fair value.

c) The Company had invested in the equity share capital of Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), a sum of ₹ 13,935.34 Lakhs, comprising of 14,00,00,000 shares of ₹ 10 each, during the period from 2017 to 2024. Out of the above 11,80,00,000 shares of ₹ 10 each were acquired through rights share.

d) The Company had acquired Tebma Shipyards Limited, now renamed as Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL), by an Order of NCLT, Chennai by investing ₹ 6500.00 Lakhs comprising of 6,50,00,000 shares of ₹10 each.The Company had made further investment of ₹2500.00 Lakhs comprising of 2,50,00,000 shares of ₹ 10 each during FY 2022-23 and ₹ 1800.00 Lakhs comprising of 1,80,00,000 shares of ₹ 10 each during FY 2023-24 both on a rights basis in UCSL.

e) The equity shares issued on rights basis shall rank pari passu with the existing equity shares of the Company in all respects.The above investment are accounted at cost in accordance with IND AS 27-Separate Financial Statement.

f) In February 2026, the Company invested in 11,148 Secured, Unrated, Unlisted, Redeemable, Non-Convertible Debentures (NCD) of Dredging Corporation of India Limited (DCIL) having a face value of ₹ 1,00,000 each, aggregating to ₹ 11,148.00 Lakhs. Mode of placement of the NCDs were private placement. The NCDs carry a coupon rate of 7.72% per annum and are redeemable at par at the end of 10 years from the date of allotment, with an option available to DCIL to redeem the NCDs earlier at the end of 5 years. Subscription to NCD was part of the agreement to enable DCI to fund the 12,000 Cu.M Trailer Suction Hopper Dredger (TSHD) "DR-Godavari", under the Shipbuilding Contract entered into between DCIL and CSL.

The Debentures are secured by pari-passu hypothecation and charge over all contractual rights and benefits arising out of the said contract during the pre-delivery period. Upon completion of construction and delivery of the Dredger, the security shall be on the dredger so delivered.

Note 9: Loans - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured, considered good:		
(a) Loans to related parties		
Udupi Cochin Shipyard Ltd*	500.00	-
(b) Other Loans		
Loan to employees		
Related parties	3.71	-
Others	621.27	551.52
Total	**1124.98**	**551.52**

No signficant increase in credit risk or credit impairment

*The Company infused ₹ 500 Lakhs as unsecured loan to Udupi Cochin Shipyard Ltd on 06.10.2025, carrying an interest rate of 6.25% p.a. for a tenure of 5 years.

Note 10: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Security deposits	144.45	122.81
Accrued Lease Rental Asset	38.70	37.92
Total	**183.15**	**160.73**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 11: Income tax assets / (liability) (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	2,946.83	2,946.83
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	10,230.22	(2,647.80)

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Current tax:		
Current income tax charge	8,851.00	29,550.79
Adjustment in respect of prior years	(1,948.53)	875.11
Total (A)	**6,902.47**	**30,425.90**
Deferred tax:		
In respect of current year	17,433.00	(1,332.00)
Total (B)	**17,433.00**	**(1,332.00)**
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	**24,335.47**	**29,093.90**

(₹ in lakhs)

Income tax recognised in the Other Comprehensive Income	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Deferred tax:		
Arising on income and expenses recognised in Other Comprehensive Income	-	-
Effective portion of gain/loss on cash flow hedges	(3,429.93)	-
Remeasurement of defined benefit obligations	(81.49)	-
Total	**(3,511.42)**	**-**
Income tax recognised in the Other Comprehensive Income	**(3,511.42)**	**-**

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Profit before tax	88,639.81	1,13,384.54
Income tax expense calculated at respective applicable rates	22,308.87	28,536.62
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	3,519.32	7,932.16
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(13,738.96)	(7,343.52)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	450.25	393.76
Others	(3,688.48)	31.77
	8,851.00	**29,550.79**
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(1,948.53)	875.11
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	17,433.00	(1,332.00)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	**24,335.47**	**29,093.90**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 12: Deferred tax Assets/(Liabilities) (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Deferred tax liabilities	(14,430.31)	(6,952.68)
Deferred tax assets	7,804.67	14,248.62
Total	**(6,625.64)**	**7,295.94**

Deferred tax Assets/(Liabilities) in relation to FY 2025-26

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Recognised in Statement of OCI	Closing Balance
Provisions	11,767.57	(5,151.57)	-	-	6,616.00
Property, plant and equipment	(6,924.46)	(7,253.32)	-	-	(14,177.78)
Intangible assets	(29.95)	106.27	-	-	76.32
Leased Assets	2,814.84	832.27	-	-	3,647.11
Leased Liabilities	(733.62)	(137.96)	-	-	(871.58)
Others	401.56	(5,828.69)	-	3,511.42	(1,915.71)
Total	**7,295.94**	**(17,433.00)**	**-**	**3,511.42**	**(6,625.64)**

Deferred tax Assets/(Liabilities) in relation to FY 2024-25

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Recognised in Statement of OCI	Closing Balance
Provisions	6,187.27	5,580.30	-	-	11,767.57
Property, plant and equipment	(1,551.39)	(5,373.07)	-	-	(6,924.46)
Intangible assets	(258.36)	228.41	-	-	(29.95)
Leased Assets	2,287.08	527.76	-	-	2,814.84
Leased Liabilities	(670.46)	(63.16)	-	-	(733.62)
Others	(30.20)	431.76	-	-	401.56
Total	**5,963.94**	**1,332.00**	**-**	**-**	**7,295.94**

Note 13: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured, considered good		
Capital advances*	907.90	1,004.51
Advances other than capital advances:		
Security deposits	269.04	230.20
Total * **	**1,176.94**	**1,234.71**

* Includes advance given to subsidiaries ₹ 484.00 Lakhs (previous year - ₹484.00 Lakhs)

The Company has given capital advances amounting to ₹132.03 Lakhs towards procurement of materials, equipments, machineries, services etc to the vendors/service providers which are fully covered by bank guarantees of an equal amount issued by the commercial banks and the guarantees are enforceable.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 14 : Inventories

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Raw Materials and components	1,94,624.52	1,53,773.13
Work in Progress	-	76.26
Goods-in transit	17,190.98	19,384.59
	2,11,815.50	**1,73,233.98**
Stores & Spares	1,209.78	1,255.36
Goods-in transit	-	630.36
	1,209.78	**1,885.72**
Loose tools	1,208.35	976.72
Total *	**2,14,233.63**	**1,76,096.42**

Stores & Spares represents spares of general nature and are not related to a particular asset.

* Includes Materials Pending Inspection as on March 31, 2026 comes to ₹11429.13 Lakhs (previous year ₹14426.93 Lakhs)

Inventories include goods amounting to ₹ 7695.04 Lakhs held at M/s BEL premises as on March 31, 2026 (Previous Year ₹ Nil). The Company has obtained legal ownership and control over these goods, with insurance and security maintained by the bailee. The goods are classified under Raw Materials and components in the ordinary course of business.

Inventories include Loose Tools amounting to ₹ 1208.35 Lakhs (Previous Year ₹ 976.72 Lakhs) reclassified by the Company during the Financial Year 2025-26, in compliance with the Schedule III of Companies Act, 2013.

Note 15 : Trade Receivables-Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	41,166.30	22,527.71
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	512.23	2,546.47
Less: Allowance for Expected credit loss	(512.23)	(2,546.47)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Less: Allowance for Expected credit loss	-	-
Total *	**41,166.30**	**22,527.71**

* Includes Trade receivable from subsidiaries ₹ 101.64 Lakhs for FY 2025-26 and ₹114.78 Lakhs for FY 2024-25

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Trade Receivables ageing schedule as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	32,170.45	8,679.35	33.90	282.58	0.02	41,166.30
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	1.31	38.76	213.64	253.71

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	258.52	258.52
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
	-	**32,170.45**	**8,679.35**	**35.21**	**321.34**	**472.18**	**41,678.53**
Less: Expected Credit Loss provision as on March 31, 2026							512.23
Trade receivable as on March 31, 2026							**41,166.30**

Trade Receivables ageing schedule as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	18,730.00	1,725.78	1,889.17	182.73	0.02	22,527.70
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	71.71	31.11	2,309.11	2,411.93
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	134.55	134.55
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
	-	**18,730.00**	**1,725.78**	**1,960.88**	**213.84**	**2,443.68**	**25,074.18**
Less: Expected Credit Loss provision as on March 31, 2025							2,546.47
Trade receivable as on March 31, 2025							**22,527.71**

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Opening balance	**2,546.47**	**12,125.92**
Add: Additions during the year	293.63	631.61
Less: Reversals/withdrawals during the year	2,327.87	10,211.06
Closing Balance	**512.23**	**2,546.47**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 16 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Cash on hand	-	-
Balance with Banks		
In current account	678.55	1,483.37
Term deposits with original maturity of less than three months		29,600.00
Total	**678.55**	**31,083.37**

Note 17 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Lien Marked Term deposits*	2,037.27	2,030.72
Balance held on behalf of Indian Navy**	2,21,099.66	2,68,583.42
Balance held on behalf of UTLA***	47.01	77.04
Balance held on behalf of A&N***	3,755.58	155.24
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	84.87	191.87
Total	**2,27,024.39**	**2,71,038.29**

*Lien Marked Term deposits represents deposits in which lien is marked in favour of State Bank of India & IDBI for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company & ₹ 120.69 Lakhs (previous year ₹ 113.57 Lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

**Funds parked by Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier and Next generation Missile Vessels are held in separate accounts. It includes Sweep-In Term-deposits of ₹ 2,20,582.94 Lakhs created from the respective accounts.

***Sweep-In Term-deposits of ₹ 20 Lakhs and ₹ 3738.37 Lakhs are included in the funds parked by UTLA and A&N account respectively.

Note 18 : Loans - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured, considered good:		
(a) Loans to related parties		
Udupi Cochin Shipyard Ltd*	-	513.22
(b) Other Loans		
Employee advances		
Related parties	1.27	0.18
Others	162.72	130.93
Total	**163.99**	**644.33**

No signficant increase in credit risk or credit impairment

*The Company infused ₹500 Lakhs as unsecured loan to Udupi Cochin Shipyard Ltd, the Subsidiary Company on 18.09.2020 for meeting expenses during its operational phase, carrying an interest rate of 5.5% p.a. for a tenure of 5 years. The same was repaid on 17.09.2025

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 19 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Interest accrued on Bank Deposits	4,165.41	6,415.82
Interest accrued on employee advances		
Related parties	1.76	-
Others	198.84	157.42
Ship Building Financial Assistance	1,605.57	13,750.15
Foreign Exchange Derivatives Assets	6.49	2,505.90
Total	**5,978.07**	**22,829.29**

During the year the Company has regrouped the Ship Building Financial Assistance for delivered vessels under 'Other Financial Assets - Current' which was hitherto grouped under 'Trade Receivables-Current' amounting to ₹1605.57 Lakhs (Previous year ₹ 418.26 Lakhs) for more appropriate presentation.

Note 20 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured advances		
Advances other than Capital advances		
Advances to related party*	5,286.17	3,526.92
Other advances	1,98,071.27	1,73,966.02
Advances considered doubtful	0.07	0.07
	2,03,357.51	**1,77,493.01**
Less: Provision for doubtful advances	0.07	0.07
	2,03,357.44	**1,77,492.94**
Others		
Contract Assets for other works	1,25,768.02	89,630.82
Obsolete stock	1,541.49	316.79
Less: Provision for obsolesence**	(1,541.49)	(316.79)
Balance with Revenue authorities	1,946.02	1,768.40
Miscellaneous deposits	34.42	39.07
Prepaid expenditure	1,323.33	1,515.38
Input Tax Credit on GST	1,39,099.91	1,25,337.85
Medical Insurance Premium	2,907.72	2,635.97
Ship Building Financial Assistance	27,651.56	214.14
Miscellaneous current assets***	1,966.52	2,125.24
Total	**5,04,054.94**	**4,00,759.81**

* Includes advance given/receivables from subsidiaries ₹ 5286.17 Lakhs for FY 2025-26 and ₹3526.92 Lakhs for FY 2024-25

The Company has given advances amounting to ₹181461.59 Lakhs towards procurement of materials, equipments, machineries, services etc to the vendors/service providers which are fully covered by bank guarantees of an equal amount issued by the commercial banks and the guarantees are enforceable.

**The Company assesses the movement of inventory at each Balance Sheet date.Since inventories are contract /project specific & each contract/project with different customers is distinct and having different characteristics, items are not ordinarily inter-changeable and unique in nature, therefore arriving at their net realizable value is not practical.As a practical expedient, the Company uses a graded provision matrix based on aging to determine the provision for slow-moving and obsolete inventory, which is then recognized in the Statement of Profit and Loss.

***The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Company decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 and such excess amount is classified under Miscellaneous Current Assets.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

During the year the Company has regrouped the Ship Building Financial Assistance for vessels under construction under 'Other Current Assets' which was hitherto grouped under 'Other Financial Assets - Non Current' amounting to ₹ 27651.56 Lakhs (Previous Year ₹ 214.14 Lakhs) for better presentation.

Note 21 : Assets held for sale

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Asset held for sale	1469.50	0.00
Total	**1,469.50**	**-**

The Company has been engaged in a pilot Research and Development project under the R&D initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) - Hydrogen Fuel Cell Technology for Marine Application- approved for partial funding of ₹1312.50 Lakhs (Project fully executed and vessel completed).

The Company had recognized the net cost incurred on this project (after reducing the grant) as Research & Development (R&D) expenditure in the Statement of Profit and Loss for the year ended March 31,ch 2025. At that stage, the project was under development and the ownership position was not yet clarified. The MoPSW has now formally clarified that the ownership of this R&D asset rests with the Company.

The Hydrogen Fuel Cell Vessel is being actively marketed for sale with IWAI (which also falls under the administrative purview of MoPSW), and the Company has transferred possession of the vessel to them. The consideration and the contract are currently being discussed with IWAI under the guidance of the MoPSW. Pending the finalization of these discussions, the asset has been classified as ""Asset Held for Sale."" The Company will continue to monitor developments and review the valuation and classification of these assets in subsequent periods as necessary.

Note 22 : Equity Share Capital

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number	₹ in Lakhs	Number	₹ in Lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 5/- each	500000000	25,000.00	500000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 5/- each fully paid up	263080780	13,154.04	263080780	13,154.04
Total	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

22.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number	₹ in Lakhs	Number	₹ in Lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**
Add : shares issued during the year	-	-	-	-
Less: Shares extinguished on splitting of shares (refer note below)	-	-	-	-
Add : Equity shares of ₹5/- each issued during the year on splitting (Refer note below)	-	-	-	-
Less : Shares bought back during the year	-	-	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹5 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared

by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Sub-division & Other information:

On 10 Jan 2024, the Company sub-divided every 1 (one) Equity Share of the nominal/face value of ₹10/- each into 2 (Two) Equity Share of the nominal/face value of ₹5/- each.

In October 2024, the Government of India sold 1,30,15,689 (4.95%) equity shares out of its 19,16,86,928 (72.86%) equity shares held in Cochin Shipyard Limited (CSL) by way of Offer for Sale (OFS) through the Stock Exchange mechanism in accordance with the applicable SEBI guidelines. Consequently, the Government of India's shareholding in Company stands at 17,86,71,239 (67.91%) equity shares as on March 31, 2026.

22.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the Company

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	178671239	67.91	178671239	67.91

22.3 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	No. of Shares	%of total shares	% Change during the year
The President of India	178671239	67.91	Nil

Note 23 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Capital Reserves	263.56	263.56
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,151.87	93,151.89
Debenture Redemption Reserve	-	-
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	(11,066.41)	(868.90)
Retained Earnings	4,75,103.27	4,36,688.10
Total	**5,76,128.80**	**5,47,911.16**

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve includes ₹263.56 Lakhs being restoration charges received from Ms Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 Lakhs includes ₹ 11914.20 Lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 Lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The Company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹10 each at premium (₹93929.76 Lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹777.93 Lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

General Reserve: General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Company created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act,1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory.

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 47).

Interim dividend : During the year, the Company paid interim dividends of ₹4.00 per equity share of face value of ₹5 and ₹3.5 per equity share of face value of ₹5, as recommended at the board meetings held on November 12, 2025 and January 28, 2026 respectively.

Proposed dividend : The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹1.50 per equity share of face value of ₹5 for the financial year ended March 31, 2026 at the Board meeting held on May 15, 2026. This is subject to approval/ regularisation by the share holders in the Annual General meeting.

Note 24 : Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	2,302.20	2,302.20
Total	**2,302.20**	**2,302.20**

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 Lakhs totalling ₹ 2300 Lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029.

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹2300 Lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 25: Lease Liabilities-Non current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Lease Liabilities under Ind AS 116	52,386.32	44,755.75
Total	**52,386.32**	**44,755.75**

Note 26: Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 39)	4,938.65	5,034.20
Provision for gratuity	355.99	195.58
Total	**5,294.64**	**5,229.78**

Note 27: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Deferred Income arising from Government Assistance	940.12	5.72
Total	**940.12**	**5.72**

Note 28: Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Short term loan	99,246.59	-
Total	**99,246.59**	**0.00**

The Company has a sanctioned Short Term borrowing limits of ₹ 200000 Lakhs from various banks, out of which ₹99246.59 Lakhs has been availed as on March 31, 2026. These loans are unsecured Working Capital Demand Loans (WCDL) of ₹73174.99 Lakhs in Indian Rupee, and a Packing Credit in Foreign Currency (PCFC) of EUR 23.92 million (₹26071.60 Lakhs). The Company borrows working capital funds benchmark to overnight tresury bills, RBI Repo and six months EURO Inter Bank Offered Rate (EURIBOR)

Note 29: Lease liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Lease Liabilities under Ind AS 116	3,527.25	3,025.42
Total	**3,527.25**	**3,025.42**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 30: Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	10,520.16	9,006.09
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	79,939.28	20,291.28
Total	**90,459.44**	**29,297.37**

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro,Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	10,520.16	9,006.09
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

Trade Payables ageing schedule as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	10,520.16					10,520.16
(ii) Others	74,805.39	5,133.89				79,939.28
(iii) Disputed dues – MSME		-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others		-	-	-	-	-
Total	**85,325.55**	**5,133.89**	**-**	**-**	**-**	**90,459.44**

Trade Payables ageing schedule as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	9,006.09					9,006.09
(ii) Others	17,582.16	2,709.12				20,291.28
(iii) Disputed dues – MSME			-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others		-	-	-	-	-
Total	**26,588.25**	**2,709.12**	**-**	**-**	**-**	**29,297.37**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 31 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Interest accrued but not due	8.04	-
Unpaid Dividend	84.87	191.87
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	8,738.00	3,667.47
Others		
Security and other deposits	1,768.39	3,139.38
Profit share payable to lessor	1,250.10	834.50
Others Payables	16,789.14	20,644.01
Total	**28,638.54**	**28,477.23**

Other Payables includes Capex trade payables of ₹5008.83 Lakhs (Previous year ₹ 8995.98 Lakhs) out of which ₹124.86 Lakhs (Previous Year ₹ 497.83 Lakhs) is payable to MSME vendors, which are not due as on March 31, 2026.

Note 32 : Other Current Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)*	27,112.61	32,746.10
IAC Trade payables**	4,102.66	8,184.24
Contract Liability for other works	4,04,704.53	4,53,959.75
Advances for ship building , ship repair and other contracts	24,357.79	21,379.72
Income received in advance	31.87	3,451.97
Statutory dues	6,851.47	2,890.58
Deferrred SD liability	36.07	-
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Deferred Income arising from Government Assistance against the Asset Held for Sale	1,312.39	-
Total	**4,68,510.53**	**5,22,613.50**

*The Company has incurred expenditure amounting to ₹ 40,802.45 Lakhs up to March 31, 2026 (Previous year: ₹ 40,690.02 Lakhs) towards augmentation of infrastructure facilities for the construction of the Indigenous Aircraft Carrier (IAC) out of funds received from the Indian Navy. The ownership of the assets created out of these funds vests with the Indian Navy.

Out of the aforesaid expenditure, the Company has identified assets amounting to ₹ 17,856 Lakhs (Previous year: ₹17856 Lakhs) proposed to be taken over by the Company, for which a formal proposal has already been submitted to the Indian Navy. Pending transfer of ownership and finalisation of the takeover value with the Indian Navy, such assets have not been capitalised in the books of account of the Company.

The Company continues to utilise these assets for various shipbuilding operations, including projects of the Indian Navy other than the IAC. Upon finalisation and mutual agreement of the takeover value with the Indian Navy, the said assets will be capitalised in the books of the Company.

Stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹3148.87 Lakhs (previous year ₹4746.37 Lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

During the Financial Year 2022-23, the Company has handed over the Indigenous Aircraft Carrier (IAC P-71) to Indian Navy in accordance with the contract for the construction of IAC P-71. The Company has raised Invoice for ₹ 1915000 Lakhs on achievement of the delivery milestone of the contract. The balance scope of work are being completed subsequently as per the construction contract.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

The Company has recognised revenue to the extent of ₹1913767.77 Lakhs as on March 31, 2026 against the IAC project P-71 and the balance revenue would be recognised as and when the performance obligations are achieved in accordance with the construction contract of IAC P-71. The details of revenue recognised so far on the project are as follows

(₹ in lakhs)

Description	FY 2025-26	FY 2024-25
Revenue Recognised as at beginning of the year	18,99,557.25	18,61,114.01
Revenue recognised during the year	14,210.52	38,443.24
Total revenue recognised on IAC P-71 as at year end	**19,13,767.77**	**18,99,557.25**

Refer Note No 45 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers".

**IAC Trade Payables include ₹ 378.05 Lakhs (previous year - ₹1351.93 Lakhs) payable to MSME vendors which are not due as on March 31, 2026.

Note 33 : Provisions - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Provision for Employee benefits		
Gratuity	644.20	808.12
Compensated absences (Refer Note No 39)	422.14	446.66
	1,066.34	**1,254.78**
Other Provisions		
For Taxes and duties	2,618.59	2,682.22
For Shipbuilding loss	4,744.00	16,692.00
For Expenditure / contingencies*	53,164.44	84,500.26
	60,527.03	**1,03,874.48**
Total	**61,593.37**	**1,05,129.26**

* Includes provision for expenditure due to Subsidiaries ₹5507.78 Lakhs for FY 2025-26 and ₹4070.31 Lakhs for FY 2024-25

The Company has created provision towards contractual warranties in respect of vessels delivered, generally covering a period of 12 months from the date of delivery. Under these warranties, the Company undertakes to rectify defects arising from design,material,workmanship and other specified deficiencies. The outflows relating to warranty obligations are expected to arise over the warranty period from the date of delivery of vessels. The Company generally takes an insurance policy to cover risks associated with warranty obligations on new build vessels. The management believes that the insurance coverage will substantially mitigate the financial impact of warranty claims.

33.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at March 31, 2026
Provision for employee benefits- Gratuity	808.12	644.22	728.28	79.86	644.20
Compensated absences	446.66	-	-	24.52	422.14
Provision for taxes and duties	2,682.22	2.84	66.47	-	2,618.59
Provision for shipbuilding loss	16,692.00	615.00	1,840.00	10,723.00	4,744.00
Provision for expenditure / contingencies	84,500.26	2,73,474.76	2,97,989.92	6,820.66	53,164.44

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at March 31, 2025
Provision for employee benefits- Gratuity	459.83	808.11	399.76	60.06	808.12
Compensated absences	350.06	96.60	-	-	446.66
Provision for taxes and duties	2,672.32	9.90	-	-	2,682.22
Provision for shipbuilding loss	5,936.00	11,297.00	-	541.00	16,692.00
Provision for expenditure / contingencies	53,175.83	1,28,374.54	94,402.34	2,647.77	84,500.26

Note 34 : Revenue from operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	14,210.52	38,443.24
Vessels other than IAC	2,26,095.17	2,12,185.06
Ship Building Financial Assistance	15,635.05	10,241.73
Income from C- SAS	315.64	1,143.03
Engineering works	34.00	-
Income from B&D spares	8,342.31	3,553.98
	2,64,632.69	**2,65,567.04**
Sale of services		
Ship repairs	1,63,169.42	1,83,455.74
Management fee	1,630.49	1,615.34
	1,64,799.91	**1,85,071.08**
Other operating revenue		
Sale of stock items	1.65	3.30
Sale of scrap	1,334.82	1,115.58
Consultancy Income	-	1,027.15
	1,336.47	**2,146.03**
Total	**4,30,769.07**	**4,52,784.15**

1. Revenue is recognized when the Company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date. Output method faithfully depicts the Company's performance towards complete satisfaction of the performance obligation and gives a clear picture of Company's efforts and hence the same is being adopted to depict the performance completed to date.

2. Refer Note No 45 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers".

3. Out of the Revenue from Operations, ₹110570.34 Lakhs (₹53,436.82 Lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

4. The Company has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.

5. The Company is executing shipbuilding contracts with the Andaman & Nicobar (A&N) Administration for the construction of two 1200-passenger vessels (yard nos. SH.0023 and SH.0024). The contractual delivery dates, as extended, have expired for both vessels as on 29 April 2023 for vessel SH.0023, and 30 October 2023 for vessel SH.0024.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

The two vessels are customized and designed for specific operations between Andaman Islands and Main Land. Subsequently based on a request from the A&N Administration, the Company has abated delivery activity, as the Administration has sought reallocation of the vessels to other prospective buyers. However, such reallocation would necessitate significant technical modifications and cost, and the vessels, in their current state, are considered to have no alternative use.

Given that the Company continues to have a valid and enforceable contract with the A&N Administration, and there is no current mutual termination or novation of the contract, no additional provision for LD has been recognized beyond 29 April 2023 and 30 October 2023, respectively, for SH.0023 and SH.0024 for reason of abated delivery at the request of the buyer. In accordance with the terms of the contract and based on prudent estimates, the Company has recognized provision for liquidated damages (LD) up to the aforementioned dates.

The cumulative percentage of completion for the two vessels as on March 31, 2026 is 54.84 percent for SH.0023 and 55.19 percent for SH.0024. The total liquidated damages for SH.0023 is ₹ 11814.08 Lakhs and for SH.0024 is ₹ 9756.34 Lakhs up to the financial year 2025-26. The Company has recognized revenue to the tune of ₹ 16944.49 Lakhs towards SH.0023 and ₹ 17158.03 Lakhs towards SH.0024 upto March 31, 2026 after considering the liquidated damages.

The Andaman & Nicobar (A&N) Administration has now renewed their interest in one vessel with modification to suit their current requirements. The Union Territory of Lakshadweep Administration (UTLA) has also similarly indicated their willingness for the second vessel with modifications as per their requirement. The modifications are in discussion with the two administrations. Both administrations have confirmed their willingness to take over each vessel in its current under-construction state, subject to the necessary modifications. The Company continues to monitor developments related to this contract and will review its accounting estimates and provisioning requirements in subsequent periods as more information becomes available.

It is anticipated that the eventual sale of the vessel to a new customer will cover the various costs incurred during the construction and abatement period. The new price for the vessel is likely to be higher primarily due to significant inflation in shipbuilding costs over recent years, which alter the vessel's market value.

6. The Government of India provides Ship Building Financial Assistance (SBFA) to promote domestic shipbuilding under the original Ship Building Financial Assistance Policy (SBFAP) and the revised Ship Building Financial Assistance Scheme (SBFAP 2.0). These schemes are aimed at compensating the cost incurred in the construction of vessels and not for any operational losses.

In accordance with the respective SBFA policy guidelines, financial assistance is available only for vessels that are constructed and delivered within the stipulated period and are covered under an in-principle approval obtained from the Directorate General of Shipping. For vessels governed by the Modified Guidelines for implementation of the Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS), eligibility is further subject to fulfilling mandatory criteria, including successful milestone-based assessments and meeting domestic content requirements as follows:

A. Domestic content between 30% and 39% – Eligible for SBFA on a pro rata basis (proportionate to the actual domestic content achieved).

B. Domestic content of 40% and above – Eligible for 100% SBFA (full assistance as per the scheme).

The Company recognizes SBFA income over the construction period of the eligible vessels, in proportion to the cost incurred, provided the conditions under the policy are met or are reasonably expected to be met.

Where there is uncertainty regarding compliance with any of the policy conditions, such as delays in construction or delivery timelines, falling short of the mandatory domestic value addition thresholds, or failing to clear independent milestone validations resulting in non-fulfilment of eligibility criteria, the Company either does not recognize the SBFA income or derecognizes the income previously recognized, as appropriate. Such contingencies are assessed regularly, and necessary accounting adjustments are made to reflect the revised expectations.

During the current financial year the Company has recognised the financial assistance amounting to ₹6.14 Lakhs in respect of delivered vessels as income for the current year.

During the current financial year, upon the Company's request under the Institutional Mechanism, the MoPSW granted additional time for the delivery of vessels. Accordingly, the Company has re-recognised financial assistance amounting to ₹6818.75 Lakhs in respect of vessels under construction as income for the current year.

With regard to vessels under construction, the Company has recognized financial assistance income of ₹15628.90 Lakhs towards Ship Building Financial Assistance from Govt. of India, in order to compensate the cost incurred by the Company in building the vessels. As on the reporting date, the cumulative income accrued amounting to ₹27651.56 Lakhs on account of financial assistance is subject to the fulfilment of conditions stipulated in the Guidelines for Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP), as amended from time to time.

The Company while determining the pricing of the vessels, factor the Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is an integral component of the shipbuilding process. Accordingly, during the year, the Company has regrouped the SBFA under 'Sale of product' which was hitherto grouped under 'Other operating revenue' to give a more realistic picture.The same has no financial impact on the revenue from operations.

7. Cochin Shipyard Ltd (CSL) commenced ship repair operations at Marine Dockyard Port Blair, under the ownership of Andaman and Nicobar Administration (A&N Adminstration) effective from 2019 onwards. Pursuant to the Agreement signed on 28 Nov 2019, with the A&N Administration, CSL is responsible for assisting the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands and focussing efforts on Skill Development in the Islands, in consultation with the Administration and Technical Institutions located there. In consideration of the services, the Company is eligible for a management fee, which is accounted on pro rata basis in the Financial Statements.

8. During the year the Company has regrouped the Management fee under 'Sale of services' which was hitherto grouped under 'Other operating revenue' to give a more realistic picture. The same has no financial impact on the revenue from operations.

9. Revenue from operation includes revenue from contract for construction and supply of eight numbers of Anti -Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW SWC) to the Indian Navy. Pursuant to a customer clarification on the delivery schedule, the due dates for subsequent vessels are calculated from the actual delivery date of the first vessel. Accordingly, LD has been provided only for the first vessel (where delayed). No LD has been provided for the subsequent vessels, as their expected delivery dates are within the prescribed contractual schedule.

10. In respect of ship repair contracts with the Indian Navy, revenue is recognised over time using the output method based on physical progress of work completed to date. Mandatory spares provided under these contracts are not distinct performance obligations, as they are integral to and inseparable from the repair service. The vessel cannot be repaired without consuming them, and the customer cannot benefit from the spares independently of the repair. Accordingly, mandatory spares are treated as part of a single performance obligation (repair of the vessel), and their cost is included within the total contract value for revenue recognition. Percentage completion determined for the vessel captures the consumption of mandatory spares issued for repair up to the reporting date; hence no separate measurement or recognition of revenue against mandatory spares is undertaken.

11. The Company reassesses the measurement progress of its performance obligation under the output method as mandated by Ind AS 115 at every reporting date. During the financial year 2024-25, the Company noticed that on application of Ind AS 21, the existing measurement resulted in variations in faithful representation of revenue in the case of export contracts denominated in foreign currency. In order to address the same, the Company refined its quantification approach for the said contracts. Revenue is recognised by applying the physical completion percentage on the total transaction price, which the Company is entitled to, without bifurcating between material and service portions. The effect of change in the quantification measure has resulted in increase in revenue from operations for ₹ Nil (Previous year ₹ 11808.65 Lakhs).The Company is consistently adopting this measurement technique in recognising revenue for contracts involving similar performance obligations.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 35 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Training facilities	858.66	663.79
Income from sale of scrap and stores	378.05	341.46
Profit on sale of Property, Plant & Equipment	-	23.90
Income from laboratory services	17.80	15.53
Rental income	433.89	241.85
Interest on bank deposits	15,932.93	18,762.65
Interest from others	563.24	440.50
Dividend income from Preference shares	348.54	331.74
Dividend income from Mutual Funds	148.87	72.78
Dividend income from Society	0.54	0.54
Net gain on foreign currency transactions	-	1,321.38
Provision no longer required	20,762.27	14,054.34
Miscellaneous income*	1,012.41	1,774.15
Total	**40,457.20**	**38,044.61**

*Miscellaneous income includes ₹ 1.14 Lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

Note 36 : Cost of Materials Consumed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Raw Materials		
Steel	8,894.18	12,452.43
Pipe	1,398.45	1,927.75
Paint	2,270.28	2,641.17
Bought out components	1,71,455.24	1,81,138.03
Total	**1,84,018.15**	**1,98,159.38**

Note 37 : Changes in Inventories of Work-in-Progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	76.26	-
Less: at the end of the year	-	(76.26)
Total	**76.26**	**(76.26)**

The Company had initiated construction of two 60-ton green tug hulls during the Financial year 2024-25 as part of Green Tug Transition Programme (GTTP) as a significant initiative introduced by the Government of India focussing on the reduction of carbon emissions in the maritime sector. Subsequently, in January 2026, the Company received an order from a private customer for the construction of two 60-ton green tugs. Consequently, the expenses incurred in respect of the above tugs have been transferred from Work-in-Progress (WIP) and charged to profit and loss account during the financial year 2025-26.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 38 : Sub Contract and Direct Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Sub contract and off loaded jobs	58,501.97	50,375.25
Hull insurance	2,837.90	2,540.85
Design Expenses	5,317.03	5,805.07
Operating expenses	27,417.96	20,543.87
Total	**94,074.86**	**79,265.04**

Note 39 : Employee Benefits Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	36,404.91	33,727.05
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	2,489.42	2,284.86
Gratuity	951.26	478.84
Staff welfare expenses	4,678.93	4,088.21
	44,524.52	**40,578.96**
Less:Expenditure during construction		(205.27)
Total	**44,524.52**	**40,373.69**

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 29.64 Lakhs (previous year ₹ 28.07 Lakhs).

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹(5.27) Lakhs (previous year ₹103.82 Lakhs).

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

Post-employment obligations

CSL has recognized the gratuity liability for on-contract workmen as of March 31, 2026, based on actuarial valuations completed for FY 2025-26, consequent to the Gazzette Notification of the labour code. No additional provisions are required for Officers, Supervisors, or Workmen, as their current wage components already exceed the 50% threshold for PF and gratuity calculations. Similarly, leave encashment liabilities remain unchanged because existing actuarial provisions sufficiently cover regular staff, while contract employees do not carry forward enough leave to trigger new liabilities. The restructuring of consolidated pay for contract workers is designed to be cost-neutral, ensuring that total gross pay and related financial outgoings remain stable. Consequently, CSL has mitigated potential compliance risks through proactive liability entries and internal committee reviews without incurring significant unprovided expenses.

Provident fund

Provident Fund for eligible employees is managed by the Company through a trust in line with the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act,1952. The plan guarantees interest at the rate notified by the Provident Fund Authorities. The contribution by the employees and employer @12% of basic salary (including Dearness Allowance) together with the interest accumulated thereon are payable to employees at the time of separation from the Company or retirement whichever is earlier. The benefits vests immediately on rendering of the services by the employee. The contribution is charged to Statement of Profit and Loss of the year when the

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

contributions to the respective funds are due in accordance with relevant statute. Employer's contribution to Provident Fund & Pension fund is ₹1980.54 Lakhs for the year 2025-26 (₹1872.67 Lakhs for the year 2024-25). The minimum interest rate payable by the trust to the beneficiaries every year is notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust (including investment risk fall) and the notified interest rate, which is determined on the basis of actuarial valuation

The Company has obtained report on the determination and disclosure of interest rate Guarantee, valuation of Assets & Liabilities as per Ind AS 19 of Employees Benefits relating to Exempt Provident Fund for the period ended March 31, 2026.

The details of fund obligations as per actuarial valuation are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Fair value of plan assets	25,625.50	24,747.34
Present value of benefit obligation at year end	26,175.49	24,781.17
Net liability / (Net asset)	549.99	33.83
Additional provision	Nil	Nil

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Discount Rate (p.a)	7.62%	6.78%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	Officers &Supervisors 3% Workers 3%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	9.00	9.20

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	311.67	270.62
Net Interest expense	346.25	303.84
Acturial (Gain)/Loss recognised during the period	(29.97)	815.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**627.95**	**1,389.46**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,360.79	5,480.86
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**5,360.79**	**5,480.86**

(₹ in lakhs)

Type of Employee Benefit	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Current Component of PVO	422.14	446.66
Non-Current Component of PVO	4938.65	5034.20
TOTAL PVO	**5360.79**	**5480.86**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	5480.86	4626.82
Current & Past Service Cost	311.67	270.62
Current Interest Cost	346.25	303.84
Actuarial (Gain)/ Loss	(29.97)	815.00
Benefits paid	(748.02)	(535.42)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**5,360.79**	**5,480.86**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	748.02	535.42
Benefits paid	(748.02)	(535.42)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**-**	**-**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	150.96	140.34
Year 2	259.11	286.62
Year 3	151.30	177.73
Year 4	165.43	137.19
Year 5	185.89	147.08
Next 5 Years	927.67	799.80

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	150.96	140.34
Year 2	259.11	286.62
Year 3	151.30	177.73
Year 4	165.43	137.19
Year 5	185.89	147.08
Next 5 Years	927.67	799.80

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Discount Rate + 50 BP	8.12%	7.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,506.04	4,609.86
Current Service Cost	178.68	193.41
B. Discount Rate - 50 BP	7.12%	6.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,889.10	5,016.23
Current Service Cost	195.80	212.98
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,897.28	5,023.15
Current Service Cost	196.17	213.32
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,497.13	4,601.99
Current Service Cost	178.29	193.03

BP denotes "Basis Points"

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Discount Rate + 50 BP	8.12%	7.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,506.04	4,609.86
Current Service Cost	178.68	193.41
B. Discount Rate - 50 BP	7.12%	6.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,889.10	5,016.23
Current Service Cost	195.80	212.98
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,897.28	5,023.15
Current Service Cost	196.17	213.32
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,497.13	4,601.99
Current Service Cost	178.29	193.03

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

(₹ in lakhs)

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Discount Rate (p.a)	7.62%	6.78%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	Officers &Supervisors 3% Workers 3%
Attrition Rate	Officers &Supervisors 0.70% Workers 0.70%	Officers &Supervisors 0.70% Workers 0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.62%	6.78%

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	10.92	11.30

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	402.11	423.10
Past Service Cost	261.04	-
Net Interest expense	33.54	13.93
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**696.69**	**437.03**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(297.56)	337.96
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	112.48	(46.72)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**(185.08)**	**291.24**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,773.56	5,529.24
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	5,261.94	4,800.96
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	511.62	728.28

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	5,529.24	4,799.46
Current Service Cost	402.11	423.10
Current Interest Cost	367.17	322.20
Past Service Cost	261.05	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(297.55)	337.96
Benefits paid	(488.46)	(353.48)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**5,773.56**	**5,529.24**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,800.96	4,399.68
Expected Return on Plan Assets	333.64	308.27
Actuarial Gain/(Loss)	(112.48)	46.72
Contributions from the employer	728.28	399.77
Benefits paid	(488.46)	(353.48)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**5,261.94**	**4,800.96**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	291.94	286.14
Year 2	698.12	665.64
Year 3	371.58	384.19
Year 4	317.79	321.02
Year 5	388.16	266.76
Next 5 Years	1,929.11	1,583.72

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Discount Rate + 50 BP	8.12%	7.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,494.32	5,251.13
Current Service Cost	360.43	345.63
B. Discount Rate - 50 BP	7.12%	6.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	6,074.71	5,830.27
Current Service Cost	409.08	397.00
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	6,046.54	5,779.52
Current Service Cost	399.80	390.11
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,507.08	5,288.36
Current Service Cost	368.28	353.54

BP denotes "Basis Points"

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Government of India Securities	37.13%	28.95%
State Government Securities	12.26%	25.24%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	29.03%	31.49%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.33%	0.32%
Others (to specify)	21.25%	14.00%
Total	**100.00%**	**100.00%**

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) , CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) and FTE were as follows:	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Discount Rate (p.a)-ISRF	6.60%	6.40%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	6.50%	6.40%
Discount Rate (p.a)-FTEs	6.30%	-
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	0.00%	0.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	138.58	25.24
Past Service Cost	98.33	-
Net Interest expense	17.63	16.55
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**254.54**	**41.79**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(41.40)	0.35
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss		
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**(41.40)**	**0.35**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	488.57	275.42
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year		-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**488.57**	**275.42**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	275.43	233.26
Current Service Cost	138.58	25.25
Current Interest Cost	17.63	16.56
Past Service Cost	98.33	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(41.40)	0.35
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	**488.57**	**275.42**

ISRF, CMSRU, Fixed Term Employment (FTE) gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026		
Year	FTEs	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA	NA
Year 2	NA	NA	NA
Year 3	NA	NA	NA
Year 4	NA	NA	NA
Year 5	NA	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025		
Year	FTEs	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA	NA
Year 2	NA	NA	NA
Year 3	NA	NA	NA
Year 4	NA	NA	NA
Year 5	NA	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026		
Year	FTEs	ISRF	CMSRU
Year 1	33.04	91.07	8.49
Year 2	69.21	44.69	4.53
Year 3	81.24	11.68	0.43
Year 4	53.55	17.68	0.44
Year 5	7.99	39.60	8.50
Next 5 Years	-	123.12	8.54

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025		
Year	FTEs	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	63.01	8.03
Year 2	NA	46.94	6.20
Year 3	NA	25.86	3.15
Year 4	NA	10.25	-
Year 5	NA	5.99	-
Next 5 Years	NA	95.80	10.15

Sensitivity Analysis as on March ch 31, 2026

Particulars	FTEs	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.30%	7.60%	7.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	209.95	241.87	23.37
Variation	(2.00%)	(3.33%)	(3.19%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.30%	5.60%	5.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	218.68	259.26	24.97
Variation	2.07%	3.62%	3.44%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	217.72	258.24	24.87
Variation	1.63%	3.21%	3.02%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	210.80	242.69	23.45
Variation	(1.61%)	(3.00%)	(2.85%)

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis as on March 31, 2025

Particulars	FTEs	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	NA	7.40%	7.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	NA	239.07	26.73
Variation	NA	(3.55%)	(2.96%)
B. Discount Rate - 100 BP	NA	5.40%	5.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	NA	257.45	28.42
Variation	NA	3.86%	3.18%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	NA	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	NA	256.44	28.30
Variation	NA	3.45%	2.76%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	NA	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	NA	239.88	26.82
Variation	NA	(3.23%)	(2.60%)

BP denotes "Basis Points"

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 40 : Finance Costs

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Interest on Bank loan	3,280.74	-
Interest expense on lease liabilities	4,649.26	3,988.37
Interest on tax free bonds	200.37	201.17
Interest others	0.04	-
Finance cost on financial liabilities measured at amortised cost	185.62	-
	8,316.03	**4,189.54**
Less:Expenditure during construction	-	(544.61)
Total	**8,316.03**	**3,644.93**

Note 41 : Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Depreciation on property, plant and equipments	8,570.19	5,794.90
Depreciation on Right Of Use Assets	1,692.60	1,696.97
Amortisation of intangible asset	820.43	1,041.99
Total	**11,083.22**	**8,533.86**
Less:Expenditure during construction	-	(169.49)
Total	**11,083.22**	**8,364.37**

Note 42 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Consumption of stores & spares	3,422.25	3,539.14
Dimunition in value of Loose tools	231.78	151.97
Rates and taxes	150.92	129.21
Power	3,245.03	3,433.40
Fuel	1,314.45	835.99
Water	411.27	363.40
Repairs and maintenance:		
Building and roads	1,214.58	852.29
Plant and machinery	274.89	152.59
Others	3,293.09	2,462.68
Maintenance dredging	2,368.84	914.07
Transport and stores handling	224.00	113.47
Travelling and conveyance expenses	1,593.02	1,172.64
Printing and stationery	137.52	107.50
Postage, telephone and telex	64.16	66.72
Advertisement and publicity	801.85	605.64
Lease rent	6.17	26.10
Hire charges	1,651.88	1,112.41

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Insurance charges	1,187.63	590.82
Security expenses	2,903.04	2,320.93
Payments to Auditors	32.43	29.85
Training expenses	1,309.78	944.90
Legal expenses	90.74	165.68
Consultancy	109.67	86.24
Bank charges	1,516.79	1,269.74
Net loss on foreign currency transactions	874.15	-
Loss on Forex Derivative Transactions	3,163.95	530.62
Corporate social responsibility (refer Note no. 52)	1,788.96	1,564.51
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	112.54	5.65
Bad debts written off	-	8,614.55
R&D and New initiatives *	1,840.31	2,043.17
Miscellaneous expenses	1,510.64	893.78
Total	**36,846.33**	**35,099.66**

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
For Audit Fees	20.00	20.00
For Limited Review/other services	9.75	8.75
For Certifications	2.68	1.10
Total	**32.43**	**29.85**

*R&D and New initiatives includes the following:

a) USHUS is a start-up support program of CSL in association with Indian Institute of Management Kozhikode (IIMK) & Indian Institutes of Technology Madras (IITM) to augment the Government of India's initiatives to encourage and develop an ecosystem in India to support Maritime Start-ups. As part of this program Maritime start-ups will receive seed funds from CSL as grants/investments.

b) IIMK LIVE & IIT Madras will review and recommend the proposals received under this scheme for funding by CSL. Fee for their services amounts to ₹27 Lakhs current year (Previous Year - ₹26.50 Lakhs). During the FY:2025-2026 ₹227.50 Lakhs has been disbursed to 10 start ups identified by IIMK (Previous Year 105 Lakhs-9 start ups) & ₹250 Lakhs has been disbursed to 8 start ups identified by IITM (Previous Year: NIL) under seed funding scheme.

c) Refer Note No: 5 and Note No: 21 relating to Research and Development project under the R&D initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW).

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 43 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Loss allowance for Trade Receivables	217.70	659.59
Expenses and contingencies	2,170.57	354.60
Profit share to lessor	1,258.82	843.22
Loss on Ship Building	-	10,756.00
Total	**3,647.09**	**12,613.41**

Note 44 : Earnings per Equity Share

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Net Profit after tax (₹ in Lakhs)	64,304.34	84,290.64
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	24.44	32.04
Face value per share (in ₹)	5.00	5.00

Refer Note No 22 .1

Note 45: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

A. Disclosures of Disaggregated revenue as per Ind AS 115

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	For the year ended March 31, 2026			
	Revenue as per Ind AS 115	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		Input Method	Output Method	
A. Revenue from goods or services transferred over time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	14,210.52		14,210.52	14,210.52
Vessels other than IAC	2,26,410.81		2,26,410.81	2,26,410.81
Ship Building Financial Assistance	15,635.05	15,635.05		15,635.05
Engineering works	34.00		34.00	34.00
(ii) Sale of services				
Ship repairs	1,63,169.42	-	1,63,169.42	1,63,169.42
Management fee	1,630.49	-	1,630.49	1,630.49
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Sale of B&D Spares	8,342.31			8,342.31
(ii) Other operating revenue				
Sale of Ship Building Scrap	505.95	-	-	505.95
Sale of Ship Repair Scrap	828.87	-	-	828.87
Sale of stock items	1.65	-	-	1.65
Total				**4,30,769.07**

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	For the year ended March 31, 2025			
	"Revenue as per Ind AS 115"	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		Input Method	Output Method	
A. Revenue from goods or services transferred over time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	38,443.24	-	38,443.24	38,443.24
Vessels other than IAC	2,13,328.09	-	2,13,328.09	2,13,328.09
Ship Building Financial Assistance	10,241.73	10,241.73		10,241.73
(ii) Sale of services				
Ship repairs	1,83,455.74	-	1,83,455.74	1,83,455.74
Management fee	1,615.34	-	1,615.34	1,615.34
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Sale of B&D Spares	3,553.98	-	-	3,553.98
(ii) Other operating revenue				
Sale of Ship Building Scrap	756.61	-	-	756.61
Sale of Ship Repair Scrap	358.97	-	-	358.97
Consultancy income	1,027.15	-	-	1,027.15
Sale of stock items	3.30	-	-	3.30
Total				**4,52,784.15**

B. Contract balances

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Trade Receivables	41,166.30	22,527.71
Contract Assets	1,25,768.02	89,630.82
Contract Liabilities	4,31,817.14	4,86,705.85

Movement in contract balances during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Contract asset at the beginning of the year	89,630.82	74,484.90
Contract asset at the end of the year	1,25,768.02	89,630.82
Net (increase)/decrease	(36,137.20)	(15,145.92)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Contract liabilities at the beginning of the year	4,86,705.85	4,87,527.27
Contract liabilities at the end of the year	4,31,817.14	4,86,705.85
Net (increase)/decrease	54,888.71	821.42

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

C. Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹1607111.19 Lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract) (Previous Year ₹1448711.90 Lakhs).The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained.Management expects that 26.40% of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of March 31, 2026, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2026-27 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31, 2026 the Company recognised revenue of ₹103728.75 Lakhs (Previous year ₹1,16,990.11 Lakhs) arising from opening Contract Liability as of April 01, 2025.

D. Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Opening contracted price of orders	**26,10,779.16**	**25,33,712.74**
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	3,98,881.03	77,265.79
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	(14,985.77)	28,036.33
Increase due to exchange rate movements (net)	29,028.09	19.34
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	-	23,918.90
Orders completed during the year	1,49,069.57	4,336.14
Closing contracted price of orders	**28,74,632.94**	**26,10,779.16**
Total Revenue recognised during the year:	2,42,645.34	2,34,512.95
Less: Revenue out of orders completed during the year	23,576.78	1,613.39
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	2,19,068.56	2,32,899.57
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	10,48,453.20	9,29,167.69
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	-	-
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	16,07,111.18	14,48,711.90
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	**28,74,632.94**	**26,10,779.16**

Note 46: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended March 31, 2026 on Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹1658.05 Lakhs (Previous year ₹1138.51 Lakhs)

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31,2026 including outflow on short term and low value leases is ₹3589.69Lakhs (Previous year ₹3085.66 Lakhs)

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2026 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Less than one year	3,527.25	3,025.42
One to five years	17,217.41	14,306.38
More than five years	1,71,569.51	1,07,281.20
Total	**1,92,314.17**	**1,24,613.00**

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2025 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Less than one year	40.70	39.05
One to five years	183.01	174.89
More than five years	64.11	112.93
Total	**287.82**	**326.87**

Movement of Lease Liabilities are as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Opening Balance	47,781.17	46,577.91
Add:Additions	6,944.61	141.86
Add:Interest recognised during the year	4,649.26	3,988.37
Less:Payment made	3,461.47	2,926.97
Closing Balance	**55,913.57**	**47,781.17**

Note 47: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The Company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the Company's foreign currency forward contracts is a bank.

The Company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on March 31, 26:

(₹ in lakhs)

Particulars	31-March -26			31-March -25		
	No. of contracts	Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)	No. of contracts	Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
EURO	67	128741.36	(8737.99)	88	137643.91	96.45
NOK	1	863.07	6.50	5	7676.66	(30.49)
Total	**68**	**129604.43**	**(8731.49)**	**93**	**145320.57**	**65.96**

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	(868.90)	(918.26)
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	(10,197.51)	49.36
Balance at the end of the year	**(11,066.41)**	**(868.90)**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 48: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

	Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A	**CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)**			
a	**Claims against the Company not acknowledged as debt**			
i	Sub- Contractors & Suppliers	24036.08	27,312.93	Claims made by suppliers which are currently under dispute and has not been acknowledged as debt. Based on the facts of the case, the Company believes that the likelihood of outflow of resources embodying economic benefits is remote, and expects any potential liability, if at all, to be significantly lower than the amount claimed. However, the matter is under conciliation.
b	**Guarantees**			
i	Letters of Credit	18157.95	19,279.09	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets
ii	Bank Guarantees	2,33,201.73	2,01,613.65	Bank guarantees (including continuity guarantees) represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers and other beneficiaries. Value of advance Bank Guarantee outstanding as on Balance sheet date is included in Note 49.
iii	Bank Guarantee	20	20.00	Bank Guarantee issued as per Customs preventive manual (Chapter 20) for removal of goods for ship under repair with out payment of duty for a period of two years for CMSRU
iv	Guarantee given on behalf of wholly owned subsidiary Company (UCSL)	7814.16	6,093.74	The Company has provided a joint and several guarantee along with its wholly owned subsidiary,M/s Udupi Cochin Shipyard Limited,under a ship building contract with M/s Ocean Sparkle for 11 vessels.The subsidiary has received a refundable advance of ₹7814.16 Lakhs. The Company's liability would arise only in the event of default by the subsidiary.Based on the asessment of the subsidiary's financial and operational capability to fulfil its obligations,the likelihood of any outflow of resources from the Company is considered remote.Out of 11 vessels 2 vessels delivered in 2025-26
c	**Other money for which the Company is contingently liable**			
i	Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹69.06 Lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.

Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
ii Customs duties	48412.36	12,726.96	(i) Customs duty for materials under Bond for - ₹ 7108 Lakhs. (ii) Penalty on differential IGST - ₹232.47 Lakhs (iii) Custom duty and IGST paid under protest for which appeal has been raised before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal - ₹5752.18 Lakhs (iv) Show Cause Notice No. 187/2025-26 dated 30.01.2026 under section 124 read with section 28(4) and 142 of the Customs Act,1962 received by CSL from the office of Commissioner of Customs, alleging the non complaince with the provisions of the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) and other reasons.CSL has submitted an initial reply to the show cause notice.- ₹35253.53 Lakhs (v) FDR lien marked on Registrar of High Court of Kerala for -₹66.18 Lakhs.
iii Income Tax	1389.86	1,389.86	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹ 126.26 Lakhs AY 2014-15 - ₹ 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹ 331.77 Lakhs AY 2018-19 - ₹ 20.76 Lakhs Demands raised as per the assessment orders totaling to ₹ 1389.86 Lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2014-15, 2017-18 and 2018-19 are pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to disallowance under Section 37. However the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.
iv Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT against the order of The Commissioner of Central Tax & Central Excise.
	376.67	376.67	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner of Central Excise (Appeals) . However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals).
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/ Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT aganst the order of The Commissioner of Central Tax & Central Excise .

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped by the Commissioner of Central Tax and Central excise, Thiruvananthapuram. Department filed appeal before CESTAT.
Service Tax	1,885.49	1,885.49	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped by the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram . Department filed appeal to CESTAT.
	513.72	513.72	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Reply filed before Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Reply filed before Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
	150.57	150.57	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner confirmed demand. Appeal filed before Commissioner (Appeals) against the Order in Original.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Reply filed before Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Cochin.
Service Tax	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi. Demand confirmed by Commissioner of Central Tax & Central Excise . Appeal filed before CESTAT.

Particulars		As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
v	Kerala Value Added Tax (KVAT)	1,369.94	1,369.94	Demand for FY 2015-16. Assessing office made additions to taxable turnover against the order of Joint Commissioner (Appeals) and raised demand for tax and interest. Writ petition filed before High Court of Kerala for stay on recovery proceedings.
vi	Demand for Input Tax credit on IGST for the period 2018-19 and penalty thereon	92.13	92.13	Show Cause Notice issued for mismatch in input tax credit claimed in GSTR 3B and GSTR 2A for FY 2018-19. Additional Commissioner confirmed the demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against the Order In Original.
vii	Demand for Input Tax credit on IGST for the period 2018-19 & 2021-2022 , Non payment/ Shortpayment of CGST,SGST & IGST under RCM for the period 2019-20 & 2020-21 and penalty thereon	19.78	-	Show Cause Notice issued for mismatch in input tax credit claimed in GSTR 3B and GSTR 2A for FY 2018-19 & 2021-2022 and for Non payment/ Short payment of RCM for the mismatch between GSTR 3B & 8A. Additional Commissioner confirmed the demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against the Order In Original.
viii	Alekton Engineering Industries Pvt Ltd	471.91	384.17	The petitioner (claimant) approached MSME Council for recovery of Liquidated damages (LD) along with interest in respect of LD deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods . MSME Council , Chennai has referred the case to Madras High Court Arbitration Centre for arbitration. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator . Claim petition filed by the petitioner. Order passed by the Sole Arbitrator in favour of the respondent (CSL). Alekton Engineering Industries Pvt Ltd has filed appeal with Hon'ble Madras High Court to set aside arbitral award.
ix	M/s. Vigil Marine Services	2,340.54	2,065.17	CSL had entered into an Agency Agreement with M/s Vigil Marine Services vide Agreement dated 01.08.1993 for marketing the Ship Building and Ship Repair Operations of CSL to Clients in Middle East. The agreement was terminated in the year 2003 due to breach by Vigil Marine. Vigil Marine raised claims for payment of Agency Commission for winning orders for NPCC and ATCO Orders (worth 18.25 million) which was rejected by CSL. Arbitration Request was filed before the Hon'ble Supreme Court for appointment of Sole Arbitrator and accordingly arbitration commenced on 10.10. 2004. The Arbitral Award was passed on 24.11.2015 directing CSL to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum from the date of receipt of the above payment till payment is made to M/s Vigil Marine as under the Award.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
			Aggrieved on this CSL filed arbitration appeal before District Court, however by virtue of a judgement of the Hon'ble Supreme it was held that the 2016 Amendment to Arbitration Act was retrospective in effect and therefore appeal lies before High Court. Consequently OP (ICA) 1/ 2019 was preferred before High Court of Kerala. Meanwhile the 2019 Amendment came into effect which inter alia stated that 2016 amendment was prospective in effect and therefore the appeal was remitted back to District Court. Later the Hon'ble Supreme Court struck down the 2016 Amendment and consequently, OP (ICA) No. 1/ 2021 was filed before High Court of Kerala. As per the provisions of the Arbitration Act , CSL had initially deposited BG for the award amount with interest up to the date of the award i.e. till 24.11.2015 . Howerver, the Hon'ble Court vide its order dated 30.11.2023 directed deposit of award amount with interest computed till 01.04.2023 and accordingly, Bank guarantee for an amount of ₹.1869.19 Lakhs has been submitted to Registrar, High Court and the same is included in Note 49. The matter is pending final hearing.
x Employee State Insurance Corporation	54.66	54.66	ESI Corporation raised a demand notice for ₹62.28 Lakhs towards contribution for advance trainees for the period Apr 2008- Mar 2012. Company has paid contribution of ₹26.46 Lakhs for the period Jun 2010- Mar 2012 . Later on, ESI Department has raised a demand notice of ₹19.84 Lakhs towards interest on delayed payments and damages for the period Jun 2010- Jul 2013. The Company is contesting the demands made before Honourable Insurance Court, Alappuzha. In the meantime, the court has granted a stay by depositing ₹1 lakh.
xi Customs bond for availing ship repair pass	100.00	100.00	Customs bond issued as per customs preventive manual (Chapter 20) for removing goods for ship under repair with out payment of duty for a period of two years for CMSRU.
xii Indemnity Bond to Customs Authorities	27309.24	19,203.00	Bond under Customs (Imports of Goods at Concessional Rate of Duty) rules 2017.
xiii Indemnity Bond to Govt of India	30415.00	30,415.00	Represent Indemnity Bonds given by Company to GoI towards performance of obligations under the IAC contract. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on Balance sheet date is included in Note 49.
xiv Paint contamination claims	863.83	863.83	Claims raised against the Company for paint contamination spots observed on cars - Ghamadia & 128 yard at Mumbai Port.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

	Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
xv	Claim for the salary amount recovered from CoPA deputed employees to ISRF	1.68	1.68	6 employees of CoPA has made a claim for the refund of salary recovered against their absence from duty , due to the revised timings issued by CoPA for the ministerial staff. CSL is in receipt of the summons from the Central Govt Industrial Tribunal. The case have been posted for hearing in 23rd June 2026.
xvi	Fine levied by the Stock Exchanges (BSE and NSE) for non-compliance with certain Corporate Governance provisions of the SEBI LODR Regulations	83.92	34.42	The Stock Exchanges have levied fines on CSL for non-appointment of Independent Directors and related requirements including non-constitution of committees (Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee) of the Board as required under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As the non-compliances were beyond the Company's control and not due to its negligence or default, CSL will request a waiver of the fines from the Stock Exchanges once the required independent directors are appointed. The Stock Exchanges have in the past waived off the fines in similar situations.
B	**COMMITMENTS (To the extent not provided for)**			
a	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	17512.57	31,539.56	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for
C	**Modifications made in Standalone Financial Statement pursuant to CAG observations raised during supplementary audit conducted for the year 2025-26 under section 143(6)(a) of Companies Act 2013:**			
1	Cash flow statement (A. Cashflow from operating activities): Figures for the year 2024-25 relating to Provision for anticipated losses and expenditure and Increase / (decrease) in trade and other payables has been revised Provision for anticipated losses and expenditure - Revised to Rs 11,953.82 lakhs from Rs 12,613.41 lakhs Increase / (decrease) in trade and other payables - Revised to Rs 41,484.14 lakhs from Rs 40,824.55 lakhs			
2	Contingent liabilities and commitments- 48 A (c) (v): Amount of contingent liabilities towards Kerala value added tax for the years 2024-25 and 2025-26 has been revised to Rs 1,369.94 lakhs from Rs 787.32 lakhs			

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

The Company has entered into a non-binding MOU with HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. (KSOE), South Korea during FY 2025-26, proposing a Joint Venture to set up and operate Block fabrication facility in Kochi utilizing the designated facility which is the 310 meter New Dry Dock. The said asset has been classified under Property, Plant and equipment at its carrying value of ₹134181.09 Lakhs.

The Company has entered into a non-binding MOU and Heads of Terms agreement with Drydocks World – Dubai FZCO (DDW) during FY 2025-26, proposing a Joint Venture to operate and expand the International Ship Repair Facility (ISRF) in Kochi. As of the Balance Sheet date, no binding Shareholders' Agreement or Business Transfer Agreement has been executed. Accordingly, the assets collectively called the ISRF facility continues to be classified under Property, Plant and Equipment at its carrying value of ₹105316.53 Lakhs.

Note 49 : Value of advance Bank Guarantee outstanding as on reporting date is ₹1058307.85 Lakhs (Previous year ₹1032503.48 Lakhs).

Note 50 : Litigations :

The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Note 51 : Research & Development/New Initiative Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
a) Revenue Expenditure	2038.62	2270.08
b) Capital Expenditure	402.26	2.83
	2440.88	**2272.91**

Refer Note No.4 and 42

₹ 3500 Lakhs has been allocated for R&D and innovation initiatives Fund, for development of pilot Autonomous Surface Vessel Project.1% of average turnover based on the audited financial results of the standalone financial results of CSL for the last three financial years is set aside as yearly budget for the Research and Development/Innovation initiatives of CSL. Further the Board has granted approval for funding support not exceeding ₹ 5000 Lakhs to "USHUS" project under CSL's Start-up Engagement Policy Framework.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 52 : Corporate Social Responsibility (CSR) : As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31,2026	As at March 31,2025
(a) Gross amount required to be spent by the Company during the year	1783.98	1557.68
(b) Amount spent during the year	1554.06	1789.51

(₹ in lakhs)

In case of Sec.135(5) Excess amount spent	As at March 31,2026	As at March 31,2025
(i) Amount carry forwarded from previous financial years	395.00	170.00
(ii) Amount spent during the year	1554.06	1789.51
(iii) Amount charged to P&L as CSR expenses	1788.96	1564.51
(iv) Amount carry forwarded to succeeding years	160.00	395.00

As on 31 March ch 2026, the Company spent ₹164.98 Lakhs in excess of amount required to be spent as per Companies Act, 2013 out of which ₹4.98 Lakhs is charged to Profit and Loss and ₹160 Lakhs is carried forwarded to succeding financial years

(₹ in lakhs)

Additional Disclosures on CSR	As at March 31,2026	As at March 31,2025
(i) Amount required to be spent by the Company during the year	1783.98	1558.68
(ii) Amount of expenditure incurred	1554.06	1789.51
(iii) Shortfall at the end of the year	0.00	0.00
(iv) Total of previous years shortfall	0.00	0.00
(v) Reason for shortfall	NA	NA
(vi) Nature of CSR activities: As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee.		
(vii) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the Company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard.	Nil	Nil
(viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.	Nil	Nil

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Details of amount spent for year ended March 31 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	602.98		602.98
(ii) On purposes other than (i) above	951.08		951.08
	1,554.06	**-**	**1,554.06**

Details of amount spent for year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1,419.72	-	1,419.72
(ii) On purposes other than (i) above	369.79	-	369.79
	1,789.51	**-**	**1,789.51**

Note 53 : Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2025-26	2024-25
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director (Up to January 31, 2026)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical) (Up to May 31, 2025)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan Director (Operations) (Up to May 31, 2025)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director (Finance) & Chief Financial Officer Chairman & Managing Director (Addl. Charge w.e.f February 01, 2026)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Dr. Harikrishnan S Director (Operations) (w.e.f August 27, 2025)	Key Managerial Personnel	-
Shri Rajesh Gopalakrishnan Director (Technical) (w.e.f August 27, 2025)	Key Managerial Personnel	-
Shri Rajesh Kumar Sinha Part-time Official (Nominee) Director, Government of India (up to August 07, 2025)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Venkatesapathy S Part-time Official (Nominee) Director, Government of India (w.e.f August 07, 2025)	Key Managerial Personnel	-
Shri Biju Prabhakar Part-time Official (Nominee) Director, Government of Kerala (Up to May 31, 2025)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri P B Nooh Part-time Official (Nominee) Director, Government of Kerala (w.e.f June 20, 2025)	Key Managerial Personnel	-
Smt. Amrapali Prashant Salve Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)	-	Key Managerial Personnel
Shri Nahar Singh Maheshwari Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)	-	Key Managerial Personnel
Shri Ashok Sharma Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)	-	Key Managerial Personnel
Shri Prithiviraj Harichandan Non-Official (Independent) Director (Up to May 01, 2024)	-	Key Managerial Personnel

Related Party	Nature of Relationship	
	2025-26	2024-25
Shri Venkatesan M Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)	-	Key Managerial Personnel
Shri Abhijit Biswas Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)	-	Key Managerial Personnel
Dr. Seema Suri Non-Official (Independent) Director (w.e.f May 21, 2025)"	Key Managerial Personnel	-
Shri Syamkamal N Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Hooghly Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Howrah)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
Udupi Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Malpe)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
India Ship Technology Centre (Section 8 Private Limited Company incorporated on March 29, 2026)	Subscriber Member	-
CSL Superannuation Pension Trust For Executives And Supervisors	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
Cochin Shipyard Ltd Group Gratuity Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Retired Employees Medical Assistance Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Mutual And Public Welfare Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
Cochin Shipyard Ltd Employees Contributory Provident Fund Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Officers And Supervisors Retirement Benefit Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Insurance Linked Medical Assistance Trust For Retired Workmen	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Workmen Pension Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan

India Ship Technology Centre (ISTC) was incorporated on March 29, 2026 as a Section 8 Company limited by guarantee and not having share capital under the directions of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) to support the development of the Indian shipbuilding sector through participation of shipyards, ship designers, academic institutions, research and training organisations, industry associations and professional bodies etc. Director (Finance) and Director (Operations) of CSL serve as initial members and directors of ISTC, with their appointment and direction being subject to the encouragement and strategic guidance of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MopSW). CSL provides only administrative, operational and managerial assistance on a reimbursable basis, and all actual expenses incurred by CSL for ISTC are reimbursed upon allocation of funds by the Government of India. The current governance structure is temporary and established solely to expedite the incorporation process; upon formation of an independent Board, ISTC will be an independent and autonomous entity under the Ministry of Ports, Shipping and Inland waterways. Accordingly, ISTC is treated as a related party operating under the strategic guidance and encouragement of the Government of India. ISTC has total assets of ₹ Nil and total liabilities of ₹nil as at March 31, 2026. Reimbursable expenses incurred on behalf of ISTC during the year amounted to ₹ nil, with ₹ nil as at the reporting date.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Shares held by Nominee Directors in Hooghly-CSL on behalf of CSL	As at March 31,2026	As at March 31,2025
	No of Shares	
Shri Madhu S Nair (Chairman)	0	10
Shri Bejoy Bhasker (Director)	0	10
Shri Jose V J (Director)	10	10
Shri Sreejith K Narayanan (Director)	0	10
Dr. Harikrishnan S (Director)	10	0
Shri Rajesh Gopalakrishnan (Director)	10	0

Shares held by Nominee Directors in UCSL on behalf of CSL	As at March 31,2026	As at March 31,2025
	No of Shares	
Shri Madhu S Nair (Chairman)	0	10
Shri Bejoy Bhasker (Director)	0	10
Shri Jose V J (Director)	10	10
Shri Sreejith K Narayanan (Director)	0	10
Dr. Harikrishnan S (Director)	10	0
Shri Rajesh Gopalakrishnan (Director)	10	0

Transactions with Key Managerial Personnel:

Nature of transaction:- Remuneration to Key Managerial Person

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Short term benefit	476.78	282.66
Post employment Benefit	48.73	46.81
Total	**525.51**	**329.47**

Nature of transaction-Advances

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2025	Loans/advances Taken during 2025-26	Repayment	Balance as on 31/03/26	Interest accrued as on 31/03/26
RAJESH GOPALAKRISHNAN	0.00	5.78	1.20	4.58	1.76
HARIKRISHNAN S	0.00	0.68	0.48	0.20	0.00
SYAMKAMAL N	0.18	0.65	0.63	0.20	0.00

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2024	Loans/advances Taken during 2024-25	Repayment	Balance as on 31/03/25	Interest accrued as on 31/03/25
Bejoy Bhasker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose V J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sreejith K N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Syamkamal N	0.14	0.60	0.56	0.18	0.00

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Smt.Seema Suri	3.60	0.00
Smt. Amrapali Prashant Salve	0.00	3.00
Shri Nahar Singh Maheshwari	0.00	3.60
Shri Ashok Sharma	0.00	3.30
Shri Prithiviraj Harichandan	0.00	0.30
Shri Venkatesan M	0.00	2.10
Shri Abhijit Biswas	0.00	3.60
Total	**3.60**	**15.90**

Transactions and Balances with Related Parties-Subsidiaries

i) Transactions

Particulars	Hooghly Cochin Shipyard Ltd		Udupi Cochin Shipyard Ltd	
	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Secondment to subsidiary	107.40	59.18	130.46	117.94
Dividend on preference shares	348.54	331.73		
Sub contract works undertaken by Subsidiaries	2,551.51	2,998.32	61.62	
Services provided to subsidiaries	34.00	1.79	-	7.14
Sales of stock items / assets	1.95	3.30		
Interest on NCD	190.64	190.64	60.00	60.00
Investment in Equity shares	-	-		
Repayment of NCD	-	-		
Advances given to Subsidiaries			1,762.60	
Interest on loan	-	-	27.94	27.50

ii) Balances with Related Parties-Subsidiaries

Particulars	Hooghly Cochin Shipyard Ltd		Udupi Cochin Shipyard Ltd	
	As at March 31,2026	As at March 31,2025	As at March 31,2026	As at March 31,2025
Investment in NCDs issued by subsidiary	3,100.00	3,100.00	1,000.00	1,000.00
Investment in Equity shares of Subsidiary (includes right issue)	14,000.00	14,000.00	10,800.00	10,800.00
Investment in Cumulative Redeemable Preference Shares in subsidiary	5,600.00	5,600.00		
Loans to subsidiary			500.00	500.00
Interest accrued but not due on NCD	98.72	98.72	18.64	31.86
Dividend receivable on preference shares	1,629.01	1,280.45		
Receivable from subsidiaries	110.96	95.03	21.44	19.75
Payable to subsidiaries	1,891.47	211.75	1.10	1.10
Advances given to Subsidiaries		152.36	1,700.98	
Commitments and guarantees given for Subsidiaries :				
On account of investment				
On account of capital projects	2.85	30.25		

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Transactions and Balances with other Related Parties (Post- Retirement Benefits Trust/Plans)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
i) Transactions		
Contribution to Post employment plans (for the year)	2241.50	3444.90
ii) Balances		
Payable to trust (Net)	599.44	104.12

Transactions & Balances with Government and entities under the control of same Government

Government of India (GOI) as on March 31,2026 is holding 67.91% equity shares of the Company, which is held by President of India through Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW). GOI controls the Company through Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW).

The Company has made various transactions with the Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW) and with entities being controlled or jointly controlled or having significant influence of the Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW).

i) Transactions/Balances with GoI

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Amount payable to Government of India	234.19	234.19
Amount as paid as dividend during the year to Government of India	17,420.45	17,713.30

ii) Significant transactions with Government related Entities under MoPSW

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Lease rent paid	2,842.93	2,615.20
Power & water supply charges	904.87	1,354.38
Annual Profit share payment	910.67	227.73
Employee related expenses	1,745.25	596.68
Dredging of ISRF area	364.49	429.73
Tugs & Pilotage charges	516.14	360.99
Guaranteed amount	241.83	233.04
Revenue from operations	13,906.28	4,130.17

iii) Significant balances with Government related Entities under MoPSW

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Payables	8.18	26.46
Advances given to suppliers	134.81	72.09
Receivables	5570.87	2,787.77
Advance received from customers	3804.77	4,260.63

In addition to the above, around 73.20% of the companies turnover and 79.19 % (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities including those under MoPSW.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 54 : FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis

(₹ in lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	March 31, 2026	March 31, 2025	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	47,481.87	35,852.42	Level III
(ii) Loans	1,124.98	551.52	Level III
(iii) Others	183.15	160.73	Level III
Current			
(i) Trade Receivables	41,166.30	22,527.71	Level III
(ii) Cash & Cash equivalents	678.55	31,083.37	Level III
(iii) Bank Balances other than (ii)	2,27,024.39	2,71,038.29	Level III
(iv) Loans	163.99	644.33	Level III
(v) Others	5,978.07	22,829.29	Level III
Total Financial Assets	**3,23,801.30**	**3,84,687.66**	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	2,302.20	2,302.20	Level III
(ii) Lease liabilities	52,386.32	44,755.75	Level III
(iii) Other financial liabilities	-	-	Level III
Current			
(i) Borrowings	99,246.59	-	Level III
(ii) Trade Payables	90,459.44	29,297.37	Level III
(iii) Lease liabilities	3,527.25	3,025.42	Level III
(iv) Other financial liabilities	28,638.54	28,477.23	Level III
Total Financial Liabilities	**2,76,560.34**	**1,07,857.97**	

Note:

1. The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose.The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the Company believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value.The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

2. Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.

3. The carrying amount of trade receivables are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

4. For financial liabilities (trade and other payables and security deposits), fair value at amortised cost is determined by using discounted cash flow method; amortised on an aggregated basis and on straight line, as their individual impact is not considered material. Appropriate market borrowing rate of the Company as of each balance sheet date is used for discounting.

5. Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets,short term loans, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented.

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)

	As at March 31, 2026			As at March 31, 2025		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
- Equity instruments		22.49	24,735.34	-	19.26	24,735.34
- Debt instruments			22,724.04	-	-	11,097.82
- Preference shares						
Investments (Current)						
- Mutual Funds						
Trade receivables			41,166.30	-	-	22,527.71
Cash & Cash equivalents			678.55	-	-	31,083.37
Bank Balances			2,27,024.39	-	-	2,71,038.29
Other Financial Assets			7,450.19	-	-	24,185.87
Total Financial Assets	**-**	**22.49**	**3,23,778.81**	**-**	**19.26**	**3,84,668.40**
Financial liabilities						
Borrowings			1,01,548.79	-	-	2,302.20
Trade payables			90,459.44	-	-	29,297.37
Capital creditors						
Other financial liabilties			84,552.11	-	-	76,258.40
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**2,76,560.34**	**-**	**-**	**1,07,857.97**

Amendments to Ind AS 107: Disclosures relating to Supplier Finance Arrangements

The Company has entered into certain Supplier Finance Arrangements (SFA) with finance providers during the year. The primary objective of these arrangements is to benefit the MSME suppliers with early payments. The Company doesn't provide any collateral or guarantees to the finance provider.

Carrying Amount of Financial Liabilities:	March 31, 2026
(i) Financial liabilities classified under 'Trade Payables'	-
(ii) Out of (i), amount received by suppliers from finance providers	-

Payment Terms	March 31, 2026
(i) The Financial liabilities that are part of the arrangement	30-45 Days
(ii) Comparable trade payable that are not part of the arrangement	30-45 Days

The Company has applied transitional relief and accordingly comparative information, wherever applicable, for the above disclosures is not presented in the first year of adoption of the amendment.

Note 55 : Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk and other price risk, being mainly commodity price risk. Financial Assets affected by market risk include loans and advances, deposits and derivative financial instruments.

A. Interest rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates is minimal since the exposure relates primarily to the Company's long-term debt obligations of redeemable non-convertible bonds with fixed interest rates as disclosed in Note 24 . With the current profile of fixed rate borrowing, the Company is not sensitive to interest rate fluctuations.

The Company is exposed to interest rate risk because the Company borrows working capital funds benchmarked to overnight Treasury Bills, RBI Repo, six months EURO Inter Bank Offered Rate (EURIBOR)

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the Company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The Company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 47.

The Company's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Assets					
March 31, 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
March 31, 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Liabilities					
March 31, 2026	5653.09	13414.92	142.59	8848.36	28058.96
March 31, 2025	7665.48	11024.90	64.24	0.48	18755.10

The sensitivity of profit/ loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

(₹ in lakhs)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Receivables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
USD - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
Payables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(282.65)	(383.27)
USD - Weakening of ₹ by 5%	282.65	383.27
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(670.75)	(551.25)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	670.75	551.25
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(7.13)	(3.21)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	7.13	3.21
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(442.42)	(0.02)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	442.42	0.02
Profit Before Tax		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	282.65	383.27
USD - Weakening of ₹ by 5%	(282.65)	(383.27)
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	670.75	551.25
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(670.75)	(551.25)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	7.13	3.21
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(7.13)	(3.21)
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	442.42	0.02
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(442.42)	(0.02)

C. Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the Company's exposure to commodity risk is minimal.

The following table details the Company's sensitivity to a 5% movement in the input price of steel. The sensitivity analysis includes only 5% change in commodity prices for quantity consumed during the year, with all other variables held constant.

(₹ in lakhs)

Particulars	Increase of 5 %		Decrease of 5 %	
	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Steel	444.71	622.62	(444.71)	(622.62)

D. Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value.

The Company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long- term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below.

(₹ in lakhs)

Particulars	As on March 31, 2026			As on March 31, 2025		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Financial Assets						
Non-current investments	247.04	-	47,234.83	117.36	-	35,735.06
Loans (Non Current)	-	399.60	725.38	-	228.43	323.09
Other Financial Assets(Non Current)	-	38.70	144.45		37.92	122.81
Trade Receivables	41,166.30	-	-	22,527.71		
Cash and Cash Equivalents	678.55	-	-	31,083.37		
Bank Balances other than cash and cash equivalents	2,27,024.39	-	-	2,71,038.29		
Loans	163.99	-	-	644.33		
Other Financial Assets	5,978.07	-	-	22,829.29	-	
Total Financial Assets	**2,75,258.34**	**438.30**	**48,104.66**	**3,48,240.35**	**266.35**	**36,180.96**
Financial Liabilities						
Borrowings (Non Current)	2.20	2,300.00		2.20		2,300.00
Lease Liabilities (Non Current)		7,867.95	44,518.37		6,477.61	38,278.14
Borrowings (Current)	99,246.59		-			-
Lease Liabilities	3,527.25	-		3,025.42		
Trade payables	90,459.44	-		29,297.37		
Other financial liabilities	27,969.91	668.63		27,970.60	506.63	
Total Financial Liabilities	**2,21,205.39**	**10,836.58**	**44,518.37**	**60,295.59**	**6,984.24**	**40,578.14**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

E. Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its exposure to other financial assets, including deposits with banks and financial institutions, derivative instruments, and other financial instruments. The Company has adopted a policy of only dealing with counterparties that have sufficiently high credit rating in order to manage the credit risk. Trade receivables mainly comprise of government entities and the cash and cash equivalents and derivative instruments are maintained with banks and recognised financial institutions with high credit rating.

For trade receivables, as a practical expedient the Company computes credit loss allowance based on a provision matrix which considers historically observed default rates over expected life of trade receivables, adjusted for forward looking estimates. The movement in expected credit loss allowance is disclosed in Note 15.

The Company's maximum exposure to the credit risk for the components of Balance Sheet as March 31, 2026 and March 31, 2025 is the carrying amounts mentioned in Note no 15 and as stated in Note 53, around 73.20%(approx) of Company's turnover and 79.19% (approx.) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Govt. regulated entities. The maximum exposure relating to financial derivative instruments and financial guarantees is disclosed in Note 47 and Note 49 respectively.

Note 56 : Disclosure pursuant to Ind AS 1 "Presentation of Financial Statements":

a. Current assets expected to be recovered within twelve months and after twelve months from the reporting date

(₹ in lakhs)

Particulars	As on March 31, 2026			As on March 31, 2025		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Inventories	2,14,233.63	-	2,14,233.63	1,76,096.42	-	1,76,096.42
Trade receivables	41,166.30	-	41,166.30	22,527.71	-	22,527.71
Cash and cash equivalents	678.55	-	678.55	31,083.37	-	31,083.37
Bank balances	2,27,024.39	-	2,27,024.39	2,71,038.29	-	2,71,038.29
Loans	163.99	-	163.99	644.33	-	644.33
Other Financial assets	5,978.07	-	5,978.07	22,829.29	-	22,829.29
Current tax assets (net)	10,230.22	-	10,230.22	-	-	-
Other current assets	4,29,797.75	74,257.19	5,04,054.94	3,91,250.95	9,508.86	4,00,759.81

b. Current liabilities expected to be settled within twelve months and after twelve months from the reporting date:

(₹ in lakhs)

Particulars	As on March 31, 2026			As on March 31, 2025		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Borrowings	99,246.59		99,246.59	-		-
Lease Liabilities	3,527.25	-	3,527.25	3,025.42	-	3,025.42
Trade payables	90,459.44	-	90,459.44	29,297.37	-	29,297.37
Other financial liabilities	27,969.91	668.63	28,638.54	27,970.60	506.63	28,477.23
Other current liabilities	1,34,071.28	3,34,439.25	4,68,510.53	1,17,714.10	4,04,899.40	5,22,613.50
Provisions	61,593.37	-	61,593.37	1,04,770.06	359.20	1,05,129.26
Current tax liabilities (net)	-	-	-	2,647.80	-	2,647.80

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 57 : Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Ship repair. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Segment Assets		
Ship building	9,81,929.73	8,22,323.58
Ship Repair	3,68,919.83	3,48,784.30
Unallocated	57,957.92	1,33,441.35
Total	**14,08,807.48**	**13,04,549.23**
Segment Liability		
Ship building	5,99,776.60	4,36,865.61
Ship Repair	40,339.61	1,01,917.29
Unallocated	1,79,408.43	2,04,701.13
Total	**8,19,524.64**	**7,43,484.03**
Segment Revenue		
Ship building*	2,65,138.62	2,66,326.95
Ship Repair*	1,65,630.45	1,86,457.20
Unallocated	40,457.20	38,044.61
Total	**4,71,226.27**	**4,90,828.76**
Segment Result		
Ship building	47,536.79	43,421.67
Ship Repair	42,941.22	72,919.61
Unallocated	6,477.83	688.19
Total	**96,955.84**	**1,17,029.47**

Reconciliation of segment results to profit before tax from continuing operations:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended	
	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Amount as per segment results	96,955.84	1,17,029.47
Less: Finance Costs	8,316.03	3,644.93
Add: Exceptional items	-	-
Profit before tax from continuing operations	88,639.81	1,13,384.54

The Company has two major business segments -"shipbuilding" and "ship repair". Revenue under shipbuilding includes ₹158820.82 Lakhs (previous year: ₹206665.27 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having 59.90% revenue of the total Shipbuilding revenue, and for ship repair includes ₹100833.29 Lakhs (previous year: ₹153005.55 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having 60.88% in total of the total ship repair revenue.

*Out of segment Revenue from Operations, ₹1,10,570.34 Lakhs (₹53,436.82 Lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 58 : Capital Management

The Company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The Company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Long term borrowings	2,302.20	2,302.20
Net Debt*	1,01,548.79	2,302.20
Equity Share Capital	13,154.04	13,154.04
Other equity	5,76,128.80	5,47,911.16
Total Equity	5,89,282.84	5,61,065.20
Gearing Ratio	17.23%	0.41%

*Net Debt includes Short term Borrowings of the Company amounting to ₹ 99246.59 Lakhs (previous year Nil)

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2026 and March 31, 2025.

Ratios	Numerator	Denominator	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025	% change	Remarks if change is more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liabilities	1.33	1.34	(0.28%)	-
(b) Debt-Equity Ratio,	Total Debt	Shareholder's Equity	0.17	0.00	4099.73%	Due to short term loans taken during the year
(c) Debt Service Coverage Ratio,	*Earnings available for debt service	Debt Service	1.01	14.32	(92.94%)	Due to short term loans taken during the year
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.11	0.16	(29.46%)	Due to decrease in profit during the year
(e) Inventory turnover ratio,	Revenue from Operations	Average Inventory	2.21	3.33	(33.71%)	Due to project specific materials and equipment held in stock for the vessels currently at various stages of construction and decrease in turnover
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	12.44	13.30	(6.47%)	
(g) Trade payables turnover ratio,	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	3.71	7.79	(52.35%)	Due to decrease in purchases and increase in trade payables during the year

Ratios	Numerator	Denominator	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025	% change	Remarks if change is more than 25%
(h) Net capital turnover ratio,	Net Sales	Working Capital	1.71	1.94	(11.58%)	-
(i) Net profit ratio,	Net Profits	Net Sales	0.15	0.19	(19.81%)	-
(j) Return on Capital employed,	Earning before interest and taxes	Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.14	0.21	(33.39%)	Due to decrease in Profit and increase in total borrowings due to short term loans taken during the year
(k) Return on investment:						
(1) ROI on Equity Investment - unlisted subsidiaries	Dividend	Average investment in Equity of subsidiaries	-	-	-	-
(2) ROI on Equity Investment - others	Dividend	Average investment in Equityshares	2.59%	3.40%	(23.92%)	-

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

*Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments

Note 59 : The Company has used the ERP, SAP S/4HANA as the accounting software for maintaining its books of account, which has a feature of Security audit log and recording audit trail (edit log) facility throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except for the instances mentioned below.

i. The feature of recording audit trail (edit log) facility was enabled for identified database tables to log data changes for the accounting software used for maintaining the books of account. However, any direct data change to SAP database tables are not being carried out.

ii. Security audit log was enabled in the ERP from 2022 onwards.The feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software was enabled on March, 2024.

Further no instance of audit trail feature being tampered with was noted in respect of the accounting software and records are preserved in compliance with statutory requirements.

Note 60 : Consumption of imported goods/services for the year amounts to ₹87614.38 Lakhs (₹80419.32 Lakhs in previous year).

Note 61 : No proceedings have been initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 62 : The Company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets .The total Fund Based and Non-Fund based limits sanctioned by various banks under Multiple Banking Arrangement is as follows:

Description	Sanctioned Limit	Utilization As at March 31, 2026		Sanctioned Limit	Utilization As at March 31, 2025	
		Value	% Utilization		Value	% Utilization
Non Fund Based Limit	1579000	1141128	72.27%	1583900	1088611	68.73%
Bank Gurantees	1355500	1121877	82.76%	1345500	1069488	79.49%
Letter of Credit	223500	19251	8.61%	238400	19123	8.02%
Fund Based Limit	200000	99247	49.62%	NIL	NIL	NIL
WCDL	150000*	73175	48.78%	NIL	NIL	NIL
PCFC	50000	26072	52.14%	NIL	NIL	NIL

*Capped to the limit sanctioned by the Board of Directors.

The Company is not required to file any quarterly returns or statements with the banks.

Note 63 : The Company is not declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

Note 64 : The Company has no transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.

Note 65 : There are no charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

Note 66 : No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 67 : The Company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence disclosures relating to it are not applicable.

Note 68 : In the case of contracts/ sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

Note 69 : The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

Note 70 : Figures in brackets denote negative figures.

Note 71 : Previous year figures have been regrouped and reclassified wherever necessary to conform to the current year presentation.

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Consolidated Financial Statements

Independent Auditor's Report

To
The Members of **COCHIN SHIPYARD LIMITED**

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited (referred to as "the Holding Company") and its subsidiaries (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as "the Group") which comprises the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), consolidated Statement of Changes in Equity and consolidated Statement of Cash Flows, for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including material accounting policy information and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements").

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of reports of the other auditors on separate financial statements of such subsidiaries, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2026, the consolidated profit including other comprehensive income, consolidated changes in equity and its consolidated cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Act and the rules thereunder and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Consolidated Financial Statements.

Emphasis of Matter

4. **Suspension of construction of two passenger vessels and related uncertainties:**

   In 2016, the Holding Company entered into a contract with the Administration of a Union Territory of India for the construction of two passenger vessels at a total contract value of ₹81,900 lakhs (excluding taxes and foreign exchange variation). The vessels were launched in January 2020 and August 2022, respectively.

   As at the reporting date, approximately 55% of the construction work, up to the fourth stage, has been completed and payments aggregating to ₹66,503.63 lakhs (Previous year: ₹66,503.63 lakhs) have been received from the Administration. The fifth and final stage is linked to the delivery of the vessels.

   Subsequently, Administration of a Union Territory has expressed its intention to take delivery of one vessel, while the other vessel is proposed to be taken over by another Administration of a Union Territory, both subject to certain reconfigurations. However, the scope of modifications and related commercial terms, including reimbursement of costs, are yet to be finalised between the parties. Pending receipt of the necessary approvals and finalisation of the commercial arrangements, further construction activities remain suspended.

   Accordingly, the Holding Company expressed its inability to determine the financial impact, if any, arising from factors such as ageing of the vessels due to prolonged inactivity, occupation of berthing space and annual revalidation costs of bank guarantees amounting to ₹1,12,411.88 lakhs (Previous year: ₹1,10,936.04 lakhs) furnished to the Administration (Refer Note No. 35(5)).

5. Classification of Ship Building Financial Assistance:

The Holding Company's Management has represented that while determining the pricing of the vessels, it factor the Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is an integral component of the shipbuilding process. Accordingly, during the year, the Company has regrouped the SBFA under 'Sale of product' which was hitherto grouped under 'Other operating revenue'. (Refer Note No. 35(6)).

6. Lease Accounting by HCSL:

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) is following Ind AS 116 for accounting of lease in respect of its leasehold land. However, lease term and effective dates considered by HCSL for computation are not in agreement with provisions of the Deed of Declaration dated September 23, 2021 (Deed) between HCSL and President of India (Ministry of Ports, Shipping and Waterways). This Deed, read with Principal Deed of Lease dated January 19, 2018 is the governing agreement for leasehold land of HCSL. HCSL has recognized lease rent based on the original lease agreement signed on January 19, 2018, which was subsequently revised because of operation of law due to exit of Hooghly Dock and Port Engineers Limited (HDPEL). Lease term and effective dates should be made in parity with the provisions of the Deed for valuation of lease liability and Right of Use assets in the books of account.

7. Provision for Interest on Delayed Payment of Lease Rent to Government of India by HCSL:

HCSL had paid lease rent for its leasehold lands to Hooghly Dock and Port Engineers Limited (HDPEL) (now defunct), as follows:

Area	From	To
A. 5.31 Acres, Nazirgunge	16-February-2019	31-October-2019
B. 10.45 Acres, Nazirgunge	01-July-2019	31-October-2019
C. 9.91 Acres, Salkia	-----	-----

Thereafter, pending lease rent from November 2019 (in respect of Areas A and B) and from January 1, 2020 (in respect of Area C) to September 2024 was paid to the Government of India (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) in August 2024.

Provision for interest on delayed payment amounting to ₹54.76 lakhs (Previous Year: Nil) was made in the accounts for the financial year 2024-25 considering benchmark interest rate (SBI 6 Months MCLR) @ 8.90% + 2.00% = 10.90% p.a.

However, lease rent payable was computed by HCSL from February 16, 2019, July 1, 2019 and January 1, 2020 for Areas A, B and C respectively. Lease rent for the period from January 19, 2018 (effective date) as per the Deed of Declaration and interest thereon for the period from January 19, 2018 to February 15, 2019, June 30, 2019 and December 31, 2019 respectively (₹27.84 lakhs) was not considered by HCSL. The commencement date of lease and the lease rent considered by HCSL are not in agreement with the Deed of Declaration dated September 23, 2021 executed between HCSL and the President of India (Ministry of Ports, Shipping and Waterways).

8. Construction of Caisson Gate by HCSL:

The project for Construction of Caisson Gate by HCSL has reached 98.75% completion as on March 31, 2026 (Previous Year: 98.75%). The contractual delivery date expired on March 31, 2023.

No physical progress was achieved during the year ended March 31, 2026. However, direct project expenses increased by ₹6.02 lakhs during the year. The continued delay in completion of the project at its final stage has resulted in escalation of project costs.

9. Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP) of HCSL:

In the case of HCSL, income for the year ended March 31, 2026 includes ₹1,236.77 lakhs (Previous Year: ₹188.02 lakhs) recognised under the Ship Building Financial Assistance Policy (SBFAP) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India.

The realisation of the aforesaid assistance is subject to timely delivery of the vessels and fulfilment of other conditions prescribed under the SBFAP. Further, final approval in respect of assistance amounting to ₹218.42 lakhs relating to the MPV JAK Vessel is pending as on March 31, 2026.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

10. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Sl. No.	Key Audit Matters	Auditors' Response
1.	Measurement of Physical Completion of Shipbuilding and Ship Repair Activities (Refer Note 2.5 – Critical Accounting Estimates and Judgements and Note 3.11(a) – Revenue from Operations) The Holding Company determines the stage of completion of shipbuilding and ship repair contracts based on the estimated physical progress of work performed as at the reporting date. The assessment of physical completion is carried out internally by the Management, based on technical evaluations and inputs from the planning, design and engineering departments. Determining the extent of completion of each sub-activity requires significant technical judgement and estimation, particularly in assessing work performed but not yet certified. Given the technical complexity and the reliance on internal progress of assessments, measurement of physical completion was considered a Key Audit Matter.	Our audit procedures included: • Obtaining an understanding of the process for measuring physical progress and the systems used to capture project execution data. • Evaluating the design and implementation of internal controls over monitoring and reporting of project progress. • Performing sample-based substantive procedures by examining supporting documentation, project reports, milestone certifications and M-Book records. • In selected cases, obtaining external expert reports to corroborate Management's assessment of stage of completion. While we performed the above procedures, the measurement of physical completion inherently involves technical evaluation, and we placed reliance on Holding Company's Management's technical and activity-based assessments.
2.	Recognition of Revenue -Shipbuilding and Ship Repair Contracts (Refer Note 3.11(a) – Revenue Recognition under Material Accounting Policy Information, Note 35 – Revenue from Operations, and Note 46 – Additional Disclosures under Ind AS 115, "Revenue from Contracts with Customers") The Holding Company recognises revenue from shipbuilding and ship repair contracts over time in accordance with Ind AS 115 – Revenue from Contracts with Customers. Revenue recognition involves significant judgement in identifying performance obligations, determining the transaction price (including variable consideration such as change orders and claims), assessing the Company's enforceable right to receive payment for performance completed to date, estimating total contract costs and cost to complete, incorporating cost contingencies for contract-specific risks, and recognising expected losses on onerous contracts when such losses become probable.	Our audit procedures included: • Evaluating the appropriateness of the Holding Company's revenue recognition policies and their compliance with Ind AS 115. Testing key internal controls over identification of performance obligations, estimation of total contract costs, assessment of contingencies, evaluation of contract modifications, and recognition of variable consideration. • Examining selected contracts, amendments and related documentation to assess Management's determination of transaction price and contractual rights. • Comparing costs incurred to date with Management's cost-to-complete estimates and performing retrospective review of prior estimates against actual outcomes. • Evaluating Management's assessment of variable consideration through review of contractual terms, customer correspondence and where relevant, legal assessments.

Sl. No.	Key Audit Matters	Auditors' Response
	Changes in these judgements and estimates may materially impact the timing and amount of revenue and profit recognised. Given the magnitude of revenue and the complexity of contract accounting under Ind AS 115, we identified this as a Key Audit Matter.	• Performing analytical procedures to identify unusual revenue trends, loss-making or onerous contracts, and significant changes in cost estimates. • Assessing the adequacy of related disclosures in accordance with Ind AS 115 and Schedule III of the Act. Based on the procedures performed, we did not identify any material exceptions in respect of the Holding Company's application of Ind AS 115.

Other Information

11. The Holding Company's Management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Holding Company's Annual Report, but does not include the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon. The Holding Company's Annual Report is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report. Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

12. In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

13. When we read the Holding Company's Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to Those Charged With Governance and take necessary actions, as applicable under the relevant laws and regulations.

Management's and Board of Directors' Responsibilities for the Consolidated Financial Statements

14. The Holding Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated state of affairs, consolidated profit including other comprehensive income, consolidated changes in equity and its consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under Section 133 of the Act. The respective Management and Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of each Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

15. In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Management and Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of each Company to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the respective Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

    The respective Board of Directors of the companies included in the Group are also responsible for overseeing the financial reporting process of each Company.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

16. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from

fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

17. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management and Board of Directors.

- Conclude on the appropriateness of the Group's Management and Board of Directors' use of the going concern basis of accounting in preparation of Consolidated Financial Statements and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the appropriateness of this assumption. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's Report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial statements of such entities or business activities within the Group to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in the first paragraph of the section titled "Other Matters" in this audit report.

18. Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in:

    (i) Planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and

    (ii) To evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

19. We communicate with Those Charged With Governance of the Holding Company and such other entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors, regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

20. We also provide Those Charged With Governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

21. From the matters communicated with Those Charged With Governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial

Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our Auditor's Report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters:

22. We did not audit the financial statements of two subsidiary companies namely "Hooghly Cochin Shipyard Limited" and "Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited)", whose financial statements reflects total assets of ₹ 92,384.83 lakhs (previous year- 83,134.88 lakhs) (before consolidation adjustment) as at March 31, 2026, total revenue of ₹75,921.00 lakhs (previous year- ₹ 34,101.75 lakhs) and the net out cashflows of ₹2,475.58 lakhs (previous year- ₹ (619.69) lakhs) for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements have been audited by other auditor whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the subsidiaries and our report in terms of Section 143(3) of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, is based solely on the reports of the other auditor.

23. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on the "Other Legal and Regulatory Requirements" section below, is not modified in respect of the above matter with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

24. The Consolidated Financial Statements for the financial year ended March 31, 2025 were audited by the predecessor auditors, whose report dated May 15, 2025 expressed an unmodified opinion on the Consolidated Financial Statements. Our opinion on the Consolidated Financial Statements is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

25. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") as amended, issued by the Central Government of India in terms of section 143 (11) of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 of the Order, to the extent applicable our report thereon is enclosed as **"Annexure A"**.

26. Non-Compliance with Composition of the Board and Board Committees

We draw attention to the fact that, during the year, in the case of Holding Company, the requisite number of Non-Official (Independent) Directors was not in place, resulting in non-compliance with the provisions relating to the composition of the Board and certain mandatory committees thereof, as required under the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"), as amended from time to time. Consequently, the Holding Company did not have a duly constituted Audit Committee in accordance with Section 177 of the Act and Regulation 18 of the SEBI LODR Regulations, nor a duly constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Section 178 of the Act and Regulation 19 of the SEBI LODR Regulations.

Accordingly, the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2026, is not reviewed by the Audit Committee in accordance with the aforesaid provisions. The Management has informed us that, being a Central Public Sector Enterprise (CPSE), the power to appoint Directors vests with the Government of India, and necessary communications have been made to the Government for the appointment of the required number of Independent Directors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

27. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the Consolidated Financial Statements;

b. In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid Consolidated Financial Statements have been kept so far as it appears from our examination of those books, returns and the reports of the other auditors;

c. The consolidated Balance Sheet, the consolidated Statement of Profit and Loss, the consolidated Statement of Cash Flows and the consolidated Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements;

d. In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act as amended from time to time;

e. The provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Group, being a Government Company in terms of notification no. G.S.R.463 (E) dated June 5, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India;

f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure B**". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended the provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Holding Company and its Subsidiaries, being a Government Company/ies, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015;

h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. The Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group- Refer Note No. 49 to the Consolidated Financial Statements;

   ii. The Group Provision has been made in the Consolidated Financial Statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts;

   iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Group;

   iv. a. The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiaries respectively that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Holding Company or any of such subsidiaries or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Holding Company or any of such subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

   b. The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiaries respectively that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Holding Company or any of such subsidiaries from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Holding Company or any of such subsidiaries shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

   c. Based on the audit procedures, that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances, performed by us and those performed by the auditors of the subsidiaries, which are

companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act, nothing has come to our or other auditor's notice that has caused us or the other auditors to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) of the Companies (Audit and Auditors) Rule, 2014 contain any material misstatement.

v. In respect of the Holding Company, we report that the dividend declared/ paid by the Holding Company during the year is in compliance with section 123 of the Act. The subsidiaries have not declared or paid any dividends during the year.

vi. Based on our examination carried out in accordance with the Implementation Guidance on Reporting on Audit Trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (Revised 2024 Edition) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), which included test checks and that performed by the respective auditors of the subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act, except the instances mentioned below, we report that the Holding Company and the above referred subsidiaries have used an accounting software ie.,SAP S/4HANA, for maintaining its books of account, which has a feature of security audit log and recording audit trail (edit log) facility for all relevant transactions recorded in the software:

a. The feature of recording audit trail (edit log) facility was enabled for identified database tables to log data changes for the accounting software used for maintaining the books of account. However, any direct data change to SAP database tables are not being carried out;

b. Security audit log was enabled in the ERP. The feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software was enabled during the year under audit;

Further, for the periods where audit trail (edit log) facility was enabled and operated, we and respective auditors of the above referred subsidiaries did not come across any instance of audit trail feature being tampered with during the course of our audit. Additionally, the audit trail has been preserved by the Holding Company and it's subsidiaries as per the statutory requirements for record retention. Our examination of the audit trail was in the context of an audit of financial statements carried out in accordance with the SAs and only to the extent required by Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014. We have not carried out any audit or examination of the audit trail beyond the matters required by the aforesaid Rule 11(g) nor have we carried out any standalone audit or examination of the audit trail.

For **Babu A. Kallivayalil & Co.,**
Chartered Accountants,
Firm Registration No. 05374S

Alexander Nallanickal Koshy
Partner,
Membership No. 007448
UDIN: 26007448YPSBJU2895

Kochi
May 15, 2026

Annexure A to the Independent Auditors' Report

(Referred to in Paragraph 25 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date.)

As required by Paragraph 3 (xxi) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (CARO) we report that the auditors of the following companies have given qualification or adverse remarks in their CARO report on the Standalone Financial Statements of the respective companies included in the Consolidated Financial Statements of the Holding Company:

Sl. No.	Name of the Company	CIN	Relation	Date of Auditors Report	Paragraph no. in respective CARO Reports
1	Cochin Shipyard Limited	L63032KL1972GOI002414	Holding Company	May 15, 2026	xiii
2	Hooghly Cochin Shipyard Limited	U35900WB2017GOI223197	Subsidiary	April 24, 2026	Nil
3	Udupi Cochin Shipyard Limited	U27209TN1984GOI010994	Subsidiary	April 24, 2026	I(c)

For **Babu A. Kallivayalil & Co.,**
Chartered Accountants,
Firm Registration No. 05374S

Alexander Nallanickal Koshy
Partner,
Membership No. 007448
UDIN: 26007448YPSBJU2895

Kochi
May 15, 2026

Annexure B to the Independent Auditor's Report

(Referred to in Paragraph 27(f) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report to the Members of the Company of even dated.)

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (I) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT")

Opinion

In conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Company as of and for the year ended March 31, 2026, we have audited the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as "the Holding Company") which includes the internal financial controls over financial reporting of the Holding Company and its subsidiary companies (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as "the Group") which are companies incorporated in India, as of that date.

In our opinion, and based on the consideration of the reports of the other auditors on internal financial controls with reference to financial statements of subsidiary companies, as were audited by the other auditors, the Holding Company and such companies incorporated in India which are its subsidiary companies, have, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to financial statements and such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2026, based on the internal financial controls with reference to financial statements criteria established by such companies considering the essential components of such internal controls stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (the "Guidance Note").

Management's and Board of Directors' Responsibilities for Internal Financial Controls

The respective Management and the Board of Directors of the Holding Company and its subsidiary companies, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control with reference to Consolidated Financial Statements criteria established by the respective companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Holding Company and its subsidiary companies which are companies incorporated in India, based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk.

The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matter paragraph section below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Group.

Meaning of Internal Financial Controls with Reference to Financial Statements

A company's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Consolidated Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements includes those policies and procedures that:

a. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company

b. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Consolidated Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of Management and Board of Directors of the Company; and

c. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Consolidated Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with Reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements in so far as it relates to all subsidiary companies, which are companies incorporated in India, is based on the corresponding reports of the auditors of such companies incorporated in India.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **Babu A. Kallivayalil & Co.,**
Chartered Accountants,
Firm Registration No. 05374S

Alexander Nallanickal Koshy
Partner,
Membership No. 007448
UDIN: 26007448YPSBJU2895

Kochi
May 15, 2026

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) read with Section 129 (4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 read with Section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15.05.2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2026 under Section 143(6)(a) read with Section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited, Hooghly Cochin Shipyard Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision(s) made in the consolidated financial statements by the management, as indicated in Note Nos. 49 A (c) (v) and 49 C of the Consolidated Financial Statements, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Velliangiri)
Principal Director of Audit, Shipping

Place: Chennai
Date: 14.08.2026

Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	3,15,643.54	3,03,410.09
(b) Capital Work-In-Progress	5	58,611.36	51,499.36
(c) Intangible Assets	6	724.61	1,292.27
(d) Intangible Assets Under Development	7	68.06	68.06
(e) Financial Assets			
(i) Investments	8	11,300.18	19.26
(ii) Loans	9	625.01	551.52
(iii) Other Financial Assets	10	190.01	167.03
(f) Income Tax Assets (net)	11	2,946.83	2,946.83
(g) Deferred Tax Assets (net)	12	-	10,964.80
(h) Other Non-Current Assets	13	795.61	850.60
Total Non-Current Assets		**3,90,905.21**	**3,71,769.82**
Current Assets			
(a) Inventories	14	2,28,836.29	1,89,608.53
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	15	42,321.88	22,484.91
(ii) Cash and Cash Equivalents	16	10,538.70	31,667.12
(iii) Bank Balances Other than (ii) above	17	2,30,055.39	2,79,595.10
(iv) Loans	18	163.99	131.10
(v) Other financial assets	19	10,616.87	27,864.93
(c) Current Tax Assets (net)	11	10,346.67	-
(d) Other Current Assets	20	5,27,810.60	4,16,801.22
Total Current Assets		**10,60,690.39**	**9,68,152.91**
Assets held for sale	21	**1,469.50**	**-**
Total Assets		**14,53,065.10**	**13,39,922.73**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity Share Capital	22	13,154.04	13,154.04
(b) Other Equity	23	5,74,121.68	5,44,771.99
Total Equity		**5,87,275.72**	**5,57,926.03**
Liabilities :			
Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	24	2,302.20	2,302.20
(ii) Lease Liabilities	25	53,599.92	46,013.72
(iii) Other Financial Liabilities	26	21.81	19.99
(b) Provisions	27	5,466.48	5,329.32
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)	12	5,339.38	614.76
(d) Other Non Current Liabilities	28	940.71	8.08
Total Non-Current Liabilities		**67,670.50**	**54,288.07**
Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	29	1,07,583.59	4,599.11
(ii) Lease Liabilities	30	3,689.62	3,125.68
(iii) Trade Payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	31	11,364.74	10,461.36
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		84,877.88	38,948.18
(iv) Other Financial Liabilities	32	36,610.23	23,916.40
(b) Other Current Liabilities	33	4,95,874.04	5,41,551.97
(c) Provisions	34	58,118.78	1,02,645.68
(d) Current tax liabilities (net)	11		2,460.25
Total Current Liabilities		**7,98,118.88**	**7,27,708.63**
Total Equity and Liabilities		**14,53,065.10**	**13,39,922.73**
Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3		
Notes to the Consolidated Financial Statements	4 - 75		

The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Consolidated Statement of Profit & Loss

For the Year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
I Income			
Revenue From Operations	35	5,02,186.95	4,81,995.88
Other Income	36	40,982.42	38,906.50
Total Income		**5,43,169.37**	**5,20,902.38**
II Expenses:			
Cost of Materials Consumed	37	2,19,581.67	2,13,404.08
Changes in Inventories of Work-in-Progress	38	721.49	(532.85)
Sub Contract and Other Direct Expenses	39	1,06,324.14	87,928.42
Employee Benefits Expenses	40	47,236.62	42,436.89
Finance Costs	41	9,237.61	3,857.55
Depreciation and Amortisation Expenses	42	12,979.33	10,317.64
Other Expenses	43	42,678.17	38,169.27
Provision for Anticipated Losses and Expenditure	44	4,506.92	12,804.33
Total Expenses		**4,43,265.95**	**4,08,385.33**
III Profit Before Exceptional items and tax		**99,903.42**	**1,12,517.05**
IV Exceptional items		-	-
V Profit BeforeTax		**99,903.42**	**1,12,517.05**
VI Tax expense:			
(1) Current tax	11	8,851.00	29,550.79
(2) Income tax of prior years	11	(1,948.53)	875.11
(3) Deferred tax	11	21,327.00	(641.90)
VII Profit for the year		**71,673.95**	**82,733.05**
VIII Other comprehensive income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		(21,985.41)	865.28
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		5,548.57	(225.90)
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(357.34)	(337.82)
ii) Changes in fair value of FVTOCI equity instruments		3.23	6.71
iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		89.00	86.01
Other comprehensive income for the year		**(16,701.95)**	**394.28**
IX Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		**54,972.00**	**83,127.33**
X Earnings per equity share of ₹5 each :	45		
(1) Basic (₹)		27.24	31.45
(2) Diluted (₹)		27.24	31.45
Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3		
Notes to the Consolidated Financial Statements	4 - 75		

The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Consolidated Statement of Cash Flows

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	**99,903.42**	**1,12,517.05**
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation expense	12,979.33	10,317.64
Dimunition in value of Loose tools	274.45	192.03
Finance cost	9,237.61	3,857.55
Interest income	(16,720.55)	(19,781.17)
Provision for anticipated losses and expenditure	4,287.61	12,141.50
Provision no longer required	(20,762.27)	(14,054.34)
Loss allowance for Trade Receivables	219.31	662.83
Dividend income from Mutual Funds	(148.87)	(72.78)
Loss on sale/write off of Property, Plant and Equipment (PPE)	112.54	5.65
Profit on sale of PPE	-	(23.90)
Deferred Govt. Assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)		
Net (gain) /loss on foreign currency transactions		
Net (gain) /loss on foreign currency/ derivative transactions	(9,282.18)	86.86
Bad debts written off	-	8,614.55
Operating cash flow before working capital changes	**80,099.26**	**1,14,462.33**
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(39,227.76)	(86,999.13)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(1,30,034.63)	(97,789.58)
Increase / (decrease) in trade and other payables	(21,205.41)	56,526.85
	(1,10,368.54)	**(13,799.53)**
Income tax paid net of refunds	(13,039.47)	(14,621.19)
Net cash flows from operating activities (A)	**(1,23,408.01)**	**(28,420.72)**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	(7,003.49)	(16,469.60)
(Increase) / decrease in Intangible assets under development	-	(7.42)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(8,112.84)	(9,295.43)
(Increase) / decrease in Other Bank balances	49,539.71	76,164.15
(Increase) / decrease in Capital advance	(9,475.44)	(19,472.21)
Dividend received	148.87	72.78
Investment in NCD of DCI	(11,148.00)	-
Sale proceeds from PPE	33.64	120.63
Interest received	18,834.71	22,690.37
(Borrowings)/ Repayment of loans	(105.69)	(43.05)
Net cash flows from investing activities (B)	**32,711.47**	**53,760.22**
C. Cash flow from financing activities		
Repayment of lease liability	(3,567.97)	(2,970.05)
Dividend paid	(25,650.38)	(25,650.38)
Proceeds from WCDL/Short term borrowing	4,06,957.90	4,599.11
Repayment of WCDL/Short term borrowing	(3,03,973.43)	-
Finance cost	(4,198.00)	(292.36)
Net cash flows from financing activities (C)	**69,568.12**	**(24,313.68)**
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**(21,128.42)**	**1,025.82**
Cash and cash equivalent at the beginning of the year	**31,667.12**	**30,641.30**
Cash and cash equivalent at the end of the year	**10,538.70**	**31,667.12**

Consolidated Statement of Cash Flows

for the year ended March 31, 2026

Cash Flow Reconciliation:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Cash and cash equivalents		
Balance with Banks		
In current account	835.23	1,617.12
Term deposits with original maturity of less than three months	9,703.47	30,050.00
Cash and cash equivalents for the purpose of Statement of Cash flows	**10,538.70**	**31,667.12**

1. Statement of Cash Flows are prepared and presented using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and , any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

2. For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

Corporate overview and Material Accounting Policy Information 1 - 3

Notes to the Consolidated Financial Statements 4 - 75

The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Consolidated Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2026

A. Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2025	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2026
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2024	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2025
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

B. Other Equity

Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total		
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	Attributable to the Parent Company	Attributable to NCI	Other Equity
Balance as at April 01, 2025	**7,024.25**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,25,873.71**	**12,353.76**	**-**	**45.63**	**5,44,771.99**	**-**	**5,44,771.99**
Changes in accounting policy or prior period errors*				-				-		-
Restated balance at the beginning of the reporting period	7,024.25	93,151.89	6,322.75	4,25,873.71	12,353.76	-	45.63	5,44,771.99		5,44,771.99
Profit for the year				71,673.95				71,673.95		71,673.95
Other comprehensive income for the year				(265.11)			(16,436.84)	(16,701.95)		(16,701.95)
Total comprehensive income for the year				**71,408.84**	**-**	**-**	**(16,436.84)**	**54,972.00**		**54,972.00**
Dividends				(25,650.38)				(25,650.38)		(25,650.38)
Transfer to retained earnings				-		-	-	-		-
Land accounted at fair value	28.09							28.09		28.09
Amortisation of premium		(0.02)						(0.02)		(0.02)
Balance as at March 31, 2026	**7,052.34**	**93,151.87**	**6,322.75**	**4,71,632.17**	**12,353.76**	**-**	**(16,391.21)**	**5,74,121.68**		**5,74,121.68**

Refer Note 23 for further details

*EIR adjustment for financial instrument measured at amortised cost

Consolidated Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2026

B. Other Equity

Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total		
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	Attributable to the Parent Company	Attributable to NCI	Other Equity
Balance as at April 01, 2024	7,024.25	93,151.90	6,322.75	3,68,920.72	12,353.76	-	(593.75)	4,87,179.63		4,87,179.63
Changes in accounting policy or prior period errors				115.42				115.42		115.42
Restated balance at the beginning of the reporting period	7,024.25	93,151.90	6,322.75	3,69,036.14	12,353.76	-	(593.75)	4,87,295.05		4,87,295.05
Prior period adjustments				-						
Profit for the year				82,733.05				82,733.05		82,733.05
Other comprehensive income for the year				(245.10)			639.38	394.28		394.28
Total comprehensive income for the year				**82,487.95**			**639.38**	**83,127.33**		**83,127.33**
Dividends (including taxes)				(25,650.38)				(25,650.38)		(25,650.38)
Transfer to retained earnings						-	-	-		-
Amortisation of premium		(0.01)						(0.01)		(0.01)
Balance as at March 31, 2025	**7,024.25**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,25,873.71**	**12,353.76**	**-**	**45.63**	**5,44,771.99**	**-**	**5,44,771.99**

Refer Note 23 for further details

Corporate overview and Material Accounting Policy Information 1 - 3

Notes to the Consolidated Financial Statements 4 - 75
The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

1. CORPORATE OVERVIEW AND MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

1.1 Corporate Information:

Cochin Shipyard Limited (referred to as "CSL" or "Holding Company") is one of the leading shipyards in India, located in the southern state of Kerala. The Company was founded in 1972 and is owned by the Government of India. The Group is primarily engaged in shipbuilding and ship repair, catering to both the domestic and international markets.

The Holding Company is a "Miniratna", Schedule-"A", Category-I CPSE, which is also a public limited Group incorporated and domiciled in India. The registered office of the Holding Company is Perumanoor, Kochi, Kerala.

As at March 31, 2026, the Government of India holds 67.91% of the Group's equity share capital. The Group's equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax-free bonds are listed for trading on BSE Limited.

The Consolidated Financial Statements relate to Cochin Shipyard Limited (Holding Company) and its Subsidiaries, Hooghly Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as Hooghly-CSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as UCSL) (Formerly Tebma Shipyards Ltd).

The Holding Company and its Subsidiaries are together referred to as "Group".

The Consolidated Financial Statements for the year ended March 31,2026 were approved by the Board of Directors and authorized for issue on May 15, 2026 which are subject to the supplementary audit by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) and final approval of the shareholders.

Details of Subsidiaries	Share holding
Hooghly Cochin Shipyard Ltd. (hereinafter referred to as Hooghly-CSL) incorporated on October 23, 2017 is mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.	100%
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Ltd), acquired on September 15, 2020 through NCLT process, is mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.	100%

2. Basis of preparation and presentation of Consolidated Financial Statements

2.1 Statement of compliance

These Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the Consolidated Financial Statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

2.2 Functional and Presentation Currency

The Consolidated Financial Statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Group's presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest Lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

2.3 Basis of Measurement

These Consolidated Financial Statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2.3.1 Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Group's normal operating cycle;

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

ii. the asset is intended for sale or consumption;

iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;

iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;

v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;

vi. in the case of a liability, the Group does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the Group has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

(i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of expiry of warranty period.

(ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.3.2 Basis of consolidation

The Consolidated Financial Statements comprise the Financial Statements of the CSL and its subsidiaries as at March 31, 2026.

Subsidiaries are entities (including structured entities) over which the Holding Company has control. The Holding Company controls an entity when the Holding Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power to direct the relevant activities of the entity.

Consolidation of a subsidiary begins when the Holding Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Holding Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the Consolidated Financial Statements from the date the Holding Company gains control until the date the Holding Company ceases to control the subsidiary.

Consolidated Financial Statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. If a member of the Group uses accounting policies other than those adopted in the Consolidated Financial Statements for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to that Group member's Financial Statements in preparing the Consolidated Financial Statements to ensure conformity with the Group's accounting policies.

The Financial Statements of all entities used for the purpose of consolidation are drawn up to same reporting date as that of the Holding Company, i.e., year ended on March 31. Following consolidation procedure is followed:

a) Combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the Holding Company with those of its subsidiaries. For this purpose, income and expenses of the subsidiary are based on the amounts of the assets and liabilities recognized in the Consolidated Financial Statements at the acquisition date.

b) Offset (eliminate) the carrying amount of the Holding Company's investment in each subsidiary and the Holding Company's portion of equity of each subsidiary.

c) Eliminate in full intraGroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the Group (profits or losses resulting from intraGroup transactions that are recognized in assets, such as inventory and fixed assets, are eliminated in full). IntraGroup losses may indicate an impairment that requires recognition in the Consolidated Financial Statements. Ind AS 12 Income Taxes applies to temporary differences that arise from the elimination of profits and losses resulting from intraGroup transactions.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed

to the equity holders of the Holding Company of the Group and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the Financial Statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies. All intra-Group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

2.3.3 Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interests in the acquiree. Acquisition related transaction costs are recognised as expense in the statement of profit and loss as and when incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their acquisition date fair values. For this purpose, the liabilities assumed include contingent liabilities representing present obligation and they are measured at their acquisition fair values irrespective of the fact that outflow of resources embodying economic benefits is not probable. However, the following assets and liabilities acquired in a business combination are measured at the basis indicated below:

*Deferred tax assets or liabilities, and the assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with Ind AS 12 Income Tax and Ind AS 19 Employee Benefits respectively.

* Assets (or disposal Groups) that are classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations are measured in accordance with that standard.

Aggregate amount of consideration transferred (Purchase consideration) in excess of the Group's interest in the acquiree's net fair value of identifiable assets and liabilities is recognised as Goodwill. Excess of the Group's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets and liabilities over the purchase consideration is recognised in the Capital Reserve.

Non-Controlling Interest

Non-controlling interest represent the proportion of income, other comprehensive income and net assets in subsidiaries that is not attributable to the Group's shareholders. Non-controlling interest is initially measured at the proportionate share of the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of the interest at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and other comprehensive income are attributed to the owners of the Holding Company and to the non-controlling interests, shown separately in the Consolidated Financial Statements.

2.4 Use of estimates and judgments

The preparation of the Consolidated Financial Statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the Consolidated Financial Statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known/materialize.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.

2.5 Critical Accounting estimates and judgments:

The application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgments and the use of assumptions in the Consolidated Financial Statements have been disclosed below:

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

a) Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Group reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgments are involved in determining the elements of deferred tax items.

b) Leases

The Group evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Group uses significant judgments in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialized nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined.

For leases denominated in Group's functional currency, the Group considers the incremental borrowing rate to be the interest rate on borrowings from banks available to the Group.

c) Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Group. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall / surplus in the provision made earlier, necessary adjustments are made.

d) Litigations

From time to time, the Group is subject to legal proceedings and the ultimate outcome of each being always subject to many uncertainties inherent in litigation. A provision for litigation is made when it is considered probable that a payment will be made and the amount of the loss can be reasonably estimated. Significant judgment is made when evaluating, among other factors, the probability of unfavorable outcome and the liability to make a reasonable estimate of the amount of potential loss. Provision for litigations are reviewed at the end of each accounting period and revisions made for the changes in facts and circumstances.

e) Fair value measurements

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions.

The Group categorizes assets and liabilities measured at fair value into one of three levels depending on the ability to observe inputs employed in their measurement which are described as follows:

(a) Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

(b) Level 2 inputs are inputs that are observable, either directly or indirectly, other than quoted prices included within level 1 for the asset or liability.

(c) Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability reflecting significant modifications to observable related market data or Group's assumptions about pricing by market participants.

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

f) Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Group are recognized in the consolidated financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

g) Revenue Recognition

The Group exercises significant judgment in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers.

Revenue is recognized over time by measuring the work carried out or survey of performance completed to date under output method. Under this method, works completed to date in each contract are the basis to measure and recognize revenue. The quantum is calculated by each project team based on the technical progress up to the reporting date. The revenue recognized reflects the value of works completed/ measured to date in line with the consideration as determined in the respective contracts.

Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date.

h) Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

3. Material Accounting Policy Information

The Group has consistently applied all the accounting policies to the period presented in this Consolidated Financial Statements except where a newly issued Accounting Standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The Group presents the material accounting policies under this note, which should be read in conjunction with the information presented and disclosed in the relevant notes referred under these Consolidated Financial Statements and are considered to be "Material Accounting Policy Information".

3.1 Property , Plant and Equipment (PPE)

Recognition and Measurement:

Items of Property, Plant and Equipment are measured at cost, which includes capitalized borrowing costs, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. For the items of Property, Plant and Equipment existing as on April 1, 2015 i.e Group's date of transition to Ind AS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date. However in case of UCSL, fair value has been adopted as deemed cost on the transition date to Ind AS.

If significant parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, then they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Spare Parts are capitalized when they meet the definition of Property, Plant and Equipment, i.e., when the Group intends to use these for a period exceeding 12 months, have value of more than ₹ 5 Lakhs and that can be used only in connection with an item of property, plant and equipment and whose use is expected to be irregular are capitalized and depreciated over the useful life of the spares or principal item of the relevant assets, whichever is lower.

Any gain or loss on disposal of an item of Property, Plant and Equipment is recognized in the statement of profit and loss account.

Subsequent Expenditure:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the items is material and can be measured reliably.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

3.2 Capital work in progress

Capital work in progress are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP').

3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which is not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortized on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalized as intangible asset and amortized on a straight-line basis over a period of three years.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortized on a straight-line basis over a period of three years.

For the intangible assets existing as on April 1, 2015 i.e Group's date of transition to Ind AS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Computer software/ license is under development or is not yet ready for use, accumulated cost incurred on such items are accounted as "Intangible Assets Under Development"

3.4 Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings.

i) As a Lessee:

At the date of commencement of the lease, the Group recognizes a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis or another systematic basis over the term of the lease.

Right of Use (RoU) Assets

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments ie., amortised cost under effective interest method.The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. When a lease liability is remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of right of use asset, or is recorded in statement of profit and loss, if carrying amount of the right of use asset has been reduced to nil

Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the RoU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and RoU assets is also suitably adjusted.

The Group presents right of use assets in 'property, plant and equipment' and the lease liabilities separately from other liabilities in the Balance Sheet.

ii) As a lessor:

Leases for which the Group is a lessor is classified as a finance or operating lease.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease .The difference between the amount recognized as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

3.5 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

* For the assets constructed/developed for International Ship Repair Facility (ISRF) and New Dry Dock Project, depreciation is provided on the basis of useful life as assessed by technical experts.

* For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts.

* Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

*For certain types of buildings and equipments ,based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act.

Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and up to the date of such deletions.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all categories of assets.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Based on the technical evaluation of the management, for few categories of plant and machinery, the useful life is determined on double shift basis.

Capital Work in Progress included under Property, Plant and equipments are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

3.6 Impairment of Assets -Non Financial Assets

The Group assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less cost of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Groups of assets.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, available quoted market prices for public traded companies or other available fair value indicators."

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations, which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. To estimate cash flow projections beyond periods covered by the most recent budgets/forecasts, the Company extrapolates cash flow projections in the budget using a steady or declining growth rate for subsequent years, unless an increasing rate can be justified.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognized impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

3.7 Inventories

Inventory valuation is as per provisions of Ind AS 2.

Raw materials and components are valued at weighted average cost method . When they are intended to project use, valuation is done at project specific weighted average cost method

Stores and spares are valued at weighted average cost method.

Goods in transit are valued at cost.

Work in progress have been valued at lower of cost and net realisable value.

Finished goods have been valued at lower of cost and Net realizable value.

3.8 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognized when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

a) Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognized at the proceeds received net of direct issue cost.

b) Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

*Financial assets at amortized cost;

*Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);

*Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

i) Financial assets at amortized cost

Financial assets are subsequently measured at amortized cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

ii) Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and

interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

iii) Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognized in statement of profit and loss.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Group had made an irrevocable election to present the subsequent changes in the fair value in other comprehensive income. The Group makes such election on an instrument-by- instrument basis. The classification is made on initial recognition/transition and is irrevocable.

There is no recycling/reclassification of the amounts from OCI to the Statement of Profit and Loss, even on sale/disposal of the said equity investments.

Investment in preference shares/debentures are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortized cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortized cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

(1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and

(2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortization is included in other income in the Statement of Profit and Loss.

Impairment of Financial Assets

In accordance with Ind AS 109, the Group applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial Assets that are Debt Instruments, and are measured at amortized cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance

b) Financial guarantee contracts which are not subsequently measured as at FVTPL

c) Lease Receivables under Ind AS 116

Simplified Approach

The Group follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on Trade Receivables.

Trade Receivables

The Group classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Group assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a Group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Group recognizes lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the Group uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

The provision matrix is based on its historically observed default rates over the expected life of the

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

trade receivables and is adjusted for forward-looking estimates. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed. On that basis, the Group estimates provision on trade receivables at the reporting date.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognized at the reporting date is recognized as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

General Approach

For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Group determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-months ECL is used to provide for impairment loss. However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognizing impairment loss allowance based on 12-months ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-months ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized in the Statement of Profit and Loss. The Balance Sheet presentation for various financial instruments is described below:

* Financial Assets measured as at amortized cost: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the Balance Sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Group does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.

* Financial Guarantee contracts: ECL is presented as a provision in the Balance Sheet, i.e. as a liability.

*Debt instruments measured at FVTOCI: Since financial assets are already reflected at fair value, impairment allowance is not further reduced from its value. Rather, ECL amount is presented as 'accumulated impairment amount' in the OCI.

c) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortized cost, as appropriate.

All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortized cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Group's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

* Financial liabilities at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

* Financial liabilities at amortized cost;

* Financial Guarantee Contracts;

i) Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

ii) Financial Liabilities at amortized cost

Financial Liabilities that are not held-for-trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortized cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortized cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

iii) Financial Guarantee Contracts

Financial guarantee contracts issued by the Group are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make the payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognized initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount initially recognized less cumulative income recognized in accordance with principles of Ind AS 115.

d) De-recognition of Financial Instruments

A financial asset is de-recognized when:

* The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

* the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

A financial liability or a part of financial liability is de-recognized from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss.

e) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in Consolidated Financial Statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

f) Derivative instruments and hedge accounting:

The Group uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. The accounting for subsequent changes in fair value of derivatives depends on the designation or non-designation of derivative as hedging instruments. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Derivative that are designated as Hedge Instrument

The Group undertakes foreign exchange forward contracts for hedging foreign currency risks. The Group generally designates the whole forward contract as hedging instrument.

These hedging instruments are governed by the Group's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors.

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which the Group wishes to apply hedge accounting and the risk management

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes the Group's risk management objective and strategy for undertaking hedge, the hedging/ economic relationship, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged, hedge ratio and how the entity will assess the effectiveness of changes in the hedging instrument's fair value in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk.

Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that the hedge is actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which it was designated.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognized in the Other Comprehensive Income ('OCI') and accumulated under the heading Cash Flow Hedge Reserve within Equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss and included in the Other Income or Other Expenses as Gain on Derivatives or Loss on Derivatives respectively.

Amounts previously recognized in OCI and accumulated in equity relating to effective portion are reclassified to Statement of Profit and Loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line item as the recognized hedged item or treated as basis adjustment if a hedged forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting.

g) Contract Assets

Where the Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Group presents the contract as a contract asset. A contract asset is Group's right to consideration in exchange for goods or services that the Group has transferred to a customer, when that right is conditioned on something other than the passage of time. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

h) Contract Liabilities

Where the Group receives consideration, or the Group has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Group transfers a good or service to the customer, the Group presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Group's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

3.9 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

a) Provisions

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Group has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Warranty obligations included in this type of provisions are not treated as a separate performance obligation, unless the customer has the option of contracting the warranty separately, therefore they are recognized in accordance with Ind AS 37. These provisions are classified as current liabilities since they relate to the operating construction projects cycle, in line with Ind AS 1.

Provision towards guarantee claims in respect of ships delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships

delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case-to-case basis, wherever required.

Provisions for anticipated losses are recognized when it becomes apparent that the total costs expected to fulfil a contract exceed expected contract revenues. For the purpose of determining, where appropriate, the amount of the provision, budgeted contract revenue will include the forecast revenue that is considered probable, in line with Ind AS 37 as well as incremental costs. General costs are not directly attributable to a contract and are therefore excluded from the Budgeted cost unless they are explicitly passed on to the counterparty in accordance with the contract, in line with paragraph 68 of Ind AS 37.

b) Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Group. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Group treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the Consolidated Financial Statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Group does not expect them to have a materially adverse impact on the financial position or profitability. The Group does not recognize a contingent liability but discloses its existence in the Consolidated Financial Statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Group does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the Consolidated Financial Statements where an inflow of economic benefits is probable.

3.10. Asset Held for Sale

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. Such assets are available for immediate sale in their present condition and their sale is highly probable. Non-current assets and disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of their carrying value and fair value less costs to sell.

3.11 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from contracts with customers are measured based on the consideration specified in a contract with a customer (ie., transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable)

At the first instance, revenue recognition process involves identifying the relevant contracts and technical evaluation of the performance obligations, contained therein.

A single performance obligation is identified in shipbuilding and/or ship repair segments for each vessel, due to the high degree of integration and customization of the various goods and services forming a combined output that is transferred to the customer over time.

The Group choses the appropriate method of measuring the progress of the completion at the contract inception for recognizing revenue over time, and are applied consistently to similar performance obligations under the respective segments and/or activities carried out thereon.

Recognition of Revenue for a performance obligation satisfied over time is made only if the Group can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation.

The performance obligations for the shipbuilding and Ship repair activities carried out by the Company are satisfied over time rather than at a point in time since the Company's performance does not create an asset with an alternative use to the Company ie contractual restrictions and practical limitations to readily direct that asset for another use(Even in some cases it will be able to do so, it can only be done after significant changes and at significant cost) and it has an enforceable right to payment for performance completed to date.

Revenue is recognized when the Group satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue

- from fixed price portion is recognized using output method .
- by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers.
- The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as revenue.

In the case of ship repair contracts involving continuous multiple years maintenance support/ recurring and routine services, the Group opted for time-elapsed output method, i.e, measuring the progress based on time elapsed to reporting date, which is representative of the satisfaction of performance obligation subject to entitlement of consideration in exchange of goods and/or services.

Based on the technical assessment considering the latest available information to the Group, measuring the progress towards complete satisfaction of a performance obligation in the method adopted will be revised/updated on an ongoing basis.

During the initial stages of a contract, where the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation and the Group expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, revenue will be recognized only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

The Group generally does not recognize any revenue from additional work until it has been approved by the customer. When the scope of work has been approved but the impact on revenue is yet to be valued, the "variable consideration" requirement (as explained below) will apply. This entails recognizing revenue in an amount that is unlikely to be reversed.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Group estimates the net amount of consideration to which the Group is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

Revenue from Supply of Base & Depot Spares is recognized based on the satisfaction of performance obligation at a point in time on proof of receipt of goods from customer.

Unlike revenue recognition, amounts billed to the customer are based on the various milestones reached under the contract and on acknowledgement thereof by the customer by means of a contractual document referred to as a progress billing certificate. Therefore, the amounts recognized as revenue for a given year do not necessarily match those billed to or certified by the customer. For contracts in which

the revenue recognized exceeds the amount billed or certified, the difference is recognized in as "Contract Asset" under "Other Current Assets", while for contracts in which the revenue recognized is lower than the amount billed or certified, the difference is recognized as "Contract Liability" under "Other Current Liabilities".

Other Operating Revenue with respect to sale of stock items,scrap and consultancy income is recognized at a point in time when the Group satisfies performance obligations and right to receive the income is established as per terms of the contract by transferring promised goods and services to the customer.

Management fee is also recognized over a period of time.

HCSL is recognising Revenue of Management Fees/ Agency Fees on the basis of % of Cost completion.

b) Government Grants

Government grants are recognized when there is reasonable assurance that the Group will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognized in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Group recognizes as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognized as deferred income, and amortized over the expected useful life of the asset. Other grants are recognized in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Ship Building Financial Assistance (SBFA) is recognized over a period of time in proportion to the expenses / cost incurred and classified under "Revenue from Operations".

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Group with no future related costs are recognized in statement of profit & loss in the period in which they become receivable.

c) Other income

i) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

ii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the Consolidated Financial Statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement is intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the Consolidated Financial Statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance Company.

Other items of income are accounted as and when the right to receive such income arises and it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of income can be measured reliably.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

3.12 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund,National pension Scheme towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

i) Defined Contribution plans

Defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees is made to National Pension Scheme (NPS) and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Holding Company makes contributions to the Cochin Shipyard Employees Mutual Public Welfare Trust and Employees Medical Assistance Trusts, which are charged as expense, as and when they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

In respect of subsidiaries, contributions to Provident Fund are made to the Regional Provident Fund Commisioner and are charged to the Profit and Loss account. The companies have no further obligations for future Providend Fund benefits other than its monthly contributions.

ii) Defined benefit plans

Gratuity

The Group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The fund of Holding Company is managed by the trustees of the Cochin Shipyard Ltd Group Gratuity Trust .The liability or asset recognized in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

UCSL makes contribution to Group Gratuity Cash Accumulation plan maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC).

Provident Fund and Pension Scheme

The Group also makes contribution towards provident fund. The provident fund of Holding Company is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, then the deficiency shall be made good by the Holding Company. The deficiency, if any assessed by the holding Company based on actuarial valuation will be provided for in the accounts.

Other employee benefits

Compensated absences

The Group has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be

paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

3.13 Taxes on Income

a) Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Current and deferred taxes are recognized in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The Group has determined that interest and penalties related to income taxes, including uncertain tax treatments, do not meet the definition of income taxes, and therefore accounted for them under Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

b) Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The amount of current tax payable or receivable is the best estimate of the tax amount expected to be paid or received that reflects uncertainty related to income taxes, if any. It is measured using the tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset, when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

c) Deferred tax

Deferred tax is recognized using the Balance Sheet approach. Deferred tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

3.14 Operating Segments

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Group's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Group has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Ship Repair

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Group as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

3.15 Exceptional Items

An item of income or expense which by its size, type or incidence requires disclosure in order to improve an understanding of the performance of the Company is treated as an exceptional item and disclosed as such in the consolidated Financial Statements and also as per Guidance note on Division II - Ind AS Schedule III.

3.16 Excluded Financial Asset

Pursuant to resolution plan and NCLT Order dated 4th March 2020, the following assets/matters of Erstwhile Tebma shipyards mentioned below are identified as excluded financial asset based on information provided by the COC or Resolution Professional

1) VAT refund;

2) Insurance claim for damages to Tug lodged with an insurance Company;

3) Insurance claim for theft and burglary with an insurance Company;

4) Trade receivables from Indian Navy; and

5) 50% (fifty percent) of the amount of subsidy claim (ie., Shipbuilding Finance Assistance/subsidy) form Government of India.

These items will be accounted on realization basis.

3.17 Recent Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time.

On May 9, 2025, MCA notified the amendments to Ind AS 21 - Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. These amendments aim to provide clearer guidance on assessing currency exchangeability and estimating exchange rates when currencies are not readily exchangeable. The amendments are effective for annual periods beginning on or after April 1, 2025. The Group has assessed that there is no significant impact on its Financial Statements.

Ind AS 12, International Tax Reform – Pillar Two Model Rules applicable immediately - The amendments provide a temporary mandatory relief from deferred tax accounting for top-up tax and disclose that they have applied the relief. This amendment has no applicability or impact on the Group's Financial Statements.

Ind AS 1, Presentation of Financial Statements, applicable w.e.f. April 1, 2025 – The amendment relates to classification of liabilities as current or noncurrent and non-current liabilities with covenants. The Group has applied the amendments to Ind AS 1 relating to Classification of Liabilities as Current or Non-current and Non-current Liabilities with Covenants effective from 1 April 2025. The Group is also evaluating the impact of the specific provisions relating to covenant breaches that become effective from 1 April 2026.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 4 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 01st April 2025	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2026	As at 01st April 2025	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2026	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	3,267.86	28.09	-	3,295.95	-	-	-	-	3,295.95	3,267.86
Buildings & Roads	14,085.81	844.81	-	14,930.62	5,954.17	1,098.38	-	7,052.55	7,878.08	8,131.64
Plant and equipment	55,603.25	3,805.54	1,120.14	58,288.65	18,988.03	2,830.76	995.24	20,823.55	37,465.10	36,615.22
Furniture and fixtures	2,123.86	293.57	44.41	2,373.02	1,188.25	166.50	40.43	1,314.32	1,058.70	935.61
Vehicles	954.23	60.28	3.55	1,010.96	530.91	72.03	3.36	599.58	411.38	423.32
Office equipments	1,053.97	201.43	48.58	1,206.82	576.13	144.99	44.15	676.97	529.85	477.84
Others										
Data Processing Equipments	3,785.96	424.59	120.53	4,090.02	2,297.43	502.40	108.36	2,691.47	1,398.55	1,488.53
Docks and quays	1,06,658.39	2,967.30	-	1,09,625.69	3,137.13	1,951.34	-	5,088.47	1,04,537.23	1,03,521.26
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installations	2,795.63	363.02	0.83	3,157.82	1,557.67	237.20	0.32	1,794.55	1,363.27	1,237.96
Drainage and water supply	649.33	-	-	649.33	3.72	10.98	-	14.70	634.63	645.61
Vessels	95.42	-	-	95.42	16.24	5.65	-	21.89	73.53	79.18
Sub Total	**1,91,074.81**	**8,988.63**	**1,338.04**	**1,98,725.40**	**34,249.68**	**7,020.23**	**1,191.86**	**40,078.05**	**1,58,647.36**	**1,56,825.13**
b) Assets on leased premises										
Buildings & Roads	24,137.09	501.88	-	24,638.97	3,626.55	235.61	-	3,862.16	20,776.81	20,510.54
Plant and equipment	88,649.52	7,315.29	-	95,964.81	3,583.56	2,994.03	-	6,577.59	89,387.22	85,065.96
Docks and quays	162.31	-	-	162.31	18.53	-	-	18.53	143.78	143.78
Electrical installation	1,488.08	34.81	-	1,522.89	433.50	55.33	-	488.83	1,034.06	1,054.58
Slip way	1,117.99	-	-	1,117.99	864.94	14.20	-	879.14	238.85	253.05
Sub Total	**1,15,554.99**	**7,851.98**	**-**	**1,23,406.97**	**8,527.08**	**3,299.17**	**-**	**11,826.25**	**1,11,580.73**	**1,07,027.91**
Total (a)+(b)	**3,06,629.80**	**16,840.61**	**1,338.04**	**3,22,132.37**	**42,776.76**	**10,319.40**	**1,191.86**	**51,904.30**	**2,70,228.09**	**2,63,853.04**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	42,899.54	7,444.60	-	50,344.14	8,676.42	1,572.69	-	10,249.11	40,095.03	34,223.12
Right of Use - Buildings	186.59	154.74	-	341.33	158.90	38.31	-	197.21	144.12	27.69
Right to use ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	2,214.67	120.11	-	2,334.78	4,665.22	4,785.33
Leased Land at Nazirgunge & salkia -Right to use	575.00	-	-	575.00	54.09	9.83	-	63.92	511.08	520.91
Sub Total	**50,661.13**	**7,599.34**	**-**	**58,260.47**	**11,104.08**	**1,740.94**	**-**	**12,845.02**	**45,415.45**	**39,557.05**
Total(a+b+c)	**3,57,290.93**	**24,439.95**	**1,338.04**	**3,80,392.84**	**53,880.84**	**12,060.34**	**1,191.86**	**64,749.32**	**3,15,643.54**	**3,03,410.09**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 01st April 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2025	As at 01st April 2024	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	3,267.86	-	-	3,267.86	-	-	-	-	3,267.86	3,267.86
Buildings & Roads	10,523.68	3,562.13	-	14,085.81	5,262.89	691.28	-	5,954.17	8,131.64	5,260.79
Plant and equipment	26,506.35	29,106.98	10.08	55,603.25	16,699.50	2,293.96	5.43	18,988.03	36,615.22	9,806.85
Furniture and fixtures	1,989.37	135.31	0.82	2,123.86	1,021.31	167.11	0.17	1,188.25	935.61	968.06
Vehicles	678.62	289.84	14.23	954.23	479.58	63.54	12.21	530.91	423.32	199.04
Office equipment	756.77	297.89	0.69	1,053.97	451.56	124.98	0.41	576.13	477.84	305.21
Others										
Data Processing Equipments	3,064.32	881.89	160.25	3,785.96	2,033.27	414.57	150.41	2,297.43	1,488.53	1,031.05
Docks and quays	4,466.45	1,02,191.94	-	1,06,658.39	2,740.19	396.94	-	3,137.13	1,03,521.26	1,726.26
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	2,315.28	480.35	-	2,795.63	1,377.20	180.47	-	1,557.67	1,237.96	938.08
Drainage and water supply	23.55	625.78	-	649.33	2.05	1.67	-	3.72	645.61	21.50
Vessels	56.42	39.00	-	95.42	12.22	4.02	-	16.24	79.18	44.20
Sub Total	**53,649.77**	**1,37,611.11**	**186.07**	**1,91,074.81**	**30,079.77**	**4,338.54**	**168.63**	**34,249.68**	**1,56,825.13**	**23,570.00**
b) Assets on leased premises										
Buildings & Roads	23,961.79	254.86	79.56	24,137.09	3,059.09	567.46	-	3,626.55	20,510.54	20,902.70
Plant and equipment	8,984.57	79,669.26	4.31	88,649.52	960.70	2,622.86	-	3,583.56	85,065.96	8,023.87
Docks and quays	22.05	140.26	-	162.31	9.55	8.98	-	18.53	143.78	12.50
Electrical installation	1,408.60	80.55	1.07	1,488.08	357.59	75.91	-	433.50	1,054.58	1,051.01
Slip way	1,117.99	-	-	1,117.99	850.74	14.20	-	864.94	253.05	267.25
Sub Total	**35,495.00**	**80,144.93**	**84.94**	**1,15,554.99**	**5,237.67**	**3,289.41**	**-**	**8,527.08**	**1,07,027.91**	**30,257.33**
Total (a)+(b)	**89,144.77**	**2,17,756.04**	**271.01**	**3,06,629.80**	**35,317.44**	**7,627.95**	**168.63**	**42,776.76**	**2,63,853.04**	**53,827.33**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	42,725.73	173.81	-	42,899.54	7,173.41	1,503.01	-	8,676.42	34,223.12	35,552.32
Right of Use - Buildings	175.48	11.11	-	186.59	136.78	22.12	-	158.90	27.69	38.70
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	2,004.33	210.34	-	2,214.67	4,785.33	4,995.67
Leased Land at Nazirgunge & salkia -Right to use	575.00	-	-	575.00	43.92	10.17	-	54.09	520.91	531.08
Right to use - land (Malpe)										
Sub Total	**50,476.21**	**184.92**	**-**	**50,661.13**	**9,358.44**	**1,745.64**	**-**	**11,104.08**	**39,557.05**	**41,117.77**
Total(a+b+c)	**1,39,620.98**	**2,17,940.96**	**271.01**	**3,57,290.93**	**44,675.88**	**9,373.59**	**168.63**	**53,880.84**	**3,03,410.09**	**94,945.10**

a) Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Kochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

b) Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

c) Freehold land includes landed properties of the Group admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala provided as security for issue of Tax free bonds.

d) The Group has bearer plants in its premises and other sites which generates nominal income .Cost of such bearer plants cannot be reliably measured and hence these plants were not capitalized.

e) Title deeds of all immovable properties (ie freehold land) are held in the name of the Group.

f) In the case of following properties where the Group is the lessee, lease agreements are duly executed in favour of the lessee with the following exceptions:

1. Group has taken 8.12 HA of land (re-measured as 8.1164HA) and 15 HA of water body on lease from Cochin Port Authority (CoPA) on 12 April 2013 (1st phase) .CSL has also taken 8.134 HA of additional land area on lease from CoPA on 16 Nov 2017 (2nd phase).Two lease agreements (ie 1st phase allotment of land/waterbody and 2nd phase allotment of land) were entered between CSL & CoPA and both lease deeds have not been registered.

2. The group has executed concessionaire agreements with the Mumbai Port Authority (MBPA) and Syama Prasad Mukherjee Port Authority (SMPA) to Upgrade,Operate and Manage Ship Repair facility at Hughes Dry Dock and specified berths at Indira Dock of MBPA and two dry docks and Berth No.6 of Netaji Subash Dock of SMPA respectively.

The project site at MBPA is taken on license for 29 years. The license agreement is yet to be registered, as a request submitted for waiver of the stamp duty to the Government of Maharashtra is under consideration.

The project site at Syama Prasad Mukherjee Port Authority is taken on license for 30 years. As license agreement does not attract stamp duty and registration charges in West Bengal ,Concession Agreement with SMPA has not been registered.

g) The Right to use of land and ship repair facility represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be depreciated over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

During the Financial year 2025-26, the Company executed an addendum to the contract agreement with Cochin Port Trust, extending the lease period for further 30 years ie. Till 08.01.2078. Consequently, Right of use of land and ship repair facility has been remeasured and depreciated over a revised period of 60 years. The lease liability also has been remeasured to reflect the revised payments over the extended 60-year period.

h) In the case of following properties where the Company is the lessee, lease agreements are yet to be executed:

(1) Staff quarters at Kolkata held in the name of Syama Prasad Mookerjee Port Authority has been allotted to CSL. Lease agreement is yet to be executed

(2) Bed of Backwaters- Reclaimed Land (Land/water area) of 1.914' ha has been allotted to CSL by CoPA

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(3) Parking Space to Subcontractors (3.80 Ares) is taken on lease from Mr.K.Pradeep Kumar of which the prevailing lease contract period has been expired on 14.12.2025. Revised lease agreement is yet to be executed

(4) Additional Berth No. 9 at Indira Dock is alloted to CSL by MBPA (Land Area : 1501.20 Sq. Mtrs. And Water Front Area : 3753 Sq. Mtrs.) for which lease agreement is yet to be executed. The tenure of this lease is coterminus with the existing concession period expiring on 17.01.2048.

i) Registration is pending in case of following leasehold properties:

Description of Property	Area	Held in the name of
Transit House at New Delhi	2,200 sq.ft	Mrs.Anita Singhal
CVO Guest House at Kochi	3,721 sq.ft	Mr.Sree Kumar Nair and Ms. Sunanda Pillai Viswanath
Covered Storage Space at Kakkanad	10,887 sq.ft	Central Warehousing Corporation
	14,854 sq.ft	
	9526 sq. ft.	
	9526 sq. ft.	

j) As at 31 March 2026, there were no plant and equipment (previous year carrying value ₹ 403.40 Lakhs) which were temporarily idle.

k) The Gross carrying value of assets of ₹ 20081.26 Lakhs (previous year ₹ 28298.24 Lakhs) have been fully depreciated, but still are in use.

l) There were no additions on Property, Plant & Equipments on account of Research & development (previous year ₹ 2.83 Lakhs relating to welding technology).

m) Current year deductions include scrapping / retitement of assets valued at ₹ 146.17 Lakhs (Previous year ₹102.38 Lakhs) which has a Deemed Cost ₹ 1338.05 Lakhs (Previous year ₹271.01 Lakhs). This includes old assets having WDV of ₹107.42 Lakhs retired by the Company on the basis of recommendations of the Committee constituted by the Management to examine and verify the untraceable assets as part of the implementation of the RFID-based asset tagging system.

n) During the financial year, the Company has further capitalised an amount of ₹ 18,060.36 Lakhs (Previous Year: ₹ 79,344.26 Lakhs) and ₹ 4,462.18 Lakhs (Previous Year: ₹ 1,31,938.92 Lakhs) for the projects 'International Ship Repair Facility' and 'New Dry Dock' respectively.

Depreciation on these assets has been calculated considering the useful lives as determined by the management based on technical estimates made and on double shift basis. The useful lives adopted as per technical estimates are detailed in the table below;

International Ship Repair Facility **Useful life in years**

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management
A. Ship Lift Components			
Winches ,Control Tower,Ship inhaul/Mooring,Special Tool Kit	Plant & Machinery	10	28
Platform steel work	Plant & Machinery	10	55
Wheel fender	Plant & Machinery	10	17
B. Ship Transfer Components			
Trestles,Bogies,Spare Parts,Special Tool kit	Plant & Machinery	10	28

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management
C. Other assets			
Flat top tower cranes	Plant & Machinery	10	40
Ship lift & Transfer related facility			
Jetty 1,Jetty 2,Connection Jetty,Workstation North,Workstation South	Plant & Machinery	10	28

New Dry Dock **Useful life in years**

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management
Dry Dock Civil	Plant & Machinery	10	60
Pump House	Building	60	60
Caisson Gate	Plant & Machinery	10	60
600T Rail Mounted Gantry Crane	Plant & Machinery	10	40

o) UCSL and Karnataka Maritime Board have signed the Lease Agreement for the Leasehold land at Malpe & Hangarkatta on 23.12.2022, for a period of 30 years w.e.f 04.3.2020,i.e;the date of NCLT order approving the take over of M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile M/s TEBMA Shipyards Ltd) by M/s Cochin Shipyard Ltd. Towards this, Group made a total payment of ₹ 69.56 Lakhs to Karnataka Maritime board(KMB) during FY 2025-26 which consists of payment towards security deposit, lease dues, penalty and interests to the KMB against the dues.

p) Team 2 (12T BollardPull Tug) given on operating lease during the previous financial year has been included in "Plant & Equipments".

q) The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) have been recognized in accounts at ₹ 28.09 Lakhs.

r) Some parcel of lands belonging to UCSL continue to be in the name of erstwhile "Tebma Shipyards Ltd" and/or "Tebma Engineering Pvt Ltd" in the land records. Group has already initiated action to change the title deed in the name of "Udupi Cochin Shipyard Limited".

s) Assets which cannot be detached and transported for alternate use ("Non Removable Assets") constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets.

t) During the year, borrowing cost of ₹Nil (PY ₹ NIL) capitalised in the books of UCSL.

u) No charge has been created on Property,Plant & Equipments of UCSL.

v) Disclosures with regard to Measurement, Depreciation Method, Useful life etc. of Property, Plant and Equipment are given vide para 3.1 of Material Accounting Policies, Key Accounting Estimates and Judgements.During the year, no portion of the Property Plant and Equipment has been revalued portion.However, the management is of the opinion that the carrying value of the asset as aforesaid does not exceed its recoverable value. Further, there is no indication, whether internal or external, that result in impairment loss. Accordingly, the question of impairment of tangible fixed assets i.e. Property, Plant and Equipment does not arise.

w) The title deeds of Building ,Temporary Structure, Office Building, Factory Building and Roads belonging to M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd are not held in the name of Company, as the land is in the name of Government of India which were taken on lease for a period of 59 years and the Company had constructed immovable properties on the same.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

x) In case of Hooghly-CSL,Twenty-six percent (26%) of initial Equity Share capital of the Company was issued to secure leasehold right of the land without receipt of any monetary consideration. Value of such 26% equity shares (₹ 572.00 Lakhs) along with related expenses totalling ₹ 575.00 Lakhs was capitalized as Right to Use asset and depreciated on a straight line basis over the period for which the right is acquired, commencing from the date on which the right becomes capable of being exercised.

Note 5 : Capital Work -In -Progress

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Plant and machinery, Buildings and Civil works	55,053.53	37,373.06
Add: Expenditure during construction	1,830.93	1,924.08
Capital yard items	1,726.90	12,201.83
Goods in Transit	-	0.39
Total	**58,611.36**	**51,499.36**

Expenditure during construction

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Opening Balance	1,924.08	12,141.82
Add:Expenses during the year		
Salaries	-	205.27
Depreciation under Ind AS116	-	169.49
Finance cost under Ind AS116	-	544.61
Transferred to PPE	(93.15)	(11,137.11)
Exceptional items	-	-
Closing Balance	**1,830.93**	**1,924.08**

Capital Work -In -Progress (CWIP) includes capital expenditure on Research & development relating to Autonomous Surface Vessel (ASV) amounting to ₹ 757.75 Lakhs (Previous year -Nil).

The Holding Company has been engaged in a pilot Research and Development project under the R&D initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) - ASV- approved for partial funding of ₹2000 Lakhs (Project under execution; vessel under construction).

The Company had recognized the net cost incurred on this project (after reducing the grant) as Research & Development (R&D) expenditure in the Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2025. At that stage, the ownership position was not yet clarified. The MoPSW has now formally clarified that the ownership of this R&D asset rests with the Company.

The ASV is still under construction and has been reclassified as ""Capital Work in Progress"" until completion.

The Company will continue to monitor developments and review the valuation and classification of these assets in subsequent periods as necessary.

CWIP Ageing schedule as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	38,582.25	17,052.09	1,692.32	1,284.70	58,611.36
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

CWIP Ageing schedule as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	47,784.52	2,920.59	619.47	174.78	51,499.36
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Overdue CWIP as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
New Drydock For Large Ships	36,231.01	-	-	-
CKSRU Caisson Gate	1,908.96	-	-	-
MDP Upgradation - CKSRU	35.00	-	-	-
Integrated Security System		138.59	-	-
Electrical System At CKSRU	8.92	-	-	-
500 KWP Grid Connected Solar Power Plant At Various	144.76	-	-	-
10T LLTT Crane	9.46	-	-	-
CCTV Work At SBOC & MCS	1.70	-	-	-
Asset under Construction - Docks & Quay	63.24	-	-	-

Overdue CWIP as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Capital Work In Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
New Drydock For Large Ships	28,150.79	-	-	-
ISRF	17,772.57	-	-	-
CKSRU Caisson Gate	1,908.96	-	-	-
CMSRU Tower Crane	563.77	-	-	-
Aluminium Roofing Hull Shop	-	393.22	-	-
CNC Plasma Cum Oxy Fuel Plate Cutting Machine	315.48	-	-	-
Tower Crane At CKSRU	264.58	-	-	-
Integrated Security System	204.68	-	-	-
Conference Hall Renovation Of Business Development	117.75	-	-	-
Fire Main System	107.59	-	-	-
EWSB With Socket Outlet 4 Hc Bbt Hc Bay	102.01	-	-	-
Construction Of Skid For Block Fabrication At SSD	71.27	-	-	-
300KWP Solar Power Plant Near General Store	68.66	-	-	-
Replacement Of 5/Hc Bbt At Hc Bay Of Hull	46.01	-	-	-
Load Cell 150 T Crane	38.02	-	-	-
DSL System For Eot Crane	36.20	-	-	-
Switch Boards At Engine Shop And Machine Shop	25.56	-	-	-
Fixing Of Gratings In BD Pump Pit	20.47	-	-	-
DSL System For 50T Crane	20.11	-	-	-
Remodelling Gates,Visitors Centre,Golden Plaza	6.90	-	-	-
Mezzanine Floor In Hdd Building at CMSRU	2.50	-	-	-
Designing Of Movable Shed	2.31	-	-	-
HCSL Docks & Quay	63.24	-	-	-
HCSL Shed Construction	0.69	-	-	-

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 6 : Intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	April 01, 2025	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2026	April 01, 2025	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2026	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	5,275.57	351.33	-	5,626.90	3,983.30	918.99	-	4,902.29	724.61	1,292.27
	5,303.24	**351.33**	**-**	**5,654.57**	**4,010.97**	**918.99**	**-**	**4,929.96**	**724.61**	**1,292.27**

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	April 01, 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2025	April 01, 2024	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	4,680.85	594.72	-	5,275.57	2,869.76	1,113.54	-	3,983.30	1,292.27	1,811.09
	4,708.52	**594.72**	**-**	**5,303.24**	**2,897.43**	**1,113.54**	**-**	**4,010.97**	**1,292.27**	**1,811.09**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 7 : Intangible assets under development

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Intangible assets under development	68.06	68.06
Total	**68.06**	**68.06**

Intangible assets under development Ageing schedule as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	Amount in IAUD for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	-	7.43	-	60.63
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Intangible assets under development Ageing schedule as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	Amount in IAUD for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	7.43	-	32.18	28.45
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Overdue Intangible assets under development as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Repository - CANSRU	68.06	0.00	0.00	0.00

Overdue Intangible assets under development as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Repository - CANSRU	68.06	-	-	-

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 8 : Investments-Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	Face value per unit	Number of units as on March 31, 2026	Number of units as on March 31, 2025	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unquoted (Fully Paid up)					
Investment in equity instruments					
a) At Fair Value Through Other Comprehensive Income					
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class'	100	2,175	2,175	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited	10	70,000	70,000	20.31	17.08
Cochin Waste 2 Energy Private Limited	10	1,00,000	1,00,000	-	-
Investment in Debt Instruments					
a) At AmortisedCost					
7.72% Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Dredging Corporation of India Ltd. (DCIL) (Redeemable at par at the end of 10 years)	100000	11,148		11,277.69	-
Total				**11,300.18**	**19.26**
Aggregate value of unquoted investment				11,300.18	19.26
Aggregate value of quoted investments and market value thereof				-	-
Aggreagate amount of impairment in value of investments				10.00	10.00

a) Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste 2 Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil .Similarly, increase in value of investment in Kerala Enviro Infrastructure Limited is noticed and accordingly investment is fair valued.

b) The Group's Investment in Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited are non-participative shares and normally does not carry any voting rights. Hence, the group has carried this investment at its transaction value considering to be its fair value.

c) In February 2026, the Company invested in 11,148 Secured, Unrated, Unlisted, Redeemable, Non-Convertible Debentures (NCD) of Dredging Corporation of India Limited (DCIL) having a face value of ₹ 1,00,000 each, aggregating to ₹ 11,148.00 Lakhs. Mode of placement of the NCDs were private placement. The NCDs carry a coupon rate of 7.72% per annum and are redeemable at par at the end of 10 years from the date of allotment, with an option available to DCIL to redeem the NCDs earlier at the end of 5 years. Subscription to NCD was part of the agreement to enable DCI to fund the 12,000 Cu.M Trailer Suction Hopper Dredger (TSHD) "DR-Godavari", under the Shipbuilding Contract entered into between DCIL and CSL.

The Debentures are secured by pari-passu hypothecation and charge over all contractual rights and benefits arising out of the said contract during the pre-delivery period. Upon completion of construction and delivery of the Dredger, the security shall be on the dredger so delivered.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 9: Loans - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured, considered good:		
(a) Other Loans		
Loan to employees		
Related parties	3.71	-
Others	621.30	551.52
Total	**625.01**	**551.52**

No signficant increase in credit risk or credit impairment

Note 10: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Security deposits	151.31	129.11
Accrued Lease Rental Asset	38.70	37.92
Total	**190.01**	**167.03**

Security deposits includes rent deposits paid towards lease land at amortised cost under Ind AS 109 read with Ind AS 116

Note 11: Income Tax Assets / (Liability) (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	2,946.83	2,946.83
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	10,346.67	(2,460.25)

UCSL has not accounted the TDS amount uploaded in Form 26AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lien mark bank guarantee issued by Committee of Creditors (Coc)

Income Tax recognised in the Statement of Profit and Loss

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Current tax:		
Current income tax charge	8,851.00	29,550.79
Adjustment in respect of prior years	(1,948.53)	875.11
Total (A)	**6,902.47**	**30,425.90**
Deferred tax:		
In respect of current year	21,327.00	(641.90)
Total (B)	**21,327.00**	**(641.90)**
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	**28,229.47**	**29,784.00**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Income tax recognised in the Other Comprehensive Income	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Deferred tax:		
Arising on income and expenses recognised in Other comprehensive Income	-	-
Effective portion of gain/loss on cash flow hedges	(5,548.57)	-
Remeasurement of defined benefit obligations	(89.00)	-
Total	**(5,637.57)**	**-**
Income tax recognised in the Other comprehensive Income	**(5,637.57)**	**-**

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Profit before tax	**99,903.42**	**1,12,517.05**
Income tax expense calculated at respective applicable rates	25,622.94	28,752.75
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	4,231.27	8,427.28
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(14,104.92)	(7,758.64)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	450.27	393.76
Effect of income that is exempt from taxation	(3,660.08)	-
Adjustments with respect to unabsorbed business loss / Depreciation	-	(296.13)
Others	(3,688.48)	31.77
	8,851.00	**29,550.79**
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(1,948.53)	875.11
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	21,327.00	(641.90)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	**28,229.47**	**29,784.00**

Note 12: Deferred Tax Assets/(Liabilities) (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Deferred tax liabilities	(14,430.29)	(7,656.47)
Deferred tax assets	9,770.64	18,621.27
Total	**(4,659.65)**	**10,964.80**
Deferred tax liabilities of Hooghly-CSL	(679.73)	(614.76)
Total	**(679.73)**	**(614.76)**
Grand Total	**(5,339.38)**	**10,350.04**

Deferred tax Assets/(Liabilities) in relation to 2025-26

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Recognised in OCI	Closing Balance
Provisions	12,152.87	(4,911.08)	-	-	7,241.79
Property, plant and equipment	(8,030.36)	(7,234.11)	-	-	(15,264.47)
Intangible assets	(29.95)	106.28	-	-	76.33
Leased Assets	2,978.01	832.78	-	-	3,810.79
Leased Liabilities	(910.63)	(130.87)	-	-	(1,041.50)
Carry forward losses	4,102.57	(3,660.07)	-	-	442.50
Others	87.53	(6,329.93)	-	5,637.58	(604.82)
Total	**10,350.04**	**(21,327.00)**	**-**	**5,637.58**	**(5,339.38)**

Deferred Tax Assets/(Liabilities) in relation to 2024-25

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in OCI	Closing Balance
Provisions	6,539.69	5,613.18	-	12,152.87
Property, plant and equipment	(2,500.61)	(5,529.75)	-	(8,030.36)
Intangible assets	(258.36)	228.41	-	(29.95)
Leased Assets	2,449.52	528.49	-	2,978.01
Leased Liabilities	(842.65)	(67.98)	-	(910.63)
Carry forward losses	4,652.17	(549.60)	-	4,102.57
Others	(134.93)	419.15	(196.69)	87.53
Total	**9,904.83**	**641.90**	**(196.69)**	**10,350.04**

Note 13: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured, considered good		
Capital advances	423.90	520.51
Advances other than capital advances:		
Security deposits	330.31	289.04
Advance lease rentals	41.40	41.05
Total	**795.61**	**850.60**

The Company has given capital advances amounting to ₹ 132.03 Lakhs towards procurement of materials, equipments, machineries, services etc to the vendors/service providers which are fully covered by bank guarantees of an equal amount issued by the commercial banks and the guarantees are enforceable.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 14 : Inventories

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Raw Materials and components	2,08,445.61	1,66,097.28
Work in Progress	240.00	961.49
Goods-in transit	17,293.94	19,413.04
	2,25,979.55	**1,86,471.81**
Stores & Spares	1,477.79	1,408.55
Goods-in transit	-	630.36
	1,477.79	**2,038.91**
Loose tools	1,378.95	1,097.81
Total*	**2,28,836.29**	**1,89,608.53**

Stores & Spares represents spares of general nature and are not related to a particular asset.

* Includes Materials Pending Inspection as on 31 March 2026 comes to ₹ 11843.24 Lakhs (previous year ₹ 14426.93 Lakhs).

Inventories include goods amounting to ₹ 7695.04 Lakhs held at M/s BEL premises as on March 31, 2026 (Previous Year ₹ Nil). The Company has obtained legal ownership and control over these goods, with insurance and security maintained by the bailee. The goods are classified under Raw Materials and components in the ordinary course of business.

Inventories include Loose Tools amounting to ₹ 1378.95 Lakhs (Previous Year ₹ 1097.81 Lakhs) reclassified by the Company during the Financial Year 2025-26, in compliance with the Schedule III of Companies Act, 2013.

Entire stock of inventories of UCSL valuing ₹ 10456.28 Lakhs (previous year ₹11654.43 Lakhs) are hypothecated towards availing cash credit facility from the bank.

Note 15 : Trade Receivables-Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	42,321.88	22,484.91
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	536.92	2,569.56
Less: Allowance for Expected credit loss	(536.92)	(2,569.56)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Less: Allowance for Expected credit loss	-	-
Total	**42,321.88**	**22,484.91**

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Trade Receivables ageing schedule as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Billed Not due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
			Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	33,205.46	8,798.34	33.90	284.15	0.03	42,321.88
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	1.31	38.76	238.33	278.40
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	258.52	258.52
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**33,205.46**	**8,798.34**	**35.21**	**322.91**	**496.88**	**42,858.80**
Less: Expected Credit Loss provision as on March 31, 2026								536.92
Trade receivable as on March 31, 2026								**42,321.88**

Trade Receivables ageing schedule as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Billed Not due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
			Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	18,682.14	1,725.78	1,890.85	186.11	0.03	22,484.91
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	71.71	31.71	2,331.60	2,435.02
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	134.54	134.54
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**18,682.14**	**1,725.78**	**1,962.56**	**217.82**	**2,466.17**	**25,054.47**
Less: Expected Credit Loss provision as on March 31, 2025								2,569.56
Trade receivable as on March 31, 2025								**22,484.91**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Opening balance	**2,569.56**	**12,145.76**
Add: Additions during the year	297.02	634.86
Less: Reversals/withdrawals during the year	2,329.66	10,211.06
Closing Balance	**536.92**	**2,569.56**

Note 16 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Cash on hand		
Balance with Banks		
In current account	835.23	1,617.12
In current account out of IPO Proceeds		-
Term deposits with original maturity of less than three months	9,703.47	30,050.00
Term deposits with original maturity of less than three months from IPO Proceeds		-
Term deposits with original maturity of less than three months earmarked for objects of IPO		-
Total	**10,538.70**	**31,667.12**

Pursuant to resolution plan submitted by the M/s Cochin Shipyard Limited for takeover of Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile Tebma shipyards), the bid amounts have been paid to the banks under the approved resolution plan and all security charges, encumbrances, created or suffered to exist in relation to credit facilities extended to erstwhile M/s Tebma Shipyards Limited, stands released, discharged in terms of the resolution plan.Consequently the Bank guarantees stands discharged and margin money shall be released to M/s Udupi Cochin Shipyard Limited. However, the margin monies (aggregating approx. ₹351.12 Lakhs) have not yet been actually released by the banks to the Company as they hold the same as lien for the Bank Guarantees issued by them earlier which has been disputed by the UCSL. Therefore, on a prudent basis, the Company will recognize the Fixed deposits, Interest income and TDS portion of interest income only in the period in which the banks actually release the margin money deposits. Accordingly the aforesaid amount is not included in the above.

In HCSL, current A/C balance includes of ₹47.27 Lakhs as on March 31, 2026 (₹2.82 Lakhs as on March 31, 2025) and In Term deposit with less than 3 months maturity includes ₹7415 Lakhs as on March 31, 2026 (₹6798 Lakhs as on March 31, 2025) earmarked to PANDU Project, received from IWAI and kept in Separate A/C for expenditure against this project.

Note 17 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	2,037.27	2,030.72
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	3,031.00	-
Balance held on behalf of Indian Navy **	2,21,099.66	2,68,583.42
Balance held on behalf of UTLA***	47.01	77.04
Balance held on behalf of A&N***	3,755.58	155.24
Current account on behalf of IWAI****	-	2.82
Term deposit on behalf of IWAI****	-	6,798.00

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	-	-
Term Deposits with banks with original maturity more than 12 months (Maturing with 12 months from the date of balance sheet)	-	1,755.00
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	-	0.99
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	84.87	191.87
Total	**2,30,055.39**	**2,79,595.10**

*Lien Marked Term deposits represents deposits in which lien is marked in favour of State Bank of India & IDBI for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company & ₹ 120.69 Lakhs (previous year ₹ 113.57 Lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

**Funds parked by Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier and Next generation Missile Vessels are held in separate accounts. It includes Sweep-In Term-deposits of ₹ 2,20,582.94 Lakhs created from the respective accounts.

***Sweep-In Term-deposits of ₹ 20 Lakhs and ₹ 3738.37 Lakhs are included in the funds parked by UTLA and A&N account respectively.

****Earmarked to PANDU Project, received from IWAI and kept in Separate A/C.

Note 18 : Loans - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured, considered good		
Employee advances		
Related parties	1.27	0.18
Others	162.72	130.92
Total	**163.99**	**131.10**

No signficant increase in credit risk or credit impairment

Note 19 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Interest accrued on Bank Deposits	4,202.15	6,482.42
Interest accrued on employee advances		
Related parties	1.76	
Others	198.84	162.41
Ship Building Financial Assistance	6,190.55	17,340.05
Foreign Exchange Derivatives Assets	23.57	3,880.05
Total	**10,616.87**	**27,864.93**

During the year the Company has regrouped the Ship Building Financial Assistance for delivered vessels under 'Other Financial Assets - Current' which was hitherto grouped under 'Trade Receivables-Current' amounting to ₹1605.57 Lakhs (Previous Year ₹ 820.42 Lakhs) for more appropriate presentation.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 20 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party		
Other advances	2,03,979.87	1,81,470.50
Advances considered doubtful	0.07	0.07
	2,03,979.94	**1,81,470.57**
Less: Provision for doubtful advances	0.07	0.07
	2,03,979.87	**1,81,470.50**
Others		
Contract Assets for other works	1,35,933.14	92,482.86
Obsolete stock	1,541.49	316.79
Less: Provision for obsolesence*	(1,541.49)	(316.79)
Balance with Revenue authorities	1,900.33	1,721.31
Miscellaneous deposits	34.66	77.34
Prepaid expenditure	1,486.03	1,814.40
Other receivables**	-	31.95
Input Tax Credit on GST	1,52,386.98	1,34,386.35
Medical Insurance Premium	2,907.72	2,635.97
Ship Building Financial Assistance	27,651.56	-
Miscellaneous current assets ***	1,530.31	2,180.54
Total	**5,27,810.60**	**4,16,801.22**

*The Company assesses the movement of inventory at each Balance Sheet date.Since inventories are contract /project specific & each contract/project with different customers is distinct and having different characteristics, items are not ordinarily inter-changeable and unique in nature, therefore arriving at their net realizable value is not practical. As a practical expedient, the Company uses a graded provision matrix based on aging to determine the provision for slow-moving and obsolete inventory, which is then recognized in the Statement of Profit and Loss.

**Other receivables represents the amount to be recovered from Committee of Creditors (CoC) for the costs incurred for maintenance of excluded ships. Said sum consisted of funds utilized from the CIRP account kept by the resolution professional as well as funds used from the company's account. The company has received the balance amount from CoC during the Financial Year 2025-26

*** The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Group decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 and such excess amount is classified under Miscellaneous Current Assets.

In HCSL,Fund received from Inland Waterways Authority of India (IWAI) for Pandu Project-Ship Repair Facility Unit at Pandu-Guwahati, on Deposit basis has been adjusted from the Other Advance with the amount incurred till March 31, 2026 of ₹13412.62 Lakhs and till March 31, 2025 of ₹10559.94 Lakhs.

The Company has given advances amounting to ₹188257.57 Lakhs towards procurement of materials, equipments, machineries, services etc to the vendors/service providers which are fully covered by bank guarantees of an equal amount issued by the commercial banks and the guarantees are enforceable.

During the year the Company has regrouped the Ship Building Financial Assistance for vessels under construction under 'Other Current Assets' which was hitherto grouped under 'Other Financial Assets - Non Current' amounting to ₹ 27,651.56 Lakhs (Previous Year Nil) for better presentation.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 21 : Assets Held for Sale

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Asset held for Sale	1,469.50	-
Total	**1,469.50**	**-**

The Holding Company has been engaged in a pilot Research and Development project under the R&D initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) - Hydrogen Fuel Cell Technology for Marine Application- approved for partial funding of ₹1312.50 Lakhs (Project fully executed and vessel completed).

The Company had recognized the net cost incurred on this project (after reducing the grant) as Research & Development (R&D) expenditure in the Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2025. At that stage, the project was under development and the ownership position was not yet clarified. The MoPSW has now formally clarified that the ownership of this R&D asset rests with the Company.

The Hydrogen Fuel Cell Vessel is being actively marketed for sale with IWAI (which also falls under the administrative purview of MoPSW), and the Company has transferred possession of the vessel to them. The consideration and the contract are currently being discussed with IWAI under the guidance of the MoPSW. Pending the finalization of these discussions, the asset has been classified as "Asset Held for Sale". The Company will continue to monitor developments and review the valuation and classification of these assets in subsequent periods as necessary.

Note 22 : Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number	₹ in Lakhs	Number	₹ in Lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 5/- each	500000000	25,000.00	500000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 5/- each fully paid up	263080780	13,154.04	263080780	13,154.04
Total	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

22.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number	₹ in Lakhs	Number	₹ in Lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**
Add : shares issued during the year	-	-	-	-
Less: Shares extinguished on splitting of shares (refer note below)	-	-	-	-
Add : Equity shares of ₹5/- each issued during the year on splitting (Refer note below)	-	-	-	-
Less : Shares bought back during the year	-	-	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹5 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Sub-division & Other information:

On 10 Jan 2024, the Company sub-divided every 1 (one) Equity Share of the nominal/face value of ₹10/- each into 2 (Two) Equity Share of the nominal/face value of ₹5/- each.

In October 2024, the Government of India sold 1,30,15,689 (4.95%) equity shares out of its 19,16,86,928 (72.86%) equity shares held in Cochin Shipyard Limited (CSL) by way of Offer for Sale (OFS) through the Stock Exchange mechanism in accordance with the applicable SEBI guidelines. Consequently, the Government of India's shareholding in Company stands at 17,86,71,239 (67.91%) equity shares as on March 31, 2026.

22.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the Company

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	178671239	67.91	178671239	67.91

22.3 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	No. of Shares	%of total shares	% Change during the year
The President of India	178671239	67.91	Nil

Note 23 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Capital Reserves	7,052.34	7,024.25
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,151.87	93,151.89
Debenture Redemption Reserve	-	-
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	(16,391.21)	45.63
Retained Earnings	4,71,632.17	4,25,873.71
Total	**5,74,121.68**	**5,44,771.99**

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity.

Capital Reserve: Capital reserve includes ₹263.56 Lakhs being restoration charges received from Ms Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Group's land. It also includes gain on acquisition of subsidiary M/s Udupi Cochin Shipyard Ltd (Formerly Tebma Shipyards Ltd) ₹6696.04 Lakhs and acquisition of Non controlling interest of subsidiary M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd ₹64.65 Lakhs.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 Lakhs includes ₹ 11914.20 Lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 Lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The Company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹10 each at premium (₹93929.76 Lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹777.93 Lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

General Reserve: General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Group created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act,1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory.

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 48)

Interim dividend: During the year, the Company paid interim dividends of ₹4.00 per equity share of face value of ₹5 and ₹3.5 per equity share of face value of ₹ 5, as recommended at the board meetings held on November 12, 2025 and January 28, 2026 respectively.

Proposed dividend: The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹ 1.50 per equity share of face value of ₹ 5 for the financial year ended March 31, 2026 at the Board meeting held on May 15, 2026. This is subject to approval/ regularisation by the share holders in the Annual General meeting.

Note 24 : Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	2,302.20	2,302.20
Total	**2,302.20**	**2,302.20**

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 Lakhs totalling ₹ 2300 Lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029.

These bonds are secured against the landed properties of the Group admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹2300 Lakhs received, the Group has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 25: Lease Liabilities-Non current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Lease Liabilities under Ind AS 116	53,599.92	46,013.72
Total	**53,599.92**	**46,013.72**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 26 : Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Security deposit	21.81	19.99
Total	**21.81**	**19.99**

Rent Deposit recieved against vessel given on operating lease disclosed at amortised cost as per Ind AS 109 - Financial Instruments.

Rent deposits maturing during the current year are stated in Current -Financial Liabilities.

Note 27 : Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 40)	5,094.56	5,124.67
Provision for employee benefits - Gratuity	371.92	204.65
Total	**5,466.48**	**5,329.32**

Note 28 : Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Deferred Income arising from Government Assistance	940.12	5.72
Advance lease rental	0.59	2.36
Total	**940.71**	**8.08**

Note 29 : Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Secured		
Loan from banks repayable on demand	1,07,583.59	4,599.11
Total	**1,07,583.59**	**4,599.11**

Cochin Shipyard Limited (CSL) has a sanctioned Short Term borrowing limits of ₹ 200000 Lakhs from various banks, out of which ₹ 99246.59 Lakhs has been availed as on March 31, 2026. These loans are unsecured Working Capital Demand Loans (WCDL) of ₹ 73174.99 Lakhs in Indian Rupee, and a Packing Credit in Foreign Currency (PCFC) of EUR 23.92 million (₹ 26071.60 Lakhs). The Company borrows working capital funds benchmark to overnight treasury bills, RBI Repo and six months EURO Inter Bank Offered Rate (EURIBOR).

UCSL has availed Cash Credit facility (Sanction limit of ₹ 20000 Lakhs) from Union Bank of India ,SBI,SIB and Federal Bank at the interest rate 8.25% ,8.65%,8.00% & 7.90% annum respectively.Company has also availed EPC limits within the SBI sub limit at 6.34% p.a. Credit facility is secured by hypothecation of current assets including inventory and receivables of the Company. Terms of Repayment: Running account repayable on demand subject to annual review/ renewal.

Cash credit facility availed by UCSL as on March 31, 2026 is ₹ 3,985.62 (PY ₹ 4,344.04)

HCSL has availed Cash Credit facility (Sanction limit of ₹ 8000 Lakhs) from SBI at the interest rate 8.60% per annum. Credit facility is secured by hypothecation of current assets including inventory and receivables of the Company. Terms of Repayment: Running account repayable on demand subject to annual review/ renewal.

Cash credit facility availed as on March 31, 2026 is ₹ 4351.38 Lakhs.

Note 30: Lease liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Lease Liabilities under Ind AS 116	3,689.62	3,125.68
Total	**3,689.62**	**3,125.68**

Note 31 : Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	11,364.74	10,461.36
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	84,877.88	38,948.18
Total	**96,242.62**	**49,409.54**

Note: Fund Received from Inland Water Authority of India for PANDU Ship Repair Project (HCSL is a Nodal Agency) has been regrouped from Outstanding dues-of Creditor's Other MSME to Other Current liability ₹ 20829.55 Lakhs as on March 31, 2026 and ₹ 17360.71 Lakhs as on March 31, 2025.

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro,Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	11,364.74	10,461.36
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Trade Payables ageing schedule as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	11,364.74	-	-	-	-	11,364.74
(ii) Others	78,049.13	6,708.87	119.88	-	-	84,877.88
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-	-
Unbilled Creditors	-					-
Total	**89,413.87**	**6,708.87**	**119.88**	**-**	**-**	**96,242.62**

Trade Payables ageing schedule as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	10,461.36	-	-	-	-	10,461.36
(ii) Others	33,940.44	4,934.11	73.63	-	-	38,948.18
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-	-
Total	**44,401.80**	**4,934.11**	**73.63**	**-**	**-**	**49,409.54**

Note 32 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Interest accrued but not due	8.04	0.00
Dividend on preference shares	-	
Unpaid Dividend	84.87	191.87
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	14,187.11	3,808.64
Others		
Security and other deposits	2,466.96	4,605.30
Profit share payable to lessor	1,250.10	834.50
Others Payables	18,613.15	14,476.09
Total	**36,610.23**	**23,916.40**

Other Payables includes Capex trade payables of ₹ 5008.83 Lakhs (Previous year ₹. 8995.98 Lakhs) out of which ₹ 124.86 Lakhs (Previous Year ₹ 497.83 Lakhs) is payable to MSME vendors, which are not due as on March 31, 2026.

Other payables includes ₹ Nil (PY ₹ 1,253.84 Lakhs) payable to Committee of Creditors i.e; Subsidy received from Ministry under Ship Building Subsidy Scheme paid during the year.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 33 : Other Current Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)*	27,093.35	32,746.10
IAC Trade payables**	4,102.66	8,184.24
Contract Liability for other works	4,25,449.49	4,72,382.06
Advances for ship building , ship repair and other contracts	30,239.33	21,637.22
Income received in advance	31.87	3,451.97
Statutory dues	7,554.24	3,149.24
Deferred SD liability	89.57	-
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Deferred Income arising from Government Assistance against the Asset Held for Sale	1,312.39	-
Total	**4,95,874.04**	**5,41,551.97**

*The Company has incurred expenditure amounting to ₹ 40,802.45 Lakhs up to 31 March 2026 (Previous year: ₹ 40,690.02 Lakhs) towards augmentation of infrastructure facilities for the construction of the Indigenous Aircraft Carrier (IAC) out of funds received from the Indian Navy. The ownership of the assets created out of these funds vests with the Indian Navy.

Out of the aforesaid expenditure, the Company has identified assets amounting to ₹ 17,856 Lakhs (Previous year: ₹17856 Lakhs) proposed to be taken over by the Company, for which a formal proposal has already been submitted to the Indian Navy. Pending transfer of ownership and finalisation of the takeover value with the Indian Navy, such assets have not been capitalised in the books of account of the Company.

The Company continues to utilise these assets for various shipbuilding operations, including projects of the Indian Navy other than the IAC. Upon finalisation and mutual agreement of the takeover value with the Indian Navy, the said assets will be capitalised in the books of the Company.

Stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹3148.87 Lakhs (previous year ₹4746.37 Lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

"During the Financial Year 2022-23, the Company has handed over the Indigenous Aircraft Carrier (IAC P-71) to Indian Navy in accordance with the contract for the construction of IAC P-71. The Company has raised Invoice for ₹ 1915000 Lakhs on achievement of the delivery milestone of the contract. The balance scope of work are being completed subsequently as per the construction contract.

The Company has recognised revenue to the extent of ₹ 1913767.77 Lakhs as on March 31, 2026 against the IAC project P-71 and the balance revenue would be recognised as and when the performance obligations are achieved in accordance with the construction contract of IAC P-71. The details of revenue recognised so far on the project are as follows:

(₹ in lakhs)

Description	FY 2025-26	FY 2024-25
Revenue Recognised as at beginning of the year	18,99,557.25	18,61,114.01
Revenue recognised during the year	14,210.52	38,443.24
Total revenue recognised on IAC P-71 as at year end	**19,13,767.77**	**18,99,557.25**

Refer Note No 46 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers".

**IAC Trade Payables include ₹ 378.05 Lakhs (previous year - ₹ 1351.93 Lakhs) payable to MSME vendors which are not due as on 31 March 2026.

Fund received from Inland Waterways Authority of India (IWAI) for Pandu Project-Ship Repair Facility Unit at Pandu-Guwahati, on Deposit basis has been net off with amount incurred on Pandu Project till March 31, 2026 of ₹ 13412.62 Lakhs and balance amount as on March 31, 2026 of ₹ 7416.93 and as on March 31, 2025 of ₹ 6800.77 Lakhs is included in other current liabilities.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 34 : Provisions - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Provision for Employee benefits		
Gratuity	652.67	808.19
Compensated absences (Refer Note No 40)	435.76	452.36
	1,088.43	**1,260.55**
Other Provisions		
For Taxes and duties	2,618.60	2,682.22
For Shipbuilding loss	5,176.00	17,119.00
For Expenditure / contingencies	49,235.75	81,583.91
	57,030.35	**1,01,385.13**
Total	**58,118.78**	**1,02,645.68**

Provision for Expenses / Contingencies

In order to meet the contingent expenditure to operationalise the facility as per the resolution plan, a provision for contingency of ₹ 1250 Lakhs has been provided in books of UCSL as on 31/3/2020. During the year, UCSL has adjusted an amount of ₹ Nil (PY Nil) and the balance of ₹ 640.01 Lakhs has been reviewed and retained.

The Company has created provision towards contractual warranties in respect of vessels delivered, generally covering a period of 12 months from the date of delivery. Under these warranties, the Company undertakes to rectify defects arising from design,material,workmanship and other specified deficiencies. The outflows relating to warranty obligations are expected to arise over the warranty period from the date of delivery of vessels. The Company generally takes an insurance policy to cover risks associated with warranty obligations on new build vessels. The management believes that the insurance coverage will substantially mitigate the financial impact of warranty claims.

Other Provisions for Expenditure/Contingencies includes of ₹ 610.94 Lakhs related to Provision against the Interest income earned from PANDU Fund till March 31, 2026. Interest earned on short term deposit on surplus fund related to Ship Repair Project (PANDU) till March 31, 2026 of ₹ 610.94 Lakhs disclosed as income from deposit during FY 2022-23 to FY 2025-26, are showing as Provision in FY 2025-26.

34.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2025	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at March 31, 2026
Provision for employee benefits- Gratuity	808.19	652.62	728.28	79.86	652.67
Compensated absences	452.36	10.50	-	27.10	435.76
Provision for taxes and duties	2,682.22	2.85	66.47	-	2,618.60
Provision for shipbuilding loss	17,119.00	620.00	1,840.00	10,723.00	5,176.00
Provision for expenditure / contingencies	81,583.91	2,72,961.38	2,98,488.88	6,820.66	49,235.75

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2024	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at March 31, 2025
Provision for employee benefits- Gratuity	459.97	808.04	399.76	60.06	808.19
Compensated absences	363.42	88.94	-	-	452.36
Provision for taxes and duties	2,672.32	9.90	-	-	2,682.22
Provision for shipbuilding loss	6,363.00	11,297.00	-	541.00	17,119.00
Provision for expenditure / contingencies	53,020.97	1,26,069.08	94,858.37	2,647.77	81,583.91

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 35 : Revenue from operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	14,210.52	38,443.24
Vessels other than IAC	2,89,584.75	2,37,177.93
Engineering works	-	-
Ship Building Financial Assistance	23,001.11	13,854.70
Income from CSAS	315.64	1,143.03
Income from B&D spares	8,342.31	3,553.98
	3,35,454.33	**2,94,172.88**
Sale of services		
Ship repairs	1,63,169.42	1,83,455.74
Management fee	1,630.49	1,615.34
Income from services	205.82	168.10
	1,65,005.73	**1,85,239.18**
Other operating revenue		
Sale of stock items	305.28	337.01
Sale of scrap	1,421.61	1,219.66
Consultancy Income	-	1,027.15
	1,726.89	**2,583.82**
Total	**5,02,186.95**	**4,81,995.88**

1. Revenue is recognized when the Company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date. Output method faithfully depicts the Company's performance towards complete satisfaction of the performance obligation and gives a clear picture of Company's efforts and hence the same is being adopted to depict the performance completed to date.

2. Refer Note No 46 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers".

3. Out of the Revenue from Operations, ₹ 156522.58 Lakhs (₹ 72,826.99 Lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

4. The Group has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.

5. The Company is executing shipbuilding contracts with the Andaman & Nicobar (A&N) Administration for the construction of two 1200-passenger vessels (yard nos. SH.0023 and SH.0024). The contractual delivery dates, as extended, have expired for both vessels as on 29 April 2023 for vessel SH.0023, and 30 October 2023 for vessel SH.0024.

   The two vessels are customized and designed for specific operations between Andaman Islands and Main Land. Subsequently based on a request from the A&N Administration, the Company has abated delivery activity, as the Administration has sought reallocation of the vessels to other prospective buyers. As part of a Ministry-driven initiative, the Company is actively exploring the possibility of reallocation of the vessel.However, such reallocation would necessitate significant technical modifications and cost, and the vessels, in their current state, are considered to have no alternative use.

   Given that the Company continues to have a valid and enforceable contract with the A&N Administration, and there is no current mutual termination or novation of the contract, no additional provision for LD has been recognized beyond 29 April 2023 and 30 October 2023, respectively, for SH.0023 and SH.0024 for reason of abated delivery at the request of the buyer. In accordance

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

with the terms of the contract and based on prudent estimates, the Company has recognized provision for liquidated damages (LD) up to the aforementioned dates.

The cumulative percentage of completion for the two vessels as on March 31, 2026 is 54.84 percent for SH.0023 and 55.19 percent for SH.0024. The total liquidated damages for SH.0023 is ₹ 11814.08 Lakhs and for SH.0024 is ₹ 9756.34 Lakhs up to the financial year 2025-26. The Company has recognized revenue to the tune of ₹ 16944.49 Lakhs towards SH.0023 and ₹ 17158.03 Lakhs towards SH.0024 upto March 31, 2026 after considering the liquidated damages.

The Andaman & Nicobar (A&N) Administration has now renewed their interest in one vessel with modification to suit their current requirements. The Union Territory of Lakshadweep Administration (UTLA) has also similarly indicated their willingness for the second vessel with modifications as per their requirement. The modifications are in discussion with the two administrations. Both administrations have confirmed their willingness to take over each vessel in its current under-construction state, subject to the necessary modifications. The holding Company continues to monitor developments related to this contract and will review its accounting estimates and provisioning requirements in subsequent periods as more information becomes available.

It is anticipated that the eventual sale of the vessel to a new customer will cover the various costs incurred during the construction and abatement period. The new price for the vessel is likely to be higher primarily due to significant inflation in shipbuilding costs over recent years which alter the vessel's market value.

6. The Government of India provides Ship Building Financial Assistance (SBFA) to promote domestic shipbuilding under the original Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP) and the revised Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAP 2.0). These schemes are aimed at compensating the cost incurred in the construction of vessels and not for any operational losses.

   In accordance with the respective SBFA policy guidelines, financial assistance is available only for vessels that are constructed and delivered within the stipulated period and are covered under an in-principle approval obtained from the Directorate General of Shipping. For vessels governed by the Modified Guidelines for implementation of the Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS), eligibility is further subject to fulfilling mandatory criteria, including successful milestone-based assessments and meeting domestic content requirements as follows:

   A. Domestic content between 30% and 39% – Eligible for SBFA on a pro rata basis (proportionate to the actual domestic content achieved).

   B. Domestic content of 40% and above – Eligible for 100% SBFA (full assistance as per the scheme).

   The Group recognizes SBFA income over the construction period of the eligible vessels, in proportion to the cost incurred, provided the conditions under the policy are met or are reasonably expected to be met.

   In CSL, where there is uncertainty regarding compliance with any of the policy conditions, such as delays in construction or delivery timelines, falling short of the mandatory domestic value addition thresholds, or failing to clear independent milestone validations resulting in non-fulfilment of eligibility criteria, the Company either does not recognize the SBFA income or derecognizes the income previously recognized, as appropriate. Such contingencies are assessed regularly, and necessary accounting adjustments are made to reflect the revised expectations.

   During the current financial year the Company has recognised the financial assistance amounting to ₹ 3409.56 Lakhs in respect of delivered vessels as income for the current year.

   During the current financial year, upon the Company's request under the Institutional Mechanism, the MoPSW granted additional time for the delivery of vessels. Accordingly, the Company has re-recognised financial assistance amounting to ₹ 7037.17 Lakhs in respect of vessels under construction as income for the current year.

With regard to vessels under construction, the Company has recognized financial assistance income of ₹19591.55 Lakhs towards Ship Building Financial Assistance from Govt. of India, in order to compensate the cost incurred by the Company in building the vessels. As on the reporting date, the cumulative income accrued amounting to ₹ 38393.39 Lakhs on account of financial assistance is subject to the fulfilment of conditions stipulated in the Guidelines for Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP), as amended from time to time.

The Group while determining the pricing of the vessels, factor the Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is an integral component of the shipbuilding process. Accordingly, during the year, the Group has regrouped the SBFA under 'Sale of product' which was hitherto grouped under 'Other operating revenue' to give a more realistic picture. The same has no financial impact on the revenue from operations.

7. Cochin Shipyard Ltd (CSL) commenced ship repair operations at Marine Dockyard Port Blair, under the ownership of Andaman and Nicobar Administration (A&N Adminstration) effective from 2019 onwards. Pursuant to the Agreement signed on 28 Nov 2019, with the A&N Administration, CSL is responsible for assisting the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands and focussing efforts on Skill Development in the Islands, in consultation with the Administration and Technical Institutions located there. In consideration of the services, the Company is eligible for a management fee, which is accounted on pro rata basis in the Financial Statements.

8. During the year the Company has regrouped the Management fee under 'Sale of services' which was hitherto grouped under 'Other operating revenue' to give a more realistic picture. The same has no financial impact on the revenue from operations.

9. Revenue from operation includes revenue from contract for construction and supply of eight numbers of Anti -Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW SWC) to the Indian Navy. Pursuant to a customer clarification on the delivery schedule, the due dates for subsequent vessels are calculated from the actual delivery date of the first vessel. Accordingly, LD has been provided only for the first vessel (where delayed). No LD has been provided for the subsequent vessels, as their expected delivery dates are within the prescribed contractual schedule.

10. In respect of ship repair contracts with the Indian Navy, revenue is recognised over time using the output method based on physical progress of work completed to date. Mandatory spares provided under these contracts are not distinct performance obligations, as they are integral to and inseparable from the repair service. The vessel cannot be repaired without consuming them, and the customer cannot benefit from the spares independently of the repair. Accordingly, mandatory spares are treated as part of a single performance obligation (repair of the vessel), and their cost is included within the total contract value for revenue recognition. Percentage completion determined for the vessel captures the consumption of mandatory spares issued for repair up to the reporting date; hence no separate measurement or recognition of revenue against mandatory spares is undertaken.

11. In CSL, The Company reassesses the measurement progress of its performance obligation under the output method as mandated by Ind AS 115 at every reporting date. During the financial year 2024-25, the Company noticed that on application of Ind AS 21, the existing measurement resulted in variations in faithful representation of revenue in the case of export contracts denominated in foreign currency. In order to address the same, the Company refined its quantification approach for the said contracts. Revenue is recognised by applying the physical completion percentage on the total transaction price, which the Company is entitled to, without bifurcating between material and service portions. The effect of change in the quantification measure has resulted in increase in revenue from operations for ₹ Nil (Previous year ₹ 11808.65 Lakhs). The Company is consistently adopting this measurement technique in recognising revenue for contracts involving similar performance obligations.

12. HCSL has recognised Revenue for PANDU Ship Repair Facility (Agency Fees) on the basis of % of Cost completion method in the FY 2025-26.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 36 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Training facilities	858.66	663.79
Income from sale of scrap and stores	520.29	519.57
Profit on sale of Property, Plant & Equipment	-	23.90
Income from laboratory services	17.80	15.53
Rental income	434.74	241.85
Hire charges	90.00	90.00
Interest on bank deposits	16,352.09	19,258.45
Interest from others	368.46	522.72
Dividend Income from Mutual funds	148.87	72.78
Dividend income from Society	0.54	0.54
Profit on sale of Mutual Funds		
Net gain on foreign currency transactions	-	1,405.58
Net gain on derivative contracts		
Provision no longer required	20,762.27	14,054.34
Miscellaneous income*	1,428.70	2,037.45
Total	**40,982.42**	**38,906.50**

*Miscellaneous income includes ₹ 1.14 Lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

The Group is not accounting the Interest amount uploaded in Form 26AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lien marked before NCLT order.

Other Interest received includes ₹ Nil (Previous year ₹ 283.76 Lakhs) received from Chidambaram Port Trust against Court Order.

Note 37: Cost of Materials Consumed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Raw Materials		
Steel	14,145.05	17,019.77
Pipe	1,748.66	2,054.30
Paint	2,877.26	3,008.08
Bought out components	2,00,810.70	1,91,321.93
Total	**2,19,581.67**	**2,13,404.08**

Note 38: Changes in Inventories of Work-in-Progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	961.50	428.65
Less: at the end of the year	(240.01)	(961.50)
Total	**721.49**	**(532.85)**

The Holding Company had initiated construction of two 60-ton green tug hulls during the Financial year 2024-25 as part of Green Tug Transition Programme (GTTP) as a significant initiative introduced by the Government of India focussing on the reduction of carbon emissions in the maritime sector. Subsequently, in January 2026, the Holding Company received an order from a private customer for the construction of two 60-ton green tugs. Consequently, the expenses incurred in respect of the above tugs have been transferred from Work-in-Progress (WIP) and charged to profit and loss account during the financial year 2025-26.

Note 39 : Sub Contract and Direct Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Sub contract and off loaded jobs	67,009.35	55,118.41
Hull insurance	2,975.17	2,615.62
Design Expenses	5,610.07	6,955.85
Operating expenses	30,729.55	23,238.54
Total	**1,06,324.14**	**87,928.42**

Note 40 : Employee Benefits Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	38,709.85	35,418.24
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	2,623.54	2,405.58
Gratuity	951.28	515.25
Staff welfare expenses	4,951.95	4,303.09
	47,236.62	**42,642.16**
Less:Expenditure during construction	-	(205.27)
Total	**47,236.62**	**42,436.89**

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 32.40 Lakhs (previous year ₹ 30.34 Lakhs).

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹(-) 5.27 Lakhs (previous year ₹ 129.34 Lakhs).

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Holding Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

In case of UCSL, the actuarial valuation carried out for gratuity and earned leave indicates a total current year expense of ₹ 45.94 Lakhs. The corresponding adjustment entries have been recorded in the books. As a result, the net amount reflected in the Financial Statements appears as a credit of ₹ 11.25 Lakhs.

Post-employment obligations

Group has recognized the gratuity liability for on-contract workmen as of March 31, 2026, based on actuarial valuations completed for FY 2025-26, consequent to the Gazzette Notification of the labour code. No additional provisions are required for Officers, Supervisors, or Workmen, as their current wage components already exceed the 50% threshold for PF and gratuity calculations. Similarly, leave encashment liabilities remain unchanged because existing actuarial provisions sufficiently cover regular staff, while contract employees do not carry forward enough leave to trigger new liabilities. The restructuring of consolidated pay for contract

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

workers is designed to be cost-neutral, ensuring that total gross pay and related financial outgoings remain stable. Consequently, Group has mitigated potential compliance risks through proactive liability entries and internal committee reviews without incurring significant unprovided expenses.

Provident fund

Provident Fund for eligible employees is managed by the Company through a trust in line with the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act,1952. The plan guarantees interest at the rate notified by the Provident Fund Authorities. The contribution by the employees and employer @12% of basic salary (including Dearness Allowance) together with the interest accumulated thereon are payable to employees at the time of separation from the Company or retirement whichever is earlier. The benefits vests immediately on rendering of the services by the employee. The contribution is charged to Statement of Profit and Loss of the year when the contributions to the respective funds are due in accordance with relevant statute. Employer's contribution to Provident Fund & Pension fund is ₹1980.54 Lakhs for the year 2025-26 (₹1872.67 Lakhs for the year 2024-25). The minimum interest rate payable by the trust to the beneficiaries every year is notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust (including investment risk fall) and the notified interest rate, which is determined on the basis of actuarial valuation.

The Company has obtained report on the determination and disclosure of interest rate Guarantee, valuation of Assets & Liabilities as per Ind AS 19 of Employees Benefits relating to Exempt Provident Fund for the period ended March 31, 2026.

The details of fund obligations as per actuarial valuation are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25
Fair value of plan assets	25,625.50	24,747.34
Present value of benefit obligation at year end	26,175.49	24,781.17
Net liability / (Net asset)	549.99	33.83
Additional provision	Nil	Nil

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Discount Rate (p.a)	7.62%	6.78%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	Officers &Supervisors 3% Workers 3%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	9.00	9.20

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	311.68	270.62
Net Interest expense	346.24	303.84
Acturial (Gain)/Loss recognised during the period	(29.97)	815.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**627.95**	**1,389.46**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,360.79	5,480.86
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**5,360.79**	**5,480.86**

(₹ in lakhs)

Type of Employee Benefit	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Current Component of PVO	422.14	446.66
Non-Current Component of PVO	4938.65	5034.20
TOTAL PVO	**5360.79**	**5480.86**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	5480.86	4626.82
Current & Past Service Cost	311.68	270.62
Current Interest Cost	346.24	303.84
Actuarial (Gain)/ Loss	(29.97)	815.00
Benefits paid	(748.02)	(535.42)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**5,360.79**	**5,480.86**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	748.02	535.42
Benefits paid	(748.02)	(535.42)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**-**	**-**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	150.96	140.34
Year 2	259.11	286.62
Year 3	151.30	177.73
Year 4	165.43	137.19
Year 5	185.89	147.08
Next 5 Years	927.67	799.80

"NA " denoted " Not Available"

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	150.96	140.34
Year 2	259.11	286.62
Year 3	151.30	177.73
Year 4	165.43	137.19
Year 5	185.89	147.08
Next 5 Years	927.67	799.80

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Discount Rate + 50 BP	8.12%	7.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,506.04	4,609.86
Current Service Cost	178.68	193.41
B. Discount Rate - 50 BP	7.12%	6.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,889.10	5,016.23
Current Service Cost	195.80	212.98
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,897.28	5,023.15
Current Service Cost	196.17	213.32
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,497.13	4,601.99
Current Service Cost	178.29	193.03

BP denotes "Basis Points"

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Discount Rate + 50 BP	8.12%	7.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,506.04	4,609.86
Current Service Cost	178.68	193.41
B. Discount Rate - 50 BP	7.12%	6.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,889.10	5,016.23
Current Service Cost	195.80	212.98
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,897.28	5,023.15
Current Service Cost	196.17	213.32
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,497.13	4,601.99
Current Service Cost	178.29	193.03

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Discount Rate (p.a)	7.62%	6.78%
Rate of increase in compensation levels	Officers & Supervisors 3% Workers 3%	Officers & Supervisors 3% Workers 3%
Attrition Rate	Officers & Supervisors 0.70% Workers 0.70%	Officers & Supervisors 0.70% Workers 0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.62%	6.78%

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	10.92	11.30

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	402.11	423.10
Past Service Cost	261.04	-
Net Interest expense	33.54	13.93
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**696.69**	**437.03**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(297.55)	337.96
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	112.47	(46.72)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**-185.08**	**291.24**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,773.56	5,529.24
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	5,261.94	4,800.96
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	511.62	728.28

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	5,529.24	4,799.46
Current Service Cost	402.11	423.10
Current Interest Cost	367.17	322.20
Past Service Cost	261.05	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(297.55)	337.96
Benefits paid	(488.46)	(353.48)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**5,773.56**	**5,529.24**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,800.96	4,399.68
Expected Return on Plan Assets	333.63	308.27
Actuarial Gain/(Loss)	(112.48)	46.72
Contributions from the employer	728.28	399.77
Benefits paid	(488.45)	(353.48)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**5,261.94**	**4,800.96**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	291.94	286.14
Year 2	698.12	665.64
Year 3	371.58	384.19
Year 4	317.79	321.02
Year 5	388.16	266.76
Next 5 Years	1,929.11	1,583.72

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Discount Rate + 50 BP	8.12%	7.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,494.32	5,251.13
Current Service Cost	360.43	345.63
B. Discount Rate - 50 BP	7.12%	6.28%
Defined Benefit Obligation [PVO]	6,074.71	5,830.27
Current Service Cost	409.08	397.00
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	6,046.54	5,779.52
Current Service Cost	399.80	390.11
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,507.08	5,288.36
Current Service Cost	368.28	353.54

BP denotes "Basis Points"

(₹ in lakhs)

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Government of India Securities	37.13%	28.95%
State Government Securities	12.26%	25.24%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	29.03%	31.49%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.33%	0.32%
Others (to specify)	21.25%	14.00%
Total	**100.00%**	**100.00%**

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

(₹ in lakhs)

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) , CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) and FTE were as follows:	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Discount Rate (p.a)-ISRF	6.60%	6.40%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	6.50%	6.40%
Discount Rate (p.a)-FTEs	6.30%	-
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	0.00%	0.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	138.58	25.24
Past Service Cost	98.33	-
Net Interest expense	17.63	16.55
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**254.54**	**41.79**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(41.40)	0.35
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss		
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**(41.40)**	**0.35**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	488.57	275.42
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year		-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**488.57**	**275.42**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	275.43	233.26
Current Service Cost	138.58	25.25
Current Interest Cost	17.63	16.56
Past Service Cost	98.33	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(41.40)	0.35
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	**488.57**	**275.42**

ISRF, CMSRU, FTE gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026		
Year	**FTEs**	**ISRF**	**CMSRU**
Year 1	NA	NA	NA
Year 2	NA	NA	NA
Year 3	NA	NA	NA
Year 4	NA	NA	NA
Year 5	NA	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025		
Year	**FTEs**	**ISRF**	**CMSRU**
Year 1	NA	NA	NA
Year 2	NA	NA	NA
Year 3	NA	NA	NA
Year 4	NA	NA	NA
Year 5	NA	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026		
Year	FTEs	ISRF	CMSRU
Year 1	33.04	91.07	8.49
Year 2	69.21	44.69	4.53
Year 3	81.24	11.68	0.43
Year 4	53.55	17.69	0.44
Year 5	7.99	39.60	8.50
Next 5 Years	-	123.12	8.54

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025		
Year	FTEs	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	63.01	8.03
Year 2	NA	46.94	6.20
Year 3	NA	25.86	3.15
Year 4	NA	10.25	-
Year 5	NA	5.99	-
Next 5 Years	NA	95.80	10.15

Sensitivity Analysis as on March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	FTEs	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.30%	7.60%	7.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	209.95	241.87	23.37
Variation	-2.00%	-3.33%	-3.19%
B. Discount Rate - 100 BP	5.30%	5.60%	5.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	218.68	259.26	24.97
Variation	2.07%	3.62%	3.44%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	217.72	258.24	24.87
Variation	1.63%	3.21%	3.02%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	210.80	242.69	23.45
Variation	-1.61%	-3.00%	-2.85%

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis as on March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	FTEs	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	NA	7.40%	7.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	NA	239.07	26.73
Variation	NA	-3.55%	-2.96%
B. Discount Rate - 100 BP	NA	5.40%	5.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	NA	257.45	28.42
Variation	NA	3.86%	3.18%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	NA	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	NA	256.44	28.30
Variation	NA	3.45%	2.76%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	NA	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	NA	239.88	26.82
Variation	NA	-3.23%	-2.60%

BP denotes "Basis Points"

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Employee Benefit Plans of UCSL (subsidiary)

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Discount Rate (p.a)	7.40%	6.60%
Rate of increase in compensation levels	5.00%	5.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	1.00%	-
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	14.73	16.37

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	9.14	4.83
Past Service Cost	3.38	0.00
Net Interest expense	5.04	1.95
Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans	**17.56**	**6.78**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	124.18	84.89
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**124.18**	**84.89**

(₹ in lakhs)

Type of Employee Benefit	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Current Component of PVO	2.86	5.44
Non-Current Component of PVO	121.32	79.45
TOTAL PVO	**124.18**	**84.89**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	84.89	28.31
Current & Past Service Cost	12.52	4.83
Current Interest Cost	5.04	1.95
Actuarial (Gain)/ Loss	38.67	52.33
Benefits paid	(16.94)	(2.53)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**124.18**	**84.89**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	16.94	2.53
Benefits paid	(16.94)	(2.53)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**-**	**-**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	2.86	4.36
Year 2	17.03	0.00
Year 3	14.42	1.67
Year 4	13.35	2.57
Year 5	13.63	2.36
Next 5 Years	197.28	73.93

"NA " denoted " Not Available"

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Discount Rate + 100 BP	8.40%	7.60%
Defined Benefit Obligation [PVO]	114.95	77.46
Variation	-7.43%	-8.75%
B. Discount Rate - 100 BP	6.40%	5.60%
Defined Benefit Obligation [PVO]	134.75	93.55
Variation	8.51%	10.20%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	6.00%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	134.26	93.16
Variation	8.11%	9.74%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	115.22	77.66
Variation	-7.21%	-8.52%

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Discount Rate (p.a)	7.40%	6.60%
Rate of increase in compensation levels	5.00%	5.00%
Withdrawal Rate	1.00%	0.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.63%	7.60%

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	11.22	12.78

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	31.27	25.59
Past Service Cost	0.07	0.00
Net Interest expense	(2.95)	(0.04)
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**28.39**	**25.55**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(7.35)	(1.28)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(1.47)	(0.92)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**(8.82)**	**(2.20)**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	104.22	75.26
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	170.52	119.96
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**(66.30)**	**(44.70)**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	75.26	47.58
Current Service Cost	31.27	25.59
Current Interest Cost	4.97	3.37
Past Service Cost	0.07	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(7.35)	(1.28)
Benefits paid		
Defined Benefit Obligation at end of the year	**104.22**	**75.26**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	119.96	48.13
Expected Return on Plan Assets	7.92	3.42
Actuarial Gain/(Loss)	1.47	0.92
Contributions from the employer	41.17	67.49
Benefits paid		
Fair Value of the Assets at the end of the year	**170.52**	**119.96**

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Year 1	9.84	7.75
Year 2	9.01	2.12
Year 3	9.12	5.84
Year 4	9.68	4.89
Year 5	8.52	3.84
Next 5 Years	189.57	50.82

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
A. Discount Rate + 100 BP	8.40%	7.60%
Defined Benefit Obligation [PVO]	95.92	68.00
Variation	-7.97%	-9.65%
B. Discount Rate - 100 BP	6.40%	5.60%
Defined Benefit Obligation [PVO]	113.93	83.88
Variation	9.31%	11.45%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	6.00%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	113.54	83.54
Variation	8.94%	10.99%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	96.12	68.15
Variation	-7.78%	-9.44%

BP denotes "Basis Points"

(₹ in lakhs)

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Government of India Securities	NA	NA
State Government Securities	NA	NA
High Quality Corporate Bonds	NA	NA
Equity shares of listed companies	NA	NA
Property	NA	NA
Special Deposit Scheme	NA	NA
Funds managed by Insurer	100%	100%
Others (Life Insurance Corporation of India)	NA	NA
Total	**100%**	**100%**

The plan assets are managed through Group Gratuity Scheme of Life Insurance Corporation of India.

Employee Benefit Plans of HCSL (subsidiary)

Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences

Description of Plans:

The Company has not taken any funded plan for gratuity of its employees. The present value of obligation is determined in accordance with the advice of independent, Professionally qualified actuaries using the projected unit credit method, which is recognised in each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The net Defined Benefit cost is recognised by the Company in the Financial Statements.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Risk:

The Defined Benefit Plans expose the Company to interest rate risk, salary cost inflation risk and Demographic risk.

Interest Rate Risk: The present value of Defined Benefit Plans liability is determined using the discount rate based on the market yields prevailing at the end of reporting period on Government bonds. A decrease in yields will increase the fund liabilities and vice-versa.

Salary Cost Inflation Risk: The present value of the Defined Benefit Plan liability is calculated with reference to the future salaries of participants under the Plan. Increase in salary might lead to higher liabilities.

Demographic risk : This is the risk of variability of results due to unsystematic nature of decrements that include mortality, withdrawal, disability and retirement. The effect of these decrements on the defined benefit obligation is not straight forward and depends upon the combination of salary increase, discount rate and vesting criteria. It is important not to overstate withdrawals because in the financial analysis the retirement benefit of a short career employee typically costs less per year as compared to a long service employee.

(₹ in lakhs)

Particulars		For the year ended March 31, 2026		For the year ended March 31, 2025	
		Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
I	**Components of Employer Expense**				
	Recognised in the Statement of Profit and Loss:				
1	Current Service Cost	10.55	4.40	5.92	4.87
2	Past Service Cost	-	-	-	-
3	Net Interest Cost	0.72	0.79	0.69	0.20
4	Actuarial gains/(losses)	-	31.27	-	11.25
5	**Total expense recognised in the Statement of Profit and Loss**	**11.27**	**36.46**	**6.61**	**16.32**
	Re-measurements recognised in Other Comprehensive Income				
6	Return on plan assets (greater)/less than discount rate	-	-	-	-
7	Effect of changes in assumptions	(3.44)	-	0.17	-
8	Effect of experience adjustments	7.42	-	(4.08)	-
9	**Total re-measurements included in Other Comprehensive Income**	3.98	-	**(3.91)**	**-**
10	**Total defined benefit cost recognised in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (5+9)**	**15.25**	**36.46**	**2.69**	**16.32**

The current service cost, past service cost and net interest cost for the year pertaining to Gratuity expenses have been recognised in "Contribution to Provident and other funds" and Leave Encashment in "Employee Benefits Expenses" under Note 40. The remeasurements of the net defined benefit liability are included in Other Comprehensive Income.

(₹ in lakhs)

Particulars		For the year ended March 31, 2026		For the year ended March 31, 2025	
		Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
II	**Net Liability/(Asset) recognised in Balance Sheet**				
	Present Value of Defined Benefit Obligation	24.38	45.35	9.14	11.28
	Fair Value of Plan Assets	-	-	-	-
	Net liability:				
	- Non-Current	15.92	34.60	9.07	11.02
	- Current	8.45	10.76	0.07	0.26

(₹ in lakhs)

Particulars		For the year ended March 31, 2026		For the year ended March 31, 2025	
		Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
III.	**Change in Defined Benefit Obligation (DBO)**				
1	Present Value of DBO at the beginning of the year	9.13	11.28	13.25	10.90
2	Current Service Cost	10.55	4.40	5.92	4.87
3	Past Service Cost	-	-	-	-
4	Net Interest Cost	0.72	0.79	0.69	0.20
5	Actuarial gains/(losses)	-	-	-	-
6	Remeasurement gains /(losses):				
a	Effect of changes in demographic assumptions	(0.26)	(0.48)	-	-
b	Effect of changes in financial assumptions	(3.17)	(5.99)	0.16	0.20
c	Changes in asset ceiling (excluding interest income)	-	-	-	-
d	Effect of experience adjustments	7.41	37.74	(4.08)	11.05
7	Curtailment Cost/(Credits)	-	-	-	-
8	Settlement Cost/(Credits)	-	-	-	-
9	Acquisitions credit/ (cost)	-	-	-	-
10	Effects of transfer In/(Out)	-	-	-	-
11	Benefits Paid	-	(2.39)	(6.81)	(15.94)
12	**Net defined benefit liability/ (asset) at end of current period**	**24.38**	**45.35**	**9.13**	**11.28**

(₹ in lakhs)

Particulars		As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
IV.	**Best Estimate of Employers' Expected Contribution for the next year**		
	Gratuity	24.38	9.13

(₹ in lakhs)

Particulars		For the year ended March 31, 2026		For the year ended March 31, 2025	
		Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
V.	**Change in Fair Value of Assets**	-	-	-	-
1	Plan Assets at the beginning of the year	-	-	-	-
2	Acquisition adjustment	-	-	-	-
3	Interest income on plan assets	-	-	-	-
4	Employer contributions	-	-	-	-
5	Return on plan assets greater/(lesser) than discount rate	-	-	-	-
6	Benefits paid	-		-	-
7	Fair Value of assets at the end of current period				

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026		For the year ended March 31, 2025	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
VI. Actuarial Assumptions				
1 Discount rate per annum	7.87%	7.87%	6.90%	6.90%
2 Rate of Escalation in Salary	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
3 Mortality Rate	IIAM 2012-2015 Ultimate	IIAM 2012-2015 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate
4 Withdrawal	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%

VII. Sensitivity Analysis

The Sensitivity Analysis below has been determined based on reasonably possible change of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant. These sensitivities show the hypothetical impact of a change in each of the listed assumptions in isolation. While each of these sensitivities holds all other assumptions constant, in practice such assumptions rarely change in isolation and the asset value changes may offset the impact to some extent. For presenting the sensitivities, the present value of the Defined Benefit Obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the Defined Benefit Obligation presented above. There was no change in the methods and assumptions used in the preparation of the Sensitivity Analysis from previous year.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
A Discount Rate	7.87%	7.87%	6.90%	6.90%
Effect on DBO due to 1% increase in Discount Rate	(2.76)	(5.27)	(1.48)	(1.79)
Percentage Impact	5.68%	(5.85%)	(16.20%)	(15.90%)
Effect on DBO due to 1% decrease in Discount Rate	3.16	5.95	1.84	2.22
Percentage Impact	6.35%	6.48%	20.10%	19.70%
B Salary Escalation Rate	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Effect on DBO due to 1% increase in Salary Escalation Rate	3.24	6.14	1.90	2.29
Percentage Impact	6.60%	6.73%	20.70%	20.30%
Effect on DBO due to 1% decrease in Salary Escalation Rate	(2.83)	(5.34)	(1.55)	(1.87)
Percentage Impact	5.93%	(6.10%)	(16.90%)	(16.60%)

(₹ in lakhs)

Maturity Analysis of the Benefit Payments	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
Year 1	8.78	11.17	0.07	0.27
Year 2	1.47	4.84	0.06	0.21
Year 3	0.19	0.52	0.15	0.22
Year 4	0.21	0.59	0.17	0.23
Year 5	0.22	0.62	0.20	0.24
Year 6 to 10	2.87	7.32	1.14	1.37
More Than 10 Years	79.00	138.21		

(i) Amounts towards Defined Contribution Plans have been recognised under "Contribution to Provident and other funds" in Note 40: ₹ 33.64 Lakhs (2025 - ₹ 42.14 Lakhs).

Note 41 : Finance Costs

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Interest expense on lease liabilities	4,772.32	4,109.81
Interest on tax free bonds	200.37	201.17
Interest on Cash credit	4,002.35	34.69
Finance cost on financial liabilities measured at amortised cost	259.25	-
Interest others	3.32	56.49
	9,237.61	**4,402.16**
Less:Expenditure during construction	-	(544.61)
Total	**9,237.61**	**3,857.55**

Note 42 : Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Depreciation on Property, plant and equipments	10,319.40	7,627.95
Depreciation on Right Of Use Assets	1,740.94	1,745.64
Amortisation of intangible asset	918.99	1,113.54
Total	**12,979.33**	**10,487.13**
Less:Expenditure during construction	-	(169.49)
Total	**12,979.33**	**10,317.64**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 43 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Consumption of stores & spares	3,923.76	3,923.01
Dimunition in value of Loose tools	274.45	192.03
Rates and taxes	167.08	146.70
Power	3,707.62	3,769.70
Fuel	1,572.45	1,160.87
Water	420.55	369.03
Repairs and maintenance:		
Building and roads	1,438.90	1,040.12
Plant and machinery	559.30	376.84
Others	3,636.55	2,773.34
Maintenance dredging	2,368.84	914.07
Transport and stores handling	331.63	192.39
Travelling and conveyance expenses	1,719.90	1,304.54
Printing and stationery	154.70	123.64
Postage, telephone and telex	73.78	70.66
Advertisement and publicity	854.18	634.49
Lease rent	6.96	26.87
Hire charges	1,940.47	1,308.61
Insurance charges	1,259.58	656.41
Security expenses	3,296.19	2,650.52
Payments to Auditors	41.78	39.20
Training expenses	1,334.95	952.31
Legal expenses	102.92	182.70
Consultancy	205.61	154.29
Bank charges	1,892.04	1,662.91
Net loss on foreign currency transactions	2,221.17	-
Loss on Forex Derivative Transactions	3,674.50	248.46
Corporate social responsibility (Refer Note no.53)	1,789.06	1,564.51
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	112.54	5.65
Bad debts written off	-	8,614.55
R&D and New initiatives *	1,840.31	2,043.17
Miscellaneous expenses	1,756.40	1,067.68
Total	**42,678.17**	**38,169.27**

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
For Audit Fees	25.75	25.75
For Limited Review/other services	13.35	12.35
For Certifications	2.68	1.10
Total	**41.78**	**39.20**

*R&D and New initiatives includes the following:

a) USHUS is a start-up support program of CSL in association with Indian Institute of Management Kozhikode (IIMK) & Indian Institutes of Technology Madras (IITM) to augment the Government of India's initiatives to encourage and develop an ecosystem in India to support Maritime Start-ups. As part of this program maritime start-ups will receive seed funds from CSL as grants/investments.

b) IIMK LIVE & IIT Madras will review and recommend the proposals received under this scheme for funding by CSL. Fee for their services amounts to ₹27 Lakhs current year (Previous Year - ₹ 26.50 Lakhs).During the FY:2025-2026 ₹227.50 Lakhs has been disbursed to 10 start ups identified by IIMK (Previous Year 105 Lakhs-9 start ups) & ₹250 Lakhs has been disbursed to 8 start ups identified by IITM (Previous Year: NIL) under seed funding scheme.

c) Refer Note No: 5 and Note No: 21 relating to Research and Development project under the R&D initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW)

Note 44 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Loss allowance for Trade Receivables	219.31	662.83
Expenses and contingencies	3,023.79	542.28
Profit share to lessor	1,258.82	843.22
Loss on Ship Building	5.00	10,756.00
Total	**4,506.92**	**12,804.33**

Note 45 : Earnings per Equity Share

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Net Profit after tax (₹ in Lakhs)	71,673.95	82,733.05
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	27.24	31.45
Face value per share (in ₹)	5.00	5.00

Refer Note No:22.1

Note 46: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

A. Disclosures of Disaggregated revenue as per Ind AS 115

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	For the year ended 31 March 2026			
	Revenue as per Ind AS 115	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		Input Method	Output Method	
A. Revenue from goods or services transferred over time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	14,210.52	-	14,210.52	14,210.52
Vessels other than IAC	2,89,900.39	-	2,89,900.39	2,89,900.39
Ship Building Financial Assistance	23,001.11	23,001.11		23,001.11
(ii) Sale of services				
Ship repairs	1,63,169.42	-	1,63,169.42	1,63,169.42
Income from services	205.82		205.82	205.82
Management fee	1,630.49	-	1,630.49	1,630.49

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	For the year ended 31 March 2026			
	Revenue as per Ind AS 115	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		Input Method	Output Method	
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Sale of B&D Spares	8,342.31			8,342.31
Other operating revenue				
Sale of Ship Building Scrap	592.74			592.74
Sale of Ship Repair Scrap	828.87			828.87
Sale of stock items	305.28			305.28
Total				**5,02,186.95**

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	For the year ended 31 March 2025			
	Revenue as per Ind AS 115	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		Input Method	Output Method	
A. Revenue from goods or services transferred over time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	38,443.24	-	38,443.24	38,443.24
Vessels other than IAC	2,38,320.96	-	2,38,320.96	2,38,320.96
Ship Building Financial Assistance	13,854.70	13,854.70	-	13,854.70
(ii) Sale of services				
Ship repairs	1,83,623.84	-	1,83,623.84	1,83,623.84
Management fee	1,615.34	-	1,615.34	1,615.34
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Sale of B&D Spares	3,553.98	-	-	3,553.98
Other operating revenue				
Sale of Ship Building Scrap	860.69	-	-	860.69
Sale of Ship Repair Scrap	358.97	-	-	358.97
Consultancy income	1,027.15	-	-	1,027.15
Sale of stock items	337.01	-	-	337.01
Total				**4,81,995.88**

B. Contract balances

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Trade Receivables	42,321.88	22,484.91
Contract Assets	1,35,933.14	92,482.86
Contract Liabilities	4,52,542.84	5,05,128.16

Movement in contract balances during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Contract asset at the beginning of the year	92,482.86	76,011.63
Contract asset at the end of the year	1,35,933.14	92,482.86
Net increase/(decrease)	43,450.28	16,471.23

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Contract liabilities at the beginning of the year	5,05,128.16	4,96,202.62
Contract liabilities at the end of the year	4,52,542.84	5,05,128.16
Net increase/(decrease)	(52,585.32)	8,925.54

C. Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹1808272.14 Lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract).The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 29.17 % of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of March 31, 2026, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2026-27 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31,2026 the Group recognised revenue of ₹ 118869.47 Lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01,2025.

D. Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Opening contracted price of orders	28,75,722.09	26,12,071.63
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	4,14,508.22	2,50,850.59
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	(14,985.77)	50,950.30
Increase due to exchange rate movements (net)	47,653.59	1,285.83
Less:		-
Other deductions including variations, change orders etc.	451.75	24,332.90
Orders completed during the year	2,04,582.96	15,103.36
Closing contracted price of orders	**31,17,863.42**	**28,75,722.09**
Total Revenue recognised during the year:	3,12,264.24	2,62,930.77
Less: Revenue out of orders completed during the year	57,735.63	7,257.88
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	2,54,528.61	2,55,672.89
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	10,54,451.23	9,33,368.15
Effect of reversal of revenue (cancelled contract)	-	378.78
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	611.44	14,48,711.90
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	18,08,272.14	16,86,302.27
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	**31,17,863.42**	**28,75,722.09**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 47: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended March 31, 2026 on Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹1947.43 Lakhs (Previous year ₹ 1335.48 Lakhs).

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31,2026 including outflow on short term and low value leases is ₹ 3696.19 Lakhs (Previous year ₹ 3191.59 Lakhs).

The Group has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

The details of the contractual maturities of lease liabilities on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Less than one year	3,634.93	3,130.75
One to five years	17,739.31	14,816.72
More than five years	1,77,640.73	1,13,471.29
Total	**1,99,014.97**	**1,31,418.76**

The details of the contractual maturities of leased assets on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Less than one year	99.65	129.05
One to five years	488.46	204.89
More than five years	842.75	112.93
Total	**1,430.86**	**446.87**

Movement of Lease Liabilities are as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Opening Balance	49,139.40	47,917.76
Add:Additions	6,944.61	141.86
Add:Interest recognised during the year	4,772.32	4,109.81
Less: Deletion/ Disposal		59.98
Less: Payment made	3,566.79	2,970.05
Closing Balance	**57,289.54**	**49,139.40**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 48: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The Group enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the Group's foreign currency forward contracts is a bank.

The Group has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on March 31, 2026 (₹ in Lakhs) :

(₹ in lakhs)

Currency	March 31, 2026			March 31, 2025		
	No. of contracts	Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)	No. of contracts	Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
Euro	171	2,04,126.57	(14,171.83)	210	2,21,118.62	1,356.01
NOK	1	863.07	6.50	5	7,676.66	(30.49)
USD	3	59.32	1.79	7	484.06	3.89
JPY				1	1,766.90	(30.47)
Total	**175**	**2,05,048.96**	**(14,163.54)**	**223**	**2,31,046.24**	**1,298.94**

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	45.63	(593.75)
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	(16,436.84)	639.38
Balance at the end of the year	**(16391.21)**	**45.63**

Note 49: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

	Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A	**CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)**			
a	**Claims against the Company not acknowledged as debt**			
i	Sub- Contractors & Suppliers	24036.08	27,312.93	Claims made by suppliers which are currently under dispute and has not been acknowledged as debt. Based on the facts of the case, the Company believes that the likelihood of outflow of resources embodying economic benefits is remote, and expects any potential liability, if at all, to be significantly lower than the amount claimed. However, the matter is under conciliation.
b	**Guarantees**			
i	Letters of Credit	18157.95	19,279.09	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets.
ii	Bank Guarantees	2,33,201.73	2,01,613.65	Bank guarantees (including continuity guarantees) represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers and other beneficiaries. Value of advance Bank Guarantee outstanding as on Balance sheet date is included in Note 50.
iii	Bank Guarantee	20	20.00	Bank Guarantee issued as per Customs preventive manual (Chapter 20) for removal of goods for ship under repair with out payment of duty for a period of two years for CMSRU.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Particulars		As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
iv	Guarantee given on behalf of wholly owned subsidiary Company (UCSL)	7814.16	6,093.74	The Company has provided a joint and several guarantee along with its wholly owned subsidiary,M/s Udupi Cochin Shipyard Limited,under a ship building contract with M/s Ocean Sparkle for 11 vessels.The subsidiary has received a refundable advance of ₹ 7814.16 Lakhs.The Company's liability would arise only in the event of default by the subsidiary.Based on the asessment of the subsidiary's financial and operational capability to fulfil its obligations,the likelihood of any outflow of resources from the Company is considered remote.Out of 11 vessels 2 vessels were delivered in 2025-26.
c	**Other money for which the Company is contingently liable**			
i	Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹ 69.06 Lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii	Customs duties	48412.36	12,726.96	(i) Customs duty for materials under Bond for - ₹ 7108 Lakhs. (ii) Penalty on differential IGST - ₹ 232.47 Lakhs. (iii) Custom duty and IGST paid under protest for which appeal has been raised before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal - ₹ 5752.18 Lakhs. (iv) Show Cause Notice No. 187/2025-26 dated 30.01.2026 under section 124 read with section 28(4) and 142 of the Customs Act,1962 received by CSL from the office of Commissioner of Customs, alleging the non complaince with the provisions of the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) and other reasons.CSL has submitted an initial reply to the show cause notice - ₹ 35253.53 Lakhs. (v) FDR lien marked on Registrar of High Court of Kerala for - ₹ 66.18 Lakhs.
iii	Income Tax	1389.86	1,389.86	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹ 126.26 Lakhs AY 2014-15 - ₹ 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹ 331.77 Lakhs AY 2018-19 - ₹ 20.76 Lakhs Demands raised as per the assessment orders totaling to ₹ 1389.86 Lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2014-15, 2017-18 and 2018-19 are pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to disallowance under Section 37. However the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
iv Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT against the order of The Commissioner of Central Tax & Central Excise.
	376.67	376.67	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner of Central Excise (Appeals) . However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals).
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT against the order of The Commissioner of Central Tax & Central Excise.
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped by the Commissioner of Central Tax and Central excise, Thiruvananthapuram . Department filed appeal before CESTAT.
	1,885.49	1,885.49	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped by the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram . Department filed appeal to CESTAT.
	513.72	513.72	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Reply filed before Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Reply filed before Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
	150.57	150.57	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner confirmed demand. Appeal filed before Commissioner (Appeals) against the Order in Original.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Reply filed before Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Cochin.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Particulars		As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
		279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi. Demand confirmed by Commissioner of Central Tax & Central Excise . Appeal filed before CESTAT.
v	Kerala Value Added Tax (KVAT)	1,369.94	1,369.94	Demand for FY 2015-16. Assessing office made additions to taxable turnover against the order of Joint Commissioner (Appeals) and raised demand for tax and interest. Writ petition filed before High Court of Kerala for stay on recovery proceedings.
vi	Demand for Input Tax credit on IGST for the period 2018-19 and penalty thereon	92.13	92.13	Show Cause Notice issued for mismatch in input tax credit claimed in GSTR 3B and GSTR 2A for FY 2018-19. Additional Commissioner confirmed the demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against the Order In Original.
vii	Demand for Input Tax credit on IGST for the period 2018-19 & 2021-2022, Non payment/ Shortpayment of CGST,SGST & IGST under RCM for the period 2019-20 & 2020-21 and penalty thereon	19.78	-	Show Cause Notice issued for mismatch in input tax credit claimed in GSTR 3B and GSTR 2A for FY 2018-19 & 2021-2022 and for Non payment/ Short payment of RCM for the mismatch between GSTR 3B & 8A. Additional Commissioner confirmed the demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against the Order In Original.
viii	Alekton Engineering Industries Pvt Ltd	471.91	384.17	The petitioner (claimant) approached MSME Council for recovery of Liquidated damages (LD) along with interest in respect of LD deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods . MSME Council , Chennai has referred the case to Madras High Court Arbitration Centre for arbitration. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator . Claim petition filed by the petitioner. Order passed by the Sole Arbitrator in favour of the respondent (CSL). Alekton Engineering Industries Pvt Ltd has filed appeal with Hon'ble Madras High Court to set aside arbitral award.
ix	M/s. Vigil Marine Services	2,340.54	2,065.17	CSL had entered into an Agency Agreement with M/s Vigil Marine Services vide Agreement dated 01.08.1993 for marketing the Ship Building and Ship Repair Operations of CSL to Clients in Middle East. The agreement was terminated in the year 2003 due to breach by Vigil Marine. Vigil Marine raised claims for payment of Agency Commission for winning orders for NPCC and ATCO Orders (worth 18.25 million) which was rejected by CSL. Arbitration Request was filed before the Hon'ble Supreme Court for appointment of Sole Arbitrator and accordingly arbitration commenced on 10.10. 2004.

Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
			The Arbitral Award was passed on 24.11.2015 directing CSL to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum from the date of receipt of the above payment till payment is made to M/s Vigil Marine as under the Award. Aggrieved on this CSL filed arbitration appeal before District Court, however by virtue of a judgement of the Hon'ble Supreme it was held that the 2016 Amendment to Arbitration Act was retrospective in effect and therefore appeal lies before High Court. Consequently OP (ICA) 1/ 2019 was preferred before High Court of Kerala. Meanwhile the 2019 Amendment came into effect which inter alia stated that 2016 amendment was prospective in effect and therefore the appeal was remitted back to District Court. Later the Hon'ble Supreme Court struck down the 2016 Amendment and consequently, OP (ICA) No. 1/ 2021 was filed before High Court of Kerala. As per the provisions of the Arbitration Act , CSL had initially deposited BG for the award amount with interest up to the date of the award i.e. till 24.11.2015 . Howerver, the Hon'ble Court vide its order dated 30.11.2023 directed deposit of award amount with interest computed till 01.04.2023 and accordingly, Bank guarantee for an amount of ₹ 1869.19 Lakhs has been submitted to Registrar, High Court and the same is included in Note 50. The matter is pending final hearing.
x Employee State Insurance Corporation	54.66	54.66	ESI Corporation raised a demand notice for ₹ 62.28 Lakhs towards contribution for advance trainees for the period Apr 2008- Mar 2012. Company has paid contribution of ₹ 26.46 Lakhs for the period Jun 2010- Mar 2012. Later on, ESI Department has raised a demand notice of ₹ 19.84 Lakhs towards interest on delayed payments and damages for the period Jun 2010- Jul 2013. The Company is contesting the demands made before Honourable Insurance Court, Alappuzha. In the meantime, the court has granted a stay by depositing ₹ 1 lakh.
xi Customs bond for availing ship repair pass	100.00	100.00	Customs bond issued as per customs preventive manual (Chapter 20) for removing goods for ship under repair with out payment of duty for a period of two years for CMSRU.
xii Indemnity Bond to Customs Authorities	27309.24	19,203.00	Bond under Customs (Imports of Goods at Concessional Rate of Duty) rules 2017.
xiii Indemnity Bond to Govt of India	30415.00	30,415.00	Represent Indemnity Bonds given by Company to GoI towards performance of obligations under the IAC contract. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on Balance sheet date is included in Note 50.
xiv Paint contamination claims	863.83	863.83	Claims raised against the Company for paint contamination spots observed on cars - Ghamadia & 128 yard at Mumbai Port.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Particulars		As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
xv	Claim for the salary amount recovered from CoPA deputed employees to ISRF	1.68	1.68	6 employees of CoPA has made a claim for the refund of salary recovered against their absence from duty , due to the revised timings issued by CoPA for the ministerial staff. CSL is in receipt of the summons from the Central Govt Industrial Tribunal. The case have been posted for hearing in 23rd June 2026.
xvi	Fine levied by the Stock Exchanges (BSE and NSE) for non-compliance with certain Corporate Governance provisions of the SEBI LODR Regulations	83.92	34.42	The Stock Exchanges have levied fines on CSL for non-appointment of Independent Directors and related requirements including non-constitution of committees (Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee) of the Board as required under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As the non-compliances were beyond the Company's control and not due to its negligence or default, CSL will request a waiver of the fines from the Stock Exchanges once the required independent directors are appointed. The Stock Exchanges have in the past waived off the fines in similar situations.
B	**COMMITMENTS (To the extent not provided for)**			
a	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	17509.72	31,509.31	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for.
C	**Modifications made in Consolidated Financial Statements pursuant to CAG observations raised during supplementary audit conducted for the year 2025-26 under section 143(6)(a) of Companies Act 2013:**			
1.	Cash flow statement (A. Cashflow from operating activities):			
	Figures for the year 2024-25 relating to Provision for anticipated losses and expenditure and Increase / (decrease) in trade and other payables has been revised			
	Provision for anticipated losses and expenditure - Revised to Rs 12,141.50 lakhs from Rs 12,804.33 lakhs			
	Increase / (decrease) in trade and other payables - Revised to Rs 56,526.85 lakhs from Rs 55,864.02 lakhs			
2.	Contingent liabilities and commitments - 49 A (c) (v):			
	Amount of contingent liabilities towards Kerala value added tax for the years 2024-25 and 2025-26 has been revised to Rs 1,369.94 lakhs from Rs 787.32 lakhs			

The Holding Company has entered into a non-binding MOU with HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. (KSOE), South Korea during FY 2025-26, proposing a Joint Venture to set up and operate Block fabrication facility in Kochi utilizing the designated facility which is the 310 meter New Dry Dock. The said asset has been classified under Property, Plant and equipment at its carrying value of ₹ 134181.09 Lakhs.

The Holding Company has entered into a non-binding MOU and Heads of Terms agreement with Drydocks World – Dubai FZCO (DDW) during FY 2025-26, proposing a Joint Venture to operate and expand the International Ship Repair Facility (ISRF) in Kochi. As of the Balance Sheet date, no binding Shareholders' Agreement or Business Transfer Agreement has been executed. Accordingly, the assets collectively called the ISRF facility continues to be classified under Property, Plant and Equipment at its carrying value of ₹ 105316.53 Lakhs.

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS in respect Udupi Cochin Shipyard Ltd., Subsidiary

Particulars		As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A	**CONTINGENT LIABILITY AFTER TAKE OVER (To the extent not provided for)**			
a	**Guarantees**			
i	Letters of Credit	1,372.05	6,419.41	Represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its overseas suppliers.
ii	Bank Guarantees	29,305.59	32,209.86	Bank guarantees represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers.

The Company has been sanctioned Fund based and Non Fund based limits of ₹126253.00 Lakhs (PY ₹ 108753.00 Lakhs) as against the security of hypothecation of current assets including inventory and trade receivables of the Company.

B CONTINGENT LIABILITIES RELATED TO ERSTWHILE TEBMA PERIOD

Particulars		As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
i.	**Tax Matters**			
	Director General of Foreign Trade (DGFT)			
	- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras). The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	448.31	437.01	Company has filed Writ petition aganist impugned orders by DGFT imposing penalty, customs duty and Interest under Foreign Trade Act issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.
	- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras) The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	859.98	804.70	Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.
	- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Karnataka)	Refer Description of the nature and obligation column	Refer Description of the nature and obligation column	Show cause notices issued alleging that there was failure to achieve positive net foreign exchange(NFE) of ₹ 918.90 Lakhs in respect of the years 2011-12 to 2015-16 and also a failure to file the Annual Progress Report (APR) in respect of the Malpe EOU for the years 2016-17 onwards resulting in non-fulfilment amounted to a contravention of the FTP and thereby rendered the Petitioner liable to imposition of penalty under Sec. 11(2) of the FT (D&R) Act. The said Notice has been quashed by an Order of the High Court dt 27/3/25.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Particulars	As at March 31, 2026 (₹ in Lakhs)	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
			The Hon'ble High court has granted an interim stay of all proceedings pursuant to the show cause notice vide order date 15 Dec 2021. The Respondents have filed their counter affidavit in the matter and the matter is posted for filing of rejoinder by the Petitioners.
- Where the Department has served Show cause notices The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	389.19	364.17	Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. UCSL representative has attended personal hearing and submitted reply. Order awaitied.
Others			
Entry Tax	76.90	76.90	All these cases pertain to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.
Central / State Excise / Service Tax / Customs / Goods and service tax / VAT	1,234.65	1,234.65	
Karnataka VAT	11.91	11.91	Order no ZD2900223010218S dtd 20/2/23 for Wrong claim of ITC for the period Sep to Dec 2017. All these cases pertain to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities. Company replied to the authorities accordingly.
Income Tax Cases	21.69	21.69	This case was initiated for the AY 2018-19 and the AO had added back Income without an oppurtunity to have a response to the Income added back. Since the Company was under NCLT process at that time , the Company could not file an appeal but subsequently a condonation was sought and appeal was filed. The case is pending in Appeal with the Tax Authorities.
ii) Money Suits			
Plaintiff: Cochin Port trust	262.76	262.76	Port had filed a civil suit on 28/03/2014 before the Honourable Sub Court at kochi to recover an amount of ₹ 105 Lakhs with interest @ 15% p.a, which was incurred by CopT to rectify the manufacturing defects noticed on the tugs supplied by Company. Matter pending before court for arbitration.

There are no other pending litigations, other than those disclosed above.

Note 50: Value of advance Bank Guarantee outstanding as on reporting date is ₹ 1087613.44 Lakhs (Previous year ₹ 1032503.48 Lakhs)

Note 51: Litigations:

The Group is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Group's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Group's results of operation.

Note 52 : Research & Development /New Initiative Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
a) Revenue Expenditure	2,038.62	2,270.08
b) Capital Expenditure	402.26	2.83
	2,440.88	**2,272.91**

Refer Note No.4 and 43

₹ 3500 Lakhs has been allocated for R&D and innovation initiatives Fund, for development of pilot Autonomous Surface Vessel Project.1% of average turnover based on the audited financial results of the standalone financial results of CSL for the last three financial years is set aside as yearly budget for the Research and Development/Innovation initiatives of CSL. Further the Board has granted approval for funding support not exceeding ₹ 5000 Lakhs to "USHUS" project under CSL's Start-up Engagement Policy Framework.

Note 53 : Corporate Social Responsibility (CSR) : As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Holding Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
(a) Gross amount required to be spent by the Company during the year	1784.08	1557.68
(b) Amount spent during the year	1554.16	1789.51

(₹ in lakhs)

In case of Sec.135(5) Excess amount spent	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
(i) Amount carry forwarded from previous financial years	395.00	170.00
(ii) Amount spent during the year	1,554.16	1,789.51
(iii) Amount charged to P&L as CSR expenses	1,789.06	1,564.51
(iv) Amount carry forwarded to succeding financial years	160.00	395.00

As on 31 March 2026, the Company spent ₹ 164.98 Lakhs in excess of amount required to be spent as per Companies Act, 2013 out of which ₹ 4.98 Lakhs is charged to Profit and Loss and ₹ 160 Lakhs is carried forwarded to succeding financial years.

(₹ in lakhs)

Additional Disclosures on CSR	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
(i) Amount required to be spent by the Company during the year,	1784.08	1558.68
(ii) Amount of expenditure incurred,	1554.16	1789.51
(iii) Shortfall at the end of the year,	0.00	0.00

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Additional Disclosures on CSR	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
(iv) Total of previous years shortfall,	0.00	0.00
(v) Reason for shortfall	NA	NA
(vi) Nature of CSR activities: As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee.		
(vii) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the Company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	Nil	Nil
(viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.	Nil	Nil

Details of amount spent for year ended 31 March 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	602.98		602.98
(ii) On purposes other than (i) above	951.18		951.18
	1,554.16	**-**	**1,554.16**

Details of amount spent for year ended 31 March 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1,419.72	-	1,419.72
(ii) On purposes other than (i) above	369.79	-	369.79
	1,789.51	**-**	**1,789.51**

Note 54 : Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship 2025-26	Nature of Relationship 2024-25
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director (Up to January 31, 2026)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical) (Up to May 31, 2025)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan Director (Operations) (Up to May 31, 2025) HCSL Chief Executive Officer (From 01.08.2025)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director (Finance) & Chief Financial Officer Chairman & Managing Director (Addl. Charge w.e.f February 01, 2026)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Dr. Harikrishnan S Director (Operations) (w.e.f August 27, 2025)	Key Managerial Personnel	
Shri Rajesh Gopalakrishnan Director (Technical) of Holding Company (w.e.f August 27, 2025) Director of UCSL from Oct 30 2024	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel

Related Party	Nature of Relationship	
	2025-26	2024-25
Shri Rajesh Kumar Sinha Part-time Official (Nominee) Director, Government of India (up to August 07, 2025)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Venkatesapathy S Part-time Official (Nominee) Director, Government of India (w.e.f August 07, 2025)	Key Managerial Personnel	
Shri Biju Prabhakar Part-time Official (Nominee) Director, Government of Kerala (Up to May 31, 2025)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri P B Nooh Part-time Official (Nominee) Director, Government of Kerala (w.e.f June 20, 2025)	Key Managerial Personnel	
Smt. Amrapali Prashant Salve Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)		Key Managerial Personnel
Shri Nahar Singh Maheshwari Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)		Key Managerial Personnel
Shri Ashok Sharma Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)		Key Managerial Personnel
Shri Prithiviraj Harichandan Non-Official (Independent) Director (Up to May 01, 2024)		Key Managerial Personnel
Shri Venkatesan M Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)		Key Managerial Personnel
Shri Abhijit Biswas Non-Official (Independent) Director (Up to Nov 21, 2024)		Key Managerial Personnel
Dr. Seema Suri Non-Official (Independent) Director (w.e.f May 21, 2025)	Key Managerial Personnel	
Shri Syamkamal N Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shiraz V P Director UCSL	Key Managerial Personnel (From 23.07.2025)	
Smt. Anjana K R Director UCSL, Nominee Director HCSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Neelakandhan A N (UCSL) Director, UCSL (w.e.f May 03,2022 till Aug 31, 2024)		Key Managerial Personnel
Shri Harikumar A Chief Executive Officer UCSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shankar Nataraj Chief Financial Officer UCSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M Company Secretary UCSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Eldho John, Nominee Director HCSL (w.e.f. July 23, 2025)	Key Managerial Personnel	
Shri.Saibal Chattopadyay, Chief Financial Officer HCSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sanil Peter, Chief Executive Officer (Till 31.07.2025) HCSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Kiran.K.A, Company Secretary HCSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Related Party	Nature of Relationship	
	2025-26	2024-25
India Ship Technology Centre (Section 8 Private Limited Company incorporated on March 29, 2026)	Subscriber Member	
CSL Superannuation Pension Trust For Executives And Supervisors	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
Cochin Shipyard Ltd Group Gratuity Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Retired Employees Medical Assistance Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Mutual And Public Welfare Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
Cochin Shipyard Ltd Employees Contributory Provident Fund Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Officers And Supervisors Retirement Benefit Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Insurance Linked Medical Assistance Trust For Retired Workmen	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Workmen Pension Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan

India Ship Technology Centre (ISTC) was incorporated on March 29, 2026 as a Section 8 Company limited by guarantee and not having share capital under the directions of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) to support the development of the Indian shipbuilding sector through participation of shipyards, ship designers, academic institutions, research and training organisations, industry associations and professional bodies etc. Director (Finance) and Director (Operations) of CSL serve as initial members and directors of ISTC, with their appointment and direction being subject to the encouragement and strategic guidance of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). CSL provides only administrative, operational and managerial assistance on a reimbursable basis, and all actual expenses incurred by CSL for ISTC are reimbursed upon allocation of funds by the Government of India. The current governance structure is temporary and established solely to expedite the incorporation process; upon formation of an independent Board, ISTC will be an independent and autonomous entity under the Ministry of Ports, Shipping and Inland waterways. Accordingly, ISTC is treated as a related party operating under the strategic guidance and encouragement of the Government of India. ISTC has total assets of ₹ Nil and total liabilities of ₹ nil as at March 31, 2026. Reimbursable expenses incurred on behalf of ISTC during the year amounted to ₹ nil, with ₹ nil as at the reporting date.

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Short term benefit	635.49	413.37
Post employment Benefit	56.41	50.11
Total	**691.91**	**463.48**

Nature of transaction-Advances

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2025	Loans/advances Taken during 2025-26	Repayment	Balance as on March 31, 2026	Interest accrued as on March 31, 2026
Rajesh Gopalakrishnan	0.00	5.78	1.20	4.58	1.76
Harikrishnan S	0.00	0.68	0.48	0.20	0.00
Syamkamal N	0.18	0.65	0.63	0.20	0.00

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2024	Loans/advances Taken during 2024-25	Repayment	Balance as on March 31, 2026	Balance as on March 31, 2026
Bejoy Bhasker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose V J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sreejith K N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Syamkamal N	0.14	0.60	0.56	0.18	0.00

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Smt.Seema Suri	3.60	0.00
Smt. Amrapali Prashant Salve	0.00	3.00
Shri Nahar Singh Maheshwari	0.00	3.60
Shri Ashok Sharma	0.00	3.30
Shri Prithiviraj Harichandan	0.00	0.30
Shri Venkatesan M	0.00	2.10
Shri Abhijit Biswas	0.00	3.60
Total	**3.60**	**15.90**

Transactions and Balances with other Related Parties (Post- Retirement Benefits Trust/Plans)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
i) Transactions		
Contribution to Post employment plans (for the year)	2,241.50	3,444.90
ii) Balances		
Payable to trust (Net)	599.44	104.12

Transactions & Balances with Government and entities under the control of same government

Government of India (GOI) as on March 31, 2026 is holding 67.91% equity shares of the Holding Company, which is held by President of India through Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW). GOI controls the Group through Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW).

The Group has made various transactions with the Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW) and with entities being controlled or jointly controlled or having significant influence of the Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW).

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

i) Transactions/Balances with GoI

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Amount payable to Government of India	234.19	234.19

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Amount paid as dividend during the year to Government of India	17,420.45	17,713.30
Amount paid by HCSL as Lease Rent and Security Deposit during the Year 2025-26 to Govt. of India (MoPSW)	47.55	235.91

ii) Significant transactions with Government related Entities under MoPSW

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Lease rent paid	2,842.93	2675.87
Power & water supply charges	904.87	1,613.37
Annual Profit share payment	910.67	227.73
Employee related expenses	1,745.25	596.68
Dredging of ISRF area	364.49	429.73
Tugs & Pilotage charges	516.14	360.99
Guaranteed amount	241.83	233.04
IWAI-Fund Received For PANDU-Project and Agency Fees	4,355.00	12,539.00
Revenue from operations	14,182.47	4,130.17

iii) Significant balances with Government related Entities under MoPSW

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Payables	8.18	26.46
Advances given to suppliers	134.81	72.09
Receivables	5,570.87	2,787.77
Advance received from customers	3,804.77	4,260.63
IWAI-Pandu Project Fund	7,462.27	6,850.84

In addition to the above, around 63.06 % (approx) of the group's turnover and 80.83% (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities including those under MoPSW.

Note 55 : FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis

(₹ in lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	March 31, 2026	March 31, 2025	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	11,300.18	19.26	Level III
(ii) Loans	625.01	551.52	Level III
(iii) Others	190.01	167.03	Level III
Current			
(i) Trade Receivables	42,321.88	22,484.91	Level III
(ii) Cash & Cash equivalents	10,538.70	31,667.12	Level III
(iii) Bank Balances other than (ii)	2,30,055.39	2,79,595.10	Level III
(iv) Loans	163.99	131.10	Level III
(v) Others	10,616.87	27,864.93	Level III
Total Financial Assets	**3,05,812.03**	**3,62,480.97**	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	2,302.20	2,302.20	Level III
(ii) Lease liabilities	53,599.92	46,013.72	Level III
(iii) Other financial liabilities	21.81	19.99	Level III
Current			
(i) Borrowings	1,07,583.59	4,599.11	Level III
(ii) Trade Payables	96,242.62	49,409.54	Level III
(iii) Lease liabilities	3,689.62	3,125.68	Level III
(iv) Other financial liabilities	36,610.23	23,916.40	Level III
Total Financial Liabilities	**3,00,049.99**	**1,29,386.64**	

Note:

1. The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose.The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost.

   Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value.The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

   There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

2. Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.

3. The carrying amount of trade receivables are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

4. For financial liabilities (trade and other payables and security deposits), fair value at amortised cost is determined by using discounted cash flow method; amortised on an aggregated basis and on straight line, as their individual impact is not considered material. Appropriate market borrowing rate of the Company as of each balance sheet date is used for discounting.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

5. Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets,short term loans, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)

	As at March 31, 2026			As at March 31, 2025		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
- Equity instruments	-	22.49	-	-	19.26	-
- Debt instruments	-	-	11,277.69	-	-	-
- Preference shares	-	-	-	-	-	-
Investments (Current)				-	-	-
- Mutual Funds	-	-	-	-	-	-
Loans	-	-	-	-	-	-
Trade receivables	-	-	42,321.88	-	-	22,484.91
Cash & Cash equivalents	-	-	10,538.70	-	-	31,667.12
Bank Balances	-	-	2,30,055.39	-	-	2,79,595.10
Other Financial Assets	-	-	11,595.88	-	-	28,714.58
Total Financial Assets	**-**	**22.49**	**3,05,789.54**	**-**	**19.26**	**3,62,461.71**
Financial liabilities						
Borrowings			1,09,885.79	-	-	6,901.31
Lease liabilities			57,289.54	-	-	49,139.40
Trade Payables			96,242.62	-	-	49,409.54
Other financial liabilties			36,632.04	-	-	23,936.39
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**3,00,049.99**	**-**	**-**	**1,29,386.64**

Amendments to Ind AS 107: Disclosures relating to Supplier Finance Arrangements

The Company has entered into certain Supplier Finance Arrangements (SFA) with finance providers during the year. The primary objective of these arrangements is to benefit the MSME suppliers with early payments. The Company doesn't provide any collateral or guarantees to the finance provider.

Carrying Amount of Financial Liabilities:	March 31, 2026
(i) Financial liabilities (relating to Supplier Finance Arrangements) classified under 'Trade Payables'	5,587.36
(ii) Out of (i), amount received by suppliers from finance providers	1,108.06

Payment Terms	March 31, 2026
(i) The Financial liabilities that are part of the arrangement	30-45 Days
(ii) Comparable trade payable that are not part of the arrangement	30-45 Days

The Company has applied transitional relief and accordingly comparative information, wherever applicable, for the above disclosures is not presented in the first year of adoption of the amendment.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 56: Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Group's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk and other price risk, being mainly commodity price risk. Financial Assets affected by market risk include loans and advances, deposits and derivative financial instruments.

A. Interest rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates is minimal since the exposure relates primarily to the Company's long-term debt obligations of redeemable non-convertible bonds with fixed interest rates as disclosed in Notes 24 and 29. With the current profile of fixed rate borrowing, the Company is not sensitive to interest rate fluctuations.

The Company is exposed to interest rate risk because the Company borrows working capital funds benchmarked to overnight Treasury Bills, RBI Repo, six months EURIBOR. The Company's exposure to interest rates are detailed in Note No. 29.

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the Holding Company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The Company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 48.

The Group's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	SGD	AED	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Assets							
March 31, 2026	-	-	-	-	-	-	-
March 31, 2025	-	-	-	-	-	-	-
Financial Liabilities							
March 31, 2026	-	-	5,659.97	13,450.07	143.43	8,853.51	28,106.98
March 31, 2025	1.22	1.42	7,742.59	12,488.41	69.93	307.91	20,611.48

The sensitivity of profit/loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at March 31,2026	As at March 31, 2025
Receivables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
USD - Weakening of ₹ by 5%	-	-
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
EURO - Weakening of ₹ by 5%	-	-
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
GBP - Weakening of ₹ by 5%	-	-
AED - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
AED - Weakening of ₹ by 5%	-	-
SGD - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
SGD - Weakening of ₹ by 5%	-	-
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
NOK - Weakening of ₹ by 5%	-	-
Payables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(282.99)	(387.13)
USD - Weakening of ₹ by 5%	282.99	387.13
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(672.51)	(624.43)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	672.51	624.43
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(7.17)	(3.49)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	7.17	3.49
AED - Strengthening of ₹ by 5%	-	(0.07)
AED - Weakening of ₹ by 5%	-	0.07
SGD - Strengthening of ₹ by 5%	-	(0.06)
SGD - Weakening of ₹ by 5%	-	0.06
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(442.68)	(15.39)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	442.68	15.39
Profit Before Tax		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	282.99	387.13
USD - Weakening of ₹ by 5%	(282.99)	(387.13)
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	672.51	624.43
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(672.51)	(624.43)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	7.17	3.49
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(7.17)	(3.49)
AED - Strengthening of ₹ by 5%	-	0.07
AED - Weakening of ₹ by 5%	-	(0.07)
SGD - Strengthening of ₹ by 5%	-	0.06
SGD - Weakening of ₹ by 5%	-	(0.06)
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	442.68	15.39
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(442.68)	(15.39)

C. Commodity Price Risk

The Group is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the Company's exposure to commodity risk is minimal.

The following table details the Group's sensitivity to a 5% movement in the input price of steel. The sensitivity analysis includes only 5% change in commodity prices for quantity consumed during the year, with all other variables held constant.

(₹ in lakhs)

Particulars	Increase of 5 %		Decrease of 5 %	
	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Steel	707.25	850.99	(707.25)	(850.99)

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value.

The Group requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long- term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below.

(₹ in lakhs)

Particulars	As on March 31, 2026			As on March 31, 2025		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Financial Assets						
Non-current investments			11,300.18	-	-	19.26
Loans (Non Current)	-	399.60	225.41	-	228.43	323.09
Other Financial Assets (Non Current)	6.30	38.70	145.01	6.30	37.92	122.81
Trade Receivables	42,321.88	-	-	22,484.91	-	-
Cash and Cash Equivalents	10,538.70	-	-	31,667.12	-	
Bank Balances other than cash and cash equivalents	2,30,055.39	-	-	2,79,595.10	-	-
Loans	163.99	-	-	131.10	-	
Other Financial Assets	10,227.51	389.36		27,544.75	320.18	-
Total Financial Assets	**2,93,313.77**	**827.66**	**11,670.60**	**3,61,429.28**	**586.53**	**465.16**
Financial Liabilities						
Borrowings (Non Current)	2.20	2,300.00	-	2.20	-	2,300.00
Lease Liabilities (Non Current)	-	7,867.95	45,731.97	594.37	6,675.05	38,744.30
Other financial liabilities (Non Current)	21.81	-	-	-	19.99	-
Borrowings (Current)	1,07,583.59	-	-	4,599.11	-	-
Lease Liabilities	3,689.62	-	-	3,125.68	-	-
Trade payables	96,242.62	-	-	49,409.54	-	-
Other financial liabilities	35,941.60	668.63	-	23,409.77	506.63	-
Total Financial Liabilities	**2,43,481.44**	**10,836.58**	**45,731.97**	**81,140.67**	**7,201.67**	**41,044.30**

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its exposure to other financial assets, including deposits with banks and financial institutions, derivative instruments, and other financial instruments. The Group has adopted a policy of only dealing with counterparties that have sufficiently high credit rating in order to manage the credit risk. Trade receivables mainly comprise of government entities and the cash and cash equivalents and derivative instruments are maintained with banks and recognised financial institutions with high credit rating.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

For trade receivables, as a practical expedient the Company computes credit loss allowance based on a provision matrix which considers historically observed default rates over expected life of trade receivables, adjusted for forward looking estimates. The movement in expected credit loss allowance is disclosed in Note 15.

The Group's maximum exposure to the credit risk for the components of Balance Sheet as March 31, 2026 and March 31, 2025 is the carrying amounts mentioned in Note no 15 and as stated in Note 54, around 63.06%(approx) of Company's turnover and 80.83% (approx.) of trade receivables and customer advance it with respect to Government and Govt. regulated entities. The maximum exposure relating to financial derivative instruments and financial guarantees is disclosed in Note 48 and Note 50 respectively.

Note 57: Disclosure pursuant to Ind AS 1 "Presentation of Financial Statements":

a. Current assets expected to be recovered within twelve months and after twelve months from the reporting date:

(₹ in lakhs)

Particulars	As on March 31, 2026			As on March 31, 2025		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Inventories	2,28,836.29	-	2,28,836.29	1,89,608.53	-	1,89,608.53
Trade receivables	42,321.88	-	42,321.88	22,484.91		22,484.91
Cash and cash equivalents	10,538.70	-	10,538.70	31,667.12	-	31,667.12
Bank balances	2,30,055.39	-	2,30,055.39	2,79,595.10	-	2,79,595.10
Loans	163.99	-	163.99	131.10	-	131.10
Other Financial assets	10,296.69	320.18	10,616.87	27,544.75	320.18	27,864.93
Current tax assets (net)	10,346.67	-	10,346.67	-	-	-
Other current assets	4,46,139.51	81,671.09	5,27,810.60	4,01,214.68	15,586.54	4,16,801.22

b. Current liabilities expected to be settled within twelve months and after twelve months from the reporting date:

(₹ in lakhs)

Particulars	As on March 31, 2026			As on March 31, 2025		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Borrowings	1,07,583.59	-	1,07,583.59	4,599.11	-	4,599.11
Lease Liabilities	3,689.62	-	3,689.62	3,125.68	-	3,125.68
Trade payables	96,242.62	-	96,242.62	49,409.54	-	49,409.54
Other financial liabilities	34,205.45	2,404.78	36,610.23	23,409.77	506.63	23,916.40
Other current liabilities	1,44,977.45	3,50,896.59	4,95,874.04	1,20,195.23	4,21,356.74	5,41,551.97
Provisions	58,118.78	-	58,118.78	1,02,286.48	359.20	1,02,645.68
Current tax liabilities (net)	-	-	-	2,460.25	-	2,460.25

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 58 : Segment Reporting

The Group has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Ship Repair. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Segment Assets		
Ship building	10,35,330.55	8,69,295.75
Ship Repair	3,68,949.75	3,48,802.99
Unallocated	48,784.80	1,21,823.99
Total	**14,53,065.10**	**13,39,922.73**
Segment Liability		
Ship building	6,14,645.13	4,47,070.26
Ship Repair	40,322.53	1,01,937.09
Unallocated	2,10,821.72	2,32,989.35
Total	**8,65,789.38**	**7,81,996.70**
Segment Revenue		
Ship building*	3,36,556.50	2,95,538.68
Ship Repair*	1,65,630.45	1,86,457.20
Unallocated	40,982.42	38,906.50
Total	**5,43,169.37**	**5,20,902.38**
Segment Result		
Ship building	67,295.41	46,134.73
Ship Repair	42,941.22	72,919.61
Unallocated	(1,095.60)	(2,679.74)
Total	**1,09,141.03**	**1,16,374.60**

Reconciliation of segment results to profit before tax from continuing operations:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended	
	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Amount as per segment results	1,09,141.03	1,16,374.60
Less: Finance Costs	9,237.61	3,857.55
Add: Exceptional items	-	-
Profit before tax from continuing operations	99,903.42	1,12,517.05

The Group has two major business segments -"shipbuilding" and "ship repair". Revenue under shipbuilding includes ₹ 158820.82 Lakhs (previous year: ₹ 206665.27 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having 47.19% revenue of the total Shipbuilding revenue, and for ship repair includes ₹ 100833.29 Lakhs (previous year: ₹ 153005.55 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having 60.88% in total of the total ship repair revenue.

*Out of segment Revenue from Operations, ₹ 156522.58 Lakhs (₹ 72,826.99 Lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 59 : Capital Management

The Group's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The Company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Long term borrowings	2,302.20	2,302.20
Net Debt*	1,09,885.79	6,901.31
Equity Share Capital	13,154.04	13,154.04
Other equity	5,74,121.68	5,44,771.99
Total Equity	5,87,275.72	5,57,926.03
Gearing Ratio	18.71%	1.24%

*Net Debt includes Short term Borrowings of the Company amounting to ₹ 107583.59 Lakhs (previous year ₹ 4599.11)

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2026 and March 31, 2025.

Ratios	Numerator	Denominator	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025	% change	Remarks if change is more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liabilities	1.33	1.33	(0.08%)	-
(b) Debt-Equity Ratio,	Total Debt	Shareholder's Equity	0.19	0.01	1413%	Due to short term loans taken during the year
(c) Debt Service Coverage Ratio,	*Earnings available for debt service	Debt Service	1.05	13.85	-92.43%	Due to short term loans taken during the year
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.13	0.16	-19.94%	
(e) Inventory turnover ratio,	Revenue from Operations	Average Inventory	2.40	3.30	(27.24%)	Due to project specific materials and equipment held in stock for the vessels currently at various stages of construction and decrease in turnover
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	14.11	13.86	1.80%	
(g) Trade payables turnover ratio,	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	3.55	6.26	-43%	Due to decrease in purchases and increase in trade payables during the year

Ratios	Numerator	Denominator	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025	% change	Remarks if change is more than 25%
(h) Net capital turnover ratio,	Net Sales	Working Capital	1.91	2.00	-4.59%	
(i) Net profit ratio,	Net Profits	Net Sales	0.14	0.17	-16.85%	
(j) Return on Capital employed,	Earning before interest and taxes	Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.16	0.21	-26.08%	Due to decrease in Profit and increase in total borrowings due to short term loans taken during the year
(k) Return on investment:						
(1) ROI on Equity Investment	Dividend	Average investment in Equityshares	0.03	0.03	-23.92%	

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

*Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments

Note 60 : Details of Subsidiaries

Sl No	Name	Relationship	Nature of activity	Principal place of business	As at March 31, 2026 & March 31, 2025 Proportionate ownership in %
1	Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Kolkata, India	100%
2	Udupi Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Malpe, India	100%

Note 61 : Summarised financial information of subsidiary Company is as follows:

The amounts disclosed for subsidiary are before inter-Company eliminations

A. HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

(₹ in lakhs)

Summarised Balance sheet	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Non-current assets	15,659.34	16,374.32
Current assets	22,111.68	14,188.60
Total Assets	**37,771.02**	**30,562.92**
Non-current liabilities	10,108.42	9,998.45
Current liabilities	23,382.88	14,387.43
Total Liabilities	**33,491.30**	**24,385.88**
Net Assets	**4,279.72**	**6,177.04**
Accumulated NCI	**-**	**-**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Summarised Statement of Profit & Loss	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Revenue	12,255.35	5,775.32
Profit/(Loss) for the year	(1,953.36)	(1,737.67)
Other Comprehensive Income	56.05	(28.38)
Total Comprehensive Income	**(1,897.31)**	**(1,766.05)**
Profit/(Loss) attributable to NCI	**-**	**-**

(₹ in lakhs)

Summarised Cashflows	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Cashflows from operating activites	(3,026.52)	1,472.35
Cashflows from investing activities	24.35	39.18
Cashflows from financing activities	3,364.46	(370.37)
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	**362.29**	**1,141.16**

B. UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED (Formerly Tebma Shipyard Limited)

(₹ in lakhs)

Summarised Balance sheet	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Non-current assets	12,579.22	14,251.02
Current assets	42,034.59	38,320.94
Total Assets	**54,613.81**	**52,571.96**
Non-current liabilities	2,156.75	1,696.16
Current liabilities	32,281.79	33,745.69
Total Liabilities	**34,438.54**	**35,441.85**
Net Assets	**20,175.27**	**17,130.11**
Accumulated NCI	**-**	**-**

(₹ in lakhs)

Summarised Statement of Profit & Loss	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Revenue	61,811.64	26,563.60
Profit/(Loss) for the year	9,338.76	262.78
Other Comprehensive Income	(6,321.69)	584.80
Total Comprehensive Income	**3,017.07**	**847.58**
Profit/(Loss) attributable to NCI	**-**	**-**

(₹ in lakhs)

Summarised Cashflows	For the year ended March 31, 2026	For the year ended March 31, 2025
Cashflows from operating activites	7,077.11	(4,329.04)
Cashflows from investing activities	(2,136.90)	(1,931.83)
Cashflows from financing activities	(2,826.91)	4,500.02
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	**2,113.30**	**(1,760.85)**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 62 : INFORMATION REQUIRED BY SCHEDULE III OF THE COMPANIES ACT 2013,WITH RESPECT TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in lakhs)

Name of the entity in the group	Net Asset			Share in Profit or (Loss)		Share in Other Comprehensive Income		Share in Total Comprehensive Income	
	Ownership in % As at March 31, 2026	Proportionate Share	As % of Consolidated Net Asset	Share in Profit/ (Loss)	As % of Consolidated Profit/ (Loss)	Share in Other Comprehensive Income	As % of Consolidated Other Comprehensive Income	Share in Total Comprehensive Income	As % of Consolidated Total Comrpehensive income
Cochin Shipyard Limited	100.00%	589282.84	100.34%	64304.34	89.72%	(10436.30)	62.49%	53868.04	97.99%
Subsidiary									
Hooghly Cochin Shipyard Limited	100.00%	4279.72	0.73%	-1953.36	-2.73%	56.05	-0.34%	-1897.31	-3.45%
Udupi Cochin Shipyard Limited	100.00%	20175.27	3.44%	9338.76	13.03%	(6321.69)	37.85%	3017.07	5.49%
Consolidation adjustments		(26462.11)	-4.51%	(15.79)	-0.02%	0.00	0%	(15.79)	-0.03%
Grand Total		**587275.72**	**100.00%**	**71673.95**	**100.00%**	**(16701.94)**	**100.00%**	**54972.01**	**100.00%**

Note 63 : Consumption of imported goods/services for the year amounts to ₹ 110431.86 Lakhs (₹ 90542.96 Lakhs in previous year)

Note 64 : The Company have used the ERP, SAP S/4HANA as the accounting software for maintaining its books of account, which have a feature of Security audit log and recording audit trail (edit log) facility throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective softwares except for the instances mentioned below.

i. The feature of recording audit trail (edit log) facility were enabled for identified database tables to log data changes for the accounting software used for maintaining the books of account. However, any direct data change to SAP database tables are not being carried out.

ii. Security audit log was enabled in the ERP from 2022 onwards.The feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software was enabled on March, 2024.

Further no instance of audit trail feature being tampered with was noted in respect of the accounting software and records are preserved in compliance with statutory requirements.

Note 65 : No proceedings have been initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

Note 66 : The total Fund Based and Non-Fund based limits sanctioned by various banks under Multiple Banking Arrangement is as follows:

Description	Sanctioned Limit	Utilization As at March 31, 2026		Sanctioned Limit	Utilization As at March 31, 2025	
		Value	% Utilization		Value	% Utilization
Non Fund Based Limit	1692453	1180991.98	69.78%	1692353	1132951.37	66.95%
Bank Gurantees	1420250	1153134.15	81.19%	1410250	1102150.41	78.15%
Letter of Credit	246733	20945.00	8.49%	259133	25539.75	9.86%
Fund Based Limit	228000	107493.18	47.15%	15500	4344.00	28.03%
WCDL	178000*	81421.18	45.74%	15500	4344.00	28.03%
PCFC	50000	26072.00	52.14%	NIL	NIL	NIL

* In the case of Holding Company - Capped to the limit sanctioned by the Board of Directors.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

The Holding Company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and is not required to file any quarterly returns or statements with the banks.

The Hooghly-CSL subsidiary has borrowings from banks on the basis of security of current assets. The Company has complied with the requirement of filing of monthly / quarterly returns/ statements of current assets with the bank or financial institutions as applicable, and these returns were in agreement with the books of accounts for the year ended March 31, 2026 and March 31, 2025.

The UCSL subsidiary has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks on the basis of security of current assets. The quarterly returns or statements filed by the Company with the banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts.

Note 67 : The Company is not declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

Note 68 : The Company has no transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.

Note 69 : There are no charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

Note 70 : No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

The National Company Law Tribunal, Chennai (NCLT) vide its Order dated September 25, 2018 initiated the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) formerly Tebma Shipyards Limited (TSL) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Cochin Shipyard Limited (CSL) submitted the Resolution Plan for acquisition of Tebma Shipyards Ltd to the Committee of Creditors (CoC) in October 2019. The Hon'ble NCLT declared CSL as the Successful Resolution Applicant vide its order dated March 04, 2020. The bid amount of ₹ 65 crs was paid by CSL and a major part of the resolution plan was implemented and accounted for the in the books of Account in FY 2019-20 & 2020-21.

With regard to demand notice issued by various statutory authorities pertaining to period prior to NCLT order, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.

Note 71 : The Company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence disclosures relating to it are not applicable.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 72 : In the case of contracts/ sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

Note 73 : The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

Note 74 : Figures in brackets denote negative figures.

Note 75 : Previous year figures have been regrouped and reclassified wherever necessary to conform to the current year presentation.

Corporate overview and Material Accounting Policies 1 - 3

Notes to the Consolidated Financial Statements 4 - 75

The accompanying notes are an integral part of these Financial Statements

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Annexure

FORM AOC 1

Statement containing salient features of the Financial Statement of Subsidiaries/associate companies/joint ventures (Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014

Part "A" : Subsidiaries

Sl No	Particulars	Details	Details
1	Sl No	1	2
2	Name of the subsidiary	Hooghly Cochin Shipyard Ltd	Udupi Cochin Shipyard Ltd
3	The date since when subsidiary was acquired	October 23, 2017	September 15, 2020
4	Reporting Period for the subsidiary concerned, if different from the holding Company's reporting period	No	No
5	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries	Not Applicable	Not Applicable
6	Share Capital	₹14000 Lakhs	₹10800 Lakhs
7	Reserves and Surplus	₹(9720.28) Lakhs	₹9375.27 Lakhs
8	Total Assets	₹ 37771.02 Lakhs	₹54613.81 Lakhs
9	Total Liabilities	₹ 33491.30 Lakhs	₹34438.54 Lakhs
10	Investments	Nil	Nil
11	Turnover	₹12255.35 Lakhs	₹61811.64 Lakhs
12	Profit Before Taxation	₹(1888.39) Lakhs	₹13167.79 Lakhs
13	Provision for taxation		
	(i) Current Tax		
	(ii) Deferred Tax	₹64.97 Lakhs	₹3829.03 Lakhs
14	Profit after taxation	₹(1953.36) Lakhs	₹9338.76 Lakhs
15	Proposed Dividend	Nil	Nil
16	Extent of shareholding (in %)	100%	100%

Part "B": Associates and Joint Ventures :Not applicable

As per our report attached

For Babu A. Kallivayalil & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 05374S

ALEXANDER NALLANICKAL KOSHY
Partner,
Membership No.007448
Kochi, dated May 15, 2026

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number- A25337

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Director (Technical)
DIN:09576336

Dr HARIKRISHNAN S
Director (Operations)
DIN:10221559
Kochi, dated May 15, 2026

JOSE V J
Director (Finance) & Addl charge of CMD
DIN: 08444440

COCHIN SHIPYARD LIMITED

Corporate Identity Number: L63032KL1972GOI002414
Registered Office: Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306 **E-mail:** secretary@cochinshipyard.in **Website:** www.cochinshipyard.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of Cochin Shipyard Limited (CSL) will be held on Tuesday, September 29, 2026 at 11:00 hrs. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2026, together with the Reports of the Board of Directors' and the Auditors' thereon.

2. To receive, consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2026, together with the Report of the Auditors' thereon.

3. To confirm the payment of first interim dividend of ₹4.00 (80%) per equity share and second interim dividend of ₹3.50 (70%) per equity share and to declare final dividend of ₹1.50 (30%) per equity share (face value of ₹5) for the financial year 2025-26.

4. To appoint a Director in place of Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

5. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2026-27.

Special Business

6. **Approval of appointment of Shri Mukesh Mangal ITS (DIN: 10460089) as Part-time Official (Nominee) Director**

   To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules, if any, made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Shri Mukesh Mangal ITS (DIN: 10460089), Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Venkatesapathy S IAS (DIN: 07407879), Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, by the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated July 17, 2026 under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 read with Articles 21(a) and 21(c) of the Articles of Association of the Company, with effect from July 17, 2026 until further orders and on the terms and conditions as stipulated by the Government of India."

7. **Approval of appointment of Smt. Anupama T. V. IAS (DIN:06932600) as Part-time Official (Nominee) Director**

   To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules, if any, made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Smt. Anupama T. V. IAS (DIN: 06932600), Secretary, Transport Department,

Government of Kerala, as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri P B Nooh IAS (DIN: 09701541), former Special Secretary, Transport Department, Government of Kerala, by the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated July 17, 2026 under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 read with Articles 21(a) and 21(c) of the Articles of Association of the Company, with effect from July 17, 2026 until further orders and on the terms and conditions as stipulated by the Government of India."

8. **Approval of appointment of Dr. Vani Ahluwalia (DIN: 11754971) as Non-official (Independent) Director**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149 and 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), read with Schedule IV to the Companies Act, 2013 and Regulations 17 and 25(2A) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Dr. Vani Ahluwalia (DIN: 11754971) as a Non-official (Independent) Director on the Board of the Company by the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated August 17, 2026 under Articles 21(a) and 21(c) of the Articles of Association of the Company, for a period of three years with effect from August 17, 2026 till August 16, 2029 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier."

9. **Ratification of Remuneration of Cost Auditors**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the remuneration of ₹2,00,000/- (Rupees Two Lakhs Only) per annum plus applicable taxes payable to M/s. BBS & Associates, Cost Accountants, Kochi (Firm Registration No.: 00273), who are appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct audits relating to cost records of the Company under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 for the financial year 2026–27, be and is hereby ratified."

By Order of the Board of Directors

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Kochi
September 04, 2026

Notes:

1. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, the MCA Circulars and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the 54th AGM of the Company is being held through VC/ OAVM. The Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.

2. The attendance of the Shareholders in the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

3. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed and forms part of the Notice.

4. The relevant details, pursuant to Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), in respect of Directors seeking appointment/ re-appointment at this AGM is annexed to this Notice.

5. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. Since, this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/ OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with and hence the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM. Therefore, the proxy form, attendance slip and route map are not annexed to this Notice. However, in pursuance of Section 112 and 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the Members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/ OAVM and cast their votes through e-voting.

6. Annual Report for the year 2025-26 including the audited financial statements for the year ended March 31, 2026, is being sent by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with National Securities Depository Limited ("NSDL") or Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") ("Depositories") or the Company. For those Members who have not registered their e-mail addresses, a letter containing the web-link of the Annual Report is being sent by post. Further, the hard copies of the same would also be made available to the Members on request. Members may forward their request for hard copy to secretary@cochinshipyard.in. Members may note that the Notice and Annual Report 2025-26 will also be available on the Company's website www.cochinshipyard.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

7. Members who have not yet registered/ updated their e-mail addresses are requested to register/ update the same with their Depository Participants to enable the Company/ RTA to send communications through e-mail.

8. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC etc. to their Depository Participants only.

9. As per the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2013, the facility for recording a new nomination or a fresh nomination by cancelling the earlier nomination, is available to the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination or who are desirous of changing the nomination are requested to approach their Depository Participants and follow the procedure advised by them.

10. SEBI has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. After exhausting the option to resolve the grievances with the Company/ RTA directly and through the SCORES Portal, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal, which can be accessed at https://smartodr.in/login.

11. **Dividend**

    (i) The final dividend for the financial year 2025-26, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, by October 28, 2026 i.e., within 30 days from the date of approval. The Company has fixed Friday, September 18, 2026 as the Record Date for determining entitlement of Members to receive the dividend, if approved at the AGM.

(ii) Company will be making the dividend payment only by electronic mode as mandated by SEBI. Members may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. Hence, Members who have not yet registered/ updated their bank particulars are requested to register/ update their full/ correct bank account details (Bank Account Number, Name of the Bank, Branch, IFSC, MICR code etc.) to which the dividend is to be received with their Depository Participants immediately. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members for any update/ change of bank particulars. Such changes are to be intimated only to the Depository Participants of the Members.

(iii) As per the Income Tax Act, 2025, as amended ("Income Tax Act"), dividend paid and distributed by a Company will be taxable in the hands of Shareholders with effect from April 01, 2026. Therefore, the Company will be required to deduct taxes at source (TDS) at the rates applicable to each category of Shareholder under the provisions of the Income Tax Act. In order to enable us to determine the applicable TDS rate, Members are requested to submit the relevant documents latest by September 18, 2026 at the portal of the Company's RTA, MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) at https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html. The detailed communication regarding TDS on dividend inter alia including the documents to be submitted is available in the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58. **Documents submitted through e-mail or any other form will not be considered**.

(iv) **No communication on the tax determination/ deduction shall be considered after September 18, 2026.**

12. **Unclaimed Dividend**

(i) Members are hereby informed that under the Companies Act, 2013, the Company is obliged to transfer any money lying in the Unpaid Dividend Account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer to the Unpaid Dividend Account, to the credit of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government. The details of such unclaimed dividends that are liable to be transferred to IEPF are available at the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58.

(ii) Further, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("IEPF Rules"), all the shares on which dividend remain unpaid/ unclaimed for a period of seven consecutive years or more shall be transferred to the demat account of the IEPF Authority as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Hence, the Company urges all the Shareholders to encash/ claim their respective dividend within the prescribed period.

(iii) The Final Dividend declared for the financial year 2018-19, is due to be credited to the IEPF within 30 days from the due date of September 13, 2026. The corresponding shares on which dividends remain unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the demat account of the IEPF Authority. Hence, Members are requested to claim the said unpaid dividend on or before September 06, 2026 by forwarding a request letter along with the client master list having the updated bank account details (including the IFS code) to which the said dividend has to be credited, to the Company's RTA MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), failing which the said dividend along with the corresponding shares shall be transferred to IEPF at an appropriate date without any further notice and no claims thereafter shall lie against the Company. The list of shareholders whose shares/ dividend are due for transfer to IEPF are available in the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58.

(iv) Please note that the Shareholders can claim the dividend/ shares transferred to IEPF by following the procedure prescribed under the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

13. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts or Arrangements in which the Directors are interested, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available electronically for inspection to the Members during the AGM. All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to secretary@cochinshipyard.in.

14. Members are requested to send all communications relating to shares to the Company's Registrar and Transfer Agents ("RTA") at the following address:

MUFG Intime India Private Limited

(formerly Link Intime India Private Limited)

Surya 35, Mayflower Avenue

Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road

Coimbatore, Tamil Nadu – 641028

Phone: +91 (422) 2314792, 4958995

E-mail: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

15. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations (as amended) and the MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with CDSL for facilitating voting through electronic means, as the authorised agency. The facility of casting votes by a Member using remote e-voting system as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

16. The Board of Directors of the Company has appointed CS Sreekumar P. S. (FCS No. 8130, CP No. 8067) Partner, M/s. SVJS & Associates, Practising Company Secretaries, Kochi, as the Scrutiniser for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

17. **Instructions to Shareholders for remote e-voting**

(i) The remote e-voting period begins on Saturday, September 26, 2026 at 09:00 hrs. and ends on Monday, September 28, 2026 at 17:00 hrs. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Members whose names appear in the Depositories' records as on the cut-off date, Tuesday, September 22, 2026, may cast their vote electronically. The voting right of Shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being Tuesday, September 22, 2026. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the Meeting date would not be entitled to vote at the Meeting.

(iii) Process and manner of voting by electronic means

A. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 09, 2020 on 'e-Voting Facility Provided by Listed Entities', e-Voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants in order to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the E-Voting Service Provider (ESP), thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-Voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their Depository Participants to access e-Voting facility.

In terms of the said SEBI Circular, login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **CDSL Depository**	1. Users who have opted for CDSL Easi/ Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi/ Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon and My Easi New (Token) Tab. 2. After successful login, the Easi/ Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-Voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-Voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting and voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting Service Providers' website directly.

Type of Shareholders	Login Method
	3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login and My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat account number and PAN from the e-Voting link available on the home page of CDSL website www.cdslindia.com. The system will authenticate the user by sending OTP on registered mobile and e-mail as recorded in the demat account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-Voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the URL https://eservices.nsdl.com either on a personal computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting Service Provider name and you will be re-directed to e-Voting Service Provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting and voting during the meeting. 2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp. 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the URL https://www.evoting.nsdl.com/ either on a personal computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/ OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting Service Provider name and you will be redirected to e-Voting Service Provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting and voting during the meeting. 4. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN, Verification Code and generate OTP. Enter the OTP received on registered e-mail id/ mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting Service Provider name and you will be re-directed to e-Voting Service Provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting and voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/ CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting Service Provider name and you will be redirected to e-Voting Service Provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting and voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website(s).

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or contact at 022 – 4886 7000 and 022 – 2499 7000.

B. Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for non-individual Shareholders holding shares in demat mode

(i) The Shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(ii) Click on "Shareholders" module.

(iii) Now enter your User ID

(a) For CDSL: 16 digits Beneficiary ID

(b) For NSDL: 8 character DP ID followed by 8 digits Client ID

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and click on Login.

(v) If you are holding shares in demat mode and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first-time user follow the steps given below:

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department • Shareholders who have not updated their PAN with the Depository Participant are requested to contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account in order to login. • If both the details are not recorded with the Depository, please enter the Member ID in the Dividend Bank details field.

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) Click on the EVSN for Cochin Shipyard Limited.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv) If a demat account holder has forgotten the login password then enter the User ID and the Image Verification Code and click on Forgot Password and enter the details as prompted by the system.

(xvi) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to Scrutiniser for verification.

(xvii) Additional facility for Non-Individual Shareholders and Custodians – For Remote e-Voting only

- Non-Individual Shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be e-mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mapped automatically and can be delinked in case of any wrong mapping.
- It is mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the Scrutiniser to verify the same.
- Alternatively, Non-Individual Shareholders are mandatorily required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory who are authorised to vote, to the Scrutiniser by e-mail to sreekumar@svjs.in and to the Company at the e-mail address secretary@cochinshipyard.in, if they have voted from individual tab and not uploaded the same in the CDSL e-voting system for the Scrutiniser to verify the same.

18. **Instructions for Shareholders attending the AGM through VC/ OAVM and e-Voting during the meeting**

(i) The procedure for attending the meeting and e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-Voting.

(ii) The link for VC/ OAVM to attend the meeting will be available where the EVSN of the Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-Voting.

(iii) The facility for joining the AGM through VC/ OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for the AGM and will be available for the Shareholders on first come first serve basis.

(iv) Shareholders who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

(v) Shareholders are encouraged to join the meeting through laptops/ iPads for better experience.

(vi) Further, Shareholders will be required to allow camera and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

(vii) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptops connecting via mobile hotspot may experience audio/ video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

(viii) Shareholders who would like to express their views/ ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request from their registered e-mail address mentioning their name, demat account no. and mobile no. at secretary@cochinshipyard.in from September 21, 2026 (08.00 hrs.) to September 23, 2026 (16:00 hrs.). The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

(ix) Those Shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ ask questions during the meeting. Relevancy of the question and the order of speakers will be decided by the Chairman.

(x) Members seeking any information with regard to annual accounts at the time of Meeting are requested to send their queries to the Company at least seven days before the date of Meeting so as to enable the management to keep the information ready.

(xi) Only those Shareholders, who are present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

(xii) **Process for those Shareholders whose e-mail/ mobile no. are not registered with the Depositories**

(a) For Demat Shareholders: Please update your e-mail id and mobile no. with your respective Depository Participant.

(b) **For Individual Demat Shareholders: Please update your e-mail id and mobile no. with your respective Depository Participant which is mandatory while e-Voting and joining virtual meetings through Depository.**

19. If you have any queries or issues regarding attending AGM and e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

20. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, AVP, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

21. **Other Instructions**

(i) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of Notice and hold shares as on cut-off date of September 22, 2026, may obtain the Notice and e-voting instructions by sending request to the Company's RTA, MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) at their e-mail address investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com or download Notice and e-voting instructions from www.evotingindia.com or Company's website www.cochinshipyard.in.

(ii) The results declared along with the Scrutiniser's Report, will be placed on the website of the Company www.cochinshipyard.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results shall also be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company.

22. Please note that all the equity shares of Cochin Shipyard Limited are held in dematerialized (Demat) form. Accordingly, instructions and information relating to physical shareholding, including procedures for updating KYC details, registration of transfer, voting, attending the AGM and other related matters, are not applicable and have therefore not been included in this Notice.

STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 6

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated July 17, 2026) appointed Shri Mukesh Mangal ITS (DIN: 10460089), Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Venkatesapathy S IAS (DIN: 07407879), Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013, with effect from July 17, 2026 until further orders.

Shri Mukesh Mangal ITS is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other such authority and also not disqualified from holding the office of Director under Section 164 of the Companies Act, 2013. His brief resume containing qualification, expertise etc. is annexed herewith.

As per Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the first proviso thereto, the Company is required to obtain the approval of the Shareholders at the next general meeting.

Shri Mukesh Mangal ITS and his relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 6 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 6 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

Item No. 7

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated July 17, 2026) appointed Smt. Anupama T. V. IAS (DIN: 06932600), Secretary, Transport Department, Government of Kerala, as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri P B Nooh IAS (DIN: 09701541), former Special Secretary, Transport Department, Government of Kerala, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013, with effect from July 17, 2026 until further orders.

Smt. Anupama T. V. IAS is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other such authority and also not disqualified from holding the office of Director under Section 164 of the Companies Act, 2013. Her brief resume containing qualification, expertise etc. is annexed herewith.

As per Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the first proviso thereto, the Company is required to obtain the approval of the Shareholders at the next general meeting.

Smt. Anupama T. V. IAS and her relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns her appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 7 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 7 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

Item No. 8

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, Dr. Vani Ahluwalia (DIN: 11754971) was appointed as a Non-official (Independent) Director of the Company vide Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated August 17, 2026, for a period of three years with effect from August 17, 2026 till August 16, 2029 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier, by following a prescribed procedure for selection and appointment.

Dr. Vani Ahluwalia has given a declaration to the Board that she meets the criteria of independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, she is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other such authority and also not disqualified from holding the office of Director under Section 164 of the Companies Act, 2013. Her brief resume containing qualification expertise etc. is annexed herewith.

Dr. Vani Ahluwalia and her relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns her appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 8 of the Notice.

Dr. Vani Ahluwalia would be entitled to sitting fees for attending the Meetings of the Board of Directors and Committees thereof where she is a member.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 8 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of a special resolution.

Item No. 9

In pursuance of Section 148 of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company is required to appoint a Cost Auditor to audit the cost records of the applicable products of the Company.

In view of the above, the Board of Directors of the Company at their meeting held on August 14, 2026 has appointed M/s. BBS & Associates, Cost Accountants (Firm Registration No.: 00273), as the Cost Auditors of the Company for the financial year 2026-27 at a remuneration of ₹2,00,000/- (Rupees Two Lakhs Only) per annum plus applicable taxes. As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013, the remuneration of Cost Auditors is required to be ratified by the Shareholders.

M/s. BBS & Associates have consented to their appointment as Cost Auditors of the Company for the financial year 2026-27 and has confirmed that they satisfy the eligibility conditions as prescribed under the Companies Act, 2013. They have conducted the audit of the cost records of the Company earlier and have the relevant experience in the field of cost audit. Their performance during past engagements has been found to be satisfactory.

None of the Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 9 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 9 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

By Order of the Board of Directors

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Kochi
September 04, 2026

Registered Office
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
CIN: L63032KL1972GOI002414
Tel: +91 (484) 2501306
E-mail: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/ RE-APPOINTMENT AT THE 54TH AGM [PURSUANT TO REGULATION 36(3) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 AND SECRETARIAL STANDARD – 2 ON GENERAL MEETINGS]

Name and DIN	**Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559)**
Age and Date of Birth	57 years, May 29, 1969
Date of first appointment on the Board	August 27, 2025
Qualifications	Dr. Harikrishnan S holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering, a Master of Technology degree in Production Engineering, an MBA in International Business and a Doctorate (PhD) in Mechanical Engineering.
Expertise in specific functional areas	Dr. Harikrishnan S has nearly three decades of experience in the Company, wherein he was involved in a wide range of functions in shipbuilding and ship repair including design, inspection & quality control, production, procurement, planning & project management.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Dr. Harikrishnan S was appointed as Director (Operations) of CSL on August 27, 2025 pursuant to letter No.01/03/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 issued by the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training, communicated to the Company through e-mail by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on August 27, 2025. The terms and conditions of his employment including remuneration are prescribed by the Government of India, in line with the applicable DPE Guidelines.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Details of remuneration last drawn (FY 2025-26)	₹63.82 Lakhs (includes the remuneration paid to him during FY 2025-26 in an executive capacity (E-9 Level) with the Company prior to his appointment as Director (Operations) on August 27, 2025).
Directorships in other Companies including listed entities	• Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) (wholly owned subsidiary of CSL); • Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL) (wholly owned subsidiary of CSL); • India Ship Technology Centre (A Section 8 Company); and • Green Maritime Propulsion Private Limited (JV Company formed by CSL and HBL Engineering Limited).
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2025-26	4/4
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	240
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Name and DIN	Shri Mukesh Mangal ITS (DIN: 10460089)
Age and Date of Birth	57 years, November 06, 1968
Date of first appointment on the Board	July 17, 2026
Qualifications	Shri Mukesh Mangal belongs to the Indian Telecom Service (ITS) of 1992 batch and holds a Degree of Bachelor of Technology in Electronics and Communications.
Expertise in specific functional areas	Shri Mukesh Mangal ITS is serving as Additional Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India heading Vigilance, Shipping Unit & Sagarmala Wing including development of National Maritime Heritage Complex. In the past he has worked in the Department of Telecommunications and Ministry of Home Affairs. He has work experience of more than 33 years in the subjects like internal security, cyber security and cyber-crime, telecommunication technology, lighthouses etc. He has been instrumental in establishing various national level security projects in the field of cyber-security, Sanchar Saathi portal and digital intelligence platform to curb misuse of telecom resources in cyber-crime.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri Mukesh Mangal ITS was appointed as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Venkatesapathy S IAS, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated July 17, 2026, with effect from July 17, 2026 until further orders. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Details of remuneration last drawn (FY 2025-26)	Nil. No remuneration is paid to the Government Nominee Directors.
Directorships in other Companies including listed entities	• Shipping Corporation of India Limited; • Sagarmala Finance Corporation Limited; • Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited; • SCI Bharat IFSC Limited; • India LNG Transport Company No.3 Limited; • India LNG Transport Company No.4 Private Limited; • India LNG Transport Company No.1 Limited; and • India LNG Transport Company No.2 Limited.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2025-26	N.A.
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Name and DIN	Smt. Anupama T. V. IAS (DIN: 06932600)
Age and Date of Birth	39 years, October 17, 1986
Date of first appointment on the Board	July 17, 2026
Qualifications	Smt. Anupama T. V. is a 2010-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Kerala cadre. She is an Electronics Engineering graduate from BITS Pilani (Goa Campus) and a Master in Public Administration from Harvard University.
Expertise in specific functional areas	Smt. Anupama T. V. IAS is serving as the Secretary, Transport Department, Government of Kerala and also holds full additional charge of Airports; Metro Rail; and Personnel and Administrative Reforms (Official Language) Departments of the Government of Kerala. She has previously served in several key administrative positions in the Government of Kerala, including District Collector of Thrissur and Alappuzha, Food Safety Commissioner, Director of Tourism, Director of Scheduled Tribes Development, Land Revenue Commissioner and Secretary, Local Self Government Department (LSGD).
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Smt. Anupama T. V. IAS was appointed as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri P B Nooh IAS, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated July 17, 2026, with effect from July 17, 2026 until further orders. The terms and conditions regulating her appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Details of remuneration last drawn (FY 2025-26)	Nil. No remuneration is paid to the Government Nominee Directors.
Directorships in other Companies including listed entities	• Kochi Metro Rail Limited; • Kochi Water Metro Limited; and • Kerala Transport Development Finance Corporation Ltd.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2025-26	N.A.
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Name and DIN	Dr. Vani Ahluwalia (DIN: 11754971)
Age and Date of Birth	54 years, February 19, 1972
Date of first appointment on the Board	August 17, 2026
Qualifications	Dr. Vani Ahluwalia holds an MBBS from Dr. Panjabrao Alias Bhausaheb Deshmukh Memorial Medical College, Amravati, a Post Graduate Diploma in HIV and Family Education (DAFÉ) from IGNOU, a Post Graduate Diploma in International Human Rights from the University of Delhi and an LLB from Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur.

Name and DIN	Dr. Vani Ahluwalia (DIN: 11754971)
Expertise in specific functional areas	Dr. Vani Ahluwalia, with over 25 years of professional experience, currently serves as Senior Medical Officer at the ART Plus Centre, NSCB Medical College, Jabalpur, under the Madhya Pradesh State AIDS Society, and has previously served at the Tropical Forest Research Institute and J.K. Hospital, Jabalpur. She also serves as Managing Partner of JK Celebration and Ahluwalia Hospitality LLP, with experience in strategic decision-making, financial planning and business management. She has held several leadership positions in the social and public sectors, including National Secretary of Ekal Arogya Prakalp (2020–2021), National Executive Committee Member of the Arogya Foundation of India since 2016, and Trustee and Vice President of Vishwa Hindu Parishad (Mahakaushal Prant) from 2021 to 2024. She has contributed to rural healthcare, telemedicine and COVID-19 response initiatives and has also served as a G20 Speaker. Her areas of expertise include healthcare management, medical administration, public health programme delivery, legal and regulatory matters, organisational governance, strategic planning, stakeholder engagement and community development
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Dr. Vani Ahluwalia was appointed as a Non-official (Independent) Director of the Company vide Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated August 17, 2026, for a period of three years with effect from August 17, 2026 till August 16, 2029 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. The terms and conditions regulating her appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements	Please refer to the section on Skills/ Expertise/ Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2025-26)	N.A. Independent Directors are paid sitting fees for attending Board/ Committee Meetings (₹30,000 per Meeting at present) and reimbursement of expenses incurred for attending such Meetings, if any.
Directorships in other Companies including listed entities	Nil
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2025-26	N.A.
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

COCHIN SHIPYARD LIMITED

REGISTERED OFFICE

Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India
CIN: L63032KL1972GOI002414
Website: www.cochinshipyard.in

a K&A creation | www.kalolwala.com